महिला स्वतंत्रता नबी (सल्ल.) के समय में

लेखकः

शैख़ अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल हलीम मुहम्मद अबू शक़्क़ा

संक्षेपनः

डॉ० अहमद कबीसी

पुस्तक का नाम	:	महिला स्वतंत्रता नबी (सल्ल.) के समय में
लेखन का नाम	:	शैख़ अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल हलीम मुहम्मद शक़्क़ा
संक्षेपन	:	डॉ० अहमद कबीसी
संसकरण	:	प्रथम
प्रकाशक	:	अल–मॉहद अल–आलमी लिल् फ़िक्रिल इस्लामी (IIIT)

प्रस्तावचना

इख़्वानुल मुस्लिमीन के संस्थापक इमाम हसन बन्ना शहीद के विशेष हलक़ा से वाबस्ता और हलक़ा इख़्वान के पुराने सदस्य अबू शुक्क़ा ने यह किताब इमाम हसन बन्ना के मशवरा और समर्थन की बिना पर मुरत्तब किया। यह किताब अरबी में पांच भाग में है, इस का अरबी नाम **''तहरीरुल मरआ फ़िल इस्लाम''** है। इस किताब का अरबी सरांश इस्लामी दुनिया के चर्चित इदारा **अल माहदुल आलमी** ने एक प्रमुख बुज़ूर्ग इराक़ी आलिम डा0 अहमद क़बीसी से कराई, हिन्दी में यह किताब उसी पांच भागों के सरांश का अनुवाद है।

इस किताब की अहम विशेशताओं में से एक विशेशता यह है कि इस्लामी दुनिया के चर्चित फ़क़ीह अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी ने न सिर्फ़ यह कि इसका विस्तृत मुक़द्दमा लिखा है बल्कि किताब के लेखक अबू शुक्क़ा की कोशिशों को भरपूर तरीक़े से सराहा भी है और किताब का मुकम्मल समर्थन किया है। इस किताब की दूसरी विशेशता यह है कि इस का दूसरा मुक़द्दमा इस्लामी दुनिया के चर्चित व्यक्ति और आलिम मुहम्मद अल ग़ज़ाली ने लिखा है। मुहम्मद अल ग़ज़ाली रह0 अपनी तसनीफ़ात और ज्ञान सेवा की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।

किताब के मुसन्निफ़ और किताब पर मुक़द्दमा लिखने वाले दोनों मिस्त्री आलिम हैं, उन सब की इल्मी शान, इल्मी वक़ार, और जलालत बहुत बलन्द है, इस किताब की एक अहम विशेशता यह है कि यह क़ुरआन व सुन्नत के आधार पर लिखा गया है और फ़िक़्ही अन्दाज़ पर इस की तरतीब नहीं की गई है बल्कि अहादीस व आयात में महिलाओं के अधिकार से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर रोशनी डाली गई है। अगर किसी को विस्तार से मुताला करना हो तो उसे चाहिए कि वह अबू शुक्क़ा की अरबी किताब से संर्पक करे जिसका नाम **''तहरीरुल मरआ फ़िल इस्लाम''** है।

उम्मीद है कि यह किताब उपयोगी साबित होगी और वर्तमान काल के नये प्रशनों के उत्तर उस में मिल सकेंगे।

विषय सूची

भूमिका 14
मौलिक प्रेरक 14
पुस्तक का विषय 18
शोध विधि 20
दुआ और क्षमा याचना 25

प्रथम भागः बुख़ारी व मुस्लिम में औरत का व्यक्तित्व

अध्याय–1 बुख़ारी व मुस्लिम में औरत का व्यक्तित्व

- औरतों की स्वतन्त्र हैसियत 27
- पहले दिन से ही मर्दों के साथ औरतों को भी अल्लाह की तरफ़ बुलाना 27
- औरत का नये दीन पर ईमान लाने में पति के मुक़ाबले पहल करना 27
- औरत का अपनी क़ौम को नया दीन स्वीकार करने की दावत देना 27
- शिक्षा व प्रशिक्षण में औरत का अधिकार 29
- हदीस की रिवायत और शिक्षा में औरत की भूमिका 30
- सामूहिक इबादतों में औरत की भागीदारी 33
- सामान्य सभाओं और समारोहों में औरतों की भागीदारी 35
- विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा में औरत की भागीदारी 35
- विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज की रक्षा और उसकी ठीक दिशा तय करने में औरत की भागीदारी 36
- औरत की सेना में भागीदारी 37
- परिवार में औरत का स्थान 38
- पति पत्नी के बीच पारिवारिक दायित्वों का बंटवारा 38
- अल्लाह की तरफ़ से औरत का सम्मान 40
- इस्लाम का औरतों की अच्छी तरह से देखभाल करने पर उभारना 44

अध्याय–2

औरतों से सम्बन्धित कुछ शानदार घटनाएं

- अल्लाह की राह में जान की क़ुरबानी 45
- पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा 48
- इबादत का शौक़ 48
- माँ–बाप के साथ उनके जीवन में और मौत के बाद अच्छा व्यवहार 49
- अल्लाह पर ही भरोसा 50
- मुसीबत में धैर्य 51
- सतीत्व की रक्षा करना 51
- गुनाह का जल्दी स्वीकार करना 52

अध्याय–3

मुसलमान महिला का मज़बूत व्यक्तित्व और अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति उसकी परिपक्व चेतना की कुछ मिसालें

- महिलाओं का नबी (सल्ल.) से शिक्षा के अधिक अवसरों की माँग 53
- दीन की समझ प्राप्त करने के लिए अस्मा बिन्ते शक्ल (रज़ि) का न शरमाना 53
- सबीआ़ बिन्ते हारिस (रज़ि) का इस बात से अवगत होना कि यक़ीन तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए 54
- क़बीला ख़ष्अम की एक नौजवान लड़की का अपने पिता की तरफ़ से हज करने के आदेश को जानने की कोशिश करना 54
- औरत का पति के चुनाव के अधिकार पर जमे रहना 55
- नबी (सल्ल.) की सिफ़ारिश के बावजूद बुरैरा (रज़ि) का अपने अधिकार पर जमे रहना 55
- औरत का सबसे अच्छे मर्द का चुनाव करना और स्वयं को उसके

हवाले कर देना 56
- औरत का पति के छोड़ने के अधिकार पर जमे रहना 56
- साबित बिन क़ैस (रज़ि) की पत्नी ने जब अपने पति को नापसन्द किया तो उन्हे छोड़ने के अपने अधिकार पर अटल रहीं 57
- आतिकः बिन्ते ज़ैद(रज़ि.) का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के अपने अधिकार पर अटल रहना 57
- पैसा कमाने के लिए औरत का निश्चित व्यवसायों कों अपनाना 57
- मस्जिद में आम सभा की दावत पर औरतों का हाज़िर होना 58
- उम्मे कुलसूम बिन्ते अबी मुऐत (रज़ि) का जवानी में ही अपने परिवार को छोड़ देना और हिजरत करना 58
- उम्मे हराम का समुद्र के रास्ते जेहाद करने वालों के साथ शहादत पाने की अभिलाषा रजना 58
- उम्मे हानी का एक दुश्मन फ़ौजी को पनाह देना और आपत्ति करने वाले भाई की शिकायत करना 59
- हिन्द बिन्ते उत्बः का इस्लाम लाने के बाद नबी (सल्ल.) की प्रशंसा करना 59
- उम्मे ऐमन का नबी (सल्ल.) की मौत के कारण वह्य का सिलसिला टूटने पर दुखी होना 59
- ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर का हज़रत अबू बक्र(रज़ि.) से बात करना 60
- हफ़्सा बिन्ते उमर का अब्दुल्लाह बिन उमर की ग़लती को चिन्हित करना 60
- उम्मे याक़ूब का अब्दुल्लाह बिन मसऊद से संवाद करना 60
- उम्मे दरदा का अब्दुल मलिक बिन मरवान के कुछ व्यवहारों की निन्दा करना 61

अध्याय–4

महिला व्यक्तित्व

- हज़रत सारा : हज़रत इब्राहीम (अलै.) की पत्नी 63
- हज़रत हाजिरा : हज़रत इस्माईल (अलै.) की माँ 64
- हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद : नबी (सल्ल.) की पत्नी 66
- हज़रत फ़ातिमा ज़हरा : नबी (सल्ल.) की बेटी 68
- मोमिनों की माँ हज़रत आयशा (रज़ि.) 71

- मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) 93
- मोमिनों की माँ हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) 97
- हज़रत उम्मे सुलैम (गुमैसा बिन्ते मल्हान) 98
- हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र ज़ातुन्नताक़ैन 102
- हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) 107
- हज़रत उम्मे अतीया अन्सारीयः (रज़ि.) 109
- हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) 111

अध्याय–5

औरतों से सम्बन्धित कुछ हदीसें जो ग़लतफ़हमी का शिकार हो गईं

- पहली हदीस 113
- दूसरी हदीस 115
- तीसरी हदीस 123

भाग–2

सामाजिक जीवन में मुस्लिम औरत की भागीदारी

अध्याय–1

नबवी युग में सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के प्रेरक

- पहला : जीवन को सरल बनाना 126
- दूसरा : औरत के व्यक्तित्व का विकास 129
- तीसरा : शिक्षा प्राप्त करना 134

- चौथा : नेकी और भलाई का काम करना 137
- पांचवा : नेकी का आदेश और बुराई से रोकना 139
- छठवां : अल्लाह के दीन की तरफ़ दावत देना 140
- सातवां : अल्लाह के रास्ते में जिहाद 142
- आठवां : नौकरी और व्यावसायिक कार्य 143
- नवां : राजनीतिक गतिविधि 145
- दसवा : शादी के अवसरों को आसान बनाना 146
- ग्यारहवां : पवित्र मनोरंजन के अवसरों को, और अच्छे समारोहों में भागीदारी को आसान बनाना 148

अध्याय–2

सामाजिक जीवन में मुसलमान महिला की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के शिश्टाचार (आदाब)

- भूमिका 155
- वह मौलिक तत्व जो भागीदारी और मुलाक़ात के आदाब को निश्चित बनाने में सहायक होते हैं। 155
- मर्दों और औरतों के सम्मिलित आदाब 159
- औरतों के विशेष आदाब 172

अध्याय–3

नबियों के युग में सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उनका मेल–जोल

- हज़रत नूह (अलै.) का युग 176
- हज़रत इब्राहीम (अलै.) का युग 176
- दैनिक जीवन के कामों में भागीदारी 177

- ज़ियारत में भागीदारी 177
- आतिथ्य सत्कार में भागीदारी 178

अध्याय–4

परदा अनिवार्य होने से पहले और बाद में नबी (सल्ल) की पवित्र बीवियों का मर्दों से मिलना

- शिक्षा प्राप्त करना 180
- विवाह का उत्सव 180
- दावते वलीमा 181
- सलाम का आदान–प्रदान 181
- ज़ियारत 182
- बीमारों का हाल पूछना 183
- मसला पूछना 183
- आतिथ्य 183
- भलाई का आदेश 184
- ग़ज़वात 184
- परदा अनिवार्य होने के बाद नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का समाज से जुड़े रहना और मर्दों से बात चीत करना 185
- प्रथम : नबी (सल्ल.) की बीवियों का आपकी सभाओं में रहना और कभी कभी बात चीत में भाग लेना 186
- द्वितीय : नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का नबी करीम (सल्ल) के साथ सफ़र में रहना 189
- तृतीय : नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का समाज से सम्बन्ध रखना और उसके मामलों में दिलचस्पी लेना 190
- चतुर्थ : विभिन्न उद्देश्यों के लिए नबी करीम(सल्ल.) की पवित्र बीवियों के पास मर्दों का जाना 193
- पंचम : नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का मुसलमानों को नबी की सुन्नत की शिक्षा देना 197

अध्याय–5

नबवी युग के सामाजिक जीवन में मुसलमान महिला की भागीदारी की कुछ घटनाएं

- मर्दों और औरतों के बीच सलाम का आदान–प्रदान 205
- मस्जिद में मर्दों व औरतों की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात 206
- शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मर्द–औरत की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात 227
- हज के दौरान मर्दों–औरतों की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात 233
- जिहाद में मर्दों–औरतों की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात 235
- नेकी का आदेश और बुराइयों से रोकने के काम के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 238
- किसी अच्छी चीज़ के लेन देन के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात 241
- जोड़े की तलाश के समय शादी का सन्देश देते समय और शादी के समय मर्द और औरत की मुलाक़ात 242
- समारोहों और वलीमा की दावतों में मर्द–औरत की भागीदारी और मुलाक़ात 246
- प्रश्न पूछने और ख़ैरियत पूछने के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 251
- ज़ियारत के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात 252
- स्नेह प्रकट करने और अच्छी देखभाल के बीच मर्द–औरत की मुलाक़ात 254
- सम्मान करने और प्रशंसा करने के लिए मर्द–औरत की मुलाक़ात 258
- आतिथ्य के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 260
- उपहार का आदान–प्रदान करते समय मर्द–औरत की मुलाक़ात 263
- मरीज़ो को देखने जाने के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 264
- खानो–पीने के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 267
- यात्रा के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 270
- मौत से सम्बन्धित विभिन्न कामों के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात 273
- शासकों से तर्क व निवेदन के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात 278
- सिफ़ारिश के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात 280
- विभिन्न हालतों में मर्द–औरत की मुलाक़ात 289

- मुसलमान मर्दों की ग़ैर मुस्लिम औरतों से मुलाक़ात 292

अध्याय–6

नबवी युग में व्यावसायिक कामों में मुसलमान महिला की भागीदारी की घटनाएं और उस भागीदारी के सम्बन्ध में शरई हिदायतें 299

- ऐसे क्षेत्र जिनमें नबवी युग में औरत ने काम किया
- औरत के व्यवसायिक कामों से सम्बन्धित कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियाँ
- वर्तमान युग में औरत के व्यवसायिक कामों से सम्बन्धित शरई हिदायतें

अध्याय–7

नबवी युग में सामाजिक गतिविधियों में मुसलमान महिला की भागीदारी की घटनाएं और उस भागीदारी के सम्बन्ध में शरई हिदायतें

- नबवी युग में औरत की सामाजिक गतिविधियों के कुछ स्वरूप 329
- औरत की सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियाँ 337
- वर्तमान सामाजिक गतिविधि और उसमें औरत की भूमिका का परिचय 338
- वर्तमान युग में औरत की सामाजिक गतिविधि से सम्बन्धित शरई निर्देश 340

अध्याय–8

नबवी युग में राजनीतिक गतिविधियों में मुसलमान औरत की भागीदारी की घटनाएं और इस सम्बन्ध में शरई निर्देश

- राजनीतिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी के स्वरूप 354
- प्रथम : दारूल कुफ्र(काफ़िरो के देश) में 359
- द्वितीयः इस्लामी राज्य में 363
- औरत की राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियां 376
- वर्तमान सामाजिक गतिविधि का अर्थ 377
- वर्तमान युग में औरत की राजनीतिक गतिविधि से सम्बंन्धित शरई निर्देश 378
- पश्चिमी समाज के एक आधुनिक प्रयोग की गवाही 393

भाग–3

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात का विरोध करने वालों के साथ एक संवाद

अध्याय–1

प्रथम : भागीदारी और मुलाक़ात की दलीलों पर विरोधियों की आपत्तियों पर एक संवाद पहली आपत्ति से चौथी आपत्ति तक 394
द्वितीय : उन दलीलों पर एक वार्त्ता जो मर्द–औरत की मुलाक़ात की मनाही के सम्बन्ध में विरोधी प्रस्तुत करते हैं। पहली दलील से पन्द्रहवीं दलील तक 398
तृतीय : विरोधियों के कुछ कथनों पर संवाद पहले कथन से सातवें कथन तक 425

अध्याय–2

ामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी का विरोध करने वालों और परदा के नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों के लिए विशेष होने का विरोध करने वालों के साथ एक संवाद

प्रथम :	परदा के अर्थ का निर्धारण	438
द्वितीय :	परदे की आयत के अवतरण का समय नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों के साथ परदा के विशेष होने की	439

दलीलें

पहली दलील :	परदे की अनिवार्यता से सम्बन्धित आयत	441
दूसरी दलील :	परदे की अनिवार्यता की पृष्ठभूमि	442
तीसरी दलील :	बुख़ारी व मुस्लिम में परदे के नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों के साथ विशेष होने की दलीलें	445
चौथी दलील :	बुख़ारी व मुस्लिम के अतिरिक्त हदीस की अन्य किताबों में परदे के नबी (सल्ल) की पवित्र बीवियों के साथ विशेष होने की दलीलें	447
पांचवीं दलील :	परदा अनिवार्य होने के बाद मोमिनों की माँओं को जिहाद में भाग लेने की अनुमति न देना और अन्य औरतों को अनुमति देना	448
छठी दलील :	मोमिनों की माँओं का मर्दों से हटकर और साधारण औरतों का मर्दों के साथ हज करना	449
सातवीं दलील :	नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का परदा करना और उनकी सेविकाओं का न करना	450
आठवीं दलील :	नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों का परदा करना और बेटियों का न करना	450
नवीं दलील :	महान सहाबी महिलाओं का मर्दों से बिना परदे के मिलना	452
दसवीं दलील :	सभी विशेष व साधारण क्षेत्रों में नबी (सल्ल.) और सहाबा का औरतों से बिना परदे के मिलना नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों के साथ परदे के विशेष होने के सम्बन्ध में फ़क़ीहों के कथन	462

अध्याय–3

बुराई के माध्यम को रोकने (सद्दे ज़रिया) के सिद्धान्त और उसके लागू करने में अतिशयोक्ति के प्रभाव

- अल्लाह की शरीअ़त बनाने का तरीक़ा और सद्देज़रिया के सिद्धान्त में सन्तुलन 465
- पहला : अल्लाह की शरीअ़त की कुछ पहचान 465
- दूसरा : नबवी युग में शरीअ़त के लागू करने के उदाहरण 465

(क) फ़ितने की संभावनाओं के बावजूद नबवी युग की सकारात्मक गतिविधियां 466
(ख) फ़ितने को भड़काने वाली किसी चीज़ के प्रकट होते समय नबी (सल्ल.) का उसके माध्यम पर रोक लगाने का पक्का प्रबन्ध करना। 466
तीसरा : नबी करीम(सल्ल.) और सहाबा का सामान्य रूप से कठोरता से रोकना, विशेष रूप से औरत के फ़ितने के सिलसिले में कठोरता से काम लेने से रोकना 466
- 'सद्दे ज़रिया' के सिद्धान्त के सिलसिले में शरीअ़त के सन्तुलित रवैये के महत्वपूर्ण इशारे 476
- 'सद्दे ज़रिया' के सिद्धान्त में बाद वालों की अतिशयोक्ति 486
- 'सद्दे ज़रिया' के सिद्धान्त को लागू करने में अतिशयोक्ति के कारण 493
- पहला कारण : 'सद्दे ज़रिया' के सिद्धान्त की शर्त्तों से बेपरवाही बरतना 493
- दूसरा कारण : औरत के फ़ितने के अर्थ को ठीक से समझ न पाना 493
- तीसरा कारण : औरत के सिलसिले में बदगुमानी और उसे कमज़ोर समझना 499
- चौथा कारणः अनावश्यक आत्मसम्मान 507
- पाँचवां कारण : ज़माने के ख़राब होने का दावा 510
- छठा कारण : कुछ आयतें, हदीसें और ख़बरें 516

भूमिका

निः सन्देह प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं और उससे निर्देष (हिदायत) चाहते हैं और हम अल्लाह से शरण मांगते हैं अपने नफ़्स (Self) की बुराइयों से, और अपने कर्मों की बुराइयों से, अल्लाह जिसको रास्ता दिखा दे उसे भटका सकने वाला कोई नहीं, और जिसे वह भटका दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, वह अकेला है कोई उसका साझीदार नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (सल्ल) उसके बन्दे और उसके रसूल(भेजे हुए) हैं।

''ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और तुम न मरो मगर इस हालत में कि तुम मुस्लिम हो'' (आले इमरानः102)

''ऐ ईमान लाने वालो, डरो अपने उस पालनहार से, जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैला दिये, और उस अल्लाह से डरो जिसके माध्यम से तुम अपने हक़ मांगते हो, और रिश्तों के बारे में डरो, निःसन्देह अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरानी करता है ''(सूरःनिसा–1)

''ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, और ठोस बात कहो, वह तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा पालन करेगा, तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली'' (सूरह अहजाबः70,71)

यह किताब एक अति महत्वपूर्ण विषय पर कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति का प्रयास है, तमाम मामले अल्लाह ही के हाथ में हैं अतः मैं उसी की मदद का इच्छुक हूं और उसी पर भरोसा करता हूं।

किताब लिखने का मौलिक प्रेरकः

मैनें कुछ वर्षों पहले ही हदीस की किताबों की रोशनी में नबी(सल्ल) की जीवनी का गहन अध्ययन करने की संकल्प था ताकि मैं हदीस की किताबों के माध्यम से नबी (सल्ल) के पवित्र जीवन की घटनाओं का सत्यापन कर सकूं। वास्तव में नबी(सल्ल) की जीवनी पर इतने सुव्यवस्थित ढंग से काम नहीं किया गया है जितने सुव्यवस्थित ढंग से हदीसों पर काम किया गया है। न पवित्र जीवनी की घटनाओं के प्रमाणों को परखा गया है और न ही सत्य और असत्य घटनाओं के बीच अन्तर स्पष्ट किया गया है। मुझे इस अध्ययन की प्रेरणा इस वास्तविकता से मिली कि जीवनी लिखने की कला जो नबी करीम (सल्ल) के पवित्र जीवन के सभी पहलुओं को प्रस्तुत करती है, वास्तव में नबी (सल्ल) के

अनगिनत ऐसे वक्तव्यों, व्यवहारों और भाषणों पर आधारित होती है जिनका सम्बन्ध नबी (सल्ल) की सुन्नत से होता है और जिनका मुसलमान अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। इस वास्तविकता को देखते हुए नबी (सल्ल) की पवित्र जीवनी को हदीसों के माध्यम से पूरे सत्यापन और पुष्टि के बाद मुसलमानों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह पूरे विश्वास और संतुष्टि के साथ नबी(सल्ल) की जीवनी को अपने जीवन में अपनायें।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन की ओर मेरा ध्यान उस समय आकर्षित हुआ जब मैं ''सही मुस्लिम'' का अध्ययन इमाम नववी की टीका के साथ कर रहा था और मेरी निगाह से बहुत सी ऐसी व्यावहारिक हदीसें गुज़रीं जिनका सम्बन्ध औरत से था और जिनमें यह बताया गया था कि जीवन के विभिन्न मैदानों में औरत और मर्द को एक दूसरे के साथ किस तरह मामला करना चाहिए।

इन हदीसों के महत्व को देखते हुए मैं इस बात पर मजबूर हो गया कि नबी(सल्ल) के युग में मुस्लिम औरत के व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न मैदानों में उसकी भागीदारी से सम्बन्धित अपने और दूसरों के विचारों में सुधार पैदा करूं।

इस सच्चाई के सामने आने के बाद मेरे अध्ययन और शोध की दिशा नबी (सल्ल) के युग की मुस्लिम औरत की तरफ़ हो गई। अतः नबवी युग में औरत को जो स्वतन्त्रता प्राप्त थी उस पर यह शोधपरक लेख पूरी रोशनी डालता है। मुझे इस नये विषय पर काम करने और उसे जारी रखने की प्रेरणा इस बात ने भी दी कि मुझे इस बात की आशंका थी, ऐार अब भी है, कि औरत की स्वतन्त्रता की जो धारणा इस्लाम ने दी है उसके विरूद्ध दूसरी धारणाएं सामान्य और प्रचलित न हो जायें।

औरत के सम्बन्ध में सच्चाइयों को सामने लाना ऐसा ही है जैसे शरीअत के किसी दूसरे पहलू की सच्चाइयों को सामने लाना। यह काम वास्तव में, अल्लाह की शरीअत की कामयाबी है, क्योंकि औरत के विषय का विभिन्न पहलुओं से बहुत महत्व हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. औरत एक मुसलमान की मां, बहन,पत्नी और बेटी होती है। एक औरत के अन्दर यह सारे गुण एकत्र होने के बाद उससे अधिक आदरणीय कौन हो सकता है।
2. दो अज्ञानताओं में से किसी एक की सबसे अधिक शिकार मुसलमान औरत ही होती है। प्रथम,चौदहवीं सदी हिजरी में पायी जाने वाली अति, चरमवाद और पूर्वजों के अंधानुकरण की अज्ञानता। द्वितीय, बीसवीं सदी ईसवी में पाया जाने वाला नंगापन, और पश्चिम के अंधानुकरण की अज्ञानता। यह दोनों अज्ञानताएं, अल्लाह की शरीअत से विद्रोह जैसी हैं।
3 नबी करीम(सल्ल) का फ़रमान है ''औरतें मर्दों के दर्जे की हैं'' (अबू दाऊद) मुसलमान औरत की सहायता वास्तव में मुसलमान मर्द और औरत दोनों ही की सहायता जैसा है। पीड़ित व्यक्ति की

सहायता इस तरह कि उसे न्याय दे दिया जाये और अत्याचारी की सहायता इस तरह कि उसका हाथ अत्याचार से रोक दिया जाये। नबी करीम(सल्ल) ने एक बार फ़रमाया कि अपने भाई की सहायता करो, चाहे वह अत्याचारी हो (ज़ालिम) या पीड़ित (मज़लूम)। आपके साथियों (सहाबा) ने कहा ''ऐ अल्लाह के रसूल पीड़ित की सहायता की बात तो समझ में आती है लेकिन हम अत्याचारी की किस तरह सहायता करें। आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि ''तुम अत्याचारी का हाथ पकड़ लो, और एक रिवायत में यह है कि तुम उसे अत्याचार करने से रोक दो, यही उसकी सहायता है।

4. कहा जाता है कि औरत समाज का आधा हिस्सा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक निलंबित अंग की तरह है क्योंकि वह न ही मुजाहिद व मोमिन नस्ल पैदा कर सकती है और न ही उम्मत की राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता पैदा करने में भागीदारी निभा सकती है। (यह स्थिति समाज के दूसरे आधे भाग अर्थात मर्दों की चिंताजनक सीमा तक उदासीनता को नही नकारती है) अतः मुस्लिम औरत की आज़ादी मुस्लिम समाज के आधे भाग की आज़ादी है और औरत उस समय तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कि मर्द स्वतन्त्रत न हो, और मर्द औरत दोनों ही केवल उसी स्थिति में आज़ाद हो सकते हैं जबकि अल्लाह की शरीअत और हिदायत की पैरवी की जाये।

5. इन में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तआला ने औरत को ऐसी कोमल भावनाएं दी हैं जो उसे दीनदारी पर उभारती हैं और दीन से जोड़े रखती हैं शर्त यह है कि उसको सही दिशा दी जाये। इस अवसर पर मुझे दो प्रतिष्ठित समकालीन उलमा के कथन याद आ रहे हैं। एक आलिम कहते हैं कि दीन, नैतिकता और भलाई की बातों को सीखने और जानने में सबसे आगे औरतें ही रहती हैं, उनके अन्दर बात को ध्यान से सुनने और अनुपालन करने की सबसे अधिक प्रवृति पायी जाती है, अगर उन्हें नेक भले शिक्षक प्राप्त हो जायें।

   दूसरे आलिम कहते हैं कि मैंने रेडियो और टी.वी. में वर्षों काम किया है। मेरे पास विभिन्न देशों के नौजवानों, बूढों, औरतों और मर्दों के पत्र आते थे, इन पत्रों को पढ़कर मुझे यह महसूस हुआ कि मुस्लिम समाज में आज भी दीन को प्राथमिकता प्राप्त है।

कुल मिलाकर औरत मर्द की तुलना में अधिक दीनदार होती है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने प्यार, दया नरमी जैसे जिन गुणों से औरत को सुशोभित किया है उनके कारण वह दीन और दीनी प्रकृति से अधिक निकट होती है। उसके अन्दर दीन पर चलने की इच्छा सबसे अधिक होती है औरत आख़िरत(परलोक) के हिसाब–किताब का सबसे अधिक डर उसी के अन्दर पाया जाता है। हम लगातार यह देखते आये हैं कि वह औरतें जो बेपरदा तथा आधी नंगी घरों से बाहर निकलती हैं वे अपनी इच्छा और इरादे से इस्लाम और इस्लामी आचरण और शिक्षाओं की तरफ़ लौट आती हैं, हालांकि इस्लाम दुश्मन ताकतें, अन्दर और बाहर, हर तरफ़ से इस्लाम के विरोध में अपनी सम्पूर्ण योग्यताओं का प्रयोग कर रही हैं, ताकि कोई भी इस्लाम की तरफ़ लौट न सके। बहुत सी औरतें ऐसे आधुनिक पश्चिमी वस्त्र पहनती हैं जो वास्तव में इस्लामी आचरण के प्रतिकूल हैं लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वह नमाज़, रोज़ा, हज्ज, उमरा और इस्लाम की अन्य सभी इबादतों को करने की अत्यंत इच्छुक होती हैं। इससे पता चलता है कि ऐसी औरतों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाए,उनको प्रशिक्षित किया जाये तो आशा है कि वह जल्द ही इस्लामी शरीअत की पूरी तरह पाबन्द हो जायेंगी।

हज़रत आयशा (रज़ि) को जिहाद में भाग लेने की अत्यधिक इच्छा थी। उन्होंने एक बार नबी (सल्ल) से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल हम जिहाद को सबसे अच्छा अमल समझते हैं तो हम जिहाद क्यों न करें (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे हराम समुद्र के रास्ते जिहाद करने वालों के साथ शहीद होने की प्रबल इच्छा अपने दिल में रखती थीं, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं भी उन लोगों में मिल जाऊं जो समुद्र के रास्ते जिहाद करने जायेंगें और शहादत प्राप्त करेंगे। आप सल्ल ने उनके लिए दुआ कर दी। (बुख़ारी)

एक औरत सहाबी अपने हाथ से काम किया करती थीं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करती थीं। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाली, सबसे अधिक रिश्तों को निभाने वाली और सबसे अधिक अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाली थीं। वह जो काम करके ख़र्च करती थीं और जिसके माध्यम से अल्लाह से निकटता प्राप्त करती थीं उसे अपने लिए बहुत छोटा और तुच्छ समझती थीं। (मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) के युग की औरतें ज्ञान के स्रोत नबी (सल्ल.) से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर ढूंढती रहती थीं। एक बार औरतों ने नबी करीम (सल्ल) से कहा कि आप

(सल्ल) से लाभान्वित होने में मर्द आगे बढ़ गये हैं अतः आप अपनी तरफ़ से हमारे लिए एक दिन तय कर दीजिए। (बुख़ारी मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) के युग की नेक औरतें मर्दों से अधिक अल्लाह की राह में ख़र्च करती थीं। नबी करीम (सल्ल) कहा करते थे कि सदक़ा करो, सदक़ा करो और अधिक सदक़ा करने वालों की संख्या औरतों की होती थी (मुस्लिम)

इस्लाम लाने से पहले भी यह औरतें बड़ी नर्म दिल और पवित्र क़ुरआन को सुनने की बहुत अधिक इच्छुक थीं। हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि) ने अपने घर के आंगन में एक मस्जिद बनाई थी जिसमें वह नमाज़ पढ़ा करते थे और क़ुरआन भी पढ़ा करते थे इस अवसर पर मक्का के मुश्रिकों की औरते और बच्चे वहां एकत्र हो जाते, वह हज़रत अबू बक्र को नमाज़ पढ़ते, और क़ुरआन पढ़ते देखते थे और बहुत अधिक प्रभावित होते थे इस स्थिति से क़ुरैश के सरदार डर गये, और उन्होंने कहा कि हमें डर है कि कहीं हमारी औरतें और बच्चे, बिगाड़ का शिकार न हो जायें। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि) के ये शब्द ''इस स्थिति से क़ुरैश के सरदार डर गये'' का अर्थ यह है कि क़ुरैश के काफ़िर इस स्थिति से इसलिये डर गये क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि औरतें और नौजवानों के दिलों में जो नर्मी पाई जाती है वह उन्हें इस्लाम की तरफ़ झुका देगी।

पुस्तक का विषयः

यह किताब वास्तव में नबी (सल्ल) के युग की औरत से सम्बन्धित फ़िक़्ही (इस्लामी क़ानून) व सामाजिक,शोध व अध्ययन पर आधारित है। मैंने यहां कोशिश की है कि इस किताब में वह सभी क़ुरआन व सुन्नत से दलीलें एकत्र हो जायें जो नारी जीवन के किसी विशेष व साधारण पहलू पर निकट या दूर से किसी भी तरह से इशारा कर रही हों और जो उसके सामाजिक सम्बन्ध और विभिन्न गतिविधियों की क़िस्मों की तरफ़ इशारा कर रही हों। चूकिं इस्लामी शरीअत एक व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में भी फ़ैसला करती है (चाहे वह मर्द हो या औरत) और समाज की व्यवस्था से सम्बन्धित भी फ़ैसला करती है। अतः एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी एक मुसलमान व्यक्ति के व्यवहार पर पूर्ण रूप से नज़र हो यह आवश्यक हो जाता है कि वह सामाजिक शोध व अध्ययन में फ़िक़्ही शोध को भी सम्मिलित करे और सामाजिक गतिविधि को फ़िक़्ही दलीलों से जोड़े। हालांकि सामाजिक शोध व अध्ययन का यह गुण है कि वह मात्र ऐसी ही दलीलों (क़ुरआन व सुन्नत) और गवाहियों को काफी नहीं समझता है जो समाज के हालात और परिस्थितियों के सिलसिले में क़तई दलील हों बल्कि सामाजिक शोध और अध्ययन में काल्पनिक क़ुरआन व सुन्नत की दलीलों और गवाहियों को भी स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं को क़तई दलीलों और काल्पनिक दलीलों दोनों तरह की क़ुरआन व सुन्नत की बुनियादों और गवाहियों से सिद्ध किया जाता है।

फ़िक़्ही आदेश को सिद्ध करने के लिए जहां एक तरफ़ क़तई दलीलों और वरीयता देने योग्य दलीलों की आवश्यकता होती हैं वहीं दूसरी तरफ़ उसको संदिग्ध दलीलों के माध्यम से भी सिद्ध किया जा सकता हैं। अर्थात कुरआन व सुन्नत की वह दलीलें जो संदिग्ध हों ऐसी गवाहियों के दर्जे में हो सकती हैं जो क़तई दलील वाली या वरीयता देने योग्य दलीलों को बल देती हैं पाठक को किताब में कुछ जगहों पर मिलेगा कि कुछ गवाहियां संदिग्ध दलीलों वाली है हालांकि नियम यह है कि जब किसी दलील में संदेह हो जाये तो उससे तर्क नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैंने आदेशों को सिद्ध करने के लिए ऐसी दलीलों (कुरआन व सुन्नत से) को चुना है जो क़तई या वरीयता देने योग्य हैं तो मैंने उनको केवल असामाजिक शोध और अध्ययन को पूर्णता प्रसद्क़ा करने के लिए प्रयोग किया है।

अल्लाह के बन्दों के हर अमल का एक जौहर (सार)होता है और वह परिस्थितियों और हालात के साथ विभिन्न व्यावहारिक रूप अपनाता रहता है। अतः इसका बड़ा महत्व है कि जौहर को अच्छी तरह से पहचाना जाये। अगर वह वैध है तो उसकी वैधता सदैव क़ायम रहेगी। अगर जौहर हराम है तो उसकी हुरमत सदैव क़ायम रहेगी। जहां तक इस जौहर पर अमल करने के विभिन्न रूपों का सम्बन्ध है तो जैसा कि मैंने कहा कि उसके रूप बदलते रहते हैं। जौहर चाहे कोई भी रूप अपना ले हर एक रूप का आदेश वही होगा जो वास्तविक जौहर का हैं। यह अन्तर स्पष्ट करना और पहचानना बहुत आवश्यक है। जौहर के आधुनिक रूपों को स्वीकार करने में यह हमारा सहायक होता है। उदाहरण के लिए औरत की शिक्षा, उसका काम करना, औरत की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां, यह वह विषय हैं जिनका एक जौहर है जिसका नबीं(सल्ल) ने समर्थन किया है लेकिन उसके व्यवहार में लाने के वह रूप जो नबी (सल्ल) के युग में थे क्या हमारे ऊपर यह अनिवार्य करते हैं कि हम उन्ही तक सीमित रहें और उससे आगे न बढें या फिर हमारा यह कर्तव्य है कि हम आधुनिक प्रभावी तत्वों, अर्थात आधुनिक सामाजिक रूझानों में सोच विचार करें और इन रूझानों के आधार पर व्यावहारिक रूप देने का नये सिरे से गठन करें। हमने उन आधुनिक सामाजिक रूझानों को एकत्र करने का प्रयास किया है जो परिवार में या राजनीजिक व सामाजिक मैदान में या नौकरी में औरत की गतिविधयों और उसके सम्बन्धों पर प्रभाव डालतें है। इसी तरह हमने उन रूझानों को भी एकत्र करने का प्रयास किया है जो औरत के पहनावे और उसके शृंगार पर प्रभाव डालते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि एक मुस्लिम औरत आधुनिक समाज में सही और आवश्यक रवैया अपना सके और साथ साथ वह वैध जौहर को भी महसूस कर सके ताकि उस पर अमल करके सीधे रास्ते पर जमी रहे।

इस फिक़्ही, सामाजिक शोध और अध्ययन में मैंने, स्पष्ट रूप से बताया है कि नबी (सल्ल) के युग में औरत को किस तरह आज़ाद किया गया था। अतः इस शोध व अध्ययन का उददेश्य यह है कि औरत की स्वतंत्रता के लिए नबी करीम (सल्ल) के युग में अपनाये

गये तरीक़े को अपनाते हुए आधुनिक मुसलमान औरत को एक बार फिर आज़ाद करने का प्रयास किया जाये।

यह उद्देश्य एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या की तरफ़ हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो तमाम उलमा व विचारकों का सामूहिक प्रयास चाहता है । वह समस्या आधुनिक मुस्लिम विवेक की आज़ादी की है, आधुनिक मुस्लिम विवेक को ऐसे बंधनों, झूठे पैमानों, बिगड़े विचारों से आज़ाद कराना बहुत आवश्यक है जो उस पर सदियों सें छाये हुए हैं और जिन्होने उसे अपंग बना रखा है। अतः जब आधुनिक मुस्लिम विवेक इन तमाम बंधनों से स्वतन्त्र हो जायेगा तो फिर उसमें जागरूकता आयेगी और अल्लाह की हिदायत की रोशनी में काम कर सकेगी। मुस्लिम विवेक की आज़ादी ही औरत व मर्द दोनों की वास्तविक व पूर्ण आज़ादी का एक मात्र रास्ता हैं। बल्कि यह सही व प्रबल बुनियादों पर समाज के पुनर्गठन का माध्यम है, क्योंकि विवेक ही मानवीय व्यवहार को दिशा देता है, अतः अगर मुस्लिम विवेक आज़ाद हो जाता है और सीधे रास्ते पर आ जाता है तो उसका व्यवहार भी स्वतन्त्र हो जायेगा और वह दूरदर्शिता के साथ सीधे रास्ते पर चलने लगेगा। हम इस समस्या को तमाम समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं क्येंकि विभिन्न ग़लत फ़हमियों के कारण, मुसलमान के सोच विचार के तरीक़े में बाधा पड़ गई है, और जीवन के तमाम पहलू इस बाधा से प्रभावित है।

शोध विधि

मैंनें अपनी किताब में यह तरीक़ा अपनाया है कि मैं पवित्र क़ुरआन और हदीसों की सभी सही दलीलों की छानबीन करता हूं। अतः मैंनें इस काम का प्रारम्भ सही बुख़ारी से किया सबसे पहले मैंनें उस में औरत के जीवन के सभी पहलुओ से सम्बन्धित बुनियादों को तलाश किया उसके बाद मैंने सही मुस्लिम की और ध्यान मोड़ा उसके बाद मै दूसरी हदीस की किताबों की तरफ़ लौटा इस तरह मैंनें चौदह हदीस की किताबों से लाभ उठाया जो कि निम्नलिखित हैं।

सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम ,सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन अन्निसाई, सुन्न इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, ज़वाइद सहीह इब्ने हिब्बान, मुस्नद अहमद, अल मुअजमुल कबीर लित्तबरानी, अल मुअजमुल अवसत लित्तबरानी, अल मुअजमुस्सग़ीर लित्तबरानी, मुस्नद अल बज़्ज़ार, मुस्नद अबी यअ़ला।

अन्तिम 6 हदीस की किताबों के लिए मैं मजमउज्ज़वाइद व मम्बउल फवाइद की तरफ़ लौटा जिसमें हाफ़िज़ अल हैषमी ने अन्तिम छः किताबों की उन हदीसों को एकत्र किया है जो पहली छः हदीस की किताबों में मौजूद हदीसों के अतिरिक्त थीं।

हदीस की किताबों की दलीलों(बुनियादी) का सिलसिलेवार अध्ययन का अर्थ यह नहीं था कि मुझे क़ुरआन करीम की आयतों पर विचार करने की आवश्यकता शेष नहीं रही, क़ुरआन करीम तो शरीअत का बुनियादी स्रोत है। इसके अन्दर इतनी महानता और इतना

तेज पाया जाता है और उसके विषय इतने सारगर्भित हैं, कि उसकी हर एक आयत पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने हदीस की किताबों का एक बार पूरा अध्ययन किया फिर मैंने महसूस किया कि मात्र एक बार का अध्ययन काफ़ी नहीं है अतः मैंने हदीस की किताबों का दूसरी बार अध्ययन किया। अल्लाह की कृपा है, इससे मुझे बहुत अधिक लाभ हुआ। मैंने यह इरादा किया कि किताब को दो चरणों में प्रकाशित किया जायेः

पहले चरण का नतीजा पाठक के सामने है। इस किताब में सिर्फ़ कुरान की सम्बन्धित आयतों और बुख़ारी व मुस्लिम के सम्बंधित नुसूस (बुनियादें) बयान किये गये हैं। कुछ सीमित समस्याओं में बुख़ारी व मुस्लिम से कोई नस्स, दलील के रूप में नहीं ली गई है बल्कि दूसरी हदीस की किताबों से ली गई हैं। या तो इस वजह से कि इस समस्या से सम्बन्धित बुख़ारी व मुस्लिम में कोई दलील नहीं थी या इस उद्देश्य के अन्तर्गत कि सम्बन्धित समस्या और अधिक स्पष्ट हो जाये लेकिन हर सम्भव प्रयास किया गया है कि उन हदीसों को ही दलील के रूप में लिया जाये जिनके प्रमाण के सही होने के बारे में, शोध करने वाले उलमा सन्तुष्ट हैं। मैंनें यह प्रयास किया है कि जो रिवायतें सर्वसम्मत है उनको बुख़ारी के शब्दों में प्रस्तुत करूं। कुछ जगहों पर मैंनें सर्वसम्मत रिवायतों को मुस्लिम के शब्दों में बयान किया है क्योंकि वह अधिक स्पष्ट थीं। ऐसे अवसर पर मैंनें किताब से हदीस निकालने में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मुस्लिम की बयान की हुई रिवायत है।

दूसरे चरण में इन्शाअल्लाह कुरआन करीम की आयतों के साथ साथ असली हदीस की किताबों की दलीलों की बहुत बड़ी संख्या होगी, अल्लाह से दुआ है कि वह मुझे इस काम में नि–स्वार्थ भाव प्रसद्क़ा करे, मेरे इस काम को स्वीकार करे, और इसे लाभदायक बनाये।

इस किताब का साधरण तरीक़ा यह है कि इसमें उन तमाम दलीलों को प्रस्तुत किया गया है जो इस किताब के विषयों पर दलील उपलब्ध करती है। ये ऐसी दलीलें हैं जो स्पष्ट हैं क्योंकि ये साधारणतः व्यावहारिक हैं इनसे शरई आदेश प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा ख़र्च करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति भी शरीअत के संस्कारों से कुछ भी अवगत है वह इस दलील देने के तरीक़े को महसूस कर सकता है, इसके साथ साथ, कभी कभी मैंने फ़क़ीहों के कुछ कथनो का भी उल्लेख किया है जो साधरणतः हाफ़िज़ इब्ने हजर की बुख़ारी की टीका फ़तहुल बारी से लिए गये हैं। यह किताब वास्तव में फ़िक़्ह व हदीस के एन्साइक्लोपीडिया (महाकोष) का दर्जा रखती है। मैंने इन कथनों को यह सिद्ध करने के लिए उल्लिखित किया हैं कि कुरआन व हदीस की दलील, उद्देश्य से जुड़े हुए लेखन की बुनियाद है। यह कोई नयी बात नहीं, अतीत में बड़े बड़े उलमा इसके समर्थक रहे हैं। यहां पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उलमा के कथनों का उल्लेख करने के मामले में मैं किसी एक ही ऐसे आलिम के कथन का उल्लेख करता हूं जिससे कुरआन व सुन्नत की दलील के सिलसिले में मेरे मत का समर्थन हो रहा हो। मैं तमाम समर्थक व विरोधी कथनों और मतों का उल्लेख नहीं करता हूं क्योंकि इसमें इस बात

की संभावना है कि वार्ता लम्बी न हो जाये और मैं अपने उस विधि से हट न जाऊं जो विधि मैंने इस किताब में अपनाया है या मै उस मार्ग को अपना न लूं जिसमें फ़क़ीहों के कथनों की तुलना की जाती हैं, और उनमें से किसी एक को वरीयता दी जाती है। क्योंकि इस तरीक़े से एक फ़िक़्ही एनसाइक्लोपीडिया तैयार होता है न कि एक ऐसा सामाजिक शोध और अध्ययन जिसमें पवित्र क़ुरआन व बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों को एकत्र कर दिया गया हो। जो व्यक्ति फ़क़ीहों के विभिन्न मतों से जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न व्याख्याओं और फ़िक़्ही विषयों से लाभान्वित हो सकता है। एक समस्या यह भी है कि फ़िक़्ह में जितने भी मसले पाये जाते है। उनमें फ़क़ीहों का मतभेद पाया जाता है अतः गौण विषयों में मतभेद पाया जाना सिद्ध मामला है। इस किताब के शोध विधि का महत्व यह है कि इसके द्वारा एक मुसलमान के मन और अक़्ल को सन्तुष्ट किया गया है क्योंकि जब एक मुसलमान इन बुनियादी ''नसों'' में पायी जाने वाली शरई दलीलों से अवगत होता है और उसे मालूम होता है कि ये दलीलें प्रस्तुत किये हुए मतों का समर्थन करती हैं तो उसे संतोष प्राप्त होता है। मेरा विचार है कि मतभेदों के समय वह मत भरोसे योग्य है जिसका समर्थन शरीअत के नुसूस (बुनियादों) से होता है।

इस शोध विधि का एक लाभ यह मिला कि क़ुरआन करीम और बुख़ारी व मुस्लिम में औरत के सम्बन्ध में मौजूद बुनियादी आयतों और हदीसों पर शोध हो गया। लेखक इस काम को बहुत महत्व देता है क्योंकि मुस्लिम उम्मत की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार क़ुरआन हदीस की रोशनी में आधुनिक पुस्तकें लिखने की दावत देने की तरफ़ यह पहला क़दम है। मुस्लिम उम्मत की इन्ही आधुनिक आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता मानवीय विज्ञान हैं। जैसे मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, शिक्षा व प्रशिक्षण राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र।

आधुनिक समस्याओं का सम्बन्ध भी इन्ही आवश्यक्ताओं से है। जैसे औरत की समस्याएं, आपसी सहयोग की समस्याएं और सुधार व परिवर्तन के तरीक़ों की समस्याएं, और इन सबसे महत्वपूर्ण समस्या मुसलमानों के सोच विचार करने की समस्या है। क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में आधुनिक किताबें लिखने की दावत देना लेखक के विचार में बहुत महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य है, क्योंकि इसके माध्यम से एक ऐसी आधुनिक शोध विधि तक पहुंचा जा सकता है जो इज्तेहाद को निश्चित बनाने में सहायक होती है, इसी तरह फ़िक़्ह के नवीनीकरण को भी निश्चित बनाने में सहायक होती है। यह मात्र अल्लाह की कृपा है कि आधुनिक युग में क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में, सोद्‌देश्य लेखन को उलमा बहुत महत्व दे रहे हैं। यह भी मुस्लिम उम्मत पर अल्लाह की कृपा है कि उसने अपने क़ुरआन और नबी (सल्ल) की सुन्नत की रक्षा की। जहां एक तरफ़ अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुरआन की रक्षा की (हमने ही इसे उतारा है और हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं) वहीं दूसरी तरफ़ मुसलमानों ने अल्लाह की मदद और कृपा के सहारे हदीस व सुन्नत की रक्षा की, और इस राह में अथक मेहनत की और अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ दी कि वे एक ऐसा विधिपरक ज्ञान स्थापित करें, जिसके द्वारा क़यामत तक हदीस की रक्षा की जा

सके, उम्मत पर ये कृपा अल्लाह तआला ने अपनी एक बड़ी युक्ति के लिए किया है। वह युक्ति यह है कि पिछली उम्मतों की किताबों में बिगाड़ होता रहा है और अल्लाह तआला की यह सुन्नत रही है कि वह अल्लाह की शिक्षाओं में पुनः सुधार के लिए नये नबी का चुनाव करता था या नयी किताब उतारता था। लेकिन चूंकि उम्मते मुस्लिम अन्तिम उम्मत है। मुहम्मद (सल्ल) के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है अतः अल्लाह तआला ने इस्लामी दीन के सिद्धान्तों व नियमों की रक्षा की ताकि कयामत तक लोग उसकी तरफ़ पलटते रहें, और उससे हिदायत प्राप्त करते रहें लेकिन लोग उससे हिदायत उसी समय प्राप्त कर सकते हैं जब कि स्वयं उनके अन्दर हिदायत प्राप्त करने की लगन हो। ऐसा न हो कि वह दीन को पैतृक धरोहर समझ लें जो पूर्वजों से नीचे की नस्लों को स्थानान्तरित होता रहता है या वह भी वही बात कहें जो उनसे पहले के लोगों ने कही थीं कि हमने अपने बाप दादा को इसी पर पाया है और हम उन्ही के पदचिन्हों पर चलने वाले है (सूरह ज़ुख़रूफ़ 23)। मै समझता हूं कि मुसलमान जो दीन के सिद्धान्तों और नियमों का सम्मान करते हैं उन्हे सदैव इन्हीं सिद्धान्तों व नियमों की रोशनी में अपनी समस्याएं हल करनी चाहिए। अल्लाह तआला का आदेश है ऐ ईमान वालों अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल का आज्ञापालन करो और उनकी आज्ञापालन करो जो तुममें से तुम्हारे शासक प्रशासक हों लेकिन अगर किसी मामले में तुम्हारे अन्दर मतभेद हो जाये तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर विश्वास रखते हो यह सबसे अच्छा और परिणाम के अनुसार भी यही अच्छा है। (सूरह निसाः 59)

मुझे आशा है कि मैंने अपने इस प्रयास के माध्यम से, जिसकी तौफ़ीक़ मुझे अल्लाह तआला ने दी है मुसलमानों की इस तरह सहायता की कि वह औरतों की विवादास्पद समस्याओं में क़ुरआन व सुन्नत की तरफ़ पलटें।

अगर जीवन के सभी विभागों को ठीक करने के लिए, नबी करीम सल्ल के तरीक़े को अपनाना आवश्यक है तो फिर सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के मामले में नबी करीम (सल्ल) के तरीक़ों को अपनाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस मामले में जो नबी (सल्ल) का तरीक़ा है उसमें बहुत से बदलाव आ गये हैं । नबी (सल्ल) के युग में जीवन के विभिन्न विभागों में औरतों की भागीदारी की व्यावहारिक मिसालें हमारे लिए अनुकरणीय हैं। लेकिन इसके बजाय कि इन सुन्नतों और मिसालों को सामने रखकर आधुनिक युग में औरतों से सम्बन्धित पैदा होने वाली समस्याओं के सिलसिले में नतीजा निकाला जाता, यह सुन्नतें और मिसालें व्यावहारिक रूप में समाप्त होती जा रही हैं। जिन बुनियादी दलीलों से इन सुन्नतों और मिसालों का ज्ञान होता है वह अब मात्र किताबों ही की शोभा बनकर रह गई हैं। इन क़ुरआन व सुन्नत की शिक्षाओं की वह आत्मा समाप्त हो गई है जो शरीअत देने वाले मालिक का वास्तविक उद्देश्य था। वास्तविक आत्मा को मर्दों की बाल की खाल निकालने की आदत और कथनों ने लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया है जिसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

(क) एक कारण बची हुए अज्ञानता की आदतें और रिवाज हैं चाहे उनका सम्बंध अरब की अज्ञानता से हो या अन्य उन कौमों की अज्ञानता से हो जो इस्लाम में आई और अपने साथ उन आदतों और रिवाजों को लेकर आई जो सदियों से उनके मन में बैठे हुए थे। गलतियां और फेरबदल कितने ही क्यों न हो जायें लेकिन उम्मते मुस्लिम के साथ अल्लाह की यह विशेष दया है कि उनमें हमेशा एक ऐसा न्यायवादी गिरोह मौजूद रहेगा जो अल्लाह के दीन पर अटल रहेगा। इसी गिरोह के बारे में नबी करीम(सल्ल) ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमाअत मौजूद रहेगी जो अल्लाह के दीन पर कायम होगी जो व्यक्ति उनको छोड़ देगा और उनका विरोध करेगा वह उनको कोई नुक़सान न पहुंचा सकेगा यहां तक कि क़यामत आ जायेगी। (बुख़ारी)

एक हदीस में आप(सल्ल) ने इरशाद फ़रमाया हर नस्ल में भले लोग ज्ञान के वाहक होंगे जो उससे ज़्यादती करने वालों के फेरबदल को, झूठ की पूजा करने वालों की मनमाना बातें गढ़ने को, और अज्ञानियों की निरर्थक दलीलों को मिटाएंगे। (बैहक़ी)

एक जगह आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह तआला इस उम्मत के लिए हर सौ साल पर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करेगा जो उसके दीन का नवीनीकरण करेगा।

(अबू दाऊद)

(ख) हदीस के प्रमाणें की जांच पड़ताल इमाम बुख़ारी और उनके बाद आने वाले इमामों ने की, ये जांच पड़ताल चार इमामों के युग के बहुत बाद में हुई है। इसीलिए कुछ लोंगों का कहना हैं कि चार इमामों के उन्ही कथनों पर अमल किया जायेगा जो सही हदीसों के तराज़ू पर सही उतरतें हों। लेकिन अधिकतर अनुयायियों ने इमामों के कथनों को, इस तराज़ू पर नहीं तौला। इस तरह उन्हांेने स्वयं उन इमामों की वसीयत का विरोध किया और कुछ जगहों पर सुन्नत का विरोध किया। इमाम शाफ़ई का यह कथन क्या ही अच्छा है–

''एक हदीस में उल्लेख है कि औरतें ईदों की नमाजों के लिए जाया करती थीं। अगर यह रिवायत सही सिद्ध हो जाती है तो फिर मैं इस पर अमल करूंगा।'' इमाम बैहक़ी, इमाम शाफ़ई के इन कथनों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि औरतों का ईदों की नमाजों के लिए जाना सिद्ध हो गया है। इस सिलसिले में बुख़ारी व मुस्लिम ने उम्मे अतीया की हदीस रिवायत की है अतः शाफ़ई मुसलमानों को इसी कथन पर फ़तवा देना चाहिए। हज़रत उम्मे अतीया की हदीस के शब्द ये हैं, ''हमें निकलने का आदेश दिया गया अतः हममें से हैज़ की स्थिति में जो औरतें थीं,नवयुवतियां और परदा करने वाली औरतें(ईदों) की नमाज़ के लिए निकलती थीं, जहां तक हैज़ वाली औरतों का सम्बन्ध है तो वह मुसलमानों की सभा और दुआओं के साथ रहती थी लेकिन नमाज़ की जगह से दूर रहती थीं।'' (बुख़ारी मुस्लिम)

इस शोध और अध्ययन के काम को पूरा करने पर मुझे नबी करीम (सल्ल) की इस हदीस से अधिक प्रेरणा मिलती है जिसमें आपने फ़रमायाः अल्लाह तआला उस व्यक्ति को ताज़ा रखे जिसने मेरी बात सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचा दिया क्योंकि बहुत से ज्ञान

रखने वाले फ़क़ीह नहीं होते और बहुत से ज्ञान वाले उस तक उस ज्ञान को पहुंचा देते हैं जो उनसे अधिक फ़क़ीह (गहरी समझ वाला) होता है। (इब्ने माजा)

मुझे आशा है कि मैंने नबी करीम(सल्ल) के कथन को लोगों तक पहुंचा दिया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह मुझे उन लोगों के साथ सम्मिलित करे जिसको इस हदीस में शुभ सूचना दी गई है। नेक बुजुर्गों की यह हालत थी कि वह एक हदीस सुनने के लिए कई कई दिनों और रातों की दूरी तय किया करते थे। अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बारे में आता है कि अब्दुल्लाह बिन अनीस से एक हदीस सुनने के लिए उन्होंने एक महीने का सफ़र तय किया था।

ताबई (सहाबा से जिन लोगों ने सीखा) आमिर बिन शोअबी ने एक ख़ुरासानी को नबी करीम सल्ल की एक हदीस सुनाने के बाद कहा, ''मैंने यह हदीस तुम्हारी बिना किसी मेहनत और संघर्ष के सुना दी,'' हालांकि पहले इस हदीस को सुनने के लिए मदीने का सफ़र करना पड़ता था। बसर बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं एक हदीस के लिए विभिन्न शहरों का सफ़र किया करता था। मुझे आशा है कि अल्लाह तआला मुझे अपनी विशेष दया प्रसद्क़ा करेगा क्योंकि मैंने मुसलमानों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से सम्बन्धित अनगिनत हदीसों का अध्ययन उनके लिए आसान बना दिया है।

दुआ और क्षमा याचना

मैं सबसे पहले वह दुआ करता हूं जो हज़रत मूसा(अलै) ने की थी, ''उन्होंने कहा ऐ मेरे पालनहार मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी बोली की गांठ खोल दे ताकि वह मेरी बात समझ लें। (सूरह ताहाः 25:28)

इसके बाद में नबी करीम सल्ल. की मांगी हुई दुआ करता हूं ''ऐ अल्लाह आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले खुली और छिपी बात को जानने वाले, तू अपने बंदो के बीच (मामलों का) फ़ैसला करता है जिनमें वह मतभेद में पड़ते हैं और तू मुझे रास्ता दिखा दे उन मामलों में जिनमें सच्चाई से मतभेद किया गया है अपने आदेश से तू जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है।

इसके साथ एक कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति होने के कारण इस बड़े और महान कार्य को करने में अपनी अयोग्यता पर मै क्षमा मांगता हूं।

बहरहाल इस किताब में दो तरह के प्रयास किये गये हैं। पहले इस बात का प्रयास किया गया है कि क़ुरआन व हदीस की तमाम बुनियादी शिक्षाओं (नुसूस) को एकत्र कर दिया जाये, दूसरे उनकी दलीलों में सोच विचार करने का प्रयास किया गया है ताकि यह लेख अपने आधार पर ही स्थित रहें। दोनों ही प्रयास शोध करने वाले की पड़ताल और इस प्रयास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि यह किताब एक ही व्यक्ति की मेहनत का फल है अतः यह संभव है कि यह प्रयास सबसे महत्वपूर्ण विषय के मात्र एक ही पहलू को स्पष्ट कर रहा हो और इसके बहुत से पहलू अधूरे रह गये हो,

और इस बात की भी संभावना है कि इस किताब में विभिन्न जगहों पर कुछ ग़लतिया रह गई हों।

कुछ क़ुरआन व सुन्नत की दलीलों में गहन विचारों के बाद मुझे जो कुछ मालूम हुआ वास्तव में उस ख़ज़ानें के मुक़ाबले में बहुत कम है जो उन नुसूस की तहों में दफ़न हैं। तमाम पहलुओं को समेटना या उनको स्पष्ट करना संभव नहीं है, और न ही इन नुसूस की ज्योति को किताब में समेटना संभव है। इन नुसूस (क़ुरआन व सुन्नत के राज़) को पूरी तरह समझ पाना तो दूर की बात है । यह सब उसी स्थिति में सम्भव है जबकि बहुत से शोध करने वाले मर्द और औरतें अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पूरी गंभीरता के साथ इस काम में लगा दें और इसके बाद अपने शोध प्रस्तुत करें।

———————————————

भाग 1

बुख़ारी व मुस्लिम में औरत का व्यक्तिव

नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः ''औरतें—मर्दों के समकक्ष है'' (अबू दाऊद)

हज़रत उमर(रज़ि.) कहते है कि ''अल्लाह की क़सम हम अज्ञानता काल में औरतों को कुछ भी महत्व नहीं देते थे यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनके बारे में आदेश उतारे और उनका हिस्सा तय किया'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर फ़रमाते है। कि ''हम अज्ञानता काल में औरतों को कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह ने उनका उल्लेख किया, अतः हमने महसूस किया कि हम पर औरतों के भी अधिकार हैं'' (बुख़ारी)

औरत की स्वतन्त्र हैसियत :

पहले दिन से ही मर्दों के साथ औरतों को भी अल्लाह की तरफ़ बुलाना

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल) पर ''और अपने क़रीबी रिश्तेदारो को डराओ'' उतारा तो उसी समय आप (सल्ल.) क़ुरैश के बीच खड़े हुए और फ़रमाया, ''ऐ क़ुरैश के लोगो! अपने आप को बचा लो मैं अल्लाह के पास तुम्हारे किसी काम न आ सकूंगा, ऐ अब्दुल मुनाफ की औलाद में अल्लाह के पास तुम्हारे कुछ काम न आ सकूंगा। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मूत्तलिब मैं अल्लाह के पास आपके कुछ काम न आ सकूंगा । ऐ रसूल की फूफी सफ़ीया मैं अल्लाह के पास आपके कुछ काम न आ सकूंगा। ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद मेरी दौलत से जितना चाहो मांग लो लेकिन अल्लाह के पास मैं तुम्हारे कुछ काम न आ सकूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरत का नये दीन पर ईमान लाने में अपने पति के मुक़ाबले पहल करना :

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फ़रमातें हैं कि मैं और मेरी माँ कमज़ोरों में से थे क्योंकि मेरी गिनती बच्चों में थी और मेरी माँ का सम्बन्ध औरतों से था। (बुख़ारी) इमाम बुख़ारी अपने तर्जुमतुल बाब (शीर्षक) में लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनकी माँ कमज़ोरों में से थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने पिता और क़ौम के दीन पर नहीं थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर इस हदीस की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास

की माँ का नाम लबाब अल हिलालिया था, उनको उम्मुल फ़ज़ल कहकर पुकारते थे। अब्बास के सबसे बडे बेटे का नाम फ़ज़्ल था।''

औरत का अपनी क़ौम को नया दीन स्वीकार करने की दावत देना :

हज़रत इमरान बिन हुसैन फ़रमाते हैं कि एक बार अदर्णीय सहाबा नबी करीम (सल्ल.) के साथ सफ़र पर थे उन्होंने पूरी रात सफ़र जारी रखा। यहां तक कि जब सवेरा हुआ तो एक जगह पर पड़ाव डाला। सभी लोगों पर नींद छा गई और सभी सूरज चढ़ते समय तक सोते रहे। सबसे पहले नींद से जागने वाले हज़रत अबू बक्र (रज़ि) थे नबी करीम (सल्ल) को नींद से उस वक़्त तक जगाया नहीं जाता था तब तक आप (सल्ल) स्वंय ही न जाग जायें, हज़रत उमर भी जाग गये हज़रत अबू बक्र आप (सल्ल) के सिर के पास जाकर बैठ गये और ऊंची आवाज से तकबीर (अल्लाह की बड़ाई) कहने लगे यहां तक कि नबी करीम (सल्ल) नींद से उठ गए फिर आप नीचे की तरफ़ उतरे और आपने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। हममें से एक व्यक्ति अलग हो गया उसने हमारे साथ उस व्यक्ति से नमाज़ नहीं पढ़ी आप (सल्ल) नमाज़ पूरी कर चुके तो आप (सल्ल) ने फ़रमाया तुमने हमारे साथ नमाज़ क्यों नही पढ़ी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मैं अपवित्र हो गया हूं, तो आप (सल्ल) ने उसे आदेश दिया कि साफ़ मिट्टी से तयम्मुम(पानी न मिलने पर हाथ और चेहरे पर मिटटी मल कर पवित्र होना) कर ले। अतः उस व्यक्ति ने तयम्मुत करके नमाज़ अदा की हज़रत इमरान बिन हुसैन कहते हैं मुझे नबी (सल्ल) ने सवार करके आगे भेज दिया हमें बड़ी तेज़ प्यास लगी हुई थी। अभी हम चल ही रहे थे कि हमारी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसके दोनों पैरों की तरफ़ नाश्तेसद्क़ा थे हमने उससे पूछा कि पानी कहां है उसने उत्तर दिया कि पानी नहीं है हमने पूछा कि तुम्हारे घर और पानी के बीच कितनी दूरी है, उसने जबाब दिया कि एक दिन और एक रात की दूरी है। फिर हमने उससे कहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल) के पास चलो। उसने पूछा कि ये रसूलुल्लाह क्या है? इस पर हम अपने ऊपर काबू न रख सके और औरत को लेकर नबी (सल्ल) के पास पहुंच गये। उसने आप (सल्ल) से भी उसी तरह बात की, जिस तरह हमारे साथ की थी हां, उसने एक बात अतिरिक्त बताई कि उसके कुछ यतीम बच्चे हैं। आप (सल्ल) ने उसके नाश्तेदानों को मिश्किीज़ा के मुंह से रगड़ने का आदेश दिया। फिर ऐसा ही किया गया अतः हम चालीस प्यासे लोगों ने संतुष्ट होकर पानी पिया और हमने अपने तमाम मिश्कीज़ों और बर्तनों को पानी से भर लिया। हां हमने ऊंटनियों को पानी नहीं पिलाया, इसके बाद भी नाश्तेदान पानी से पूरा भरा हुआ था। और छलकने पर था। फिर आप (सल्ल.) ने हम लोगों से कहा कि तुम लोगों के पास जो कुछ है, ले आओ, अतः उस औरत के लिए कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ खजूरें जमा की गईं वह औरत उन चीजों को लेकर घर चली गई, उसने अपने घर और क़बीले वालों से कहा कि मैं इस समय सबसे बड़े जादूगर या उसके साथियों के कहने के अनुसार नबी के पास से आ रही हूं। इस तरह अल्लाह ने उस औरत के क़बीले वालों को उसके माध्यम से सीधा रास्ता दिखाया। अतः उस औरत ने भी इस्लाम स्वीकार

किया और उसके क़बीले वालों ने भी इस्लाम स्वीकार किया। एक दूसरी रिवायत में ये शब्द हैं कि उसके बाद मुसलमान उस औरत के क़बीले से छेड़–छाड़ नहीं कर रहे थे, उसने एक दिन अपनी क़ौम से कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुसलमान तुम्हें जान बूझकर छेड़ रहे हैं अतः इस्लाम के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं उसकी क़ौम के लोगों ने उसकी बात मान ली और सब के सब इस्लाम में आ गये।

शिक्षा व प्रशिक्षण में औरत का अधिकार

(उस स्तर के साथ जिससे वह अपने दायित्वों को पूरा कर सके)

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति भी लड़कियों के माध्यम से आज़माया जाये और फिर वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह लड़कियां उसके लिए जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होंगी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

अर्थात लड़कियों को शिक्षा दिलाने और नैतिकता सिखाने से अधिक महत्वपूर्ण बात उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है

हज़रत अबू हुरैरह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया जिस व्यक्ति के पास किसी दासी की बच्ची हो वह उसको अच्छी शिक्षा दे और शिष्टाचार सिखाये फिर उसे आज़ाद कर दे और उसके बाद उससे निकाह कर ले तो उसे दो पुरस्कार मिलेंगे। (बुख़ारी)

जब एक मुसलमान को दासी की बच्ची को अच्छी शिक्षा देने और शिष्टाचार सिखाने की दावत दी जा रही है तो फिर स्वयं अपनी आज़ाद बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने और शिष्टाचार सिखाने का महत्व और आवश्यकता और उसकी बढ़ जाती है। सबसे अच्छी चीज़ जो लड़कियों को दी जा सकती है वह अच्छी नैतिकता और लाभदायक शिक्षा है। नैतिकता, यद्यपि हर युग में समान रहते हैं लेकिन लाभदायक शिक्षा की क़िस्म हर युग में बदलती रहती है।

इब्ने जुरैह ने अता से और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत बयान की है कि नबी करीम(सल्ल) ईद के दिन खड़े हुए और आप(सल्ल) ने नमाज़ पढ़ाई, उस दिन आपने सबसे पहले नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा (भाषण) दिया। जब आप ख़ुत्बा दे चुके तो मिम्बर से नीचे उतर कर औरतों के पास आये और उनको सदुपदेश और नसीहत दी। उस समय आप हज़रत बिलाल के हाथ पर टेक लगाये हुए थे, और बिलाल अपने कपड़े को फैलाये हुए थे। उसमें औरतें सदक़ा की चीज़ें डालती थीं, (एक रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आप (सल्ल.) ने महसूस किया कि औरतें ख़ुत्बा नहीं सुन सकीं हैं, इसलिए आपने उनको उपदेश और नसीहत किया और उनको सदक़ा देने और अल्लाह कि राह में ख़र्च करने का आदेश दिया। इब्ने जुरैह ने अता से कहा कि आपका क्या विचार है क्या इमाम का यह अधिकर है कि वह औरतों को उपदेश दे, अता ने कहा यह इमामों का अधिकार है। और वह ऐसा क्यों ने करें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जब नबी करीम (सल्ल.) ने यह महसूस किया कि औरतें उनके ख़ुत्बे को नहीं सुन सकी हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत अधिक थी और औरतों की पंक्तियां भी मर्दों के बाद थीं तो आप (सल्ल.) उनके पास गये और शिक्षा–प्रशिक्षण से सम्बन्धित उनके अधिकारों को अदा करने के लिए उनको उपदेश दिये। हज़रत अता पर अल्लाह की विशेष कृपा हो कि वह औरतों को उपदेश देने और उनको शिक्षा देने को आवश्यक क़रार देते हैं। उन्होंने इस वाजिब की अदायगी से अपने समकालीन उलमा के पीछे हटने पर अपनी नापसन्दीदगी व्यक्त की है।

ये तमाम बुनियादें इस बात की दलील हैं कि औरत को शिक्षा व प्रशिक्षण का अधिकार प्राप्त है ताकि वह अपने दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। इन बुनियादी शिक्षाओं के अतिरिक्त एक सैद्धान्तिक नियम यह है कि जो चीज़ किसी वाजिब की अदायगी के लिए आवश्यक हो वह भी वाजिब के ही दर्जे में है और औरत के सभी दायित्व या तो वाजिब हैं या पसन्दीदा हैं।

हदीस की रिवायत और शिक्षा में औरत की भागीदारीः

हाफ़िज़ ज़हबी का कथन है कि किसी भी औरत के बारे में यह उल्लेख नहीं है कि उसने किसी हदीस के बारे में झूठ बोला हो। इमाम शौक़ानी कहते हैं कि किसी भी आलिम से यह सिद्ध नहीं है कि उन्होंने किसी से उल्लिखित हदीस मात्र इस आधार पर रद्द कर दी हो कि वह औरत की बयान की हुई है। कितनी ही ऐसी हदीसें हैं जिनको किसी सहाबी औरत ने रिवायत किया है और उम्मत ने उसे स्वीकार किया है। जो व्यक्ति भी हदीस के ज्ञान की थोड़ी भी जानकारी रखता होगा वह इसका इन्कार नहीं कर सकता।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(सल्ल.) ने फ़रमाया 'जिस व्यक्ति ने भी मेरे इस दीन में कोई ऐसी नई बात निकाली जिसका सम्बन्ध दीन से नहीं है तो वह रद्द करने योग्य है (बुख़ारी व मुस्लिम)

हदीस की रिवायत करने वाली सहाबी औरतों में हज़रत हफ़सा उम्मे सलमा(रज़ि) उम्मे हबीबा (रज़ि.) जुवैरिया (रज़ि.) इत्यादि का नाम आता है हज़रत आयशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (सल्ल) अपने तमाम कामों को दाहिनी तरफ़ से करना पसन्द फ़रमाते थे, चाहे जूते पहनने हों या कंघा करना हो, या पवित्रता प्राप्त करना हो (वुज़ू या तयम्मुम) (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि ''मैंने कभी भी नबी करीम (सल्ल.) को नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ते हुए नहीं देखा। हां आपकी मौत से एक वर्ष पहले आपको नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ते हुए देखा है, आप तरतील (ठहर–ठहर कर) के साथ सूरह पढ़ते थे यहां तक कि वह सूरह बहुत लम्बी हो जाती।'' (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा(रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक बार नबी (सल्ल.) ने अपने हुजरे (कमरे) के दरवाज़े पर लोगों के झगड़ने की आवाज़ सुनी तो आप निकलकर उनके पास गये और फ़रमाया कि मैं एक इन्सान हूं, मेरे पास झगड़ने वाले लोग आते हैं, हो सकता

है कि तुममें से एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा अच्छा बोलने वाला और वाक्पटु हो और मैं यह समझ लूं कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है और उसके पक्ष में फ़ैसला कर दूं। तो मैं अगर किसी मुसलमान के अधिकार का फ़ैसला किसी दूसरे के पक्ष में कर देता हूं तो उसको जान लेना चाहिए कि यह वास्तव में आग का एक टुकड़ा है चाहे तो उसे ले ले चाहे छोड़ दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) कहती है कि एक बार नबी (सल्ल) घबराये हुए उनके पास आये, आप कह रहे थे ''लाइलाह इल्लल्लाह'' अरब तबाह हों उस बुराई के कारण जो निकट आ चुकी हैं आज याजूज–माजूज की दीवार में इतना छेद हो गया है आप ने अपने अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली से हलक़ा (छल्ला) बनाया ज़ैनब बिन्ते जहश कहती हैं कि मैंने कहा ''ऐ अल्लाह के रसूल क्या हमारे बीच में नेक लोगों के रहने के बावजूद हम तबाह कर दिये जोयेंगे। आप(सल्ल.) ने फ़रमाया हां जब बुराइयों की अधि ाकता हो जायेगी (बुख़ारी मुस्लिम)

हज़रत उम्मे हबीबा ने दुआ की, 'ऐ अल्लाह तू मुझे, मेरे पति नबी (सल्ल.) मेरे पिता अबू सुफ़ियान (रज़ि.) और मेरे भाई मुआविया की ज़िन्दगियों को लम्बी करके मुझे सौभाग्य प्रसद्क़ा कर दे' नबी करीम (सल्ल.) ने उनसे कहा कि तुमने अल्लाह से तय शुदा उम्र का समय, गिने हुए दिन, और बटी हुई रोज़ी मांगी है, अल्लाह तआला किसी भी चीज़ को अपने समय से पहले या बाद में नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह से दुआ की होती कि वह तुम्हें जहन्नम की यातना या क़ब्र की यातना से बचा ले तो यह अधिक अच्छा होता।

हज़रत जुवैरिया (रज़ि.) फ़रमाती है कि एक बार नबी करीम(सल्ल) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद उनके पास से निकल कर चले गये, उस समय वह उसी जगह पर बैठी हुई थी जहां पर उन्होंने फज्र की नमाज़ पढ़ी थी फिर आप नाश्ते के बाद वापस हुए, उस समय भी वह नमाज़ ही की जगह पर बैठी हुई थीं आपने पूछा 'क्या मैं जब तुम्हें छोड़कर गया था उस समय से अब तक तुम लगातार इसी जगह पर बैठी हो? उन्होंने उत्तर दिया हां, आपने फ़रमाया कि तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने चार कलिमे तीन बार पढ़े हैं, अगर उनको उन कलिमों से तौला जाये जो तुमने सुबह से अब तक पढ़े हैं तो वह उनके बराबर होंगी। वह कलिमे ये हैं (सुबहानल्लाहि व बिहम्देही, अदद ख़ल्क़ेही, व रिज़ा नफ़सेही वज़नते अर्शेही व मिदादे कलिमाते ही'') (मुस्लिम) अर्थात मैं अल्लाह की पवित्रता का बयान करता हूं उसकी प्रसंशा के साथ, उसकी रचना की गिनती के साथ और उसके हस्ती को ख़ुश करने के लिए, और उसके अर्श के वज़न के साथ, और उसके गुणों की रोशनाई के साथ।

हज़रत सफ़ीया बिन्त हुययै फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहे थे तो वह आपसे मिलने के लिए आईं, उन्होंने आप से थोड़ी देर बात की और उठकर वापस जाने लगीं। नबी (सल्ल.) भी उठकर उनके पीछे चलने लगे यहां तक कि जब सफीया बिन्ते हुययै मस्जिद में हज़रत उम्मे सलमा के दरवाज़े तक पहुंची तो वहां से दो अन्सारी सहाबियों का गुज़र हुआ। उन्होंने

आप(सल्ल.) को सलाम किया नबी करीम(सल्ल) ने उन दोनों सहाबियों से कहा कि ''ज़रा रूक कर! ये सफीया बिन्ते हुययै हैं। उन दोनों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल 'अल्लाह की हस्ती पवित्र है (अर्थात हम आप(सल्ल.) के बारे में कुछ बुरा विचार ला ही नहीं सकते) उन दोनों को यह बात कष्टप्रद लगी। अतः नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि शैतान इन्सान के नस–नस में घुसा हुआ है अतः मुझे डर लगा कि वह तुम्हारे दिलों में कोई ग़लत बात न डाल दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मैमूना(रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) सजदा करते थे तो अपने दोनों हाथों को फैला दिया करते थे यहां तक कि आपके बग़ल की सफेदी पीछे से नज़र आ जाती थी और जब आप क़अदा करते(बैठ़ते) तो आराम से बाईं जांघ पर बैठ़ते। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि मै हौज़े कौसर पर रहूंगा और देखूंगा कि तुममें से कौन मेरे पास आ रहा है कुछ लोगों को मेंरे पास आने से रोक दिया जायेगा तो मै कहूंगा कि ऐ मेरे पालनहार ये मेरी उम्मत के लोग हैं तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि क्या तुम्हे मालूम है कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया ये लोग हमेशा दीन से पीछे हटते रहे। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा ही से एक रिवायत और है वह फ़रमाती है कि चन्द्रग्रहण के समय हमें दासों को आज़ाद करने का आदेश दिया जाता था। एक रिवायत में ये शब्द हैं कि सूर्य ग्रहण के समय नबी (सल्ल) ने दासों को आज़ाद करने का आदेश दिया (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे सुलैम फ़माती हैं कि नबी (सल्ल) उनके पास जाकर क़ैलूला किया करते थे। वे आप (सल्ल) के लिए चमड़े की चटाई बिछाया करती थीं, उस पर आप (सल्ल) क़ैलूल किया करते थे आपको पसीना बहुत आता था, उम्मे सुलैम उस पसीने को शीशी में एकत्र कर लिया करती थीं और उसे सुगन्ध में मिला दिया करती थीं। एक बार आप (सल्ल) ने फ़रमाया ऐ उम्मे सुलैम यह क्या हे उन्होंने जवाब दिया कि यह आपका पसीना है इसको मैं अपनी सुगन्ध के साथ मिला देती हूं। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे अतीया कहती है कि मैनें नबी (सल्ल) के साथ सात लड़ाइयों में भाग लिया है, मैं नबी करीम(सल्ल) और सहाबा के पीछे उनके सामान की रक्षा करती थी। उनके लिए खाना पकाती, चोट लगने पर इलाज करती और मरीज़ों की देखभाल करती थी। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की पत्नी ज़ैनब फ़रमाती हैं कि हम लोगों से रसूलुल्लाह (सल्ल) ने फ़रमाया है कि तुममें से जब कोई मस्जिद आये तो वह सुगन्ध न लगाये। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे शरीक फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल) ने उनको गिरगिट को मारने का आदेश दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत खौला बिन्ते हकीम फ़रमाती हैं कि मैंने नबी (सल्ल) को यह कहते हुए सुना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पड़ाव पर ठहरे और यह दुआ पढ़े ''अऊज़, बिकलिमातिल्लाहि

ताम्माति मिन शर्रे मा ख़लक'' तो उसे उस पड़ाव पर ठहरने के दौरान कोई चीज़ नुक़सान नहीं पहुंचा सकती। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मुल हुसैन फ़रमाती हैं कि मैं हज्जतुल विदाअ में नबी (सल्ल) के साथ थी उस समय रसूलुल्लाह ने बहुत सी बातें कही। फिर मैंनें आपको यह कहते हुए सुना कि अगर किसी दास को तुम्हारा अमीर(नेता) बना दिया जाये जिसकी नाक कटी हुई हो (रिवायत करने वाले कहते हैं कि मेरा विचार है उम्मुल हुसैन ने यह भी कहा कि जो काला हो) और वह अल्लाह की किताब की रोशनी में तुम्हारा नेतृत्व करे तो तुम उसका अनुसरण व अनुपालन करना।(मुस्लिम)हज़रत उम्मेकुलसूम बिन्ते उक्बा कहती हैं कि मैंनें रसूलुल्लाह(सल्ल) को यह कहते हुए सुना है कि वह व्यक्ति झूठा नहीं हैं जो लोगों के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से किसी अच्छी बात की चुग़ली करता है या कोई अच्छी बात कहता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे हानी फ़रमाती हैं कि मैं मक्का विजय वाले वर्ष में आप(सल्ल) के पास गई आप उस समय ग़ुस्ल कर रहे थे । आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा परदा किये हुए थीं, मैंनें आपको सलाम किया तो आप ने पूछा कि कौन है, मैंनें कहा कि मैं हानी बिन्ते अबी तालिब हूं , आपने कहा कि स्वागत है हानी! जब आप ग़ुस्ल कर चुके तो आपने एक चादर ओढ़े हुए आठ रकअ़त नमाज़ पढ़ी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा बिन्तें क़ैस कहती हैं कि मेरा निकाह इब्ने मुग़ीरह से हुआ था जो उस वक़्त क़ुरैश के सबसे अच्छे नौजवानों में से थे। वह नबी (सल्ल) के साथ पहले ही जिहाद में शहीद हो गये । जब मैं इद्दत के दिन गुज़ार चुकी तो क रसूल के एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने मेरे पास निकाह का सन्देश भेजा। दूसरी तरफ़ नबी करीम ने भी अपने ग़ुलाम ओसामा बिन ज़ैद के लिए मेरे पास सन्देश भेजा। मैंने पहले ही यह बात सुन रखी थी कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया है जो मुझसे प्यार करता है उसे ओसामा से भी प्यार करना चाहिए। जब आपने मुझसे इस सिलसिले में बात की तो मैंनें कहा कि मेरा मामला आपके हाथ में है। आप जिससे चाहें मेरा निकाह कर दें। (मुस्लिम)

उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा बिन नोअमान फ़रमाती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ नबी की पवित्र ज़ुबान से याद किया। आप हर जुमें में उसे पढ़ा करते थे वह कहती है कि हमारा और नबी करीम का तन्दूर एक ही था। (मुस्लिम)

हज़रत रबीअ बिन्ते मऊद फ़रमाती हैं कि नबी ने आशूरा की सुबह अन्सार के गांव में यह कहला भेजा कि जिसने सुबह इस हालत में की हो कि वह रोज़ा न हो तो वह बाक़ी दिन उसी तरह पूरा कर ले और जिसने सुबह रोज़ा की हालत में की हो तो वह रोज़ा रख। अतः बाद में हम लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे हम अपने बच्चों के लिए ऊन का एक खिलौना बना लेते जब कोई बच्चा खाने के लिए रोता तो उसे वह खिलौना दे देते यहां तक कि इफ़तार का वक़्त हो जाता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सामूहिक इबादतो में औरतों की भागीदारीः

फर्ज़ नमाज़

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि हम मुस्लिम व मोमिन औरतें चादर ओढ़े हुए नबी करीम के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे फिर हम नमाज़ अदा करने के बाद घर लौटते थे, हममें से कोई भी रात के आखिरी हिस्से के अंधेरे की वजह से पहचाना नहीं जाता था । (बुख़ारी व मुस्लिम)

सूर्य ग्रहण की नमाज़

हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र फ़रमाती हैं मैं सूर्यग्रहण के समय नबी की पत्नी हज़रत आयशा के पास आई, वहां मैंनें लोगों को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा। हज़रत आयशा भी नमाज़ पढ़ रही थीं मैंनें कहा कि लोगों को क्या हो गया है। इस पर हज़रत आयशा(रज़ि) ने अपने हाथ से आसमान की तरफ़ इशारा किया और सुबहानल्लाह कहा मैंने कहा, क्या यह अल्लाह की कोई निशानी है। उन्होंने इशारे से कहा कि हां, यहां तक कि मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो गई फिर मुझ पर मुर्छा आ गई, फिर मैं अपने सिर पर पानी डालने लगी जब नबी (सल्ल) नमाज़ पढ़ चुके तो आपने अल्लाह की प्रंशसा की और कहाः.
(बुख़ारी व मुस्लिम)

नमाज़े जनाज़ाः

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि जब सअद बिन अबी वक्कास का देहान्त हुआ तो नबी (सल्ल) की पवित्र पत्नियों ने लोगों से कहला भेजा कि उनके जनाज़े को मस्जिद के पास से लेकर जायें ताकि वह लोग भी उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ सकें। अतः लोगों ने ऐसा ही किया। हज़रत सअद के जनाज़े को पवित्र पत्नियों के कमरों के पास रोका गया और उन्होंने जनाज़े की नमाज़ अदा की। (मुस्लिम)

एतिकाफ़ :

नबी करीम (सल्ल) की पत्नी हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल) रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ यहां तक कि आप की मौत आ गई। आप (सल्ल) की मौत के बाद, आपकी पवित्र पत्नियों ने एतिकाफ़ किया। (बुख़ारी)

हज्जः

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल) से कहा कि मैं अपवित्रता का शिकार हूं। आप (सल्ल) ने उनसे कहा कि तुम सवारी पर सवार होकर लोगों के पीछे से तवाफ़ करो, तो मैंने तवाफ़ किया। उस मसय नबी करीम (सल्ल) अल्लाह के घर के निकट नमाज़ पढ़ रहे थे और सूरह तूर की तिलावत(पाठ) कर रहे थे ''वत्तूर व किताबिल मस्तूर....'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत यह्या बिन हुसेन फ़रमाते हैं कि मैंने अपनी दादी उम्मुल हुसेन को यह कहते हुए सुना, मै हज्जतुल विदा में नबी करीम(सल्ल) के साथ हज्ज में सम्मिलित थी। मैंने देखा कि जब आप (सल्ल.) शैतान को कंकड़ी मार कर मुड़े तो...... (मुस्लिम)

समान्य सभाओं और समारोहों में औरत की भागीदारी :

निकाह का समारोहः

हज़रत अनस कहते है कि नबी (सल्ल) ने औरतों और बच्चों को एक निकाह से आते हुए देखा तो आप सीधे खड़े हो गये और आप(सल्ल) ने कहा अल्लाह की क़सम तुम लोग मुझे सबसे अधिक प्यारे हो आप(सल्ल) ने यह तीन बार फ़रमाया

ईद मनाना

हज़रत उम्मे अतीया कहती हैं कि हमें यह आदेश दिया गया कि हम ईद के दिन(ईद की नमाज़ के लिए) निकला करें यहां तक कि कुंवारी अपने परदे से निकल कर जायें और हैज़ की हालत में जो हों वेभी जायें। हैज़ वाली औरतों को लोगों के पीछे रहना चाहिए और उनको चाहिए कि वह उस दिन की बरकत और पवित्रता प्राप्त करने की आशा में लोगों के तक्बीर के साथ तक्बीर कहें और उनकी दुआओं के साथ दुआ करें। एक रिवायत में है उन्हें भी भलाई और मोमिनों की दुआओं में सम्मिलित रहना चाहिए।

(बुख़ारी मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि ईद के दिन काले हब्शी भालों और बर्छियों से खेलते थे। या तो मैंनें नबी करीम (सल्ल) से खेल दिखाने को कहा या स्वयं आपने कहा कि क्या तुम देखने की इच्छा रखती हो, और मैंने कहा हां तो आपने मुझे अपने पीछे कर लिया, इस तरह कि मेरा गाल आपके गाल पर था, आपने कहा खेलो! खेलो! ऐ बनी अरफ़दह जब मै उकता गई तो आप(सल्ल) ने पूछा कि क्या इतना बस है मैनें कहा कि हां तो आप सल्ल ने कहा कि चलो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

स्वागत समारोह :

हज़रत अबू बक्र सि़द्दीक कहते हैं कि... फिर हम हिजरत की रात को मदीना पहुंचे, मर्द और औरतें घरों के ऊपर चढ़ गये। बच्चे और सेवक सड़को पर आकर आवाज़ लगाने लगे या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। (मुस्लिम)

विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा में औरत की भागीदारी :

सभाओं और समारोहों में सहयोगः

अब्दुल वाहिद बिन ऐमन कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे बताया, एक बार मैं हज़रत आयशा के पास गया वह ऊन की एक क़मीस पहने हुए थीं। जिसकी क़ीमत 5

दिरहम थी, उन्होंने कहा कि मेरी दासी को देखो, वह इस कमीस को घर में भी पहनना पसन्द नहीं करती, हालांकि मेरे पास नबी (सल्ल) के ज़माने में ऊन की एक क़मीस थी मदीने में जो औरत भी श्रृंगार करना चाहती वह मुझसे वह क़मीस उधार मांग लिया करती थीं। (बुख़ारी)

मेहमानों के लिए घर और खाना उपलब्ध करना

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं कि उम्मे शरीक अन्सार की मालदार औरत थीं, वह अल्लाह की राह में बहुत अधिक ख़र्च करती थीं। मेंहमान उनके घर ठहरा करते थे। (मुस्लिम)

स्वास्थ्य रक्षाः

हज़रत उम्मे अ़लाअ कहती हैं... फिर उसमान बिन मज़ऊन हमारे यहां बीमार पड़ गये, मैंने मौत तक उनकी देखभाल (तीमारदारी) की। (बुख़ारी)

विभिन्न राजनितिक गतिविधियों के द्वारा समाज की रक्षा ठीक दिशा तय करने में औरत की भागीदारी और उसकी काफ़िर समाज से पलायन करते हुए अपने वतन से हिजरत करना :

मरवान और मिस्वर बिन मख़रमह कहते हैं कुछ औरतें हिजरत करके आईं, उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़्बा बिन मुऐत जो कि बिल्कुल जवान थीं, उन्होंने भी उसी दिन मदीने की तरफ़ हिजरत की उनके घर वाले नबी (सल्ल) के पास आये और उनको वापस करने की मांग, लेकिन आपने उनको उनके घर वालों के हवाले नहीं किया । (बुख़ारी)

अधिकारी के उत्तराधिकारी के चुनाव के सिलसिले में प्रयास (ताकि लडाई की स्थिति मे देश व सरकार सुरक्षित रहे)

हज़रत इब्नें उमर कहते हैं कि मैं हज़रत हफ़्सा के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नामित करने का इरादा नहीं रखते। वह कहते हैं कि मैनें कहा वह ऐसा नही कर सकते हज़रत हफ़्सा ने कहा कि वह ऐसा ही करने वाले हैं इब्ने उमर कहते हैं कि मैंनें क़सम खाई कि इस सिलसिले में उनसे अवश्य बात करूंगा। (मुस्लिम)

अत्याचारी पदाधिकारी पर आपत्ति करनाः

हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के क़त्ल के बाद हज्जाज बिन युसुफ़ स़क़फ़ी अस्मा बिन्ते अबी बक्र के पास आये और कहा कि मैंनें अल्लाह के दुश्मन के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या विचार है अस्मा (रज़ि) ने उत्तर दिया, मेरा विचार है कि तुमने उस व्यक्ति की दुनिया ख़राब कर दी, लेकिन उसने

तुम्हारी आख़िरत ख़राब कर दी। सुन लो नबी करीम (सल्ल) ने हमसे यह कहा था कि क़बीला सक़ीफ़ में एक झूठा और एक कत्ल करने वाला पैदा होगा झूठे को तो हम देख ही चुके हैं और जहां तक कत्ल करने वाले का सम्बन्ध है तो मेरा विचार है कि वह तुम ही हो। अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज हज़रत अस्मा के पास से उठ गया और फिर उनके पास नहीं गया। (मुस्लिम)

औरत की सेना में भागीदारी
(ऐसे कामो के लिए जो उसकी प्रकृति के अनुरूप हों)

रीलीफ़, आवश्यक सामान की आपूर्ति करने और लाने ले जाने के क्षेत्र में नाम करना।

हज़रत रबीअ बिन्ते मुऊद कहती हैं कि हम लोग नबी करीम (सल्ल.) के साथ लड़ाई में जाते थे, हम लोगों को पानी पिलाते थे, उनकी सेवा करते थे और क़त्ल होने वाले शहीदों और घायलों को मदीना पहुंचाया करते थे। (बुख़ारी)

लडाई की पृष्ठभूमि में रहते हुए खाद्य आपूर्ति और बीमारों की सेवाः

हज़रत उम्मे अतीया अन्सारी कहती हैं कि मैं नबी (सल्ल) के साथ पांच लड़ाइयों में सम्मिलित रही मैं नबी (सल्ल) और सहाबा के पीछे उनके ख़ेमों में रह जाती थी, उनके लिए खाना पकाती थी, और घायलों का इलाज करती थी, और मरीज़ों की देख भाल करती थी। (मुस्लिम)

औरत का व्यवसायिक कार्यों में भागीदारी (ऐसे व्यावसायिक काम जो उसकी घरेलू पारिवारिक दायित्वों से टकराते न हों)

खेतीः

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते है कि मेरी (ख़ाला) मौसी को तलाक़ हो गई, उन्होंने (इद्दत के दौरान) चाहा कि अपने बाग़ में जाकर खजूरें एकत्र करें। एक व्यक्ति ने उनको निकलने पर डांट दिया, अतः वह नबी करीम (सल्ल) के पास आ गईं। आपने फ़रमाया कि तुम बाग़ में जाकर खजूरें जमा करो क्योंकि हो सकता है कि तुम उन्हें सदक़ा कर दो या कोई और नेकी का काम करो।(मुस्लिम)

मवेशी चरानाः

हज़रत सअद बिन मआज़ कहते हैं कि कअब बिन मालिक की बांदी एक पहाड़ पर बकरियां चरा रही थी कि अचानक एक बकरी को चोट लग गई, उसने उस बकरी को पकड़ा और पत्थर से ज़बह कर दिया । नबी (सल्ल) से इस सिलसिले में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि उसको खालो।

मरीज की देखरेख

हज़रत आयशा (रज़ि) कहती हैं कि ख़न्दक़ (खाई वाली लड़ाई) के दिन हज़रत सअद को चोट लग गई। नबी (सल्ल) ने उनके लिए ख़ेमा लगवाया ताकि वह निकट से उनकी समय समय पर देखभाल (अयादत) कर सकें... (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि नबी करीम(सल्ल.) ने मस्जिदे नबवी के पास रफ़ीदह नाम की महिला के ख़ेमें में हज़रत सअद को रखवाया, रफीदह घायलों का इलाज किया करती थी आपने फ़रमाया कि सअद को रफ़ीदह के ख़ेमें में रखो ताकि निकट से मैं उनकी अयादत कर सकूं।

परिवार में औरत का स्थानः

नेक पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हैं

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दुनिया एक सामान है और इसका सबसे अच्छा सामान नेक पत्नी (बीवी) है। (मुस्लिम)

पति चुनने का अधिकार :

हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि बेवा का निकाह करना उस समय तक ठीक नहीं जब तक कि उससे परामर्श न कर लिया जाये और कुंवारी का निकाह उस समय तक ठीक नहीं जब तक उससे अनुमति न ले ली जाये। (मुस्लिम)

पति पत्नी के बीच पारिवारिक दायित्वों का बटवारा :

पति के दायित्व

(क) पुरूष प्रधानताः इब्ने उमर कहते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि मर्द अपने परिवार का संरक्षक है, उससे उसके कर्त्तव्य के बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) ख़र्च करनाः हज़रत जाबिर कहते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि तुम्हारी पत्नियों का तुम्हारे ऊपर अधिकार यह है कि तुम उनको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ और कपड़े पहनाओ

पत्नी के दायित्व

(क) बच्चों की परवरिश और प्रशिक्षणः हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) का निर्देश है कि पत्नी अपने पति के घर वालों और उसके बच्चों की संरक्षिका और उत्तरदायी है, अतः उससे उनके बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) घर के कामों की देखभाल :

इब्ने उमर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया औरत अपने पति के घर की संरक्षिका है और उससे उसके बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दायित्वों को पूरा करने में दम्पति का आपसी सहयोगः

परामर्श के माध्यम से पति की प्रधानता में सहयेागः

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि हम लोग अज्ञानता काल में औरतों को कुछ भी महत्व नहीं देते थे, यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनके बारे में आदेश उतारा और उनके लिए हिस्सा तय किया। हज़रत उमर कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ एक समस्या पर सोच रहा था कि मेरी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं मैंने उससे कहा कि तुम्हे मेरे मामले से क्या सम्बन्ध है, इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि ऐ ख़त्ताब के बेटे! आप पर आश्चर्य हो रहा हैं क्या आप यह नहीं चाहते कि आप से बहस की जाये, हालांकि आपकी बेटी, नबी करीम(सल्ल) से बहस करती है, यहां तक कि आप (सल्ल) पूरे दिन उससे नाराज़ रहते हैं। (बुख़ारी मुस्लिम)

हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब कहते हैं हम क़ुरैश के लोग अपनी पत्नियों को दबाव में रखते थे। जब हम अन्सार के पास आये तो हमने देखा कि उनकी पत्नियां उनको दबाव में रखती हैं, हमारी औरतों ने भी अन्सार की औरतों के रंग–ढंग अपनाने शुरू किये। मैं अपनी पत्नी पर ग़ुस्सा हो गया, तो वह मुझसे बहस कर बैठी। मुझे उसकी बहस अच्छी नहीं लगी, उसने कहा कि आप को मेरी बहस बुरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि नबी (सल्ल) की पत्नियां आपसे बहस करती हैं और कुछ पत्नियां तो आपको रात तक अलग छोड़ देती हैं, अतः मैं इस बात से घबरा गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

ख़र्च करने में सहयोगः

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी कहते हैं कि नबी करीम(सल्ल.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की पत्नी हज़रत ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे सदक़ा के सबसे अधिक हक़दार तुम्हारे पति और बेटे हैं। (बुख़ारी)

बच्चों की परवरिश में सहयोगः

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मुझसे नबी करीम(सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटे का भी अधिकार है। (मुस्लिम)

घर के कामों की देखभाल में सहयोग :

हज़रत असवद (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि) से पूछा कि नबी करीम (सल्ल.) घर में क्या किया करते थे, उन्होंने जवाब दिया कि आप घर वालों का काम किया करते थे। जब नमाज़ का समय होता तो आप नमाज़ के लिए चले जाते। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि हज़रत आयशा से एक और हदीस की रिवायत की गई है, जिसको अहमद और इब्ने सअद ने बयान किया है, और इसे इब्ने हिब्बान ने सही बताया हैं, इस हदीस में हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि आप अपने कपड़े स्वयं ही सिलाई कर लिया करते थे अपने जूते की सिलाई भी स्वयं कर लिया करते थे और सभी ऐसे काम करते थे जो मर्द घर में किया करते हैं।

पति को छोड़ने का अधिकार :

हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि साबित बिन क़ैस की पत्नी नबी करीम के पास आईं और कहा कि 'ऐ अल्लाह के रसूल मुझे साबित की दीनदारी और आचरण से कोई शिकायत नहीं हैं लेकिन मुझे, कुफ़्र का डर है नबी (सल्ल.) ने कहा कि क्या तुम उनका बाग़ वापस करने के लिए तैयार हो, उन्होंने कहा कि हां और उन्होंने साबित का बाग़ उनको लौटा दिया, फिर आप (सल्ल.) ने ने साबित (रज़ि.) को आदेश दिया कि उनको तलाक़ दे दें। अतः उन्होंने तलाक़ दे दी। (बुख़ारी)

हाफ़िज इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस से कई लाभदायक बातें मालूम होती हैं, इनमें से एक यह है कि अगर औरत की तरफ़ से भी मतभेद व्यक्त हो तब भी ख़ुलअ़ (औरत की ओर से अलगाव) और फ़िदिया (पति को कुछ देकर तलाक़ के लिए राज़ी करना) जाएज़ है। ख़ुलअ के लिए यह शर्त नहीं है कि पति पत्नी दोनों की तरफ़ से मतभेद व्यक्त हो। अगर औरत दस मर्दों को नापसन्द करे हालांकि कोई भी मर्द उस औरत को नापसन्द न करता हो, और न ही उसमें कोई ऐसी बात, महसूस करता हो जिसके कारण उससे अलगाव करना पड़ता हो, और न ही मर्द ने उसे कोई कष्ट पहुंचाया हो तब भी मात्र औरत की नापसन्दीदगी के आधार पर खुलअ सही है।

क़ाजी इब्ने रूश्द कहते हैं कि अगर एक तरफ़ मर्द को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह पत्नी को पसन्द नहीं करता तो उसे तलाक़ दे दे, वहीं औरत को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह पति को नापसन्द करने की स्थिति में उससे अलगाव की मांग करे।

अल्लाह की तरफ़ से औरत का सम्मान :

औरत का माँ की हैसियत से सम्मानः

(क) जुरैह की माँ अबू हुरैरह कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ''गोद में केवल तीन बच्चों ने बात की है, एक ईसा इब्ने मरयम और जुरैह वाला बच्चा, जुरह एक अत्यधि ाक इबादत करने वाला व्यक्ति था उसने, अपनी एक कुटिया बना ली थी जिसमें नमाज़ पढा़ करता था एक बार उसके पास उसकी माँ आई उस वक़्त वह नमाज़ पढ़ रहा था। उसकी माँ ने उसे पुकारा तो उसने कहा ऐ अल्लाह एक तरफ़ मेरी माँ है तो एक तरफ़ मेरी नमाज़ अतः वह नमाज़ पढ़ने में लगा रहा, उसकी माँ वापस हो गई दूसरे दिन फिर

उसकी माँ आई, वह उस समय भी नामज़ पढ़ रहा था, उसने उसे आवाज़ दी, जुरैह ने कहा कि ऐ अल्लाह ''एक तरफ़ मेरी माँ है तो एक तरफ़ मेरी नमाज़, अतः वह नमाज़ पढ़ने में ही लगा रहा। उस वक़्त उसकी माँ ने कहा ''ऐ अल्लाह तू इसे उस समय तक मौत न दे जब तक यह किसी बदचलन औरत का मुंह न देख ले। एक बार बनी इसर्राल के लोगों ने जुरैह और उसकी इबादत की आपस में चर्चा की, वहां एक बदचलन औरत, जो अपने सौंदर्य को दिखाया करती थी, उसने कहा कि अगर तुम लोग कहो तो मैं जुरैह को परीक्षा में डाल सकती हूं। नबी करीम (सल्ल.) फ़रमाते हैं कि वह बदचलन औरत जुरैह के सामने गई, लेकिन जुरैह ने उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह उस चरवाहे के पास गई जो जुरैह की कुटिया में रहा करता था, उस औरत ने अपने आप को चरवाहे के सामने प्रस्तुत कर दिया, चरवाहे ने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। जब उसने बच्चे को पैदा किया तो उसने लोगों से कहा कि यह जुरैह का बच्चा हैं यह सुनकर लोग जुरैह के पास आये। उसको कुटिया से नीचे उतारा उसकी कुटिया को तोड़ दिया और उसे मारने लगे। जुरैह ने कहा ''तुम लोगों को क्या हो गया है '' लोगों ने कहा ''तुमने उस बदचलन के साथ व्यभिचार किया है और उसने तुम्हारे बच्चे को पैदा कियाा है। जुरैह ने पूछा कि बच्चा कहां है। लोग बच्चे को लेकर आये। जुरैह ने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ने दो। उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर बच्चे के पास आया और उसके पेट पर मार कर पूछा कि 'ऐ बच्चे' तेरा बाप कौन है उस बच्चे ने उत्तर दिया कि अमुक चरवाहा मेरा बाप हैं नबी करीम (सल्ल.) फ़रमाते हैं कि उसके बाद लोग जुरैह को चूमने लगे और उसे छूने लगे। लोगों ने कहा कि हम आपकी कुटिया सोने से बनाएंगे। उसने कहा कि नहीं ''मेरी कुटिया फिर से मिट्टी की बना दो'' अतः लोगों ने उसकी कुटिया मिट्टी से बना दी। (ये शब्द मुस्लिम के हैं) (बुख़ारी मुस्लिम)

(ख) उस दुधमुहें बच्चे की माँ जिसने गोद में बात की

हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं ''नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ''..............''जब बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था, उस समय वहां से एक सवार, एक तेज़ और ख़ूबसरूत सवारी पर गुज़रा तो उस बच्चे की माँ ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे इस बच्चे को उस व्यक्ति की तरह बना। बच्चे ने माँ की छाती छोड़ दी और उस व्यक्ति को देखा, और कहा ''ऐ अल्लाह मुझे इस व्यक्ति की तरह न बनाना'' फिर वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने लगा'', हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नबी (सल्ल.) को बच्चे के दूध पीने की स्थिति की नक़ल करते हुए देख रहा हूं। आप (सल्ल.) ने अपनी शहादत की ऊंगली (तर्जनी) मुंह में रखी और उसे चूसने लगे। नबी (सल्ल.) फ़रमाते है कि फिर उसके सामने से एक दासी को मारते हुए लोग गुज़रे, वह कह रहे थे कि उसने व्यभिचार किया है और चोरी की है हालांकि वह यह कर रही थी कि ''मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी हैं और वही सबसे अच्छा संरक्षक है'' बच्चे की माँ ने कहा ''अल्लाह तू मेरे इस बच्चे को इसकी

तरह मत बनाना' बच्चे ने दूध पीना छोड़कर उस दासी की तरफ़ देखा और कहा ''अल्लाह तू मुझे इसकी तरह बना'' उस समय माँ बेटे में बात–चीत हुई माँ ने कहा कि एक सुन्दर नौजवान गुज़रा तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को उसकी तरह बनाना फिर लोग उस दासी को मारते हुए और यह कहते हुए की इसने चोरी और व्यभिचार किया है गुज़रे तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को इसकी तरह मत बना, लेकिन तुमने कहा कि ऐ अल्लाह तू मुझे इसकी तरह बना, बच्चे ने कहा वह ख़ूबसूरत व्यक्ति अत्याचारी मनुष्य है, अतः मैंने कहा कि अल्लाह मुझे उसकी तरह मत बना, और यह औरत जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि इसने व्यभिचार किया है, वास्तव में इसने व्यभिचार नहीं किया है और कह रहे थे कि इसने चोरी की है हालांकि इसने चोरी नहीं की, इसलिए मैंने कहा कि 'अल्लाह मुझे इसकी तरह बना। (बुख़ारी, मुस्लिम, शब्द मुस्लिम के है)

औरत का पत्नी के रूप में सम्मान

(क) ख़दीजा बिन्ते खुवैलद(रज़ि) :

हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं कि जिब्रील(अलै.) हुज़ूर (सल्ल.) के पास आये और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल(सल्ल.) जब ख़दीज़ा आपके पास आयें तो उनको उनके पालनहार का और मेरा सलाम कहिएगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) हज़रत आयशा बिन्ते अबी बक्रः

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी करीम(सल्ल.) ने कहा कि ऐ आयशा हज़रत जिब्रील तुम्हें सलाम कहते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरत का बेटी के रूप में सम्मान :

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह(सल्ल.):

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि क्या तुम्हें यह बात पसन्द नहीं है कि तुम जन्नत की औरतों की (या आपने यह कहा कि मोमिन औरतों की) सरदार बनो। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) की तरफ़ से औरत का सम्मान :

नबी (सल्ल.) की माँः

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक बार नबी (सल्ल.) अपनी माँ की क़ब्र देखने गये तो आप रो पड़े ओर जो लोग आपके आस–पास थे वह भी रो पड़े। आपने फ़रमाया कि मैंने अल्लाह से अपनी माँ–बाप के लिए (मग़फ़िरत) क्षमा मांगने की अनुमति चाही थी तो मुझे अनुमति नहीं दी गई। फिर मैनें अल्लाह से उनकी क़ब्रों को देखने की

अनुमति चाही तो अनुमति दे दी गई। अतः तुम लोग भी क़ब्रों को देखने जाया करो, क्योंकि यह मौत को याद दिलाती हैं।

नबी (सल्ल.) की पत्नी :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मैंने जितनी प्रतिस्पर्धा (रश्क) हज़रत ख़दीजा से किया है, उतना आपकी (सल्ल) किसी भी दूसरी पत्नी पर नहीं किया। हालांकि मैंने हज़रत ख़दीजा को देखा भी नहीं है लेकिन नबी (सल्ल.) अधिकतर उनकी चर्चा किया करते थे। कभी–कभी आप (सल्ल.) बकरी ज़बह करते फिर टुकड़े काटते उसके बाद हज़रत ख़दीजा की सहेलियों के पास भेजवाते। कभी–कभी मैं आपसे कहती कि ऐसा लगता है कि दुनिया में हज़रत ख़दीजा के अतिरिक्त कोई औरत है ही नहीं, तो आप फ़रमाते ''वह ऐसी ही थीं, उनसे मेरी औलाद भी हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) की बेटीः

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया फ़ातिमा मेरा एक हिस्सा है जिसने उसको नाराज़ किया उसने मुझको नाराज़ किया। (बुख़ारी मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं 'फ़ातिमा आईं' जब नबी (सल्ल.) ने उनको देखा तो उनका स्वागत किया और कहा स्वागत है मेरी बेटी!' फिर अपने दायीं तरफ़ या बायीं? तरफ़ बिठाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) की नवासी (नातिन)

हज़रत अबू कतादह अन्सारी कहते हैं कि नबी (सल्ल) नमाज़ पढ़ रहे थें और ओमामह बिन्ते ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह को अपने ऊपर उठाये हुए थे। ओमामः के पिता अबुल आस बिन रबीअह बिन शम्स हैं, आप (सल्ल.) जब सजदा करते तो उन्हें अलग हटा देते, और जब सजदे से उठते तो उन्हें उठा लेते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लामा फ़केहानी कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने ओमामह बिन्ते ज़ैनब को नमाज़ के दौरान अपनी गोद में इसलिए उठाया था कि अरबों के बीच से लड़कियों को नापसन्द करने की सोच को दूर कर सकें। अतः आप (सल्ल.) ने अरबों की इस सोच का विरोध किया, यहां तक कि नमाज़ में भी इस विरोध को प्रकट किया ताकि विरोध पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हो। किसी काम को करके बताना उसे कहकर बताने से अधिक प्रभावी होता है।

नबी (सल्ल.) की दाईः हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) को बाग़ भेंट किया करता था, यहां तक कि बनू कुरैजः और बनू नज़ीर के क्षेत्रों पर विजय मिल गई। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मैं नबी (सल्ल.) के पास जाऊँ और उनसे वह बाग़ या कुछ भाग मांग लूं ,जो उन्होंने आपको (सल्ल.) दिया था। नबी (सल्ल.) ने वह बाग़ उम्मे ऐमन को दे दिया था। उम्मे ऐमन आ गईं और उन्होंने मेरी गर्दन में एक कपड़ा डाल दिया और कहने लगीं। कभी नहीं! उस हस्ती की क़सम जिसके अतिरिक्त कोई इबादत के योग्य नहीं नबी (सल्ल.) वह बाग़ तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि आप (सल्ल.) ने वह बाग़ हमें दे दिया है, हालांकि

आप उनसे कह रहे थे कि तुम्हें इतना दूंगा और वह कहती जा रही थीं हरगिज़ नहीं! यहां तक कि नबी (सल्ल.) ने उनको उस बाग़ की तरह दस बाग़ दिये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जिस तरह नबी (सल्ल.) ने अपनी दाई का आदर सम्मान किया, उसी तरह आप (सल्ल.) ने अपनी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया का भी आदर सम्मान किया। अबू दाऊद ने अबू तुफ़ैल के हवाले से नक़ल किया है, वह कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल) को जअरानह में गोश्त बांटते हुए देखा, इसी बीच एक महिला आ गईं। जब वह नबी (सल्ल) के निकट पहुंची तो आपने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी। मैंने पूछा कि ये कौन है? सहाबा ने बताया कि ये आप (सल्ल.) की दूध पिलाने वाली माँ हैं।

सामान्य महिलाएं

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने औरतों और बच्चों को आते हुए देखा तो आप (सल्ल.) सीधे खड़े हो गये, और कहा कि अल्लाह की क़सम तुम लोग मेरे लिए सबसे अधिक प्यारे हो, यह बात आप (सल्ल.) ने तीन बार कही..।

(बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि अन्सार की एक महिला नबी करीम (सल्ल.) के पास आई, उनके साथ उनका बच्चा भी था। नबी (सल्ल.) ने उस महिला से बात की और दो बार कहा, अल्लाह की क़सम तुम मेरे लिए सबसे अधिक प्यारे हो...।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक काला मर्द या एक काली औरत मस्जिद में झाडू लगाते थे (बुख़ारी की रिवायतम में है कि मैं समझता हूं कि वह औरत ही थी)। उसकी मौत हो गई एक बार नबी (सल्ल.) ने उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उसकी तो मौत हो चुकी है। आपने फ़रमाया कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे उसकी क़ब्र बताओ फिर आप उसकी क़ब्र के पास गये और उसके लिए दुआ की। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस्लाम का औरतों की अच्छी तरह देखभाल पर उभारनाः

माँ की देख रेखः

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया और उसने पूछा कि मेरे सद्व्यवहार और सदाचरण का सबसे अधिक हक़दार कौन है आपने फ़रमाया कि तुम्हारी मां। उसने कहा फिर कौन है? आपने फ़रमाया, तुम्हारी माँ उसने कहा, फिर कौन है आपने फ़रमाया तुम्हारी माँ उसने कहा फिर कौन है? आपने फ़रमाया तुम्हारा बाप'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

बहन की देखभाल :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में से जो व्यक्ति भी तीन लड़कियों या तीन बहनों की परवरिश करेगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह लड़कियां या बहनें? उसको जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम बनेंगी। (बैहक़ी)

पत्नी की देख–भालः

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मेरी नसीहत को स्वीकार करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इसकी पुष्टि नबी (सल्ल.) के इस कथन से भी होती है कि तुम में सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे अधिक अच्छा हूं। (इब्ने माजः)

बेटी की देख भालः

हज़रत उरवह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) की पत्नी हज़रत आयशा ने उनसे कहा, मेरे पास एक औरत आई जिसके साथ उसकी दो बेटियां थीं वह कुछ मांग रही थी, मेरे पास एक खजूर थी जो मैंने उसको दे दी। उसने खजूर के दो टुकड़े किए

और दोनों बेटियों को दे दिये, फिर वह उठी और चली गई फिर नबी (सल्ल.) घर आये; मैंने उनसे यह घटना बताई तो आप(सल्ल) ने कहा कि जो व्यक्ति भी लड़कियों द्वारा परीक्षा में डाला जाये, वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह लड़कियां उसके लिए जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होंगी। (बुख़ारी)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति भी दो लड़कियो की परवरिश करे, यहां तक कि वह बालिग़ (प्रौढ़) हो जायें तो क़यामत के दिन वह इस तरह आयेगा कि मैं और वह इस तरह होंगे, और आपने अपनी अंगुलियों को मिला दिया। (मुस्लिम)

बांदी की देख–भालः

हज़रत अबू हुरैरह अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति के पास कोई दासी हो, फिर वह उसको अच्छी तरह शिक्षा दे और अच्छी तरह से आचरण सिखाये, उसके बाद उसे आज़ाद कर दे और फिर उससे निकाह कर ले तो उसको दो पुरस्कार मिलेंगे। (बुख़ारी)

अध्याय 2
महिलाओं से सम्बन्धित कुछ शानदार घटनाएं

हम यहां औरतों की कुछ ऐसी शानदार घटनाएं प्रस्तुत करेंगे, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि वह महिला जिसको इस्लाम ने आज़ाद किया था, प्रतिष्ठा की बुलन्दियां छू रही थी, और उसने बहुत से कारनामे कर दिखाये थे।

अल्लाह की राह में जान की क़ुरबानीः

हज़रत सुहेब कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम से पहले ज़माने में एक राजा था, उसके पास एक जादूगर था। जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने राजा से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं अतः आप मेरे पास किसी लड़के को भेज दीजिए ताकि मै उसे जादू सिखा दूं। राजा ने उस जादूगर के पास एक लड़का भेज दिया जिसको वह जादू सिखाता था। जिस रास्ते से वह लड़का जादूगर के पास जाता था, उस रास्ते में एक राहिब रहा करता था। एक बार वह लड़का उस राहिब के पास बैठ गया। उसकी बात सुनी जो उसे बहुत पसन्द आई। अब वह जब भी जादूगर के पास जाता तो राहिब के पास से होकर गुज़रता था। साहिब ने लड़के से कहा, जब तुम्हें डर लगे कि जादूगर तुमसे देर से आने का कारण पूछेगा तो तुम उससे कह देना कि मुझे घर पर देर हो गई, और जब तुम्हें घर वालों से देर का कारण पूछने का डर हो तो तुम कह देना कि मुझे राहिब के पास देर हो गई, एक दिन यह लड़का जादूगर के पास जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत ही बड़े जानवर के पास से उसका गुज़र हुआ। उसने लोगों का रास्ता बन्द कर रखा था। लड़के ने कहा कि आज मुझे पता चल जायेगा कि जादूगर अधिक अच्छा है या राहिब। लड़के ने एक पत्थर उठाया और कहा ऐ अल्लाह अगर तुझे राहिब का तरीक़ा जादूगर के तरीक़े से अधिक पसन्द हो तो इस जानवर को मौत दे दे ताकि लोग अपने अपने रास्ते पर जा सकें। लड़के ने पत्थर मारा और वह जानवर मर गया ओर लोग अपने–अपने रास्ते पर चले गये। लड़का राहिब के पास आया और उसको इस घटना से सूचित किया। उसने लड़के से कहा कि, ऐ बेटे! अब तुम मुझसे भी अच्छे हो गये हो। तुम जिस स्थान पर पहुंच गये हो, उसे मैं देख रहा हूं, जल्द ही तुम परीक्षा में डाले जाओगे। उस समय तुम मेरा नाम न बताना। वह लड़का अंन्धों और कोढ़ के मरीज़ों को ठीक कर दिया करता था, लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज़ कर दिया करता था। राजा के एक अन्धे दरबारी ने लड़के के बारे में सुना तो वह उसके पास बहुत सारे उपहार लेकर आया और कहा कि अगर तुम मुझको ठीक कर दो तो यह सब कुछ तुम्हारा हैं लड़के ने कहा कि मैं किसी को बीमारी से छुटकारा

नहीं दे सकता। बीमारी से छुटकारा तो अल्लाह देता है अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आते हो, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह तुम्हारी बीमारी(आंख की) ठीक कर दे। वह व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह ने उसे रोगमुक्त कर दिया। फिर वह राजा के पास आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंख किसने वापस दे दी। उसने उत्तर दिया कि ''मेरे पालनहार ने''राजा ने कहा कि क्या मेरे अतिरिक्ति भी तुम्हारा कोई पालने वाला है, उसने कहा कि मेरा और आपका पालने वाला अल्लाह है राजा ने उसको क़ैद कर दिया और लगातार सज़ा देता रहा यहां तक कि उसने लड़के का नाम बता दिया अतः उस लड़के को लाया गया। राजा ने कहा कि ऐ बेटे! तुम्हारा जादू तो यहां तक पहुंच गया है कि तुम अन्धे और कोढ़ियों को ठीक कर देते हो और न जाने क्या–क्या करते हो! लड़के ने उत्तर दिया कि मैं किसी को ठीक नहीं करता, ठीक करने वाला तो अल्लाह हैं अतः उस लड़के को भी क़ैद कर लिया और उसको सज़ा देता रहा यहां तक कि उसने राहिब का नाम बता दिया। अतः राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि तुम अपने दीन को छोड़ दो। राहिब ने इन्कार कर दिया। राजा ने आरा मंगवाया। राहिब के सर में आरा रखकर उसे चीर दिया गया यहां तक कि उसके दो टुकडे हो गये। इसके बाद राजा के दरबारी को लाया गया और उसको उसके दीन छोड़ने का आदेश दिया गया। उसने इन्कार कर दिया। अतः उसका सिर पर भी आरा रखकर उसे चीर दिया गया। उसके भी दो टुकड़े हो गये। फिर लड़के को लाया गया। उसको भी दीन छोड़ने के लिए कहा गया उस लड़के ने भी दीन को छोड़ने से इन्कार कर दिया। राजा ने उसे अपने कुछ दरबारियों के हवाले किया और कहा 'इसको अमुक पहाड़ पर ले जाओ। और उस पर चढ़ जाओ फिर जब तुम उसकी चोटी पर पहुंच जाओ और उसके बाद वह अपना दीन छोड़ दे तो ठीक है, अन्यथा उसे नीचे फेंक देना। अतः लोग उसे ले गये और पहाड़ पर चढ़ गये, उस समय लड़के ने दुआ की कि ''अल्लाह तू अपनी इच्छा से इन लोगों के लिए मेरी तरफ़ से काफी हो जा, इसके बाद पहाड़ हिलने लगा और बादशाह के दरबारी पहाड़ से गिर पड़े। लड़का शान्तिपूर्वक चलता हुआ राजा के पास आ गया। राजा ने पूछा ''जो लोग तुमको ले गये थे उनका क्या हुआ? उसने जवाब दिया। उनके लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह काफ़ी हो गया। फिर उसने उस लड़के को कुछ दूसरे दरबारियों के हवाले किया और कहा कि इसको ले जाओ, इसे एक नाव पर सवार करो और बीच समुद्र में ले जाओ अगर यह अपने दीन से फिर जाये तो ठीक है अन्यथा इसे समुद्र में फेंक दो। वह लोग उसे ले गये। लड़के ने दुआ की कि ''अल्लाह! तू अपनी इच्छा से मेरी तरफ़ से इनके लिए काफी हो जा। नाव पलट गई और राजा के तमाम दरबारी डूब गये। लड़का फिर शान्तिपूर्वक चलता हुआ राजा के पास आया राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ वालों का क्या हुआ? लड़के ने कहा कि मेरी तरफ़ से अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो गया। और आप मुझे उस वक़्त तक क़त्ल नहीं कर सकते जब तक आप वह न करें जिसका मैं आपको आदेश देता हूं। राजा ने कहा''वह क्या है?'' लड़के ने कहा आप एक मैदान में तमाम लोगों को एकत्र करें और मुझे एक पेड़ की डाली पर लटका दें। उसके बाद आप मेरे तरकश से एक तीर लें फिर उस तीर को

कमान के बीच में रखें और ये शब्द कहें। ''बिस्मिल्लाहि रब्बिल ग़ुलाम(अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का पालनहार है)'' उसके बाद मुझे वह तीर मारें अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे क़त्ल कर सकते हैं, अतः राजा ने तमाम लोगों को एक मैदान में जमा किया लड़के को एक डाली पर लटकाया फिर उसके तरकश से एक तीर निकाला। फिर उसको कमान के बीच में रखा और ''बिस्मिल्लाहि रब्बिल ग़ुलाम'' कहकर उस लड़के को तीर मारा। तीर लड़के की कनपटी पर जाकर लगा। लड़के ने कनपटी पर तीर के लगने की जगह अपना हाथ रखा और फिर मर गया। जो लोग एकत्र थे वह पुकार उठे, हम लड़के के पालनहार पर ईमान लाते हैं। हम लड़के के पालनहार पर ईमान लाते हैं। हम लड़के के पालनहार पर ईमान लाते हैं। फिर राजा से कहा गया आप जिस चीज़ से डर रहे थे वही होकर रही। लोग लड़के के पालनहार पर ईमान ले आये हैं राजा ने सड़कों पर गड्ढे खोदने का आदेश दिया अतः गड्ढ़े खोदे गये, और उनमें आग भड़काई गई, राजा ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने दीन को न छोड़े उसको इस आग में जला दो। अतः ऐसा ही किया गया। यहां तक कि एक ऐसी औरत की बारी आई जिसके साथ उसका बच्चा था। तो वह गड्ढ़े में कूदने से पीछे हटी, उसी समय उसके बच्चे ने कहा कि ऐ माँ तू डटी रह क्योंकि तू सच्चाई पर है। (मुस्लिम)

निपुणता प्राप्त करने की इच्छा :

अता बिन रिबाह कहते हें कि मुझसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि क्या मैं तुझे एक जन्नती औरत न दिखाऊँ मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि देखो यह काली औरत नबी (सल्ल.) के पास आई थी और उसने कहा था कि मैं मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ती हूं और नंगी हो जाती हूं। आप मेरे लिए दुआ कर दें आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अगर तुम चाहो तो धैर्य रखो, उसके बदले तुझे जन्नत मिलेगी। और तुम अगर चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हें रोगमुक्त कर दे, उसने कहा कि मैं धीरज रखूँगी। (लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात यह है).......... कि मैं नंगी हो जाती हूं आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि मैं नंगी न होऊँ अतः आपने उसके लिए दुआ फ़रमा दी।(बुख़ारी व मुस्लिम)

इबादत का शौक़ :

हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक बार नबी (सल्ल.) मस्जिद में दाख़िल हुए तो देखा कि दो खम्भों के बीच एक रस्सी बंधी हुई हैं आपने पूछा कि यह रस्सी कैसी है? लोगों ने बताया कि ये हज़रत ज़ैनब की रस्सी हैं जब वह नमाज़ पढ़ते हुए थक जाती हैं तो इस रस्सी से सहारा ले लेती हैं आपने फ़रमाया कि इस रस्सी को खोल दो। तुम लोगों को चुस्ती के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब तुम थक जाओ तो बैठ जाओ।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि ''एक बार नबी (सल्ल.) उनके पास आये, उस समय उनके पास एक महिला बैठी थीं आप ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने जवाब

दिया कि ये अमुक महिला है, जिनकी नमाज़ के बड़े चर्चे हैं। (मुस्लिम की रिवायत में ये शब्द हैं "ये फ़लां हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये रातों को सोती नहीं हैं") आप (सल्ल.) ने नापसन्दीदगी व्यक्त की और कहा कि तुम अपनी ताक़त के अनुसार अमल करो अल्लाह की क़सम अल्लाह नहीं उकतायेगा, हां तुम लोग उकता जाओगे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया और कहा कि मेरी बहन ने हज की नज़्र मानी थी लेकिन वह मर गई है आप (सल्ल) ने कहा कि अगर तुम्हारी बहन क़र्ज़दार होती तो क्या तुम उसके क़र्ज़ को अदा करते, उसने कहां 'हां आपने फ़रमाया कि फिर अल्लाह का कर्ज़ भी अदा कर दो। क्योंकि अल्लाह का कर्ज़ अदा होने का अधिक हक़दार है। (बुख़ारी)

हज़रत उक़्बा बिन आमिर(रज़ि.) कहते हैं कि मेरी बहन ने अल्लाह के घर काबा तक पैदल जाने की नज़्र मानी, और मैंने आपसे पूछा तो आप (सल्ल.) ने उत्तर दिया कि उन्हें सवार होकर अल्लाह के घर जाना चाहिए। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इन हदीसों से इबादत की तरफ़ औरतों के शौक का ज्ञान होता है, यह एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन नबी (सल्ल.) ने औरतों की तरफ़ से, इबादत में अति करने को पसन्द नहीं किया है जैसे कि आप (सल्ल.) ने मर्दों की तरफ़ से भी इबादत में अति को पसन्द नहीं किया है। उदाहरण स्वरूप अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रज़ि) और अबू दरदा आदि को इबादत में अति करने से मना किया। हम समझते हैं कि औरतों और मर्दों ने नबी (सल्ल.) के इस आदेश को मान लिया था और इबादत में अति छोड़ दी थी। अल्लाह तआला तमाम मर्द और औरत सहाबियों से खुश हो।

सच्चाई और ख़र्च करना :

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन निकलते, और सबसे पहले नमाज़ पढ़ाते, नमाज़ के बाद लोगों की तरफ़ चेहरा करते, जो कि अपनी जगहों पर बैठे होते, अगर आप किसी फ़ौज को कहीं भेजना चाहते तो लोगों से उसका ज़िक्र करते या कोई और काम होता तो लोगों को उसका आदेश देते और आप (सल्ल.) फ़रमाते कि सदक़ा करो सदक़ा करो, और सदक़ा करने वालों में अधिक संख्या महिलाओं की होती थी। (मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने, ईदुल फ़ित्र की नमाज़ नबी (सल्ल.) के साथ पढ़ी, फिर आप मर्दों की सफों को फांदते हुए औरतों के पास आये। आपके साथ हज़रत बिलाल थे आपने औरतों से कहा कि सदक़ा करों, बिलाल(रज़ि.) ने अपनी चादर फैला दी और कहने लगे आओ! तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। अतः महिलाएं बिलाल की चादर में अपनी अंगूठियां और दूसरे ज़ेवर(गहने) डालने लगीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि औरतों को अपना गहना बहुत प्यारा होता है इसके बावजूद उन्होंने सदक़ा करने में पहल की। और ऐसे समय में उन गहनों को

सदक़ा किया जब उनके यहां तंगी थी, इससे पता चलता है कि दीन में उन औरतों का स्थान बहुत ऊँचा था। उनके अन्दर रसूलुल्लाह(सल्ल.) के आज्ञापालन का शौक बहुत अधिक पाया जाता था।

माँ बाप के साथ उनके जीवन में और मौत के बाद अच्छा व्यवहारः

हज़रत अब्दुलाह बिन बुरैदा अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, एक दिन मैं नबी (सल्ल) के पास बैठा था, कि उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को सदक़ा में एक दासी दी थी लेकिन माँ की मौत हो गई आपने फ़रमाया कि तुम्हें पूरा बदला मिलेगा और वह दासी भी विरासत में फिर तुम्हारे पास आ जायेगी। उस औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरी माँ पर एक महीने का रोज़ा कर्ज़ा था, क्या मैं उनकी तरफ़ से रख सकती हूं आप ने फ़रमाया कि रख लो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने हज नही किया था क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूं। आपने फ़रमाया हां उनकी तरफ़ से हज कर लो।

हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी (सल्ल) के पास एक महिला आई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरी माँ की मौत हो गई है उन पर नज़्र का एक रोज़ा था क्या मैं उनकी तरफ़ से रोज़ा रख लूं आपने फ़रमाया कि अगर तुम्हारी माँ क़र्ज़दार होती और तुम क़र्ज़ अदा कर देती तो वह क़र्ज़ अदा न होता? उसने उत्तर दिया कि क्यों नहीं? आप ने फ़रमाया कि अपनी माँ की तरफ़ से रोज़ा रख लो।

अल्लाह पर बेहतरीन भरोसाः

हज़रत जाबिर कहते हैं कि हम लोग ख़न्दक़ के दिन खुदाई कर रहे थे कि अचानक एक बड़ा पत्थर सामने आ गया सहाबा किराम नबी के पास आये और कहा कि ख़न्दक़ में एक बड़ा पत्थर आ गया है आपने फ़रमाया कि मैं ख़न्दक़ में उतरता हूं फिर आप खड़े हुए उस समय आपके पेट पर एक पत्थर बंधा था। हम लोगों ने तीन दिन से कुछ भी नहीं चखा था। नबी ने एक कुदाल ली और उस पत्थर पर मारी तो वह रेत की तरह हो गया। मैंनें कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मूझे घर जाने की अनुमति दीजिए मैंनें घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा मैंनें नबी को ऐसी हालत में देखा है कि मुझसे धैर्य नहीं रखा जाता, क्या तुम्हारे पास कुछ है? पत्नी ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा जौ है और बकरी का एक बच्चा है। अतः मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह किया और मेरी पत्नी ने आटा गूंधा, फिर हमने गोश्त को हांडी में डाला फिर मैं नबी के पास आया इस हालत में की आटा गूंधा जा चुका था और हांडी चूल्हे पर थी और वह तैयार होने वाली थी, मैंने नबी (सल्ल) से कहा, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, आप और आपके साथ, एक या दो लोग मेरे साथ आ जायें आपने पूछा कि खाना कितना है? मैंने आपको बता दिया। आपने फ़रमाया ये तो बहुत है, फिर आपने कहा कि अपनी पत्नी से कह दो कि वह मेरे आने तक हांडी और रोटी को चूल्हे से न उतारे। फिर आप (सल्ल) ने तमाम सहाबा किराम से फ़रमाया, चलो तो तमाम मुहाजिर व अन्सार सहाबा चल पड़े, जब हज़रत जाबिर अपनी बीवी के पास

गये तो उनसे कहा कि बुरा हो गया, आप तमाम मुहाजिर व अन्सार सहाबा के साथ आ गये हैं उनकी पत्नी ने कहा कि क्या नबी (सल्ल) ने आपसे खाने के बारे में पूछा था? उन्होंने उत्तर दिया कि हां फिर आप (सल्ल) ने अपने सहाबा से कहा कि दाख़िल हो जाओ और भीड़ न लगाओ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि रिवायत करने वाले के इस कथन उनकी पत्नी ने कहा क्या नबी (सल्ल) ने आपसे खाने के बारे में पूछा था? उन्होंने जबाब दिया कि हां फिर आपने सहाबा से कहा कि ''दाख़िल हो जाओ'' में संक्षेप से काम लिया गया है। या जातल मग़ाजी में यूनुस बिन बुकैर की रिवायत में इसका विस्तार है। वह इस तरह है हज़रत जाबिर कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि उसकी जानकारी केवल अल्लाह ही को है मैंने कहा कि तमाम लोग आ गये हैं हालाकि मेरे पास केवल एक साअ जौ है और एक बकरी का बच्चा है फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि बुरा हो गया नबी (सल्ल) ख़न्दक़ वालो को लेकर आ गये हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि क्या नबी (सल्ल) ने पूछा था कि खाना कितना है? मैंने कहा कि हां तो बीबी ने कहा कि फिर तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हमारे पास जो कुछ है वह हमने उनको बता दिया है। इस तरह मेरी पत्नी ने मेरी एक बड़ी चिन्ता दूर कर दीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस बात से पता चलता है कि हज़रत जाबिर की पत्नी परिपक्त समझ और उच्च ज्ञान व पद वाली महिला थीं।

मुसीबत पर धैर्यः

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हारिस बद्र की लड़ाई में शहीद हो गये वह बच्चे थे। उनकी माँ नबी (सल्ल) के पास आई और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप जानते हैं कि मै हारिस को कितना चाहती हूं। अगर वह शहीद होकर जन्त में गया है तब तो में सब्र करूंगी और सवाब की आशा रखूंगी। लेकिन अगर मामला इसके उल्टा है तो आप बताएं मैं क्या करूं? एक रिवायत में यह है कि अगर मामला इसके उल्टा है तो मैं ख़ूब रोऊंगी आप (सल्ल) ने फ़रमाया तेरा बुरा हो, क्या तू पागल हो गई है? उसके लिए केवल जन्नत नहीं बल्कि बहुत सारी जन्नतें हैं वह तो फ़िरदौस में हैं। (बुख़ारी)

सतीत्व की रक्षाः

हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि नबी ने फ़रमाया कि तीन व्यक्ति कहीं जाने के लिए निकले कि अचानक रास्ते में वर्षा होने लगी। इन लोगों ने एक पहाड़ की गुफ़ा में पनाह ली अचानक गुफ़ा के मुंह पर एक पत्थर आ गिरा नबी (सल्ल) फ़रमाते हैं कि इन लोगों ने एक दूसरे से कहा कि हम लोगों को अल्लाह तआला से अपनी जिन्दगी के सबसे अच्छे काम का हवाला दे कर दुआ करनी चाहिए उनमें से एक ने कहा ऐ अल्लाह मेरे बूढे माँ बाप थे, मैं सुबह निकल जाता था और बकरियां चराता था, शाम को लौटता था बकरियों को दूहता था, फिर मैं दूध लेकर अपने माँ–बाप के पास आता था और वह दोनों दूध पीते थे फिर मैं अपने बच्चों, घर वालो और पत्नी को पिलाता था एक रात मुझे घर आने में देर

हो गई जब मैं घर आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने उनको जगाना ठीक नही समझा, मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास रो रहे थे। मैं और मेरे बच्चे इसी हालत में रहे यहां तक कि सुबह हो गई, ऐ अल्लाह! अगर तू समझता है कि यह काम तेरी ख़ुशी के लिए किया था तो हमारे लिए थोड़ा खुलापन पैदा कर दे जिससे हम आसमान देख सकें और पत्थर थोड़ा सा खिसक गया।

दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैं अपनी एक चचेरी बहन से अत्यन्त प्रेम करता था। मुस्लिम की एक रिवायत में है मैंने उससे अपनी इच्छा पूर्ति की मांग कि तो वह मुझसे दूर हो गई यहां तक कि एक वर्ष अकाल का शिकार हो गई और मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मुझसे अपनी इच्छा पूर्ति इसी स्थिति में कर सकते हो जब तुम मुझे सौ दीनार दे दो अतः मैंने दौड़ भाग कर सौ दीनार एकत्र किया इसके बाद जब मैं उसके दोनों पैरों के बीच बैठा तो उसने कहा कि अल्लाह से डरो और मेरे कौमार्य के अधिकार को न तोड़ो। मैं खड़ा हो गया और उसको छोड़कर चला गया, ऐ अल्लाह अगर तू समझता है कि मैंने यह काम तेरी ख़ुशी के लिए किया था तो तू हम लोगों के लिए थोड़ा खुलापन पैदा कर दे, अत पत्थर एक तिहाई और हट गया।

एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने एक मिक्याल की मज़दूरी पर एक मज़दूर रखा था मैंने उसको उसकी मज़दूरी दी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया मैंनें उससे गायें और चरवाहा ख़रीदा फिर वह मज़दूर मेरे पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे मुझे मेरा अधिकार दो। मैनें कहा कि उन गायों और उस चरवाहे के पास जाओ वह सब तुम्हारा है उसने कहा क्या तुम मुझसे मज़ाक़ कर रहे हो? मैंनें कहा कि नहीं मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं यह सब तुम्हारा ही है। ऐ अल्लाह अगर तू समझता है कि मैंने यह काम तेरी ख़ुशी के लिए किया था तो हम लोगों के लिए थोड़ा खुलापन पैदा कर दे। अतः अब पत्थर पूरी तरह हट गया।

गुनाह का जल्दी स्वीकार करनाः

हज़रत अबू हुरैरह और जैद़ बिन ख़ालिद अल जोहनी फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया और कहा कि मैं आपसे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि आप हमारे बीच अल्लाह की किताब की रोशनी में फ़ैसला कर दें उसका प्रतिद्वंदी जो उससे अधिक समझदार था, खड़ा हुआ और बोला की यह ठीक कह रहा है हमारे बीच अल्लाह की किताब के द्वारा फ़ैसला कीजिए, और ऐ अल्लाह के रसूल मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। नबी ने कहा कि बोलो, उसने कहा कि मेरा बेटा इसके घर में मज़दूर था उसने इसकी पत्नी से व्यभिचार कर लिया तो फिर मैनें उसके अर्थ दण्ड के तौर पर सौ बकरियां और एक सेवक दिया। फिर मैंनें एक ज्ञान रखने वालो से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को सौ कौड़े लगाये जायेंगें और उसे एक वर्ष के लिए शहर से निकाल दिया जायेगा और इसकी पत्नी को रज्म (पत्थर मार कर हत्या किया) किया जायेगा और ऐ अनीस ज़रा इसकी पत्नी के पास जाओ और उससे इस सिलसिले

मे पूछो। अगर वह इस पाप को स्वीकार कर लेती है तो उसे रज्म करो। पत्नी ने पाप स्वीकार कर लिया और उसे रज्म किया गया।

हज़रत इब्ने अबी मुलैकह फ़रमाते हैं कि दो औरतें एक घर में या एक कमरे में खाल की सिलाई कर रही थीं उनमें से एक औरत के हाथ में सूई चुभ गई वह उठी और उसने दूसरी औरत के विरूद्ध दावा कर दिया। यह मामला इब्ने अब्बास के पास ले जाया गया। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि नबी (सल्ल.) का निर्देश है कि अगर लोगों व दावों के पक्ष में फ़ैसला कर दिया जाये तो पूरी क़ौम का ख़ून बह जाये और उनकी दौलत समाप्त हो जाये, उसे अल्लाह का हवाला दो और उसे यह आयत सुनाओ। निसन्दहे जो लोग अल्लाह से किये वादे को बेचते हैं लोगों ने उसे अल्लाह का हवाला दिया और उसकी याद दिलाई तो उसने ग़लती स्वीकार कर ली। (बुख़ारी)

अध्याय 3

मुसलमान महिला का मज़बूत व्यक्तित्व और अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के लिए परिपक्व चेतना की कुछ मिसालेंः

हज़रत उम्में सलमा (रज़ि) बयान करती हैं कि वह कंघा कर रही थीं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल.) को यह कहते सुना कि ''ऐ लोगों! यह सुनकर उम्मे सलमा ने कंघा करने वाली दासी से कहा कि ज़रा हटना तो दासी ने कहा कि आप (सल्ल.) मर्दों को सम्बोधित किया है न कि औरतों को, उम्मे सलमा ने कहा कि मैं भी तो लोगों में से हूं। (मुस्लिम)

महिलाओं का नबी से शिक्षा के अधिक अवसरों की मांगः

हज़रत अबू सईद कहते हैं कि एक महिला नबी के पास आई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल आपकी बातों से मर्द अधिक लाभ उठाते हैं। एक रिवायत में है महिलाओ ने नबी (सल्ल.) से कहा कि आप से लाभान्वित होने में मर्द हम औरतो से आगे बढ़ गये हैं। आप हमारे लिए एक दिन तय कर दीजिए। जिस दिन हम आपके पास आयें और आप हमे वह ज्ञान सिखाऐं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। आपने फ़रमाया कि फ़लां जगह पर तुम लोग एकत्र हो जाया करो। अतः औरतें एकत्र हुई आप उनके पास आये और उनको वह ज्ञान सिखाया जो अल्लाह ने आपको सिखाया था। फिर आपने कहा कि तुम में से जिस महिला के तीन बच्चे उसकी ज़िन्दगी में ही मर जायें उसके ये बच्चे उसके लिए जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होगें एक महिला ने पूछा कि अगर दो बच्चे मरें तो महिला ने यह बात दो बार पूछी। आपने फ़रमाया कि हां दो भी, दो भी, दो भी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है। कि सहाबा की पत्नियों के अन्दर दीनी ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व बहुत अधिक है कि उन्होंने मर्दों के साथ नबी (सल्ल.) की हदीसें सुनने को काफ़ी नहीं समझा बल्कि यह इच्छा व्यक्त की कि उनके लिए एक दिन विशेष रूप से तय हो। आपने भी इस तड़प और भावना को ध्यान में रखा और उनकी मांग को तुरन्त मान लिया।

दीन की समझ प्राप्त करने के लिए अस्मा बिन्ते भाक्ल का न भारमाना

हज़रत आयशा फ़रमाती है कि अस्मा बिन्ते शक्ल ने हैज़ के ग़ुस्ल के बारे में पूछा। तो आपने उनसे कहा कि तुम पानी और कपडा लो। फिर सिर पर पानी डालो और सिर

को खूब अच्छी तरह रगड़ो यहां तक कि पानी बालों की जडों तक पहुंच जाये। फिर तुम अपने ऊपर पानी डालो। उसके बाद एक ख़ुशबूदार रूई का टुकड़ा लेकर उससे पवित्रता और सफ़ाई प्राप्त कर लो। फिर हज़रत आयशा ने चुपके से कहा कि तुम ख़ून का निशान देखकर उससे पवित्रता प्राप्त कर लो। इसी तरह अस्मा बिन्ते शक्ल ने आपसे ग़ुस्ल ए जनाबत के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया कि तुम पानी लो और उससे खूब अच्छी तरह सफ़ाई करो फिर सिर पर पानी ड़ालो और इस तरह रगड़ो कि पानी बाल की जड़ तक पहुंच जाये। इसके बाद तुम फिर पानी डाल लो, हज़रत आयशा ने फ़रमाया अन्सारी औरतें कितनी ही अच्छी हैं दीन का ज्ञान प्राप्त करने में शरमाती नहीं हैं। (मुस्लिम)

सबीअ बिन्ते हारिस का इस बात से अवगत होना कि यक़ीन तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाये।

सबीअः बिन हारिस कहती हैं कि वह सअद बिन खौलह की पत्नी थीं। सअद का सम्बन्ध बनी आमिर से था और वह बदरी (बद्र की लडाई में भाग लेने वाले) सहाबी थे। हज्जतुल विदा में उनकी मौत हुई तो सबीआ गर्भवती थी। सअद की मौत के तुरन्त बाद प्रसव हो गया, जब वह प्रसव स्राव (निफ़ास) से पवित्र हुई तो उन्होंने बनाव श्रृंगार किया ताकि निकाह का सन्देश आये उनके पास अबू सनाबिल आये और कहा मैं देख रहा हूं कि तुमने निकाह के लिए श्रृंगार कर रखा है क्या तुम निकाह करना चाहती हो अल्लाह की क़सम जब तक चार महीने दस दिन न बीत जायें उस समय में तुम निकाह नही कर सकती हो। सबीअ कहती हैं कि जब उन्होंने मुझसे यह कहा तो शाम के समय मैं कपड़े बदल कर नबी (सल्ल.) के पास गई और उनसे इस सिलसिले मैं सवाल किया आप (सल्ल) ने बताया कि मेरी इद्दत बच्चें के जन्म पर ही पूरी हो चुकी है और मुझे आदेश दिया कि अगर मैं चाहूं तो निकाह कर लूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं सबीआ की घटना से कई लाभदायक बातें मालूम होती हैं। सबीआ बहुत ही बुद्विमान थीं क्योंकि जब अबू सनाबिल ने एक मामले में अपना मत व्यक्त किया तो उनको इस हद तक जिज्ञासा हुई कि वह स्वयं ही नबी (सल्ल.) से इस प्रश्न का स्पष्टीकरण पूछ बैठी। अतः जिस व्यक्ति को किसी मुक्ति या अधिकारी (हाकिम) के इज्तेहाद में कोई सन्देह हो उसे तुरन्त उस मामले के बारे में नस्स (कुरआन व सुन्नत की बुनियादी शिक्षा) तलाश करनी चाहिए इससे एक और लाभदायक बात यह भी मालूम होती है कि औरत अपनी समस्याओं के बारे में सीधे प्रश्न कर सकती है। मामला चाहे ऐसा ही क्यों न हो जिसको पूछते हुए औरतें शरमाती हैं।

क़बील ख़स्अम की एक नवजवान लड़की का अपने पिता की तरफ़ से हज करने के आदेश को जानने की कोशिश करना

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी ने जिलहिज्ज की दसवीं तारीख़ को फ़ज़्ल बिन अब्बस को अपनी सवारी के पीछे बैठाया कबीला खस्अम की एक ख़ूबसुरत

औरत नबी के पास आकर पूछने लगीं उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल हज अल्लाह के बन्दों पर फ़र्ज़ है मेरे पिता बूढे हो गये हैं वह सवारी पर सीधे बैठ नहीं सकते। अगर मैं उनकी तरफ़ से हज करूं तो क्या उनकी तरफ़ से हज्ज अदा हो जायेगा। आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि 'हां'। (बुख़ारी, मुस्लिम)

औरत का पति के चुनाव के अधिकार पर जमे रहना

ख़न्सा बिन्ते ख़ुज़ाम का शिकायत करना कि उनकी पसन्द के विरूद्व उनका निकाह कर दिया गया। क़ासिम बयान करते हैं जाफ़र की एक बेटी को यह डर हुआ कि उसकी नापसन्दीदगी व्यक्त करने के बावजूद उसके अभिभावक उसका निकाह कर देंगे। तो उसने अन्सार के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों अब्दुर्रहमान और मुज्जमेअ जो कि जारियह के बेटे थे को बुला भेजा इन दोनों ने उससे कहा कि डरो नहीं ख़न्सा के पिता ने भी उनका निकाह उनके पसन्द न करने के बावजूद कर दिया था। तो नबी (सल्ल.) ने उस निकाह को समाप्त कर दिया था। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) की सिफ़ारिश के बाबजूद बुरैरह का अपने अधिकार पर जमे रहना

नबी (सल्ल.) की पत्नी हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि बुरैरह के सिलसिले में तीन आदेश थे। कि उनको स्वतंत्र कर दिया जाये। और उनको पति के सिलसिले में अधिकार दिया जाये ।

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि बुरैरह के पति दास थे जिनका नाम मुग़ीस था मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उन्हें बुरैरह के पीछे रोते हुए चक्कर लगाते और दाढ़ी को आंसुओं से भिगाते देख रहा हूं। नबी (सल्ल) ने अब्बास से कहा कि ऐ अब्बास क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि मुग़ीस बुरैरह से कितना प्यार करते हैं और बुरैरह मुग़ीस को कितना नापसन्द करती है नबी (सल्ल.) ने बुरैरह से कहा तुम वापसी क्यों नहीं कर लेतीं उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप मुझे आदेश दे रहे है। आप ने कहा कि मै तो केवल सिफारिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि तब मुझे उनकी कोई आवश्यक्ता नहीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि बुरैरह का यह कहना क्या आप मुझे आदेश दे रहे है? से यह बात निकाली जाती है कि वह इस बात से अवगत थीं कि नबी (सल्ल) के आदेश पर अमल करना ज़रूरी है। या यह बात एक परामर्श न हो जिस पर अमल नरमी के साथ अधिकारी व अमीर का सिफारिश करना कर्त्तव्य हो इससे यह बात भी मालूम होती है। कि प्रतिद्वन्दी के पक्ष में अत्यन्त नरमी के साथ अधिकारी व अमीर का सिफ़ारिश करना पसन्दीदा काम है। शर्त यह है कि इस सिफ़ारिश में किसी क़िस्म का नुक़सान या ज़बरदस्ती न हो। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी की सिफ़ारिश को मानने से मना कर

दे तो यह बात निन्दनीय नहीं है। और न इस पर क्रोध प्रकट किया जा सकता है चाहे सिफ़ारिश करने वाला कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो यहां पर बुरैरह का शिष्टाचार भी व्यक्त होता है कि उन्होंने साफ़ तौर पर नबी (सल्ल.) की सिफ़ारिश को रद्‌द नहीं किया बल्कि यह कहा कि मुझे मुग़ीस की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

औरत का सबसे अच्छे मर्द का चुनाव करना और स्वयं को उसके हवाले कर देना :

हज़रत सहल बिन सअद कहते हैं कि एक औरत नबी के पास आई और उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मैं ख़ुद को आपके हवाले करने आई हूं। जब उस औरत ने देखा कि आपने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया तो वह बैठ गई।

साबित बनानी कहते हैं कि मैं हज़रत अनस के पास था उनके पास उनकी बेटी भी थी । हज़रत अनस ने कहा कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई और उसने नबी के लिए अपने आप का प्रस्ताव किया उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपको मेरी आवश्यकता है? इस पर हज़रत अनस की बेटी ने कहा कि वह कितनी बेहया थी। हाय अफ़सोस, हाय अफ़सोस हज़रत अनस ने कहा कि वह तुमसे बेहतर थी उसको नबी (सल्ल.) के व्यक्तिव में दिलचस्पी हुई तो उसने अपने अपको नबी (सल्ल.) के लिए प्रस्तुत कर दिया।   इमाम बुख़ारी ने यह हदीस औरत का अपने आपको नेक मर्द के हवाले करने के अध्याय में बयान की है। फ़त्हुल बारी में लिखा है। कि यह इमाम बुख़ारी का अनोखापन है कि जब वह स्वयं को नबी (सल्ल.) की सेवा में प्रस्तुत करने वाली औरत वाली हदीस में एक विशेषता से अवगत हुए तो उन्होंने हदीस से एक ऐसी बात निकाली जिसका अधिक महत्व नहीं था। वह यह है कि अगर औरत को किसी नेक व्यक्ति से भलाई की आशाा हो तो वह स्वयं को उसके हवाले कर सकती है। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते है कि वाहिबा वाली हदीस से यह बात मालूम होती है कि अगर कोई औरत अपने से ऊँचे पद वाले व्यक्ति से निकाह चाहती है तो इसमे बुराई नहीं है। विशेषतरूप से जब कि उसके पीछे कोई भला उददेश्य हो। जिससे वह निकाह करना चाहती है उसके लिए उसके दिल में ऐसी इच्छा पैदा हो गई हो कि उसको दबाने के फलस्वरूप गुनाह में पड़ जाने की संभावना हो। इब्ने दक़ीक़ कहते है कि इस हदीस में इस बात की दलील है कि औरत स्वंय को ऐसे व्यक्ति से सामने प्रस्तुत कर सकती है जिससे उसको बरकतों की आशा हो

औरत का पति को छोड़ने के अधिकार पर जमे रहना

निम्नलिखित हदीस परिवार में औरत के स्थान का उल्लेख करते हुए बयान की जा चुकी है। मै इस हदीस को यहां पर दूसरी बार बयान कर रहा हूं। ताकि औरत के इस अधिकार पर अधिक ज़ोर दिया जा सके। जिसका बहुत से लोग इन्कार करते हैं। अर्थात

पति को छोड़ने का अधिकार। इसी के साथ साथ औरत के इस अधिकार का भी इन्कार किया जाता है जो उसे पति के चुनाव के सिलसिले में प्राप्त है। इन दोनों अधिकारों का विस्तृत विवरण इन्शा अल्लाह परिवारों से सम्बंधित बहस में आयेगी।

साबित बिन क़ैस की पत्नी ने जब उनको नापसन्द किया तो उन्हें छोड़ने के अधिकार पर अटल रही :

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि साबित बिन क़ैस की पत्नी नबी (सल्ल.) के पास आईं और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे साबित की दीनदारी और आचरण से कोई शिकायत नहीं; वास्तव में मुझे रिश्तेदारों की कृतघ्नता का डर है रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने काह कि कया तुम उनका बाग़ लौटाने के लिए तैयार हो, उन्होंने कहा कि हां। अतः उन्होंने बाग़ लौटा दिया। नबी (सल्ल.) ने साबित को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक़ दे दें। अतः उन्होंने तलाक़ दे दी। (बुख़ारी)

आतिकह बिन्ते ज़ैद का जमाअ़त के साथ नमाज़ के अधिकार पर अटल रहना

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की पत्नी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त के साथ पढ़ा करती थीं। उनसे कुछ लोगों ने कहा कि आप मस्जिद में नमाज़ के लिए क्यों जाती हैं जबकि आप जानती हैं कि उमर इसको नापसन्द करते हैं और उनके आत्म सम्मान को ठेस लगती हैं उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं क्यों नहीं रोकते। लोगों ने कहा कि नबी (सल्ल) की यह हदीस उन्हें आपको रोकने से मना करती है ''कि अल्लाह कि बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद में आने से न रोको''

(बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन मुअम्मर ने जुहरी के हवाले से नक़ल किया है हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी इस पत्नी को एक बार मस्जिद में डांटा था।

पैसा कमाने के लिए औरत का कुछ व्यवसाय अपनानाः

ज़ैनब बिन्ते जहश का स्वयं काम करना और सदक़ा करनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हममें सबसे अधिक सदक़ा और खुले हाथ वाली ज़ैनब थीं वह स्वयं काम करती और सदक़ा करती थीं। (मुस्लिम)

''हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) अपनी पत्नी ज़ैनब के पास आये। उस समय वह खाल को दबाग़त(चमड़ा पकाना और रंगना) दे रही थीं। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में लिखा है कि हाकिम ने मुस्तदरिक में एक हदीस बयान की है और कहा है कि यह मुस्लिम की शर्त के मुताबिक़ है। इसमें उल्लेख है कि ज़ैनब बिन्ते जहश स्वयं अपने हाथ से काम करती थीं वह दबाग़त देती थीं; खालों की सिलाई करती थी़ और अल्लह की राह में सदक़ा किया करती थी।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की पत्नी ज़ैनब कहती है कि मैं मस्जिद में थी, कि मैंने नबी (सल्ल.) को देखा वह कह रहे थे कि ऐ औरतों तुम लोग सदक़ा करो चाहे तुमको अपना ज़ेवर(गहना) ही क्यों न सदक़ा करना पड़े। हज़रत ज़ैनब अपने पति अब्दुल्लाह और अपने यहा पलने वाले यतीमों पर ख़र्च किया करती थीं। वह कहती हैं कि मैं नबी (सल्ल) के पास गई मैंने वहां दरवाज़े पर एक अन्सारी औरत को देखा। उनकी आवश्यकता भी वही थी। जो मेरी थी हमारे पास से बिलाल गुज़रे हमने उनसे कहा कि नबी (सल्ल.) से पूछिए कि अगर हम अपने पति और अपने पालन पोषण में रहने वाले यतीामों पर ख़र्च करते हैं तो क्या यह हमारी तरफ़ से स्वीकार हो जायेगा हज़रत बिलाल (रज़ि.) अन्दर गये और आप (सल्ल) से पूछा। आप (सल्ल) ने फ़रमाया 'हां' स्वीकार होगा' और उनको दुगना बदला मिलेगा एक रिश्तेदारी का और एक सदक़ा करने का।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मस्जिद में आम सभा की दावत पर औरतों का कहना ''हम हाज़िर हैं''

हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस कहती हैं कि लोगों में मस्जिद में एकत्र होने के लिए पुकारा गया तो मैं भी लोगों के साथ चल पड़ी। मैं औरतों की सबसे अगली क़तार में थी जो कि मर्दों के आखिरी क़तार के बाद थी । (बुख़ारी व मुस्लिम)

उम्मे कुलसूम बिन्ते अबी मुऐत का जवानी में ही अपने परिवार को छोड़कर हिजरत करना :

रसूलुल्लाह (सल्ल) के सहाबी, मरवान और मिस्वर बिन मख़रमह से रिवयात है कि कुछ मोमिन औरतें हिजरत करके आईं, उम्मे कुलसूम बिन्त अबी मुऐत भी नबी (सल्ल) की तरफ़ हिजरत करके आने वालों में से एक थीं, वह उस समय उम्र की जवानी में थीं। उनके घर वाले आपके (सल्ल) पास आये और उन्होंने उनको वापस करने की मांग की। लेकिन नबी (सल्ल) ने वापस नहीं किया (बुख़ारी)

उम्मे हराम का समुद्री रास्ते से जेहाद करने वालों के साथ भाहीद होने की इच्छा :

हज़रत अनस बिन मालिक कहते है कि जब नबी (सल्ल) कुबा जाते तो उम्मे हराम बिन्ते मल्हान के पास जाते, वह आपको खाना खिलाती थीं। उम्मे हराम ओबादा बिन

सामित की पत्नी थीं। एक दिन नबी (सल्ल) उनके पास गये। उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद आप सो गये, उसके बाद आप हंसते हुए उठे। वह कहती हैं कि मैंने आपसे हंसने की वजह पूछी। आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जो समुद्र के रास्ते अल्लाह के लिए जेहाद करेगें मुझे इस हालत में दिखाऐ गये। कि वह तख़्त पर राजाओं की तरह बैठे हुए थे। उम्मे हराम ने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वह मुझको भी उन लोगों में सम्मिलित फ़रमाये। आप (सल्ल.) ने उनके लिए दुआ कर दी, फिर आप (सल्ल.) अपना सिर रखकर सो गये, दोबारा फिर आप हंसते तुए उठे तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं। आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने जिहाद करते हुए प्रस्तुत किये गये। एक रिवायत में है कि मेरे सामने मेरी उम्मत की पहली फौज़ प्रस्तुत की गई जो क़ैसर के शहर पर हमला करेगी अल्लाह उन सबकी मग़फिरत फ़रमायेगा (क्षमा कर देगा) वह कहती है; मैंने कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे भी उन उन लोगों में सम्मिलित करे आपने फ़रमाया कि तुम तो पहले लोगों में पहले से हो। उम्मे हराम ने हज़रत मुआविया के युग में समुद्री जेहाद में भाग लिया। जेहाद से वापस आने के बाद वह अपनी सवारी से गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे हानी का एक दुश्मन फौजी को पनाह देना और आपत्ति करने वाले भाई की शिकायत करना :

हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब कहती हैं कि मैं मक्का विजय वाले वर्ष नबी (सल्ल) के पास गई, मैंने आपको सलाम किया। आपने फ़रमाया स्वागत है उम्मे हानी। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मेरे भाई अली बिन अबू तालिब कहते हैं कि वह उस व्यक्ति को कत्ल करेंगे जिसको मैंने शरण दी है, वह अमुक इब्ने हुबैरह है। आपने फ़रमाया ऐ उम्मे हानी तुमने जिसको शरण दी हैं हम भी उसको पनाह देते हैं। (बुख़ारी व मुसिलम)

हिन्द बिन्ते उत्बह का इस्लाम लाने के बाद नबी (सल्ल) की प्रशंसा करनाः

हज़रत आयशाः(रज़ि.) कहती हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बः आई और उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस ज़मीन पर जितने तम्बू वाले लोग हैं, उनमे आपके तम्बू वालों से अधिक किसी और का अपमान मुझे पसन्द नहीं था। लेकिन अब इस ज़मीन पर जितने भी तम्बू वाले लोग हैं उनमें आपके तम्बू वाले के अतिरिक्त किसी और का सम्मान मुझे पसन्द नहीं है। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस से हिन्द की अक़्ल की परिवक्वता का और अच्छी तरह बात करने की योग्यता का पता चलता है।

उम्मे ऐमन का नबी (सल्ल.) की मौत के कारण वह्य का सिलसिला टूटने पर दुखी होना :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) की मौत के बाद हज़रत अबू बक्र और उमर (रज़ि.) हज़रत उम्मे ऐमन के घर तशरीफ़ ले गये। आप लोगों को देखकर उम्मे ऐमन रो पड़ीं। इस पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि) ने कहा कि आप क्यों रो रही हैं अल्लाह के पास जो कुछ है वह उसके रसूल के लिए सबसे अच्छा है वह बोलीं कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे यह मालूम नहीं है कि अल्लाह के पास जो कुछ है वह उसके रसूल(सल्ल) के लिए सबसे अच्छा है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं कि आसमान से वही के आने का सिलसिला टूट गया है। इस तरह उन्होंने हज़रत अबू बक्र और उमर (रज़ि) को भी रूला दिया। और वह दोनों भी रोने लगे। (मुस्लिम)

ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर का हज़रत अबू बक्र से बात करना :

क़ैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र क़बीला अहमस की एक औरत के पास गये जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर था, हज़रत अबू बक्र ने देखा कि वह बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्यों नहीं बोल रही हैं। लोगों ने कहा कि इसने चुप रहकर हज करने की मन्नत मानी है हज़रत अबू बक्र ने कहा, उस औरत से बात करो क्योंकि चुप रहना वैध नहीं है यह तो अज्ञानता का कर्म है। उस समय औरत ने बात की। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं अबू बक्र ने जवाब दिया कि मैं मुहाजिर हूं। उसने पूछा, कौन से मुहाजिर? आपने जबाव दिया कि मेरा सम्बन्ध क़ुरैश से है। उसने पूछा कि क़ुरैश की किस शाखा से। आपने कहा कि तुम बहुत प्रश्न करने वाली हो, मैं अबू बक्र हूं। उन्होंने पूछा कि वह दीन जो अल्लाह ने अज्ञानता के बाद हमारे पास भेजा है, हम उस पर कब तक क़ायम रहेंगे? आपने जवाब दिया कि तुम लोग उस दीन पर उस समय तक क़ायम रहोगे, जब तक तुम्हारे इमाम सीधे रास्ते पर रहेंगे। उसने पूछा ये इमाम लोग क्या हैं, अबू बक्र (रज़ि) ने पूछा कि क्या तुम्हारी क़ौम में सरदार नहीं हैं, जो क़ौम के लोगों को आदेश देते हैं तो लोग उनका अनुसरण करते है। उसने कहा क्यों नहीं? अबू बक्र (रज़ि) ने कहा कि वही लोगों के इमाम है। (बुख़ारी)

हफ़्सा बिन्ते उमर (रज़ि.) का अब्दुल्लाह बिन उमर की ग़लती को चिन्हित करना :

हज़रत नाफ़ेअ कहते है कि मदीने की एक सड़क पर इब्ने उमर की इब्ने सय्याद से मुलाक़ात हो गई इब्ने उमर ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे इब्ने सय्याद नाराज़ हो गये और बुरी तरह भड़क उठे यहां तक कि सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई उसके बाद इब्ने उमर हज़रत हफ़्सा के पास गये, उन तक यह बात पहले ही पहुंच चुकी थीं, उन्होंने इब्ने उमर से कहा अल्लाह तुम्हारे ऊपर दया करे तुम इब्ने सय्याद से क्या चाहते थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया है कि दज्जाल एक ऐसी क्रोध वाली बात के कारण निकलेगा जिससे उसको क्रोध आ गया होगा।(मुस्लिम)

उम्मे याक़ूब का अब्दुल्लाह बिन मसऊद से वार्ता करनाः

अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने कहा कि अल्लाह की फटकार हो गोदने वाली और गोदवाने वाली पर, भौहें उखाड़ने वाली पर, सौंदर्य को बिगाड़ने वाली, और अल्लाह की रचना को बदलने वाली पर, बनू असद की एक महिला जिसका नाम उम्मे याक़ूब था और जो क़ुरआन पढ़ा करती थी उन तक यह बात पहुंची। वह अब्दुल्लाह बिन मसऊद के पास आई और कहा। मुझ तक यह बात पहुंची है कि आपने अमुक अमुक क़िस्म की औरतों पर फटकार भेजी है,उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों पर फटकार क्यों न भेजूं जिन पर अल्लाह के रसूल(सल्ल.) ने फटकार भेजी है और जिन पर क़ुरआन मजीद में भी फटकार भेजी गई है उम्मे याक़ूब ने कहा कि मैंने पूरा क़ुरआन न पढ़ा हैं मैंने उसमें वह बात नही पढ़ी जो आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने क़ुरआन(ठीक से) पढ़ा होता तो अवश्य उसमें वह बात पता चलती, तो क्या आपने क़ुरआन में यह नहीं पढ़ा ''रसूल तुम्हें जो कुछ दें उसे ले लो ओर जिस चीज़ से वह तुम्हे रोके उससे रूक जाओ। उम्मे याक़ूब ने कहा क्यों नहीं? उन्होंने कहा नबी (सल्ल.) ने इस काम से मना किया है उम्मे याक़ूब ने कहा, लेकिन मैं आपकी पत्नी को ऐसा करते हुए देखती हूं। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर जायें और देख आयें अतः वह इब्ने मस्ऊद के घर गई और उन्होंने देखा। लेकिन जो चीज़ वह देखने गईं थी वह दिखाई नहीं दी इब्ने ममऊद ने कहा कि यदि मेरी पत्नी ऐसा करती तो मैं उसके साथ न रहता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने हजर कहते हैं कि कहा जाता है कि उम्मे याक़ूब ने वास्तव में इब्ने मसऊद की पत्नी को वैसा करते हुए देखा था, लेकिन इब्ने मसऊद ने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोक दिया था अतः वह इससे रूक गई थीं। जब उम्मे याक़ूब उनके पास गईं तो उन्होंने जो पहले देखा था उन्हे वह दिखाई नहीं दिया। इब्ने हजर कहते हैं कि उम्मे याक़ूब का इब्ने हजर से बहस करना इस बात पर दलील है कि उम्मे याक़ूब को क़ुरआन की गहरी समझ प्राप्त थी।

उम्मे दरदा का अब्दुल मलिक बिन मरवान के रवैये की निन्दा करना

ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने पास से कुछ सामान उम्मे दरदा के पास भिजवाया एक रात अब्दुल मलिक बिन मरवान उठा और उसने अपने सेवक को पुकारा। सेवक ने आने में थोड़ी देर कर दी तो अब्दुल मालिक ने उसे बुरा भला कहा, जब सुबह हुई तो उम्मे दरदा ने कहा, मैंने रात में देखा कि जब तुमने सेवक को बुलाया उस समय तुमने उसको बुरा भला कहा था मैंने अबू दरदा को कहते हुए सुना है कि नबी (सल्ल) का निर्देश है कि क़यामत के दिन बुरा भला कहने वाले, किसी के पक्ष में सिफ़ारिश करने वाले या गवाह न बन सकेंगे। (मुस्लिम)

इसके अतिरिक्त और बहुत सी मिसालें हैं जिनसे मुस्लिम महिला के व्यक्तित्व की महानता और अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को ठीक से समझने की योग्यता का ज्ञान होता है, ये मिसालें इस किताब में जगह–जगह फैली हुई हैं, उनमें से कुछ मिसालें निम्नवत् हैंः

- हुदैबिया के दिन हज़रत उम्मे सलमा का नबीं (सल्ल) को परामर्श देना
- जब ख़ौला बिन्ते सआलिबा के पति ने उनसे ज़िहार (पति का पत्नी से कह देना कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ की तरह है) किया था उस समय उनका नबी (सल्ल) से बहस करना
- जिस दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने नाव वालों की हिजरत के महत्व को कम बताया था उस दिन अस्मा बिन्ते उमैस का उनसे बहस करना।
- हज़रत अस्मा का हज़रत उमर से उस दिन बहस करना जिस दिन उन्होंने पवित्र पत्नियों (मोमिनों की माओं पर) नबी (सल्ल) से बहस करने के सिलसिलें में निन्दा की थी।
- चन्द्र ग्रहण की नमाज़ में हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र की बहुत सी महिलाओं के साथ सम्मिलित होना यहां तक कि वह मूर्छित हो गयीं।
- अपने बेटे की मौत की सूचना अपने पति को देने में उम्मे सुलैम की हिम्मत और उनकी नरमी। जिहाद में सम्मिलित होने के ख़तरों के मुक़ाबले के लिए उम्मे सुलैम की तैयारी।
- अपने पिता की मौत के बाद हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (रज़ि.) का ख़िलाफ़त के मामले में दिलचस्पी लेना।
- अस्मा बिन्ते अबू बक्र का हज्जाज के कठोर रवैया और अत्याचार का मुकाबला करना।
- हज़रत आयशा (रज़ि.) का सहाबा की ग़लतियों को पकड़ लेना।
- हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस का उन लोगों की पकड़ करना जो इस बात के समर्थक थे कि वह औरत जिसे तीन बार तलाक़ दी गई हो उसको इद्दत के दौरान पति के घर में रहना आवश्यक है।

अध्याय–4

कुरआन करीम में पिछले नबियों युगों की कुछ महान महिला व्यक्तित्व का उल्लेख हुआ है। इसी तरह नबी (सल्ल) की हदीसों में भी हज़रत इब्राहीम (अलै) के युग की दो महान महिला व्यक्तित्व के उल्लेख के साथ–साथ, बहुत सी नेक सहाबिया औरतों का उल्लेख हुआ हैं। मैं समझता हूं कि यहां उन नेक और महान महिलाओं का उल्लेख करने से उस मुसलमान महिला के व्यक्तित्व की रूपरेखा और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, जिसको इस्लाम ने आज़ाद किया और जिसके स्थान को ऊंचा उठाया। यहां तक कि बहुत सी महिलाएं पूर्णता की ऊंची चोटियों पर पहुंच गईं।

हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलै. की पत्नी :

उनकी अद्वितीय सुन्दरता, हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल) ने फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने हज़रत सारा के साथ हिजरत की, आप उनके साथ एक गांव में गये, जहां एक राजा रहा करता था या आपने फ़रमाया एक अत्याचारी व्यक्ति रहा करता था। उससे कहा गया कि इब्राहीम एक सबसे सुन्दर औरत के साथ आये हुए है अतः राजा ने उनको बुलाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कठिनाई के समय उनका धैर्य : (पिछली हदीस का पूरक)

राजा ने उनको बुलाया और कहा कि ऐ इब्राहीम तुम्हारे पास ये कौन है। उन्होंने कहा यह मेरी बहन है। फिर इब्राहीम सारा के पास आये और कहा कि तुम मेरी बात न झुठलाना मैंने उनको बताया है कि तुम मेरी बहन हो। अल्लाह की क़सम इस ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ईमान वाला नहीं है। फिर राजा ने सारा को बुलाया।

उनका अल्लाह की तरफ़ लौटनाः (हदीस का पूरक)

फिर राजा ने हज़रत सारा को बुलाया, फिर वह उनकी तरफ़ बढ़ा तो वह वुज़ू करने लगीं और नमाज़ पढ़ने लगीं, और उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह अगर मैं तुम पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और मैंने अपने पति के अतिरिक्त प्रत्येक से अपने गुप्तांग की रक्षा की है तो तू मुझको इस काफ़िर के क़ब्ज़े से बचा। तो राजा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इस पर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह अगर ये मर जाता है तो यह कहा जायेगा की इस औरत ने इसका क़त्ल किया है। अतः राजा ने दूसरी या तीसरी बार में अपने सेवकों को पुकारां उसने कहा कि अल्लाह की क़सम तुमने मेरे पास एक शैतान भेजा था इसको इब्राहीम के पास ले जाओं और उसे हाजिरा दे दो। हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम के पास

आ गईं और कहा कि आपने देखा कि अल्लाह ने काफ़िर को अपमानित कर दिया और अपनी एक बन्दी की मदद की।   (बुख़ारी व मुस्लिम)

मेहमानों के स्वागत और फ़रिश्ते से ख़ुशख़बरी सुनने में उनकी भागीदारी :

अल्लाह तआला फ़रमाता है और देखो इब्राहीम के पास हमारे फ़रिश्ते शुभ सूचना लिए हुए पहुंचे। कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहीम (अलै.) ने उत्तर दिया कि तुम पर भी सलाम हो फिर कुछ देर न लगी कि इब्राहीम एक भुना बछड़ा ले आया, मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वह उनके बारे में संशय में पड़ गया और दिल में उनसे भय महसूस करने लगा। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो हज़रत लूत की क़ौम की तरफ़ भेजे गये हैं इब्राहीम (अलै.) की पत्नी भी खड़ी थीं वह यह सुनकर हंस दीं। फिर हमने उनको इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की शुभ सूचना दी। वह बोली हाथ मेरी कमबख़्ती क्या अब मेरे यहां सन्तान होगी। जबकि मैं बुढ़िया हो गई, मेरे पति भी बूढ़े हो चुके, यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। फ़रिश्तें ने कहा, अल्लाह के आदेश पर हैरत करती हो इब्राहीम के घर वालो, तुम लोगों के ऊपर तो अल्लाह की कृपा और उसकी बरकतें हैं और वह निश्चय ही प्रशंसनीय और गौरव वाला है''   (सूरह हूदः 69:73)

हाजिरा हज़रत इस्माईल (अलै.) की माँः

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) फ़रमाते हैं कि औरतों मे सबसे पहले हज़रत हाजिरा ने कमर पट्टा में बांधा। उनका उद्देश्य यह था कि सारा उनका पता न लगा पायें, फिर इब्राहीम हज़रत हाजिरा और उनके दुधमुहें बेटे इस्माईल को लेकर अल्लाह के घर के पास आये और उनको वहां ज़मज़म के ऊपरी हिस्से पर एक पेड़ के पास छोड़ दिया। यह मस्जिद का ऊपरी हिस्सा था। उस समय वहां कोई व्यक्ति नहीं था और न ही वहां पानी था। ऐसी जगह हज़रत इब्राहीम ने उन दोनों को छोड़ दिया और उनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मिश्कीज़ा रहने दिया। फिर इब्राहीम पलटकर जाने लगे इस्माईल की माँ उनके पीछे–पीछे आई और उन्होंने कहा, ऐ इब्राहीम आप हमें इस घाटी में जहां न कोई हमदर्द है और न ही कुछ और है, छोड़कर कहां जा रहे हैं। उन्होंने इब्राहीम से बार–बार यही सवाल किया। लेकिन इब्राहीम (अलै.) उनकी तरफ़ ध्यान नहीं दे रहे थे। अतः उन्होंने हज़रत इब्राहीम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया है। इब्राहीम ने जबाब दिया कि हां। उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें नष्ट नहीं करेगा। इसके बाद वह वापस हो गईं, एक रिवायत में है ''ऐ इब्राहीम आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं। इस पर हाजिरा ने जवाब दिया कि मै अल्लाह से सन्तुष्ट हूं। (बुख़ारी)

''इब्राहीम चल पड़े, यहां तक कि जब वह 'सनीया' के पास पहुंचे तो उनकी बीवी और बच्चा उनको देख नहीं सकते थे तो उन्होंने अल्लाह के घर काबा की तरफ़ चेहरा

किया अैर ये दुआएं की ''परवर दिगार मैंने एक बंजर घाटी में अपनी संतान के एक हिस्से को तेरे आदरणीय घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहां नमाज़ की स्थापना करें अतः तू लोगों के दिलों में इनका प्यार बैठा दे, और इनको खाने के लिए फल दे शायद कि तेरा आभार व्यक्त करने वाले बनें'' इस्माईल की माँ उनको दूध पिलाती रहीं और इब्राहीम(अलै.) के छोड़े हुए मिश्कीज़े से पानी पीती रहीं यहां तक कि जब पानी समाप्त हो गया तो उनको और उनके बेटे दोनों को प्यास लगने लगी, उन्होंने देखा कि उनका बेटा सख़्त प्यास की वजह से लाट पोट रहा हैं तो वह वहां से चल पड़ी क्योंकि वह इस हालत में अपने बेटे को देखना नहीं चाह रही थीं। उनको ज़मीन पर सबसे क़रीब –सफ़ा' पहाड़ नज़र आया वह उस पर खड़ी हो गई और घाटी की तरफ़ चेहरा करके देखने लगीं, कि कोई व्यक्ति दिखाई दे जाये। लेकिन उनको कोई भी दिखाई न दिया तो वह सफ़ा से उतर आईं और जब घाटी में पहुंचीं तो उन्होंने एक तरफ़ से अपनी क़मीस थोड़ी सी उठा ली और परेशान हाल व्यक्ति की तरह दौड़ने लगीं, तो वह घाटी पार करके मरवा(पहाड़) के पास पहुंचीं और उस पर खड़ी होकर देखने लगीं के कोई व्यक्ति दिख जाये। लेकिन उन्हे कोई भी दिखाई नहीं दिया, उन्होंने सात बार इसी तरह किया। हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि लोग इसीलिए सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ते हैं।

जब हाजिरा मरवा पर पहुंचीं तो उनको एक अवाज़ सुनाई दी उन्होंने स्वयं से कहा कि चुप रहो, फिर उन्होंने कान लगा कर सुना तो फिर उनको कौए की आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने कहा कि मैंने आवाज़ सुन ली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई मदद है? फिर अचानक उनके सामने ज़मज़म की जगह पर एक फ़रिश्ता प्रकट हुआ और उसने अपनी एड़ी रगड़ी (यहां तक कि वहां पानी निकल आया। हाजिरा पानी एकत्र करने लगीं और मिश्कीज़ा में पानी भरने लगी मिश्कीज़ा भरने के बाद भी पानी उबलता रहा। इब्ने अब्बास कहते है कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह इस्माईल की माँ पर दया करे अगर उन्होंने ज़मज़म से पानी न भरा होता तो ज़मज़म एक स्रोत होता। नबी (सल्ल.) कहते हैं कि हज़रत हाजिरा ने पानी पीया। अपने बेटे को पिलाया, फरिश्ते ने उनसे कहा, कि आप लोग नष्ट होने का डर न रखें क्योंकि यह अल्लाह का घर है जिसको ये बच्चा और उसके पिता मिलकर बनायेंगे अल्लाह तआला अपने लोगों को नष्ट नहीं करता।

अल्लाह का घर ज़मीन से ऊँचा था, मानो वह टीला हो वहां बाढ़ का पानी आता और दायें–बायें तरफ़ चला जाता, हाजिरा इसी तरह जीवन गुज़ार रहीं थी कि उनके पास से क़बीला जुरहम के कुछ लोग गुज़रे जो 'बदाअ' से आ रहे थे, इन लोगों ने मक्का के निचले भाग में पड़ाव डाला और अपने ऊपर एक चिड़िया को मंड़राते देखा तो कहा कि ये चिड़िया पानी के ऊपर चक्कर लगा रही है हालांकि हमारा इस घाटी के बारे में अनुभव यह है कि यहां पानी नहीं है उन्होंने एक या दो तेज चलने वाले व्यक्ति को भेजा तो उनको पानी दिखाई दिया, वह दोनों लौट कर अपने लोगों के पास आये और उनको पानी की

मौजूदगी की ख़बर दी तो वह सब पानी की तरफ़ चले आयें, नबी (सल्ल) फ़रमाते हैं कि उस समय हज़रत इस्माईल की माँ पानी के पास थीं, इन लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें अपने पास पड़ाव डालने की अनुमति देंगी। उन्होंने कहा कि हां लेकिन पानी पर तुम्हारा कोई अधिकार न होगा, इन लोगों ने उत्तर दिया कि ठीक है। इब्ने अब्बास कहते है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि इस्माईल की माँ लोगों से लगाव रखने वाली थीं इसलिए उनको यह अच्छा लगा। अतः क़बीला ज़ुरहम के लोगों ने वहां पड़ाव डाल दिया और अपने घर वालो को बुला भेजा। उन्होंने भी वहीं आकर पड़ाव डाल दिया वहां बहुत सारे घर हो गयें हाजिरा का बेटा भी जवान हो गया उन्होंने अरबी ज़ुबान सीख ली, और उसमें बड़ी महारत पैदा कर ली तो क़बीला ज़ुरहम के लोग उनको पसन्द करने लगे अतः उन्होंने अपने क़बीले की एक महिला से उनकी शादी करा दी। (बुख़ारी)

हज़रत ख़दीजा बिन्ते खुवैलिदः

हज़रत अली बिन अबू तालिब कहते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि सबसे अच्छी माहिला मरयम बिन्ते इमरान हैं, और सबसे अच्छी महिला ख़दीजा है।

(बुख़ारी व मुसिलम)

मोमिनों की माँ हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल) पर सबसे पहले 'वह्य' (अल्लाह का सन्देश) का प्रारम्भ हुआ तो उसका तरीक़ा यह था कि आपको नीद में सच्चे सपने दिखाये जाते। आप जो भी सपने देखते उसका मतलब सुबह की रोशनी की तरह सामने आ जाता, फिर आपको एकान्तवास अच्छा लगने लगा। आप(सल्ल)हिरा की की गुफा में जाते ओर कइ–कई रातें वहीं इबादत करते रहते। इस अवधि के लिए आप (सल्ल.) खाने का सामान ले जाते। फिर आप लौट कर हज़रत खदीज़ा (रज़ि.) के पास आते। वह फिर उतने ही दिनों के लिए खाने का सामान तैयार करके दे देतीं। यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि हिरा की गुफा में आपके पास सच्चाई आ गई।

(पिछली) हदीस का पूरक) आपके पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि पढ़ो आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि मै पढ़ना नहीं जानता, आप ु फ़रमाते हें कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और भींचा यहां तक कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ। फिर मुझे उसने छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो! मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता उसने मुझे पकड़ा और दूसरी बार भींचा यहां तक कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो! मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, उसने मुझे तीसरी बार पकड़ कर भींचा और छोड़ दिया और कहा इक़रा बिस्मे रब्बिक (पढ़ो अपने पालनहार के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यन्त दयावान है। पैदा किया इन्सान को जमे हुए ख़ून के एक लोथड़े से। पढ़ो, कि तुम्हारा पालनहर बड़ा ही उदार है) नबी (सल्ल.) इन आयतों को लेकर वापस हुए। उस समय आपका दिल कांप रहा था आप हज़रत ख़दीजा के पास गये और कहा कि मुझे चादर ओढ़ाओ मुझे चारद ओढ़ाओ। उन्होंने आपको चादर ओड़ा दी तो अपका भय निकल गया। आपने हज़रत ख़दीजा से पूरी घटना बयान की और कहा कि मुझे अपनी जान का डर है

हज़रत ख़दीजा बोलीं कि कदापि नहीं अल्लाह आपको नष्ट नहीं करेगा। आप रिश्तेदारियों को निभाते है लोगों के बोझ उठाते हैं। ग़रीबों के लिए कमाते है। अतिथि का सत्कार करते हैं और परेशानी में लोगों की मदद करते हैं।

हज़रत ख़दीजा अपको लेकर अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफ़ल बिन असद बिन उज़्ज़ा के पास गईं वरक़ा बिन नौफ़ल ने अज्ञानता काल में ईसाई हो गये थे वह इबरानी किताब लिखा करते थे वह इबरानी इन्जील से भी लिखा करते थे वह बूढे और अंधे थे हज़रत ख़दीजा ने उनसे कहा कि ऐ भाई देखो कि तुम्हारा भतीजा क्या कह रहा है। वरक़ा बिन नौफ़ल ने आपसे कहा कि ऐ भतीजे तुझे क्या हुआ? नबी (सल्ल.) के साथ जो घटना घटित हुई थी वह आपने बयान कर दी वरक़ा ने आपसे कहा कि यह वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा के पास आया था काश! मै उस समय नौजवान और ज़िन्दा होता जब तुम्हारी क़ौम तुमको निकालेगी। नबी (सल्ल) ने पूछा कि क्या मेरी क़ौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने कहा कि हां जो चीज़ तुम लेकर आये हो वह जो व्यक्ति भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई अगर मैं उस दिन मौजूद रहा तो तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। (बुख़ारी)

मुस्नद अहमद में एक रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ख़दीजा मुझ पर उस वक़्त ईमान लाईं जब लोगों ने मेरे साथ इन्कार (कुफ़्र) का रवैया अपनाया। उन्होंने उस समय मुझे सच माना, जब सब लोगों ने मुझे झुठलाया। और उन्होंने उस वक़्त अपने माल से मेरी मदद की जिस समय लोगों ने मुझे छोड़ दिया था।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि कभी–कभी मै नबी (सल्ल) से कहती थी कि ऐसा लगता है कि दुनिया में ख़दीजा के अलावा कोई औरत है ही नहीं, तो आप फ़रमाते कि, हां ख़दीजा ऐसी ही थीं, उनसे मेरी सन्तान भी थी।

'मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है ''मुझे अल्लाह तआला ने उनसे सन्तान दी जब कि मैं दूसरी पत्नियों से सन्तान से वंचित रहा।'

''हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि मुझे ख़दीजा का प्यार दिया गया''

''हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(सल्ल) ने हज़रत ख़दीजा की मौत तक किसी से निकाह नहीं किया'' (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मुझे नबी (सल्ल.) की पत्नियों में जितनी स्पर्धा हज़रत ख़दीजा से थी इतनी स्पर्धा किसी से

नहीं थी हालांकि मैंने उनको देखा भी नहीं हैं आप (सल्ल.) अधिकतर उनका नाम लिया करते थे। कभी–कभी आप बकरी को ज़बह करते, फिर उसके टुकड़े करते, फिर उसे हज़रत ख़दीजा की सहेलियों के पास भिजवाते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की बहन हाला बिन्त खुवैलद ने नबी करीम(सल्ल.) के पास आने की अनुमति मांगी। आप (सल्ल.) ने समझा कि ख़दीजा इजाज़त मांग रही है। तो आप घबरा गये, आपने कहा कि अच्छा? हाला हैं? हज़रत

आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने आप (सल्ल) से कहा कि कुरैश की एक बुढ़िया को जिसके जबड़े लाल थे जो कबकी मर चुकी हैं क्यों याद करते हैं? हालांकि अल्लाह ने आपको उसका अच्छा विकल्प दे दिया है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि अल्लाह ने मुझे अच्छा विकल्प नहीं दिया है।

हज़रत अबू हुरैरा फ़रमाते हैं कि जिब्रील (अलै.) नबी (सल्ल) के पास आये और कहा "ऐ अल्लाह के रसूल ख़दीजा आयी हैं। उनके पास एक बरतन हे जिसमें सालन (उन्होंने कहा कि खाना या यह कहा कि पानी) है, जब वह आपके पास आयें तो उनको उनके पालनहार(रब) का और मेरा सलाम कहिए और उनको जन्नत में मोतियों के एक घर की शुभ सूचना दीजिए उसमें न कोई शोर होगा ओर न कोई थकान।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा ज़हराः

नबी (सल्ल.) अल्लाह के घर काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। वहीं कुछ कुरैश अपनी सभाओं में बैठे हुए थे उनमें से एक ने कहा 'क्या तुम लोग इस दिखावा करने वाले को देख रहे हो? तुम में से कौन हे जो अमुक क़बीले में जाकर वहां पड़ी ओझड़ी में से गोबर ख़ून और अंतड़िया निकाल लाये और जब ये सजदे में जाये तो उनके कन्धे पर डाल दे। उन लोगों में सबसे अधिक अभागा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ ओर नबी (सल्ल) के सजदे में जाने के बाद सारी गन्दगी डाल दी। नबी (सल्ल) के सजदे की हालत ही में रह गये। वह लोग हंसने लगे और हंसते–हंसते एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हज़रत जुवैरिया ने हज़रत फ़ातिमा को सूचना दी, हज़रत फतिमा दौड़ी हुई आईं उस वक़्त भी आप सजदे ही में थे उन्होंने आपके कन्धो से वह गन्दगी हटाई और कुरैश के लोगों को बुरा भला कहने लगीं। (बुख़ारी मुस्लिम)

हज़रत सहल (रज़ि.) से उहद के दिन नबी (सल्ल.) को लगने वाले ज़ख़्म के बारे में पूछा गया, उन्होंने बताया कि आपका चेहरा ज़ख्मी हो गया था आपके सामने के दो दांत शहीद हो गये थे, और आपके सिर पर ख़ूद टूट गई थी। हज़रत फ़ातिमा ख़ून को धोती थी और हज़रत अली (रज़ि.) उसे रोक रहे थे जब उन्होंने देखा कि ख़ून बहता ही जा रहा है तो उन्होंने एक चटाई जलाई और उसकी राख को ज़ख़्म पर लगाया, इस तरह ख़ून रूक गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अली बिन अबी तालिब कहते हैं जब मैंने फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (सल्ल) से निकाह का इरादा किया तो मैंने बनी क़ैनकाअ़ के एक सुनार से वादा लिया कि वह मेरे साथ सफ़र करे ताकि हम अज़ख़र (एक क़िस्म की क़ीमती घास) लेकर आयें, मेरा इरादा यह था कि मैं उसे सुनारों को बेच दूँगा, और फिर उसके माध्यम से अपना वलीमा करूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि चक्की चलाने के कारण फ़ातिमा के हाथ में जो छाले पड़ गये थे उसकी शिकायत करने के लिए वह नबी (सल्ल.) के पास आई, क्योंकि उनको यह बात मालूम हुई थी कि आपके पास कुछ दास आये हैं लेकिन उनकी मुलाक़ात नबी (सल्ल) से नहीं हो सकी। उन्होंने हज़रत आयशा से इसका बयान किया। जब नबी (सल्ल.) आये तो हज़रत आयशा (रज़ि.) ने यह बात आपको बताई हज़रत अली कहते हैं कि नबी (सल्ल.) हमारे पास आये उस समय हम अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। हम बिस्तर से उठने लगे तो आपने फ़रमाया कि अपनी जगहों पर रहो आप आये और मेरे और फ़ातिमा के बीच बैठ गये यहां तक कि मुझे नबी (सल्ल.) के पैरों की ठ़ण्डक अपने पेट पर महसूस हुई आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि तुम दोनों ने जिस चीज़ की मांग की है क्या मैं तुम दोनों को उससे भी अच्छी चीज़ न बताऊँ जब तुम दोनों अपने बिस्तर पर लेटो तो तैतीस बार सुब्हानल्लाह, तैतीस बार अहम्दुलिल्लाह और चौंतीस बार अल्लाहु अक्बर पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए एक सेवक से बेहतर है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि हज़रत अली.(रज़ि.) ने फ़रमाया फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह मेरे निकाह में थीं वह चक्की चलाती थी जिसके कारण उनके हाथ पर निशान पड़ गये थे वह मिश्कीज़े में पानी भरती थी जिसकी वजह से उनके गरदन पर निशान पड़ गया था, वह झाड़ू देती थीं जिसकी वजह से उनके कपड़े गन्दे हो जाते थे। अबू दाऊद ही की एक रिवायत में है कि वह रोटी बनाती थी जिसकी वजह से उनका चेहरा बदल गया था।

मिस्वर बिन मख़रमह कहते हैं कि हज़रत अली(रज़ि.) ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम भेजा, हज़रत फ़ातिमा को इसका पता चल गया। वह नबी (सल्ल.) के पास आईं और कहा आपकी क़ौम के लोग कहते हैं कि आप अपनी बेटियों के लिए नाराज़ नहीं हुआ करते, ये देखिये अली अबू जहल की बेटी से निकाह करने जा रहे हैं। नबी (सल्ल) खड़े हो गये। मैंने नबी (सल्ल.) को हम्द व सना के बाद कहते सुना, मैंने अबुल आस बिन रूबह से अपनी एक बेटी की शादी की तो उसने मुझसे बातचीत की और सच बोला, फतिमा मेरा एक हिस्सा हैं, मैं पसन्द नही करता कि कोई उनको कष्ट पहुंचाये। एक रिवायत में है कि मुझे डर है कि वह दीन के सिलसिले में परीक्षा में न पड़ जाये। मैं किसी हलाल को हराम नहीं करता और न ही किसी हराम को हलाल करता हूं लेकिन अल्लाह की क़सम अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में एकत्र नहीं हो सकतीं। हज़रत अली ख़ुत्बा छोड़कर चले गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि एक दिन सुबह को नबी (सल्ल.) काले बालों की नक़्शा व निगार की हुई चादर ओढ़कर निकले। आपके पास हसन बिन अली आ गये आपने उनको भी चादर में छिपा लिया और फ़रमाया, ऐ मेरे घर वालो(अहले बैत) अल्लाह तुम लोगों से अपवित्रता को दूर करना चाहता है और तुम लोगों को पवित्र करना चाहता है। (मुस्लिम)

मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि एक बार हम सब पत्नियां नबी (सल्ल.) के पास थीं हममें से कोई भी अलग नहीं थी। इतने में फ़ातिमा भी आ गईं नबी (सल्ल.) ने उनका स्वागत किया और कहा कि स्वागत है मेरी बेटी! फिर आपने उनको अपने दायें या बायीं तरफ़ बिठाया और उनसे चुपके से कोई बात कही तो वह बहुत अधिक रोने लगीं। जब आपने उनको दुखी देखा तो दूसरी बार फिर चुपके से कोई बात कही तो वे हंसने लगीं। तमाम पत्नियों मे से मैंने उनसे कहा कि नबी (सल्ल) ने हम सबके बीच तुमको चुपके से बात कहने के लिए चुना, फिर भी तुम रो रही हो नबी (सल्ल.) उठकर चले गये तो मैंने फतिमा से पूछा कि नबी (सल्ल.) ने तुमसे क्या चुपके से कहा था उन्होंने कहा कि मैं नबी (सल्ल.) के भेद को खोल नही सकती। जब आप (सल्ल.) की मौत हो गई तो मैंने फ़ातिमा (रज़ि.) से कहा कि मैं तुम्हे अपने उस अधिकार का हवाला देकर था पूछती हूं जो तुम पर है कि तुमसे नबी (सल्ल) ने क्या चुपके से कहा तो उन्होंने कहा था कि हां अब मैं बता सकती हूं अतः उन्होंने बताया कि जब नबी (सल्ल.) ने पहली बार चुपके से बात की तो मुझे बताया कि जिब्रील मुझे हर साल एक बार क़ुरआन सुनते और सुनाते थे लेकिन इस बर्ष उन्होंने दो बार क़ुरआन सुनाया और सुना। मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक़्त क़रीब आ गया है अतः तुम अल्लाह का डर अपनाओ और सब्र करो। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन पूर्वज (सलफ़) हूं। यह सुनकर मैं रो पड़ी, जैसा कि आपने देखा था। जब आपने मुझे दुःखी देखा तो मुझसे फिर चुपके से कहा कि ऐ फ़ातिमा क्या तुम इस बात से ख़ुश नहीं हो, तुम्हे तमाम मुसलमानों की बीवियों या आपने फ़रमाया कि इस उम्मत की औरतों का सरदार बना दिया जाये। (एक रिवायत में है कि वह यह सुनकर हंस पड़ीं।
(बुख़ारी व मुस्लिम)

(अबू दाऊद तिर्मिज़ी और नसई की एक रिवायत में है)..................... जब फ़ातिमा नबी (सल्ल.) पास आतीं तो आप उनके लिए खड़े हो जाते, उनको (पेशानी पर) चूमते, और उनको अपनी जगह बिठाते, जब नबी (सल्ल.) बीमार हुए तो फ़ातिमा आपके पास गईं और आपको चूमने लगीं।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक बार नबी (सल्ल) दोपहर में निकले। न आप मुझसे बात कर रहे थे और न ही मै आपसे बात कर रहा था। यहां तक कि आप बनी कैनक़ाअ़ के बाज़ार तक पहुंच गये, फिर मैं हज़रत फ़ातिमा के घर के आंगन में बैठ गया। नबी (सल्ल.) ने पूछा क्या यहां कोई बच्चा है? हज़रत फ़ातिमा ने बच्चे को थोड़ी देर रोक लिया मैंने महसूस किया कि वह उसे हार पहना रही हैं या उसको नहला रही हैं फिर बच्चा तेज़ी से चलता हुआ आया तो नबी (सल्ल) ने उसे गले लगा लिया और चूम लिया और कहा ऐ अल्लाह तू इससे प्यार कर और जो उससे प्यार करे उससे प्यार कर!
(बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना कि हसन और हुसैन दुनिया की ख़ुशबू (सुगंध) हैं। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं फ़ातिमा चलती हुई आईं उनकी चाल बिल्कुल नबी (सल्ल.) की चाल की तरह थी।(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हसन बिन अली से अधिक कोई भी नबी (सल्ल.) से शक्ल में मिलता जुलता नहीं था। (बुख़ारी)

अबू दाऊद तिर्मिजी और नसई की एक रिवायत है......मैंने चाल ढाल की गंभीरता में, उठने बैठने में, फ़ातिमा से अधिक किसी को नबी (सल्ल.) से मिलता–जुलता नहीं पाया।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि 'क्या तुम यह नहीं चाहती हो कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार बनो। (बुख़ारी)

मोमिनो की माँ हज़रत आयशा (रज़ि.)

हज़रत अमर बिन आस फ़रमाते हैं कि उन्होंने नबी (सल्ल) से पूछा कि लोगों में आपको सबसे अधिक कौन प्यारा है, आपने जबाब दिया आयशा। मैंने पूछा कि मर्दों में। आपने जवाब दिया। दिया उनके पिता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) की पत्नी हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि मैंने अपनी चेतना की स्थिति में अपने बाप को इस्लाम की पैरवी करने वाला पाया। हमारे पास नबी (सल्ल.) प्रतिदिन सुबह और शाम आया करते थे जब मुसलमानों को कष्ट पहुंचाये गये तो अबू बक्र (रज़ि.) हब्शा की तरफ़ हिजरत के विचार से निकले, अभी वह 'बर्कुल ग़ुमाद' ही तक पहुंचे थे कि उनकी मुलाक़ात इब्ने दुग़न्ना से हो गई जो कि क़बीला 'कारह' के सरदार थें उन्होंने पूछा कि अबू बक्र कहां जा रहे हो? अबू बक्र ने जवाब दिया कि मेरी क़ौम ने मुझे निकाल दिया है मैं चाहता हूं कि मैं ज़मीन पर घूमूं–फिरू और अपने पालनहार की इबादत करूं। इब्ने दुग़न्ना ने कहा कि ऐ अबू बक्र! आप जैसे लोग न ही निकलते हैं और न ही निकाले जाते हैं आप कमज़ोरों और ग़रीबो के लिए कमाते हैं रिश्तेदारों के सिलसिले में कर्त्तव्य पूरा करते हैं लोगों के बोझ उठाते है अतिथि का सत्कार करते हैं कठिनाई में लोगों की मदद करते हैं। मैं आपको पनाह देता हूं आप लौट चलिए और अपने शहर (नगर) में अपने पालनहार की इबादत कीजिए। अतः अबू बक्र लौट आये। इब्ने दोग़न्ना भी आपके पास आये। एक शाम इब्ने दुग़न्ना क़ुरैश के सरदारों के पास गये और उनसे कहा कि अबू बक्र जैसे लोग न ही निकलते हैं और न ही निकाले जाते हैं क्या आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को शहर से निकाल रहे हैं जो ग़रीबों के लिए कमाता है रिश्तेदारों के कहा अदा करता है, लोगों के बोझ उठाता है, अतिथि का सत्कार करता है और कठिनाई में लोगों की मदद करता है। अतः क़ुरैश ने इब्ने दुग़न्ना की पनाह का इन्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अबू बक्र से कह दो कि वह अपने घर में अपने पालनहार की इबादत करें वहीं नमाज़ पढ़ें और जो चाहे पढें लेकिन हमें अपने इस कर्म से कष्ट न पहुंचाये और न ही खुले तौर पर यह काम करें क्योंकि हमें इस बात का डर है कि औरतें

और बच्चें परीक्षा में पड़ जायेंगे। इब्ने दुग़न्ना ने यह बात अबू बक्र को बता दी। अबू बक्र (रज़ि.) कुछ दिन तक अपने घर में इबादत करते रहे। वह खुले में नमाज़ नहीं पढ़ते थे और न ही अपने घर के अतिरिक्त कहीं और तिलावत करते थे। फिर अबू बक्र (रज़ि.) के मन में एक बात आई, उन्होंने घर के आंगन में मस्जिद बना ली। उसमें वह नमाज़ पढ़ते थे और क़ुरआन की तिलावत करते थे। वहां शिर्क करने वालों की औरतें और बच्चे एकत्र हो जाते थे और आश्चर्य से उनको देखते थे अबू बक्र बहुत अधिक रोने वाले व्यक्ति थे, क़ुरआन की तिलावत करते समय वह अपनी आंखों पर क़ाबू नहीं रख पाते थे, क़ुरैश के मुशरिकों को इससे डर लगा, उन्होंने इब्ने दुग़न्ना को बुलाया। वह आये तो उनसे कहा कि हमने आपकी पनाह के कारण अबू बक्र को शरण दी थी इस शर्त के साथ कि वह अपने घर में इबादत करेंगे। लेकिन वह इस सीमा को लांघ गये। और घर के आंगन में एक मस्जिद बना ली, और खुलकर नमाज़ पढ़ने लगे और तिलावत करने लगे। हमें डर है कि हमारी औरतें और बच्चे परीक्षा में पड़ जायेंगे। अतः उनको रोकिये। अगर वह इस बात पर सहमत हैं कि वह अपने घर में अपने पालनहार की इबादत करेंगे तब तो ठीक है लेकिन अगर वह इससे मना करते हैं और खुलकर इबादत करते हैं तो आप उनसे मांग कीजिए कि वह आपकी पनाह को लौटा दें, क्योंकि हम आपसे समझौता तोड़ना नहीं चाहते, और न ही इस बात को पसन्द करते हैं कि अबू बक्र अपनी इबादत खुलकर करें। हज़रत आयशा (रज़ि) कहती हैं कि इब्ने दुग़न्ना हज़रत अबू बक्र के पास आये और कहा कि मैंने जो आपसे समझौता किया था, वह आपकी जानकरी में है अतः या तो आप इसी सीमा तक रहिये, या फिर आप मेरी शरण को लौटा दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अरबों को यह सुनने को मिले कि मैंने जिसके साथ समझौता किया था उसने वादा तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण वापस करता हूं मैं अपने पालनहार की शरण में खुश हूं उस समय नबी (सल्ल.) मक्के में थे। आप (सल्ल.) ने मुसलमानों से फ़रमाया मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखाई गई है यह जगह दो काले पत्थरों के बीच एक खजूरों का बाग़ है। अतः बहुत से लोगों ने मदीने की तरफ़ हिजरत की। जिन लोगों ने हब्शा की तरफ़ हिजरत की थी उनमें से अक्सर लोग मदीना चले आये। अबू बक्र (रज़ि.) ने भी मदीना जाने की तैयारी की तो नबी (सल्ल.) ने उनसे कहा कि ज़रा ठहरो। आशा है मुझे भी हिजरत की अनुमति दी जायेगी। अबू बक्र ने कहा कि मेरे माँ–बाप आप पर कुर्बान! क्या आपको हिजरत की अनुमति मिलने की आाशा है? आपने फ़रमाया कि 'हां' अतः अबू बक्र नबी (सल्ल.) के साथ जाने के लिए रूक गये। उन्होंने दो सवारियों को जो उनके पास थी चार महीने तक बबूल के पत्ते पिलाये। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि एक दिन दोपहर में हम लोग, अबू बक्र के घर में बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति ने अबू बक्र से कहा कि नबी (सल्ल.) चेहरा ढांपकर हमारे पास ऐसे समय आये हैं जिस समय साधारणतः नहीं आते थे। अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा 'मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह की क़सम इस समय आप किसी विशेष कारण से ही आये हैं।

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि फिर नबी (सल्ल.) ने घर में दाख़िल होने की अनुमति मांगी। आपको अनुमति दे दी गई अतः आप घर में आये और अबू बक्र से कहा 'लोगों को अपने पास से हटा दो। मूसा बिन उक़्बा की रिवायत में है कि हज़रत अबू बक्र के पास मैं और अस्मा थे अबू बक्र ने कहा ऐ अल्लाह के (रसूल) आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये सब आप ही के घर के लोग हैं, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया 'मुझे हिजरत की अनुमति दे दी गई है, अबू बक्र ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, क्या मैं सफ़र में आपके साथ रहूंगा? आपने फ़रमाया कि 'हां'। अबू बक्र ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, आप मेरी दो सवारियों में से एक ले लीजिए। नबी (सल्ल.) ने कहा कि क़ीमत देकर लूंगा। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि हमने दोनों के लिए जल्दी–जल्दी तैय्यारी की। एक थैले में खाना आदि करके दिया, अस्मा बिन्ते अबू बक्र ने अपने पटके का दो टुकड़ा करके एक से थैले का मुंह बांध दिया। इसी लिए उनको ''ज़ातुन्नताक़ैन'' (पटके को फ़ाड़कर दो करने वाली) कहा जाता है। हज़रत आयशा (रज़ि) कहती हैं कि फिर नबी (सल्ल.) और अबू बक्र ने सौर पर्वत की एक गुफा में शरण ली। (बुख़ारी)

फ़त्हुलबारी में लिखा है कि आयशा सिद्दीक़ा अबू बक्र सिद्दीक़ की बेटी हैं उनकी माँ का नाम उम्मे रूमान है उनकी पैदाइश हिजरत से लगभग आठ साल पहले इस्लाम के आने के बाद हुई। नबी (सल्ल) की मौत के वक़्त आपकी उम्र अट्ठारह वर्ष थी। अट्ठावन या उनसठ हिजरी हज़रत मआविया की हुकूमत के ज़माने में आपकी मौत हुई।

अल्लाह का उनको नबी (सल्ल.) की पत्नी के रूप में चुननाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह(सल्ल.) ने मुझसे फ़रमाया कि तुम मुझे सपने में दिखाई गईं 'आपने फ़रमाया दो बार' या आपने फ़रमाया 'तीन बार' तुम्हें एक फ़रिश्ता रेशम के एक टुकड़े में लेकर आता और मुझसे कहता कि ये तुम्हारी पत्नी हैं, मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाया तो तुम दिखाई दीं, मैंने कहा कि अगर यह अल्लाह की तरफ़ से है तो अल्लाह उसे स्वयं इसे पूरा कर देगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनकी भाादी का समारोह :

हज़रत नबी (सल्ल.) ने मुझसे उस वक़्त शादी की जब मैं 6 साल की थी फिर हम मदीना आ गये और बनू हारिस बिन ख़ज़रज के यहां रहने लगे। मैं बीमार पड़ गई, मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रूमान आईं और उन्होंने मुझे पुकारा, मैं उनके पास गई मुझे नहीं मालूम था कि वह मुझसे क्या चाहती हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाज़े पर ले जाकर रोका, मेरी सांस तेज़–तेज़ चल रही थी। फिर मुझे कुछ सुकून हुआ। मेरी माँ ने पानी लिया और उससे मेरा चेहरा और सिर धोया फिर मुझे घर के अन्दर ले गईं, मैंने देखा कि घर में कुछ औरतें हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ भलाई और बरकत हो और तुम्हारा भाग्य सदैव अच्छा रहे, मेरी माँ ने मुझे

उनके हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा हुलिया ठीक किया फिर मैं उस समय घबराई जब चाश्त के वक़्त नबी (सल्ल.) आये, मेरी माँ ने मुझे उनके हवाले कर दिया। मेरी उम्र उस समय नौ साल थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनकी विद्वताः

(क) अबू मुलैक़ा कहते हैं कि नबी (सल्ल.) की पत्नी हज़रत आयशा जो बात भी सुनती थीं उसकी जांच पड़ताल करती थीं। यहां तक कि उनको उसका पूरा और सही ज्ञान हो जाये।

नबी (सल्ल.) ने यह फ़रमाया कि जिस व्यक्ति का भी हिसाब लिया जायेगा, उसे यातना (अज़ाब) दी जायेगी। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा 'क्या अल्लाह यह नहीं कहता कि ''फ़ सौफ़ युहासबु हिसाबंयसीरा'' जल्द ही आसान हिसाब लिया जायेगा। कहती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यह तो अल्लाह की देन और उपहार है, लेकिन जिससे भी हिसाब लिया जायेगा वह मारा जाएगा। (बुख़ारी)

मस्रूक़ कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास टेक लगाये बैठा था कि उन्होंने कहा कि 'ऐ अबू आयशा' तीन बातें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति भी इनका समर्थक होगा वह अल्लाह पर झूठा आरोप लगायेगा। मैंने पूछा कि वह तीन बातें क्या हैं? उन्होंन फ़रमाया कि जो व्यक्ति भी यह कहे कि मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने पालनहार को देखा है तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। मस्रूक़ कहते हैं कि मैं टेक लगाए बैठा था, फिर में उठ बैठा और कहा कि ऐ मोमिनों की माँ मुझे थोड़ा अवसर दीजिए और जल्दबाज़ी से काम मत लीजिए क्या अल्लाह ने ये नहीं फ़रमाया है कि ल़कद रआहू बिलउफ़्क़िल मुबीन'' (उसने उसको खुले आसमान पर देखा) और 'लक़द रआहू नज़्लतन उख़रा' (वह एक बार और उतरते हुए देख चुका है) हज़रत आयशा ने कहा कि मैं उस उम्मत की पहली औरत हूं जिसने नबी (सल्ल) से इस सिलसिले में पूछा था। आपने जबाब दिया था कि वह जिब्रील (अलै.) थे जिब्रील का वास्तविक रूप मैंने दो बार ही देखा है। मैंने देखा कि वह आसमान से उतर रहे हैं, इस हालत में कि उनके शरीर ने पूरे आसमान व ज़मीन को ढ़ांक रखा है। फिर हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि क्या तुमने अल्लाह का यह फ़रमान नहीं सुना कि ''लातुद्‌रिकुहुल अब्सिार'' व हुव युद्‌रिकुल अब्सार' व हुवल्लतीफ़ुल ख़बीर'' (आंखें उसे नहीं पा सकतीं और वह आंखों को पा लेता है और वह बड़ा महसूस न होन वाला और हर चीज़ की ख़बर रखने वाला है) क्या तुमने अल्लाह का यह फ़रमान नहीं सुना''व मा कान लिबशरिन् अन् युकल्लिम हुल्लाहु इल्ला वहियन् अब मिन् वराए हिजाबिन्, अब युरसिल रसूलन्फ़ युहिय बि इज़्नेही मा यशाऊ व इन्न हू अलीयुन हकीम'' (और किसी इन्सान के लिए नहीं हैं कि अल्लाह उससे बात करे, 'वह्य' के अतिरिक्त, या परदे के पीछे से या एक फ़रिश्ता भेजे जो वह्य करे उसके आदेश से जो वह चाहता है और वह बड़ा ही ऊंचा और हिक्मत वाला है) उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति ये कहता है कि नबी (सल्ल.) ने किताब का कुछ हिस्सा

छिपा लिया था उसने भी अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है। ''या अय्युहर्रसूलु बल्लिग़ मा उंज़िल इलैक मिन् रब्बेक व इन् लम् तफ़अल् फ़मा बल्लग़त रिसालतहू'' ऐ रसूल जो बात तुम्हारे पालनहार की तरफ़ से तुम्हारे ऊपर उतारी गई है उसे पहुंचा दो और अगर तुमने नहीं किया तो तुम मानो उसका सन्देश नहीं पहुचाया। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया 'जो ये कहे कि वह भविष्य की सूचना देता है, उसने भी अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ा। क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है कुल ला यअ़लमु मन् फ़िस्समावाति वल् अर्ज़िल ग़ैबि इल्लाल्लाहु (ऐ रसूल कह दो अल्लाह के अलावा आसमान व ज़मीन की छिपी बातें कोई नहीं जानता) (बुख़ारी व मुस्लिम) (ये शब्द मुस्लिम के हैं)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया जो अल्लाह से मुलाक़ात करना चाहता है अल्लाह तआला भी उससे मुलाक़ात करना चाहता है, और जो अल्लाह से मुलाक़ात को नापसन्द करता है। अल्लाह भी उससे मुलाकत को नापसन्द करता हैं, मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या इससे तात्पर्य मौत को नापसन्द करना है? क्योंकि हममें से हर व्यक्ति मौत को नापसन्द करता है आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि नहीं, बल्कि जब मोमिन को अल्लाह की रहमत, उसकी मरज़ी और जन्नत की शुभ सूचना दी जाती है और वह अल्लाह से मुलाक़ात की तमन्ना करता है, तो अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है और जब काफ़िर को अल्लाह की यातना और उसकी नाराज़गी की सूचना दी जाती है तो वह अल्लाह से मुलाक़ात नहीं करना चाहता है, अतः अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द नहीं करता। (बुख़ारी व मुस्लिम, शब्द मुस्लिम के हैं)

हज़रत आयशा रज़ि फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोग क़यामत के दिन नंगे पैर, नंगे शरीर और बिना ख़तना के उठाये जाओगे, हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मर्द औरत सब एक दूसरे को देखेंगे? आप (सल्ल.) फ़रमाया कि उस समय स्थिति इतनी कठिन होगी कि किसी को इसकी चिन्ता ही नहीं होगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने नबी (सल्ल.) से अल्लाह के इस कथन के बारे में पूछा ''यौम तुबद्दलुल अर्ज़ि ग़ैरल अर्ज़ि वस्समा वाति'' (उस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जायेगी और आसमान भी) उस दिन लोग कहां होंगे। आप (सल्ल.) ने जवाब दिया कि पुलसिरात पर होंगे। (मुस्लिम)

हज़रत उर्वा (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर हज करने आये तो मैंने उनको यह कहते हुए सुना कि अल्लाह तुमको इल्म (ज्ञान) देने के बाद उसको अचानक नहीं छीन लेगा बल्कि अल्लाह उसे उलमा की मौत के माध्यम से छीनेगा। उनके बाद जाहिल (अज्ञानी) लोग बचेंगे, उनसे मसला पूछा जायेगा तो वह अपने मत से फ़तवा देंगे। इस तरह वह स्वयं भी भटक जायेंगे और दूसरो को भी भटका देंगे। उर्वा कहते हैं कि मैंने यह हदीस हज़रत आयशा (रज़ि.) को सुनाई, फिर अब्दुल्लाह बिन उमर दूसरे साल हज के लिए आये, तो हज़रत आयशा ने मुझसे कहा कि ऐ भान्जे हज़रत अब्दुल्लाह के पास जाओ और उनसे मेरे लिए इस हदीस का समर्थन प्राप्त करो जो तुमने मुझसे बयान की

थी। अतः मैं उनके पास गया और मैंने वह हदीस सुनाने की मांग की, तो उन्होंने मुझे वह हदीस बिल्कुल उसी तरह सुनाई जिस तरह वह पहले सुना चुके थे। मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास आया और उनको यह बात बतायी तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा, अल्लाह की क़सम अब्दुल्लाह बिन अमर ने याद रखा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) की मौत के बाद आप की पवित्र पत्नियों ने इरादा किया कि वह हज़रत उमान को हज़रत अबू बक्र के पास विरासत मांगने के लिए भेजें, हज़रत आयशा (रज़ि) ने कहा कि क्या नबी (सल्ल.) ने यह नहीं फ़रमाया है कि हम वारिस नहीं बनाते हम जो छोड़ जायें वह सदक़ा है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) उनकी विद्वताः हज़रत उर्वा (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा (रज़ि) से अल्लाह के इस फ़रमान के बारे में पूछा ''हत्ता इज़स्तैअस रूसुलु व ज़न्नू अन्नहुम क़द् कुज़िबू'' कि इसमें यह कुज़्ज़िबू है या कुज़िबू है? हज़रत आयशा ने कहा कि नबियों की क़ौम ने उनको झुठलाया था। मैंने कहा कि अल्लाह की क़सम नबियों को इस बात का विश्वास था। कि उनकी क़ौम ने उनको झुठलाया है। इसमें ज़न्न (भ्रम) नहीं था। हज़रत आयशा ने कहा कि ऐ उर्वा! नबियों को इस बात का विश्वास था। मैंने कहा कि तब शायद यह कुज़िबू है। हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह की पनाह, नबी लोग अपने पालनहार के बारे में ऐसा भ्रम नहीं रखते, मैंने कहा, फिर यह आयत! उन्होंने कहा कि इस आयत में नबियों के उन अनुयायियों का बयान है जो अपने पालनहार पर ईमान लाये, जिन्होंने नबियों को सच्चा माना,फिर परीक्षा का लम्बा सिलसिला जारी रहा, और मदद आने में देर हुई यहां तक कि जब नबी लोग (अलै.) अपनी क़ौम के उन लोगों से निराश हो गये जिन्होंने उनको झुठलाया था और उन्होंने ख़याल किया कि उनके अनुयायियों ने भी उनको झुठला दिया है। तो उस वक़्त अल्लाह की मदद आ गई। (बुख़ारी)

हज़रत उर्वा फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि अल्लाह के कथन : इन्न सफ़ा वल मर्वत मिन् शआइरिल्लाहि फमन् हज्जल बैत अविअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन्यत्तव्वफ़ बिहिमा '' (निस्सन्देह सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं तो जो हज करे या उमरा करे, उस पर कोई गुनाह नहीं कि वह इन दोनों का तवाफ़ करे) के सिलसिले में आपका क्या विचार है अल्लाह की क़सम (मैंने इस आयत का यह भावार्थ समझा है कि) यदि कोई व्यक्ति सफ़ा व मरवा का तवाफ़ नहीं करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं हैं हज़रत आयशा ने कहा कि ऐ भान्जे तुमने बहुत ग़लत बात कही। अगर इस आयत का यह भावार्थ होता जो तुम समझ रहे हो, तो यह आयत इस तरह होती ''लाजुनाह अलैहिअल्ला यत्तव्वफ बिहिमा'' इसमे कोई गुनाह नहीं है कि वह इन दोनों का तवाफ़ न करे। यह आयत अन्सार के सिलसिले में उतरी। इस्लाम में आने से पहले अन्सार 'मनात' मूर्ति के लिए इहराम बांधा करते थे जिसकी वह मिश्लल नामी जगह पर इबादत करते थे अतः अन्सार के वह लोग जो हज्ज व उमरा का इहराम बांधते थे, सफ़ा व मरवा की तवाफ़ करना मुनासिब नहीं समझते थे जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया तो नबी

(सल्ल.) से इस बारे में पूछा, इन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल हम सफ़ा और मरवा के बीच तवाफ़ करने को गुनाह समझते थे यहां तक कि अल्लाह ने ''इन्न सफ़ा वल मरवत मिन.........''– वाली आयत उतारी। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल) ने सफ़ा व मरवा के बीच तवाफ़ करने का अमल जारी किया अतः कोई भी व्यक्ति सफ़ा व मरवा के बीच तवाफ़ को छोड़ नहीं सकता। इस हदीस की रिवायत करने बाले, ज़ुहरी कहते हैं कि फिर मैंने अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान को इसके वारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैंने यह हदीस नहीं सुनी थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

शेख इब्ने हानी हज़रत अबू हुरैरह से रिवयात करते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि जो अल्लाह से मुलाक़ात करना चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाक़ात करना चाहता है, और जो अल्लाह से मिलने को नापसन्द करता है अल्लाह भी उससे मिलने को नापसन्द करता है। इब्ने हानी कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास आया और कहा 'ऐ मोमिनों की माँ, मैंने हज़रत अबू हुरैरह को नबी (सल्ल.) की एक हदीस बयान करते हुए सुना हैं अगर बात यही है तो फिर हम तबाह हो गये। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) के कथन से कोई व्यक्ति किस तरह तबाह हो सकता है? उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) का इरशाद है कि जो अल्लाह से मुलाक़ात करना चाहता है अल्लाह भी उससे मुलाक़ात करना चाहता है और जो अल्लाह से मिलने को नापसन्द करता है (और स्थिति यह है कि) हममें से हर व्यक्ति मौत को नापसन्द करता है, हज़रत आयशा (रज़ि) ने फ़रमाया कि नबी (सल्ल.) ने यह कहा है ''लेकिन इसका वह अर्थ नहीं है जो तुम समझ रह रहे हो (इसका अर्थ यह है कि) जब निगाहें उठ जायें सीने में मौत के वक़्त की आवाज़ पैदा होने लगे और खाल थरथराने लगे और उंगलियां सिकुड़ जायें तो उस समय जो अल्लाह से मुलाक़ात को पसन्द करेगा, अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द करेगा और जो उस वक़्त अल्लाह से मुलाक़ात को नापसन्द करेगा अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द नहीं करेगा। (मुस्लिम.)

आमिर बिन सअद बिन अबी वक़्क़ास अपने पिता से बयान करते हैं कि वह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास बठै थे कि मक़्सूरह वाले ख़ब्बाब आये और उन्होंने कहा, ऐ अब्दुल्लाह क्या आपने सुना कि अबू हुरैरह क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि उन्होंने नबी (सल्ल) को कहते हुए सुना है कि जो व्यक्ति किसी जनाज़े(शव) के साथ घर से निकला फिर वह उसको दफ़्न किये जाने तक उसके साथ रहा, तो उसको दो 'क़ीरात' बदला मिलेगा। हर क़ीरात का फैलाव उहद (पहाड़) की तरह होगा, और जिसने ज़नाजे की नमाज़ पढ़ी और फिर लौट आया तो उसको उहद के बराबर बदला मिलेगा। इब्ने उमर ने हज़रत ख़ब्बाब को हज़रत आयशा के पास भेजा कि वह उनसे हज़रत अबू हुरैरह के इस कथन के बारे में पूछें, और लौट कर उनको बतायें कि हज़रत आयशा ने क्या उत्तर दिया। इब्ने उमर ने मुट्ठी भर मस्जिद की कंकंड़िया उठा लीं और उन्हें वह एक हाथ से दूसरे हाथ में करने लगे यहां तक कि उनका क़ासिद (सन्देश वाहक) वापस आ गया। उसने बताया

कि हज़रत आयशा कहती हैं कि अबू हुरैरह ठीक कहते हैं। इब्ने उमर ने अपने हाथ की कंकड़िया फेक दीं और कहा कि हमने बहुत से 'क़ीरात' का नुक़सान किया।

(बुख़ारी व मुस्लिम, शब्द बुख़ारी के हैं)

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि क़ुरैश और जो लोग उनके दीन (धर्म) को अपनाये हुए थे वह मुज़्दल्फ़ा में ही ठहरा करते थे, उसे वह लोग 'हम्स' कहते थे, उनके अलावा सारे अरब लोग अरफ़ात में ठहरा करते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ने अपने नबी (सल्ल.) को आदेश दिया कि वह अरफ़ात में आकर ठहरें और वहीं से वापस जायें, अल्लाह के इस कथन में यही बात कही गई है ''इसके बाद जहां से और सब लोग चलें वहीं से तुम भी चलो'' (सूरह बक़रः199) (बुख़ारी मुस्लिम)

यूसुफ़ बिन माहिक कहते हैं कि मैं मोमिनों की माँ हज़रत आयशा के पास था कि एक इराक़ी आया और उसने पूछा कि कौन सा कफ़न सबसे अच्छा है हज़रत आयशा (रज़ि) ने कहा तुम्हारा बुरा हो, तुम्हें क्या हो गया है? फिर उसने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन (मोमिनां की माँ) आप मुझे अपना 'मुसहफ़' दिखा दीजिए। हज़रत आयशा ने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि मैं उसे देखकर अपना क़ुरआन संकलित करना चाहता हूं। अर्थात सूरतों का क्रम ठीक करना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग उसे बिना क्रम के पढ़ते हैं हज़रत आयशा (रज़ि) ने फ़रमाया कि इसमे क्या बुराई है कि तुम जो सूरत पहले चाहो पढ़ लो (अगर तुम अवतरण का क्रम जानना चाहते हो तो) पहले तो मुफस्सल की एक सूरत उतरी जिसमें जन्नत और जहन्नम का बयान है, यहां तक कि जब लोग इस्लाम की तरफ़ आने लगे तो फिर हलाल व हराम के आदेश उतरे, अगर सबसे पहले ही यह उतरता कि शराब न पियो तो लोग कहते कि हम शराब पीना तो कभी नहीं छोड़ेंगे या यह उतरता कि व्यभिचार न करो तो लोग कहते कि हम व्याभिचार कभी नहीं छोड़ेगे। जब मैं बच्ची थी और खेलने की उम्र में थी उस वक़्त मक्के में नबी (सल्ल.) पर यह आयत उतरी ''बलिस्सा अ़तो मौइदुहुम वस्सा अ़तो अद्हा व अमर'' (बल्कि इनसे वास्तविक वादा तो क़ियामत का है और क़ियामत की घड़ी बड़ी सख़्त और कड़वी है)

सूरह बक़रह और सूरह निसा के उतरते वक़्त मैं नबी (सल्ल) के निकाह में आ गई थी यूसुफ़ बिन माहिक़ कहते हैं कि फिर हज़रत आयशा ने अपना मुसहफ निकाला और उनके कुछ सूरतें लिखवाईं। (बुख़ारी)

(ग) उनके घर में ज्ञान की बैठकें :

हज़रत ज़िरारह कहते हैं कि सअद बिन आमिर ने अल्लाह की राह में जिहाद का संकल्प लिया। अतः वह मदीना आये और उन्होंने मदीना में अपनी जायदाद बेचने का फ़ैसला किया ताकि उसकी क़ीमत से हथियार और घोड़ा खरीद सकें और रूमियों से जिहाद करें यहां तक कि शहीद हो जायें जब वह मदीना आये तो वहां के कुछ लोगों से उनकी मुलाक़ात हुई इन लोगों ने उन्हे जायदाद बेचने से मना किया और बताया कि नबी (सल्ल.) की ज़िन्दगी में छः लोगों ने ऐसा करना चाहा था लेकिन नबी (सल्ल) ने उनको

मना कर दिया था, और कहा था कि क्या तुम लोगों के लिए मेरा व्यक्तित्व आदर्श नहीं है? जब लोगों ने उनको ऐसी बात बताई तो उन्होंने अपनी पत्नी से रूजूअ (अपनी पत्नी को वापस) कर लिया जिसको वह पहले तलाक़ दे चुके थे, और रूजूअ़ पर लोगों को गवाह बनाया फिर वह इब्ने अब्बास के पास आये और उनसे नबी (सल्ल.) के वित्र (आख़िरी ताक़ नमाज़) के बारे में पूछा। इब्ने अब्वास ने कहा कि क्या मैं तुम्हे एक ऐसे व्यक्ति का पता न बताऊं जो इस ज़मीन पर नबी (सल्ल.) के वित्र के बारे में सबसे अधिक जानता हैं उन्होंने पूछा कि वह कौन है, इब्ने अब्बास ने कहा कि वह आयशा (रज़ि.) हैं तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो और वापस आकर मुझे उनके जबाब के बारे में बताओ (सअद बिन हश्शाम कहते हैं कि फिर मैं हज़रत आयशा की तरफ़ चल पड़ा रास्तें में हकीम बिन अफ्लः के पास गया और उनको अपने साथ हज़रत आयशा के पास चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उनको उन दो फिरक़ो के बारे में कुछ भी कहने से मना किया था लेकिन वह नहीं मानी। सअद बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने उनको अपने साथ चलने की क़सम दी तो वह मेरे साथ हज़रत आयशा के पास आये हमने हज़रत आयशा से अनुमति मांगी, अन्होने हमें अनुमति दे दी, अतः हम घर के अन्दर गये। हज़रत आयशा ने पूछा कि क्या हकीम है? (उन्होंनें पहिचान लिया) उन्होंने कहा जी हां, हज़रत आयशा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा कि हश्शाम बिन आमिर, यह सुनकर उन्होंने हश्शाम बिन आमिर के लिए रहमत की दुआ की और उनके लिए अच्छी–अच्छी बातें कहीं। क़तादह कहते हैं कि हश्शाम बिन आमिर उहद की लड़ाई में शहीद हो गये थे फिर मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन (मोमिनो की माँ) मुझे नबी (सल्ल) के व्यवहार के बारे में बताइये। उन्होंने कहा कि क्या तुम क़ुरआन नहीं पढ़ते मैनें कहा क्यों नही, उन्होंने कहा कि क़ुरआन ही नबी (सल्ल.) का व्यवहार था। सअद बिन हश्शाम कहते है। कि फिर मैंने सोचा कि मैं खड़ा हो जाऊं और उनसे मौत तक कोई प्रश्न न करूं, फिर मेरे मन में एक बात आई तो मैंने कहा कि मुझे नबी (सल्ल.) के क़याम लैल अर्थात तहज्जुद के बारे में बताइये, उन्होंने कहा कि क्या तुम सूरह मुज़्ज़म्मिल नहीं पढ़ते मैंने कहा कि क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला ने इस सूरह के पहले भाग में तहज्जुद फ़र्ज़ किया था। अतः नबी (सल्ल.) और प्रतिष्ठित सहाबा ने एक साल तक तहज्जुद पढ़ा। अल्लाह ने इस सूरह का अन्त बारह महीनों तक आसमान में रोके रखा यहां तक कि इस सूरह (के दूसरे भाग में) की तख़्फ़ीफ़ (तहज्जुद में कमी) उतारी अतः तहज्जुद फ़र्ज़ के बजाये नफ़्ल (अतिरिक्त) हो गया। सअद बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन मुझे नबी (सल्ल.) के वित्र के बारे में बताइये। उन्होंने कहा कि हम नबी (सल्ल.) की मिस्वाक और पानी तैय्यार करके रख दिया करते थे, आप रात के किसी हिस्से में उठते, मिस्वाक़ करते वुज़ू करते और आठ रकअत नमाज़ इस तरह पढ़ते कि आप इस बीच सिर्फ़ आठवीं रकअत में ही कअ़दह करते। फिर अल्लाह को याद करते, उसकी हम्द (प्रसंशा) करते, और उससे दुआ करते फिर आप बिना सलाम फेरे हुए उठ जाते। फिर आप खड़े होकर नवी रकअ़त पढ़ते और फिर उसमें कअ़दह करते, अल्लाह का ज़िक्र करते, हम्द करते और उससे

हुआ करते। फिर आप इस तरह सलाम फेरते कि आवाज़ हमारे पास पहुंच जाती, फिर सलाम फेर कर आप बैठे ही बैठे, अतिरिक्त दो रकअत नमाज़ पढ़ते उस तरह ऐ मेरे बेटे ग्यारह रकअतें हो गईं। जब नबी (सल्ल.) की उम्र अधिक हो गई और शरीर पर गोश्त चढ़ने लगा तो आप वित्र सात रकअत पढ़ने लगे और उसके बाद दो रकअत उसी तरह पढ़ते जैसे पहले पढ़ते थे। इस तरह ऐ बेटे ये नौ रकअतें ही गईं जब नबी (सल्ल.) कोई नामज़ पढ़ते थे तो उसे हमेशा पढ़ना पसन्द करते थे। अगर कभी आप पर नींद छा जाती या आपको कोई तकलीफ़ होती जिसकी वजह से आप तहज्जुद न पढ़ पाते तो आप दिन में बारह रकअ़तें पढ़ते थे मुझे नहीं याद कि नबी (सल्ल.) ने कभी एक रात में पूरा क़ुरआन पढ़ा हो या रात से लेकर सुबह तक लगातर नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ान के अतिरिक्त किसी महीने में पूरे रोज़े रखे हों। सअद बिन हश्शाम कहते हैं कि उसके बाद मैं इब्ने अब्बास के पास गया, और उनको यह हदीस सुनाई, उन्होंने कहा कि निस्संदेह हज़रत आयशा ने सच फ़रमाया, अगर मैं उनके पास होता या जाता तो यह सब कुछ प्रत्यक्ष सुनता। ज़िरारह ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि आप उनके पास नहीं जाते तो मैं कभी उनकी बात आपसे न कहता। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शम्मासह कहते हैं कि मै हज़रत आयशा के पास कुछ पूछने के लिए आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सम्बन्ध किस इलाक़े से हैं। मैंने कहा कि मेरा सम्बन्ध मिस्र से है उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मुजाहिदों के सिलसिलें तुम्हारे शासक का व्यवहार कैसा है? मैंने कहा कि मैंने उसमें कोई ग़लत बात महसूस नहीं की है अगर हममें से किसी व्यक्ति का ऊंट मर जाता है तो वह उसे ऊंट दे देता है और अगर ग़ुलाम (दास) मर जाता है तो वह ग़ुलाम दे देता हैं अगर किसी व्यक्ति को ख़र्च की आवश्यकता होती है तो वह उसे ख़र्च दे देता है। हज़रत आयशा ने कहा कि तुम्हारे शासक ने मेरे भाई मुहम्मद बिन अबू बक्र के साथ जो कुछ किया है वह मुझे तुमको इस बात को बताने से नहीं रोक सकता जो मैंने इस घर में नबी (सल्ल.) को कहते सुना है कि ऐ अल्लाह जो व्यक्ति मेरी उम्मत के किसी भी मामले का ज़िम्मेदार बनाया जाये फिर वह उनके ऊपर सख़्ती करे तो तू भी उस पर सख़्ती कर जो व्यक्ति मेरी उम्मत के किसी मामले का ज़िम्मेदार बनाया जाये और वह उनके साथ नरमी करे तो तू भी उसके साथ।

(मुस्लिम)

मस्रूक़ कहते हैं कि हम हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गये उनके पास हज़रत हस्सान बिन साबित बैठे हुए थे। वह अश्आर (कविताएं) सुना रहे थे। उन्होंने कुछ ग़ज़ल की पंक्तियाँ पढ़ीं उन्होंने एक शेअर पढ़ा।

हज़रत आयशा (सल्ल.) ने उनसे कहा कि आप तो ऐसे नहीं है, मस्रूक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि आप इन्हें अपने पास आने की अनुमति क्यों देती हैं। हालांकि अल्लाह का इरशाद है–

'वल्ल ज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम लहू अज़ाबुन अज़ीम' और उनमें से वह जो अपने घमण्ड में फिर गया उसके लिए बड़ी यातना है। हज़रत आयशा ने कहा, अन्धेपन से बढ़कर

और क्या अज़ाब हो सकता है? फिर हज़रत आयशा ने उनसे कहा कि ये नबी (सल्ल.) का बचाव किया करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया और कहा कि क्या आप मुझे नबी (सल्ल.) की बीमारी के बारे में नहीं बतायेंगी? हज़रत आयशा ने कहा क्यों नहीं नबी (सल्ल.) की तबियत भारी हो गई, आपने पूछा? क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? हमने जबाब दिया कि नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने कहा कि टब में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रत आयशा(रज़ि.) कहती हैं कि हमने ऐसा ही किया। फिर आपने ग़ुस्ल (ग़ुस्ल) किया उसके बाद आप खड़े होने लगे लेकिन तुरन्त ही मुर्छित हो गये,फिर आपको होश आया तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। हमने कहा कि नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपने फ़रमाया कि टब में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि आप उठ बैठे आपने ग़ुस्ल किया,फिर उठने की कोशिश करने लगे लेकिन आप मुर्छित हो गये। फिर आपको हेाश आया तो पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ ली? हमने कहा कि नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने फ़रमाया कि टब में मेरे लिए पानी रख दो। फिर आप बैठे, आपने ग़ुस्ल किया,फिर उठने की कोशिश करने लगे लेकिन आप बेहोश हो गये। फिर आपको होश आया तो पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ ली? हमने जवाब दिया कि नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लोग मस्जिद में बैठकर इशा की नमाज़ के लिए नबी (सल्ल.) की प्रतीक्षा कर रहे थे फिर नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र को सन्देश भेजा कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के पास सन्देश वाहक ने आकर कहा कि नबी (सल्ल.) आपको आदेश देते हैं कि आप लोगों को नमाज़ पढायें। हज़रत अबू बक्र बहुत नरम दिल इन्सान थे। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ा दें, हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे कहा कि आप नमाज़ पढ़ाने के अधिक हक़दार हैं। अतः नबी (सल्ल.) की बीमारी के दिनों में हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने लोगों की इमामत की। फिर नबी (सल्ल.) ने अपनी तबियत में कुछ हल्कापन महसूस किया, तो आप दो लोगों के सहारे, उनमे से एक अब्बास(रज़ि.) थे, ज़ुहर की नमाज़ के लिए निकले, उस समय हज़रत अबू बक्र (रज़ि) नमाज़ पढ़ा रहे थे, हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने जब आपको देखा तो वह पीछे हटने लगे। आपने इशारे से उन्हे पीछे हटने से मना किया। नबी (सल्ल.) ने उन दोनों लोगों से कहा कि मुझे अबू बक्र (रज़ि.) के पहलू में बैठा दो। अतः उन्होंने आपको(सल्ल.) उनके पहलू में बैठा दिया। हज़रत अबू बक्र नबी (सल्ल.) की इमामत में नमाज़ पढ़ने लगे और दूसरे लोग हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का अनुसरण (इक्तदा) कर रहे थे उस वक़्त नबी (सल्ल.) बैठे हुए थे। उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) के पास गया और उनसे कहा कि हज़रत आायश (रज़ि.) ने नबी (सल्ल.) की बीमारी के बारे में जो कुछ बताया है, क्या मैं वह आपको न बताऊं। उन्होंने कहा कि हां बताओ! अतः मैंने उनको हज़रत आयशा

(रज़ि) की हदीस सुना दी। उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। हां, उन्होंने यह पूछा कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ जो सहाबी थे, क्या हज़रत आयशा ने उनका नाम बताया है। मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि वह हज़रत अली थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

सहाबा की पकड़ः उबैदुल्लाह बिन उमैर कहते हैं कि हज़रत आयशा तक यह बात पहुंची कि अब्दुल्लाह बिन अमर औरतों को नहाते समय चोटी खोलने का आदेश देते हैं तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि इब्ने अमर औरतों को नहाते समय चोटी खोलने का आदेश देते हैं वह औरतों को सिर मुड़ाने का ही आदेश क्यों नहीं दे डालते। मैं और नबी (सल्ल.) एक ही बरतन से नहाया करते थे मैं अपने सिर पर केवल तीन बार पानी डाला करती थी। (मुस्लिम)

उम्रह बिन्ते अब्दुर्रहमान कहती हैं कि ज़याद बिन अबू सूफ़ियान ने हज़रत आयशा को यह पत्र लिखा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास यह कहते हैं कि जो व्यक्ति कुरबानी का जानवर भेजे उस पर ज़बह किये जाने तक, वह तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं जो एक हाजी के लिए हराम हैं। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि बात इस तरह नहीं जैसा इब्ने अब्बास ने बयान किया है क्योंकि मैंनें स्वयं अपने हाथ से नबी (सल्ल.) के कुर्बानी के जानवर के लिए पट्टे बटे, फिर नबी (सल्ल) ने अपने हाथ से उसे जानवर की गरदन में डाला फिर उन सब को मेरे पिता के साथ भेज दिया और नबी (सल्ल.) पर जानवर के ज़बह किये जाने तक कोई भी ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जो अल्लाह ने हलाल की हैं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मुहम्मद बिन मुन्तशिर कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से इब्ने उमर (रज़ि.) के एक कथन के बारे में प्रश्न किया। इब्ने उमर कहते हैं कि ''मैं यह नहीं चाहता कि जब मैं सुबह के समय एहराम बाधूं तो मेरे शरीर से सुगन्ध आये (मुस्लिम की एक रिवायत में है तारकोल मल लेना मुझे उस काम के करने से अधिक पसन्द है) हज़रत आयशा (रज़ि) ने फ़रमाया ''मैंनें स्वयं नबी (सल्ल.) को सुगन्ध लगाई,फिर आप अपनी सभी पत्नियों के पास गये उसके बाद आपने एहराम बांधा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुजाहिद कहते हैं कि मैं और उर्वा बिन ज़ुबैर मस्जिद में गये, हमने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) हज़रत आयशा के कमरे के पास बैठे हैं, और कुछ लोगों को देखा कि वह चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं मुजाहिद कहते हैं कि हमने इब्ने उमर से उन लोगों की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बिद्अत (गढ़ी हुई नई बात) है फिर मुजाहिद ने उनसे पूछा कि नबी (सल्ल.) ने कितनी बार उमरह किया है। उन्होंने कहा कि चार बार, जिनमें से एक बार आपने रजब के महीने में उमरह किया था। हमने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा, वह कहते हैं कि उनके कमरे से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के मिस्वाक (दातुन) करने की आवाज़ आई उर्वा ने कहा ऐ उम्मुल मोमिनीन क्या आप सुन रही हैं? कि अबू अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे हैं, उर्वा ने कहा कि वह कहते हैं नबी ने चार उमरह किया जिसमें से एक रजब में किया था।

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर दया करे वह नबी (सल्ल) के साथ तमाम उमरों में सम्मिलित रहे हैं, आपने रजब में कभी भी उमरह नहीं किया है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबू मुलैकह कहते हैं कि मक्का में हज़रत उस्मान (रज़ि.) की एक बच्ची की मौत हो गई। हम उसे देखने के लिए आये। वहां पर इब्ने अब्बास और इब्ने उमर भी थे, मैं इन दोनों के बीच बैठा था या यह कहा कि मैं उनमे से एक के पास बैठा था फिर उनमें से दूसरे आये और वह मेरे बराबर में बैठ गये, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अमर बिन उस्मान (रज़ि.) से कहा कि आप रोने से अपने को क्यों नहीं रोकते। नबी (सल्ल.) का इरशाद है कि घर वालों के रोने के कारण शव (मय्यत) को यातना दी जाती है। इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि हज़रत उमर ऐसा कहा करते थे, इब्ने अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर की मौत के बाद मैंने हज़रत आयशा से इसको बयान किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उमर पर दया करे। अल्लाह की क़सम नबी (सल्ल.) ने यह नहीं कहा कि मोमिन को उसके घर वालों के रोने के कारण यातना दी जाती है। नबी (सल्ल.) ने यह फ़रमाया है कि अल्लाह तआला काफ़िर के ऊपर उसके घर वालो के रोने के कारण उसकी यातना को बढ़ा देता है। हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि तुम्हारे लिए यह आयत काफ़ी है ''वला तज़िरो वाज़िरतुन विज़रा उख़रा'' (कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा) उस वक़्त इब्ने अब्बास ने कहा कि अल्लाह की क़सम अल्लाह ही है जो हंसाता है और अल्लाह ही है जो रूलाता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि अबू हुरैरह मेरे कमरे के एक तरफ़ आकर बैठ गये और मुझे सुनाकर नबी (सल्ल.) की हदीसें बयान करने लगे। उस समय मैं तस्बीह पढ़ रही थी तस्बीह पूरी करने से पहले वह उठ कर चले गये। अगर वह मेरे हाथ लग जाते तो मैं उनका उत्तर देती। नबी (सल्ल.) इस तरह हदीसें नहीं बयान करते थे जिस तरह तुम लोग बयान करते हो। एक रिवायत में है कि नबी (सल्ल) इस तरह हदीस बयान करते थे कि अगर कोई गिनने वाला गिनना चाहता तो वह गिन सकता था।

(बुख़ारी व मुस्लिम.)

अल्लामा बद्रउद्दीन ज़रकशी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने केवल सहाबा पर हज़रत आयशा की पकड़ का बयान किया है उस किताब के प्राकत्थन में अल्लामा बद्रउदीन ज़रकशी ने लिखा है कि मैं इस किताब में उन मसलों को एकत्र करूंगा जिनमे हजरत आयशा सिद्दीक़ा के ऐसे मत पाये जाते हैं जो अद्वितीय हैं। या जिनमें उन्होंने अपने मत के आधार पर किसी स्पष्ट हदीस व सुन्नत की रोशनी में या अपना ठोस ज्ञान अधिक होने के कारण किसी का विरोध किया है या जिन मसलों में उन्होंने अपने ज़माने के उलमा पर आपत्ति की है, या वह मसले जिनमें उस समय के प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों ने उनसे सीखा था। इसी तरह उन फ़तवों का बयान करूंगा जो उन्होंने लिखे और उन मसलों का भी बयान कंरूगा जिनमें उन्होंने किसी प्रबल मत के कारण इज्तिहाद किया।

अल्लामा ज़रकशी ने बयान किया है कि हज़रत आयशा ने 23 बड़े सहाबा की पकड़ की हैं। जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब? अली इब्ने अबी तालिब, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आदि। हज़रत आयशा ने जिन मसलों में पकड़ की है उनकी संख्या 58 हैं अल्लामा ज़रकशी की किताब पर शोध कार्य करने वाले प्रो0 सईद अफ़ग़ानी कहते हैं कि मैंने कई साल तक हज़रत आयशा पर अध्ययन किया, मैंने इस दौरान ऐसे चमत्कार देखे जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। विशेष रूप से जो चीज़ आपको हैरत में डालने वाली है वह है हज़रत आयशा का बेपनाह ज्ञान, बिल्कुल समुद्र की तरह जो बहुत गहरा होता है जिसमें लहरें उठती रहती हैं जिसका कोई किनारा नहीं होता और जो विभिन्न रंगों और रूपों का होता है। आप हज़रत आयशा के पास हर तरह का ज्ञान पायेंगे। चाहे वह फ़िक़्ह, हदीस, तफ्सीर का ज्ञान हो, या शरीअत, साहित्य और कविता का ज्ञान हो या अख़बार, नसब(नस्ल) और मफ़ाख़िर (अभिमान) का ज्ञान हो। या तिब्ब (मेडिकल) और इतिहास या सबसे अधिक आश्चर्य चकित करने वाली बात यह है कि आप 18 साल की आयु से पहले ही इन सभी विज्ञानों से अवगत हो चुकी थीं। उनकी मिलन्सारी और ज्ञान की अमानतदारी :

शुरैह इब्ने हानी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से मोज़ों पर मसह करने का मसला पूछा। आपने कहा कि अली के पास चले जाओ वह मुझसे अधिक जानते हैं। एक रिवायत में है 'वह नबी (सल्ल.) के साथ सफ़र किया करते थे, अतः मै हज़रत अली (रज़ि.) के पास आया। उन्होंने बताया कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि मुसाफ़िर तीन दिन और तीन रात मोजों पर मसह करे और स्थानीय एक दिन और एक रात। (मुस्लिम)

कुरैब कहते हें कि इब्ने अब्बास, मिस्वर बिन मख़रमह और अब्दुर्रहमान बिन अज्हर (रज़ि.) ने उनको हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास भेजा और कहा कि उनको हमारा सलाम कहना और फिर उनसे अस्र के बाद दो रक्अतों के बारे में पूछना और उनसे कहना कि हम लोगों को यह मालूम हुआ है कि आप अस्र के बाद दो रक्अतें पढ़ती हैं। हालाकिं हम तक यह बात पहुंची है कि नबी (सल्ल.) ने इससे मना किया है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ लोगों को (अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ने पर मारा करता था। कुरैब कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास गया और उनके पास इन लोगों को सन्देश पहुचा दिया। हज़रत आयशा(रज़ि) ने कहा कि इस सिलसिले में उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछो, अतः मैं इन लोगों के पास आया और उनको हज़रत आयशा (रज़ि.) की बात बतायी, उन्होंने मुझे हज़रत उम्मे सलमा के पास भेज दिया। हज़रत उम्मे सलमा(रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैंने नबी (सल्ल.) को अस्र के बाद दो रक्अ़त पढ़ने से रोकते हुए सुना। फिर मैंने आपको देखा कि आप अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ रहे हैं उसके बाद आप घर आये। उस समय मेरे पास क़बीला बनू हराम की कुछ अन्सारी महिलाएं थीं। मैंने अपनी दासी को आप (सल्ल) के पास भेजा और उससे कहा कि तुम उनके बग़ल में खड़ी हो जाना और कहना कि ऐ अल्लाह के रसूल! उम्मे सलमा आप से कह रही हैं कि मैंने आप को अस्र के बाद

दो रक्अत पढ़ने से मना करते हुए सुना है और मैं देख रही हूं कि आप स्वयं ही अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ रहे हैं अगर आप (सल्ल.) अपने हाथ से इशारा करें तो तुम पीछे हट जाना। दासी ने ऐसा ही किया। आपने हाथ से इशारा किया और वह पीछे हट गई। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो आपने फ़रमाया कि ऐ अबू उमैया की बेटी तुम मुझसे अस्र के बाद दो रकअतों के बारे में पूछ रही थी। वास्तव में क़बीला अब्दुल क़ैस से कुछ लोग मेरे पास आ गये थे जिनकी वजह से मैं जुहर के बाद की दो रक्अतें नहीं पढ़ सका। ये वही हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्राहीम कहते हैं कि मैंने अस्वद से पूछा कि क्या आपने हज़रत आयशा (रज़ि.) से पूछा कि किन बरतनों में नबीज़ बनाना मकरूह (घृणित) है? उन्होंने कहा कि 'हां' मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन नबी (सल्ल.) ने किन बरतनों में नबीज़ बनाने से मना किया हैं उन्होंने उत्तर दिया कि नबी (सल्ल.) ने हम घर वालों को दुब्बा (ऐसी लौकी जिसको सुखा लिया गया हो और उसके अन्दर का गूदा निकाल लिया गया हो) और मुज़फ़्फ़त् (वह घड़ा जिसके ऊपर तारकोल लगाकर मुंह बंद कर दिया गया हो) मैं नबीज़ बनाने से मना किया है। मैंने कहा कि आपने घड़े और हरे घड़े का नाम नहीं लिया। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं तुमसे वह बयान कर रही हूं जो मैंने सुना हैं क्या मैं तुमसे वह भी बयान करूं जो मैंने नहीं सुना है। (बुख़ारी)

पर्दा फ़र्ज़ होने से पहले बुलंद कामों के करने की ख़्वाहिशः

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि उहद के दिन लोग नबी करीम (सल्ल.) से पीछे रह गए थे... मैं ने हज़रत आयशा (रज़ि.) बिन्ते अबी बक्र और हज़रत उम्मे सलीम (रज़ि) को देखा कि वो दोनों अपने पाएचें चढ़ाए हुई हैं, मुझे उनकी पिण्डलियां नज़र आ रही थीं वह दोनों अपनी पीठ पर मिश्क़ीज़े उठाये हुए थीं और लोगों को पानी पिला रही थीं, फिर वह लौट कर जाती मिश्क़ीज़ो को भरकर वापस आती और लोगों को पानी पिलातीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

परदा फ़र्ज होने के बाद ऊँचे कामों को करने की इच्छाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल! जिहाद सबसे अच्छा कर्म है तो हम भी क्यों न जिहाद करें, आपने (सल्ल) फ़रमाया कि सबसे अच्छा जिहाद हज्जे मब्रूर हैं एक रिवायत में हैं क्या हम आपके साथ मिलकर जिहाद न करें आपने फ़रमाया कि सबसे अच्छा और खूबसूरत जिहाद हज्जे मब्रूर है। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि नबी (सल्ल.) से यह सुनने के बाद अब मैं कभी भी हज्ज नहीं छोड़ूंगी। (बुख़ारी.)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम हज्ज के महीनों में हज्ज के लिए निकले। हमने सरफ़ नामी स्थान पर पड़ाव किया, नबी (सल्ल) ने सहाबा से कहा कि जिस व्यक्ति के पास कुरबानी का जानवर न हो और वह उमरह भी करना चाहे तो कर सकता है और जिसके साथ जानवर हो वह उमरह नहीं कर सकता। नबी (सल्ल.) और उनके कुछ

मालदार सहाबा के पास कुर्बानी का जानवर था। अतः वह लोग उमरह नहीं कर सकते थे। मेरे पास नबी (सल्ल.) आये, मैं रो रही थी आपने पूछा कि क्यों रो रही हो मैंने कहा कि आप सहाबा से जो कुछ कह रहे थे वह मैने सुना। आपने उमरह से मना कर दिया। एक रिवायत में है कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या लोग दो–दो अज्र (बदला) लेकर लौटें और मैं एक ही अज्र के साथ लौटूं। एक रिवायत में है कि "ऐ अल्लाह के रसूल लोग दो–दो इबादत के साथ लौटेंगे और मैं एक इबादत के साथ लौटूंगी। आपने फ़रमाया कि तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। आपने फ़रमाया कि कोई बात नहीं, तुम भी आदम की एक बेटी हो। तुम्हारे भाग्य में भी वही बातें लिखी हैं जो आदम की दूसरी बेटियों के भाग्य में लिखी हुई हैं तुम हज में रहो संभव है कि अल्लाह तआला तुम्हें उमरह करने की भी तौफ़ीक़ दे दे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं हज्ज में सम्मिलित थी यहां तक कि हम मीना से निकल कर मुहस्सब की घाटी में पहुंचे नबी (सल्ल.) ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को बुलाया और कहा कि अपनी बहन को अल्लाह के घर ले जाओ ताकि वह उमरह की अदायगी कर सकें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अपने घर वालों की बड़ाई (फज़ीलत) का बयानः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मुझे नबी (सल्ल.) की पत्नियों में किसी पर इतनी ग़ैरत (लज्जा) नहीं आई जितनी हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) पर आई हालांकि मैंने उनको देखा भी नहीं हैं नबी (सल्ल) अधिकतर उनका नाम लिया करते थे, कभी–कभी आप (सल्ल) बकरी ज़बह करते फिर उसके टुकड़े काटते और हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की सहेलियों के पास भेजते। कभी–कभी मैं आपसे कहती कि ऐसा लगता है कि हज़रत ख़दीजा के सिवा दुनिया में कोई औरत है ही नहीं, तो आप (सल्ल.) फ़रमाते वह ऐसी ही थीं। उनसे मेरी संतान थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं..... फिर नबी (सल्ल.) की पत्नियों ने आपकी पत्नी ज़ैनब बिन्ते जहश को भेजा, ये नबी (सल्ल) की निगाह में स्थान में मेरे बराबर थीं, मैंने कभी कोई महिला ज़ैनब से अधिक दीनदार, अल्लाह का डर रखने वाली, सच बोलने वाली, रिश्तों को जोड़े रखने वाली, बहुत अधिक सदक़ा करने वाली और जिस काम के माध्‍यम से वह सदक़ा करती थीं और जिससे अल्लाह से निकटता प्राप्त करती थीं उसको कम समझने वाली, नहीं देखी। हां, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाया करता था लेकिन वह उतनी ही जल्दी ठण्डी भी हो जाया करती थीं, हज़रत आयशा कहती हैं, कि उन्होंने नबी (सल्ल.) के पास आने की अनुमति मांगी। उस समय नबी (सल्ल.) हज़रत आयशा के साथ उनकी चादर में उसी तरह थे जिस तरह वह उस वक़्त थे जब हज़रत फ़ातिमा आई थीं। आपने उनको अनुमति दे दी, ज़ैनब बिन्ते जहश ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल) मुझे आपकी पत्नियों ने आपके पास भेजा है वह आप से अबू क़हाफह (अबू बक्र) की बेटी (आयशा) के सिलसिले में न्याय की मांग करती हैं। हज़रत आयशा कहती हैं, फिर उन्होंने

मुझे बुरा–भला कहा। मैं नबी (सल्ल.) और उनकी निगाहों को देख रही थी कि शायद मुझे कुछ कहने की अनुमति दें हज़रत आयशा कहती हैं कि ज़ैनब लगातर बोलती रहीं तो मैं समझ गई कि अगर मैं उनसे मुक़ाबला करूं और बदला लूं तो यह आप (सल्ल) को बुरा नही लगेगा। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं फिर मैंने उनको बुरा–भला कहना शुरू किया। मैं लगातार बोलती रही यहां तक कि उन से जीत गई।   (मुस्लिम)

हश्शाम अपने पिता से बयान करते हैं कि हस्सान बिन साबित ने इफ़्क (मनगढंत आरोप) के सिलसिले में बहुत सी बातें कही थीं। अतः मैंने उनको बुरा भला कहा। तो हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि ऐ भान्जे उनको कुछ न कहो क्योंकि व नबी (सल्ल) का बचाव करते थे।   (बुख़ारी व मुस्लिम शब्द मुस्लिम के हैं।)

उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि हज़रत आयशा इस बात को पसन्द नहीं करती थीं कि उनके सामने हज़रत हस्सान को बुरा कहा जाये। वह कहती थीं कि हस्सान ही ने यह शेयर कहा है।

फ़इन्न अबी व वालिदहू अर्ज़ी ले अर्ज़े मुहम्मदिन् मिनकुम वफाओ

(मेरे पिता उनके पिता और मेरा आदर सम्मान सब मुहम्मद के आदर सम्मान की रक्षा करने वाले हैं।)   (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनकी उदारता :

अब्दुल वाहिद बिन ऐमन कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया। वह ऊन की एक क़मीस पहने हुई थीं जिसकी क़ीमत पांच दिरहम थी उन्होंने कहा कि मेरी दासी को देखो वह इस क़मीस को घर में भी पहनना पसन्द नहीं करती। हालांकि नबी (सल्ल.) के ज़माने में मेरे पास ऊन की एक क़मीस थी। मदीने की जो औरत भी सौंदर्य करना चाहती मुझसे वह क़मीस उधार मांग लेती।

(बुख़ारी)

औफ़ बिन तुफ़ैल (जो हज़रत आयशा रज़ि. के भतीजे हैं) कहते हैं कि हज़रत आयशा को यह बताया गया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने उनके किसी क्रय–विक्रय या उपहार के सिलसिले में यह कहा कि अल्लाह कि क़सम या तो आयशा मान जायें या फिर मैं उनको अवश्य इससे रोक दूंगा। एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी उनके साथ अच्छा मामला करते थे, आयशा (रज़ि.) के पास जो चीज़ भी आती थी वह उसे सदक़ा कर देती थीं हज़रत आयशा ने पूछा कि क्या अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने ऐसा कहा हैं? लोगों ने कहा 'हां', हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं अल्लाह के लिए मन्नत मानती हूं कि इब्ने ज़ुबैर से कभी भी बात नहीं करूंगी। जब दोनों के बीच दूरी का अन्तराल लम्बा हो गया तो इब्ने ज़ुबैर ने विभिन्न लोगों से सिफ़ारिश की। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह की क़सम मैं किसी की सिफ़ारिश स्वीकार नहीं करूंगी। और न ही अपनी मन्नत के सिलसिले में गुनाहगार हूंगी। जब इब्ने ज़ुबैर पर यह बहुत कष्टदायक होने लगा तो उन्होंने ने मिस्वर बिन मख़रमह और अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से बात की। इन दोनों का

सम्बन्ध बनू ज़ुहरा से था। इब्ने जुबैर ने उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे हज़रत आयशा के पास ले चलो । उनके लिए जायज नहीं है कि वह मुझसे सम्बन्ध तोड़ने की मन्नत मानें। अतः मिस्वर और अब्दुर्रहमान अपनी चादरें ओढ़कर इब्ने ज़ुबैर को ले आये। दोनों ने हज़रत आयशा से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, क्या हम अन्दर आ सकते हैं? हज़रत आयशा ने कहा कि 'हां' आ जाओ। उन्होंने पूछा कि क्या हम सब आ जायें, उन्होंने कहा कि हां सब आ जाओ, वह नहीं जानती थी कि उनके साथ इब्ने ज़ुबैर भी हैं। जब वे लोग अन्दर आये तो इब्ने ज़ुबैर परदे के पीछे चले गये और हज़रत आयशा को अल्लाह का वास्ता देने लगे और रोने लगे। मिस्वर और अर्ब्दुहमान ने भी उनसे बात करने को कहा, लेकिन न ही उन्होंने बात की ओर न ही उन्होंने उनकी बात स्वीकार की। वह दोनों कह रहे थे कि आप जानती हैं कि नबी (सल्ल.) ने किसी मुसलमान से बात–चीत छोड़ देने से मना किया है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से ज्यादा छोड़े। जब इन लोगों ने हज़रत आयशा को बार–बार यह हदीस याद दिलाई तो वह रोने लगीं और कहने लगीं कि मैंने तो मन्नत मानी है और वह मिन्नत बहुत कठोर है, लेकिन वे दोनों उनके पीछे लगे रहे। यहां तक कि उन्होंने इब्ने ज़ुबैर से बात कर ली और अपनी मन्नत के टूटने पर चालीस दासों को आज़ाद किया। बाद में वह अपनी इस मिन्नत को याद करके रोती थीं यहां तक कि उनकी ओढ़नी भीग जाती थी। (बुख़ारी)

उनका तक़्वाः

अमर बिन मैमून अल–अवदी कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को देखा वह कह रहे थे कि ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ और उनसे कहो कि उमर बिन ख़त्ताब आपको सलाम कह रहे हैं, फिर उनसे पूछो कि क्या मैं अपने साथियों के साथ दफ़्न हो सकता हूं। हज़रत आयशा (रज़ि) ने कहा कि मैं स्वयं उस जगह दफ़्न होना चाहती थी लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर प्राथमिकता देती हूं। जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर वापस आये तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि क्या ख़बर है? उन्होंने कहा कि ऐ अमीरूल मोमिनीन उन्होंने आपको अनुमति दे दी हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि उस जगह से अधिक कोई चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। जब मेरी रूह (आत्मा) निकाल ली जाये तो तुम लोग मुझे ले जाना, फिर हज़रत आयशा को सलाम कहना, और कहना कि उमर बिन ख़त्ताब जहां पर दफ़्न होने की अनुमति चाहते हैं अगर वह अुनमति दे दे तो मुझे वहां दफ़्न कर देना। अन्यथा मुझे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़्न कर देना। (बुख़ारी)

इब्ने अबी मुलैकह फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा की मौत से कुछ पहले इब्ने अब्बास ने उनके पास आने की अनुमति चाही। उस समय हज़रत आयशा पर बेहोशी जैसी हालत थी, वह कहती हैं कि मुझे डर है कि इब्ने अब्बास आकर मेरी प्रंशसा करने लगेंगे,

उनके बाद इब्ने ज़ुबैर आये तो हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि इब्ने अब्बास मेरे पास आये थे, वह मेरी प्रशंसा कर रहे थे उस क्षण मेरे दिल ने चाहा कि काश मैं एक भूली विसरी चीज़ होती। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर से कहा कि मुझे मेरे सौतनों के साथ दफ़्न करना मुझे नबी (सल्ल.) के साथ घर में दफ़्न न करना क्योंकि मै नहीं चाहती कि मुझे दूसरों पर वरीयता दी जाये। (बुख़ारी)

उनकी बहादुरीः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उहद के दिन लोग नबी (सल्ल.) से पीछे रह गये। मैंने आयशा बिन्ते अबी बक्र और उम्मे सुलैम को देखा, इन दोनों ने अपने पांयचे चढ़ा रखे थे। वह दोनों अपनी पीठों पर मिश्कीज़े उठाये हुए थीं औरे लोगों को पानी पिलातीं। फिर वे लौट कर जातीं। मिश्क़ीज़े भरकर वापस आतीं और लोगों को पानी पिलातीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

उहद के दिन हज़रत आयशा की उम्र केवल 11 साल थी और उस समय उन्होंने लड़ाई में ऐसी ज़बरदस्त भूमिका निभाई हमें ख़न्दक की लड़ाई में भी हज़रत आयशा की भूमिका पर दृष्टिपात करना चाहिए, जिस समय आपकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कहती हैं कि मैं ख़न्दक के दिन लोगों के पैरों के निशान देखते हुए निकली कि अचानक अपने पीछे ज़मीन की आवाज़ सुनी मैं पलट पड़ी तो क्या देखती हूं कि वहां सअद् बिन मुआज़ और उनके साथ उनके भतीजे हारिस बिन औस हैं जो ढ़ाल उठाये हुए हैं, वह कहती हैं कि फिर मैं ज़मीन पर बैठ गई वहां से सअद गुज़रे वह लोहे की कवच (जिरह) पहने हुए थे जिससे उनकी बाहें निकली हुई थीं। मुझे उनकी बाहों के सिलसिले में डर लग रहा था वह रिज्ज़ीया (युद्ध पर उभारने वाली कविता) शेअर पढ़ते हुए गुज़रे।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि फिर मैं खड़ी हो गई और एक बाग़ मे दाख़िल हो गई, वहां मुझे कुछ मुसलमान नज़र आये, उनमें उमर बिन ख़त्ताब भी थे वहां एक व्यक्ति था जो ख़ूद (सिर का कवच) पहने हुए था। हज़रत उमर ने मुझसे कहा कि आप क्यों आई हैं। अल्लाह की क़सम आप बहुत बहादुर हैं लेकिन अगर कोई मुसीबत आ जाये या पराजय हो जाये तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगी। हज़रत उमर लगातार मेरी मौजूदगी पर नापसंदीदगी प्रकट करते रहे यहां तक कि मैंने यह इच्छा की कि इसी समय ज़मीन फट जाये और मैं उसमें समा जाऊं हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि फिर ख़ूद वाले व्यक्ति ने अपने चेहरे से उसे उतार दिया मैंने पहचान लिया कि तलहा बिन उबैदुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि ऐ उमर आज आपने बहुत अति कर दी, अल्लाह के सिवा और किसकी तरफ़ पलटकर और भाग कर जाना हैं, हज़रत आयशा फ़रमाती हैं क़ुरैश के एक मुशरिक ने जिसका नाम इब्नुल अरकह था हज़रत सअ़द को तीर मारा, और कहा, लो संभालो, इसको मैं इब्नुल अरकह हूं वह तीर सअ़द के बांह की नस में लगा, जिससे वह नस कट गई, सअद ने अल्लाह से दुआ की, और कहा कि ऐ अल्लाह मुझे उस समय तक मौत न

दे जब तक कि मेरी आंख बनू क़ुरैजह के नियति (अन्जाम) को देखकर ठण्डी न हो जाये। वह कहती हैं कि बनू कुरैजह जाहिली ज़माने में हज़रत सअद के रिश्तेदारों के पक्षधर थे, हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि फिर सअ़द का ज़ख़्म सूख गया। अल्लाह तआला ने मुशरिकों पर हवा भेज दी और अल्लाह मुस्लमानों की तरफ़ से युद्ध के लिए काफ़ी हो गया। अल्लाह बहुत ही शक्तिशाली है। (अहमद)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं; फिर वह हफ़्सा के पास गये और उनसे कहा कि ऐ बेटी क्या तुम नबी (सल्ल.) से इस तरह बहस करती हो कि वह तुम से दिन भर के लिए नाराज़ हो जाते हैं, हफ़्सा ने कहा कि हां हम आपसे बहस करते हैं मैंने कहा कि तुम जानती हो कि मैंने तुमको अल्लाह की सज़ा और नबी (सल्ल.) की नाराज़गी से सचेत किया हैं हज़रत उमर कहते हैं कि फिर मैं हज़रत आयशा के पास गया और कहा "ऐ अबू बक्र की बेटी क्या तुम इतनी आगे बढ़ गई हो कि नबी (सल्ल.) को कष्ट पहुंचाती हो।

अबू मरयम अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद असदी कहते हैं कि जब तलहा, जुबैर और आयशह बसरह की तरफ़ निकले, तो हज़रत अली ने अम्मार बिन यासिर और हसन बिन अली को कूफ़ा की तरफ़ भेजा, जब वे हमारे पास कूफा आये तो वे दोनों मिम्बर पर चढ़ गये। हसन बिन अली मिम्बर पर ऊपर खड़े हुए और अम्मार बिन यासिर उनसे नीचे थे, हम लोग वहां एकत्र हो गये मैंने अम्मार को कहते हुए सुना कि हज़रत आयशा बसरा की तरफ़ चल चुकी हैं, अल्लाह की क़सम वह इस दुनिया में भी और आख़िरत में भी तुम्हारे नबी की पत्नी हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम लोगों को परीक्षा में डाला है ताकि वह देख ले कि तुम अल्लाह का आज्ञापालन करते हो या आयशा का। (बुख़ारी)

रिवायत सही ढंग से बयान करना चाहिए चाहे वह अपने विरूद्ध ही क्यों न हो

हज़रत आयशा ने कहा क्या मैं तुम्हें अपने और नबी (सल्ल.) के बारे में न बताऊँ। हमने कहा कि क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि जब वह रात आई जिसमें नबी (सल्ल) मेरे पास थे तो आप मेरे पास से उठ गये। आप ने चादर हटाई, जूते उतारे, उनको अपने पैर के पास रखा। फ़र्श पर अपनी तहबन्द (लुंगी) का एक हिस्सा बिछाया और उसपर लेट गये आप को जैसे ही महसूस हुआ कि मैं सो गई हूं आपने धीरे से अपनी चादर उठाई, जूता पहना दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गये। फिर धीरे से दरवाज़ा बन्द कर दिया। मैंनें अपने सिर पर चादर डाली। ओढ़नी ओढ़ी, कपड़े पहने, और नबी (सल्ल) के पीछे चल पड़ी यहां तक कि आप जन्नतुल बक़ीअ़ के पास आये वहां बहुत देर तक खड़े रहे, फिर आपने तीन बार हाथ उठाया फिर आप मुड़े तो मैं भी मुड़ गई। आप तेज़ चले। तो मैं भी तेज़ चली। आपने अपनी रफ़्तार और तेज़ की। तो मैंने भी अपनी रफ़्तार तेज कर दी। आप दौड़े तो मैं भी दौड़ने लगी। मैं आप से पहले घर में दाख़िल हो गई। जैसे ही मैं लेटी कि आप घर में दाख़िल हुए। आपने कहा कि ऐ आयशा तुम्हारी सांस तेज़ तेज़ चल रही है। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। आपने फ़रमाया कि तुम मुझे बता दो अन्यथा अल्लाह मुझे बता देगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान!

फिर मैंने आप को पूरी घटना बता दी। आपने फ़रमाया कि तुम ही वह थीं जिसको मैंने अपने आगे देखा था। मैंने कहा कि हां, तो आपने मेरे सीने पर इस तरह मारा कि मुझे तकलीफ़ होने लगी। फिर आपने फ़रमाया कि क्या तुम यह समझती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर अत्याचार करेगा? उन्होंने कहा कि लोगों से जो कुछ भी छिपाया जाता है उसे अल्लाह जानता है। आपने बताया कि जब तुमने देखा था, उस वक़्त मेरे पास जिब्रील आये थे। उन्होंने मुझे धीरे से आवाज़ दी ताकि तुम न सुन सको मैंने भी उनको इस तरह जवाब दिया कि तुम न सुन सको। जिब्रील इस हालत में तुम्हारे पास नहीं आते कि तुमने अपने कपड़े उतार दिये थे। मैंने यह समझा कि तुम सो चुकी हो। अतः मैंने तुमको जगाना मुनासिब नहीं समझा। मुझे ड़र था कि तुम ड़रने न लगो। जिब्रील ने मुझसे कहा कि आपका पालनहार आपको आदेश देता है कि आप जन्नतुल बक़ीअ़ जायें और वहां दफ़न हुए लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कहा 'ऐ अल्लाह के रसूल मैं उन दफ़न लोगों के इस्तिग़फ़ार के लिए क्या कहूं। आपने फ़रमाया कि तुम यह कहो!

अस्सलामु अला अहलिद्दियारि मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व मरहमुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्तअ़ख़िरीना व अना इनशा अल्लाहु बिकुम लाहिकूना। (मुस्लिम)

(सलाम हो इस दियार वालों पर जो मोमिनों और मुस्लिमों मे से हैं और (अल्लाह) दया करे हममें से अगलों पर और पिछलों पर और हम भी इन्शा अल्लाह तुम से मिलने वाले हैं) (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) शहद और हलवा पसन्द करते थे आप जब अस्र की नामज पढ़कर आते तो अपनी तमाम पत्नियों के पास जाते और किसी एक से क़रीब होते। आप हफ़्सा बिन्ते उमर के पास गये और वहां आदत से अधिक रूक गये। मुझे बड़ी ग़ैरत आई। मैंने इस सिलसिले में पूछा तो मुझे बताया गया कि हफ़्सा के क़बीले की एक महिला ने उनको एक मटका शहद उपहार में दिया है उन्होंने वह शहद नबी (सल्ल) को पिलाया मैंने कहा कि अल्लाह की क़सम हम कोई चाल चलेंगे। मैंने सौदा बिन्ते ज़मआ से कहा कि जल्द ही नबी (सल्ल.) आपके क़रीब होंगे। तो आप उनसे कहिएगा कि क्या आपने मग़ाफ़ीर खायी है तो वह आपसे कहेंगे कि नहीं तो आप उनसे कहिएगा कि फिर आपके पास से यह कैसी गन्ध आ रही है। वह आपसे कहेंगे कि हफ़्सा ने मुझे शहद खिलाया है तो आप उनसे कहिएगा कि शहद की मक्खी ने अरफ़त पेड़ को चाट लिया होगा। फिर मैं भी ऐसे ही कहूंगी। और ऐ सफीया! आप भी ऐसे ही कहिएगा। हज़रत आयशा कहती है कि सौदा कहती हैं कि अल्लाह की क़सम नबी (सल्ल) जैसे ही दरवाज़े पर खड़े हुए मैंने आपसे डर कर सोचा कि उनको वह बात बता दूं जिसका आयशा ने आदेश दिया है, लेकिन जब नबी (सल्ल.) सौदा से क़रीब हुए तो उन्होंने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने मग़ाफ़िर खायी है? आपने फ़रमाया कि नहीं, सौदा ने कहा कि फिर आपके पास से यह कैसी गन्ध आ रही हैं आपने फ़रमाया कि हफ़्सा ने मुझो शहद खिलाया है। सौदा ने कहा कि शहद की मक्खी ने अरफ़त पेंड़ को चाट लिया होगा। जब

आप मेरे पास आये तो मैंने भी यही बात कही। जब आप सफ़ीया के पास गये तो उन्होंने भी यही बात कही। फिर जब आप हफ़्सा के पास गये तो उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं 'आपको शहद पिलाऊँ। आपने फ़रमाया कि मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है हज़रत आयशः कहती है कि सादः ने कहा, अल्लाह की क़सम हमने तो आपके लिए शहद हराम कर दिया। इस पर मैंने उनसे कहा कि चुप रहिये। (बुख़ारी)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने अपनी बीमारी के दिनों में कहा कि अबू बक्र को आदेश दो कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ायें। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कहा कि अबू बक्र जब आपकी जगह खड़े होगें तो लोग उनके रोने की वजह से कुछ सुन न सकेंगे। अतः आप उमर को आदेश दीजिए कि वे लोगों को नमाज़ पढ़ायें, अतः हज़रत हफ़्सा ने ऐसा ही किया, नबी (सल्ल.) ने कहा कि चुप रहो। तुम लोग तो यूसुफ़ (अलै.) वाली महिलाओं की तरह हो। अबू बक्र को आदेश दो कि वह नमाज़ पढ़ायें। हज़रत हफ़्सा ने हज़रत आयशा से कहा कि मुझे तुमसे कोई भलाई पहुंची ही नहीं है।

अल्लाह की तरफ़ से हज़रत आयशा को सम्मानः

हज़रत (रज़ि.) आयशा फरमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने उनसे कहा कि मुझे दो बार तुम ख़्वाम में दिखाई गईं, मैंने ये देखा कि तुम रेशम के एक टुकड़े में हो और फरिश्ता कह रहा है कि ये आप की बीवी हैं, मैंने खोलकर देखा तो वहां पर तुम थीं, मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ़ से है तो वो उसे पूरा करेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत (रज़ि.) आयाशा फरमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने उनसे कहा कि ऐ आयशा जिब्रील तुम्हें सलाम कह रहे हैं, तो हज़रत (रज़ि.) आयाशा ने कहाः व अलैहिस्साम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत (रज़ि.) आयशा फरमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने कहा कि ऐ उम्मे सलमा. ... खुदा की क़सम मेरे ऊपर कभी इस हाल में वह्य नाज़िल नहीं हुई है कि मैं तुम में से किसी के लिहाफ़ में हूं सिवाए आयशा के। (बुख़ारी)

अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) ने कहा... ख़ुदा की क़सम हज़रत आयशा (रज़ि.) दुनिया में भी और आख़िरत में भी तुम्हारे नबी की बीवी हैं। (बुख़ारी)

नबी करीम (सल्ल.) की तरफ़ से हज़रत आयशा की इज़्ज़त अफ़्ज़ाईः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीब (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दूसरी तमाम औरतों पर हज़रत आयशा की फ़ज़ीलत ऐसी ही है जैसे तमाम खानों पर सरीद को फ़ज़ीलत हासिल है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत (रज़ि.) आयशा फरमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़ातिमा (रज़ि.) से कहा कि ऐ बेटी क्या तम वो पसंद नहीं करती हो जो मैं पसंद करता हूं, उन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि इससे यानी हज़रत आयशा से मुहब्बत करो. .. (बुख़ारी व मुस्लिम, शब्दा मुस्लिम के हैं)

हज़रत (रज़ि.) आयशा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) अपनी बीमारी में पूछते थे कि कल मेरी बारी कहां है? कल मेरी बारी कहां है? वास्तव में आप यह पूछना चाहते थे कि हज़रत आयशा के यहां बारी कब है? आपकी बीवियों ने आपको अनुमति दे दी कि जहां चाहें वहां रहें आप मौत तक हज़रत आयशा के पास रहे। हज़रत आयशाः कहती है कि नबी (सल्ल.) की मौत उस दिन हुई जिस दिन आप मेरे घर आते थे अल्लाह ने आपकी रूह इस इस हालत में निकाली कि आपका सर मेरे सीने के पास था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सहाबा की तरफ़ से हज़रत आयशा को सम्मान :

हज़रत आयशा फ़रमाती है कि उन्होंने हज़रत अस्मा से उधार के रूप में एक हार लिया, वह खो गया, नबी (सल्ल.) ने कुछ लोगों को उसे तलाश करने के लिए भेजा। इसी बीच नमाज़ का समय आ गया। अतः उन सहाबा ने बिना वुज़ू के नमाज़ पढ़ी जब वे लोग नबी (सल्ल.) के पास आये तो उन्होंने आप से इसकी शिकायत की। उस समय तयम्मुम से सम्बन्धित आयत उतरी। उसैद बिन हुज़ैर ने कहा की अल्लाह आपको भला बदला दे, जब भी आपके साथ कोई मसला आता है अल्लाह तआला उसका हल निकाल देता है और उसमें मुसलमानों के लिए बरकत होती है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) की बीवियों के बीच दो पार्टियां थीं, एक पार्टी में आयशा सफ़ीया, हफ़्सा और सौदा थीं और दूसरी पार्टी में उम्मे सलमा और दूसरी तमाम बीवियां थीं। मुसलमान नबी (सल्ल.) की हज़रत आयशा से मुहब्बत को जानते थे, अतः जब कोई व्यक्ति नबी (सल्ल.) को कुछ उपहार देना चहाता तो वह रूका रहता यहां तक कि जिस दिन नबी (सल्ल.) हज़रत आयशा के घर में होते उस दिन वह व्यक्ति हज़रत आयशा के घर में नबी (सल्ल.) को उपहार भेजता। (बुख़ारी)

इब्ने अबू मुलैकह फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) की मौत से पहले इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनके पास आने की अनुमति चाही। उनसे बताया गया कि इब्ने अब्बास जो कि महत्वपूर्ण मुसलमानों में से हैं, आये हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनको आने की अनुमति दे दो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनसे पूछा कि क्या हाल है? उन्होंने जबाब दिया कि अगर बच जाऊं तो अच्छी हूं। इब्ने अब्बास ने कहा कि आप इन्शा अल्लाह ख़ैरियत से रहेंगी, क्योंकि आप नबी (सल्ल.) की पत्नी हैं आपके अतिरिक्त आप (सल्ल.) ने किसी और कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। अल्लाह ने आपके बरी होने के सिलसिले में सन्देश भेजा। और एक रिवायत में है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आप तो एक ऐसी जगह जायेंगी जहां आपके स्वागत की सच्ची व्यवस्था है, अर्थात नबी (सल्ल.) और अबू बक्र। (बुख़ारी.)

मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा

हब्शा की तरफ़ उनकी हिजरत :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) और उम्मे सलमा ने हब्शा के एक गिरजाघर का बयान किया, जिसमें चित्र बने हुए थे इन दोनों ने नबी (सल्ल) से उसके बारे में बताया, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उन लोगों में से यदि कोई नेक आदमी मर जाता, तो वह उसकी क़ब्र पर एक मस्जिद बना लेते और उसमें इस तरह के चित्र बना देते। ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह की निगाह में सबसे अधिक बुरे लोग होंगे। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) का उनके पति का सम्मान करनाः

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती है कि नबी (सल्ल.) अबू सलमा के पास आये। उस वक़्त उनकी निगाहें फटी हुई थीं आपने उनको बन्द कर दिया और फ़रमाया कि जब रूह निकाली जाती है तो निगाह उसके पीछे–पीछे जाती है यह सुनकर उनके घर के लोग शोर मचाने और चीख़ने लगे। आपने कहा कि तुम लोग अपने लिए केवल भलाई की ही दुआ करो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी तमाम बातों पर आमीन कह रहे हैं। फिर आपने कहा कि ऐ अल्लाह अबू सलमा की (मग़्फ़िरत) फ़रमा दे। हिदायत पाये हुए लोगों में उनके दर्जे ऊंचे कर दे उनके पीछे रह जाने वालों को सबसे अच्छे वारिस दे। ऐ हमारे पालनहार उनकी और हम सब को मग़फ़िरत दे दे। और उनकी क़ब्र को विस्तृत और प्रकाशित कर दे। (मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) का आदेश मानते हुए धैर्य रखना :

हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब अबू सलमा की मौत हुई तो मैंने कहा कि वह बेचारे परदेस में परदेसी की हालत में मरे, मैं उन पर इतना रोऊंगी कि बाद में भी उसका उल्लेख किया जायेगा। अभी मैं रोने के लिए तैयार हुई थी कि ऊपर से एक औरत मेरी मदद करने के लिए आ गई। नबी (सल्ल.) उसके सामने आ गये और फ़रमाया कि तुम इस घर में शैतान को दाख़िल करना चाहती हो जहां से अल्लाह ने उसे दो बार निकाला है। अतः मैं रोने से रूक गई। (मुस्लिम)

अपने पति अबू सलमा के साथ वफ़ादारीः

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंनें नबी (सल्ल.) को यह कहते हुए सुना कि जिस मुसलमान को भी कोई मुसीबत पहुंचे और वह इसके बाद यह कहे कि यह सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जायेंगे। ऐ अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत पर अच्छा बदला दे और मुझे इसका बेहतरीन विकल्प दे, तो अल्लाह तआला उसको उस मुसीबत का सबसे अच्छा विकल्प प्रसद्क़ा करता है। उम्मे सलमा(रज़ि.) कहती हैं कि जब अबू सलमा की मौत हुई तो मैंने कहा कि अबू सलमा(रज़ि) से बेहतर कौन हो सकता है जिसके घर वालों ने सबसे पहले नबी (सल्ल.)की तरफ़ हिजरत की लेकिन फिर मैंने यह शब्द अपनी ज़ुबान से अदा कर दिये। तो अल्लाह तआला ने मुझे नबी (सल्ल.) के रूप में उनका बेहतरीन (ख़ल्फ़.) विकल्प उपलब्ध कराया। मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) से उनकी भाादी :

उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी (सल्ल.) ने हातिब बिन वलतआ को मेरे पास निकाह का सन्देश देकर भेजा, मैंने कहा कि मेरी एक बेटी है और मै बहुत आत्मसम्मान वाली हूं। आपने(सल्ल.) फ़रमाया कि जहां तक उनकी बेटी का सवाल है तो मैं अल्लह से दुआ करूंगा कि वह उन्हे उससे बेपरवाह कर दे। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब नबी (सल्ल.) ने उनसे शादी की तो उनके पास तीन दिन रहे और फ़रमाया इसमें तुम्हारे घर वालों के लिए अपमान की बात नहीं है।. .... अगर तुम चाहो तो मैं सात दिन तुम्हारे पास रहूं। अगर मैं तुम्हारे पास सात दिन रहता हूं तो अपनी दूसरी बीवियों के यहां भी सात–सात दिन रहूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास तीन दिन रहूं और उसके बाद तमाम बीवियों के पास जाने लगूं। उम्मे सलमा ने कहा कि आप मेरे पास तीन दिन रहिये। (मुस्लिम)

उनका ठोस व्यक्तित्व :

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) की बीवियों में दो पार्टिया थीं। एक पार्टी में आयशा, हफ़्सा, सौदा और सफ़ीया थीं और दूसरी पार्टी में उम्मे सलमा और नबी (सल्ल.) की दूसरी बीवियां थी। उम्मे सलमा की पार्टी वाली महिलाओं ने उनसे कहा कि आप नबी (सल्ल.) से बात करिए कि वहलोगों से कहें कि यदि उनमें से कोई व्यक्ति नबी (सल्ल.) को भेंट उपहार देना चाहता है तो आपको उपहार दे दे। चाहे उस वक़्त आप किसी भी बीवी के घर में हों। अतः उम्मे सलमा (रज़ि.) ने नबी (सल्ल.) से इस सिलसिले में बात की। (बुख़ारी)

उनकी सामान्य समस्याओं से दिलचस्पी और मुसलमानों के अमीर के भाशण को ध्यान से सुनना :

नबी (सल्ल.) की बीवी उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि मैं लोगों को कौसर नामक हौज़ का बयान करते सुनती थी हालांकि मैंने नबी (सल्ल.) से उसका बयान ही सुना था, एक बार मेरी दासी मेरे बालों में कन्घा कर रही थी। कि मैंने नबी (सल्ल.) को मिम्बर पर कहते हुए सुना ऐ लोगो! मैंने दासी से कहा कि थोड़ा हटना तो! उसने कहा कि आप (सल्ल) ने मर्दों को पुकारा है न कि औरतों को मैन कहा कि मेरा सम्बन्ध भी तो लोगों से है, फिर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले जाऊंगा। तुम में से कुछ लोग जो मेरे पास आ रहे होंगे उनको इस तरह भगा दिया जायेगा जिस तरह भटके हुए ऊँट को भगाया जाता है, मैं पूछूंगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझसे कहा जायेगा

कि आपको मालूम नहीं, इन लोगों ने आपके बाद क्या नयी–नयी बाते पैदा कर रखी थीं तो मैं कहूंगा कि ऐ अल्लाह इनको दूर कर दे। (मुस्लिम)

उनकी बहादुरीः

हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि वह हफ़्सा (रज़ि.) के पास गये और उनसे कहा कि ऐ बेटी क्या तुम नबी (सल्ल.) से इस तरह बहस करती हो कि वह हुमसे दिन भर नाराज़ रहते हैं, हज़रत हफ़्सा ने कहा कि अल्लाह की क़सम हम आपसे बहस करते हैं, मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैंने हुम्हें अल्लाह की सज़ा और नबी (सल्ल) की नाराज़गी से सचेत कर रखा है। हज़रत उमर रज़ि. कहते है। फिर मैं निकल आया और उम्मे सलमा के पास गया क्योंकि मेरी उनसे रिश्तेदारी थी। मैंने उनसे बात की तो उम्मे सलमा ने कहा कि ऐ ख़त्ताब के बेटे आप पर आश्चर्य है, आपने हर चीज़ में दख़ल देना शुरू कर दिया है, यहां तक कि आप नबी (सल्ल.) और उनकी बीवियों के बीच दख़ल देना चाहते हैं अल्लाह की क़सम, फिर उन्होंने मेरी उन्होंने इतनी कड़ी पकड़ की कि मेरे दिल में जो विचार आ रहे थे वे मिट गये, और मैं उनके पास से निकल आया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लाह से बदले की आशा करते हुए अपने यतीम बच्चों की अच्छी देख–भाल करना :

हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने नबी (सल्ल.) से कहा ऐ अल्लाह के रसूल अगर मैं अबू सलमा के बच्चों पर ख़र्च करती हूं तो क्या मुझे नेकी मिलेगी? मैं उनको इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती, वह मेरे बेटे हैं? आप ने फ़रमाया हां तुम उनके ऊपर जो कुछ ख़र्च करोगी तुम्हे उसका बदला मिलेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनके विवेक की परिपक्वता और अच्छे परामर्श देना :

मिस्वर बिन मख़रमह कहते है। कि नबी (सल्ल.) हुदैबिया के ज़माने में निकले... ..... जब आप क़ुरैश के साथ समझौते का दस्तावेज़ लिखवा चुके तो आपने सहाबा से फ़रमाया कि जाओ अपने जानवरों को ज़बह कर दो और सिर मुंडवा लो। रिवायत करने वाले (रावी) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम कोई भी सहाबी अपनी जगह से नहीं उठा। आपने तीन बार यह बात कही लेकिन जब कोई सहाबी अपनी जगह से नहीं उठा तो आप हज़रत उम्मे सलमा के पास गये और उनसे लोगों के रवैये को बयान किया। उम्मे सलमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल.) क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। आप निकलिए किसी से बात न कीजिए फिर अपने जानवर को ज़बह कर दीजिये और हज्जाम को बुलवाकर अपना सिर मुंडवा लीजिए। अतः आप निकले। आपने किसी से कोई बात न की यहां तक कि आपने अपना जानवर ज़बह किया और हज्जाम को बुलवाकर सिर मुंडवाया, जब सहाबा

किराम ने नबी करीम (सल्ल.) को ऐसा करते हुए देखा तो वे भी खड़े हो गये, उन्होंने अपने जानवरों को ज़बह किया और एक दूसरे के सिर का बाल उतारने लगे। (बुख़ारी)

उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की माँ) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश :

अल्लाह के आदेश से आपकी नबी (सल्ल.) से भाादीः

"जब तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को न छोड़ और अल्लाह से डर, उस वक़्त तुम अपने दिल में वह बात छिपाये हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह इसका अधिक हक़दार है कि तुम उससे डरो, फिर जब ज़ैद उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो हमने उस (तलाक़शुदा महिला) का तुम से निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी न रहे, जबकि वह उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके हों और अल्लाह का आदेश तो व्यवहार (अमल) में आना ही चाहिए था। (सूरह अहज़ाबः73)

इस्तिख़ारह की नमाज़ की चाहत :

हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि जब हज़रत ज़ैनब की इद्दत के दिन समाप्त हो गये तो नबी (सल्ल.) ने हज़रत ज़ैद से कहा कि ज़ैनब को मेरी शादी का सन्देश दो, हज़रत अनस कहते हैं कि हज़रत ज़ैद जिस समय ज़ैनब के पास गये, उस वक़्त वह आटा गूंध रही थीं। ज़ैद कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मेरे दिल पर उनकी बड़ी बड़ाई स्थापित हुई, यहां तक कि मेरे अन्दर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उनको देख सकूं , क्योंकि नबी (सल्ल) ने उन्हें शादी का सन्देश दिया था। अतः मैंने उनकी तरफ़ अपनी पीठ कर ली और मैंने पीछे हट कर कहा कि ऐ ज़ैनब नबी (सल्ल.) ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें उनकी शादी का सन्देश दूं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पालनहार से परामर्श लेने से पहले कोई काम नहीं करती। अतः वह नमाज़ पढ़ने की जगह गईं। इसी बीच नबी (सल्ल.) पर यह आयत उतरी। "और याद करो जब तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था" नबी (सल्ल.) उनके पास आये और बिना अनुमति के दाख़िल हो गये। (मुस्लिम)

उनकी भाादी की सुबह परदे से सम्बन्धित आयत का अवतरण :

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी (सल्ल.) ने ज़ैनब बिन्ते जहश से शादी की तो आपने वलीमा किया। लोगों ने इच्छानुसार रोटी और गोश्त खाया, फिर आप (सल्ल.) उम्महातुल मोमिनीन के कमरों की तरफ़ गये जैसे कि आप शादी की सुबह किया करते थे। आप (सल्ल) ने उन सबको सलाम किया और दुआएं कीं। उम्महातुल मोमिनीन ने भी आप

को सलाम किया और दुआए कीं। जब आप अपने घर की तरफ़ लौटे तो देखा कि वहां दो लोग बात कर रहे हैं, आपने उन दोनों को देखा तो अपने घर से लौट आये। जब उन दोनों लोगों ने देखा कि नबी (सल्ल.) अपने घर से लौट रहे हैं तो वे दोनों तेज़ी से घर से निकल पड़े मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों के चले जाने की ख़बर मैंने नबी (सल्ल.) को दी या किसी और ने दी। फिर आप (सल्ल.) लौट कर घर आ गये। मेरे और अपने बीच एक परदा लटका दिया, फिर परदे से सम्बन्धित आयत उतरी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) निगाह में उनका स्थान :

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल) की पत्नियों में ज़ैनब बिन्ते जहश नबी (सल्ल.) की निगाह में स्थान में मेरे बराबर थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनकी बहुत अधिक अच्छाइयां:

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं मैंने कभी कोई महिला जैनब से अधिक दीनदार, अल्लाह से डरने वाली, सच बोलने वाली, रिश्तेदारी निभाने वाली, बहुत अधिक सदक़ा करने वाली और जिस काम के माध्यम से वह सदक़ा करती थीं, जिसके द्वारा वह अल्लाह से निकटता प्राप्त करती थीं, उसको कम समझने वाली नहीं देखी। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) की बीवियों से उनका गर्व करना:

हज़रत अनस कहते हैं कि ज़ैनब (रज़ि.) नबी (सल्ल.) की बीवियों से गर्व किया करती थीं और कहती थीं कि तुम्हारी शादियां तो तुम्हारे घर वालो ने की हैं लेकिन मेरी शादी अल्लाह तआला ने सात आसमान के ऊपर से की है। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) से जल्दी जा मिलना:

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) की कुछ बीवियों ने आप (सल्ल.) से पूछा कि हममें से कौन सबसे पहले आपसे जा मिलेगी। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम में से जिसके हाथ सबसे लम्बे हैं, वह मुझसे सबसे पहले मिलेगी। अतः इन सब बीवियों ने एक लकड़ी ली और अपना–अपना हाथ नापने लगीं हज़रत सौदा का हाथ सबसे लम्बा निकला लेकिन हमें हज़रत ज़ैनब कि मौत के बाद एहसास हुआ कि लम्बे हाथ से तात्पर्य सदक़ा था। हज़रत ज़ैनब हममे सबसे पहले नबी (सल्ल.) से जा मिलीं। उनको सदक़ा करना बहुत प्रिय था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सुलैम (गुमैसा बिन्ते मल्हान):

नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मै जन्नत में दाख़िल हुआ तो मुझे चलने की आवाज़ सुनाई दी मैंने पूछा कि ये कौन हैं? मुझे जवाब दिया गया कि ये गुमैसा बिन्ते मल्हान हैं। (मुस्लिम)

उनकी अनोखी भाादी :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने अबू तलहा की बीवी को देखा। (मुस्लिम)

अपने पति का ध्यान रखना और उनका धैर्य :

हज़रत अनस कहते हैं कि उम्मे सुलैम की कोख से अबू तलहा के एक बेटे की मौत हो गयी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग अबू तलहा को उनके बेटे के बारे में न बताइयेगा, मैं स्वयं बता दूंगी। हज़रत अनस कहते हैं कि अबू तलहा आये तो उम्मे सुलैम ने उनको रात का खाना दिया, अतः उन्होंने खाना खाया। हज़रत अनस (रज़ि) कहते हैं जिस तरह वह पहले अबू तलहा के लिए शृंगार किया करती थी, उसी तरह उन्होंने शृंगार किया, फिर अबू तलहा ने उनसे सहवास किया। जब उम्मे सुलैम ने महसूस किया कि अबू तलहा सन्तुष्ट हो चुके हैं और सहवास पूरा कर चुके हैं तो उन्होंने कहा कि ऐ अबू तलहा! आपका क्या विचार है, अगर कोई किसी को अपनी कोई चीज़ उधार दे, फिर वह उससे उसको मांगे तो क्या उसको इस बात का अधिकार है कि वह उधार दी हुई चीज़ को अपने पास रोक ले, और वापस न करे। उन्होंने कहा कि नहीं उम्मे सुलैम ने कहा कि फिर आप अपने बेटे के सिलसिले में बदले और नेकी की आशा रखिये। इस पर अबू तलहा क्रोधित हो गये और बोले कि तूने मुझे अपवित्र होने के बाद इसकी सूचना दी, फिर वह नबी (सल्ल.) के पास आये और उनको इस घटना के बारे में बताया नबी (सल्ल.) ने कहा कि अल्लाह तआला तुम दोनों की पिछली रात में बरकत दे। अनस कहते हैं कि फिर उम्मे सुलैम गर्भवती हो गईं। हज़रत अनस कहते हैं कि नबी (सल्ल.) एक सफ़र में थे उम्मे सुलैम भी उस सफ़र में सम्मिलित थीं नबी (सल्ल.) जब किसी सफ़र से वापस आते तो रात में मदीने में दाख़िल नहीं होते थे। जब नबी (सल्ल) और सहाबा मदीने के क़रीब पहुंचे तो उम्मे सुलैम को प्रसव पीड़ा उठी, अबू तलहा उनके पास रूक गये और नबी (सल्ल.) चले गये। हज़रत अनस कहते हैं कि अबू तलहा ने कहा, ऐ अल्लाह! तू बेहतर जानता है कि मैं नबी (सल्ल.) के साथ ही निकलना और दाख़िल होना चाहता हूं , तू बेहतर जानता है कि मैं यहां क्यों रूक गया हूं। हज़रत अनस कहते हैं कि उम्मे सुलैम ने कहा कि अब दर्द नहीं हो रहा है अतः अब चला जाये। हम सब चल पड़े। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना आने के बाद उम्मे सुलैम को फिर पीड़ा उठी और एक बच्चे का जन्म हुआ। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ऐ अनस इसको किसी का दूध पिलाने से पहले नबी (सल्ल.) के पास ले जाओ मैं सुबह बच्चे को लेकर नबी (सल्ल) के पास गया। हज़रत अनस कहते हैं कि जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपके हाथ में एक लोहा था। आपने फ़रमाया कि शायद उम्मे सुलैम के यहां जन्म हुआ है मैंने कहा 'हां' आपने वह लोहा एक तरफ़ रख दिया। हज़रत अनस कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने उस बच्चे को आपकी गोद में डाल दिया। नबी (सल्ल)

ने मदीने की अजवः खजूर मंगाई उसे मुंह में चबाया और अच्छी तरह से चबाने के बाद उस बच्चे के मुंह में डाल दिया बच्चा उस खजूर का स्वाद लेने लगा। इस पर आपने फ़रमाया देखो अन्सार खजूर कितना पसन्द करते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि नबी (सल्ल) ने उस बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा और उस बच्चे का नाम अब्दुल्लाह रखा। (बुख़ारी, मुस्लिम– शब्द मुस्लिम के है।)

नबी (सल्ल.) का उनका ध्यान रखना :

हज़रत अनस कहते हैं कि नबी (सल्ल.) मदीने में अपनी बीवियों के घर के अतिरिक्त केवल उम्मे सुलैम के घर (पाबन्दी से) जाते थे। नबी (सल्ल.) से इस सिलसिले में बात की गई तो आप ने फ़रमाया। मुझे उम्मे सुलैम पर दया आती है उनका भाई मेरे साथ शहीद कर दिया गया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक कहतें है; कि जब उम्मे सुलैम घर पर नहीं होतीं तो नबी (सल्ल.) उनके घर जाते और उनके बिस्तर पर सो जाते। हज़रत अनस कहते हैं कि एक दिन नबी (सल्ल.) आये और उनके बिस्तर पर सो गये किसी ने उम्मे सुलैम को ख़बर दी कि नबी (सल्ल.) आपके घर में आपके बिस्तर पर सोये हुए हैं उम्मे सुलैम घर आईं और देखा कि नबी (सल्ल.) को पसीना आया है और वह बिस्तर पर एक चमड़े के टुकड़े पर एकत्र हो गया हैं उन्होंने अपना सन्दूक खोला पसीने को जज़्ब (कपड़े में सोखा) करके शीशियों मे निचोड़ने लगीं। नबी (सल्ल.) उठे और कहा ऐ उम्मे सुलैम यहा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे आशा है कि यह हमारे बच्चों के लिए बरकत का कारण होगा। आपने फ़रमाया कि तुम ठीक कर रही हो। (मुस्लिम)

उनका और उनके घर वालों का नबी (सल्ल.) का ध्यान रखना :

वह, उनका बेटा, उनके पति उनकी माँ और उनकी बहनः

हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना आये तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अन्सार, ज़मीन जायदादा वाले थे अतः अन्सार ने मुहाजिरों के साथ इस तरह बटवारा किया कि वह उन्हें हर साल अपने माल का आधा हिस्सा दे देंगे और इस तरह वह लोग मुहाजिरीन के कामकाज और खाने–पीने के लिए काफ़ी हो जायेंगे। हज़रत अनस की माँ अर्थात उम्मे सुलैम ने नबी (सल्ल.) को कई खजूर के बाग़ दिये थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब नबी (सल्ल) मदीना पधारे तो उस समय मेरी उम्र 10 साल थी मेरी माँ मुझे नबी (सल्ल.) की सेवा में पाबन्दी से भेजती थीं। मैंने नबी (सल्ल.) की 10 साल सेवा की आपकी मौत के वक़्त मेरी उम्र 20 साल थी।

हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था कि नबी (सल्ल.) मेरे पास आयें हज़रत अनस कहते हैं कि आपने हम लोगों को सलाम किया और मुझे एक

ज़रूरत से भेज दिया। मुझे अपनी माँ के पास जाने में देर हो गई उन्होंने पूछा कि तुम कहां रह गये थे मैंने जवाब दिया कि मुझे नबी (सल्ल.) ने एक ज़रूरत से भेजा था। उन्होंने पूछा कि कैसी ज़रूरत थी। मैंने कहा कि यह राज़ की बात है उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल) के राज़ को किसी से मत बताना। हज़रत अनस ने कहा कि ऐ साबित अगर मैंने किसी को यह भेद बताया होता तो तुमको ज़रूर बता देता। (मुस्लिम)

उनकी बुद्धिमानी और बेहतरीन भरोसा :

हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा कि मैंने नबी (सल्ल.) की आवाज़ सुनी जो बहुत धीमी और पस्त थी मुझे लग रहा है कि आप भूखे हैं क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है उन्होंने कहा कि 'हां' है, फिर उन्होंने जौ की कुछ पेड़िया निकालीं, अपना एक दुपट्टा निकाला और रोटी को अपने दुपट्टे के एक हिस्से से लपेट दिया। फिर मेरे हाथ में दे दिया। उन्होंने दुपट्टे का एक हिस्सा मुझे उढ़ाया और मुझे नबी (सल्ल.) के पास भेजा, हज़रत अनस कहते हैं कि मैं रोटी लेकर गया। मैंने आपको मस्जिद में पाया आपके साथ कुछ सहाबा भी थे। मैं आपके पास जाकर खड़ा हो गया। नबी (सल्ल.) ने पूछा कि क्या तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा कि 'हां', आपने पूछा कि क्या खाना लाये हो? मैंनें कहा कि 'हां'। नबी (सल्ल.) ने वहां मौजूद सहाबा से कहा कि खड़े हो जाओ। अतः आप चल पड़े मैं उन लोगों के आगे चला, मैं अबू तलहा के पास आया और उन्हें इसकी सूचना दी। अबू तलहा ने कहा कि ऐ उम्मे सुलैम नबी (सल्ल.) कई साथियों को लेकर आये हैं। हमारे पास तो इतना खाना नहीं है कि उन सबको खिला सकें। उम्मे सुलैम ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अबू तलहा चल पड़े यहां तक कि उनकी मुलाक़ात नबी (सल्ल.) से हुई। नबी (सल्ल.) और अबू तलहा आये। आपसे कहा कि ऐ उम्मे सुलैम जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। वह रोटी ले आईं आपने उसे तोड़ने का आदेश दिया। अतः रोटी तोड़ दी गई। उम्मे सुलैम ने उस पर बरतन से सब्ज़ी पलट दी फिर नबी (सल्ल.) ने खाने को सामने रखकर कुछ पढ़ा। फिर आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि दस लोगों को आने की अनुमति दो। अतः उन्होंने दस लोगों को अनुमति दे दी। इन लोगों ने इच्छा भर खाया और चले गये फिर आपने फ़रमाया कि दस लोगों को आने की अनुमति दो अतः उन्होंने 10 लोगों को अनुमति दे दी। इन लोगों ने भी इच्छा भर खाया और चले गये। फिर आपने फ़रमाया कि और 10 लोगों को आने की अनुमति दो। अतः उन्होंने 10 लोगों को अनुमति दे दी। इन लोगों ने भी इच्छा भर खाया और चले गये। फिर आपने फ़रमाया कि 10 और लोगों को आने की अनुमति दे दो। इस तरह सभी लोगों ने इच्छा भर कर खा लिया। वह कुल 70 या 80 मर्द थे मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उसके बाद नबी (सल्ल.) अबू तलहा, उम्मे सुलैम और अनस बिन मालिक ने खाया। उसके बाद भी खाना बच रहा। अतः हमने वह खाना अपने पड़ोस में भिजवा दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनका बैअत में सम्मिलित होना और उसको पूरा करना:

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने बैअ़त के समय हमसे यह प्रण लिया कि हम विलाप नहीं करेंगे लेकिन इस प्रण को केवल पांच महिलाओं ने पूरा किया उम्मे सुलैम, उम्मुल उ़ला, अबू सब्रा की बेटी जो हज़रत मआज़ की पत्नी थीं और दो और महिलाएं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनकी सकारात्मक भार्म :

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उम्मे सुलैम नबी (सल्ल.) के पास आईं और कहा ''ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह सच बात कहने से नहीं शरमाता, अगर औरत को स्वप्न दोष हो जाये तो क्या उस पर भी ग़ुस्ल अनिवार्य है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि हां, अगर उसे गीलापन दिखाई दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने एक बार कहा कि अन्सार की महिलाएं बड़ी ही अच्छी महिलाएं हैं दीन का ज्ञान और गहरी समझ प्राप्त करने में शर्म उनके लिए रूकावट नहीं बनती। (मुस्लिम)

जिहाद में उनका भाग लेना :

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि उहद के दिन मैंने देखा कि लोग नबी (सल्ल.) से पीछे हो गये है......... मैंने आयशा बिन्ते अबू बक्र और उम्मे सुलैम (रज़ि) को देखा, वे दोनों अपने पांयचे उठ़ाये हुए थी। वे दोनों अपनी पीठों पर मिश्कीज़े उठाये हुए थी वह लोगों को पानी पिलातीं फिर वापस जातीं मिश्क़ीज़ों को भर कर लातीं और लोगों को पानी पिलातीं।(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल) लड़ाई में उम्मे सुलैम और अन्सार की कुछ औरतों को ले जाते थे। जब आप युद्ध करते तो ये लोग मुजाहिदों को पानी पिलातीं, घायलों का इलाज करतीं, उम्में सुलैम ने जिन युद्धों में भाग लिया उनमें से एक ख़ैबर का युद्ध भी है। (मुस्लिम)

हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि उम्मे सुलैम ने हुनैन के दिन एक खंजर उठ़ाया और उसे अपने पास रख लिया। अबू तलहा ने देख लिया, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल उम्मे सुलैम खंजर लिए हुए हैं, नबी (सल्ल.) ने उनसे पूछा कि तुमने यह ख़ंजर क्यों लिया है उन्होंने जबाव दिया कि अगर कोई शिर्क करने वाला मेरे पास आता है तो मैं इससे उसका पेट फाड़ दूंगी। यह सुनकर नबी (सल्ल.) हंसने लगे, उन्होंने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप निश्चिन्त होकर हमसे दूर रहें और युद्ध करें आपके दुश्मन आपके हाथों पराजित होंगे। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ उम्मे सुलैम अल्लाह ही काफ़ी है और वह बेहतरीन समर्थक व मददगार है। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्त अबू बक्र :

बचपन से ही सामान्य समस्याओं का समझना:

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल को देखा कि वह अल्लाह के घर कअबे की तरफ़ पीठ किये खड़े है और कह रहे हैं कि ऐ क़ुरैश के लोगों अल्लाह की क़सम मेरे अलावा तुम में से कोई भी इब्राहीम के दीन पर नहीं है ज़ैद बिन अमर जीवित दफ़्न की जाने वाली लड़कियों को बचाया करते थे जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी को क़त्ल करता तो कहते! इसका कत्ल न करो, इसके ख़र्च की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूं अतः वह उससे लड़की को ले लेते और जब लड़की जवान हो जाती तो वह उसके बाप से कहते कि अगर चाहो तो तुम्हारी बेटी तुम्हें दे सकता हूं और अगर तुम चाहो तो उसका ख़र्च मैं ही पूरा करता रहूंगा। (बुख़ारी)

उनका अच्छा पालन पोशण :

हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने अपनी चेतना की हालत में हमेशा अपने माँ–बाप को दीने इस्लाम पर अमल करते हुए पाया। हमारे यहां प्रतिदिन सुबह–शाम नबी (सल्ल.) आया करते थे। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि एक दिन हम लोग दोपहर में हज़रत अबू बक्र के घर बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति ने आकर हज़रत अबू बक्र को बताया कि नबी (सल्ल.) मुंह ढ़के हुए हमारे पास ऐसे समय आये हैं जिस समय आपके आने का मामूल नहीं है। हज़रत अबू बक्र ने कहा कि आप पर हमारे माँ–बाप कुर्बान आप इस समय किसी महत्वपूर्ण काम के कारण ही आये हैं, हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि फिर रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने आने की अनुमति चाही। अतः आपको अन्दर आने की अनुमति दे दी गई, तो आप घर में दाख़िल हुए नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र से कहा कि अपने पास से लोगों को निकाल दो। हज़रत अबू बक्र ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल यह सब आपके घर के लोग हैं। एक रिवायत में मूसा बिन उक़्बः शहाब से रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा कहती हैं कि उस समय हज़रत अबू बक्र के पास मैं और अस्मा थीं। आपने फ़रमाया कि मुझे हिजरत की अनुमति दे दी गई है हज़रत अबू बक्र ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं सफ़र में आपके साथ रहूंगा? आपने फ़रमाया कि हां। हज़रत अबू बक्र ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप निछावर हों आप मेरी दो सवारियों में से एक ले लीजिये, आपने फ़रमाया कि क़ीमत देकर लूंगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि फिर हमने बहुत तेज़ी से तैयारिया की। हमने एक थैले में खाना तैयार करके दिया। अस्मा बिन्त–ए–अबू बक्र ने अपने पटके का एक हिस्सा फाड़ा और उससे थैले का मुंह बांध दिया। (बुख़ारी)

उनकी हिजरत और मुहाजिरों के पहले बच्चे को जन्म देना :

हज़रत अस्मा फ़रमाती हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मेरे पेट में थे, और प्रसव का समय निकट था कि मैं हिजरत के लिए निकल पड़ी, मैं मदीना आयी और कुबा में ठहरी, मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को कुबा में जन्म दिया, फिर मैं उसे लेकर नबी (सल्ल.) के पास आयी और आपकी गोद में डाल दिया। आपने खजूर मंगाई। और उसे चबाया फिर आपने

अब्दुल्लाह के मुंह में डाला। इस तरह अब्दुल्लाह के पेट में जाने वाली सबसे पहली चीज़ नबी (सल्ल.) का लुआब है। आपने एक खजूर से अब्दुल्लाह की 'तहनीक' की, और उसके लिए बरकत की दुआएं कीं। अब्दुल्लाह हिजरत के बाद पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अपने घर की अच्छी देख–भाल करना :

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र कहती हैं कि हज़रत ज़ुबैर ने मुझसे इस हाल में शादी की, कि न उनके पास माल था न ही दास था और न ही कुछ और था। उनके पास केवल एक ऊँट और एक घोड़ा था। मैं उनके घोड़े को चारा देती थी और पानी पिलाती थी। उनके डोल की सिलाई कर दिया करती थी, आटा गूंधा करती थी लेकिन मुझसे ठीक से रोटी बनाना नहीं आती थी। अन्सार की कुछ पड़ोसी औरतें मेरे लिए रोटी बनाया करती थीं। वे बड़ी ही अच्छी थीं। मैं ज़ुबैर की ज़मीन से जो उन्हे नबी (सल्ल.) ने दी थी, अपने सिर पर गुठलियां रखकर लाया करती थी, यह ज़मीन मेरे घर से तीन फ़रसख़ की दूरी पर थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अपने पति के साथ अच्छी तरह रहना :

हज़रत अस्मा बिन्ते अब् बक्र कहती हैं कि एक दिन मैं आ रही थी, और मेरे सिर पर गुठलियां थीं कि मेरी मुलाक़ात नबी (सल्ल.) से हो गई। आपके साथ कुछ अन्सारी सहाबा भी थे, नबी (सल्ल.) ने मुझे बुलाया, फिर अपने ऊंट को बैठ जाने को कहा ताकि वह मुझे अपने पीछे बैठा लें मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म आई। मुझे ज़ुबैर और उनका आत्मसम्मान याद आया, क्योंकि वह बहुत ही ग़ैरतमन्द (आत्मसम्मान वाले) व्यक्ति थे। नबी (सल्ल) समझ गये कि मैं शर्म कर रही हूं। अतः आप चले गये, मैं ज़ुबैर के पास आई और कहा कि मेरी मुलाक़ात नबी (सल्ल.) से इस हालत में हुई कि मेरे सिर पर गुठलियां थीं, आपके साथ कुछ साथी सहाबा भी थे आपने अपने ऊँट को बिठाया ताकि मैं उनके पीछे बैठ जाऊं लेकिन मुझे शर्म आई और आपका आत्मसम्मान भी याद आया। ज़ुबैर ने कहा कि अल्लाह की क़सम तुम्हारा अपने सिर पर गुठलियां उठाना, आपके साथ सवार हो जाने से अधिक मुझ को भारी लगता है। हज़रत अस्मा कहती हैं कि हज़रत अबू बक्र ने मेरे पास एक नौकरानी भेज दी जो घोड़े के काम काज की देखभाल करती थी इस तरह उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया।

उनका अल्लाह से डरना ओर अल्लाह के क़ानून पर अमल करने का भाौक़ :

हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरे पास केवल वही माल रहता है जो मुझे ज़ुबैर देते हैं तो क्या मैं सदक़ा किया करूं आपने फ़रमाया

कि सदक़ा करो कंजूसी से काम न लो अन्यथा तुम्हारे साथ भी कंजूसी की जायेगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती है कि मेरी माँ जो कि शिर्क करने वाली थीं नबी (सल्ल) के ज़माने में मेरे पास आईं, मैंने नबी (सल्ल.) से पूछा कि मेरी माँ मेरे पास आई हैं और मुझसे मिलना चाहती हैं क्या मैं उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ने का मामला करूं (अर्थात सत्कार करूँ) आपने फ़रमाया कि हां अपनी मां के साथ रिश्ता निभाओ! (बुख़ारी व मुस्लिम)

अल्लाह की राह में ख़र्च करनाः

हज़रत अस्मा कहती हैं...... फिर मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा, ऐ अब्दुल्लाह की माँ, मैं एक गरीब आदमी हूं आप मुझे अपने घर की छाया में बैठने की अनुमति दे दीजिए......... कि वह व्यक्ति वहां बैठकर बेचा करता है यहां तक कि उसने ख़ूब कमा लिया, यहां तक कि मैंने उसको अपनी दासी बेच दी, मेरे पास ज़ुबैर आये, उस वक़्त दासी की क़ीमत मेरी गोद में रखी हुई थी उन्होंने कहा, ये पैसे मुझे दे दो, हज़रत अस्मा (रज़ि) ने कहा कि अगर आप सदक़ा कर दें तो कितना अच्छा हो। (मुस्लिम)

ज्ञान और इबादत की तरफ़ झुकाव :

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र कहती हैं कि मैं आयशा के पास आई, वह नमाज़ पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है? उन्होंने आसमान की तरफ़ इशारा किया लोग भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा ''सुब्बहानल्लाह' मैंने पूछा कि क्या यह अल्लाह की निशानी हैं उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया कि हां। फिर मैं भी नमाज़ के लिए खडी हो गई यहां तक कि मुझे मुर्छा आ गई, मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत जअफ़र से बयान किया गया है कि वह दिन सख़्त गर्मी का था। नबी (सल्ल) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और बहुत देर तक क़याम (खड़े होकर क़ुरआन पढ़ना) किया यहां तक कि लोग गिरने लगे, और मैं अपने सिर पर पानी डालने लगी। मुस्लिम में हज़रत अस्मा से एक और रिवायत है कि आप (सल्ल.) ने बहुत देर तक क़याम किया। मैंने दिल में सोचा कि बैठ जाऊँ लेकिन मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी तो मैंने सोचा कि यह तो मुझसे बहुत अधिक कमज़ोर हैं अतः मैं खड़ी रही। फिर आपने रूकूअ किया और बहुत लम्बा रूकूअ किया। फिर आपने रूकुअ से अपना सिर उठाया और बहुत देर तक खड़े रहे यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति आकर देखता तो वह यह समझता कि आपने रूकूअ किया ही नहीं हैं। फिर आपने अल्लाह की प्रशंसा (हम्द व सना) की और कहा कि ''मुझे क़याम की हालत में वह सभी चीज़े दिखा दी गई जो मुझे इससे पहले नहीं दिखायी गई थीं यहां तक कि जन्नत और जहन्नम भी दिखा दी गईं। मेरे ऊपर यह 'वह्य' की गई कि तुम लोग अपनी क़ब्रो में मसीह–ए–दज्जाल के परीक्षा की तरह आज़माये जाओगे। पूछा जायेगा कि तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हो? जहां तक मोमिन का सम्बन्ध है तो वह कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल मुहम्मद हैं जो स्पष्ट निशानियां और हिदायत लेकर आये

थे। अतः हमने उनकी दावत स्वीकार की और उनका अनुसरण किया 'ये मुहम्मद है। वह यह बात तीन बार कहेगा। उससे कहा जायेगा कि निश्चिन्त होकर सो जाओ, हमे मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। जहां तक मुनाफ़िक़ का सम्बन्ध है तो वह कहेगा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन हैं? मैंने लोगों को इनके बारे में कुछ कहते हुए सुना तो वही मैंने भी कह दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनका ज्ञान और गहरी समझ :

हज़रत मुस्लिम अल–कुरा कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज्जे तमत्तोअ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी अनुमति दे दी। हालांकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर हज्जे तमत्तोअ से मना करते थे। अतः इब्ने अब्बास ने कहा कि तुम अस्मा के पास जाओ और उनसे जाकर पूछ आओ वह बयान करती हैं कि नबी (सल्ल.)ने हज्जे तमत्तोअ की अनुमति दी है। मुस्लिम अल–कुरा कहते हैं कि मैं उनके पास गया तो क्या देखता हूं कि वह एक मोटी और अन्धी महिला हैं उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) ने हज्जे तमत्तोअ की अनुमति दी है। (मुस्लिम)

अबू नौफ़ल कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लह बिन जुबैर को मदीने की घाटी पर इस हालत में देखा कि उन्हे सूली पर लटका दिया गया हैं अबू नौफ़लकहते है कि वहा् से कुरैश के लोग और दूसरे लोग

उनकी बहादुरी और अच्छा बयानः

अबू नौफ़ल कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मदीने की घाटी पर इस हालत में देखा कि उन्हें सूली पर लटका दिया गया है, अबू नौफ़ल कहते है कि वहां से कुरैश के लोग और दूसरे लोग गुज़र रहे थे। वहां अब्दुल्लाह बिन उमर का भी गुज़र हुआ वह वहां खड़े हो गये और उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैक अबा–ख़ुबैब अस्सलामु अलैक अबा ख़ुबैब................, अस्सलामुअलैक.......... ख़ुबैब, अल्लाह की क़सम मैंने आपको इससे रोका था............... अल्लाह की क़सम मैंने आपको इससे रोका था। अल्लाह की क़सम मेरे ज्ञान के अनुसार आप बहुत अधिक रोज़ा रखने वाले थे, तहज्जुद पढ़ने वाले और रिश्ता निभाने वाले थे अल्लाह की क़सम वह उम्मत सबसे अच्छी उम्मत थी जिसमें आपको सबसे ख़राब समझा जाता था। फिर अब्दुल्लाह इब्ने उमर चले गये हज्जाज को अब्दुल्लाह इब्ने उमर के विचारों और बयान का ज्ञान हुआ तो उसने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर के शव को सूली से उतरवा दिया और उसे यहूदियों के क़ब्रिस्तान में डलवा दिया फिर हज्जाज ने इब्ने ज़ुबैर की माँ अस्मा बिन्ते अबू बक्र को बुलाया। उन्होंने आने से इन्कार कर दिया। उसने उनके पास दूसरी बार अपना सन्देशवाहक भेजा और कहलाया कि आप मेरे पास आ जायें अन्यथा मैं आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो आपको घसीटकर ले आयेगा। अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज़रत अस्मा (रज़ि) ने आने से इन्कार कर दिया और कहा कि अल्लाह की

क़सम मैं तुम्हारे पास उस समय तक नहीं आऊंगी, जब तक कि तुम मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को न भेजो जो मुझे घसीट कर ले जाये, अबू नौफ़ल कहते हैं कि फिर हज्जाज से कहा कि मेरे जूते लाओ। उसने जूते पहने और घमण्ड से चलता हुआ हज़रत अस्मा के पास गया, और कहा कि मैंने अल्लाह के दुश्मन के साथ जो कुछ किया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। हज़रत अस्मा ने कहा कि मेरा विचार है कि तुमने उसकी दुनिया बिगाड़ दी और उसने तुम्हारी आख़िरत ख़राब कर दी। मैंने सुना है कि तु उसे ऐ ज़ातुन्नताक़ैन के बेटे कह कर पुकारते थे, अल्लाह की क़सम मैं ज़ातुन्नताक़ैन (दो पटको वाली) हूं जहां तक एक पटके का सम्बन्ध है तो मैंने उसके द्वारा नबी (सल्ल.) और अबू बक्र के खाने को सवारी से बांधा था और हजां तक दूसरे पटके का सम्बन्ध है तो वह औरत का वह पटका है जिसे वह बेपरवाह नहीं हो सकती! सुन लो! नबी (सल्ल.) ने हमसे बयान किया था कि सक़ीफ़ क़बीले में एक झूठा और एक क़ातिल व्यक्ति पैदा होगा। झूठे को तो हमने देख लिया और जहां तक क़ातिल का सम्बन्ध है तो मेरा विचार है कि वह तुम ही हो। अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज वहां से चला गया और फिर उधर नहीं आया।

(मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.)

आप उन तीन बुजुर्ग सहाबा की पत्नी रहीं हैं जिनको जन्नत की ख़ुश ख़बरी दी गई है वे हैं जअ़फर बिन अबू तालिब, अबू बक्र सिद्दीक़ और अली बिन अबू तालिब (रज़ि)

पहले दौर में ईमान लाना और हब्शा की हिजरतः

हज़रत अबू मूसा अश्‌आरी फ़रमाते हैं, नजाशी के पास हिजरत करने वालों में अस्मा बिन्ते उमैस भी शामिल थीं।

उनकी साहित्यिक बहादुरीः

अबू बरदह अबू मूसा से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा जब हम यमन में थे तो मैं नबी (सल्ल.) के पास जाने के लिए निकला मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था मेरे एक भाई का नाम अबू बरदह था और दूसरे का नाम अबू रहम था। हमारे साथ हमारी क़ौम के 52 या 53 लोग थे। अतः हम लोग नाव पर सवार हुए, हमारी नाव हब्शा के राजा नजाशी की तरफ़ हमें ले गई। वहां हमारी मुलाक़ात जअफ़र बिन अबू तालिब से हुई, अतः हम उनके साथ रूक गये फिर हम सबने उनके साथ मदीने की तरफ़ हिजरत की। अतः नबी (सल्ल) से हमारी मुलाक़ात ख़ैबर के विजय के अवसर पर हुई कुछ लोग हम नाव वालों से कह रहे थे कि हम लोगों ने तुमसे पहले हिजरत की है हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस जो हमारे साथ आई थीं।

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास मुलाक़ात की ग़र्ज़ से गईं, नजाशी की तरफ़ हिजरत करने वालों में वो भी शामिल थीं, इसी दरमियान हज़रत उमर (रज़ि.) हफ़्सा के पास आए, असमा बिन्ते उमैस (रज़ि.) वहीं पर थीं, हज़रत उमर (रज़ि.) ने असमा को देख कर पूछा

कि ये कौन हैं? हफ़्सा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि ये असमा बिन्ते उमैस (रज़ि.) हैं, हज़रत उम्र ने पूछा कि क्या ये हब्शा वाली और समन्द्र वाली हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हां, हज़रत उमर (रज़ि.) ने असमा (रज़ि.) से कहा कि हम लोगों ने आप लोगों से पहले हिजरत की है। हिलाज़ा हम लोग आप से ज़्यादा नबी करीम (सल्ल.) के मुस्तहिक़ हैं, ये सुनकर असमा (रज़ि.) ख़फा हो गईं और उन्होंने कहा कि हर्गिज़ नहीं, ख़ुदा की क़सम आप लोग नबी करीम (सल्ल.) के साथ थे, वो आप के भूकों को खाना खिलाते थे और आप के दरमियान मौजूद अज्ञानियों (जाहिलों) के उपदेश दिया करते थे। लेकिन हम लोग तो हब्शा की दूरवर्ती भू–भाग पर थे। ऐसा हम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया। अल्लाह की क़सम मैं उस समय तक न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी जब तक कि आपकी बातों को मैं नबी (सल्ल.) से बयान न कर दूं हमें कष्ट दिये जाते थे और हम पर भय रहता था। मैं नबी (सल्ल.) से इसको बयान करूंगी और पूछूंगी। अल्लाह की क़सम मैं न झूठ बोलूंगी और न ही अपनी तरफ़ से कोई बात बढ़ाकर बताऊंगी, जब नबी (सल्ल.) आये तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी (सल्ल) हज़रत उमर(रज़ि.) ने मुझसे ऐसा–ऐसा कहा है। आप (सल्ल.) ने पूछा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि मेने ऐसा–ऐसा उत्तर दिया। आपने फ़रमाया वह तुम लोगों से अधिक मेरे हक़दार नहीं हैं उन्होंने और उनके साथियों ने तो एक ही हिजरते की हैं लेकिन तुम नाव वालों ने तो दो हिजरते की है, अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं कि उसके बाद हज़रत अबू मूसा अश्अरी और दूसरे नाव वाले गिरोह के गिरोह मेरे पास आते थे और मुझसे उस हदीस के बारे में पूछते थे, नबी (सल्ल.) के उस कथन से अधिक दुनिया की कोई भी चीज़ सुखदायी नहीं थी, हदीस की रिवायत करने वाले अबू बरदह कहते हैं कि हज़रत अस्मा कहती हैं कि अबू मूसा मुझसे बार–बार यह हदीस सुना करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हालत में हज करना कि उनका गर्भ आख़िरी महीने में था:

हज़रत आयशा कहती हैं कि मुहम्मद बिन अबू बक्र के जन्म के कारण अस्मा बिन्ते उमैस को निफ़ास (प्रसव के बाद स्त्राव) आने लगा नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र से कहा कि अस्मा से कहें कि वह ग़ुस्ल कर लें। और हज्ज जारी रखें। (मुस्लिम)

अपने बेटों और पति की अच्छी देखभाल :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल) ने अस्मा बिन्ते उमैस से फ़रमाया कि क्या बात है कि मैं अपने भतीजों के शरीर को कमज़ोर देख रहा हूं मानो कि वह ज़रूरत मन्द हैं तो हज़रत असमा ने जवाब दिया कि यह बात नहीं है, वास्तव में इन बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है तो आपने फ़रमाया कि मैं 'रोक़ीया (झाड़ फूंक) कर देता हूं। हज़रत अस्मा कहती है कि मैंने आपको रोक़ीया करने की का परामर्श दिया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ठीक हैं मैं राक़ीया कर देता हूं। (मुस्लिम)

यह तो बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित बात थी जहां तक पति की देखभाल का सम्बन्ध है तो उसे तबरानी ने क़ैस बिन अबू हाज़िम के हवाले से बयान किया हैं वे कहते हैं कि मैं हज़रत अबू बक्र के बीमारी के दिनों में उनके पास गया तो मैंने उनके पास एक महिला को देखा जिनके दोनों हाथ गुदे हुए थे वह अबू बक्र (रज़ि.) की ऊपर से मक्खियों को भगा रही थीं वह अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) थी।

उनके पक्ष में नबी (सल्ल.) की गवाही :

अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि बनू हाशिम के कुछ लोग अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) के पास गये। उसी बीच हज़रत अबू–बक्र (रज़ि.) आ गये। वह उन दिनों हज़रत अबू बक्र की पत्नी थीं हज़रत अबू बक्र को यह स्थिति बुरी लगी। उन्होंने इसका बयान नबी (सल्ल.) से किया कि मैंने इनके अन्दर हमेशा भलाई ही देखी है नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह ने उनको इससे सुरक्षित रखा है फिर नबी (सल्ल.) मिम्बर पर खड़े हुए और फ़रमाया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी महिला के पास जिसका पति मौजूद न हो उसी समय जाये जबकि उसके साथ उसके अतिरिक्त एक या दो लोग हों। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा (रज़ि.) के पक्ष में नबी (सल्ल.) की इस गवाही से उनके पक्ष में एक दूसरी गवाही भी याद आ गई नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैमूना उम्मुल फ़ज़्ल, सलाम और अस्मा बिन्ते उमैस एक माँ से ये चारो बहनें मोमिन महिलाएं हैं।

हज़रत उम्मे अतीया अन्सारीया :

वैअ़त में उनकी भागीदारी :

हज़रत उम्मे अतीया कहती हैं कि जब हम लोगों ने नबी (सल्ल.) से बैअत की तो आपने यह आयत तिलावत की 'व अल्ला यूश्‌रिक्न बिल्लाहि शैअन्' (और वह अल्लह के साथ किसी को साझी नहीं ठहरायेंगी) इसी तरह आपने हमे विलाप करने से मना किया उस समय एक महिला बैअ़त करने से पीछे हट गईं और उन्होंने कहा कि फलां औरत ने विलाप करने में मेरी मदद की थी अतः मैं उसे बता देना चाहती हूं कि नबी (सल्ल.) ने उनसे कुछ भी नहीं कहा वह चली गईं फिर लौट कर आईं तो नबी (सल्ल.) ने उनसे बैअ़त ली। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इसका सबसे निकटस्थ जवाब यह है कि पहले विलाप करना वैध था और फिर उसे ना पसन्दीदा मकरूह(मकरूह तन्ज़ीही) ठहरा दिया गया फिर उसे हराम मकरूह ठहरा दिया गया। (अल्लाह बेहतर जानता हैं)

नबी (सल्ल.) के घर की देखभाल :

हज़रत उम्मे अतीया कहती हैं कि नबी (सल्ल.) हज़रत आयशा के पास आये और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कि हां केवल एक चीज़ है। उम्मे अतीया के पास सदक़ा में जो बकरी आयी थी वह उन्होंने हमारे पास भेज दी हैं आपने फ़रमाया कि वह ठीक जगह पहुंच गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे अतीया कहती हैं कि नबी (सल्ल.) हमारे पास आये, हम आपकी बेटी को ग़ुस्ल करा रहे थे। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया इसको पानी और बेरी से तीन बार या पांच बार या इससे अधिक बार ग़ुस्ल कराओ और अन्त में कपूर प्रयोग करना। जब तुम लोग इस काम को चुको तो मुझे बताना। जब हम ग़ुस्ल करा चुके तो आपको सूचना दी। आपने हमे अपनी लूंगी दिया और कहा कि इसका कपड़ा कफ़न के अन्दर कर दो। एक रिवायत में है कि आपने फ़रमाया कि इसके दाहिनी तरफ़ से और वुज़ू की जगहों से प्रारम्भ करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जिहाद में उनकी भागीदारी :

हफ़्सा बिन्ते सीरीन फ़रमाती हैं, एक महिला आईं और वह बनू ख़ल्फ़ के महल में उतर गईं, मैं उनके पास गई उन्होंने बताया कि उनकी बहन उम्मे अतीया के पति ने नबी (सल्ल.) के साथ 12 युद्ध में भाग लिया है और उनकी बहन उम्मे अतीया 6 लड़ाइयों में उनके साथ थीं। वह कहती हैं कि हम लोग मरीज़ों की देखभाल करते थे और घायलों का इलाज करते थे जब उम्मे अतीया आईं तो मैंने उनसे इस सिलसिले में पूछा।

(बुख़ारी)

हफ़्सा बिन्ते सीरीन उम्मे अतीया से बयान करती हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नबी (सल्ल.) के साथ सात युद्ध में साथ थी। मैं मुजाहिदों के पीछे उनके कजावों में रहती थी उनके लिए खाना पकाती थी घायलों का इलाज करती थी और मरीज़ो की देखभाल करती थी। इस तरह उम्मे अतीया ने नबी (सल्ल.) के साथ सात युद्धों में भाग लिया जिनमे से 6 युद्वो में वह अपने पति के साथ थीं।

सुन्नत की समझ :

हफ़्सा कहती हैं कि हम लोग आज़ाद महिलाओं को ईदों की नमाज़ के लिए जाने से रोकते थे जब उम्मे अतीया (रज़ि.) आईं तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने इस सिलसिले में नबी (सल्ल) से कुछ सुना है। उन्होंने कहा कि हां मैंने नबी (सल्ल.) से सुना है कि आज़ाद व परदा करने वाली महिलाएं और हैज़ वाली महिलाएं ईदों के लिए निकलें और वह भलाई (ख़ैर) और मुसलमानों की दुआओं में भाग लें हां, हैज़ वाली महिलाएं नमाज़ की जगह से दूर रहें, हज़रत हफ़्सा फ़रमाती हैं कि मैंने पूछा कि क्या हैज़ वाली महिलाए भी ईदों की नमाज़ के लिए जा सकती हैं? तो उम्मे अतीया ने जवाब दिया कि क्या वह अरफ़ा और अमुक–अमुक जगहों पर नहीं जाती हैं? (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से रोक दिया गया लेकिन ज़ोर देकर मना नहीं किया गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बहुत अधिक दुःख के बावजूद भारीअत की पाबन्दी :

इब्ने सीरीन (रह) फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी महिला जिन्होंने नबी (सल्ल.) से बैअत की थी और जिनका नाम उम्मे अतीया था, अपने बेटे के लिए बसरा आईं लेकिन वह अपने बेटे को नहीं पा सकीं। (क्योंकि उनके आने से पहले बेटे की मौत हो चुकी थी) एक रिवायत में है कि उम्मे अतीया के एक बेटे की मौत हो गई, मौत के तीसरे दिन उन्होंने पीला रंग मंगाया, उसे लगाया और कहा कि हमें पति के अतिरिक्त किसी और के ऊपर तीन दिन से अधिक शोक मनाने से मना किया गया है। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि उम्मे अतीया के इस बेटे का नाम मालूम नहीं हो सका ऐसा लगता है। कि उनका बेटा युद्ध में था। जब वह बसरा पहुंचा तो मदीने में उम्मे अतीया को उसकी बसरा आने की सूचना पहुंची और मालूम हुआ कि वह बीमार है उम्मे अतीया सफ़र करके उसके पास बसरः गईं लेकिन मुलाक़ात से पहले ही उनके बेटे की मौत हो गई।

अच्छे भाब्दों के द्वारा नबी (सल्ल.) को याद करना :

हफ़्सा बिन्ते सीरीन (रह.) कहती हैं, उम्मे अतीया जब भी नबी (सल्ल.) का नाम लेतीं तो कहतीं कि आप पर मेरे माँ बाप क़ुर्बान हों। (बुख़ारी)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस :

हाफ़िज इब्ने हजर फ़रमाते हैं फ़ातिमा बिन्ते क़ैस पहले दौर में हिजरत करने वालियों में से हैं वह बहुत ही बुद्धिमान और सुन्दर थीं।

नबी (सल्ल.) के परामर्श से उनकी भादी :

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं जब मैंने इद्दत के दिन पूरे कर लिए तो नबी (सल्ल.) के विभिन्न साथियों के साथ–साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने भी मुझे शादी का सन्देश दिया। दूसरी तरफ़ नबी (सल्ल.) ने अपने दास ओसामा बिन ज़ैद के लिए मुझे शादी का सन्देश भिजवाया। मैंने यह हदीस सुन रखी थी कि आपने फ़रमाया है कि जो मुझसे मुहब्बत करता है उसे ओसामा से भी मुहब्बत करनी चाहिए। जब नबी (सल्ल.) ने मुझसे इस सिलसिले में बात की तो मैंने कहा कि मेरा मामला आपके हाथ में है आप जिससे चाहें मेरी शादी करा दें। एक रिवायत में है, मुझसे नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब तुम्हारी इद्दत के दिन पूरे हो जायें तो मुझे बताना अतः मैंने आपको इद्दत के दिन पूरे होने की सूचना दी, उनको मुआविया, अबू जहम और ओसामा बिन ज़ैद ने शादी का सन्देश दिया था। नबी (सल्ल.) ने उनसे फ़रमाया कि मआविया फ़क़ीर आदमी हैं उनके

पास माल नहीं है अबू जहम औरतों को बहुत मारते हैं हां ओसामा बिन ज़ैद बहुत मुनासिब आदमी हैं उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने हाथ से इस तरह कहा कि ओसामा!ओसामा! नबी (सल्ल) ने उनसे फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञापालन में तुम्हारी भलाई है फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं कि फिर मैंने ओसामा से शादी कर ली, और मैं खुश हुई, एक रिवायत में है 'फिर मैने ओसामा से शादी कर ली। अल्लाह ने मुझे इस शादी में बड़ी भलाई और बरकत दी, अतः मैं इस शादी से बहुत ख़ुश हुई। (मुस्लिम)

क़ुरआन व सुन्नत का ज्ञान और मर्दों की ग़लती पर पकड़ करना :

उबैदुल्लाह बिन उत्बा बयान करते हैं कि अमर बिन हफ्स बिन मुग़ीरः फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को बाक़ी बची तलाक़ कहला भेजी और हारिस बिन हश्शाम और अय्याश बिन अबू रबीआ को आदेश दिया कि वह उनको ख़र्चा (नफ़क़ा) दे दें। इन दोनों ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से कहा कि आपको ख़र्चा तो सिर्फ़ उस स्थिति में मिलता जब कि आप गर्भवती होती। फ़ातिमा नबी (सल्ल.) के पास आईं और आपसे उन दोनों के कथन को बयान किया तो आपने फ़रमाया कि तुम्हे ख़र्चा नहीं मिलेगा अतः उन्होंने आपसे उस घर से स्थानान्तरित हो जाने की अनुमति चाही। आपने अनुमति दे दी। उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं स्थानान्तरित होकर कहां जाऊँ आपने फ़रमाया कि इब्ने उम्मे मक्तूम के घर चली जाओ वह अन्धे थे। जब फ़ातिम बिन्ते क़ैस के इद्दत के दिन पूरे हो गये तो नबी (सल्ल.) ने ओसामा बिन ज़ैद के साथ उनकी शादी कर दी। मरवान ने क़बीसा बिन ज़ुबैद को फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास भेजा कि वह उनसे इस हदीस के बारे में पूछें। अतः उन्होंने यह हदीस क़बीसा को सुना दी। मरवान ने कहा हमने यह हदीस सिर्फ़ एक औरत से सुनी है हम उस मज़बूत और भरोसे योग्य मामले को अपनायेंगे जिस पर हम सब लोगों को पाते हैं फ़ातिमा ने मरवान की यह बात सुनकर कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच क़ुरआन के माध्यम से फ़ैसला होगा। अल्लाह फरमाता है (इद्दत के ज़माने में) तुम उन्हे उनके घर से निकालों और न वह स्वयं निकलें सिवाय यह कि वह किसी स्पष्ट बुराई की अपराधी हो। यह अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं है, और जो कोई अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़ेगा वह अपने ऊपर स्वयं अत्याचार करेगा। तुम नहीं जानते शायद उसके बाद अल्लाह समझौते की कोई स्थिति पैदा कर दे। (सूरह तलाक़ः1)

फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ने कहा कि यह बात तो उसके लिए है जिसको रूजूअ (वापसी) की कोई आशा हो लेकिन तीन तलाक़ के बाद ऐसी कोई आशा कहां बची रहती हैं फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि अगर वह गर्भवती नहीं है तो उसको ख़र्चा (नफ़क़ा) नहीं मिलेगा। फिर तुम लोग किस आधार पर उसको रोकते हो। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि फ़ातिमा के इस विचार से "युहदिसो बअ़द ज़ालिक अम्रा" से तात्पर्य रूजूअ (तलाक़ वापसी) है कतादा, हसन, सुद्दी और ज़ह्हाक सहमति रखते हैं इसी तरह अहमद इस्हाक़, अबू सौर, दाऊद और उनके शिष्यों का मत भी फ़ातिमा बिन्ते कैस के मत के अनुकूल है।

उनका आतिथ्य सत्कार :

शोअ़बी कहते हैं कि हम फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास गये तो उन्होंने हमें 'इब्ने ताब' की ताज़ा खजूरें खिलायीं और ज्वार के सत्तू पिलाये। फिर मैंने उनसे पूछा कि जिस औरत को तीन तलाक़ दी गई हो वह इद्दत कहां गुज़ारेगी? उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे तीन तलाक़ दी फिर मुझे नबी (सल्ल.) ने इसकी अनुमति दे दी कि मैं अपने घर में इद्दत गुज़ारूं। (मुस्लिम)

अध्याय–5

औरतों से सम्बन्धित कुछ हदीसें जो ग़लतफ़हमी का शिकार हो गईं।

पहली हदीसः

नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई, मैने उसमें से एक गुच्छा ले लिया, अगर मैं उसे पूरा लिया होता तो तुम लोग उसे क़यामत तक खाते रहते। मैंने जहन्न्म देखी, मैंने देखा कि जहन्नम में अधिकतर औरतें हैं। सहाबा ने पूछा कि क्यों ऐ अल्लाह के रसूल? आप (सल्ल.)ने जवाब दिया कि अपनी नाशुक्री की वजह से। नबी (सल्ल.) से पूछा गया कि क्या औरतें अल्लाह की ना शुक्री करती हैं। आपने फ़रमाया कि वह अपने पतियों की नाशुक्री करती हैं और एहसान भूल जाती है। अगर तुम किसी एक औरत के साथ जीवन भर एहसान करो फिर वह तुम्हारी तरफ़ से कोई बात महसूस करे तो कहती है कि आपने तो मेरे साथ आज तक कोई अच्छा मामला किया ही नहीं है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

पहला दृश्टिकोण :

इस हदीस का भावार्थ क्या है? क्या औरतों की संख्या जहन्नम में इस वजह से अधिक होगी क्योंकि मर्दों के मुक़ाबले में उनकी प्रकृति में बुराई अधिक पायी जाती है। अगर मामला ऐसा ही होता तो फिर बुरा काम अधिक करने के सिलसिले में औरतों की पकड़ नहीं होनी चाहिए थी हालांकि हदीस में यह बात कही गई है कि औरतों को अपने पतियों की नाफ़रमानी करने और एहसान भूल जाने के कारण सज़ा दी जायेगी। हाफ़िज़ इब्ने हजर ठीक कहते हैं कि हज़रत जाबिर की हदीस से पता चलता है कि जहन्नम में अधिकतर वे औरतें होंगी जिनके अन्दर पतियों की नाफ़रमानी और एहसान न मानने जैसे अवगुण पाये जाते होगें। हज़रत जाबिर की हदीस के शब्द ये हैं ''मैंने जहन्नम में उन औरतों की संख्या अधिक देखी जिनको कोई रहस्य की बात बतायी जाती है तो वह उसे खोल देती हैं जिनसे कोई चीज़ मांगी जाती है तो कंजूसी से काम लेती हैं जो स्वयं मांगती हैं तो पीछे पड़ जाती हैं और जिनको कोई चीज़ दी जाती है तो उस पर शुक्र अदा नही करती। यहां नबी (सल्ल.) की एक हदीस याद आती है जिसमें आपने फ़रमाया मैंने जन्नत में

झांका तो मुझे उसमें ग़रीबों की संख्या अधिक दिखायी दी। आखिर मालदारों की संख्या किस चीज़ ने कम कर दी। वास्तव में यह मालदारों का अपना किया धरा है क्योंकि वे हराम माल लेते है। और हराम जगहों पर ख़र्च करते हैं या वे लोग अपने माल के साथ कंजूसी करते हैं और भलाई के कामों में उसे ख़र्च नहीं करते।

दूसरा दृश्टिकोण :

हम तमाम मुसलमान मर्दों व औरतों को इस हदीस से क्या लाभ उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि इस हदीस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तमाम लोग ऐसे काम करें जिनके द्वारा वह जहन्नम की आग से बच सकें। जहन्नम और उसकी भयानकता का बयान इसीलिए किया गया है कि हम उससे बचने की कोशिश करें।

औरतें जहन्नम से कैसे बच सकती हैं :

औरतों अपने पतियों की नाशुक्री के रवैये से कैसे बच सकती हैं? पहले तो उनका इस तरह प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया जाये फिर जब उनको शैतान वसवसे में डाले तो उन्हे अल्लाह के नबी (सल्ल.) का कथन याद दिलाना चाहिए। और अगर शैतान उनपर हावी हो जाये और उनसे कोई गुनाह हो जाये तेा उनको तुरन्त क्षमा याचना (इस्तिग्फ़ार) करना चाहिए और नबी (सल्ल.) के आदेश के अनुसार सद्क़ा करना चाहिए। हज़रत अबू सईद खुदरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ईदुल अज़हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह की तरफ़ निकले। आप औरतों के पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया कि ऐ औरतों सदक़ा करो। मुस्लिम की एक रिवायत में है' और अधिक से अधिक इस्तिग्फ़ार करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम लोगों की संख्या अधिक देखी है औरतों ने पूछा क्यों ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.)! आपने फ़रमाया कि तुम लोग निन्दा और व्यंग अधिक करती हो और पतियों की नाशुक्री करती हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि उपदेश देते समय कठोरता से काम लेना चाहिए ताकि अवगुण मिट जाये इस हदीस से यह भी पता चलता है कि सदक़ा यातना को दूर करता है और वह कभी–कभी बन्दों के गुनाहों का प्रायश्चित भी हो जाता है।

मर्द जहन्नम से किस तरह बच सकते हैं :

हराम चीज़ों से बच कर और अनिवार्य आदेशों का पालन करके मर्द जहन्नम से बच सकते हैं। इन्हीं अनिवार्य आदेशों में से एक यह है कि वह अपनी माओं बहनों बीवियों और बेटियों की अच्छी तरह देख–भाल करे। इसी तरह मर्दों पर यह भी आवश्यक है कि वे उन औरतों के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध करें। जिनसे उनका प्रभावपूर्ण मार्ग दर्शन हो सके। उपदेश व नसीहत से लाभान्वित हो सकें और सामूहिक इबादतों जैसे नमाज़ जुमा, ईद की नमाज़े तरावीह की नमाज़ों में सम्मिलित हो सकें, यहां तक कि इन औरतों के दिल ईमान और तक़्वा से भर जायें।

इसी तरह मर्दों की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वह औरतों को नेक काम करने के अवसर उपलब्ध कराएं जैसे सदक़ा करना, अच्छाई का आदेश देना और भलाई की तरफ़ लाना आदि। इन ज़िम्मेदारियों की अदायगी के द्वारा ही क़व्वामियत (औरतों के अविभावक होने) के दायित्व को अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है जिसका भार अल्लाह ने मर्दों पर डाला है। अल्लाह का इरशाद मार्ग दर्शन है ''अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाअ'' मर्द औरतों पर अभिभावक बनाये गये हैं। दूसरी जगह इरशाद है ''या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वलहिजारहः'' (ऐ लोगों जो ईमान लाये हो बचाओ आपने आप को और अपनी बीवी बच्चों को उस आग से जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं) और इन्ही कर्त्तव्यों को पूरा करके इस बेहतरीन देखभाल के दायित्व को पूरा किया जा सकता हैं जिसका आदेश नबी (सल्ल.) ने दिया हैं। ''अर्रजुलो राइन् अला अहले बैतिही बहुव मस्ऊलुन् रअयितेही''(मर्द अभिभावक है अपने घर वालों पर और वह उत्तरदायी है जिनके देखभाल को वे ज़िम्मेदार हैं) (बुख़ारी व मुस्लिम)

दूसरी हदीसः

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह की तरफ़ निकले औरतों के पास से आप गुज़रे तो आपने फ़रमाया कि ऐ औरतों मैंने तुम औरतों से बढ़कर किसी नाक़िसुल अक़्ल और नाक़िसुद्दीन को नहीं देखा कि जो अक़्लमन्द व्यक्ति की अक़्ल को भी बेकार कर देता हो। औरतों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल हमारी अक़्ल और दीन की कमी क्या है? आपने फ़रमाया कि क्या औरत की गवाही मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं है औरतों ने जबाव दिया कि क्यों नही, आपने फ़रमाया कि यह उनके अक़्ल में कमी की बात है और जब औरत को हैज़ (महावारी) आता है तो वह न ही नमाज़ पढ़ती है और न ही रोज़ा रखती है औरतों ने जवाब दिया कि क्यों नहीं आपने फ़रमाया यह उनके दीन में कमी की बात है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस पर हम तीन पहलुओं से बात करेंगे :

नबी (सल्ल.) के कथन, मैंने तुम औरतों से बढ़कर किसी नाक़िसुल अक़्ल और नाक़िसुद्दीन को नहीं देखा कि जो अक़्लमंद व्यक्ति की अक़्ल को भी बेकार कर देता हो'' का साधारण भावार्थ क्या है? इस नस्स(हदीस) पर हमें कई पहलुओं से विचार करना चाहिए। किस अवसर पर यह बात कही गई है। इसमें किन लोगों को सम्बोधित किया गया है। यह बात कहने के लिए किस तरह की शैली प्रयोग की गई है। इस तरह से विचार और चिन्तन इसलिए किया जाये ताकि हमें इस नस्स(हदीस) का ठीक भावार्थ पता चल सके अगर हम इस पहलू पर विचार करें कि यह बात किस अवसर पर कही गई है तो हमें मालूम होगा कि आपने यह बात ईद कि दिन औरतों को नसीहत (उपदेश) के बीच फ़रमाया था। क्या हमें नबी (सल्ल.) से जो उच्चतम् चरित्र के वाहक हैं। इस बात की आशा है कि वह इस खुशी के अवसर पर औरतों के सम्मान और स्थान को कम करेंगे और उनके

व्यक्तित्व की कमी को बतायेंगे। अगर हम इस पहलू पर ग़ौर करें कि इसमें किन लोगों को सम्बोधित किया गया है। तो हमे पता चलेगा कि इस हदीस में मदीने की औरतों के एक गिरोह को सम्बोधित किया गया हैं उसमें भी अधिक संख्या अन्सारी औरतों की थी, जिनके बारे में हज़रत उमर के इस कथन से इस बात का स्पष्टीकरण होता हैं कि हमारी औरतें ने भी अन्सारी औरतों के रंग ढंग अपनाना शुरू कर दिया हज़रत उमर के इस बात का स्पष्टीकरण होता हैं कि नबी (सल्ल) ने यह क्यों कहा कि मैंने तुम औरतों से बढ़कर किसी को अक़्लमन्द मर्द की अक़्ल को बेकार करने वाला नहीं देखा। और अगर हम इस बात पर विचार करें कि यह बात कहने के लिए किस तरह की शैली अपनायी गई है, तो हम देखेंगे कि यहां वह सेग़ा(वचन) नहीं प्रयोग किया गया जो किसी साधारण नियम या आदेश को बयान करने के लिए प्रयोग किया जाता हैं यहां जो शैली अपनायी गयी है वह आश्चर्य व्यक्त करने से अधिक निकट है। नबी (सल्ल.) को इस विरोधाभास पर आश्चर्य हो रहा है कि औरत कमज़ोर होने के वाबजूद अक़्ल मंद मर्दों पर भारी पड़ जाती हैं। नबी (सल्ल.) को अल्लाह की इस हिकमत पर आश्चर्य हो रहा है कि जहां कमज़ोरी का अनुमान होता है, वहां अल्लाह ने किस तरह वह शक्ति रख दी है और जहां शक्ति का अनुमान होता हैं वहा अल्लाह ने किस तरह कमज़ोरी रख दी है। अतः हम पूछते हैं कि क्या इस नबवी (पैग़म्बराना) नसीहत के वाक्य के ढ़ाचें से यह बात महसूस नहीं होती कि इसमें औरतों के साथ नरम व्यवहार अपनाने पर उभारा गया है और यह कि नसीहत (उपदेश) करने से पहले एक बहुत कोमल भूमिका रखी गई है मानो कि इस हदीस में यह बात कही गई है कि ऐ औरतो! अगर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी कमज़ोरी के वाबजूद इतनी ताक़त दी है कि तुम एक अक़्लमंद मर्द की अक़्ल को बेकार कर दो तो देखो तुम अल्लाह से ड़रना और अपनी ताक़त का प्रयोग मात्र भलाई के कामों में करना। इस तरह 'अक़्ल और दीन की कमी' का वाक्य मात्र एक बार आया है, चेतावनी देने के लिए आया है और महिलाओं को उपदेश देने के लिए भूमिका के रूप में आया है, यह वाक्य स्थायी रूप से अलग भाषणात्मक शैली में न ही कभी मर्दों के सामने आया है और न ही औरतों के सामने आया है।

दूसरी : नबी के कथन नाक़िसात–ए–अक़्ल व दीन (अक़ल और दीन को कम करने) का विशेष भावार्थ क्या है अक़्ल (बुद्धि) में कमी की विभिन्न संभावनाएं हो सकती हैं जैसे :

(क) साधारण प्राकृतिक कमी अर्थात मध्यम श्रेणी का बुद्धिमान होना

(ख) जातीय प्राकृतिक कमी (नक्स) अर्थात कुछ विशेष बुद्धि से सम्बन्धित योग्यताओं में प्राकृतिक कमी का होना जैसे हिसाब किताब की योग्याता, सोचने समझने और गहरी समझ की योग्यता।

(ग) जातीय सामयिक कमी जिसकी मुद्दत थोड़ी हो, यह कमी कुछ सामयिक स्थितियों के फलस्वरूप औरत की प्रकृति में आती है जैसे माहवारी के दिन, प्रसव स्त्राव (निफ़ास) के दिन या गर्भ के कुछ दिनों के दौरान।

(घ) जातीय सामयिक कमी जिकसी मुद्दत लम्बी हो, यह कमी कुछ विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप औरत की प्रकृति में पैदा होती है जैसे गर्भ प्रसव, स्तन–पान और पालन पोषण में व्यस्त होना। ऐसी स्थिति में औरत घर में क़ैद होकर रह जाती है और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न भागों का उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता और आर्थिक समस्याओं आदि पर उसकी समझ कमज़ोर हो जाती है। नबी (सल्ल) ने औरत की बुद्धि की कमी के सिलसिले में जो उदाहरण दिया है उससे वरीयता के तौर पर यह बात समझ में आती है कि यहां जातिगत कमी से तात्पर्य है। चाहे वह जातिगत कमी प्राकृतिक हो या सामायिक हो, हर हालत में कमी चाहे किसी तरह की हो वह औरत की बुद्धि की योग्यताओ और शक्तियों को इस तरह से सन्देहास्पद नहीं बनाती कि वह अपने मौलिक कर्त्तव्यों को पूरा न सके और एक विशेष कर्त्तव्य बच्चों का पालन पोषण है। अल्लाह ताअला इस कत्तर्व्य को किसी ठीक बुद्धि वाले व्यक्ति के ही हवाले कर सकता है और हम मर्द लोग भी अपने बेटे और बेटियों को एक ऐसे अक्षम इन्सान के हवाले करके कैसे सन्तुष्ट रह सकते हैं जिसकी बुद्धि में हीन और दीन में कमी हो। निम्न में कुछ ऐसे कर्त्तव्यों का बयान किया जा रहा है जिनमें औरत और मर्द दोनों सम्मिलित हैं।

1. मानवीय कत्तर्व्यः

हर मनुष्य अपने काम का ज़िम्मेदार है और उससे हिसाब लिया जायेगा यह बात क़ुरआन करीम में बयान कर दी गई है।

2. दण्डात्मक कत्तर्व्य :

विचलन के रवैये पर दुनिया में दण्ड दिये जायेंगे यह बात भी क़ुरआन करीम में बयान कर दी गई है।

3. नागरिक कत्तर्व्य :

माल में ख़र्च करने का फ़ैसला करने का अधिकार, लेन–देन करने का अधिकार और कमज़ोरों और मजबूरों पर अभिभावक बनने का अधिकार इन सभी अधिकारों का बयान फ़क़ीहों ने क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में कर दिया है।

4. माल में फ़ैसला करने का कर्त्तव्य :

इमाम अबू हनीफ़ा इसे स्वीकार करते हैं।

5. हदीस की रिवायत करने का कत्तर्व्य :

इस पर मुसलमानों के तमाम उलमा की सम्मति है।

अगर कमी जातिगत ही वरीयता प्राप्त हैं तो फिर यहां आख़िरी तीनों सन्देह बच रहे हैं जिनके बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि कभी–कभी समान प्रभाव भी रखते हैं कुछ विशेष बुद्धिगत योग्यताओं जैसे माल और गणना की समस्याओं में प्राकृतिक कमी के मौजूद

होने का संकेत। कुरआन करीम की इस आयत में कहा गया है ''अगर उनमें से एक भटक जाये तो दूसरी उसे याद दिलाये'' यह कमी यद्यपि जन्म के बाद ही से प्राकृतिक न हो और लड़का व लड़की के बीच शारीरिक अंगो में अन्तर जैसा इसमें स्पष्ट अन्तर न हो लेकिन बालिग़ होने के बाद वाले चरण में यह अन्तर उन परिवर्तनों के कारण कृतिक या प्राकृतिम जैसा हो जाता है जो शादी और और माँ बनने के बाद वाले चरण में लैंगिक अंगों में पैदा होती हैं। अर्थात एक तरफ़ लैंगिक अंगो की पूर्णता और उसके फलस्वरूप गर्भ प्रसव और दूध पिलाने आदि की समस्याएं और दूसरी तरफ़ औरत के विशेष सामाजिक जीवन की पूर्णता से पैदा होती हैं जैविक (ठपवसवहपबंस) और सामाजिक जीवन और दूसरी तरफ़ बुद्धि से सम्बन्धित जीवन में दिन प्रतिदिन जो प्रभाव दिखायी दे रहे हैं उनसे इस विचार की पुष्टि हो रही है। इन्ही प्रभावों का एक नमूना औरत की गवाही के मामले में दिखाई देता है। कभी–कभी उस पर भावनाएं भारी पड़ जाती हैं या माहवारी जसे उलझन के दिन या गर्भ स्तन–पान और पालन पोषण के बोझ से वह प्रभावित होती हैं। घर की देखभाल अलग ज़िम्मेदारी होती हैं। फिर यह हदीस औरत की कमी की तरफ़ मात्र संकेत ही करती है। कमी के चरण को सीमाबद्ध नहीं करती। मानो चरण की सीमा निर्धारण की समस्या की गहरी छानबीन और मानवीय संघर्ष के लिए छोड़ दिया गया है इन सब के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन अन्य मामले भी सामने रखना चाहिए;

1. जहां एक तरफ़ औरत की किसी एक विशेष योग्यता में जातिगत कमी पायी जाती है वहीं दूसरी तरफ़ इस बात की भी संभावना है कि उसकी दूसरी किसी एक या विभिन्न योग्यताओं में बढ़ोत्तरी पायी जाती हो।

2. इस जगह कमी औरत जाति से सम्बन्धित है अतः इस बात की भी सम्भावना है कि औरत जाति में कुछ औरतें ऐसी हों जिनको अल्लाह ने इन्ही मैसद्क़ों में प्रकृति से भिन्न(ख़ारिक़–ए–आदत) योग्यताएं रखी हों जिन मैसद्क़ों में साधारणतः औरतों का स्तर कम होता है और साथ ही साथ इस बात की भी संम्भावना है कि ये औरतें बहुत से मर्दों से बेहतर हों, इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं। लिंग की विशिष्टता से यह अनिवार्य नहीं है कि हर व्यक्ति सामने वाले हर व्यक्ति से बेहतर हो, एक हब्शी अल्लाह की निगाह में पूरे क़ुरैश क़बीले से अच्छा हो सकता हैं। एक दूसरी जगह इब्ने तैमिया कहते हैं कि इस सिद्धान्त से यह अनिवार्य होता है कि सभी शहरी सभी देहातियों से अच्छे हों हालांकि कुछ देहाती बहुत से शहरी लोगों से बेहतर होते हैं।

1. जहां एक तरफ़ सामयिक या प्राकृतिक जातिगत कमी औरत के कुछ अंगो के मासिक धर्म का परिणाम हैं। और जो इसके अनुसार बेहतर है कि उसके सहयोग से मर्द और औरत दोनों ही जीवन में अपने चरित्र को अच्छी तरह निभाते हैं वहीं दूसरी तरफ़ घर के चार दीवारी के अन्दर की अलग और दैनिक जीवन स्वयं औरत का जीवन, ख़ानदान का जीवन और पूरे समाज के जीवन के लिए अत्यन्त ख़तरनाक है। यह एक सी ख़तरनाक बात है कि जिसके कारण औरत की तमाम बुद्धि बेकार हो सकती है और वह उस जानवर

जैसी हो सकती है जिसको स्वयं पर कन्ट्रोल नहीं होता और नहीं अपने आसपास होने वाले कामों का ज्ञान होता है इसके फलस्वरूप बच्चों के प्रशिक्षण में उसका चरित्र कमज़ोर होकर रह जाता है और समाज के निर्माण व विकास में उसकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि का चरित्र समाप्त हो जाता है।

इस हदीस में यह बताया गया है कि औरतों की गवाही मर्दों की आधी गवाही के बराबर है, अतः उपयुक्त है कि औरतों की गवाही से सम्बन्धित फ़क़ीहों के कथनों का उल्लेख किया जाये। फ़त्हुल बारी में लिखा है कि इब्ने मुनज़िर यह कहते हैं कि "और गवाह बनाओ अपने मर्दों में से दो, लेकिन अगर दो मर्द न हो, तो एक मर्द और दो औरतें उनमें से जो तुम गवाह के रूप में पसन्द करते हो" वाली आयत के ज़ाहिरी भावार्थ पर तमाम उलमा की सम्मति है। अतः उलमा ने मर्दों के साथ औरतों की गवाही को वैध ठहराया है। लेकिन अधिकांश उलमा ने इस स्थिति को क़र्ज़ और आर्थिक समस्याओं के साथ सीमित रखा हैं। अतः इन लोगों का कहना है कि हुदूद(दण्ड) क़िसास (बराबर का बदला) में औरतों की गवाही भरोसे योग्य नहीं हैं, हां, निकाह तलाक़ नस्ल और अभिभावकत्व में औरतों की गवाही के मामले में इन उलमा के बीच मतभेद पाया जाता हैं अधिकांश उलमा निकाह तलाक़ नस्ल और अभिभावकत्व में औरतों की गवाही भरोसे के योग्य नहीं मानते हैं।

बुद्धि में कम होती हैं अतः जिन गवाहियों में भूल जाने की आशंका न हो उनमें औरतों की गवाही मर्दों की आधी गवाही के बराबर नहीं होगी। जिन मामलों में औरतों की गवाही अकेले स्वीकार्य होती है वह ऐस मामले हैं जिन्हें वह अपनी आंखों से देखती है या अपने हाथों से छूती है या अपने कानों से सुनती है इसके लिए उसे बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता जैसे प्रसव के समय बच्चे का रोना, दूध पिलाना, माहवारी, और गुप्त स्त्री रोग। ये ऐसे मामले हैं जिनमें साधारणतः भूलने की संभावना कम रहती है और इनसे जानकारी के लिए बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि कर्ज़ को स्वीकार करने आदि के मामलों में बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता होती है और साधारणतः इनकी मुद्दतें भी लम्बी होती हैं।

उपरोक्त बहस की रोशनी में यह बात समझ में आती है कि एक मर्द और दो औरतों की गवाही हर उस जगह स्वीकार्य होगी जहां क़सम के साथ एक मर्द की गवाही स्वीकार्य होती है। अतः और हम्माद बिन अबू सुलैमान कहते हैं कि हुदूद और क़िसास में एक मर्द और दो औरतों की गवाही हेागी और एक रिवायत के अनुसार हमारे विचार में निकाह और दास की आज़ादी में भी एक मर्द और दो औरतों की गवाही से फ़ैसला कर दिया जायेगा। जाबिर बिन ज़ैद अयास बिन मआ़विया शोअ़बी ओर सौरी से भी यही रिवायत है इसकी तरह जिन अपराधों में माल आवश्यक होता है उनमें भी एक रिवायत के अनुसार एक मर्द और दो औरतों की गवाही से फ़ैसला कर दिया जायेगा।

इब्ने क़य्यिम फ़रमाते हैं सच्चाई, अमानत और दयानत में न्यायवादी औरत मर्द की तरह है लेकिन औरत से इस बात की संभावना रहती है कि वह भूल जायेगी इसलिए

उसको, उसके बराबर एक और औरत के माध्यम से समर्थन दिया गया, उसके कारण कभी–कभी वह एक मर्द से अधिक मज़बूत हो जाती है। निस्सन्देह उम्मे दरदाअ और उम्मे अतीया की गवाही से प्राप्त होने वाला ज़न्न (अनुमान) इन दोनों से कमतर एक मर्द से प्राप्त होने वाले अनुमान से अधिक प्रबल होता है। बहुत से समसामयिक उलमा औरत की गवाही के सिलसिले में अल्लामा इब्ने हज्म के विचार के समर्थक हैं। मैं समझता हूं कि हम पन्द्रहवीं सदी हिजरी (बीसवी सदी ई.) के लोगों के लिए उपयुक्त यह है कि औरत की योग्यताओ के निर्धारण के लिए शोध कियां जाए ताकि अन्तिम रूप से पता चल सके कि औरत के अन्दर कमी कहां पायी जाती है। उसकी क़िस्म क्या होती हैं कि दिनों में वह प्रकट होती है और औरतों में उन कमियों के अस्तित्व का अनुपात क्या है और साथ–साथ यह भी मालूम हो जाए कि औरत के अन्दर कौन से गुण अधिक पाये जाते हैं। उनकी क़िस्म क्या है और वह किन दिनों में प्रकट होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारी तरफ़ से नबी (सल्ल) की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे पूर्वजों ने नबी (सल्ल.) की हदीसों की सेवा इस तरह की कि उन्होंने सहीह और कमज़ोर हदीस की पहचान के लिए उसूल हदीस(हदीस के सिद्धान्त) के विज्ञान की खोज की। हम लोग भी नबी (सल्ल.) की हदीसों की अपने ज़माने को देखते हुए कोई सेवा कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक शोध करें जिन से हमें कुछ नुसूस (क़ुरआन व सुन्नत) के सही भावार्थ को समझने में मदद मिले और उस समय भावार्थ से सम्बन्धित विभिन्न संभावनाओं का उल्लेख करने और सीमित व्यक्तिगत धारणाओं और अनुमानों की रोशनी में उनमें से किसी एक को सैद्धान्तिक वरीयता देने को पर्याप्त न समझा जाये। बल्कि उस भावार्थ को प्रस्तुत किया जाये जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक शोध से होती हो। संभव है कि सैद्धान्तिक शोध के दौरान यह भावार्थ किसी के दिमाग़ में आया ही न हो।

तीसरा : इस तीसरे पहलू में हम नबी (सल्ल.) के कथन नाक़िसातुल अक़्ल व दीन के विशेष भावार्थ की पड़ताल करेंगे। जब नबी (सल्ल.) से औरतों के दीन में कमी के बारे में पूछा गया तो आप (सल्ल.) ने सीमित बात का उल्लेख किया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि हैज़ व निफ़ास की हालत में औरतें नमाज़ और रोज़े को अदा नहीं करतीं अतः यह एक आंशिक कमी है जो कि इबादतों तक सीमित है बल्कि इबादतों में भी कुछ निशानियों तक सीमित है क्योंकि माहवारी वाली औरत तवाफ़ के अतिरिक्त हज के सभी अरकान और मनासिक भी अदा कर सकती है। वह अल्लाह का ज़िक्र (गुणगान) कर सकती है और दीन वास्तव में ईमान, तक़्वा (अल्लाह का डर) इबादतें और शिष्टाचार और सामाजिक मामले का नाम है। इस तरह माहवारी और निफ़ास (प्रसव स्त्राव) के कारण औरत के दीन की कमी वास्तव में सामयिक होती है। यह कमी उसके जीवन में सदैव नहीं रहता बल्कि एक सीमित समय के लिए होती है। इसी के साथ यह बात भी मन में रखना चाहिए कि गर्भाधारण के बाद लगातर नौ महीनों तक उसे माहवारी आना बन्द हो जाती है। ठीक इसी तरह मायूसी की आयु (संतान उत्पति) तक पहुंचने के बाद भी माहवारी बन्द

हो जाती है। यहां विचार करने का एक पहलू यह भी है कि यह कमी औरत की अपनायी हुई नहीं है। अतः एक मोमिन औरत एक विशेष मुद्दत के लिए नमाज़ और रोज़े से वंचित किए जाने पर कष्ट महसूस करती हैं। लेकिन वह ये सोच कर संतोष करती है कि अल्लाह ने ऐसा ही उसके भाग्य में लिख दिया है। अतः इस संतोष और राज़ी होने की स्थिति पर अल्लाह उसे सवाब देता है इस स्थिति में मोमिन औरत से जो नमाज़ें छूट जाती हैं वह उनकी पूर्ति दो तरह से करती है।

1. नमाज़ के अतिरिक्त दूसरी इबादतों के माध्यम से वह तुरन्त पूर्ति करती है जैसे तिलावत करना दुआएं करना अल्लाह को याद करना, इस्तिग़फार करना तसबीह, प्रशंसा और बड़ाई बयान करना। जब मोमिनों की मांओं (नबी सल्ल. की पत्नियों) पर परदा आवश्यक कर दिया गया और वह जिहाद जैसे महान कर्म से रोक दी गयीं तो हज़रत आयशा (रज़ि.) ने जिहाद के कर्त्तव्य को छूटने की पूर्ति इस तरह की कि वह हर साल हज्ज करने लगीं। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने नबी (सल्ल.) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या हम आपके साथ युद्ध न करें? एक रिवायत में हैं 'हम जिहाद को सबसे बड़ा कर्म समझते हैं तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया सबसे अच्छा जिहाद हज्जे मब्रूर (नेकियों भरा) है। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) से यह बात सुनने के बाद मैं अब कभी हज नहीं छोड़ूंगी।

2. माहवारी से पवित्र होने के बाद अधिक से अधिक नफ़्ल नमाज़ें पढ़ कर वह छूटने वाली नमाज़ों की पूर्ति कर लेती हैं। एक बार हज़रत आयशा माहवारी के कारण उमरह अदा न सकीं तो वह उसकी पूर्ति के लिए बैचैन थीं। अतः हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मेरे पास नबी (सल्ल.) आए। मैं रो रही थी। आपने पूछा कि क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा कि मैं उमरह नहीं कर सकती। एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) क्या लोग दो इनाम लेकर लौटें और मैं केवल एक इनाम लेकर लौटूं। आपने पूछा कि ऐसी क्या बात है? मैंने कहा कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। आपने फ़रमाया, कोई बात नहीं तुम भी आदम की बेटी हो अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिख दिया है। तुम हज के मनासिक अदा करती रहो हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें उमरह का अवसर दे दे। अतः मैं हज्ज के मनासिक अदा करती रही यहां तक कि हम लोग मिना से निकलकर मुक़ामे–मुहस्सब पर पहुंचे। आपने वहां अबदुर्रहमान को बुलाया और कहा कि अपनी बहन को हरम ले जाओ ताकि वह उमरह अदा कर सकें।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़त्हुल बारी में लिखा है क्या औरत को माहवारी की स्थिति में नमाज़ छोड़ने पर सवाब मिलेगा? क्योंकि वह उसकी क्षमता रखती है जिस तरह मरीज़ को उन नफ़्ल इबादतों का सवाब मिलता है जिनको वह स्वस्थ होने की स्थिति में अदा करता था लेकिन अब बीमारी के कारण नहीं कर पाता या इन दोनों के बीच कोई अन्तर है? क्योंकि बीमार नफ़्ल इस नीयत से पढ़ा करता था कि वह जब तक नफ़्ल पढ़ने योग्य रहेगा पढ़ता रहेगा

लेकिन माहवारी वाली की ऐसी कोई नीयत नहीं होती। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि मेरे विचार में मरीज़ और माहवारी वाली औरत के बीच यह अन्तर इसलिए है। क्योंकि माहवारी वाली औरत को नमाज़ छोड़ने पर सवाब मिलने का मामला संभावति मात्र है। विचार करने की बात यह है कि नमाज़ छोड़ने के बावजूद महावारी वाली औरत को सवाब मिलने की संभावना कैसे रहती है। हालांकि, इसके बावजूद माहवारी वाली औरत के दीन की कमी के निम्नलिखत रूप फिर भी रहते हैं;

(क) वह औरत जिसका ईमान कमज़ोर है नमाज़ न पढ़ने की छूट मिल जाने पर खुशी महसूस करती है। मानों कि उसको किसी बहुत भारी काम से छुट्टी मिल गई हो। ऐसी औरत सवाब से वंचित रहती है।

(ख) नमाज़ न पढ़ने के कारण माहवारी वाली औरत में जो कमी होती है वह मात्र सवाब के मामले से सम्बन्धित नहीं है बल्कि मोमिन औरत के दिल में शुद्धता और डर में भी कमी हो जाती है। क्योंकि वह अल्लाह के सामने उपस्थित होने से वंचित हो जाती है। यह कमी विशेष रूप से उस समय आती है जबकि इसकी पूर्ति के रूप में कोई नेकी का काम न किया जाये जैसे तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र दुआ आदि।

(ग) बुराई पर क़ाबू पाने की ताक़त में कमी हो जाती हैं क्योंकि नमाज़ अश्लील कामों और बुराई से रोकती है। अतः यदि इस कमी के बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जाती है तो यह कमी शेष रह जाती है।

निचोड़ यह है कि औरत की बुद्धि में कमी के दो अर्थ हो सकते हैं।

पहला है। बुद्धि की शक्ति और बुद्धि की बनावट में कमी। दूसरा है बुद्धि की गतिविधियों और कामों में कमी, अर्थात वह कमी जो बुद्धि के कामों में उन तत्वों के फलस्वरूप आती है जो बुद्धि की शक्ति पर प्रभाव डालते हैं चाहे वह जैविक हो या सामाजिक तत्व हों या मनावैज्ञानिक तत्व हों। औरतों के अन्दर एक स्थायी मनोवैज्ञानिक तत्व भी पाया जाता है और वह तत्व औरत की भावनाओं की नरमी या कठोरता है। यह तत्व साधारणतः औरतों की प्रकृति में पाया जाता है। इस हदीस से पता चलता है कि औरत की बुद्धि में कमी से तात्पर्य उसकी बौद्धिक गतिविधियों और कोशिशों मे कमी है जैसा कि इस आयत से पता चलता है''अगर उन दोनों मे से एक भटक जाये तो दूसरी उसको याद दिला दे'' इस हदीस में यह नहीं बयान किया गया है कि बौद्धिक गतिविधियों और कामों में इस वजह से कमी है। क्योंकि स्वयं बुद्धि की रचना में कमी पायी जाती हैं हां यह बात ठोस बौद्धिक छान बीन की बुनियाद पर ठीक कही जाती हैं इसी लिए औरत के दीन में कमी के कभी दो अर्थ हो सकते है; पहला औरत की दीनदारी में कमी अर्थात अल्लाह से डर रखने और उसका आज्ञापालन करने में कमी का होना। दूसरा अल्लाह तआला ने औरत पर जो इबादतें और कर्त्तव्य आवश्यक किए हैं उनमें कमी का होना, लेकिन इस कमी का कारण औरत से होने वाली कोई ग़लती नहीं होती बल्कि स्वयं अल्लाह तआला ने उसके भाग्य में यह कमी लिख दी है। इस हदीस से पता चलता है कि औरत के दीन में कमी से तात्पर्य वह कमी है जो इबादतों मे इस वजह से होती है कि अल्लाह ने ही उसके भाग्य

में लिख दिया है। जैसे कुछ विशेष दिनों में नमाज़ व रोज़ा से अलग रहन। इस कमी के कारण कुछ औरतों के तक्वा (अल्लाह से डर) में कमी आ जाती है। लेकिन सभी औरतों के साथ ऐसा नहीं होता।

नबी (सल्ल.) ने कमी के सिलसिले में जो स्पष्टीकरण दिया है। हमें उसका पाबन्द रहना चाहिए और इस स्पष्टीकरण से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम, संभावनाओं और सन्देहों का शिकार हो जायेंगे और विखराव की पैरवी करने वालो में शामिल हो जायेंगे। हालांकि अल्लाह ने सन्देहास्पद (मुतशाबिह) बात की पैरवी से मना किया है। जिस तरह कुरआन करीम में मुतशाबिहात (सन्देहास्पद) पाये जाते हैं उसी तरह नबी (सल्ल.) की हदीसों में भी मुतशाबेहात पाये जा सकते हैं अल्लाह मुतशाबेहात की पैरवी का आदेश देते हुए फ़रमाता है "जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे फ़ितने की तलाश में सदैव मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनको अलग अर्थ पहनाने का प्रयास करते रहते हैं, हालांकि उनका वास्तविक भावार्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता" (आले हमरान–7) इमाम शौक़ानी फ़रमाते हैं कि इस आयत से यह बात स्पष्ट हो गई कि वे लोग, जिनके दिलों में टेढ़ है मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते है। मुतशाबेह उसे कहते हैं जिसके अर्थ में कोई पेचीदगी हो और जिसका भावार्थ स्पष्ट न हो सके। चाहे वह वास्तविक मुतशाबेह हो। जैसे मुजमल (संक्षिप्त और अस्पष्ट) शब्द शब्द और तुलना या अतिरिक्त मुतशाबेह हो। ऐसा मुतशाबेह जिसका अर्थ यद्यपि अस्पष्ट हो लेकिन उसके वास्तविक भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी बाहरी तर्क की आवश्यकता हो। जिन गढ़ी हुई और कमज़ोर हदीसों में औरत के बुद्धि और दीन में सन्देह किया गया है वह वास्तव में जाहिली (अज्ञानता) युग के अन्धविश्वासों से अस्तित्व में आई है। मुसलमानों को उन अन्धविश्वासों से स्वतन्त्र होना चाहिए परन्तु अफ़सोस की बात है कि अन्धविश्वास अभी शेष हैं क्योकि नबी (सल्ल.) ने अक़्ल व दीन (बुद्धि व दीन मे कमी को जिस तरह स्पष्ट किया था उससे निगाह हटा ली गई है) अतः अब औरतों के बारे में ग़लत धारणाएं प्रचलित हो गई हैं। कुछ गढ़ी हुई हदीसें नीचे बयान की जाती है :

हदीसः तुम औरतों को लिखना पढ़ना न सिखाओ और न ही उन्हें कमरों में रखो।

हदीसः औरत की बात मानना पश्चाताप का कारण बनता है।

हदीसः यदि औरतें न होतीं तो अल्लाह की इबादत की जाती जैसा उसका हक़ हैं।

हदीसः औरतों से परामर्श लो, लेकिन उसे स्वीकार न करो। उसी तरह कुछ कमज़ोर (ज़ईफ़) हदीसें निम्न में बयान की जाती हैः

हदीसः औरतों का आज्ञापालन करके मर्द तबाह हो गये।

हदीसः तुम्हारी बीवी तुम्हारी सबसे कठोर दुश्मन है।

हदीस–ए–मौकूफ़ : हज़रत उमर ने फ़रमाया औरत का विरोध करो क्योंकि उनके विरोध में बरकत है।

तीसरी हदीसः हज़तर अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमायाः औरतों के सिलसिले में वसीयत स्वीकार करो, औरत पसली से पैदा की गई है। पसली

में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है। अगर तुम उसको सीधा करने का प्रयास करोगे तो वह टूट जायेगा, और अगर तुम उसको उसी हालत पर छोड़ दोगे तो वह सदेव टेढ़ा रहेगा अतः तुम औरतों के सिलसिले में वसीयत स्वीकार करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बनाबट की टेढ़ का प्रभाव उसके कुछ व्यवहारों पर पड़ता है जिसके कारण मर्द परेशान हो जाता है। क्या तथ्यो की रोशनी में यह कहा जा सकता है कि टेढ़ से तात्पर्य यह है कि औरतें जल्दी आवेश (जज़्बात) में आ जाती हैं वह बहुत भावुक होती है। और यह कि उसका व्यवहार बदलता रहता है। वास्तव में टेढ़ का विलोम स्थायित्व है अगर भावनाओं के संतुलित होने और आवेश पर कन्ट्रोल करने का नाम स्थायित्व है तो जल्द आवेश में आ जाने और बहुत अधिक भावुक होने का नाम टेढ़ है। अगर इन्सान की भावनाओं पर कन्ट्रोल करने का नाम स्थायित्व है तो भावनाओं का इन्सान पर छा जाने का नाम टेढ़ है।

विशेष रूप से औरत पर कभी–कभी भावनाएं छा जाती हैं, तो बस वह फ़ैसला लेने में विवेक को ध्यान मे नहीं रख पाती और उससे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो मुनासिब नहीं होते, और वह कुछ अनुचित बातें बोल जाती है और जल्दी आवेश में आ जाती हैं इसकी वजह से उसके मिज़ाज में भी बदलाव आ जाता है। नबी (सल्ल.) ने ठीक ही फ़रमाया कि वह तुम्हारे साथ बिल्कुल सीधे तरीक़े से नहीं रह सकती मिज़ाज का यह बदलाव मर्द को परेशान कर देता है और उसको नाराज़ करने का कारण बनता है। इस व्याख्या की पुष्टि नबी (सल्ल) के उस कथन से होती है जो आपने औरतों को नसीहत करते हुए फ़रमाया था। तुम औरतें बहुत लअन–तअन करती हो और अपने पतियों की बहुत अधिक अवज्ञा करती हो। औरत का यह रवैया आम तौर से क्रोध के समय होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि टेढ़ का तात्पर्य यह है कि औरत की प्रकृति में टेढ़ है वह धोखा और चालबाज़ी का पुतला होती है तो मेरा विचार है कि यह बात अत्यन्त अनुचित, अतिशयोक्ति पर आधारित और औरत के व्यक्तित्व को चोट पहुंचाने वाली है। यह बात बहुत से ऐसे क़ुरआन व सुन्नत के आदेशों से टकराती है जिनमें सहाबी औरतों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और जिनसे मालूम होता है कि औरत की प्रकृति में धोखा और चालबाज़ी नहीं होती। यह बात उन सच्चाइयों से भी टकराती है जिनको हम अपनी माँ बहनों और बीवियों के बीच देखते रहते हैं। क्या यह बात समझ में आती है कि हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ज़िम्मेदारी एक ऐसे इन्सान के हवाले कर दी जाए जिसकी प्रकृति में धोखा चालबाज़ी और टेढ़ पाया जाता हो।

(ग) इस हदीस में मर्द को औरत के टेढ़ के कारण से पैदा होने वाले रवैये पर धैर्य रखने की हिदायत की गई है। इसी लिए नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जायेगी और उसके टूटने का अर्थ तलाक़ है। मर्द को यह बात समझनी चाहिए कि औरत कोई भी रवैया और व्यवहार उसके परेशान करने के लिए नहीं करती है। बल्कि वह इस बात का नतीजा है कि अल्लाह तआला ने औरत के पक्ष में आवेश और भावुकता लिख दिया है। अतः मर्द को धैर्य से काम लेना चाहिए कि औरत की

इन विशेषताओं के अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं जैसे यह विशेषताएं उनको बुनियादी ज़िम्मेदारियों, गर्भ, स्तनपान कराने, और पालन पोषण निभाने के लिए सक्षम बनाती हैं, क्योंकि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उच्चतम श्रेणी की भावुकता की आवश्यकता होती हैं। मर्द को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह पत्नी की हर ग़लती पर पकड़ करेगा और उसे रोकेगा तो उससे अधिक अलगाव और दूरी बढ़ेगी और बात तलाक़ तक पहुंचेगी। अन्त में मर्द को यह समझना चाहिए कि उसकी पत्नी में कोई एक कमी है तो उसके अन्दर बहुत सी खूबियां भी हैं नबी (सल्ल.) का फ़रमान है "एक मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत को नापसन्द न करे, क्योंकि अगर उसे उसकी कोई आदत नापसन्द लगती है तो वह उसकी किसी दूसरी आदत से खुश भी हो सकता हैं। (मुस्लिम)

(घ) औरतों के साथ नरम व्यवहार करने पर ज़ोर दने के लिए नबी (सल्ल.) फ़रमाते हैं (औरतों के सिलसिले में वसीयत स्वीकार करो) इस कथन की व्याख्या करते हुए अल्लामा तीबी फ़रमाते हैं कि इस हदीस में चाहत और अतिशयोक्ति के लिए औरतों के पक्ष में मर्दों को ज़ोर दिया गया है कि तुम लोग स्वयं अपने आप से अच्छी तरह वसीयत की मांग करो या यह कि औरतों के पक्ष मे तुम लोग दूसरों से वसीयत की मांग करो। कहा जाता है कि इसका तात्पर्य यह है कि औरतों के सिलसिले में मेरी वसीयत स्वीकार करो, उनके साथ नरमी का मामला करो और उनके साथ अच्छी तरह रहो। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि मेरे विचार में यह सबसे अच्छी व्याख्या है और यह इमाम तीबी(रह.) के कथन के विपरीत भी नहीं है।

अन्त में मैं यह कहता हूं कि जिस तरह औरतों के दीन और अक़्ल में कमी के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए शोध करना आवश्यक है उसी तरह औरत के टेढ़ की हक़ीकत से अवगत होने के लिए भी शोध करना आवश्यक है।

भाग–2

सामाजिक जीवन में मुस्लिम औरत की भागीदारी

अध्याय–1

नबवी युग के सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के प्रेरक

कुरआन और सुन्नत में कहीं भी एक जगह पर ऐसे आदेश नहीं आये हैं जिनसे सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के प्रेरकों का ज्ञान हो सके। हां उन प्रेरकों को ऐसे आदेशो से प्राप्त किया जा सकता है जिनमे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मैदानों में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात का उल्लेख मौजूद है। आदेशों से हम जो महत्वपूर्ण प्रेरक निकाल चुके हैं निम्न में उसका बयान किया जा रहा है।

प्रथम– जीवन को सरल बनाना :

नेक, साफ़ सुथरा और सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि जीवन को सरल बनाया जाये ताकि जीवन में रूकावट न आये और वह बिना किसी रूकावट के सरलता से गुज़रता चला जाये और मोमिन मर्द और औरतें भी शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करत चले जायें। ''हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) को जब भी दो चीज़ो के बीच चुनाव का अधिकार दिया जाता तो आप उनमें से आसान का चुनाव करते। मगर उसके चुनाव में कोई गुनाह न हो और अगर उसमे कोई गुनाह की बात होती तो आप उससे बहुत अधिक दूर रहते।'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबवी दौर में जब भी औरतों के मन में कोई प्रश्न उभरता या उनको कोई आवश्यकता होती तो वह अपने पतियों या किसी और की मदद लिए बिना सीधे नबी (सल्ल.) के पास चली आतीं और स्वयं नबी (सल्ल.) से प्रश्न करतीं। क्योंकि पति या किसी महरम से मदद लेने की स्थिति में यह आशंका थी। कि वह सही प्रश्न न कर सके। या वह सवाल पूछने के लिए जल्दी तैयार न हो। या सवाल पूछने से इन्कार कर दे या सवाल व जबाब ठीक से समझ न सके। और उसको सही ढ़ंग से बयान कर सके इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी आशंका

थीं। अतः उसका आसान तरीक़ा यह था कि ज़रूरतमन्द औरत अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए स्वयं ही चली जाये चाहे उसे मर्दों अर्थात नबी(सल्ल.) और सहाबा ही से क्यों न मुलाक़ात करना पड़े। निम्न में इसकी कुछ मिसालें प्रस्तुत की जाती हैं।

हज़रत बुरैदा (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मैं नबी (सल्ल.) के पास बैठा था उस समय एक महिला आयीं उन्होंने आप (सल्ल.) से कहा कि मैंने अपनी माँ को एक दासी सदक़े में दी थी। लेकिन मेरी माँ का देहावसान हो गया। आप (सल्ल.) ने ने फ़रमाया कि तुम्हें तुम्हारा बदला मिलेगा और बांदी विरासत में फिर तुम्हारे पास आ जायेगी। (मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जुहैना क़बीले की एक महिला नबी (सल्ल.) के पास आयी और कहा कि मेरी माँ ने हज्ज करने की मन्नत मानी थी। लेकिन हज्ज करने से पहल वह मर गई है तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज़्ज कर सकती हूं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि हां, तुम उनकी तरफ़ से हज्ज कर लो। (बुख़ारी)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि वह अबू अमर बिन हफ़्स बिन मुग़ीरा के निकाह में थीं। उन्होंने उनको तीन तलाक़ दे दी फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं कि वह नबी (सल्ल.) के पास गईं ताकि आपसे घर से निकलने के बारे में मसला पूछ सकें आपने उनको इब्ने उम्मे मक्तूम के घर स्थानान्तरित होने का आदेश दिया, जो कि अन्धे सहाबी थे। (मुस्लिम)

कभी–कभी स्वयं मर्द अपनी पत्नियों को नबी (सल्ल.) से प्रश्न करने का परामर्श देते थे। निम्न में इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं–

हज़रत इब्ने मस्ऊद की पत्नी हज़रत ज़ैनब से रिवायत है ज़ैनब अब्दुल्लाह बिन मस़ऊद और अपने पालन पोषण में रहने वाले कुछ यतीमों पर ख़र्च किया करती थीं। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊंद से कहा कि आप नबी (सल्ल.) से पूछिये कि अगर मैं आपके ऊपर और अपने पालन पोषण में रहने वाले यतीम बच्चों पर सदक़ा करती हूं तो यह क्या मेरी तरफ़ से पर्याप्त हो जायेगा? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उनसे कहा कि तुम स्वयं ही नबी (सल्ल.) से पूछ लो। अतः वह नबी (सल्ल.) के पास गईं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अतः फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) के युग में एक अंसारी सहाबी ने रोज़े की हालत में अपनी बीवी को चूम लिया। उन्होंने अपनी बीवी को नबी (सल्ल.) के पास इस सिलसिले में मसला पूछने के लिए भेजा। अतः उन्होंने नबी (सल्ल.) से इस मामले में पूछा, तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल ऐसा करते हैं बीवी ने अपने पति को नबी (सल्ल.) के इस उत्तर के बारे में बताया तो पति ने कहा कि आपको तो बहुत सी चीज़ों में छूट दे दी गई है। उनकी पत्नी ने आपसे कहा कि मेरे पति कहते हैं कि आपको तो बहुत सी चीज़ों में छूट दे दी गई है नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि में सबसे अधिक अल्लाह से डरने वाला और उसकी सीमाओं का ज्ञान रखने वाला हूं। (अहमद)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने क्या ही सही और सच्ची बात बयान की है कि नबी (सल्ल.) जीवन के सभी भागों में सदैव आसान काम का चुनाव करते थे। चूंकि मर्दों औरतों के साथ मेल जोल जीवन में आसानी पैदा करता है और इस मेल–जोल पर रोक लगाने से जीवन में आसानी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम हमेशा नबी (सल्ल)) को जीवन में आसानी पैदा करने के लिए कोई शरई राह निकालने की कोशिश करते हुए देखते हैं। यह बात निम्नलिखित दो मिसालों से स्पष्ट होगी।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मेरी ख़ाला(मौसी) को तलाक़ हो गई, उन्होंने चाहा कि वह अपने बाग़ में जाकर खजूरें एकत्र कर लें, तो एक व्यक्ति ने उनको इद्दत के दौरान घर से निकलने पर डांटा, मेरी ख़ाला नबी (सल्ल.) के पास गईं, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम अपने बाग़ में जाकर खजूरें एकत्र कर सकती हो। चूंकि संभव है कि तुम उनको सदक़ा कर दो या कोई और नेक काम करो। (मुस्लिम)

उपरोक्त मिसाल की तरह एक और मिसाल तबरी में हज़रत क़तादा के हवाले से आई है वे कहते हैं कि नबी (सल्ल.) औरतों से इस बात की बैअत लेने लगे कि वे न ही विलाप करेंगी और न ही मर्दों से बात करेंगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कहा, हमारे पास मेहमान आते हैं और उस समय हम अपनी बीवियों के पास नहीं होते, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यहां पर वे औरतें मुराद (तात्पर्य) नहीं हैं। अर्थात मर्दों के साथ गम्भीर बातचीत करने पर रोक नहीं है। बल्कि ऐसे मर्दों के साथ बात करने पर रोक है जो दिल की बीमारी वाले हों। विचार करने की बात यह है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ इस बात को जानते थे कि अल्लाह की शरीअत में आसानी रखी गई है। अतः जब नबी (सल्ल.) ने औरतों को मर्दों से बात करने से रोक दिया तो उन्होंने नबी (सल्ल.) से बात की और कहा कि ऐसी स्थिति में तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे समय भी मेहमान आते हैं जब हम अपनी बीवियों के पास नहीं होते। अतः नबी (सल्ल.) ने अपने उत्तर से कठिनाई को दूर कर दिया और आसानी को स्पष्ट कर दिया। आप (सल्ल.) ने दीन में जिस आसानी को स्पष्ट किया था सहाबा ने उसे अच्छी तरह समझ लिया था एक सहाबी ने अपने वलीमे में मेहमानों की सेवा के लिए अपनी बीवी को अनुमति दे दी और नबी (सल्ल.)ने उसकी इस तरह पुष्टि भी कर दी कि उनकी बीवी की तरफ़ से प्रस्तुत किया गया पेय आपने पीया।

हज़रत सहल (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब अबू उसैद साअदी ने शादी की तो नबी (सल्ल.) और सहाबा को दावत दी। अतः उनकी पत्नी ने ही मेहमानों के लिए खाना बनाया और उनके सामने प्रस्तुत किया । (बुख़ारी व मुस्लिम)

तमीमदारी (रज़ि.) फ़रमाते हैं अमर बिन आस किसी आवश्यकता से अली बिन अबी तालिब के घर गये। हज़रत अली वहां मौजूद नहीं थे तो वह लौट गये। दूसरी बार फिर गये। फिर हज़रत अली को घर पर न पाया। इसी तरह दो या तीन बार वह गये। हज़रत अली आये तो उन्होंने अमर बिन आस (रज़ि.) से कहा कि अगर आपको मेरी बीवी से कुछ

काम था तो आप उनके पास क्यों नहीं चले गये। उन्होंने जवाब दिया कि हमें यह आदेश दिया गया है कि हम औरतें के पास उनके पति की अनुमति से ही जायें। विचार करने की बात यह है कि हज़रत अली(रज़ि.) को अमर बिन आस(रज़ि.) के इस व्यवहार से इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फ़रमाया "अगर आपको मेरी बीवी से कुछ काम था तो आप उनके पास क्यों नहीं चले गये। सहाबा अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट नहीं पैदा किया करते थे। इसके साथ–साथ वह शरीअत के आदेशों पर अलम करने की चाहत भी रखत थे। अल्लाह ने उनको एक ऐसा आसान दीन प्रसद्क़ा किया था जो लोगों को तमाम मामलों में आसानी उपलब्ध कराता है। अगर मर्दों को औरतों के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती तो यह दीन उनका इस बात पर मजबूर नहीं करता था कि वह अपनी आवश्यकता परदे के पीछे से या पति या महरम के माध्यम से पूरी करें। केवल इतनी बात आवश्यक थी। कि औरतों के पास जाते समय आवश्यक अनुशासन को ध्यान में रखा जाये और चरित्र की रक्षा की जाये।

दूसरा – औरत के व्यक्तित्व का विकास :

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसका मेल–जोल, यह दो ऐसी बातें हैं जो उसे भलाई के बहुत से मैदानों में काम करने का अवसर देती हैं।

उसको विभिन्न अनुभव कराती हैं और उसके महत्व को बढ़ाती हैं, यह बात पूरी तरह स्पष्ट होकर उस समय सामने आयेगी जब हम सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के शेष प्रेरकों, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, भलाई के काम करना, और अल्लाह के रास्ते में जेहाद का अध्ययन करेंगे। सामाजिक जीवन से दूरी औरत को भलाई के बहुत से मैदानों से और बहुत से अनुभवों से वंचित कर देती है और उसके महत्व को कम कर देती है। ऐसी स्थिति में औरत की अच्छी हालत भी यह होती है कि वह मज़बूत मैदान से वंचित होकर कमज़ोर मैदान तक सीमित होकर रह जाती है। वह अच्छे और माहिर उस्ताद से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती है बल्कि उस उस्ताद की किसी शिष्या से ही ज्ञान प्राप्त करने पर मजबूर होती हैं। वह सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले पाती, हालांकि मर्दों से मिलना औरत के व्यक्तित्व के विकास का एक माध्यम है। अगर वह नेक मर्दों से मिलती है तो उसके अन्दर नेकी को बढ़ावा मिलाता है। अगर वह उलमा से मिलती है तो उसके अन्दर नेकी को बढ़ावा मिलता है और अगर वह सामजिक और राजनीतिक मैदान में सक्रिय लोगों से मिलती है तो उसके सामाजिक व राजनीतिक चेतना को ख़ुराक मिलती हैं इससे कोई इन्कार नहीं करता कि जब औरत नेक औरतों से मिलती है तो उसकी नेकी बढ़ती है। और जब वह सामाजिक जीवन में सक्रिय औरतों से मिलती है तो उसकी सामाजिक चेतना बढ़ती है। लेकिन हमारे समाज में नेकी ज्ञान और अमल के ऊँचे स्थान पर मर्द आसीन हैं तो अब एक औरत नेकी ज्ञान और चेतना को किस तरह बढ़ा सकती है? हम यहां साधारण औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। उन थोड़ी बहुत औरतों के बारे में बात नहीं कर रहे जिनको ऐसा पारिवारिक माहौल मिला है जो नेकी ज्ञान और चेतना से परिपूर्ण है।

सामान्य औरतों की नेकी, ज्ञान व चेतना को बढ़ाने के लिए इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं कि उनको मर्दों के विकसित और बेहतरीन समाजों में भाग लेने का अवसर दिया जाये और उन समाजों में इबादत चरित्र ज्ञान, विचार और राजनीतिक व सामाजिक काम से सम्बन्धित ठोस बातें और लाभदायक गम्भीर गतिविधियां उपलब्ध की जायें। नबी (सल्ल.) के युग में इस उद्देश्य का छोटा सा भाग औरतों के मस्जिद में भाग लेने से प्राप्त हो जाता था। क्योंकि मस्जिद नबवी मर्दों और औरतों दोनों ही के लिए इबादत, संस्कृति और सामाजिक केन्द्र थी। अगर कोई औरत क़ुरआन सुनना चाहती या नसीहत सुनना चाहती या किसी कन्वेन्शन में या भाषण में भाग लेना चाहती या आपसी परिचय के लिए या भलाई के कामों में सहयोग के लिए मुसलमान औरतों से मिलना चाहती तो वह सारे भलाई के काम मस्जिदे नबवी में कर सकती थी। नबी (सल्ल.) की बीवियों को ज्ञान, नेकी और चेतना से भरा हुआ माहौल उपलब्ध था। क्योंकि अल्लाह ने उनको नबी (सल्ल.) की निकटता प्रदान की थी। जिन पर वह्य उतरती थी। और जो ज्ञान का स्रोत थे। इसके अतिरिक्त पवित्र पत्नियां ज्ञान के उच्च स्थान पर पहुंच गयीं, उनकी हैसियत तालीम (शिक्षा) देने वाली महिलाओं की हो गई, बड़े–बड़े सहाबी और ताबईन उनसे हदीस, तफ़सीर और फ़िक़्ह में ज्ञान प्राप्त किया करते थे।

आज के युग के हमारे उलमा को औरतों के सिलसिले में नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। नबी (सल्ल.) महिलाओं को शिक्षा देने के लिए स्वयं आगे बढ़ते थे। आप औरतों को शिक्षा देने के मामले को अपने किसी साथी के हवाले नहीं करते थे। सहीह बुख़ारी में बयान है कि मशहूर ताबई। अतः से पूछा गया कि आपका क्या विचार है कि इमाम को ख़ुत्बे के बाद औरतों के पास आना चाहिए और उनको नसीहत करनी चाहिए। जिस तरह कि नबी (सल्ल) ईद का ख़ुत्बा देने के बाद किया करते थे? अतः(रह.) ने उत्तर दिया यह इमामों के लिए आवश्यक है और वे ऐसा क्यों न करें ?

इसी तरह हमारी औरतों को भी नबवी दौर की उन महिलाओं की पैरवी करनी चाहिए जो अपने मसायल नबी (सल्ल.) से पूछने स्वयं जाया करती थीं वह मात्र अपने पिता और पति के सवाल को पर्याप्त नहीं समझती थीं। हज़रत सबीआ वाली हदीस में यह बयान है कि उन्होंने अबू सनाबिल के फ़तवा को काफ़ी नहीं समझा और नबी सल्ल के पास यह पूछने चली गयी कि क्या व प्रसव के बाद शादी कर सकती हैं, हाफ़िज़ इब्ने हजर इस हदीस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इस हदीस से सबीआ की बुद्धिमानी का पता चलता है। क्योंकि उन्हें अबू सनाबिल के फ़तवा में सन्देह हुआ तो वे स्वयं नबी (सल्ल) से इस आदेश का स्पष्टीकरण पूछ बैठीं। इससे भी आगे बढ़कर आज के दौर में हमारी औरतों को नबी (सल्ल.) की बीवियों की पैरवी करते हुए ज्ञान के ऊँचे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि यह कोशिश औरतों का कोई एक वर्ग ही क्यों न करे, ताकि उनसे मर्द भी सीख सकें और औरतें भी सीख सकें।

निम्नलिखित में कुछ ऐसी मुसलमान महिलाओं की मिसालें दी जा रहीं हैं जो सामाजिक और वैचारिक मज़बूती के ऊँचे स्थान पर आसीन थीं। इसका कारण यह था कि उन्होंने सामाजिक जीवन में सक्रियता से भाग लिया था और नबी (सल्ल.) से मिला करती थीं।

1. हज़रत उम्म सुलैमः

नबी (सल्ल.) का उनके पास बहुत अधिक जाना : हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) उम्मे सुलैम के क़रीब से गुज़रते तो उनके पास जाते ओर उनको सलाम करते। (बुख़ारी)

ख़ुशी के अवसरों पर नबी (सल्ल.) को तोहफ़ा देना : हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने शादी की फिर आप (सल्ल.) घर में गये। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मेरी माँ ने ''हीस(एक तरह का खाना जो खजूर घी और सत्तू से बनाया जाता है)'' बनाया। उसे एक छोटे बरतन में रखा और मुझसे कहा कि ऐ अनस इसे नबी (सल्ल.) के पास ले जाओ और कहो कि इसे मेरी माँ ने आपको भेजा है। वह आपको सलाम कहती हैं और कहती है कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल) ये हमारी तरफ़ से आपके लिए बहुत कम है। (मुस्लिम)

अपने पति के साथ नबी (सल्ल.) और सहाबा किराम का आतिथ्य :

अनस बिन मालिक फ़रमाते है कि... फिर नबी (सल्ल.) ने कहा कि ऐ उम्मे सुलैम जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ, अतः वे रोटी लाई, नबी (सल्ल.) ने उस रोटी को तोड़ने का आदेश दिया अतः उसे तोड़ा गया। उम्मे सुलैम ने एक बरतन से सारी सब्ज़ी निकालकर उस पर डाल दी,...................... तमाम लोंगो ने सन्तुष्ट होकर खाया, वह सत्तर या अस्सी मर्द थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अपनी सहेलियों के साथ जेहाद में अक्सर जाना : हज़रत अनस बिन मालिक(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) युद्ध में उम्मे सुलैम(रज़ि.) और कुछ अन्सारी औरतों को ले जाते थे। ये औरतें लोगों को पानी पिलाती थीं और घायलों का इलाज करती थीं। (मुस्लिम)

2. हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.)

हब्शा और मदीना की तरफ़ हिजरत करने में मर्दों के साथ भागीदारी :

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि अस्मा हमारे साथ मदीना आयी थीं उन्होंने दूसरे लोगों के साथ हब्शा की तरफ़ भी हिजरत की थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मदीना पहुंचने के बाद उनकी नबी (सल्ल.) और बहुत से सहाबा से मुलाक़ात :

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं................ अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) नबी (सल्ल.) की पत्नी हज़रत हफ़्सा के पास मुलाक़ात के लिए गई......... हज़रत उमर हफ़्सा के पास आये, हज़रत

अस्मा उस समय वहीं थीं। अस्मा को देखकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा कि ये कौन हैं? हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने बताया कि ये अस्मा बिन्ते उमैस(रज़ि.) हैं। हज़रत उमर (रज़ि) ने पूछा कि क्या ये हब्शा वाली हैं? क्या ये समुंदर वाली हैं? हज़रत असमा ने कहा कि 'हां' हज़रत उमर ने कहा कि हम लोगों ने आप लोगों से पहले हिजरत की है। अतः हम लोग आप से अधिक नबी (सल्ल.) के हक़दार हैं, जब नबी (सल्ल.) आये तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल उमर ने ऐसा–ऐसा कहा है। आपने पूछा कि फिर तुमने क्या उत्तर दिया उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा–ऐसा कहा। आप (सल्ल.) ने कहा कि वह तुमसे अधिक मेरे हक़दार नहीं हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने केवल एक हिजरत की है जब कि तुम नाव वालों ने दो हिजरतें की हैं, हज़रत अस्मा फ़रमाती हैं कि अबू मूसा (रज़ि.) और दूसरे किश्ती वाले मेरे पास गिरोह के गिरोह आते थे और मुझसे इस हदीस के बारे में पूछते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) से कहा, क्या हो गया है कि मैं अपने भतीजों के शरीर को कमज़ोर देख रहा हूं, मानों, वह ज़रूरत मन्द हों, हज़रत अस्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है बल्कि उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आपने फ़रमाया, झाड़ फूंक कर देता हूं। हज़रत अस्मा कहती हैं कि मैंने इस बात से सहमति जताई तो आपने फ़रमाया कि मैं झाड़ फूंक किए देता हूं। (मुस्लिम)

हज़रत जअफ़र की मौत के बाद हज़रत अबू बक्र के निकाह में रहते हुए उनका मर्दों से मिलना :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रज़ि.) कहते हैं कि बनू हाशिम के कुछ लोग अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) के पास आये, फिर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) आ गये। अस्मा उन दिनों उन्ही के निकाह में थीं। (मुस्लिम)

हज़रत अबू बक्र की तीमारदारी (बीमारी में देखभाल) के दौरान देखने वालों का उनके पास आना :

तिबरानी ने क़ैस बिन हाज़िम से रिवायत की है। वे कहते हैं कि अबू बक्र की बीमारी के दौरान हम उनके पास गये। मैंने उनके पास एक सुन्दर महिला को देखा। जिनके दोनों हाथ गुदे हुए थे। और जो उनके ऊपर से मक्खियों को भगा रही थीं। वह अस्मा बिन्त उमैस थीं।

इन तमाम बातों के बावजूद हमें हज़रत अस्मा के उस रवैये पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वे पूरी दिलेरी के साथ हज़रत अमर से बहस कर बैठी थीं हालांकि उनसे बहुत से मर्द डरते थे। हज़रत उमर ने उनसे कहा कि हमने आप लोगों से पहले हिजरत की है। अतः हम आप से अधिक नबी (सल्ल.) के हक़दार हैं। वे इस बात पर क्रोधित हुईं और

कहा कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की क़सम आप लोग नबी (सल्ल.) के साथ थे। नबी (सल्ल.) आपके भूखों को खाना खिलाते थे। और आप में मौजूद जाहिलों को नसीहत करते थे। हम लोग अल्लाह और उसके रसूल के लिए हब्शा की दूर दराज़ ज़मीन पर थे। अल्लाह की क़सम मैं उस वक़्त तक न खाऊंगी न पीऊंगी, जब तक मैं आपकी बातों का बयान नबी (सल्ल.) से न कर दूं। हमारी हालत यह थी। कि हमें कष्ट पहुचाया जाता था और हम सहमे हुए रहते थे। मैं नबी (सल्ल.) से इसका बयान करूंगी और पूछूंगी, अल्लाह की क़सम मैं न ही झूठ बोलूंगी न ही ग़तल बयानी करूंगी और न अपनी तरफ़ से कुछ बढ़ाऊंगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

1. हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र :

प्रारम्भिक जीवन से नबी (सल्ल.) से अधिकतर मुलाक़ातः

नबी (सल्ल.) की बीवी हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि मैंने अपनी चेतना की हालत में अपने माँ बाप को इस्लाम का पैरव पाया। नबी (सल्ल.) हमारे पास प्रतिदिन सुबह शाम आया करते थे। (बुख़ारी)

घर से बाहर घर वालों का काम करना और कभी–कभी मर्दों से मुलाक़ात हो जाना :

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं ज़ुबैर की ज़मीन से जो उन्हे नबी (सल्ल.) ने दी थी।, अपने सिर पर गुठलियां रखकर लाया करती थीं। यह ज़मीन मेरे घर से दो तिहाई फरसख़ की दूरी पर थी। मैं एक दिन अपने सिर पर गुठलियां ला रही थी। कि नबी (सल्ल.) और कुछ अन्सारी सहाबा से मेरी मुलाक़ात हो गई। आपने मुझे अपने पीछे बिठाने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म महसूस हुई।
(बुख़ारी व मुस्लिम)

सामने आने वाली समस्याओं को नबी (सल्ल.) से पूछने की चाहतः हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंनें कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे पास तो सिर्फ़ वही माल है जो ज़ुबैर मुझे देते हैं तो क्या में सदक़ा कर सकती हूं? आपने(सल्ल.) फ़रमाया सदक़ा करो और कंजूसी न करो अन्यथा तुम्हारे साथ भी कंजूसी की जायेगी।(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा कहती हैं कि नबी (सल्ल.) के ज़माने में मेरे पास मेरी शिर्क करने वाली माँ आयीं, मैंने आपसे (सल्ल.) पूछा कि मेरी माँ मेरे पास आयीं हैं वे मुझसे मिलना चाहती हैं तो क्या मैं अपनी माँ से रिश्ता निभाऊँ। आपने फरमायां हां, अपनी माँ से 'सिला रहमी करो'' रिश्ता निभाओ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मस्जिद में जमाअत के साथ सूर्य ग्रहण की नमाज़ पढ़ने की चाहत और मर्दों से प्रश्न पूछना :

हज़रत अस्मा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने सूर्य ग्रहण की नमाज़ के बाद खुत्बा दिया और क़ब्र की उस परीक्षा का बयान किया जिसमें लोग डाले जायेंगे। जब नबी (सल्ल.) ने उसका बयान किया तो मुसलमान चीख़ने चिल्लाने लगे उसकी वजह से मैं आपकी आख़िरी बात नहीं समझ सकी। जब चीख़ना चिल्लाना कम हुआ तो मैंने अपने क़रीब एक मर्द से पूछा कि नबी (सल्ल.) ने अन्त में क्या फ़रमाया? उन्होंने बताया कि आपने फ़रमाया कि मुझे वह्य के माध्यम से बताया गया है कि तुम लोग अपनी क़ब्रों में ऐसी परीक्षा में डाले जाओगे जो दज्जाल की परीक्षा की तरह होगा। इन मुलाक़ातों के फलस्वरूप हज़रत अस्मा के अन्दर सामाजिक और वैचारिक मज़बूती आयी जिसके बाद वे इस योग्य हो गयीं कि हज़रत उमर से कुछ ज्ञान के मुद्दों पर बात कर सकें। कुछ सहाबियों के बीच एक मसले में मतभेद हुआ तो हज़रत इब्ने अब्बास ने लाागों को यह आदेश ज़ोर देकर दिया कि वे हज़रत अस्मा से इस सिलसिले में नबी (सल्ल.) की सुन्नत मालूम करें।

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र के दास अब्दुल्लाह फ़रमाते है कि हज़रत अस्मा ने मुझे इब्ने अब्बास के पास भेजा और कहा कि मुझे यह मालूम हुआ है कि आप तीन चीज़ो को हराम ठहराते हैं धारीदार कपड़ा लाल रंग की ज़ीन और रजब के पूरे महीने का रोज़ा। यह सुनकर हज़रत इब्ने अब्बास ने मुझसे कहा, जहां तक रजब के रोज़ो का सम्बन्ध है। तो तुम्हारा क्या विचार है उस व्यक्ति के बारे में जो हमेशा रोज़े रखता है और जहां तक धारीदार कपड़े का सम्बन्ध है तो मैंनें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से सुना है। उन्होंने कहा, मैंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना कि रेशम वह व्यक्ति पहनाता है जिसके पास शिष्टाचार नहीं होता अतः मुझे सन्देह हुआ कि धारियों का सम्बन्ध भी कही उससे न हो। और जहां तक लाल जीन का सम्बन्ध है तो अब्दुल्लाह की जीन स्वयं लाल है।

मैं लौट कर हज़रत अस्मा के पास गया और उनको ये सारी बातें बताई। हज़रत अस्मा ने कहा ये अल्लाह के रसूल का जुब्बा है यह बहते हुए उन्होंने एक हरे रंग का ईरानी जुब्बा निकाला जिसमें रेशम के टुकड़े थे और उसकी दोनों चाक पर रेशम का काम था। हज़रत अस्मा ने कहा यह जुब्बा हज़रत आयशा (रज़ि.) की मौत तक उन्ही के पास था। फिर यह मेरे पास आ गया। नबी (सल्ल.) इसको पहना करते थे। हम मरीज़ों को मुक्ति दिलाने के लिए इसको धोकर पानी प्रयोग करते थे। (मुस्लिम)

तीसरा : ज्ञान प्राप्त करने की चाहत :

अल्लाह तआला ने तमाम मुसलमान मर्दों पर ज्ञान प्राप्त करना फ़र्ज़ किया है ताकि उसके माध्यम से उनकी दुनिया भी बने और आख़िरत भी ठीक हो। इस सिलसिले में मुसलमान मर्दों के लिए है। मुसलमान औरतों के लिए भी वही आदेश है जो मुसलमान मर्दों

का है। मुसलमान मर्द औरत दोनों के लिए दुनिया आख़िरत की खेती है। अगर वे इस दुनिया की खेती को अच्छी तरह आबाद करते हैं तो उनको क़यामत के दिन पूरा बदला दिया जायेगा। यह बात विचार करने योग्य है कि नबी (सल्ल) ने किस तरह लोागें को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी और कैसे सभी मुसलमान मर्दों–औरतों को बिना किसी अन्तर के सम्बोधित किया। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल) ने फ़रमाया कि ज्ञान प्राप्त करना सभी मुसलमानों पर फर्ज़ है। (बैहक़ी)

हज़रत अबू दरदा फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह उसको जन्नत की राह पर चलाता है। फ़रिश्ते उसके अमल से ख़ुश होकर उसके लिए अपने पर बिछाते हैं। (अहमद)

क्या उलमा से लाभ उठाये बिना ऐसा ज्ञान प्राप्त करना संभव है। जो दिलों और दिमाग़ो को रोशन कर देता है। और क्या ऐसी प्रभावशाली नसीहत से लाभ उठाना संभव है जो दिलों को जागृत करता है? इसी लिए सहाबी औरतें नबी (सल्ल.) से मुलाक़ात की अत्यन्त इच्छुक होती थीं ताकि वह ज्ञान को उसके सबसे ऊँचे स्रोत से प्राप्त कर सके। इसी तरह सहाबा किराम की बीवियां नबी (सल्ल.) की बीवियों से मुलाक़ात के। अत्यन्त इच्छुक होते थे। ताकि वे ज्ञान के सर्वोत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसी तरह सहाबा किराम नबी (सल्ल) की बीवियों से मुलाक़ात के अत्यन्त इच्छुक होते थे ताकि वह नबी (सल्ल.) की मौत के बाद ज्ञान के सबसे ऊँचे स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर सकें। नबी (सल्ल) का युग 'उत्तम आदर्श' का युग है। अतः नबी (सल्ल.) के युग की यह अच्छी सुन्नत हमेशा बनी रहनी चाहिए। मुसलमान मर्दों और औरतों को ऊँचे स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहना चाहिए चाहे वह ऊँचा स्रोत मर्द के रूप में हो या औरत के रूप में। औरतों को ज्ञान प्राप्त करने से इस बुनियाद पर नहीं रोकना चाहिए कि बड़ा आलिम उस्ताद मर्द हैं। इसी तरह मर्दों को भी ज्ञान प्राप्त करने से इस आधार पर नहीं रूकना चाहिए कि महान उस्तानी औरत है।

औरतों का नबी (सल्ल.) से विशेश वार्ता की मांग:

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाते कि एक महिला नबी (सल्ल) के पास आई और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आपकी हदीस के मामले में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, अतः आप अपनी तरफ़ से हमारे लिए कोई दिन निर्धारित कर दें। आपने फ़रमाया कि तुम लोग अमुक दिन एकत्र हुआ करो। अतः औरतें उस दिन एकत्र हुई और आप (सल्ल) उनके पास आये......।(बुख़ारी व मुस्लिम)

औरतों की तरफ़ से एक विशेष दिन की मांग इसलिए नहीं थी। कि वे एक ही सभा में मर्दों के साथ ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहती थीं, बल्कि वे मस्जिद में मर्दों के साथ–साथ लाभ उठाते हुए अपने लिए ज्ञान के अतिरिक्त अवसरों की तलाश में थीं। अतः वे अपने

लिए एक विशेष दिन निर्धारित कराने के बाद भी मस्जिद और ईदगाह में आती थीं और मर्दों के साथ ज्ञान और नसीहत से लाभ उठाती थीं।

ज्ञान के मामले में औरतों का मर्दों से बातचीत करना :

उम्में फ़ज़्ल बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं कि अरफ़ा के दिन कुछ लोग उनके पास नबी (सल्ल.) के रोज़े के बारे में बहस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप (सल्ल.) रोज़े से हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपका रोज़ा नहीं है। मैंने नबी (सल्ल.) की सेवा में दूध का एक प्याला भेजा। उस वक़्त आप अपने ऊँट पर बैठे थे। आपने दूध पी लिया।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से कुछ फ़ायदेमन्द बातें मालूम होती है। जैसे मर्दों और औरतों के बीच किसी ज्ञान के मसले पर वार्ता करना उचित है। अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद ने एक बार कहा कि गोदने वाली औरतों, गुदवाने वाली औरतों, भवें उखाड़ने वाली औरतों, सुन्दरता को ख़राब करने वाली औरतों और अल्लाह की बनाई चीज़ में बदलाव करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत हो। यह बात बनू असद की एक महिला तक पहुंची जिनका नाम उम्मे याक़ूब था। उन्होंने इब्ने मसऊद से कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने अमुक अमुक क़िस्म की औरतों पर लानत की है उन्होंने कहा मै उन लोगों पर क्यों न लानत भेजूं जिन पर नबी (सल्ल.) ने लानत भेजी है और जिन पर क़ुरआन करीम में लानत भेजी गई हैं। उम्मे याक़ूब ने कहा कि मैंने पूरा क़ुरआन पढ़ा है लेकिन मुझे उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर आपने ठीक से क़ुरआन पढ़ा होता तो आपको यह बात उसमें मिल जाती। क्या आपने क़ुरआन में यह नहीं पढ़ा है 'और जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज़ से तुमको रोकें उससे रूक जाओ। उन्होंने उत्तर दिया क्यों नहीं। इब्ने मसऊद ने कहा कि नबी (सल्ल.) ने इन बातों से मना फ़रमाया है उम्मे याक़ूब ने कहा कि मैंने आपकी बीवी को ऐसा करते देखा हैं। इब्ने मसऊद ने कहा कि जाकर देख लो, उन्होंने जाकर देखा उनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो मैं उसके साथ न रहता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मर्दों का मोमिनों की मांओं से (उम्महातुल मोमिनीन से) हदीस सीखना :

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) की इबादत के बारे में पूछने के लिए तीन लोग आपकी (सल्ल.) बीवियों के घरों पर गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सुमामा इब्ने हज़्न अल–कुशैरी फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि) से मुलाक़ात की और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा। हज़रत आयशा (रज़ि) से मुलाक़ात की और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा हज़रत आयशा (रज़ि) ने एक हब्शी दासी को बुलाया और कहा कि इससे पूछो। यह नबी (सल्ल.) के लिए नबीज़ बनाया करती थी। (मुस्लिम)

अब्दुल्लाह बिन सफ़्वान कहते हैं कि मुझे हज़रत हफ़्सा ने बताया कि उन्होंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना कि अल्लाह के इस घर को उस फौज़ से सुरक्षित रखा जायेगा जो इस पर हमला करेगी। (मुस्लिम)

मतभेद के समय मर्दों का औरतों से फ़ैसला कराना :

ताऊस (रह.) कहते हैं, मैं हज़रत इब्ने अब्बास के साथ था कि ज़ैद बिन साबित ने उनसे कहा 'क्या आप यह फ़तवा देते हैं कि हैज़ वाली औरत तवाफ़े रूख़्सत के बिना वापस हो जायेगी। हज़रत इब्ने अब्बास ने उनसे कहा अगर ऐसा नहीं है तो आप अमुक अन्सारी सहाबी औरत से पूछ लीजिये कि क्या नबी (सल्ल.) ने उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। ताऊस कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन साबित लौट कर इब्ने अब्बास के पास आये और कहां आपने सही फ़रमाया था।

हज़रत अबू सलमा फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति इब्ने अब्बास के पास आया, हज़रत अबू हुरैरह भी उनके पास मौजूद थे आने वाले व्यक्ति ने कहा कि एक औरत ने अपने पति की मौत के चालीस दिन बाद एक बच्चा जन्म दिया। आप मुझे बतायें कि उस औरत के बारे में क्या आदेश है? इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि अगर गर्भवती औरत का पति मर जाये तो वह लम्बी मुद्दत पूरी करेगी मैंने कहा कि अर्थात गर्भवती औरतों की इद्दत की मुद्दत प्रसव है। हज़रत अबू हुरैरह ने कहा कि मैं अपने भतीजे अबू सलमा से सहमत हूं। इब्ने अब्बास ने अपने दास कुरैब को उम्मे सलमा के पास यह मसला पूछने के लिए भेजा। उम्मे सलमा ने बताया कि जिस समय सबीआ अस्लमीय : के पति शहीद किए गये उस समय वह गर्भवती थीं उनकी मौत के चालीस दिन बाद उन्होंने एक बच्चा जन्म दिया उसके बाद उनको शादी का पैग़ाम दिया गया और नबी (सल्ल.) ने उनका निकाह पढ़ाया। अबू सनाबिल ने भी उनको शादी का पैग़ाम दिया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

चौथाः नेकी व भलाई का काम करना :

निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ ऐसी मिसालें प्रस्तुत की जाती हैं जिनसे यह मालूम होता है कि औरतों का मर्दों के साथ मिलना जुलना, नेकी व भलाई के कामों में मददगार होता है।

नबी (सल्ल.) का औरतों की आवष्यकताओं को पूरा करना यद्यपि वह दासी ही क्यों न हों : हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक औरत ने कहा, जिसके दिमाग़ में कुछ कमी थी।, कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे आपसे कुछ काम है। आपने फ़रमाया कि ऐ अमुक की माँ तुम जिस रास्ते पर चाहो ले चलो। यहां तक कि मैं तुम्हारा काम कर दूं। अतः नबी (सल्ल.) ने रास्ते पर अलग जाकर उससे मुलाक़ात की, यहां तक कि उस औरत की ज़रूरत पूरी हो गई। (मुस्लिम)

उम्मे शरीक का मेहमानों के लिय अपना घर खुला रखना, उसमें मुहाजिर सहाबा का ठहरना :

फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं, मुझसे नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम उम्मे शरीक के घर स्थानान्तरित हो जाओ, (उम्मे शरीक अन्सार की एक मालदार महिला थीं अल्लाह की राह में बहुत अधिक ख़र्च करती थीं और उनके पास मेहमान ठहरा करते थे) मैंने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ऐसा न करो, क्योंकि उम्मे शरीक के यहां बहुत अधिक मेहमान आते हैं। एक रिवायत में है कि उनके पास सबसे पहले हिजरत करने वाले आते हैं। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐ अब्दुलल्लाह की माँ मैं फ़क़ीर आदमी हूं। मैं आपके घर की छाया में बैठकर क्रय विक्रय करना चाहता हूं। हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा कि अगर ज़ुबैर इसकी इजाज़त दे दें तो ठीक है तुम ऐसे वक़्त मेरे पास आओ जब ज़ुबैर मौजूद हों, और मुझसे इसकी मांग करो। अतः वह व्यक्ति हज़रत ज़ुबैर की मौजूदगी में आया और कहा कि ऐ अब्दुल्लाह की माँ मैं फ़क़ीर आदमी हूं और आपके घर की छाया में बैठकर क्रय विक्रय करना चाहता हूं। हज़रत अस्मा ने कहा कि क्या पूरे मदीने में तुमको मेरा ही घर मिला है। हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि तुम एक फ़क़ीर आदमी को क्रय विक्रय से क्यों रोक रही हो। अतः वह आदमी उनके घर की छाया में बैठकर बेचा करता था यहां तक कि उसने बहुत कमाया। (मुस्लिम)

ये नेकी के काम की कुछ मिसालें थीं जो नबी (सल्ल.) की हदीसों से प्रस्तुत की गई थीं क़ुरआन में भी इसकी मिसालें मिलती हैं, अल्लाह का इरशाद है। "और जब वह (मूसा) मदयन के कूंए पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ़ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा (अलै.) ने उन औरतों से पूछा 'तुम्हें क्या परेशानी है। उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवर निकाल कर न ले जायें हमारे पिता एक बहुत बूढ़े आदमी हैं मूसा (अलै.) ने यह सुनकर उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर एक पेड़ की छाया में जा बैठे और बोले, परवर दिगार जो भलाई भी तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज़ हूं। (सूरह क़सस–32,42)

निम्न पंक्तियों में हदीसों से कुछ और मिसालें प्रस्तुत की जा रही हैं–

शोक संवेदना प्रकट करना :

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि जब अबू सलमा की मौत हुई तो मैं नबी (सल्ल.) के पास आयी और आपसे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अबू सलमा की मौत हो चुकी है। आपने फ़रमाया कि तुम यह कहो "ऐ अल्लाह तू मेरी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे और मुझे उनका विकल्प प्रसद्क़ा कर। मैंने यह कहा तो अल्लाह ने मुझे उनका विकल्प नबी (सल्ल.) के रूप में प्रसद्क़ा किया। (मुस्लिम)

मेहमानों का स्वागत :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की बहन हाला बिन्ते ख़ुवैलिद ने नबी (सल्ल.) से अनुमति मांगी। आपको महसूस हुआ कि ख़दीजा (रज़ि.) आने की अनुमति मांग रही हैं तो आप ख़ुश हो गये। फिर आपने फ़रमाया अच्छा, हाला हैं? (बुख़ारी व मुस्लिम)

सत्कार और प्रसंशाः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने औरतो और बच्चों को एक शादी से लौटते हुए देखा तो आप खड़े हो गये और फ़रमाया कि तुम लोग मुझे सबसे अधिक प्यारे हो। यह बात आपने तीन बार फ़रमाई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

लगाव और गौरव का ऐलानः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बा आयीं और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इस ज़मीन पर जितने ख़ेमे वाले लोग (अर्थात अरब वाले) हैं उनमें आपके ख़ेमे वालों (अर्थात आपके अनुयायी) से अधिक किसी और का अपमान मुझे पसन्द नहीं था लेकिन अब जितने भी ख़ेमे वाले लोग हैं उनमें आपके ख़ेमे वालों से अधिक किसी और का सम्मान मुझे पसन्द नहीं है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बीमार के पास देखने जाना :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) उम्मे साएब के पास गये और फ़रमाया कि ऐ उम्मे साएब (रज़ि.) तुम क्यों थरथरा रही हो। उन्होंने कहा मुझे बुख़ार हो गया है। अल्लाह इसका बुरा करे। आपने फ़रमाया बुखार को बुरा मत कहो क्योंकि यह लोगों के गुनाहों को उसी तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह लोहार की भट्ठी लोहे की गन्दगी और ज़ंग को मिटा देती है। (मुस्लिम)

पांचवां– नेकी का आदेश और बुराई से रोकना :

अल्लाह तआला फरमाता है : "मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं भलाई का आदेश देते हैं बुराई से रोकते हैं नमाज़ स्थापित करते हैं। ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की कृपा अवतरित होकर रहेगी। निश्चय ही अल्लाह सब पर भारी और विवकेशील व ज्ञानी है। (सूरह तौबा–17)

नबी (सल्ल.) :

आरंभिक युग के मोमिन मर्द और औरतें ऐसी ही थीं। जब भी ज़रूरत पड़ती गई औरतों को भलाई का आदेश देते और उनको बुराइयों से रोकते। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं। कि नबी (सल्ल.) का एक औरत के पास से गुज़र हुआ वह एक क़ब्र

के पास बैठी रो रही थी। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.)

हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि क़बीला अहमस की एक महिला ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर के पास हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) गये उन्होंने देखा कि वह बात नहीं कर रही हैं तो पूछा कि ये बात क्यों नहीं कर रही हैं? लोगों ने बताया कि इन्होंने ख़ामोश रहकर हज्ज करने की मन्नत (नज़्र) मानी है। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने उनसे कहा कि बात करो, चुप रहना उचित नहीं है यह तो अज्ञानता युग का कर्म है। अतः उन्होंने बात की। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इन दो मिसालों के माध्यम से मालूम होता है कि मर्दों ने औरतों को नेक काम का आदेश दिया और बुराई से रोका, कुछ ऐसी भी मिसाले हैं जिनसे पता चलता है कि औरतों ने मर्दों को नेक काम का आदेश दिया और बुराई से रोका। अरब के एक क़बीले की एक औरत ने एक बार इमाम के कपड़े में कोई आपत्तिजनक बात देखी तो उन्होंने लोगों से इस बुराई को मिटाने को कहा। अमर बिन सलमा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया तुममें से वह व्यक्ति इमामत करे(नमाज़ पढ़ाए) जिसे तुममे सबसे अधिक क़ुरआन याद हो। लोगों ने देखा तो मुझसे अधिक क़ुरआन किसी को याद नहीं था। क्योंकि मैं आने वाले मुसाफ़िरों से क़ुरआन याद कर लिया करता था। अतः लोगों ने मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया हालांकि मैं केवल 6 या 7 साल का था। मैं एक चादर लपेटे हुए था। जब मैं सजदे में जाता तो वह चादर मेरे ऊपर से गिर जाती। क़बीले की एक औरत ने कहा कि आप लोग इमाम के कुल्हे को ढंक क्यों नहीं देते। अतः लोगों ने कपड़ा खरीद कर मेंरे लिय क़मीस बनायी। इस क़मीस की वजह से मैं। इतना ख़ुश हुआ जितना खुश किसी और चीज़ से नहीं हुआ था। (बुख़ारी)

अबू दरदा की पत्नी उम्मे दरदा (रज़ि) का अब्दुल मलिक बिन मरवान के पीछे लगकर उनको एक बुराई से रोकना :

ज़ैद बिन अस्लम बयान करते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उम्मे दरदा के पास अपने पास से घर का कुछ सामान भेजा। एक रात अब्दुल मलिक नींद से उठे और उन्होंने अपने सेवक को पुकारा उसने आने में देर की तो उन्होंने उसको बुरा भला कहा सवेरे उम्मे दरदा ने उनसे कहा कि मैंने रात को देखा कि आप अपने सेवक को बुरा भला कह रहे थे फिर उन्होंने कहा कि मैंने अबू दरदा को कहते हुए सुना है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन बुरा भला कहने वाले न ही किसी की सिफ़ारिश कर सकेंगे और न ही किसी के पक्ष में गवाह बन सकेंगे। (मुस्लिम)

छठाः अल्लाह के दीन की तरफ़ दावत देना :

हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ एक सफ़र में थे। कुछ लोगों ने आप(सल्ल) से प्यास की शिकायत की तो आप (सल्ल.) ठहरे, अमुक व्यक्ति को बुलाया और हज़रत अली (रज़ि.) को बुलाया और कहा कि तुम दोनों पानी की तलाश में जाओ। वह दोनों चले गये। उनकी मुलाक़ात एक औरत से हुई जिसके पास पानी के दो मिश्कीज़े थे जिन्हें उसने अपने ऊँट पर बांध रखा था इन दोनों ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ चलो। अतः वे उसे नबी (सल्ल.) के पास ले आये और एक बरतन लाये। आपने दोनों मिश्कीज़ों से बरतन में पानी भरा और लोगों को बुलाया कि पानी पीयो और इच्छा भर लो। वह औरत सब कुछ खड़ी देखती रही, जो आप (सल्ल.) उसके पानी के साथ कर रहे थे। अल्लाह की क़सम, फिर नबी (सल्ल.) ने मिश्कीज़ों को छोड़ दिया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनमे जितना पानी पहले था उससे अधिक भरा हुआ है। फिर आप (सल्ल.) न फ़रमाया कि इस औरत के लिए कुछ एकत्र करो। अतः सहाबा (रज़ि.) ने उसके लिए खजूर, आटा, सत्तू और खाना आदि एकत्र किया। फिर सबको एक कपड़े में रखा। औरत को उसके ऊँट पर बिठाया, फिर उसके सामने सामान की वह गठरी रख दी। आपने उससे कहा क्या तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारे पानी में थोड़ी भी कमी नहीं की, हम लोगों को तो अल्लाह ने पानी पिलाया है। वह औरत अपने घर देर से पहुंची तो घर वालों ने पूछा कि तुम कहां रह गयीं थी। उसने कहा, कि मेरे साथ बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी। मुझे रास्ते में दो मर्द मिले। वे मुझे उस व्यक्ति के पास ले गये जिसको साबी(मज़हब को छोड़ने वाला) कहा जाता है और फिर उसने ऐसा—ऐसा किया। अल्लाह की क़सम वह उन लोगों के बीच सबसे बड़ा जादूगर हैं। उसने अपनी बीच की ऊँगली और तर्जनी (शहादत की ऊँगली) से इशारा किया। फिर उसने आसमान की तरफ़ ऊंगली उठायी। वह यह कहना चाहती थी। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसके बाद मुसलमानों ने उस औरत के क़बीले के आस—पास रहने वाले मुशरिकों पर हमले करना शुरू किए लेकिन मुसलमान उस औरत के क़बीले पर हमला नहीं करते थे। उस औरत ने एक दिन अपनी क़ौम से कहा, मैं समझती हूं कि ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ रहे हैं तो क्या तुम इस्लाम स्वीकार करने की चाहत रखते हो। अतः सब ने उसकी बात मान ली और इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक रिवायत में है कि अल्लाह ने उस क़बीले को उस औरत के माध्यम से हिदायत दी। अतः वह स्वयं भी मुसलमान हो गई और उसके क़बीले वालों ने भी इस्लाम स्वीकार किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस तरह मुसलमानों से अचानक मुलाक़ात के माध्यम से औरत को इस्लाम की दावत का सन्देश पहुंच गया। उस औरत को मौखिक रूप से इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बल्कि वह वास्तव में मुसलमानों के व्यवहार से प्रभावित हुई। उसने देखा कि उसे मुसलमानों की फ़ौज तक बिना किसी कठोरता के ले जाया गया। उसने वहां मुसलमानों के आपसी सहयोग, भाईचारा और उनकी साफ़ सुथरी भाषा को देंखा। उसने देखा कि ये लोग अपने नबी का पूरा—पूरा आज्ञापालन करते हैं। फिर उसे यह भी अनुभव

हुआ कि मुसलमानों ने विभिन्न खानों और सामान के रूप में उसे उपहार दिया और उन्होंने उसके पानी में भी कोई कमी नहीं की। इसी तरह नबी (सल्ल.) के चमत्कार ने भी उसको इस्लाम स्वीकार करने की प्रेरणा दी। फिर उस औरत ने अपनी देखी हुई बातें अपने क़बीले की औरतों और मर्दों को बतायी। इस तरह उसने अपने क़बीले को इस्लाम की दावत दी। रिवायत करने वाले ने ठीक ही कहा कि अल्लाह ने उस औरत के माध्यम से उसके क़बीले वालों को हिदायत प्रसद्क़ा की।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि फिर खुबैब उनके पास क़ैद में रहे जब उन लोगों ने उन्हे क़त्ल करने का फ़ैसला कर लिया तो उन्होंने हारिस की किसी बेटी से छुरी उधार मांगा ताकि उससे सफ़ाई कर लें उसने उनको छुरी दे दी। हारिस की बेटी कहती है कि मैं अपने बच्चे से बेपरवाह थी। कि अचानक वो ऊपर चढ़कर ख़ुबैब के पास चला गया। ख़ुबैब ने उसको अपने जांघों पर बैठा लिया। जब मैंने अपने बच्चे को उनके पास देखा तो मैं बहुत बेचैन हो गई, ख़ुबैब मेरी बेचैनी समझ गये क्योंकि उनके हाथ में छुरी थी उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें यह डर है कि मैं इस बच्चे को क़त्ल कर दूंगा। इन्शा अल्लाह मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह कहती है कि मैंने ख़ुबैब से अच्छी क़ैदी आज तक नहीं देखा। मैंने उनको देखा कि वह अंगूर का गुच्छा खा रहे हैं। हालांकि उन दिनों मक्के में एक खजूर भी नहीं थी। वह उस समय लोहे में बंधे हुए थे। वास्तव में वह रोज़ी उनके पास अल्लाह की तरफ़ से आयी थी। (बुख़ारी)

इस तरह हज़रत ख़ुबैब और क़बीले की एक औरत की अचानक मुलाक़ात हो गई जिस क़बीले ने उनके क़त्ल करने के लिए क़ैद कर रखा था। हज़रत ख़ुबैब (रज़ि.) ने अपनी साफ़ सुथरी सीरत और अच्छे व्यवहार के माध्यम से इस्लाम की दावत दी इसके साथ–साथ उस महिला ने उस कृपा और अल्लाह की रहमत का भी दर्शन किया जिसे अल्लाह ने हज़रत ख़ुबैब को उस समय प्रसद्क़ा किया था। यहां इस बात की भी संभावना है कि हज़रत ख़ुबैब ने उस महिला से इस्लाम के बारे में कुछ बात की हो।

सातवां: अल्लाह के रास्ते में जिहाद :

क्या यह संभव है कि मोमिन औरतें नबी (सल्ल.) के साथ बार–बार जिहाद के लिए निकलें, लड़ाइयों में सम्मिलित हों और उनकी न ही मर्दों से मुलाक़ात हो और न ही वह उनकी मदद करें। निम्न में कुछ हदीसें प्रस्तुत की जाती हैं जिनसे मालूम होगा कि मोमिन औरतों ने जेहाद और युद्धों में मर्दों का किस हद तक साथ दिया है।

मिष्कीज़े भरना : हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया उम्मे सुलैम अच्छी चादर की अधिक हक़दार हैं क्योंकि उहद के दिन वह हमारे लिए मिश्कीज़े भर–भर कर ला रही थीं। (बुख़ारी)

प्यासों को पानी पिलाना : हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उहद के दिन हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) अपने पीठों पर मिश्क़ीज़े रखे हुए थीं और लोगों को पानी पिला रही थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

खाना पकाना : हज़रत उम्मे अतीया (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं ने नबी (सल्ल.) के साथ सात युद्धों में भाग लिया। मैं सहाबा के पीछे उनके ख़ेमों में रूक जाती थी। और उनके लिए खाना पकाती थी। (मुस्लिम)

घायलों का इलाज करना : हज़रत अनस रज़ि फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल) युद्ध में उम्मे सुलैम और अन्सार की कुछ औरतों को ले जाते, जब युद्ध होता तो ये औरतें घायलों का इलाज करतीं। (मुस्लिम)

बीमारों की देख–रेख : हफ़्सा बिन्ते सीरीन (रज़ि.) अन्सार की एक महिला से रिवायत करती हैं कि उनके बहनोई नबी (सल्ल.) के साथ बारह युद्धों में सम्मिलित हुए और उनकी बहन छः लड़ाइयों में उनके साथ थीं। वे कहती हैं कि हम लोग बीमारों की देख–रेख किया करते थे। (बुख़ारी)

शहीदों और घायलों को भेजना :

रबीअ बिन्ते मऊज़ (रज़ि.) फ़रमाती है। हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ युद्ध में भाग लिया करते थे। और हम लोग घायलों और शहीदों को मदीने भेजा करते थे। एक महिला ने तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास ख़ंजर रख लिया था। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुनैन के दिन उम्मे सुलैम ने अपने पास एक खंजर रख लिया। नबी (सल्ल.) ने उनसे पूछा कि तुमने अपने पास यह खंजर क्यों रखा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने पास यह खंजर इसलिए रखा है ताकि अगर कोई मुशरिक मेरे पास आये तो मैं उसका पेट फाड़ दूं। आप (सल्ल.) यह सुनकर हंसने लगे। (मुस्लिम)

इसी तरह की एक घटना तबक़ात में इब्ने सअद ने लिखी है कि जब मुसलमान पराजित हो गये तो उम्मे अम्मारा ने हथियार उठा लिए और नबी (सल्ल.) की रक्षा करने लगीं। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंनें नबी (सल्ल.) को उहद के दिन कहते हुए सुना कि जब भी मैं दायें या बायें तरफ़ मुड़ता तो उम्मे अम्मारा को देखता कि वे मेरी रक्षा के लिए लड़ रही हैं जब मुसलमानों को विजय मिल जाती तो औरतों को ग़नीमत के माल में हिस्सा दिया जाता था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) युद्धों में महिलाओं को ले जाते थें उन महिलाओं को ग़नीमत के माल में हिस्सा मिलता था।
(मुस्लिम)

एक महिला का समुद्र में युद्ध करने वालों के साथ □ाहादत की चाहत और अल्लाह का उनकी चाहत पूरी करना :

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह की राह में हरे समुद्र में जायेंगे। उम्मे हराम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिये कि अल्लाह मुझे उन्ही लोगों में सम्मिलित कर ले।

आप(सल्ल) ने दुआ की 'ऐ अल्लाह तू इनको उन लोगों में सम्मिलित कर दे। जब मुसलमान पहली बार हज़रत मुआविया के साथ समुद्र में युद्ध करने के लिए निकले तो उम्मे हराम भी अपने पति ओबादा बिन सामित के साथ निकलीं। जब ये लोग युद्ध से लौटे तो इन्होंने शाम (सीरिया) में पड़ाव किया हज़रत उम्मे हराम को एक सवारी दी गई, लेकिन वे उस पर से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उनके बारे में नबी (सल्ल.) का यह कथन सच्चा हो गया कि जो व्यक्ति अल्लाह की राह में अपनी सवारी से गिर कर मर जाये, वह शहीद है।

आठवां : नौकरी और व्यवसायिक कार्य :

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात का एक प्रेरक औरतों का व्यवसायिक काम और नौकरी के लिए घर से निकलना है। एक औरत व्यवसाय के लिए घर से उस समय निकल सकती है जबकि उसका उद्देश्य अपने निर्धन पति का सहयोग करना हो। या माल कमाकर अल्लाह की राह में ख़र्च करना हो या उसका मक़सद उस फ़र्ज़े–किफ़ाया को अदा करना हो जो उस पर आधुनिक समाज में आवश्यक होता है। जैसे मुसलमानों की बीवियों और बेटियों को शिक्षा देना आदि। इस काम में उसको बहुत से मर्दों से मिलने की आवश्यकता होती है जैसे लड़कियों के अभिभावक से मिलना या आरैरतों के पतियों और उनके रिश्तेदारों से मिलना । यहां विचार करने योग्य बात यह है कि व्यवसाय व नौकरी का उद्देश्य जो भी हो लेकिन उसके कारण पति और बच्चों का हक़ नहीं मारा जाना चाहिए। क्योंकि औरत की बुनियादी ज़िम्मेदारी अपने घर की देख–रेख है। निम्न में कुछ हदीसे प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे पता चलेगा कि नबी (सल्ल.) के युग में व्यवसाय के लिए, औरतें अपने घरों से निकला करती थी।

एक औरत का खेती करना :

हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल.) एक अन्सारी औरत उम्मे मुबश्शिर के पास उनके खजूर के बाग़ में गये। आप (सल्ल.) ने उनसें पूछा कि खजूर के इस पेड़ को किसी मुसलमान ने लगाया है या किसी काफ़िर ने, उन्होंने उत्तर दिया कि एक मुसलमान ने लगाया है आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है या कुछ बोता है। फिर उसे कोई इन्सान या जानवर खाता है तो उस मुसलमान को सद्क़े का सवाब मिलता हैं। (बुख़ारी)

एक औरत का जानवर चराना : हज़रत सअद बिन मआज़ फ़रमाते हैं कि कअब बिन मालिक की एक दासी 'सिलअ' नाम के पहाड़ पर बकरियां चराया करती थी। एक बकरी घायल हो गई दासी ने उस बकरी को पकड़ा, एक पत्थर से ज़बह कर दिया नबी (सल्ल.) से इस सिलसिले में पूछा गया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसको खा लो। (बुख़ारी)

एक औरत का घरेलू व्यावसाय में सहयोग करना :

हज़रत सअ़द बिन सहल (रज़ि.) कहते हैं कि एक औरत एक चादर लेकर आयी। हज़रत सअद ने पूछा क्या तुम लोग जानते हो कि बुर्दा (चादर) क्या चीज़ है लोगों ने जवाब दिया कि हां बुर्दा एक चादर है जिसके किनारों पर काम बनाया होता हैं उस औरत ने नबी (सल्ल.) से कहा। मैंने अपने हाथ से काम बनाया है ताकि आपको पहनाऊं। आने (सल्ल.) ने आवश्यकता के कारण उस चादर को रख लिया। फिर आप (सल्ल.) निकलकर हमारे पास आये। उस वक़्त आप उसे ओढ़े हुए थे। (बुख़ारी)

एक महिला का मरीज़ों की देखभाल और घायलों का इलाज करना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत सअ़द ख़न्दक़ के दिन घायल हो गये नबी (सल्ल.) ने उनके लिए मस्जिद में खेमा लगवाया ताकि क़रीब से उनकी देख रेख कर सकें। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इब्ने इसहाक़ ने यह बयान किया है कि वह ख़ेमा रफीदा अस्लमीया का था जो घायलों का इलाज किया करती थीं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया सअद को उनके ख़ेमें में ले लो ताकि मैं क़रीब से उनकी देख–रेख कर सकूं। (बुख़ारी)

नौः राजनीतिक गतिविधि

घर वालों और सरकार के विरोध के बावजूद इस्लाम स्वीकार करना

उसके बाद कश्ट उठाना और उसके लिए वतन से हिजरत करना :

आधुनिक शब्दावली में इसे राजनीतिक कार्य कहा जाता है। मुसलमान महिलायें इन तमाम कार्यों को एक मज़बूत आस्था के अन्तर्गत करती थीं और इसी आस्था के अन्तर्गत वह मर्दों के साथ मिलकर इस्लाम का समर्थन करती थी। निम्नलिखित में राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित हदीसे प्रस्तुत की जाती हैः–

औरतों का मर्दों के साथ हब्शा की तरफ़ हिजरत करना :

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नजाशी की तरफ़ हिजरत करने वालों मे अस्मा बिन्ते उमैस भी सम्मिलित थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरतों का मर्दों के साथ मदीने की तरफ़ हिजरत करना :

मरवान और मिस्वर बिन मख़रमह फ़रमाते हैंः कुछ मोमिन महिलायें हिजरत करके आईं। नबी (सल्ल.) की तरफ़ हिजरत करने वालों में हज़रत उम्मे कुलसूम बिन उक्बः भी सम्मिलित थीं। वह बिल्कुल नौजवान थीं। उनके घर वाले आये और उन्होंने आपसे उनको लौटाने की मांग की लेकिन नबी (सल्ल.) ने उनको घर वालों के हवाले नहीं किया। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) से बैअ़त :

अल्लाह तआला फरमाता है : ऐ नबी जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअ़त के लिए आयें और इस बात का संकल्प लें कि वे अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं ठहरायेंगी, चोरी नहीं करेंगी, व्यभिचार नहीं करेंगी, अपनी संतान को क़त्ल नहीं करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई आरोप गढ़कर नहीं लायेंगी, और किसी भलाई के काम में तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगी तो उनसे बैअत ले लो। और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। निस्सन्देह अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। (सूरह मुम्ताहिना–21)

एक महिला का ख़िलाफ़त के राजनीतिक भविश्य की चिन्ता करना :

हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र एक महिला के पास गये। उसने पूछा कि हम इस दीन पर जिसे अल्लाह ने भेजा है कब तक क़ायम रहेंगे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तुम लोग इस दीन पर उस वक़्त तक क़ायम रहोगे जब तक तुम्हारे इमाम लोग (लीडर) सीधे रास्ते पर क़ायम रहेंगे। उस औरत ने पूछा ये इमाम लोग क्या है।, हज़रत अबू बक्र ने कहा कि क्या तुम्हारी क़ौम में ऐसे सरदार नहीं है जो लोगों को आदेश देते हैं तो लोग उनका आज्ञापालन करते हैं। उसने कहा कि क्यों नहीं? हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा यही लोग इमाम हैं।

एक औरत का एक शासक के विद्रोह का मुक़ाबला करना :

हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं फिर हज्जाज घमण्ड के साथ अस्मा बिन्ते अबू बक्र के पास गया और कहा मैंने अल्लाह के दुश्मन के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या विचार है हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने उत्तर दिया। मेरा विचार है कि तूने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी और उसने तुम्हारी आख़िरत बर्बाद कर दी। नबी (सल्ल.) ने हमें बताया था कि क़बीला सक़ीफ़ में एक झूठा और एक क़ातिल पैदा होगा। झूठे को तो हमने देख लिया। और जहां तक क़ातिल का सम्बन्ध है तो मेरा विचार है कि वह तुम ही हो। अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज उनके पास से चला गया और फिर उनके पास नहीं आया

(मुस्लिम)

दसवां : शादी के अवसरों को आसान बनानाः

नबी करीम (सल्ल.) का हज़रत ज़ुवैरिया को देखना, पसन्द आ जाना और फिर उनको भाादी का सन्देश देना :

हज़रत नाफ़ेअ़ बयान करते हैं कि नबी (सल्ल.) ने क़बीला बनू मुस्तलक़ पर हमला किया। उन पर उस वक़्त हमला किया जब उनके जानवर पानी पी रहे थे। नबी करीम (सल्ल.) ने उनमें से युद्ध करने वालों को क़त्ल कर दिया, उनके बच्चों और औरतों को क़ैद कर लिया। हज़रत जुवैरिया भी उसी दिन क़ैद हुई थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अबू दाऊद की रिवायत में हज़रत आयशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जुवैरिया (रज़ि.) नबी (सल्ल.) से अपनी मुकातबत (ऐसी दासी जो अपने मालिक से बात कर लेकिन मैं आपको इतना माल दे दूंगी आप मुझे आज़ाद कर दें) के सिलसिले में बात करने आयीं। नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया क्या मैं तुम्हारे लिए मुकातबत (कुछ माल देकर आज़ाद होने) से भी अच्छी बात न बताऊं? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! वह बात क्या है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारी मुकातबत की रक़म अदा कर दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा, उन्होंने कहा ठीक है।

मर्दों की हज़रत सफ़ीया से मुलाक़ातः

उनको नबी (सल्ल.) के लिए प्रस्तुत करना, नबी (सल्ल.) का उनको चुन लेना, और फिर उनसे शादी करना :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं–.................फिर एक सहाबी नबी करीम (सल्ल.) के पास आये और कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप ने बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर के शासक ख़ानदान की महिला सफ़ीया बिन्ते हुयए को दहया (रज़ि.) के हवाले कर दिया है। वह तो केवल आप ही की हक़दार है। एक रिवायत में है कि लोगों ने आप (सल्ल.) से सफ़ीया (रज़ि.) की सुन्दरता का बयान किया। एक रिवायत में है कि लोग नबी करीम (सल्ल.) से सफ़ीया की प्रशंसा करने लगे, और कहने लगे कि हम लोगों ने क़ैदियों में किसी को भी उनके जैसा नहीं देखा। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दहया (रज़ि.) से कहो उनको मेरे पास ले आये। अतः वह उनको लेकर आप (सल्ल.) के पास आयें। जब नबी करीम (सल्ल.) ने उनको देखा तो फ़रमाया तुम इसके बदले क़ैदियों में से कोई दूसरी दासी ले लो, हज़रत अनस (रज़ि) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने सफ़ीया को आज़ाद कर दिया, फिर उनसे शादी कर ली। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी करीम (सल्ल.) का एक औरत के बारे में विचार करना जिसने अपने आपको आप (सल्ल.) के हवाले कर दिया था। फिर आप (सल्ल.) का उससे दूर रहना; और मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति का उस महिला को शादी का सन्देश देना :

हज़रत सहल बिन सअ़द फ़रमाते हैं कि एक महिला नबी करीम (सल्ल.) के पास आई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं स्वयं को आपके हवाले करने आयी हूं। नबी करीम (सल्ल.) ने उसको देखा, थोड़ी देर तक नबी (सल्ल.) उसको ध्यान से देखते रहे। फिर आप (सल्ल) ने अपना सिर झुका लिया। जब उस औरत ने देखा कि नबी (सल्ल.) ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया तो वह वहीं पर बैठ गई– एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल अगर आपको इनकी आवश्यकता न हो तो उनसे मेरा निकाह करा दीजिए। आप (सल्ल.) ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की क़सम मेरे पास कुछ नहीं है– आप(सल्ल) ने फ़रमाया अच्छा जाओ तुम अपने क़ुरआन के बदले इसके मालिक हो गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दो मर्दों का सबीआ (रज़ि.) से इस हालत मे मिलना कि उन्होंने श्रृंगार कर रखा था फिर उन दोनों का उनको भाादी का सन्देश देना और उनका उनमें से नौजवान व्यक्ति का चुनाव करना :

सबीआ बिन्ते हारिस कहती हैं कि जब वह निफ़ास (प्रसव स्त्राव) से पवित्र हुईं तो उन्होंने शादी के लिए शृंगार किया। उनके पास अबू सनाबिल (रज़ि.) आये और कहा मैं देख रहा हूं कि आपने शादी के लिए शृंगार कर रखा है। क्या आप निकाह करना चाहती है? बुख़ारी की एक रिवायत में हैं कि अबू सनाबिल ने उनको शादी का सन्देश दिया तो उन्होंने उनसे शादी करने से इन्कार कर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि रिवायत करने वाले का यह कथन ''उन्होंने उनसे शादी करने से इन्कार कर दिया'' मुवत्ता में इस तरह आया हैं कि उनको दो मर्दों ने शादी का सन्देश दिया, उनमें से एक नौजवान था और दूसरा अधेड़, उन्होंने नौजवान को वरीयता दी। निचोड़ यह है कि अगर कोई मुसलमान शादी करना चाहता है और उसके पास शादी में ख़र्च करने के लिए माल भी है तो उसको कोई हानि नहीं कि वह नेक बीवी की तलाश में औरत की अच्छाईयों की जांच परख करे और उसमें चिन्तन करे और उसको अगर अपनी पसन्दीदा और मनचाही औरत मिल जाती है तो उसे इस बात का सन्देश दे दे। इस मर्द की परिस्थिति उस मर्द से अलग है जो पिछली मालूमात की रोशनी में या किसी के परामर्श व इशारे पर किसी निर्धारित औरत से शादी का फ़ैसला करता है और फिर उसको शादी का सन्देश देता है। हम यहां जिस तरह के मर्द की बात कर रहे हैं उसको हम ''तलाश करने वाला मर्द'' का नाम दे सकते हैं। जो अपनी पसन्दीदा बीवी की तलाश में इधर उध ार देखत फिरता है। यहों पर देखने से तात्पर्य लड़की का व्यक्तितव उसके चरित्र और उसके घर वालों के बारे में मालूमात प्राप्त करना है। इसी तरह सन्तोष के लिए लड़की के चेहरे को देखना भी तात्पर्य है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसकी नीयत वास्तव में शादी करने की हो और देखते समय वह मुसलमानों के आदर सम्मान का ध्यान रखे। जब मर्द औरतों से मिलते हैं तो उन लोगों को जल्दी शादी करने की प्रेरणा मिलती हैं जो शादी में देर करते हैं क्योंकि जब निगाहें किसी ऐसे व्यक्ति को देखती हैं जो दिलों को भा जाता है और दिल और निगाह को सन्तुष्ट कर देता है तो फिर उससे जल्दी शादी करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह जब मर्द और औरत आसानी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो वह रूकावटें भी दूर हो जाती है जो रूकावटें कभी कभी समाज में ऐसे लोगों के सामने डाली जाती हैं जो पवित्रता का तरीक़ा अपनाते हुए शादी करना चाहते हैं। ख़ुरतूम यूनिवर्सिटी में नौजवान मुसलमान लड़को और लड़कियों की एक दूसरे से मुलाक़ात हुई तो उन्होंने जल्दी शादियां करना शुरू कर दी, इसी तरह मिस्र की विभिन्न यूनिवर्सिटियों पढ़ने वाले मुस्लिम जमाअतों से जुड़े लोगों के नौजवान बेटों और बेटियों में भी एक दूसरे से मिलने के बाद जल्द शादी करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ़ इसका कारण यह था कि वह सब पवित्र जीवन के इच्छुक थे वहीं दूसरी तरफ़ यह कारण भी था कि ऐस

नौजवान लड़को और लड़कियों को यून्विर्सिटी के इस्लामी वातावरण में एक दूसरे से मिलने के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते थे।

अतः मर्दों और औरतों के बीच ऐसी मुलाक़ात जिसमें शरई शिष्टाचार को ध्यान में रखा जाये, साधारणतः अच्छे नतीजे और फल लेकर आती है। उन्हीं फलों में से एक फल निकाह है। हां, हां, अगर इस मुलाक़ात में शरई शिष्टाचार का ध्यान में न रखा जाये तो हो सकता है कि इसका परिणाम भटकाव और बुराई के रूप में सामने आये अल्लाह तआला हम सबको इससे सुरक्षित रखे।

ग्यारहवां : पवित्र मनोरंजन के अवसरों को और अच्छे समारोहों में भागीदारी को आसान बनाना :

इस्लामी शिष्टाचार का तक़ाज़ा यह है कि औरतें अपनी विशेष मनोरंजन मर्दों से अलग रहकर करें, क्योंकि ऐसे मनोरंजन में औरतें तरह–तरह के जोड़े पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, तरह–तरह की हरकतें करती हैं। और सुन्दर व सुरीली आवाज़े निकाल सकती हैं, लेकिन कुछ ऐस मनोरंजन हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे ईद के दिन मर्दों बच्चों और औरतों सभी का एक साथ तक्बीर अल्लाहु अक्बर कहते हुए ईदगाह की तरफ़ जाना। इसी तरह औरतें मर्दों के ऐसे खेलों को देख सकती हैं जिनमें ताक़त जवानी का दिखावा हो। ऐसे खेल देखते हुए वह आवाज़ भी निकाल सकती हैं, जैसा कि हज़रत आयशा ने हब्शियों का खेल देखते समय किया था। मर्दों का खेल देखने की वैधता की दलील के रूप में हज़रत आयशा (रज़ि.) की यह घटना बयान की जाती है। इसका कारण यह है कि मर्दों और औरतों के देखने में अन्तर है। इब्ने क़ोदामा (रह.) फ़रमाते हैं कि औरत मर्द के छिपाने वाले अंगो के अतिरिक्त दूसरे भागों को देख सकती है। उन्होंने इस सिलसिले में हज़रत आयशा (रज़ि.) की घटना से तर्क दिया है। इब्ने रूश्द फ़रमाते हैं कि मर्द औरतों को बहुत ही गहरी निगाह से देखते हैं। जबकि औरतें मर्दों को अधिक गहरी निगाह से नहीं देखती हैं, मर्दों और औरतों के एक साथ मनोरंजन में भाग लेने की एक तीसरी मिसाल भी है और वह है बच्चों और बच्चियों का एक साथ खेलना।

समापन :

सामाजिक जीवन में मुसलमान औरत की भागीदारी और मर्दों से उसके मिलने के प्रेरकों को कुरआन व सुन्नत की रोशनी में प्रस्तुत करने के बाद हम यह पूछने के हक़दार हैं कि क्या इस भागीदारी को नबी (सल्ल.) की सुन्नत समझा जा सकता है? हमारी तरफ़ से इस सवाल का जवाब यह है कि जो दलीलें (कुरआन व सुन्नत से) इस अध्याय में आयी हैं और जो बहुत सी दलीलें अगले अध्यायों में आयेंगी उनसे पूरी तरह यह मालूम होता है कि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसका मिलना मात्र वैध ही नहीं हैं बल्कि नबी करीम (सल्ल.) की एक सुन्नत है। और यहां पर सुन्नत से तात्पर्य अनुकरणीय तरीक़ा है। नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा किराम के युग में, सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसके मिलने की घटनाएं बहुत प्रचिलत थीं। नबी (सल्ल.) ने

इस तरीक़े को अपनाया था और तमाम विशेष व साधारण मैदानों मे इसको अमली तौर–पर लागू किया था यहां तक कि यह तरीक़ा नबवी युग में मुस्लिम समाज की साधारण पहचान बन गया था। सामाजिक जीवन में महिला की भागीदारी नबी करीम (सल्ल.) से पहले दूसरे नबियों के युग में भी प्रचलित थीं, हम उन घटनाओं को इन्शा अल्लाह तीसरे अध्याय में बयान करेंगे, हालांकि हमारे कुछ पूर्ववर्ती उलमा सामाजिक जीवन में महिला की भागीदारी की वैधता के समर्थक थे लेकिन उन्होंने औरतों को मर्दों से अलग और दूर रखने का रवैया अपनाये रखा और इस तरह उन्होंने नई सुन्नत की बुनियाद रखी लेकिन रबीअ का अमल और उनकी सुनन्त हमें दूसरें के अमल और सुन्नत से अधिक प्यारा लगता है। नबी करीम (सल्ल) के अमल का अनुकरण करना उस वक़्त तक प्रशंसनीय कार्य है जब तक कि किसी दलील से यह न मालूम हो जाये कि अमल नबी करीम (सल्ल) के लिए विशेष था। नबी करीम (सल्ल.) का फ़रमान है कि ''सबसे अच्छा रास्ता और तरीक़ा मुहम्मद (सल्ल.) का रास्ता और तरीक़ा है''। नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत पर अमल करने की हैसियत के सिलसिले में फ़िक़्ह के सिद्धान्तों के उलमा के बीच मतभेद पाया जाता है। इमाम शौक़ानी (रह.) फ़रमाते हैं कि अगर नबी (सल्ल.) से किसी अमल के बारे में यह मालूम हो जाये कि आप (सल्ल.) ने इबादत की नीयत से नहीं किया है। बल्कि उसे यूँ ही कर लिया है इसी के साथ यह भी मालूम हो जाये कि वह अमल नबी करीम (सल्ल) के साथ विशेष नहीं है तो उस सुन्नत पर हम मुसलमानों का अमल करना वाजिब है या मन्दूब (पसन्दीदा) या मुबाह (वैध)? इस सिलसिले में निम्नलिखित कथन हैं :

पहला कथनः नबी (सल्ल.) के ऐसे किसी अमल का पालन करना वाजिब है इमाम शौकानी इस कथन को ख़ारिज करते हुए कहते हैं, अनुकरण व अनुसरण का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति के अमल को उसी रूप और गुण के साथ अनुकरण किया जाये जिस रूप और गुण के साथ उस व्यक्ति ने किया है। अतः अगर नबी (सल्ल) ने कोई अमल नफ़्ल के तौर पर किया और हम उसी अमल को वाजिब समझकर करते हैं तो हमारी गिनती नबी (सल्ल.) के आदर्श पर अमल करने वालों में नहीं होगी। अतः नबी (सल्ल.) के किसी अमल पर वाजिब समझकर अनुकरण करना उस वक़्त तक आवश्यक नहीं है जब तक कि किसी दलील के माध्यम से उस अमल का वाजिब होना सिद्ध न हो जाये। अगर किसी अमल को नबी (सल्ल.) ने यूं ही किया है और हम वाजिब समझकर उस पर अमल करें तो हम नबी (सल्ल) के आदर्श पर सही ढंग से अमल करने वालों में न होंगे।

दूसरा कथनः नबी (सल्ल.) के ऐसे किसी अमल का अनुकरण करना पसन्दीदा है। मैं कहता हूं कि यही बात उचित है। क्योंकि आपके किसी अमल के सिलसिले में यद्यपि यह प्रकट न हो सके कि आपने उसे इबादत के उद्देश्य से किया है लेकिन वास्तव में आप उसे इबादत के उद्देश्य से ही करते हैं और सबसे कम श्रेणी की इबादत जिसके द्वारा बन्दा अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करता है पसन्दीदा है। इसी के साथ–साथ कोई ऐसी दलील भी नहीं मिलती जिससे मालूम होता हो कि आपने वह अमल वाजिब या आवश्यक की हैसियत से किया है। अतः ऐसे अमल को मुस्तहब्ब(पसन्दीदा) ठहराना ही आवश्यक है। आपके किसी

ऐसे अमल को वैध ठहराना भी ठीक नहीं क्योंकि किसी अमल को वैध ठहराने का अर्थ यह होता है कि शरीअत के आने से पहले भी उस अमल को करना या न करना दोनों उचित था। अतः नबी (सल्ल.) के माध्यम से होने वाले अमल के साथ यह बात महत्व न देने जैसा है और यह उसमें महत्व को कम करने का अमल हैं। जिस तरह कि बनी (सल्ल.) के किसी यूं ही किए गये अमल को वाजिब ठहराना अतिशयोक्ति का अमल है और सही बात वह है जो इस कमी और अतिशयोक्ति के बीच हैं।

तीसरा कथनः नबी सल्ल के किसी ऐसे अमल का अनुकरण वैध है 'अल्लामा दबूसी' अपनी किताब अल क़्वीम में लिखतें हैं कि अल्लामा अबू बक्र राज़ी ने इसी कथन को उचित ठहराया है और कहा है कि अल–बुरहान में इमाम जुवैनी (रह.) ने भी इस कथन को अपनाया है। हम्बली उलमा के विचार में यही कथन वरीयता प्राप्त है। नबी (सल्ल) के किसी ऐसे अमल को वैध ठहराने का जवाब मैंने दूसरे कथन के अन्तर्गत दे दिया है।

चौथा कथनः नबी करीम (सल्ल.) के ऐसे किसी काम पर अमल करने में तवक़्क़ुफ़ `प काम लिया जाएगा यहां तक कि उसके वजूब, दुरूस्त, हलाल के सिलसिले में कोई दलील मिल जाए, ये हज़रात बतौरे दलील ये बात कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के किसी यूंही अंजाम दिए हुए काम के बारे में वजूब, इसतिहबाब और जायज के एहतिमाल के साथ–साथ इस बात का भी एहतिमाल है कि वो काम नबी करीम (सल्ल.) की ज़ात के साथ खास हो, हिलाज़ा आप (सल्ल.) के ऐसे किसी काम पर अमल करने में तवक़्क़फ़ से काम लेना ज़रूरी है, इन हज़रात का जवाब ये है कि आप (सल्ल.) के किसी ऐसे काम को इबाहत पर महमूल करना दुरूस्त नहीं है। इसकी वजह हम पहले बयान कर चुके हैं। और न ही इसको खुसूसियत पर महमूल किया जा सकता है। क्योंकि आप (सल्ल.) के तमाम काम शरीअत पर महमूल किए जाते हैं मगर ये कि किसी दलील से किसी काम का आपकी ज़ात के साथ खास होना मालूम हो जाए। लिहाज़ा अब ऐसी किसी सूरत में रूकने की राह इख़्तियार करने की कोई वजह समझ में नहीं आती। इमाम शौकानी ने एक जगह नबी करीम (सल्ल.) के ऐसे किसी फेल पर अमल करने को मुस्तहब क़रार दिया है।

ये बात साबित हो गई कि सामाजिक जीवन में औरत की शिरकत और मर्दों से उसका मिलना नबी करीम (सल्ल.) की एक सुन्नत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सुन्नत ज़न्नी है या क़तई। हमारा ख़्याल है कि इस मसले से मुतअल्लिक़ नबी करीम (सल्ल.) की क़ौली, फ़ेली और तक़रीरी तक़रीबन तीन सौ हदीसें तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई हैं। लिहाज़ा ये अहादीस जहां क़तईयुल वरूद हैं वहीं क़तईयुद्दलाला भी हैं, क्योंकि उनमें से अकसर हदीसों का मफ़हूम बल्कुिल वाज़े है। हिलाज़ा मालूम हुआ कि ये सुन्नत क़तई है।

खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह तआला ने हमारे लिए एक मोतबर और सीधे तरीक़े का इंतिख़ाब किया है। ये तरीक़ा जहां एक तरफ़ शरीफ़ और पाकबाज़ मर्दों व औरतों के लिए मुनासिब है बशर्तेकि वो शिरकत और मुलाक़ात के आदाब को मलहूज़ रखें, वहीं दूसरी तरफ़ एक अच्छे और गतिमान जीवन का तरीक़ा भी है। शर्त यह है कि पवित्र लोग

इस भागीदारी और मुलाक़ात के लाभों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हों। अल्लाह जब किसी चीज़ को वैध करता है और कोई क़ानून बनाता है तो हमेशा उसका मक़सद महानता व पवित्रात को निश्चित बनाना होता है लेकिन साथ–साथ वह ये भी चाहता है कि पवत्रिता आसनी के साथ प्राप्त हो जाये। और महानता गंभीता के साथ संघर्ष करने से प्राप्त होगी। ये वार्ता इस सिलसिले में थी। कि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी सुन्नत है लेकिन उन परिस्थितियों पर बहस नहीं हो सकी जो इस आधुनिक युग में हमारे समाज में पायी जाती हैं। और जो सामजिक जीवन में औरत की और अधिक भागीदारी का तक़ाज़ा करती हैं ताकि मोमिन मर्द और औरतों के वर्तमान हितों को निश्चित बनाया जा सके। अल्लाह तआला ने अपने नबियों को भेजा और उनपर किताबे–हिदायत क़ुरआन उतारा ताकि हर दौर के लोग अपने हालात में उससे रहनुमाई प्राप्त करें और भलाई से फ़ायदा उठायें लेकिन अल्लाह के दीन पर उसी समय साबित क़दम रहा जा सकता है जब आसमानी हिदायत और हालात का उचित और गहरा ज्ञान हो। हमने जितनी दलीलें बयान की हैं उनसे आसमानी हिदायत से सम्बन्धित हमारे ज्ञान का सुधार होता है। और जहां तक हालात से संबंधित उचित ज्ञान का सम्बन्ध है तो वह मैसद्क़ी अध्ययन (थ्मसक जनकल) और उचित आकड़ों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मात्र अन्धविश्वासों और व्यक्तिगत घटनाओं के द्वारा हालात का उचित ज्ञान नहीं हो पाता।

पूर्ववर्ती उलमा अपने युग के सामाजिक हालात को हमसे अधिक अच्छी तरह समझते थे। उन उलमा ने शहरी महिलाओं के सिलसिले में आदेश और देहाती महिलओं के सिलसिले में आदेश अलग–अलग बयान किए है। उन उलमा के मतानुसार एक शहरी औरत का अपने चेहरे को ढ़कना और अपने घर में रहना आवश्यक था क्योंकि उन महिलाओं को घर से निकलने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती थी। इसलिए कि दास और दासियां घर के बाहर के बहुत से काम कर दिया करती थीं और घर से बाहर भी निकल सकती थीं अतः देहाती औरत अपने किसान पति की मदद करने के लिए या जानवर चराने के लिए या घर का कोई और काम करने के लिए घर से प्रतिदिन निकला करती थी। और इन सभी कामों मे उनका मर्दों से मिलना जुलना होता था। निचोड़ यह है कि पूर्ववर्ती उलमा (सलफ़) ने गांव के जीवन के तक़ाज़ों को ध्यान मे रखते हुए उनके जीवन में आसानी की राह का चुनाव किया था। हमारे लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि हम अपने युग की शहरी औरतों के हालात को अच्छी तरह समझें और देखें कि आज की शहरी महिलाओं और कल की देहाती महिलाओं के बीच कितनी समानता पैदा हो गयी है। क्योंकि आज की शहरी औरत काम करने के लिए घर से बाहर दफ़्तरों में जाती है और घरेलू औरत को भी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि उसके पति को अपने काम से इतनी फ़ुरसत नहीं कि वह घर की आवश्यकताओं की तरफ़ ध्यान दे सके। यद्यपि इस विषय पर बौद्धिक शोध की आवश्यकता है लेकिन हम

निम्नलिखत कुछ ऐसे नये हालात की तरफ़ इशारा करते हैं जिनका आधुनिक समाज से सम्बन्ध है और जो उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं।

1. आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और हमारे युग में महिलाओं की आवश्यकताओं ने उनको इस बात पर विवश कर दिया कि वह नौकरी करें। इसके लिए उनको घर से निकलना पड़ता है और मर्दों से मिलना पड़ता है। देखिए औरत की नौकरी से सम्बन्धित कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित बहस।

2. आधुनिक समाज की यह आवश्यकता है कि औरत सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले, इसके लिए उसे घर से निकलना पड़ता है और मर्दों से मिलना पड़ता है। देखिये सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी से सम्बन्धित आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियों वाली बहस।

3. आधुनिक समाज बहुत अधिक पेचीदा हो गया है। उसमें विभिन्न क़िस्म की संस्थाओं की अधिकता हो गई है। जैसे शैक्षिक संस्थाएं, मेडिकल संस्थाएं, जनसेवा की संस्थाएं, शासन चलाने वाली संस्थाएं विशेष रूप से उन संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक है जिनका सीधा सम्बंध व्यक्तियों से होता हैं। जैसे नागरिक पंजीकरण की संस्था, परिचय पत्र की संस्था, पासपोर्ट की संस्था पुलिस स्टेशन (थाना) यातायात पुलिस इत्यादि। जबकि प्राचीन सामज में इतनी भिन्न और तरह–तरह की संस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन चूंकि आधुनिक समाज में संस्थाओं की आवश्यकता भी अधिक हो गई है। इसलिए आधुनिक समाज में औरतों को बार–बार घर से निकलने और मर्दों से मिलने की आवश्यकता पड़ती है।

4. इस युग में घरों में नौकरों की संख्या बहुत कम हो गयी हैं। अतः घर की आवश्यकता को पूरा करने के सम्बन्ध में औरत की ज़िम्मेदारी अब बढ़ गयी है। अतः उसको अपनी दैनिक या अदैनिक आवश्यकताओं को घर से बाहर निकल कर पूरा करना होता है। नौकर के न रहने के कारण घर से बाहर निकल कर पूरा करना होता है। नौकर के न रहने के कारण घर के अन्दर भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमे मर्दों से मिलना पड़ता है जैसे कभी–कभी मेहमानों की सेवा करना और घर की किसी चीज़ की मरम्मत के लिए कारीगरों का सामना करना।

5. सामाजिक पेचीदगी की एक हालत यह भी है कि आज के दौर में शहरों में विभिन्न मोहल्लों और इलाक़ो के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। उसके कारण मर्दों को अपने काम के साथ–साथ घर के बहुत से कामों को करने के लिए समय नहीं मिलता। वह न ही अपने बच्चें के स्कूल जा पाते हैं न ही बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल या डाक्टरों के पास जा पाते हैं न ही रिश्तेदारों के अधिकार पूरा कर पाते हैं और न ही घर के लिए ज़रूरी चीज़ ख़रीद पाते हैं। यह सारी ज़िम्मेदारियां बीवी अदा करती है। इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे घर से निकलना पड़ता है और मर्दों से मिलना पड़ता है।

1. आधुनिक रहन सहन यह है कि लोग ऐसे फ्लैटों में रहते हैं जिनमें हवा और धूप बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। अतः औरतों को अपने पतियों और बच्चों के साथ हवा खाने के लिए किसी खुली जगह जाना पड़ता है।

2. जब संभुक्त परिवारिक व्यवस्था थी। तो बहुत ही कम ऐसा होता था कि किसी रिश्तेदार से मुलाक़ात के लिए घर से बाहर जाना पड़े। क्योंकि संभुक्त परिवार में घर के तमाम लोग और रिश्तेदार एक ही साथ रहा करते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और लोग बड़े–बडे शहरों में छोटे परिवार के रूप में रहने लगे हैं। शहरों में मोहल्लों की संख्या बहुत अधिक होती है जो एक दूसरे से दूर होते हैं। अतः औरत को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और सामान्य यातायात को प्रयोग करना पड़ता है।

3. समाज की पेचीदगी (जटिलता) उसका विस्तार ऊँची–ऊँची इमारतों के छोटे छोटे फ्लैटों में रहने की व्यवस्था और यातायात की कठिनाइयों के कारण समाज में निम्नलिखित

परिस्थितियां प्रकट हुईं।

- छोटे परिवार।
- पड़ोसियों का एक दूसरे से दूर रहना।
- रिश्तेदारों का एक दूसरे से दूर–दूर हो जाना।
- परिवारों के बीच प्रेम का कम हो जाना।
- समाज के लोगों का एक दूसरे से कई–कई सालों तक अलग रहना और उनके बीच किसी भी तरह के वैचारिक व राजनीतिक सम्बन्ध का न रहना।
- समाज के लोगों के बीच शिक्षा का फैलाव, और विभिन्न राजनीतिक व वैचारिक प्रवृत्तियों का पाया जाना।

इन हालात के नतीजे में शादी का पुराना तरीक़ा अब नहीं रहा। पुराने तरीक़े के अनुसार शादी का सन्देश रिश्तेदारों पड़ोसियों या दोस्तों के माध्यम से आता था। उस समय एक ऐसे माध्यम का होना आवश्यक था जो परिचय कराने की ज़िम्मेदारी पूरी करे और शादी के लिए रास्ता आसान करे, पुराने ज़माने में परिचय, परिवार के हवाले से होता था जब किसी परिवार से रिश्ता क़ायम करने का इरादा होता तो उस ख़ानदान में लड़के या लड़की को देखा जाता, अतः लड़की या लड़के में सबसे पहले यह चीज़ देखी जाती, कि उसका सम्बन्ध किस ख़ानदान से है लेकिन आजकल चूंकि वह ख़ानदानी सम्बन्ध कमज़ोर पड़ गये जिनके आधार पर एक नौजवान को आसानी से अच्छी व मुनासिब बीवी मिल जाती थी। इसलिए यह एक प्राकृतिक बात है कि शादी का कोई दूसरा नया तरीक़ा सामने आये जो पुराने तरीक़े का विकल्प हो। और जिस तरह एक नौजवान स्वयं अपनी जीवन संगिनी का चुनाव कर सके। वह तरीक़ा यह है कि मर्दों और औरतों को शिक्षा के दौरान या काम के दौरान या राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों के दौरान इस तरह मिलने के अवसर उपलब्ध कराये जायें कि वह एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सकें। ऐसा

परिचय जो अचानक हो जाये और जिसके माध्यम से लड़के को उस लड़की में दिलचस्पी पैदा हो जाये फिर वह उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों से उसके बारे में मालूमात प्राप्त करे और फिर उसे शादी का सन्देश दे दे।

अध्याय–2

सामाजिक जीवन में मुसलमान महिला की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के शिष्टाचार (आदाब)

भूमिकाः

सामाजिक जीवन में मुसलमान औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के सम्बन्ध में विधाता (शारेअ) ने जो इस्लामी आदाब तय किए हैं वह पूर्णता के दर्जे को पहुंचे हुए हैं, ये वे आदाब हैं जो चरित्र और सम्मान व सतीत्व की रक्षा करते हैं, जो अच्छी और गम्भीर ज़िन्दगी को बेकार नहीं करते, जो भलाई की बातों को बढ़ावा देते हैं और बुराइयों से दूर रखतें हैं और जो मर्द व औरत दोनों को मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराते हैं। उन आदाब में किसी तरह की अश्लीलता, आवारगी, या दूसरे लिंग को लुभाने की बात नहीं है। न ही उन आदाब में दूसरे लिंग के बारे में सीमा से अधक भावुकता रखने, उनके लिए श्रृंगार करने और उनके पीछे लगे रहने को बढ़ावा दिया गया है। वास्तव में ये आदाब पूर्णता के दर्जे को पहुंचे हुए हैं, उन इस्लामी आदाब में मुसलमान औरत पर मर्दों से अधिक प्रतिबन्ध है। उसके पहनावे, आवाज़ और हरकतों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिसके कारण उसे थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है लेकिन वह इन प्रतिबन्धों को अपनी उन वैध आवश्यकतओं और हितों को निशचित बनाने के लिए सहन करती है जिनके लिए उसे मर्दों से मिलना पड़ता है। जब उसकी आवश्यकतायें और हित बढ़ जाते हैं। तो मर्दों से उसका मिलना भी बढ़ जाता है और अगर ज़रूरतें और हित कम हो जाते हैं तो मर्दों से उसका मिलाप कम हो जाता है। हम उन इस्लामी आदाब को बयान करने से पहले कुछ उन तत्वों को बयान करना चाहते हैं जो उन आदाब को निश्चित बनाने में सहायक होते हैं।

वह मौलिक तत्व जो भागीदारी और मुलाक़ात के आदाब को निश्चित बनाने में सहायक होते हैं।

पहला तत्व : प्रशिक्षण और हिदायत पर ध्यान

प्रशिक्षण व मार्ग दर्शन के लिए आवश्यक है कि दिल में आस्था को प्रबल बनाया जाये, ऐसी इबादत की प्रवृत्ति विकसित की जाये कि अल्लाह हमें देख रहा है और चरित्र का सुधार व विकास किया जाये, अगर इन बातों पर ध्यान दिया जायेगा तो नौजवान

लड़के और लड़कियां इस तरह जीवन व्यतीत करेंगे कि उनको पवित्रता और सतीत्व से प्यार होगा। और अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा।

अल्लाह तआला का फ़रमान है : ''और इस किताब में इस्माईल का उल्लेख करो, वह वादे का सच्चा था और रसूल व नबी था। वह अपने घर वालों को नमाज़ और ज़कात का आदेश देता था और अपने रब के लिए एक पसन्दीदा इन्सान था''।

(सूरह मरियम–54–55)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फरमाता हैं; ''ऐ लोगों जो ईमान लाये हो! बचाओ अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर होंगे'' (सूरह तहरीम–6)

अल्लाह का फ़रमान हैः 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! आवश्यक है कि तुम्हारे दासी व दास और तुम्हारे वह बच्चे जो अभी समझदार नहीं हुए हैं तीन समय ऐसे हैं जिनमें वह अनुमति लेकर तुम्हारे पास आया करें, सवेरे की नमाज़ से पहले और दोपहर को जब कि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो। और इशा की नमाज़ के बाद। ये तीन समय तुम्हारे लिए परदे के समय हैं, इसके बाद वे बिना अनुमति तुम्हारे पास आयें तो न तुम पर कोई गुनाह है न उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही पड़ता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने आदेशों को स्पष्ट करता है और वह अलीम (ख़बर लेने वाला) और हकीम (विवेकशील) है और जब तुम्हारे बच्चे समझदारी की सीमा को पहुंच जायें तो चाहिए कि उसी तरह अनुमति लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े अनुमति लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोलता है वह अलीम व हकीम है''

(सूरःनूर–58–59)

एक जगह अल्लाह फ़रमाता है : ''ज़मीन व आसमान में जो भी हैं सब उसके बन्दों की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले हैं, सब को वह घेरे हुए है और उसने उनको गिन रखा है। सब क़यामत के दिन एक–एक करके उसके सामने हाज़िर होंगे''।

(सूरह मरयम–93–95)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं– नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति भी लड़कियों के माध्यम से परीक्षा में डाला जाये, फिर वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वे लड़कियां उसको जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होंगी।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

निस्सन्देह लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सबसे अच्छी और बेहतर शक्ल उनका अच्छा प्रशिक्षण है।

हज़रत अबू बुर्दा (रज़ि.) अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति के पास दासी हो वह उसे अच्छी शिक्षा दे और उसका अच्छा प्रशिक्षण करे, फिर उसे आज़ाद कर दे और उससे शादी कर ले, तो उसे दो इनाम मिलेंगे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

जब दासी को शिक्षा देने और उसका प्रशिक्षण करने का इतना महत्व है तो आज़ाद लड़की की शिक्षा व प्रशिक्षण का महत्व तो इससे भी अधिक हो जाता है। हज़रत रबीअ़ बिन्ते मुअव्विज़ फ़रमाती हैं, नबी करीम (सल्ल.) ने आशूरा (दसवीं मुहर्रम) की सुबह अन्सार के गांव में यह कहला भेजा कि जिसने इस हालत में सुबह की हो कि वह रोज़े से न हो तो अब वह शेष दिन इसी तरह पूरा करे, लेकिन जिसने इस हालत मे सुबह की हो कि उसने रोज़ा रखा तो वह रोज़ा पूरा करे। हज़रत रबीअ़ फ़रमाती है कि इसके बाद हम आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे और अपने बच्चों से भी रोज़ा रखवाते थे और उनके लिए ऊन का एक खिलौना बना देते थे। जब कोई बच्चा खाने के लिए रोता तो उसे वह खिलौना दे देते यहां तक कि इफ़्तार का वक़्त आ जाता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दूसरा तत्वः पवित्रता के लिए जल्दी विवाह करना :

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया ऐ नौजवानों! तुम में से जो कोई शादी कर सकता हो वह शादी कर ले क्योंकि इससे निगाहें बची रहती हैं और गुप्तागों की रक्षा होती है। और जो व्यक्ति शादी न कर सकता हो। रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा उसे ख़स्सी कर देता है अर्थात उसकी काम वासना मिटा देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं–नबी करीम (सल्ल.) ने मुझसे कहा तुम ओसामा से शादी कर लो। अतः मैंने उनसे शादी कर ली। अल्लाह ने हमारी इस शादी में बहुत बरकत और भलाई रखी, मैं इस शादी से बहुत ख़ुश थी।

जब नबी करीम (सल्ल.) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को ओसामा की शादी का पैग़ाम दिया था उस वक़्त ओसामा की उम्र 16 साल से भी कम थीं। तमाम पिछली दलीलें इस बात की तरफ़ इशारा करती हैं कि लड़के की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। कुछ ऐसी दलीले भी हैं जिनसे पता चलता है कि लड़कियों की भी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। नबी करीम (सल्ल.) ने एक बार फ़रमाया कि अगर ओसामा लड़की होते मैं उनके गहने और बनाव सिंगार के लिए ख़र्च करता।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि सतीत्व का अर्थ शादी इस्लाम, और आज़ादी है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक मुसलमान को अश्लीलता से सुरक्षित रखती है।

निम्नलिखित हदीस पर विचार करने से मालूम होगा कि शादी का मात्र यही लाभ नहीं है कि इसके कारण निगाहे बच जाती हैं, बल्कि इसका एक लाभ यह भी है कि अगर किसी औरत को दखने के बाद दिल में कुछ बुरे विचार आ जायें तो वह अपनी बीवी के माध्यम से उनका इलाज कर सकता है और उन विचारों को दूर कर सकता हैं। हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल) को कहते हुए सुना कि अगर तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लग जाये और उसके बारे में दिल में कुछ विचार आयें तो उसे तुरन्त अपनी बीवी के पास जाकर सहवास कर लेना चाहिए। इससे उसके दिल में आया हुआ विचार दूर हो जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

तीसरा तत्वः पूरी निगरानी के साथ किशोरावस्था में लड़कियो के लिए सामाजिक जीवन में कुछ भागीदारी और लड़को से मुलाक़ात आसान बनाना :

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि फ़ज़्ल (रज़ि.) नबी करीम (सल्ल.) के साथ उनकी सवारी पर पीछे बैठे हुए थे कि अचानक वहां पर क़बीला ख़स्अम् की एक औरत आ गई, फ़ज़्ल (रज़ि) उसे देखने लगे और वह फ़ज़्ल को देखने लगी। नबी करीम (सल्ल.) बार–बार फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे को दूसरी तरफ़ फेर रहे थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

तबरी की एक रिवायत में हज़रत अली (रज़ि.) के हवाले से लिखा है कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैंने एक किशोर और एक किशोरी को देखा, अतः मुझे सन्देह हुआ कि इन दोनों के बीच शैतान न आ जाये।

एक तीसरी रिवायत में है कि मैंने देखा कि एक किशोर और दूसरी किशोरी है। अतः मैं उन दोनों के बारे में शैतान से सन्तुष्ट नहीं था।

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि हमे ईद के दिन निकलने का आदेश दिया जाता था यहां तक कि हम लोग ग़ैर शादी शुदा लड़कियों को भी परदे से निकाल लेते थे। एक रिवायत में है कि नबी किशोरियों को और परदे वाली महिलाओं को निकाल कर ईदगाह ले जायें। (बुख़ारी)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं– मक्का विजय के दिन नबी करीम (सल्ल.) के पास बहुत सारे लोग थे। वे ये कह रहे थे कि ये मुहम्मद (सल्ल.) हैं। ये मुहम्मद (सल्ल.) हैं, यहां तक कि घरों से किशोरियां भी निकल आई थीं। (मुस्लिम)

अन्तिम दोनों हदीसों से पता चलता है कि नबी (सल्ल.) के युग में अविवाहित लड़कियां घर से बहुत कम ही निकला करती थीं अतः मर्दों से उनकी मुलाक़ात कम ही हुआ करती थी।

इमाम सरख़सी अपनी किताब 'अलमब्सूत' में लिखते हैं कि उस ज़माने में जब लड़की बालिग़ हो जाती तो उसकी शादी करने की ज़रूरत होती। बालिग़ होने के बाद लड़की के बारे में बिगाड़ की आशंका बढ़ जाती। क्योंकि मर्द उसमें दिलचस्पी लेने लगते। अतः जब उस लड़की की उम्र इतनी हो जाती कि उसकी समझ में परिपक्वता आ जाती और उसमें फ़ैसला करने की क्षमता आ जाती और उसे अपने भाई और चाचा से डर होता तो उसे यह अधिकार था कि किसी भी ऐसी जगह चली जाये जहां उसे किसी क़िस्म का कोई डर न हो क्योंकि उस लड़की को भाई और चाचा के साथ रहने के लिए इस लिए कहा गया है ताकि वह धोखा खाकर या काम वासना की अधिकता का शिकार होकर किसी बिगाड़ में न पड़ जाये लेकिन अब जबकि उसकी समझ बालिग़ हो गई है और वह अपने सिलसिले में स्वयं सही फ़ैसला भी कर सकती है तो उस परीक्षा का डर समाप्त हो गया, अतः वह उन दोनों को छोड़ कर कहीं और रह सकती है।

किशोरावस्था में लड़कियों और लड़कों की मुलाक़ात के अवसर कम से कम करने का अर्थ यह नहीं है कि मुलाक़ात के अवसरों को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाये बल्कि इसका अर्थ यह है कि एक तरफ़ मुलाक़ात के अवसर कम किए जायें और दूसरी तरफ़ उनकी निगरानी भी की जाये। घरों के अन्दर निगरानी की शक्ल यह हो सकती है कि मुलाक़ात के समय माँ बाप या कोई रिश्तेदार मौजूद हो और घर के बाहर निगरानी की शक्ल यह हो सकती है कि उनकी मुलाक़ात ऐसे लोगों के सामने हो, जिनका नौजवान सम्मान करते हों।

सुरक्षित वातावरण में लड़कों और लड़कियों की सीमित मुलाक़ात का उनके दिलों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों को अपने नफ़्स पर कन्ट्रोल करने की आदत हो जाती है और बाद में उनकी मुलाक़ातें पवित्रता के साथ होती हैं। गंभीर सभाओं में और घर के गम्भीर वातावरण में बार–बार दूसरे लिंग के लोगों को देखने का लाभ यह होता है कि जो व्यक्ति नेक और स्वस्थ समझ का मालिक है उसकी अकारण लज्जा और झिझक चली जाती है और जो इन्सान दिल का मरीज़ है उसकी वासना की आग ठण्डी हो जाती है।

मर्दों और औरतों के मिल जुले आदाब :

1. गंभीर मुलाक़ातः

अल्लाह तआला फ़रमाता है। ऐ नबी की बीवियो! 'तुम साफ़ सीधी बात करो।

(सूरह अहज़ाब–23)

इस आयत से पता चलता है कि मर्दों और औरतों के बीच बात–चीत का विषय अच्छी बातों के दायरे में होना चाहिए उसमें किसी तरह की कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। इसी लिए हमने गंभीर मुलाक़ात की बात कही है। मर्दों और औरतों के बीच गंभीर मुलाक़ात अच्छी बातों के दायरे में आती है। जबकि खेल कूद बुराई के दायरे में आता है। ऐसी बात जिसमें थोड़ा साहस से काम लिया गया हो गंभीर मुलाक़ात के प्रतिकूल नहीं है। जैसे हज़रत अबू मूसा फ़रमाते हैं कि हज़रत अस्मा बिन्त उमैस हज़रत हफ़्सा के पास आये उस वक़्त हज़रत उमर (रज़ि.) भी वहां थी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने बताया कि ये अस्मा बिन्ते उमैस हैं, हज़रत उमर रज़ि ने पूछा कि क्या ये हब्शा वाली हैं क्या ये समुन्दर वाली हैं। हज़रत अस्मा (रज़ि) ने कहा कि हां, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि हमने आप लोगों से पहले हिजरत की है हम आपसे अधिक नबी (सल्ल.) के हक़दार हैं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

ऐसी बातचीत जिसमें संवेदना और दिल बहलाने की बातें हों वह भी गंभीर मुलाक़ात के प्रतिकूल नहीं हैं। जैसे हज़रत मसरूक़ कहते हैं कि हम लोग हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गये वहां हज़रत हस्सान बिन साबित भी थे जो उनको ग़ज़ल के शेअर सुना रहे थे। उन्होंने एक शेअर सुनायाः

(आयशा पाकदामन और विनम्र हैं आप पर किसी तरह का सन्देह नहीं किया जा सकता। आपने कभी किसी की 'ग़ीबत' नहीं की)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने हज़रत हस्सान (रज़ि.) से कहा, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं, मसरूक़ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि आप इनको अपने पास आने की अनुमति ही क्यों देती हैं, हालांकि अल्लाह ने यह फ़रमाया है "

हज़रत आयशा ने फ़रमाया अन्धेपन से बढ़कर और क्या सज़ा हो सकती है। हज़रत आयशा ने उनसे कहा कि हस्सान नबी (सल्ल.) का बचाव किया करते थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

निगाहें बचाकर रखना :

अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ नबी मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, यह उनके लिए अधिक पवित्रता का तरीक़ा है जो कुछ वे करते हैं अल्लाह उसकी ख़बर रखता है और ऐ नबी मोमिन औरतों से कहो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगो की रक्षा करें। (सूरह नूर–30–31)

'ग़ज़्ज़े बसर' का अर्थ यह है कि बिगाड़ की आशंका से टकटकी लगाकर न देखा जाये।

इब्ने अब्दुल बर्र (रह.) फ़रमाते है कि अगर कोई व्यक्ति औरत के चेहरे और उसकी हथेलियों को ग़लत निगाहों से न देखे तो यह वैध है लेकिन काम वासना की निगाह से देखना बिल्कुल हराम है। औरत को कपड़े के ऊपर से काम वासना की निगाह से देखना भी हराम है।

इब्ने दक़ीक़ुल ईद कहते हैं, उपरोक्त आयत में 'मिन' शब्द कुछ के भाव को बताने के लिए है इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि अगर औरत को देखने से बिगाड़ की संभावना हो तो उसे देखना हराम है और ऐसी स्थिति में निगाहें झुकाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आयत को इसी परिस्थिति पर आधारित समझा जायेगा और यदि ऐसी परिस्थिति न हो। अर्थात औरत को देखने से बिगाड़ का डर न हो तो उस स्थिति में निगाहें झुकाना आवश्यक नहीं है। पूरी तरह निगाह झुकाने की बात इस आयत में नहीं कही गयी है।

क़बीला ख़सअ़म् से सम्बन्धित हदीस में यह उल्लेख है कि फ़ज़्ल (रज़ि.) उसे देखने लगे और उनको उसकी सुन्दरता भा गई, हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि नबी (सल्ल.) अपने हाथ को पीछे ले गये। आपने फ़ज़ल की ठोढ़ी को पकड़ा और उनके चेहरे को फेर दिया ताकि वह उस औरत को न देख सकें।

इब्ने बत्ताल (रह.) कहते है कि इस हदीस से पता चलता है कि अगर बिगाड़ का डर हो ता निगाह झुकाना आवश्यक है लेकिन यदि बिगाड़ का डर न हो तो निगााहें झुकाना आवश्यक नहीं है। इससे यह बात मालूम हुई कि निगाहें झुकाने वाली आयत में चेहरे के अतिरिक्त शरीर के दसरे भागों से निगाह बचाने की बात कही गयी है। अल्लाह फरमता है "अल्लाह तआला आंखों की चोरी और जो कुछ दिलों में है उसको जानता है।" (सूरःमोमिनः–91)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं, इब्ने अबी हातिम, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के हवाले से (अल्लाह आंखो की चोरी के बारे में जानता है) के बारे में फ़रमाते हैं कि इसमें उस व्यक्ति के बारे में बात कही गई है जो निकट से गुज़रने वाली सुन्दर औरतों को देखत है और उन धरों में जाता है जहां सुन्दर औरतें होती हैं और जब उसकी यह चारी पकड़ ली जाती है तो वह अपनी निगाहें झुका लेता है। मुजाहिद व क़तादः ने भी यही बात कही हैं ये लोग वास्त में ये कहना चाहते है कि निगाहो की चोरी के विभिन्न रूपों में से एक रूप यह भी हैं अल्ल्मा किरमानी फरमतो हैंकि आंखों की चोरी का अर्थ यह है कि अल्लाह तआला उस निगाह को भी जानता है जो चुपके से हराम चीज़ाे पर डाली जाती है।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोग रास्तों में मत बैठा करो। सहाबा (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल हमारा वहां बैठना आवश्यक होता है क्योंकि हम वहां बैठकर बातचीत करते हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अगर तुम लोगों का बैठना आवश्यक है तो रास्ते का हम अदा करो। सहाबा (रज़ि.) ने पूछा कि रास्ते का हक़ क्या है? आपने फ़रमाया कि निगाहें झुका कर रखना, कष्टप्रद चीज़ो को दूर करना, सलाम का जवाब देना, भलाई का आदेश देना ओर बुराई से रोकना।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जरीह बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मैंने नबी (सल्ल.) से अचानक पड़ जाने वाली निगह के बारे में पूछा तो आपने मुझे आदेश दिया कि अचानक निगाहपड़ने के बाद मैं तुरन्त निगाह फेर लूं। (मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह ने नबी (सल्ल.) के हवाले से मुझे जो बात बतायी मैंने कोई दूसरी बात उससे अधिक गुनाह जेसी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह ने हर इन्सान की तक़्दीर ज़िना (व्यभिचार) का कुछ हिस्सा लिख दिया है उसको ज़िना का वह हिस्सा पहुंच कर ही रहेगा निगाह का व्यभिचार (हराम चीज़ों को) देखना है। ज़बान का व्यभिचार (हराम चीज़ो से सम्बन्धित) बात करना हैं। 'नफ़्स' वासना की इच्छा पैदा करता है और गुप्तांग या उसको सच कर देते है या उसे ग़लत सिद्ध कर देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस से पूरी तरह यह बात मालूम हो गयी कि वासना की निगाह से देखना हराम है इसीलिए आप (सल्ल.) ने फ़रमाया नफ़्स तमन्ना करता है और वासना की चाहत पैदा करता है इसका अर्थ यह है कि यदि किसी को वासना की निगाह से न देखा जाये तो इसमें कोई गुनाह नहीं है।

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि दस ज़िल हिज्जा को नबी (सल्ल.) ने फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) को अपनी सवारी पर बैठा लिया फ़ज़्ल एक सुन्दर मर्द थे। नबी (सल्ल.) खड़े होकर लोगों के सवालों के उत्तर देने लगे। इसी बीच क़बीला ख़सअ़म की एक सुन्दर औरत नबी (सल्ल.) से सवाल पूछने के लिए आयी। फ़ज़्ल उस औरत को देखने लगे। उन्हें उसकी सुन्दरता भा गई नबी (सल्ल.) ने देखा कि फ़ज़्ल उस औरत को देख रहे हैं तो अपने

उपना हाथ पीछे कर उनकी ठोढ़ी पकड़ी और उनके चेहरे को फेर दिया ताकि वह उस औरत का चेहरा न देख सकें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने बत्ताल का कहना है कि इस हदीस से मालूम होता है कि बिगाड़ की आशंका के अन्तर्गत निगाहों का झुकाना आवश्यक है और यदि बिगाड़ का डर न हो तो निगाह झुकाना आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि नबी (सल्ल.) ने फ़ज़्ल के चेहरे को उसी वक़्त फेरा जब वह औरत को पसन्दीदगी की निगाह से घूर कर देख रहे थे और आपको बिगाड़ की आशंका हुई। इससे यह भी मालूम होता है कि अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में औरतों की तरफ़ झुकाव और उनको चाहत की नज़र से देखने का जो गुण रख दिया है वह कभी–कभी उस पर भारी पड़ जाता है।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, 'ईद के दिन काले रंग के हब्शी ढ़ालों और बर्छियों से खेल रहे थे। मैंने नबी (सल्ल.) से कहा या आपने मुझसे पूछा क्या तुम खेल देखना चाहती हो। मैंने कहा कि हां तो आपने मुझे अपने पीछे कर लिया। एक रिवायत में है कि आप मुझे अपनी चादर से छिपाये हुए थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा(रज़ि.) का कथन कि आप मुझे अपनी चादर से छिपाये हुए थे'' से पता चलता है कि यह घटना परदे की आयत के उतरने के बाद की है। इससे यह भी पता चलता है कि औरत मर्द को देख सकती है।

निचोड़ यह है कि जब मर्द व औरत की मुलाक़ात होती है तो मर्द औरत को देखता है और औरत मर्द को देखती है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। शर्त यह है कि मर्द औरत दोनों ही अपनी निगाहों की रक्षा करें और एक दूसरे को न ही घूर कर देखें और न ही वासना की निगाह से देखें।

सामान्य परिस्थितियों में हाथ मिलाने से बचना :

पिछले शिष्टाचार को बयान करते हुए हमने अल्लाह के इस कथन का उल्लेख किया था 'ऐ नबी मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें झुका कर रखें, ऐ नबी मोमिन औरतों से कहो कि अपनी निगाहें बचा कर रखें, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनी निगाहें बचाकर रखने का आदेश दिया गया है। क्योंकि निगाह वासना को भड़काने का एक माध्यम है। अतः इस पृष्ठभूमि में हाथ न मिलाना तो और भी अधिक आवश्यक है। क्योंकि निगाहों से अधिक छूने से वासना भड़कती हैं। निम्न में कुछ दलीलें प्रस्तुत की जा रही हैं। जिनसे इस विषय पर और अधिक रोशनी पड़ेगी।

वासना के साथ छूना हराम होने से सम्बन्धित हदीसें :

हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया और उसने बताया कि उसने एक औरत को चूम लिया है या यह बताया कि उसका हाथ छू लिया है या उसने किसी और चीज़ का नाम लिया। वह आप (सल्ल.) से इसके कफ़्फ़ारे (प्रायश्चित) के बारे में पूछना चाहता था। इब्ने मसऊद कहते हैं कि अल्लाह ने उस वक़्त

यह आयत उतारी और नमाज़ क़ायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुज़रने पर, वास्तव में नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, यह एक याद दिहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। (सूरह हूद–144)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने नबी करीम (सल्ल.) के हवाले से मुझे जो बात बतायी, मैंने कोई दूसरी बात उससे अधिक गुनाह जैसी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने हर इन्सान के भाग्य में व्यभिचार का कुछ भाग लिख दिया है। उसको व्यभिचार का वह भाग मिलकर रहेगा, निगाहों का व्यभिचार (हराम चीज़ों का देखना) है। ज़बान का व्यभिचार (हराम चीज़ो के बारे में) बात करना है। इमाम मुस्लिम के यहां इसमें जोड़ा गया है कि हाथ का व्यभिचार (हराम चीज़ो का पकड़ना) है और मन कामना करता है और गुप्तांग उसको सच कर देते है या ग़लत सिद्ध कर देते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मअ़क़िल इब्ने यसार (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया कि तुम लोगों में से किसी के सिर में लोहे की सुई चुभना इससे बेहतर है कि वह किसी ऐसी औरत को छूये जो उसके लिए हलाल नहीं है। (तबरानी)

पहली और तीसरी हदीस में ''लम्स'' (छूना) का शब्द और दूसरी हदीस में ''बत्श'' (पकड़ना) शब्द आया है। इन दोनों का अर्थ मज़ा लेने के लिए काम वासना के साथ छूना और पकड़ना है। तीसरी हदीस के इन शब्दों से भी इसकी पुष्टि होती है जिसमें कहा गया है ''मर्द ऐसी औरत को छूए जो उसके लिए हलाल नहीं हैं'' अर्थात मर्द ऐसी औरत को छूए जिससे मज़ा लेना उसके लिए हलाल नहीं है।

औरतों से बैअ़त लेते समय नबी (सल्ल.) का उनसे हाथ मिलाने से बचने से सम्बन्धित दलीलें :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) मुहाजिर मोमिन औरतों की इस आयत के माध्यम से परीक्षा लेते थे ''ऐ नबी (सल्ल.) जब मोमिन तुम्हारे पास बैअत करने के लिए आयें, इस बात पर कि वह किसी चीज़ को अल्लाह का साझीदार न ठहराएंगी, चोरी न करेंगी, व्यभिचार न करेंगी अपनी संतान की हत्या न करेंगी! अपने हाथ पांव के बीच कोई आरोप घड़कर न लायेंगी, और न किसी भले काम में तुम्हारी अवज्ञा करेंगी, तो उनसे बैअत ले लो और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील अत्यन्त दयावान हैं'' (सूरह मुम्ताहिना–12)

जो मोमिन महिला इस शर्त को स्वीकार कर लेती थी। उससे आप (सल्ल.) फ़रमाते कि मैंने तुम से बैअत ले ली, यह बात आप(सल्ल) ज़बान से कहते, अल्लाह की क़सम बैअ़त लेते समय नबी करीम (सल्ल) के हाथ में कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं छूआ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उमय्या बिन्ते रक़ीक़ : (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं कुछ औरतों के साथ नबी करीम (सल्ल.) के पास इस्लाम पर बैअ़त करने आई, औरतों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) क्या हमें आपसे यह बैअ़त करनी पड़ेगी कि न हम अल्लाह के साझी ठहरायें, न ही अपने हाथ पांव के बीच कोई आरोप घड़कर लायें और न ही किसी भली बात में आप (सल्ल.) की अवज्ञा करें, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम पर ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्षमता के अनुसार अनिवार्य हैं।

उमय्या (रज़ि.) कहती हैं कि फिर औरतों ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे भी अधिक हमारे ऊपर दया करने वाला है। आइये ऐ अल्लाह के रसूल हम आप (सल्ल.) से बैअत करें नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। (मालिक)

आवश्यकता के समय और बिगाड़ की आशंका न होने के समय छूने की वैधता से सम्बन्धित दलीलें :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उम्मे सुलैभ(रज़ि.) नबी करीम (सल्ल.) के लिए एक चमड़े की चटाई बिछाया करती थीं। नबी करीम (सल्ल.) उनके पास उसी चटाई पर विश्राम किया करते थे। जब नबी करीम (सल्ल.) सो जाते तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) आप (सल्ल.) का पसीना और बाल उठा लेतीं फिर उसे एक शीशी में एकत्र करती उसके उसे बाद बरतन में एकत्र करतीं और उस वक़्त आप (सल्ल) सोये हुए होते।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कि जब नबी (सल्ल.) उम्मे हराम बिन्ते मल्हान के घर जाते तो वह आप (सल्ल.) को खाना खिलातीं, उम्मे हराम ओबादा इब्ने सामित की बीवी थीं। एक बार नबी करीम (सल्ल.) उनके पास गये तो उन्होंन आप (सल्ल.) को खाना खिलाया और उसके बाद वह आप (सल्ल.) के जूएं देखने लगीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने मुझे यमन में रहने वाले कुछ लोगों के पास भेजा, फिर इसके बाद मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास आया। उस वक़्त आप (सल्ल.) बतहा में थे आप (सल्ल.) ने पूछा कि तुमने किस चीज़ का एहराम बांधा है? मैंने जवाब दिया कि जिस चीज़ का आप ने एहराम बांधा है उसी का मैंने भी एहराम बांधा है आप (सल्ल.) ने पूछा क्या तुम्हारे पास 'हदीय' अर्थात कुरबानी का जानवर है? मैंने कहा नहीं फिर आप (सल्ल.) ने मुझे तवाफ़ का आदेश दिया मैंने एहराम खोल दिया, इसके बाद मैं अपने क़बीले की एक औरत के पास आया। उसने मेरे सिर पर कन्घा कर दिया, या उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मेरे सिर को धुल दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं। कि अबू मूसा(रज़ि.) के इस वाक्य ''फिर मैं अपने क़बीले की एक औरत के पास आया'' से मुझे महसूस होता है कि वह औरत उनके किसी भाई की बीवी रही होगी।

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं। कि इमाम अहमद ने अली बिन यज़ीद के हवाले से बयान किया है कि हज़रत अनस(रज़ि.) ने फ़रमाया कि मदीने की कोई बच्ची आती, आप (सल्ल) का हाथ पकड़ती आप (सल्ल.) अपने हाथ को उसके हाथ से अलग नहीं करते। फिर वह आप (सल्ल.) को लेकर जहां चाहती चली जाती, इब्ने माजा ने भी इसी प्रमाण से यह रिवायत बयान की गयी है।

हज़रत रबीआ बिन्ते मुअ़व्विज़ फ़रमाती हैं कि हम नबी करीम (सल्ल.) के साथ युद्ध में भाग लिया करते थे। हम लोगों को पानी पिलाया करते थें और उनकी सेवा किया करते थे। एक रिवायत में है कि हम घायलों का इलाज करते थे और शहीदों और घायलों को मदीना भेजा करते थे। (बुख़ारी)

अबू राफ़ेअ की बीवी सलमा (रज़ि.) कहती हैं, कि मैं नबी करीम (सल्ल.) की सेवा किया करती थी। नबी करीम (सल्ल.) को जब भी कोई चोट लगती तो मुझे वहां पर मेंहदी लगाने का आदेश देते। (अहमद)

अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फ़रमाते हैं कि उनके क़बीले की एक महिला ने बताया कि मेरे पास नबी (सल्ल.) आये, उस वक़्त मैं बायें हाथ से खा रही थी। मैं एक ग़रीब औरत थी। नबी करीम (सल्ल.) ने मेरे हाथ पर मारा। अतः मेरे हाथ से लुक्मा नीचे गिर गया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि बायें हाथ से न खाओ क्योंकि अल्लाह ने तुमको दायां हाथ भी दिया है। या आप (सल्ल.) ने ये फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दाहिने हाथ को काम करने योग्य बनाया है। वह महिला कहती हैं कि उसके बाद मैंने बायें हाथ के बजाये दाहिने हाथ का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद मैंने कभी भी बायें हाथ से नहीं खाया। (अहमद)

जहां एक तरफ़ यह बात सिद्ध है कि नबी करीम (सल्ल.) बैअ़त के समय औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे वहीं दूसरी तरफ़ यह भी सिद्ध है कि आप ने कभी–कभी कुछ महिलाओं को छूआ है। इन दोनों के बीच इस तरह से अनुकूलता देखी जा सकती है कि बैअ़त के समय नबी करीम ने औरतों से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि यह 'लम्स' अर्थात छूने की एक ऐसी स्थिति थी। जिसका एक विशेष भावार्थ था। नबी करीम (सल्ल.) से मिलने वाले मर्दों और औरतों की संख्या बहुत अधिक थी। तमाम ही मर्द व औरते आप (सल्ल.) से हाथ मिलाना चाहते थे। कुछ इसलिए कि आप (सल्ल.) से पूरी तरह मुलाक़ात हो जाये, और कुछ का उद्देश्य होता था कि आप (सल्ल.) के पवित्र शरीर को छूकर और आप (सल्ल.) से हाथ मिलाकर कुछ बरकतें हासिल कर ली जायें। कुछ लोग आप (सल्ल.) से बैअत के समय हाथ मिलाते थे। इस अधिकतर हाथ मिलाने को देखते हुए नबी (सल्ल.) ने हाथ मिलाने से परहेज़ किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करते समय भी इनसे परहेज़ करें और ऐसी औरतों को भी छूने से परहेज़ करें जिनसे किसी तरह की बिगाड़ की आशंका न हो। पहली स्थिति में नबी करीम (सल्ल.) को हाथ मिलाने की स्थिति में सामान्य औरतों के फ़ितने से बचने पर भरोसा नहीं था और दूसरी बात यह कि पहली स्थिति में आप (सल्ल.) ने हाथ मिलाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की। लेकिन आप (सल्ल.) ने

दूसरी परिस्थिति में 'लम्स' अर्थात छूने की आवश्यकता महसूस की। अतः आप (सल्ल.) ने छूआ। नबी करीम (सल्ल) उम्मे हराम, जो कि आप (सल्ल.) के सेवक हज़रत अनस की ख़ाला थीं और उनकी बहन उम्मे सुलैम जो कि हज़रत अनस (रज़ि.) की माँ थीं। के पास बहुत जाया करते थे क्योंकि नबी (सल्ल.) को उम्मे हराम, उम्मे सुलैम और कुछ दूसरी महिलाओं के सिलसिले में किसी तरह के बिगाड़ की आशंका नहीं थी। एक बात यह भी कही जाती है कि बैअत के वक़्त नबी करीम (सल्ल.) के औरतों से हाथ न मिलाने से यह बात सिद्ध नहीं होती कि औरतों से हाथ मिलाना बिल्कुल हराम है। क्योंकि दलील से यह बात सिद्ध होती है कि यह अमल नबी (सल्ल.) के साथ विशेष था। क्योंकि आप (सल्ल) ने फ़रमाया है ''मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता'' आप (सल्ल.) ने यहां पर एक वचन का सर्वनाम प्रयोग किया है। नबी (सल्ल.) की विशेषताओं पर बात करते हुए हाफ़िज़ हैसमी (रह.) ने निम्न लिखित दोनों हदीसों पर भी टिप्पणी की है :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) बैअत के वक़्त औरतों से हाथ नहीं मिलाया करते थे। (अहमद)

हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाया करता। (अहमद)

हाफ़िज हैसमी (रह.) इन दोनों हदीसों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने अपने उम्मत को यह शिक्षा देने के लिए औरतों से हाथ नहीं मिलाया कि साधारण हालत में औरतों से हाथ मिलाना बुराई का रास्ता बन्द करने के उद्देश्य से प्रतिबन्धित है। अतः इससे उसूले फ़िक़्ह के उलमा के इस विचार की पुष्टि होती है कि 'रास्ते को बन्द करने के सिद्धान्त' का प्रयोग आवश्यक नहीं है। हां बेहतर हैं मैं यह समझता हूं कि हम लोग उसी स्थिति में नबी (सल्ल) की सही और अच्छी पैरवी करने वालों में गिने जायेंगे जब कि हम सामान्यता औरतों से हाथ मिलाने और छूने से परहेज़ करें, और उसी स्थिति में हाथ मिलायें और छूयें जबकि हमें किसी बिगाड़ में पड़ने से सुरक्षित रहने का विश्वास हो। या उसकी वैधता की कोई और स्थिति हो। जैसे यह कि मोमिन औरतों से उस समय हाथ मिलाया जाये जबकि उसके माध्यम से अपनी पवित्र भावनाओं और ईमानी भाई–चारे का एहसास दिलाना हो। इसी तरह रिश्तेदारों और क़रीबी दोस्तों का विशेष अवसरो पर एक दूसरे से हाथ मिलाना जैसे यात्रा से वापसी पर हाथ मिलाना या किसी अच्छे काम की सराहना पर हाथ मिलाना या किसी मुसीबत के समय सांत्वना और शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हाथ मिलाना।

हमारे वर्तमान समाज में हर मुलाक़ात के समय मर्दों और औरतों का एक दूसरे का हाथ मिलाना प्रचलित हो गया है। हम भी ऐसा करने पर कभी–कभी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी वैधता के दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि हाथ हानि से बचाने के लिए मिलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि औरतों से हाथ मिलाने की अवैधता के सिलसिले में कोइ अन्तिम दलील नहीं पायी जाती हैं।

औरतों और मर्दों का अलग–अलग रहना और भीड़ से बचना :

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) सलाम फेरते तो औरतें जाने के लिए खड़ी हो जाती, आप खड़े होने से पहले थोड़ी देर तक बैठे रहते। इब्ने शहाब कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नबी (सल्ल.) इसलिए थोड़ी देर बैठे रहते थे ताकि औरतें पहले उठकर चली जाएं और जब मर्द उठें तो औरतों से उनकी मुलाक़ात न हो सके। (बुख़ारी)

इब्ने सहाब का समर्थन इससे भी होता हैं कि आपने एक बार फ़रमाया कि हम लोग यह दरवाज़ा क्यों न औरतों के लिए छोड़ दें। इसकी तरह इस बात से भी पुष्टि होती है कि एक बार नबी (सल्ल.) मस्जिद से निकले, रास्ते में मर्द औरतों से जा मिले तो आपने (सल्ल) औरतों से फ़रमाया कि तुम लोग पीछे हट जाओ तुम लोग बीच रास्ते की हक़दार नहीं हो। तुम लोग रास्ते के किनारों पर रहो, एक रिवायत में है कि औरतों को रास्ते के बीच में चलने का अधिकार नहीं है।

जिस तरह रास्तों पर मर्दों और औरतों को भीड़ लगाने से बचना चाहिए उसी तरह सामान्य सभा की जगहों पर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य सभाओ में औरतों के लिए पीछे की जगहें निर्धारित कर दी जायें जैसे कि मस्जिद में उनकी क़तारें पीछे रहती हैं। औरतों की क़तारों के पीछे रहने का मामला मात्र नमाज़ के साथ विशेष है चाहे वह नमाज़ मस्जिद में अदा की जाये या घर में दूसरों के साथ या अपने पति और महरम लोगों के साथ अदा की जायें। नमाज़ के अतिरिक्त दूसरे अवसरों पर वांछित यह हैं कि मर्द और औरतें अलग–अलग रहें और आपसी भीड़ से बचें। चाहे उसके लिए यह तरीक़ा अनाया जाये कि सभा स्थल पर औरतों के लिए एक जगह निर्धारित कर दी जाये या दूसरा कोई भी तरीक़ा ऐसा अपनाया जाये जिससे मर्द और औरतें अलग रहें और दोनों में मेल जोल न हो। इसीलिए इमाम सरख़सी फ़रमाते हैं कि अगर हजरे असवद के पास भीड़ हो तो औरत को उसे चूमाना नहीं चाहिए क्योंकि औरत को मर्दों के के छूने से और मेल जोल से मना किया गया है। औरत उसी स्थिति में हजरे असवद को चूम सकती है। जब वह जगह मर्दों से ख़ाली हो।

एकान्त में रहने से परहेज़ करना :

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि कोई मर्द किसी औरत से एकान्त में न मिले, सिवा इसके कि उसके साथ कोई महरम हो। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस में अनजान औरत से एकान्त में मिलने से मना किया गया है इस पर तमाम उलमा का मतैक्य है लेकिन मतभेद इस मामले में है कि क्या किसी ग़ैर महरम की मौजूदगी में औरत से मिला जा सकता है। जैसे यह कि उसके साथ कोई भरोसेमन्द औरत हो। सही बात यह है कि किसी ग़ैर महरम की मौजूदगी में औरत से मिला जा सकता है क्योंकि इस स्थिति में आरोप की संभावना कम हो जती है।

जिस एकान्त से मना किया गया है उसमें निम्नलिखित स्थितियां नहीं आतीं––

(क) लोगों की मौजूदगी में एकान्त में मिलना :

इसकी दलील यह है कि इमाम बुख़ारी ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत की हुई यह हदीस बयान की है कि एक अन्सारी महिला नबी (सल्ल.) के पास आयीं। आप उनको लेकर एक तरफ़ चले गये और फ़रमाया कि अल्लाह की क़सम मुझे तुम लोग बहुत अधिक पसन्द हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि औरत को इस तरह एकान्त की तरफ़ ले जाना कि वे दोनों लोगों की निगाहों से ओझल हो जायें वैध नहीं है बल्कि औरत के साथ एकान्त में जाने का अर्थ यह है कि वे दोनों इतनी दूर चले जायें कि लोगों की नज़रों के सामने तो रहें, हां, लोगों को उनकी आवाज़ सुनायी न दे विशेष रूप से जब कोई ऐसी बात हो। जिसका लोगों के सामने बयान करते समय औरत को शर्म महसूस हो हाफ़िज़ इब्ने हजर इसमें आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि अगर किसी औरत से रहस्यमय ढंग से इस तरह बात की जाये कि फ़ितने का कोई डर न हो तो उससे दीनदारी पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) दो या तीन मर्दों का औरत से एकान्त में मिलना :

इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रिवायत की हुई हदीस है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि आज के बाद जब भी कोई मर्द किसी ऐसी औरत के पास जाये जिसका पति मौजूद न हो तो उसके साथ एक या दो मर्द और होने चाहिएं। (मुस्लिम)

इमाम नववी फ़रमाते हैं कि इस हदीस के शब्दों से ऐसा महसूस होता है कि दो या तीन मर्दों का किसी अजनबी औरत से तन्हाई मे मिलना वैध है। लेकिन उलमा के विचार में प्रचलित यही है कि इस तरह अजनबी औरत से मिलना वैध नहीं है। अतः इस हदीस से समझा यह जाता है कि उन मर्दों का अजनबी औरत से एकान्त में मिलना वैध ा है जो अपनी परहेज़गारी या दयालुता के कारण या किसी और वजह से कोई अश्लील काम न कर सकते हों क़ाज़ी अयाज़ ने भी यही समझा है।

(ग) बहुत से लोगों की मौजूदगी में मर्द का औरत से मिलना :

बहुत से लोगों की मौजूदगी में मर्द का औरत से मिलना वैध है। क्योंकि मना तो किसी एक मर्द का किसी एक औरत से एकान्त में मिलना हैं लेकिन अगर मर्दों की संख्या बढ़ जाती है या औरतों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर यह प्रतिबन्ध समाप्त हो जाता है। इमाम नववी फ़रमाते हैं कि अगर कोई मर्द किसी अजनबी औरत से एकान्त में मिले तो यह दोनों के लिए हराम है लेकिन एक मर्द कई अजनबी औरतों से एकान्त में मिले तो इसमें दो बातें हैं, पहली यह कि अधिकांश उलमा इसकी वैधता के समर्थक हैं और इसकी दलील यह हदीस है आज के बाद कोई भी मर्द जब किसी ऐसी औरत के पास जाये जिसका पति मौजूद न हो तो उसके साथ एक या दो मर्द और होने चाहिए। दूसरी बात

यह है कि बहुत सी औरतों की मौजूदगी में किसी औरत के साथ कोई अश्लील काम नहीं कर सकता।

6. यदि पति परदेस में न हो तो औरत के पास जाने के लिए पति की अनुमति आवश्यक है।

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि किसी भी औरत के लिए पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना रोज़ा रखना वैध नहीं है। इसी तरह उसके लिए यह भी वैध नहीं है कि पति की अनुमति के बिना उसके घर में किसी को प्रवेश करने दे। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत है कि किसी औरत के लिए वैध नहीं कि वह अपने पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना उसके घर में किसी को आने दे।

(मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि पति की मौजूदगी की क़ैद साधारण स्थिति को देखते हुए आ गयी है। क्योंकि साधारणतः पति–पत्नी के पास मौजूद रहता हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि पति मौजूद न हो तो बीवी किसी भी मर्द को उसके घर में आने की अनुमति दे सकती हैं। बल्कि ऐसी स्थिति में औरत किसी भी तरह किसी अजनबी मर्द को अपने पति के घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती। हदीसों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी औरतों के पास जाने से मना किया गया है जिनके पति उनके पास मौजूद न हों उससे यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जब पति मौजूद हों तो उससे अनुमति लेना आसान है। अतः उससे अनुमति लेकर उसकी पत्नी से मिला जा सकता है लेकिन यदि पति मौजूद न हो तो उससे अनुमति लेना बहुत कठिन होता है लेकिन अगर किसी औरत से मिलने की कोई आकस्मिक आवश्यकता आ जाये और उसका पति मौजूद न हो तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अनुमति लेना संभव नहीं है।

पति की मौजूदगी में उससे अनुमति लेकर बीवी से मिलने के मामले की पुष्टि इस घटना से भी होती है कि हज़रत अमर बिन आस किसी ज़रूरत से हज़रत अली के घर आये। हज़रत अली घर पर नहीं थे। अतः वह वापस चले गये फिर दो या तीन बार आये, लेकिन मुलाक़ात नहीं हो सकी। बाद में जब उनकी मुलाक़ात हुई तो उनकी हज़रत अली (रज़ि.) ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी बीवी से कोई काम था तो आप उनके पास क्यों नहीं चले गये। उन्होंने उत्तर दिया कि हमें पति की अनुमति के बिना उसकी बीवी के पास जाने से मना किया गया है।

इसी तरह यदि पति मौजूद न हो और उसकी पत्नी से मिलना बहुत आवश्यक हो तो फिर पति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि इस हदीस से होती है। आज के बाद कोई भी मर्द जब किसी ऐसी औरत के पास जाये जिसका पति मौजूद न हो तो उसके साथ एक या दो मर्द और होने चाहिए। (मुस्लिम)

7. बार–बार की लम्बी मुलाक़ात से बचना :

बार–बार लम्बी मुलाक़ातें सामान्यतः रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच होती हैं इस तरह ऐसी जगहों पर भी होती हैं जहां मर्द औरत मिलकर काम करते हैं। उनमें से हर एक का काम यद्यपि अलग होता है लेकिन एक लम्बे समय के लिए सभी एक साथ काम करते हैं।

इस शिष्टाचार के बारे में यद्यपि हदीस से कोई दलील नहीं पायी जाती लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस तरह की मुलाक़ातों के समय बहुत से दूसरे शिष्टाचारों का ध्यान रखा सम्भव नहीं होता। जैसे निगाहों की रक्षा करना, गंभीर बातें करना और चलतफिरत में विनम्रता का पाया जाना आदि। इस तरह बार बार की लम्बी मुलाक़ात के कारण उस नम्रता ओर गंभीरता में कमी आ जती है जिसका मर्द औरत की मुलाक़ात के समय ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हैं इसी आधार पर 'माध्यम को रोकने के लिए' हम इस तरह की मुलाक़ात से बचने का परामर्श देते हैं।

यदि कोई ऐसा नेक और गंभीर काम हो जिसके कारण बार बार मिलना आवश्यक हो तो फिर उस वक़्त तक मुलाक़ात में कोई हानि नहीं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता और चूंकि गंभीर काम करते हुए दिल और विवेक दोनों व्यस्त रहते है। अतः इससे विनम्रता और गंभीरता में कोई कमी नहीं आती।

8. संदेह की जगहों से परहेज़ करना :

हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आपके पास नेक लोग भी आते हैं और बुरे अवज्ञाकारी भी आते हैं, आप अपनी बीवियों को परदा करने का आदेश क्यों नहीं देते। अतः उस समय अल्लाह तआला ने परदे वाली आयत उतारी।

(बुख़ारी)

बुरे और अवज्ञाकारी व्यक्ति के लिए हज़रत उमर ने हुज़ूर (सल्ल.) से यह कहा कि वह अपनी बीवियों को परदा करने का आदेश दें। इससे मालूम होता है कि मुसलमान औरत को बुरे लोगों से परदा करना चाहिए। इससे यह भी मालूम होता है कि मुसलमान औरत तमाम सन्देह की जगहों से दूर रहना चाहिए।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) पवित्र आयत ''और वह औरतें भली बात के बारे में आपकी नाफ़रमानी नहीं करेंगी'' फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने यह शर्त औरतों के लिए लगायी थी।   (बुख़ारी)

हाफ़िज इब्ने हजर (रह.) फ़रमातें हैं कि इस शर्त में मतभेद हो गया तबरी(रह.) ने क़तादा (रह.) के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि औरतों से यह प्रतीज्ञा ली गई कि वह विलाप नहीं करेंगी और मर्दों से बात नहीं करेंगी। इस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कहा कि हमारे पास ऐसे वक़्त में भी मेहमान आते हैं जबकि हम अपनी

बीवियों के पास नहीं होते। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यहां पर इस तरह की औरतों की बात नहीं हो रही है।

इससे मालूम हुआ कि औरतों को उन मर्दों से बात करने से रोका गया है जो संदिग्ध हों, लेकिन जो मर्द भरोसे योग्य हों, जैसे जाने पहचाने मेहमान तो उनसे बात करने में कोई हानि नहीं। इसकी पुष्टि नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन से भी होती है कि ''जिस चीज़ में तुझे संदेह है उसे छोड़कर तुम उसे अपनाओ जिसमें तुम्हें सन्देह न हो''।

9– प्रत्यक्ष और परोक्ष गुनाहों से बचना :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैं ''और अश्लील बातें के क़रीब भी न जाओ, चाहे वह खुली हों या छिपी'' (सूरह अनआम्–11)

दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है : तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहें से भी , जो लोग गुनाह कमा रहे हैं। वे इस कमाई का बदला पा कर रहेंगे।
(सूरह अनआमः–120)

मर्द औरत की मुलाक़ात के शिष्टाचार को लागू करने में कोताही से काम लेना खुला गुनाह है और हराम की इच्छा करना, उससे मज़ा लेना और उसको अधिक प्राप्त करने का प्रयास करना छिपा गुनाह है। हज़रत ख़ुबात बिन ज़ुबैर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोगों ने नबी करीम (सल्ल.) के साथ मर्रज़्ज़हरान में पड़ाव किया। मैं अपने ख़ेमे से निकला तो मैंने कुछ औरतों को बात करते हुए पाया, वे औरतें मुझे अच्छी लगीं। मैं वापस अपने ख़ेमे में आया। मैंने अपनी गठरी निकाली और उसमें से एक जोड़ा निकाला और उसको पहनकर उन औरतों के पास आ गया और उनके साथ बैठ गया। वहां से नबी करीम (सल्ल.) का गुज़र हुआ तो उन्होंने (सल्ल.) पुकारा! ऐ अबू अब्दुल्लाह! जब मैंने नबी करीम (सल्ल.) को देखा तो मैं डर गया और मै भौचक्का रह गया। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरा एक ऊँट कहीं चला गया है मैं उसे तलाश कर रहा हूं। आप (सल्ल.) चले गये। मैं भी आप (सल्ल) के पीछे चल पड़ा। फिर आप (सल्ल.) ने अपनी चादर मुझे दे दी, और आप (सल्ल.) झाड़ियों में चले गये। मानो मैं अब भी हरी झाड़ियों में आप (सल्ल.) की सफेद पीठ देख रहा हूं। नबी करीम (सल्ल.) शौच से निवृत्त हुए, आप (सल्ल.) ने वुजू किया और मेरी तरफ़ इस हालत में आये कि आप (सल्ल.) की दाढ़ी से पानी टपक कर आपके सीने पर गिर रहा था। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ अबू अब्दुल्लाह तुम्हारे भागे हुए ऊँट का क्या हुआ? फिर हम लोगों ने वहां से कूच किया। रास्ते में जहां भी आप (सल्ल.) से मेरी मुलाक़ात होती तो आप कहते ऐ अबू अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम तुम्हारे उस भागे हुए ऊँट का क्या हुआ। जब मैंने यह बात देखी तो जल्दी मदीना चला गया और वहां जाकर मस्जिदे नबवी में नबी (सल्ल.) के साथ बैठने से बचने लगा, जब मैं अधिक दिनों तक मस्जिद नहीं जा सका तो फिर मैंने एक दिन यह तरीक़ा अपनाया कि मस्जिदे नबवी से तमाम लोगों के निकल जाने की प्रतीक्षा किया। उसके बाद मस्जिद में गया और खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा। इसी बीच नबी करीम (सल्ल.) भी अपने किसी कमरे से निकल

कर मस्जिद में आ गये। आप (सल्ल.) ने आकर दो हल्की रक्अतें पढ़ीं। मैंने अपनी नमाज़ यह सोचकर लम्बी कर दी कि आप (सल्ल.) चले जायेंगे और मुझे छोड़ देंगे। आप (सल्ल) ने फ़रमाया ऐ अबू अब्दुल्लाह जितनी चाहो नमाज़ लम्बी कर लो। मैं तुम्हारे नमाज़ पूरी करने की प्रतीक्षा में खड़ा नहीं रहूंगा। मैंने अपने दिल में कहा कि अल्लाह की क़सम मैं नबी करीम (सल्ल.) से क्षमा याचना करूंगा और नबी करीम (सल्ल.) के सन्देह को दूर कर दूंगा। जब मैं नमाज़ पढ़ चुका तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ अबू अब्दुल्लाह अस्मलामुअलैकुम, तुम्हारे भागे हुए ऊँट का क्या हुआ? मैंने कहा उस हस्ती की क़सम जिसने आप सच्चाई के साथ दुनिया में भेजा है मैंने जब से इस्लाम कुबूल किया है। मेरा कोई ऊँट नहीं भागा है। नबी करीम ने तीन बार फ़रमाया कि अल्लाह तुम पर दया करे, इसके बाद आप (सल्ल) ने कुछ नहीं कहा। (तबरानी)

यहां पर मर्दों और साधारण औरतों के बीच समान शिष्टाचार का विवरण समाप्त होता है। विशेष रूप से मर्दों की नबी करीम (सल्ल) की बीवियों से बातचीत परदे के पीछे से हो। अल्लाह तआला फ़रमाता है "नबी की बीवियों अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो परद के पीछे से मांगा करो, यह तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिए अधिक उचित है" (सूरह अहज़ाब–53)

परदे का फ़र्ज़ होना सिर्फ़ नबी (सल्ल.) की बीवियों के साथ विशेष है। इस सिलसिले की दलीलों के लिए एक अलग अध्याय निर्धारित किया है। (देखें तीसरे भाग का दूसरा अध्याय)

औरतों के लिए विशेष शिष्टाचार :

1. प्रतिष्ठापूर्ण परिधानः

अल्लाह तआला फ़रमाता है "और (मोमिन औरतें) अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों से आंचल डाले रहें और वह अपना बनाव श्रृंगार न प्रकट करें। (सूरह नूर –31)

एक और जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है "और पिछले अज्ञानता काल की तरह बनाव श्रृंगार न दिखाती फिरो" (सूरह अहज़ाब–33)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया कि दो तरह के जहन्नमी ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा है..................और वह औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होती हैं। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे अतीया (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) से पूछा कि अगर हममें से किसी औरत के पास बड़ी चादर न हो अतः वह घर से निकलकर ईदगाह न जाये तो इसमें कोई हानि है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसे लम्बी चादर पहन लेना चाहिए............। (मुस्लिम)

हज़रत फ़तिमा बिन्ते क़ैस(रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने मुझसे फ़रमाया कि मुझे यह बात पसन्द नहीं है कि तुम्हारे सिर से आंचल गिर जाये या यह कि

तुम्हारी पिंडली पर से कपड़ा हट जाये और लोग तुम्हारे शरीर के उस भाग को देखें जिसे देखना तुम ना पसन्द करती हो। (मुस्लिम)

अजनबी मर्दों से मुलाक़ात के समय औरतों के प्रतिष्ठा पूर्ण परिधान के सिलसिले में शरीअत ने जो शर्तें आवश्यक ठहरायी हैं उन्हे संक्षेप में निम्न लिखित पांच सूत्रों में बयान किया जा सकता है। प्रथमः चेहरा, दोनों हथेली, और दोनों पैर के अतिरिक्त पूरा शरीर छिपाना।

द्वितीय : कपड़े चेहरे, हथेली और पांव की सजावट में सन्तुलन।

तृतीय : परिधान और श्रृंगार का मुस्लिम समाज के अनुकूल होना।

चतुर्थः परिधान का कुल मिलाकर मर्दों के परिधान से अलग होना।

पंचमः ग़ैर मुस्लिम औरतों के परिधान से अलग होना।

2. सुगन्ध से बचना :

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल) ने हम लोगों से कहा कि जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो सुगन्ध न लगाया करे। (मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अगर कोई औरत सुगन्ध लगाकर लोगों के पास से गुज़रे और लोग उस सुगन्ध को महसूस करें तो वह औरत ऐसी और ऐसी है। आप (सल्ल.) ने बहुत ही कठोर बात फ़रमायी। (अबू दाऊद)

3. गंभीरता के साथ सम्बोधित करना :

अल्लाह तआला फरमाता हैः ''दबे स्वर में बात न किया करो कि दिल की ख़राबी में लिप्त कोई व्यक्ति लालच में पड़ जाये'' (सूरह नूर–31)

4. चाल–ढाल में प्रतिष्ठा :

अल्लाह तआला फरमाता हैः वह अपने पैर ज़मीन पर मारते हुए न चला करें कि अपना जो श्रृंगार उन्होंने छिपा रखा हो उसका लोगों को ज्ञान हो जाये'' (सूरह नूर–31)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दो तरह के हजन्नमी ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं देखा है। एक ऐसे लोग जिनके हाथ में गाय की पूंछ की तरह कोड़ा होगा वह उससे मारते होंगे, दूसरे ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी वह स्वयं भी मर्दों की तरफ़ झुकाव रखेंगी और मर्दों को भी अपनी तरफ़ आकर्षित करेंगी। उनके सिर ऊँट की तरह होंगे ये औरतें न ही जन्नत में जायेंगी और न ही उनको जन्नत की सुगन्ध मिलेगी, हालांकि जन्नत की सुगन्ध इतनी और इतनी दूरी से भी आ जाती है।

अगर किसी समय भागीदारी व मुलाक़ात के कुछ आदाब न पाये जा रहे हों तो उस समय क्या करना चाहिए?

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के जो शिष्टाचार बयान किए गये हैं उन पर हर संभव अमल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी समय ये शिष्टाचार या इनमें से कुछ शिष्टाचार न पाये जा रहे हों तो उस समय क्या करना चाहिए?

जिस सीमा तक शिष्टाचार से बेपरवाही बरती जायेगी, उसी सीमा तक बिगाड़ प्रकट होगा, मुसलमान मर्द और औरत को भागीदारी और मुलाक़ात के समय इस बात को महसूस करना चाहिए। जब कुछ शिष्टाचार न पाये जा रहे हों तो उस समय मुसलमान को आशाजनक लाभों और संभावित हानियों के बीच तुलना करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा पहलू भारी हैं। अगर लाभ का पहलू भारी है तो मुलाक़ात को वरीयता देनी चाहिये और अगर बिगाड़ और हानि का पहलू भारी है तो मुलाक़ात न करने को वरीयता देनी चाहिए। यह तो एक सरसरी बात थी। हम निम्न में इसका कुछ विस्तार बयान करते हैं, मुसलमान को इन तमाम स्थितियें पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए :

(क) अगर कहां पर मुलाक़ात से बचने में किसी मुसलमान की कोई आर्थिक या साहित्यिक हानि हो रही हो या उसके किसी हित को ठेस पहुंच रही हो तो मुसलमान मर्द या औरत इस परिस्थिति को केवल उस सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं जितने में उसकी हानि समाप्त हो जाये। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''उसने दीन में तुम पर कोई संकीर्णता नहीं रखी'' (सूरह हज्ज–72)

(ख) अगर कोई ऐसा मुसलमान व्यक्तित्व हो। जिससे मिलने की स्थिति में अच्छाई को बढ़ावा मिलता हो और बुराई मिटती हो। वह व्यक्तित्व अच्छे कामों का आदेश देता हो। बुराई से रोकता हो। अज्ञानी लोगों तक ज्ञान को पहुंचाता हो। केवल उसकी मौजूदगी ही से लोगों के अन्दर अच्छे कामें के करने और बुराइयों और झगड़ों से रूकने की भावना पैदा होती हो तो मुसलमान मर्दो और औरतों को अल्लाह पर भरोसा करते हुए और अल्लाह से मदद चाहते हुए ऐसे व्यक्तित्व के सामने उपस्थित होना चाहिए। इस संकल्प के साथ कि नेक कामों के करने में वे सब अपनी पूरी ताक़त लगा देंगे। यह मुलाक़ात और भागीदारी उस समय और भी आवश्यक हो जाती है जब किसी समाज में लोगों के बीच इन शिष्टाचारों का विरोध समान्य हो जाये और उनके मार्गदर्शन का मात्र यही एक रास्ता रह जाये कि वह ऐसे व्यक्तित्व की सभाओं में भाग लें।

(ग) अगर किसी मुसलमान को इस बात की आशंका हो कि वह मुलाक़ात की स्थिति में किसी बिगाड़ में पड़ जायेगा या वह कोई अवैध काम कर बैठेगा या उसको विश्वास हो कि मुलाक़ात न करने की स्थिति में इस्लामी व शरई शिष्टाचारों का विरोध करने वालों को चेतावनी मिल जायेगी। तो ऐसी स्थिति में मर्द और औरत को मुलाक़ात से बचना चाहिए।

(घ) कभी–कभी ऐसा होता है कि कोई मुसलमान अज्ञानता के कारण या किसी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण औरतों से मुलाक़ात करने के विभिन्न शिष्टाचारों में से किसी शिष्टाचार के विरूद्ध कर बैठता है। जैसे किसी अजनबी औरत से एकान्त में मिल लेता है ऐसी स्थिति में दूसरे मुसलमानों को अपने उस भाई के बारे में बुरा गुमान करने से बचना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए। और उसके सिलसिले में किसी तरह की ग़लत बात कहने या आरोप लगाने से अपनी ज़बान को सुरक्षित रखना चाहिए। इस सिलसिले में 'इफ़्क' (हज़रत आयशा (रज़ि) पर झूठा आरोप) की घटना से नसीहत हासिल करना चाहिए। अल्लाह फ़रमाता हैः (ज़रा सोचो उस समय तुम कैसी कठोर ग़लती कर रहे थे) जबकि तुम्हारे एक मुंह से दूसरा मुंह उस झूठ को लेता जा रहा था और तुम अपने मुंह से वह कुछ कहे जा रहे थे जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था तुम उसे साधारण बात समझ रहे थे। हालांकि अल्लाह के लिए यह बड़ी बात थी। क्यों न उसे सुनते ही तुम से कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालना शोभा नहीं देता, सुबहानल्लाह यह तो एक बहुत बड़ा आरोप है। (सूरह नूरः 15–16)

नबी (सल्ल.) का फ़रमान है कि किसी भी व्यक्ति के गुनहगार होने कि लिए यह बात काफ़ी है कि वह हर सुनी हुई बात बयान करता फिरे।

(च) व्यक्तिगत प्रेरकों के आधार पर किसी को बुरा भला कहना और मात्र अनुमान के आधार पर लोगों को आरोपित करना भी तोहमत (झूठा आरोप) ही की क़िस्म की चीज़ है। अतः किसी मुसलमान से मुलाक़ात के शिष्टाचार को ध्यान रखने में कोताही हो जाये ऐसी स्थिति में उसको चेतावनी देनी चाहिए और इस्लामी आदाब पर अमल करने की तरफ़ ध्यान आकर्षित कराना चाहिए।

इसी के साथ हमारा यह कत्तर्व्य भी है कि हमारे जो मुसलमान भाई इन शिष्टाचारों के विरूद्ध कर रहे हैं हम उनको ध्यान दिलाएं और चेतावनी दें कि वह अपना सुधार करें और झूठे आरोप की जगहों से बचने का हर संभव प्रयास करें।

अध्याय–3

नबियों के युगों में सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उनका मेलजोल :

नबियों के युगों में सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उनकी मुलाक़ात से सम्बन्धित कुरआन व सुन्नत की दलीलें यहां इस लिए बयान किए जा रहे हैं ताकि यह मालूम हो जाये कि इस मामले में नबी (सल्ल.) ने जो तरीक़ा अपनाया था वह आपसे पहले के दूसरे नबियों के युग में भी प्रचलित था। मैं उन कुछ दलीलों की तरफ़ भी इशारा करना चाहता हूं जिनसे मालूम होता है कि कभी–कभी मोमिन मर्द और औरत को मजबूरी की हालात में एक दूसरे से मिलना पड़ा था। कुछ ऐसी दलीलें भी मिलती हैं जिनमें ग़ैर मोमिन औरतों से मुलाक़ात का उल्लेख है। मैंने ऐसी दलीलों का भी उल्लेख किया है और साथ–साथ उन दलीलों को भी बयान किया है जिनमें अपनी इच्छा से मुलाक़ात करने का उल्लेख है। यह मैंने इस लिए किया ताकि मोमिनों के समाज की हालत मालूम हो जाये और यह भी मालूम हो जाये कि उस समाज में मर्दों और औरतों की मुलाक़ात किस तरह होती थी।

हज़रत नूह अलै. का युग

अल्लाह तआला फ़रमाता है यहां तक कि जब हमारा आदेश आ गया और तन्नूर(तन्दूर में से पानी की धार) उबल पड़ा तो हमने कहा, हर तरह के जानवरों का एक–एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घर वालों को भी, सिवाय उन लोगों के जिनको पहले चिहिन्त किया जा चुका है। उसमें सवार कर लो और उनको भी बिठा लो जो ईमान लाये हैं, और थोड़े ही लोग थे जो (हज़रत) नूह (अलै.) के साथ ईमान लाये थे। (सूरह हूदः40)

जलालैन (कुरआन की एक टीका) में लिखा है सिवाय उन लोगों के जिनकी तबाही को पहले चिन्हित किया जा चुका है। वह उनकी बीवी और उनका बेटा कनआ़न थे। साम, हाम और याफ़िस के विपरीत के, हज़रत नूह (अलै.) ने उन तीनों और उनकी बीवियों को नाव पर सवार कर लिया था। और जो लोग ईमान लाये बहुत थोड़े थे। कहा जाता है कि ये ईमान लाने वाले छः लोग और उनकी बीवियां थीं। कहा जाता है कि नाव पर सवार तमाम लोगों की संख्या 80 (अस्सी) थी।, उनमें 40 मर्द थे और 40 ही उनकी बीवियां थीं।

हज़रत इब्राहीम (अलै.) का युग :

(क) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़रमाते हैं। कि हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने मात्र तीन झूठ बाले हैं, दो अल्लाह के लिए बोले हैं, एक उनका यह कहना कि मैं बीमार हूं और दूसरा यह कथन, कि यह उनके बड़े ने किया है। हज़रत हुरैरह (रज़ि.) ने आगे फ़रमाया कि एक बार हज़रत इब्राहीम और सारा साथ जा रहे थे कि उनका एक अत्याचारी राजा के पास से गुज़र हुआ। उससे बताया गया कि एक मर्द एक अत्यन्त सुन्दर औरत के साथ आया हुआ है। उसने हज़रत इब्राहीम को बुलवाया और उनसे सारा के बारे में पूछा कि वह कौन हैं। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि वह मेरी बहन है। फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत सारा के पास आये और कहा ऐ सारा इस ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं है। बादशाह ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि तुम मेरी बहन हो। देखो तुम मुझे झुठलाना नहीं। उस बादशाह ने हज़रत सारा को बुलवाया, हज़रत सारा उनके पास गयीं उसने उनको अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ शिथिल हो गया। उसने कहा कि तुम अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। उन्होंने दुआ कर दी। अतः उसका हाथ ठीक हो गया फिर उसने दूसरी बार उनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर उसी तरह बल्कि उससे अधिक सख़्त उसका हाथ शिथिल हो गया। उसने फिर कहा कि तुम अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दो मैं तुझे कोई कष्ट नहीं पहुचाऊँगा उन्होंने दुआ कर दी तो उसका हाथ ठीक हो गया। उसने अपने दरबान को बुलाकर कहा कि तुम मेरे पास किसी इन्सान को नहीं लाये थे। तुम तो एक शैतान को मेरे पास लेकर आये थे। उसने सेविका के रूप में उन्हें हज़रत हाजरा प्रस्तुत किया। फिर सारा हज़रत इब्राहीम के पास आयीं, वह उस वक़्त नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने इशारे से पूछा कि क्या हुआ? सारा ने कहा कि अल्लाह ने काफ़िर और पापी के षड्यन्त्र को उसी के लिए मुसीबत का कारण बना दिया उसने सेविका के रूप में हाजरा को दिया है। हज़रत अबू हुरैरह ने फ़रमाया ऐ मुसलमानो यही हाजरा तुम्हारी माँ हैं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

(ब) दैनिक जीवन के कामों में भागीदारी :

क़ुरआन में अल्लाह तआला ने बयान किया है। ''पालनहार! मैंने एक सूखी और बन्जर घाटी में अपनी सन्तान के एक भाग को तेरे प्रतिष्ठित घर के पास ला बसाया है। पालनहार यह मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहां नमाज़ स्थापित करें। अतः तू लोगों के दिलों को उनका चाहने वाला बना दे और इन्हें खाने को फल दे। शायद कि ये आज्ञाकारी बनें।'' (सूरह इब्राहीम–37)

(स) ज़ियारत में भागीदारी :

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं हज़रत इस्माईल की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अपने घर वालों को देखने आये इस्माईल घर पर नहीं मिले। उन्होंने उनकी बीवी

से उनके बारे में पूछा, उन्होंने उत्तर दिया कि वह हमारे लिये जीविका कमाने गये हैं। फिर हज़रत इब्राहीम ने उनके जीवन और रहन सहन के बारे में मालूम किया तो उन्होने जवाब दिया कि हम लोग इन्सान हैं और अत्यन्त निर्धनता की स्थिति में हैं। इस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम से शिकायत की। इब्राहीम (अलै.) ने कहा कि जब तुम्हारे पति आयें तो उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर की चौखट बदल लें। इस्माईल (अलै) जैसे ही घर आये। उन्होंने कुछ महसूस कर लिया और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई आया था। उन्होंने बताया कि हां एक इस–इस तरह के बूढ़े आदमी आये थे। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। फिर पूछा कि हम लोगों की ज़िन्दगी कैसी गुज़र रही है। तो मैंने बताया कि अत्यन्त निर्धनता में गुज़र रही है। हज़रत इस्माईल ने पूछा कि क्या उन्होंने तुमको कोई वसीयत की? उन्होंने कहा कि हां मुझसे कहा कि मैं आपको उनका सलाम कहूं और कहूं कि आप अपने दरवाज़े की चौखट बदल लें। हज़रत इस्माईल (अलै) ने कहा। वह मेरे पिता थे उन्होंने मुझे तुझे छोड़ने का आदेश दिया है। अतः तुम अपने घर चली जाओ। फिर

इस्माईल ने उन्हें तलाक़ दे दी और दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद हज़रत इब्राहीम (अलै.) फिर आये। इस्माईल घर पर नहीं मिले, हज़रत इब्राहीम ने उनकी बीवी से इस्माईल के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वह हमारे लिए जीविका की तलाश में गये हैं इब्राहीम ने पूछा तुम लोग कैसे हो? उन्होंने उनके जीवन और रहन सहन के बारे में भी पूछा। तो उन्होंने बताया कि हम लोग अच्छी तरह हैं और खुशहाली के साथ हैं और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक रिवायत में है कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप हमारे पास ठहर कर कुछ खा पी लें। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने पूछा कि तुम लोगों का खाना क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि गोश्त, हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने पूछा कि तुम लोगों का पेय क्या है उन्होंने बताया कि पानी। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने अल्लाह से दुआ की कि तू इन लोगों के गोश्त और पानी में बरकत दे। नबी (सल्ल.) फ़रमाते हैं कि उस वक़्त उनके पास अनाज नहीं था अगर होता तो हज़रत इब्राहीम उसमें भी बरकत की दुआ करते। हज़रत इब्राहीम (अलै) ने उनकी बीवी से कहा कि जब तुम्हारे पति आयें, तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि वह अपने दरवाज़े की चौखट क़ायम रखें, जब इस्माईल आये तो उन्होंने बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास कोई आया था। उन्होंने कहा कि हां एक ख़ूबसूरत से बूढ़े आदमी आये थे बीवी ने उनकी प्रसंशा की और कहा कि उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने बता दिया फिर उन्हाने पूछा कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है? तो मैंने बता दिया। कि अच्छा व्यतीत हो रहा हैं। इस्माईल (अलै) ने पूछा कि क्या उन्होंने कोई वसीयत भी की उन्होंने कहा हां, उन्होंने आपको सलाम कहा है और आदेश दिया है कि अपने दरवाज़े की चौखट क़ायम रखिये। हज़रत इस्माईल (अलै.) ने कहा। वह मेरे पिता थे और तुम्ही वह चौखट हो। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुझे अपने पास रखूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(द) आतिथ्य सत्कार में भागीदारी :

अल्लाह तआला फ़रमाता है; ''और देखो इब्राहीम(अलै) के पास हमारे फ़रिश्ते शुभ सूचना लेकर पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहीम (अलै.) ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुज़री कि इब्राहीम (अलै.) एक भुना हुआ बछड़ा (उनके आतिथ्य के लिए) ले आये। परन्तु जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वह उनसे आशंका में पड़ गये। और दिल में उनसे डर महसूस करने लगे। उन्होंने कहा। डरो नहीं, हम तो लूत (अलै.) की क़ौम की तरफ़ भेजे गये हैं। इब्राहीम (अलै.) की बीवी भी खड़ी हुई थीं। वह यह सुनकर हंस दी। फिर हमने उनको इसहाक़ की। और फिर याक़ूब की शुभ सूचना दी। वह बोली हाय मेरी कमबख़्ती! क्या अब मेरे यहां सन्तान होगी। जबकि मैं बुढ़िया फूंस हो गयी और मेरे पति भी बूढ़े हो चुके? यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। फ़रिश्तों ने कहा अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य करती हो? इब्राहीम के घर वालो, तुम लोगों पर तो अल्लाह की कृपा और उसकी बरकतें हैं। और निश्चय ही अल्लाह अत्यन्त प्रसंशनीय और बड़ा ही कीर्तिमान है'' (सूरह हूदः 69–73)

क़ुरआन की टीका 'जलालैन' में लिखा है ''और उसकी बीवी'' से तात्पर्य इब्राहीम (अलै.) की बीवी हैं। खड़ी होकर उन लोगों की सेवा कर रही थीं ''हंस दीं'' अर्थात वह लूत की क़ौम की तबाही सुनकर हंस पड़ी, तबरी और क़ुर्तबी में भी इसका यही भावार्थ बयान किया गया है।

इससे पहले बुख़ारी की वह हदीस गुज़र चुकी है। जो इमाम बुख़ारी ने ''मर्दों का औरतों को सलाम के शीर्षक में'' बयान की है वह हदीस यह है ''ऐ आयशा (रज़ि.) जिब्रील आपको सलाम करते हैं''। जो लोग यह कहते हैं कि फ़रिश्तों को मर्द नहीं कहा जा सकता। उनको रद्द करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि उन लोगों का उत्तर यह है कि हज़रत जिब्रील नबी करीम (सल्ल.) के पास मर्द के रूप में आते थे।

अध्याय–4

परदा अनिवार्य होने से पहले और बाद में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का मर्दों से मिलना :

नबी (सल्ल.) की बीवियां परदे के अनिवार्य होने से पहले सामान्य मोमिन औरतों की तरह थीं। वे सामाजिक जीवन में भाग लेती थीं और सामान्य और विशेष तमाम मैदानों में मर्दों से मिला करती थीं। निम्न में इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं :

शिक्षा प्राप्त करना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) पर सबसे पहले जो 'वह्य' उतरना प्रारम्भ हुई उसका तरीक़ा यह था कि आप (सल्ल.) को नींद में सच्चे सपने दिखाये जाते थे......... फिर हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) नबी करीम (सल्ल.) को लेकर अपने चचेरे भाई वरक़ा इब्ने नौफ़ल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसये के पास आयीं। उन्होंने अज्ञानता काल में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। वह अरबी किताब लिखा करते थे। वह इंजील से थोड़ा बहुत अरबी में लिखा करते थे। वह बहुत बूढ़े थे। और अन्धे हो चुके थे! हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने उनसे कहा ऐ भाई देखिये आपका भतीजा क्या कह रहा है। वरक़ा इब्ने नौफ़ल ने पूछा भतीजे तुम ने क्या देखा? नबी करीम (सल्ल.) ने जो कुछ देखा था उनको बता दिया। वरक़ा ने कहा ये वही नामूस है जो मूसा (अलै.) पर उतारा गया था। क्या ही अच्छा होता कि मैं नौजवान और जीवित होता। जब तुम्हारी क़ौम तुम्हें निकालेगी। नबी करीम (सल्ल.) ने पूछा क्या मेरी क़ौम मुझे निकालेगी? वरक़ा ने कहा कि जो चीज़ लेकर तुम आये हो उसे लेकर जो भी आया उससे दुश्मनी की गई है। अगर मैं उस दिन जीवित रहा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

विवाह का उत्सव :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने मुझसे शादी की. .... मेरे पास मेरी माँ उम्मे रूमान आईं......... फिर वह मुझे घर ले गईं, घर में कुछ अन्सारी महिलाएं भी थीं। उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हें भलाई और बरकत प्रदान करे। और तुम्हारा भाग्य अच्छा करे। मेरी माँ ने मुझे उन महिलाओं के हवाले कर दिया। उन महिलाओं ने मेरा बनाव श्रृंगार किया। फिर मैं दिन चढ़े उस वक़्त घबरा गईं जब नबी

करीम (सल्ल.) आये। फिर मेरी माँ ने मुझे आप (सल्ल.) के हवाले कर दिया। उस वक़्त मैं नौ साल की थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दावते वलीमा :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ शादी का वलीमा रोटी और गोश्त से किया। और मुझे लोगों को खाने पर बुलाने के लिए भेज दिया। अतः कुछ लोग आते, खाना खाते और निकल जाते। फिर कुछ लोग आते खाना खाते और निकल जाते। मैं लोगों को खाने पर बुलाता रहा, यहां तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल अब कोई भी व्यक्ति बुलाने के लिए नहीं बचा। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि खाना उठा लो। घर में तीन लोग रह गये थे। जो बातें कर रहे थे। अतः नबी (सल्ल.) घर से निकल गये और हज़रत आयशा (रज़ि.) के कमरे की तरफ़ गये और कहा ऐ घर वालो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि हज़रत आयशा (रज़ि) ने जवाब में कहा व अलैक स्सलाम व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको बरकत प्रदान करे। आपको आपकी बीवी कैसी लगीं? फिर आप (सल्ल.) अपनी तमाम बीवियों के कमरों में गये और उनसे वही कहा जो हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा था। और तमाम बीवियों ने भी आप (सल्ल.) से वही बात कही जो उनसे हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कही थी। फिर आप (सल्ल.) लौट कर घर आये। फिर देखा कि वही तीन लोग घर में बैठे बातें कर रहे थे। नबी (सल्ल.) बहुत शर्मीले थे। अतः आप (सल्ल.) निकलकर हज़रत आयशा (रज़ि) के कमरे में चले गये। मुझे नहीं मालूम कि मैंने आप (सल्ल.) को ख़बर दी या किसी और ने दी कि वह तीनों लोग चले गये हैं। तो नबी (सल्ल.) लौटकर घर आये। यहां तक कि आप (सल्ल.) ने घर की चौखट के अन्दर एक पैर रखा और दूसरा अभी बाहर ही था कि आप (सल्ल.) ने मेरे और अपने बीच एक परदा डाल दिया उस तक़्त परदे वाली आयत अवतरित हुई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) के इस कथन ''मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल अब कोई भी व्यक्ति बुलाने के लिए नहीं बचा, तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि खाना उठा लो'' टिप्पणी करते हुए इस्माइली ने जअफ़र बिन महरान के हवाले से नक़ल किया है कि अब्दुल वारिस कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) घर के एक कोने में बैठी थीं। वह कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब बहुत ख़ूबसूरत महिला थीं। उस वक़्त घर में तीन लोग बच गये थे।

आपस में सलाम :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने उनसे कहा ऐ आयशा जिब्रील(अलै.) तुम्हें सलाम कहते हैं। उन्होंने कहा ''व अलैहिस्लाम व रह्मतुल्लाहि'' आपको तो वह दिखाई देता है जो हम नहीं देख पाते.......... (बुख़ारी व मुस्लिम)

इमाम बुख़ारी ने यह हदीस (शीर्षकः मर्दों का औरतों को सलाम कहना और औरतों का मर्दों को) के अन्तर्गत बयान की है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के कथन, ''जिब्रील (अलै.) तुम्हें सलाम कहते हैं'' पर इब्नुत्तीन ने दाऊदी की आपत्ति का उल्लेख किया है कि फ़रिश्तों को मर्द नहीं कहा जा सकता। बस अल्लाह तआला ने उनका उल्लेख पुलिंग के साथ किया है। इसका उत्तर यह है कि हज़रत जिब्रील नबी करीम (सल्ल.) के पास

मर्द के रूप में आते थे। यह बात 'वह्य' के प्रारम्भ के अध्याय में गुज़र चुकी है।

ज़ियारत (मुलाक़ात) :

हज़रत सईद इब्ने–अलआस बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) और हज़रत उसमान ने उनसे बयान किया कि नबी करीम (सल्ल.) हज़रत आयशा (रज़ि.) की चादर ओढ़े ज़मीन पर लेटे हुए थे कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने आप (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही। नबी (सल्ल.) ने उसी हालत में अबू बक्र को आने की अनुमति दे दी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने अपना काम पूरा किया और लौट गये। इसके बाद हज़रत उमर (रज़ि)। ने आप (सल्ल.) के पास आने की अनुमति मांगी। अतः आप (सल्ल.) ने उनको भी इसी हालत में आने की अनुमति दे दी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी अपना काम पूरा किया और लौट गये। हज़रत उसमान (रज़ि.) फरमातें है कि इसके बाद मैंने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही तो आप (सल्ल.) उठ बैठे और हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि अपने कपड़े ठीक कर लो। फिर मैंने अपना काम पूरा किया और लौट गया। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने देखा कि आपने (सल्ल.) अबू बक्र व उमर (रज़ि.) के आने पर इतना महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं किया जितना उसमान (रज़ि.) के आने पर किया। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसमान बहुत ही शर्मीले हैं मुझे यह सन्देह था कि अगर मैं उनको अपनी इसी हालत पर आने की अनुमति दे देता तो वह मुझसे अपनी ज़रूरत और काम को न बताते। (मुस्लिम.)

हज़रत ओसामा बिन ज़ैद फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के पास जिब्रील आये। उस वक़्त आप (सल्ल.) के पास उम्मे सलमा (रज़ि.) भी थीं। हज़रत जिब्रील नबी करीम (सल्ल.) से बातें करने लगे। फिर उठकर चले गये। फिर नबी करीम (सल्ल.) ने उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछा कि ये कौन थे। ओसामा(रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने कहा कि दह्या (रज़ि.) थे हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अल्लाह की क़सम मैं तो उनको दह्या ही समझ रही थी। यहां तक कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) का संबोधन सुना, जिसमें आप (सल्ल.) हज़रत जिब्रील (अलै.) के आने की सूचना दे रहे थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मदीने के आस पास के कुछ लोग जुमे के दिन बारी–बारी आते थे वे धूल से होकर आते थे। अतः वे धूल धूसरित हो जाते थे और पसीना–पसीना हो जाते थे। उनमें से एक आदमी को नबी करीम (सल्ल.) के पास लाया

गया। उस वक़्त आप (सल्ल.) मेरे पास थे। नबी करीम (सल्ल.) ने उससे कहा कि तुम लोग आज के दिन क्यों नहीं सफ़ाई सुथराई हासिल कर लेते हो!(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि कुछ यहूदी नबी करीम (सल्ल.) के पास आये और उन्होंने कहा अस्साम अलैकुम(आप पर मौत आये) मैं उसे समझ गई। अतः मैंने जवाब दिया "अलैकुमुस्साम व ल्लअ़न!" (तुम पर मौत आये और तुम पर फटकार हो)। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ आयशा ज़रा नरमी से। अल्लाह हर चीज़ में नरमी को पसन्द करता है। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल(सल्ल.)! आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैंने जवाब दे दिया कि अलैकुम (तुम पर ही)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बीमारों का हाल पूछना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) मदीना आये तो हज़रत अबू बक्र और हज़रत बिलाल बीमार हो गये। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब हज़रत अबू बक्र का बुख़ार तेज़ हो जाता तो वह ये शेअर पढ़तेः

کل امرئ مصبح فی اهله   والموت ادنی من شراک نعله

(आदमी अपने घर वालों में इस हालत में सुबह करता है कि मौत उसके जूते के तस्में से भी अधिक निकट होती है)

और जब हज़रत बिलाल(रज़ि.) का बुख़ार कम होता तो वह यह शेअ़र पढ़तेः

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة   بواد و حولی اذخر و جلیل

و هل أردن یوما میاه مجنة   وهل یبدون لی شامة و طفیل

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) से आकर यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह मदीने को हमारे लिए मक्के की तरह या उससे भी अधिक प्रिय बना दे। इसे हमारे लिए बेहतर बना और इसकी हर चीज़ में हमारे लिए बरकत रख दे। इससे बुख़ार स्थानान्तरित कर दे और इसे हज्फ़ः (मक्के और मदीने के बीच एक स्थान) में पहुंचा दे। (बुख़ारी)

मसला पूछना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्ल.) से पूछा कि एक आदमी अपनी बीवी से सहवास करता है फिर सुस्त हो जाता है तो क्या इन दोनों पर ग़ुस्ल अनिवार्य है? हज़रत आयशा (रज़ि.) वहीं पर बैठी हुई थीं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं और ये इसी तरह करते हैं फिर ग़ुस्ल करते हैं। (मुस्लिम)

आतिथ्य :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम(सल्ल.)के एक ईरानी पड़ोसी सालन (तरकारी) बहुत अच्छा बनाते थे। उन्होंने एक बार नबी करीम (सल्ल.) के लिए तरकारी बनायी। फिर आकर आप (सल्ल.) को खाने की दावत दी। आप (सल्ल.) ने पूछा कि क्या आयशा की भी दावत है? उन्होंने कहा नहीं, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तब फिर मैं भी नहीं आऊँगा। इसके बाद वह फिर नबी करीम (सल्ल.) को दावत देने आये। आप (सल्ल.) ने पूछा कि क्या आयशा की भी दावत है? उन्होंने कहा हां। तो नबी करीम (सल्ल.) और हज़रत आयशा (रज़ि.) उठे और उनके घर गये। (मुस्लिम)

भलाई का आदेश :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को जब मनासेअ़ (एक लम्बा चौड़ा मैदान) में जाना होता तो उसके लिए रात में निकलती थीं। हज़रत उमर (रज़ि.) नबी करीम से फ़रमाया करते थे कि आप अपनी बीवियों से परदा करवाइये। लेकिन नबी करीम (सल्ल.) ऐसा नहीं करते थे। एक रात नबी करीम (सल्ल.) की बीवी सौदा (रज़ि.) घर से निकलीं वह लम्बे क़द की महिला थीं। हज़रत उमर ने उनको आवाज़ दी और कहा सौदा! मैंने आपको पहचान लिया है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ऐसा इस आशा में किया कि शायद परदे का आदेश अवतरित हो जाये। फिर इसके बाद अल्लाह तआला ने परदे का आदेश अवतरित कर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

युद्ध

(क) उहद का युद्ध :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उहद के दिन लोग नबी करीम (सल्ल.) से पीछे रह गये। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने आयशा बिन्ते अबू बक्र और उम्मे सुलैम को देखा कि वे दोनों अपने पायंचे उठाये हुए थीं, वे दोनों अपनी पीठों पर मिश्कीज़े रखे हुई थीं।, और लोगों को पानी पिला रही थीं। फिर वे दोनों लौटतीं, मिश्कीज़ों को भरतीं, लौट कर आतीं और फिर लोगों को पानी पिलातीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उहद के दिन मुशरिकों की पराजय हो गयी कि अचानक फटकारे हुए इबलीस ने आवाज़ लगाई, ऐ अल्लाह के बन्दो अपने पिछले हिस्से की रक्षा करो। अतः अगला हिस्सा पिछले हिस्से की तरफ़ ध्यान देने लगा और अगले और पिछले लोग आपस ही में लड़ पड़े। हज़रत हुज़ैफ़ा ने देखा कि बीच में उनके वालिद (पिता) यमान (मारे जा रहे) है। उन्होंने आवाज़ लगाई, ऐ अल्लाह के बन्दों! ये मेरे वालिद हैं............ ये मेरे वालिद हैं लेकिन लोग उनको क़त्ल करने के बाद ही रूके। हज़रत उरवा

कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा के अन्दर हमेंशा भलाई करने की भावना रही। यहां तक कि वे अल्लाह से जा मिले। (बुख़ारी)

(ख) अहज़ाब का युद्ध :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि खाई वाली लड़ाई के दिन हज़रत सअ़द घायल हो गये। कुरैश की एक शाखा बनू मुअ़ैस बिन आमिर के एक व्यक्ति हिब्बान बिन अरका ने उनके बांह की नस में तीर मार दिया। नबी (सल्ल.) ने मस्जिदे नबवी में उनके लिए ख़ेमा लगवाया ताकि निकट से उनकी देख रेख कर सकें। जब आप खाई से लौटे तो आपने(सल्ल.) हथियार रखे और ग़ुस्ल किया। आप (सल्ल.) अपने सिर से धूल झाड़ ही रहे थे कि आप (सल्ल.) के पास हज़रत जिब्रील आये और कहा कि आपने अपना हथियार रख दिया। अल्लाह की क़सम हमने अभी तक नहीं रखा है आप उनकी तरफ़ निकल पड़िये। नबी (सल्ल.) ने पूछा किनकी तरफ़? हज़रत जिब्रील (अलै.) ने बताया कि बनू कुरैज़ा की तरफ़। अतः नबी (सल्ल.) बनू कुरैजा आये। बनू कुरैज़ा ने अपने सिलसिले में नबी (सल्ल.) का फ़ैसला मानने पर सहमति दे दी। फिर फ़ैसला हज़रत सअ़द (रज़ि.) के हवाले कर दिया गया। हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने फ़रमाया कि इन लोगों के सिलसिले में मेरा फ़ैसला यह है कि इनके लड़ने वालों को क़त्ल कर दिया जाये औरतों और बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया जाये और इनकी दौलत बांट दी जाये। हश्शाम कहते हैं कि मेरे वालिद ने हज़रत आयशा (रज़ि.) के हवाले से बयान किया कि हज़रत सअद ने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है कि मुझे उन लोगों से जेहाद करना सबसे अधिक पसन्द है जिन्होंने तेरे नबी को झुठलाया और वतन से निकाला, मैं समझता हूं कि तूने हमारे और उनके बीच अब युद्ध समाप्त कर दी है। अगर कुरैश से अभी और युद्ध बाक़ी है तो तू मुझे जीवित रख। यहां तक कि मैं तेरे लिए उन लोगों से जेहाद करूं और अगर तुमने हमारे और उनके बीच लड़ाई ख़त्म कर दी है तो तू मेरे ज़ख़्म को फाड़ दे और उसके द्वारा मुझे मौत दे दे। अतः हज़रत सअद के निचले हिस्से से ज़ख़्म फट गया (उस वक़्त मस्जिद में बनू ग़िफ़ार का एक ख़ेमा लगा हुआ था) जब उन्होंने अपनी तरफ़ ख़ून बहकर आते हुए देखा तो घबरा उठे और उन्होंने कहा ऐ ख़ेमे वालो तुम्हारी तरफ़ से ये क्या चीज़ हमारी तरफ़ आ रही है उन्होंने देखा कि हज़रत सअद(रज़ि.) के घाव से ख़ून निकल रहा है। उसी चोट के कारण हज़रत सअ़द को मौत आई। (बुख़ारी)

परदा अनिवार्य होने के बाद नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का समाज से जुड़े रहना ओर मर्दों से बात–चीत करना :

विचार करने योग्य और आश्चर्यजनक बात यह है कि परदा अनिवार्य होने के बावजूद नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों ने अपने आस पास के जीवन से अपने आपको अलग नहीं किया। बल्कि नबी (सल्ल.) की गतिविधियों में थोड़ा बहुत भाग लेती रहीं। आपकी मौत के बाद भी मुसलमानों को शिक्षा देने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके

साथ–साथ विभिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत वे अपने पास–पड़ोस के जीवन से जुड़ी रहीं और मर्दों से बात करती रहीं, यद्यपि यह सब कुछ परदे के साथ होता था। परदा ने जीवन में भागीदारी की तमाम राहों को बन्द नहीं किया था। हां जीवन में भागीदारी को थोड़ा सीमित कर दिया था। न ही परदे ने मर्दों से मिलने पर रोक लगाई थी। बल्कि इस मुलाक़ात के कुछ शिष्टाचार निर्धारित किये गये थे। विशेष रूप से इस सिलसिले में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का व्यवहार सामान्य औरतों से अलग था। इस तरह नबी (सल्ल.) के समाज में औरत सामाजिक जीवन में भाग लेती रही। यहां तक कि विशेष परिस्थितियों में भी शरीअत ने उसके मैदान को थोड़ा ही सीमित किया। उसे बिल्कुल समाप्त नहीं कर दिया। इस मुलाक़ात की कुछ शर्तें बढ़ा दीं मुलाक़ात को सिरे से प्रतिबन्धित नहीं किया । निम्न में हदीसों से कुछ दलीलें प्रस्तुत की जा रहीं हैं जो मेरी बात की पुष्टि करती हैं :

प्रथम : नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का आपकी सभाओं में रहना और कभी–कभी बातचीत में भाग लेना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) से पूछने आया, वह दरवाज़े के पीछे से उसकी बात सुन रही थीं। उस व्यक्ति ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त मैं नापाकी की हालत में रहता हूं तो इस हालत में रोज़ा रखूँ? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं भी कभी–कभी फ़ज्र की नमाज़ के समय नापाकी की हालत में रहता हूं लेकिन मैं रोज़ा रखता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप हमारी तरह नहीं हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको अगले और पिछले गुनाहों से मुक्त कर दिया है। आपने फ़रमाया कि मैं समझता हूं कि मैं तुममें सब से अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं और सबसे अधिक उन बातों को जानने वाला हूं जिनके माध्यम से अल्लाह का डर रखा जाता है। (मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं नबी (सल्ल.) के पास था। आप उस समय मक्का और मदीना के बीच जअराना नामक स्थान पर थे। आपके साथ हज़रत बिलाल भी थे। आपके पास एक देहाती आया। उसने कहा। क्या आप मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे? आपने(सल्ल.) उससे कहा कि शुभ सूचना प्राप्त करो। उसने कहा। आपने मुझे बहुत सारी शुभ सूचनायें दी हैं। नबी (सल्ल.) क्रोध की हालत में हज़रत अबू मूसा और हज़रत बिलाल की तरफ़ मुड़े और फ़रमाया कि इस व्यक्ति ने ख़ुशख़बरी को लौटा दिया है। अतः तुम दोनों इसे स्वीकार करो। उन दोनों ने कहा कि हमने स्वीकार किया। फिर आपने एक प्याला मांगा जिसमें पानी था। आपने (सल्ल.) उससे अपना चेहरा और हाथ धोया और कुल्ली की। फिर आपने फ़रमाया कि इमसें से थोड़ा पानी पी लो और बाक़ी को अपने चेहरों और सीनों पर गिरा लो और ख़ुशख़बरी प्राप्त करो। उन दोनों ने प्याला लिया और ऐसा ही किया। हज़रत उम्मे सलमा ने उन दोनों को परदे के पीछे से

आवाज़ दी कि अपनी माँ के लिये भी कुछ बचा रखना। अतः उन दोनों ने उनके लिए थोड़ा सा पानी बचा लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) को हज़रत इब्ने हारिसा हज़रत जअ़फ़र और हज़रत इब्ने रवाहा की शहादत की ख़बर पहुंची, तो आप (सल्ल.) बैठ गये। आपके चेहरे पर चिन्ता के भाव प्रकट हो रहे थे। मैं आपको दरवाज़े की दरार से देख रही थी। फिर आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि हज़रत जअफ़र की बीवियां रो रही हैं। आपने उसे आदेश दिया कि उनको रोने से मना करो। वह व्यक्ति फिर दूसरी बार आया और बताया कि औरतों ने उसकी बात नहीं मानी। आपने उससे कहा कि उन औरतों को रोने से मना करो। वह व्यक्ति फिर तीसरी बार आया उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की क़सम औरतें हम पर भारी पड़ गयीं। हज़रत आयशा (रज़ि) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उन औरतों के मुंह में मिट्टी डाल दो। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तेरा भला हो। नबी (सल्ल.) ने तुम्हें जो आदेश दिया था। तुमनें उस पर अमल नहीं किया और तुम नबी (सल्ल.) को लगातार कष्ट देते रहे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि कुछ सहाबा जिनमें हज़रत सअ़द भी थे। गोश्त खाने लगे। नबी (सल्ल.) की किसी बीवी ने आवाज़ देकर कहा कि ये गोह का गोश्त है तो वह सब खाने से रूक गये। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोग खा लो या आपने फ़रमाया कि इस गोश्त के खाने में कोई हानि नहीं .... बस यह मेरी ख़ुराक नहीं है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी करीम (सल्ल.) की बीवी हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने अपने कमरे के दरवाज़े पर कुछ लोगों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी, तो निकल कर उनके पास गये। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं एक इन्सान हूं, मेरे पास लड़ाई झगड़े के मामले आते रहते हैं। हो सकता है कि तुममें से कोई दूसरे से अधिक वाक्पटु हो और मैं समझूं कि वह सच बोल रहा है। फिर मैं उसके लिए फ़ैसले कर दूं अगर मैं किसी मुसलमान के अधिकारों का फ़ैसला किसी और के लिए कर दूं तो वह ये समझ ले कि यह आग का एक टुकड़ा है। वह चाहे तो उसे ले ले, और चाहे तो उसे छोड़ दे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत ओबादा बिन सामित (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। और जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। हज़रत आयशा (रज़ि.) या किसी दूसरी बीवी ने कहा कि हम लोग तो मौत को पसन्द नहीं करते। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यहां पर यह तात्पर्य नहीं है (इसका अर्थ यह है कि) जब मोमिन की मौत का समय निकट आता है तो उसे अल्लाह की ख़ुशी और उसकी कृपा की शुभ सूचना दी जाती है तो उसके लिए इससे अधिक प्रिय कोई भी चीज़ नहीं होती। अतः वह अल्लाह से मिलना

चाहता है तो अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है और जब काफ़िर की मौत का समय निकट आता है तो उसे अल्लाह की यातना और सज़ा की धमकी दी जाती है तो उसके सामने इससे बढ़कर नापसन्दीदा चीज़ कोई और नहीं होती। अतः वह अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, तो अल्लाह भी उसमें मिलना नहीं चाहता। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के पास दो लोग आये और उन्होंने आप (सल्ल.) से कुछ बात की। मुझे नहीं पता कि वह क्या बात थी। आप (सल्ल.) उन दोनों की बात सुनकर क्रोधित हो गये और उन दोनों को बुरा भला कहा। जब वह निकल कर गये तो मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल............ आपने (सल्ल.) उन दोनों को बुरा भला कहा। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या तुम्हें उस समझौते का ज्ञान है जो मैंने अल्लाह तआला से किया है? मैंने कहा है कि ऐ अल्लाह मैं जिस मुसलमान को भी बुरा भला कहूं तू उसे उसके लिए पवित्रता और बदले का माध्यम बना दे।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक व्यक्ति ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसे अनुमति दे दो। वह बहुत ही बुरा आदमी है। जब वह आप (सल्ल.) के पास आया तो आप (सल्ल.) ने उससे बहुत ही नरमी से बात की। मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आपने तो उसे बुरा आदमी कहा था। फिर आपने उससे नरमी से बात की। फ़रमाया, ऐ आयशा (रज़ि.) सबसे बुरा आदमी वह है जिसको लोग उसकी बुराई से सुरक्षित रहने के लिए उसे छोड़ दें।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम (सल्ल.) के पास मस्जिदे नबवी में आया और कहा कि मैं बर्बाद हो गया। आप (सल्ल.) ने पूछा क्यों? उसने कहा मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से सहवास कर लिया। आप (सल्ल.) ने उससे कहा कि सदक़ा करो उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर वह आप (सल्ल.) के पास बैठ गया। फिर आप (सल्ल.) के पास एक व्यक्ति गदहे पर आया, उसके पास खाना था। उसने वह खाना नबी करीम (सल्ल.) को दे दिया। आप (सल्ल.) ने कहा कि यह ले जाओ। और इसे सदक़ा कर दो। उसने कहा कि मुझसे बढ़कर कोई ज़रूरतमन्द (मोहताज़) नहीं, मेरे बीवी बच्चों के लिये खाना भी नहीं है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अच्छा तुम लोग ही इसे खा लो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि कुछ शिष्टाचार से अनभिज्ञ देहाती नबी करीम (सल्ल.) के पास आते, और आप (सल्ल.) से पूछते कि क़यामत कब आयेगी? नबी करीम (सल्ल.) उन आने वालों में सबसे छोटे व्यक्ति को देखते और फ़रमाते कि अगर यह जीवित रहा तो उसके बूढ़ा होने से पहले तुम लोगों पर क़यामत (मौत) आ जायेगी। हिशाम(रज़ि.) कहते हैं कि आप (सल्ल.) यह कहना चाहते थे इस व्यक्ति के बूढ़ा होने से पहले तुम लोग मर जाओगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि मेरे पास से नबी (सल्ल.) गुज़रे। आप (सल्ल.) ने मुझे उठने का इशारे से आदेश दिया। तो मैं उठकर आप (सल्ल.) के पास गया। आप (सल्ल.) ने मेरा हाथ पकड़ा फिर हम दोनों चल पड़े। यहां तक कि आप (सल्ल.) अपनी एक बीवी के कमरे तक आये। उसमें दाख़िल हो गये। फिर मुझे अन्दर आने की अनुमति दी तो मैं अन्दर गया। आप (सल्ल.) की वह बीवी परदे में थीं। आप (सल्ल.) ने पूछा क्या कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा हां है। अतः तीन रोटियां लाई गयीं। और उन्हें एक ऊँची जगह पर रख दिया गया। नबी करीम (सल्ल.) ने एक रोटी ली और उसे अपने सामने रख लिया। फिर दूसरी रोटी ली और उसे मेरे सामने रख दिया। फिर आप (सल्ल.) ने तीसरी रोटी ली और और उसके दो टुकड़े किये। आधी आप (सल्ल.) ने अपने पास रख ली और आधी मुझे दे दी। फिर आप (सल्ल.) ने पूछा क्या कोई सालन(तरकारी) है? उन्होंने कहा कि सालन नहीं है। थोड़ा सा सिरका है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया उसे ही लाओ, सिरका भी कितना अच्छा सालन है! (मुस्लिम)

हज़रत सअ़द बिन वक़्क़ास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही, उस वक़्त नबी करीम (सल्ल.) के पास क़ुरैश की कुछ औरतें थीं। जो आप (सल्ल.) से ऊँचे स्वर में बातें कर रही थीं। जब हज़रत उमर(रजि) ने अन्दर आने की अनुमति चाही तो वे सब औरतें जल्दी से परदे में चली गईं। फिर नबी करीम (सल्ल.) ने उनको अन्दर आने की अनुमति दे दी। उस वक़्त आप (सल्ल) हंस रहे थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको प्रसन्नचित रखे, आपने फ़रमाया मेरे पास जो औरतें थीं मुझे उन पर आश्चर्य हो रहा है कि जब उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तो वह जल्दी से परदे में चली गईं, हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया कि उन औरतों को आपसे डरना चाहिये था। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने औरतों को सम्बोधित करके कहा ऐ अपने आप की दुश्मनो! क्या तुम लोग मुझसे डरती हो और नबी करीम (सल्ल.) से नहीं डरती हो? औरतों ने जवाब दिया कि हां। क्योंकि आप नबी करीम (सल्ल.) से अधिक कठोर हैं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। जब भी किसी रास्ते पर शैतान तुम्हें देखता है तो वह तुरन्त अपना रास्ता बदल देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

द्वितीय : नबी करीम (सल्ल.) का आपके साथ सफ़र में रहना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) सफ़र करते तो अपनी बीवियों के बीच 'क़ुरा' डालते, एक बार 'क़ुरा' हज़रत आयशा और हज़रत हफ़्सा (रज़ि) के नाम निकला, नबी करीम (सल्ल.) रात में हज़रत आयशा (रज़ि.) के साथ चला करते थे। और उनसे बातें करते थे। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि आज तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊँट पर सवार हो जाऊँ। फिर तुम भी देखो और में भी देखूं (कि क्या होता है)। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा ठीक है। अतः हज़रत आयशा उनके ऊंट पर सवार हो गयीं............... (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) हुदैबिया के ज़माने में निकले......... जब सहाबा किराम (रज़ि.) में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ तो आप (सल्ल.) उम्मे सलमा के पास गये और उनसे लोगों के व्यवहार का बयान किया। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम लोग एक सफ़र में नबी करीम (सल्ल) के साथ निकले। जब हम 'बैदा' या 'ज़ातुल जैश' नामक स्थान पर पहुंचे तो मेरा एक हार खो गया........(बुख़ारी व मुस्लिम)

तृतीय : नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का समाज से सम्बन्ध रखना और समस्याओं में दिलचस्पी लेना :

हज़रत उम्मे सलमा का जनता के नाम इमाम के सम्बोधन को सुनने में दिलचस्पी लेना :

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि मैं लोगों को हौज़े कौसर की बात करते हुए सुनती थी हालांकि मैंने नबी (सल्ल.) से इसका बयान नहीं सुना था। एक दिन मेरी दासी मेरे सिर में कंघा कर रही थी कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) को कहते हुए सुना ऐ लोगों! मैंने अपनी दासी से कहा ज़रा हटो तो! उसने कहा कि आप (सल्ल.) ने मर्दों को आवाज दी है। औरतों को नहीं, मैंने कहा कि मैं भी लोगों में सम्मिलित हूं, फिर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पर चला जाऊँगा और वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुममें से कोई व्यक्ति मेरे पास इस स्थिति में न आये कि उसको इस तरह मेरे पास से भगाया जाये जैसे भटके हुए ऊँट को भगा दिया जाता है। मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे बताया जायेगा कि आपको मालूम नहीं कि इन लोगों ने आप (सल्ल.) के बाद क्या किया। फिर मैं कहूंगा कि ठीक है इनको भगा दिया जाये। (मुस्लिम)

भलाई के रास्तों में ख़र्च करने और सदक़ा करने के लिए हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का काम करना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) की कुछ बीवियों ने आपसे पूछा कि हममें से कौन सबसे पहले आपसे मिलेगा, आपने फ़रमाया कि जिसके हाथ सबसे लम्बे हैं। सबसे पहले मुझसे आकर मिलेगी। आपकी बीवियों ने एक लकड़ी ली और अपने–अपने हाथ नापने लगीं। हज़रत सौदा का हाथ सबसे लम्बा था। लेकिन हज़रत ज़ैनब की मौत के बाद उन बीवियों को एहसास हुआ कि लम्बे हाथ से तात्पर्य सदक़ा (सदक़ा) है। हज़रत ज़ैनब सदक़ा करना बहुत पसन्द करती थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने कोई महिला ज़ैनब (रज़ि.) से अधिक दीनदार, अल्लाह का डर रखने वाली, सच बोलने वाली, रिश्ते जोड़ कर रखने वाली, बहुत अधिक सदक़ा करने वाली, जिस काम के माध्यम से वह सदक़ा करती थीं और जिसके माध्यम से वह अल्लाह से निकटता प्राप्त करती थीं। उसको कम समझने वाली नहीं देखी।

(मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में मनाक़िब (प्रसंशा) के भाग में हज़रत आयशा (रज़ि.) के हवाले से लिखा है कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) अपने हाथ से बहुत अधिक काम करती थी। वह दबाग़त (चमड़ा पकाना और रंगना) देती थीं। चमड़े की सिलाई करती थी। और अल्लाह के रास्ते में सदक़ा करती थीं। हाकिम कहते हैं कि यह रिवायत मुस्लिम की शर्त के अनुसार है।

सामान्य अवज्ञा के मसले के हल के लिए उम्मे सलमा का परामर्श :

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा और हज़रत मरवान फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) हुदैबिया के ज़माने में निकले। फिर सुहेल बिन अम्र आये। उन्होंने आपसे कहा कि आइये हमारे और आपके बीच एक समझौता लिख लीजिये। आप (सल्ल.) ने लिपिक (कातिब) को बुलाया और कहा कि लिखो। जब आप समझौता के मुसविदा को लिखवा चुके तो सहाबा(रज़ि.) से फ़रमाया कि उठो और जानवरों को ज़बह कर दो और उसके बाद सिर मुड़वा लो। रिवायत करने वाले कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, कोई सहाबी नहीं उठा, यहां तक कि आपने यह बात तीन बार दोहराया। जब कोई नहीं उठा तो आप (सल्ल.) उम्मे सलमा के पास गये और उनसे लोगों के रवैये के बारे में बताया। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या वास्तव में आप ऐसा चाहते हैं? आप निकलिए और किसी से कुछ न कहिए। फिर अपने जानवर को ज़बह कीजिये और हज्जाम को बुलाकर सिर के बाल उतरवा लीजिए। अतः आप (सल्ल.) निकले। किसी से भी बात नहीं की। यहां तक कि आपने अपना जानवर ज़बह कर दिया और हज्जाम को बुलाकर बाल उतरवा लिये। जब सहाबा किराम ने यह देखा। तो वे भी खड़े हो गये। उन्होंने अपने जानवरों को ज़बह किया और एक दूसरे के बाल उतारने लगे। (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे सलमा का मुसीबत का सामना कर रहे कुछ मर्दों से हमदर्दी करना :

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता कअ़ब बिन मालिक, जो कि उन तीन लोगों में से एक थे। जिनकी तौबा स्वीकार की गई थी। को कहते हुए सुना कि वह मात्र दो युद्धों में नबी (सल्ल.) से पीछे रह गये थे। उनमें से एक युद्ध

'अल–उसरा' है। और एक युद्ध 'बद्र'। कअब बिन मालिक कहते हैं कि मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं चाश्त के समय नबी (सल्ल.) से सच्ची बात बता दूं। नबी (सल्ल.) हमेंशा सफ़र से चाश्त (सूरज चढ़ने के बाद) के वक़्त लौटते थे। फिर मस्जिद जाते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते, आपने (सल्ल.) लोगों को मुझसे और मेरे दोनों साथियों से बात करने से मना

कर दिया। जबकि हमारे अतिरिक्त पीछे रह जाने वाले और लोगों में से किसी से भी बात करने से किसी को मना नहीं किया। लोग हमसे बात करने से बचने लगे। मैं इसी हाल में रहा, यहां तक कि यह स्थिति मेरे लिए बहुत कष्टदायक रहने लगी। मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर मैं मर जाता हूं । तो नबी (सल्ल.) मेरी ज़नाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। या अगर इसी हालत में नबी (सल्ल.) की मौत हो जाती है तो कोई भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा और न ही मेरी ज़नाज़े की नमाज़ पढ़ेगा। फिर अल्लाह ने रात के तीसरे पहर हमारी तौबा नबी (सल्ल.) पर उतारी। उस वक़्त आप (सल्ल.) हज़रत उम्मे सलमा के पास थे। उम्मे सलमा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं। और इस मसले में मेरा बहुत सहयोग करती थीं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ऐ उम्मे सलमा (रज़ि.) कअब् की तौबा स्वीकार कर ली गई। उन्होंने कहा कि क्या मैं किसी को भेजकर उन्हें ख़ुशख़बरी न दे दूं । आपने फ़रमाया ऐसी स्थिति में लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे और तुम्हें रात भर सोने न देंगे। जब नबी (सल्ल.) ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ ली। तब आप (सल्ल.) ने हमारी तौबा कुबूल होने की बात बतायी। जब आप (सल्ल.) ख़ुश होते तो आप का चेहरा खिल उठता। मानों कि आपका चेहरा चांद का एक टुकड़ा हो। हम तीन लोग थे जिन्होंने लड़ाई में पीछे रह जाने पर सही बात बताकर विवशता प्रस्तुत की थी। अल्लाह ने उनकी तौबा स्वीकार होने की 'वह्य' उतरी लेकिन दूसरे जो लोग युद्ध में पीछे रह गये थे और जिन्होंने झूठे बहाने बनाकर विवशता प्रकट की थी उनका बहुत कठोर भाषा में उल्लेख हुआ। अल्लाह ने फ़रमाया, जब तुम पलटकर उनके पास पहुंचोगे तो वे तरह तरह के बहाने प्रस्तुत करेंगें। परन्तु तुम साफ़ कह देना कि बहाने न करो। हम तुम्हारी किसी बात पर भरोसा न करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी हालत बता दी है। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल को देखेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) का दूर दराज़ के मुसलमानों के हालात मालूम करना :

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शम्मास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत आयशा से एक मसला पूछने के लिए गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सम्बन्ध कहां से है। मैंने कहा। मेरा सम्बन्ध मिश्र से है उन्होंने पूछा कि तुम्हारा शासक तुम्हारे मुजाहिदों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने जवाब दिया कि हमने उनकी तरफ़ से कोई ग़लत बात महसूस नहीं की। अगर हममें से किसी का ऊँट मर जाता है। तो वह उसे ऊँट दे देता है और अगर किसी का दास मर जाता है। तो वह उसे दास प्रदान कर देता है और अगर किसी को दैनिक ख़र्च की आवश्यकता होती है तो वह उसे दे देता है। हज़रत आयशा ने फ़रमाया, सुनो, उसने मेरे भाई मुहम्मद बिन अबू बक्र के साथ जो कुछ किया। वह मामला मुझे नबी (सल्ल.) की वह बात बताने से नहीं रोक सकता। जो मैंने आपको इस घर में कहते हुए सुनी है। आपने फ़रमाया कि ऐ अल्लाह! जो मेरी उम्मत का शासक बनाया

जाये। फिर वह उन पर कठोरता बरते, तो तू भी उस पर कठोरता का मामला कर! और जो मेरी उम्मत का शासक बनाया जाये और फिर वह उन पर नरमी करे। तो तू भी उस पर नरमी कर! (मुस्लिम)

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का ख़िलाफ़त के एक मामले पर चिन्तित होनाः

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत हफ़्सा (रज़ि) के पास गया तो उन्होनें कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता किसी को अपना ख़लीफ़ा नियुक्त नहीं कर रहे हैः। इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते। हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा कि वह ऐसा ही कर रहे हैं। इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने पिता से इस सिलसिले में बात करने की क़सम खायी। फिर हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) चुप हो गयीं। फिर मैं अपने पिता के पास आया, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इब्ने उमर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों पर एक पहाड़ हो। अतः फिर लौटकर आया और अपने पिता के पास गया वह मुझसे लोगों के हालात पूछते और मैं उनका जवाब देता। इब्ने उमर कहते हैं कि फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने लोगों को कुछ बात करते हुए सुना तो मैंने क़सम खायी कि मैं वह बात आपसे कहूंगा। लोग कहते हैं। कि आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे, आप बताइये अगर आपके ऊँटों या बकरियों का कोई चरवाहा हो। फिर वह उन ऊँटो और बकरियों को छोड़कर आपके पास आ जाये तो क्या वह नष्ट नहीं हो जायेंगे? फिर इन्सानों की देख भाल और निगरानी तो और अधिक अनिवार्य हैं। इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरी बात से सहमति जतायी। थोड़ी देर के लिये उन्होंने अपना सिर बिस्तर पर रख दिया। फिर मेरी तरफ़ सिर उठाकर कहा कि अल्लाह अपने दीन की रक्षा करने वाला है। अगर मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त न करूं तो नबी (सल्ल.) ने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था और अगर मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं तो हज़रत अबू बक्र ने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे पिता ने जैसे ही नबी (सल्ल.) और हज़रत अबू बक्र का नाम लिया तो मैं समझ

गया कि वह नबी (सल्ल.) के बराबर किसी को समझने वाले नहीं हैं। अतः वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) की एक बड़े सहाबी को नमाज़ जनाज़ा पढ़ने की इच्छाः

हज़रत ओबादा बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) ने यह आदेश दिया कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास का जनाज़ा मस्जिद से होकर ले जाया जाये ताकि वह उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकें। लोगों ने हज़रत आयशा के इस अमल को नापसन्द किया तो उन्होंने कहा कि लोग कितनी जल्दी भूल गये कि नबी (सल्ल.) ने सुहेल बिन बैज़ाअ् की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ी थी। (मुस्लिम)

चतुर्थः विभिन्न उद्देष्यों के लिए नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास मर्दों का जाना।

मर्दों का नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास प्रशंसा और सम्मान के लिए जानाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम एक सफ़र में नबी करीम (सल्ल.) के साथ निकले। हम अभी बैज़ाअ या ज़ातुल जैश नामक स्थान में थे कि मेरा एक हार खो गया। उसको तलाश करने के लिए नबी करीम (सल्ल.) वहां रूक गये और सहाबा किराम भी रूक गये, वहां पर पानी नहीं था कुछ लोग हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के पास आये औंर कहा क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आयशा ने क्या कर रखा है? उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा को रोक रखा है हालांकि न ही इस क्षेत्र में पानी है और न ही सहाबा के पास पहले से पानी है। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि अबू बक्र (रज़ि.) ने मुझे बहुत अधिक बुरा भला कहा और वह अपने हाथ से मेरी कमर में कचोका लगाने लगे। मैं सिर्फ़ इस वजह से हिल नहीं रही थी कि नबी करीम (सल्ल.) मेरी जांघो पर सो रहे थे। जब नबी करीम (सल्ल.) सवेरे उठे तो पानी मौजूद नहीं था। फिर अल्लाह ने तयम्मुम वाली आयत उतारी तो तमाम लोगों ने तयम्मुम किया (साफ़ मिट्टी हाथों और चेहरे पर मल कर पवित्रता प्राप्त करना)। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। आपके साथ जब भी कोई नापसन्दीदा मामला हुआ। अल्लाह तआला ने उसमें आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिये भलाई ही रखी है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मर्दों का नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास भलाई का आदेश देने के लिये जानाः

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैं एक मसले में सोच रहा था कि मेरी बीवी ने कहा आप इस तरह क्यों नहीं कर लेते। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे मसले से क्या मतलब? उन्होंने कहा ऐ ख़त्ताब के बेटे! आप पर आश्चर्य है आप नहीं चाहते कि आपसे बहस की जाये। हालांकि आपकी बेटी नबी करीम (सल्ल.) से बहस करती है जिसके कारण नबी (सल्ल.) दिन भर उससे नाराज़ रहते हैं। हज़रत उमर उठे, अपनी चादर उठायी और हज़रत हफ़्सा के पास जा पहुंचे, और उनसे कहा ऐ बेटी क्या तुम नबी करीम (सल्ल.) से इस तरह बहस करती हो कि वह दिन भर तुमसे नाराज़ रहते है? हज़रत हफ़्सा (सल्ल.) ने कहा अल्लाह की क़सम, हम नबी करीम (सल्ल.) से बहस करते हैं। यह सुनकर मैंने कहा कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अल्लाह की यातना और नबी करीम (सल्ल.) की नाराज़गी से बचने के लिए कहा है। ऐ बेटी तुम उससे धोखा मत खाओ जो अपनी सुन्दरता के कारण समझती है कि नबी करीम (सल्ल.) उससे प्रेम करते

हैं। उनका संकेत हज़रत आयशा (रज़ि.) की तरफ़ था। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैं वहां से निकल गया और उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास गया। क्योंकि मेरी उनसे रिश्तेदारी थी। मैंने उनसे बात की तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि ऐ ख़त्ताब के बेटे आप पर आश्चर्य है। आपने हर मामले में हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया है आप नबी करीम (सल्ल.) और उनकी बीवियों के बीच भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं? उन्होंने ज़ोरदार तरीक़े से मेरी पकड़ की यहां तक कि मेरे दिल में जो कुछ था वह जाता रहा। मुस्लिम की रिवायत में हैः हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि फिर मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया। मैंने कहा कि ऐ अबू बक्र (रज़ि.) की बेटी क्या तुम्हारा मामला यहां तक बढ़ गया है कि तुम नबी (सल्ल.) को कष्ट पहुंचाती हो। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा ऐ ख़त्ताब के बेटे! मेरा और आपका क्या सम्बन्ध! आप अपने घर वालों को देखिये...

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि परदे के अनिवार्य होने से पहले हज़रत सौदा (रज़ि.) किसी आवश्यकता से बाहर निकलीं। वह बहुत भारी भरकम थीं, जो उन्हें जानता था वह उससे छिप नहीं सकती थीं। हज़रत उमर (रज़ि.) की निगाह उनपर पड़ी तो उन्होंने कहा। ऐ सौदा अल्लाह की क़सम आप हम लोगों से छिप नहीं सकतीं। अतः अपने बाहर निकलने के बारे में सोचिये, हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत सौदा वहीं से लौट आयीं उस वक़्त नबी करीम (सल्ल.) मेरे पास रात का खाना खा रहे थे। आप (सल्ल.) के हाथ में गोश्त लगी हुई एक हड्डी थी। हज़रत सौदा (रज़ि.) आयीं और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मैं अपने एक काम से निकली थी तो हज़रत उमर (रज़ि) ने मुझसे इस तरह कहा। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती है कि उस समय अल्लाह ने नबी करीम (सल्ल.) पर 'वहय' उतारी, जब वहय उतर चुकी तो उस वक़्त भी आप (सल्ल.) के हाथ में वही गोश्त लगी हुई हड्डी थी। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोगों को अपने काम से घर से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई है। (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज़रत सईद बिन हिशाम फ़रमाते हैं.............. मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) की तरफ़ चला। रास्ते में हकीम बिन अफ़्लह के पास आया और मैंने उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आयशा (रज़ि.) के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनको उन दोनों गिरोहों के बारे में कुछ भी कहने से रोका था। लेकिन वह उससे नहीं रूकीं। सईद (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैंने हकीम (रज़ि.) को क़सम दी। तो वह हमारे साथ हो लिये, फिर हम हज़रत आयशा (रज़ि.) की तरफ़ चले। हमने उनके पास आने की अनुमति चाही। तो उन्होंने हम लोगों को अनुमति दे दी। अतः हम लोग उनके पास गये। तो उन्होंने पूछा क्या हकीम हैं? (उन्होंने हकीम को पहचान लिया) उन्होंने कहा कि हां... (मुस्लिम)

मर्दों का नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास मिलने के लिए जानाः

हज़रत मस्रूक़ फ़रमाते हैं कि हम लोग हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गये। उनके पास हज़रत हस्सान बिन साबित (रज़ि.) थे जो उन्हें अशआ़र सुना रहे थे। उन्होंने एक शेअ़र सुनाया

(आप पवित्र दामन वाली और गम्भीर हैं। आप पर सन्देह नहीं किया जा सकता। आपने कभी किसी की पीठ पीछे बुराई बयान नहीं की)

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने उनसे कहा लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। मस्रूक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से कहा कि आप इनको अपने पास आने की अनुमति ही क्यों देती हैं? हालाकिं अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः ''और उनमें से जिस व्यक्ति ने उसकी ज़िम्मेदारी (झूठा आरोप) का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर लिया उसके लिये बड़ी यातना है'' (सूरह नूरः11) हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा अन्धेपन से बढ़कर और क्या सज़ा हो सकती है? उन्होंने मस्रूक़ से कहा कि हस्सान नबी करीम (सल्ल.) का बचाव किया करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अस्वद कहते हैं कि क़ुरैश के कुछ नौजवान हंसते हुए हज़रत आयशा के पास गये। उस वक़्त हज़रत आयशा (रज़ि.) 'मिना' में थीं। उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो? उन लोगों ने बताया कि आमुक व्यक्ति तम्बू की रस्सी पर गिर गया। उसकी गरदन या आंख जाने के क़रीब थी।

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मत हंसो क्योंकि मैंने नबी करीम (सल्ल.) को कहते हुए सुना है कि जब भी किसी मुसलमान को कॉटा चुभता है या उससे कम कोई भी कष्ट पहुंचता है तो उसके बदले उसके लिये जन्नत में एक उच्च श्रेणी लिखी जाती है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। (मुस्लिम)

मर्दों का नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास किसी की सिफ़ारिश के लिए जानाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उनको यह बताया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने क्रय–विक्रय या उपहार के मामले में यह कहा कि अल्लाह की क़सम या तो आयशा (रज़ि.) इससे रूक जायें या फिर मैं उनको निश्चय ही इससे रोक दूंगा। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने पूछा कि क्या अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने ऐसी बात कही हैं। लोगों ने कहा हां, हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं अल्लाह के लिये मन्नत मानती हूं कि मैं इब्ने ज़ुबैर से कभी भी बात नहीं करूंगी, जब दोनों के बीच दूरी अधिक बढ़ गई तो इब्ने ज़ुबैर ने अन्य लोगों से सिफ़ारिश करवाई, हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा अल्लाह की क़सम मैं किसी की सिफ़ारिश नहीं मानूंगी, और मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगी। जब इब्ने ज़ुबैर पर यह बात बहुत भारी लगने लगी तो उन्होंने मिस्वर बिन मख़रमा और अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बिन अब्दे यग़ूस से बात की। उन दोनों का सम्बन्ध बनू ज़ुहरा के क़बीले से

था। इब्ने ज़ुबैर ने उन दोनों से कहा कि मैं आप दोनों को अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं कि मुझे हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास ले चलिये। उनके लिए वैध नहीं कि वह मुझसे सम्बन्ध तोड़ने की मन्नत मानें। अतः मिस्वर और अब्दुर्रहमान अपनी चादरें ओढ़कर इब्ने ज़ुबैर को लेकर आये। उन दोनों ने हज़रत आयशा (रज़ि.) से अनुमति चाही और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू । क्या हम अन्दर आ सकते हैं? हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि आ जाओ, उन्होंने पूछा कि क्या हम सब आ जायें, हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा हां सब आ जाओ। वह नहीं जानती थीं कि उनके साथ इब्ने ज़ुबैर भी हैं। जब वे लोग अन्दर आये तो इब्ने ज़ुबैर हज़रत आयशा को अल्लाह का वास्ता देने लगे और रोने लगे। मिस्वर और अब्दुर्रहमान ने भी उनको बात कर लेने के लिये कहा लेकिन न ही उन्होंने बात की और न ही उन दोनों की बात मानी। वे दोनों कह रहे थे कि आप जानती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने किसी मुसलमान भाई से बातचीत छोड़ देने से मना फ़रमाया है। किसी भी मुसलमान के लिए वैध नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से अधिक छोड़ दे। जब उन्होंने बार–बार हज़रत आयशा (रज़ि.) को यह हदीस याद दिलायी तो वह रोने लगीं और कहने लगीं। मैंने तो मन्नत मान ली है और यह मन्नत बहुत कड़ी है। लेकिन वे दोनों उनके पीछे लगे रहे यहां तक कि उन्होंने इब्ने ज़ुबैर से बात कर ली। और अपनी मन्नत के टूटने पर चालीस दासों को आज़ाद किया। बाद में वह अपनी इस मन्नत को याद करके रोती थीं। यहां तक कि आंसुओं से उनकी ओढ़नी भीग जाती थी। (मुस्लिम)

मर्दों का नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के पास बीमारी में हाल पूछने जानाः

अबू मुलैका फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) की मौत से पहले हज़रत हब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनके पास आने की अनुमति चाही, उस समय हज़रत आयशा की बेहोशी की हालत थी। उन्होंने कहा। मुझे डर है कि इब्ने अब्बास मेरी प्रशंसा करेंगे। उनसे कहा गया कि वह नबी करीम (सल्ल.) के चचेरे भाई हैं और मुसलमानों में बड़े लोगों में हैं। उन्होंने कहा उन्हें अन्दर आने की अनुमति दे दो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने पूछा कैसी तबीयत है? उन्होंने उत्तर दिया कि अगर मैं अल्लाह के यहां बच जाऊँ तो अच्छी हूं । इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि इन्शा अल्लाह आपके साथ अच्छाई ही का मामला होगा। क्योंकि आप नबी करीम (सल्ल.) की बीवी हैं। नबी करीम (सल्ल.) ने आपके अतिरिक्त किसी और कुंवारी लड़की से शादी नहीं की। अल्लाह ने आपकी पवित्रता आसमान से उतारी। एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा ऐ उम्मुल मोमिनीन आप तो ऐसी जगह जायेंगी जहां आप के सच्चे पूर्वज अर्थात नबी करीम (सल्ल.) और हज़रत अबू बक्र मौजूद हैं।

(बुख़ारी)

पांचवां : नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का मुसलमानों को सुन्नत की शिक्षा देनाः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फरमाते है कि तीन लोग नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के घर आ गये। ताकि वह आपकी इबादत के बारे में उनसे मालूम करें। जब उन्हें आपकी इबादत बता दी गई तो उन्होंने उसे कम समझा और कहा कि हमारा आपसे (सल्ल) क्या जोड़। अल्लाह तआला ने तो आपके तमाम अगले पिछले गुनाह क्षमा कर दिये हैं।, उनमें से एक ने कहा कि मैं हमेंशा रात भर नमाज़ पढूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं ज़िन्दगी भर रोज़ा रखूंगा और कभी रोज़ा नहीं छोडूगा, तीसरे ने कहा। कि मैं औरतों से दूर रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। इतने में नबी (सल्ल.) आ गये और आपने फ़रमाया क्या तुम्ही लोगों ने ऐसा–ऐसा कहा है। सुनो अल्लाह की क़सम मैं तुममें सबसे अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं, लेकिन मैं रोज़ा भी रखता भी हूं और नहीं भी रखता। मैं नमाज़ भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, और मैं शादी भी करता हूं । अतः जो मेरे रास्ते से हटा उसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि बड़ों का अनुसरण करने के लिए उनके हालात को जानना चाहिए और अगर ये हालात मर्दों से मालूम न हो सकें, तो औरतों से मालूम करना वैध है।

हज़रत अलक़मा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से पूछा कि नबी (सल्ल.) का अमल कैसा था। क्या आप अमल के लिये कुछ दिनों को निर्धारित कर दिया करते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, बल्कि आप (सल्ल.) हर अमल लगातार किया करते थे। आप जितना कुछ कर लेते थे वह तुममें से कौन कर सकता है? (मुस्लिम)

हज़रत शुरैह बिन हानी हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत करते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है और जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। हज़रत शुरैह कहते हैं कि फिर मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया और कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन मैंने हज़रत अबू हुरैरह से नबी (सल्ल.) की एक हदीस सुनी है। अगर वह सहीह है तब तो हम तबाह हो गये। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने पूछा कि अल्लाह के रसूल का कौन सा कथन है जिससे कोई व्यक्ति तबाह हो सकता है। उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) का ये इरशाद है कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है। अल्लाह भी उससे मिलना मिलना चाहता है और जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहता अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहता हालांकि हममें से हर व्यक्ति का हाल यह है कि वह मौत को नापसन्द करता है।

हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि नबी (सल्ल.) ने यह बात कही है। लेकिन इसका वह अर्थ नहीं है जो तुम समझ रहे हो बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मौत के समय निगाहें उठ जायें, सीने से आवाज़ आने लगे। खालें खिंचने लगें और उंगलियां सिकुड़ जायें

उस वक़्त जो अल्लाह से मिलना चाहेगा अल्लाह भी उससे मिलना चाहेगा और उस वक़्त जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहेगा, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहेगा। (मुस्लिम)

हज़रत उबैदुल्लाह बिन क़िब्तीया फ़रमाते हैं कि हारिस बिन अबी रबीअस और अब्दुर्रहमान बिन सफ़वान उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गये। उनके साथ मैं भी था उन दोनों ने उनसे उस सेना के बारे में पूछा जो ज़मीन में धंसा दी जायेगी (ऐसा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के ज़माने में हुआ)। उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, एक पनाह लेने वाला अल्लाह के घर कअ़बा में पनाह लेगा तो उसकी तरफ़ एक सेना भेजी जायेगी। यह सेना अभी चटियल मैदान में ही होगी कि उसे ज़मीन में धंसा दिया जायेगा, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल जो व्यक्ति इस सेना में ज़बरदस्ती मिला लिया गया हो उसका क्या होगा? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया वह भी उसके साथ ही धंसा दिया जायेगा, लेकिन क़यामत के दिन उसके साथ उसकी नीयत के अनुसार मामला होगा। (मुस्लिम)

हज़रत उमैया बिन सफ़वान कहते हैं कि उन्होंने अपने दादा को कहते हुए सुना कि मैंने हज़रत हफ़्सा को यह कहते हुए सुना कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, इस अल्लाह के घर को उस सेना से बचा लिया जायेगा जो इस पर हमला करेगी। जब यह सेना चटियल मैदान में होगी तो उसके बीच का हिस्सा ज़मीन में धंसा दिया जायेगा, फिर आगे का हिस्सा पिछले हिस्से को आवाज़ देगा, फिर उन सभी को धंसा दिया जायेगा। हां सिर्फ़ थोड़े से ऐसे लोग बचेंगे जो धंसने वालों की कहानी सुनायेंगे। एक व्यक्ति ने कहा। मैं गवाही देता हूं कि आपने हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने यह हदीस नबी (सल्ल.) से गलत बयान नहीं की।

हज़रत सुमामह बिन हुज्न अल कुशैरी फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से मुलाक़ात की और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा, हज़रत आयशा (रज़ि.) ने एक हब्शी दासी को बुलाया और कहा कि इससे पूछो, क्योंकि यह नबी (सल्ल.) के लिए नबीज़ बनाया करती थी। उस दासी ने कहा कि मैं नबी (सल्ल.) के लिये एक मिशकीज़े में नबीज़ बनाती थी। फिर उसके मुंह को बन्द करती और उसे लटका देती थी जब सुबह होती तो नबी (सल्ल.) उससे नबीज़ पी लिया करते थे। (मुस्लिम)

हज़रत ज़ुरारा बयान करते हैं कि सअ़द बिन हश्शाम बिन आमिर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिये मदीना आये। उन्होंने चाहा कि मदीने में मौजूद अपनी सम्पत्ति बेच दें, और उससे हथियार और सवारी का जानवर ख़रीद लें, फिर रूम से जेहाद करें यहां तक कि उनको शहादत मिले। मदीना आने पर कुछ लोगों से उनकी मुलाक़ात हुई उन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया और बताया कि नबी (सल्ल.) की ज़िन्दगी में छः लोगों ने ऐसा करना चाहा था लेकिन आपने उन्हें मना कर दिया और फ़रमाया कि क्या मेरा जीवन तुम्हारे लिये आदर्श नहीं है। जब लोंगो ने उनको यह बात बतायी तो उन्होंने अपनी बीवी से रूजूआ (तलाक़ वापस) कर लिया। जिनको वह पहले तलाक़ दे चुके थे और रूजूअ़ के समय कुछ लोगों को गवाह बनाया फिर वह हज़रत इब्ने अब्बास के पास आये और उनसे नबी (सल्ल.) के वित्र के बारे में पूछा, इब्ने अब्बास ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे

व्यक्तित्व के बारे में न बताऊँ जो इस ज़मीन पर आप (सल्ल.) के वित्र के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखती है। उन्होंने पूछा कि वह कौन है। इब्ने अब्बास ने बताया कि वह हज़रत आयशा हैं। उनसे जाकर इस सिलसिले में पूछो, फिर मुझे उनका उत्तर बताओ। अतः मैं हज़रत आयशा की तरफ़ चला। मैं हकीम बिन अफ़्लह के पास आया और उनसे अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आयशा के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उनको उन दोनों गिरोहों के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया था। लेकिन वह नहीं मानी। सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने उनको क़सम दी तो वह मेरे साथ चल दिये। अतः हम हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास आये और हमने उनसे अनुमति चाही तो उन्होंने अनुमति दे दी। अतः हम उनके पास गये उन्होंने पूछा क्या हकीम हैं? हकीम ने जवाब दिया 'जी हां'। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है। हकीम ने जवाब दिया कि मेरे साथ सअ़द बिन हश्शाम हैं उन्होंने कहा कौन हश्शाम? उन्होंने ने जवाब दिया कि आमिर के बेटे। हज़रत आयशा ने आमिर (रज़ि.) के लिये दया की दुआ की और उनके बारे में अच्छी बातें कहीं, (क़तादा कहते हैं कि आमिर उहद के दिन शहीद हो गये थे) मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, मुझे नबी (सल्ल.) के बारे में बताइये, उन्होंने कहा कि क्या तुम क़ुरआन नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा क्यों नहीं? उन्हाने कहा क़ुरआन ही आपका(सल्ल.) चरित्र था। सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि मैं उठ चलूँ और अपनी मौत तक किसी से कुछ न पूछूं, फिर मेरे मन में आया तो मैंने आप (रज़ि.) से पूछा कि मुझे नबी (सल्ल.) के तहज्जुद (कयामे लैल) के बारे में बताइये, उन्होंने कहा कि क्या तुम सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्यों नहीं उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इस सूरह के प्रारम्भिक भाग में तहज्जुद को अनिवार्य किया था। नबी (सल्ल.) और सहाबा (रज़ि.) ने एक साल तक तहज्जुद पढ़ा इस सूरह के अन्तिम भाग को अल्लाह ने बारह महीनों तक आसमान पर रोके रखा यहां तक कि अल्लाह ने इस अन्तिम भाग में इसे कम करने का आदेश उतारा। इस तरह तहज्जुद फ़र्ज़ से नफ़्ल (अतिरिक्त) कर दिया। सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आप मुझे नबी (सल्ल.) के वित्र के बारे में बताइये। उन्होंने कहा कि हम लोग आपके लिए मिस्वाक (दतुअन) और सफ़ाई के लिये पानी तैयार करके रख देते थे। फिर आप रात के किसी पहर उठते मिस्वाक करते, वुज़ू करते फिर आप नौ रक्अत नमाज़ पढ़ते जिसमें आप (सल्ल.) केवल आठवीं रक्अत में कअ़द। (बैठते) करते, उसमें अल्लाह का नाम लेते, उसकी हम्द् (प्रसंशा) करते और दुआएं करते। फिर आप बिना सलाम फेरे खड़े हो जाते और नवीं रक्अ़त पढ़ते, फिर उसमें कअ़दा करते अल्लाह का नाम पढ़ते उसकी प्रशंसा करते, उससे दुआंए करते, फिर आप इतनी ऊँची आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें आवाज़ आ जाती। सलाम फेरने के बाद आप बैठकर दो रक्अत नमाज़ पढ़ते इस तरह ऐ बेटे ये ग्यारह रबअतें हो जाती हैं, जब आपकी उम्र अधिक हो गई और आपके शरीर पर गोश्त चढ़ गया। तो आप ने सात रक्अत वित्र की नमाज़ पढ़ी और अन्त की दो रक्अतें उसी तरह बैठ कर पढ़ीं जिस तरह पहले पढ़ते

थे। इस तरह ऐ बेटे! ये नौ रकअ़ते हुईं, जब नबी (सल्ल.) कोई अमल करते तो उसे हमेंशा करना पसन्द करते थे। अगर आप नींद या किसी कष्ट के कारण तहज्जुद न पढ़ पाते तो आप उसके बदले दिन में बारह रक्अ़तें पढ़ते। मुझे नहीं मालूम कि नबी (सल्ल.) ने एक रात में पूरा क़ुरआन पढ़ा हो। या आपने रमज़ान के अतिरिक्त किसी दूसरे महीने में पूरे महीने का रोज़ा रखा हो। सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि फिर मैं इब्ने अब्बास के पास गया और उन्हें यह हदीस सुनायी, उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा ने सच फ़रमाया, अगर मैं उनके पास होता। या जाता, तो यह सब कुछ उनसे सीधे स्वयं सुनता। सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने कहा। अगर मुझे मालूम होता कि आप उनके पास नहीं जाते हैं। तो मैं उनकी बात आपको न बताता। (मुस्लिम)

क़ुरैब (रह.) कहते हैं कि इब्ने अब्बास, मिस्वर मिन मख़रमा और अब्दुर्रहमान बिन अज़हर (रज़ि.) ने उनको हज़रत आयशा के पास भेजा और कहा कि हमारा उनको सलाम कहो और उनसे अस्र के बाद दो रक्अतों के बारे में मालूम करो और उनसे कहना कि हमें यह मालूम हुआ है कि आप अस्र के बाद दो रक्अत नमाज़ पढ़ती हैं और यह भी मालूम हुआ है कि नबी (सल्ल.) ने अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ने से मना फ़रमाया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा। मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ लोगों को (अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ने पर) मारा करता था। क़ुरैब कहते हैं कि मैं आयशा के पास गया और उन तक इन लोगों की बात पहुंचा दी। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा कि इस सिलसिले में उम्मे सलमा से पूछो। मैं उन लोगों के पास गया और उन्हें हज़रत आयशा (रज़ि.) की बात बतायी, तो उन्होंने उसी सवाल के साथ मुझे उम्मे सलमा के पास भेज दिया। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि मैंने नबी (सल्ल.) को अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ने से मना करते हुए सुना है। फिर मैंने एक बार अस्र के बाद दो रक्अत पढ़ते हुए देखा। उसके बाद आप मेरे पास आये। उस वक़्त मेरे पास अन्सार की कुछ औरतें थीं। मैंने आपके पास दासी को भेजा और उससे कहा कि तुम नबी (सल्ल.) के पहलू में खड़ी हो जाना और कहना कि उम्मे सलमा आपसे पूछ रहीं हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपको अस्र के बाद दो रक्अतें पढ़ने से मना करते हुए सुना है। लेकिन मैं आपको वही अमल करते हुए देख रही हूं? अगर आप (सल्ल.) अपने हाथ से इशारा करें तो पीछे हट जाना, दासी ने ऐसा ही किया। आपने हाथ से संकेत दिया तो वह पीछे हट गई। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमाया ऐ अबू उमैया की बेटी। तुमने मुझसे अस्र के बाद दो रक्अतों के बारे में पूछा है। मेरे पास क़बीला अब्दे क़ैस के कुछ लोग आ गये थे। उनके कारण मैं ज़ुहर के बाद दो रक्अ़त नमाज़ नहीं पढ़ सका। ये दो रक्अतें वही हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू सलमा फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आया, हज़रत अबू हुरैरह भी वहीं बैठे हुए थे। उसने कहा कि मुझे बताइये कि उस औरत का क्या आदेश है जिसने अपने पति के मौत के चालीस दिन बाद बच्चे को जन्म दिया हो। इब्ने अब्बास रज़ि ने फ़रमाया कि (अगर गर्भवती का पति मर जाये तो) वह लम्बी मुद्दत पूरी

करे। मैंने कहा ''गर्भवती औरत की इद्दत की मुद्दत प्रसव है'' (क़ुरआन) हज़रत अबू हुरैरह ने फ़रमाया, मैं अपने भतीजे अबू सलमा से सहमत हूं हज़रत इब्ने अब्बास ने अपने दास क़ुरैब को उम्मे सलमा के पास मसला पूछने के लिये भेजा, उम्मे सलमा ने फ़रमाया कि जब सबीआ असलमीया के पति शहीद हो गये। उस वक़्त वह गर्भवती थीं। उनके पति की मौत के चालीस दिन बाद उनके यहां बच्चे का जन्म हुआ फिर उन्हें शादी का सन्देश दिया गया। फिर नबी (सल्ल.) ने उनकी शादी कर दी। अबू सनाबिल भी उनको शादी का सन्देश देने वालों में से थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हम अन्त में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के अपने आस–पास के समाज से जुड़े रहने की एक और मिसाल प्रस्तुत करके, इस बहस को समाप्त करते हैं। यह मिसाल यद्यपि बुख़ारी व मुस्लिम से नहीं ली गई है। लेकिन यह मज़बूत दलील है। साथ ही साथ इस मिसाल से यह भी पता चलेगा कि मुसलमान औरतें मर्दों के साथ सामाजिक जीवन में भाग लिया करती थीं।

हज़रत आयशा बिन्ते तलहा फ़रमाती हैं कि मैंने हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र से कहा। मैं उस समय उनके पालन पोषण में थी। लोग हर शहर से उनके पास आते थे। हज़रत आयशा से मेरी निकटता के कारण बहुत से बूढ़े लोग मेरे पास आया करते थे। नौजवान मुझे अपनी बहन बना लिया करते थे और मुझे उपहार देते थे और विभिन्न शहरों से पत्र लिखा करते थे। तो मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहती कि ऐ ख़ाला यह आमुक व्यक्ति का ख़त और उपहार आया है। हज़रत आयशा मुझसे कहतीं कि ऐ बेटी! तुम इसका जवाब लिखो, और उपहार का बदला दो। अगर तुम्हारे पास उपहार देने के लिए कुछ न हो। तो मैं दे दूंगी। आयशा बिन्ते तलहा कहती हैं कि हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र मुझे उपहार देने के लिए चीज़ें दिया करती थीं।

नोटः नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के बारे में ये हदीसें और गवाहियां एक बार फिर उस जगह आयेंगी जहां हम जीवन के विभिन्न मैदानों में सामान्य मोमिन औरतों की मर्दों से मुलाक़ात की गवाहियां प्रस्तुत करेंगे क्योंकि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के बारे में आदेश वही है जो सामान्य महिलाओं के हैं। हां, मात्र एक आदेश परदा, उनके साथ विशेष है। लेकिन परदे की इस अनिवार्यता ने उन्हें अपने आस–पास के जीवन से अलग होने पर मज़बूर नहीं किया। इसीलिये आप (सल्ल.) की पाक बीवियों ने समाज और लोगों के साथ उसी तरह सम्बन्ध रखा। जिस तरह सामान्य महिलायें रखतीं थीं। परन्तु केवल एक अन्तर के साथ कि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियां सारे सम्बन्ध परदे के साथ से रखती थीं।

अध्याय 5

नबवी युग के सामाजिक जीवन में मुसलमान महिला की भागीदारी की घटनायें:

भूमिका

यहां पर हम हदीस से जो दलीलें प्रस्तुत करेंगे उसमें निम्नलिखित बातें होगी।

1. जीवन के तमाम सामान्य व असामान्य मैदानों में मर्दों और औरतों की भागीदारी और उनके बीच मुलाक़ात पायी जाती है।

2. अधिकतर हदीसों में नौजवान औरतों या अधेड़ उम्र की औरतों का बयान है। बल्कि कुछ हदीसों में तो नई उम्र की लड़कियों का बयान है। इन हदीसों में उन बूढ़ी औरतों का बयान नहीं है जिनके बारे में अल्लाह ने फ़रमाया है ''और जो औरतें युवावस्था से गुज़रकर बैठ चुकी हों, जिन्हें विवाह की आशा न रह गई हो। उन पर कोई दोष नहीं कि वे अपने कपड़े (चादर) उतारकर रख दें जबकि वे शृंगार का प्रदर्शन करने वाली न हों। (सूरह नूर:90)

3. मैं इस किताब की प्रस्तावना में पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि कभी–कभी एक ही हदीस कई बातों की दलील होती है इसलिये कुछ हदीसें बार–बार आएंगी, एक हदीस के जितने भावार्थ होंगे वह उतनी ही बार बयान की जायेगी। मैं समझता हूं कि हदीस का बार–बार आना पढ़ने वालों के लिये इस बात से अधिक आसान है कि उनसे कहा जाये। कि इसके लिये आमुक अध्याय और आमुक पृष्ठ देखें। कभी–कभी हमने ऐसा किया है कि बार–बार आने वाली हदीस का मात्र वह टुकड़ा बयान किया है जिससे सीधे दलील बनाना वांछित होता है।

4. मैंने यहां पर हर संभव प्रयास किया है कि उन तमाम हदीसों व क़ुरआन की दलीलों को बयान कर दिया जाये। जो क़ुरआन और

बुख़ारी व मुस्लिम में मर्दों और औरतों की मुलाक़ात के बारे में आई हैं। उस समय मर्दों और औरतों के बीच गंभीर और सम्मानपूर्ण मुलाक़ात ही का प्रचलन था। और यही नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत थी। हमें एक भी ऐसी दलील नहीं मिली जिसमें इस्लामी शिष्टाचार को सामने रखते हुए मर्दों और औरतों की मुलाक़ात को नापसन्द किया गया हो। क़ुरआन और हदीस के साथ मेरा यह तरीक़ा रहा है। हां जहां तक इस सिलसिले में उलमा के मत का सम्बन्ध है तो मैंने केवल उन मतों का चुनाव किया है और दलीलें प्रस्तुत

करने के बाद उन्ही का बयान किया है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि विभिन्न मैदानों में मर्दों और औरतों की मुलाक़ात शरीअत से हट कर कोई नई बात नहीं है।

5. सामान्य दलीलों से यह पता चलता है कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के बीच मुलाक़ात अपने इरादे और अपने अधिकार से हुआ करती थी। कुछ दलीलें ऐसी भी हैं जिनमें मजबूरी में मुलाक़ात का बयान है। इसी तरह कुछ दलीलें ऐसी भी हैं जिनमें मुसलमान मर्दों और ग़ैर मुस्लिम औरतों के बीच की मुलाक़ात का बयान है। मैंने ये सारी दलीलें इसलिये बयान कर दी हैं ताकि पता चल जाये कि उस वक़्त मुस्लिम समाज कैसा था और उसमें मर्दों और औरतों के बीच मुलाक़ात किस तरह हुआ करती थी।

6. यह तमाम दलीलें जहां एक तरफ़ जीवन के तमाम सामान्य और विशिष्ट मैदानों से सम्बन्धित हैं। वहीं इनके अन्दर बहुत फैलाव भी है:

- उनमें से कुछ दलीलें अन्तिम या वरीयता प्राप्त हैं। जबकि कुछ दलींले दूसरे दर्जे की हैं। मैंने शरई आदेश बयान करने में केवल अन्तिम और वरीयता प्राप्त दलीलों पर भरोसा किया है।
- उनमें से कुछ दलीलें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध परदे की आयत उतरने के पहले के ज़माने से है। जबकि कुछ दलीलों का सम्बन्ध परदे की आयत उतरने के बाद के ज़माने से है। लेकिन दोनों तरफ़ की दलीलों से एक ही तरह का आदेश सिद्ध होता है। क्योंकि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि परदे का आदेश मात्र नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के लिए विशेष था। देखिये चौथे भाग का दूसरा अध्याय।
- उनमें से कुछ दलीलें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों से है, जबकि कुछ का सम्बन्ध सामान्य मोमिन महिलाओं से है।
- कुछ दलीलों में मात्र नबी करीम (सल्ल.) से औरत की मुलाक़ात का उल्लेख है। कुछ में सहाबा की मौजूदगी में नबी करीम (सल्ल.) से औरत की मुलाक़ात का बयान है। जबकि कुछ दलीलों में केवल किसी एक सहाबी या कई सहाबियों से औरत की मुलाक़ात का बयान है।
- कुछ दलीलों में किसी एक औरत की किसी एक मर्द या कई मर्दों से मुलाक़ात का बयान है जबकि कुछ दलीलों में औरतों के एक गिरोह का मर्दों के एक गिरोह से मुलाक़ात का बयान है।

कुछ दलीलों में छोटी सी सरसरी मुलाक़ात का बयान है जबकि कुछ दलीलों में लम्बी मुलाक़ात और बार–बार की मुलाक़ात का बयान है। इस मुलाक़ात के महत्व के कारण मैं यह बयान करना चाहता हूं कि इस मुलाक़ात के चार दर्जे हैं :

पहला दर्जा: घर के अन्दर सीमित और सरसरी मुलाक़ात जो किसी सामयिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये हो जैसे किसी चीज़ के बारे में पूछना हो। या कोई सवाल पूछना हो। या किसी भलाई की मांग करनी हो या दुआ एवं बरकत के लिए निवेदन

करना हो। या उपहार देना हो। या किसी बीमार की हालत मालूम करना हो। या किसी से शोक संवेदना प्रकट करनी हो।

दूसरा दर्जाः घर के बाहर सीमित व सरसरी मुलाक़ात, जैसे मस्जिद के कामों में भागीदारी, सवाल पूछना, किसी भलाई का आदेश देना, किसी से क़र्ज़ का वापस मांगना, किसी के अभिभावक से मिलना।

तीसरा दर्जाः घर के अन्दर लम्बी मुलाक़ात या बार–बार की मुलाक़ात जैसे देखने के लिये जाना, आतिथ्य सत्कार और घरेलू काम काज।

चौथा दर्जाः घर के बाहर लम्बी मुलाक़ात या बार–बार की मुलाक़ात जैसे युद्ध में भागीदारी सफ़र के दौरान मुलाक़ात, विभिन्न समारोहों और व्यावसायिक कामों में भागीदारी।

औरतों और मर्दों का आपस में सलाम का आदान प्रदान :

हज़रत अबू हाज़िम (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत सहल (रज़ि.) ने कहा। हम लोग जुमे के दिन बहुत प्रसन्न होते थे। मैंने सहल से पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी औरत थी। जो बज़ाआ नामक स्थान के बाग़ से चुकन्दर मंगाती थी। फिर उसे एक बरतन में डालकर जौ के दाने उसमें गोंद देती थी। जब हम जुमे की नमाज़ पढ़कर लौटते और उनको सलाम करते, तो वह हमको चुक़न्दर दिया करती थीं। हम इस वजह से ख़ुश हुआ करते थे। हमारी यह आदत थी कि हम लोग जुमें के बाद ही खाना खाते थे और कैलूला (दोपहर के खाने के बाद लेटना) किया करते थे। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने उनसे कहा। ऐ आयशा जिब्रील तुम्हें सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपको वह चीज़ भी दिखाई देती है जो हम नहीं देख सकते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये दोनों हदीसें मर्द का औरतों को सलाम करने और औरतों का मर्दों को सलाम करने के बयान में उल्लेख की हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी इस शीर्षक के माध्यम से उस कथन को रद्द करना चाहते हैं जिसको अब्दुर्रज़्ज़ाक ने मअ़मर के हवाले से नक़ल किया है। मअ़मर कहते हैं कि यह्या बिन अबी क़सीर ने कहा कि "मुझे यह बात मालूम हुई है कि मर्दों को औरतों को सलाम करना और औरतों का मर्दों को सलाम करना मकरूह(नापसन्दीदा) है" वास्तव में यह हदीस मक़्तूअ़ (जिसकी सनद मुसलसल न हो) है। और सलाम करने की वैधता उस वक़्त है। ज़बकि फित्ना में पड़ने की आशंका न हो। इमाम बुख़ारी ने इस शीर्षक में दो हदीसें प्रस्तुत की हैं जिनसे सलाम की वैधता पर दलील ली जाती हैं। इस शीर्षक में एक हदीस भी है जो इमाम बुख़ारी के शर्त के अनुकूल नहीं है। वह अस्मा बिन्ते यज़ीद की हदीस है कि नबी करीम (सल्ल.) हम औरतों के पास से गुज़रे तो उन्होंने हम लोगों को सलाम किया" इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन ठहराया है। लेकिन यह बुख़ारी(रह.) की शर्तों के अनुकूल

नहीं है। अतः उन्होंने मात्र उसी को काफ़ी समझा है जो उनकी शर्त के अनुकूल है। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हज़रत जाबिर (रज़ि.) के हवाले से नक़ल की गई हदीस से भी इमाम बुख़ारी की रिवायत की हुई सही हदीस की पुष्टि होती है........ अबू नुऐम ने ''अमलुल यौम व ल्लैल'' में हज़रत वासिला के हवाले से एक मरफ़ूअ (जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्ल. तक हो) हदीस बयान की है कि 'मर्द औरतों को सलाम कर सकते हैं लेकिन औरतें मर्द को सलाम नहीं कर सकतीं इस हदीस की सनद (प्रमाण) बहुत कमज़ोर है। .... मुस्लिम में उम्मे हानी के हवाले से बिल्कुल सही हदीस नक़ल की गई है। वह फ़रमाती हैं कि ''मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास आई, उस वक़्त आप (सल्ल.) गुस्ल कर रहे थे। मैंने नबी करीम (सल्ल.) को सलाम किया................. ''। हाफ़िज़ इब्ने हज़र इस कथन ''ऐ आयशा! जिब्रील तुम्हें सलाम कहते हैं'' की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं कि इब्नुत्तीन ने यह नक़ल किया है कि दाऊदी की यह आपत्ति है आप लोग इससे खायें। फिर उन्होंने छुरी उठायी तो आपने फ़रमाया कि देखो दूध देने वाली बकरी ज़बह मत करना। फिर उन्होंने इन लोगों के लिए बकरी ज़बह की। अतः नबी (सल्ल.) हज़रत अबू बक्र व उमर (रज़ि) ने बकरी और खजूरें खाईं और पानी पीया यहां तक कि अच्छी तरह सन्तुष्ट हो गये। नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र और उमर से फ़रमाया उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम से क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में अवश्य पूछा जायेगा, तुम लोग अपने घरों से भुख़े निकले थे। अब तुम लोग इस नेमत से संन्तुष्ट होकर अपने घरों को लौटोगे।

(मुस्लिम) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फरमातें हैं कि नबी (सल्ल.) जब भी उम्मे सुलैम के क़रीब से गुज़रते तो उनके पास जाते और उनको सलाम करते। (बुख़ारी)

हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ बाज़ार की तरफ़ गया। रास्ते में एक नौजवान औरत हज़रत उमर से मिली, उसने कहा ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति की मौत हो चुकी है। मेरे छोटे–छोटे बच्चे हैं अल्लाह की क़सम उनके लिए पकाने को मेरे पास बकरी का पाया भी नहीं है उन बच्चों के खाने पीने के लिये कुछ भी नहीं है। मुझे ये डर है ये बच्चे भूख के कारण तबाह हो जायेंगे। मैं खफ़्फ़ाफ़ बिन ईमाअ अल. ग़िफ़ारी की बेटी हूं जो हुदैबिया में नबी (सल्ल.) के साथ थे। हज़रत उमर उसके साथ खड़े हो गये और तुरन्त ही कहा कि तुम्हें इतना निकट का सम्बन्ध मुबारक हो। (बुख़ारी)

हज़रत ज़ुबैर के दास यहनस कहते हैं कि वह फ़ितने के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास बैठे हुए थे उनके पास उनकी दासी आयी उसने सलाम किया और कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान मैं विद्रोह करना चहाती हूं । क्योकि ज़माना बहुत कठोर और कठिन हो गया है। हज़रत अब्दुल्लाह ने उससे कहा कि ऐ बेवकूफ़ घर में ही बैठी रहो मैंने नबी (सल्ल.) को फ़रमाते सुना है कि जो व्यक्ति ज़माने की कठोरता पर सब्र करेगा, मैं क़यामत

के दिन उसके लिए गवाही दूंगा या आपने फ़रमाया कि मैं क़यामत के दिन उसके लिए सिफ़ारिश करूंगा।

मस्जिद में मर्दों व औरतों की भागीदारी और उनकी मुलाक़ातः

मस्जिद मुस्लिम समाज़ की पहली संस्था है। जहां वह एक तरफ़ इबादत की जगह हैं वही दूसरी तरफ़ वह ज्ञान प्राप्त करने की गोद भी है। इसी तरह वह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केन्द्र है। आवश्यकता के समय उसे जन सभाओं के लिये एक हॉल और प्रशिक्षण व व्यायाम की जगह के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इन तमाम कारणों से नबी (सल्ल.) के युग में मस्जिदों के दरवाज़े औरतों के लिए खुले हुए थे। उन्हें जब आसानी होती मस्जिद चली आतीं। कभी–कभी मस्जिद आते रहने के कारण औरतें मुसलमानों के सामान्य जीवन से सीधे अवगत रहा करती थीं। जहां वह एक तरफ़ इबादत में भाग लेती थी और नमाज़ में पढ़े जाने वाले क़ुरआन को सुनती थी। वहीं वे ज्ञानपूर्ण भाषण और नसीहत से भी लाभान्वित होती थीं और मुसलमानों के सामाजिक व राजनीतिक ख़बरों की जानकारी भी प्राप्त कर लेती थीं। इन सबसे बढ़कर यह कि अपनी दूसरी मोमिन बहनों से उनका परिचय होता था और आपस में दोस्ती व प्रेम के सम्बन्ध मज़बूत होते थे। इसका अर्थ यह है कि नबी (सल्ल.) के युग में मस्जिद मर्द औरत दोनों के लिए इबादत की जगह भी हुआ करती थी और सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की जगह भी हुआ करती थी। अतः अब किसी के लिए वैध नहीं है कि वह औरत को मस्जिद में आने के उसके अधिकार से वंचित करे। यह दावा करना कि औरत का अपने घर में नमाज़ पढ़ना बेहतर है और फिर उसको घर में ही नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करना गुनाह का काम है क्योंकि उसमें नबी (सल्ल.) के आदेश का विरोध है क्योंकि आपने यह फ़रमाया है कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको, अगर औरत मस्जिद में

इसलिए आती है ताकि वह क़ुरआन सुन सके या नसीहत की बातें सुन सके या किसी सामान्य सभा में भाग ले सके या प्रेम को मज़बूत करने के लिये या भलाई के कामों में सहयोग के लिये वह अपनी मोमिन बहनों से मिल सके। तो ये सारी बातें और इरादे भलाई के अन्तर्गत आते हैं और यह भलाई कभी पसन्दीदा होती हैं और कभी अनिवार्य होती है।

एक हदीस में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, एक मर्द को जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने पर घर में या बाज़ार में तन्हा नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में 25 गुना अधिक सवाब मिलता है क्योंकि एक मर्द जब वुज़ू करता है और अच्छी तरह से वुज़ू करता है। फिर वह मात्र नमाज़ के लिये मस्जिद जाता है। तो हर–हर क़दम पर उसका एक दर्जा बुलन्द किया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। जब वह नमाज़ पढ़ चुकता है तो जब तक नमाज़ की जगह पर रहता है फ़रिश्ते उसके लिये दुआ करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह तू इस पर सलामती उतार दे। ऐ अल्लाह तू इसके गुनाह ढ़क दे। ऐ अल्लाह तू इस पर रहम कर और वह जब तक नमाज़ का इनतिज़ार करता है उस वक़्त तक मानो कि वह नमाज़ में होता है। इब्ने दक़ीक़ अल–ईद इस हदीस की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं। हम यह

बात पहले बयान कर चुके हैं कि जिन गुणों का भरोसा करना संभव है उनकी मौजूदगी से इन्कार नहीं किया जायेगा। अतः इस हदीस में बयान किये गये गुणों पर नज़र डाली जाये और देखा जाये कि किन का भरोसा किया जा सकता है और किनका भरोसा नहीं नहीं किया जा सकता। चूंकि औरत के लिये भी मस्जिद जाना पसन्दीदा है। अतः इस हदीस में मर्द होने के गुण पर भरोसा नहीं किया जायेगा, आमाल पर सवाब मिलने के सिलसिले में मर्द होने के गुण का शरीअत में भरोसा नहीं किया जाता है।

मुसलमान औरतें मात्र मस्जिदे नबवी ही में नहीं आया करती थीं बल्कि वे मदीने के आस–पास मौजूद मोहल्लों की मस्जिदों में और मदीने के बाहर की मस्जिदों में भी आया करतीं थीं। निम्न में इसके कुछ उदाहरण बयान किये जाते है :

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि लोग क़ुबा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि आज रात नबी (सल्ल.) पर 'वह्य' आयी है और आपको अल्लाह के घर की तरफ़ चेहरा करके नामज़ पढ़ने का आदेश दिया गया है। अतः तुम लोग भी अपना चेहरा कअ़बा की तरफ़ कर लो। उस वक़्त नमाज़ पढ़ने वालों के चेहरे सीरिया (अर्थात मस्जिद अक़्सा) की तरफ़ थे अतः तमाम लोगों ने अपना चेहरा कअ़बा की तरफ़ मोड़ लिया। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी हातिम ने सुवैला बिन्ते असलम के हवाले से अल्लाह के घर कअ़बे की तरफ़ चेहरा मोड़ने के हालात को बयान किया है। सुवैला फ़रमाती हैं कि औरतें मर्दों की जगह आ गईं और मर्द औरतों की जगह आ गये। फिर हमने बाक़ी दो रक्अतें अल्लाह के घर कअ़बा की तरफ़ चेहरा करके अदा कीं।

अम्र बिन सलमा अपने पिता से बयान करतें हैं कि उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम मैं इस वक़्त तुम्हारे पास नबी (सल्ल.) के पास से आ रहा हूं । आपने (सल्ल.) फ़रमाया कि आमुक नमाज़ आमुक वक़्त पढ़ो और आमुक नमाज़ आमुक वक़्त पढ़ो, फिर जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें से कोई अज़ान दे। फिर तुममें से वह व्यक्ति इमामत करे जिसको अधिक क़ुरआन याद हो। लोगों ने देखा तो उनको कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसको मुझसे अधिक क़ुरआन याद हो। क्योंकि मैं आने वाले मुसाफिरों से क़ुरआन याद किया करता था। अतः लोगों ने मुझे इमामत के लिये बढ़ाया। मैं उस वक़्त छः या सात साल का था। मैं एक चादर लपेटे हुए था जब मैं सजदे में जाता तो वह मुझसे गिर जाती। मोहल्ले की एक औरत ने कहा कि आप लोग अपने इमाम के कुल्हे को हम लोगों से छिपा क्यों नहीं देते? अतः लोगों ने कपड़ा ख़रीद कर मेरे लिये क़मीस बनाई, मैं जितना उस क़मीस से ख़ुश हुआ उतना किसी भी चीज़ से ख़ुश नहीं हुआ। (बुख़ारी)

नबी (सल्ल.) ने मस्जिद में आने के औरतों के अधिकार को ज़ोर देकर बयान किया और इस अधिकार को हर तरह के अन्याय से बचाने का प्रयास किया है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अगर तुम्हारी औरतें रात में मस्जिद जाने की अनुमति मांगें तो तुम उन्हें मस्जिद जाने की अनुमति दे दो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर की एक बीवी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त से अदा करती थीं। किसी ने कहा कि आप मस्जिद क्यों जाती हैं जबकि हज़रत उमर उसे पसन्द नहीं करते हैं और उनको अपमान भी महसूस होता है। उन्होंने कहा कि वह मुझे स्वयं क्यों नहीं मना कर देते। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में वह आपको इसलिए मना नहीं करते, क्योंकि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। (बुख़ारी)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फ़रमाया कि मैंने नबी (सल्ल.) को फ़रमाते हुए सुना कि अगर तुम्हारी बीवियां, तुमसे मस्जिद जाने की अनुमति चाहें तो उनको मस्जिद जाने से न रोको। रिवायत करने वाले कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हिलाल बिन अब्दुल्लाह को बहुत अधिक बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने उनको कभी किसी को इतना अधिक बुरा भला कहते नहीं सुना था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नबी (सल्ल.) ने औरतों को मस्जिद में आने से रोकने से मना किया है और तुम कहते हो कि हम अपनी औरतों को मस्जिद आने से अवश्य रोकेंगे। (मुस्लिम)

इब्ने दक़ीक़ुल ईद फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के अपने बेटे को बुरा भला कहने से मालूम होता है कि उस व्यक्ति को शिष्टाचार सिखाना बहुत अनिवार्य है जो नबी (सल्ल.) की सुन्नत पर अपने विचारों की रोशनी में आपत्ति व्यक्त करता हो और जो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा हो।

एक बार एक औरत फ़ज्र की नमाज़ के लिए मस्जिद जा रही थी कि रास्ते में किसी ने उसे पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। इस दुर्घटना के होने के बाद भी मस्जिदों में आने के बारे में औरतों का अधिकार जारी रहा।

वाएल अल–किन्दी बयान करते हैं कि सुबह के समय अन्धेरे में एक मर्द ने एक औरत से बलात्कार किया। वह औरत फ़ज्र की नमाज़ के लिये मस्जिद जा रही थी। उस औरत के पास से एक दूसरे मर्द का गुज़र हुआ तो उसने उससे मदद मांगी, इतने में बलात्कार करने वाला भाग खड़ा हुआ। इसी बीच कुछ और लोग गुज़रे, जिनके पास कुछ सामान था औरत ने उनसे भी मदद मांगी, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिससे औरत ने पहले मदद मांगी थी और बलात्कारी आगे निकल गया। वे लोग उसे उस औरत के पास लाये तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा था। बलात्कारी तो आगे भाग गया। वे लोग उसे नबी (सल्ल.) के पास ले आये। आपको(सल्ल.) बताया गया कि इसने औरत से बलात्कार किया है उन्होंने यह भी बताया कि इसे भागते हुए पकड़ा है उसने कहा कि मैं तो उस औरत की मदद के लिए दौड़ा था। इसी बीच इन लोगों ने मुझे देखा और पकड़ लिया। औरत ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है इसी ने मुझसे बलात्कार किया है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि इसे ले जाकर रजम (पत्थरों से मार ड़ालो) कर दो। वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि इसे रजम न करो। बल्कि मुझे रजम करो क्योंकि मैंने बलात्कार किया है। अतः इस तरह उसने अपने

अपराध को स्वीकार कर लिया। फिर वह तीनों, अर्थात वह जिसने बलात्कार किया था। वह जिसने औरत की मदद की थी और स्वयं वह औरत नबी (सल्ल.) के पास गये। तो आपने औरत से फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है और जिसने औरत की मदद की थी। उसके पक्ष में भी आपने अच्छी बातें कहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि आप उस व्यक्ति को रजम करा दीजिए जिसने बलात्कार करना स्वीकार किया है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया नहीं, क्योंकि उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसे तमाम मदीने वालों पर बांट दी जाये तो सबकी तौबा क़ुबूल हो जायेगी। (अहमद)

नबी करीम (सल्ल.) के युग में मस्जिद इबादत की जगह भी थी और सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की जगह भी थी। नबवी युग की महिलायें निम्नलिखित वैध प्रेरकों के कारण मस्जिद जाया करती थीं उसमें से कुछ प्रेरक वैध थे। कुछ पसन्दीदा थे और कुछ अनिवार्य थे :

पहला प्रेरकः नमाज़ की अदायगी

फ़ज्र की नमाज़ :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम मोमिन औरतें फ़ज्र की नमाज़ में नबी (सल्ल.) के साथ चादर ओढ़कर सम्मिलित हुआ करती थीं; फिर हम नमाज़ पढ़कर अपने घरों को वापस होती थीं लेकिन हममें से कोई भी, अंधेरे के कारण पहचानी नहीं जाती थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर की एक बीवी फ़ज्र की नमाज़ मस्जिद में जमाअ़त से अदा किया करती थीं। (बुख़ारी)

मग़रिब की नमाज़ :

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि वह सूरह मुरसलात की तिलावत कर रहे थे तो उसे सुनकर उनकी माँ उम्मे फ़ज़्ल ने कहा कि बेटे तुमने इस सूरह की तिलावत करके मुझे याद दिला दिया कि यह वह आख़िरी सूरह है जो मैंने नबी (सल्ल.) से सुनी, आप मग़्रिब की नमाज़ में उसकी तिलावत करते थे। एक रिवायत में है कि उसके बाद नबी (सल्ल.) ने हमको नमाज़ नहीं पढ़ाई । यहां तक कि आपकी मौत हो गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इशा की नमाज़ :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने इशा की नमाज़ में देर की। यहां तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपको पुकार कर कहा कि बच्चे और औरतें सो गये हैं। अतः नबी (सल्ल.) बाहर आये और फ़रमाया तुम लोगों के अतिरिक्त सारी ज़मीन पर कोई भी इस नमाज़ की प्रतीक्षा में नहीं है। यह नमाज़ इस समय केवल मदीने में पढ़ी

जा रही है। लोग इशा की नमाज़ सान्ध्य लालिमा(शफ़क़) मिटने और रात के पहले पहर के बीच पढ़ लिया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर की एक बीवी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से अदा किया करती थीं। (मुस्लिम)

जुमे की नमाज़ :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः और जब उन्होंने क्रय–विक्रय और खेल तमाशा होते देखा तो वह उसकी तरफ़ लपक गये और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। उनसे कहो, जो कुछ अल्लाह के पास है वह खेल तमाशे और व्यापार से बेहतर है और अल्लाह सबसे अच्छी रोज़ी देने वाला है। (सूरह जुमाःआयत–11)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक क़ाफ़िला अनाज और खाने के समान से लदा हुआ आया, तमाम लोग उस काफ़िले की तरफ़ आकर्षित हो गये। यहां तक कि नबी (सल्ल.) के साथ मात्र 12 लोग बचे, उस वक़्त यह आयत उतरी। ''और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा देखा। तो उसकी तरफ़ लपक गये और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि तबरी की व्याख्या और इब्ने अबी हातिम की व्याख्या (तफ़सीर) में उचित प्रमाण के साथ अबू क़तादा के हवाले से रिवायत है कि शेष बचे रहने वाले लोगों से नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोग कितने हो? लोगों ने गिना तो वह मर्द और औरतों को मिलाकर बारह (12) थे।

हज़रत उमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान कहती हैं कि उनकी बहन ने कहा कि मैंने सूरह क़ाफ़। वल्क़ुरआन–अल–मजीद, जुमा के दिन नबी (सल्ल.) की मुबारक ज़बान से याद की। आप यह सूरह हर जुमे को मिम्बर पर पढ़ा करते थे। (मुस्लिम)

उम्मे हश्शाम बिन्ते हारिसा बिन नोअ़मान फ़रमाती हैं कि दो वर्ष या एक वर्ष या एक वर्ष के कुछ दिनों तक मेरा और नबी (सल्ल.) का तन्दूर एक ही रहा मैंने क़ाफ वलकुरआन–अल–मजीद आपकी ज़बान से याद की। आप यह सूरह हर जुमे को ख़ुत्बा (भाषण) देते वक़्त मिम्बर पर पढ़ा करते थे। (मुस्लिम)

तब्क़ातुल कुब्रा की एक रिवायत हज़रत ख़ौला बिन्ते क़ैस अल जुहैना से रिवायत है। वह फ़रमाती हैं कि मैं औरतों की पंक्तियों (सफ़ों) में बिल्कुल पीछे बैठकर जुमे के दिन नबी (सल्ल.) का ख़ुत्बा सुना करती थी और मस्जिद के बिल्कुल पीछे ही के भाग में बैठकर मैं मिम्बर पर आपकी क़ाफ़ वल–क़ुरआन–अल–मजीद की तिलावत सुना करती थी।

नफ़्ल नमाज़ :

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फरमातें हैं कि नबी (सल्ल.) मस्जिद में गये तो आपने (सल्ल.) देखा कि दो खम्भों के बीच एक रस्सी बँधी है। आपने पूछा कि यह रस्सी कैसी है? लोगों ने बताया कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने यह रस्सी बांध रखी है। जब वह

नमाज़ पढ़ते थक जाती हैं तो उस पर टेक लगाती हैं। आपने फ़रमाया कि इसको खोल दो। तुम्हें उसी वक़्त तक नमाज़ पढ़नी चाहिये जब तक तुम्हारे अन्दर चुस्ती शेष रहे, जब तुम थक जाओ तो तुम्हें बैठ जाना चाहिये।   (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि मस्जिद में औरतों का नफ़्ल नमाज़ पढ़ना वैध है। हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि सईद बिन मन्सूर ने उरवा के हवाले से यह बयान किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने रमज़ान में तरावीह की नमाज़ के लिये उबई इब्ने कअ़ब के पीछे लोगों को एकत्र किया। वह मर्दों को तरावीह की नमाज़ पढ़ाया करते थे और तमीम दारी औरतों को तरावीह की नमाज़ पढ़ाया करते थे।

इमाम नववी ने 'अल–मज्मूअ' में लिखा है कि अ़रफ़जा अल–सक़फ़ी कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब लोगों को रमज़ान में तरावीह पढ़ने का आदेश देते थे। आप मर्दों के लिए एक इमाम नियुक्त करते थे और इसी तरह औरतों के लिये एक इमाम नियुक्त करते थे। मैं औरतों का इमाम था।   (बैहक़ी)

अबू दाऊद में हज़रत अबू ज़र के हवाले से एक रिवायत है। जिसमें यह बयान है कि जब रमज़ान की तीन रातें बच रहीं, तो उन्होंने अपनी बीवी बच्चों और दूसरे लोगों को एकत्र किया। फिर वह हमें लेकर तरावीह की नमाज़ के लिए खड़े हो गये। यहां तक कि हमें सन्देह होने लगा कि कही हमसे फ़लाह छूट न जाये। नसई की एक रिवायत में है कि जब रमज़ान की तीन रातें बच रहीं तो उन्होंने अपनी बेटियों और बीवियों को बुलाया और अन्य तमाम लोगों को एकत्र किया फिर हमें लेकर तरावीह की नमाज़ के लिये खड़े हुए यहां तक कि हमें सन्देह होने लगा कि कहीं हमसे फ़लाह छूट न जाये। मैंने पूछा कि यह फ़लाह क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि फ़लाह से तात्पर्य 'सेहरी' है।

इमाम मालिक ने मुवत्ता में यह रिवायत नक़ल की है कि इस्माईल बिन हकीम को मालूम हुआ कि नबी (सल्ल.) ने एक रात किसी औरत के नमाज़ पढ़ने की आवाज़ सुनी। आपने पूछा कि ये कौन है आप सल्ल. से बताया गया कि ये हौला बिन्ते तुवैब हैं। ये रात भर नहीं सोतीं, आपने इस बात को नापसन्द किया यहां तक कि मैंने आपके चेहरे पर नापसन्दीदगी के निशान महसूस किये फिर आपने (सल्ल.) फ़रमाया अल्लाह तब तक नहीं उकताता जब तक कि तुम लोग न उकता जाओ। अतः अपने आप पर उतने ही अमल का बोझ डालों   जितनी तुम्हारे अन्दर क्षमता है।

मन्नत की नमाज़ :

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि एक औरत बीमार हुई तो उसने यह मिन्नत मानी कि अगर अल्लाह मुझे स्वास्थ्य दे देता है तो मैं अपने घर से निकलूंगी और बैतुल मक़्दिस में जाकर नमाज़ पढ़ूँगी अल्लाह ने उस औरत को स्वास्थ्य दे दिया। अतः उसने बैतुल मक़्दिस जाने के इरादे से तैयारी की। उस समय उसके पास नबी (सल्ल.) की बीवी हज़रत मैमूना आ गईं। उन्होंने उसको सलाम किया तो उस औरत ने उनको इस सिलसिले में बताया। हज़रत मैमूना ने उससे कहा कि बैठो और जो पकाया है उसे खा

लो और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ लो क्योंकि मैंने नबी (सल्ल.) को फ़रमाते सुना है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ना कअ़बा के बाद किसी भी दूसरी मस्जिद में एक हज़ार नमाज़ों से भी अच्छा है। (मुस्लिम)

जनाज़े की नमाज़ः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास की मौत हुई तो नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों ने यह कहला भेजा कि वह उनके जनाज़े को मस्जिद से लेकर गुज़रें ताकि वे भी उनके जनाज़े की नमाज़ को पढ़ सकें। अतः लोगों ने ऐसा ही किया। और उनके जनाज़े को नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के कमरों के सामने रोका गया। नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों ने उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ी, फिर जनाज़े को बाबुल जनाइज़ (जनाज़ो का दरवाज़ा) से बाहर ले जाया गया। नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों (रज़ि.) को पता चला कि लोगों ने उनके इस अमल पर आलोचना की है। और कहा है कि जनाज़े को मस्जिद में ले जाना उचित नहीं है। हज़रत आयशा (रज़ि.) तक यह ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा कि लोगों को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। उसमें वे कितनी जल्दी आलोचना करने लगते हैं, लोग हम पर आलोचना करते हैं कि हमारे कारण एक जनाज़े को मस्जिद में लाया गया। हालांकि नबी (सल्ल.) ने सुहैल बिन बैज़ाअ् की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद के अन्दर ही पढ़ी थी। (मुस्लिम)

इमाम नववी नबी (सल्ल.) की नमाज़े–जनाज़ा से सम्बन्धित हदीस की व्याख्या में लिखते हैंः ठीक बात वह है जो अधिकांश उलमा का कथन है कि तमाम लोगों ने नबी (सल्ल.) की जनाज़े की नमाज़ अलग–अलग पढ़ी, कुछ लोग आते अलग–अलग नमाज़ पढ़ते, और चले जाते। फिर दूसरे कुछ लोग आते, वह भी उसी तरह अलग–अलग नमाज़ पढ़ते। फिर मर्दों के बाद औरतें गईं, और औरतों के बाद बच्चे गये।

इमाम मालिक बिन अनस की 'अल–मुदव्वनतुल कुब्रा' में लिखा है। ''मैंने पूछा क्या इमाम मालिक के कथन के अनुसार औरतें जनाज़े की नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो उन्होंने कहा। हां, इमाम सरख़्सी की 'अल–मब्सूत' में लिखा है कि जनाज़े की नमाज़ में औरतें अपनी पंक्तियां (सफे.) मर्दों की सफ़ो के पीछे बनायेंगी क्योंकि नबी (सल्ल.) का इरशाद है कि औरतों की सबसे अच्छी पंक्ति(सफफ़) पीछे की है।

सूर्य ग्रहण की नमाज़ :

हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं एक सुबह नबी (सल्ल.) सवारी पर सवार होकर निकले उस वक़्त सूर्यग्रहण हो गया। अतः आप चाश्त के समय लौट आये और अपनी बीवियों के कमरों के बीच से गुज़रे, मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं। फिर मैं भी निकली और औरतों के साथ कमरों के पीछे से मस्जिद में आयी, फिर नबी (सल्ल.) नमाज़ पढ़ाने के लिये खड़े हो गये और लोग भी आपके

पीछे खड़े हो गये। फिर आपने एक लम्बा क़याम(नमाज़ में खड़े होकर क़ुरआन पढना) किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दूसरा प्रेरकः एतिकाफ़

हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि मैं (एतिकाफ़ के दौरान) घर में किसी ज़रूरत से जाती और वहां कोई बीमार होता तो गुज़रते हुए मैं उससे कुशलता पूछ लेती...जब नबी (सल्ल.) एतिकाफ़ में होते तो आप बिना ज़रूरत के घर में दाखिल नहीं होते थे। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने उनसे बयान किया कि वह रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में एतिकाफ़ में बैठेंगे। मैं नबी (सल्ल.) के लिए ख़ेमा लगा दिया करती थी। फिर आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते और उसमें चले जाते। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने आपसे एतिकाफ़ में बैठने की अनुमति मांगी, तो आपने उन्हें अनुमति दे दी। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा कि वह उनके लिये भी आप (सल्ल.) से अनुमति मांग लें। अतः नबी (सल्ल.) ने उन्हें भी एतिकाफ़ में बैठने की अनुमति दे दी। जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने लिये ख़ेमा लगवा लिया। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं। कि जब नबी (सल्ल.) नमाज़ पढ़कर अपने ख़ेमे की तरफ़ आये। आपने वहां कई ख़ेमे देखे तो पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि हज़रत आयशा (रज़ि.) हफ़्सा (रज़ि.) और ज़ैनब (रज़ि.) के ख़ेमे हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या इन लोगों का उद्देश्य नेकी ही है? अब मैं एतिकाफ़ में नहीं बैठूँगा। अतः आप (सल्ल.) लौट आये। फिर आपने (सल्ल.) रमज़ान के बदले शव्वाल में दस दिन का एतिकाफ़ किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि अम्र इब्ने हारिस की रिवायत में बयान किया गया है कि जब हज़रत ज़ैनब ने हज़रत आयशा (रज़ि.) और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के ख़ेमे देखे तो उन्होंने भी अपना तम्बू लगा दिया। वह बहुत स्वाभिमानी महिला थीं। लेकिन मुझे किसी भी सनद से यह नहीं मालूम हो सका कि हज़रत ज़ैनब ने ख़ेमा लगाने के लिए नबी करीम (सल्ल.) से अनुमति ली थी। शायद इसीलिए नबी करीम (सल्ल) ने इन बीवियों के इस अमल को रद्द करते हुए फ़रमाया; क्या इन लोगों का उद्देश्य नेकी ही है?'' नबी करीम (सल्ल.) को यह सन्देह हुआ कि कहीं ये लोग आत्मसम्मान के कारण या आप (सल्ल) की निकटता प्राप्त करने की चाहत में मुक़ाबला करने के लिए तो एतिकाफ़ में नहीं बैठ रही हैं? इस तरह तो एतिकाफ़ का उद्देश्य नष्ट हो जायेगा.................... एतिकाफ़ में नबी करीम (सल्ल.) के न बैठने का एक कारण यह भी हो सकता है कि जब हज़रत आयशा व हफ़्सा (रज़ि.) ने एतिकाफ़ की अनुमति चाही और मस्जिद में अपना ख़ेमा लगाया तो उस वक़्त मस्जिद संकरी नहीं हुई थी। लेकिन जब इन दोनों के बाद अन्य बीवियां भी एतिकाफ़ के लिये तम्बू लगाने लगीं तो उसकी वजह से नमाज़ पढ़ने वालो के लिए मस्जिद संकरी होने लगी, इसलिए आप (सल्ल.) उस वर्ष एतिकाफ़ से उठ गये। उसका एक कारण यह भी

हो सकता है कि अगर तमाम बीवियां एतिकाफ़ में एक साथ नबी करीम (सल्ल.) के साथ बैठ जातीं। तो मस्जिद भी घर की तरह हो जाती। आप (सल्ल.) के बाद आप (सल्ल.) की बीवियां एतिकाफ़ किया करती थी।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

तीसरा प्रेरक : ज्ञान की बातों का सुनना

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी हज़रत ज़ैनब फ़रमाती हैं कि मैं मस्जिद में थी। मैंने नबी करीम (सल्ल.) को देखा वह कह रहे थे कि ऐ औरतों सदक़ा करो चाहे तुमको अपना गहना ही क्यों न सदक़ा करना पड़े....................। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के ज़माने में सूर्य ग्रहण हुआ। नबी करीम (सल्ल.) मस्जिद गये। लोगों ने आप (सल्ल.) के पीछे सफ़ें (पंक्तियाँ) बनाईं। फिर आप (सल्ल.) ने अल्लाहु अक्बर कहा और देर तक नमाज़ में क़ुरआन पढ़ते रहे, फिर नमाज़ समाप्त होने से पहले सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया। फिर आप (सल्ल.) खड़े हुए। अल्लाह की प्रशंसा की। और कहा कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। उनको किसी की मौत या ज़िन्दगी के कारण ग्रहण नहीं लगता। जब तुम उनको ग्रहण लगता हुआ देखो तो तुरन्त नमाज़ के लिए खड़े हो जाओ। नबी करीम (सल्ल) के ज़माने में जिस दिन आप (सल्ल.) के बेटे इब्राहीम की मौत हुई थी उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ था। लोगों ने कहा कि इब्राहीम की मौत की वजह से सूरज को ग्रहण लग गया है। एक रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल.) ने अल्लाह की प्रशंसा की। फिर कहा कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, उनको किसी की मौत और ज़िन्दगी के कारण ग्रहण नहीं लगता, जब तुम उनको ग्रहण लगता हुआ देखो तो अल्लाह को याद करो। उसकी बड़ाई बयान करो नमाज़ पढ़ो और सदक़ा करो। फिर आप (सल्ल) ने फ़रमाया ऐ मुहम्मद की उम्मत! अल्लाह की क़सम किसी को अल्लाह से अधिक इस बात पर शर्म नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या बन्दी व्यभिचार कर ले, ऐ मुहम्मद की उम्मत अल्लाह की क़सम अगर तुमको वह मालूम हो जाये जो मुझको मालूम है तो तुम बहुत कम हंसोगे और बहुत अधिक रोओगे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं.......... जब नबी (सल्ल.) सूर्य ग्रहण की नमाज़ पढ़ चुके तो आप (सल्ल.) ने अल्लाह की प्रशंसा की। फिर कहा कि मैंने जो भी चीज़ नहीं देखी थीं। वह मुझे आज के क़याम(नमाज़ में) के बीच दिखा दी गईं, यहां तक कि जन्नत और जहन्नम भी दिखा दी गयी। मुझे ये 'वह्य' की गई कि तुम लोग क़ब्र में दज्जाल की फ़ितना की तरह फ़ितने में डाले जाओगे, तुममें से किसी एक के पास फ़रिश्ता जायेगा और पूछेगा कि तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हो। जहां तक मोमिन का सम्बन्ध है

तो वह कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) हैं। ये हमारे पास खुली हुई निशानियाँ और हिदायत लेकर आये थे। फ़रिश्ता उससे कहेगा आराम से सो जाओ, हमें मालूम था कि तुम ठोस ईमान वाले हो। लेकिन जहां तक मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) का सम्बन्ध है तो वह कहेगा कि मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने लोगों को उनके बारे में कुछ कहते हुए सुना था तो मैंने भी वही बात कह दी। एक रिवायत में है कि फिर नबी करीम (सल्ल.) ने क़ब्र की फ़ितने का बयान किया। जिसके द्वारा इन्सान आज़माया जायेगा, जब नबी करीम (सल्ल.) ने उसका बयान किया तो मुसलमान चीख़ने चिल्लाने लगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं.................. फिर मैं मस्जिद को गई और मैंने नबी करीम (सल्ल.) के साथ नमाज़ पढ़ी...... जब नबी करीम (सल्ल.) अपनी नमाज़ पूरी कर चुके तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ऐ लोगों! मुझे तमीम दारी(रज़ि.) ने बताया कि उनकी क़ौम के कुछ लोग समुन्दर में अपनी नाव पर सवार थे कि अचानक वह टूट गई। उनमें से कुछ लोग नाव के पटरे पर सवार हो गये और वे उस पर बैठे हुए एक समुद्री टापू पर जा निकले.............। (मुस्लिम)

हज़रत उमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उनकी बहन ने कहा कि मैंने सूरह क़ाफ़ नबी करीम (सल्ल.) से याद की। आप (सल्ल.) हर जुमे को मिम्बर पर इसकी तिलावत किया करते थे। (मुस्लिम)

चौथा प्रेरकः मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले से मिलना

हज़रत सफ़िया (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में नबी करीम (सल्ल.) मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे हुए थे। उसी बीच आप (सल्ल.) से मिलने आईं, उन्होंने आप (सल्ल.) के पास बैठकर थोड़ी देर बात–चीत की,फिर वह उठकर जाने लगीं तो नबी करीम (सल्ल.) भी उनके पीछे हो लिए। जब वह मस्जिद के उस दरवाज़े के पास पहुॅचीं जो उम्मे सलमा (रज़ि.) के कमरे के दरवाज़े के पास था तो वहां से दो अन्सारी सहाबा का गुज़र हुआ। उन दोनों ने नबी (सल्ल.) को सलाम किया। आप (सल्ल.) ने उन दोनों से कहा कि ज़रा ठहर कर, देखो ये सफ़िया बिन्ते हुयई हैं। उन दोनों सहाबियों को दिल पर भारी लगा और कहा सुब्हानल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल! नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि शैतान इन्सान के नस और रेशों में घुसा हुआ है। मुझे सन्देह हुआ कि कहीं वह तुम दोनों के दिलों में कोई ग़लत विचार न डाल दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि एतिकाफ़ करने वाले का अकेले में अपनी बीवी के साथ बैठना वैध है। इसी तरह यह भी मालूम हुआ कि औरत एतिकाफ़ करने वाले से मुलाक़ात कर सकती है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

पांचवा प्रेरकः मोमिन औरतों के साथ कुछ समय गुज़ारना :

हज़रत रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने आशूरा की सुबह अन्सार के गांव में कहला भेजा, कि जिसने इस हालत में सुबह की कि वह रोज़े से नहीं है। तो वह बाक़ी दिन इसी तरह पूरा करे। और जिसने इस हाल में सुबह की कि वह रोज़े से है तो वह रोज़ा पूरा करे। हज़रत रबीअ़ फ़रमाती हैं कि बाद में हम लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे और उनके लिये ऊन का खिलौना बना दिया करते थे। मुस्लिम की एक रिवायत में है। और हम मस्जिद चले जाते..... जब बच्चे हमसे खाना मांगते तो हम उनको खिलौना दे देते, जिसमें वे मगन हो जाते। यहां तक कि उन बच्चों का रोज़ा पूरा हो जाता। (मुस्लिम)

छठा प्रेरक : जनसभा के आवाहन को स्वीकार करना :

फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं................ जब मेरी इद्दत के दिन समाप्त हो गये। तो मैंने नबी करीम (सल्ल.) के मुनादी को आवाज़ लगाते हुए सुना, वह आवाज़ लगा रहा था कि लोगों! मस्जिद में एकत्र हो जाओ.......... एक रिवायत में है कि लोगों में आवाज़ लगा दी गई कि मस्जिद में एकत्र हो जायें तो लोगों के साथ मैं भी गई। मैं औरतों की सबसे अगली सफ़ में थी। जो मर्दों की सबसे पिछली सफ़ के बाद थी। (मुस्लिम)

इमाम इब्ने क़य्यिम(रह.) फ़रमाते हैं...... मदीने वालों का नबी (सल्ल.) के भाषण को नक़ल करना इस बात का समानार्थी है कि उन्होंने औरतों के घर से बाहर निकलने, रास्तों पर चलने मस्जिदों को जाने और ख़ुत्बा सुनने के बारे में नबी करीम (सल्ल.) की पुष्टि को नक़ल कर दिया है। 'मजमउज़्ज़वाइद' में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि किसी ने नबी करीम (सल्ल.) को आकर बताया कि अन्सारी औरतें और मर्द मस्जिद में रो रहे हैं। आप (सल्ल.) ने पूछा कि वे लोग क्यों रो रहे है? उन्होंने कहा कि उन लोगों को ये डर है कि कहीं आप की मौत न हो जाये। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि फिर आप (सल्ल) निकले और मिम्बर पर बैठ गये। उस वक़्त आप (सल्ल.) एक चादर ओढ़े हुए थे। जिसके किनारे आप (सल्ल.) के जांघो पर पड़े हुए थे आप (सल्ल.) एक पट्टी से अपना सिर बांधे हुए थे। आप (सल्ल.) ने अल्लाह की प्रशंसा की। फिर कहा। लोगों की संख्या बहुत अधिक और अन्सार की संख्या बहुत कम है। अन्सार की हैसियत खाने में नमक की तरह है। अतः जो व्यक्ति भी उनका शासक बनाया जाये वह उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करे और बुराइयों को क्षमा करे।

सातवां प्रेरक : खेल प्रदर्शन देखना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने एक दिन नबी करीम (सल्ल.) को अपने कमरे के दरवाज़े के पास देखा। उस वक़्त हब्शी लोग मस्जिद में खेल रहे थे। नबी करीम (सल्ल.) अपनी चादर से मेरे लिए आड़ किये हुए थे और मैं उनका खेल देख रही थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि................. मुहल्लब उन लोगों की आलोचना करते हुए। जो मस्जिद में खेलने को अवैध बताते हैं। कहते हैं कि मस्जिद मुसलमानों के अमन की जगह है। अतः जिस काम में दीन और दीन वालों का हित हो उसे मस्जिद में करना वैध है।

आठवां प्रेरक : औरतों का स्वयं को नेक मर्द के हवाले करनाः

हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक औरत ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आकर कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मैं स्वयं को आपके हवाले करने के लिये आई हूं, नबी करीम (सल्ल.) ने उसको देखा। थोड़ी देर तक आप (सल्ल.) उसको देखते रहे, फिर अपना सिर झुका लिया। जब उस औरत ने देखा कि नबी (सल्ल.) ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो वह वहीं बैठ गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इस्माईली ने सुफ़ियान सौरी से एक रिवायत बयान की है कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई, उस वक़्त आप (सल्ल.) मस्जिद में थे............... फिर उन्होंने वह जगह निर्धारित की जहां वह घटना हुई थी।

नवां प्रेरक : न्याय व फ़तवा की सभा में भाग लेना :

हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आपका उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है जो अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द को पाये, क्या वह उस मर्द को क़त्ल कर सकता है?................. फिर (मर्द औरत) दोनों ने मस्जिद में 'लेआन' किया। मैं उस वक़्त वहीं पर मौजूद था। (बुख़ारी व मुस्लिम) दसवां प्रेरक : हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि ख़न्दक़ के दिन हज़रत सअ़द की बांह की नस में घाव हो गया। नबी करीम (सल्ल.) ने मस्जिद में उनके लिए ख़ेमा लगवा दिया। ताकि आप (सल्ल.) उनकी निकट से देखभाल कर सकें................ बनू ग़िफ़ार, जो उस वक़्त मस्जिदे नबवी ही में ख़ेमा लगाये हुए थे। बहता हुआ ख़ून देखकर घबरा उठे, उन्होंने कहा। ऐ ख़ेमे वालो ये तुम्हारी तरफ़ से हमारे पास क्या आ रहा है? उन लोगों ने देखा कि हज़रत सअ़द के घाव से तेज़ी से ख़ून बह रहा है। अतः इसी घाव के कारण हज़रत सअ़द की मौत हो गई। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ''बनी ग़िफ़ार के ख़ेमे'' की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं: यह बात पहले गुज़र चुकी है कि इब्ने इस्हाक़ ये बयान करते हैं कि वह ख़ेमा रफ़ीदा असलमीया का था। यह भी संभव है कि उनके पति का सम्बन्ध ग़िफ़ार क़बीले से हो.... .... इब्ने इस्हाक़ कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत सअद को मस्जिदे नबवी से निकट मौजूद रफ़ीदा के ख़ेमे में रखा था। रफ़ीदा घायलों का इलाज किया करती थीं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि सअ़द को रफ़ीदा के ख़ेमें में रखो, ताकि में निकट से उनकी देख–भाल कर सकूं।

ग्यारहवां प्रेरक : मस्जिद की सेवा

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक काला मर्द मस्जिदे नबवी में झाडू दिया करता था या एक काली औरत मस्जिदे नबवी में झाडू दिया करती थी। (बुख़ारी की रिवायत में है कि मेरा विचार है कि वह औरत ही थी) उसकी मौत हो गई। नबी करीम (सल्ल.) ने लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उसकी मौत हो गई। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोगों ने मुझे उसके मौत की सूचना क्यों नहीं दी। मुझे उसकी क़ब्र बताओ, फिर आप (सल्ल.) उसकी क़ब्र पर आये। और उसके लिए दुआएं कीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इमाम बुख़ारी (रह.) ने यह हदीस बयान की है और उसके बाद हज़रत इब्ने अब्बास के इस कथन को नक़ल किया हैः ''मैं आपके लिए मन्नत मानती हूं कि मेरे पेट में जो कुछ है वह मस्जिद के लिए आज़ाद होगा, वह मस्जिद की सेवा किया करेगा,'' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) सूरह आले इमरान की आयत–35 की तरफ़ इशारा कर रहे हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में लिखते हैं कि इमाम ख़ुज़ैमा (रह.) ने अला बिन अब्दुर्रहमान के हवाले से नक़ल किया है। कि उनके पिता कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि वह काली औरत ही थी। उनको इसमें कुछ भी सन्देह नहीं था। इमाम बैहक़ी, ने सही प्रमाण के साथ इब्ने बुरैद की हदीस नक़ल की है। कि उनके पिता ने उस औरत का नाम उम्मे महज़न बताया। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) सूरह आले इमरान की आयत 35 में आया हुआ शब्द ''मुहर्ररन्'' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इससे तात्पर्य आज़ाद है। अतः स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उस वक़्त की शरीअत में अपनी संतान के बारे में मन्नत मानना उचित था। इमाम बुख़ारी(रह.) ने यहां पर इस आयत का बयान संभवतः यह बताने के लिए किया है कि पिछली उम्मतों में मस्जिद की सेवा के माध्यम से उसका आदर करना वैध था। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह मन्नत मान ली कि उनकी संतान मस्जिद की सेवा करेगी, इस आयत का हदीस से सम्बन्ध इस तरह है कि उस औरत का स्वयं को मस्जिद की सेवा के लिए निछावर करना उचित था क्योंकि उसके इस अमल पर नबी (सल्ल.) की खामोशी पायी जाती है।

बारहवां प्रेरकः मस्जिद में सोनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अरब के क़बीले में एक काली दासी थी। उन लोगों ने उसे आज़ाद कर दिया वह नबी करीम (सल्ल.) के पास आई और ईमान ले आई, हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मस्जिदे नबवी में उसका एक तम्बू था। या उन्होंने कहा कि मस्जिदे नबवी में उसका एक छोटा सा कमरा था। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि वह मेरे पास आया करती थी और मुझसे बातें किया करती थी। (बुख़ारी)

मस्जिद में औरतों के आने के आदाबः

1. औरतों का सुगंध से बचनाः

हज़रत बुस्र बिन सईद रज़ि. कहते हैं कि ज़ैनब सक़फीयः कहती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब तुम औरतों में से कोई इशा की नमाज़ के लिए आये, तो वह उस रात को सुगंध न लगाये। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की पत्नी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब तुम औरतों में से कोई मस्जिद आये तो वह सुगंध का प्रयोग न करें। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिस औरत ने भी सुगंध लगाया हो। वह हमारे साथ इशा की नमाज़ में सम्मिलित न हो। (मुस्लिम)

इब्ने दक़ीक़ुल ईद फ़रमाते हैं कि तमाम वह चीज़ें जो सुगंध के अन्तर्गत आती हैं उन्हें लगाकर औरतों का मस्जिद में आना मना है। सुगंध लगाने से इसलिए मना किया गया है क्योंकि उससे मर्दों की काम वासना भड़कती है और कभी—कभी स्वय औरत की काम वासना भी भड़कती है। अतः तमाम वह सुगंध जिससे काम वासना भड़कती हो उनको लगाकर मस्जिद आना मना है। नबी करीम (सल्ल.) का इरशाद है कि जिस औरत ने भी सुंगन्ध प्रयोग किया हो वह हमारे साथ इशा की नमाज़ में सम्मिलित न हों, इसी तरह अच्छे कपड़ों और गहनों को पहन कर मस्जिद में आना भी मना हैं।

2. औरतों की सफों का मर्दों की सफों के पीछे होना और दोनों के बीच किसी भी परदे का न होनाः

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि लोगों में मस्जिद में एकत्र होने की आवाज़ लगा दी गई। वह कहती है कि मैं औरतों की सबसे अगली सफ़ में थी जो मर्दों की सबसे पिछली सफ़ के बाद थी। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के युग में सूरज ग्रहण हुआ। नबी करीम (सल्ल.) ने लोगों को छ रक्अतें चार सजदों के साथ पढ़ाईं,............. फिर आप (सल्ल.) पीछे हटे और सब सफ़ें आप (सल्ल.) के पीछे हटीं, यहां तक कि हम औरतों के निकट पहुंच गये। (मुस्लिम)

नबी करीम (सल्ल.) का तरीक़ा यह था कि आप (सल्ल.) मस्जिद में जमाअ़त की नमाज़ के समय मर्दों की सफ़ों के पीछे औरतों की सफ़ें, बिना किसी परदे के लगवाते थे। ऐसा आप (सल्ल.) इसलिए करते थे ताकि हद से बढ़ी हुई संवेदनशीलता समाप्त हो जाये जो मर्दों और औरतों के एक जगह एकत्र होने पर होती है। अतः मात्र इतनी बात पर्याप्त है कि मर्दों और औरतों की सफ़ें अलग—अगल हों, ऐसा करने का दूसरा कारण यह भी था कि औरतें रूकूअ़ और सजदे में ठीक से इमाम का अनुसरण कर सकें, क्योंकि मात्र तक्बीर (अल्लाह हु अक्बर) सुनकर इमाम का ठीक से अनुसरण नहीं किया जा सकता। क्योंकि संभव है कि इमाम तक्बीर कहे और वह दूसरी रक्अ़त पर बैठने के बजाए भूल कर खड़ा हो जाये। और जो लोग मात्र उसकी तक्बीर सुन रहे हैं और उसे देख नहीं रहे हैं वह ये

समझें कि यह तक्बीर बैठने के लिए कही गई है। अतः वह बैठ जायें, ऐसा भी सम्भव है कि इमाम तक्बीर कहे और तिलावत का सजदा कर ले, जबकि मात्र तक्बीर सुनने वाला यह समझे कि इमाम ने रूकूअ के लिए तक्बीर कही है। अतः वह रूकूअ में चली जाये। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने देखा कि कुछ सहाबा उनसे बहुत पीछे हैं तो आप (सल्ल.) ने उनसे कहा कि आगे आ जाओ और मेरा अनुसरण करो। और तुम्हारे बाद वालों को चाहिये कि वे तुम्हारा अनुसरण करें.............। इससे पता चलता है कि यह अनिवार्य है कि हर सफ़ अपने से अगली वाली सफ़ को देखे और उसका अनुसरण करे। इमाम अबू सअ़द शीराज़ी का कहना है कि अगर तमाम सफ़ें या पहली सफ़ इमाम से बहुत दूर हो जाये और अगर इमाम और पहली सफ़ के बीच कोई चीज़ रूकावट न हो। नमाज़ मस्जिद में हो रही हो और नमाज़ी को इमाम की नमाज़ दिखायी दे रही हो तो मेरे विचार में नमाज़ सहीह हो जायेगी। क्योंकि मस्जिद की हर जगह जमाअ़त की जगह है।

इमाम सरख़सी (रह.) 'मब्सूत' में फ़रमाते हैं कि अगर इमाम और मुक़्तदी के बीच कोई ऐसी दीवार रूकावट बन जाये जिसमें कोई दरार न हो तो ऐसी स्थिति में मुक़्तदी सही ढंग से इमाम का अनुसरण नहीं कर पाता।

'अल–मुदव्वनतुल कुब्रा' में लिखा है कि इब्ने क़ासिम कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक से पूछा कि कुछ लोग मस्जिद आये। उन्होंने देखा कि मस्जिद का अन्दर का हिस्सा मर्दों से भरा हुआ है अतः उन मर्दों ने औरतों के पीछे उसी इमाम के अनुकरण में नमाज़ पढ़ ली तो क्या उनकी नामज़ हो जायेगी? इमाम मालिक(रह.) ने फ़रमाया कि उन लोगों की नमाज़ सही हो जायेगी। उन लोगों को नमाज़ दोहराने की आवश्यकता नहीं।

3. औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ़ें पीछे की सफ़ें हैं।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फरमातें हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मर्दों के लिए सबसे अच्छी सफ़ अगली सफ़ है और सबसे बुरी सफ़ पिछली सफ़ है। जबकि औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ़ पिछली सफ़ है और सबसे बुरी सफ़ अगली सफ़ हैं। (मुस्लिम)

मर्दों को पहली सफ़ की प्रेरणा का लाभ यह है कि वह मस्जिद में जल्दी आते हैं। इमाम से क़रीब होते हैं और इमाम का पूरी तरह अनुकरण करते हैं। और ये सारी चीज़े मर्दों के पक्ष में बहुत ही अच्छी हैं। हां, औरतों का जल्दी मस्जिद ज़ाना उनके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि उनको अपने घर और बच्चों की देख रेख करनी होती है। औरतों की पिछली सफ़ को इसलिए भी बेहतर ठहराया गया है क्योंकि मर्दों की सफ़ से क़रीब होने में इस बात का सन्देह है कि उनके दिलों में या मर्दों के दिलों में कोई अनुचित बात आने लगे। और यह पसन्दीदा बात नहीं है। इसका यह भी लाभ है कि औरतें जल्दी मस्जिद जाने की कोशिश नहीं करती हैं जबकि मर्द पहली सफ़ के लिए मस्जिद जल्द पहुचने की कोशिश करते हैं और इस तरह मस्जिद में जाते समय औरतों और मर्दों की भीड़ से बचाव हो जाता है। इसके

साथ–साथ औरत के देर से मस्जिद जाने में यह भी लाभ है कि औरत जो काम कर रही होती है उसको आसानी से पूरा कर लेती है। अगर इसके साथ–साथ इस तरफ़ भी ध्यान दिया जाये कि सलाम फेरने के तुरन्त बाद मर्दों से पहले ही औरतों को मस्जिद से निकल जाने का आदेश है। तो हमें मालूम होगा कि शरीअ़त औरतों के साथ कितनी नरमी का मामला करती है और उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियों का कितना ध्यान रखती है। इस तरह कि वे मस्जिद में सबसे अन्त में आती हैं और मस्जिद से सबसे पहले चली जाती हैं।

4. औरतों का सजदे से देर से सिर उठाना क्योंकि उनके और मर्दों के बीच कोई परदा नहीं होता :

हज़रत सहल बिन सअ़द(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) नबी करीम (सल्ल.) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। मैं समझता हूं कि वे लोग बचपन ही से अपने तहबन्द (लूंगी) अपनी गरदनों में बांधा करते थे। एक रिवायत में है कि वे लोग अपने तहबन्द बच्चों की तरह अपनी गर्दनों में बांधा करते थे। अतः औरतों से कहा गया कि तुम लोग उस वक़्त तक (सजदा से) अपना सिर न उठाओ जब तक कि मर्द ठीक से न बैठ जायें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फरमाते हैं कि औरतों को सजदे से जल्दी सिर उठाने से इसलिए मना किया गया ताकि सिर उठाते हुए उनकी नज़र मर्दों के छिपाने योग्य भागों पर न पड़ सके।

अगर आज के युग में भी नबवी युग की तरह औरतें मर्दों के पीछे बिना किसी परदे के नमाज़ पढ़ रही हों, तो उन्हें सजदे से देर से सिर उठाना चाहिए। ताकि मर्दों के छिपाने योग्य भागों पर उनकी निगाह न पड़े। क्योंकि आजकल पाजामें और पतलून चुस्त होने के कारण छिपाने योग्य भाग प्रकट हो जाते हैं।

5. मर्दों का सुब्हानल्लाह कहना और औरतों का ताली बजाना

हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़दी (रज़ि.) फ़रमाते हैं............. नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं अधिकतर देखता हूं कि जब तुममें से किसी की नमाज़ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वह ताली बजाता हैं। तुम्हें ऐसे अवसर पर सुब्हानल्लाह कहना चाहिए क्योंकि जब तुम सुब्हानल्लाह कहोगे तो वह ध्यान आकर्षित करेगा, ताली बजाने का आदेश तो औरतों के लिए है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

6. इमाम का औरतों के साथ नरमी का मामला करने के निवेदन को स्वीकार करना और इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ा देना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि नबी करीम (सल्ल.) ने इशा की नमाज़ में देर की। यहां तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (सल्ल.) को आवाज़ देकर कहा कि बच्चे और औरतें सो गये हैं। अतः नबी करीम (सल्ल.) निकल कर बाहर आये और फ़रमाया

तुम सब के अतिरिक्त सारी ज़मीन पर कोई भी इस नमाज़ की प्रतीक्षा में नहीं है। यह नमाज़ इस वक़्त केवल मदीना में ही पढ़ी जा रही है। लोग इशा की नमाज़ सान्ध्य लालिमा के मिटने और रात के पहले पहर के बीच पढ़ लिया करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

7. औरतों के साथ नरमी का मामला करते हुए इमाम का नमाज़ को छोटी करना :

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं नमाज़ पढ़ाना प्रारम्भ करता हूं और मैं नमाज़ को लम्बी करना चाहता हूं कि अचानक इसी बीच मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है तो मैं अपनी नमाज़ छोटी कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस बच्चे की माँ उस के रोने के कारण बहुत परेशान होगी। (एक रिवायत में हैः यह बात नापसन्द करता हूं कि मैं उस बच्चे की माँ को कष्ट में डालूं।) (बुख़ारी व मुस्लिम)

8. औरतों के साथ नरमी करते हुए उनके लिए रास्ता साफ़ रखना ताकि वह मर्दों से पहले निकल आयें :

हिन्द बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने उनको बताया कि नबी करीम (सल्ल.) के युग में औरतें फ़र्ज़ नमाज़ का सलाम फेरने के बाद खड़ी हो जातीं, जबकि नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा(रज़ि.) अपनी जगहों पर रहते, फिर जब नबी करीम (सल्ल.) खड़े होते तो सहाबा भी खड़े होते, एक रिवायत में है कि उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के सलाम फेरने के बाद औरतें खड़ी हो जातीं, नबी करीम (सल्ल.) खड़े होने से पहले थोड़ी देर अपनी ही जगह पर बैठे रहते, अल्लामा इब्ने शहाब ज़ुहरी (रह.) फ़रमाते हैं कि मेरा विचार है कि नबी करीम (सल्ल.) थोड़ी देर इस लिए बैठे रहते ताकि मर्दों के निकलने से पहले औरतें उठ कर चली जायें। (बुख़ारी)

9. मस्जिद में औरतों और मर्दों के बीच मेल जोल में कोई हानि नहीं है मर्दों का औरतों को और औरतों का मर्दों को देखना :

- हदीसः "नबी करीम (सल्ल.) ने इशा की नमाज़ में काफ़ी देर कर दी यहां तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (सल्ल.) को आवाज़ दी। कि औरतें और बच्चें सो गये हैं.....................''।

मैं यह कहता हूं कि जब तक मर्दों और औरतों के बीच कोई परदा नहीं होगा तब तक दोनों एक दूसरे को निगाह नीची करके सरसरी तौर पर देखते रहेंगे।

आवष्यकता पड़ने पर मर्दों औरतों के बीच बात–चीतः

- हदीसः .... "फिर औरतों से कहा गया कि तुम लोग उस वक़्त तक सजदे से सिर न उठाओ जब तक कि मर्द ठीक से बैठ नहीं जाते''।

- हदीसः ''.....................मुहल्ले की एक औरत ने कहा कि आप लोग अपने इमाम के कुल्हे को ढांक क्यों नहीं देते''।
- हदीसः ''..................(मर्द–औरत) दोनों ने मस्जिद में 'लेआन' किया। मैं उस वक़्त वहां मौजूद था''।
- हदीसः ''................. वह फ़रमाती हैं.................. जब आप (सल्ल.) ने उसका बयान किया तो मुसलमानों ने चीख़ना चिल्लाना शुरू किया मैंने अपने क़रीब बैठे एक मर्द से कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे। नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी आख़िरी बात चीत में क्या बात कही?''।

मर्दों और औरतों का आज़ादी से मस्जिद में आना जाना और बात–चीत करनाः

इमाम बुख़ारी ने सहीह बुख़ारी में ''बांटना और मस्जिद में खजूर का गुच्छा लटकाना'' नामक अध्याय रखा है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी ने इस अध्याय में खजूर का गुच्छा लटकाने वाली बात इस बात से ली है कि मस्जिद में माल रखना वैध है और माल रखने और खजूर का गुच्छा लटकाने दोनों का उददेश्य एक ही है कि निर्धन लोग अपनी ज़रूरत पूरी करें। इस तरह इमाम बुख़ारी ने नसई की उस रिवायत की ओर संकेत किया है कि ''नबी करीम (सल्ल.) एक दिन निकले। उस समय आपके हाथ में एक लाठी थी। एक आदमी ने ख़राब खजूरों का एक गुच्छा रखा था। आप (सल्ल.) लाठी से उस गुच्छे पर मारने लगे और कहने लगे कि यदि इन खजूरों का मालिक चाहता तो इससे अच्छी खजूरें भी लटका सकता था''। इस रिवायत की सनद यद्यपि मज़बूत है लेकिन यह बुख़ारी की शर्त के अनुकूल नहीं है। इस अध्याय से संम्बन्धित एक और हदीस है जिसे साबित ने ''दलाइल'' में बयान किया है कि, ''नबी करीम (सल्ल.) ने आदेश दिया कि ग़रीब लोगों के लिये मस्जिद की हर दीवार पर खजूर का गुच्छा लटकाया जाये''। इन्ही की बयान की हुई एक रिवायत में है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) उन खजूर के गुच्छों की रक्षा करने और बांटने के अधिकारी थे।

मस्जिद में खजूर के गुच्छों को ग़रीबों के लिये लटकाया जाता था। और ग़रीब जहां एक तरफ़ मर्द होता है वही दूसरी तरफ़ औरत हुआ करती है।

- हदीसः '' एक औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी या एक मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। लेकिन मेरा विचार है कि वह औरत ही थी''।
- हदीसः ''एक दासी का मस्जिदे नबवी में तम्बू था। वह उसमें सोया करती थी।
- हदीसः ''फिर हम बाद के दिनों में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और अपने बच्चों से भी रोज़ा रखवाते थे। फिर हम मस्जिद चले जाते और अपने बच्चों के लिए ऊन के खिलौने बना दिया करते थे।

यह घटना प्रसिद्ध है कि जब हज़रत उमर मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे तो एक औरत ने उन पर महर के अधिक होने के मसले पर आपत्ति की थी। इस घटना की सनद (प्रमाण) यद्यपि कमज़ोर है लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह हमारी बात की दलील हो सकती है। क्योंकि यह घटना हदीस से टकरा नहीं रही है।

नबवी युग से औरत के मस्जिद आने के विभिन्न घटनाओं की पड़ताल करने के बाद यह उचित मालूम होता है कि हम नबी करीम (सल्ल.) के इस रवैये पर विचार करें के आप (सल्ल.) इशा की नमाज़ देर से पढ़ा करते थे। क्यांकि इशा की नामज़ देर से ही पढ़ना बेहतर है। लेकिन हम देखते है कि जब हज़रत उमर नबी करीम (सल्ल.) को यह सूचना देते हैं कि ''औरतें और बच्चे सो गये हैं'' तो आप (सल्ल.) बच्चों और औरतों को ध्यान में रखते हुए जल्दी घर से निकल आते हैं और इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ा देते है। इसी तरह हम नबी करीम (सल्ल.) के इस रवैये पर विचार करें कि नबी करीम (सल्ल.) नमाज़ पढ़ाना शुरू करते हैं। आप (सल्ल.) चाहते हैं कि नमाज़ ख़ूब लम्बी करें। क्योंकि लम्बी नमाज़ पढ़ने में ही भलाई है। लेकिन इसी बीच आप (सल्ल.) की किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है तो आप (सल्ल.) अपनी नमाज़ हल्की कर देते हैं ताकि उस बच्चे की माँ अधिक परेशानी का शिकार न हो। यह भी नबी (सल्ल.) की विवेकपूर्ण व स्नेहपूर्ण युक्ति आप देखें कि फ़ज्र की नमाज़ मस्दिज में जमाअ़त से पढ़ने के लिए जाने वाली एक महिला के साथ बलात्कार कर लिया जाता है लेकिन इसके वापजूद नबी करीम (सल्ल.) ने फ़ज्र में औरतों के मस्दिज आने के बारे में कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसके कारण उसको मस्जिद आने में और फ़ज्र की नमाज़ में क़ुरआन की तिलावत सुनने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसके कारण औरतें अपने बच्चों को अपने साथ मस्जिद न ला सकें, क्योंकि आप (सल्ल.) को इस बात का ध्यान था कि औरतों के मौजूद न होने की स्थिमि में घर पर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इन तमाम बातों से हमें मालूम होता है कि इसके वावजूद कि औरत मर्द से कुछ भिन्न है लेकिन मस्जिद के दरवाज़े उसके लिए उसी तरह खुले रहने चाहिए जिस तरह कि कि मर्दों के लिए खुले रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मुसलमानों के आदर सम्मान के बारे में, या अल्लाह के दीन के बारे में नबी करीम (सल्ल.) से अधिक ग़ैरतमन्द है। जहां नबी (सल्ल.) इस बारे में बड़े ग़ैरतमन्द थे कि मुसलमानों की आबरू रौंदी न जाये वहीं नबी करीम (सल्ल.) इस बारे में भी बड़े ग़ैरतमन्द थे कि औरतों की बुद्धि कमज़ोर न हो और न ही उनके दिल टूटने पायें।

क्या आज की औरतें नमाज़ में क़ुरआन की तिलावत सुनने और नसीहत की बातें सुनने की उन सहाबी महिलाओं से कम ज़रूरतमन्द हैं। जो मस्जिदे नबवी में आया करती थीं? उलमा नबियों के वारिस हैं। अतः हमारे युग की महिलाएं यद्यपि नबी करीम (सल्ल.) से सीधे कुछ प्राप्त करने से वंचित हैं लेकिन वह नबी (सल्ल.) के वारिसों से तो प्राप्त कर ही सकती हैं। इस बात को कहने की कोई वैधता नहीं कि औरतों को उनके माता–पिता

या उनके पति शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पिता या पति के अन्दर इतनी योग्यता हो कि वह अपनी बेटी या बीवी को उचित ढंग से शिक्षा दे सके और उसको नसीहत कर सके। अगर यह कहा जाये कि जमाना ख़राब हो गया है इस लिए औरतों का मस्जिद के लिए निकलना ठीक नहीं है तो हम यह कहेंगे कि औरत का मस्जिद जाना ही इस ख़राबी और फ़साद को मिटाने के तमाम तरीक़ों में से एक तरीक़ा है।

हालात और ज़माने को ध्यान में रखते हुए कभी–कभी वैध चीज़े पसन्दीदा या अनिवार्य हो जाती है। हमारे आज के समाज में औरत से जुड़ी हर चीज़ में विचलन सामान्य हो चुका है चाहे वह स्कूल हो या अख़बार या रेड़ियो टेलीवीज़न हो या औरत से जुड़े रस्म रिवाज, इन सब चीज़ों में विचलन पाया जाता है। अतः हमारे इस समाज में औरत के लिए यह बात अनिवार्य हो गई है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार पांचों नमाज़ों में और जुमा की नमाज़ में मस्जिद आये। नसीहत और भाषण सुनने के लिए मस्जिद आये। तरावीह की नमाज़ों में देर तक खड़े होकर क़ुरआन का सुनना कितना ही भला लगता है। अतः औरत को गन्दी ख़ुराकों और गन्दे विचारों से सुरक्षित रखने के लिए उसको बौद्धिक और आध यात्मिक (रूहानी) ख़ुराक पहुंचाना और उसे अच्छे विचारों से सुशोभित करना अनिवार्य है। आज के समाज में बुराई के काम करने के बहुत से प्रेरक पाये जाते हैं। उनके संघर्ष में औरत के अन्दर भलाई के काम करने की भावना को उभारना और अच्छे कामों की ओर उनका मार्ग दर्शन करना अधिक अनिवार्य है। इसी तरह यह बात भी अनिवार्य है कि आज के समाज में जहां एक तरफ़ ऐसी लड़कियाँ और औरतें पाई जाती हैं जो आधी नंगी रहती हैं। स्वयं भी मर्दों की तरफ़ झुकती हैं और मर्दों को भी अपनी तरफ़ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे माहौल में मोमिन औरतों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराये जायें जहां वह नेक महिलाओं से मिल सकें और उनसे अपना परिचय बढ़ाये।

नबी करीम (सल्ल.) की हदीस ''औरतों को मस्जिद में उनके हिस्से से न रोको'' हमें एक महत्वपूर्ण बात की तरफ़ आकर्षित करती है। इस हदीस में जहां एक तरफ़ यह बात बताई गई हैं कि औरतें का मस्जिद जाना वैध है और औरत को इसका अधिकार है कि वह अपने इस अधिकर का प्रयोग करे या न करे। वहीं इस हदीस में औरत के पिता और पति से सम्बन्धित यह बात बताई गई है कि यद्यपि शरीअ़त ने उन्हें औरत का अभिभावक बनाया है लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि उसे मस्जिद जाने के उसके अधिकार से वंचित कर सकें।

निचोड़ यह है कि औरत का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना वैध है। औरत के अभिभावकों के लिये यह वैध नहीं है कि वह उसे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति न दें, न ही उन्हें इस बात का अधिकार है कि वह औरत को मस्जिद जाने से रोक सकें,

एक बहुत ही खेदजनक बात यह है कि औरत को मस्जिद में उसके अधिकार से वंचित किया जाता रहा है। चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से वंचित किया गया हो जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बेटे ने उनसे कहा था कि हम तो अपनी औरतों को मस्जिद नहीं जाने देंगें, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह मस्जिद को धोखा देने का माध्यम बना लेंगी। या उसे सामूहिक रूप से वंचित किया गया हो। जैसा कि हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं। यह स्थिति नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत से विचलन और सामाजिक जीवन (चाहे उसका सम्बन्ध इबादत से हो या ज्ञानार्जन से हो या युद्ध से हो या मनोरंजक गतिविधियों से हो) के मंचों से औरत के अनुपस्थित रहने का पहला क़दम है। औरत नबवी युग में एक पूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज के युग में औरत को पूरी तरह घर की चारदीवारी में क़ैद कर दिया गया है। चाहे वह पिता का घर हो या पति का घर हो। नबी करीम (सल्ल) की सुन्नत से विचलन का परिनाम यह हुआ कि औरत कमज़ोर पड़ गयी और ज़माने के उतार चढाव के साथ–साथ नबवी युग की औरत और आज की औरत में बहुत अन्तर हो गया है। आज की औरत की तस्वीर पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसकी बुद्धि कमज़ोर हो चुकी है और उसकी मानसिकता का क्षेत्र संकीर्ण हो चुका है।

ज्ञान प्राप्त करने के दौरान मर्द–औरत की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात :

प्रथमः औरतों का मर्दों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मुलाक़ात की घटनाएं :

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमातें हैं कि मैंने ईद की नमाज़ नबी करीम (सल्ल.) के साथ पढी। वह फ़रमाते हैं कि फिर नबी करीम (सल्ल.) ऊपर से नीचे की तरफ़ आये। मानो कि मैं इस समय नबी करीम (सल्ल.) को अपने हाथ से मर्दों को बिठाते हुए देख रहा हूं। फिर आप (सल्ल.) उनके बीच से होते हुए आगे बढे और औरतों के पास जाकर इस आयत की तिलावल की '' ऐ नबी (सल्ल.) जब तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें आकर तुमसे इस बात पर बैअत करें कि वे अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं ठहरायेंगी और न चोरी करेंगी और न व्यभिचार करेंगी और न अपनी संतान की हत्या करेंगी और न अपने हाथों और पैरों के बीच कुछ घड़कर लायेंगी और न किसी भले काम में तुम्हारी अवज्ञा करेंगी, तो उनसे बैअत ले लो और उनके लिए अल्लाह से मुक्ति की दुआ करो! निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील अत्यन्त दयावान है।'' (सूरह मुम्तहिना :12)

जब आप (सल्ल.) इस आयत की तिलावल कर चुके तो औरतों से फ़रमाया क्या तुम लोग इन बातों पर बैअत करती हो? उन औरतों में से एक ने कहा कि हां, उस औरत के अतिरिक्त किसी ने भी आप (सल्ल.) को उत्तर नहीं दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

इब्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे अता ने बताया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फ़रमाया! .... फिर नबी करीम (सल्ल.) औरतों के पास आये और उनको नसीहत की। उस समय आप (सल्ल.) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के हाथ पर टेक लगाये हुए थे। और हज़रत बिलाल अपने कपड़े को फैलाये हुए थे जिसमें औरतें सदक़ा (सदक़ा) की चीजें डाल रही थीं। इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने अता से पूछा, क्या वह ईद की ज़कात थी? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, बल्कि वह सदक़ा था। जो औरतें उस समय कर रही थीं। औरतें उसमें अपनी अंगूठियां तक डाल दे रहीं थीं। मैंने पूछा कि आपका क्या विचार है क्या यह इमाम के लिए अनिवार्य है कि वह औरतों को नसीहत करे? उन्होंने उत्तर दिया कि यह काम इमाम के लिए अनिवार्य है और वह ऐसा क्यों न करे?

इमाम बुख़ारी (रह) ने यह हदीस ''इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करना'' नामक अध्याय में बयान की है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(रह) इसकी व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं। इमाम बुख़ारी ने इस शीर्षक के द्वारा इस तरफ़ संकेत किया है कि उससें पहले जो बात बयान की गई थी कि अपने घर वालों को शिक्षा देना पसन्दीदा है। बल्कि यह इमाम और उसके सहायक के लिए भी पसन्दीदा है....... । काज़ी अयाज यह कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने औरतों को यह नसीहत ख़ुत्बा के दौरान ही की थी। यह इस्लाम के प्रारम्भिक युग की बात है। यह अमल नबी करीम (सल्ल.) के लिए विशेष था। लेकिन इमाम नववी का कहना है कि नबी करीम (सल्ल.) ने यह नसीहत ख़ुत्बा के बाद किया था। वह इसकी दलील उस स्पष्ट हदीस से देते हैं कि ''जब आप ख़ुत्बा दे चुके तो नीचे उतरे और औरतों के पास आये'' और जहां तक उस अमल के नबी करीम (सल्ल.) के साथ विशेष होने का मामला है तो वह भी उचित नहीं है क्योंकि सन्देह के होते हुए विशेषता सिद्ध नहीं होती। अता के इस कथन '' यह काम इमाम पर अनिवार्य है'' से ज़ाहिरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह इमामों के लिये यह अनिवार्य समझते थे कि वे औरतों को नसीहत करें। अतः अयाज़ का कहना है कि इस अमल की अनिवार्यता का अता के अतिरिक्त कोई और समर्थक नहीं। इमाम नववी ने इसे इमाम के विचार पर छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि अगर नसीहत के नतीजे में किसी बिगाड़ की आशंका न हो तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि इमामों पर औरतों को नसीहत करना अनिवार्य है।

क़ाज़ी अयाज़ के इस कथन का कि यह इस्लाम के प्रारम्भिक दौर की बात है। हमारी तरफ़ से यह उत्तर है कि इब्ने अब्बास ने मक्का विजय के बाद हिजरत की थी और उसके बाद वह आपके (सल्ल.) साथ उस ईद की नमाज़ में सम्मिलित हुए थे। अतः यह इस्लाम के प्रारम्भ की घटना नहीं है।

एक रिवायत में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाते हैं नबी (सल्ल़) ने फ़रमायाः ऐ औरतों सदक़ा करो। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे अधिक संख्या तुम औरतों की थी। औरतों ने पूछा, क्यों ! ऐ अल्लाह के रसूल? मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उनमें से एक तेज़ तर्रार औरत ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल जहन्नम में हमारी ही संख्या क्यों अधि

ाक है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम औरतें बहुत अधिक लानत और व्यंग करती हो। और अपने पतियों की अवज्ञा करती हो। मैंने तुमसे अधिक किसी बुद्धि में कमी वाली और दीन में कमी वाली नहीं देखा जो बुद्धिमान आदमी के दिल व दिमाग़ को बेकार कर देता हो। औरतों ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे दीन और हमारी बुद्धि में कमी क्या है। आपने फ़रमाया ,क्या औरत की गवाही मर्द की आधी गवाही की श्रेणी में नहीं है? औरतों नें कहा क्यों नहीं? आपने फ़रमाया कि यह औरत की बुद्धि में कमी होने की बात है। क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत का मासिक धर्म आता है तो वह न तो नमाज़ पढ़ती है और न ही रोज़ा रखती है। औरतों ने कहा जी हां, आपने फ़रमाया कि यह उसके दीन के कम होने की बात है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि) फ़रमाते हैं कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मर्द आपकी हदीस लेकर चले गये (एक रिवायत में है कि आपके सिलसिले में मर्द हमसे आगे बढ गये हैं) अतः आप अपनी तरफ़ से हमारे लिए एक दिन निर्धारित कर दें, उस दिन हम आपके पास आया करें और आप हमें वे बातें सिखायें जिनको अल्लाह ने आपको उपहार में दिया है। आपने (सल्ल.) फ़रमाया तुम लोग आमुक दिन आमुक स्थान पर एकत्र हो जाओ। अतः औरतें एकत्र हुईं, आप (सल्ल.) उनके पास गये और उनको वे बातें बताईं जो अल्लाह ने आपको बताई थीं। फिर आप (सल्ल) ने फ़रमाया कि तुममें से जिस औरत के तीन बच्चे उसके जीवन में ही मर जायें तो वह बच्चे उस औरत को जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होंगे। उनमें से एक औरत ने कहा कि अगर दो ही बच्चों की मौत हुई हो? अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि उस औरत ने यह बात दो बार दोहराई, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि हां दो भी, दो भी, दो भी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यह बात स्पष्ट रहे कि औरतें मस्जिद में मर्दों के साथ नबी (सल्ल.) का ख़ुत्बा भी सुना करती थीं और उसके साथ–साथ अल्लाह के रसूल ने उनके लिए एक दिन भी निर्धारित किया था।

उम्मुल फ़ज़्ल फ़रमाती हैं कि अरफह के दिन उनके यहां कुछ लोग नबी (सल्ल.) के रोज़े के सिलसिले में बहस कर बैठे। कुछ ने कहा कि आप रोज़े से है जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आप (सल्ल.) रोज़े से नहीं हैं। मैंने नबी (सल्ल.) के पास दूध का एक प्याला भेजा, उस समय आप अपने ऊंट पर बैठे हुए थे। आपने (सल्ल) प्याले का दूध पी लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। एक यह कि किसी ज्ञान के मामले में मर्द और औरत के बीच बहस हो सकती है। इस हदीस से उम्मुल फ़ज़्ल की बुद्धिमानी का भी ज्ञान होता है कि उन्होंने एक शरई आदेश जानने के लिए एक बहुत ही रोचक और उचित तरीक़ा अपनाया। क्योंकि वह गर्मियों के दिन थे और समय दोपहर का था।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मुझे उम्मे शरीक ने बताया कि उन्होंने नबी (सल्ल.) को फ़रमाते हुए सुना कि लोग दज्जाल से भाग कर पहाड़ों पर चले जायेंगे, उम्मे शरीक ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल उस दिन अरब वाले कहां होंगे। आप ने (सल्ल.) फ़रमाया कि उस वक़्त उनकी संख्या बहुत कम होगी। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की बीवी हज़रत ज़ैनब जो अपने पति अब्दुल्लाह और अपने पालन–पोषण के अन्तर्गत कुछ यतीमों पर ख़र्च किया करती थीं ने हज़रत अब्दुल्लाह से कहा। आप नबी (सल्ल.) से पूछिये कि अगर मैं आप पर और अपने पालन पोषण के अन्तर्गत आने वाले यतीमों को सदक़ा करती हूं तो क्या यह मेरी तरफ़ से स्वीकार किया जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम नबी (सल्ल.) से स्वंय पूछ लो। फिर मैं नबी (सल्ल.) के पास गई। आपके दरवाज़े पर एक अन्सारी महिला से मेरी मुलाक़ात हुई। उनकी आवश्यक्ता भी वही थी जो मेरी थी। हमारे पास से हज़रत बिलाल (रज़ि) गुजरे, हमने उनसे कहा कि आप नबी (सल्ल.) से पूछें कि अगर हम लोग अपने पति और पालन–पोषण में रहने वाले यतीमों पर ख़र्च करते हैं तो क्या यह स्वीकार कर लिया जायेगा, हमने यह भी कहा कि आप नबी (सल्ल.) को हमारे बारे में मत बताइयेगा, हज़रत बिलाल (रज़ि.) आपके पास गये और आपसे यह बात पूछी, आपने (सल्ल) बिलाल से पूछा कि वे दोनों कौन हैं। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने कहा कि ज़ैनब हैं। आपने पूछा कि कौन सी ज़ैनब? हज़रत बिलाल ने कहा कि अब्दुल्लाह की बीवी आपने (सल्ल) फ़रमाया कि हां यह सदक़ा स्वीकार किया जायेगा और उन्हें दो गुना बदला मिलेगा। एक रिश्ते का इनाम और एक सदक़ा का इनाम। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा (रज़ि) फ़रमाते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मेरे पास तो मात्र वही पैसे होते हैं जो मुझे ज़ुबैर देते हैं तो क्या मैं सदक़ा कर सकती हूं, आपने (सल्ल.) फ़रमाया कि सदक़ा करो और कंजूसी न करो? अन्यथा तुम्हारे साथ भी कंजूसी का मामला किया जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बा ने कहा ऐ अल्लाह के सूल अबू सूफ़ियान बहुत कंजूस आदमी हैं। वह मुझे इतना भी नहीं देते जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए पर्याप्त हो। हां मैं उनकी जानकारी में लाए बिना उनके पास से कुछ ले लेती हूं, आप ने (सल्ल.) फ़रमाया तुम अच्छे तरीक़े से इतना ले लो जितना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए पर्याप्त हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) के ज़माने में मेरे पास मेरी मुशरिक मां आईं। मैंने इस सिलसिले में आपसे पूछा कि मेरी माँ आयी हैं और वह मुझसे मिलना चाहती है क्या मैं उनके साथ रिश्तेदारी निभाऊं। आपने (सल्ल) फ़रमाया हां, अपनी माँ के साथ रिश्ता निभाओ (सिला रहमी करो)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू सलमा बिन अर्ब्दुहमान औफ़ फ़रमाते हैं कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ने उनको बताया कि वह अबू अम्र बिन आस बिन मुग़ीरा के निकाह में थीं। उन्होंने उनको आख़िरी, तीसरी तलाक़ भी दे दी। फिर फ़ातिमा कहती हैं कि फिर वह नबी (सल्ल.) से यह पूछने आईं

कि क्या वह अपने घर से निकल कर कहीं और जा सकती हैं? आपने सल्ल. उनको अन्धे सहाबी इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में स्थानान्तरित होने का आदेश दिया। (मुस्लिम)

हज़रत सबीआ बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं कि वह सअद बिन ख़ौला के निकाह में थीं। हज्जतुल विदा में सअद बिन ख़ौला की मौत हो गई। वह उस वक़्त गर्भवती थीं। उनकी मौत के कुछ दिन बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर उनके पास अबू सनाबिल आये और कहा । तुम उस वक़्त तक शादी नहीं कर सकतीं जब तक कि चार महीने और दस दिन न गुज़र जायें। सबीआ कहती हैं कि उनके यह बात कहने पर मैंने शाम को अपना कपडा समेटा और नबी सल्ल. के पास चली गई। मैंने इस सिलसिले में आपसे पूछा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि प्रसव के बाद मेरी इद्दत पूरी हो गई है। आपने मुझसे फ़रमाया कि अगर मैं चाहूं तो शादी कर लूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि सबीआ की इस घटना से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। जैसे इससे उनकी बुद्धिमानी मालूम होती है कि जब अबू सनाबिल ने इद्दत के सम्बन्ध में उनको एक फ़तवा दिया तो उनको उसमें इतना सन्देह हुआ कि वह स्वयं नबी सल्ल. से इस मसले के बारे में पूछ बैठीं। इससे यह भी पता चलता है कि औरत अपने मसले स्वयं पूछ सकती है चाहे वे मामले ऐसे ही क्यों न हों जिनको पूछने हुए आम तौर से औरतें शर्माती हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि जुहैना क़बीले की एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने हज्ज करने की मन्नत मानी थी लेकिन हज्ज से पहले उनकी मौत हो गई। क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज कर सकती हूं, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया हां तुम अपनी मां की तरफ़ से हज्ज कर लो। तुम्हारा क्या विचार है अगर तुम्हारी माँ क़र्ज़दार होती तो क्या तुम उनका क़र्ज़ अदा करती। अतः अल्लाह का क़र्ज़ भी अदा करो। अल्लाह इस बात का अधिक हक़दार है कि उससे किये हुए वादे को पूरा किया जाये। (बुख़ारी)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद ने फ़रमाया कि गोदने वाली और गोदवाने वाली औरतों पर, भवें उखाड़ने वाली, सुन्दरता को बिगाड़ने वाली और अल्लाह की रचना में बदलाव करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत (फटकार) हो। उनकी यह बात क़बीला बनू असद की एक औरत उम्मे याक़ूब तक पहुंची, उन्होंने हज़रत इब्ने मस्ऊद से कहा कि आपने आमुक आमुक क़िस्म की औरतों पर अल्लाह की लानत भेजी है। इब्नने मस्ऊद ने फ़रमाया । मैं क्यों न उन औरतों पर लालत भेजूं जिन पर नबी सल्ल. ने लानत भेजी है और जिन पर कुरआन में लानत भेजी गई है। उस औरत ने कहा मैंने पूरा कुरआन पढा है मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। इब्ने मसऊद ने कहा अगर आपने ठीक से कुरआन पढ़ा होता तो उसमें आपको यह बात मिल जाती क्या आपने कुरआन में ''जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज से वह तुम्हें रोके उससे रूक जाओ'' नहीं पढ़ा है औरत ने उत्तर दिया क्यों नहीं? इब्ने मसऊद ने कहा कि नबी सल्ल. ने यह सब करने से मना किया है औरत ने कहा कि मैं आपकी बीवी को ऐसा करते देखती हूं। इब्ने

मसऊद ने कहा कि आप जाकर देख लें औरत ने जाकर देखा तो उनको जो चाहती थी नहीं दिखाई दिया। इब्ने मसऊद ने कहा कि यदि वह ऐसा करतीं तो मैं उसके साथ न रहता । (बुख़ारी व मुस्लिम)

द्वितीय : मर्दों का औरतों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मुलाक़ात की घटनाएं :

आमिर बिन शुरहबील शोअ्बी रजि कहते हैं कि उन्होंने जह्हाक बिन क़ैस की बहन फ़ातिमा बिन्ते क़ैस जो कि पहले हिरज़त करने वालो में से एक थीं। से कहा कि आप मुझे नबी (सल्ल.)की कोई ऐसी हदीस सुनाइये जो आपने सीधे नबी (सल्ल.)से सुनी हो इसी बीच में किसी और का माध्यम न हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसी हदीस सुना सकती हूं। आमिर ने कहा हां मुझे ऐसी ही हदीस सुनाओ। फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ने कहा। मैंने नबी (सल्ल.)के अज़ान देने वाले को मस्जिद में एकत्र होने की पुकार लगाते हुए सुना तो मैं मस्जिद की तरफ़ चल पड़ी और मैंने आपके साथ नमाज़ अदा की मैं औरतों की उस सफ़ में थी जो मर्दों की सफों के बिल्कुल पीछे थी जब नबी (सल्ल.) अपनी नमाज़ पूरी कर चुके तो आप हंसते हुए मिम्बर पर बैठे और आपने (सल्ल.) फ़रमाया या कि हर कोई अपनी नमाज़ की जगह बैठा रहे, आपने फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों एकत्र किया है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्ल. ने फ़रमाया अल्लाह की क़सम मैंने तुम्हें कोई शुभ सूचना देने या किसी चीज़ से डराने के लिए एकत्र नहीं किया है। मैंने तो तुम लोगों को यह बताने के लिए एकत्र किया है कि तमीम दारी एक ईसाई थे। वह मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे बैअत की और इस्लाम क़ुबूल किया। फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जो उस बात से पूरी तरह अनुकूल है जो मैंने तुम लोगों से मसीह दज्जाल के सिलसिले में की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह तीस मर्दों के साथ एक समुद्री नाव पर सवार हुए। (मुस्लिम)

हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा रजि फ़रमाते हैं। मरवान ने फ़ातिमा बिन्ते के पास क़बीसा बिन ज़ुऐब को इस हदीस के बारे में पूछने के लिए भेजा, हज़रत फ़ातिमा ने क़बीसा से बयान कर दी। मरवान ने कहा की हमने तो यह हदीस सिर्फ़ एक औरत से ही सुनी है हम तो वह भरोसे योग्य और मज़बूत तरीक़ा अपनायेंगे जिस पर हमने लोगों को पाया है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस तक मरवान की यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच क़ुरआन से फ़ैसला होगा, अल्लाह तआला फ़रमाता है और तुम उन औरतों को उनके घरों से न निकालो हज़रत फ़ातिमा ने की कि घर से न निकालने वाली बात तो उस औरत के बारे में कही गई है जिससे रूजुअ की आशंका बची हो लेकिन तीन तलाक़ के बाद किस चीज़ की आशा शेष रह जाती है? तुम लोग कैसे कहते हो कि उसके लिए दैनिक ख़र्च (नफक़ा) नहीं है। अगर वह गर्भवती नहीं है तो फिर तुम लोग किस बुनियाद पर उसे रोकते हो। (मुस्लिम)

हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा (रज़ि.) कहते हैं कि उनके पिता ने उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरकम अज़हरी को लिख भेजा कि सबीआ बिन्ते हारिस असलमीया (रज़ि.) के पास जाएँ और उनसे उनकी हदीस के बारे में पूछें और यह पूछें कि जब उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) से इस बारे में पूछा था। तो आप (सल्ल.) ने उनसे क्या कहा था। उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ने अब्दुल्लाह बिन उत्बा को लिखा कि उनको सबीआ बिन्ते हारिस ने बताया कि वह सअ़द बिन ख़ौला के निकाह में थीं। सअ़द बिन ख़ौला का सम्बन्ध बनू आमिर से था। वह बद्र की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे। हज्जतुल विदा में उनकी मौत हुई......... (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम अलकुरा कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से, हज्जे तमत्तोअ(जिसमें हज्ज और उमरा दोनों की नीयत की जाये) की अनुमति चाही तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। हालांकि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हज्जे तमत्तोअ़ से मना किया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि इब्ने ज़ुबैर की माँ बयान करती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज्जे तमत्तोअ की अनुमति दी है। अतः तुम उनके पास जाओ, और उनसे पूछो कि क्या नबी करीम (सल्ल.) ने हज्जे तमत्तोअ़ की अनुमति दी है? मुस्लिम कहते हैं कि फिर मैं इब्ने ज़ुबैर की अम्मी के पास गया तो देखा कि एक भारी भरकम दृष्टिहीन महिला बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज्जे तमत्तोअ की अनुमति दी है। (मुस्लिम)

ताऊस कहते हैं कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास के पास था। उनसे ज़ैद बिन साबित ने कहा। क्या आप यह फ़तवा देते हैं कि मासिक धर्म वाली औरत विदाई वाला तवाफ़ किये बिना लौट जायेगी? इब्ने अब्बास ने उनसे कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो आप आमुक अन्सारी महिला से पूछ आयें कि क्या उनको नबी करीम (सल्ल.) ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था? ताऊस कहते हैं कि फिर ज़ैद बिन साबित हंसते हुए इब्ने अब्बास के पास आये और कहा कि आपने सहीह कहा था। (मुस्लिम)

हज्ज के दौरान मर्दों और औरतों की भागीदारी और उनकी मुलाक़ात :

हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि हज्जतुल विदा में हम लोग नबी करीम (सल्ल.) के साथ निकले और हमने उमरा के लिए एहराम बांधा, फिर नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिसके पास 'हदी' अर्थात क़ुर्बानी का जानवर हो वह उमरा के साथ हज्ज का भी एहराम बांध ले फिर उस वक़्त तक एहराम न खोले जब तक कि वह उमरा और हज्ज दोनों न कर ले। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत हफ़्सा रज़ि. ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल लोगों ने तो उमरा के बाद अपना एहराम उतार दिया है लेकिन आपने उमरा के बाद अपना एहराम क्यों नहीं उतारा? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैंने अपने बालों को जमा लिया है और अपने हदी के गले

में पट्टा बांध दिया है। अतः जब तक मैं हदी को ज़बह नहीं कर लेता हूं एहराम नहीं उतारूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल बिन्ते हारिस(रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अरफ़ा के दिन (इस्लामी कलेण्डर के अन्तिम महीने ज़िल–हिज्जः की नवी तारीख़) उनके पास कुछ लोग नबी करीम (सल्ल.) के रोज़े के बारे में बहस करने लगे। कुछ ने कहा कि आप (सल्ल.) रोज़े से हैं कुछ ने कहा कि आप (सल्ल.) रोज़े से नहीं हैं। मैंने आप (सल्ल.) के पास दूध का एक प्याला भेजा, उस वक़्त आप (सल्ल.) ऊँट पर बैठे हुए थे। आप (सल्ल.) ने दूध पी लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम लोग मुज़्दल्फ़ा (मक्के में एक जगह) में उतरे तो हज़रत सौदा (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) से अनुमति मांगी कि लोगों की भीड़–भाड़ से पहले रवाना हो जायें। वह बहुत सुस्त चलने वाली महिला थीं। अतः आप (सल्ल.) ने उनको अनुमति दे दी। वह लोगों की भीड़ से पहले ही निकल पड़ीं, जबकि हम लोग सवेरे तक वहीं ठहरे रहे और जब आप (सल्ल.) लौटे तो हम भी लौटे। अगर मैं भी हज़रत सौदा की तरह आप (सल्ल.) से अनुमति ले लेती तो मुझको तमाम ख़ुशी की चीज़ों में यह बहुत ही पसन्द होता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यहया बिन हसीन कहते हैं कि मैंने अपनी दादी उम्मुल हसीन को कहते हुए सुना कि मैंने हज्जतुल विदा में नबी करीम (सल्ल.) के साथ हज्ज किया। जब शैतान को कंकड़िया मारकर मुड़े तो मैंने नबी (सल्ल.) को देखा। आप (सल्ल.) उस मसय अपनी सवारी पर थे। आप (सल्ल.) के साथ बिलाल और ओसामा (रज़ि.) थे। उनमें से एक आप (सल्ल.) की सवारी को हांक रहे थे और दूसरे आप (सल्ल.) के सिर पर अपना कपड़ा फैलाये हुए थे ताकि आप (सल्ल.) धूप से सुरक्षित रहें। उम्मुल हसीन कहती हैं कि उस समय नबी करीम (सल्ल.) ने बहुत सी बातें कहीं। फिर मैंने आप (सल्ल.) को यह कहते हुए सुना, अगर कटे हुए कान वाला कोई काला हब्शी भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाये और वह क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा नेतृत्व करे तो तुम उसका अनुसरण करो। (मुस्लिम)

यहया बिन हसीन कहते हैं कि उनकी दादी उम्मे हसीन ने हज्जतुल विदा के दिन नबी करीम (सल्ल.) को सिर मुँडवाने वालों के लिए तीन बार और केवल बाल छोटे करवाने वालों के लिए एक बार दुआ करते हुए सुना। (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) मक्के में थे। और वहां से निकलकर जाना चहाते थे। उस समय तक उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कअ़बा का तवाफ़ नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी आप (सल्ल.) के साथ वापसी का इरादा कर लिया। (एक रिवायत में है कि उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) से शिकायत की कि मैं तवाफ़ नहीं कर सकती) आप (सल्ल.) ने उनसे कहा कि जब लोग फ़ज्र की नमाज़ के समय नमाज़ पढ़ रहे हों तो तुम अपने ऊँट पर बैठकर तवाफ़ कर लो। अतः उन्होंने

ऐसा ही किया और नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर वह नबी करीम (सल्ल.) के साथ लौट गईं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने जुरैज कहते हैं कि हमसे अता ने बताया कि जब इब्ने हिशाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से रोका, तो अता ने कहा कि आप उनको कैसे रोकते हैं हालांकि नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों ने मर्दों के साथ तवाफ़ किया है (इब्ने जुरैज कहते हैं) मैंने पूछा कि यह घटना परदे की आयत के उतरने से पहले की है या उसके बाद की? उन्होंने कहा मेरी उम्र की क़सम मैंने यह परदे का आदेश उतरने के बाद देखा है। मैंने कहा। नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियां मर्दों के साथ कैसे मिल जाती थीं? उन्होंने कहा कि वे मर्दों के साथ नहीं मिला करती थीं। हज़रत आयशा (रज़ि.) एक अलग कोने में मर्दों से अलग रहकर तवाफ़ किया करती थीं। मर्दों से उनका मेल जोल नहीं होता था। एक औरत ने उनसे कहा। ऐ उम्मुल मोमिनीन चलिये हजरे अस्वद को चूमें, उन्होंने कहा कि तुम जाकर चुम लो। उन्होंने स्वयं चूमने से इन्कार कर दिया। और औरतें रात को इस तरह निकलतीं कि पहचानी न जातीं और मर्दों के साथ तवाफ़ करतीं, हां औरतें जब कअ़बा के अन्दर जाना चाहतीं तो खड़ी रहतीं मर्द बाहर निकाले जाते उस समय अन्दर जातीं। मैं और उबैद बिन उमैर हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास जाया करते, वह सबीर नामक पहाड़ पर ठहरी थीं। मैंने कहा। उनका परदा क्या था। उन्होंने कहा कि वह तुर्की ख़ेमे में थीं। उस पर परदा पड़ा था। बस हमारे और उनके बीच में यही परदा था। मैंने देखा कि वह गुलाबी क़मीस पहने थीं। (बुख़ारी)

जेहाद में मर्दों और औरतों की भागीदारी और मुलाक़ात

प्रथमः इमाम बुख़ारी ने किताबुल जेहाद में निम्नलिखित अध्याय बयान किये हैं :

(क) मर्दों और औरतों का शहादत और जेहाद के लिए दुआ करने का अध्यायः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) उम्मे हराम बिन्ते मल्हान (रज़ि.) के पास जाया करते थे......... नबी करीम (सल्ल.) सो गये। फिर हंसते हुए उठे। उम्मे हराम कहती हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समुद्र में जाकर अल्लाह के रास्ते में जेहाद करेंगे, वे मुझे तख़्तों पर बैठे हुए बादशाहों के रूप में दिखाये गये...... मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल(सल्ल.) आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वह मुझे भी उन लोगों में सम्मिलित फ़रमाये। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने उनके लिए दुआ कर दी फिर आप (सल्ल.) सो गये। दूसरी बार फिर हंसते हुए उठे, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आप क्यों हंस रहे हैं? आप (सल्ल.) ने पहले ही की तरह फ़रमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में जेहाद करते हुए प्रस्तुत किये गये। उम्मे हराम कहती हैं कि मैंने कहा।

ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दें कि वह मुझे भी उन लोगों में सम्मिलित फ़रमाये। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम्हारा सम्बन्ध पहले वाले विजय प्राप्त करने वालो से है। अतः मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के ज़माने में उम्मे हराम समुद्र में जेहाद के लिए गईं, समुद्र से निकलने के बाद वह अपनी सवारी से गिर पड़ी और इस तरह उनकी मौत हो गईं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) समुद्र में जाकर औरत के जेहाद करने का अध्यायः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) उम्मे हराम बिन्ते मल्हान के पास गये और उनके पास टेक लगाकर बैठ गये। फिर आप (सल्ल.) हंसे............(इमाम बुख़ारी ने यहां पर उम्मे हराम की घटना के बारे में दूसरी रिवायत बयान की हैं)

(ग) मर्दों के साथ मिलकर औरतों के जेहाद करने और युद्ध करने का अध्यायः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उहद के दिन हम लोग नबी करीम (सल्ल.) से पीछे रह गये.......... मैंने हज़रत आयशा बिन्ते अबी बक्र और हज़रत उम्मे सुलैम को देखा कि वे दोनों अपने पायंचे चढ़ाये हुए हैं। मुझे उन दोनों की पिण्डली दिखाई दे रही थी। वे दोनों अपनी पीठों पर मिश्कीज़े उठाये हुए थीं और लोगों को पानी पिला रही थीं। फिर वे दोनों वापस होतीं, मिश्कीज़ो को भरतीं, उसे लेकर आतीं और लोगों को पानी पिलातीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि युद्ध में औरतों की भागीदारी से सम्बन्धित हदीसों में मुझे इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिला कि औरतों ने लड़ाई और युद्ध भी किया है। इसी लिए इब्नुल मुनीर ने कहा कि इमाम बुख़ारी ने औरतों के युद्ध करने के बारे में अध्याय स्थापित किया है। हालांकि हदीस में इसका उल्लेख नहीं है। इससे या तो इमाम बुख़ारी यह बताना चाहते हैं कि औरतों का मुजाहिदों की मदद करना ही उनके लिये जेहाद और युद्ध है। या इमाम बुख़ारी यह बताना चाहते हैं कि औरतों ने घायलों को पूरी तरह जमे रहकर पानी इसीलिए पिलाया क्योंकि उनको इतनी क्षमता प्राप्त हैं कि वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। यही बात अधिक वरीयता प्राप्त है। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अनस (रज़ि.) के हवाले से एक रिवायत नक़ल की है कि उम्मे सुलैम ने हुनैन के दिन एक ख़न्जर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह ख़न्जर इसलिए लिया ताकि अगर कोई मुशरिक मेरे निकट आये तो मैं उससे उसका पेट फाड़ दूं।

(घ) जेहाद में औरतों का लोगों के पास मिश्कीज़ा लेकर जाने का अध्यायः

हज़रत सअ़लबा बिन मालिक फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने मदीने की औरतों के बीच चादरें बॅाटी; उनमें से एक अच्छी चादर बच गई। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा ऐ अमीरूल मोमिनीन यह चादर नबी करीम (सल्ल) की उस बेटी को दे दीजिये जो आपके निकाह में है (अर्थात उम्मे कुल्सूम बिन्ते अली)

हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया कि उम्मे सुलैत इस चादर की अधिक हक़दार हैं। उम्मे सुलैत एक अन्सारी महिला थीं जिन्होंने नबी करीम (सल्ल.) से बैअत की थीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया उहद के दिन उम्मे सुलैत हमारे लिए मिश्कीज़े भर–भर कर लाती थीं। (बुख़ारी)

द्वितीयः सहीह मुस्लिम के किताबुल जेहाद में निम्नलिखित अध्याय स्थापित किये गये हैं:

(क) औरतों का मर्दों के साथ मिलकर जेहाद करने का अध्यायः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) जेहाद में उम्मे सुलैम और अन्सार की कुछ महिलाओं को ले जाते थे। जब आप (सल्ल.) युद्ध करते तो ये महिलाएं लोगों को पानी पिलाया करती थीं और घायलों का इलाज किया करती थीं। (मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुनैन के दिन उम्मे सुलैम ने एक ख़न्जर लिया। वह ख़न्जर उनके पास ही था कि उस पर अबू तलहा की निगाह पड़ गई। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल उम्मे सुलैम अपने पास ख़न्जर रखे हुए हैं। नबी करीम (सल्ल.) ने उम्मे सुलैम से पूछा कि यह ख़न्जर कैसा है? उन्होंने उत्तर दिया मैंने यह ख़न्जर इस लिए लिया है ताकि यदि कोई मुशरिक मेरे निकट आये तो मैं इससे उसका पेट फाड़ दूं, यह सुनकर नबी करीम (सल्ल.) हंसने लगे। (मुस्लिम)

(ख) जेहाद करने वाली महिलाओं का अध्यायः

हफ़्सा बिन्ते सीरीन कहती हैं कि उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) के साथ सात युद्धों में भाग लिया। मैं लोगों के कजावों में रूक जाया करती थी। उनके लिए खाना पकाती, घायलों का इलाज़ करती और बीमारों की देखभाल करती थी (मुस्लिम)

हफ़्सा बिन्ते सीरीन की एक रिवायत बुख़ारी में भी है। वह कहती हैं कि हम लोग ईद के दिन अपनी लड़कियों को ईदगाह जाने नहीं दिया करते थे। इसी बीच एक महिला आयीं और वह इब्ने ख़लफ़ के यहां ठहरीं। मैं उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन के पति नबी करीम (सल्ल.) के साथ बारह युद्धों मे सम्मिलित थे। जिनमें से छः युद्धों में उनकी बहन(उम्मे अतिया) अपने पति के साथ थी; उनकी बहन कहती हैं कि हम लोग बीमारों की सेवा किया करते थे और घायलों का इलाज किया करते थे। (मुस्लिम)

तृतीयः इब्ने सअ़द की 'तब्क़ातुल कुब्रा' में अनेक ऐसी रिवायतें हैं जिनमें ख़ैबर के युद्ध में बहुत सी औरतों की भागीदारी का उल्लेख है। उन्हीं औरतों में से एक उम्मे सनान असलमीया हैं।, वह कहती हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) ने ख़ैबर की तरफ़ निकलने का इरादा किया तो मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास आई और मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल इस सफ़र में मैं भी आपके साथ निकलूंगी, मैं मिश्कीज़ों से पानी

पिलाऊंगी बीमारों और घायलों का इलाज करूंगी। और लोगों के कजावों की रक्षा करूंगी। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ो। तुम्हारी कुछ सहेलियों ने भी मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने उनको अनुमति दे दी है। उनमें से कुछ का सम्बन्ध तुम्हारे क़बीले से है और कुछ दूसरे क़बीलों से सम्बन्ध रखती हैं। तुम चाहो तो अपने क़बीले की औरतों के साथ हो जाओं। चाहो तो हमारे साथ हो जाओ। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम मेरी बीवी उम्मे सलमा के पास चली जाओ। अतः मैं उन्हीं के साथ रही।

तब्कातुल कुब्रा की रिवायतों के अनुसार ख़ैबर के युद्ध में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम निम्न में लिखे जाते हैः

उम्मे सनान असलमीया। उम्मे ऐमन, नबी (सल्ल.) की सेविका सलमा, अबू राफ़ेअ़ की बीवी कईबा बिन्ते सअ़द असलमीया। उम्मे मुताअ़ असलमीया। उमैया बिन्ते क़ैस ग़िफ़ारिया। उम्मे आमिर अश्हलीयः उम्मे ज़हहाक बिन्ते मसऊद हारिसीया। हिन्द बिन्ते अम्र बिन हराम, उम्मे मनीअ़ बिन्ते अम्र, उम्मे अम्मारा नसीबः बिन्ते कअ़ब, उम्मे सुलैत नज़ारिया उम्मे सुलैम, उम्मे अतीया अन्सारीया और उम्मुल अला अन्सारिया (रज़ि.) तव्क़ातुल कुब्रा की कुछ रिवायतों से सहीह मुस्लिम और सहीह बुख़ारी की कुछ रिवायतों की पुष्टि होती है। तब्क़ातुल कुब्रा की कुछ रिवायतो से यह पता चलता है कि उम्मे सुलैम ख़ैबर की लड़ाई में सम्मिलित थीं। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने ख़ैबर पर हमला किया। फिर आपने हज़रत सफ़ीया को आज़ाद किया और शादी कर ली. .... रास्ते में उम्मे सुलैम ने हज़रत सफीया (रज़ि.) को नबी (सल्ल.) के लिए तैयार किया।

शरीयत के बनाने वाले(अल्लाह तआला) ने जेहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है जबकि औरतों पर जेहाद को फ़र्ज़ नहीं किया। क्योंकि जेहाद बहुत अधिक साहस शक्ति और कठोरता चाहता है। और औरत का कोमल शरीर और उसकी कोमल भावनाएं इस बात को सहन करने योग्य नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ने उन औरतों को जेहाद में चाहने पर भाग लेने की अनुमति दी है। जो अपने अन्दर जेहाद की शक्ति और क्षमता पाती हों, यह मसला उस स्थिति में है जब जेहाद फ़र्ज़े किफ़ाया हो। लेकिन यदि जेहाद फ़र्ज़े ऐन का रूप ले ले और मर्द जेहाद की आवश्यकता पूरी न कर पा रहें हों, तो ऐसी स्थिति में उन पर जेहाद फ़र्ज़ हो जाता है। जो जेहाद में जाने की क्षमता रखती हों। इस तरह शरीअत ने औरत के लिए ऊँचे कामों को करने का रास्ता बन्द नहीं किया बल्कि उसके लिए तमाम दरवाज़े खुले छोड़ दिये हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इब्ने बत्ताल का यह कथन नक़ल किया है कि औरतों पर जेहाद अनिवार्य नहीं है। लेकिन नबी (सल्ल.) के कथन ''तुम औरतों का जेहाद हज्ज है'' का यह अर्थ नहीं है कि औरतों को चाहने पर जेहाद में भाग लेने की भी अतुमति नहीं है बस औरतों पर जेहाद फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन वह चाहने पर जेहाद में भाग ले सकती हैं।

नेकी का आदेश और बुराइयों से रोकने के काम के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात :

अल्लाह फ़रमाता हैः ''मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। भलाई का आदेश देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। नमाज़ स्थापित करते हैं ज़कात देते हैं और अल्लाह का, फिर उसके रसूल का आज्ञापालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिनपर शीघ्र ही अल्लाह की कृपा अवतरित होकर रहेगी, निःसन्देह, अल्लाह प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है।''

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) हज्ज करके लौटे तो आपने उम्मे सनान अन्सारिया से कहा कि तुम्हें किसने हज्ज करने से रोका, तो उन्होंने कहा कि उनके पति (अबू फ़लां) ने, उनके पास दो ऊँट थे। एक ऊँट पर वह हज्ज के लिए चले गये और दूसरा ऊँट हमारे खेत को सींचता है। आपने (सल्ल.) फ़रमाया कि रमज़ान में उमरा करने से हज्ज की क़ज़ा हो जायेगी या आपने फ़रमाया कि रमज़ान में उमरा करने से मेरे साथ हज्ज करने की क़ज़ा पूरी हो जायेगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि नबी (सल्ल.) ज़बाअ़ः बिन्ते ज़ुबैर के पास गये। वह मिक़्दाद बिन अस्वद के निकाह में थी। आपने (सल्ल.) उनसे कहा। शायद तुम हज्ज करना चाहती हो। उन्होंने कहा मैं कष्ट महसूस कर रही हूं, आपने फ़रमाया तुम हज्ज करो और शर्त लगा दो। अतः तुम कहो, ऐ अल्लाह मै वहां पर एहराम से रूक जाऊँगी जहां आप मुझे रोक लेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उबैदुल्लाह बिन उमैर कहते हैं कि उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि जब अबू सलमा की मौत हुई तो मैंने कहा कि बेचारे एक विदेशी ज़मीन(परदेस) में मौत के मुंह में चले गये। मैं उन पर इतना रोऊँगी कि बाद में भी याद रखा जायेगा, मैं उन पर रोने के लिए तैयार हो गई इसी बीच मदीने की तरफ़ से एक औरत आईं जो रोने में मेरा साथ देना चाहती थी। उसके सामने नबी (सल्ल.) आ गये और फ़रमाया क्या तुम उस घर में शैतान को दाख़िल करना चाहती हो। जहां से अल्लाह ने दो बार उसे निकाला है। यह सुनकर में रोने से रूक गई और नहीं रोई। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) के पास इब्ने हारिसा हज़रत जअफ़र और इब्ने रवाहा की शहादत की ख़बर पहुंची तो आप बैठ गये। चिन्ता के निशान आपके चेहरे दिखायी दे रहे थे। मैं दरवाज़े से झांक कर देख रही थी। उसी वक़्त एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि जअ़फ़र की बीवियां रो रही हैं। आप ने उसे आदेश दिया कि उनकी बीवियों को रोने से मना करे। वह चला गया। उसके बाद दूसरी बार आया, औरतों ने उसकी बात नहीं मानी थी। आपने उससे कहा कि उन औरतों को रोने से मना कर दो। वह व्यक्ति फिर तीसरी बार आया और कहा ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की क़सम ये औरतें हम पर भारी पड़ गईं। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी (सल्ल.) ने उससे कहा कि उन औरतों के मुंह में मिट्टी भर दो। मैंने उससे कहा। अल्लाह तेरा भला

करे। अल्लाह के रसूल ने जो आदेश तुम्हें दिया था तुमने उसे समझा नहीं और तूने आपको कष्ट पहुंचाना भी नहीं छोड़ा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल) की पाक बीवियों को शौच के लिए 'मुनासेआ' नामक स्थान जो कि एक लम्बा चौड़ा मैदान था। में जाना होता तो वे रात को निकला करतीं, हज़रत उमर आप से (सल्ल.) कहा करते थे, कि आप अपनी बीवियों से परदा करायें लेकिन आप (सल्ल.) उनसे परदा नहीं कराते थें आपकी बीवी सौदा बिन्ते ज़मआ एक रात इशा के समय निकलीं वह लम्बी महिला थीं। हज़रत उमर ने उन्हें आवाज़ देकर कहा। ऐ सौदा हमने तुम्हें पहचान लिया। वास्तव में हज़रत उमर ने ऐसा इस आशा में किया था कि शायद परदे का आदेश अवतरित हो जाये। अतः अल्लाह ने परदे का आदेश अवतरित कर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मेरी ख़ाला को तलाक़ दे दी गई। उन्होंने चाहा कि बाग़ में जाकर खजूरें एकत्र करें एक व्यक्ति ने उनको घर से निकलने पर डांटा, इस पर वह नबी (सल्ल.) के पास आईं। आपने (सल्ल.) फ़रमाया कि तुम अपने बाग़ में जाकर खजूरें एकत्र करो। हो सकता है कि तुम उसमें से सदक़ा करो या कोई नेक काम करो। (मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं इदुल फित्र में नबी (सल्ल.) के साथ था.............. फिर आप मर्दों के बीच से होते हुए औरतों के पास आये। आप (सल्ल.) के साथ हज़रत बिलाल (रज़ि.) थे। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने कहा। आते जाओ, नबी (सल्ल) पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि उनके पिता ने अपनी क़ौम के लोगों से कहा कि अल्लाह की क़सम मैं तुम्हारे पास नबी (सल्ल.) के पास से आ रहा हूं। आपने फ़रमाया कि आमुक नमाज़ आमुक समय में पढ़ो, और आमुक नमाज़ आमुक वक़्त पढ़ो, जब तीन लोग एकत्र हो जायें तो तुममें से कोई अज़ान दे और तुममें से वह इमामत करे जिसे सबसे अधिक कुरआन याद हो। लोगों ने देखा तो मुझसे अधिक किसी को कुरआन याद नहीं था। क्योंकि मैं आने वाले मुसाफ़िरों से कुरआन याद कर लिया करता था। अतः लोगों ने मुझे इमामत के लिए बढ़ा दिया। उस वक़्त मैं छः या सात साल का था। मैं एक चादर ओढ़े था जब मैं सजदा करता तो वह गिर जाती। मुहल्ले की एक औरत ने कहा। आप लोग अपने इमाम के कुल्हे हमसे छिपा क्यों नहीं देते। अतः लोगों ने मेरे लिये कपड़ा ख़रीदा और एक क़मीस बना दी। में उस क़मीस से जितना ख़ुश था इतना ख़ुश मैं किसी चीज़ से नहीं हुआ। (बुख़ारी)

हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र अहमस नामक क़बीले की एक औरत, ज़ैनब बिन्ते अल–मुहाजिर के पास गये। आपने देखा कि वह बात नहीं कर रही हैं। तो आप ने पूछा कि ये बात क्यों नहीं करती। लोगों ने बताया कि इस ने चुप रह कर हज्ज करने की मन्नत मानी हैं। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा कि बात करो क्योंकि

चुप रहना वैध नहीं है। यह अज्ञानता का काम है। अतः वह औरत बात करने लगी, उसने पूछा आप कौन हैं, हज़रत अबू बक्र (रज़ि) ने कहा कि मैं एक मुहाजिर हूं, उसने पूछा कौन से मुहाजिर हज़रत अबू बक्र ने कहा क़ुरैश के मुहाजिर, उसने कहा क़ुरैश के किस क़बीले से सम्बन्ध है। अबू बक्र ने कहा तुम बहुत सवाल करने वाली हो। मैं अबू बक्र हूं, फिर उसने पूछा कि हम इस दीन पर कब तक बाक़ी रहेंगे जिसे अल्लाह ने अज्ञानता के बाद हमारे पास भेजा है। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने उत्तर दिया कि तुम लोग इस दीन पर उस समय तक बाक़ी रहोगे जब तक तुम्हारे इमाम लोग सीधे रास्ते पर रहेंगे, उसने पूछा ये इमाम लोग क्या हैं। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा क्या तुम्हारी क़ौम में सरदार नहीं होते जो तुम्हारी क़ौम के लोगों को आदेश देते हैं। तो वह उसका आज्ञापालन करते हैं। उसने कहा क्यों नहीं, हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया यही लोगों के इमाम होते हैं। (बुख़ारी)

हज़रत ज़ैद बिन असलम फ़रमाते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उम्मे दरदा को घर का कुछ सामान अपने पास से भिजवाया। एक रात अब्दुल मलिक उठ बैठा और अपने सेवक को पुकारा। सेवक ने आने में देर कर दी तो उसने उसे बुरा भला कहा जब सवेरा हुआ तो उम्मे दरदा ने कहा कि मैंने रात में देखा कि जब तुमने अपने सेवक को बुलाया तो तुम उसे बुरा–भला कहने लगे। उम्मे दरदा ने कहा कि मैंने अबू दरदा से सुना है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि व्यंग्य और लानत भेजने वाले और बुरा–भला कहने वाले क़यामत के दिन किसी की सिफ़ारिश करने वाले न बन सकेंगे, और न ही किसी के गवाह बन सकेंगे। (मुस्लिम)

हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं................. फिर हज्जाज ने उसे पकड़ा और घमण्ड के साथ तेज़–तेज़ चलता हुआ अस्मा बिन्ते अबू बक्र के पास आया और कहा कि मैंने अल्लाह के दुश्मन अर्थात अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि तुमने उसकी दुनिया बिगाड़ दी और उसने तुम्हारी आख़िरत ख़राब कर दी। मुझे यह पता चला है कि तुम उसे ज़ातुन्नताक़ैन के बेटे कहकर पुकारते थे अल्लाह की क़सम मैं ज़ातुन्नताक़ैन हूं एक नताक़ से मैंने नबी (सल्ल.) और अबू बक्र (रज़ि.) के रास्ते के खाने को सवारी से बांधा था और दूसरा नताक़ वह था जिससे औरत को छुटकारा नहीं। सुन लो नबी ने हमसे बयान किया था कि सक़ीफ़ नामक क़बीले में एक झूठा और एक तबाह करने वाला पैदा होगा, झूठे को तो हमने देख लिया और जहां तक तबाह करने वाले का सम्बन्ध है तो मेरा विचार है कि वह तुम ही हो। अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज वहां से उठ खड़ा हुआ और फिर उनके पास नहीं आया।

किसी अच्छी चीज़ के लेन–देन के समय मर्द–औरत की मुलाक़ातः

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी औरत ने नबी (सल्ल.) से कहा। क्या मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ न बना दूं जिस पर आप बैठा करें। मेरा एक दास बढ़ई है। आप ने (सल्ल.) फ़रमाया जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने आप (सल्ल.) के लिए

एक मिम्बर बनाया। जब जुमे का दिन आया तो आप उस मिम्बर पर बैठे जो आपके लिए बनाया गया था। (मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक बेवा ने जिसके दिमाग़ में कुंछ कमज़ोरी थी। नबी (सल्ल.) से कहा। ऐ अल्लह के रसूल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, ऐ उम्मे फ़लां तुम जिस तरफ़ चाहो मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूंगा। नबी (सल्ल.) एक रास्ते पर उससे एकान्त में मिले, यहां तक कि आपने उसकी आवश्यकता पूरी कर दी। (मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि मैं ज़ुबैर की उस ज़मीन से जो उन्हें नबी (सल्ल.) ने दी थी अपने सिर पर गुठलियां लेकर आया करती थी। यह ज़मीन घर से दो तिहाई फ़रसख़ की दूरी पर थी। एक दिन मैं सिर पर गुठलियां रखकर ला रही थी कि नबी (सल्ल.) रास्ते में मिल गये। आपके साथ कुछ अन्सारी सहाबी भी थे। आपने मुझे बुलाया फिर अपनी ऊंटनी को बिठाया ताकि मुझे अपने पीछे सवार कर लें, मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म महसूस हुई। मुझे ज़ुबैर याद आ गये और उनका आत्मसम्मान याद आ गया। ज़ुबैर बहुत आत्मसम्मान वाले इन्सान थे। नबी (सल्ल.) समझ गये कि मैं शर्म महसूस कर रही हूं अतः वह आगे बढ़ गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि मुहल्लल कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि मर्दों के क़ाफ़िले में सवारी पर मर्द के पीछे औरत को बिठाना वैध है।

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि क़बीला असलम के एक नौजवान ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं जेहाद करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास जेहाद की तैयारी के लिए कुछ नहीं हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि आमुक व्यक्ति के पास जाओ उसने जेहाद के लिए तैयारी की थी। लेकिन फिर बीमार हो गया। वह नौजवान उस व्यक्ति के पास आया और कहा। नबी (सल्ल.) आपको सलाम कहते हैं और कहते हैं कि आपने जेहाद के लिए जो कुछ तैयार किया था वह मुझे दे दें। उन्होंने कहा ऐ आमुक! इसे तमाम वह चीज़ें दे दो जो मैंने जेहाद के लिए तैयार किया था। उसमें से कुछ भी बचाकर रखोगी तो उसमें बरकत नहीं होगी। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक काला मर्द मस्जिदे नबवी में झाड़ू दिया करता था या एक काली औरत मस्जिदे नबवी में झाड़ू दिया करती थी। (बुख़ारी की रिवायत में है कि मेरा विचार है कि वह औरत ही थी) उसकी मौत हो गई। नबी करीम (सल्ल.) ने लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बतया कि उसकी मौत हो गई। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम लोगों ने मुझे उसके मौत की सूचना क्यों नहीं दी। मुझे उसकी क़ब्र बताओ, फिर आप (सल्ल.) उसकी क़ब्र पर आये। और उसके लिए दुआएं की।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि उस औरत का मस्जिद की सेवा के लिए स्वयं को निछावर कर देना उचित था क्योंकि उसके इस अमल पर नबी करीम(सल्ल.) की ख़ामोशी पाई जाती है।

हज़रत बुरैदा(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि युद्ध में पीछे रह जाने वाले मर्दों पर मुजाहिदीन की पाक बीवियों का सम्मान वैसे ही है जैसे उनकी माँ का सम्मान, युद्ध में पीछे रह जाने वाला जो व्यक्ति भी किसी मुजाहिद के घर वालों की देख भाल करता है। फिर उसमें विश्वासघात (ख़यानत) कर गुज़ारता है। तो क़यामत के दिन उस व्यक्ति को रोक लिया जोयगा,फिर वह मुजाहिद उसके अमल (नेकियों से) से जितना कुछ लेना चाहेगा ले लेगा। अतः तुम लोगों का इस सिलसिले में क्या विचार है?

जोड़े की तलाश के समय। शादी का सन्देश देते समय और शादी के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात :

प्रथमः बीवी की तलाश के समय मुलाक़ात

हज़रत सहल बिन सअ़द(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक औरत नबी करीम (सल्ल.) के पास आई और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं स्वयं को आपके हवाले करने के लिए आयी हूं। नबी करीम (सल्ल.) ने उसे देखा। थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर अपने सिर को झुका लिया। उस औरत ने जब देखा कि नबी करीम (सल्ल.) ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो वह बैठ गई (एक रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मुझे आज के दिन किसी औरत की आवश्यकता नहीं।) (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्राहीम बिन सअ़द अपने पिता से बयान करते हैं। और उनके पिता अपने पिता से बयान करते हैं। कि जब वह मदीना आये तो नबी करीम (सल्ल.) ने अब्दुर्रहमान और सअद बिन रबीअ़ के बीच भाई–चारा स्थापित कराया। सअ़द बिन रबीअ़ ने अब्दुर्रहमान(रज़ि.) से कहा कि मैं अन्सार में सबसे अधिक मालदार हूं अतः मैं अपने माल का आधा–आधा दो भाग करूंगा, और मेरी दो बीवियां हैं। देखिये आपको इन दोनों में से कौन अच्छी लग रही है। मुझे उसका नाम बताइये, मैं उसे तलाक़ दे दूंगा, जब इसकी इद्दत के दिन पूरे हो जायें तो आप इससे शादी कर लीजियेगा। अब्दुर्रहमान ने उनसे कहा अल्लाह आपके घर बार और माल–दौलत में बरकत प्रदान करे। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि यदि मर्द किसी औरत से शादी करना चाहता है तो पहले उसे देख सकता है।

द्वितीयः इशारा और संकेत में शादी का सन्देश देने का इरादा प्रकट करते समय मुलाक़ातः

जिस औरत के पति की मौत हो जाये या जिसको उसके पति ने तीन तलाक़ दे दी हो। फिर वह इद्दत गुज़ार रही हो तो इद्दत के दिनों में उसको इशारे से शादी का

सन्देश देने का इरादा प्रकट करने के बारे में कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''इद्दत के दिनों में चाहे तुम उन विधवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे में प्रकट कर दो। चाहे दिल में छिपाये रखो, दोनों हालतों में कोई हानि नहीं, अल्लाह जानता है कि उनका विचार तो तुम्हारे दिल में आयेगा ही, परन्तु देखो गुप्त समझौता न करना, यदि कोई बात करनी है तो भले तरीक़े से करो और निकाह बन्धन का फ़ैसला उस समय तक न करो। जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाये। अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है। अतः उससे डरो, और यह भी जान लो कि अल्लाह उदार है (छोटी–छोटी बातों को) क्षमा कर देता है''। (सूरह बकरः 235)

इशारे में शादी का सन्देश देने का इरादा प्रकट करने की हालत तफ़सीर जलालैन में इस तरह बयान हुई है कि जैसे कोई मर्द ऐसी किसी औरत से कहे, तुम तो बहुत सुन्दर हो। तुम्हारी तरह औरत कहां मिलेगी; तुम्हारे बारे में बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं।

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरा (रज़ि.) ने अय्याश बिन अबी रबीआ के माध्यम से मुझे तलाक़ कहला भेजा, और उनके हाथ मुझे पांच साअ़ खजूर और पांच साअ़ जौ भिजवाया, मैंने कहा। मेरे लिए बस इतना ही नफ़क़ा (इद्दत के लिए ख़र्च) है? मैं तुम लोगों के घर में इद्दत नहीं गुज़ारूंगी, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) कहती है कि फिर मैं कपड़ा पहन कर नबी करीम (सल्ल.) के पास गई। आप (सल्ल.) ने पूछा कि तुम्हारे पति ने तुम्हें कितनी तलाक़ दी है। मैंने कहा तीन तलाक़ दी है। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया उसने ठीक किया। तुम्हें ख़र्च नहीं मिलेगा, तुम अपने चाचा इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में रहो वह अन्धे हैं। और जब तुम्हारे इद्दत के दिन पूरे हों तो मुझको बता देना(एक रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल.) ने उनको कहला भेजा कि तुम अपने बारे में मुझसे आगे न बढ़ना अर्थात अपने इद्दत के दिन पूरे होने के बाद शादी करने से पहले मुझे अवश्य सूचित करना।) (मुस्लिम)

इमाम नववी फ़रमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि इशारे में तलाक़ दी हुई औरत के सामने शादी का सन्देश देने का इरादा प्रकट करना वैध है। यह हमारे यहां (अर्थात शाफ़ई लोगों के यहां उचित है।)

इमसें कोई आश्चर्य नहीं कि नबी करीम (सल्ल.) ने इशारे में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) पर यह स्पष्ट कर दिया कि उनको इद्दत के बाद अपने चहेते ओसामा बिन ज़ैद से शादी का सन्देश देने वाले हैं। हज़रत फ़ातिमा प्रारम्भिक दौर में हिजरत करने वालों में से एक थीं। वह बहुत बुद्धिमान भी थीं और बहुत सुन्दर भी।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत : (सूरह बक़रा की आयत 235 जो अभी गुज़री) की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति इस तरह कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई नेक और अच्छी औरत मिल जाये। (बुख़ारी)

सकीना बिन्ते हन्ज़ला (रज़ि.) फ़रमाती है कि में इद्दत के दिन व्यतीत कर रही थी कि उसी बीच मेरे पास अबू जअ़फ़र मुहम्मद बिन अली आये और कहा। ऐ बिन्ते हन्ज़ला

आप तो नबी करीम (सल्ल.) को भी जानती है कि मेरे नाना का मुझ पर क्या हक़ है। मैंने कहा अबू जअ़फ़र अल्लाह आपको क्षमा करे क्या आप मेरी इद्दत के दौरान मुझे शादी का सन्देश दे रहे हैं। आप से इसकी पकड़ की जायेगी। उन्होंने कहा क्या वास्तव में मैंने शादी का सन्देश दिया है? मैंने तो मात्र नबी (सल्ल.) से अपनी रिश्तेदारी और आप (सल्ल.) की निगाह में अपने उच्च स्थान का उल्लेख किया था।

तृतीय : शादी का सन्देश देने के समय मुलाक़ात :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''तुम में से जो लोग मर जायें उनके पीछे यदि उनकी बीवियां जीवित हों, तो वे अपने आप को चार महीने दस दिन रोके रखें, फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाये तो उन्हें अधिकार है। अपने बारे में अच्छे ढंग से जो चाहें करें। तुम पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं।'' (सूरह बकरा 234)

तफ़सीर जलालैन में इस आयत की व्याख्या इस तरह की गई है कि वे अपने बारे में अच्छे ढंग से जिस तरह का भी बनाव श्रृंगार अपनायें और जिस तरह से भी वे अपने आप को शादी के लिए प्रस्तुत करें इसका अधिकार है।

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने हातिब बिन अबी बलताआ़ (रज़ि.) को अपनी शादी का सन्देश देकर मेरे पास भेजा मैंने कहा कि मेरी एक बेटी है और मैं बड़ी आत्मसम्मान वाली हूं, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जहां तक उनकी बेटी का मामला है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह उन्हें उससे बेपरवाह कर दे। इसी तरह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वह उनसे उनकी शर्म को दूर कर दे। (मुस्लिम)

इब्ने माजा ने मुग़ीरा बिन शोअ़बा से रिवायत बयान की है। मुग़ीरा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास गया और उनसे उस औरत का उल्लेख किया जिसे मैं शादी का सन्देश देने वाला था। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसे जाकर देख लो। इस तरह से तुम दोनों में प्रेम स्थापित हो जायेगा, मैं एक अन्सारी औरत के पास आया और मैंने उसके माता पिता से उसका हाथ मांगा, और उनको नबी करीम (सल्ल.) की कही हुई बात भी बता दी। उन दोनों ने इसे नापसन्द किया (आप यहां विचार करें कि माँ और बाप दोनों ही शादी का सन्देश देने वाले से मिल रहे हैं) मुग़ीरा कहते हैं कि मैंने परदे से उस औरत को कहते हुए सुना कि अगर आपको नबी करीम (सल्ल.) ने देखने का आदेश दिया है तो मुझे देख लीजिए। अन्यथा मैं आपको अल्लाह की क़सम देती हूं, उस पर यह बात कष्टदायक लगी (कि उसे देखा जाये और उसकी सुन्दरता की पड़ताल की जाये)

मुग़ीरा कहते हैं कि फिर मैंने उसे देखा और उससे शादी कर ली।

चतुर्थ : शादी के समारोह के समय मुलाक़ात :

इमाम बुख़ारी (रह.) ने निम्नलिखित हदीस ''निर्धन की शादी कराने का अध्याय'' के अर्न्तगत बयान किया है :

सहल बिन सअ़द फ़रमाते हैं कि एक औरत नबी करीम (सल्ल.) के पास आयी और उसने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मैं स्वयं को आपके हवाले करने आयी हूं............ सहाबा किराम में से एक व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, यदि आपको इस महिला की आवश्यकता न हो तो उससे मेरी शादी करा दीजिये। आप (सल्ल.) ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल) मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अपने घर जाकर कुछ तलाश कर लाओ। अतः वह व्यक्ति जाकर लौट आया और कहा। अल्लाह की क़सम मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप (सल्ल) ने फ़रमाया देखो लोहे की अंगूठी ही ले आओ। फिर वह घर जाकर लौट आया और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की क़सम घर में लोहे की एक अंगूठी भी नहीं है। हां मेरे पास मेरा यह तहबन्द (लूंगी) है। (सहल कहते हैं कि उसके पास चादर भी न थी) इस तहबन्द का आधा हिस्सा उस औरत का है नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम्हारे तहबन्द का क्या होगा? अगर तुम इसे पहनोगे तो उसे नहीं मिल पायेगा और यदि वह इसे पहनेगी तो तुम्हें नहीं मिल पायेगा। अतः वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। बहुत देर बैठने के बाद वह उठ गया। जब आप (सल्ल.) ने उसे लौट कर जाते हुए देखा तो उसे बुलाने का आदेश दिया। अतः उसे बुलाया गया। जब वह आया तो आप (सल्ल.) ने उससे पूछा कि तुम्हें कितना क़ुरआन याद है? उसने कहा कि आमुक–आमुक............. सूरतें मुझे याद हैं। उसने कई सूरतें गिनवाईं। आप (सल्ल.) ने उससे कहा क्या तुम इस औरत को वह तमाम सूरतें ज़बानी याद करा दोगे? उसने कहा जी हां, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ठीक है जाओ, तुम अपने क़ुरआन के बदले इस औरत के मालिक हो गये। (बुख़ारी, मुस्लिम)

समारोहों और वलीमा की दावतों में मर्द औरत की भागीदारी और मुलाक़ात :

प्रथम : स्वागत समारोह में भागीदारी

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग (हिजरत के दिन) रात के समय मदीना पहुंचे। मदीना के लोगों के बीच इस बात पर मतभेद हो गया कि नबी (सल्ल.) का आतिथ्य कौन करेगा, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के ननीहाली रिश्तेदार बनू नज्जार के यहां ठहरूंगा, मैं उन लोगों को आतिथ्य का शुभ अवसर प्रदान करूंगा। मर्द और औरतें छतों पर चढ़ गये। बच्चे और सेवक रास्तों पर फैल गये और पुकारने लगे। ऐ मुहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुहम्मद ऐ अल्लाह के रसूल। (मुस्लिम)

हज़रत बराअ् (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि सहाबा किराम में सबसे पहले हमारे पास मुस्अ़ब बिन उमैर और इब्ने उम्मे मक्तूम(रजि) आये और वे दोनों हमें क़ुरआन पढ़ाने लगे। फिर अम्मार बिलाल और सअ़द आये। फिर बीस लोगों के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आये। फिर नबी करीम (सल्ल.) (मक्का से हिज़रत करके) आये। मैंने नबी करीम (सल्ल) के आने पर मदीने वालों को जितना ख़ुश देखा उतना ख़ुश उनको कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि छोटे–छोटे बच्चे और बच्चियां कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल आ गये।(एक रिवायत में है कि दासियां यह कहने लगी अल्लाह के रसूल आ गये)।

तिर्मिज़ी ने हज़रत बुरैदा की एक हदीस रिवायत की है। बुरैदा कहते हैं कि नबी (सल्ल.) एक युद्ध में गये जब आप युद्ध से वापस आये तो एक काली दासी आपके पास आई और उसने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मैंने यह मन्नत मानी थी कि अगर आप युद्ध से सही सलामत लौट आते हैं तो मैं आपके सामने डफ़ली बजाऊँगी और गाऊंगी, आप ने उससे कहा। अगर वास्तव में तूने मन्नत मानी थी तो डफ़ली बजा लो अन्यथा न बजाओं, हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि

''अल–हलबीयात'' में रावियों के कटे हुए सिलसिले वाली एक रिवायत आई है कि औरतों ने नबी (सल्ल.) से यह बात उस समय कही, जब आप ''सनी यातुल वदा'' की तरफ़ से आये थे। अतः इस सिलसिले में एक कथन तो यह है कि आपसे यह बात हिजरत के दिन मदीना आने के समय कही गई थी और एक कथन है कि आपसे यह बात तबूक के युद्ध से लौटने के समय कही गई थी।

द्वितीय : विदाई समारोह में भागीदारी :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैः कि एक औरत की एक अन्सारी मर्द के साथ विदाई हुई। नबी (सल्ल.) ने पूछा, ऐ आयशा क्या तुम्हारे पास कोई खेल और मनोरंजन की चीज़ नहीं है। अन्सार को खेल और मनोरंजन अच्छा लगता है। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ''क्या तुमहारे पास कोई खेल और मनोरंजन की कोई चीज़ नहीं है'' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तबरानी ने 'औसत' में शरीक की एक रिवायत नक़ल की है जिसमें है कि नबी (सल्ल.) ने पूछा क्या तुम लोगों ने डफ़ली बजाने और गाने के लिए दुल्हन के साथ कोई दासी भेजी है। मैंने पूछा कि दासी क्या गायेगी अपने फ़रमाया कि वह गायेगी कि

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم

ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم

ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم

इब्ने हजर नबी (सल्ल.) के कथन ''अन्सार को खेल और मनोरंजन अच्छा लगता है'' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इब्ने माजा में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत में और ''अमालीयुल महामिली'' में हज़रत जाबिर की रिवायत में यह बयान किया गया है कि अन्सार एक ऐसी क़ौम है जिसकी प्रकृति में ''ग़ज़ल'' सम्मिलित है। हज़रत जाबिर(रजि) की हदीस में ये शब्द भी हैं। 'ऐ ज़ैनब दुल्हन के साथ चली जाओ'। ज़ैनब एक ऐसी महिला थी जो गाना गाया करती थी।

नबी (सल्ल.) के कथन ''अन्सार को खेल और मनोरंजन अच्छा लगता है'' से हमारा ध्यान उस आयत की तरफ़ मुड़ गया ''जब उन्होंने क्रय–विक्रय और खेल तमाशा देखा तो उसकी तरफ़ दौड़ गये और तुम्हें खड़ा छोड़ गये। तुम कह दो जो अल्लाह के पास है वह क्रय–विक्रय और खेल तमाशे से बेहतर है और अल्लाह बेहतर रोज़ी देने वाला है। (सूरह जुमा)

इस आयत की व्याख्या में तबरी में विभिन्न रिवायतें आई हैं उन्हीं में से एक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है। वह कहते हैं कि जब किसी की शादी होती तो दासिंया ढ़ोल और दूसरे गाने बजाने के सामान के साथ गुज़रती, यह देखकर लोग नबी (सल्ल.) को मिम्बर पर अकेले छोड़कर ढ़ोल और गाने की तरफ़ लपक पड़ते, ऐसे अवसर पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। इमाम तबरी इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं इस सिलसिले में सही बात वही है जो हज़रत जाबिर से रिवायत की गई है।

फ़त्हुल बारी में हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते है। अबू उवाना ने अपनी सहीह में हज़रत जाबिर से यह रिवायत नक़ल की है कि शादियों में दासियाँ गाना गातीं और डफ़ली बजातीं। यह सुनकर लोग उनकी तरफ़ दौड़ पड़ते, और नबी (सल्ल.) को अकेले छोड़ देते, ऐसे अवसर पर यह आयत अवतरित हुई। सुयूती (रह.) ने अददुर्रूल मन्सूर में यह बयान किया है कि जब शादी होती तो उस घर के लोग खेलकूद करते।

गाने गाते, और खेलते गाते मस्जिद के पास से गुज़रते।

हज़रत ख़ालिद बिन ज़क्वान कहते हैं रबीअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़राअ् ने बताया कि जब मेरी विदाई हो रही थी तो नबी (सल्ल.) मेरे पास आये और मेरे बिस्तर पर उसी तरह बैठ गये जैसे इस समय तुम मेरे सामने बैठे हो। मेरी कुछ दासियां डफ़ली बजाने लगीं और बद्र में शहीद होने वाले मेरे बाप दादा की प्रशंसा बयान करनें लगीं। इसी बीच एक दासी ने कहा। हमारे बीच एक ऐसे नबी हैं जो जानते हैं कि कल क्या होने वाला है आप ने फ़रमाया ये बात न कहो। वही गाओ जो पहले गा रही थी। (बुख़ारी)

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि मुहल्लब कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि शादी में डफ़ली बजाना और गाना वैध है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इमाम शादी में जा सकता है। यद्यपि वहाँ खेल व मनोरंजन ही क्यों न हो। लेकिन यह शर्त है कि यह खेल व मंनोरंजन वैधता के दायरे से न निकले। फ़त्हुल बारी ही में लिखा है। कि तबरानी

ने सहीह प्रमाण के साथ हज़रत आयशा से रिवायत की है कि नबी (सल्ल.) एक शादी में कुछ औरतों के पास से गुज़रे वे यह गा रही थीं

و أهدى لها كبشا تنحنج بالمربد　　وزوجک فی البادی و تعلم ما فی غد

यह सुनकर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कल क्या होने वाला है इसका ज्ञान तो मात्र अल्लाह को है।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने औरतों और बच्चों को एक शादी से आते हुए देखा तो आप सीधे खड़े हो गये और फ़रमाया, ''अल्लाह की क़सम तुम लोग मुझे सबसे अधिक प्यारे लगते हो; यह बात आप (सल्ल.) ने तीन बार फ़रमायी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नसई ने आमिर बिन सईद से एक रिवायत बयान की है। वह कहते हैं कि मैं एक शादी में कुरजः बिन कअ़ब और अबू मस्ऊद अन्सारी के पास गया। मैंने वहां कुछ बांदियों को गाते हुए देखा। मैंने कहा ऐ रसूलुल्लाह के सहाबी (साथी) ?। ऐ बद्र में भाग लेने वालों! आपकी मौजूदगी में यह गाना बजाना हो रहा है। उन दोनों ने कहा। अगर आप चाहें तो आप यहां बैठकर हमारे साथ गाना सुनें, और चाहें तो चले जायें। हमें शादी में मनोरंजन और खेलकूद की अनुमति दी गई है।

तृतीय : वलीमों में भाग लेना :

नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों पर परदा अनिवार्य होने से पहले दुल्हन और वलीमे में आये अतिथियों का एक ही कमरे में होनाः

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि परदे की आयत की सबसे अधिक जानकारी रखने वाला मैं हूं, जब ज़ैनब बिन्ते जहश आपको भेंट की गईं। वह उस समय आपके साथ घर में थीं। आप ने खाना पकवाया और लोगों को दावत दी। कुछ लोग बैठकर बातें करने लगे। मुस्लिम की रिवायत में है ''और नबी (सल्ल.) की बीवी अपना चेहरा दीवार की तरफ़ किये हुए थीं। आप बार–बार घर से निकलते फिर वापस जाते। लेकिन वे लोग बैठे बातें ही करते रहे। इस पर अल्लाह ने यह आयत उतारी। ''ऐ ईमान लाने वालो, नबी के घरों में प्रवेश न करो। सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिये बुलाया जाये.................... .... अतः परदा गिरा दिया गया और वे लोग निकल कर चले गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दुल्हन का वलीमे में अतिथियों की सेवा करना :

हज़रत सहल (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब अबू उसैद अस्मा एदी की शादी हुई तो उन्होंने नबी (सल्ल.) और सहाबा को दावत दी। उनकी बीवी उम्मे उसैद ने नबी (सल्ल.) और सहाबा के लिए खाना पकाया, और उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने रात में ही कुछ खजूरें पत्थर के एक बर्तन में भिगा दी थीं। जब नबी (सल्ल.) खाना खा चुके, तो उन्होंने वही पेय उपहार के रूप में विशेष रूप से आपको पिलाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इमाम बुख़ारी ने यह हदीस ''दुल्हन का वलीमे में अतिथि की स्वयं सेवा करना'' के अन्तर्गत बयान की है। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि औरत अपने पति की और वलीमे में आये मेहमानों की सेवा कर सकती है। यहां यह बात मन में रहनी चाहिये कि औरत ऐसा उसी समय कर सकती है जब किसी फ़ित्ने में पड़ने की आशंका न हो और औरत पूरी तरह परदे में हो।

चतुर्थ : ईद मनाने में भागीदारी :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) जब मदीना आये तो आपने देखा कि दो दिन ऐसे है जिनमें मदीने वाले खेलकूद करते हैं। तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम लोगों को इन दो दिनों के बदले इनसे अच्छे दो दिन प्रदान किये हैं वे हैं ईदल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा। (नसाई)

(क) ईद की नमाज़ और मोमिन मर्दों और औरतों का एक साथ ईद मनाना :

अययूब (रज़ि.) कहते हैं कि हफ़्सा (रज़ि.) ने बताया कि हम अपनी नई उम्र की लड़कियों को ईदगाह जाने से रोकते थे। इसी बीच एक महिला आयीं वह बनू ख़लफ़ के महल में उतरीं, उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने नबी (सल्ल.) से पूछा कि यदि हममें से किसी के पास चादर न हो और वह ईदगाह न जाये तो क्या इसमें कोई हानि है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यदि किसी के पास चादर न हो तो उसे चादर पहनना (व्यवस्था करके) चाहिये। और मुसलमानों की दुआओं और भलाई में सम्मिलित होना चाहिये। जब उम्मे अतीया आईं तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने यह बात नबी (सल्ल.) से सुनी है। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे माँ बाप आप पर निछावर हो। हां मैंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना कि नई उम्र की लड़कियों, परदा में रहने वाली औरतों और मासिक धर्म वाली महिलाओं, सबको ईदगाह जाना चाहिये और मुसलमानों की दुआ और भलाई में भाग लेना चाहिये। हां मासिक धर्म वाली महिलाओं को नमाज़ की जगह से अलग रहना चाहिए। हज़रत हफ़्सा कहती हैं कि मैंने कहा क्या मासिक धर्म वाली औरतें भी ईदगाह जायेगी? उन्होंने कहा क्या मासिक धर्म वाली औरतें अरफ़ा और आमुक आमुक स्थान पर नहीं जातीं? (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि हमें ईद के दिन ईदगाह जाने का आदेश दिया जाता था। यहां तक कि नई उम्र की लड़कियों को और मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी यह आदेश दिया जाता था। 'हां' उन्हें यह हिदायत थी कि वे लोगों के पीछे रहें, लोगों के साथ वे भी तक्बीर कहें और उस दिन की बरकत और गुनाहों से पवित्रता प्राप्त करने की आशा में लोगों के साथ दुआओं में सम्मिलित रहें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इमाम नववी ने हज़रत उम्मे अतीया की यह हदीस ''मिना के दिनों में और जब अरफ़ा कूच करें तो तक्बीर कहने के अध्याय'' में बयान की है। फिर उन्होंने शीर्षक के बाद निम्नलिखित आसार(सहाबा की घटनाएं) नक़ल किये हैं :

हज़रत उमर (रज़ि.) मिना में अपने ख़ेमे में इतनी ज़ोर से तक्बीर कहते कि उसे मस्जिद में मौजूद लोग भी सुन लेते, फिर वे लोग भी तक्बीर कहते। बाज़ार वाले भी तक्बीर कहते। यहां तक कि पूरा मिना तक्बीर की आवाज़ से गूंज उठता। हज़रत इब्ने उमर(रजि) मिना में नमाज़ के बाद, बिस्तर पर जाते हुए। अपने ख़ेमे में, उठते, बैठते, चलते फिरते हर जगह और हर वक़्त उन दिनों में तक्बीर कहते रहते। तक्बीर के दिनों में मस्जिद में इबान बिन उसमान और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पीछे औरतें मर्दों के साथ तक्बीर कहा करती थीं।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के साथ ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़हा में ईदगाह के लिए निकला(उस वक़्त वह छोटे थे) नबी करीम (सल्ल.) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्वा दिया। फिर आप (सल्ल.) औरतों के पास आये। उनको नसीहत की और उन्हें सदक़ा करने का आदेश दिया। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने यह हदीस ''बच्चों का ईदगाह के लिए जाना'' अध्याय के अर्न्तगत बयान की है। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इससे तात्पर्य ईद के दिन बच्चों को ईदगाह ले जाना है। चाहे वे नमाज़ पढ़ें या न पढ़ें अल्लामा इब्ने मुनीर कहते हैं कि इमाम बुख़ारी ने शीर्षक में ''सलातुल ईद''(ईद की नमाज़) के बजाये 'इलल–मुसल्ला' ईदगाह ले जाना लिखा है। ऐसा इमाम बुख़ारी ने इसलिए कहा है ताकि इसके अर्थ में विस्तार आ जाये कि जिस व्यक्ति को ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी है वह भी ईदगाह जाये। बच्चों को ईदगाह ले जाने का आदेश इसलिए दिया गया। ताकि इससे बरकत प्राप्त हो और उपस्थित लोगों की अधिकता से इस्लामी पहचान (शआएर) का प्रदर्शन हो। इसीलिए मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी ईदगाह जाने का आदेश दिया गया है। अतः ईदगाह वह भी जायेगा, जिसे ईद की नमाज़ पढ़नी हो और वह भी जायेगा जिसे ईद की नमाज़ न पढ़नी हो। अतः बच्चों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो नमाज़ के वक़्त खेल कूद से रोकें।

(ख) ईद के दिन गाना गाना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत अबू बक्र(रजि) मेरे पास आये अन्सार की दो दासियां (एक रिवायत में है दो गाने वाली गा रही थीं) और 'बुआस'' के युद्ध में अन्सार के कारनामों का बखान कर रही थीं। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि वे दोनों गाने वालियां नहीं थीं। एक रिवायत में है कि वे दोनों डफ़ली बजा रही थीं हज़रत अबू बक्र ने कहा। क्या नबी करीम (सल्ल.) के घर में शैतान की बांसुरी बजाई जा रही है और वह भी ईद के दिन? इस पर नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, ऐ अबू बक्र हर क़ौम में एक ख़ुशी का दिन होता है यह दिन हमारी ख़ुशी का है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) ने "वे दोनों वास्तव में गाने वाली नहीं थीं" कह कर उस बात का रद्द किया है जिसको उन्होंने "गाना" शब्द से सिद्ध किया था। क्योंकि गाना ऊँची आवाज़ से लय के साथ पढ़ने को कहते हैं लेकिन केवल उच्च स्वर से लय के साथ पढ़ने वाले को, अरब की भाषा में "मुग़न्नी" गाने वाला नहीं कहा जाता, बल्कि अरब की भाषा में गाने वाला उसे कहा जाता है जो आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ कविताएं पढ़ता है। लोगों को भड़काने और उकसाने का काम करता है और बुरी बातों का उल्लेख कभी इशारों में और कभी स्पष्ट रूप से करता है। इमाम कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि "वे दोनों वास्तव में गाने वाली नहीं थीं" कहकर हज़रत आयशा (रज़ि.) यह बताना चाहती हैं कि वे दोनों दासियां गाने की कला को नहीं जानती थीं जिस तरह कि प्रसिद्ध गाने वालियां जानती हैं। पता चला कि हज़रत आयशा गाने की कला के उस प्रचलित तरीक़े को पसन्द नहीं करती थीं जिसके माध्यम से इन्सानो में आन्तरिक भावनाओं को भड़काना वांछित होता है। छन्दों में उन भावनाओं को उभारने और भड़काने के लिए औरतों के सौन्दर्य, शराब और अन्य अवैध वस्तुओं का बयान किया जाता है।, और यह सर्व सम्मति से अवैध है। .... इस हदीस से यह दलील ली जाती है कि यद्यपि दासी अपनी न हो तब भी उसकी गाई हुई आवाज़ सुनना वैध है। क्योंकि नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र को दासी की आवाज़ सुनने से नहीं रोका, बल्कि आप (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र को इस बात से रोका कि वह दासियों को गाने से रोकें। अतः वे दोनों दासियां उस समय तक गाती रहीं, जब तक कि हज़रत आयशा ने उनको जाने के लिए नहीं कहा। यहां पर यह बात मन में रहनी चाहिए। कि दासियों को गाने की अनुमति देना उसी स्थिति में वैध है जबकि किसी तरह के फ़ित्ने में पड़ने का डर न हो।

प्रश्न पूछने और कुशल मंगल पूछने के दौरान मर्द औरत की मुलाक़ातः

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः "और जब वह (मूसा) मद्यन के कूएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ़ दो महिलाएं अपने मवेशियों को रोक रही हैं। मूसा(अलै.) ने उन महिलाओं से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा हम अपने मवेशियों को पानी नहीं पिला सकतीं, जब तक कि ये चरवाहे अपने मवेशी न निकाल ले जायें और हमारे पिता बहुत बूढ़े आदमी हैं।"

(सूरह कसम 23–24)

औन बिन अबू जुहैफ़ा कहते हैं कि उनके पिता ने बताया कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत सलमान और हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) के बीच भाईचारा स्थापित कराया। एक बार हज़रत सलमान हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से मिलने गये। उन्हाने देखा कि उम्मे दरदा बहुत ही सामान्य कपड़ो में हैं। उन्होंने पूछा सकुशल हैं? उम्मे दरदा ने उत्तर दिया कि आपके भाई अबू दरदा को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है.......। (बुख़ारी)

नबी करीम (सल्ल.) ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम जिनको जानते हैं उनको भी सलाम करें। और जिसको न जानते हों उसको भी सलाम करें। उपयुक्त घटना से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम किसी को सलाम करें और हमें उसकी तबीयत ठीक न महसूस हो रही हो। या वह किसी कष्ट में दिखायी दे रहा हो या यह महसूस हो कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो हमें तुरन्त ही उसकी कुशलता भी पूछ लेनी चाहिये। और उसके हालात से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये।

ज़ियारत के समय मर्द–औरत की मुलाक़ात :

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के दास कुरैब फ़रमाते हैं........... हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) को अस्र के बाद दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ने से रोकते हुए सुना, फिर मैंने देखा आप (सल्ल.) अस्र की नमाज़ के बाद दो रक्अत पढ़ रहे हैं फिर इसके बाद नबी (सल्ल.) मेरे पास आये। उस समय मेरे पास क़बीला बनू हराम की कुछ अन्सारी महिलाएं थीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि इस हदीस से पता चलता है कि पति की मौजूदगी में भी किसी औरत से मुलाक़ात की जा सकती है।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मुझे उम्मे मुबश्शिर ने बताया कि उन्होंने हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास नबी करीम (सल्ल.) को कहते हुए सुना, कि इन्शा अल्लाह उन लोगों में से कोई भी जहन्नम में नहीं जायेगा जिन्होंने पेड़ के नीचे बैअत की थी। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं जायेंगे आप (सल्ल.) ने उनको झिड़का, उन्होंने कहा। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''तुम में से प्रत्येक को उस पर पहुंचना ही है'' नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः लेकिन उसके बाद अल्लाह ने यह कहा हैः ''फिर हम डर रखने वालों को बचा लेंगे और अत्याचारियों को उसमें घुटनों के बल पड़ा छोड़ देंगे''। (सूरह मरियमः72) (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) उनके पास आये। उस वक़्त उनके पास एक औरत थी। आप (सल्ल.) ने पूछा ये कौन है। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, यह आमुक औरत है जिसकी नमाज़ के बड़े चर्चे हैं। आपने फ़रमाया, चुप रहो तुम्हें मात्र अपनी क्षमता के अनुसार अमल करना चाहिये। अल्लाह की क़सम अल्लाह नहीं उकताता जब तक कि तुम स्वयं न उकता जाओ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने शहाब कहते हैं कि मुझसे उरवा बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि हज़रत आयशा ने फ़रमाया, नबी करीम (सल्ल.) मेरे पास आये। उस वक़्त मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा आपका क्या विचार है क्या आप लोग क़ब्र में परीक्षा में डाले जायेंगे?

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि कुछ दिन गुज़रने के बाद नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, क्या तुमने महसूस किया कि मुझे 'वह्य' के द्वारा बताया गया है कि तुम लोग

क़ब्रों में परीक्षा में डाले जाओगे, उसके बाद मैं आपको क़ब्र की यातना से पनाह मांगते सुना करती थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे फ़ज़्ल फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) के पास एक देहाती आया उस वक़्त आप (सल्ल.) मेरे घर में थे। देहाती ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, मेरी एक बीवी थी। उसके रहते हुए मैंने दूसरी शादी की। मेरी पहली बीवी कहती है कि उसने मेरी नई बीवी को एक या दो बूंद दूध पिलाया है। आपने फ़रमाया कि एक या दो बूंद दूध पिलाने से हुरमत (अवैधता) सिद्ध नहीं होती। (मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं। अस्मा बिन्ते उमैस(रजि) जो हमारे साथ आई थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास मुलाक़ात के लिए गईं, अस्मा बिन्ते उमैस ने भी अन्य लोगों के साथ नजाशी की तरफ़ हिजरत की थी। हज़रत उमर हज़रत हफ़्सा के पास गये। अस्मा उस समय वहीं थीं हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा ये कौन हैं? हज़रत हफ़्सा ने कहा अस्मा बिन्ते उमैस हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा कि क्या ये हब्शा वाली हैं। क्या ये समुद्र वाली हैं? हज़रत अस्मा ने कहा हां। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) कहते हैं कि बनू हाशिम के कुछ लोग अस्मा बिन्ते उमैस के पास गये। उसी दौरान हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. आ गये। उन दिनों अस्मा हज़रत अबू बक्र के निकाह में थीं। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने उनके पास लोगों को देखा तो नापसन्द किया। अतः उन्होंने नबी (सल्ल.) से इसका बयान किया और कहा कि मैंने कोई ग़लत बात नहीं देखी। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें बरी ठहराया है। फिर आप मिम्बर पर खड़े हुए और फ़रमाया, आज के बाद जब भी कोई मर्द किसी ऐसी औरत के पास जाये जिसका पति मौजूद न हो तो वह अपने साथ एक या दो मर्दों को लेकर जाये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उमैरा बिन अस्वद अनसी कहते हैं कि वह ओबादा बिन सामित के पास गये जो हम्स के किनारे पर अपने एक भवन में उम्मे हराम के साथ ठहरे हुए थे। उमैरा कहते हैं कि हमसे उम्मे हराम ने बयान किया कि उन्होंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना कि मेरी उम्मत की पहली सेना जो समुद्र में जाकर जेहाद करेगी, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत अनिवार्य कर दी है। वह कहती हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं भी उन लोगों में सम्मिलित रहूंगी? आप ने फ़रमाया तुम उन लोगों में सम्मिलित होगी फिर आपने (सल्ल.) फ़रमाया मेरी उम्मत की पहली सेना जो क़ैसर के शहर पर हमला करेगी अल्लाह उन सब की मग्फ़िरत कर देगा, मैंने कहा। क्या मैं उन लोगों में सम्मिलित रहूंगी, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया नहीं। (बुख़ारी)

अबू वाएल कहते हैं कि एक दिन फ़ज्र की नमाज़ के बाद हम लोग हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद के पास गये। हमने दरवाज़े पर सलाम किया। अतः हमें अन्दर जाने की अनुमति दे दी गई अबू वाएल कहते हैं कि हम लोग थोड़ी देर दरवाज़े पर रूक गये कि दासी निकल कर आई और उसने कहा। आप लोग अन्दर क्यों नहीं आते। अतः

हम अन्दर गये। अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद को देखा कि वह बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि अनुमति मिलने के बाद भी तुम लोग अन्दर क्यों नहीं आ रहे थे। हमने कहा कि हमने सोचा कि शायद घर में कोई सो रहा हो। उन्होंने कहा कि क्या तुम इब्ने उम्मे अब्द के घर वालों को बेपरवाह समझते हो। अबू वाएल कहते हैं कि फिर वह तस्बीह पढ़ने में लग गये। जब उन्हें महसूस हुआ कि सूरज निकल आया होगा, तो उन्होंने देखा तो सूरज उस समय नहीं निकला था अतः वह फिर तस्बीह पढ़ने लगे जब उन्हें महसूस हुआ कि सूरज निकल चुका होगा तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि देखना क्या सूरज निकल आया, तो उसने देखा तो सूरज निकल चुका था। अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद ने कहा तमाम प्रशंसा अल्लाह की है जिसने हमें आज के दिन गुनाह से सुरक्षित रखा और हमें हमारे गुनाहों के कारण तबाह नहीं किया। (मुस्लिम)

हज़रत अबू बुर्दा फ़रमाते हैं कि मैं अबू मूसा के पास गया। उस वक़्त वह फ़ज़्ल बिन अब्बास की बेटी के घर में थे। मुझे छींक आई तो उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब फ़ज़्ल बिन अब्बास की बेटी को छींक आयी तो उन्होंने उनका उत्तर दिया। मैं लौट कर अपनी माँ के पास आया और उनको यह घटना बतायी, जब अबू मूसा मेरी माँ के पास आये तो मेरी माँ ने कहा कि जब आपके सामने मेरे बेटे को छींक आई तो आपने उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब फज़्ल बिन अब्बास की बेटी को छींक आई तो आपने उसका उत्तर दिया। अबू मूसा ने फ़रमाया आपके बेटे को छींक आई तो उसने अल. हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। अतः मैंने उसको उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब फ़ज़्ल बिन अब्बास की बेटी को छींक आई तो उसने अल. हम्दुलिल्लाह कहा अतः मैंने उसका उत्तर दिया मैंने नबी (सल्ल) को कहते हुए सुना है कि जब किसी व्यक्ति को छींक आये तो उसका उत्तर दो लेकिन वह छींक आने के बाद अल हम्दुलिल्लाह न कहे तो उसका उत्तर न दो।

(मुस्लिम)

स्नेह प्रकट करने और अच्छी देखभाल के बीच मर्द औरत की मुलाक़ात :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत ख़दीजा की बहन हाला बिन्ते खुवैलद ने नबी (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही, आपको ऐसा महसूस हुआ कि मानो, ख़दीजा आने की अनुमति मांग रही हों आप घबरा गये। फिर आपने(सल्ल.) कहा। अच्छा, हाला है? हज़रत आयशा रज़ि. कहती है कि इस पर मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। अतः मैंने कहा। आप तो बस क़ुरैश की एक बुढ़िया को ही याद करते रहते हैं जिसके दोनों जबड़े लाल थे। और जो बहुत पहले मर चुकी है हालांकि अल्लाह ने आपको उसका बेहतरीन विकल्प प्रदान किया है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा अशअ़री कहते हैं कि मैं और मेरे भाई यमन से मदीना आये। हम लोग कुछ दिन वहीं ठहरे, हम अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद को नबी (सल्ल.) के घर का ही

सदस्य समझते थे। क्योंकि हम देखते थे कि वह और उनकी माँ अधिकतर आपके पास जाती है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हम लोग उन लोगों को अधिकतर आपके पास आते जाते हुए। और आपके पास रहते हुए देखते थे।(मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) हमारे पास आये। उस समय वहां मैं, मेरी माँ और उम्मे हराम थीं। आपने फ़रमाया चलो उठो मैं तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाऊँ (हालांकि वह किसी नमाज़ का वक़्त नहीं था। अतः आपने हम लोगों को नमाज़ पढ़ाई फिर हम घर वालों के लिए दुनिया व आख़िरत की तमाम भलाइयों की दुआ की।) (मुस्लिम)

हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) सबसे अधिक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। एक रिवायत में है कि आप हमारे साथ मिलजुल कर रहा करते थे। मेरा एक भाई था जिसका नाम उमैर था। रिवायत करने वाले कहते हैं कि मेरा विचार है कि हज़रत अनस ने यह कहा था कि मेरा एक दूध छुड़ाया हुआ भाई था। जब आते तो कहते ऐ अबू उमैर 'नग़ीर' का क्या हाल है? नग़ीर एक चिड़िया थी जिसके साथ वह खेला करता था। कभी–कभी ऐसा होता कि आप हमारे घर में अर्थात उम्मे सुलैम के घर में होते और नमाज़ का समय हो जाता, तो आप जिस बिस्तर पर बैठे होते उसे झाड़ दिया जाता और उस पर पानी छिड़क दिया जाता फिर आप खड़े होते हम लोग आपके पीछे खड़े होते, फिर आप (सल्ल.) हम लोगों को नमाज़ पढ़ाते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

निम्न में स्नेह पूर्ण देखभाल और ध्यान रखने की कुछ मिसालें दी जाती है :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उम्मे सुलैम नबी (सल्ल.) के लिए खाल की चटाई बिछा दिया करती थीं। आप उनके घर में उस पर कैलूला किया करते थे। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी (सल्ल.) सो जाते, तो उम्मे सुलैम आपका पसीना और बाल उठातीं उन्हें एक शीशी में एकत्र करतीं,फिर वह उसे एक सुगन्ध के बरतन में एकत्र करतीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबी (सल्ल.) को पसीना बहुत आता था। उम्मे सुलैम आपका पसीना एकत्र करतीं और उसे सुगन्ध में और शीशी में डालतीं, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ उम्मे सुलैम! यह क्या हैं उन्होंने उत्तर दिया यह आपका पसीना है मैं इसे अपनी सुगन्ध में मिला देती हूं।

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि इस घटना में बाल के उल्लेख से लोगों ने वह बाल समझा है जो कंघा करते समय आपके सिर से गिर जाया करते थे। फिर मेरी निगाह मुहम्मद बिन सअ़द की एक रिवायत पर पड़ी जिससे यह सन्देह मिट गया। उन्होंने सही प्रमाण के साथ हज़रत साबित से रिवायत की है कि हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) ने अपने बाल उतरवाये, तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने वह बाल ले लिए। और

उन्हें लेकर उम्मे सुलैम के पास आये। उन्होंने उसे इत्र के बरतन में डाल दिया। उम्मे सुलैम कहती हैं कि आप हमारे पास आकर चमड़े की चटाई पर कैलूला करते थे। मैं आपका पसीना एकत्र करने लगी।

इस रिवायत से पता चलता है कि उम्मे सुलैम ने जब कैलूला के समय पसीना एकत्र किया तो उन्होंन उसे उनके पास मौजूद बाल वाले बरतन में डाल दिया। उन्होंने नबी (सल्ल.) के सोने के दौरान आपका बाल नहीं उठाया, इससे यह भी पता चलता है कि उपरोक्त घटना हज्जतुल विदा की है क्योंकि मिना में आपने बाल उतरवाये थे।

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) उम्मे हराम बिन्ते मल्हान के पास जाते थे तो वह आपको ख़ाना खिलाती थीं। उम्में हराम हज़रत ओबादा बिन सामित के निकाह में थीं। एक बार नबी (सल्ल.) उनके पास गये तो उन्होंने आपको खाना खिलाया और आप के जुएं देखने लगीं। फिर नबी (सल्ल.) सो गये। फिर आप (सल्ल) हंसते हुए उठे मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं। आप ने फ़रमाया कि मेरे उम्मत के कुछ लोग जो अल्लाह की राह में समुद्र में जाकर जेहाद करेंगे वे बादशाहों की तरह सिंहासन पर बैठे हुए मेरे सामने प्रस्तुत किए गये।(बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि अजनबी औरत किसी मेहमान की इस तरह सेवा कर सकती है कि वह उसको खाना खिला दे। उसके लिए बिस्तर लगा दे इत्यादि............... बहुत से लोगों को इस हदीस में पेचीदगी महसूस हुई है। अतः इब्ने अब्दुल बर्र कहते हैं कि मेरे विचार में उम्मे हराम और उनकी बहन उम्मे सुलैम ने नबी (सल्ल.) को दूध पिलाया था। इस तरह उनमें से एक नबी (सल्ल.) की दूध पिलाने वाली माँ और दूसरी ख़ाला थीं। इसीलिए आप उनके घर जाकर सो जाते थे और उनके साथ महरम जैसा व्यवहार करते थे। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि आप निर्दोष (मासूम) थे। जब आप अपनी बीवियों पास रहते हुए अपनी इच्छा पर नियन्त्रण कर लेते थे तो फिर दूसरों के सिलसिले में क्या कहना आप तमाम बुरे कर्मों और बातों से पवित्र थे। अतः यह अमल मात्र आपकी विशेषता थी। फिर यह लोग कहते हैं कि इस बात की भी आशंका है कि यह घटना परदा अनिवार्य होने से पहले का हो। लकिन यह बात रद्द करने योग्य है क्योंकि यह बात निश्चित रूप से मालूम है कि यह घटना परदा फ़र्ज़ होने के बाद का है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह घटना हज्जतुल विदा के बाद की है। क़ाज़ी अयाज़ ने विशेषता वाली बात काके यह कर रद्द किया है कि विशेषता सन्देह से सिद्ध नहीं होती, आप का निर्दोष(मासूम) होना सिद्ध है लेकिन वास्तविक बात यह है कि आपके अमल की उस वक़्त तक अनुसरण किया जाये और उसे आपके साथ विशेष न समझा जाये जब तक किसी दलील से उस उमल का आपके साथ विशेष होना सिद्ध न हो जाये। जो लोग कहते हैं कि नबी (सल्ल.) उम्मे हराम और उम्मे सुलैम के महरम थे। अल्लामा दमियाती उनको सख़्ती से रद्द् करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति यह कहता है कि उम्मे हराम आपकी दुध पिलाने वाली ख़ाला थीं या रिश्ते की कोई ख़ाला

थी और वह इस तरह वह आपको उनका महरम सिद्ध करता है। वास्तव में वह सन्देह का शिकार है क्योंकि आपकी रिश्ते की तमाम मॉओं और दुध पिलाने वाली मॉओं का नाम ज्ञात व प्रसिद्ध है। फिर इब्ने हजर कहते हैं कि सबसे अच्छा उत्तर यह है कि यह अमल आपके साथ विशेष था। इस उत्तर को यह कह कर रदद् नहीं किया जा सकता किसी अमल को आपकी विशेषता उस समय तक नहीं माना जा सकता जब तक किसी दलील से उसका आपके साथ विशेष होना मालूम न हो जाये क्योंकि विशेषता की दलील बिल्कुल स्पष्ट है अल्लाह बेहतर जानता है।

अल्लामा युसुफ क़रज़ावी ने क़तर टेलीवीजन पर एक फ़तवा देते हुए कहा था। जिसकी मूल भाषा मेरे पास लिखी हुई मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि इस अमल के आपके साथ विशेष होने की कोई भी खुली या छिपी दलील नहीं पाई जा रही है। वही दूसरी तरफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इस अमल की सामान्यता के सिलसिले में एक दलील प्रस्तुत की है। हज़रत फ़रमाते है। कि जिस औरत ने अबू मूसा की जूएं देखी थीं वह उनके किसी भाई की बीवी थीं।

हज़रत अबू मूसा अशअरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने मुझे कुछ लोगों के पास यमन भेजा, फिर मैं लौटकर आया तो आप (सल्ल.) उस समय बतहा में थे। आपने (सल्ल.) पूछा, तुमने किस चीज़ के लिए इहराम बांधा है जिसके लिए आपने बांधा है। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास क़ुर्बानी का जानवर है? मैंने कहा नहीं आपने मुझे तवाफ़ करने का आदेश दिया तो मैंने अल्लाह के घर कअ़बा और सफा व मरवा का तवाफ़ किया। फिर आपके आदेश से मैंने इहराम उतार दिया फिर मैं अपनी क़ौम की एक औरत के पास आया तो उसने मेरे बालों में कंघा किया। या यह कहा कि मेरे बाल धोये, एक रिवायत में है कि फिर मैं बनू क़ैस की एक औरत के पास आया तो उसने मेरी जूएं देखी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ''फिर मैं अपनी क़ौम की एक औरत के पास आया'' कि व्याख्या करते हुए कहते है। कि इस वाक्य के प्रयोग से तुरन्त जो बात मन में आती है वह यह है कि वह औरत क़ैस क़बीला ईलान से सम्बन्ध रखती थी जब कि उनके बीच और अशअ़रियों के बीच किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं थी लेकिन अय्यूब बिन अ़ाइद की रिवायत अर्थात ऊपर जो दूसरी रिवायत बयान की गई है। में ''बनू क़ैस की औरत'' के शब्द आये हैं। इससे पता चला कि क़ैस से तात्पर्य, अबू मूसा अशअ़री के पिता क़ैस बिन सुलैम हैं और जिस औरत का उल्लेख किया है वह अबू मूसा अशअ़री के किसी भाई की बीवी थीं। अबू रहम और अबू बुर्दा और एक कथन के अनुसार मुहम्मद। ये सब अबू मूसा अशअ़री के भाई थे।

स्नेहपूर्ण देख–भाल और ध्यान रखने की जो मिसालें ऊपर आईं और उन घटनाओं में अत्यन्त निकटता, यहां तक क शरीर को छूने की जो मिसाले सामने आईं ये सब उस समय तक वैध हैं जब तक कि फ़ितने का डर न हो। कुछ विशेष परिस्थितियों ही में, फ़ितने का डर नहीं रहता है जैसा उपरोक्त हदीसों से स्पष्ट होता है। ये विशेष परिस्थितियां

समाज में पायी जाने वाले ऐसे रवैयों की देन हैं जो फ़ितने के डर को समाप्त करने में सहायक होते है। और स्नेहपूर्ण देख–भाल और ध्यान रखने पर ज़ोर देने के साथ

उत्साहवर्धन करते हैं।, इस सामाजिक रवैये से यह पता चलता है कि जो लोग नेक और चरित्रवान मुसलमानों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं उनके अन्दर पवित्र भावनाएं पैदा हो जाती हैं और उन्ही के कारण वासनाएं कमज़ोर पड़ जाती है। जब तक नेक व चरित्रवान लोगों के साथ अधिक से अधिक समय न व्यतीत किया जाये। उस वक़्त तक पवित्र भावनाओं का पैदा होना सम्भव नहीं है। इसका उदाहरण नबी (सल्ल.) उम्मे सुलैम व उम्मे हराम के बीच, इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी और उनके बड़े भाई की बीवी के बीच पाये जाने वाले भ्रातृत्व (विरादराना) भाव हैं। इसके उदाहरण अबू मूसा (रज़ि) के दास सालिम और अबू हुज़ैफ़ा की बीवी सहला बिन्ते सुहैल के बीच पाये जाने वाले मातृत्व की भावनाएं हैं (इन दोनों घटनाओं के लिए औरतों की ज्ञान प्राप्त करने के दौरान मर्दों से मुलाक़ात की बहस की तरफ़ लौटें। इस पवित्र भावनाओं के कारण वह प्राकृतिक वासना कमज़ोर पड़ जाती है जो दूसरे लिंग के लोगों के प्रति पायी जाती हैं बल्कि निकट होता है कि वह समाप्त ही हो जाये। मेरा तो विचार है कि अल्लाह तआला के कथन ''और तुम्हारे नौकर चाकर जिनके अन्दर वासना नहीं होती'' में इसी की तरफ़ इशारा किया गया है। आयु अधिक हो जाने के कारण यद्यपि मर्दाना शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है लेकिन वह मात्र आयु अधिक होने के कारण, और उत्तरदायित्वों के कारण भी मर्दाना इच्छा समाप्त हो जाती है।

आदर सम्मान और प्रशंसा करने के लिए मर्द औरत की मुलाक़ातः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बा आयीं और उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल, ज़मीन के इस भू–भाग पर जितने भी ख़ेमे वाले हैं (अर्थात अरब वाले) उनमें आपके ख़ेमे वालों (अर्थात आपकी पैरवी वाले) से अधिक किसी का अपमान मेरे लिए पसन्दीदा नहीं था। लेकिन अब यह हालत है कि इस भू–भाग पर जितने भी ख़ेमे वाले हैं उनमें आपके ख़ेमें वालों से अधिक किसी का सम्मान मेरे लिए पसन्दीदा नहीं है।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उन्होंने हज़रत अस्मा से एक हार उधार लिया था। वह खो गया। आपने कुछ सहाबा को उसे तलाश करने के लिए भेजा। तलाश करने के बीच ही नमाज़ का वक़्त हो गया तो उन सहाबा ने बिना वुज़ू के नमाज़ पढ़ ली जब वे लोग लौट कर आपके पास आये। तो आप से इसकी शिकायत की। इस अवसर पर तयम्मुम की आयत अवतरित हुई। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने हज़रत आयशा से कहा। अल्लाह आपको भला बदला प्रदान करे। आपके साथ जब भी कोई समस्या आती है अल्लाह तआला उससे निकलने की कोई राह बना देता है। और उसमें मुसलमानों के लिए भलाई और बरकत रख देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मुल उला फ़रमाती हैं। जब हज़रत उसमान बिन मज़ऊन की मौत हुई। उनको ग़ुस्ल कराया गया और उनको उन्हीं के कपड़ो में कफ़न दिया गया। तो उसी वक़्त

नबी (सल्ल.) आ गये। उस वक़्त मैंने कहा ऐ अबू साइब आप पर अल्लाह की कृपा हो। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने आपके साथ उपकार का मामला किया है। आपने (सल्ल.) फ़रमाया तुम्हें कैसे मालूम कि अल्लाह ने इन पर उपकार किया है और इनके साथ आदर सम्मान का मामला किया है। मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान! फिर अल्लाह किस पर उपकार करेगा, आपने फ़रमाया कि इनको तो मौत आ गई। और अल्लाह की क़सम मुझे इनके सिलसिले में भलाई की ही आशा है। लेकिन यद्यपि मैं अल्लाह का रसूल हूं परन्तु मूझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या मामला होगा, हज़रत उम्मुल उला ने कहा। अल्लाह की क़सम, अब मैं कभी किसी का तज्क़ीया (अर्थात यह नहीं कहूंगी कि आमुक व्यक्ति बहुत नेक है अब तो वह जन्नत में जायेगा ही) नहीं करूंगी। फिर मैं सो गई। मैंने ख़्वाब देखा कि हज़रत उसमान का एक स्रोता है जो बह रहा है। मैंने नबी (सल्ल.) को इस सपने के बारे में बताया, तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया यह उनका अमल है। (बुख़ारी)

दुआ और बरक़त मांगने के लिए मर्द–औरत की मुलाक़ात :

अता बिन रिबाह कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने मुझसे कहा क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखाऊं, मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा। यह काली औरत नबी (सल्ल.) के पास आयी थी और उसने कहा था मैं बेहोश हो जाती हूं और मेरा शरीर खुल जाता है। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें। आपने फ़रमाया अगर तुम चाहो तो धैर्य रखो और उसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी, और चाहो तो मैं तुम्हारे लिए निरोग होने की दुआ कर दूं। उस औरत ने कहा कि मैं धैर्य(सब्र) रखूंगी, लेकिन मेरा शरीर खुल जाता है। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरा शरीर न खुला करे अतः आप (सल्ल.) ने उसके लिए दुआ कर दी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) उम्मे सुलैम के यहां गये। आपने उनके और उनके घर वालों के लिए दुआ की। उम्मे सुलैम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरी एक आवश्यकता है। आपने पूछा कैसी आवश्यकता। उन्होंने कहा आप अपने सेवक अनस के लिए दुआ कर दें। अतः नबी (सल्ल.) ने दुनिया व आख़िरत की तमाम भलाई व बरकत की दुआ मेरे लिए की। आपने फ़रमाया, ऐ अल्लाह तू इसे माल दौलत और सन्तान दे और इसे बरकत प्रदान कर। अतः मैं अन्सार का सबसे अधिक मालदार आदमी हूं और मुझसे मेरी बेटी अमीना ने बयान किया कि हज्जाज जब बसरा में आया, उस समय बिशेष रूप से मेरे वीर्य से एक सौ बीस (120) से कुछ अधिक बच्चे दफ़्न हो चुके थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि वह गर्भवती हुई। इस गर्भ में उनके पेट में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे। वह कहती हैं कि मैं हिज़रत के लिए उस समय निकली जब प्रसव का समय निकट आ चुका था। मैं मदीना आकर कु़बा में ठहर गई। मैंने कु़बा में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को जन्म दिया। फिर उसे लेकर आपके पास आई और उसे आपकी (सल्ल.) गोद में डाल दिया। आपने एक खजूर मंगाई और उसे चबाया, फिर आप ने अब्दुल्लाह के

मुंह में थूका, इस तरह उसके पेट में जाने वाली पहली चीज़ आपका लोआ़ब है। फिर आपने एक खजूर के माध्यम से उसकी तहनीक की (खजूर चबा कर उसे बच्चे के ऊपरी तलवे में लगा देना) और उसके लिए भलाई व बरकत की दुआ की। अब्दुल्लाह इस्लामी युग का पहला बच्चा था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत साइब बिन यज़ीद कहते हैं कि मेरी ख़ाला मुझे लेकर नबी (सल्ल.) के पास गई और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मेरा भांजा बीमार है आपने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की। फिर आपने वुज़ू किया। तो मैंने आपके वुज़ू का पानी पी लिया। फिर मैं आपके पीछे खड़ा हुआ। तो मुझे आपके कन्धे के बीच नुबूव्वत की मुहर दिखाई दी। वह ऐसी थी जैसे छपरखट की घुण्डी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम की नबी (सल्ल.) से मुलाक़ात है। उनकी माँ ज़ैनब बिन्ते हुमैद, उनको लेकर आपके पास गईं और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल आप इससे बैअ़त ले लें, आपने फ़रमाया, अभी ये छोटा है। फिर आपने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ की। (बुख़ारी)

उम्मे क़ैस बिन्ते मोहसन कहती हैं कि वह अपने एक छोटे बच्चे को जिसने अभी खाना शुरू नहीं किया था नबी (सल्ल.) के पास लाईं आपने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगाया और उसे पेशाब पर छिड़का, आपने उसे धोया नहीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लेते तो मदीने के सेवक अपने पानी के बर्तन लेकर आ जाते। आपके सामने जितने भी बर्तन लाये जाते आप उनमें अपना हाथ डालते। कभी–कभी लोग जाड़े की सुबह में पानी लेकर आ जाते तो उस समय भी आप उनके पानी के बर्तनों में हाथ डाल देते। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि एक औरत अपना एक बच्चा लेकर नबी (सल्ल.) के पास आई और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल इसके लिए दुआ कर दीजिए। एक रिवायत में है कि यह बीमार है और मुझे इसकी मौत का डर है। मैं इससे पहले तीन बच्चों को दफ़न कर चुकी हूं, आपने फ़रमाया क्या तुमने तीन बच्चे दफ़न कर दिये हैं उसने कहा हां, आपने फ़रमाया, तुमने जहन्नम से बचने की पक्की व्यवस्था कर लिया है। (मुस्लिम)

आतिथ्य के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) का एक ईरानी पड़ोसी सालन बहुत स्वादिष्ट बनाता था। उसने एक बार नबी करीम (सल्ल.) के लिए सालन बनाया और आपको आकर दावत दी। आप (सल्ल.) ने पूछा, क्या इसकी (आयशा) भी दावत है। उसने कहा नहीं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। दोबारा फिर वह नबी (सल्ल.) को बुलाने आया। आप (सल्ल.) ने पूछा क्या आयशा की भी दावत है? उसने कहा नहीं, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, फिर तो मैं नहीं आऊंगा वह फिर नबी (सल्ल.) को बुलाने

आया आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या आयशा की भी दावत है? उसने तीसरी बार में कहा हां, फिर वे दोनों उठे और उसके घर गये।(मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उनकी दादी मुलैका ने नबी (सल्ल.) को खाने पर बुलाया। उन्होंने (विशेष रूप से) नबी (सल्ल.) के लिए खाना बनाया था। अतः नबी (सल्ल.) ने खाना खाया, फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया खड़े हो जाओ। मैं तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाऊंगा। हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हमारी एक चटाई थी जो पुरानी हो जाने के कारण काली हो गई थी। मैंने उस चटाई पर पानी छिड़का, फिर नबी (सल्ल.) नमाज़ के लिए खड़े हो गये। मैं और एक यतीम ने आपके पीछे सफ़ (पंक्ति) बनाई और मेरी बूढ़ी दादी मेरे पीछे थीं; नबी करीम (सल्ल.) ने हम लोगों को दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि शादी के अतिरिक्त किसी और अवसर पर भी किसी की दावत स्वीकार की जा सकती है। अगर यह दावत किसी और ने दी हो और किसी तरह के फ़ित्ने में पड़ने का डर न हो तो उसकी दावत भी स्वीकार की जा सकती है।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं नबी (सल्ल.) उम्मे सुलैम के पास गये। उम्मे सुलैम ने आप (सल्ल.) को खजूर और घी प्रस्तुत किया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, अपनी खजूर और घी को उसके बरतनों में रख दो क्योंकि मैं रोज़े से हूं। (बुख़ारी)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि जब ख़ंदक़ खोदी जा रही थी तो मैंने महसूस किया कि नबी करीम (सल्ल.) बहुत अधिक भूखे हैं। मैं अपनी बीवी के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है मेरा विचार है कि नबी (सल्ल.) बहुत अधिक भूखे हैं। अतः उसने एक थैला निकाला जिसमें एक 'साअ़' जौ था। हमारे पास एक बकरी भी थी मैंने उसे ज़बह कर दिया और मेरी बीवी ने जौ को पीस दिया। मेरे साथ–साथ उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। गोश्त के टुकड़े काट कर उसे पतीली में डाल दिया। फिर मैं नबी करीम (सल्ल.) की तरफ़ आने के लिए मुड़ा तो मेरी बीवी ने कहा देखिये नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा के सामने मेरा अपमान न कीजिएगा। मैं नबी करीम (सल्ल) के पास आया और मैंने चुपके से उनसे कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! हमने एक बकरी ज़बह की है और एक साअ़ (लगभग चार किलो) जौ पीसा है। आप दो चार सहाबा के साथ हमारे घर चलें। नबी करीम (सल्ल.) ने ऊंची आवाज़ से कहा ऐ खाई खोदने वालों, जाबिर ने खाना पकाया है। अतः आओ चलो, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, देखो मेरे आने तक चूल्हे से न ही पतीली उतारना और न ही आटे से रोटी बनाना प्रारम्भ करना। मैं आया। नबी करीम (सल्ल.) सभी लोगों के साथ आये। मैं अपनी बीवी के पास आया तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा तुमने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने किया। फिर मैंने आटा निकालकर नबी करीम (सल्ल.) को दिया आप (सल्ल.) ने उसमें फूका और बरकत की दुआ की। फिर आप (सल्ल.) पतीली की ओर आये। उसमें भी फूंका और बरकत की

दुआ की। फिर आपने फ़रमाया, रोटी बनाने वाली को बुलाओ ताकी वह तुम्हारे साथ रोटी बनाये और तुम पतीली से सालन निकालती रहो, लेकिन इसे चूल्हे से न उतारना। वह कुल एक हज़ार लोग थे। मैं अल्लाह की क़सम खाकर कहता हूं कि उन सब लोगों ने खाना खाया और खाकर चले गये। उस वक़्त भी हमारी पतीली पहले ही की तरह उबल रही थी और पहले ही कि तरह आटे से रोटी बनाई जा रही थी। एक रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल.) ने उनकी बीवी से कहा कि इसे खाओं और लोगों को उपहार में दे दो। क्योंकि लोग भुखमरी के शिकार हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा कि मुझे नबी करीम (सल्ल.) की आवाज़ से कमज़ोरी महसूस हो रही हैं। लगता है कि आप (सल्ल.) भूखे हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ है? उम्मे सुलैम ने कहा हां, फिर उन्होंने जौ के कुछ पेड़े निकाले, फिर उन्होंने अपनी एक ओढ़नी निकाली, और उसके थोड़े से हिस्से से रोटी लपेट दी फिर रोटी मेरे हाथ में दी और ओढ़नी का थोड़ा हिस्सा मुझे ओढ़ा दिया। फिर मुझे नबी करीम (सल्ल.) के पास भेजा। हज़रत अनस (रज़ि) कहते हैं कि मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास गया। मुझे नबी करीम (सल्ल.) मस्जिद में मिले। आपके साथ कुछ सहाबा भी थे। मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। नबी करीम (सल्ल.) ने वहां पर मौजूद सहाबा किराम से कहा कि खड़े हो जाओ। अतः नबी (सल्ल.) चल पडे, मैं भी चल पड़ा, मैं अबू तलहा के पास आया और उनको नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा किराम के आने की सूचना दी। अबू तलहा ने कहा। ऐ उम्मे सुलैम नबी करीम (सल्ल.) तो सहाबा को लेकर आ गये हैं। हमारे पास तो उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उम्मे सुलैम ने कहा। अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अबू तलहा निकले उनकी मुलाक़ात नबी करीम (सल्ल.) से हुई। नबी करीम (सल्ल.) अबू तलहा के साथ आये और कहा। ऐ उम्मे सुलैम तुम्हारे पास जो कुछ है ले आओ। वह वही रोटी ले आईं, नबी (सल्ल.) ने आदेश दिया। तो उस रोटी को तोड़ दिया गया। उम्मे सुलैम ने उस बरतन से सब्ज़ी भी उड़ेल दी। फिर नबी करीम (सल्ल.) ने उस पर कुछ पढ़ा फिर आप (सल्ल.) ने कहा। दस लोगों को आने की अनुमति दे दो। अतः दस लोगों को अनुमति दे दी गई। उन सब लोगों ने पेट भर कर खाया, फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया और दस लोगों को आने की अनुमति दे दो। अतः दस लोगों को अनुमति दे दी गई। उन लोगों ने भी पेट भर कर खाया। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, और दस लोगों को आने की अनुमति दे दो। अतः दस लोगों को अनुमति दे दी गई। उन लोगों ने भी पेट भर कर खाया, फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, और दस लोगों को आने की अनुमति दे दो। अतः दस लोगों को अनुमति दे दी गई। उन लाागों ने भी पेट भर कर खाना खाया। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, और दस लोगों को अनुमति दे दो। इस तरह सब लोगों ने पेट भर कर खाना खा लिया वे कुल 70 या 80 लोग थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं कि जब अबू उसैद अस्सा एदी ने शादी की तो उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा की दावत की। उनकी बीवी उम्मे उसैद(जो कि स्वयं दुल्हन थीं) ही ने उन लोगों के लिए खाना बनाया और उन्हें खाना प्रस्तुत किया। उन्होंने रात में कुछ खजूरें पत्थर के एक छोटे बर्तन में भिगो दी थीं। जब नबी करीम (सल्ल.) खाना खा चुके तो उन्होंने वह शरबत आप (सल्ल.) को विशेष रूप से पिलाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

शअ़बी कहते हैं कि हम लोग फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास गये तो उन्होंने हमें इब्ने ताब की ताज़ा खजूरें खिलाईं और ज्वार का सत्तू पिलाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि जिस औरत को तीन तलाक़ दी गई हो वह कहां इद्दत गुज़ारेगी......? । (मुस्लिम)

इन दलीलों के बाद मैं बुख़ारी व मुस्लिम के बाहर से एक दलील प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे पता चलता है कि पति की अनुपस्थिति में औरत ऐसे अतिथियों का स्वागत कर सकती है जिनसे उसका पति अवगत हो और जिस पर उसको भरोसा हो। इमाम तबरानी ने क़तादा के हवाले से एक रिवायत नक़ल की है। क़तादा कहते हैं कि औरतों से बैअ़त के समय ये प्रतीज्ञा ली गई। वह न ही विलाप करेंगी और न ही मर्दों से बात करेंगी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने कहा कि कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास मेहमान आते हैं और हम अपने घरों पर नहीं होते (तो ऐसी स्थिति में क्या होगा) आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि यहां पर यह तात्पर्य नहीं है (अर्थात ऐसी स्थिति में औरत मर्द से बात कर सकती है)

उपहारों के आदान–प्रदान के समय मर्द–औरत की मुलाक़ातः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मुझे जितना ख़दीजा (रज़ि.) से स्पर्धा हुई उतना आप (सल्ल.) की किसी बीवी से नहीं हुई। हालांकि मेरी शादी से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि मैं नबी करीम (सल्ल.) को उनका नाम लेते(उल्लेख करते) सुनती थी। अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल.) को आदेश दिया था कि वह हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) को जन्नत में मोतियों के एक घर की शुभ सूचना दें, आप (सल्ल.) बकरी ज़बह करते तो हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की सहेलियों के पास भेजते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब मुहाजिर लोग मक्का से मदीना आये तो वे ख़ाली हाथ थे। अन्सार ज़मीन और दौलत वाले लोग थे। उन्होंने मुहाजिरों से कहा कि वह उन्हें हर साल अपने लाभ में हिस्सा देंगे, इस तरह मुहाजिरों को काम नहीं करना पड़ेगा। उम्मे अनस ने नबी (सल्ल.) को खजूर का एक बाग़ दिया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत सहल बिन सअ़द फ़रमाते हैं कि एक औरत चादर लेकर आई, फिर उन्होंने कहा। क्या तुम लोग जानते हो कि बुर्दा किसे कहते हैं। लोगों ने कहा हां बुर्दा उस चादर को कहते हैं जिसके किनारों पर बूटियां बनी हों, उस औरत ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने इस चादर पर बूटियां अपने हाथों से बनायी हैं ताकि आपको पहना सकूं आपने, उसकी

आवश्यकता महसूस करते हुए उसे ले लिया। फिर आप हमारे पास आये तो आप उस चादर को तहबन्द (लुंगी) के रूप में पहने हुए थे। एक व्यक्ति ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल ये चादर मुझे दे दीजिए। आप ने फ़रमाया ठीक है। आप थोड़ी देर लोगों कि बीच बैठे रहे। फिर लौट गये। आपने उस चादर को तह किया और उस व्यक्ति के पास भिजवा दिया। सहाबा किराम ने उससे कहा कि तुमने ये चादर आप से मांग कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मालूम ही है कि आप किसी मांगने वाले को वापस नहीं करते, उस व्यक्ति ने कहा। अल्लाह की क़सम मैंने यह चादर आपसे इसलिए मांगी है कि मुझे इसी में कफ़्न दिया जाये। सहल कहते हैं कि उस व्यक्ति को उसी चादर में कफ़्न दिया गया। (बुख़ारी)

हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उम्मे मालिक एक कुप्पी में नबी (सल्ल.) को उपहार स्वरूप घी भेजा करती थीं। फिर उनके पास उनके बेटे आते और वह सालन मांगते, उनके पास कुछ भी न होता तो उम्मे मालिक उस कुप्पी के पास जातीं जिसमें वह आपको घी भेट किया करती थीं तो उन्हें उसमें घी दिखाई देता, इस तरह हमेंशा उनके घर में सालन बचा रहता। यहां तक कि एक बार उन्होंने उस कुप्पी को निचोड़ दिया। फिर वह नबी (सल्ल.) के पास आईं, आपने पूछा, क्या तुमने कुप्पी को निचोड़ लिया। उन्होंने कहा हां, आपने फ़रमाया, अगर तुम उसे यूं ही रहने देती और आवश्यकता पड़ने पर लेती रहतीं तो सदैव शेष रहता।

मरीज़ों को देखने जाने के दौरान मर्द औरत की मुलाक़ात

औरतों का मर्दों को बीमारी में देखने जाना :

इमाम बुख़ारी ने निम्नलिखित हदीस शीर्षकः ''औरतों का मर्दों को बीमार पड़ने पर देखने जाना'' के अन्तर्गत उल्लिखित है। वह कहते हैं कि उम्मे दरदा मस्जिद के एक अन्सारी सेवक को देखने गई थीं।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) मदीना आये। तो हज़रत अबू बक्र और हज़रत बिलाल बीमार पड़ गये। मैं उन दोनों के पास गई। मैंने कहा अब्बू जान आपकी तबीअ़त कैसी है। ऐ बिलाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि जब हज़रत अबू बक्र का बुख़ार तेज़ हो जाता तो वह कहते

كل امرئ مصبح فى اهله   والموت ادنىٰ من شراك نعله

जब हज़रत बिलाल का बुख़ार कम होता तो वह कहते––

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة   بواد و حولى اذخر و جليل

وهل أردن يوما مياه مجنة   وهل تبدون لى شامة و طفيل

हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि फिर मैं नबी (सल्ल.) के पास आई और उनको यह सब बताया तो आपने फ़रमाया, ऐ अल्लाह तू मदीने को हमारे लिये मक्का ही की तरह बल्कि उससे भी अधिक प्यारा बना दे उसके वातावरण को अच्छा रख, यहां के 'मुद्द' और 'साअ़' में हमारे लिए बरकत रख और उसके 'हुम्मा' को जहफा की तरफ़ फेर दे। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर इमाम बुख़ारी के कथन ''शीर्षकः औरतों का मर्दों को बीमारी में देखने जाना'' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इससे तात्पर्य यह है कि औरतें अजनबी मर्दों को भी देखने जा सकती हैं। शर्त यह है कि फ़ितने में पड़ने का डर न हो। वह कहते हैं कि इमाम बुख़ारी पर यह आपत्ति की जाती है कि यह घटना बिल्कुल परदा फ़र्ज़ होने से पहले की हैं जैसा कि एक दूसरी सनद के साथ हदीस में ये शब्द भी हैं ''वह परदा से पहले की है'' इसका उत्तर यह है कि इमाम बुख़ारी ने जो ''तर्जुमतुल बाब'' स्थापित किया है इस पर उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि औरत अजनबी मर्द को देखने का काम इस शर्त के साथ कर सकती है कि वह पूरी तरह परदे में हो। अतः यह घटना परदा अनिवार्य होने से पहले की हो या बाद की दोनों ही स्थितियों में फ़ितने का डर न हेाने की स्थिति में औरत किसी अजनबी मर्द को बीमारी में देख सकती है।

औरतों के अजनबी मर्दों को देखने जाने की दलील यह है। कि उम्मे मुबश्शिर बिन्ते बराअ बिन मअरूर ने कअ़ब बिन मालिक को उस मसय देखा था जब उनकी मौत का समय क़रीब आ चुका था। वह उनके पास गईं और कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान मेरे बेटे मुबश्शिर को मेरा सलाम कहियेगा, उन्होंने कहा ऐ उम्मे मुबशिर अल्लाह आप की मग़फ़िरत करे। क्या आपने नबी (सल्ल.) की यह बात नहीं सुनी, कि मुसलमान की रूह एक चिड़िया के रूप में जन्नत के पेड़ से लटका दी जाती है। अल्लाह तआला क़यामत के दिन रूह (आत्मा) को उसके शरीर में वापस डाल देगा। उन्होंने कहा आप सही कहते हैं। मैं अल्लाह से मुक्ति की दुआ (इस्तिग़फ़ार) करूंगी।

मर्दों का औरतों को बीमारी में देखने जाना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ज़बाअः बिन्ते ज़ुबैर के पास गये और कहा शायद तुम हज्ज करना चाहती हो। उन्होंने कहा मुझे कष्ट हो रहा है। आपने कहा तुम हज्ज करो और शर्त लगा दो। अतः तुम यह कहो, ऐ अल्लाह मैं वहां एहराम खोल दूंगी जहां आप मुझे रोक देंगे। वह मिक़्दाद बिन अस्वद के निकाह में थीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी (सल्ल.) उम्मे साएब या उम्मे मुसय्यिब के पास गये और कहा। क्या हुआ उम्मे साइब? तुम क्यों थरथरा रही हो? उन्होंने कहा बुख़ार है अल्लाह इसका बुरा करे। आपने(सल्ल.) ने फ़रमाया, बुख़ार को बुरा न कहो क्योंकि बुख़ार लोगों के गुनाहों को उसी तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह आग लोहे के ज़ंग को मिटा देती हैं। (मुस्लिम)

इस हदीस से हमें उम्मे उला की हदीस याद आ गई जिसे अबू दाऊद ने रिवायत की है। उम्मे उला कहतीं है कि मैं बीमार थी। नबी (सल्ल.) मुझे देखने आये और कहा ऐ उम्मे उला ख़ुशख़बरी लो। क्योंकि मुसलमान की बीमारी उसके गुनाहों को उसी तरह मिटा देती है जैसे आग सोने और चांदी की खोट (कमी) को मिटा देती है। इमाम नसाई ने हज़रत अबू ओसामा से रिवायत बयान की है। वह कहते हैं कि मदीने के ऊंचे हिस्से में रहने वालों में से एक औरत बीमार पड़ गई। नबी (सल्ल.) बीमार की सबसे अच्छी तरह देख रेख करते थे। आपने (सल्ल.) फ़रमाया, अगर इस औरत की मौत हो जाती है तो मुझे सूचना देना।

हज़रत अबू मुलैका फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत आयशा की मौत के कुछ पहले, उनके पास आने की अनुमति मांगी। हज़रत आयशा उस समय मुर्छा की सी स्थिति में थीं। उन्होंने कहा मुझे यह सन्देह है कि वह आकर मेरी प्रशंसा करेंगे, हज़रत आयशा (रज़ि.) से कहा गया कि इब्ने अब्बास नबी (सल्ल.) के चचेरे भाई और महत्वपूर्ण मुसलमानों में से हैं। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि उन्हें अनुमति दो। इब्ने अब्बास ने उनसे पूछा कैसी तबिअ़त है? उन्होंने उत्तर दिया। अगर अल्लाह के यहां बच जाती हूं तो अच्छी हूं । इब्ने अब्बास ने कहा इन्शा अल्लाह आपके साथ अच्छा मामला होगा, आप नबी (सल्ल.) की बीवी हैं। नबी (सल्ल.) ने आप के अतिरिक्त किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की और अल्लाह तआला ने आसमान से आपका दोष मुक्त होना अवतरित किया। (बुख़ारी)

मर्दों का औरतों की मौजूदगी में किसी मर्द को बीमारी में देखने जाना :

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत सअ़द बिन ओबादा बीमार पड़ गये। नबी (सल्ल.) अब्दुर्रहमान बिन औफ सअ़द बिन अबी वक़्क़ास और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के साथ, उनको देखने के लिए आये। जब आप उनके पास पहुंचे तो देखा कि वहां उनके घर वाले भी मौजूद हैं। आप (सल्ल.) ने पूछा क्या ये गुज़र गये? लोगों ने कहा नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आप रो पड़े जब लोगों ने देखा कि आप (सल्ल) रो रहे हैं तो वे लोग भी रो पड़े नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या तुम लोग सुनते नहीं हो। अल्लाह आंखों से आंसू गिरने पर या दिल के दुखी होने पर सज़ा नहीं देता बल्कि अल्लाह ज़बान के कारण यातना देता है या दया का मामला करता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस से हमें जाबिर बिन अ़तीक़ की हदीस याद आ गई जिसे इमाम मालिक ने मुवत्ता में और इमाम नसई ने अपनी सुनन में नक़ल किया है। जाबिर बिन अ़तीक़ कहते हैं कि नबी (सल्ल.) अब्दुल्लाह बिन साबित को देखने आये। आपने देखा कि वह मुर्छित हो गये हैं। आप (सल्ल.) ने उन्हें ज़ोर से आवाज़ दी। लेकिन उन्होने

उत्तर नहीं दिया। आपने इन्नालिल्लहि व इन्ना इलैहि राजिऊन (हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं) पढ़ा और कहा ऐ अबू रूबैअ़ हम तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गये। उस वक़्त औरतें चिल्लाने और रोने लगीं। जाबिर उन्हें चुप कराने लगे। नबी (सल्ल.) ने जाबिर (रज़ि.) से कहा उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जब अब्दुल्लाह का 'वुजूब' हो जाये। तो कोई भी हरगिज़ न रोये। लोगों ने पूछा। ऐ अल्लाह के रसूल 'वुजूब' क्या है। आपने (सल्ल.) फ़रमाया कि इसका अर्थ यह है कि जब वह मर जायें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित की बेटी ने कहा हमें आशा थी कि आप शहीद होंगे। आपने तो जेहाद का सारा सामान तैयार कर लिया था। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह उन्हें उनकी नीयत के अनुसार बदला देगा।

इस हदीस से हमें हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम की हदीस भी याद आ गई जिसे तबरानी ने नक़ल किया है। हज़रत क़ैस कहते हैं कि हम लोग हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के बीमारी के दिनों में उनके पास गये। मैंने देखा कि उनके पास गुदे हुए हाथों वाली एक सुन्दर महिला बैठी है। वह आपकी बीवी अस्मा बिन्ते उमैस थीं।

खाने–पीने के दौरान मर्द–औरत की मुलाक़ात :

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फरमातें हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया, आपने अपनी बीवियों से कुछ मंगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मात्र पानी है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि आज इस व्यक्ति का आतिथ्य कौन करेगा। एक अन्सारी सहाबी ने कहा मैं करूंगा। अतः वह उसे लेकर अपनी बीवी के पास गये और कहा कि नबी (सल्ल.) के मेहमान का आदर करो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मात्र बच्चों के लिए खाना है सहाबी ने कहा कि खाना तैयार करो चिराग़ जला दो। और जब बच्चे रात का खाना मांगें तो उन्हें सुला देना अतः उनकी बीवी ने ऐसा ही किया और बच्चों को सुला दिया। फिर वह चिराग को ठीक करने के लिए उठीं और उसे जानबूझ कर बुझा दिया। फिर वे दोनों मेहमान के साथ बैठे मानो वे भी खा रहे हों, हालांकि उन दोनों ने भूखे पेट रात गुज़ारी। सवेरे वह सहाबी नबी (सल्ल.) के पास अये, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि आज अल्लाह तुम दोनों के इस अमल से बड़ा आश्चर्य में पड़ा, मुस्लिम की रिवायत में है कि तुम ने आज रात अपने मेहमान के साथ जो व्यवहार किया। अल्लाह को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अल्लाह ने यह आयत उतारी............... ''और वह वरीयता देते है अपने ऊपर यद्यपि वह उनके लिए विशेष हो और जो अपने दिल की तंगी से बचा लिए गये तो वही कामयाब होने वाले हैं।'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

यज़ीद बिन असम्म कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी शादी में हम लोगों को बुलाया और हमारे सामने गोह का गोश्त प्रस्तुत किया बहुत से लोगों ने उसे खाया बहुत से लोगों ने नहीं खाया। दूसरे दिन मेरी मुलाक़ात हज़रत इब्ने अब्बास से हुई तो मैंने उनसे इसका उल्लेख किया। उनके पास बैठे लोगों ने बहुत अधिक बोलना शुरू कर दिया कुछ ने कहा कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि न ही मैं गोह खाता हूं और न ही इसे खाने से लोगों को रोकता हूं और न ही इसे हराम ठहराता हूं इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया,

तुम लोगों ने बड़ी ग़लत बात कही, नबी (सल्ल.) चीज़ों को हलाल या हराम बताने के लिए भेजे गये थे। एक बार आप (सल्ल.) हज़रत मैमूना के पास थे। वहां फ़ज़्ल बिन अब्बास और ख़ालिद बिन वलीद थे। और एक महिला भी थी। हज़रत मैमूना ने उन लोगों के सामने दस्तरख़्वाना लगाया जिस पर गोश्त था। नबी (सल्ल.) ने जब उसे खाने का इरादा किया तो हज़रत मैमूना ने कहा कि यह गोह का गोश्त है। यह सुनकर आपने हाथ रोक लिया और कहा कि मैंने गोह का गोश्त कभी नहीं खाया है। वहां मौजूद लोगों से आपने कहा कि तुम लोग इसे खाओ। अतः फ़ज़्ल बिन अब्बास ख़ालिद बिन वलीद और उस औरत ने वह गोश्त खाया, हज़रत मैमूना फ़रमाती हैं कि मैं जो चीज़ भी खाती हूं नबी (सल्ल.) भी वह खाते हैं। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुर्रहमान, बिन अबू बक्र कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र कुछ मेहमानों को लेकर घर आये। फिर वह शाम में नबी (सल्ल.) के पास चले गये। जब लौटे तो मेरी माँ ने कहा आज रात आप अपने मेहमानों से दूर कहां रह गये थे। उन्होंने पूछा। क्या तुमने उन्हें रात का खाना खिला दिया? उन्होंने कहा। हमने उनकी सेवा में खाना प्रस्तुत किया था लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। अबू बक्र (रज़ि.) यह सुनकर क्रोधित हो गये और बुरा–भला कहा और क़सम खाई कि वह खाना नहीं खायेंगे यह सब देखकर मैं छिप गया ,तो उन्होंने कहा। ऐ पाजी! फिर मेरी माँ ने क़सम खाई कि जब तक अबू बक्र नहीं खायेंगे वह भी नहीं खायेंगी और मेहमानों ने भी क़सम खाई कि जब तक अबू बक्र नहीं खायेंगे। वे सब भी नहीं खायेंगे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने कहा कि यह सब कुछ शैतान के कारण हुआ। अतः उन्होंने खाना मंगाया। उन्होंने और माँ ने और साथ में मेहमानों ने भी खाया, वह जब लुक़्में उठाते नीचे से खाना बढ़ता जाता, हज़रत अबू बक्र ने मेरी माँ से कहा यह क्या है। उन्होंने उत्तर दिया जब हमने खाना शुरू किया था अब खाना उससे भी अधिक हो गया है। अतः उन सब लोगों ने खाया, फिर नबी (सल्ल.) के पास भिजवा दिया गया और आपने भी उसे खाया। (बुख़ारी)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को नबी (सल्ल.) के लिए विशेष खाना बनाने का आदेश दिया। फिर उम्मे सुलैम ने मुझे आपके पास भेजा,................. आपने खाने पर अपना हाथ रखा और बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर कहा कि दस लोगों को आने की अनुमति दो। अतः अबू तलहा ने दस लोगों को अनुमति दे दी। वे लोग घर में आये। आपने फ़रमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ अतः लोगों ने खाना खा लिया। इसी तरह नबी (सल्ल.) ने अस्सी लोगों को बुलाया। फिर उनके बाद आपने और घर वालों ने खाया, उसके बाद भी खाना बचा रहा। एक रिवायत में है कि, फिर नबी (सल्ल.) अबू तलहा, उम्मे सुलैम और अनस बिन मालिक ने खाया, उसके बाद भी खाना बच रहा तो हमने उसे पड़ोस में भिजवा दिया। (मुस्लिम)

शेख़ अबू नेमतुल्लाह अनक़रवी फ़रमाते हैं कि जहां तक नबी (सल्ल.) का उम्मे सुलैम के साथ खाने का मामला है तो उसको ध्यान में रखकर उलमा ने इस बात की

अनुमति दी है कि औरत किसी ऐसे अजनबी आदमी के साथ खाना खा सकती है जिसके साथ पहले से अच्छा परिचय हो। क्योंकि चेहरा और दोनों हथेलियां परदा में सम्मिलित नहीं हैं। अतः कोई अजनबी मर्द किसी औरत के चेहरे या हथेली को स्वाद के लिये या सुन्दरता की जांच के लिए नहीं देखता तो उसका देखना वैध हैं।

मुवत्ता में लिखा है कि इमाम मालिक से पूछा गया कि क्या औरत ग़ैरमहरम या अपने दास के साथ खाना खा सकती है? उन्होंने उत्तर दिया। यदि औरत किसी ऐसे अजनबी बग़ैर महरम या अपने दास के साथ खाना खाती है जिससे उसका पहले से परिचय है और जिसके साथ वह पहले से खाती रही हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। इमाम मालिक ने फ़रमाया कि औरत कभी–कभी अपने भाई के साथ भी खाना खाती है।

खाने पीने में मर्दों के साथ औरतों की भागीदारी से सम्बन्धित कुछ और हदीसें निम्न में प्रस्तुत की जाती हैं:

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आयी और उसने आपके सामने गोश्त प्रस्तुत किया। आप उसे खाने लगे। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल आप अपने हाथ में चर्बी मत लगाइये, आपने फ़रमाया ऐ आयशा जब ख़दीजा जीवित थीं तो ये औरत हमारे पास आया करती थी। किसी के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना ईमान का एक हिस्सा है।

हज़रत उम्मे हानी फ़रमाती हैं कि मक्का विजय के दिन हज़रत फ़ातिमा आयीं, और नबी (सल्ल.) के बायीं तरफ़ बैठ गईं, उम्मे हानी आपके दाहिने तरफ़ थीं। इसी बीच एक दासी एक बर्तन में पानी ले आई, आपने वह बर्तन लिया और पानी पी लिया फिर वह बरतन उम्मे हानी ने लिया और उन्होंने भी उससे पीया।

उम्मे अम्मारा बिन्ते कअ़ब फ़रमाती हैं कि उनके पास नबी (सल्ल.) आये तो उन्होंने आप के लिये खाना मँगवाया, आपने कहा कि तुम भी खाओ, उन्होंने कहा कि मैं रोज़े से हूं।

हज़रत सफ़ीना फ़रमाती है कि एक व्यक्ति हज़रत अली (रज़ि.) का मेहमान हुआ। उन्होंने उसके लिए खाना बनाया, हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा क्या ही अच्छा होता कि हम नबी (सल्ल.) को भी बुला लेते। आप भी हमारे साथ खाने में सम्मिलित हो जाते। अतः इन लोगों ने नबी (सल्ल.) को बुला लिया। फिर आप आ गये....!

सफ़र के दौरान मर्द व औरत की मुलाक़ात

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने एक गिरजाघर का बयान किया। जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था और जिमसें बहुत सी तस्वीरें थीं। उन्होंने नबी (सल्ल.) से इस गिरजाघर का उल्लेख किया। आपने फ़रमाया कि जब उनके बीच कोई नेक व्यक्ति मर जाता तो वे लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लिया करते

थे। और उसमें इस तरह की तस्वीरें बना लेते थे। क़मयात के दिन ये लोग अल्लाह को सबसे अधिक नापसन्द होंगे। (बुख़ारी)

उम्मे ख़ालिद ने अपने पिता ख़ालिद बिन सईद बिन आस और अपनी माँ हमीना बिन्ते खल्फ़ के साथ हिजरत की थी। वह कहती हैं कि मैं जिस समय हब्शा से आई उस वक़्त मैं छोटी बच्ची थी। नबी (सल्ल.) ने मुझे एक धारीदार कपड़ा दिया। आप धारियों को हाथ से छूते और फ़रमाते। 'सनाहू' यह बहुत अच्छा है' हुमैदी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि नबी (सल्ल.) ने यह फ़रमाया यह बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा हैं। (बुख़ारी)

हज़रत मरवान, और मिस्वर बिन मख़रमा फ़रमाते हैं कि मोमिन औरतें हिजरत करके आईं, उस दिन नबी (सल्ल.) की तरफ़ हिजरत करने वालों में उम्मे कुलसूम बिन्ते उक्बा बिन अबी मुऐत भी सम्मलित थीं। वह उस समय नई उम्र की लड़की थीं। उनके घर के लोग नबी (सल्ल.) के पास आये और आपसे उनकी वापसी की मांग किया लेकिन नबी (सल्ल.) ने उनको उनके घर वालों के साथ वापस नहीं किया। (बुख़ारी)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ख़ैबर और मदीना के बीच तीन दिन ठहरे रहे, इस दौरान आपने(सल्ल.) हज़रत सफ़ीया (रज़ि.) से शादी की। मैंने लोगों को आपके वलीमे की दावत दी। इस वलीमे में न ही रोटी थी और न गोश्त था। आप ने चमड़े की एक चटाई बिछाने का आदेश दिया। फिर उस पर खजूर, सूखा दूध और घी रख दिया गया। यही आपका वलीमा था। मुसलमानों ने आपस में कहा। ये उम्मुल मोमिनीन हैं या दासी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप उनसे परदा कराते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ये उम्मुल मोमिनीन हैं और अगर इनसे परदा नहीं कराते हैं तो ये दासी हैं। जब आपने सफ़र शुरू किया तो उन्हें अपने पीछे सवार कर लिया और उनके, और लोगों के बीच परदा गिरा दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उम्मे सुलैम गर्भवती हुईं, वह नबी (सल्ल.) के साथ एक सफ़र में थीं। आप जब मदीना आते थे तो रात में मदीने में प्रवेश नहीं करते थे। जब नबी (सल्ल.) और आपके साथी मदीने के निकट पहुंचे तो उम्मे सुलैम को प्रसव पीड़ा उठी। अतः अबू तलहा उनके पास रूक गये। (मुस्लिम)

रूबैअ़ बिन्ते मसऊद (रज़ि.) फ़रमाती है कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ युद्धों में भाग लिया करते थे। हम लोगों को पानी पिलाते थे। उनकी सेवा करते थे और घायलों और शहीदों को मदीना भेजते थे। (बुख़ारी)

हज़रत इमरान बिन हसीन फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) एक सफ़र में थे। उसी सफ़र में एक अन्सारी औरत ऊंटनी पर सवार थी। ऊंटनी बिदकी तो उसने उसको झिड़का और उसको बुरा भला कहा। आपने (सल्ल.) सुन लिया और फ़रमाया ऊंटनी पर जो कुछ है उसे उतार लो। और इसको छोड़ दो क्योंकि वह फटकारी हुई है। इमरान कहते हैं कि मैं इस समय ऊंटनी को देख रहा हूं कि वह लोगों के बीच फिरती है और कोई उससे छेड़ छाड़ नहीं कर रहा है। (बुख़ारी)

इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं। मैं हज़रत उमर के साथ मक्के से निकला, जब हम लोग बैदाअ नामक स्थान पर पहुंचे तो हमें बबूल के पेड़ के नीचे एक क़ाफ़िला दिखाई दिया। हज़रत उमर ने मुझसे कहा। देखकर आओ कि इस क़ाफ़िले में कौन लोग हैं? इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने जाकर देखा तो मुझे सुहेब दिखाई दिये। मैंने हज़रत उमर को बता दिया। उन्होंने कहा उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उनके साथ उनकी बीवी भी थीं। हज़रत उमर ने कहा हां, ठीक है। यद्यपि उनके साथ उनकी बीवी भी हैं तब भी उनको बुला लाओ, मैं दूसरी बार सुहेब (रज़ि.) के पास गया और कहा कि आप जाकर अमीरूल मोमिनीन से मिल लीजिए। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन मैं नबी (सल्ल.) के पास था कि आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने अपनी गरीबी, भुखमरी की शिकायत की फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि उसे लूट लिया गया है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ अदी! क्या तुमने हीरा नामक स्थान देखा है? मैंने कहा देखा तो नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना अवश्य है आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, अगर तुम्हारी उम्र लम्बी हुई तो तुम अवश्य देख लोगे कि एक औरत हीरा से सफ़र शुरू करेगी और मक्के में आकर अल्लाह के घर का तवाफ़ करेगी, उसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का डर न होगा, फिर मैंने अपने मुंह में कहा कि उस वक़्त क़बीला 'तय' के बदमाश कहां होंगे जिन्होंने पूरे देश को परेशान कर रखा है अदी कहते हैं कि मैंने एक औरत को देखा कि उसने हीरा से आकर अल्लाह के घर का तवाफ़ किया और उसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का डर नहीं था। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ''और मक्के में आकर अल्लाह के घर का तवाफ़ करेगी'' की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं कि इमाम अहमद ने एक दूसरी सनद(प्रमाण) के साथ हज़रत अदी की रिवायत बयान की है। जिसमें ये शब्द हैं ''फ़ी ग़ैरि जवारि अहद'' अर्थात एक औरत बिना किसी के साथ अकेले हीरा से आकर कअ़बा का तवाफ़ करेगी, इब्ने हजर एक दूसरी जगह कहते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि ''सबसे अच्छा और सुन्दर जेहाद हज्ज है'' से यह तर्क दिया जाता है कि औरत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हज्ज कर सकती है जिस पर उसे भरोसा हो। चाहे वह उसका पति या महरम न हो। शाफ़ई उलमा के मतानुसार प्रसिद्ध यह है कि औरत पति या महरम या भरोसेमन्द औरतों के साथ ही हज्ज कर सकती है। एक कथन के अनुसार औरत किसी एक भरोसेमन्द औरत के साथ हज्ज कर सकती है। एक कथन के अनुसार (जिसे क़राबीस ने नक़ल किया है और इसे अल–मुहज़्ज़ब में उचित ठहराया है) अगर कअ़बा तक का रास्ता सुरक्षित हो तो औरत अकेले ही सफ़र कर सकती है। यह सारी समस्याएं उस हज्ज या उमरे से सम्बन्धित है जो अनिवार्य हो। कफ़्फ़ाल को यह बात ठीक नहीं लगती अतः उन्होंने तमाम क़िस्म के सफ़रों में औरत का अकेले या कुछ भरोसेमन्द औरतों के साथ सफ़र करने को रद्द किया है। यद्यपि रास्ता सुरक्षित ही क्यों न हो? 'रोयानी' का कहना है कि यह बात सही है लेकिन

नस्स (कुरआन व सुन्नत) के विरूद्ध है। रास्ता सुरक्षित होने की स्थिति में किसी औरत का बहुत सी भरोसेमन्द औरतों के साथ वैध होने की दलील यह है कि हज़रत उमर ने नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को हज्ज के लिए जाने की अनुमति दे दी थी। इस अमल पर हज़रत उमर, हज़रत उसमान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों में सर्वसम्मति थी। और किसी भी सहाबी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी और जिस किसी ने नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों पर आपत्ति की भी, तो उसने दूसरे पहलू से आपत्ति की। इस पहलू से आपत्ति नहीं की कि बिना महरम के सफ़र नहीं किया जा सकता। रास्ता सुरक्षित होने की स्थिति में किसी औरत के अकेले सफ़र के वैध होने की दलील हज़रत अदी बिन हातिम से रिवायत की हुई यह हदीस है। ''जल्द ही एक औरत 'हीरा' से निकलेगी इस हाल में कि उसके साथ उसका पति नहीं होगा'' इस हदीस के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें यह बताया गया है कि

''स्थिति ऐसी हो जायेगी'' यह नहीं कहा गया है ''कि यह स्थिति अर्थात औरत का बिना पति या महरम के अकेला सफ़र करना वैध भी है'' इस बात का उत्तर यह है कि इस हदीस में इस्लाम की महानता और प्रशंसा में एक सूचना दी जा रही है। अतः इस स्थिति को वैधता समझा जायेगा। इसके बाद हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि अनुमान से यह बात अधिक प्रबल महसूस होती है कि रास्ता सुरक्षित होने की स्थिति में औरत का अकेला या कुछ भरोसेमन्द औरतों के साथ सफ़र करना वैध है।

एक हदीस के शब्द ये हैं ''किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो। यह वैध नहीं है कि वह एक दिन की दूरी बिना किसी महरम के तय करे'' इस हदीस की व्याख्या करते हुए इब्ने दक़ीकुल ईद कहते हैं कि इसमें औरत का शब्द तमाम औरतों के लिए है। कुछ मालिकी लोगों का कहना है कि इस हदीस में नौजवान औरत को बिना महरम के सफ़र करने से मना किया गया है। बूढ़ी औरत जहां चाहे पति या महरम के बिना अकेले सफ़र कर सकती है। उन मालिकी लोगों के कथन के अनुसार, हदीस के अर्थ के अनुसार इस हदीस की सामान्यता में विषेशता पाई जाती है। इमाम शाफ़ई का विचार यह है कि अगर रास्ता सुरक्षित हो तो, औरत बिना महरम के सफ़र कर सकती है। बल्कि ऐसी स्थिति में वह क़ाफ़िले के बीच अकेले भी चलेगी तो सुरक्षित रहेगी।

इमाम मालिक की अल–मुदव्वनतुल कुब्रा में लिखा है। मैंने कहा कि उस औरत के बारे में इमाम मालिक का क्या कथन है जो हज्ज करना चाहती है लेकिन उसका कोई अभिभावक नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि वह जिन मर्दों या औरतों पर भरोसा करती है उनके साथ हज्ज के लिए निकले।

मौत से सम्बन्धित विभिन्न कामों के दौरान मर्द औरत की मुलाक़ात :

प्रथम : रोना, शोक व्यक्त करना दुआ और सान्त्वना देना :

हज़रज अनस फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल.) की तबीअ़त भारी होने लगी तो आपके ऊपर बार–बार बेहोशी छाने लगी। हज़रत फ़ातिमा(रज़ि) ने कहा। हाय अब्बू की तकलीफ़। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि आज के बाद तुम्हारे बाप पर कोई कष्ट न पड़ेगा, जब आपकी मौत हो गई तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा हाय! वह अब्बू! जिसने अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय! वह अब्बू जिनका ठिकाना फ़िरदौस के बाग़ हैं, हाय! वह अब्बू! जिनकी मौत की ख़बर हम जिब्रील को देंगे! जब आपको दफ़्न कर दिया गया तो हज़रत फ़ातिमा ने पूछा ऐ अनस तुम्हें नबी (सल्ल.) पर मिट्टी डालना किस तरह अच्छा लगा। (बुख़ारी)

हज़रत ओसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) की बेटी ने आपके पास सन्देश भेजा कि मेरे बेटे की मौत हो गई है। अतः आप आ जायें, आप ने उस सन्देशवाहक से कहा कि मेरा उन्हें सलाम कहना और यह कहना कि अल्लाह ने जो ले लिया वह भी उसी का है और जो कुछ उसने दिया है वह भी उसी का है। और अल्लाह ने हर एक की उम्र निर्धारित कर दी है। अतः उनसे कहो कि धैर्य रखें और अल्लाह से सवाब (सवाब) की आशा रखें, आपकी बेटी ने फिर आपको क़सम दिलवा कर कहला भेजा कि आप अवश्य आयें। अतः नबी (सल्ल.) सअ़द बिन ओबादा मुआज़ बिन जबल, उबई इब्ने कअ़ब ज़ैद बिन साबित और दूसरे कुछ लोगों के साथ गये। बच्चे को आपके पास लाया गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसमें ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे मश्क़ीजे से आती हैं यह देख कर आपकी आंखों में आंसू आ गये हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्या है? आपने फ़रमाया यह दया की भावना है जो अल्लाह ने अपने बन्दो के दिलों में रख दी है। अल्लाह अपने दयालु बन्दों पर दया करता है। (मुस्लिम)

ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) फरमातें हैं कि उम्मे उला एक अन्सारी महिला थीं। उन्होंने नबी (सल्ल.) से बैअ़त की थी। उन्होंने हमें बताया कि मुहाजिरों ने कुरआ डाला, हमारे हिस्से में उसमान बिन मज़ऊन का कुरआ निकला, हमने उन्हें अपने घर में ठहराया। इसी बीच, उनकी वह बीमारी बढ़ गई जिससे उनकी मौत हुई। जब उनकी मौत हो गई। उन्हें नहलाया गया और उन्हें उन्हीं के कपड़े में दफ़्न किया गया। उस समय नबी (सल्ल.) आये। मैंने कहा ऐ अबू साएब आपके ऊपर अल्लाह की कृपा हो। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने आपके साथ कृपा और आदर का मामला किया है नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इनके साथ कृपा और आदर का मामला किया है। मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ–बाप कुर्बान? फिर अल्लाह तआला किसके साथ कृपा करेगा। आपने फ़रमाया इनकी तो मौत हो चुकी और अल्लाह की क़सम, मुझे इनके बारे में भलाई ही की आाशा है। लेकिन मैं यद्यपि अल्लाह का रसूल हूं लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या मामला किया जायेगा। उम्मे उला ने कहा कि अल्लाह की क़सम मैं आज के बाद किसी का तज़्क़ीया नहीं करूंगी।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब मेरे पिता शहीद हुए। तो मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया और रोने लगा। लोग मुझे रोने से मना कर रहे थे। लेकिन नबी (सल्ल.) ने मुझे मना नहीं किया। मेरी फूफी भी रोने लगीं। आपने फ़रमाया कि तुम चाहे रोओ या न रोओ फ़रिश्ते तो इन पर लगातार अपने पंखो से उस समय तक छाया किये रहेंगे जब तक तुम लोग इन्हे उठा नहीं लेते हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उम्मे हारिसा नबी (सल्ल.) के पास आईं उनके बेटे हारिसा बद्र ही में शहीद हो चुके थे। उन्हें किसी अन्ज़ान दिशा से तीर आकर लगा था। उम्मे हारिसा ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! आप जानते हैं कि मुझे हारिसा से कितना स्नेह है। अगर वह जन्नत में गया है तो मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी और यदि जन्नत में नहीं गया है तो जो कुछ मैं करूंगी उसे आप देख लेंगे। आप ने उनसे फ़रमाया तेरा भला हो क्या उसके लिए एक ही जन्नत है उसके लिए तो बहुत सी जन्नतें हैं वह तो सबसे ऊंचे फ़िरदौस में है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह की राह में सवेरे या शाम किसी भी समय निकलना दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। कमान के बीच की दूरी के बराबर जन्नत या एक क़दम के बराबर जन्नत भी दुनिया और जो कुछ उसमें है। उससे बेहतर है। अगर जन्नत की कोई औरत ज़मीन की तरफ़ झांक ले तो ज़मीन व आसमान प्रकाशित हो उठें, और ज़मीन व आसमान में सुगन्ध ही सुगन्ध बिखर जाये। उसका दुपट्टा भी दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। (बुख़ारी)

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) अबू सलमा के पास आये। उनकी आंखें फैल गई थीं। आपने उन्हें बन्द कर दिया। फिर आपने फ़रमाया जब रूह(आत्मा) क़ब्ज कर ली जाती है तो निगाहें उसके पीछे–पीछे जाती हैं। यह सुनकर उनके घर के लोग चीख़ पड़े, आपने फ़रमाया कि तुम लोग अपने लिए मात्र भलाई की दुआएं करो। क्योंकि तुम लोग जो कुछ कह रहे हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कह रहे हैं। फिर आपने (सल्ल.) फ़रमाया ऐ अल्लाह! तू अबू सलमा की मग़फ़िरत (मुक्ति) फ़रमा, हिदायत पाये हुए लोगों में उनका दर्जा ऊंचा कर दे। उनके पीछे छूटने वालों को उनका अच्छा विकल्प प्रदान कर। ऐ आलम के रब, हमारी और उनकी मग़्फ़िरत कर दे! और उनकी क़ब्र को बड़ी और रोशन कर दे! (मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब तुम लोग किसी बीमार या शव के पास जाओ तो अच्छी बातें बोलो, क्योंकि उस अवसर पर तुम जो कुछ कहते हो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। उम्मे सलमा कहती है कि जब अबू सलमा की मौत हुई तो मैं आपके पास आई और कहा ऐ अल्लाह के रसूल अबू सलमा की मौत हो गई। आपने मुझसे कहा कि तुम कहो कि ऐ अल्लाह मेरी और उनकी मग़्फ़िरत फ़रमा और मुझे उनका अच्छा विकल्प प्रदान कर दे। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने यही बात दोहराई, फिर मुझे अल्लाह ने नबी (सल्ल.) के रूप में उनका अच्छा विकल्प प्रदान किया। (मुस्लिम)

द्वितीय : शव को नहलाना और कफ़न पहनानाः

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि जब नबी (सल्ल.) की बेटी की मौत हुई तो आप हमारे पास आये और फ़रमाया कि इसे पानी और बेरी से तीन बार या पांच बार या उससे अधिक बार नहलाओ और अन्त में कपूर या उस जैसी कोई चीज़ प्रयोग करो। जब तुम लोग यह सब कर लो तो मुझे सूचना देना। जब औरतें इन सब चीज़ों को कर चुकीं तो उन्होंने इसकी सूचना दी नबी (सल्ल.) ने हमें अपनी लुंगी (तहबन्द) दी और कहा कि इसे उसके कफ़न के अन्दर डाल दो। एक रिवायत में है कि नहलाने की शुरूआत दाहिनी तरफ़ से और वुज़ू के अंगों से करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

तृतीय : जनाज़े की नमाज़ :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास की मौत हुई। तो नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों ने लोगों को कहला भेजा कि वह सअ़द का जनाज़ा मस्जिद से लेकर गुज़रें, तकि वे भी उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ सकें। अतः लोगों ने ऐसा ही किया। हज़रत सअ़द का जनाज़ा नबी (सल्ल.) की तमाम पाक बीवियों के कमरों के पास रोका गया। अतः उन्होंने उनकी जनाज़े की नामज़ पढ़ी फिर जनाज़ा, जनाज़ो के दरवाज़े से, जो मक़ाइद बैठने की जगहें की तरफ़ था, बाहर ले जाया गया। नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को मालूम हुआ कि लोगों ने उनके इस अमल की आलोचना की है। उनका कहना है कि जनाज़ा मस्जिद में ले जाना ठीक नहीं है। यह बात हज़रत आयशा तक भी पहुंची उन्होंने कहा। लोगों को जिस बात का ज्ञान नहीं होता उसकी आलोचना करने में कितनी जल्दी करते हैं। ये लोग हम पर आलोचना करते हैं कि हमारी वजह से जनाज़ा मस्जिद में लाया गया। हालांकि नबी (सल्ल.) ने सुहेल बिन बैज़ाअ की जनाज़े की नमाज़ मस्जिद ही में पढ़ी थी। (मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) की जनाज़े की नमाज़ की व्याख्या करते हुए इमाम नववी कहते हैं। अधिकांश उलमा का यह विचार है कि तमाम लोगों ने नबी (सल्ल.) की जनाज़े की नमाज़ अलग–अलग पढ़ी, आपके कमरे(हुजरे) में कुछ लोग जाते। अलग–अलग नमाज़ पढ़ते, फिर बाहर आ जाते। फिर दूसरे लोग जाते और वह उसी तरह नमाज़ पढ़ते, फिर मर्दों के बाद औरतें नमाज़ के लिए गई। औरतों के बाद बच्चे गयें।

चतुर्थ : शव के साथ जाना :

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं कि हमें जनाज़े के साथ जाने से मना किया गया। लेकिन कठोरता से मना नहीं किया गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

''लेकिन कठोरता से मना नहीं किया गया'' की व्याख्या करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि हम औरतों को जनाज़े के साथ न जाने पर ज़ोर, उस तरह नहीं दिया गया। जिस तरह दूसरी मना की हुई चीज़ों से रूक जाने पर ज़ोर दिया जाता था। मानो वह ये बताना चाहती हैं कि जनाज़े के साथ औरतों का जाना

मकरूह तो था लेकिन यह मकरूह तहरीमी नहीं था। अल्लामा कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि उम्मे अतीया की इस हदीस से पता चलता है कि यह मकरूहे तन्ज़ीही है। अधिकांश उलमा उसी के समर्थक हैं। इमाम मालिक जनाज़े के साथ औरतों के साथ जाने की वैधता के समर्थक हैं मदीना वालों का मस्लक भी यही है। वैध होने की दलील वह रिवायत है जो इब्ने अबी शैबा ने मुहम्मद बिन अम्र बिन अता के हवाले से नक़ल की है। मुहम्मद बिन अमर कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने बताया कि एक बार नबी (सल्ल.) एक जनाज़े के साथ थे। उस वक़्त हज़रत उमर की निगाह एक औरत पर पड़ गई। उन्होंने उसे पुकारा नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, ऐ उमर! उसे छोड़ दो। यही हदीस इब्ने माजा और नसई ने दूसरी सनद (प्रमाण) से रिवायत की है। जिसकी सनद यह है। मुहम्मद बिन उमर बिन अता से, वह सलमा बिन अज़रा से, वह अबू हुरैरह से, इस हदीस के तमाम रिवायत करने वाले पक्के और भरोसेमन्द (सेक़ा) हैं।

इमाम मालिक की अल मुदव्वनतुल कुब्रा में लिखा है। मैंने कहा। क्या इमाम मालिक औरतों को जनाज़े के साथ जाने की अनुमति देते थे। उन्होंने कहा। हां, इमाम मालिक का कथन है कि औरत का अपने बाप या बेटे के जनाज़े में जाने में कोई हानि नहीं है बल्कि वह अपने पति और बहन के जनाज़े में भी उस स्थिति में जा सकती है जबकि समाज में प्रचलन रहा हो कि औरत अपने पति और बहन के जनाज़े के साथ जाती हो।

इब्ने दक़ीकुल ईद फ़रमाते हैं कि बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जिनमें इस हदीस से भी अधिक कठोरता के साथ औरतों को जनाज़े के साथ जाने से मना किया गया है। जैसे वह हदीस जो हज़रत फ़ातिमा से सम्बन्धित है। हो सकता है कि उनके साथ यह व्यवहार उनके ऊँचे स्थान के कारण किया गया हो। जबकि हज़रत उम्मे अतीया से सम्बन्धित हदीस सामान्य औरतों के बारे में है ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दोनों हदीसों को औरतों के विभिन्न परिस्थितियों पर लागू करें। इमाम मालिक ने औरतों को जनाज़े के साथ जाने की अनुमति दी है। लेकिन उन्होंने नवयुवती को जनाज़े के साथ जाने को मकरूह ठहराया है।

मैं कहता हूं कि यह हदीस ''तुम लोग गुनाहगार बनकर लौटो न कि बदला प्राप्त करके'' कमज़ोर (ज़ईफ़) है।

पंचम : क़ब्रो का दर्शन :

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) का एक ऐसी औरत के पास से गुज़र हुआ जो एक क़ब्र के पास बैठी रो रही थी। आपने उससे फ़रमाया अल्लाह से डरो और सब्र करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ''क़ब्रों के दर्शन का अध्याय'' की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं कि इसका अर्थ है कि क़ब्रों के दर्शन की वैधता का अध्याय। वास्तव में इमाम बुख़ारी ने इसको इसलिए स्पष्ट नहीं किया क्योंकि इस मामले में मतभेद पाया जाता है जिसको आगे बयान किया जायेगा, इमाम बुख़ारी ने इसको इसलिए स्पष्ट नहीं किया क्योंकि वैधता से सम्बन्धित हदीसें उनकी शर्त के अनुसार नहीं थीं। इमाम मुस्लिम ने हज़रत बुरैदा

(रज़ि.) के हवाले से एक हदीस नक़ल की है जिसमें कब्रों के दर्शन की अवैधता को निरस्त किया गया है। इस हदीस के शब्द ये हैं। ''मैंने तुम लोगों को क़ब्रों का दर्शन करने से रोका था। लेकिन अब तुम लोग क़ब्रों का दर्शन किया करो। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरह से एक हदीस नक़ल की है कि ''नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया क़ब्रों का दर्शन किया करो क्योंकि वह मौत को याद दिलाती हैं'' इस सिलसिले में मदभेद है कि औरतें भी क़ब्रों के दर्शन के लिए जा सकती है या नहीं, अधिकतर उलमा का कहना है कि औरतें भी क़ब्रों का दर्शन करने जा सकती हैं। उन्हें भी इसकी अनुमति है। शर्त यह है कि किसी तरह के फ़ित्ने में पड़ने का डर न हो औरतों के लिए कब्रो के दर्शन की वैधता का समर्थन हदीसुल बाब से भी होती है। क्योंकि आपने (सल्ल.) उस औरत को क़ब्र के पास बैठने से मना नहीं किया। इस तरह आपने उस औरत के इस अमल का ख़ामोश रहकर समर्थन (तक़रीर) किया। और आपकी तक़रीर दलील और तर्क है। हज़रत आयशा (रज़ि.) को देखा कि वह अपने भाई अब्दुर्रहमान की क़ब्र के दर्शन के लिए गईं, उनसे कहा गया। क्या दर्शन करने से रोका गया था। लेकिन बाद में हमें इसकी अनुमति दे दी। कुछ लोगों का कहना है कि नबी (सल्ल.) ने यह अनुमति केवल मर्दों को ही दी थी। अतः औरतों के लिए क़ब्रों का दर्शन करना वैध नहीं है। शेख़ अबू इस्हाक़ ने 'मुहज़्ज़ब' में पूरे विश्वास से यह बात लिखी है। वह इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन उमर की इस हदीस से देते हैं जिसकी तरफ़ बाब इत्तबाइन्निसाइल जनाइज़ (अध्याय औरतों का जनाज़ों के पीछे जाना) में संकेत किया जा चुका है इस हदीस में ये शब्द है; क़ब्रों का दर्शन करने वालियों पर अल्लाह की फटकार हो! यह हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह से नक़ल की है और इसे सही ठहराया गया है इब्ने अब्बास और हस्सान बिन साबित की हदीस भी इसकी गवाह हैं।

जो लोग इस बात को मकरूह कहते हैं कि औरतें क़ब्रों का दर्शन करें। उनके बीच भी इस मामले में मतभेद है कि यह मकरूह तहरीमी(हराम) या तन्ज़ीही(वैध)। अल्लामा कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने जिस हदीस में कब्रों पर ज़ियाऱत करने वालियों पर फटकार भेजी है उसमें आपने अतिशयोक्ति का रूप ''ज़व्वारात'' प्रयोग किया है। अतः मालूम हुआ कि वास्तव में फटकार उन औरतों पर है जो अधिकता से क़ब्रों का दर्शन करने जाती हैं। क्योंकि अधिकतर क़ब्रों के दर्शन से पति के अधिकारों का हनन होता है। कब्रो पर शोर बढ़ता है आदि, इसीलिए कहा जाता है कि यदि यह बातें पैदा न हों तो औरतों को कब्रो के दर्शन की अनुमति देने में कोई हानि नहीं है क्योंकि मौत की याद दिलाने की आवश्यकता जिस तरह मर्दों को है। औरतों को भी है। इस हदीस से पता चलता है कि नबी (सल्ल.) जाहिल के साथ बड़ी नरमी और सत्कार से मिलते, कठिनाई में पड़े लोगों के साथ क्षमाशीलता का मामला करते, उसकी मजबूरी को स्वीकार कर लेते और उसे भलाई का आदेश देते, और बुराई से रोकते, इस हदीस से तर्क दिया जाता है कि क़ब्रों का दर्शन करना वैध है। दर्शन करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, चाहे क़ब्र किसी मुसलमान की हो या ग़ैरमुस्लिम की क्योंकि हदीस में पूर्ण रूप से दर्शन की अनुमति दी

गई है। इमाम नववी फ़रमाते हैं कि अधिकांश उलमा क़ब्रों के दर्शन की वैधता के समर्थक हैं।

शासकों से तर्क व निवेदन के समय मर्द औरत की मुलाक़ातः

अल्लाह तआला फ़रमाता है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने पति के मामले में तुम से तर्क वितर्क कर रही है। और अल्लाह से दुआ किये जा रही है। अल्लाह तुम दोनों की बात सुन रहा है। वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है।
(सूरह मुजादिलः1)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मैं ख़ौला बिन्ते सअ़लिवा की बात सुन रही थी। कुछ बातें मैं नहीं सुन पा रही थी। वह नबी (सल्ल.) से अपने पति की शिकायत करते हुए कह रही थी; ऐ अल्लाह के रसूल! उन्होंने मेरी पूरी जवानी खा ली। मैंने अपना पेट उनके हवाले कर दिया। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हैं और मेरे बच्चे भी मुझसे अलग हो गये हैं। तो मेरे पति मुझसे 'ज़ेहार' कर रहे हैं। ऐ अल्लाह मैं तुझसे शिकायत करती हूं वह लगातार आपके पीछे लगी रहीं यहां तक कि हज़रत जिब्रील ये आयतें लेकर उतरे।
(सूरह मुजादिलः1) (इब्ने माजा)

अत्त्बक़ातुल कुब्रा में इमरान बिन अबू अनस के हवाले से नक़ल किया गया है कि अज्ञानताकाल में जब कोई अपनी बीवी से 'ज़ेहार' करता तो हमेंशा के लिए बीवी उस पर हराम हो जाती। इस्लामी युग में सबसे पहले 'ज़ेहार' करने वाले औस बिन सामित हैं। उन्होंने एक बार किसी बात पर अपनी बीवी ख़ौला बिन्ते सआलिबा को बुरा भला कहा। कि तुम मेरे लिए वैसी हो जैसे मेरी माँ की पीठ, यह कहकर वह बड़े शर्मिन्दा हुए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा। मेरा विचार है अब तुम मेरे ऊपर हराम हो गयी हो। बीवी ने कहा। आपने मुझे तलाक़ तो दी नहीं है और ज़ेहार के द्वारा 'हराम होना' तो नबी (सल्ल.) की नुबूव्वत से पहले था। अतः आप नबी (सल्ल.) के पास जाइये और उनसे इस मामले में पूछिये, आप (रज़ि.) ने कहा मुझे आप (सल्ल.) के पास यह बात पूछने में शर्म महसूस हो रही है। अतः तुम नबी (सल्ल.) के पास चली जाओ, हो सकता है कि इस मुसीबत से निकलने की कोई राह निकल आये क्योंकि आप सबसे अधिक ज्ञान वाले हैं। अतः उनकी बीवी नबी (सल्ल.) के पास आईं, उस वक़्त आप हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास थे। उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल आप तो जानते हैं कि औस मेरे बच्चों के बाप हैं मेरे चचा के बेटे भी हैं और मुझे बहुत अधिक पसन्द हैं आप जानते हैं कि वह कभी–कभी क्रोध में पागल हो जाते हैं। उनकी ताक़त कमज़ोर पड़ जाती है और उनकी ज़बान बन्द हो जाती है। उन्होंने एक बात कही है। उस हस्ती की क़सम जिसने आप पर किताब उतारी, उन्होंने तलाक़ का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यह कहा है कि तुम मेरे लिए ऐसी हो जैसे मेरे लिए मेरे माँ की पीठ। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया मेरा विचार है कि तुम उन पर हराम हो गई। इस पर उन्होंने आप से बार–बार तर्क वितर्क किया। फिर कहा ऐ अल्लाह! मैं तुझ ही से शिकायत करती हूं कि औस की जुदाई मेरी लिए बहुत ही कष्टदायक है। ऐ अल्लाह तू

अपने नबी की भाषा में कोई ऐसी बात उतार दे जिसमें हमारे लिए कोई गुंजाइश हो। हज़रत आयशा कहती है कि उसके बाद औस की बीवी रो पड़ीं और हमारे घर के सारे लोग उन पर दया करते हुए रो पड़े, वह वहीं सामने बैठ कर आपसे बातें कर रही थीं कि नबी (सल्ल.) पर 'वह्य' उतरने लगी, आपके दांत बजने लगे और आपको पसीना आने लगा और पसीना मोतियों की तरह गिरने लगा, हज़रत आयशा ने कहा। ऐ ख़ौला तुम्हारे ही सिलसिले में आप (सल्ल.) के ऊपर 'वह्य' अवतरित हो रही है। उन्होंने कहा अल्लाह भला करे। मुझे नबी (सल्ल.) से भलाई की ही आशा है। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि जब नबी (सल्ल.) से 'वह्य' की कैफ़ियत समाप्त हुई उस समय ऐसा महसूस हुआ कि ख़ौला की इस डर से जान निकली जा रही है कि कहीं अलगाव का आदेश अवतरित न हुआ हो। जब आपसे 'वह्य' की कैफ़ियत समाप्त हुई तो आप मुस्कुरा रहे थे। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ ख़ौला। उन्होंने कहा हाज़िर हूं, अल्लाह के रसूल! फिर वह आपकी मुस्कुराहट देखकर ख़ुशी–ख़ुशी खड़ी हो गईं, फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अपने पति से कहो कि एक दास आज़ाद करें। उन्होंने कहा। कैसा दास, अल्लाह की क़सम उनके पास कोई दास नहीं है। न ही उनके पास मेरे अतिरिक्त कोई और सेवक है। आप ने फ़रमाया फिर उन्हें दो महीने लगातार रोज़े रखने के लिए कहो, उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की क़सम उनके अन्दर इतनी ताक़त नहीं, वह दिन भर में इतनी–इतनी बार पेय पीते हैं। उनके शरीर की कमज़ोरी से उनकी आंखें जाती रही हैं वह तो एक बंजर ज़मीन की तरह हो गये हैं। आपने फ़रमाया, अच्छा तो तुम उनसे कहो कि 60 ग़रीबों को खाना खिलाएं, उन्होंने कहा। वह इतने ग़रीबों को कैसे खिला सकते हैं उन्हें तो मुश्किल से एक वक़्त का खाना मिल पाता है। आप ने फ़रमाया तब उनसे कहो कि उम्मे मुन्ज़िर बिन्ते क़ैस के पास जायें, उनसे आधा वसक़ खजूर लें और उसे ग़रीबों में सदक़ा कर दें, हज़रत आयशा (रज़ि) कहती हैं कि फिर वह उठकर वापस हुईं तो उन्होंने अपने पति को दरवाज़े पर प्रतीक्षा करते हुए पाया, पति ने उनसे पूछा! ख़ौला क्या ख़बर है? ख़ौला ने कहा कि ख़बर अच्छी है लेकिन आप बहुत बुरे हैं नबी (सल्ल.) ने आदेश दिया है कि आप उम्मे मुंज़िर बिन्ते क़ैस के पास जायें, उनसे आधा वसक़ खजूरें लें और 60 ग़रीबों में सदक़ा कर दें, ख़ौला कहती हैं कि मेरे पति मेरे पास से चले गये और आधा वसक़ खजूर अपनी पीठ पर लाद कर वापस हुए। हालांकि उनके बारे में मेरा अनुमान था कि वह पांच साअ़ भी नहीं उठा सकते थे। वह कहती हैं कि फिर वह दो–दो मुद्‌द खजूर हर ग़रीब को देने लगे।

हज़रत ज़ुबैर बिन मुतइम फ़रमाते हैं कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई। आपने उसे बाद में आने के लिए कहा। उसने कहा कि यदि मैं आऊं और आप न रहें तो मैं क्या करूंगी, वह यह कहना चाहती थी कि यदि मैं आई और उस वक़्त आपकी मौत हो चुकी हो तो मैं क्या करूंगी आपने फ़रमाया कि अगर तुम मुझे न पाओ तो अबू बक्र के पास चली जाना। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हिलाल बिन उमैया की बीवी नबी (सल्ल) के पास आईं और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मेरे पति बहुत बूढ़े हो गये हैं। उनके पास कोई सेवक नहीं है। अगर मैं उनकी सेवा करती हूं तो क्या इसे आप नापसन्द करेंगे? आपने फ़रमाया नहीं, लेकिन वह तुमसे निकट न होने पायें, उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम वह तो ज़रा सा हिल भी नहीं पाते, अल्लाह की क़सम जब से समस्या सामने आई है वह बराबर रोये जा रहे हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अब्बास (रज़ि.) नबी (सल्ल.) की विरासत की मांग करने के लिए हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के पास आये। वे दोनों 'फ़दक' की ज़मीन और ख़ैबर में अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया कि मैंने नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना है कि हमारा कोई वारिस नहीं है। हम जो कुछ छोड़ें वह सदक़ा है। मुहम्मद के घर वाले, उस माल में से खायेंगे। हज़रत अबू बक्र ने कहा। अल्लाह की क़सम मैंने नबी (सल्ल.) को जो करते हुए देखा मैं भी वही करूंगा, हज़रत अबू बक्र कहते हैं कि फ़ातिमा उनसे दूर–दूर रहने लगीं। और उन्होंने अपनी मौत तक उनसे बात नहीं की। एक रिवायत मे है कि हज़रत फ़ातिमा ने अबू बक्र (रज़ि.) से बात करना छोड़ दी और अपनी मौत तक उनसे बात नहीं की।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत ज़ैद बिन असलम (रज़ि.) कहते हैं कि उनके पिता ने कहा कि मैं उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ बाज़ार की तरफ़ गया। रास्ते में हज़रत उमर की एक नौजवान औरत से मुलाक़ात हुई। उसने कहा ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति की मौत हो चुकी है। मेरे बच्चे छोटे हैं। अल्लाह की क़सम मेरे पास इतना भी नहीं हैं कि मैं उन बच्चों के लिए 'पाया' भी पका सकूं, न ही पीने के लिए कुछ है। मुझे डर है कि ये बच्चे भूख से मर न जायें, मैं ख़फ़्फ़ाफ बिन ईमाअ् ग़िफ़ारी की बेटी हूं जो हुदैबिया में नबी (सल्ल.) के साथ सम्मिलित थे। हज़रत उमर उसके पास रूक गये और तुरन्त कहा। इतने निकट के सम्बन्ध तुम्हें मुबारक हों। फिर वह उस मज़बूत ऊंट के पास गये जो घर में बंधा हुआ था। उस पर दो बड़े थैले रखे, फिर उन दोनों में ख़र्च का सामान और कपड़े रखे, फिर उसकी नकेल उस औरत को थमाई और कहा इसे ले जाओ, इसके समाप्त होने से पहले अल्लाह कोई अच्छी व्यवस्था कर देगा। एक व्यक्ति ने कहा। ऐ अमीरूल मोमिनीन आपने इसे बहुत अधिक दे दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा तेरा बुरा हो। अल्लाह की क़सम इसके पिता और भाई ने एक क़िले की बहुत दिनों तक घेरेबन्दी किये रखी थी। और फिर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर हमने उसमें से अपना हिस्सा लिया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सिफ़ारिश के समय मर्द औरत की मुलाक़ात :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने बुरैरा को आज़ाद करने के लिए ख़रीदा, तो बुरैरा के मालिक ने यह शर्त लगाई कि 'विला' अभिभावक होने का अधिकार (अर्थात बुरैरा के मरने के बाद उसकी विरासत का अधिकार) उसे प्राप्त होगा, मैंने नबी (सल्ल.) से इसका उल्लेख किया आपने फ़रमाया, उसे आज़ाद कर दो और 'विला' का अधिकार तो उसे प्राप्त

होगा जो उसे आज़ाद करने के लिए माल ख़र्च करेगा। अतः हज़रत आयशा (रज़ि.) ने उनको आज़ाद कर दिया। फिर नबी (सल्ल.) ने उन्हें बुलाया और उन्हें उनके पति के सिलसिले में अधिकार दिया कि चाहें तो उन्ही के साथ रहें और चाहें तो छोड़ दें बुरैरा ने कहा कि यदि वह मुझे इतना–इतना माल दें तो भी मैं उनके पास नहीं रूकने वाली। अतः उन्होंने अपने आपका चुनाव किया। अर्थात उन्होंने अपने पति से अलगाव प्राप्त कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि) फ़रमाते हैं कि बुरैरा के पति एक दास थे। उनका नाम मुग़ीस था। मानो कि अभी भी मैं उनको बुरैरा के पीछे रोते हुए चक्कर लगाते हुए देख रहा हूं, इस हालत में कि उनके आंसू उनकी दाढ़ी पर बह रहे हैं। नबी (सल्ल.) ने इब्ने अब्बास से कहा। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि मुग़ीस बुरैरा से कितना प्यार करता है और बुरैरा मुग़ीस से उतना ही नफ़रत करती है। आपने बुरैरा से कहा। तुम उनको क्यों नहीं अपना लेतीं, बुरैरा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं। आपने फ़रमाया मैं तो केवल सिफ़ारिश कर रहा हूं, उन्होंने कहा। तब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। (बुख़ारी)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रूबैअ़ की बहन उम्मे हारिसा ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। अतः वे लोग लड़ते हुए नबी (सल्ल.) के पास गये। आपने फ़रमाया क़िसास लिया जाये। उम्मे रूबैअ़ ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या आमुक महिला से क़िसास लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम उनसे क़िसास नहीं लिया जा सकता। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ उम्मे रूबैअ़।! तुम कितनी आश्चर्यजनक बात कर रही हो। क़िसास तो अल्लाह का आदेश और फ़ैसला है उन्होंने कहा। अल्लाह की क़सम उनसे कभी भी क़िसास नहीं लिया जा सकता। हज़रत अनस कहते हैं कि उम्मे रूबैअ़ लगातर पीछे लगी रहीं यहां तक कि दूसरा पक्ष 'दियत' पर राज़ी हो गया। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, कुछ अल्लाह के बन्दे ऐसे हैं कि अगर वह अल्लाह की क़सम खा लेते हैं तो अल्लाह उसे पूरा कर देता हैं। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक औरत ने नबी (सल्ल.) के ज़माने में चोरी की। उसके क़बीले के लोग ओसामा बिन ज़ैद के पास सिफ़ारिश करने के लिए गये। ओसामा बिन ज़ैद ने जब नबी (सल्ल.) से इस सिलसिले में बात की तो आपके चेहरे का रंग बदल गया। मुस्लिम की रिवायत में है कि उस औरत को नबी (सल्ल.) के पास लाया गया। ओसामा बिन ज़ैद ने आपसे उस औरत की सिफ़ारिश की। आपने फ़रमाया क्या तुम मुझसे अल्लाह की एक हद (दण्डात्मक क़ानून) के बारे में सिफ़ारिश कर रहे हो।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि जिसकी सिफ़ारिश करनी है उसकी मौजूदगी में सिफ़ारिश करना चाहिए ताकि यदि सिफ़ारिश स्वीकार न की जाये तो वह सिफ़ारिश करने वाला उससे आसानी से असमर्थता व्यक्त कर सके।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उन्हें बताया गया। कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने उनके किसी क्रय–विक्रय या उपहार या भेंट के सिलसिले में कहा है कि अल्लाह की क़सम हज़रत आयशा (रज़ि.) इससे रूक जायें, अन्यथा मैं स्वयं उन्हें इससे रोक दूंगा। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने पूछा क्या उन्होंने यह बात कही है। लोगों ने कहा 'हां' हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा मैं मन्नत मानती हूं कि मैं इब्ने ज़ुबैर से कभी बात नहीं करूंगी जब दूरी का अन्तराल लम्बा हो गया तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कई लोगों से सिफ़ारिश करवाई, लेकिन हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा। अल्लाह की क़सम मैं इस मामले में किसी की सिफ़ारिश स्वीकार नहीं करूँगी, जब इब्ने ज़ुबैर के ऊपर यह बहुत कष्टप्रद होने लगा तो उन्हाने मिस्वर बिन मख़रमा और अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से बात की। इन दोनों का सम्बन्ध क़बीला बनू ज़ुहरा से था इब्ने ज़ुबैर ने कहा। मैं आप दोनों को अल्लाह की क़सम देता हूं कि मुझे हज़रत आयशा के पास अवश्य ले चलें। उनके लिए वैध नहीं है कि वह मुझसे सम्बन्ध तोड़ने की मन्नत मानें। मिस्वर और अब्दुर्रहमान अपनी–अपनी चादर ओढ़े हुए उन्हें लेकर हज़रत आयशा रज़ि के पास आये और हज़रत आयशा से अन्दर आने की अनुमति मांगी उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैक वरहमतुलाहि व बरकातुहू, क्या हम लोग अन्दर आ जायें, हज़रत आयशा ने कहा हां आ जाओ, उन दोनों ने कहा। क्या हम सब आ जायें, हज़रत आयशा ने कहा तुम सब आ जाओ, उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ इब्ने ज़ुबैर भी हैं। जब यह सब लोग अन्दर आ गये। तो इब्ने ज़ुबैर रोने लगे,मिस्वर और अब्दुर्रहमान भी उन्हें अल्लाह की क़सम देने लगे। लेकिन उन्होंने इब्ने ज़ुबैर से बात नहीं की और न ही सिफ़ारिश स्वीकार की। वे दोनों कह रहे थे कि आप जानती ही हैं कि नबी (सल्ल.) ने बात–चीत बन्द करने से मना किया है। किसी मुसलमान के लिए वैध नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई को तीन दिन से अधिक छोड़े रखे, जब उन्होंने हज़रत आयशा (रज़ि.) को बार–बार यह हदीस याद दिलाई और बार–बार बोलने पर मजबूर किया तो हज़रत आयशा रोते हुए कहने लगीं। मैंने तो मन्नत मान ली है और यह मन्नत बड़ी कठोर मन्नत है। लेकिन दोनों लगातार हज़रत आयशा के पीछे पड़े रहे यहां तक कि उन्होंने इब्ने ज़ुबैर से बात कर ली। और मन्नत तोड़ने के बदले में 40 दास आज़ाद किये, बाद में हज़रत आयशा इस मन्नत को याद करके इतना रोती थीं कि उनकी ओढ़नी ऑसुओं से भीग जाती थी। (बुख़ारी)

गवाही के समय। तक़ाज़ा करते समय और दण्ड लागू होते समय मर्द औरत की मुलाक़ात

प्रथम : गवाही देने की योग्यता :

अल्लाह तआला फ़रमाता है। फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की इस पर गवाही ले लो। यदि दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें हों। ताकि एक भूल जाये तो दूसरी उसे याद दिला दे। यह गवाह ऐसे हों जिनकी गवाही तुम्हारे बीच स्वीकार्य हो।

इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि रूजू (तलाक़ के बाद लौटना) के समय औरत का मौजूद होना उसके लिए अधिक आसान है। इसकी तुलना में कि वह मौत से पहले वसीयत लिखे जाने के समय मौजूद हो। शरीअत ने औरतों के लिए यह वैध ठहराया है कि वह क़र्ज़ों के सम्बन्ध में लिखे जाने वाले लेख के समय मौजूद रहें और उसकी गवाह बनें, यह लेख सामान्यतः मर्दों के बीच लिखा जाता है और सामान्यता उसे मर्द ही लिखते हैं। जब औरत ऐसी जगह गवाह बन सकती है तो फिर वह ऐसी जगह जहां औरतों की संख्या अधिक होती है। जैसे वसीयत और रूजूअ आदि में अधिक ऊँचे दर्जे में गवाह बन सकती हैं।

द्वितीय : गवाही देनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) इफ़्क की घटना के सिलसिले में कहती हैं कि जब मेरे इस मामले की ख़बर नबी (सल्ल.) को दी गई। तो आप (सल्ल.) मेरे घर आये और मेरी सेविका से मेरे बारे में पूछा, उसने कहा। अल्लाह की क़सम मुझे उनके अन्दर कोई बुराई दिखाई नहीं दी। हां बस वह कभी–कभी सो जाती हैं तो बकरी उनका ख़मीर किया हुआ आटा खा जाती है। कुछ सहाबा ने उस सेविका को डाँटा और कहा देखो नबी (सल्ल.) को सच–सच बता दो। यहां तक कि उन लोगों ने उससे स्पष्ट रूप से इस मामले के बारे में पूछ लिया। उसने कहा सुब्हानल्लाह, अल्लाह की क़सम, सुनार लाल रंग के सोने के टुकड़े को जैसा समझता है। मैं उन्हें वैसा ही समझती हूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

तृतीय : न्यायालय में वाद ले जाना, जांच पड़ताल और फ़ैसलाः

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं रूबैआ की बहन उम्मे हारिस ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया। अतः वे लोग अपना झगड़ा नबी (सल्ल.) के पास ले गये। आपने फ़रमाया कि क़िसास लिया जायेगा। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि बनू मख़ज़ूम की एक औरत ने चोरी की। उसे नबी (सल्ल.) के पास लाया गया उसने आपकी बीवी हज़रत उम्मे सलमा की मदद हासिल करना चाही, आपने फ़रमाया, अल्लाह की क़सम अगर फ़ातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता..................। (मुस्लिम)

खंन्सा बिन्ते ख़ुज़ाम अन्सारिया कहती हैं कि उनके पिता ने उनकी शादी कर दी (वह बेवा या तलाक़ शुदा थीं) उनको अपनी यह शादी पसन्द नहीं थी। वह नबी (सल्ल.) के पास आईं और बताया कि उन्हें यह शादी पसन्द नहीं है तो आपने ने उनकी इस शादी को निरस्त कर दिया। (बुख़ारी)

हज़रत इबने अब्बास फ़रमाते हैं कि साबित बिन क़ैस बिन शम्मास की बीवी नबी (सल्ल.) के पास आईं और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मुझे साबित की दीनदारी और चरित्र

से कोई शिकायत नहीं बल्कि मैं कुफ़्र से डरती हूं एक रिवायत में है कि मैं उन्हें सहन नहीं कर सकती, आपने उनसे पूछा, क्या तुम उनका बाग़ वापस कर सकती हो। उन्होंने कहा हां, फिर उन्होंने उनका बाग़ वापस कर दिया नबी (सल्ल) ने साबित को आदेश दिया तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी।   (बुख़ारी)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस कहती हैं कि उम्र बिन हफ़्सा ने उनको तीन तलाक़ दे दी वह उस वक़्त घर पर नहीं थे अतः उन्होंने अपने एक वकील से तलाक़ कहलवा भेजी और उससे जौ भी भिजवाये, मैं उसे देखकर क्रोधित हो उठी, उसने कहा अल्लाह की क़सम हमारे ऊपर अब तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं वह नबी (सल्ल.) के पास आई और इसका बयान किया। आपने फ़रमाया उनके ऊपर तुम्हारे ख़र्च की ज़िम्मेदारी नहीं है।   (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रिफ़ाआ अल कुरज़ी की बीवी नबी (सल्ल.) के पास आईं मैं भी वहां बैठी थी और अबू बक्र भी वहीं थे उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! पहले मैं रिफ़ाआ के निकाह में थी उन्होंने मुझे तीन तलाक़ दे दी। उनके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी की। ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की क़सम उनके पास तो सिर्फ़ चादर की छोर है यह कहते हुए उन्होंने अपनी चादर का किनारा पकड़ा, ख़ालिद बिन सईद जो दरवाज़ो पर खड़े थें और जिन्हें अन्दर आने की अनुमति अभी नहीं दी गई थी। उन्होंने उस औरत की यह बात सुन ली। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि उन्होंने कहा ऐ अबू बक्र आप इसे नबी (सल्ल.) के सामने ऐसी बातें करने से क्यों नहीं रोकते, आप यह सुनकर सिर्फ़ मुस्कुराये और कहा। शायद तुम रिफ़ाआ से फिर शादी करना चाहती हो लेकिन ऐसा उस समय तक नहीं हो सकता जब तक तुम अब्दुर्रहमान से मज़ा न ले लो। और वह तुमसे मज़ा ने ले लें। उसके बाद यही सुन्नत बन गई।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत सईद बिन जाबिर कहते हैं कि मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान जो पति पत्नी एक दूसरे को व्यभिचार के सिलसिले में बुरा भला कह रहे हो। क्या उनमें अलगाव करा दिया जायेगा, उन्होंने कहा हां, इसके बारे में सबसे पहले आमुक बिन आमुक ने पूछा था उन्होंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हममें से कोई अपनी बीवी को व्यभिचार करते हुए देख ले तो वह क्या करे? यदि वह अपना मुंह खोलता है तो यह भी बड़ी कठिनाई है और यदि चुप रहता है तो यह भी कठिन है। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ख़ामोश रहे और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह दूसरे दिन फिर आया और कहा। मैंने आप से जो बात पूछी थी उससे मैं स्वयं पीड़ित हूं, इस पर अल्लाह ने सरू:नूर में यह आयत अवतरित की ''और जो लोग अपनी बीवियों पर आरोप लगायें और उनके पास अपने सिवा दूसरे कोई गवाह न हों तो उनमें से एक व्यक्ति की गवाही यह है कि वह चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि वह अपने आरोप में सच्चा है और पांचवी बार कहे, कि उस पर अल्लाह की फटकार हो यदि वह अपने आरोप में झूठा हो। और औरत से सज़ा इस तरह

टल सकती है कि वह चार बार अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे कि यह व्यक्ति झूठा है और पांचवी बार कहे कि इस बन्दी पर अल्लाह का क़हर (क्रोध) टूटे अगर वह सच्चा हो। नबी (सल्ल.) ने उस मर्द के सामने इन आयतों की तिलावत की। उसको नसीहत किया और बताया कि दुनिया की यातना आख़िरत की यातना से अधिक आसान है। उस व्यक्ति ने कहा उस हस्ती की क़सम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है मैं इस पर झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं । फिर आपने उसकी बीवी को बुलाया, उसको नसीहत की और बताया कि दुनिया की यातना आख़िरत की यातना से अधिक आसान है। उसने कहा उस हस्ती की क़सम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है फिर अपने पहले मर्द से चार बार अल्लाह की क़सम दिलाकर यह गवाही दिलवाई कि वह अपने अरोप में सच्चा है और पॉचवीं बार कहलवाया कि उस पर अल्लाह की फटकार पड़े यदि वह अपने आरोप में झूठा हो। फिर आपने औरत से चार बार अल्लाह की क़सम दिलाकर यह गवाही दिलवाई कि वह व्यक्ति अपने आरोप में झूठा है और पांचवी बार उससे कहलवाया कि उस पर अल्लाह की फटकार हो यदि वह अपने आरोप में सच्चा हो। फिर नबी (सल्ल.) ने दोनों के बीच अलगाव करा दिया।

(बुख़ारी व मुस्लिम) (शब्द मुस्लिम के हैं)

हज़रत इब्ने अबी मुलैका फ़रमाते हैं कि दो औरतें एक घर में खाल की सिलाई कर रही थीं। उनमें से एक के हाथ में सुई चुभ गई। वह उठी और उसने दूसरी औरत के विरूद्ध दावा कर दिया। यह मामला इब्ने अब्बास के पास आया उन्होंने कहा कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि यदि लोगों के दावों के पक्ष में फ़ैसला कर दिया जाये तो पूरी क़ौम का ख़ून बह जाये और उनकी दौलत ख़त्म हो जाये। इसे अल्लह का हवाला दो और यह आयत सुनाओ, ''जो लोग अल्लाह के वचन(अहद) को बेचते हैं............'' लोगों ने उसे अल्लाह का हवाला दिया और इस आयत की याद दिलाई तो उसने स्वीकार कर लिया। इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि नबी (सल्ल.) का इरशाद(कथन) है कि प्रतिवादी पर क़सम है। (बुख़ारी)

हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल कहते हैं कि एक मसले में 'अरवी' उनसे झगड़ पड़ीं, और उन्हें लेकर मरवान के पास गई। उनका दावा यह था कि सईद ने उनका हक़ छीना है। सईद ने कहा। क्या मैं इस औरत का हक़ छीनूंगा, हालांकि मैंने नबी (सल्ल.) को यह कहते सुना है कि किसी की एक बालिश्त ज़मीन भी अन्याय साथ अगर किसी ने ले ली तो उसको क़यामत के दिन सत्तर ज़मीनों का पट्टा उसकी गर्दन में डाला जायेगा।

चतुर्थ : दण्ड का लागू करना

अल्लाह तआला फ़रमाता है व्यभिचारी मर्द और व्यभिचारिणी औरत दोनों में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के दीन के मामले

में तुमको प्रभावित न करे। यदि तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन को मानते हो और उनको दण्ड देते समय मोमिनों में से कुछ लोगों को मौजूद रहना चाहिए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि ग़ामिदीया आईं और कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मैंने व्यभिचार किया है। आप मुझे पवित्र कर दीजिए। नबी (सल्ल.) ने उनको वापस कर दिया दूसरे दिन फिर ग़ामिदीया ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे वापस न करिये, जिस तरह आपने माइज़ को वापस किया शायद आप मुझे भी उसी तरह वापस करना चाहते हैं। अल्लाह की क़सम मैं गर्भवती हूं। आपने फ़रमाया कि अभी चली जाओ, जब बच्चे का जन्म हो जाये तब आना, बच्चे के जन्म के बाद ग़ामिदीया उसे एक कपड़े में लेकर आई और कहा। मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है। आपने फ़रमाया, अभी तुम इस बच्चे के साथ वापस जाओ और इसे दूध पिलाओ जब इसका दूध छुड़ा लेना तो मेरे पास आना, जब उन्होंने बच्चे का दूध छुड़ा लिया तो आपके पास आईं। उस वक़्त बच्चे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने बच्चे का दूध भी छुड़ा दिया है। वह खाना खाने लगा है। अतः नबी (सल्ल.) ने वह बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। फिर ग़ामिदीया के लिए सीने तक गड्ढ़ा खोदने और उनके रज्म करने का आदेश दिया। अतः ऐसा ही किया गया। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने भी ग़ामिदीया को एक पत्थर मारा, जो उनके सिर पर लगा, और ख़ून के छींटे हज़रत ख़ालिद के सिर पर आये। इस पर उन्होंने ग़ामिदीया को बुरा भला कहा। नबी (सल्ल.) ने इसे सुन लिया और फ़रमाया, ऐ ख़ालिद ज़रा संभल कर, उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। उसने ऐसी तौबा की है कि यदि वैसी तोबा चुंगी वाले ने की होती, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती। फिर आपके आदेश के अनुसार उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी गई। फिर उन्हें दफ़्न किया गया। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद अल–जुहनी फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम (सल्ल.) के पास आया और उसने कहा। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि आप हमारे बीच अल्लाह की किताब की रोशनी में फ़ैसला करें। उसका प्रतिद्वन्दी जो अधिक समझदार था खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये सही कह रहा हे, आप हमारे बीच अल्लाह की किताब के द्वारा फ़ैसला कीजिऐ और ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। नबी करीम (सल्ल.) ने कहा कि बोलो उसने कहा कि मेरा बेटा इसके घर में मज़दूर था। उसने उसकी बीवी से व्यभिचार कर लिया तो मैंने उसको फ़िदया के रूप में सौ (100) बकरियां और सेवक, दिया फिर मैंने ज्ञान रखने वालो से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझसे बताया कि (इस अपराध के बदले में) मेरे बेटे को सौ कोड़े लगाये जायेंगे और उसे एक वर्ष के लिए तड़ीपार किया जायेगा, और उस व्यक्ति की बीवी को रज्म किया जायेगा, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। मैं तुम दोनों के बीच अवश्य अल्लाह की किताब की रोशनी में फ़ैसला करूंगा, सौ बकरियां और सेवक तुमको लोटाये जायेंगे, लड़के को सौ कोड़े लगाये जायेंगे और एक

वर्ष के लिए तड़ीपार किया जायेगा, और ऐ अनीस ज़रा इसकी बीवी के पास जाओ और उससे इस सिलसिले मे पूछो यदि वह अपराध स्वीकार कर लेती है तो उसको रज्म करो। उसकी बीवी ने अपराध स्वीकार कर लिया अतः उसको रज्म किया गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के ज़माने में, मक्का विजय में एक औरत ने चोरी कर ली। उसकी क़ौम के लोग घबराये हुए हज़रत ओसामा बिन ज़ैद के पास आये और उनसे नबी करीम (सल्ल.) के सामने सिफ़ारिश करने की मांग किया। जब ओसामा बिन ज़ैद ने बनी करीम (सल्ल.) से इस बारे में बात की तो आप (सल्ल.) के चेहरे का रंग बदल गया और आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, क्या तुम मुझसे अल्लाह की एक हद (दण्डात्मक क़ानून) के बारे में सिफ़ारिश कर रहे हो? हज़रत ओसामा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए अल्लाह से मुक्ति की प्रार्थना कीजिये, शाम के वक़्त नबी करीम (सल्ल.) ख़ुत्बा (उपदेश) के लिये खड़े हुए। आप (सल्ल.) ने अल्लाह की प्रशंसा की और कहा तुम से पहले के लोग इस लिये तबाह कर दिये गये क्योंकि उन्होंने यह रवैया अपना रखा था कि जब उनमें का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति चोरी करता तो उसे छोड़ देते, लेकिन यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति चोरी कर बैठता तो उस पर हद जारी कर देते (अर्थात दण्ड देते)। उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्ल.) की जान है। यदि मुहम्मद (सल्ल.) की बेटी फ़ातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं उनका हाथ काट देता, नसई की एक रिवायत में है कि फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ बिलाल खड़े हो जाओ और इस औरत का हाथ पकड़ कर उसे काट दो। इसके बाद उस औरत ने पूरी तरह तौबा कर ली फिर उसकी शादी हो गई। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती है कि वह महिला इस घटना के बाद भी मेरे पास आया करती थी और में उसकी आवश्यकताओं को नबी (सल्ल.) तक पहुंचाया करती थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि ज़ैद बिन हारिसा जअ़फ़र और इब्ने रवाहः की शहादत की सूचना नबी करीम (सल्ल.) को मिली तो आप (सल्ल.) बैठ गये। आप (सल्ल.) के चेहरे से चिन्ता के भाव प्रकट हो रहे थे। मैं दरवाज़े के छेद से देख रही थी। उसी समय नबी करीम (सल्ल.) के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि जअ़फ़र की बीवियां रो रही हैं। नबी (सल्ल.) ने उसे आदेश दिया कि वह उन्हें रोने से रोके। अतः वह चला गया। दूसरी बार फिर आया, और उसने कहा कि औरतों ने उसकी बात नहीं मानी। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया उन्हें रोने से मना करो। वह फिर तीसरी बार नबी (सल्ल.) के पास आया और कहा। ऐ अल्लाह के रसलू! अल्लाह की क़सम वह औरतें हम पर भारी पड़ गईं, हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि इस पर नबी (सल्ल.) ने उससे कहा। उन औरतों के मुंह में मिट्टी भर दो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया....... अल्लाह तआला आंखों से आंसू गिरने पर और दिल के दुखी होने पर यातना नहीं देता, बल्कि वह इसकी (आप सल्ल. ने अपनी ज़बान की तरफ़ इशारा करते हुए कहा) वजह से

यातना देता है या दया करता है। अगर मारने वाले पर उसके घर वाले रोते हैं तो उसके कारण उसे यातना दी जाती है। यदि कोई मरने वाले पर रोता था तो हज़रत उमर उसे डण्डे और कंकड़ियों से मारते थे और उसके ऊपर मिट्टी फेंकते थे। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने एक अध्याय का नाम यह रखा है ''पापियों का ज्ञान हो जाने के बाद उन्हें घर से निकाल देना, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बक्र की बहन को उस समय घर से निकाल दिया जब उन्होंने विलाप करना प्रारम्भ किया था''।

इस अध्याय की व्याख्या करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इब्ने सअ़द ने 'अलबक़ात' में सही सनद(प्रमाण) के साथ बयान किया है कि इमाम ज़ुहरी ने सईद इब्ने मुसय्यिब के हवाले से नक़ल किया है कि जब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की मौत हुई तो हज़रत आयशा (रज़ि.) ने उन पर रोने के लिए विलाप करने वाली औरतों को बुलाया? हज़रत उमर को पता चला तो उन्होंने विलाप करने वाली औरतों को विलाप करने से रोका, लेकिन वे न रूकीं, इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने हिशाम बिन वलीद से कहा कि मैं अबू क़हाफ़ा की बेटी उम्मे फरवा के पास जा रहा हूं हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको कुछ कोड़े लगाये जब विलाप करने वाली औरतों को यह बात मालूम हुई तो वह सब तुरन्त वहां से भाग निकलीं, इब्ने इस्हाक़ बिन राहवैह इस हदीस का उल्लेख अपनी मुस्नद में इमाम ज़ुसरी के हवाले से एक दूसरी सनद (प्रमाण) के साथ किया है। उस रिवायत में हैं कि हज़रत उमर एक-एक करके विलाप करने वाली औरतों को निकालने लगे और उन्हें कोड़े लगाने लगे।

मुबाहिला के दौरान मर्द औरत की मुलाक़ातः

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, तो वह हो गया। यह वास्तविक हक़ीक़त है जो तुम्हारे रब की तरफ़ से बताई जा रही है। और तुम उन लोगों में सम्मिलित न हो जाओ, जो इसमें सन्देह करते हैं। यह ज्ञान आ जाने के बाद जो कोई इस मामले में तुम से झगड़ा करे तो ऐ नबी उससे कहो कि ''आओ हम और तुम स्वयं भी आ जायें और अपने बाल बच्चें को भी ले आयें, और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की फटकार हो''। (आले इमरानः 59-61)

इस आयत की व्याख्या करते हुए अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि इसका भावार्थ यह है कि हम सब अपने बाल बच्चों को मुबाहिला के समय अपने साथ लायें...... .... जब नबी करीम (सल्ल.) को इसका ज्ञान हुआ तो दूसरे दिन आप (सल्ल.) एक चादर में हसन, हुसैन को लपेटे हुए मुबाहिला के लिए ले आये। हज़रत फ़ातिमा आपके पीछे चल रही थी। उस समय नबी (सल्ल.) की कई बीवियां थी।

रूचि के अवसरों पर मर्द औरत की मुलाक़ात :

हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही, उस समय आप (सल्ल.) के पास क़ुरैश की कुछ औरतें बैठी हुई आप (सल्ल.) से बातें कर रही थीं और ऊंचे स्वर में बातें कर रही थीं। ज्यूं ही हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति चाही, वहां पर उपस्थित सभी औरतें तुरन्त परदे में चली गईं नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को अन्दर आने की अनुमति दे दी। उस समय नबी (सल्ल.) हंस रहे थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह आपको सदैव हंसता हुआ रखे नबी (सल्ल.) ने फरामाया मुझे इन औरतों पर आश्चर्य हो रहा है जो अभी मेरे पास थी।

तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद वे सब परद में चली गईं। हज़रत उमर ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल इन औरतों को आपसे अधिक डरना चाहिये। फिर उन्होंने कहा ऐ अपने आपकी दुश्मनों क्या तुम सब मुझसे डरती हो और नबी (सल्ल.) से नहीं डरती हो? औरतों ने कहा हां क्योंकि आप नबी करीम (सल्ल.) से अधिक सख़्त है नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। जब भी शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर देखता है तो वह उस रास्ते से कट कर दूसरे रास्ते पर हो लेता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा(रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) आये तो अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! हज़रत उमर ने ऐसी–ऐसी बातें मुझसे कही है। आप (सल्ल.) ने पूछा कि तुमने इसका क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैंने इस–इस तरह उत्तर दिया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया वह मेरे सिलसिले में तुम लोगों से अधिक हक़दार नहीं हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने तो केवल एक ही हिजरत की है लेकिन तुम नाव वालों ने तो दो हिजरतें की हैं। हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं कि हज़रत अबू मूसा और दूसरे नाव वाले मेरे पास गिरोह के गिरोह आते और मुझसे इस हदीस को सुनाने की मांग करते, उनके लिए नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन से अधिक सुखदायी और सम्मानित बात कुछ भी नहीं थी। हज़रत अस्मा कहती हैं कि हज़रत अबू मूसा मुझसे यह हदीस बार–बार सुना करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उपरोक्त घटनाओं और मिसालों का स्पष्टीकरण उस शरीअत के नियम की रोशनी में अच्छी तरह हो जाता है जिसके अनुसार कुछ चीज़ें कुछ बाहरी चीज़ों के कारण हराम या मकरूह(घृणित) होती हैं। अतः यदि वह बाहरी चीज़ें न पाई जायें तो हराम होने और घृणित होने का मामला समाप्त हो जाता है। अतः मर्दों से ख़ूब बातें करना या मर्दों के खेलों को देखना फ़ितना (बिगाड़) की आशंका के कारण उचित नहीं है। यदि इस फ़ितने की आशंका मिट जाये तो मकरूह होना भी समाप्त हो जाता हैं

विभिन्न हालतों में मर्द औरत की मुलाक़ात :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) कअ़बा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे वहीं क़ुरैश के कुछ लोग अपनी सभा जमाये बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा। क्या तुम लोग इस दिखावा करने वाले को देख रहे हो? तुममें से कौन आमुक

क़बीले में जाकर वहां पड़ी ओझड़ी में से गोबर ख़ून और अंतड़िया निकाल लायेगा और जब ये सजदे में जाये तो उसके कंधे पर डालेगा? उन लोगों में से सबसे अधिक अभागा व्यक्ति खड़ा हुआ और नबी (सल्ल.) के सजदे में जाने के बाद उसने सारी गंदगी आपके कंधे पर डाल दी। नबी करीम (सल्ल.) सजदे की हालत में रह गये। यह देखकर वे लोग हंसने लगे और हंसते–हंसते एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हज़रत जुवैरिया ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि) को जाकर इसकी सूचना दी। हज़रत फ़ातिमा दौड़ी हुई आयीं, उस समय भी आप (सल्ल) सजदे की हालत में थे। उन्होंने आप (सल्ल.) के कंधो से वह गंदगी हटाई और क़ुरैश को बुरा–भला कहने लगीं। जब नबी करीम (सल्ल.) नमाज़ पूरी कर चुके तो आप (सल्ल.) ने दुआ की। ऐ अल्लाह तू क़ुरैश से समझ ले! ऐ अल्लाह तू क़ुरैश से समझ ले! ऐ अल्लाह तू क़ुरैश से समझ ले! फिर आप (सल्ल.) ने हर एक का नाम लेकर कहा। ऐ अल्लाह तु अम्र बिन हिशाम, उत्बा बिन रबीआ शैबा बिन रबीआ़। वलीद बिन उत्बः। उमैया बिन खल्फः। उक्बा बिन अबी मुएत और अम्मार बिन वलीद से समझ ले अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने देखा कि यह सब बद्र के दिन क़त्ल कर दिये गये। फिर नबी (सल्ल.) ने कहा। इन कूएं वालों पर लानत (अल्लाह की फटकार) हो। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने यह रिवायत ''औरत का नमाज़ पढ़ने की जगह से गंदगी को हटाने के अध्याय'' के अन्तर्गत बयान की है हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आपके पास भले लोग भी आते हैं और पापी लोग भी आते है। आप मोमिनों की मांओं (अपनी बीवियों) को परदे का आदेश क्यों नहीं देते, उसके बाद अल्लाह ने परदे की आयत अवतरित की। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) इफ़्क की घटना के हवाले से बयान करती हैं कि .... फिर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ मुसलमानों! उस व्यक्ति के बारे में मुझे कौन असमर्थ समझेगा, जिसने मुझे मेरे घर वालों के बारे में कष्ट पहुंचाया, अल्लाह की क़सम मैंने अपने घर वालों में सदैव अच्छाई ही देखी है। लोगों ने उस बारे में एक ऐसे मर्द का नाम लिया हैं जिसके अन्दर मैंने सदैव अच्छाई ही पाई है। वह मेरे घर वालों के पास सदैव मेरे साथ जाया करता था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि उम्मे सुलैम (रज़ि.) के पास एक यतीम बच्ची थी........ नबी (सल्ल.) ने उस यतीम बच्ची को देखा और कहा। अरे तुम तो बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारी उम्र अधिक न हो। वह यतीम बच्ची रोते हुए उम्मे सुलैम (रजि) के पास आई, उम्मे सुलैम ने पूछा बेटी तुम्हें क्या हुआ? बच्ची ने कहा कि नबी (सल्ल.) ने मुझे बद्दुआ दी है कि मेरी उम्र अधिक न हो। अब तो मेरी उम्र अधिक न हो सकेगी, उम्मे सुलैम ओढ़नी ओढ़कर तेज़ी से निकलीं, उनकी मुलाक़ात नबी करीम (सल्ल.) से हुई नबी करीम (सल्ल.) ने उनसे पूछा उम्मे सुलैम तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अपने मेरी यतीम बच्ची को बददुआ दी है? नबी (सल्ल.) ने पूछा कैसी बद्दुआ? उन्होंने कहा। वह बच्ची कहती है कि आपने उसे यह बद्दुआ दी है कि उसकी उम्र न बढ़े हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि यह सुनकर नबी (सल्ल.) हंस पड़े। फिर आप (सल्ल.

) ने कहा। ऐ उम्मे सुलैम! क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने अपने रब से यह कहा कि मैं एक इन्सान हूं, मैं दूसरे इन्सानों की तरह ख़ुश भी होता हूं और नाराज़ भी होता हूं अतः यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बद्दुआ दे दूं जो उसका योग्य न हो तो उस बद्दुआ को क़यामत के दिन उस व्यक्ति के लिए पवित्रता और निकटता का माध्यम बना दें।
(मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) को खजूर के बाग़ दिया करते थे। यहां तक कि नबी करीम (सल्ल.) ने बनू कुरैजा और बनू नज़ीर पर विजय प्राप्त कर ली। मेरे घर वालों ने मुझे आदेश दिया कि मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास जाऊं और उन्होंने नबी (सल्ल.) को जितने बाग़ दिये हैं उन सब को या उनमें से कुछ को वापस मांग लूं, नबी करीम (सल्ल.) ने ये बाग़ उम्मे ऐमन (रजि) को दे दिये थे। इसी बीच उम्मे ऐमन आगई, उन्होंने मेरी गर्दन में कपड़ा डाल दिया और कहने लगी कदापि नहीं, उस हस्ती की क़सम जिसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, नबी करीम (सल्ल.) तुम लोगों को बाग़ो को नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने ये सारे बाग़ मुझे दे दिये है। हालांकि नबी करीम (सल्ल.) उनसे कहे जा रहे थे कि तुम्हें इतना दूंगा। लेकिन वह कहे जा रही थीं कदापि नहीं, यहां तक कि मेरे विचार में आप (सल्ल.) ने उन्हें इन बाग़ों की तरह और दस बाग़ दिये।
(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इमराऩ बिन हसीन (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी महिला गिरफ़्तार की गई और नबी (सल्ल.) की ऊंटनी अ़ज़बाअ भी गिरफ्तार कर ली गई। महिला को रस्सियों से बांध दिया गया था। उस क़ौम के लोग शाम को अपने जानवरों को घरों के सामने बांध दिया करते थे। एक रात वह अन्सारी महिला किसी तरह क़ैद से छूट गई और ऊँटों के पास आई, वह जिस ऊँट के पास जाती वह झाग निकालने लगता। अतः वह उसे छोड़ देती, फिर वह अ़ज़बाअ के पास पहुंची; उसने झाग नहीं निकाला, इमरान कहते हैं कि उस ऊंटनी को रास्ता मालूम था। अतः वह उसके ऊपर सवार हो गई। फिर उसे झिड़का तो वह चलने लगी। उन लोगों को उस महिला के भाग जाने का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया लेकिन वह उनके हाथ न लगी। हज़रत इमरान कहते हैं कि उस अन्सारी औरत ने यह मन्नत मानी थी कि यदि अल्लाह उसे उस ऊंटनी के माध्यम से बचा लेगा तो वह उसे ज़बह करेगी। जब वह मदीना आई और लोगों ने उसे देखा तो कहा 'कि यह तो नबी (सल्ल.) की ऊंटनी है। उसने लोगों को बताया कि उसने यह मन्नत मानी है कि यदि वह इस ऊंटनी के माध्यम से बचा ली जाती है तो वह उसे ज़बह करेगी। लोगों ने नबी (सल्ल.) को यह बात बताई, आपने फ़रमाया सुब्हानल्लाह उसने ये बुरी मन्नत मानी कि यदि वह बच जाती है तो ऊंटनी को ज़बह कर देगी, किसी गुनाह की मन्नत या किसी ऐसी चीज़ कि मन्नत इन्सान जिसका मालिक न हो वैध नहीं है। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं। जब नबी (सल्ल.) मौत की बीमारी में पड़े और नमाज़ का वक़्त आया, तो अज़ान दी गई। आपने फ़रमाया, अबू बक्र से कहो कि वह लोगों

को नमाज़ पढ़ायें, हज़रत अबू बक्र ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई, नबी (सल्ल.) ने अपनी तबिअ़त में कुछ हल्कापन महसूस किया तो आप दो आदमियों के सहारे नमाज़ के लिए निकले। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं इब्ने हिब्बान ने, आसिम के हवाले से नक़ल किया है। नबी (सल्ल.) को अपनी तबिअ़त में कुछ हल्कापन महसूस हुआ तो आप बुरैरा और नौबा का सहारा लेकर नमाज़ के लिए निकले। इब्ने माजा ने सालिम बिन उबैद के हवाले से नक़ल किया है कि आप बुरैरा और एक दूसरे मर्द का सहारा लेकर निकले। इब्ने अबी शैबा की रिवायत में सही प्रमाण के साथ नक़ल किया गया है कि आप बुरैरा और नौबा का सहारा लेकर निकले। इमाम नववी के अनुसार इन विभिन्न रिवायतों के बीच इस तरह सामन्जस्य हो सकता है कि आप घर से मस्जिद तक बुरैरा और नौबा का सहारा लेकर आये। फिर वहां से नमाज़ की जगह तक हज़रत अब्बास और अली का सहारा लेकर आये। इसे कई घटनाओं का होना समझा जा सकता हैं।

मुसलमान मर्दों की ग़ैर मुस्लिम औरतों से मुलाक़ातः

मुसलमानों को कष्ट पहुंचाने के दौरानः

हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान कहते हैं कि एक बार नबी (सल्ल.) की तबीयत ख़राब हुई तो आप दो या तीन दिन घर से नहीं निकले। एक औरत आई और उसने कहा। ऐ मुहम्मद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है वह दो या तीन दिन से तुम्हारे पास नहीं आया। उस वक़्त अल्लाह तआला ने यह आयत अवतरित की ''गवाह है चढ़ता दिन और रात जब उसका सन्नाटा छा जाये। तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ है और न अप्रसन्न हुआ''(सुरह जुहाः1–3) (बुख़ारी व मुस्लिम)

यह घटना आपकी नुबूव्वत के कुछ दिनों बाद मक्के में घटित हुई बुराई से रोकने का कर्त्तव्य पूरा करने के दौरानः

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग अपनी क़ौम ग़िफ़ार से सफ़र की नीयत से निकले। हमारी क़ौम में लोग हराम महीनों को हलाल ठहराते थे। मैं अपने भाई अनीस और माँ के साथ निकला, और हम अपने मामा के मेहमान हुए। उन्होंने हमारा बहुत अधिक आदर सत्कार किया। इस कारण उनकी क़ौम के लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगी। अतः उन्होंने हमारे मामा से कहा कि जब आप घर से निकल जाते हैं। तो आपके घर में अनीस प्रवेश करते हैं। मामा, हमारे पास आये और उन्होंने जो बात सुनी थी वह हम लोगों से बताई मैंने कहा आपने अब तक हमारे साथ सत्कार और सम्मान का जो व्यवहार कर रखा था उसे आपने नष्ट कर दिया। अब आज के बाद हमारी और आपकी मुलाक़ात नहीं हो सकती। अतः हम लोग अपने ऊँट के पास गये और उस पर सवार हो गये। हमारे मामा एक चादर ओढ़ कर रोने लगे। फिर हम वहां से चले, और हमने मक्के में पड़ाव किया। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि नबी (सल्ल.) से मेरी मुलाक़ात होने से तीन बर्ष पहले ही मैंने अपने भतीजे के साथ नमाज़ पढी है। मैंने पूछा किसके लिए? उन्होंने उत्तर दिया अल्लाह

के लिए। मैंने पूछा नमाज़ में किस तरफ़ चेहरा किया था। उन्होंने उत्तर दिया अल्लाह तआला जिस तरफ़ भी मेरा चेहरा कर देता था। मैं उसी तरफ़ चेहरा कर लिया करता था मैं इशा की नमाज़ पढ़ता था यहां तक कि रात के आख़िरी पहर में इस तरह लेट जाता था मानों कपड़े का एक टुकडा हूं। सूरज के निकलने तक मैं इसी तरह रहता था अनीस ने कहा। मुझे मक्के में कुछ ज़रूरत है। अतः आप मेरे घर बार की देख भाल कीजिए। अनीस चल पड़े यहां तक कि मक्का पहुंच गये। फिर बहुत देर से वापस आये। जब वह आये तो मैंने कहा क्या ख़बर है उन्होंने कहा मक्के में मेरी एक व्यक्ति से मुलाक़ात हुई जो आपके दीन का वाहक है और कहता है कि अल्लाह ने उसे भेजा है। मैंने पूछा लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा लोग उसे कवि, ओझा और जादूगर कहते हैं अनीस स्वयं भी एक कवि थे। उन्होंने कहा मैंने ओझाओं की बातें सुनी हैं। लेकिन उस व्यक्ति की बातें ओझाओं की तरह नहीं हैं मैंने उसकी बातों को कवियों के कथनों से भी मिलाया लेकिन वह कविता भी नहीं है। अल्लाह की क़सम वह व्यक्ति सच्चा है और शेष लोग झूठ बोल रहे हैं। हज़रत अबू ज़र कहते हैं। मैंने उनसे कहा तुम मेरे घर बार को देखो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ वह कहते हैं मैं मक्का आ गया। मैंने वहां एक व्यक्ति से पूछा, वह व्यक्ति कहा है जिसे तुम लोग 'साबी' कहते हो। फिर क़बीले के लोग मुझ पर पत्थर बरसाने लगे। यहां तक कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, जब मैं उठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक लाल पत्थर हूं । वह कहते हैं फिर मैं ज़मज़म के पास आया, मैंने अपने शरीर से ख़ून साफ़ किया और पानी पीया। ऐ भतीजे मैं तीन दिन तक इस हालत में रहा कि मेरे खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं सिर्फ़ ज़मज़म पीता था। यहां तक कि मेरे पेट का गोश्त टूट गया। वह कहते हैं कि एक चांदनी रात में जब मक्के के सभी लोग सो गये। उस वक़्त कोई कअ़बा का तवाफ़ नहीं कर रहा था। हां, दो औरतें मेरे निकट से गुज़रीं और यह कहती हुई वापस हो गई काश! इस समय मेरे क़बीले का कोई व्यक्ति मौजूद होता फिर उन दोनों की मुलाक़ात नबी (सल्ल.) से हो गई। (मुस्लिम)

हाल–चाल पूछने के दौरान पिछली हदीस का पूरकः

हज़रत अबू ज़र फ़रमाते हैं कि फिर उन दोनों की मुलाक़ात नबी (सल्ल.) और हज़रत अबू बक्र से हो गई। नबी (सल्ल.) ने पूछा तुम दोनों को क्या हो गया? उन्होंने उत्तर दिया कअ़बे में एक साबी बैठा हुआ है। आपने पूछा उसने तुम दोनों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि उसने हमसे ऐसी बात कही है जो मुंह से कही नहीं जाती। फिर नबी (सल्ल.) कअ़बे की तरफ़ आये हजरे अस्वद को चूमा उन्होंने और हज़रत अबू बक्र ने तवाफ़ किया। फिर उसके बाद नमाज़ पढी, जब आप नमाज़ पढ चुके तो हज़रत अबू ज़र फ़रमाते हैं कि सबसे पहले मेने ही आपको इस्लाम वाला सलाम किया। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि मैंने कहा। अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह! आपने जवाब दिया व अलैक़ व रहमतुल्लाह, फिर आपने पूछा तुम कौन हो। मैंने कहा मेरा सम्बन्ध ग़िफ़ार क़बीले से है। मुस्लिम)

युद्ध के दौरान :

हज़रत बराअ फ़रमाते हैं कि उहद के दिन मक्का के मुशरिकों से हमारी मुठभेड़ हो गई। नबी करीम (सल्ल.) ने तीर चलाने वालों की एक सेना को (पहाड़ पर) बिठा दिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को उनका अमीर बना दिया और उनसे कह दिया अपनी जगह से हटना नहीं अगर हमें विजयी होता हुआ देखना तब भी अपनी जगह से न हटना, और हमें पराजित होते हुए देखना तब भी हमारी मदद के लिए न आना। जब मुठभेड़ का प्रारम्भ हुआ तो तमाम काफ़िर भाग खड़े हुए। मैंने औरतों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा वह अपने पॉयचे उठाये हुए थीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत ज़ुबैर बिन अज़्ज़ाम के हवाले से यह रिवायत बयान की है कि वह कहते हैं मुझे हिन्द बिन उत्बा और उसकी सहेलियां अभी–अभी भागती हुई दिखाई दे रही हैं।

कठिनाइयों में :

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने जासूसी के लिए एक सरीया (सेना) भेजा और उनका अमीर आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब के नाना आसिम बिन साबित को बनाया। वह सेना चल पड़ी अभी ये लोग अ़स्फ़ान और मक्का के बीच ही पहुंचे थे कि किसी ने क़बीला हुज़ैल की एक शाखा लहयान को इस सरीया की सूचना दे दी। लहयान के लोग लगभग सौ(100) तीर चलाने वालों के साथ उनकी तलाश में निकले। उन्होंने उनके पांव के निशान को तलाश किया यहां तक कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सेना ने पड़ाव किया था। वहां उन्हें खजूर की गुठलियां दिखाई दीं। उन्होंने कहा कि ये तो यस्‌रिब (मदीना) की खजूरें हैं। अतः वह यहां पर ठहरने वाले क़ाफ़िले के पॉव के निशान को तलाश करते हुए आगे बढ़े यहां तक कि उन्होंने उन लोगों तक जा लिया। जब हज़रत आसिम और उनके साथियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने एक टीले पर शरण ली क़बीला लहयान के तमाम आये हुए लोगों ने उन लोगों को घेर लिया और कहा कि हम तुम लोगों को क़सम देते हैं कि यदि तुम आत्म समर्पण कर देते हो तो हम तुममें से किसी को भी नहीं क़त्ल करेंगे, हज़रत आसिम ने कहा मैं किसी काफ़िर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह तू अपने नबी तक हम लोगों की सूचना पहुंचा दे। क़बीला लहयान के लोगों ने उस सेना से युद्ध प्रारम्भ किया यहां तक कि उन्होंने हज़रत आसिम और उनके सात साथियों को तीरों से शहीद कर दिया। इसके बाद हज़रत ख़ुबैब, हज़रत ज़ैद और एक और व्यक्ति बच गये। उन लोगों ने इन तीनों को भी क़सम दी। अतः उन तीनों लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब वे लोग इन तीनों लोगों पर अच्छी तरह काबू पा गये। तो उन्होंने रस्सियां खोलीं और उससे इन तीनों को बॉधना शुरू किया। तीसरे व्यक्ति ने कहा यह पहला द्रोह है। उन्होंने उन लोगों के साथ जाने से इन्कार

कर दिया। उन लोगों ने उन्हें खीचा, जबरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर किया। लेकिन वह उनके साथ जाने पर तैयार नहीं हुए। अतः उन लोगों ने उन्हें मार डाला, अब वे लोग ख़ुबैब और ज़ैद को लेकर चले और उन लोगों को मक्के में लाकर बेच दिया। ख़ुबैब को बनू हारिस बिन आमिर बिन नौफ़ल ने ख़रीद लिया। हज़रत ख़ुबैब ने हारिस बिन आमिर को बद्र के दिन क़त्ल किया था। वह उन लोगों के पास कैदी बन कर रहे, जब बनू हारिस ने उनके क़त्ल का फ़ैसला किया तो हज़रत ख़ुबैब (रज़ि.) ने बालों की सफ़ाई के लिए हारिस की किसी बेटी से छुरा माँगा, उसने उन्हें छुरा दे दिया। हारिस की वह बेटी कहती हैं कि मैं अपने एक बच्चे से बेपरवाह हो गई तो वह ख़ुबैब के पास चला गया। ख़ुबैब ने बच्चे को अपने जाँघ पर बैठा लिया। मैंने अपने बच्चे को उनकी गोद में बैठा देखा तो मैं डर गई। ख़ुबैब समझ गये कि मैं डर गई हूं क्योंकि उस समय उनके हाथ में छुरा था। उन्होंने कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इस बच्चे को क़त्ल कर दूगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। हारिस की वह बेटी कहा करती थी। मैंने ख़ुबैब से अच्छा कैदी कभी नहीं देखा। मैंने उनको उस समय अंगूर खाते हुए देखा है। जब कि मक्का में कोई फल नहीं पाया जाता, हालांकि वह लोहे में बधें हुए थे वास्तव में वह रोज़ी अल्लाह की तरफ़ से उनके पास आती थी। बनू हारिस से ख़ुबैब ने कहा। मुझे दो रकअत नमाज़ पढ़ने की अनुमति दे दो। नमाज़ पढ़कर वह उन लोगों के पास आये और कहा। यदि मुझे यह याद न होता कि तुम लोग ये समझोगे कि मौत से डर रहा हूं तो मैं और नमाज़ें पढ़ता, क़त्ल के समय दो रकअत नमाज़ पढ़ने की सुन्नत उन्हीं की चलाई हुई है। फिर उन्होंने कहा ऐ अल्लाह तू उन सब को गिन–गिन कर तबाह कर फिर उन्होंने यह छन्द पढ़े

ما ان ابالی حین أقتل مسلما   علی ای شق کان للہ مصرعی
و ذالک فی ذات الالٰہ وان یشأ   یبارک علی اوصال شلو ممزع

(मुसलमान होकर शहीद होते हुए मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं कि मेरी मौत किस पहलू पर होगी। यह सब कुछ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं अगर वह चाहे तो शरीर के इन टुकड़े–टुकडे अंगो के जोड़ों में भी बरकत दे सकता है।)

फिर उक्बा बिन हारिस उठा और उसने उन्हें शहीद कर दिया। क़ुरैश के लोगों ने कुछ लोगों को भेजा था कि वह आसिम के शरीर के कुछ अंगो को (काटकर) ले आयें। जिससे उनके क़त्ल होने का विश्वास हो जाये क्योंकि हज़रत आसिम ने बद्र के दिन क़ुरैश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को क़त्ल किया था। अल्लाह ने हज़रत आसिम के शव पर शहद की मक्खियों को भेज दिया। जिसने क़ुरैश के लोगों से उनकी रक्षा की। इस तरह वे लोग उनके शरीर के एक अंग को भी न काट सके। (बुख़ारी)

फ़ैसला के समयः

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि कुछ यहूदी नबी करीम (सल्ल.) के पास आये। और उनसे बताया कि उनके एक मर्द और एक औरत ने व्यभिचार किया है। नबी करीम (सल्ल.) ने उन लोगों से कहा रज्म के बारे में तौरात में तुम्हें क्या आदेश मिलता है? उन्होंने कहा हम व्यभिचारियों का अपमान करते हैं और उन्हें कोड़ा लगाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसमें रज्म का आदेश है। वे लोग तौरात लेकर आये। उसे खोला उनमें से एक व्यक्ति ने रज्म से सम्बन्धित आयत पर हाथ रख दिया और उसने पहले और बाद की आयत पढ़ी। उस व्यक्ति से अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा। अपना हाथ हटाओ। उसने अपना हाथ हटाया तो वहां पर रज्म से सम्बन्धित आयत दिखाई दी। उन्होंने कहा ऐ मुहम्मद! ये सही कह रहे हैं तौरात में रज्म का आदेश हैं। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने उन दोनों व्यभिचारियों को रज्म करने का आदेश दिया। मैंने व्यभिचारी मर्द को देखा कि वह व्यभिचारी महिला को पत्थर से बचाने के लिए उस पर झुक जाता था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

किसी भलाई के आदेश देने की मांग या उसको प्रस्तुत करने के दौरान :

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग एक यात्रा पर थे। एक स्थान पर हम लोगों ने पड़ाव डाला। हमारे पास एक लड़की आई और उसने कहा कि हमारे क़बीले के सरदार को सांप ने काट लिया है। हमारे क़बीले के लोग मौजूद नहीं है। क्या तुममें से कोई झाड़ फूंक करता है (एक रिवायत में है कि मुसलमानों ने उस क़बीले के लोगों से यह मांग की थी कि वह उन्हें अपना अतिथि बना लें लेकिन उन्होंने इससे इन्कार कर दिया था) उस लड़की के साथ एक व्यक्ति चला गया............ उसने झाड़ फूंक किया तो सरदार ठीक हो गया। अतः सरदार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को तीस बकरियां दी जायें और उसने हम सबको दूध पिलाया। जब वह व्यक्ति लौट कर आया तो हम लोगों ने उससे पूछा क्या तुम अच्छी तरह से झाड़ फूंक किया करते थे? उसने कहा नहीं, मैंने तो सूरह फ़ातिहा के माध्यम से झाड़–फूंक की है। हम लोगों ने कहा अब तुम लोग कोई नई बात न करो। यहां तक कि हम इस बारे में नबी करीम (सल्ल.) से पूछ लें, जब हम लोग मदीना आये तो नबी करीम (सल्ल.) से इस घटना का बयान किया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उसे कैसे पता चला कि सूरह फ़ातिहा के माध्यम से झाड़ फूंक किया जाता है।................ ये बकरियां बांट लो। और उसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इमरान (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग एक बार नबी (सल्ल.) के साथ यात्रा पर थे............. लोगों ने आप (सल्ल.) से प्यास की शिकायत की। आप (सल्ल.) सवारी से उतर गये और आमुक को बुलाया............. और हज़रत अली (रज़ि.) को बुलाया और

फ़रमाया तुम दोनों जाकर पानी तलाश करो। अतः वे दोनों चले। उन दोनों की एक ऐसी औरत से मुलाक़ात हुई जिसके ऊँट के दोनों तरफ़ मिश्कीज़ा लटका हुआ था उन दोनों ने उससे पूछा पानी कहां है? उसने जबाब दिया मैं पानी के पास कल के दिन इसी वक़्त पहुंचेगी हमारे घर पर लोग मौजूद नहीं है। उन दोनों ने उससे कहा फिर तुम चलो? उसने पूछा कहां? उन दोनों ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के पास, उसने कहा क्या उसके पास जिसे 'साबी' कहा जाता है? उन दोनों ने कहा हां उसी के पास चलना है जिसे तुम समझ रही हो। वह दोनों उसे लेकर नबी (सल्ल.) के पास आये और नबी करीम (सल्ल.) को उसके बारे में पूरी बात बताई। हज़रत इमरान (रज़ि.) कहते हैं कि फिर लोगों ने उस औरत को ऊँट से उतरने के लिये कहा। इसके बाद नबी (सल्ल.) ने एक बरतन मंगवाया और उन दोनों मिश्कीज़ो से उस बरतन में पानी डाला। आप (सल्ल.) ने दोनों मश्कीज़ो का मुंह बन्द कर दिया पानी निकलने की जगह को खोल दिया और लोगों के बीच पुकार लगा दी गई। आओ पानी पीओ और अपने साथ पानी ले जाओ। जिसने चाहा पानी पीया, जिसने चाहा पानी ले गया। आप (सल्ल.) ने सबसे अन्त में एक ऐसे व्यक्ति को एक बरतन में पानी दिया जिसे नापाकी(जनाबत) हो गई थी। और उससे कहा जाओ इससे ग़ुस्ल कर लो। वह औरत खड़ी यह सिलसिला देख रही थी। फिर पानी पीने और ले जाने का यह सिलसिला बन्द हो गया। अल्लाह की क़सम उस समय ऐसा लग रहा था कि मिश्कीज़ा पहले से अधिक भरा हुआ है। फिर नबी करीम (सल्ल.) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़रमाया कि इस औरत के लिये कुछ एकत्र करो। अतः उन्होंने उसके लिए 'अजवा' खजूर आटा और सत्तू एकत्र किया। उन्होंने खाने का सामान एकत्र किया। उसे एक कपड़े में बांधा और फिर उसके ऊँट पर रख दिया और कपड़ा उसके सामने रख दिया नबी करीम (सल्ल.) ने उससे कहा कि तुम देख रही होगी कि हम लोगों ने तुम्हारे पानी में कुछ भी कमी नहीं की। हमें तो अल्लाह ने पिलाया है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

क़ैदियों के साथ :

हज़रत अयास बिन सलमा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मुझसे मेरे पिता ने कहा कि हम लोगों ने फ़ुजारा नामक क़बीले से जेहाद किया। उस युद्ध में नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र को हमारा अमीर बनाया था। जब हमारे और पानी के बीच एक घण्टे की दूरी रह गई तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने इन लोगों को पड़ाव डालने का आदेश दिया। अतः हम लोगों ने पड़ाव डाल दिया। फिर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने आक्रमण किया और पानी तक पहुंच गये। बहुत से लोग क़त्ल हुए और बहुत से लोग गिरफ़्तार किये गये। मुझे लोगों का एक गिरोह दिखाई दिया जिसमें बच्चे भी थे। मुझे ये डर लगा कि ये लोग मुझसे पहले पहाड़ पर न पहुंच जायें। अतः मैंने उन लोगों और पहाड़ के बीच एक तीर फेंका। जब उन लोगों ने तीर देखा तो रूक गये। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उनके पास आया उन लोगों के साथ फ़ुजारा क़बीले की एक औरत भी थी जो बहुत पुराना सा कपड़ा पहने हुए थी। उसके

साथ उसकी एक सुन्दर लड़की भी थी। मैं उन सबको लेकर हज़रत अबू बक्र के पास आया, हज़रत अबू बक्र ने उसकी बेटी को मुझे दे दिया................। (मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने ख़ैबर पर आक्रमण किया........। वह कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत कठिनाई से ख़ैबर पर अधिकार प्राप्त किया उसके बाद सब क़ैदी एकत्र किये गये। फिर हज़रत दहया (रज़ि.) आये। और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क़ैदियों में से मुझे एक दासी प्रदान कीजिये। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया जाओ, जाकर एक दासी ले लो। उन्होंने सफ़िया बिन्ते हुयई को ले लिया। एक व्यक्ति नबी करीम (सल्ल.) के पास आया और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हज़रत दहया को सफ़िया बिन्ते हुयई प्रदान कर दी है। हालांकि वह बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर की सरदार महिला है। वह तो केवल आप ही के योग्य है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया हदया को उनके साथ बुलाओ, वह सफिया को लेकर आये। जब नबी करीम (सल्ल.) ने उनको देखा तो कहा तुम दासियों में से इनके अतिरिक्त कोई और ले लो। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि फ़िर नबी (सल्ल.) ने उनको स्वतन्त्र कर दिया और इसके बाद उनसे निकाह कर लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उपहार देते समयः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक यहूदी औरत नबी (सल्ल.) के पास एक ज़हर से भीनी बकरी लेकर आई। आप (सल्ल.) ने उसे खाया, फिर उस यहूदी औरत को लाया गया लोगों ने पूछा क्या हम इसे क़त्ल न कर दें? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया नहीं। मैंने नबी (सल्ल.) की मुबारक ज़बान पर उसका प्रभाव सदैव महसूस किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अध्याय–6

नबवी युग में व्यावसायिक कामों में मुसलमान महिला की भागीदारी की घटनाएं और उस भागीदारी के सम्बन्ध में शरई हिदायतें :

मुसलमान महिला अल्लाह की किताब और नबी (सल्ल.) की सुन्नत की रोशनी में जीवन यापन करती है। हम इस जगह औरत के व्यावसायिक कार्यों के सम्बन्ध में जो घटनाएं नक़ल करेंगे वह क़ुरआन करीम और नबी (सल्ल.) की हदीसेां से ली जायेंगी।

तमाम नबियों और नबी (सल्ल.) के युगों में औरत के व्यावसायिक कामों की घटनाओ पर नज़र डाली जाये तो मालूम होता है कि औरत के व्यावसायिक कामों के बारे में अल्लाह ने जो हिदायते दी हैं। यह घटनाएं उसके प्रयोग के विभिन्न रूपों की मिसालें हैं। अल्लाह की बुनियादी हिदायत की रोशनी में प्रयोग का मैदान हमारे दौर में बल्कि हर दौर में विस्तृत रहेगा और हर ज़माने के हालात के अनुसार उसके रूप बदलते रहेंगे।

इस भाग के अध्ययन के दौरान ऐसी घटनाएं भी निगाहों के सामने आयेंगी जिनमें औरत के अपनी इच्छा से काम करने का उल्लेख है। चूंकि शरीअत ने इस तरह के कामों में मर्द औरत की मुलाक़ात को वैध ठहराया है। अतः इससे कोई अन्तर नहीं होता कि जो काम किया जा रहा है उसकी मज़दूरी दी जा रही है या स्वेच्छा से किया जा रहा है। इस समय मेरे विचार में महत्वपूर्ण बात यह सिद्ध करना है कि आवश्यकता के अनुसार मर्द औरत की मुलाक़ात वैध है निम्न में हम उन मैदानों का बयान करेंगे जिनमें नबवी युग में औरत ने काम किया है।

बदला लेकर दूध पिलाना या पालन पोषण करना :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैं उनको (इद्दत के समय) उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो। जैसी कुछ भी जगह तुम्हें उपलब्ध हो। और कष्ट देने के लिए उन्हें न सताओ और यदि वह गर्भवती हों तो उन पर उस समय तक ख़र्च करो जब तक प्रसव न हो जाये। फिर यदि वह तुम्हारे लिये बच्चे को दूध पिलायें तो उनकी मज़दूरी उन्हें दो। भले तरीक़े से, मज़दूरी का मामला आपस में बातचीत के माध्यम से तय कर लो। लेकिन यदि तुमने मज़दूरी तय करने में एक दूसरे को परेशान किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। (सूरह तलाकः6)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया आज रात मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ है मैंने उसका नाम अपने बाप के नाम पर इब्राहीम रखा

है। फिर आपने उस बच्चे को उम्मे सैफ़ के हवाले कर दिया। जो अबू सैफ़ नामी एक लोहार की बीवी थीं। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अनस से नक़ल किया गया है। वह कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल.) से अधिक अपने परिवार पर दया करने वाला किसी को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इब्राहीम को मदीने के किनारे रहने वाली एक महिला दूध पिलाया करती थी। नबी (सल्ल.) वहां जाया करते, हम भी आपके साथ होते, आप उस घर में प्रवेश करते हालांकि उसमें धुआं बहुत होता था क्योंकि उस दाई का पति लोहार था। फिर नबी (सल्ल.) बच्चे को प्यार करते और वापस आ जाते। (मुस्लिम)

मवेशी चराना :

हज़रत मुआविया बिन हकीम कहते हैं मेरी एक दासी थी जो उहद और जवानीयः के पास मेरी बकरियों को चराया करती थी एक दिन मुझे पता चला कि भेड़िया मेरी एक बकरी उठा कर ले गया है। मैं भी एक इन्सान ही हूं। अतः मुझे इन्सान होने के कारण बहुत दुःख हुआ और मैंने अपनी दासी को बहुत मारा। जब मैं नबी (सल्ल.) के पास आया तो आपने(सल्ल.) मुझे इस पर बहुत कठोर बातें कहीं, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं उस दासी को आज़ाद न कर दूं, आपने फ़रमाया उसे मेरे पास लाओ। अतः मैं उसे आपके पास ले गया।

आपने उससे पूछा अल्लाह कहां है उसने जवाब दिया आसमान में, आपने पूछा मैं कौन हूं, उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि इसे आज़ाद कर दो। क्योंकि यह मोमिन महिला है।

(मुस्लिम)

हज़रत सअद बिन मुआ़ज़ फ़रमाते हैं कि कअ़ब बिन मालिक की एक दासी 'सिलअ' नामी पहाड़ी पर बकरियां चराया करती थी। एक बार एक बकरी घायल हो गई उसने उसे पत्थर से ज़बह कर किया नबी (सल्ल.) से इसके बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि उसे खा लो। (बुख़ारी)

जिस हदीस में इस बात का बयान है कि हज़रत मैनूना ने अपनी दासी को आज़ाद किया था उसकी व्याख्या करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हज़र कहते हैं। नसई की रिवायत में है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया तुमने उसे अपने भाई की बेटी को क्यों नहीं दे दिया। वह उसकी बकरियां चरा दिया करती।

खेती और पौधे लगाना :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुलाह फ़रमाते हैं कि मेरी ख़ाला को तला़क हो गई। उन्होंने चाहा कि वह अपने बाग़ में जाकर फल एकत्र करें। एक मर्द ने उन्हें घर से निकलने पर डांटा, वह नबी करीम (सल्ल.) के पास आ गई (और आप (सल्ल.) से इस बारे में पूछा) तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम बाग़ में जाकर फल एकत्र करो क्योंकि हो सकता है कि तुम उसमें से कुछ सदक़ा कर दो। या कोई दूसरा भलाई का काम करो। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) उम्मे मुबश्शिर अन्सारिया के पास उनके बाग़ में गये। आपने उनसे पूछा खजूर का यह बाग़ किसने लगाया है किसी मुसलमान ने या काफ़िर ने उन्होंने उत्तर दिया कि एक मुसलमान ने इसे लगाया है। आपने फ़रमाया एक मुसलमान जो बाग़ लगाता है या पौधा लगाता है। फिर उसके माध्यम से इन्सान या जानवर खाते हैं तो इस पर उस मुसलमान को सदक़ा करने का सवाब मिलता हैं। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुमैद साअ़दी फरमाते हैं कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ तबूक के युद्ध में सम्मिलित थे। जब हम कुराअ की घाटी में पहुंचे तो हमने देखा कि एक औरत अपने बाग़ में है। नबी (सल्ल.) ने अपने साथियों से कहा। अनुमान लगाओ कि इस बाग़ में कितने फल आयेंगे। स्वयं नबी (सल्ल.) ने यह अनुमान लगाया कि इस बाग़ में दस 'वसक़' फल आयेंगे, इसके बाद आपने उस औरत से कहा। इस बाग़ में जितने फल आये उन्हें गिन लेना जब हम लोग तबूक पहुंचे तो आपने फ़रमाया। सुनों आज रात बहुत तेज़ हवा चलेगी। अतः कोई खड़ा न रहे और जिस किसी के पास ऊँट हो वह उसे बांध दे। अतः हम लोग ने अपने ऊँट बांध दिये, रात में बहुत तेज़ हवा चली, एक व्यक्ति खड़ा रह गया। हवा उसे उड़ाकर 'तई' नामक पहाड़ पर ले गई। ऐला के बादशाह ने नबी (सल्ल.) को एक सफ़ेद ख़च्चर भेंट किया। वापसी में जब आप कुराअ की घाटी पहुंचे तो औरत से पूछा तुम्हारे बाग़ में कितने फल आये। उसने उत्तर दिया दिया नबी (सल्ल.) के अनुमान के अनुसार दस वसक़ फल आये हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

घरेलू व्यवसाय :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी हज़रत ज़ैनब फ़रमाती हैं कि मैं मस्जिद में थी मैंने देखा कि नबी (सल्ल.) फ़रमा रहे थे ऐ औरतों सदक़ा करो। चाहे तुम्हें अपना गहना ही क्यों न सदक़ा करना पडे, हज़रत ज़ैनब, हज़रत अब्दुल्लाह और अपने पालन पोषण में रहने वाले कुछ यतीमों पर ख़र्च किया करती थीं उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से कहा कि आप नबी (सल्ल.) से कहिये कि यदि मैं आपके ऊपर और अपने पालन पोषण में रहने वाले यतीमों पर ख़र्च करती हूं तो क्या मेरी तरफ़ से पर्याप्त होगा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इब्ने माजा की एक रिवायत में आया है कि हज़रत ज़ैनब अपने हाथ से विभिन्न चीज़ें बनाया करती थीं। अत्तबक़ातुल कुब्रा में लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की बीवी अपने हाथ से विभिन चीजें बनाया करती थीं। उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने हाथों से चीज़ें बनाती हूं फिर उन्हें बेचती हूं। मेरे पास और मेरे पति व बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे इन लोगों पर ख़र्च करने के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया कि तुम उन लोगों पर जो कुछ ख़र्च करोगी तुम्हें उसका बदला मिलेगा।

हज़रत सअ़द बिन सहल फ़रमाते हैं कि एक औरत एक 'बुर्दा' लेकर आई, हज़रत सअ़द ने पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि बुर्दा क्या है। लोगों ने कहा 'हां' यह एक

ऐसी चादर है जिसके किनारे बूटियां बनी होती हैं। उस औरत ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने यह चादर अपने हाथों से बनाई है। (बुख़ारी)

घरेलू व्यवसाय और काम काज़ के बारे में मुझे एक घटना याद आ रही है जो अत्तबक़ातुल कुब्रा में बयान की गई है। यह घटना घरेलू तिजारत के बारे में है। अबू उबैदा बिन मुहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर ने रिवायत की है कि रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ अफ़राअ ने कहा। मैं हज़रत उमर के ज़माने में अन्सार की कुछ औरतों के साथ अबू जहल की माँ के पास गई। उनके बेटे, अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ यमन से उनको सुगन्ध (इत्र) भेजा करते थे। वह उसे बेचती थीं। हम उनसे इत्र खरीदते थे जब उन्होंने मेरी शीशी में इत्र डाला और उसे तौला, जैसे कि उन्होंने मेरी साथी महिलाओं के लिए इत्र तौला था। उस समय उन्होंने कहा तुम लोगों पर मेरा जो अधिकार बनता है उसे लिख दो। मैंने कहा ठीक है। मैं लिखती हूं कि इसका रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ के ऊपर अधिकार है। अबू जहल की माँ ने कहा तुम पीछे हटो, क्योंकि तुम तो इसके पति के क़ातिल की बेटी हो (रूबैअ़ के पिता ने बद्र की लड़ाई में अबू जहल के क़त्ल में साथ दिया था) मैंने कहा ऐसा नहीं है। बल्कि मैं इसके बेटे के क़ातिल की बेटी हूं अबू जहल की माँ ने कहा अल्लाह की क़सम अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेचूंगी, मैंने कहा अल्लाह की क़सम अब मैं कभी भी तुम से कोई चीज़ नहीं खरीदूंगी........ ऐ बेटे अल्लाह की क़सम मैंने इससे अच्छी सुगन्ध कभी नहीं सूंघी बस मैं क्रोधित हो गई थीं।

किसी व्यवसाय का प्रबन्धन करना :

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी महिला ने नबी (सल्ल.) से कहा मेरे पास एक दास है जो बढ़ई है एक रिवायत में है। उस महिला ने अपने दास को एक मिम्बर बनाने का आदेश दिया अतः उसने लकड़ी का एक मिम्बर बनाया।

(बुख़ारी)

यहां इस बात की याद दिहानी उपयुक्त हैं कि महान महिला उम्मे शरीक़ अपने घर को मेहमानों के लिए खुला रखती थीं। उनके पास मुहाजिर लोग ठहरा करते थे यह काम एक गेस्ट हाउस चलाने जैसा है। वह ये काम अपनी इच्छा से किया करती थीं।

(देखिये सामाजिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी)

बीमारों का इलाज :

(क) बीमारों को दवा देना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि ख़न्दक़ के दिन हज़रत सअद घायल हो गये। क़ुरैश के एक व्यक्ति हिब्बान बिन अ़रफा ने जिसका सम्बन्ध बनू मुऐस बिन आमिर बिन लवी से था। उनकी बांह की नस में तीर मार दिया था। नबी (सल्ल.) ने उनके लिये मस्जिद में एक ख़ेमा लगवाया ताकि आप निकट से उनकी देख रेख कर सकें। मस्जिद

में मौजूद बनू ग़िफार के लोग, उस वक़्त घबरा उठे जब उन्होने अपनी तरफ़ बहकर आता हुआ ख़ून देखा। उन लोगों ने कहा। ऐ ख़ेमे वालों, यह कैसा ख़ून तुम्हारी तरफ़ से हमारी तरफ़ आ रहा है। देखा तो हज़रत सअद के घाव से ख़ून निकल रहा था उस घाव को सहन न करके उनकी मौत हो गई अल्लाह उनसे राज़ी(खुश) हो। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर बनू ग़िफ़ार के ख़ेमे के सिलसिले में लिखते हैं कि यह बात पहले गुज़र चुकी है कि इब्ने इसहाक़ ने लिखा कि यह ख़ेमा रफ़ीदा असलमीया का था। हो सकता है कि उनके पति क़बीला गिफ़ार के हों। नबी (सल्ल.) ने हज़रत सअ़द को मस्जिद के पास मौजूद रफ़ीदा के ख़ेमे में रखा। वह घायलों का इलाज किया करती थी आपने फ़रमाया कि इन्हें रफ़ीदा के ख़ेमे में ले जाओ ताकि मैं निकट से इनको देख सकूं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) उम्मे अतीया की हदीस ''हम लोग बीमारों की देखभाल और घायलों का इलाज किया करते थे'' की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं कि इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। उनमें से एक यह है कि औरत अजनबी मर्दों का इलाज कर सकती है। जैसे दवा लाना बिना छूए इलाज करना आदि और छूना केवल उसी स्थित में वैध है जब कि इसकी आवश्यकता हो। और किसी भी तरह के फ़ित्ने में पड़ने का डर न हो।

(ख) झाड़ फूंक के माध्यम से इलाजः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने अन्सार के एक घराने को बुख़ार में झाड़–फूंक करने की अनुमति दे दी थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कई सहीह हदीसों में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को चर्म रोग हो गया। उससे बताया गया कि वह शिफ़ा बिन्ते अब्दुल्लाह के पास जाये। वह चर्म रोग की बीमारी में झाड़ फूंक करती हैं। वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे झाड़–फूंक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम जबसे मैंने, इस्लाम स्वीकार किया है झाड़–फूंक नहीं किया है। वह अन्सारी व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास गया और आप (सल्ल.) को शिफा की बात दोहरा दी आप (सल्ल.) ने शिफ़ा को बुला भेजा और उनसे कहा। मुझे अपने झाड़–फूंक के बारे में बताओ, उन्होंने आप (सल्ल.) को बता दिया। आप (सल्ल.) ने उनसे कहा कि तुम इसको चर्म रोग में झाड़–फूंक करो। और उसे हफ़्सा को भी सिखा दो। जैसा कि तुमने उसे लिखना सिखाया था। (हाकिम)

सशस्त्र सेना को अपनी सेवाएं प्रस्तुत करनाः

हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअ़व्विज़ (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम लोग नबी करीम (सल्ल.) के साथ युद्ध में भाग लिया करते थे। हम लोग मुजाहिदों को पानी पिलाते थे। उनकी सेवा करते थे और घायलों,शहीदों को मदीना वापस भेजा करते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं। मैं नबी करीम (सल्ल.) के साथ सात युद्धो में सम्मिलित रही। मैं सहाबा के ख़ेमों में रूक जाया करती थी और उनके लिए खाना बनाया करती थी। (मुस्लिम)

सफ़ाई सुथराई के काम :

सामाजिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी से सम्बन्धित बयान में यह बात आयेगी कि मुसलमान औरत सवाब के लिए अपनी इच्छा से मस्जिदे नबवी की सफ़ाई किया करती थी। मुसलमान औरत की तरफ़ से मस्जिदे नबवी की सफ़ाई का काम सवाब के लिए करने से यह बात सिद्ध नहीं होती कि शरीअ़त मज़दूरी लेकर इस काम को करने की अनुमति नहीं देती।

घेरलू काम काज :

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं.......... मैंने दासी को नबी करीम (सल्ल.) के पास भेजा और मैंने कहा। तुम आप (सल्ल.) के पहलू में खड़ी होकर कहना ऐ अल्लाह के रसूल, उम्मे सलमा आप (सल्ल.) से कहती हैं कि आप (अस्र के बाद) इन दो रकअतों को पढ़ने से मना किया करते थे। लेकिन मैं स्वयं आपको ही पढ़ते हुए देख रही हूं......... अतः दासी ने ऐसा ही कहा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा(रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने उनके घर में एक दासी को देखा जिसके चेहरे पर कालिमा छाई हुई थी आप (सल्ल.) ने फ़रमाया उसका झाड़–फूंक कराओ क्योंकि इसको नज़र लग गई है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मुझसे ज़ुबैर ने शादी की उस समय उनके पास न ही माल व दौलत थी। न ही दास था। उनके पास एक पानी लाने वाला ऊँट और एक घोड़े के सिवा कुछ नहीं था। मैं उनके घोड़े को चारा दिया करती थी। पानी लाया करती थी। उनके डोल की सिलाई कर दिया करती थी और आटा गूंधती थी .... और मैं ज़ुबैर की उस ज़मीन से अपने सिर पर गुठलियां लाया करती थी जो उन्हें नबी करीम(सल्ल.)ने दी थी। यह ज़मीन मेरे घर से एक फरसख़ के दो–तिहाई दूरी पर थी................ फिर अबू बक्र ने मेरे पास एक सेवक भेज दिया जो घोड़े से सम्बन्धित सारे काम देख लिया करता था। इस तरह हज़रत अबू बक्र ने मुझे आज़ाद कर दिया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि चबूतरा वाले फकीर (निर्धन) लोग थे। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति के पास दो लोगों का खाना हो वह तीसरे को भी लेकर जाये और जिसके पास चार लोगों का खाना हो वह पांच या छः लोगों को लेकर जाये। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) तीन लोगों को लेकर गये। नबी करीम (सल्ल.) दस लोगों को लेकर गये। अब्दुरहमान(रज़ि.) कहते हैं। वह मैं था। मेरे माँ बाप थे

मेरी बीवी थी और एक सेवक था जो मेरे और हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के घर का साझे का आदमी था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मुआविया बिन सुवैद कहते हैं कि मैंने अपने एक दास को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद में भाग खड़ा हुआ। फिर मैं ज़ुहर से पहले आया और मैंने अपने पिता के पीछे नमाज़ पढ़ी मेरे पिता ने दास को बुलाया और दास से कहा कि इससे बदला ले लो। लेकिन उसने क्षमा कर दिया। फिर मेरे पिता जी ने कहा कि नबी करीम (सल्ल.) के युग में बनू मकरन के पास केवल एक दासी थी। उसे हममें से किसी ने थप्पड़ मार दिया। यह बात नबी करीम (सल्ल.) तक पहुंची, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि इस दासी को स्वतन्त्र कर दो। लोगों ने आप (सल्ल.) से कहा कि इन लोगों के पास एक ही दासी है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ठीक है। वह उस समय तक उससे सेवा लें जब तक उन्हें उसकी आवश्यकता है जब उन्हें उसकी आवश्यकता न रहे तो आज़ाद कर दें।

औरत के व्यावसायिक कामों से सम्बन्धित कुछ नयी सामजिक प्रवृत्तियां :

प्रथमः शिक्षा में अधिक विकास हुआ है उसके विभिन्न चरण हो गये हैं और इसके कारण औरत विभिन्न व्यावसायिक काम और नौकरी करने के योग्य हो गई है।

द्वितीय : चिकित्सकीय सेवाओं में अधिक विकास हुआ है और वह मर्दों औरतों प्रत्येक के लिए सामान्य हो गई है। इस स्थिति और पहली स्थिति दोनों ही ने इस दिशा में ध्यान आकर्षित कराया है कि समाज को इस बात की आवश्यकता है कि कुछ मैदानों में औरतें काम करें जैसे शिक्षा देना, चिकित्सा सेवा और नर्सिंग आदि।

तृतीय : यातायात साधन विशेष रूप से वायुयान सेवा में बहुत विकास हुआ है। अतः इसकी आवश्यकता है कि कुछ एयर होस्टेस हों जो आवश्यकता के समय औरत की सहायता कर सकें और उन्हें सेवायें प्रदान कर सकें।

चतुर्थ : औरतों के परिधानों और उनकी वस्तुओं में अधिक विकास हुआ है। इसकी मांग है कि क्रय–विक्रय के मैदान में कुछ महिलाए भी काम करें।

पंचम : मर्द व्यस्क होने पर काफ़ी दिनों बाद ही आर्थिक रूप से इस तरह स्वावलम्बी हो पाता है कि वह शादी कर सके। इसके कारण नौजवानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः एक नौजवान मर्द को इस बात की आवश्यकता रहती है। कि उसकी पत्नी नौकरी करके

आर्थिक रूप से उसका साथ दे ताकि वे दोनों मिलकर तेज़ी के साथ दाम्पत्य जीवन को स्थायी बना सकें।

छठा : पहले संयुक्त परिवार के प्रचलन के कारण बेटे और बेटियां शादी के बाद भी एक ही घर में एक साथ रहा करते थे। लेकिन अब मर्द को अधिक आमदनी की आवश्यकता होती है ताकि वह एक नये छोटे परिवार को स्थायी बना सके। इस

स्थायित्व के प्रयास में औरत को अपने पति का साथ देना चाहिये। इसी तरह ऐसी परिस्थिति में, जब औरत को तलाक़ हो जाती है या वह विधवा हो जाती है तो उसके अभिभावक उसका बोझ नहीं उठा पाते हैं। अतः वह जीवन व्यतीत करने के लिए कहीं नौकरी करने पर मजबूर होती है।

सप्तम : कुछ मुस्लिम देशों में लोगों की आय इतनी कम होती है कि वह उनके आवश्यक ख़र्चों के लिए भी अपर्याप्त होती है,अतः ऐसी परिस्थिति में भी मर्द को आवश्यकता होती है कि उसकी पत्नी नौकरी करके आर्थिक रूप से उसका साथ दे और परिवार की मजबूती में उसकी सहायता करे।

अष्टम : जीवन के सभी मैदानों में, चाहे उसका सम्बन्ध उद्योग व व्यापार से हो या शिक्षा और चिकित्सा से हो या सेवाओं के किसी भी मैदान से हो। मात्र बड़ी संस्थाओं का एकाधिकर है। हालांकि पहले बहुत से काम ऐसे थे जिन्हें अकेला एक व्यक्ति कर लिया करता था और बहुत से काम ऐसे थे जो घर के अन्दर किये जा सकते थे। जैसे कपड़े बुनना, तरह–तरह के खाने पकाना, चमड़े को रंगना, शिक्षा व चिकित्सा आदि, लेकिन चूंकि अब उन कामों पर भी बड़ी–बड़ी संस्थाओं का एकाधिकार है। अतः औरत को नौकरी के लिए मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा। हालांकि पहले वह अपने घर में रहते हुए कुछ काम भी कर लेती थी और साथ ही साथ घर और बच्चों की देख भाल भी कर लिया करती थी।

नवां : औरत के विभिन्न हालात और घर से जुड़ी उसकी मौलिक

आवश्यकताओं के अनुसार नये समाज को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसी औरतों की संख्या को बढ़ाया जाये। जिनके अन्दर नौकरी करने की क्षमता हो। इस आवश्यकता के महसूस किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:

क–कुछ औरतें काम के निर्धारित समय में केवल आधा समय देती हैं

ख– प्रसव और पालन पोषण के अवसरों पर कुछ औरतें लम्बी–लम्बी छुट्टियां लेती हैं।

ग– घरेलू जीवन में परेशानियों और दबाव के प्रभाव से बहुत सी औरतें सिरे से काम ही छोड़ देती हैं।

वर्तमान युग में औरत के व्यावसायिक कामों से सम्बन्धित शरई निर्देश :

एक आवश्यक भूमिका :

औरत के व्यावसायिक कामों से जुड़े शरई निर्देशों की पड़ताल करने से पहले मैं दो महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रथम, वर्तमान युग में प्रचलित ग़लत और निराधार दावे। द्वितीय औरत की नौकरी और व्यावसायिक कामों के सिलसिले में मार्ग। दर्शन के लिए वांछित बौद्धिक चर्चा और शोध।

प्रथम : औरत की नौकरी व व्यावसायिक कामों से सम्बन्धित तमाम उन ग़लत और निराधार बातों और दावों को रद्द करना चाहिए जो पश्चिम से प्रभावित लोग किया करते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि विवाहित औरत को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और स्वाबलंम्बी होना चाहिए ताकि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छा की मालिक हो। इस तरह की बातें और दावों से वह बात ही धराशायी हो जाती है जिस पर परिवार खड़ा होता है। यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वतन्त्र कर दिया जाये और उनमें आपसी झगड़ा हो जाये। तो परिवार स्थायी नहीं रह सकता। इसी तरह यह दावा भी किया जाता है कि नौकरी औरत के लिए इसलिए भी अनिवार्य है ताकि वह अपने व्यक्तित्व को पा सके और उसका विकास कर सके। लोगों का यह दावा भी ग़लत है। क्योंकि औरत अपने घर में घरेलू काम करते हुए भी अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह पा सकती है और इसके साथ–साथ वह सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकती है और यदि इसके साथ–साथ किसी औरत को नौकरी करने का अवसर भी मिल जाता है तो उसे और भी लाभदायक अनुभव प्राप्त होते हैं।

उन लोगों का खण्डन भी अनिवार्य है जो यह दावा करते है कि औरत का नौकरी करना अवैध है। केवल आवश्यकता के समय ही औरत के लिए नौकारी वैध है क्योंकि आवश्यकता अवैध चीज़ों को भी वैध कर देती है''। इस कथन के अनुसार आवश्यकता के समय औरत का नौकरी करना और मरने के डर से मुरदार खाना दोनों एक ही श्रेणी में हो जाता है। मुझे पता नहीं कि इस विचार का चलन कहां से हुआ। औरत का घर से जुड़े रहना एक सामाजिक मामला है जिसके रूप औरत और समाज की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यहां कोई धार्मिक आदेश नहीं है जिसके बारे में अल्लाह की ओर से कोई आदेश हो।

द्वितीय : वर्तमान समाज में शरीअत की सीमाओं में रहते हुए औरत की नौकरी और व्यावसायिक कामों को एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। जिसके प्रभाव बहुत से सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर पड़ रहे हैं। विशेष रूप से परिवार पर ये प्रभाव पड़ रहे हैं जो कि समाज का मूल और आधार है। यदि हम चाहते हैं कि औरत का नौकरी करना, उचित सीमाओं में विकास करे। हम उसके अच्छे और लाभदायक प्रभाव से लाभान्वित हों और बुरे व हानिकारक प्रभावों से सुरिक्षत रहें तो उसके लिए अनिवार्य है कि इसकी तुलना में तरबियती, सामाजिक वित्तीय और संगठनात्मक मैदानों में भी उसी तरह विकास होता रहे ताकि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य और आपसी सहयोग और प्रभाव पैदा हो सके।

हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह निःस्वार्थ शोधकर्त्ताओं को स्तरीय शोध व अध्ययन की क्षमता प्रदान करे। इस शोध व अध्ययन का प्रारम्भ यहां से हो कि उम्र के विभिन्न चरणों में मर्द औरत के बीच अन्तर का विभिन्न पहलुओं से पता लगाया जाये,फिर यह देखा जाये कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के क्या तरीक़े होने चाहिऐ और इसके बाद लड़के व लड़की के सभी मैदानों में विकास की योजना बनाने के लिए यह शोध व

अध्ययन एक प्राकृतिक और अनिवार्य चीज़ है। यदि इन सारी बातों पर अमल हो जाता है तो हमें आशा है कि हमारा समाज रोशनी व मार्ग के प्रकाश में विकास करेगा।

शरीअ़त के महत्वपूर्ण निर्देश

पहला निर्देश : औरत को उचित शिक्षा इस तरह देनी चाहिए कि इस्लामी तरबियत(प्रशिक्षण) के सामान्य उद्देश्यों के साथ–साथ दो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हो जायें। प्रथम औरत को इस योग्य बना देना कि वह अपने घर और बच्चों की उचित ढंग से देख–भाल कर सके और शादी के समय अपने कर्तव्यों का उच्छी तरह निर्वाह कर सके। नबी करीम (सल्ल.) का इरशाद हैं ''औरत अपने पति के घर वालों और उसके बच्चों की अभिभावक होती है। उससे उनके बारे में पूछा जायेगा।

द्वितीय : औरत को इस योग्य बना देना कि वह आवश्यकता पड़ने पर पूरी योग्यता के साथ उचित नौकरी कर सके। चाहे यह आवश्यकता व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो।

हज़रत अबू बुरदः अपने पिता से नक़ल करते हैं कि उन्होंने कहा कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति के पास भी दासी हो। फिर वह उसे शिक्षा दे और अच्छी शिक्षा दे। उसे आचरण सिखाये, और अच्छी तरह से आचरण सिखाये, फिर उसे आज़ाद कर दे और उससे शादी कर ले तो उसे दो गुना इनाम मिलेगा। (बुख़ारी)

जब दासी की शिक्षा और तरबियत के बारे में शरीअत का यह आदेश है तो बेटी की शिक्षा व तरबियत का महत्व तो अधिक बढ़ जाता है।

हज़रत आयशा : (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां थीं। उसने मुझसे कुछ मांगा, उस समय मेरे पास एक खजूर के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मैंने वह खजूर उसे दे दिया। उसने उसके दो टुकड़े करके अपनी बेटियों को दे दिया। फिर वह चली गई। जब उनके पास नबी करीम (सल्ल.) आये तो उन्होंने आप (सल्ल.) से यह घटना बयान की। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, जो इन ल़ड़कियों के माध्यम से परीक्षा में डाला जाये। फिर वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो यह बच्चियां उसे जहन्नम की आग से बचाने का माध्यम होंगी। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने हज़रत आयशा (रज़ि.) की इस हदीस की व्याख्या करते हुए 'बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार करने से सम्बन्धित बहुत सी हदीसें विभिन्न प्रमाणों (सनदों) से बयान की हैं। वह ये हैं ''फिर वह उन पर ख़र्च करे। उनकी शादियां करे और उनको अच्छा आचरण सिखाये। ''.......... ''उनके साथ अच्छी तरह से रहे और उनके बारे में अल्लाह से ड़रे,..............''। '' उनको आचरण सिखाये, उनके साथ दया का व्यवहार करे। इसके बाद हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इन सभी विशेषताओं के लिये 'एहसान' शब्द है जिसका उल्लेख हज़रत आयशा (रज़ि.) की हदीस में है।

यहां पर हम दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ़ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैंः

प्रथम : हदीस में आया हुआ शब्द ''एहसान'' से हमें यह पता चलता है कि बेटी के साथ एहसान अर्थात भलाई और अच्छा व्यवहार का कर्त्तव्य उस समय पूरा होगा जब उसे अच्छे आचरण उच्च मूल्यों और लाभदायक शिक्षा से लाभ उठाने के सभी अवसर

उपलब्ध किये जायें। यद्यपि आचरण और उच्च मूल्य सदैव सामान्य हैं लेकिन लाभदायक शिक्षा का रूप प्रत्येक युग और स्थान पर बदलता रहता है। महत्व इस बात को प्राप्त है कि लड़की को इस योग्य बना दिया जाये कि शादी के समय अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह कर सके।

द्वितीय : वह औरत जिसका उल्लेख हज़रत आयशा की हदीस में है। यदि व्यवसाय करे और हलाल कमाई से स्वयं को और अपनी बच्चियों को खिलाने में सक्षम होती तो वह अधिक प्रतिष्ठित होती और वह अपनी बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकती, लेकिन व्यवसाय करने की क्षमता न होने के कारण उसे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा और सदक़ा का माल खाना पड़ा हालांकि सदक़ा के बारे में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ''यह लोगों का मैल कुचैल है''। (मुस्लिम)

वर्तमान काल में औरत को नौकरी करने के योग्य बनाना, इस लिये भी अनिवार्य है क्योंकि यदि वह तलाक़शुदा या बेवा हो जाती है तो उसके अभिभावक उसकी और उसके बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते। इब्ने आबिदीन ने क्या ही अच्छा कहा है कि ''बाप को चाहिये कि वह अपनी बेटी को ऐसी औरत के हवाले करे जो उसे विभिन्न कलाओं जैसे कढ़ाई, सिलाई आदि सिखाये'' ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयं जीविका प्राप्त कर सके। ये सारी बातें जो हमने बयान की हैं। हज़रत आयशा (रज़ि.) की हदीस में आने वाले शब्द 'एहसान' के अन्तर्गत आती हैं।

हमारा प्रस्ताव यह है कि शिक्षा पद्धति तीन बिन्दुओं पर आधारित होनी चाहिए। प्रथमः किसी एक व्यवसाय का वैचारिक अध्ययन

द्वितीय : व्यवसाय का व्यवहारिक अभ्यासछात्रा को अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिये। ताकि यदि किसी तरह की नौकरी करने से पहले ही उसकी शादी हो जाये तो वह उस प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण बाद में आवश्यकता पड़ने पर अच्छी तरह से नौकरी का दायित्व पूरा कर सके।

तृतीय : औरत के नौकरी करने से सम्बन्धित शरीअ़त के निर्देशो का अध्ययन, मौलिक शिक्षा के साथ–साथ ये चीज़ें होनी चाहिए।

दूसरा निर्देश :

औरत को अपने पूरे समय का उचित उपयोग करना चाहिए और उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उसे समाज का एक लाभदायक हिस्सा बनना चाहिये। घरेलू काम–काज पूरा करने के बाद जो समय बचे उसे किसी लाभदायक काम में प्रयोग करना चाहिए। वह चाहे तो उस समय में कोई नौकरी कर ले या कोई दूसरा लाभदायक काम करे। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः 'जो व्यक्ति भी अच्छे काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत शर्त यह है कि वह मोमिन हो। उसे हम संसार में पवित्र जीवन प्रदान करेंगे और (आख़िरत में) ऐसे व्यक्तियों को उनका बदला उनके अच्छे कर्मों के अनुकूल प्रदान करेंगे'' (सूरह नहलः 97)

इस आयत में संक्षेप में यह बताया गया है कि प्रत्येक मर्द औरत को क़यामत के दिन उसके अच्छे कर्म का बदला दिया जायेगा, एक हदीस में, हम इन्सानों को यह निर्देश दिया गया है कि हम अपनी आयु अच्छी तरह व्यतीत करें। इस हदीस में समय को नष्ट करने और बुरे कामों में अपनी आयु व्यतीत करने पर कड़ी चेतावनी दी गई है एक–एक मिनट के प्रयोग और छोटे–छोटे काम(अच्छा हो या बुरा) का हिसाब लिया जायेगा।

हज़रत अबू बरज़ा फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि (क़यामत के दिन) किसी भी बन्दे का पैर उस समय तक अपनी जगह से नहीं हटेगा, जब तक कि उससे यह न पूछ लिया जाये कि उसने अपनी उम्र कहां गुज़ारी, उसने क्या काम किया। कहां से माल कमाया और कहां ख़र्च किया और अपने शरीर का कहां प्रयोग किया। (तिर्मिज़ी)

तीसरा निर्देश

पति का दायित्व यह है कि वह अपनी पत्नी पर ख़र्च करे। यह एक अनिवार्य कर्त्तव्य है इस तरह पत्नी जीविका कमाने के लिये दौड़ भाग करने से बच जाती है। इसी तरह पिता का कर्त्तव्य यह है वह अपनी बेटी पर ख़र्च करे। यदि पति और पिता दोनों ही अपनी पत्नी और बेटी पर ख़र्च करने में अक्षम हों या उन दोनों की मौत हो जाये और उनके संम्पति में कुछ भी न हो तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उन औरतों पर ख़र्च करे।

ख़र्च करने के सम्बन्ध में पति का दायित्व :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस लिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर वरीयता दी है और इसलिए की मर्द अपने माल ख़र्च करते हैं।. ....(सूरह निसा–34)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया.... ...... और औरतों का तुम पर अधिकार यह है कि तुम उन्हें भले तरीक़े से खिलाओ और पहनाओ................। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अबू सुफ़ियान एक कजूंस आदमी हैं वह मुझे और मेरे बच्चों को हमारी आवश्यकता के अनुसार भी पैसे नहीं देते हैं ''हां'' मैं उनकी अज्ञानता में कुछ पैसे निकाल लेती हूं, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम भले तरीक़े से अपने लिये और अपने बच्चों के लिये आवश्यकतानुसार ले लिया करो।

ख़र्च करने के सम्बन्ध में पिता का दायित्व :

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया.......... उन लोगों से शुरू करो जिनकी देख–भाल तुम्हारे ऊपर हो, औरत कहती है। या तो तुम मुझे खिलाओ या फिर मुझे तलाक़ दे दो............ और बच्चा कहता है कि आप मुझे खिलाइये, आप मुझे किस के हवाले कर रहे हैं?

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि यह वाक्य ''और बच्चा कहता है आप मुझे खिलाइये, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं?'' इस बात की दलील है कि जिस लड़के

के पास माल व दौलत हो और वह कोई नौकरी करता हो तो पिता पर उसका ख़र्च अनिवार्य नहीं है।

क्योंकि वही व्यक्ति यह कह सकता है कि ''आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं, जिसकी सारी पूंजी बाप की तरफ़ से प्राप्त होने वाला ख़र्च हो। जिस व्यक्ति के पास माल दौलत हो या कोई काम करता हो उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं।

ख़ैर–अल–रमली कहते हैं कि यदि कोई औरत सिलाई या कढ़ाई से कमाने लगे और उसे पिता या पति से ख़र्च लेने की आवश्यकता न रहे, तो उसे अपनी कमाई ही से अपना ख़र्च चलाना चाहिये।

ख़र्च करने के बारे में सरकार का दायित्व :

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं............ नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, मैं मोमिनों का उनके जान से अधिक अधिकारी हूं, जिस मोमिन की भी मौत हो और उस पर क़र्ज़ हो तो उसके क़र्ज़ को अदा करना मेरा कर्त्तव्य है और यदि वह माल छोड़कर मरे तो वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए होगा। एक रिवायत में है। जो कोई बोझ छोड़कर मरे तो उसका पूरा करना मेरा कत्तर्व्य है। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र कहते हैं। ''अलबाबुन्नफ़क़ात (ख़र्चे के अध्याय) में इस हदीस को बयान करके लेखक इस दिशा में संकेत करना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कई बच्चे हों, फिर वह इस हालत में मरे कि उनके लिए पैतृक सम्पत्ति न छोड़े तो उनके ख़र्च मुसलमानों के बैतुल माल से पूरे किये जायेंगे।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम में से हर एक संरक्षक (निगरां) है और हर एक से उसके अधीन लोगों के बारे में पूछा जायेगा। लोगों का अमीर उनका संरक्षक है और उससे उसकी 'प्रजा' के बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी)

हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि उनके पिता ने कहा मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ बाज़ार की तरफ़ गया। रास्ते में हज़रत उमर से एक नौजवान औरत ने मुलाक़ात की और कहा। ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे छोटे–छोटे बच्चे हैं। अल्लाह की क़सम मेरे बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हज़रत उमर उसके साथ खड़े हो गये। और आगे नहीं बढ़े। फिर वह अपने एक मज़बूत ऊँट के पास आये जो उनके घर पर बंधा हुआ था फिर उस पर दो बोरे लादे, जो खाने की चीज़ों से भरे हुए थे। फिर उन दोनों बोरों के बीच ख़र्च का सामान और कपड़े रखे, फिर उसकी नकेल उस औरत के हाथ में दी और कहा इसे ले जाओ, इसके समाप्त होने से पहले तुम्हारे पास कोई भलाई पहुंच जायेगी। (बुख़ारी)

चौथा निर्देश :

मर्द को पूरे परिवार पर वरीयता प्राप्त है। अतः यदि बीवी या बेटा कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें उससे अनुमति लेनी चाहिये। अल्लाह फ़रमाता है ''मर्द औरतों पर 'क़व्वाम (सरदार) हैं'' (सूरह निसा–34)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया..... .... और मर्द अपने घर वालों का संरक्षक है उससे उनके बारे में पूछा जायेंगा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

शरीअत के अनुसार और प्रचलन के अनुसार हर तरह से मर्द को परिवार में सरदारी प्राप्त है और यदि बीवी या बेटी कोई नौकरी करना चाहती है तो उसे अपने पति या पिता से अनुमति लेना आवश्यक है लेकिन मर्द को इस पद का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे बिना किसी वैध कारण के औरत को किसी लाभदायक कर्म से न रोकना चाहिये। जो स्वयं उसके लिए और समाज के लिये लाभदायक हो। इसी तरह मर्द को यह अधिकार भी प्राप्त नहीं है कि वह आवश्यकता के बिना औरत को नौकरी के लिए मजबूर करे।

पांचवा निर्देश :

मुसलमान महिला के लिये यह बांछनीय बल्कि अनिवार्य है कि वह जल्द शादी कर ले ताकि सतीत्व की रक्षा हो सके और एक पवित्र समाज का विकास हो सके जिसके सभी व्यक्ति चाहे मर्द हो या औरत सब अच्छा स्वास्थ्य और उच्च चरित्र के वाहक हों यह बात घृणा योग्य है। बल्कि कभी–कभी हराम है कि नौकरी के कारण औरत शादी न करे। या अकारण उसमें देरी करे। और यदि नौकरी के कारण उसकी शादी की राह आसान होती हो तो उसे नौकरी करना चाहिए।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया सुन लो अल्लाह की क़सम मैं तुम सब में सबसे अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूं और रोज़ा नहीं भी रखता, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं और मैं औरतों से शादी भी करता हूं जो इस तरीक़े से हटा उसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया हम कुछ नौजवान नबी (सल्ल.) के साथ थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था आपने(सल्ल.) हमसे फ़रमाया ऐ नौजवानों तुममें से जो शादी कर सकता हो वह शादी कर ले, क्योंकि यह निगाहों को बचाकर रखने और गुप्तांगों की रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम हैं। (बुख़ारी)

औरत की शादी के आदेश के बारे में यह सन्देह है कि यह आदेश पसन्दीदा है या अनिवार्य है? लेकिन यदि नौकरी के कारण औरत की शादी न हो रही हो तो वह घृणित या हराम है।

हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से इस आयत के बारे में पूछा ''और यदि तुम्हें डर हो कि यतीमों के मामले में न्याय न कर सकोगे तो

उन औरतों से शादी कर लो जो तुम्हें पसन्द हों। तो उन्होंने उत्तर दिया ऐ भान्जे यतीम बच्ची अनेक अभिभावक के अन्तर्गत पालन पोषण में होती है। वह उसकी सुन्दरता से प्रभावित होता और उसके महर में कमी करना चाहता है इसीलिए अभिभावकों को ऐसी यतीम लडकियों से शादी करने से मना किया गया है और उनके अतिरिक्त दूसरी औरतों और लड़कियों से शादी का आदेश दिया गया। लेकिन यदि वह न्याय के साथ उनका पूरा महर अदा करें तो वह उनसे शादी कर सकते हैं। (बुख़ारी)

उपरोक्त आयत और हदीस में यतीम लड़कियों के बयान से यह संकेत मिलता है कि लड़कियों की जल्द शादी कर देनी चाहिये। फ़क़ीहों का इस मामले में मतभेद है कि क्या बालिग़ होने से पहले शादी करनी चाहिए या बालिग़ होने के बाद। सही कथन यही है कि बालिग़ होने के बाद लड़कियों की शादी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया है। ताकि उनका सतीत्व सुरिक्षत हो जाये। आपने (सल्ल.) एक बार फ़रमाया कि यदि ओसामा एक लड़की होते तो मैं उन्हें कपड़े पहनाता गहनों से सजाता और फिर उनकी शादी करता। इसलिए कहते हैं कि औरत के लिए पसन्दीदा है कि वह जल्द शादी करे। नौकरी के कारण शादी में देरी करना घृणित है। जहां तक जल्द शादी का सम्बन्ध है तो उसका भावार्थ हर ज़माने, हर माहौल, और क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। पुराने ज़माने में जल्दी शादी का अर्थ यह होता था कि बालिग़ होने के बाद तुरन्त शादी कर दी जाये लेकिन हमारा विचार है कि आज कल जल्द शादी भी बालिग़ होने के कई साल के बाद होती है और उसका स्तर भी देहात और शहर के अनुसार बदलता रहता है।

चूंकि शादी का सम्बन्ध इन्सान की प्राकृतिक आवश्यकता से है इसीलिए शरीअ्त ने शादी के सिलसिले में बहुत सारी आसानियां उपलब्ध कराई हैं। जैसे किसी मुसलमान का अपनी बेटी या बहन को किसी नेक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना या किसी मुसलमान महिला का स्वयं को किसी नेक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना, लोहे की अंगूठी और क़ुरआन की कुछ सूरतों का सिखाना, महर के रूप में स्वीकार करना आदि। आसानियों के इन रूपों की दलील के लिए परिवार से सम्बन्धित चर्चा को देखें।

शादी को आसान बनाने के सिलसिले में शरीअत देने वाले(विधाता) के तरीक़े को अपनाते हुए हमने कहा कि यदि किसी औरत की शादी करने के लिए नौकरी करनी पड़े तो उसके लिए नौकरी करना पसन्दीदा है। क्योंकि बहुत से शादी के इच्छुक मर्दों की आमदनी इतनी कम होती है कि वह एक परिवार का पोषण नहीं कर सकते। यदि लड़की के घर वाले यह समझते हैं कि उसकी शादी के लिए उसका नौकरी करना आवश्यक है तो फिर उसके लिए नौकरी करना पसन्दीदा नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यह बात शरई सिद्धान्तो के अनुसार बिल्कुल उचित है। क्योकि यह शरीअत का नियम है कि यदि किसी अनिवार्य के अस्तित्व के लिए कोई चीज़ आवश्यक हो तो वह भी अनिवार्य हो जाती है। उलमा के इज्तिहाद (शोध) के अनुसार उस व्यक्ति के लिये शादी अनिवार्य है जो यह

समझता हो कि वह शादी के बिना पवित्र नहीं रह सकता। हमारे दौर में जब कि हर तरफ़ अश्लील चीज़े मौजूद हैं हर नौजवान लड़के व लड़की की यही स्थिति है।

छठा निर्देश :

समाज की आवश्यकता और परिवार की शक्ति व क्षमता की सीमा में रहते हुए औरत को माँ बनने और बच्चे पैदा करने की इच्छा होती है। अतः नौकरी को इस सिलसिले में रूकावट नहीं बनना चाहिए अल्लाह तआला फ़रमाता हैं ''और वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे में से ही बीवियां बनाईं और उन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते प्रदान किये'' (सूरह नहलः72.)

हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ जाबिर! बच्चे की इच्छा करो! बच्चे की! (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़तहुल बारी में लिखा है। काज़ी अयाज़ कहते हैं कि उपरोक्त हदीस में आने वाला शब्द ''कैस'' का स्पष्टीकरण इमाम बुख़ारी ने यह किया हैं कि इससे तात्पर्य बच्चे और नस्ल की इच्छा करना है और यही सही बात है। 'अल–अफ़आल' के लेखक कहते हैं कि ''कास–र्रजुलु फ़ी अमले ही'' का अर्थ माहिर होने के हैं इमाम कसाई फ़रमाते हैं कि 'कासर्रजुल' का अर्थ बुद्धिमान सन्तान पैदा होने के हैं नबी (सल्ल.) ने हम सभी को सन्तान पैदा करने की इच्छा करने की प्रेरणा दी है। आपका इरशाद(कथन) है। तुम लोग प्यार करने वाली और अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। मैं तुम्हारे माध्यम से दूसरी उम्मतों पर अधिकता के सिलसिले में अभिमान करूंगा। (नसई)

सातवां निर्देश :

औरत का यह दायित्व है कि वह ख़ूब अच्छी तरह अपने घर वालों और बच्चों की देख रेख करे। नौकरी के कारण एक शादी शुदा औरत के मौलिक दायित्वों को पूरा करने में रूकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। अल्लाह तआला फ़रमाता है ''और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किये ताकि तुम उनके पास शान्ति प्राप्त करो। और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की।

(सूरह रूमः:21)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया औरत अपने पति के घर और अपने बच्चों की संरक्षक है और उससे उनके बारे में पूछा जायेगा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अरब की औरतों में सबसे बेहतर कुरैश की औरतें है क्योंकि व अपने छोटे बच्चों पर बहुत अधिक कृपालु होती हैं और पति की सम्पत्ति की बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं। (बुख़ारी)

पति–पत्नी और बच्चों, प्रत्येक को यह अधिकार प्राप्त है कि एक ऐसा अच्छा और शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें जिसमें प्रत्येक को रहने की जगह, शान्ति, आपसी सौहार्दपूर्ण

रहन–सहन और प्यारपूर्ण देखभाल प्राप्त हो, पति को घर में मानसिक शान्ति प्राप्त होनी चाहिये और उसे पत्नी की तरफ़ से प्यार मिलना चाहिये।

इसीलिये अल्लाह ने फ़रमाया है। "ताकि तुम उनके पास सन्तुष्टि और शान्ति प्राप्त करो।" इसी तरह पति को यह अवसर प्राप्त होना चाहिये कि वह बच्चों के साथ खेलकूद कर सुख प्राप्त कर सके। अतः इस तरह शान्ति व राहत व चुस्ती प्राप्त होने पर पति की काम करने की क्षमता बढ़ती है और हर मैदान में उसकी कार्य क्षमता अच्छी हो जाती है।

बीवी की जन्नत उसका घर होता है जहां वह राहत व सन्तुष्टि और चुस्ती व सुख महसूस करती है यह सुख उसे अपने पति और बच्चों के प्यार से प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। नौकरी करने की क्षमता में भी विकास होता है और नस्ल को आगे बढ़ाने की योग्यता भी बढ़ती है।

बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों में उनकी अच्छी तरह देख भाल करना माँ बाप का दायित्व है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध स्वयं पिलाये और कम से कम तीन बर्ष तक उसके पालन पोषण पर विशेष ध्यान दे। सिवाय यह कि किसी मजबूरी के कारण वह ऐसा न कर सके। इस आयु के बाद माँ–बाप दोनों को एक साथ उसकी शिक्षा व प्रशिक्षण पर, उस समय तक विशेष ध्यान देना चाहिये जब तक कि वह बालिग़ न हो जाये और उसकी समझ और चेतना विकसित न हो जायें, पालन पोषण व शिक्षा एक ऐसे माहौल में होनी चाहिये जो प्यार और अल्लाह के ड़र से भरा हुआ हो।

इस तरह घर पति पत्नी और बच्चों सब के लिए जन्नत का नमूना बन जाता है औरत की बुद्धिमानी उसके दिल दिमाग़ और काम काज के बिना इस जन्नत से लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः यदि कोई औरत नौकरी करती हो तो यह उसका दायित्व है कि वह सन्तुलन का रास्ता अपनाये और बहुत संभल कर क़दम उठाये, कहीं ऐसा न हो कि नौकरी घर वालों के कर्त्तव्यों को पूरा करने में रूकावट बन जाये। जैसे नौकरी में अपनी पदोन्नति को देखते हुए औरत उस सन्तुलित राह से हट जाये या सामयिक व्यस्तता और नौकरी की चमक–दमक से प्रभावित होकर वह अपने वास्तविक जीवन और मौलिक कार्यों से बेपरवाह हो जायें

आठवा निर्देश :

दो स्थितियों में औरत के लिए नौकरी करना अनिवार्य है।

प्रथम : यदि उसके पिता, पति या सरकार उसके भरण पोषण में असमर्थ हों तो औरत के ऊपर स्वयं अपने लिए और घर वालों के लिए नौकरी अनिवार्य है।

द्वितीय : समाज को ऐसे कार्यों की आवश्यकता हो जिनको फ़र्ज़े किफ़ाया में गिना जाता हैं हमारे कथन जिनको फ़र्ज़े किफ़ाया में गिना जाता है" का क्या अर्थ है?

अदा करने के अनुसार फ़र्ज़ की दो क़िस्में हो जाती हैं फ़र्ज़–ए–किफ़ाया,और फ़र्ज़–ए–ऐन, फ़र्ज़–ए–ऐन उसे कहते हैं जिसके अदा करने की मांग विधाता (शरीयत देने

वाले) ने मुकल्लफ़ीन (अर्थात अल्लाह के ऐसे बन्दे जिस पर अल्लाह का आदेश लागू होता है) के हर व्यक्ति से इस तरह किया हो कि उनमें से किसी एक के कर लेने से वह अमल दूसरों से टलता नहीं हैं बल्कि हर व्यक्ति को वह काम करना अनिवार्य है। जैसे ज़कात हज्ज, वादा पूरा करना, शराब जूए से बचना आदि, फर्ज़े किफाया उसे कहते हैं कि जिसको अदा करने की मांग हर व्यक्ति से न हो बल्कि कुछ लोग के अदा कर लेने से सबकी तरफ़ से अदा हो जाये और यदि उसको एक भी व्यक्ति न अदा करे तो पूरा समाज गुनहगार हो जैसे सच्चाई का आदेश देना और बुराई से रोकने का कर्त्तव्य। जनाज़े की नमाज़ डूबते व्यक्ति को बचाना, सलाम का जवाब देना आदि, ये सारे अनिवार्य आदेश ऐसे हैं जिनका होना विधाता की मांग है। उससे इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं कि इन कार्मो को कौन पूरा कर रहा है। इन्हें कोई एक व्यक्ति भी अदा कर ले तो सबकी तरफ़ से अदा हो जाता है क्योंकि इन कामों का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के करने से पूरा हो जाता है। इस उद्देश्य का आधार इस बात पर नहीं है कि हर व्यक्ति इन्हें करे। इस तरह फ़र्ज़े किफ़ाया कि अदायगी की मांग पूरे समाज से की जाती है। पूरे समाज का यह कत्तर्व्य है कि वह फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा करने का प्रयास करे जो व्यक्ति इस फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा करने का प्रयास करे जो व्यक्ति इस फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा करने की क्षमता उसे सक्षम व्यक्ति को उसे अदा करने की प्रेरणा देना चाहिए यदि वह इस फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा कर देता है तो यह फ़र्ज़ प्रत्येक से टल जाती है। और यदि कोई भी अदा नहींकरता है तो सब गुनाहगार हों, जो व्यक्ति इस फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी की क्षमता रखता थ उसे उसकी अदायगी से बेपरवाही बरतने पर गुनाह मिलेगा और जो उसकी अदायगी की क्षमता नहीं रखता था उसे सक्षम व्यक्ति को प्रेरणा न देने की लापरवाही पर गुनाह मिलेगा। यदि कुछ लोगों की निगाह किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़े जो डूब रहा हो और सहायता के लिये पुकार रहा हो। और उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हों जो अच्छी तरह तैर सकते हों और उस डूबते व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास करे यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो दूसरे लोगों की उन्हें उस व्यक्ति को बचाने और अपने कत्तर्व्य को पूरा करने की प्रेरणा देनी चाहिये।

यदि वह व्यक्ति अपने उस फ़र्ज़ को अदा कर देता है तो किसी पर कोई गुनाह न होगा, यदि वह अपने इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करता है तो सभी लोग गुनाहगार होंगे। यदि किसी एक ही व्यक्ति पर फ़र्ज़े किफ़ाया कि अदायगी अनिवार्य हो जाये तो अब वह फ़र्ज़े किफ़ाया उसके लिए फ़र्ज़–ए–ऐन हो जायेगा, जैसे किसी डूबते हुए आदमी को किसी एक ही व्यक्ति ने देखा जो अच्छी तरह तैरना भी जानता हो। किसी घटना का एक ही गवाह हो और उसे गवाही के लिए बुला लिया जाये। किसी शहर में मात्र एक ही डाक्टर हो। और आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाये। ऐसे सभी लोगें के लिए फ़र्ज़े किफ़ाया, फ़र्ज़–ए–ऐन हो जाता है।

नौकरी के मैदान में औरतों पर ऐसे काम, फ़र्ज़े किफ़ाया हैं जो मुस्लिम समाज की आवश्यकता के अनुसार औरतों के पूरे समाज पर फ़र्ज़ होते हैं और जो सामाजिक आवश्यकताओं की श्रेणी में होते हैं चाहे वह काम ऐसे हों जो केवल औरतों के लिए विशेष होते हैं या ऐसे हों जिसमें औरतों की भागीदारी की आवश्यकता हो। या वह ऐसे काम हों जो केवल मर्दों के लिए विशेष हों, लेकिन किसी कारण मर्द उसे न कर पा रहे हों। अतः समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिये औरतों के श्रम और प्रयास की आवश्यकता आ पड़ी हो। पहली क़िस्म की मिसाल औरतों का शिक्षिका बनाना, नर्सिंग, चिकित्सा सेवा करना, बच्चों की देख—भाल करना और उन्हें शिक्षा व प्रशिक्षण देना, अनाथों की देख—भाल करना, और इसी तरह कुछ सामाजिक सेवाओं के मैदान आदि।

इमाम हरमैन जुबैनी ने फ़र्ज़े किफ़ाया के स्थान व प्रतिष्ठा को बड़े अच्छे शब्दों में बयान किया है। कहा ''..................... फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा करने से दरजे ऊँचे होते हैं और अल्लाह की निकटता प्राप्त होती है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति पर कोई काम फ़र्ज़ होता है। फिर वह उसे छोड़ देता है। तो वह गुनाहगार होता है। यदि उस काम को और अपने फ़र्ज़ को अदा कर देता है तो उसे सवाब मिलता है। लेकिन यदि किसी फ़र्ज़े किफ़ाया को कोई भी अदा नहीं करता तो प्रत्येक को उसके स्थान व पद प्रतिष्ठा के अनुसार गुनाह होता है। और यदि कोई इस फ़र्ज़े किफ़ाया को अदा करता है तो वह स्वयं अपने आप से और दूसरे तमाम लोगों से गुनाह और यातना को दूर कर देता है। और अधिक सवाब का अधिकारी होता है जो व्यक्ति दीन के किसी महत्वपूर्ण फ़र्ज़ को अदा करने में दूसरे मुसलमानों की सहायता करता है। उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती, फिर यह फ़र्ज़े किफ़ाया कभी—कभी कुछ लोगों पर फ़र्ज़े ऐन भी हो जाता है।''

नवां निर्देश :

घरेलू दायित्वों को पूरा करते हुए औरत के लिए नौकरी करना निम्नलिखत उद्देष्यों के अन्तर्गत पसन्दीदा हैः

क— निर्धन पति, पिता या भाई की सहायता।

ख— मुस्लिम समाज के किसी बहुत बड़े हित को पूरा करना।

ग— भलाई के रास्ते में ख़र्च करना।

क— निर्धन पति, पिता या भाई की सहायताः

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) फ़रमाती है.............. फिर हमारे पास बिलाल आये। हम दोनों ने उनसे कहा कि आप नबी करीम (सल्ल.) से पूछिये कि यदि हम लोग अपने पतियों और हमारे देख—रेख में रहने वाले यतीमों पर ख़र्च करते हैं तो क्या वह हमारी तरफ़ से पर्याप्त हो जायेगा? हमने उनसे यह भी कहा कि नबी करीम (सल्ल.) को हमारे बारे में न बताइयेगा, हज़रत बिलाल नबी करीम (सल्ल.) के पास गये। और आप (सल्ल.) से यह सवाल किया। आप (सल्ल.) ने पूछा वह दोनों कौन हैं? बिलाल ने कहा ज़ैनब हैं। आप (सल्ल.) ने पूछा कौन सी ज़ैनब? उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह

की बीवी। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया हां यह काफ़ी हो जायेगा। और उन्हें दोहरा बदला मिलेगा, एक रिश्तेदारी का और एक सदक़ा का। एक रिवायत में है "तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारे सदक़ा के सबसे अधिक हक़दार है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़त्हुल बारी में उल्लेख है कि कुछ लोग उपर्युक्त हदीस में सदक़ा को अनिवार्य सदक़ा कहते हैं। उन लोगों की दलील हज़रत ज़ैनब का यह कथन है "क्या वह हमारी तरफ़ से पर्याप्त हो जायेगा" मावर्दी भी इस सदक़ा को अनिवार्य बताते हैं। लेकिन अयाज़ कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) के कथन "यद्यपि तुम्हें अपने गहनों से ही क्यों न सदक़ा करना पड़े" से, इसी तरह इस बात से कि हज़रत ज़ैनब अपने हाथ से चीज़े बनाया करती थीं पता चलता है कि यह सदक़ा नफ़्ली है। इमाम नववी भी इस सदक़ा को नफ़्ली (अतिरिक्त) मानते हैं। इन लोगों ने हज़रत ज़ैनब के कथन "क्या वह हमारी तरफ़ से पर्याप्त हो जायेगा" का भावार्थ यह लिया है कि क्या यह सदक़ा हमारी तरफ़ से स्वीकार कर लिया जायेगा और जहन्नम से मुक्ति के लिए हमारी तरफ़ से पार्यप्त होगा? ऐसा लगता हैं कि उनको सन्देह रहा हो कि क्या पति पर सदक़ा करने से उनका उद्देश्य प्राप्त होगा या नहीं। फ़त्हुल बारी में इस दिशा में संकेत किया गया है कि हज़रत ज़ैनब अपने हाथों से चीज़ें और सामान बनाया करती थीं। इस बात को इमाम 'तहावी' ने इमाम अबू हनीफ़ा के कथन की दलील के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद की पत्नी हज़रत ज़ैनब के हवाले से बयान किया है कि वह स्वयं अपने हाथों से चीज़ें बनाया करती थीं और उसे अपने पति अब्दुल्लाह और अपने बच्चों पर ख़र्च किया करती थीं। अतः इससे पता चलता है कि यह सदक़ा नफ़्ली था। हम यह कहते हैं कि यदि कोई औरत और उसके परिवार वाले कुशलता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हों तो उसका नौकरी करके माल कमाना पसन्दीदा है।

(ख) मुस्लिम समाज के किसी बड़े हित को पूरा करना

इसकी मिसाल वह महिलाएं है जिनको अल्लाह ने महान क्षमता व योग्यता प्रदान की है। जैसे उसकी प्रभावशाली भाषा शैली जिसके फलस्वरूप प्रभावी उपदेश और बेहतरीन बोली सामने आती है और जिससे अच्छी कविताएं, भाव पूर्ण लेख और विवेकपूर्ण प्रतिभा को ख़ूराक मिलती है। प्रतिभावान, बुद्धि। ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करती है और फिर नई और हितकारी चीज़ों को प्रस्तुत करती है। ऐसी औरतों की योग्यता की निगरानी (रक्षा) करनी चाहिये और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि वह स्वयं अपनी योग्यता के लाभदायक फलों को प्रस्तुत करने लगें। यह काम हमें इस लिये भी करना चाहिये। क्योंकि माहिलाएं अपने से जुड़े मैदानों में मर्दों से अच्छा काम कर सकती हैं (देखिये—औरतों के व्यक्तित्व से सम्बंधित चर्चा का दूसरा भाग पांचवा अध्याय। औरतों की अक़्ल व दीन में कमी से सम्बन्धित हदीस पर टिप्पणी।)

(ग) भलाई के रास्तों में ख़र्च करना

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश हम लोगों में सबसे अधिक खुले हाथो वाली थीं क्योंकि वह अपने हाथ से काम करती थीं और सदक़ा करती थीं। (मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैंने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से बढ़कर किसी को दीनदार, अल्लाह से ड़रने वाली, सच बोलने वाली, रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली, बहुत अधिक सदक़ा करने वाली और जिस काम के द्वारा वह सदक़ा करती थीं और जिसके द्वारा वह अल्लाह से निकटता प्राप्त करती थीं उसको कमतर समझने वाली नहीं देखा। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मेरी ख़ाला को तलाक़ हो गई। उन्होंने चाहा कि वह अपने बाग़ में जाकर फल एकत्र करें। एक मर्द ने उन्हें घर से निकलने पर डांटा, वह नबी करीम (सल्ल.) के पास आ गईं, और आप (सल्ल.) से इस बारे में पूछा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम बाग़ में जाकर फल एकत्र करो। क्योंकि हो सकता है कि तुम उसमें से कुछ सदक़ा कर दो। या कोई दूसरा भलाई का काम करो। मुस्लिम)

दसवां निर्देश :

यदि औरत के लिए नौकरी करना पसन्दीदा हो और वह नौकरी कर रही हो और उसमें अधिक समय देना पड़ता हो तो पति के लिए यह पसन्दीदा है कि वह घरेलू कामों में उसका हाथ बटाये, लेकिन यदि औरत के लिए नौकरी करना अनिवार्य हो और वह नौकरी कर रही हो तो ऐसी स्थिति में पति के लिए अनिवार्य है कि वह घरेलू कामों में उसका हाथ बटाये।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया मर्द अपने घर वालों का संरक्षक है और उससे उनके बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्वद बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (रज़ि.) से पूछा कि नबी (सल्ल.) घर में क्या किया करते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि आप (सल्ल.) घर के काम काज में घर वालों का साथ दिया करते थे। लेकिन जब आप अज़ान की आवाज़ सुनते तो तुरन्त घर से निकल जाते। इमाम बुख़ारी के तराजिम (शीर्षक) बहुत प्रसिद्ध हैं उन्होंने उपरोक्त हदीस को सहीह बुख़ारी में विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत बयान किया है उसके शीर्षक कुछ इस तरह से हैं। ''मर्द का अपने घर के कामों में हाथ बंटाना'' ''घर वालों को जिस काम में आवश्यकता हो उसमें हाथ बंटाना''। मर्द घर में किस तरह रहे''।

एक मर्द पर घर से सम्बन्धित जो दायित्व हैं वह उसी स्थिति में अच्छी तरह पूरे हो सकते हैं जब वह घरेलू काम काज और बच्चों का पालन–पोषण और शिक्षा व प्रशिक्षण में अपनी पत्नी की मदद करे। यह मदद उस स्थिति में और अधिक आवश्यक हो जाती है जब पत्नी की नौकरी कठिन हो।

ऐसा इसलिए है ताकि घर के अन्दर और बाहर पति और पत्नी की मेहनत बराबर रहे, और दोनों के बीच प्रेम सम्बन्ध जारी रहे। जब नबी (सल्ल.) अपनी बकरी को स्वयं

दूह लिया करते थे। अपना काम स्पयं कर लिया करते थे और अपनी बीवियों के घरेलू कामों में लगे रहने के बावजूद अपने कपड़े स्वयं सिल लिया करते थे। जूते पर पैवन्द लगा लिया करते थे। तो आपका इन कामों के बारे में क्या विचार है। विशेष रूप से जबकि कि आपकी बीवी कोई नौकरी कर रही हो। कुरआन करीम की निम्न तीन आयतों से पता चलता है कि मर्द का अपनी बीवी का सहायोग करना आवश्यक हैं।

प्रथमः ''....................जो काम भलाई और तक़्वा(अल्लह से डरने) के हैं उनमें सबसे सहयोग करो। (सूरह माइदा:2)

द्वितीयः ....औरतों के लिए भी अच्छे तरीक़े पर वैसे ही अधिकार हैं। जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। (सूरह बकरा 228)

तृतीयः ''अल्लाह किसी जान पर उसकी क्षमता से बढ़कर दायित्व का बोझ नहीं डालता'' (सूरह बकरा286)

ग्यारहवां निर्देश :

यदि बीवी कोई नौकरी कर रही हो तो पति–पत्नी को आपस में परामर्श करके फ़ैसला करना चाहिये कि बीवी को मिलने वाले वेतन को किस तरह ख़र्च किया जायेगा।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के दास कुरैब कहते हैं कि हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने नबी (सल्ल.) की अनुमति के बिना एक दासी आज़ाद कर दी। जब वह दिन आया कि आप उनके घर में जाते थे तो उन्होंने आपसे कहा। ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपको मालूम हुआ कि मैंने अपनी दासी आज़ाद कर दी। आपने पूछा, क्या तुम ऐसा कर चुकी हो उन्होंने कहा 'हां' आपने फ़रमाया, यदि तुमने उसे अपने नानिहाली लोगों को दे दिया होता तो तुम्हें बहुत अधिक बदला व सवाब मिलता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) फ़रमाती हैं .... फिर हमारे पास से बिलाल गुज़रे, हमने उनसे कहा। नबी (सल्ल.) से पूछिये कि यदि हम अपने पति और पालन–पोषण में यतीमों पर ख़र्च करते हैं तो क्या यह हमारी तरफ़ से पर्याप्त होगा? आपने फ़रमाया हां और उन्हें दुगना बदला मिलेगा, एक रिश्तेदारी का बद़ला और एक सदक़ा का बदला। (बुख़ारी व मुस्लिम)

विभिन्न मामलों में पति–पत्नी के बीच सहमति का पाया जाना प्रशंसनीय है। जिन परिवारों में प्यार व मुहब्बत का वातावरण पाया जाता है उसका मौलिक कारण यही आपसी सहमति है। लेकिन यदि औरत की कमाई के उपयोग के सम्बन्ध में, पति–पत्नी के बीच कोई सहमति नहीं बन पाती है बल्कि मतभेद हो जाता है तो फिर इस स्थिति में उसका क्या हल होगा? इसका उत्तर यह है कि हज़रत मैमूना की हदीस से यह पता चलता है कि औरत को अपने माल में स्वतन्त्र रूप से ख़र्च करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इससे यह भी पता चलता है कि अच्छी बात यह है कि बीवी अपनी कमाई के ख़र्च के सिलसिले में पति से परामर्श कर ले। (इन्शा अल्लाह मुस्लिम परिवार से सम्बन्धित बहस में यह बात आगे आयेगी कि पति–पत्नी का दूसरे के माल में क्या हक़ है?)

हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी ज़ैनब की हदीस से पता चलता है कि औरत का अपने माल से पति की सहायता करना पसन्दीदा है। लेकिन नौकरी करके औरत जो कुछ कमाई करती है उसके कारण पति को कुछ न कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कष्ट होता है जो कष्ट उसे औरत यदि घर के कामों के लिए स्वतन्त्र रहती तो न होता। इसलिए बीवी को पति की इस तकलीफ़ के बदले अपनी कमाई में से कुछ देना चाहिये। इस बदले की मात्रा क्या होगी यह ऐसी समस्या है जिसमें किसी शोध संस्था की ओर से कोई फ़तवा छपना चाहिये ताकि पति पत्नी के बीच मामला ठीक रहे।

हम निम्न में सोच विचार के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं

(क) मर्द घर के सभी वास्तविक ख़र्चो को सहन करे :
(क्योंकि ख़र्च करने का वास्तविक ज़िम्मदेार वही है)

(ख) औरत की नौकरी के कारण घर में जो अतिरिक्त ख़र्च हो रहे हैं उसे औरत सहन करे क्योंकि वही इन ख़र्चो का कारण बन रही है।

(ग) औरत अपने पति को षारीरिक और मनोवैज्ञानिक परेषानियों को सहन करने के बदल के रूप में अपनी कमाई में से कुछ दे दे।

बदला देने की यह मात्रा पति पत्नी की माली हैसयित के अनुसार बदलता रहता है। अतः उनमें से जिसको क्षमता और खुलापन प्राप्त हो। वह अपने अधिकार के सिलसिले में उदारता से काम ले, ताकि दूसरे भलाई के काम कर सके और सबसे अच्छा प्रेम यह है कि सभी परिस्थितियों में पति–पत्नी के बीच सम्बन्ध मज़बूत और सुलझा हुआ रहे।

बारहवां निर्देश :

मुस्लिम समाज ऐसे आधार उपलब्ध कराता है जो घर और नौकरी से सम्बन्धित ज़िम्मेदारी की अदायगी में नौकरी करने वाली औरत के लिए सहायक होते हैं। अल्लाह फ़रमाता हैं। ''मोमिन मर्द और मोमिन ओरतें यह सब एक दूसरे के सहयोगी हैं..

(सूरह तौबाः71)

हज़रत नोमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, तुम मोमिनों को देखोगे कि एक दूसरे पर दया करने, एक दूसरे के साथ प्रेम करने । और एक दूसरे के साथ नरमी का व्यवहार करने में, एक शरीर की तरह हैं कि यदि शरीर के एक भाग को कष्ट पहुंचता है तो सारे शरीर को बुख़ार आ जाता है और सारा शरीर जागता रहता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम जन संस्थाएं और विचारक सब ही आपस में एक दूसरे के साथ दया और नरमी का व्यवहार करने वाले हैं। औरत के सामने आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए मुस्लिम समाज के भलाई का काम करने वाले लोगों और विचारकों को सकारात्क काम करने का आपसी प्रयास करना चाहिये क्योंकि वर्तमान युग

की परिस्थितियां औरत को इस बात पर मजबूर कर देती हैं कि वह एक तरफ़ अपने घर और बच्चों की भी देखभाल करे और दूसरी तरफ़ नौकरी करे। इन समस्याओं के हल के कुछ तरीक़े निम्न में बयान किये जा रहे हैं।

- प्रत्येक मोहल्ले और प्रत्येक बड़ी संस्था में बड़े पैमाने पर नर्सिंग होम स्थापित किये जायें।
- औरतों को घरेलू उद्योग में लगने की प्रेरणा दी जाये
- घरेलू उद्योग ओर सेवा के क्षेत्र को विस्तृत किया जाये। यह उद्योग सामूहिक प्रबन्धन चाहते हैं। निम्न में इसकी कुछ मिसालें प्रस्तुत की जाती हैं।

(क) औरत को घर के अन्दर बनाई जाने वाली चीज़ों में भागीदारी करनी चाहिये चाहे वह घरेलू हस्तकला का काम हो या ऐसा उद्योग हो जिसमें पुर्ज़े बाटे जाते हैं इन पुर्ज़ों को घर में बनाना चाहिये।

फिर ये कारख़ानों में जाकर पूरे यन्त्र का रूप धारण कर लें अभी जल्द ही इस मैदान में सफल परीक्षण किये गये हैं। बहुत से देशों में एक्सपोर्ट होने वाले सामान में उन सामानों की संख्या अधिक होती है जो घरों में तैयार किये जाते हैं।

(ख) औरत को घर के अन्दर सेवाओं के क्षेत्र में भाग लेना चाहिये जैसे रेडीमेड खाने आदि तैयार करना, जिस घर में एक ही बच्चा हो उसको कुछ बच्चो के लिए नर्सिंग होम बना देना (ब्तमबीम) चाहिए।

तेरहवां निर्देश :

औरत की नौकरी से सम्बन्धित मुसलमान सरकार की दो ज़िम्मेदारियां हैंः प्रथम, शादी–शुदा सरकारी नौकर को उचित वेतन देना ताकि वह अकेले पूरे परिवार की आवश्यकता को पूरा कर सके और उसकी पत्नी को नौकरी न करनी पड़े। दूसरे यदि औरत सरकारी नौकरी करती है तो उसके लिये उचित वातावरण उपलब्ध करना।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, तुममें से प्रत्येक व्यक्ति संरक्षक है और प्रत्येक से उसके अधीन के बारे में पूछा जायेगा, शासक जनता का संरक्षक है। उससे उनके बारे में पूछा जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नौकरी करने वाली औरत के सम्बन्ध में मुस्लिम सरकार पर आने वाले दायित्वों की मिसालें निम्न में बयान की जाती हैः

1. सरकारी संस्थाओं में विभिन्न योजनाओं के चयन के समय मर्द और औरत प्रत्येक की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिये। इस चयन के समय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिये।
2. नर्सिंग होमों को सरकारी संस्थाओं से जोड़ देना चाहिये(अर्थात मान्यता प्राप्त हों) क्योंकि इसके माध्यम से औरत को आवश्यक परिस्थितियों में अपने बच्चों की देख–रेख में आसानी होती है इसके साथ–साथ मोहल्लों में नर्सिंग होम भी स्थापित करना चाहिये।

3. उन संसाधनों को सुरक्षित बनाना, जो इस बात का प्रयास करते हैं कि जन यातायात और नौकरी की जगहों पर औरतों की मर्दो से मुलाक़ात के आचरण और व्यवहार को निश्चित बनाया जा सके।

4. ऐसे विधान बनाना जो औरतों के लिए इस तरह सहायक हों कि वह एक तरफ़ अपने घर और बच्चों की भी देख भाल कर लें और दूसरी तरफ़ अपनी नौकरी भी ठीक से कर सकें। जैसे प्रसव और पालन पोषण के अवसर पर उनको पूरा वेतन या आधा वेतन के साथ उपयुक्त छुट्टियां देना, या उन्हें बच्चे के पालन पोषण के चरण के दौरान पूरी मज़दूरी या आधी मज़दूरी पर आधे दिन काम करने की अनुमति देना या प्रतिदिन उनके काम के समय में एक या दो घंटा कम कर देना। ताकि आफ़िस जाने और आने के समय बसों और गाड़ियों में होने वाली अत्यन्त भीड़ से सुरक्षित रह सकें।

चौदहवां निर्देश :

औरतों को ऐसी नौकरी और कामों से सुरक्षित रखना चाहिये जो उनकी प्रकृति और मनोवैज्ञानिक व शारीरिक विशेषताओं के अनुकूल न हो। इस तरह के कामों की दो क़िस्में हैं। एक वह जिनके करने से शरीअत ने स्पष्ट मना किया है। दूसरे वह जिसमें उम्मत के उलमा अपने इज्तिहाद से तय करेंगे।

प्रथमः वह काम और नौकरी जिसे शरीअ़त ने स्पष्ट रूप से मना किया है।

हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया वह क़ौम कभी भी सफल नहीं हो सकती जिसने एक औरत को अपनी विलायत (सत्ता) सुपुर्द की।(बुख़ारी)

डा. मुस्तफ़ा सबाई लिखते हैं। उपरोक्त हदीस में विलायत से तात्पर्य औरत को अपना शासक बनाना है। क्योंकि नबी (सल्ल.) ने यह बात उस समय कही थी जब आपको मालूम हुआ था कि ईरानियों ने किसरा की मौत के बाद उसकी एक बेटी को अपना शासक चुना है। औरत की विलायत पूरी तरह अवैध नहीं है। इसकी दलील यह है कि तमाम फ़क़ीहों की इस बात पर सहमति है कि औरत छोटे बच्चों और कम योग्यता वालों की अभिभावक हो सकती है। इसी तरह वह कुछ लोगों के माल में से ख़र्च करने और उनकी खेती बाड़ी के मामलों को देखभाल करने की प्रतिनिधि व सहयोगी हो सकती है। और किसी के पक्ष में गवाही दे सकती है। फक़ीहों के कथनानुसार गवाही भी अभिभावकत्व है। इमाम अबू हनीफ़ा इस बात की अनुमति देते हैं कि कुछ परिस्थितियों में औरत न्याय के मामलों को देख सकती है। और न्याय करना (क़ज़ा) भी एक अभिभावकत्व ही है। पता चला कि उपरोक्त हदीस में औरत को

शासन करने और ऐसी ही दूसरी ज़िम्मेदारियों के उठाने से स्पष्ट रूप से रोका गया है। हां उनके अतिरिक्त अन्य ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने और अदा करने से इस्लाम ने नहीं रोका है क्योंकि औरत के अन्दर उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी योग्यता मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़े इस्लामी चरित्र को ध्यान में रखते हुए पूरी होनी चाहिये।

औरत न्यायालय की ज़िम्मेदारियों को उठा सकती हैं या नहीं, इसके सिलसिले में काज़ी इब्ने रूश्द कहते हैं:

न्यायालय (क़ज़ा) के सिलसिले में फ़क़ीहों में मतभेद है कि इसके लिए मर्द होना शर्त है। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि माल के मामले में औरत क़ाज़ी हो सकती है। तबरी का कहना है कि औरत पूरी तरह हर चीज़ की शासक हो सकती है। अतः जो लोग ये कहते हैं कि औरत न्यायाधीश का पद नहीं संभाल सकती वह वास्तव में न्यायालय को सरकार जैसा समझते हैं और जो लोग माल में उसको हाकिम और क़ाज़ी(न्यायाधीस) बनाने को उचित समझते हैं वह वास्तव में माल में औरत की गवाही को भरोसेमन्द होने के कारण ऐसा कहते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि औरत हर काम की प्रशासक हो सकती है वह ये कहते हैं कि जो भी लोगों के बीच फ़ैसला करने की योग्यता रखता है वह प्रशासक हो सकता है। हां चूंकि सभी लोगों की इस पर सर्वसम्मति है कि औरत सरकार व सत्ता की मालिक नहीं हो सकती अतः ये लोग भी औरत के लिए इस बात के समर्थक नहीं हैं।

द्वितीय : वह काम जिसे उम्मत के उलमा अपने इज्तिहाद से अवैध ठहराते हैं।

इसकी मिसालें वह कठोर व सख़्त काम हैं जो औरतों को बोझल कर देते है इसी तरह वह काम जिनमें सख़्त कष्टदायक मनोवैज्ञानिक मेहनत करनी पड़ती है और जिनके लिए सख़्त ताक़त की आवश्यकता होती है। सत्ता के किन पदों को संभालना औरत के लिए वैध है इसके बारे हम शेख़ मुहम्मद ग़ज़ाली का एक मत प्रस्तुत करते हैं। मेरा विचार है कि इस विचार में और अधिक सोच विचार की आवश्यकता है हमारे युग के मुज्तहिद उलमा को इस मत के सम्बन्ध में बात करनी चाहिये। शेख़ मुहम्मद ग़ज़ाली का मत निम्न में बयान किया जा रहा है:

मर्द औरत के बीच सम्बन्ध की बुनियाद हमें इन आयतों में मिलती है: ''जवाब में उनके रब ने फ़रमाया, मैं तुममें से किसी का अमल नष्ट करने वाला नहीं हूं चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे से हो........................'' (आले इमरानः195)

''जो व्यक्ति भी नेक काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत शर्त यह है कि वह मोमिन हो। उसे हम दुनिया में पवित्र जीवन व्यतीत करायेंगे, और आख़िरत में ऐसे लोगों को उनके बदले उनके अच्छे कर्मो के अनुसार प्रदान करेंगे।'' (सूरह नहलः 97)

इसी तरह इस हदीस में भी मर्द और औरत के सम्बन्ध में बुनियाद को बयान किया गया है:

''औरतें मर्दों के समान पद वाली हैं''

बहुत से मामले ऐसे हैं जिनके करने या न करने के बारे में शरीअत ने कोई आदेश नहीं दिया है। ये ऐसे मामलें हैं जिनमें शरीअत ख़ामोश है। इन मामलों में स्वीकार व अस्वीकार करने का स्वतन्त्र अधिकार हमें प्राप्त है। इन मामलों के सिलसिले में कोईं व्यक्ति अपने मत को दीनी आदेश का दर्जा नहीं दे सकता। इसकी हैसियत मात्र एक मत की ही हो सकती है। इससे अधिक कुछ नहीं, शायद इब्ने हज़्म के इस कथन का अर्थ यही है कि

इस्लाम ने औरत को सिवाय ख़िलाफ़त के सत्ता के कोई भी पद स्वीकार करने और संभालने से मना नहीं किया है। मैंने कुछ लोगों को इब्ने हज़्म के इस कथन को रद्द करते हुए सुना है। ये लोग कहते हैं कि इब्ने हज़्म का यह कथन कुरआन की इस आयत के विरूद्ध है;

मर्द औरतों पर हाकिम हैं इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर वरीयता दी है और इस कारण कि मर्द अपने माल ख़र्च करते है। (सूरह निसा:34)

इन लोगों के विचार में इस आयत का भावार्थ यह है कि औरत किसी भी काम में मर्द की हाकिम नहीं हो सकती, लेकिन यह बात उचित नहीं है। जो व्यक्ति, शेष आयतों का अध्ययन करेगा उसे यह बात समझ में आ जायेगी कि उपर्युक्त आयत में जिस क़व्वामियत (हाकिम होने) का बयान है उसका सम्बन्ध, घर और परिवार से है। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत शिफ़ा को मदीने के बाज़ार में, हस्बा के फ़ैसले की ज़िम्मेदारी सौंपी थी तो उनको बाज़ार के मर्द व औरतों तमाम लोगों पर स्वतन्त्र और समान अधिकार प्राप्त थे वह हलाल चीज़ों को हलाल व हराम चीज़ों को हराम ठहराती, लोगों को न्याय देतीं, और उनको विरोध करने से रोकती। यदि किसी मर्द की बीवी डाक्टर हो और किसी अस्पताल में काम करती हो तो मर्द को अपनी बीवी के कलात्मक कार्यों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। न ही अस्पताल में उसके काम पर उसे कोई अधिकर प्राप्त होता है। यह बात भी कही जाती है कि इब्ने हज़्म का यह कथन उस हदीस के विरूद्ध है कि वह क़ौम असफल हुई जिसने किसी औरत को अपने मामलों की ज़िम्मेदारी सौंपी, पता चला कि मुसलमानों के मामलों की ज़िम्मेदारी औरतों के सुपुर्द करने से उम्मत असफलता का शिकार हो जाती है।

अतः किसी तरह की छोटी या बड़ी ज़िम्मेदारी औरत के सुपुर्द नहीं करनी चाहिये। इब्ने हज़्म का विचार यह है कि हदीस में औरत को मात्र देश की सत्ता सौंपने से मना किया गया है। लेकिन मैं इस हदीस पर और अधिक गहरी नज़र डालना चाहता हूं। मैं औरतों को देशों का हाकिम बनाना नहीं चाहता बल्कि मैं केवल यह चाहता हूं कि देश का शासक वह व्यक्ति हो जो उम्मत का सबसे उचित और योग्य व्यक्ति हो। मैंने उपरोक्त हदीस पर विचार किया वह प्रमाण और शब्दशः हर तरह से सही है। लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि इस हदीस का भावार्थ क्या है। वास्तव में जब फ़ारस पर मुसलमान विजय पताका गाड़ रहे थे। तो उस समय उनकी शासक एक अन्यायी व अत्याचारी महिला थी। दीन मूर्ति पूजा वाला था। शासक परिवार शूरा''परामर्श'' की व्यवस्था से अनभिज्ञ था। वह विरोधी मत का सम्मान नहीं करता था। वहां के नागरिकों के आपसी सम्बन्ध अत्यन्त ख़राब और बताने योग्य नहीं थे। व्यक्तिगत हित के लिए एक व्यक्ति अपने बाप या भाई को क़त्ल कर देता था। जनता की कुछ भी हैसियत न थी। जब ईरानी सेना पराजित हो चुकी थी और सरकार का क्षेत्र सिमटता जा रहा था। उस समय यह सम्भव था कि एक ऐसा सैनिक शासक सत्ता की बागड़ोर अपने हाथ में ले लेता जो पराजय के सिलसिले को रोकने की

योग्यता रखता हो। लेकिन राजनीतिक मूर्तिपूजक व्यवस्था ने सत्ता का उत्तराधिकारी एक ऐसी नौजवान लड़की को बनाया जो शासन के मामलों से अनभिज्ञ थी। यह पूरी परिस्थिति कह रही थी अब यह सरकार शेष नहीं रह सकती, बल्कि मिट जायेगी। इस परिस्थिति में टिप्पणी करते हुए नबी (सल्ल.) ने उपरोक्त हदीस के शब्द कहे थे। आप (सल्ल.) ने उस परिस्थिति को चित्रित किया था। यदि ईरानी सरकार में शूरा की व्यवस्था होती और वह शासक नौजवान लड़की उस यहूदी औरत की तरह होती, जिसका नाम गोल्डा मायर था और जिसने इस्त्राईल पर इस तरह शासन किया कि सैनिक मामलों को सेना के सुपुर्द रखा। तो उस स्थिति पर कुछ दूसरी ही टिप्पणी होती। आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि इन बातों से आपका क्या तात्पर्य है। ऐसी स्थिति में मेरा उत्तर यह होगा कि नबी (सल्ल.) ने मक्का वालों को सूरह नम्ल की तिलावत करके सुनाया और उन्हें इस सूरह में सबा की रानी की कहानी सुनायी सबा की रानी ने अपने विवेक व बुद्धि से अपनी पूरी क़ौम को सफलता की राह अर्थात इस्लाम की राह दिखा दी। यह बात असम्भव है कि हदीस में आया हुआ कोई आदेश कुरआन के किसी आदेश के विरूद्ध हो। सबा की रानी बिलक़ीस बहुत बड़े देश की शासक थी। उसे हुदहुद ने इस तरह बयान किया था। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस देश की शासक है उसे हर तरह का सामान प्रदान किया गया है और उसका तख्त बहुत शानदार है (सूरह नम्लः23) हज़रत सुलैमान (अलै) ने उस रानी को इस्लाम की दावत दी और उसे घमण्ड से दूर रहने की नसीहत की? जब उसे हज़रत सुलैमान (अलै.) ने पत्र लिखा तो उसने उत्तर देने से पहले सोच–विचार किया। उसने सरकार के दूसरे पदाधिकारियों से परामर्श किया। उन सभी लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि वह जो भी फ़ैसला करेगी वह सब उसके फ़ैसले में उसकी सहायता करेगें।

अतः उन लोगों ने उससे कहा। हम शक्तिशाली व लड़ने वाले लोग हैं। आगे फ़ैसला आपके हाथ में है। आप स्वयं देख लें कि आपको क्या आदेश देना है (सूरहनम्लः33) लेकिन यह दूरदर्शी औरत अर्थात रानी अपनी शक्ति के कारण और क़ौम की आज्ञापालन की भावना को देखकर धोखे में नहीं पड़ी, बल्कि उसने कहा। हम सुलैमान के फ़ित्ने लेंगे ताकि यह पता चले कि क्या ये अत्याचारी और सत्ता और सम्पत्ति के भूखें हैं या अल्लाह के नबी या ईमान की दावत देने वाले हैं। जब हज़रत सुलैमान से उसकी मुलाक़ात हुई तो वह अपने होश व हवास के साथ रही और उसने बारीकी के साथ हज़रत सुलैमान के हालात काम और बातों का मूल्यांकन किया। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह एक नेक नबी हैं उसने उस पत्र को याद किया जो हज़रत सुलैमान ने उसके पास भेजा था और जिसमें लिखा था कि यह सुलैमान की ओर से है और अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से प्रारम्भ किया गया है। उसमें लिखा है कि मेरे मुक़ाबले में विद्रोह न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास उपस्थित हो जाओ (सूरह नम्ल 30–31) फिर उसने मूर्ति पूजा को छोड़ने और इस्लाम स्वीकार करने का फ़ैसला यह कहते हुए कर लिया । ''ऐ मेरे पालन हार आज

तक मैं अपने आप पर बड़ा अत्याचार करती रही और अब मैंने सुलैमान के साथ अल्लाह जो पूरे संसार का रब है का आज्ञापालन स्वीकार कर लिया''। (सूरहनम्लः44)

क्या उस क़ौम को असफ़लता का मुंह देखना पड़ा? जिन्होंने इस तरह की दूरदर्शी औरत को अपनी सत्ता की बागड़ोर दे रखी थी। यह औरत तो उस मर्द से कई गुना अच्छी है। जिसे समूद की क़ौम ने हज़रत सालेह को अपमानित करने और ऊंटनी को क़त्ल करने की दावत दी थी। अन्ततः उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया, और उस ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसी थी मेरी यातना और कैसी थीं मेरी

चेतावनियां, हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा, और वह बाड़े वाले की रौंदी हुई बाड़ की तरह भूसा बनकर रह गये। हमने इस क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान माध्यम बना दिया है। अब है कोई नसीहत को स्वीकार करने वाला? (सूरह क़मरः 29–32)

मैं एक बार फिर इस बात को बयान करूंगा कि मुझे औरतों को बहुत बड़े–बड़े पद सौंपने का शौक़ नहीं है क्योंकि हर तरह से पूर्ण औरतें बहुत कम ही मिलती हैं। वास्तव में मैं तो केवल हदीस की किताबों में आने वाली एक हदीस को स्पष्ट करना चाहता हूं और उस अन्तर्विरोध को मिटाना चाहता हूं जो ज़ाहिरी तौर पर इस हदीस और ऐतिहासिक सच्चाइयों के बीच महसूस होता है। रानी विक्टोरिया के युग में इंग्लैण्ड विकास के शिखर पर पहुंच गया था। अब भी एक औरत ही वहां की रानी है। इंग्लैण्ड को एक ऐसा देश समझा जाता है जिसकी आर्थिक और वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और जो राजनीतिक रूप से शान्त है। जिन लोगों ने इन औरतों को अपना शासक चुना उनको कहां असफलता मिली।

मैंने एक दूसरी जगह इन्दिरा गॉधी के हाथों हिन्दुस्तानी मुसलमानों को पहुंचने वाली चोट और दुखों को भी बयान किया है। उसने बहुत ही दूरदर्शिता से मुसलमानों को दो टुकड़ो में बांट दिया और अपनी क़ौम की इच्छा को पूरा कर दिया। उसकी तुलना में यह्या खाँ को असफलता का मुंह देखना पड़ा, इसके अन्तर्गत गोल्डामायर का उल्लेख भी किया जा सकता है जिसने अपनी क़ौम का नेतृत्व करते हुए अरबों को मुसीबत में डाल दिया था। समस्या औरत और मर्द की नहीं है बल्कि वास्तविक मसला चरित्र और योग्यताओं का है। इन्दिरा गांधी ने यह देखने के लिए चुनाव कराया कि क्या उसकी क़ौम के लोग उसे अपना शासक चुनते हैं या नहीं, लेकिन वह उन चुनावों में हार गई। और दूसरी बार फिर उसकी क़ौम के लोगों ने उसे बिना किसी मजबूरी और घृणा के अपना शासक चुन लिया दोनों गिरोहों (अर्थात मुसलमान और उनके दुश्मन) में से कौन अल्लाह की देख–भाल, उसके समर्थन और दुनिया में ख़िलाफ़त के अधिक योग्य हैं। हम इब्ने तैमिया का कथन अपने सामने क्यों नहीं रखते हैं कि ''कभी–कभी अल्लाह तआला काफ़िर सरकार को उसके न्याय के कारण ऐसी मुस्लिम सरकार पर विजय देता है जहां अन्याय

व अत्याचार किया जाता है''। यहां पर मर्द होने या औरत होने का क्या मामला है? एक दीनदार और शक्ति शाली औरत एक दाढ़ी वाले काफ़िर मर्द से बेहतर होती है।

इस महत्वपूर्ण और कोमल विषय से सम्बन्धित शेख़ मुहम्मद अल–ग़ज़ाली का कथन प्रस्तुत करने के बाद मैं यह उचित समझता हूं कि शेख़ ही के इस वाक्य को भी बयान कर दूं ;

''अल्लाह बेहतर जानता है कि यद्यिप मुझे मेरा मत अच्छा लगता है लेकिन फिर भी मैं, अपवादों और मतभेदों को पसन्द नहीं करता हूं जमाअत के साथ रहने को वरीयता देता हूं और अपने मत से हट जाता हूं ताकि उम्मत की एकता स्थापित रहे।

पन्द्रहवां निर्देश

अगर औरत नौकरी करती है और अपनी नौकरी में उसे मर्दों से मिलना पड़ता हो तो मर्द और औरत हर एक को मुलाक़ात और भगीदारी के शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। जिनका उल्लेख एक विशेष अध्याय में किया जा चुका है। हम यहां भी कुछ शिष्टाचार को बयान करते हैं। प्रतिष्ठित परिधान, निगाहें झुकाकर रखना, अकेले में मुलाक़ात करने से बचना, बार–बार और लम्बी मुलाक़ातों से बचना, मर्द और औरत के काम अलग–अलग होने के कारण उन दोनों का किसी एक स्थान पर बार–बार और देर तक मिलना उचित नहीं है। हां अगर काम ऐसा ही हो कि विचारों के आदान प्रदान के लिए या सहायता के लिए या किसी और कारण

दोनों को बार–बार मिलना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं है।

यदि किसी कम्पनी या संस्था में मुलाक़ात के कुछ शिष्टाचार न पाये जाते हों तो क्या यह वैध है कि हम औरत और समाज के हितों पर ध्यान न देते हुए मुसलमान औरत को यह आदेश दें कि वह ऐसी कम्पनी या संस्था में काम न करे। या यह बेहतर है कि हम उन हितो पर ध्यान दें और मुलाक़ात के शरीअत के अनुसार शिष्टाचार को लागू करने को दूरदर्शिता और तत्वदर्शिता के साथ प्रयास करे?

फ़िक़्ह के सिद्धान्तों के अनुसार यदि किसी तरह के बिगाड़ और परीक्षा का डर न हो तो, आवश्यकताओं और हितों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

सातवां अध्याय

नबवी युग में सामाजिक गतिविधियों मुं मुसलमान महिलाओं की भागीदारी की घटनाएं और इस भागीदारी के सम्बन्ध में शरई निर्देश :

मुसलमान औरत अपना जीवन क़ुरआन और हदीस के निर्देशों की रोशनी में व्यतीत करती है। हम यहां पर औरत की सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित जो घटनाएं बयान करेंगे, ये वह उदाहरण हैं जो क़ुरआन की विभिन्न आयतों में और हदीसों में विभिन्न बातों के सम्बन्ध में आई हुई हैं। सभी नबियों विशेष रूप से नबी (सल्ल.) के युग में मोमिन महिलाओं के कामों को एकत्र किया जाये। तो पता चलेगा कि उन सभी मोमिन महिलाओं का काम क़ुरआन व सुन्नत के अनुकूल हैं हमारे युग बल्कि हर युग में अनुकूलता का मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। और वह हर युग की परिस्थितियों के अनुकूल नये–नये रूप धारता है।

यहां पर सामाजिक गतिविधियों से तात्पर्य दो तरह की गतिविधियां हैं पहली वह गतिविधियां जिसे बहुत से लोग मिलकर करते है। और उसका उद्देश्य इबादत संस्कृति व सभ्यता और मनोरंजन के मैदानों में लोगों और समाज को लाभ पहुंचाना होता है। दूसरी, वह गतिवधियां जिसमें कोई एक व्यक्ति या बहुत सारे लोग समाज की सेवा के लिए सवाब की नीयत से करते हैं चाहे उन गतिविधियों का सम्बन्ध शिक्षा के मैदान से हो या भलाई का आदेश देने से हो या सामाजिक सेवा से हो।

उस बात को ध्यान में रखते हुए कि औरत आज के नये समाज में सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित बहुत महत्पपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है हमने इसके सम्बन्ध में क़ुरआन और बुख़ारी व मुस्लिम में मौजूद दलीलें तलाश करने का प्रयास किया और उसे यहां बयान किया है। इसकी तरह हमने उन दलीलों को भी बयान किया है जिनमें औरत की सामाजिक गतिविधियों की तरफ़ संकेत किया गया है। हालांकि उन दलीलों में अजनबी मर्दो से मुलाक़ात का उल्लेख नहीं है। इस तरह की दलीलें हमने इसलिए बयान की हैं। ताकि सभी परिस्थितियों में औरत की भागीदारी का महत्व स्पष्ट हो जाये। निम्न में औरत के सामाजिक गतिविधियों के कुछ रूपों को प्रस्तुत किया जाता है जिनका सम्बन्ध नबवी युग से है;

प्रथम : मस्जिद की गतिविधियों में भागीदारी :

(क) इबादत की गतिविधि का उदाहरण हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) के युग में सूर्य ग्रहण लगा......... मैंने अपना काम पूरा किया। फिर मैं मस्जिद में आई, मैंने नबी (सल्ल.) को खड़ा देखा। अतः मैं भी आपके साथ खड़ी हो गई। आप (सल्ल.) नमाज़ में बहुत देर तक ख ड़े रहे, मैंने सोचा कि मैं बैठ जाऊँ। फिर मेरी निगाह एक बूढ़ी औरत पर पड़ी तो मैंने अपने दिल में कहा कि यह तो मुझसे भी कमज़ोर है(फिर भी खड़ी है) अतः मैं ख़ड़ी रही, फिर आप (सल्ल.) ने रूकूअ किया और बहुत देर तक रूकूअ में रहे, फिर आप (सल्ल.) ने सिर उठाया और बहुत देर तक खड़े रहे, इतनी देर खड़े रहे कि यदि कोई व्यक्ति उसी समय आ जाता तो वह यह समझता कि अभी आप(सल्ल.)ने रूकूअ किया ही नहीं है। फिर आप ने नमाज़ उस समय पूरी की जब ग्रहण समाप्त हो गया। फिर आप (सल्ल.) ने लोगों के सामने खुत्बा दिया। अल्लाह की प्रशंसा की और कहा............(नसीहत की) (बुख़ारी, शब्द मुस्लिम के हैं)

(ख) सांस्कृतिक गतिविधियों के उदाहरण हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं...........फिर मैं मस्जिद की तरफ़ निकली और मैंने नबी करीम (सल्ल.) के साथ नमाज़ अदा की............जब नबी (सल्ल.) अपनी नमाज़ पूरी कर चुके, तो आप (सल्ल.) हंसते हुए मिम्बर पर बैठे और आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर रहे,फिर आप (सल्ल.) ने कहा। क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम लोगों को क्यों एकत्र किया? सभी लोगों ने कहा। अल्लाह व उसका रसूल बेहतर जानता है। नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया, अल्लाह की क़सम मैंने तुम दोनों को शुभ सूचना के लिये, या डराने के लिये एकत्र नहीं किया है। मैंने तुम लोगों को यह बताने के लिए एकत्र किया है कि तमीमदारी (रज़ि.) एक ईसाई थे। वह आये। उन्होंने बैअत की और इस्लाम स्वीकार कर लिया। और मुझसे एक ऐसी बात बताई जो उस बात के अनुकूल है जो मैंने तुम लोगों को दज्जाल के बारे में बताई थीं। (मुस्लिम)

(ग) मनोरंजक गतिविधियों के उदाहरण ख़ाली समय (अव्यस्त) मोमिन महिलाओं के साथ व्यतीत करना :

हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़राअ (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि आशुरा की सुबह नबी करीम (सल्ल.) ने अन्सार के गांव में सन्देश भेजा कि जिस किसी ने सवेरा इस तरह किंया हो कि वह रोज़ा से न हो। तो वह शेष दिन इसी तरह पूरा करे। और जिसने सवेरा रोज़े की हालत में किया हो वह रोज़ा रखे। अतः बाद में हम आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। और हम उनके लिए ऊन का खिलौना बना देते थे। मुस्लिम की रिवायत में हैः और हम मस्जिद चले जाया करते थे। जब बच्चे हमसे खाना मांगते तो हम उनको खिलौना देकर बहला देते, यहां तक कि उनका रोज़ा पूरा हो जाता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हमने यहां पर हर गतिविधि से सम्बन्धित केवल एक ही उदाहरण दिया है क्योंकि इससे पहले यह बयान किया जा चुका है कि मुसलमान महिलाएं बारह उद्देश्यों के अन्तर्गत मस्जिद आया करती थीं। उनमें से एक उद्देश्य इबादत की गतिविधि के विभिन्न रूपों को पूरा करने में भागीदारी थी। जैसे फ़र्ज़ नमाज़। या नफ़्ल नमाज़ या जनाज़े की नमाज़ या सूर्य ग्रहण की नमाज़। जमाअत के साथ अदा करना, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधि के विभिन रूपों में भागीदारी भी थी। जैसे विभिन्न अवसरों पर नबी (सल्ल.) से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मस्जिद जाना, इसी तरह उन समारोहों में भाग लेना जिनमें भाग लेने के लिए मुअज़्ज़िन की पुकार ''नमाज़ खड़ी हो गई'' होती थी। उसी तरह औरतों के मस्जिद जाने का एक उद्देश्य मनोरंजक गतिविधि में भागीदारी भी थी। जैसे ईद के दिन औरत का हब्शी लोगों का खेल देखना।

द्वितीय : सामान्य उत्सवों में भागीदारी :

(क) स्वागत उत्सव के उदाहरण हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) फ़रमाते हैं फिर हम लोग रात में मदीना पहुंचे, मदीना के लोगों के बीच इस बात पर मतभेद हो गया कि नबी करीम (सल्ल.) किसके अतिथि होंगे नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं अब्दुल मुत्तलिब के नानीहाली रिश्तेदार बनू नज्जार का अतिथि बनूंगा, मैं उन लोगों को आतिथ्य के सम्मान से सुशोभित करूंगा। अतः मर्द और औरतें छतों पर चढ़ गये बच्चे और सेवक रास्तों में फैल गये। और पुकारने लगे ऐ मुहम्म्द! ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ मुहम्मद! ऐ अल्लाह के रसूल! (मुस्लिम)

(ख) ईद के उत्सव के उदाहरण हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हमें आदेश दिया जाता था कि हम ईद के दिन (ईदगाह के लिए) निकलें, यहां तक कि हमें आदेश था कि अविवाहित लड़कियों को परदे से निकाल कर ले जायें, मासिक धर्म वाली औरतों को भी ले जायें; मगर उन महिलाओं को लोगों के पीछे रहना चाहिये लोगों की तक्बीर के साथ तक्बीर कहना चाहिए और उनके साथ दुआ करनी चाहिए और उस दिन की बरकत और पवित्रता की आशा रखनी चाहिए। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ग) विवाह उत्सव के उदाहरण :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं ....मेरे पास मेरी माँ उम्मे रूमान आईं, फिर वह मुझे घर के अन्दर ले गईं, घर में कुछ अन्सारी औरतें थीं। उन्होंने मुझे भलाई व बरक़त की दुआएं दी। मेरी माँ ने मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरा श्रृंगार किया। मुझे तो मात्र उस समय घबराहट हुई जब चाश्त के समय मैंने नबी करीम (सल्ल.) को देखा। मेरी माँ ने मुझे आप (सल्ल.) के हवाले कर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं : ''इमाम अहमद ने दूसरे प्रमाण की रिवायत की है............हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि मेरी माँ मुझे लेकर घर में आईं, वहां नबी करीम (सल्ल.) एक चारपाई पर बैठे हुए थे। आप (सल्ल.) के पास कुछ अन्सारी मर्द और

औरतें थीं। मेरी माँ ने मुझे नबी (सल्ल.) के पास बिठा दिया और कहा ऐ अल्लाह के रसूल यह सब आपके घर के लोग हैं। अल्लाह तआला इनमें बरकत दे। फिर मर्द औरतें उठ कर चली गईं। नबी (सल्ल.) ने मेरे घर में सुहाग रात मनाया।''

इस जगह पर भी हमने हर तरह की मात्र एक मिसाल देने को पर्याप्त समझा है। यह मिसालें उस जगह भी बयान की जा चुकी है जहां हमनें उत्सवों में मर्द औरत की मुलाक़ात व भागीदारी की चर्चा की थी। प्रत्येक उत्सव की अपनी प्रवृत्ति होती है। स्वागत उत्सव मनोरंजक गतिविध समझी जाती हैं। जहां तक ईद के उत्सव का सम्बन्ध है तो इसमें इबादत की गतिविधि भी होती है। जैसे सामूहिक तक्बीर कहना और ईद की नमाज़ पढ़ना। इसी तरह सांस्कृतिक गतिविधि भी होती है जैसे ईद का ख़ुत्बा सुनना और मनोंरंजक गतिविधि भी होती है जैसे सारे मुसलमान मर्दों औरतों और बच्चों को एक साथ ईदगाह के लिये निकलना और उनका एक महान और बरकत वाली सभा को देखना, मानो कि आध ाुनिक युग के अनुसार कोई बहुत बड़ा उत्सव और मेला हो।

तृतीय : मस्जिद के बाहर सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी

(क) नबी (सल्ल.) का औरतों के लिए वि�ाश सांस्कृतिक सेमीनारों का आयोजन :

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक महिला अप(सल्ल.) के पास आई और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मर्द आपकी हदीस से अधिक लाभान्वित होते हैं आप अपनी तरफ़ से हम औरतों के लिए एक दिन निर्धारित कर दीजिए। जिस दिन हम आपके पास आया करें और आप हमें वह बातें सिखायें जो अल्लाह ने आपको सिखाई हैं। आपने फ़रमाया तुम औरतें आमुक दिन आमुक स्थान पर एकत्र हुआ करो। अतः वह औरतें उस दिन एकत्र हुई उनके पास नबी (सल्ल.) गये और उनको वह ज्ञान सिखाया जो अल्लाह ने आपको सिखाया था। फिर आपने फ़रमाया, तुममें से जिस औरत के तीन बच्चे उसके जीवन में मर चुके हों वह बच्चे उसके लिए जहन्नम से बचाव का माध्यम होंगे। वहां मौजूद औरतों में से एक ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल यदि दो ही बच्चे मरे हों ? हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं उस औरत ने यह बात दो बार कही, तो आपने फ़रमाया हां, दो मरे हों तब भी, दो मरे हों तब भी, दो मरे हों तब भी।

(ख) नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का अपने दरवाजों का ऐसे लोगों के लिए खुला रखना जो नबी (सल्ल.) की सुन्नत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों :

हज़रत सअ़द बिन हश्शाम बिन आमिर कहते हैं। वह इब्ने अब्बास के पास गये और उनसे नबी (सल्ल.) की वित्र के बारे में पूछा। इब्ने अब्बास ने कहा। क्या मैं उस व्यक्ति का पता न बताऊँ जो आपकी वित्र के बारे में सबसे अधिक जानता है। उन्होंने पूछा वह

कौन है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया कि वह हज़रत आयशा (रज़ि.) हैं। तुम उनके पास जाओ, इस सिलसिले में उनसे पूछोः फिर मेरे पास आकर मुझे अपने जवाब के बारे में बताओ। अतः मैं हज़रत आयशा के पास गया। रास्ते में हकीम बिन अफ़लह के पास गया और उनसे हज़रत आयशा के पास चलने के लिये कहा। उन्होंने कहा। मैं उनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उनको उन दोनों गिरोहो के सिलसिले मे कुछ भी बोलने से मना किया था। लेकिन वह नहीं मानीं और उनके बारे में बोलती रहीं, सअ़द बिन हश्शाम कहते हैं कि मैंने हकीम बिन अफ्लह को साथ चलने के लिये क़सम दी। अतः वह मेरे साथ आ गये। फिर हम हज़रत आयशा (रज़ि.) की तरफ़ चले, घर में जाने से पहले हमने उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दे दी। हम लोग घर में गये। उन्होंने पूछा क्या हकीम हो? (उन्होंने उनको पहचान लिया) उन्होंने जवाब दिया हां। उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ कौन हैं। हकीम ने जवाब दिया मेरे साथ सअद बिन हश्शाम हैं। उन्होंने पूछा कौन हश्शाम? हकीम ने जवाब दिया आमिर के बेटे हश्शाम, यह सुनकर उन्होंने हश्शाम के लिए दया की दुआ की और उनके लिये अच्छी बातें कहीं (क़तादा कहते हैं कि हश्शाम उहद के युद्ध में शहीद हुए थे) मैंने कहा ऐ मोमिनों की माँ, मुझे नबी (सल्ल.) के चरित्र के बारे में बताइये। उन्होंने कहा क्या तुम क़ुरआन नहीं पढते। मैंने उत्तर दिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा क़ुरआन ही आपका (सल्ल.) चरित्र था। मैंने वहां सेउठने का इरादा किया और सोचा कि अब मौत तक किसी से कुछ न पूछूंगा। फिर मेरे दिल में विचार आया तो मैंने कहा कि मुझे नबी (सल्ल) के क़याम (तहज्जुद) के बारे में बताइये, उन्होंने कहा.....(मुस्लिम)

हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया और उनसे कहा। क्या आप मुझे नबी (सल्ल.) के मौत की बीमारी के बारे में नहीं बतायेंगी? उन्होंने बताया क्यों नहीं? जब आपने भारीपन महसूस किया तो आपने पूंछा क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। हमने जवाब दिया नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने फ़रमाया मेरे लिये टब में पानी रख दो हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं कि हमने ऐसा ही किया। आपने ग़ुस्ल किया। फिर आप खड़े होने लगे। लेकिन तुरन्त ही बेहोश हो गये। लोग मस्जिद में बैठे इशा की नमाज़ के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत अबू बक्र को कहलवा भेजा कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें उनके पास आपका सन्देशवाहक आया और कहा कि नबी (सल्ल.) ने आपको नमाज़ पढ़ाने का आदेश दिया है। हज़रत अबू बक्र बहुत कोमल दिल वाले इन्सान थे उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि) से कहा कि आप नमाज़ पढ़ा दें। हज़रत उमर ने कहा आप इसके अधिक हकदार हैं। अतः बीमारी के दिनों में हज़रत अबू बक्र ने नमाज़ पढाई, फिर एक दिन आपने अपनी तबिअ़त में कुछ हल्कापन महसूस किया तो आप ज़ुहर की नमाज़ के लिए दो लोगों के सहारे निकले उसमें से एक हज़रत अब्बास थे उस समय हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। हज़रत अबू बक्र ने जब नबी (सल्ल.) को देखा तो पीछे हटने लगे। आपने उन्हें इशारे से हटने से मना किया। नबी (सल्ल.) ने उन दोनों लोगों

से कहा। मुझे अबू बक्र (रज़ि.) के पहलू में बैठा दो। रिवायत करने वाले कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) नबी (सल्ल.) का अनुकरण कर रहे थे और लोग अबू बक्र का अनुकरण कर रहे थे नबी (सल्ल.) उस समय बैठ कर नमाज़ पढ़ा रहे थे.......। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू सलमा फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति इब्ने अब्बास के पास आया, उनके पास हज़रत अबू हुरैरह भी मौजूद थे। उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे उस औरत की इद्दत के बारे में बताइये जिसने पति की मौत के चालीस दिन बाद बच्चे को जन्म दिया हो। इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि वह लम्बी मुद्दत पूरी करेगी। मैंने उस समय यह आयत पढ़ी ''और गर्भवती औरत की इद्दत यह है कि प्रसव हो जाये। हज़रत अबू हुरैरह ने फ़रमाया, मैं अपने भतीजे अबू सलमा के मत से सहमत हूं। हज़रत इब्ने अब्बास ने अपने दास कुरैब को उम्मे सलमा के पास उसके बारे में पूछने के लिये भेजा, उन्होंने कहा। जब सबीआ असलमीया के पति शहीद हुए थे उस समय वह गर्भवती थीं; उनकी शहादत के चालीस दिन बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। फिर उन्हें निकाह का सन्देश दिया जाने लगा नबी (सल्ल.) ने उनकी शादी कर दी। अबू सनाबिल ने भी उनको शादी का सन्देश दिया दिया।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

चतुर्थ भलाई के आदेश व बुराई से रोकने के कर्त्तव्य की अदायगी :

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, यह सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, भलाई का आदेश देते, और बुराई से रोकते हैं............ (सूरह तौबाः 71)

अल्लामा रशीद रज़ा ने लिखा है कि इस आयत के माध्यम से मर्दों और औरतों पर 'भलाई का आदेश और बुराई से रोकने का कर्त्तव्य'' अनिवार्य ठहराया गया है........। औरतें अपने इस कर्त्तव्य को जानती थीं और इसके अनुसार अमल भी करती थीं। इस बात की पुष्टि कि औरतें भी इस कर्त्तव्य'' को जानती थीं और इसके अनुसार अमल भी करती थीं। तबरानी की उस रिवयात से होती है जो उन्होंने यहया बिन अबू सुलैम के हवाले से नक़ल की है। वह कहते हैं कि मैंने, समराअ बिन नुहैक (जिन्होंने नबी (सल्ल.) का ज़माना पाया था) को देखा। वह एक मोटी क़मीस पहने थीं और एक मोटी ओढ़नी ओढ़े थीं। उनके हाथ में एक डण्डा था। वह लोगों को शिष्टाचार सिखा रही थीं। नेक कामों के करने का और बुरे कामों से दूर रहने का आदेश दे रही थीं

पंचम : नेकी और भलाई के काम और समाज सेवा :

(क) मुहाजिरों को सहायता का प्रस्ताव करना :

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब मक्का से लोग हिज़रत करके मदीना आये तो उनके पास कुछ नहीं था। अन्सार ज़मीन और सम्पति वाले थे। उन्होंने अपनी ज़मीन और सम्पति इस तरह बांट दी कि वह मुहाजिरों को हर साल अपने लाभ में भागीदार बना लिया करेंगे और उन्हें रोज़ी–रोटी की समस्या से बचा लेंगे....।

हज़रत अनस की माँ ने नबी (सल्ल.) को खजूर के बाग़ दिये। आपने ये बाग़ उम्मे ऐमन को दे दिये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ख) प्रतिश्ठित लोगों का आतिथ्य सत्कार :

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं......... फिर मुझसे नबी (सल्ल.) ने कहा कि तुम उम्मे शरीक के पास चली जाओ (उम्मे शरीक एक मालदार अन्सारी औरत थीं अल्लाह की राह में बहुत अधिक ख़र्च करती थीं उनके पास मेहमान आकर ठहरा करते थे) मैंने कहा। मैं ऐसा ही करूंगी फिर आपने फ़रमाया तुम ऐसा न करो क्योंकि उम्मे शरीक को पास बहुत से मेहमान आते हैं एक रिवायत में है क्योंकि उम्मे शरीक के पास प्रारम्भ में हिज़रत करने वाले लोग आते है। (मुस्लिम)

(ग) मस्जिद को मिम्बर भेट करना:

हज़रत जारिब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक अन्सारी औरत ने नबी (सल्ल.) से कहा। ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं आपको बैठने के लिये कोई चीज़ न बना दूं.......? अतः उस औरत ने आपके लिए एक मिम्बर बनाया, जब जुमे का दिन आया तो आप उस मिम्बर पर बैठे। (बुख़ारी)

(घ) ऐच्छिक रूप से मस्जिद की सफ़ाई करना :

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि एक काला मर्द मस्जिद में झाडू देता था या एक काली औरत मस्जिद में झाडू देती थीं। बुख़ारी की एक रिवायत में है मेरा विचार है कि वह एक औरत ही थी। उसकी मौत हो गई। नबी (सल्ल.) ने उसके बारे में पूछा तो सहाबा ने कहा कि उसकी तो मौत हो चुकी है। आपने फ़रमाया, तुम लोगों ने मुझे उसकी मौत की खब़र क्यों नहीं दी। मुझे उसकी क़ब्र बताओ, फिर आप (सल्ल.) उसकी क़ब्र पर गये और उसके लिये दुआ की। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(ड) ऐच्छिक रूप से मरीज़ की सेवा:

हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ैद कहते हैं कि उनकी बीवी उम्मे उला जिन्होंने नबी (सल्ल.) से बैअ़त की थी ने उन्हें बताया कि जब अन्सार ने मुहाजिरों के आवास के लिये क़ुरा डाला तो उनके घर वालों के हिस्से में उसमान बिन मज़ऊन का क़ुरा निकाला। उम्मे उला कहती है कि हमारे पास रहने के दौरान हज़रत उसमान बीमार हो गये मैंने मौत तक उनकी सेवा की। हम लोगों ने उन्हें उन्ही के कपड़ो में दफ़्न कर दिया। (बुख़ारी)

(छ) युद्ध समाप्त होने के बाद घायलों की देखभाल करना :

हज़रत अबू हाज़िम कहते हैं कि उन्होंने किसी को हज़रत सहल बिन सअ़द से नबी (सल्ल.) के घावों के बारे में पूछते हुए सुना, हज़रत सहल ने कहा। अल्लाह की क़सम मैं जानता हूं कि नबी (सल्ल.) के घाव कौन धो रहा था कौन पानी डाल रहा था और कैसे आपका इलाज किया गया। उन्होंने कहा नबी (सल्ल.) की बेटी हज़रत फ़ातिमा घाव

धो रही थीं और हज़रत अली बिन अबी तालिब छाल से पानी डाल रहे थे। जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि पानी से ख़ून बढ़ता ही जा रहा है तो उन्हाने चटाई का एक टुकड़ा लेकर उसे जलाया, फिर उसे घाव की जगह लगा दिया। इस तरह ख़ून रूक गया। आपके सामने के दो दांत शहीद हो गये थे। आपके मुबारक चेहरे पर घाव लग गया था और आपके सिर पर कवच टूट गया था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि मेरे चाचा अनस बिन नज़र बद्र के युद्ध में भाग नहीं ले सके थे। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप ने शिर्क करने वालों से जो सबसे पहला युद्ध लड़ा उसमें मैं भाग नहीं ले सका, यदि अल्लाह ने मुझे मुशरिकों से युद्ध करने का कोई अवसर दिया तो वह मेरे कारनामे देख लेगा। जब उहद के दिन मुसलमान पीछे हटने लगे तो उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह सहाबा किराम ने जो कुछ किया मैं इस सिलसिले में आपसे क्षमा चाहता हूं और मुशरिकों ने जो कुछ किया मैं उससे स्वयं को अलग करता हूं फिर वह आगे बढ़े उनकी मुलाक़ात सअद बिन मुआज़ से हुई। उन्होंने कहा ऐ सअ़द! अल्लाह की क़सम, मैं उहद के उस पार से जन्नत की सुगन्ध महसूस कर रहा हूं हज़रत सअ़द(रज़ि.) कहते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल! जो कुछ उन्होंने किया वह मैं न कर सका। हज़रत अनस कहते हैं हमने देखा कि उनके शरीर पर तलवार, भाले और तीर के अस्सी से अधिक घाव हैं और वह शहीद हो चुके हैं। मुशरिकों ने उनके शव को छत–विछत कर दिया था। उनको केवल उनकी बहन उॅगलियों के माध्यम से पहचान सकीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि तबरी ने अबू हाज़िम के हवाले से नक़ल किया है कि जब उहद के दिन मुशरिक वापस हो गये तो औरतें सहाबा किराम के पास उनकी मदद के लिए गईं। औरतों में हज़रत फ़ातिमा भी थीं।

छठाः औरत की सामाजिक गतिविधियों की कुछ ऐसी घटनायें जिनमें मर्दों से उनकी मुलाक़ात नहीं हुई :

क– भलाई की राह में सदक़ा करनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) की कुछ बीवियों ने आप से पूछा कि हममें से कौन सबसे पहले आप से मिलेगा। आपने फ़रमाया वह जिसके हाथ सबसे लम्बे होंगे। उन बीवियों ने एक लकड़ी ली और उससे अपने–अपने हाथ नापने लगीं। हज़रत सौदा का हाथ सबसे लम्बा था। लेकिन हज़रत ज़ैनब की मौत के बाद हमें पता चला कि लम्बे हाथ से तात्पर्य सबसे अधिक सदक़ा करने वाली थी। हज़रत ज़ैनब सबसे पहले नबी (सल्ल.) से जाकर मिलीं, वह बहुत सदक़ा करती थी। एक रिवायत में है वह जिस काम के माध्यम से सदक़ा करती थीं। और जिसके माध्यम से अल्लाह की निकटता प्राप्त करती थीं वह उसे अपने आप के लिए बहुत कमतर कहा करती थीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं.................. नबी (सल्ल.) अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब के पास आये वह उस समय खाल की रंगाई कर रही थीं। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि हाकिम ने अपनी किताब मुस्तद्रक के अध्याय ''मनाक़िब'' में हज़रत आयशा की यह रिवायत बयान की है कि वह फ़रमाती हैं कि हज़रत ज़ैनब अपने हाथ से काम करती थीं। वह खाल को रंगती और उसकी सिलाई करती थीं और अल्लाह के रास्ते में सदक़ा करती थीं। हाकिम ने कहा है कि यह हदीस मुस्लिम की शर्त के अनुकूल है।

(ख) पड़ोसियों की सेवा करना :

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि ज़ुबैर ने मुझसे शादी की उनके पास न कोई माल था न कोइ दास था। हां, उनके पास पानी लाने के लिए एक ऊंट और एक घोड़ा था मैं उनके घोड़े को चारा देती थी। पानी लाया करती थी उनका डोल सिला करती थी और आटा गूँधा करती थी मुझे ठीक से रोटी बनाना नहीं आती थी कुछ अन्सार की पड़ोसी औरतें मेरे लिये रोटी बना दिया करती थीं। वह बहुत ही अच्छी औरतें थीं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

(ग) उत्सव के लिए कपड़े उधार लेनाः

हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ऐमन कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया। वह एक सूती क़मीस पहने हुई थीं जिसकी कीमत पांच दिरहम थी हज़रत आयशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, नबी (सल्ल.) के ज़माने में मेरे पास ऐसी ही एक क़मीस थी। मदीने की जो औरत श्रृंगार करना चाहती मुझसे वह क़मीस उधार मांग लेती।

(घ) अशिक्षा को मिटाने और शिक्षा के विस्तार में हिस्सा :

हज़रत शिफ़ा बिन्ते अब्दुल्लाह फ़रमाती हैं। हमारे पास नबी करीम (सल्ल.) आये। मैं उस समय हज़रत हफ़्सा के पास थी। नबी करीम (सल्ल.) ने मुझसे फ़रमाया क्या तुम इसको निम्लः (एक तरह की बीमारी) का रूक़ीया नहीं सिखाओगी, जिस तरह कि तुमने इसको लिखना सिखाया है। (अहमद, व अबू दाऊद)

औरत के सामजिक गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियां :

1. शिक्षा के विकास । विभिन्न क़िस्में, उनके कई चरण और लड़को और लड़कियों प्रत्येक के लिए शिक्षा फैलाने का परिणाम यह हुआ कि औरत विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो गई

1. वर्तमान काल में सामूहिकता का विकास हुआ है। और जन संस्थाएं बनाई जाने लगी हैं। यह स्थिति वास्तव में मीडिया और यातायात की व्यवस्था के विकास के साथ–साथ शिक्षा के विस्तार का परिणाम है जीवन के विभिन भागों में सामूहिकता की

आत्मा प्रचलित हो चुकी है। विचार व शोघ के मैदान में शोध सभाएं और संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शेयरो (शिकरत और बीमा कम्पनियां और सरकारी कम्पनियां स्थापित हो चुकी हैं। व्यापार के क्षेत्र में व्यवसाय रेगुलेटरी बोर्ड स्थापित हो चुके हैं राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं। अतः यह एक प्राकृतिक मांग थी कि सामाजिक गतिविधि के मैदान में भी विभिन्न संस्थाएं स्थापित हों इसके लिए जहां इस बात की आवश्यकता है कि नेक मर्द इस दिशा में अपने प्रयास करें। वहीं इस बात की भी आवश्यकता है कि नेक औरतें उसमें अपना प्रयास करें।

3. हम लोग सामान्य पिछड़ेपन का शिकार हैं। विशेष रूप से हमारे वह समाज पिछड़ेपन का शिकार हैं। जहां भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी और विचलन बहुत सामान्य है जहां बेपरवाही और कुप्रबन्धन का राज है इसको देखते हुए इस बात की अधिक आवश्यकता महसूस होती है कि सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न रूपों को विकसित किया जाये। उन्हें सभी गांवों और शहरों तक पहुंचाया जाये। इस काम में प्रत्येक मर्द औरत को सहयोग करना चाहिये। ताकि यह पिछड़ेपन का अपमान और इसकी तबाही करने की प्रवृति कम हो सके और समाज का विकास हो सके।

4. एक ऐसा सामाजिक दृश्य भी है जो अभी प्रारम्भिक चरण में है वह यह है कि एक मुसलमान और मुसलमान औरत होने की हैसियत से समाज से सम्बन्धित जो दायित्व अनिवार्य होते हैं उनका दीनी एहसास जागृत हुआ है। इसके साथ–साथ यह चेतना भी जागृत हुई है कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए आपसी सहयेाग बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

वर्तमान सामाजिक गतिविधि और उसमें औरत की भूमिका का परिचय

- हर वह गतिविधि मुसलमान के लिए सामाजिक गतिविधि गिनी जाती है जो समाज के साथ मिल कर की जाये। और जिसका उद्देश्य सामाजिक जीवन में चाहे उसका सम्बन्ध सभ्यता से हो या शिक्षा से हो या स्वास्थ्य और व्यायाम से हो। या मनोरंज़न से हो। भलाई पहुंचाना, निर्धनों की आर्थिक मदद करना हो।
- मुसलमान मर्द, औरत जो भी सामाजिक और मानवीय गतिविधि करते हैं। यहां तक कि वह जो भी मनोरंजन करते हैं इन सब की गिनती इबादत के विस्तृत अर्थ में होती है, लेकिन ऐसा उस समय तक होता है जब तक मुसलमान का अल्लाह पर पूरा ईमान बाक़ी रहे और उसकी नीयत नेक हो। अल्लाह फ़रमाता है ''मैंने जिन्न और इन्सान को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है।'' (सूरह जारियातः 56)
- सेवा, भलाई और नेकी के मैदान में सामाजिक गतिविधि की अच्छाई यह है कि जब विभिन्न जन समस्याओं की तरफ़ से विभिन्न सेवाओं के रूपों में निर्धनो की सहायता की जाती है तो उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है इसके विपरीत यदि कुछ लोग सदक़ा के द्वारा उनकी सहायता करते हैं तो निर्ध लोग उनको अपने ऊपर एहसान करने वाला समझने लगते हैं।

- सामाजिक गतिविधियों में दो तरह के लोग भाग लेते हैं प्रथम वे लोग जो उस गतिविधि की निगरानी करते हैं और अपना माल और वक़्त ख़र्च करते है दूसरे वे लोग जो उस गतिविधि से लाभ उठाते हैं। हम यहां आर्थिक सहायता लेने और देने के सकारात्मक परिणाम के महत्व पर बल देना चाहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने, विकास करने, और क्षमता प्राप्त करने के लिये सहायता नहीं लेगा वह स्वयं सहायता उपलबध नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कमज़ोर, अशिक्षित और बेबस हो वह सहायता कैसे कर सकता है। अतः इसका अर्थ यह हुआ जो व्यक्ति आज सहायता ले रहा है उससे यह आशा है कि कल वह स्वयं सहायता करने लगेगा।
- सामाजिक गतिविधि का उद्देश्य भलाई और सदक़ा सवाब का दरवाज़ा पूरी तरह खोलना है। यहां तक कि मुसलामन मर्द व औरत अपनी–अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार ख़र्च कर सकें, जब नबी (सल्ल.) ने मर्दो को सदक़ा का आदेश दिया तो हज़रत अबू मसंऊद अन्सारी ने बाज़ार जाकर बोझ ढ़ोने का काम किया और सदक़ा किया। दूसरी तरफ़ औरतों में भी यह उदाहरण मिलता है कि हज़रत ज़ैनब अपने हाथ से काम किया करती थीं और सदक़ा किया करती थीं।
- यदि एक तरफ़ मर्द का काम वास्तव में नौकरी करना और औरत का काम घरेलू काम काज करना है तो वहीं दूसरी तरफ़ सामाजिक गतिविधि मर्द व औरत दोनों के बीच समान है। बल्कि इस सिलसिले में औरत पर अधिक दायित्व आते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

(क) औरत के पास चेतना शक्ति होती है उसका दिल बहुत कोमल होता है और वह बहुत स्नेहिल और दयालु होती है।

(ख) औरत कभी–कभी सामाजिक गतिविधि के क्षेत्र को अपनी नौकरी के लिये चुनती है क्योंकि यह क्षेत्र उसे अपने विशेष प्रवृत्ति के अनुकूल महसूस होता है।

(ग) लोगों के साथ घुल मिल जाने के लिए। अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और, साथ ही साथ समाज से जुड़े अपने दायित्वों को अदा करने के लिए घर में रहने वाली औरतों के सामने सामाजिक गतिविधयां एक खुला हुआ मैदान है औरतों के लिए सामजिक गतिविधि का एक पहलू यह है। और दूसरा पहलू यह भी है कि घरेलू काम–काज पूरा करने के बाद उन सामाजिक गतिविधियों में लग जाने से उन औरतों के समय का उचित उपयोग हो जाता है और समय अच्छे काम में कट जाता है।

(घ) औरत के अन्दर औरतों बच्चों और बूढ़ों की सेवा करने की अधिक क्षमता होती है।

- देश काल और गतिविधि के क्षेत्रों की भिन्नता के अनुसार सामाजिक गतिविधि की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिनके कारण उनमें औरत की भागीदारी आसान हो जाती है। सामाजिक गतिविधि से जुड़ी संस्थाएं मुहल्ले में ही हुआ करती हैं। औरत अपने ख़ाली समय में उसमें भाग ले सकती हैं। इसी तरह औरत अपनी क्षमता और योग्यता के

अनुसार अपने ज्ञान, माल और सेवाओं को सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रस्तुत कर सकती है।

- हज़रत आयशा (रज़ि.) ने एक महिला की प्रशंसा करते हुए बड़ी अच्छी बात कही है। ''मैंने कभी भी हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से बढ़कर दीनदार, किसी को नहीं देखा मैंने किसी को उनसे बढ़कर अपने उस काम को नीचा और कमतर ठहराने वाला नहीं देखा। जिस काम के माध्यम से वह सदक़ा किया करती थीं और जिसके माध्यम से वह अल्लाह की निकटता प्राप्त किया करती थीं।''

वर्तमान युग की औरत को हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) का अनुकरण करना चाहिए जो अल्लाह के रास्ते में सामाजिक गतिविधि के क्षेत्र में काम किया करती थी।

वर्तमान युग में औरत की सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित भारीअत के निर्देश :

पहला निर्देश :

समाज के लिये भलाई का काम करने की मांग औरत से भी उसी तरह की गई है। जिस तरह मर्द से की गई है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''और तुम सब भलाई का काम करो ताकि तुमको सफलता प्राप्त हो'' (सूरह हज्जः77) इस सिलसिले में सभी अनिवार्य क्रम (अर्थात भलाई का काम सबसे पहले अपने आप से प्रारम्भ किया जाये। फिर घर वालों में किया जाये। फिर समाज में किया जाये। फिर शासन तक पहुचाया जाये) का ध्यान रखना अनिवार्य है। यह इसलिए अनिवार्य है कि समाज के विकास में औरत अपनी भूमिका निभा सके। इसके साथ–साथ वह समाज के सम्बन्ध में भी अपने दायित्व पूरा करती रहे और घर और बच्चों से समबन्धित दायित्व भी निभती रहे और यह इस प्रकार हो कि किसी के भी अधिकार में कमी न हो। समाज और घर के उतरदायित्व के बीच सामन्जस्य स्थापित करना आसान है।

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''और जो नेक काम करेगा चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह मोमिन हो। तो ऐसे ही लोग जन्नत में जायेंगे और रत्ती भर भी उनके अधिकारों में कमी न की जायेगी'' (सूरह निसाः124)

एक जगह अल्लाह फ़रमाता है : ''मोमिन मर्द और मोमिन औरतें यह सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। भलाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं''।(सूरहतौबाः71) अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''............... भलाई के काम और अल्लाह से डरने के काम में सबकी सहायता करो''।(सूरहमाईदाः2) एक और स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता हैः लोगों की गुप्त कानाफूसी में अधिकतर कोई भलाई नहीं होती, जो अगर कोई छिप छिपाकर सदक़ा करने की नसीहत करे या किसी भलाई के काम के लिए या लोगों के मामलो मे सुधार के लिये किसी से कुछ कहे तो यह भली बात है.....''। (सूरह निसाः114)

हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम मोमिनों को आपस के प्रेम में एक शरीर की तरह पाओगे कि जब शरीर के किसी

एक भाग को कष्ट होता है तो उसके लिए पूरा शरीर रातों को जागता है और बुख़ार चढ़ जाता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये भवन की तरह है जिसका एक भाग दूसरे भाग को शक्ति प्रदान करता है.........नबी करीम (सल्ल.) ने (उस समय अपनी उंगलियों को आपस में मिला लिया) (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं ''मैंने नबी (सल्ल.) की सेवा में उपस्थित होकर कहा मैं आपसे इस्लाम पर बैअ़त करता हूं, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया और हर मुसलमान के लिए भलाई(शुभ चिन्ता) की भावना रखने पर भी बैअत करो। अतः मैंने इस बात पर भी आप (सल्ल.) से बैअ़त कर ली।

हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दीन परोपकार चाहने का नाम है। हम लोगों ने पूछा किसके लिये भलाई की इच्छा की जाये? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह के लिये, उसकी किताब के लिये, उसके रसूल के लिये मुसलमानों के इमामों और जनता के लिये। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि सामान्य मुसलमानों के लिये भलाई चाहने का भावार्थ यह है कि उनके साथ स्नेह व प्रेम का सम्बन्ध रखा जाए। उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाये उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाये जिनसे उनको लाभ हो। उनसे कष्ट देने वाली चीज़ों को दूर किया जाये। उनके लिये वही चीज़ें पासन्द की जायें जो अपने लिए पसन्द हों और उनके लिए भी वह चीज़ें नापसन्द की जाये जो अपने लिए नापसन्द हों।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मुसलमान मुसलमान का भाई होता है वह न ही उस पर अत्याचार करता है और न ही उसे (मुसीबतों के) हवाले करता है। जो कोई अपने भाई की सहायता करता है अल्लाह उसकी सहायता करता है जो किसी मुसलमान की किसी मुसीबत को दूर करता है अल्लाह उससे क़यामत में उसकी मुसीबत दूर कर देगा और जो कोई अपने किसी मुसलमान भाई की कमी को छिपाता है। अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी कमी को छिपायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि हदीस का वाक्य ''और न ही उसे हवाले करता है'' का भावार्थ यह है कि वह उसे मुसबीत व कष्ट देने वाली चीज़ों के हवाले नहीं करता बल्कि वह उसकी सहायता करता है और उस की रक्षा करता है। यह काम परिस्थितयों के अनुसार कभी तो अनिवार्य होता है और कभी पसन्दीदा होता है।

हम ''और न ही उसके हवाले करता है'' के भावाथ में यह बढ़ा सकते हैं कि इसका अर्थ यह भी है कि मुसलमान दूसर के मुसलामन को बचाता है और उसे तबाह होने नहीं देता, तबाही के भावार्थ में बहुत सी चीज़े आ जाती हैं जैसे मुसलमान को खतरनाक बीमारी से बहुत अध्का भूख और निर्धनता से और अज्ञानता से से बचाना।

हज़रत अबू मूसा(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, हर मुसलमान पर सदक़ा करना अनिवार्य है। सहाबा ने पूछा कि यदि किसी मुसलमान के पास कुछ भी न हो तो वह क्या करे? नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया उसे चाहिये कि वह अपने हाथ से काम करे। स्वयं को भी लाभ पहुंचाये और सदक़ा भी करे। सहाबा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह भी न कर सके तो? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तब फिर उसे भलाई का आदेश देना चाहिए। सहाबा ने कहा कि यदि यह भी न कर सके तो? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया वह बुराई से रूका रहे यही उसके लिये सदक़ा है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया हर इन्सान पर प्रतिदिन सदक़ा अनिवार्य है। कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच फ़ैसला करा देता हैं तो यह भी सदक़ा है। कोई व्यक्ति सवारी पर सवार होने में किसी की सहायता कर देता है तो यह उसके लिये सदक़ा हैं। अच्छी बात कहना भी सदक़ा है। नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ उठने वाला हर क़दम सदक़ा है। रास्ते से कष्टदायक चीज़ हटा देना सदक़ा है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं मैंने नबी करीम (सल्ल.) से पूछा कोन सा काम सबसे अच्छा है। आप (सल्ल.) ने उत्तर दिया सबसे अच्छा काम अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जेहाद करना है। मैंने कहा किस दास को आज़ाद करना सबसे बेहतर है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया जो सबसे अधिक मूल्यवान हो। और जो अपने स्वामी का सबसे अधिक प्रिय हो। मैंने कहा यदि मैं ऐसा न कर सकूं आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ऐसी स्थिति में किसी भटके हुए की सहायता करो या किसी मूर्ख के लिये काम कर दो मैंने कहा यदि मैं ऐसा न कर सकू ? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया लोगों को अपनी बुराई से सुरक्षित रखे यही तुम्हारे लिए सदक़ा है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि चालीस गुणों में सबसे अच्छा गुण दूध वाली बकरी का उपहार देना है। जो व्यक्ति इन चालीस गुणों में से किसी गुण पर सवाब की आशा में और उस पर किये गये वादे की आशा में अमल करता है निश्चय ही अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। (बुख़ारी)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया जो मुसलमान भी कोई पेड़ या पौधा लगाता है फिर उसे कोई पक्षी या इन्सान या जानवार खाता है तो यह उस व्यक्ति के लिये सदक़ा होता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हे कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि ईमान के सत्तर से अधिक विभाग हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग कलिमा तय्यितबा (पवित्र कलाम) है और उसके कमतर विभाग रास्ते से कष्टदायक वस्तुओं को हटााना है। लज्जा भी ईमान ही का एक विभाग हैं। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया एक व्यक्ति एक रास्ते पर जा रहा था कि उसे एक काँटेदार डाल दिखाई दी उसने उसे उठाया और एक तरफ़ डाल दिया। अल्लाह तआला ने उसके इस अमल के पसन्द की निगाह से देखा और उसे मुक्ति दे दी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया एक व्यक्ति चला जा रहा था उसे तेज़ प्यास लगी और एक कूंए में उतरा पानी पीया और फिर कूंए से निकल आया कूंए से निकलते समय उसने देखा कि वहां एक कुत्ता खड़ा हांफ रहा है और तेज़ प्यास के कारण गीली मिट्टी खा रहा है उसने कहा कि इस कुत्ते को भी मेरी तरह प्यास लगी है। अतः उसने अपना चमड़े का मोज़ा पानी से भरा फिर उसे अपने मुंह से पकडा और कूंए से बाहर आया, और उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके इस अमल को पसन्दीदगी की निगाह से देखा और उसकी मुक्त कर दिया सहाबा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल क्या हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी बदला मिलता है। आपने फ़रमाया, हर जानदार के साथ अच्छा व्यवहार करने पर बदला मिलता हैं।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि एक कूंए की जगत पर एक कुत्ता चक्कर लगा रहा था निकट था कि प्यास से मर जाये। बनी इसराईल की एक व्यभिचारिणी कि नज़र उस पर पड़ी, उसे कुत्ते पर दया आ गई। उसने अपना चमड़े का मोज़ा उतारा और उसमें पानी भरकर उसे पानी पिलाया। उसके इस अमल के बदले अल्लाह ने उसकी मुक्ति कर दी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नोट— इन सभी हदीसों में यद्यपि पुलिंग के रूप प्रयोग हुए हैं लेकिन उपराक्त सभी आदेशों में मर्द व औरत दोनों ही सम्मिलित हैं।

दूसरी हिदायतः

आम हालात में नेकी और भालाई के काम करना और उसमें मदद करना मुस्तहब है। ये काम कभी फ़र्ज़ेऐन भी हो जाता है और कभी फ़र्ज़े किफ़ाया भी हो जाता है। बाशऊर मुसलमान औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो मआशरती मैदान में ऐसे उमूर की तलाशो जुस्तजू में रहे जो औरत पर फ़र्जे किफ़ाया हों, जैसे औरतों व लड़कियों की निगहबानी व निगहदाश्त करना, बच्चों खास तौर पर यतीमों की देखभाल करना।

आम हालात में ख़ैर व भलाई के मुस्तहब काम करना और लोगों का तआवुन करना एक ऐसा वसीअ मैदान है जो हर मुआशरा के अहले ख़ैर हज़रात के इज्तिहाद के लिए खुला हुआ है। पहली हिदायत के ज़िम्न में इस सिलसिले की बहुत सी मिसालें गुज़र चुकी हैं। नबी करीम (सल्ल.) की औरत की मआशरती सरगर्मियों में शिरकत से मतअल्लिक़ बहस में भी उसकी कुछ मिसालें गुज़र चुकी हैं।

जिस तरह औरत के लिए ये मुस्तहब है कि वो अच्छी मआशरती सरगर्मी में शिरकत करे और उसमें अपना वक़्त और मेहनत सर्फ करे। इसी तरह इसके लिए ये भी मुस्तहब है कि अगर उसके पास माल हो तो वो उस राह में अपना माल खर्च करे। अगर उसके पास अपना माल न हो तो अपने शौहर के माल में से मारूफ़ तरीक़ा से ख़र्च करे।

हज़रत असमा फरमाती हैं मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरे पास तो सिर्फ वही माल होता है जो मुझे जुबैर (रज़ि.) देते हैं तो क्या मैं सद्क़ा किया करूं? आप (सल्ल.) ने फरमाया सद्क़ा करो और बख़ीली से काम न लो। क्योंकि ऐसी सूरत में तुम्हारे साथ भी कंजूसी से काम लिया जाएगा। एक रिवायत में है। ताक़त के मुताबिक़ ख़र्च करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब कोई और अपने घर का खाना और ग़ल्ला खर्च करती है और उसमें गड़बड़ी नहीं करती है तो उसे ख़र्च करने का सवाब मिलता है और शौहर का कमाने का सवाब मिलता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अफ़सोस की बात यह है कि सामाजिक क्षेत्र में जो चीज़े फ़र्ज़े किफ़ाया हैं वह साधारणतः ऐसे पिछड़े समाज में नष्ट हो जाती हैं जहां लोगों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं जहां सदक़ा और न्याय की आत्मा कमज़ोर होती है और जहां दया नहीं पायी जाती। हमारा समाज विकास के रास्तों के तलाश में है। इन समाजों के किसी व्यक्ति, चाहे वह मर्द हों या औरत को सामजिक आवश्यकता के सिलसिले में अपनी दीनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिये। यदि समाज की ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं की जा सकतीं तो हम सब समान रूप से समाज के पिछड़ेपन के ज़िम्मेदार होंगे। हमें मुस्लिम समाज के पुनर्जागरण के सिलसिल में प्रयास करने से पीछे हटने वाला समझा जायेगा। और क़यामत के दिन हम सबसे अल्लाह तआला हिसाब लेगा। कभी–कभी लोग फ़र्ज़े किफ़ाया के सिलसिले में दीनी दायित्व से भागते हैं यह उस अज्ञानता का परिणाम है जिसका कारण एकान्तवास और जल्दबाज़ी है। जिसका शिकार बहुत सी औरतें हैं। कभी–कभी इस अज्ञानता का कारण समाज की आवश्यकताएँ और उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली समस्याएं होती हैं। इन सब का परिणाम ज़िम्मेदारियों और कर्त्तव्यों से भागने के रूप में निकलता है जो व्यक्ति फ़र्ज़े किफ़ाया के बारे में जानता हो। उसके महत्व को जानता हो और उसे अदा करने की क्षमता रखता हो। उसके लिए फ़र्ज़े किफ़ाया फ़र्ज़–ए–ऐन का दर्जा प्राप्त कर लेता है। सामाजिक गतिविधि के सिलसिले में कुछ मामले ऐसे हैं। जो मर्दों पर फ़र्ज़ हैं लेकिन समाज की बिगड़ी स्थित और साहस वाले मर्दों की कमी के कारण ये कर्त्तव्य ऐसी औरतों की तरफ़ स्थानान्तरित हो जाते हैं जिनको अल्लाह ने विवेक, चेतना और दूरदर्शिता प्रदान की है औरत की नौकरी में भागीदारी से सम्बन्धित दसवें निर्देश में मैंने फ़र्ज़े किफ़ाया में बेपरवाही बरतने के सिलसिले में हरमैन के इमाम शेख़ अल–जुवैनी के जो शब्द नक़ल किये हैं आप एक बार फिर से उनकी तरफ़ पलटें।

तीसरा निर्देश :

यदि सामाजिक गतिविधि औरत के लिए बेहतर हो और उसके विवेक पूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक व्यक्तित्व के विकास का कारण बन रही हो तो ऐसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेना औरत के लिए पसन्दीदा है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है ''अल्लाह की आयतें और विवेक की वह बातें जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं उनकी चर्चा करती रहें निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी और ख़बर रखने वाला है।'' (सूरह अहज़ाब:34)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में, नबी (सल्ल.) अपनी बीवियों से अलग रहते, रातों को स्वयं भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। (बुख़ारी मुस्लिम)

उपरोक्त आयत में इस तरफ़ इशारा किया गया कि औरत को क़ुरआन करीम की तिलावत और उसमें चिन्तन और उससे ज्ञान व विवेक प्राप्त करने के द्वारा, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त हदीस में औरत को रातों में विशेष रूप से रमज़ान के अन्तिम दस दिनों की रातों में जागने और तहज्जुद पढ़ने की प्रेरणा दी गई है। पांचवें अध्याय में हम मस्जिद में औरत की भागीदारी से सम्बन्धित बहस का उल्लेख कर चुके हैं। वहां यह बात आ चुकी है कि मुसलमान औरत इबादत व सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास की बहुत अधिक इच्छुक होती थी वह मस्जिद में 'एतिकाफ़' किया करती थी। तरावीह की नमाज़ पढ़ा करती थी। सूर्य ग्रहण की नमाज़ में भाग लेती थी। और साथ ही साथ जुमे की नमाज़ के महत्व को देखते हुए और उसके महत्व के बावजूद औरतों की तरफ़ से उसमें भाग लेने में बेपरवाही बरतने के रवैये को ध्यान में रखते हुए हम यहां उन बातों को विस्तार से बयान करना चाहते हैं जिनसे पता चलता है कि औरत के लिए जुमे की नमाज़ में भाग लेना पसन्दीदा है। आधुनिक युग की शब्दावली के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जुमे की नमाज़ एक सामाजिक गतिविधि है जो बहुत संगठित रूप से आयोजित की जाती है। जुमे की नमाज़ के माध्यम से औरतों के दिलों और अक़्ल को जागृत करने और उन्हें उनकी जल्दबाज़ी से निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम लिया जा सकता है। जुमे की नमाज़ के माध्यम से औरतों के अन्दर चेतना की व्यस्कता पैदा होती है। विशेष रूप से उस समय इसकी आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है जब जुमे के ख़ुत्बे में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के हल बताये जायें, और उसमें अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया की समस्याओं पर बात की जाये।

हम निम्नलिखित में कुछ ऐसे पहले युग के फ़क़ीहों के मतों पर बहस करेंगे जो इस बात को वरीयता देते हैं कि औरत जुमे की नमाज़ से दूर रहे इसी के साथ हम ऐसी हदीसों और अलमा के कथन भी प्रस्तुत करेंगे जिनसे जुमे की नमाज़ में औरत की भागीदारी की पुष्टि होती है। इस सिलसिले में हम कुछ ऐसे विवेकपूर्ण और शरीअत स्वीकृत मत प्रस्तुत करेंगे जिनको सभी लोग स्वीकार करते हैं।

(क) अल–मुहज़्ज़ब की व्याख्या 'अल–मजमूअ' में इमाम नववी लिखते हैं :

''हमारे फ़क़ीह लोग फ़रमाते हैं कि जुमे की नमाज़ छोड़ने के सिलसिले में जिसे अक्षम समझा गया है उसकी दो क़िस्में हैं एक ऐसा अक्षम जिसे अक्षमता समाप्त होने और जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाने की आशा हो जैसे दास, बीमार, और मुसाफ़िर आदि, इन अक्षम लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जुमे से पहले ज़ुहर पढ़ ले लेकिन इनके लिये बेहतर ये है कि वह ज़ुहर की नमाज़ को उस वक़्त तक रोके रखें जिस वक़्त के बाद उन्हें जुमा मिलने की आशा न रहे, दूसरे ऐसे अक्षम जिन्हें अपनी अक्षमता के मिटने की आाशा ही न हो जैसे औरत और विकलांग, ऐसे अक्षम लोगों के सिलसिले में दो स्थितिया है दोनों स्थितियों में सबसे अधिक सही स्थिति यह है कि इन लोागे को अव्वल वक़्त में ज़ुहर की नामज़ पढ़ लेनी चाहिये ताकि अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ने की वरीयता प्राप्त कर ली जाये। दूसरी स्थिति यह है कि ज़ुहर की नमाज़ को उस समय तक रोके जब तक जुमें को ख़त्म होने का सन्देह हो क्योंकि जुमे की नमाज़ अधिक पूर्ण है। अतः बेहतर यह है कि उसको प्राथमिकता दी जाये। हमारे फकीहों का कहना है कि विकलांग यद्यपि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ चुका हो लेकिन उसके लिए जुमे की नामज में भाग लेना बेहतर है क्योंकि जुमा की नमाज़ पूरी नमाज़ है .... इमाम नववी कहते हैं कि हम बयान कर चुके है कि अक्षम जैसे दास, मुसाफिर और औरत आदि का ज़ुहर की नमाज़ फ़र्ज़ है। यदि ये लोग ज़ुहर की नमाज़ अदा करते हैं तो तो वह भी ठीक है और यदि ज़ुहर की नमाज़ अदा करते हैं तो वह भी सर्व सम्मति से वैध है यदि पूछा जाये कि उन अक्षम लोगों पर ज़ुहर की चार रकअत नामज़ फ़र्ज़ थी वह चार रकअतें जुमा की दो रकअतों से कैसे पूरी हो गई? इसका उत्तर यह है कि जुमा में यद्यपि दो ही रकअते फर्ज़ है लेनिक वह ज़ुहर की चार रकअतों से अधिक पूर्ण है इसीलिए वह केवल सही और पूर्ण लोगों पर ही अनिवार्य है और अक्षम लोगों पर अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि अक्षम लोग जुमे की नामज़ पढ़ लेते हैं तो वह एक अच्छा काम करते हैं। अतः उनकी जुमे की नमाज़ अदा हो जायेंगी यह ऐसी ही है जैसे कि बीमार व्यक्ति का खड़े होकर नमाज़ पढ़ना और वुज़ू करने वाले का मोज़ो पर मसह न करके पैर का धुलना. ....।''

यह आदेश उन लोगों से सम्बन्धित थे जो जुमे की नमाज़ के लिए अक्षम समझे जाते हैं लेकिन अल–मुहज़्ज़ब के लेखक शीराज़ी और अल–मजमूअ़ के लेखक इमाम नववी ने इन आदशों से नौजवान औरतों को और बड़ी उम्र की ऐसी औरतों को जो अभी आकर्षक हो अलग कर दिया है। इन दोनों का कहना है कि इन औरतों का जुमे की नमाज़ में सम्मिलित होना उसी तरह नापसन्दीदा है जिस तरह दूसरी नमाज़ों में उनका भाग लेना नापसन्दीदा है। शीराज़ी की दलील यह हदीस है कि ''नबी करीम (सल्ल.) ने औरतों को घर से निकलने से रोक दिया है। हां बूढ़ी औरत अपने मोज़े पहन कर निकल सकती है।' इमाम नववी ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वह हदीस जिसमें बूढ़ी औरत को अपने मोज़े पहन कर निकलने की अनुमति दी गई है 'ग़रीब' है इमाम बैहक़ी ने यही हदीस कमज़ोर सनद (प्रमाण) के साथ बयान की है और यह इब्ने मसऊद से है वह फ़रमाते हैं ''किसी भी औरत ने अपने घर में पढ़ी हुई नमाज़ से बेहतर नमाज़ नहीं पढ़ी

सिवाय इसके कि किसी औरत ने कअ़बे में या किसी ने मस्जिदें नबवी में नमाज़ पढ़ी हो या किसी बूढ़ी औरत ने अपने खुफ़ में रहते हुए किसी मस्जिद में नमाज़ अदा की हो।''

हस हदीस को दलील के योग्य समझने के बारे में इमाम नववी का इस हदीस के सम्बन्ध में टिप्पणी काफ़ी है। इसमें हम एक बात और बढ़ाते हैं कि इमाम बैहक़ी की बयान की हुई 'मौकूफ़' हदीस में इस बात का उल्लेख नही हैं कि औरत को मस्जिद जाने से रोका गया है। इसमें तो मात्र यह बात बताई गई है कि औरत के लिए बेहतर यह है कि वह अपने घर में नमाज़ अदा करे इस सिलसिले में इमाम नववी की दलील हज़रत आयशा की यह हदीस है कि ''औरतों ने जो नई–नई चीज़े पैदा कर रखी हैं यदि वह नबी करीम (सल्ल.) के युग में होती तो नबी करीम (सल्ल.) औरतों को रोक देते (एक रिवायत में है कि उन्हें मस्जिद आने से रोक देते) जिस तरह कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था।'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस को दलील बनाने पर टिप्पणी करते हुए हम मात्र इब्ने क़ोदामा हम्बली के बयान को नक़ल करेंगे, वह कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत अनुकरण किये जाने की अधिक हक़दार है हज़रत आयशा (रज़ि.) का कथन मात्र उन औरतों के बारे में है जिन्होंने नई–नई बातें पैदा कर ली थीं न कि उन औरतों के बारे में है जो इससे दूर थीं और निस्सन्देह उन औरतों के लिये मस्जिद जाना नापसन्दीदा है जिन्होंने अपनी तरफ़ से कोई नई बात पैदा कर ली हो।

इब्ने क़ोदामा के कथन के साथ हम इस बात को बढ़ा सकते हैं कि हज़रत आयशा के कथन से यह बात समझी जा सकती है कि इसमें उन औरतों को चेतावनी दी गई है जिन्होंने अपनी तरफ़ से नई–नई बातें पैदा कर ली थीं। हज़रत आयशा (रज़ि.) का कथन नबी (सल्ल.) के उस कथन पर भारी नहीं हैं। जिसमें कि ''औरतों को मस्जिद से सम्बन्धित उनके अधिकार से वंचित न करो''। क्या किसी भी व्यक्ति का कथन चाहे वह ज्ञान के कितने ही उच्च स्थान तक पहुंच जाये नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत पर भारी हो सकता है?

उपर्युक्त टिप्पणी उन दलीलों को रद्द कर देती है जो औरत को जुमा की नमाज़ के बार में अक्षम समझी जाने वालों की सूची से अलग कर देते हैं। इस टिप्पणी के बाद हम यह समझते हैं कि जुमे की नमाज़ के बारे में औरत पर भी वही आदेश लागू होंगे जो दूसरे अक्षम लोगों पर लागू होते हैं। वह आदेश यह हैं कि अक्षम के लिए पसन्दीदा यह है कि वह जुमें में सम्मिलित रहे और यद्यपि जुमें में मात्र दो ही रकअतें हैं लेकिन वह ज़ुहर से अधिक पूर्ण है इसीलिए जुमे की नमाज़ सही और पूर्ण लोगों पर अनिवार्य है और अक्षम लोगों से इमाम नववी के अनुसार हल्का करने के लिये छूट और इब्ने अब्दुल बर के अनुसार छूट देने के लिए हटा दी गई लेकिन यदि अक्षम व्यक्ति, जुमे की नमाज़ पढ़ लेता है तो एक अच्छा काम करता है।

अल–मब्सूत में अल्लामा सरख़शी भी यही बात लिखते हैं कि ''यदि मुसाफ़िर, दास और औरत जुमे की नामज़ में आयें और नमाज़ अदा करें तो यह वैध है। उनकी दलील

हज़रत हसन की यह हदीस हैः ''नबी करीम (सल्ल.) के युग में औरतें नबी करीम (सल्ल) के साथ जुमे की नमाज़ अदा किया करती थीं। उनसे यह कहा गया था कि वह बिना सुगन्ध लगाये निकला करें।'' औरतों और अक्षम लोगों से जुमे की नमाज़ इसलिए हटा दी गई है ताकि यह लोग परेशानी और कष्ट से सुरक्षित रहें। यदि यह लोग कष्ट उठाकर जुमे में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी नमाज़ अदा हो जायेगी।

(ख) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, जो भी मर्द या औरत जुमे की नमाज़ के लिये आये उसे नमाज़ में आने से पहले ग़ुस्ल कर लेना चाहिये (इब्ने ख़ुज़ैमा) इस हदीस से पता चलता है कि औरतों को जुमे की नामज़ में सम्मिलित होना वैध है हज़रत उम्रः बिन्ते अब्दुर्रहमान की बहन फ़रमाती हैं मैंने सूरह क़ाफ़ नबी करीम (सल्ल.) की पवित्र ज़बान से सीखी, आप (सल्ल.) हर जुमे को मिम्बर पर इसकी तिलावत किया करते थे। (मुस्लिम)

इस हदीस से पता चलता है कि नबी करीम (सल्ल.) के युग में औरतें जुमा की नमाज़ में भाग लिया करती थीं। एक और हदीस है ''जुमे की नमाज़ जमाअत से अदा करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है। हां चार क़िस्म के मुसलमान इस आदेश से अलग हैं। दास औरत बच्चा, और बीमार।'' इस हदीस से पता चलता है कि जुमें की नमाज़ में सम्मिलित हों औरत पर अनिवार्य नहीं है। हज़रत मालिक का यह कथन बयान किया जाता है कि मर्दों के अतिरिक्त दूसरे लोग यदि बरकत के लिये जुमे की नामज़ में भाग लेते हैं तो उनके ऊपर भी ग़ुस्ल करना और जुमे के सभी आचार अनिवार्य हैं। इमाम मालिक के इस कथन से पता चलता है कि जुमे की नमाज़ में बरकत है। अतः औरत उसमें भाग लेकर बरकत प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है।

(ग) औरतों पर जुमा अनिवार्य नहीं है। हां उनको जुमे की अनुमति दी गई है। नबी करीम (सल्ल.) के युग में औरतें जुमा की नमाज़ में भाग लिया करती थीं। जुमे के ख़ुत्बों को सुनकर औरतें बहुत सी अच्छी बातें प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ–साथ जुमे की नमाज़ में दूसरी मोमिन बहनों से मुलाक़ात भी हो जाती है। उपर्युक्त बातों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि औरतों का जुमे की नामज़ में भाग लेना पसन्दीदा है। इस पसन्दीदगी का महत्व निम्नलिखत कारणों के आधार पर बढ़ जाता है :

- यदि मर्द को हर जुमें को नसीहत सुनने की आवश्यकता है तो औरत को भी नसीहत सुनने की आवश्यकता है। ख़ुत्बे में कभी–कभी नसीहत के साथ–साथ किसी ऐसी सामाजिक समस्या का उल्लेख भी हो सकता है जिसके लिये आपसी सहायता की आवश्यकता हो या किसी ऐसी राजनीतिक समस्या का उल्लेख भी हो सकता है जिसका उद्‌देश्य औरतों को चेतावनी देना हो।
- यद्यपि औरतों को नसीहत सुनने की आवश्यकता मर्द से कम नहीं है लेकिन इसके साथ कभी–कभी ऐसा होता है कि वह हैज़ (मासिक धर्म) निफास (प्रसव स्त्राव) या अपने छोटे बच्चे की देखभाल और घर की देख–रेख के कारण कई–कई जुमे में भाग नहीं ले पाती, इस तरह मजबूरी में वह बहुत सी भलाइयों से वंचित रह जाती है।

- नबी करीम (सल्ल.) ने ज़ोर देकर औरतों और बिन व्याही लड़कियों को ईद की नमाज़ में भाग लेने का आदेश दिया है। जुमे की नमाज़ में भी ईद की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और दोनों के बीच कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे जुमे के दिन ख़ुत्बा दिया जाता है। इस दिन भी मुसलमानों की बड़ी संख्या मस्जिद में एकत्र होती हैं। जुमे के दिन को बड़ी वरीयता है इसी वरीयता के अनुसार जुमे का स्थान पांचों नमाज़ों और ईद की नमाज़ के बीच है।

निचोड़ यह है कि शरीअत ने औरत पर जुमे की नमाज़ में भाग लेने को हल्का करने के उद्देश्य से फ़र्ज़ नहीं किया है। लेकिन औरतों को जुमे की नमाज़ में भाग लेने का प्रयास करना चाहिये। यह प्रयास स्वयं औरत की तरफ़ से औरत के पति और अभिभावक की ओर से भी होना चाहिए। इन सभी लोगों को जुमे की नमाज़ में औरत की भागीदारी के लिए आपसी सहयेाग से काम लेना चाहिये।

चौथा निर्देश :

औरत के लिये मनोरंजक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना वैध है लेकिन यह उस समय वैध है जब हलाल की सीमा में रहते हुए उसका समय अच्छी तरह कट रहा हो। इस प्रकार की गतिविधियां उस स्थिति में पसन्दीदा हो जाती हैं जबकि ये औरत के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने में सहयोगी बन रही हों।

मैं पहले ही ऐसी हदीसें बयान कर चुका हूं जिनमें मस्जिद के अन्दर या उसके बाहर मनोरंजक गतिविधियों में औरत की भागीदारी की ओर संकेत पाया जाता हैं।

पांचवां निर्देश :

मुसलमान लड़को और लड़कियों की शिक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उन्हें ऐसी अच्छी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना भी होना चाहिये जिनसे लोगों को लाभ पहुंचे। इसी तरह मुसलमान जवान लड़कों और लड़कियों को ये ध्यान दिलाना चाहिए कि अल्लाह के यहां उनके दायित्व परिवार की सीमा से गुज़र कर मुस्लिम समाज तक पहुंचते है।

इस उद्देश्य को निश्चित बनाने के लिये चुने हुए तरीक़ों को निम्नलिखित तीन पहलुओं पर आधारित होना चाहिए :

प्रथम : उन नैतिक मूल्यों को लड़कों और लड़कियों में बैठाना और विकसित करना, जिनकी थोड़ी बहुत झलक हमें उन हदीसों में मिलती है जिनका उल्लेख पहले निर्देश के अन्तर्गत हो चुका है।

द्वितीय : स्थानीय समाज और उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना

तृतीय : दो स्थानों पर समाज की सेवा का व्यावहारिक अध्ययन कराया जाये। एक स्कूल में स्कूली गतिविध्यिों के बीच अभ्यास कराया जाये। दूसरे स्थानीय क्षेत्रों में मौजूद सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अभ्यास कराया जाये।

छठा निर्देश :

औरत को अपने पूरे समय का उचित उपयोग करना चाहिए उसे समाज का एक लाभदायक तत्व बनना चाहिए और उसे अपने जीवन के किसी भी चरण में बेकारी से दूर रहना चाहिये। घर के कामों को पूरा करने के बाद यदि उसके पास समय बचा रहता है तो उसे उस समय का उपयोग किसी उचित और अच्छे काम में करना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों का मैदान अच्छे और भले कामों के करने के लिये एक खुला हुआ मैदान है।

'मुहल्लब' का कथन हैः ''औरत को यह अधिकार है कि वह फ़र्ज़ कामों के अतिरिक्त आज्ञापालन व बन्दगी के दूसरे काम अपने पति की अनुमति के बिना करे। शर्त यह है कि उससे पति को कुछ हानि न हो और न ही उसको अपने दायित्वों और फ़र्ज़ कामों को करने में उसके किसी अमल के कारण परेशानी होती हो। यदि औरत अपने पति की अनुमति के बिना सिकी इबादत में लग जाये तो पति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे इबादत के बीच में उसे इबादत से हटा दे''।

सातवां निर्देश :

यदि औरत पर पसन्दीदा सामाजिक गतिविधि का शौक़ बहुत अधिक हो ऐसी परिस्थिति में घरेलू काम काज में अपनी पत्नी का सहयोग करना चाहिए। लेकिन यदि औरत पर सामाजिक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य हो तो घरेलू कामकाज में पत्नी का सहयोग करना भी पति पर अनिवार्य हो जाता है।

औरत की नौकरी के सम्बन्ध में आठवें निर्देश में इसकी दलील गुज़र चुकी है। पत्नी जो कुछ सामाजिक गतिविधि करती है उसके बदले और सवाब(सवाब) में उसके साथ उसका पति भी भागीदार होता है और वह जिस सीमा तक अपनी पत्नी का सहयोग और उत्साह बढ़ाता है उसी सीमा तक उसका सवाब(सवाब) बढ़ जाता हैं।

यह हदीस गुज़र चुकी है कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि जब औरत अपने घर के खाने और अनाज को बिना कुछ गड़बड़ किये हुए ख़र्च करती है तो उसे ख़र्च करने का बदला मिलता है और उसके पति को कमाने का बदला मिलता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

उपर्युक्त हदीस को सामने रखते हुए हम यह कहते हैं कि यदि औरत अच्छी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है और अपने घर के समय को इस काम में ख़र्च करती है तो उसे उस काम के करने का बदला मिलेगा और उसके पति को घर की देख रेख करने, अपने जैसे ख़र्च करने और पत्नी की अनुपस्थिति में सब्र करने का बदला मिलेगा।

आठवां निर्देश :

मुस्लिम समाज मिल जुल कर ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो औरत के लिए समाज और घर दोनों का दायित्व पूरा करने में सहयेागी होते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के सहयोगी हैं।''......। (सूरह तौबाः71)

हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम मोमिनों को आपसी दया और प्रेम में एक शरीर की तरह पाओगे, कि जब शरीर का कोई अंग कष्ट महसूस करता हे तो उसके लिए पूरा शरीर रात भर जागता है और बुख़ार में पीड़ित रहता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

(क) हर क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं स्थापित करना चाहे वह केवल औरतों के लिये हो या मर्द औरत दोनों के लिए। ऐसा इसलिये किया जाये ताकि औरत के सामने विभिन्न क्षितिज खुलकर आयेंगे और वह समाज की सेवा में अपना हर संभव सहयोग कर सके, चाहे उस सहयोग का रूप और मात्रा कुछ भी हो।

(ख) समाज की सेवा में अपना सहयोग करने के लिए औरत को प्रेरित करना, उसकी भूमिका और दायित्व को फैलाने के हर तरीक़े और शिक्षा के माध्यम से बयान करना और उसे उस भूमिका को निभाने के लिये प्रेरित करना।

(ग) सामाजिक संस्थाओं में आने के लिये सामान्य औरतों को उत्साहित करना, ताकि वह विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से लाभ उठा सके।

(घ) मर्दों को इस बात का आवाहन(दावत) करना की वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में अपनी पत्नियों की सहायता करें।

नवां निर्देश :

मुस्लिम शासन का यह कर्त्तव्य है कि वह अच्छी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में औरत का मार्गदर्शन करे और उन्हें इसके लिये प्रेरित करे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तुममें से हर व्यक्ति निगहबान है और तुममें से हर व्यक्ति अपने अधीन के बारे में उत्तरदायी है। लोगों का अमीर उनका निगहबान(संरक्षक) है और उनके बारे में उत्तरदायी है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस दायित्व को निम्नलिखित साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है :

(क) सरकारी मीडिया के माध्यम से औरत को समाज के विकास अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चाहे वह यह काम शुद्ध रूप से महिलाओं की समाजिक संस्थाओं की गतिविधियों में भाग लेकर पूरा हो।

(ख) ऐसी संस्थाओं की स्थापना की राहें आसान करनी चाहिए जिनमें विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां पूरी की जा सकें, चाहे वह संस्थायें मात्र औरतों के लिये विशेष हों उन संस्थाओं की गतिविधियों को जारी रखने के लिये उनकी हर संभव आर्थिक सहायता करनी चाहिये।

(ग) सरकारी संस्थाओं में काम करने वाली औरतों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करना चाहिए उसका तरीक़ा यह हो कि उनके काम के समय

में कमी कर दी जाये या जब वह किसी सामाजिक संस्था में कोई महत्वपूर्ण काम कर रही हो तो उन्हें सामाजिक अवकाश दे दिया जाये।

दसवां निर्देश :

यदि औरत को किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के फलस्वरूप मर्दों से मुलाक़ात करनी पड़ती हो तो ऐसी स्थिति में मर्द औरत हर एक को मुलाक़ात के शिष्टाचार को ध्यान में रखना चाहिये। उन शिष्टाचारों का उल्लेख पहले भी हो चुका है हम यहां कुछ शिष्टाचारों को बयान करते हैं। जैसे, शिष्ट परिधान पहनना, निगाहें झुका कर रखना, एकान्त वास से बचना, सन्देह के स्थानों से दूर रहना आदि।

यदि कुछ संस्थाओं में मुलाक़ात के शिष्टाचारों में से कुछ शिष्टाचारों को ध्यान में न रखा जा रहा हो तो क्या ऐसी स्थिति में यह वैध है कि हम उन संस्थाओं से प्राप्त होने वाले हितों को छोड़ दें और औरतों को उनकी गतिविधियों में भाग लेने से रोक दे? या यह बेहतर है कि उन संस्थाओं से प्राप्त होने वाले हितों से लाभ प्राप्त किया जाये और साथ ही साथ शरई शिष्टाचार को स्थापित करने और ध्यान में रखने का विवेकपूर्ण प्रयास करना किया जाये?

फ़िक़्ह के सिद्धान्तों के नियमानुसार यदि बिगाड़ का डर न हो तो आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। हम निम्न में अल्लामा इब्ने तैमिया(रह.) के कथन प्रस्तुत करते हैं:

- जब कभी किसी ऐसे बिगाड़ का डर न हो। जिसे रोकने की आवश्यकता हो तो उस समय उस आवश्यकता की ओर भी निगाह डालनी चाहिये जो अनुमति, बल्कि पसन्दीदगी और अनिवार्यता को चाहती है।
- जब भी किसी चीज से ''बुराई से रोकने के माध्यम के रूप में रोका जाता है तो वह सुधार के उद्देश्य से किया जाता है''..........................। किसी अजनबी औरत से एकान्त में मिलने उसके साथ यात्रा या उसे देखने से इसलिये रोका गया है क्योंकि यह सारी चीज़ें बिगाड़ का माध्यम बनती हैं। इसी तरह औरत को अपने पति और महरम (जिससे शादी सदैव के लिए निकाह अवैध हो) के अतिरिक्त दूसरे मर्दों के साथ यात्रा करने रोका गया है क्योंकि अजनबी मर्द के साथ यात्रा करना बिगाड़ का माध्यम है। लेकिन यदि इन चीज़ों में सुधार का पहलू भारी हो तो यह चीज़े बिगाड़ का कारण नहीं बन सकतीं।
- यह शरीअत का सिद्धान्त है कि यदि सुधार और बिगाड़ में टकराव हो जाये तो उनमें से जो अधिक भारी हो उसके आदेश को वरीयता दी जाती है।

अध्याय–8

नबवी युग में राजनीतिक गतिविधियों में मुसलमान औरत की भागीदारी की घटनाएं और उनके सम्बन्ध में शरई निर्देश (हिदायतें) :

मुसलमान औरत अपना जीवन कुरआन व सुन्नत के अनुसार व्यतीत करती है। औरत के राजनीतिक गतिविध से सम्बन्धित हम जो व्यावहारिक घटनाएं यहां प्रस्तुत करेंगे वह ऐसी मिसालें है जो कुरआन और नबी (सल्ल.) की हदीसों में किसी घटना के सम्बन्ध में आई है। यदि तमाम नबी(अलै.) विशेष रूप से नबी (सल्ल.) के ज़माने की मोमिन ओरतों के कर्मो की पड़ताल की जाये तो उनसे मालूम होगा कि ये काम आसमानी हिदायत के अनुसार लागू होने के कुछ रूप हैं वर्तमान युग बल्कि हर युग में लागू होने का मैदान विस्तृत व हर ज़माने के हालात के अनुसार अस्तित्व में आने वाले नये नये रूपों के अनुसार लागू हो सकने की क्षमता रखता है।

इस्लाम एक ऐसा रास्ता है जो अकीदा, चरित्र। सामाजिक परिस्थितियों और शासन व सत्ता में परिवर्तन चाहता है। अतः मक्का के जाहिल समाज में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले गिरोह की मिसाल ऐसी ही थी जैसी आज के किसी देश में सरकार की कोई कठोर विरोधी पार्टी। दीनी गतिविधि को उस समय तक सामाजिक गतिविधि समझा जाता है जब तक कि वह समाज के लोगों तक सीमित हो। लेकिन यदि यह गतिविध सरकार के पीछे पड़ जाये और उसके विरूद्ध विद्रोह करने के साथ–साथ उसके विरोध का बीड़ा उठा ले तो ऐसी गतिविधि को आधुनिक शब्दावली में राजनीतिक गतिविधि कहा जाता है। इसलिए हमने निम्न लिखित गवाहियों व घटनाओं को राजनीतिक गतिविधि के अन्तर्गत बयान किया है। इनमें कुछ ऐसी घटना है जो नये दीन में दाख़िल होने के सम्बन्ध में हैं। कुछ घटनाएं नए दीन को स्वीकार करने से पहले उसमें चिन्तन से सम्बन्धित हैं कुछ घटनाएं नए दीन में दाख़िल होने के बाद उसकी तरफ़ बुलाने से सम्बन्धित हैं। कुछ घटनाएं ने दीन के कारण लोगों की तरफ़ से पहुंचने वाले अत्याचारों व यातनाओं और उस दीन के लिए देश से हिजरत करने से सम्बन्धित हैं। कुछ घटनाएं नये दीन की रक्षा के लिए जेहाद में भाग लेने के सम्बन्ध में हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औरत वर्तमान समाज की राजनीतिक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमने कुरआन करीम व बुख़ारी व मुस्लिम में इस गतिविधि के बारे में दलीलें तलाश करने की कोशिश की है। और उनका यहां उल्लेख किया है यद्यपि इनमें से कुछ का उल्लेख नबियों (अलै.) के ज़मानों से सम्बन्धित अध्याय में, या नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों से सम्बन्धित पांचवें अध्याय में आ चुका है। इसी तरह

हमने उन दलीलों को भी यहां बयान किया है। जिनमें औरत की राजनीतिक गतिविधि की तरफ़ संकेत किया गया है लेकिन उनमें अजनबी मर्दों से उसकी मुलाक़ात का उल्लेख नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया। ताकि तमाम हालात में औरत की भागीदारी का महत्व स्पष्ट हो जाये।

राजनीतिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी के रूप :

प्रथम। दारूल कुफ़्र (काफ़िरों के देष में)

- औरत का नया दीन लाने वाले नबी के दिल को सन्तुष्ट करना
- औरत का नये दीन की तलाश करना
- औरत का नये दीन पर सबसे पहले ईमान लाना

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) पर सबसे पहले वह्य का प्रारम्भ इस तरह हुआ कि आप को नींद में सच्चे सपने दिखाये जाते.... .... आपके पास फ़रिश्ता आया........... और उसने कहाः

(पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया इन्सान को जमे हुए ख़ून से, पढ़ो और तुम्हारा रब बुज़ुर्गी वाला है)

नबी (सल्ल.) इन आयतों को लेकर इस हालत में लौटे कि आपका दिल कांप रहा था। आप हज़रत ख़दीजा के पास गये। और कहा मुझे चादर ओढ़ा दो। मुझे चादर ओढ़ा दो। अतः आपको चादर ओढ़ा दी गई। यहां तक कि आपका डर मिट गया। आपने हज़रत ख़दीजा को पूरी घटना बतायी और कहा। मुझे अपनी जान को ख़तरा महसूस होता है। इस पर हज़रत ख़दीजा ने कहा ''कदापि नहीं''। अल्लाह की क़सम अल्लाह कभी आपके अपमानित नहीं करेगा, आप रिश्तों को जोड़ते हैं। लोगों के बोझ उठाते हैं। ग़रीबों के लिये कमाते हैं। अतिथि का सत्कार करते हैं और कठिनाइयों में लोगों की सहायता करते हैं। हज़रत ख़दीजा नबी करीम (सल्ल.) को अपने चचेरे भाई हज़रत वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं। उन्होंने अज्ञानता काल में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। वह इब्रानी भाषा में इन्जील लिखा करते थे। वह बहुत अधिक उम्र वाले थे और अन्धे हो चुके थे। हज़रत ख़दीजा ने उनसे कहा। ऐ भाई देखो तुम्हारा भतीजा क्या कह रहा है? वरक़ा ने आप से कहा। ऐ भतीजे तुमने क्या देखा। नबी (सल्ल.) ने जो देखा था उसे बयान कर दिया। वरक़ा ने आपसे कहा। यह वही नामूस (फ़रिश्ता) है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा (अलै.) पर उतारा था। काश मैं उस वक़्त स्वस्थ और जीवित रहूं जब तुम्हारी क़ौम तुम्हें निकालेगी। आपने कहा। क्यों, ये लोग मुझे निकाल देंगे? उन्हाने कहा हां, तुम जो चीज़ लाये हो। उसे लेकर जो कोई भी आया है उससे दुश्मनी की गई है। यदि मैं जीवित रहा तो तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, फिर जल्द ही वरक़ा की मौत हो गई। 'वह्य' का सिलसिला भी कुछ दिन के लिये रूक गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा ने नबी (सल्ल.) को ऐसे शब्दो के माध्यम से सन्तुष्ट किया। दिलासा दिया। जिनसे स्वयं उनके विवेक की पूर्णता व परिपक्वता का ज्ञान होता है और मालूम होता है कि उन्होंने आपके अन्दर जो गुण देखा था उसको पूरी सच्चाई

और पूर्णता के साथ बयान कर दिया। ये स्नेहपूर्ण शब्द हैं जिनसे प्रशंसा और आदर की सुगन्ध आती है। फिर हज़रत ख़दीजा नये दीन की तलाश में एक भरोसेमन्द व्यक्ति के पास गईं और वह सबसे पहले एक अल्लाह पर ईमान लाईं। हज़रत ख़दीजा के इस दूरदर्शितापूर्ण रवैया ने हमारे मन में एक ऐसी दूसरी औरत के रवैये की याद ताज़ा कर दी जो प्रारम्भिक युग में ईमान लाने वाले लोगों में से एक है। लेकिन उन्होंने अपना ईमान छिपा रखा था। वह उस समाज से बहुत चौकन्ना रहती थी जो उनके इस नये दीन का विरोधी था। वह अपनी कमज़ोर पार्टी की सहायता के लिये बेहतरीन तर्कों और दूरदर्शिता से काम लेती थी। एक बार हज़रत अबू बक्र ने कअ़बे में ख़ुत्बा दिया वहां मुशरिक लोग मौजूद थे। इस भाषण पर मुशरिकों ने उनको बुरी तरह मारा पीटा फिर उन्हें घर ले जाया गया। जब होश आया तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे हैं? उनकी माँ ने कहा। मैं तुम्हारे उस साथी के बारे में कुछ नहीं जानती। हज़रत अबू बक्र ने अपनी माँ से कहा। आप उम्मे जमील बिन्ते ख़त्ताब के पास जायें और उनसे नबी (सल्ल.) की ख़ैरियत पूछें। अतः उनकी माँ ने उम्मे जमील के पास जाकर कहा। अबू बक्र ने तुमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह की ख़ैरियत मालूम की है उन्होंने कहा। न मैं अबू बक्र को जानती हूं और न ही मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानती हूं क्या आप यह पसन्द करेंगी कि मैं आपके साथ आपके घर चलूं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, उम्मे जमील उनके घर गईं। उन्होंने हज़रत अबू बक्र को घायल और गम्भीर बीमारी की हालत में देखा। उम्मे जमील हज़रत अबू बक्र के निकट गई और कहा। जिन लोगों ने आपके साथ यह व्यवहार किया है वह वास्तव में गुनाहगार और काफ़िर हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि वह उन लोगों से उनका बदला ले ले। हज़रत अबू बक्र ने कहा। नबी (सल्ल.) का क्या हाल है। उम्मे जमील ने कहा आपकी माँ पास ही खड़ी हैं।

और हमारी सारी बातें सुन रहीं है हज़रत अबू बक्र ने कहा तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है उम्मे जमील ने कहा। नबी (सल्ल.) ख़ैरियत से हैं और ठीक–ठाक हैं। हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया अल्लाह की क़सम जब तक मैं आप के पास नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा उम्मे जमील और हज़रत अबू बक्र की माँ थोड़ी देर रूकी रहीं, यहां तक कि जब लोगों का जाना आना कम हो गया तो वह दोनों उन्हें सहारा देकर निकली और नबी (सल्ल.) के पास गई आपने हज़रत अबू बक्र को गले लगाया और उन्हें चूमने लगे। दूसरे मुसलमान भी उनको गले लगाने लगे।

नये दीन पर ईमान लाने में औरत की पहल

औरत का अपने पिता से पहले ईमान लाना :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीवा बिन्ते अबू सुफ़ियान और उम्मे सलमा ने एक गिरजाघर का उल्लेख किया जो उन्होंने हब्शा में देखा था। (बुख़ारी)

उपर्युक्त हदीस से इस बात का ज्ञान होता है कि हज़रत उम्मे हबीबा ने ईमान लाने के बाद हब्शा की तरफ़ हिजरत की थी उस समय उनके पिता अबू सुफ़ियान मुशरिक थे उन्होंने मक्का विजय से थोड़ा पहले ईमान स्वीकार किया था। हज़रत उम्मे हबीबा की अपने पिता के साथ एक अत्यन्त दिलचस्प घटना घटी। घटना यह है कि जब उनके पिता अबू सुफ़ियान मदीना आये तो वह नबी (सल्ल.) के पास गये। नबी (सल्ल.) उस समय मक्का पर आक्रमण के बारे में सोच रहे थे अबू सुफ़ियान ने आपसे हुदैबिया समझौते का समय बढ़ाने के सिलसिले में बात की। नबी (सल्ल.) ने उनकी बात स्वीकार नहीं की अतः अबू सुफ़ियान वहां से उठे और अपनी बेटी उम्मे हबीबा के पास गये। जब वह नबी (सल्ल.) के बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीवा ने वहां से बिस्तर हटा दिया। अबू सुफ़ियान ने कहा कि बेटी! क्या तुम इस बिस्तर को मेरे योग्य नहीं समझतीं या मुझे इस बिस्तर के योग्य

नहीं समझती, उन्होंने कहा यह अल्लाह के नबी का बिस्तर है और आप एक मुशरिक और नापाक व्यक्ति हैं। अबू सुफ़ियान ने कहा बेटी! तुम्हें मेरे यहां से जाने के बाद कोई बुराई लग गई है।

औरत का अपने भाई से पहले ईमान लाना

हज़रत सईद बिन ज़ैद कहते हैं अल्लाह की क़सम मैंने स्वयं को इस हालत में पाया कि हज़रत उमर मुझे (एक रिवायत के अनुसार मुझे और बहन को) इस्लाम के कारण बांधे हुए थे। यह घटना हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले की है। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं हज़रत उमर ने अपनी बहन फ़ातिमा और उनके पति के बाद इस्लाम स्वीकार किया क्योंकि हज़रत उमर के इस्लाम स्वीकार करने का कारण यह बात बनी कि उन्होंने अपनी बहन फ़ातिमा के घर में क़ुरआन की तिलावत सुनी थी। यह एक लम्बी घटना है जिसे क़ुर्तुबी आदि इतिहासकारों ने बयान किया है।

औरत का अपने पति से पहले ईमान लानाः

हज़रत उबैदुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास को कहते हुए सुना मैं और मेरी माँ कमज़ोरों (मुस्तज़अफ़ीन) में से थे। बच्चों में मैं और मेरी माँ औरतों में, मुस्तज़अफ़ीन की सूची में आते थे। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने तरजुमतुल बाब (बाब का शीर्षक) में लिखा है कि इब्ने अब्बास और उनकी माँ मुस्तज़अफीन में गिने जाते थे। वह अपने पिता और अपने क़ौम के दीन पर नहीं चलते थे।

उपर्युक्त हदीस की व्याख्या करते हुए हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं.............. इब्ने अब्बास की माँ का नाम लबाबा बिंन्ते हारिस था उनका पुकारने का नाम (कुन्नियत) उम्मुल फ़ज़्ल था फ़ज़्ल हज़रत अब्बास (रज़ि.) के सबसे बड़े बेटे थे। इमाम बुख़ारी ने ये शब्द कि 'वह अपने पिता और अपने क़ौम के दीन पर नहीं थे' बहुत सोच समझ कर लिखे हैं। वास्तव में हज़रत अब्बास ने बद्र के युद्ध के बाद इस्लाम क़ुबूल किया था। इस सिलसिले में मतभेद भी है लेकिन सच्चाई यह है कि हज़रत अब्बास ने मक्का विजय वाले वर्ष में

प्रारम्भिक दिनों में ही मदीने की तरफ़ हिजरत की थी। अतः वह नबी (सल्ल.) के साथ मक्का आये और मक्का विजय में भाग लिया। अल्लाह बेहतर जानता है।

हज़रत इबने अब्बास ने अपनी हदीस में इस आयत की तरफ़ संकेत किया है :

"आख़िर क्या कारण है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चे के लिए न लड़ो, जो कमज़ोर पाकर दबा लिये गये हैं और फ़रियाद कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, जिसके बस्ती वाले अत्याचारी हैं और अपनी तरफ़ से हमारा कोई सहायक पैदा कर दे। (सूरह निसा:75)

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा फ़रमाते हैं......... फिर नबी (सल्ल.) ने बनी अब्दे शम्स से सम्बन्ध रखने वाले अपने एक दामाद(अर्थात अबुल आस बिन रूबैअ़ का उल्लेख किया और आपने इस रिश्ते के सिलसिले में उनकी प्रशंसा की और कहा कि उसने मुझसे बात की तो सच्ची बात की और मुझसे वादा किया तो उसे पूरा किया।) (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) लिखते हैं.......... अबुलआस ने नबी करीम (सल्ल.) की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से आप (सल्ल.) को नबी बनाये जाने से पहले, शादी की थी। हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। लेकिन अबूलआस ने इस्लाम को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अबुल आस बद्र के युद्ध में दूसरे मुशरिकों के साथ मुसलमानों के हाथों क़ैद हो गये थे। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने उनको क़ैद से छुड़ाने के लिये फ़िदया भेजा, उस समय नबी करीम (सल्ल.) ने अबुल आस को इस शर्त पर क़ैद से आज़ाद किया कि वह हज़रत ज़ैनब को उनके पास भेज दें। अबुल आस ने

अपने वादे को पूरा किया। पिछली हदीस के आख़िरी शब्द "मुझसे वादा किया तो उसे पूरा किया का यही अर्थ है।

हव्वा बिन्ते यज़ाद अन्सारिया भी अपने पति से पहले ईमान लाई थीं। उन्होंने हिजरत से पहले उसी समय इस्लाम स्वीकार कर लिया था जबकि नबी करीम (सल्ल.) मक्के में थे। इस्लाम स्वीकार करने के बाद उनके पति उन्हें हर तरह का कष्ट पहुंचाया करते थे। नब करीम (सल्ल.) उनके पास गये। उन्हें इस्लाम की तरफ़ बुलाया और उनसे कहा ऐ अबू यज़ीद मुझे पता चला है कि तुम अपनी पत्नी हव्वा के साथ उस समय से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो जब से उसने तुम्हारे दीन को छोड़ा है। देखो तुम अल्लाह से डरो और उसे कष्ट न दो। उनके पति ने कहा आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, अब मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।

इसी तरह हज़रत उम्मे सुलैम ने भी अपने पहले पति मालिक बिन नज़र से पहले ही इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया उस समय उनके पति मौजूद नहीं थे। जब वह वापस हुए तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम अपने दीन से फिर गई हो? उन्होंने कहा मैं दीन से फिरी नहीं हूं बल्कि उस व्यक्ति पर ईमान लाई हूं। फिर उम्मे सुलैम हज़रत अनस को नसीहत करने लगीं और उनको कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह' पढ़ने के लिए कहने लगीं। अतः हज़रत अनस ने ऐसा ही किया। हज़रत अनस (रज़ि.) के पिता (अर्थात उनके पति) ने उनसे कहा तुम मेरे बेटे को

मत बिगाड़ो। उन्होंने जवाब दिया कि मैं उसे बिगाड़ नहीं रही हूं इसके बाद मालिक घर से निकल खड़े हुए। अचानक रास्ते में एक दुश्मन से उनकी मुठभेड़ हो गई। उसने उन्हें क़त्ल कर दिया।

औरत ने अपने पति के साथ–साथ भी इस्लाम स्वीकार किया है और अपनी चाहत से ईमान लाने के बाद उस पर जमी रही है। हालांकि उसका पति इस्लाम से फिर गया। हज़रत उम्मे हबीबा से उबैदुल्लाह बिन जहश ने शादी की। दोनों ने एक साथ हब्शा की दूसरी हिजरत की। हब्शा जाकर उबैदुल्लाह ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम से फिर गये। उनकी मौत हब्शा ही में हो गई लेकिन हज़रत उम्मे हबीबा इस्लाम पर जमी रहीं।

औरत का अपने मालिक से पहले इस्लाम स्वीकार करना :

हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) को उस समय देखा जिस समय आप (सल्ल.) के साथ पांच दास, दो औरतें और हज़रत अबू बक्र थे............। (बुख़ारी)

इस हदीस से पता चलता है कि दासी समाज में अपनी तमाम कमज़ोरियों के बावजूद अपने ताक़तवर आक़ाओं से पहले ईमान ले आईं, उन ईमान लाने वाली दासियों में हमामा । उम्मे अबीस ज़िन्नीरा नहदिया और उनकी दोनों बेटियां और क़बीला बनू अदी की एक दासी के नाम आते हैं। इन दासियों से सम्बन्धित कुछ बातें उस समय आयेंगी जब हम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को समाज के हाथों पहुंचने वाले अत्याचारों का उल्लेख करेंगे।

औरत का अपने घर वालों से पहले ईमान लाना :

हज़रत मरवान और मिस्वर बिन मख़रमा कहते हैं.......... हुदैबिया संधि के बाद उम्मे कुलसूम बिन्ते उक्वः बिन अबी मुऐत (रजि) ने भी नबी करीम (सल्ल.) की तरफ़ हिजरत की। वह उस समय बिल्कुल जवान थीं। उनके घर वाले नबी करीम (सल्ल.) के पास आये और उनसे उम्मे कुलसूम को वापस करने की मांग की। लेकिन नबी करीम (सल्ल.) ने उनको उनके घर वालों के हवाले नहीं किया।

अत्तबक़ातुल कुब्रा में हैः सिवाय उम्मे कुलसूम बिन्ते उक्बः के हमें किसी भी ऐसी कुरैशी औरत का ज्ञान नहीं है जिसने इस्लाम स्वीकार करके अपने मात–पिता को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ हिजरत की हो.......... उनके दो भाई बलीद और अम्मार उनकी खोज में निकले। वे लोग उन्हें वापस लेकर आना चाहते थें...................।

मोमिन मर्दों और औरतों का समाज के अत्याचारों का सामना करनाः

हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि कहते हैं। अल्लाह की क़सम मैंने स्वयं को इस स्थिति में पाया कि हज़रत उमर मुझे (और एक रिवायत के अनुसारः मुझे और अपनी बहन को) इस्लाम की वजह से बांधे हुए थे। यह घटना हज़रत उमर के इस्लाम स्वीकार करने से पहले की है................।   (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने उपरोक्त हदीस को विभिन्न अध्यायों में बयान किया है। उनमें से एक 'अध्याय' जिसने पसन्द किया मार क़त्ल और अपमान को कुफ़्र के मुक़ाबले में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि यह हदीस अध्याय के शीर्षक से पूरी अनुकूलता रखती है। क्योंकि हज़रत सईद और उनकी बीवी ने कुफ़्र के मुक़ाबले में अत्याचार और अपमान सहने को वरीयता दी। इब्ने हजर आगे कहते हैं कि हज़रत उमर हज़रत सईद को इस्लाम के कारण बांधे हुए थे। इसका अर्थ यह है कि हज़रत उमर ने हज़रत सईद बिन ज़ैद को उनके इस्लाम के कारण रस्सी से बांध दिया था। ताकि उन्हें अपमानित करें और इस्लाम से फिर जाने पर आमादा करें।.................. उनके साथ ऐसा रवैया अपनाने का कारण यह था कि वह उनकी बहन फ़ातिमा के पति थे। हज़रत उमर ने अपनी बहन और बहनोई के बाद इस्लाम क़ुबूल किया। उनके इस्लाम स्वीकार करने का कारण यह बना कि उन्होंने अपनी बहन के घर में कुरआन की तिलावत सुनी, कुर्तुबी और दूसरे इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। यह एक लम्बी कहानी हैं।

अभी अभी यह हदीस हमारी निगाहें से गुज़री है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कहा कि मैंने नबी (सल्ल.) को उस समय देखा जब आपके साथ केवल पांच दास, दो औरतें और हज़रत अबू बक्र थे। हज़रत अम्मार की माँ हज़रत सुमैया उन पांच दासों में से एक थीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर कहते हैं कि उन पांच दासों में तीन हज़रत अम्मार, उनकी माँ और उनके पिता होंगे। ये तीनों वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह की राह में बड़ी यातनायें दी गई इस्लाम की सबसे पहली शहीद महिला हज़रत सुमैया हैं। अबू जहल ने उन्हें एक भाले से मार कर शहीद कर दिया था।

सीरत (रसूलुल्लाह की जीवनी) की किताबों में लिखा है कि हज़रत अबू बक्र किसी ऐसे दास के पास से गुज़रते जिसे उसका मालिक यातना दे रहा होता। तो वह उसको उसके मालिक से ख़रीद कर आज़ाद करा देते, वह दास जिन्हें हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने ख़रीदकर आज़ाद किया उनमें हज़रत बिलाल (रज़ि.) उनकी माँ हमामा और उम्मे अ़बीस, ज़नीरा नहदीया और उनकी दोनों बेटियों और बनी अदी की उस दासी का नाम आता है जिसे हज़रत उमर (रज़ि.) मुसलमान होने से पहले मारा करते थे।

नये दीन की रक्षा के लिये औरत का अपने वतन से हिजरत करना :

कुफ़्र की ज़मीन से हिजरत करना मर्दों और औरतों पर समान रूप से अनिवार्य होना :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''जो लोग अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे फ़रिश्तों ने जब उनके प्राण निकाले तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हालत में लिप्त थे। उन्होंने उत्तर दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तें ने कहा क्या अल्लाह

की ज़मीन विस्तृत नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। ये वे लोग है जिनका ठिकाना जहन्नम है और वह बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हां जो मर्द, औरतें और बच्चे वास्तव में बेवस हैं और निकलने का कोई रास्ता और माध्यम नहीं पाते, दूर नहीं कि अल्लाह उन्हें क्षमा कर दे। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और गुनाहों को छिपाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वह ज़मीन में पनाह लेने के लिये

बहुत जगह और समय व्यतीत करने के लिये बड़ी गुंजाइश पायेगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ अपने घर से हिजरत के लिए निकले। फिर रास्ते ही में उसे मौत आ जाये। उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे अनिवार्य है अल्लाह बहुत क्षमाशील और कृपाशील है'' (सूरह निसा:97–100)

कमज़ोर बेबस मर्दों औरतों का हिजरत के लिए मदद मांगना:

अल्लाह तआला फ़रमाता है ''आख़िर क्या कारण है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों औरतों और बच्चों के लिये न लड़ो, जो कमज़ोर पाकर दबा लिये गये हैं और फ़रियाद कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह! हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बासी अत्याचारी हैं और अपनी तरफ़ से हमारे लिये कोई समर्थक नियुक्त कर, और हमारे लिये अपनी ओर से कोई सहायक नियुक्त कर। (सूरह निसा:75)

हब्शा की तरफ़ हिजरत:

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा और हज़रत उम्मे सलमा ने एक गिरजाघर का उल्लेख किया जो उन्होंने हब्शा में देखा था। आपने फ़रमाया ईसाइयों में जब कोई नेक आदमी मरता तो लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें उन जैसी तस्वीरें खुदवा देते। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह की सबसे अधिक नापसन्द होंगे। (बुख़ारी)

हज़रत अबू मूसा(रज़ि.) फ़रमाते हैं........ अस्मा बिन्ते उमैस नबी (सल्ल.) की बीवी हज़रत हफ़्सा से मिलने गईं। उन्होंने भी अन्य लोागें के साथ नजाशी की तरफ़ हिजरत की थी..........................। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे ख़ालिद जिनके पिता का नाम ख़ालिद बिन सईद बिन आस और माँ का नाम हमीना बिन्ते खलफ़ है। फ़रमाती हैं मैं हब्शा से अपने माँ–बाप के साथ आई, मैं उस समय बच्ची थी। नबी (सल्ल.) ने मुझे एक धारीदार कपड़ा पहनाया नबी (सल्ल.) अपने हाथों से उन धारियों को छूते और फ़रमाते सनाह!सनाह! हुमैदीकहते है सनाह! सनाह! का अर्थ है बहुत ख़ूब! बहुत ख़ूब्! (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं हब्शा की तरफ़ पहली हिजरत करने वालों में नबी (सल्ल.) की बेटी हज़रत रोक़ैया, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की बीवी हज़रत सहला बिन्ते सहल। हज़रत अबू सलमा की बीवी हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत आमिर बिन्ते रबीआ की बीवी हज़रत तनैला बिन्ते अबी हस्मा के नाम आते हैं। हब्शा की तरफ़ दूसरी हिजरत करने वाली औरतों की संख्या बारह (12) थी............. उनमें उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान, अस्मा बिन्ते उमैस और हमीना बिन्ते ख़लफ़ का नाम आता है।

मदीना की तरफ़ हिजरत

अल्लाह तआला फ़रमाता है। ''ऐ नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दीं तुम्हारी वह बीवियां जिनके मह्र तुमने अदा कर दिये, और वह औरतें जो अल्लाह की दी हुई दासियों में से तुम्हारी मिल्कीयत में आईं और तुम्हारी वह चचेरी बहनें और फुफेरी और खलेरी बहने जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है। (सूरह अहज़ाब:50)

हज़रत अस्मा (रज़ि.) उस समय का उल्लेख करते हुए कहती हैं जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर उनके गर्भ में थे। मैं हिजरत के लिए निकल पड़ी, प्रसव का समय क़रीब आ चुका था। मैं मदीना पहुंची और क़ुबा में पड़ाब किया। मैंने अब्दुल्लह बिन ज़ुबैर को क़ुबा में जन्म दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मरवान और मिस्वर बिन मख़रमा सहाबा किराम के बारे में बयान करते हैं कि हुदैबिया संधि के दिन सुहेल बिन उम्र ने जब संधि–पत्र लिखा तो उसने नबी (सल्ल.) के सामने एक शर्त यह भी रखी थी कि हमारे यहां से जो व्यक्ति भी आपके पास जाये चाहे वह आपके दीन का पैरव ही क्यों न हो आप उसे हमें वापस करेंगे।

और हमारे और उसके बीच नहीं आयेगे....... संधि की मुद्दत के दौरान आपके (सल्ल.) पास जो व्यक्ति भी मक्का से आया चाहे मुसलमान ही क्यों न था उसे आपने वापस कर दिया। कुछ मोमिन औरतें भी हिजरत करके आई, इन औरतों में उम्मे कुलसूम बिन्ते उक्बः भी थीं वह उस समय बिल्कुल नव युवती थी। उने घर वालों ने नबी (सल्ल.) से उनकी वापसी की मांग किा, लेकिन नबी (सल्ल.) ने उन्हें उने घर वालों के हवाले नहीं किया।

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़रमाते हैं हम लोग यमन में थे हमें ये ख़बर मिली कि नबी (सल्ल.) मदीने की तरफ़ निकल पड़े अतः हम लोग भी वहो से मदीने की तरफ़ निकल पड़े हमारी हमें लेकर नजाशी की तरफ़ चली गई। वहां हमारी मुलकात जाफर बिन अबू तालिब से हुई जिनके लोगों ने उन्ही के साथ पड़ाव डाला, यहां तक कि हम सब एक साथ मदीना आये................ हज़रत अस्मा बिन्ते औस जो हमारे साथ ही मदीना आई थी हज़रत हफ़्सा के पास गई। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अरब के एक क़बीले में ऐ काली दासी थी इन लोगों ने उसे आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद वह उन्हीं के बीच रहती थी वह दासी कहती है कि एक दिन उस क़बीले की एक बच्ची चमड़े का एक कीमती लाल पटका बांध कर निकली उसने स्वयं ही वह पटका कहीं रख दिया यह कि वह उससे कही गिर गया वहां से एक चील गुज़री चील ने उस पटके को गोश्त समझा और उसे उठा ले गई वह बांदी कहती है कि क़बीले के लोगों ने मेरे ऊपर उस पटके की चोरी का आरोप लगाया, हज़रत आयशा कहती हैं कि वे लोग उसकी तलाशी लेने लगे यहां तक कि उन्होंने तलाशी के दौरान उसके गुप्तांग भी देंखे, हज़रत आयशा कहती हैं कि उस दासी ने बताया मैं क़बीले के लोगों के साथ खड़ी थी कि वहां से एक चील गुज़री और उसने वह पटका

वहां डाल दिया और वहां डाल दिया और वह उन लोगों के बीच आकर गिरा दासी कहती है। फिर मैंने कहा ये रहा वह पटका जिसकी चोरी का आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो। मैं इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हूं तुम्हारी चीज़ तुम्हारे सामने है। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती है। कि फिर व दासी नबी (सल्ल.) के पास आई और उसने ईमान स्वीकार कर लिया। मस्जिद नवबी में उसका एक ख़ेमा था। हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती है। कि वह मेरे पास आया करती थी। वह जब भी मेरे पास बेठती यह शेअर (छन्द) अवश्य पढ़ती। जिनका अर्थ यह हैः

(पटके वाला दिन मेरे रब के आश्चर्यजनक दिनों में से एक था। मेरे रब ने मुझे कफ़्र के शहर से मुक्ति दिलाई)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मैंने उससे पूछा, तुम जब भी मेरे पास बैठती हो यह शेअर क्यों पढ़ती हो। इस पर उसने मुझे उपरोक्त बात बताई। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं इस हदीस में यह कहा गया है कि इन्सान को वह शहर और वह देश छोड़कर निकल जाना चाहिए जहां उसे परीक्षाओं को झेलना पड़े क्योकि संभव है कि वह उस शहर को छोड़कर जिस शहर में जाये। वाहॅ उसके लिये भलाई हो जैसा कि उपरोक्त हदीस में औरत के साथ घटित हुआ। इस हदीस से दारूल कुफ से हिजरत करने की अच्छाई सामने आती है।

सीरत (जीवनी) और तराजिम(शीर्षको) से सम्बन्धित किताबों में मदीने की तरफ़ हिजरत करने वाली बहुत स महिलाओं का उल्लेख हुआ है जैसे हज़रत अब्बास (रज़ि.) की बीवी हज़रत उम्मे फज़्ल, उम्मे सलमा बिन्ते उम्मे उमैयः। लैला बिनते अबू हस्मा उमैमः बिन्त अब्दुल मुत्तलिव, ज़ैनब बिन्ते जहश, हन्नः बिन्ते हजश, उम्मेहबीनः बिन्ते क़ैस सबीआ

जुदामा बिन्ते जन्दल, उम्मे क़ैस बिन्त महसन, फ़ातिमा बिन्ते क़ैस सबीआ असलमीया और उम्मे रूमान (रज़ि.)

इमाम ज़ुहरी (रह.) ने लिखा हैः ''मुझे किसी भी हिजरत करने वाली ऐसी महिला का ज्ञान नहीं है जो ईमान स्वीकार करने के बाद फिर गई हो''।

पूरे परीवार और क़बीले को दीन की तरफ़ दावत देनाः

औरत का अपनी क़ौम को नया दीन स्वीकार करने की दावत देना :

हज़रत इमरान बिन हसीन फ़रमाते हैं कि एक बार हम नबी करीम (सल्ल.) के साथ सफ़र पर थे। हमें बड़ी सख़्त प्यास लगी हुई थी। हम सफ़र जारी रखे हुए थे कि हमारी रास्ते में एक औरत से मुलाक़ात हुई जिसकी सवारी के दोनों तरफ़ मिश्कीज़े थे,हमने उससे पूछा कि पानी कहां है उसने उत्तर दिया कि पानी नहीं है हमने पूछा कि तुम्हारे घर और पानी के बीच कितनी दूरी है उसने जबाब दिया कि एक दिन और एक रात की दूरी है। फिर हमने उससे कहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल) के पास चलो। आप (सल्ल.) ने उसके मिश्किज़ों से पानी भरने का आदेश दिया हमारे पास जितने भी मिश्कीज़े और बरतन थे हमने उन सभी को पानी से भर लिया। हां हमने मात्र ऊटों को पानी नहीं पिलाया इतना

पानी भरने के बाद भी औरत के दोनों मिश्क़ीज़े पानी से लबालब भरे हुए थे और छलकना चाहते थे। फिर आप (सल्ल.) ने हम लोगों से कहा कि तुम लोगों के पास जो कुछ है ले आओ। अतः उस औरत के लिए कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ खजूरें जमा की गईं, वह औरत उन चीज़ों को लेकर घर चली गई उसने अपने घर और क़बीले वालों से कहा कि मैं इस समय सबसे बड़े जादूगर या उसके साथियों के कहने के अनुसार नबी के पास से आ रही हूं। इस तरह अल्लाह ने उस औरत के क़बीले वालों को उसके माध्यम से

सीधा रास्ता दिखाया। अतः उस औरत ने भी इस्लाम स्वीकार किया और उसके क़बीले वालों ने भी इस्लाम स्वीकार किया। एक दूसरी रिवायत में ये शब्द हैं कि इस घटना के बाद मुसलमान उस औरत के क़बीले के आस पास मौजूद मुशरिक क़बीलों पर आक्रमण कर रहे थे पर उस औरत के क़बीले पर आक्रमण नहीं कर रहे थें उसने एक दिन अपनी क़ौम से कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुसलमान तुम्हें जान बूझकर छोड़ रहे हैं। अतः इस्लाम के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं। उसकी क़ौम के लोगों ने उसकी बात मान ली और सब के सब इस्लाम में आ गये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उस औरत के इस्लाम कुबूल करने और अपनी क़ौम को इस्लाम की दावत देने से कई वर्ष पहले ही मक्के में एक महिला जिनका नाम उम्मे शरीक अल–करशीया था। ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उस समय मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी और वे लोग बहुत कमज़ोर थे। उस समय भी यह महिला क़ुरैश की महिलाओं के पास जातीं और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने की दावत देतीं। एक बार मक्का वालों को उनके इस काम का ज्ञान हो गया तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ा और इनसे कहा कि यदि तुम्हारी क़ौम तुम्हारा साथ न देती तो हम तुम्हें बहुत बुरा सबक़ सिखाते।

द्वितीयःइस्लामी राज्य में औरत का नबी करीम (सल्ल.) से मुसलमानों के इमाम की हैसियत से बैअत करना :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''ऐ नबी (सल्ल.) जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअत करने के लिए आयें और इस बात का अह्द करें कि वह अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी ने ठहरायेंगी चोरी न करेंगी, व्यभिचार न करेंगी, अपनी सन्तान की हत्या न करेंगी अपने हाथ पैर के आगे कोई आरोप गढ़कर न लायेंगी, और किसी अच्छे

मामले में तुम्हारी अवज्ञा न करेंगी तो उनसे बैअत कर लो और उनके लिये मुक्ति की दुआ करो। निश्चय ही अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है''।

(सूरह मुम्तहिनाः12)

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं मैंने ईदुल फित्र की नमाज़ नबी करीम (सल्ल.) हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और हज़रत उसमान (रज़ि) हर एक के साथ अदा की है। ये सभी लोग पहले ईद की नमाज़ पढ़ते थे फिर ख़ुत्बा दिया करते थे (नमाज़ और ख़ुत्बा के बाद) नबी करीम (सल्ल.) मिम्बर से नीचे उतरे, मानो मैं इस समय वह दृश्य देख रहा हूं कि आप (सल्ल.) मर्दों को अपने हाथ से बिठा रहे हैं। फिर इसके बाद नबी (सल्ल.) मर्दों के बीच

से गुज़रते हुए हज़रत बिलाल के साथ औरतों के पास पहुंचे और उनके सामने यह आयत तिलावत की ''ऐ नबी (सल्ल.) जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअत करने के लिये आयें और इस बात का अहद करें कि वह अल्लाह के साथ किसी चीज़ को साझी न ठहरायेंगी चोरी न करेंगी व्यभिचार न करेंगी अपनी सन्तान की हत्या न करेंगी, और अपने हाथ पैर के आगे कोई आरोप गढ़कर न लायेंगी.............।'' नबी करीम (सल्ल.) ने इस पूरी आयत की तिलावत की। आयत की तिलावत करने के बाद आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या तुम औरतें इसके अनुसार कर्म करती हो। सभी औरतों में से केवल एक औरत ने उत्तर दिया हां मैं पूरी आयत पर अमल करती हूं, हज़रत हसन(रज़ि.) को मालूम नहीं हो सका कि वह कौन औरत थी। फिर नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया सभी औरतों को सदक़ा करना चाहिये। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया और औरतें उस में अपनी अंगूठियां डालने लगीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरतों के नबी (सल्ल.) से बैअत करने के मसले से कई बातें मालूम होती होती हैं, पहली बात यह मालूम होती है कि औरत का व्यक्तित्व अपने आप में स्वतन्त्र व स्थायी है। औरत मात्र मर्द की आज्ञापालक ही नहीं है बल्कि वह उसी तरह बैअत करती है जिस तरह मर्द बैअत करते हैं,

दूसरी बात यह मालूम होती है कि औरतों की बैअत वास्तव में इस्लाम की बैअत और नबी करीम (सल्ल.) के आज्ञापालक की है और इस मसले में मर्द औरत दोनों ही के सिलसिले में समान आदेश है। कभी मर्द भी नबी करीम (सल्ल.) से औरतों की बैअत की तरह बैअत करते थे। हज़रत ओबादा बिन सामित फ़रमाते हैं कि आपके आस–पास कुछ सहाबा बैठे थे। उस समय आप (सल्ल.) ने फ़रमाया आओ तुम सब मुझसे इस बात पर बैअत करो कि अल्लाह के साथ किसी और को साझी ने ठहराओगे, चोरी न करोग व्यविभचार न करोगे अपनी सन्तान की हत्या न करोगे, और अपने हाथ पैर के आगे कोई आरोप गढ़कर न लाओगे और किसी भलाई के मामले में मेरी अवज्ञा न करोगे ....हज़रत ओबादा फ़रमाते हैं कि मैंने इन बातों पर आप (सल्ल.) से बैअत कर ली। (बुख़ारी)

बैअत की एक क़िस्म मात्र मर्दों के साथ विशेष है वह जेहाद और सुरक्षा की बैअत है जैसे हुदैबिया के अवसर पर बैअत रिज़वान। तीसरी बात यह मालूम होती है कि औरतों की नबी करीम (सल्ल.) से बैअत करने की दो हैसियतें हैं। पहली नबी करीम (सल्ल.) को एक ऐसा रसूल समझना जो अल्लाह के सन्देश को लोगों तक पहुंचाता है। दूसरी नबी (सल्ल.) को मुसलमानों का इमाम समझनाा दूसरी हैसियत की पुष्टि अल्लाह तआला के इस कथन से होती हैं। ''और वह भलाई के मामले में तुम्हारी अवज्ञा न करेंगी'' इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन से भी दूसरी हैसियत की पुष्टि होती है निस्सन्देह आज्ञापालन तो मात्र भले कामों में वैध है''। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जब हमने औरतों की नबी करीम (सल्ल.) से बैअत करने के मसले का उल्लेख किया तो हमें यह घटना भी याद आ गई कि बैअते उक़्बा (द्वितीय) में मर्दों के साथ औरतें

भी सम्मिलित थीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इब्ने इसहाक़ की रिवायत की हुई एक हदीस नक़ल की है जिसे इब्ने हिब्बान ने सहीह ठहराया है।

"हज़रत कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं हम अपनी क़ौम के मुशरिकों के साथ हज के लिए निकले। हम लोगों ने नमाज़ अदा की। हमारे साथ हमारे सरदार बराअ बिन मअरूर भी थे वह कहते हैं फिर हम 73 मर्द उक़्बा के पास एकत्र हुए। हमारे साथ दो औरतें भी थीं। क़बीला बनू माज़िन की एक महिला उम्मे अम्मारा बिन्ते कअ़ब और क़बीला बनू सलमा की एक महिला अस्मा बिन्ते अम्र बिन अदी"।

हिजरत करने वाली औरतों की जांच पड़ताल करना :

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः "ऐ लोगों जो ईमान लाये हो। जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आयें(तो उनके मोमिन होने की) जांच पड़ताल कर लो और उनके ईमान की हक़ीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाये कि वह मोमिन हैं तो उन्हें काफ़िरों की तरफ़ वापस न करो। न वह काफ़िरों के लिये हलाल हैं और न काफ़िर उनके लिए हलाल....................."। (अल–मुम्तहिनाः10)

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) और हज़रत मरवान (रज़ि.) (जिनमें से प्रत्येक दूसरे की पुष्टि करता है) कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) हुदैबिया के समय निकले. .... फिर सुहेल बिन अम्र आया और उसने कहा आइये।

हमारे और अपने बीच एक संधि लिख लीजिये, नबी (सल्ल.) ने लिपिक को बुलाया लिखो............. सुहेल ने कहा। संधि की एक शर्त यह भी है कि आपके पास हमारे यहां से जो भी आये चाहे वह आपके दीन का पैरव ही क्यों न हो। उसे आप हमें लौटा देंगे...... फिर कुछ मोमिन औरतें आईं तो अल्लह तआला ने यह आयत अवतरित कीः

(सूरह मुम्ताहिनः10) बुख़ारी व मुसिलम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं। उस हिजरत करने वाली मोमिन औरतों में हस्सान बिन दहदाहा की पत्नी उमैमा बिन्ते बशरा मुसफ़िर अल मख़ज़ूमी की पत्नी सबीआ बिन्त हारिस............. शम्मास

बिन उसमान की पत्नी बरोग़ बिन्ते उक्बा और उम्र बिन अब्दे बुद्द की पत्नी अब्द बिन्ते अब्दुल अज़ीज़ बिन नज़्ला (रज़ि.) के नाम आते हैं।

हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं कि जब मोमिन औरतें नबी (सल्ल.) की तरफ़ हिजरत करके आती थीं तो आप उनकी जांच पड़ताल करते, क्योंकि अल्लाह का यह कथन था कि "ऐ ईमान हिजरत करके आने वाली औरतों की जांच पड़ताल कर लो.................. हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जो भी मोमिन औरत इस शर्त को स्वीकार कर लेती थी मानो कि वह परीक्षा (जतपंस) को स्वीकार कर लेती थी (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा के शब्द "जो मोमिन औरत भी इस शर्त को स्वीकार कर लेती थी मानो कि वह परीक्षा को स्वीकार कर लेती थी" इससे ईमान की शर्त की तरफ़ संकेत है इससे अधिक स्पष्ट शब्दों के साथ तबरी में रिवायत

मिलती है। उसमें लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया उन औरतों के फ़ित्ने यह थीं कि वह गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई इबादत योग्य नहीं और मुहम्मद(सल्ल.) अल्लाह के रसूल हैं। तबरी में हज़रत इब्ने अब्बास से नक़ल की हुई एक अन्य रिवायत यह हैः अल्लाह की क़सम वह औरत अपने पति से नाराज़ होकर या एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण की इच्छा में या मौलिक चीज़ों के लिए निकली हो बल्कि वह वास्तव में, अल्लाह व उसके रसूल के प्रेम में निकली हो।

औरत का स्वयं को भाादी का संदेश देने वाले को इस्लाम का आवाहन

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने अबू तलहा की बीवी को देखा.................। (मुस्लिम)

हज़रत अबू तलहा की बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। हज़रत अबू तलहा के साथ उनकी शादी की कहानी से उनका व्यक्तित्व और ईमान की मज़बूती का पता चलता है। उससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें शादी का सन्देश दिया था उसे इस्लाम की दावत देने की चाहत आपके अन्दर कितनी मात्रा में पाई जाती थीं।

इब्ने सअ़द ने तबक़ात में लिखा है कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को शादी का सन्देश दिया तो उन्होंने कहा ऐ अबू तलहा क्या आप नहीं जानते कि आप जिस चीज़ की इबाद़त करते हैं वह तो एक पेड़ है। जो ज़मीन पर उगता है। उसे आमुक हब्शी ने तराश कर बनाया है। ऐ अबू तलहा क्या आपको मालूम नहीं कि आप जिस चीज़ की इबादत करते है यदि उसे आग लगा दी जाये तो वह जल जायेगा। क्या आप नहीं देखते आप जिस पत्थर की इबादत करते हैं वह न ही आपको हानि पहुंचाता है और न ही लाभ पहुंचाता है।

हज़रत साबित बन्नाना कहते हैं कि हज़रत अनस ने फ़रमाया, कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को शादी का सन्देश दिया तो उन्होंने कहा ऐ अबू तलहा! अल्लाह की क़सम आप जैसे लोगों के सन्देश वापस नहीं किये जाते। लेकिन समस्या यह है कि आप एक काफ़िर मर्द हैं और मैं एक मुसलमान औरत हूं, मेरे लिये आपसे शादी करना वैध नहीं है। यदि आप इस्लाम स्वीकार कर लें, तो वही मेरा मह्र होगा, मैं उसके अतिरिक्त मह्र में कुछ भी मांग न करूंगी (हालांकि वह अन्सारियों में सबसे अधिक मालदार और सबसे अधिक खजूर के बाग़ों के मालक थे। अतः अबू तलहा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उनका इस्लाम ही उम्मे सुलैम का मह्र ठहरा। हज़रत साबित कहते है। मैंने मह्र कि सिलसिले में उम्मे सुलैम से अधिक आदरणीय कोई औरत नहीं देखी। उनका मह्र इस्लाम था।) (नसाई)

उम्मे सुलैम ने स्वयं को शादी का सन्देश देने वाले को ऐसे समय में इस्लाम की दावत दी जब इस्लामी राज्य के गठन का आरम्भ हुआ था उस समय मदीने की आबादी मुसलमानों, मूर्ति पूजकों और यहूदियों पर आधारित थी।

इस्लाम की रक्षा के लिये जेहाद में औरत की भागीदारी :

हज़रत रूबैअ़ बिन्ते मुअ़व्विज़ फ़रमाती हैं हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ युद्धो में जाया करते थे। हम लोगों को पानी पिलाते, उनकी सेवा करते थे। घायलों का इलाज करते थे और घायलों और शहीदों को मदीना भेजा करते थे। (बुख़ारी)

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं............. नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग जो समुद्र में जाकर जेहाद करेंगे वह मेरे सामने तख़्त पर बैठे बादशाहों की तरह प्रस्तुत किये गये.................।

हज़रत उम्मे हराम ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ करें कि वह मुझे भी उनमें सम्मिलित कर ले। अतः आपने(सल्ल.) उनके लिये दुआ फ़रमा दी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हम यहां जेहाद में औरत की भागीदारी के सम्बन्ध में मात्र दो ही हदीसें प्रस्तुत करने को पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि पांचवें अध्याय में जेहाद के सम्बन्ध में तमाम हदीसें गुज़र चुकी हैं।

औरतों का नबी (सल्ल.) से प्रेम स्नेह और वफ़ादारी व्यक्त करनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हिन्द बिन्ते उत्बा नबी (सल्ल.) के पास आईं और कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आपके ख़ेमे वालों से अधिक किसी और का अपमान मुझे पसन्द नहीं था। लेकिन अब इस पूरी दुनिया में आपके ख़ेमे वालो (अर्थात पैरवी करने वालों से अधिक) किसी और का सम्मान मुझे प्रिय नहीं। (बुख़ारी व मुस्लिम.)

औरत का मर्दों को पनाह देना और इमाम का उसकी पनाह को स्वीकार करना

हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब फ़रमाती हैं, मैं मक्का विजय के वर्ष नबी (सल्ल.) के पास गई उस वक़्त आप ग़ुस्ल कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा आड़ किये हुए थीं। मैंने आपको सलाम किया आपने पूछा कौन है। मैंने कहा। मैं उम्मे हानी फिर मैंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मेरा भाई अली कहता है कि वह उस व्यक्ति को क़त्ल कर देगा जिसे मैंने पनाह (शरण) दे रखी है। वह अबू बिन हुबैरा है नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ उम्मे हानी तुमने जिस व्यक्ति को पनाह दी है हम भी उसे पनाह देते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

औरत का राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेना :

उम्मे सलाम का मिम्बर पर मौजूद मुसलमानों के इमाम की पुकार का उत्तर देनाः

हज़रत अब्दुल्लाह बिन राफेअ़ कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा बयान करती थीं कि वह बालों में कंघा कर रहीं थीं उन्होंने मिम्बर पर नबी (सल्ल.) को कहते हुए सुना,

ऐ लोगो, उन्होंने बालों में कंघा करने वाली दासी से कहा। मेरा सिर छोड़ो, (एक रिवायत में हे मैंने दासी से कहा ज़रा अलग हटो) दासी ने कहा नबी (सल्ल.) ने मर्दों को पुकारा है। औरतों को नहीं। मैंने कहा मैं भी लोगों में से हूं............. (मुस्लिम)

आक्रमण के लिए बनू कुरैज़ा की तरफ़ निकलते समय उम्मे सलमा का मुसलमानों के इमाम के ख़ुत्बे को ध्यान से सुनना

हज़रत ओसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी (सल्ल.) के पास हज़रत जिब्रील(अलै.) आये। आपके पास उस समय हज़रत उम्मे सलमा मौजूद थीं। वह आपसे बात करने लगे फिर उठकर चले गये।

नबी (सल्ल.) ने हज़रत उम्मे सलमा से पूछा क्या तुम जानती हो ये कौन थे। उन्होंने कहा ये हदया थे। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह की क़सम मैं तो उन्हें दहया ही समझ रही थी। यहा तक कि मैंने नबी (सल्ल.) को ख़ुत्बा देते सुना, जिसमें आप हज़रत जिब्रील(अलै.) के आने की सूचना दे रहे थे।(इससे मुझे मालूम हुआ कि वह दहया नहीं थे) (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे सलमा की उपरोक्त रिवायत संक्षिप्त है। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने नबी (सल्ल.) की इस बात चीत को स्पष्ट रूप से बयान किया है जो हज़रत जिब्रील के साथ हुई थी और जिसका बयान नबी (सल्ल.) ने अपने ख़ुत्बे में किया था। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं नबी (सल्ल.) के पास हज़रत जिब्रील आये। यह कहानी अहज़ाब युद्ध से लौटने के समय का है। और कहा। आपने हथियार रख दिया अल्लाह की क़सम हमने अभी तक हथियार नहीं रखा है। आप उनकी तरफ़ चलिये, आपने पूछा कि किस तरफ़ हज़रत जिब्रील(अलै.) ने कहा। उस तरफ़ यह कहकर उन्होंने बनू कुरैज़ा की तरफ़ संकेत किया। (बुख़ारी)

मुसलमानों के इमाम के साथ आम सभा की दावत पर हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस का लब्बैक कहना :

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं जब मेरी इद्दत के दिन पूरे हो गये तो मैन नबी (सल्ल.) के पुकारने वाले को मस्जिद में एकत्र होने की आवाज़ देते हुए सुना। अतः मैं भी मस्जिद की तरफ़ निकली, और मैंने आपके साथ नमाज़ अदा की। मैं मर्दों की पंक्तियों के बाद औरतों की पहली पंक्ति में थी। एक रिवायत में है मैं भी लोगों के साथ चली, मैं औरतों की पहली पंक्ति में थी जो मर्दों की आख़िरी पंक्ति के बाद थी। नबी (सल्ल) जब नमाज़ पढ़ चुके तो आप हंसते हुए मिम्बर पर बैठे। आप ने (सल्ल.) फ़रमाया तुममें से हर व्यक्ति अपनी ही जगह बैठा रहे। फिर आपने फ़रमाया, क्या तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों एकत्र किया है सहाबा(किराम) ने जवाब दिया अल्लाह और उसके

रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया अल्लाह की क़सम मैंने तुम लोगों को किसी चीज़ की प्रेरणा दिलाने या किसी चीज़ से डराने के लिये एकत्र नहीं किया है...... ....(मुस्लिम)

ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर को मुस्लिम उम्मत के भविश्य की चिन्ता :

हज़रत क़ैस बिन अबू हाज़िम (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) क़बीला अहमस की एक औरत ज़ैनब बिन्ते मुहाजिर के पास गये। उन्होंने देखा कि वह बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा यह बात क्यों नहीं करती। लोगों ने कहा इसने चुप रहकर हज करने की मन्नत मानी है। उन्होंने उससे कहा बात करो। क्योंकि चुप रहकर हज करना वैध नहीं है। यह तो अज्ञानता का काम है। अतः वह बात करने लगी, उसने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं एक मुहाजिर हूं, उसने पूछा कौन से मुहाजिर? उन्होंने कहा मेरा सम्बन्ध क़ुरैश से है। उसने पूछा क़ुरैश के किस क़बीले से आपका सम्बन्ध है? उन्होंने कहा तुम बहुत सवाल करती हो। मैं अबू बक्र हूं । उसने पूछा अज्ञानता के बाद अल्लाह ने जो पवित्र दीन हमें प्रदान किया है। हम उस पर कब तक क़ायम रहेंगे? उन्होंने कहा तुम लोग इस दीन पर उस समय तक क़ायम रहोगे जिस समय तक तुम्हारे इमाम लोग सीधे रास्ते पर रहेंगे उसने पूछा ये इमाम लोग कौन हैं? उन्होंने कहा। क्या तुम्हारी क़ौम में कुछ सरदार नहीं होते जो लोगों को आदेश देते हैं तो लोग उनका आज्ञापालन करते हैं? उसने कहा क्यों नहीं? उन्होंने कहा यही लोग लोगों के इमाम हैं। (बुख़ारी)

हज़रत आयशा (रज़ि.) का एक भाासक का हाल पूछनाः

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शम्मास(रज़ि.) कहते हैं मैं हज़रत आयशा से कुछ बातें पूछने के लिये उनके पास आया तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा सम्बन्ध कहां से है? मैंने कहा। मिस्त्र से, उन्होंने पूछा तुम्हारे शासक का तुम्हारे मुजाहिदीन के बारे में क्या रवैया है? उन्होंने कहा हम लोगों ने उसमें कोई भी कमी नहीं देखी। यदि हमारे किसी व्यक्ति का ऊँट मर जाता है तो वह उसे ऊँट दे देता हे और यदि दास मर जाता है तो उसे दास दे देता है और यदि किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो उसे ख़र्चा दे देता। (मुस्लिम)

राजनीतिक समास्याओं में औरत का मर्द को परामर्श देना :

हुदैबिया के दिन हज़रत उम्मे सलमा का नबी करीम (सल्ल.) को परामर्श देनाः

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा और हज़रत मरवान(जिनमें से प्रत्येक दूसरे की पुष्टि करता है) फ़रमाते हैं कि हुदैबिया में नबी (सल्ल.) निकले .... सुहैल बिन अम्र आया और उसने कहा आइये, अपने और हमारे बीच एक संधि लिख लीजिये, नबी करीम (सल्ल.) ने लिपिक को बुलाया और उससे कहा लिखो, ''अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है''। सुहेल ने कहा अल्लाह की क़सम हमें नहीं पता कि ''रहमान'' क्या चीज़ है। इसके बजाये वह लिखो जो तुम लिखा करते थे अर्थात ''तेरे नाम से ऐ अल्लाह इस पर मुसलमानों ने कहा अल्लाह की क़सम हम तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाहि रहमानि र्हीम ही लिखेंगे, नबी करीम

(सल्ल.) ने फ़रमाया लिख दो........ सुहेल से नबी (सल्ल.) ने कहा कि इस संधि की एक शर्त यह भी है कि तुम लोग हमारे और अल्लाह के घर के बीच रास्ता छोड़ दो ताकि हम तवाफ कर सकें। सुहेल ने कहा अल्लाह की क़सम ऐसा कदापि नहीं हो सकता अन्यथा ये अरब वाले कहने लगेंगे, कि हम दबाब में आ गये हैं। आप अगले वर्ष ही तवाफ़ और उमरा कर सकते हैं। अतः संधि की यह शर्त लिख दी गई।

सुहेल ने कहा। संधि की एक शर्त यह भी है कि आपके पास जो व्यक्ति भी आये। आप उसे हमारे पास वापस करेंगे मुसलमानों ने कहा सुब्हानल्लाह! उसे मुशरिकों की तरफ़ कैसे वापस कर दिया जायेगा हालांकि वह मुसलमान होकर आयेगा? हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं। मैं नबी करीम (सल्ल.) के पास आया और मैंने कहा कि क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्यों नहीं, मैंने कहा क्या हम लोग सच्चाई पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं?आने फ़रमाया क्यों नहीं, मैंने कहा मैंने कहा फिर में अपने दीन के बारे में अपमान का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आपने फ़रमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं मैं अल्लाह की अवज्ञा नहीं कर सकता। अल्लाह ही मेरी सहायता करने वाला है मैंने कहा क्या आप हमसे यह नहीं कहा करते थे कि हम लोग अल्लाह के घर जायेगे और उसकी तवाफ़ करेंगे आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्यों नहीं लेकिन क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि हम इसी वर्ष अल्लाह के घर कअ़बा जायेंगे? हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने कहा नहीं आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम निश्चय ही कअ़बा जाओगे और उसका तवाफ़ करोगें..... जब नबी करीम (सल्ल.) संधि के मसले से निपट चुके थे तो नबी करीम (सल्ल.) ने अपने सहाबा से फ़रमाया जाओ अपने जानवरों को ज़बह करो। फिर अपने बाल उतरवालो। रिवायत करने वाले कहते हैं। अल्लाह की क़सम सहाबा में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। आप (सल्ल.) ने तीन बार यही बात कही, जब कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा तो आप (सल्ल.) उम्मे सलमा के पास चले गये और उनसे सहाबा के रवैये को बयान किया हज़रत उम्मे सलमा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप वास्तव में ऐसा ही चाहते हैं? आप निकलिये, किसी से भी बात न कीजिये। अपने जानवर को ज़बह कर दीजिये और अपने बाल उतरवा लीजिये। अतः नबी (सल्ल.) निकले। किसी से बात नहीं की। आप (सल्ल.) ने अपने जानवर को ज़बह किया

और अपने बाल उतरवा लिये,जब सहाबा ने नबी को ऐसा करते देखा तो सब अपनी जगह से खड़े हुए। अपने–अपने जानवरों की कुर्बानी की और एक दूसरे के बाल उतारने लगे।

हुनैन के दिन उम्मे सुलैम का नबी (सल्ल.) को परामर्श देनाः

हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते है कि हज़रत उम्मे सुलैम ने........ हुनैन के युद्ध के दिन........ कहा ऐ अल्लाह के रसूल! जो लोग मक्का विजय के अवसर पर आज़ाद छोड़ दिये गये। आप उन्हें क़त्ल करने का आदेश दे दीजिये। यह सब हार जायेंगे, नबी करीम(सल्ल.) ने फ़रमाया ऐ उम्मे सुलैम! अल्लाह तआला काफ़ी है और एहसान करने वाला है। (मुस्लिम)

मस्जिद में हज़रत उमर (रज़ि.) को भाला मारे जाने के बाद हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का अपने भाई अब्दुल्लाह को परामर्श देना :

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं। में हज़रत हफ़्सा के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का इरादा नहीं रखते। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं मैंने कहा। वह ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा। वह ऐसा ही करने वाले हैं। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने इस बारे में अपने पिता से बात करने की क़सम खाई फिर मैं चुप हो गया और पिता के पास आया, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर पहाड़ का बोझ हो। फिर मैं दूसरी बार लौट कर उनके पास गया उन्होंने मुझसे लोगों के हालात पूछे, मैंने उन्हें लोगों के हालात की सूचना दी। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं, फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना है तो मैंने वह बात आपसे करने की क़सम खा ली। लोग यह कह रहे हैं कि आप अपना

उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाले नहीं है। यदि कोई आपका ऊँटो और बकरियों का चराने वाला हो और वह उन्हें वैसे ही छोड़कर आपके पास आ जाये तो आपका क्या विचार है क्या वह तबाह नहीं हो जायेंगे? फिर लोगों की निगहबानी और देख–रेख तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे पिता मेरी बातों से सहमत हो गये। वह थोड़ी देर अपना सिर बिस्तर पर रखे रहे, फिर मेरी तरफ़ सिर उठाकर कहाः "अल्लाह तआला अपने दीन की रक्षा करेगा, यदि मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करता हूं तो नबी करीम (सल्ल.) ने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था और यदि मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं तो तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) और हज़रत अबू बक्र का उल्लेख किया तो मैं समझ गया कि वह नबी करीम(सल्ल.)पर किसी को वरीयता नहीं देंगे। अतः वह किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेंगें। (मुस्लिम)

हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच फ़ैसले के दिन हज़रत हफ़्सा अपने भाई अब्दुल्लाह को परामर्श देना :

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया उस मसय उनके बालों से पानी के क़तरे टपक रहे थे। मैंने कहा। लोगों के मामले और समस्यायें आपकी निगाहों के सामने हैं मुझे तो इस सिलसिले में कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया है। हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा लोग आपकी प्रतीक्षा कर हे हैं यदि आप उनके पास नहीं गये तो मुझे डर है कि कहीं लड़ाई झगड़ा और बिखराव न हो जाये। हज़रत हफ़्सा उनके पीछे पड़ी रहीं, यहां तक कि वह चले गये। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि ''लोगों के मामले और समस्यायें आपकी निगाहों के सामने हैं।'' से तात्पर्य युद्ध है जो सिफ़्फ़ीन के मैदान में हज़रत अली और मुआविया के बीच उस दिन हुई थी जिस दिन लोगों ने विवादित सत्ता के सिलसिले में सहमति करने का फ़ैसला किया था जिस दिन और सोच विचार के लिये एक स्थान पर एकत्र हुए थे। अतः इब्ने उमर ने अपनी बहन से परामर्श किया कि उन्हें उन लोगों के पास जाना चाहिये था नहीं। उनकी बहन ने उनको उन लोगों के पास इस डर से जाने का परामर्श दिया था कि कहीं उनके मौजूद न रहने के कारण कोई ऐसा मतभेद न पैदा हो जाये जो स्थायी मतभेद का कारण बन जाये।

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हसन प्रमाण के साथ इब्ने उमर से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जिस दिन हज़रत मुआकविया ''दौमतुल जन्दल'' में एकत्र हुए। हज़रत हफ़्सा ने उनसे कहा तुमको शोभा नहीं नहीं देता कि तुम ऐसी संधि में पीछे रहो जिसके माध्यम से अल्लाह तआला मुहम्मद (सल्ल.) की उम्मत के बीच सुलह करा दे। तुम तो मुहम्मद(सल्ल) के साले और उमर बिन ख़त्ताब के बेटे हो।

औरत का राजनीति से सम्बन्धित नबवी निर्देशों को फैलाना :

ज़ब्बा बिन मोहसन अल अ़नजी (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा ने फ़रमाया, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, तुम्हारे ऊपर लोग अमीर (शासक) बनाये जायेंगे, तुम्हें उनमें कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें दिखाई देंगी, जिसने बुरी बातों को नापसंद किया वह ज़िम्मेदारी से बरी हो गया। जिसने उस बुराई पर टोका वह सुरक्षित हो गया। हां यदि कोई उस पर सहमत है और उसका आज्ञाकारी है (तो वह न ही ज़िम्मेदारी से बरी होगा और नहीं सुरक्षित) सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या ऐसे अमीरों (शासकों) से हम युद्ध न करें? आप (सल्ल.) ने कहा नहीं, जब तक ये लोग नमाज़ पढ़ते रहें। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शम्मास कहते हैं। मैं हज़रत आयशा के पास कुछ पूछने के लिया गया। .... उन्होंने कहा। मैं तुम्हें वह बात बता रहीं हूं जो मैंने नबी करीम (सल्ल.) को अपने इस घर में कहते हुए सुनी है ''ऐ अल्लाह जिस किसी को भी मेरी उम्मत पर शासन करने का दायित्व सौंपा जाये। फिर वह उनके साथ कठोर व्यवहार करे तो ऐ अल्लाह तू भी उस व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार कर। इसी तरह जिस किसी को भी मेरी उम्मत पर शासन का दायित्व सौपा जाये फिर वह उनके साथ नरमी का मामला करे तो तू भी उसके साथ नरमी का मामला कर''। (मुस्लिम)

हज़रत यहया बिन हुसैन, अपनी दादी उम्मे हुसैन से रिवायत करते हुए कहते हैं। मैंने उन्हें कहते हुए सुना, मैं नबी करीम (सल्ल.) के साथ हज्जतुल–विदा में थी। वह कहती हैं कि उस अवसर पर नबी करीम (सल्ल.) ने बहुत सी बातें कहीं, फिर मैंने आप (सल्ल) को कहते हुए सुना, यदि तुम्हारे ऊपर किसी नाक कटे (मेरा विचार है कि उन्होंने काले भी कहा था) दास को अमीर बना दिया जाये और वह किताब व सुन्नत के अनुसार तुम्हारा नेतृत्व करे तो तुम लोग उसका आज्ञापालन करो। (मुस्लिम)

हज़रत उबैदुल्लाह बिन क़िब्तीया (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं हारिस बिन अबी रबीआ और अब्दुल्लाह बिन सफ़्वान के साथ उम्मुल मोमिनीन उम्में सलमा के पास गया। उन दोनों ने उनसे उस सेना के बारे में पूछा जिसको धसां दिया जायेगा। (ऐसा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के ज़माने में हुआ) उन्होंने कहा कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया एक पनाह(शरण) लेने वाला अल्लाह के घर में शरण लेगा तो उसकी तरफ़ एक सेना भेजी जायेगी अभी वह सेना एक चटियल मैदान में ही होगी कि उसे ज़मीन में धंसा दिया जायेगा। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, जो व्यक्ति उस सेना में बलपूर्वक सम्मिलित कर लिया गया हो उसका कया होगा? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया उसको भी उस सेना के साथ ज़मीन में धंसा दिया जायेगा। लेकिन क़यामत के दिन उसके साथ उसकी नीयत के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

मुसलमान शासक के विरोध में औरत की भागीदारीः

हज़रत अली (रज़ि.) के युग में हज़रत आयशा (रज़ि.) की भूमिका

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद अल असदी कहते हैं कि जब हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर और हज़रत आयशा ने बसरा की तरफ़ कूच किया तो हज़रत अली ने हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत हसन को भेजा। वे दोनों कूफ़ा में हमारे पास आये और मिम्बर पर चढ़ गये। हज़रत हसन मिम्बर के बिल्कुल ऊपरी भाग पर थे। जबकि हज़रत अम्मार मिम्बर पर हज़रत हसन से नीचे खड़े थे अतः हम सब उनके पास एकत्र हो गये मैंने हज़रत अम्मार को कहते हुए सुना हज़रत आयशा ने बसरा की तरफ़ कूच कर दिया है। अल्लाह की क़सम वह तुम्हारे नबी की बीवी हैं। अल्लाह तआला ने तुम्हें परीक्षा में डाल दिया है ताकि उसे पता चल सके कि तुम लोग अल्लाह का आज्ञापालन करते हो या हज़रत आयशा का करते हो। (मुस्लिम)

हमने यहां यह घटना इसलिए प्रस्तुत की है ताकि मुसलमान शासक के विरोध में औरत की भागीदारी सिद्ध हो जाये। इस हदीस में हज़रत अम्मार ने विरोध में हज़रत आयशा के भाग लेने पर और उसमान (रज़ि.) के क़ातिलों से क़िसास (बदला) लेने की मांग करने पर आपत्ति नहीं की है बल्कि उन्होंने वास्तव में, एक बड़ी सेना के साथ हज़रत आयशा के निकलने और उसके फलस्वरूप मुसलमानों के बीच होने वाले संभावित युद्ध पर आपत्ति की है। उसी तरह हज़रत अबू मूसा और हज़रत इब्ने मसऊद ने, स्वयं हज़रत अम्मार पर की है। हज़रत अबू वाएल (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा और हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) हज़रत अम्मार के पास गये।

उस वक़्त हज़रत अली ने उन्हें कूफ़ा वालों की तरफ़ भेजा था ताकि वह उन्हें युद्ध करने पर प्रेरित करें। इन दोनों लोगों ने हज़रत अम्मार से कहा। आपके इस्लाम लाने से लेकर अब तक हमने आपकी तरफ़ इस मसले में जल्दबाज़ी करने से बढ़कर कोई नापसन्दीदा चीज़ नहीं देखी थी इस पर हज़रत अम्मार ने कहा आप लोगों के इस्लाम लाने

से अब तक मैंने आप दोनों की तरफ़ से इस मामले में सुस्त चालों से बढ़कर कोई नापसन्दीदा चीज़ आपके अन्दर नहीं देखी थी। (बुख़ारी)

हज़रत अबू बक्रः (रज़ि.) ने इन दोनों पक्षों पर ही आपत्ति की है। हज़रत हसन कहते हैं कि हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस ने कहा मैं फ़ितने के युग में अपने हथियार के साथ निकला, मेरी मुलाक़ात हज़रत अब बकर से हो गई उन्होंने पूछा कहां का इरादा है। मैंने कहा। मैं नबी (सल्ल.) के चचेर भाई की मदद के लिए जा रहा हूं, उन्होंने कहा नबी (सल्ल.) का कथन हे यदि दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाते है तो वे दोनों ही जहन्नमी होते हैं। आपसे पूछा गया कातिल के जहन्नमी होने की बात तो समझ में आती है लेकिन मक़्तूल (जिसे क़त्ल कर दिया गया) क्यों जहन्नम में जायेगा? आपने उत्तर दिया क्योंकि वह भी अपने प्रतिद्वन्दी को क़त्ल करने का इरादा रखता था। (बुख़ारी)

हज़रत अबू बकरः फ़रमाते हैं जमल के युद्ध के दिनों में अल्लाह तआला ने एक वाक्य से मुझे बड़ा लाभ पहुंचाया, जब नबी (सल्ल.) को यह सूचना मिली थी कि ईरान वालो ने किसरा की एक बेटी को अपना बादशाह बना लिया है तो आपने फ़रमाया वह क़ौम कभी भी सफल नहीं हो सकती जिसने अपनी सत्ता की लगाम किसी औरत के हाथ में दे दी हो। (बुख़ारी)

इस घटना को जिसमें मुसलमानों के दो पक्षो के बीच युद्ध का बयान पर हम बयान करना नहीं चाहते थे लेकिन औरतों से सम्बन्धित सभी दलीलें एकत्र करने के लिए इस घटना को बयान कर दिया।

हज्जाज बिन यूसुफ़ सक़फ़ी के युग में हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र की भूमिका :

हज़रत अबू नौफ़ल फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मदीने की घाटी में सूली पर लटके हुए देखा। वहां से कुरैशियों और अन्य लोगों का भी गुज़र होने लगा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी वहां से गुज़रे और उन्होंने रूक कर कहा। आस्सलामु अलैक अबू ख़ुबैब। अल्लाह की क़सम मैंने आपको इससे रोका था अल्लाह की क़सम मेरी जानकारी के अनुसार आप बहुत अधिक रोज़ा रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, और रिश्तों को जोड़ने वाले थे। अल्लाह की क़सम वह उम्मत सबसे अच्छी उम्मत थी जिसमें आपको सबसे ख़राब व्यक्ति समझा जाता था। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर चले गये। हज्जाज के पास हज़रत अब्दुल्लाह की बातों की ख़बर पहुंची तो उसने हज़रत अब्दुल्लह बिन ज़ुबैर को सूली से उतरवा कर यहूदियों के कब्रिस्तान में डलवा दिया। फिर उसने, उसकी माँ हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र को बुलवाया, उन्होने आने से इन्कार कर दिया। उसने दूसरी बार उनके पास ये कहकर सन्देशवाहक भेजा कि आप आ जाइये अन्यथा आपको जबरदस्ती ले आया जायेगा। हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज़रत अस्मा ने आने से इन्कार किया और कहा। ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी सिवाय यह कि तुम बल पूर्वक अपने पास बुला लो। हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज ने कहा मेरे जूते

लाओ, उसने जूते पहने और घमण्ड के साथ तेज़ चलता हुआ हज़रत अस्मा के पास गया। और उसने उनसे कहा। मैंने अल्लाह के दुश्मन के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या विचार

है? उन्होंने कहा मेरा विचार है कि तुमने उसकी दुनिया ख़राब कर दी। और उसने तुम्हारी आख़िरत ख़राब कर दी मुझे पता चला है कि तुम उसे ऐ ज़ातुन्नताक़ैन के बैटे! कह कर पुकारते थे। अल्लाह की क़सम मैं ज़ातुन्नताक़ैन हूं जहां तक एक नताक़ (पटका) का सम्बन्ध है तो मैंने उससे नबी और हज़रत अबू बक्र के खाने को सवारी से लटकाया था और दूसरा नताक़ वह है जिससे औरत बेपरवाह नहीं हो सकती। सुन लो नबी (सल्ल.) हमें ये बताया करते थे कि सकीफ नामी क़बीले में एक बहुत बड़ा झूठा और एक तबाही करने वाला पैदा होगा, झूठे को तो हम देख चुके हैं लेकिन मेरा विचार है तबाही करने वाले तुम हो। हज़रत अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज यह सुनकर वहां से उठ खड़ा हुआ फिर पलटकर उनके पास नहीं आया। (मुस्लिम)

इस तरह एक मुस्लिम औरत ने अत्यन्त अत्याचारी शासक का विरोध किया और उसे ऐसे कठोर शब्दों से चोट की जो कोड़े की चोट से भी अधिक तेज़ थीं। मिसालों का यह सिलसिला हम कुरआन करीम में उल्लिखित एक घटना को बयान करके समाप्त करते हैः इसमें एक ऐसी औरत का बयान है जो अपनी क़ौम की बादशाह थी बहुत अधिक बुद्धिमान समझदार और निपुण राजनीतिज्ञ थी। उसने शासन के मामले में शूरा (परामर्श) का तरीक़ा अपना रखा था। वह फिर बाद में हज़रत सुलैमान (अलै.) के माध्यम से अल्लाह पर ईमान लाई थी। इस कहानी में कुरआन हमारा ध्यान इस दिशा में मोड़ता है कि कभी–कभी औरत राजनीतिक मामालों में मर्दों से अधिक दूरदर्शिता और निपुणता रखती है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है उसने पक्षियों की जांच पड़ताल की तो कहाः ''क्या बात है कि मैं हुद हुद को नहीं देख रहा हूं या वह कहीं ग़ायब हो गया है। मैं उसे कठोर दण्ड दूंगा या उसे ज़बह ही कर डालूंगा या फिर वह मेरे सामने कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत करे। फिर कुछ अधिक देर नहीं गुज़री कि उसने आकर कहा! मैंने वह जानकारी प्राप्त की है जो आपको मालूम नहीं है। मैं सबा से आपके पास एक विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूं। मैंने एक महिला को उन पर शासन करते पाया है। उसे हर चीज़ प्राप्त है और उसका एक बड़ा सिंहासन है। मैंने देखा कि वह और उसकी क़ौम अल्लाह के बजाये सूर्य को सजदा करती है। शैतान ने उनके कर्मों को उनके लिए शोभायमान बना दिया है और उन्हें संमार्ग से रोक दिया है। अतः वह सीधा रास्ता नहीं पा रहे हैं कि वह उस अल्लाह को सजदा करे जो आकाशों और धरती की छिपी चीज़ें निकालता है और वह सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते हो या जो कुछ प्रकट करते हो। अल्लाह, जिसके सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं, जो महान सिंहासन का रब है। सुलैमान ने कहा अभी हम देख लेते है कि तूने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में से है। मेरा यह पत्र ले जा और उन लोगों के सामने डाल दे। फिर अलग हटकर देख कि वह क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। रानी बोली ऐ दरबार वालो, मेरी तरफ़ एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र फेंका गया है। वह सुलैमान

की तरफ़ से आया है और अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से प्रारम्भ किया गया है(यह लिखा है) कि मेरे मुक़ाबले सरकशी न करो और आज्ञाकारी होकर मेरे पास आओ रानी ने कहा ऐ क़ौम के सरदारो, मेरे इस मामले में मुझे परामर्श दो। मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बिना नहीं करती हूं, उन्होंने उत्तर दिया हम ताक़तवर और लड़ने वाले लोग है आगे फ़ैसला आपके हाथ में है आप स्वयं देखे कि आपको क्या करना है रानी ने कहा कि राजा जब किसी देश में घुस आते है तो उसे ख़राब कर देते हैं और वहां के प्रभावशाली लोगों को अपमानित करके रहते हैं यही कुछ वह करते हैं। मैं उनकी तरफ़ एक उपहार भेजती हूं फिर देखती हूं कि मेरे दूत क्या उत्तर लेकर लौटते हैं। (सूरह नमल–20–35)

अल्लाह तआला आगे फ़रमाता हैः ''रानी जब हाज़िर हुई तो उससे कहा गया। क्या तेरा सिंहासन ऐसा ही है वह कहने लगी ये तो मानो वही है। हम पहले ही जान गये थे और हम आज्ञाकारी हो गये थे। उसको जिस चीज़ ने रोक रखा था वह उन पूज्यों की इबादत थी जिनको वह अल्लाह के सिवा पूजती थी क्योंकि वह एक काफ़िर क़ौम से थी उससे कहा गया कि 'महल में प्रवेश करो' उसने देखा तो समझी कि पानी का हौज़ है उतरने के लिए उसने अपने पाँयचे उठा लिये, सुलैमान ने कहा यह तो शीशे का चिकना फर्श है'' वह इस पर वह पुकार उठी ऐ मेर रब! आज तक मैं अपने आप पर बड़ा अत्याचार करती रही और अब मैंने सुलैमान के साथ अपने आपको अल्लाह को समर्पित कर दिया। (सूरह नम्ल–42–44)

औरत की राजनीतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कुछ आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियां :

1. अधिकतर इस्लामी देशों पर उपनिवेशवाद ने अपने पंजे गाड़ दिये हैं फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर सहयूनी शक्तियों ने बलपूर्वक अधिकार जमाकर रखा है। ये स्थिति इस बात का तक़ाज़ा करती है कि औरत भी जिहाद में भाग ले और आज़ादी के आन्दोलन में उसकी भी भूमिका हो।

2. अब पूरा समाज एक दूसरे से बहुत निकट आ गया है। इसके साथ–साथ यातायात के साधनों में भी सुविधा हो गई और संचार माध्यमों का क्षेत्र भी फैल गया है। इसके फलस्वरूप मर्दों और ओरतों दोनों में राजनीतिक जागृत्ति पैदा हुई है। इसी तरह राजनीतिक समस्याओं को जांचने परखने और उसमें भाग लेने की भी उसमें क्षमता पैदा हुई है।

3. शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है उसके विभिन्न क्षेत्र हो गये हैं और हर चरण की शिक्षा लड़कों लड़कियों प्रत्येक के लिए सामान्य हो गई है। इसके साथ–साथ बहुत सी औरतें नौकरी और सामाजिक

कार्य भी करती हैं इसके फलस्वरूप बहुत सी औरतें, राजनीतिक गति विधियों में भाग लेने योग्य हो गई हैं। चाहे उन राजनीतिक गतिविधियों का सम्बन्ध, हड़तालों और

विरोध प्रदर्शन से हो या चुनाव में वोट डालने या उसमें प्रत्याशी के रूप में खड़े होने से हो या किसी राजनीतिक पार्टी और क़ौमी ताक़त से जुड़ने से हो।

4. आज का समाज बहुत अधिक पेचीदा हो गया है जिसके फलस्वरूप औरत के जीवन में काफ़ी पेचीदगी आ गई है और उसके फ़लस्वरूप औरत से सम्बन्धित बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं। इसलिये इस बात की अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि औरत स्थानीय और केन्द्रीय चुनावों में भाग ले ताकि उन समस्याओं और उनके समाधान के सम्बन्ध में उसके अन्दर अधिक जागृति पैदा हो सके और संसद में मर्दों के साथ उसकी भागीदारी अधिक लाभप्रद परिणाम सामने ला सके।

5. पूरी दुनिया में शूरा की व्यवस्था की तरफ़ प्रवृत्ति अब अधिक बढ़ गई है। और उसमें विकास हुआ है। यह अलग बात है कि व्यवहारिक रूपों में आपस में बहुत अन्तर है। इसके फलस्वरूप अरब और इस्लामी सरकारों की तरफ़ से शूरा बनाने के प्रयास कभी–कभी गम्भीर प्रयास और कभी–कभी नाम–मात्र के प्रयास सामने आ रहे हैं। मर्दों और औरतों के अन्दर शूरा की व्यवस्था लागू करने की इच्छा उजागर हो रही है और हर समाज में क़ौमी ताक़तों और पार्टियों की तरफ़ से इस व्यवस्था को व्यवहार रूप में लागू करने की मांग हो रही है।

वर्तमान राजनीतिक गतिविधि का भावार्थ :

1. राजनीतिक गतिविधि से तात्पर्य ऐसी गतिविधि है जिसका सम्बन्ध विधायिका और विधान को लागू करने वाली संस्था के गठन के तरीक़े से होता है। ये दोनों संस्थाएं जिस ढंग से काम पूरा करती हैं उससे भी इस गतिविधि का सम्बन्ध होता है। इस गतिविधि के कारण व्यक्ति को राजनीतिक मामलों से दिलचस्ली पैदा करने और उनके अध्ययन और विश्लेषण का अवसर मिलता है। वर्तमान और आगे आने वाले हालात को समझने की चेतना पैदा होती है और व्यक्ति व समाज की राजनीतिक गतिविधि में सीधे रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति पैदा होती है।

2. सामाजिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधि की एक प्राकृतिक भूमिका है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सामाजिक गतिविधि में भाग लेता है तो उससे उसके अन्दर समाज की समस्आयों के बारे में चेतना जागृत होती है। यदि एक दिशा में सामाजिक गतिविधि, व्यक्तियों के साथ विशेष है तो दूसरी तरफ़ राजनीतिक गतिविधि, सत्ताधारी दल के साथ विशेष है और वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।

3. राजनीतिक गतिविधि के महत्वपूर्ण मैदान ये हैं :

(क) शासक के चुनाव में व्यवहारिक भागीदारी।

(ख) विधायिका के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव में भागीदारी।

विधान मंडल दो तरह के काम करते है। पहला विधान बनाना, दूसरा क़ानून लागू करने वाली संस्था के कामों की देख–भाल।

(ग) क़ानून बनाने और क़ानून को लागू करने वाली संस्थाओं के कामों के समर्थन या विरोध में अपना मत प्रकट करना, इस मत का प्रकटीकरण, भाषण, लेख, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, और मांग पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाता है।

(घ) क़ौमी ताक़तों और पार्टियों की गतिविधियों में भागीदारी।

(च) स्थानीय व विधान मंडल की सदस्यता का प्रत्याशी होना।

4. राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने के लिये, बहुत अधिक चेतना व जागृति संस्कृति व सभ्यता, समग्र और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रारम्भ में ये योग्यतायें कुछ मर्दों और औरतों तक ही सीमित होती हैं।

लेकिन जैसे—जैसे सामान्य आज़ादी का वातावरण स्थापित होता जाता है और जैसे—जैसे राजनीतिक गतिविधि विकसति होती जाती है वैसे—वैसे इस सीमा में विस्तार आता जाता है। यह दोनों चीज़ें ही जनता को आन्दोलन व आज़ादी के लिए जागृत करने और सरकार को सीधे रास्ते पर लाने के जनता के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने के सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। जिस तरह मर्द अपनी योग्यताओं और अवसरों के अनुसार ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं इसी तरह की स्थिति औरतों के साथ भी है कुछ औरतें अनपढ़ होती हैं जबकि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो घर में काम करती हैं और बिल्कुल अलग थलग रहती हैं जबकि कुछ औरतें घर में भी काम करती हैं और साथ ही साथ घर के अन्दर और बाहर उनकी अन्य गतिविधियां भी होती हैं। नौकरी करने वाली कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका दायित्व सीमित होता है। जबकि नौकरी करने वाली कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान, मीडिया और दूसरे मैदानों में बहुत अधिक दायित्व होता है। इनमें से प्रत्येक औरत को अपनी योग्यता के अनुसार राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की क्षमता प्राप्त है।

वर्तमान काल में औरत की राजनीतिक गतिविधि से सम्बन्धित शरई निर्देश :

पहला निर्देशः मर्दों की तरह औरतों को भी इस बात का आवाहन किया गया है कि वह अपने समाज की राजनीतिक समस्याओं में दिलचस्पी लें। इसी तरह उनसे यह भी मांग की गई है कि वह अपनी ताक़त व क्षमता के अनुसार और हालात के अनुसार ''भलाई का आदेश देने और बुराई को रोकने'' के माध्यम से और भलाई चाहने की भावना के साथ समाज को ऊँचा उठाने और उसे विकसित करने में भाग लें। सरकार व सत्ता को सीधे रास्ते पर रखने के लिये यह काम भी बदला प्राप्त होने वाले जेहाद की एक शाखा है।

औरत का अपने समाज की राजनीतिक समस्याओं में रूचि लेना :

इस सिलसिले में हज़रत उम्मे सलमा का यह कथन की ''मैं भी लोगों में सम्मिलित हूं'' बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उन्होंने यह समझा कि इमाम मर्दों और औरतों

प्रत्येक को समान रूप से सम्बोधित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह केवल मर्दों को ही सम्बोधित करना चाहता है। इस सिलसिले में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस का यह कथन कि ''मैं भी मस्जिद की तरफ़ जाने वाले लोगों के साथ हो ली'' भी क्या ही अच्छा है। इमाम की पुकार पर मर्दों के साथ वह भी प्रतिक्रिया स्वरूप उपस्थित हुईं (हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की हदीस को ''इस्लामी राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी की घटनाएं'' के अन्तर्गत देखें)।

औरत का समाज को विकसित करने और भाासन को सीधे रास्ते पर रखने में भाग लेना :

अल्लाह तआला फ़रमाता है! ''मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के सहयोगी हैं। भलाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं।, नमाज़ कायम करते हैं। ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करते हैं ये वे लोग हैं जिनपर अल्लाह की कृपा उतर कर रहेगी। निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है''।

(सूरह तौबाः71)

हज़रत तमीमदारी फ़रमाते हैं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया दीन भलाई चाहने का नाम है। हम लोगों ने पूछा किसके लिए भलाई चाहना? आप (सल्ल.) ने फ़रमायाः अल्लाह के लिये उसकी किताब के लिये, मुसलमानों के इमामों और सामान्य मुसलमानों के लिये। (मुस्लिम)

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मैं नबी करीम (सल्ल.) की सेवा में प्रस्तुत हुआ। और मैंने कहा। मैं आपसे इस्लाम पर बैअत करता हूं, आप (सल्ल.) ने मुझ पर एक शर्त यह लगा दी कि हर मुसलमान के लिये भलाई चाहने की भावना रखने पर भी बैअत करो। अतः मैंने नबी करीम (सल्ल.) से इस पर भी बैअ़त कर ली।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इस्लाम में भलाई चहाने की भावना का स्थान बहुत ऊंचा है। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि दीन भलाई चाहने का नाम हैं। इससे पता चलता है कि भलाई चाहने की भावना के बिना दीन पूर्ण नहीं हो सकता। दीन से तात्पर्य हर मुसलमान मर्द औरत का दीन है। अल्लाह तआला हममें से हर मर्द औरत से मुसलमानों के इमाम और जनता की भलाई चाहने की भावना रखने के दायित्व की अदायगी के बारे में पूछेगा। भलाई चाहने की भावना के दो पहलू हैं। प्रथम, चेतना और विवेक का पहलू अर्थात तमाम मुसलमानों के लिये भलाई चाहना। द्वितीय व्यवहारिक पहलू अर्थात अपने मत को व्यक्त करना और सच्चाई की बात खुलकर कहना, चाहे उसके फलस्वरूप कितनी ही मुसीबतों का सामना कयों न करना पड़े।

अल्लामा सैयद रशीद रज़ी, आयत ''मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के सहयोगी हैं'' की व्याख्या करते हुये फ़रमाते हैं कि इस आयत में मर्दों और औरतों प्रत्येक पर भलाई का आदेश और बुराई से रोकने को फ़र्ज ठहराया गया है। भलाई का आदेश

देना और बुराई से रोकना बोल कर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। इसी तरह इसमें यह बात भी सम्मिलित है कि शासकों, बादशाहों आदि की अलोचना की जाये। नबवी युग की औरतें, इन तमाम बातों से अवगत थीं और वह इस पर अमल भी करती थीं।

अल्लामा सैयद रशीद रज़ा ने बिल्कुल उचित कहा है कि औरतें इन बातों से अवगत थीं और उनके अनुसार अमल करती थीं जहां हमें एक तरफ़ यह घटना मिलती है कि हज़रत समरः बिन्ते नहीक (रज़ि.) ने इस दायित्व पर अमल करते हुए कुछ लोगों की आलोचना की। अतः उन्हें भलाई का आदेश दिया और बुराई से रोका। वहीं दूसरी तरफ़ हमें यह घटना भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल के यशस्वी सहाबी हज़रत अबू दरदाअ की बीवी हज़रत उम्मे दरदाअ ने ख़लीफ़ा की। आलोचना की और उन्हें बुराई से रोकने का प्रयास किया। हज़रत ज़ैद बिन असलम फ़रमाते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान नें हज़रत उम्मे दरदाअ को अपने पास से घर का कुछ सामान भिजवाया, एक रात अब्दुल मलिक ने अपने सेवक को पुकारा। उसने आने में देर की तो अब्दुल मलिक ने उसे बुरा भला कहा। जब सवेरा हुआ तो हज़रत उम्मे दरदाअ ने उनसे कहा। मैंने अबू दरदाअ को कहते हुए सुना है कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया क़यामत के दिन बुरा–भला कहने वाले न ही किसी के पक्ष में सिफ़ारिशी बन सकेंगे और न ही गवाह बन सकेंगे।

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र ने हज्जाज बिन यूसुफ़ की सत्ता और अत्याचार का सामना किया। और उस अत्याचारी शासक की आलोचना करते हुए अपनी जान माल की परवाह नहीं की। हालांकि वह अत्याचारी शासक मुसलमानों के आदर सम्मान को ध्यान में नहीं रखता था।

दूसरा निर्देशः राजनीतिक काम करना कभी–कभी फ़र्ज़ होता है इस मैदान में जो चीज़ें औरतों पर फर्ज़े किफ़ाया समझी जाती हैं मुसलमान औरतों को इन्हें अवश्य करना चाहिये।

उन कर्त्तव्यों में से कुछ का उल्लेख निम्न में किया जाता हैः

(क) हर वह काम जिसका करना सत्ता व शासन को सीधे रास्ते पर रखने के लिये अनिवार्य है और जिसमें उस कार्य को उचित ढंग से करने के लिये मर्दों, औरतों दोनों के समान रूप से प्रयास की आवश्यकता हो। जैसे चुनावो में अच्छे लोगों के चुनाव में औरत का भाग लेना। जनमत के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले रिफ्रेण्डम पर वोट देने में भाग लेना, इस तरह किसी भलाई का समर्थन करने और उसे बचाने,

किसी बुराई को बुराई ठहराने में औरत सहयोगी होती है।

(ख) ऐसी विभिन्न राजनीतिक शक्तियों, पार्टियों से जुड़ना जिनका उद्‌देश्य उम्मत के लिये भलाई के काम करना, सत्ताधारियों को सीधे रास्ते पर लाना और इस्लामी शिक्षाओं इन्सानी अनुभवों और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में सम्पूर्ण सुधार करना हो। ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने का उद्‌देश्य इस्लाम विरोधी शक्तियों के मुक़ाबले में उनकी सहायता करना, और उनकी गतिविधियों को बल प्रदान करना होना चाहिये। इसी तरह

इस का उद्देश्य ऐसी लाभ प्राप्त करने वाली पार्टियों का सामना करना होना चाहिये। जिनकी गतिविधियों को करने में अनगिनत मर्द औरत भाग लेते हैं और उसको सत्ता दिलाने का कारण बनते है।

(ग) औरतों के बीच राजनीतिक जागरूकता को फैलाना, विशेषतः चुनाव के दिनों में उनके अन्दर राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। यदि जागरूकता पैदा करने वालों को घरों तक जाकर औरतों से निकट से मिलना पड़े और उनसे बात करनी पड़े तो उन्हें ऐसा करना चाहिये।

(घ) चुनावी कारवाइयों को लागू किये जाने की प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि चुनाव न्याय के साथ और उचित ढ़ग से कराये जा सकें। यह काम ऐसी जगहों पर होना चाहिये जो औरतों के लिये विशेष हों ताकि औरतें मर्दों के साथ घुलने–मिलने से बची रहें।

इससे पहले हम यह चर्चा कर चुके हैं कि हमारे बहुत से पिछड़े समाजों में सामाजिक क्षेत्र के बहुत से फ़र्ज़े किफ़ाया नष्ट हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र के भी बहुत से फ़र्ज़े किफ़ाया हमारे पिछड़े समाजों में नष्ट हो रहे हैं। इन दायित्वों को पूरा करने में कोताही सामान्य बात है। हालांकि मुसलमान कठोरतम हालात से गुज़र रहे हैं। चाहे ये हालात बाहरी दबाव का परिणाम हों या शासकों के अत्याचार का परिणाम हों या इस बात का परिणाम हों कि हमारे समाज में अधिकतर मुसलमानों की समस्याओं में रूचि नहीं पाई जाती। अतः इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि मर्दों व औरतों में समान रूप से और अधिक जागृति पैदा की जाये ताकि सभी को इन दायित्वों के नष्ट होने के ख़तरों का अनुमान हो सके और वह उन दायित्वों को पूरा करने में पूरे लगन के साथ लग जायें। इस तरह उन मुसलमानों से दायित्वों के नष्ट करने का गुनाह भी मिट जायेगा मुस्लिम समाज के विकास में उनकी भागीदारी भी हो जायेगी और आख़िरत में बहुत अधिक इनाम में हक़दार भी हो जायेंगे। औरत की नौकरी से सम्बन्धित दसवें निर्देश में फ़र्ज़े किफ़ाया की विस्तृत बहस गुज़र चुकी है।

यदि मुस्लिम समाजों में राजनीतिक हालात ठीक हो जाते हैं। सरकार बहुत सीमा तक सीधे रास्ते पर आ जाती है और उसके साथ साथ सरकार सदैव अल्लाह के आदेशों के अनुसार फ़ैसला करने लगती है। तो उस समय अधिक विकास के प्राप्त करने के लिये राजनीतिक गतिविधि पसन्दीदा ही की श्रेणी में रह जाती है।

हम मुसलमान औरत का ध्यान इस तरफ़ मोड़ना चाहते हैं कि यदि वह राजनीतिक गतिविधि से सम्बन्धित अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी से और उसके फलस्वरूप आने वाली परेशानियों से पीछे हटती है तो उसे मालूम होना चाहिये कि एक ग़ैर मुस्लिम औरत कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती। बल्कि वह आगे बढ़कर मर्दों से कंधा से कंधा मिलाकर साथ देती है और उनके साथ मिलकर अच्छी और ईमानी ताक़तों का सामना करती है। वह उनके विरूद्ध षड्यन्त्र में भाग लेती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है। ''कपटी मर्द (मुनाफ़िक) और कपटी औरत सब एक दूसरे के रंग के हैं। बुराई का आदेश देते है। और भलाई से मना करते है''। (सूरह तौबा:67)

मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं भलाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं। (सूरह तौबा:71)

मुसलमान औरत को नबवी युग की औरत से शिक्षा लेनी चाहिये। एक औरत नबी (सल्ल.) की राह में कांटे बिछा दिया करती थी अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में उसका उल्लेख किया है ''टूट गये अबू लहब के दोनों हाथ और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया। न उसका माल उसके काम आया और न वह कुछ जो उसने कमाया। वह शीघ्र ही प्रज्वल्लित भड़कती आग में पड़ेगा, और उसकी बीवी भी ईंधन लादने वाली। उसके गरदन में खजूर के रेशों की बटी हुई रस्सी पड़ी है'' (सूरह लहब:1–5)

एक दूसरी औरत नबी (सल्ल.) का मज़ाक उड़ाया करती थी। हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान कहते हैं कि नबी (सल्ल.) बीमार हो गये। अतः आप दो या तीन दिन घर से नहीं निकले। आपके पास एक औरत आई और उसने कहा। ऐ मुहम्मद मेरा विचार है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है दो या तीन दिनों से मैं उसे तुम्हार निकट नहीं देख रही हूं, उस वक़्त अल्लाह तआला ने ये आयतें अवतरित कीं ''साक्षी है चढ़ता दिन, और रात जबकि उसका सन्नाटा छा जाये। तुम्हारे रब ने न तो विदा किया और न वह बेज़ार(अप्रसन्न) हुआ'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक और औरत ने एक ऐसे मामले में अपना सहयोग प्रस्तुत किया। जिससे इस्लामी शासन के उच्च हितों को हानि पहुंचती थी। हज़रत अली(रज़ि.) फ़रमाते हैं। मुझे, ज़ुबैर और मिक़्दाद को नबी (सल्ल.) ने बुलाया और कहा। तुम लोग अभी निकल पड़ो, जब तुम लोग, रौज़–ए–ख़ास पर पहुंचोगे तो वहा तुम्हें 'हौदज' में एक औरत मिलेगी। उसके पास एक ख़त है तुम उससे वह ख़त ले लेना। अतः हम लोग तेज़ी से निकल पड़े जब हम रौज़ा के स्थान पर पहुंचे तो हमें वहां हौदज में एक औरत मिली उससे हमने कहा ख़त निकालो, उसने कहा मेरे पास किसी तरह का कोई ख़त नहीं है। हम लोगों ने कहा ख़त निकालो अन्यथा हम लोग तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। ये कहने पर उसने

अपनी चोटी से ख़त निकाला और हमें दिया। हम वह ख़त लेकर नबी (सल्ल.) के पास आये वह ख़त पढ़ा गया उसमें लिखा था कि यह ख़त हातिब बिन अबू बलताअ़ की तरफ़ से मक्के के मुशरिकों के नाम है। वह उन्हें नबी (सल्ल.) से सम्बन्धित कुछ मामलों की सूचना देता है नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, हातिब ये क्या है उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बारे में फ़ैसला करने में जल्दी न कीजिये। वास्तव में मैं क़ुरैश क़बीले के बाहर का आदमी हूं, क़ुरैशी नहीं हूं, आपके पास जो मुहाजिर लोग हैं उन सब की मक्के में रिश्तेदारियां हैं जिनके द्वारा उनके घर वालों और माल दौलत की रक्षा हो जायेगी मैंने सोचा कि यदि क़ुरैश में मेरी रिश्तेदारी नहीं है तो मैं उन पर एक एहसान कर दूं जिसको ध्यान में रखते हुए वह मेरे घर वालों की रक्षा करेंगे मैंने किसी कुफ़्र या दीन से फ़िरने का गुनाह नहीं किया है न ही मैं अब इस्लाम स्वीकार करने के बाद कुफ़्र को पसन्द करता हूं। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, इस यक्ति ने तुम लोगों से ठीक और सच्ची बात कही है। हज़रत उमर ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस मुनाफ़िक़ की गरदन उड़ाने की अनुमति

दीजिए। इस पर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया यह तो बद्र के युद्ध में भी भाग ले चुके हैं और तुम्हें तो यह मालूम ही नहीं है कि अल्लाह तआला ने बद्र वालों को देखकर फ़रमाया है कि तुम लोग जो चाहे करो मैंने तुम सब की मुक्ति कर दी है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हमें पूर्व के नबियों के युग की घटनाओं से भी शिक्षा लेनी चाहिये हज़रत नूह और हज़रत लूत की पाक बीवियों ने हठधर्मी के साथ कुफ़्र का रवैया अपनाया, अपने पतियों के साथ अह्द तोड़ी और अत्याचारियों की पंक्ति में सम्मिलित हो गईं। अल्लाह तआला फ़रमाता है अल्लाह काफ़िरों के मामले में नूह और लूत की पाक बीवियों को मिसाल के रूप में प्रस्तुत करता है। वह हमारे दो नेक बन्दों के निकाह में थीं परन्तु उन्होंने अपने पतियों से विश्वासघात किया तो वह अल्लाह के मुक़ाबले में उनके कुछ काम न आ सके। दोनों से कह दिया गयाः प्रवेश करने वालों के साथ दोनों आग में प्रविष्ट हो जाओ''

(सूरह तहरीमः10)

तीसरा निर्देश : मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के तमाम उद्दश्यों में से एक उद्देश्य यह होना चाहिये कि उन्हे समाज के राजनीतिक हालात से सम्बन्धित बुनियादी मालूमात उपलब्ध कराई जायें। साथ ही साथ, सामाजिक मामलों में उनकी दिलचस्पी में विकास किया जाये और राजनीतिक मैदान में उन पर आने वाली ज़िम्मेदादियों के लिये भी उनको जागृत करना चाहिए।

- साधारण समस्याओं में अपना मत व्यक्त करना, चाहे लिख कर अपना मत व्यक्त किया जाये या प्रदर्शन या विरोध के माध्यम से या किसी भी अन्य उचित ढंग से अपना मत व्यक्त किया जाये।
- भला चाहने की भावना के कर्त्तव्य को पूरा करना और समर्थन और आपत्ति के अधिकार का उपयोग करना, अर्थात, भलाई के आदेश और बुराई से रोकने के कर्त्तव्य को पूरा करना।
- उस राजनीतिक पार्टी का साथ देना, जिसकी शिक्षाओं और सिद्धान्तो में समाज के अन्दर भलाई का वातावरण स्थापित करने की सबसे अधिक योग्यता हो।
- ऐसे योग्य प्रत्याशी को चुनना जो उम्मते मुस्लिम के ख़िलाफ़त के अमानत के बोझ को उठाने की क्षमता रखता हो।
- यदि किसी क्षेत्र के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता पैदा हो जाये तो स्वयं को संसद की सदस्यता के लिए प्रस्तुत करना।

इसी तरह लड़कियों को इस बात की भी शिक्षा देनी चाहिये कि वह घर के कामों से बचने वाले समय का प्रयोग किसी नेक काम को करने में करें। सरकार को सीधे रास्ते पर रखने के लिये, राजनीतिक गतिविधि भी नेक काम का ही एक हिस्सा है।

औरत की नौकरी से सम्बन्धित दूसरे निर्देश पर चर्चा करते हुए हम समय का लाभ उठाने की आवश्यकता की दलील बयान कर चुके हैं।

चुनावों में औरत के अधिकार पर बहस :

इस चर्चा में दो बिन्दुओं पर बात की जायेगी प्रथमः शरीअत का चुनाव में औरत के अधिकार को स्वीकार करना द्वितीय औरत को कुछ विशेष शर्तों के साथ इस अधिकार के प्रयोग की अनुमति देना।

प्रथम : शरीअत का चुनावा में औरत के अधिकार को स्वीकार करना :

फ़िक़्ह के सिद्धान्त के अनुसार हर चीज़ की बुनियाद वैधता है चूंकि विधाता ने चुनावों में औरत की भागीदारी को हराम नहीं ठहराया है। अतः हम वास्तव में औरत के इस अधिकार को वैध समझते हैं। जहां तक इस अधिकार के व्यवहारिक प्रयोग का प्रश्न है तो हम वैध सीमाओं में रहते हुए इस सिलसिले में उन चीज़ों का चुनाव करेंगे जो हमारे हालात के अनुसार हों और जिनसे हमारे हित पूरे होते हों।

इस समस्या से सम्बन्धित हम यहां डॉ. मुस्तफा सबाई का एक मत प्रस्तुत करते हैं आप शरीअत विज्ञान के प्रोफेसर थे। आप दमिश्क विश्वविद्यालय में शरीअत कालेज के प्रध ाानाचार्य भी थे हम यहां उनके हवाले से जो मत प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह वास्तव में शरीअत विज्ञान के बहुत से माहिरों का मत हैं। उन लोगों के बीच इस समस्या पर बात हुई थी। कि शरीअत ने चुनाव में वोट देने और स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने से सम्बन्धित औरत के अधिकार को किस सीमा तक स्वीकार किया है। डॉ. मुस्तफा सबाई लिखते हैं।.. .... चर्चा, और वार्ता और विभिन्न विचारधाराओं पर विचार करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लाम औरत को उसका यह अधिकार(अर्थात चुनाव का अधिकार) देने से इन्कार नहीं करता। चुनाव का अर्थ यह है कि उम्मत के लोग अपने ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो विधान बनाते सरकार की निगरानी के मामले में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः वोट डालने और चुनावी प्रक्रिया वास्तव में अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति चुनाव बूथ पर जाता है और ऐसे लोगों के पक्ष में वोट देता है जो संसद में उसका प्रतिनिधित्व करें उसके नाम से बोलें, और उसके अधिकारों का बचाव करें। इस्लाम में औरत को इससे नहीं रोका गया है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा और नागरिक के रूप में अपने मत व्यक्त करने के लिये अपना कोई प्रतिनिधि चुने।

द्वितीय : क्या औरत को चुनाव के अधिकार की अनुमति कुछ विशेष के साथ है?

शर्तों से सम्बन्धित यह मसला उन लोगों के बीच उठाया गया था जो राजनीतिक मामलों से दिलचस्पी रखते हैं और इस मैदान के माहिर हैं प्रश्न यह किया गया था कि क्या औरत को चुनाव का अधिकार उसी स्थिति में दिया जा सकता है जबकि वह शिक्षित हो चाहे उसने बहुत ही कम शिक्षा क्यों न पाई हो ताकि वह अपने पिता व पति से हटकर अपना कोई मत बना सके।

चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि चुनाव के अधिकार के सिलसिले में मर्दों और औरतों के बीच इस अन्तर की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि औरत किसी ऐसे अंधेरे

समाज में हो जहां उसका जीवन बहुत ही तंग हो। उसे सामाजिक जीवन में किसी भी तरह की भागीदारी की अनुमति न दी जाती हो और मर्दों से बिल्कुल ही अलग रखा जाता हो। तो ऐसे समाज में, चरणबद्धता से काम करना आवश्यक है। लेकिन यदि औरत किसी खुले समाज में हो जहां उसे सामाजिक जीवन में भागीदारी के अवसर उपलब्ध हों, तो ऐसे समाज में चरणबद्व तरीक़ा अपनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे समाज में व्यवहारिक गतिविधियों के विभिन्न तत्व स्वयं ही प्रभाव डालेंगे, और प्रतिवर्ष ऐसी अशिक्षित औरतों की मानसिकता में भी उल्लेखनीय बदलाव पैदा करेंगे जो अपने बाप और पति के मत पर चलती हैं और उन प्रत्याशियों की मानसिकता में भी परिवर्तन लायेंगे जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह मैदान में ऐसी व्यक्तित्व और पार्टियां उभर कर सामने आयेंगी जिनके पास नये–नये विचार होंगे। अतः ऐसे लोगों को सामान्य औरतों और मर्दों में जागृति पैदा करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहये। काल परिर्वतन के साथ–साथ व्यवहारिक प्रयास व गतिविधियां और उनके आधुनिक तत्व तमाम मर्दों व औरतों को चेतना व जागृति के उपहार देते रहेंगे। (चाहे औरतें अशिक्षित ही क्यों न हों) यहां तक कि औरत अपना एक स्वतन्त्र इरादा और स्वतन्त्र मत रखने योग्य हो जायेगी।

विधान सभाओं के लिये स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने के सिलसिले में औरत के अधिकार पर चर्चा :

इस चर्चा में भी दो बिन्दुओं पर वार्ता की जायेगी। प्रथम, स्वयं को चुनावों में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने के सिलसिले में औरत के अधिकार को शरीअत की स्वीकृति और द्वितीय। औरत को कुछ विशेष शर्तों के साथ इस अधिकार के प्रयोग की अनुमति देना।

प्रथम : स्वयं को चुनावों में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने के सिलसिलमें में औरत के अधिकार को भारीअत का स्वीकृति :

यहां पर हम फिर इस बात को दोहरायेंगे कि फ़िक़्ह के सिद्धान्त का नियम यह है कि हर चीज़ वास्तव में वैध है चूंकि शरीअत के बनाने वाले ने औरत के लिए स्वयं को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने को अवैध नहीं ठहराया है। अतः हम औरत के इस अधिकार को शरई और वैध मानते हैं। जहां तक इस अधिकार के व्यवहारिक रूप का

प्रश्न है तो हम वैध सीमाओं में रहते हुए उन चीज़ों का चुनाव करेंगे जो हमारे हालात के अनुसार हों और जिनसे हमारे हित पूरे होते हों। इस सिलसिले में भी हम डॉ. मुस्तफा सबाई के मत का उल्लेख करेंगे आप फ़रमाते हैं यदि एक तरफ़ इस्लामी शिक्षायें औरत को वोट डालने से रोकती हैं तो क्या वह उसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती हैं? इसका उत्तर देने से पहले बेहतर यह है कि लोगों के प्रतिनिधित्व करने की वास्तविकता क्या है? हम इससे अवगत हो जायें। प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में दो महत्वपूर्ण काम अवश्य करने पड़ते हैं :

1. क़ानून बनाना : अर्थात क़ानून व व्यवस्थाओं को बनाना

2. संरक्षण : क़ानून लागू करने वाली संस्था की गतिविधियों पर नज़र रखना।

इस्लाम में कोई ऐसा आदेश नहीं है जो औरत को क़ानून बनाने से रोकता हो क्योंकि क़ानून बनाने वाले को सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही साथ समाज की आवश्यकताओं से अवगत होने की आवश्यकता है। इस्लाम मर्द—औरत को समान रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार देता है। हमारे इतिहास में बहुत सारी शिक्षित औरतों का उल्लेख है। कुछ हदीस का ज्ञान रखती थी तो कुछ फ़िक़्ह का ज्ञान रखती थीं और कुछ साहित्य आदि अन्य विज्ञानों का ज्ञान रखती थीं।

क़ानून लागू करने वाली संस्था की निगरानी करते समय या तो भलाई का आदेश देना होगा या बुराई से रोकना पड़ेगा और इस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये इस्लाम की नज़र में मर्द औरतें ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं भलाई का आदेश देते है। और बुराई से रोकते हैं। (सूरह तौबा:71)

अतः इस्लाम में कोई ऐसी स्पष्ट दलील नहीं पायी जाती जो प्रतिनिधित्व के लिये औरत की योग्यता को नकारती हो।

डॉ. मुस्तफ़ा सबाई की चर्चा का निचोड़ यह है कि शरीअत की निगाह में औरत प्रतिनिधित्व की योग्यता रखती है। डॉ. साहब का मत यह भी है कि यद्यपि यह अधिकार औरत को प्राप्त है लेकिन उसको कुछ सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिये लेकिन वास्तव में उन्होंने हितों की रियायत करने की बात अपने युग के मिस्त्री समाज की आदतों और रिवाजों में की है। यह उनका इज्तिहाद है क्योंकि सामाजिक हित हर देश और युग में बदलते रहते हैं जैसा कि स्वयं सामाजिक हितों को जांचने में लोगों के इज्तिहाद भिन्न हो जाते हैं।

डॉ. यूसुफ़ क़रज़ावी ने भी स्वयं को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने के सिलसिले में औरत के अधिकार का विरोध करने वालों की दलीलों को ग़लत ठहराया है। और ऐसे लोगों की तरफ़ से उठाये गये सवालों का भरपूर जबाब दिया है। डॉ. सबाई के मत के विरोध में उनका अपना एक इज्तिहाद है उनका विचार है कि औरत का संसद में भाग लेना सामाजिक हितों के विपरीत नहीं है। बल्कि स्वयं सामाजिक हितों के लिये यह आवश्यक है कि औरत चुनाव और संसद में भाग ले।

डॉ. युसूफ़ क़रज़ावी लिखते हैं:

बहुत से लोग औरत को संसद की सदस्यता के लिये, स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने से इस दलील से रोकते हैं कि यह काम मर्दों पर शासन करने के जैसा है हालांकि औरत को इससे रोका गया है। क़ुरआन करीम में तो यह बताया गया है कि मर्द औरतों पर संरक्षक (क़व्वाम) हैं तो हम इसको बदलकर औरतों को मर्दों पर क़व्वाम कैसे बना सकते हैं। मैं इस सिलसिले में यहां दो बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं :

प्रथमः उन औरतों की संख्या सदैव सीमित रहेगी जो संसद की सदस्यता के लिए प्रत्याशी बनेंगी। संसद में बहुसंख्या सदैव मर्दों की ही रहेगी, यही बहुमत फ़ैसले का अधि

ाकार रखती है और यही सारी समस्याओं पर सोच–विचार करती है। अतः यह कहने का कोई औचित्य नहीं रहता कि यदि औरत स्वयं को संसद की सदस्यता के लिये प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इससे औरतों को मर्दों पर सत्ता प्राप्त हो जायेगी।

द्वितीय : जिस क़ुरआन मजीद की आयत में औरतों पर मर्दों की क़व्वामियत का बयान है। वास्तव में उस क़व्वामियत का बयान परिवारिक जीवन के सम्बन्ध में है। मर्द पूरे ख़ानदान और घर का संरक्षक होता है। इस बात की दलील क़ुरआन मजीद की यह आयत है : ''पति, पत्नियों के संरक्षक और निगरां हैं। क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ के मुक़ाबले में आगे रखा है और इसलिए भी कि पतियों ने अपने माल ख़र्च किये हैं'' (सूरहनिसाः34) इस आयत से पता चलता है कि क़व्वाम होने से तात्पर्य ख़ानदान और घर पर क़व्वामियत है और यही वह दर्जा है जो मर्दों को इस आयत में दिया गया है। ''और उन पत्नियों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसी उन पर ज़िम्मेदारियां डाली गई हैं। और पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है'' (सूरह बकरा 228)। जहां तक घर और ख़ानदान के दायरे से बाहर कुछ मर्दों पर कुछ औरतों के शासन की बात है तो इसकी मनाही में क़ुरआन व सुन्नत में कोई दलील नहीं है जो चीज़ मना है वह वास्तव में मर्दों पर औरतों का सामान्य शासन है।

बुख़ारी (रह.) ने हज़रत बक़रा से जो रिवायत रसूलुल्लाह (सल्ल.) से नक़ल की है कि ''वह क़ौम कभी भी सफल नहीं हो सकती जिसने अपने मामलों की विलायत औरत के हाथ में दे दी हो''। इस हदीस में विलायत से तात्पर्य पूरी उम्मत पर सामान्य शासन और उम्मत का नेतृत्व है। क्योंकि यहां मामलों से तात्पर्य नेतृत्व और सामान्य सत्ता से सम्बन्धित मामलें हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों में तो औरत को अधिकार और बढ़त प्राप्त हो सकती है जैसे फ़तवा, इज्तिहाद, शिक्षा हदीस की रिवायत और प्रबन्ध में औरत को सर्वसम्मति से विलायत प्राप्त हो सकती है। इतिहास के विभिन्न युगों में हमें ये मिलता है कि औरत ने इन मामलों का प्रबन्ध किया है। स्वयं इमाम अबू हनीफ़ा ने औरत को उन मामलों में न्याय करने की अनुमति दी है। जिन मामलों में वह गवाह बन सकती हैं।, अर्थात हुदूद और क़िसास के अतिरिक्त तमाम मामलों में उसे न्याय देने की अनुमति है। सलफ़ (पूर्वजों) में से कुछ फ़ुक़हा ने तो हुदूद और क़िसास में भी उसे न्याय करने की अनुमति दी है। इस बात का उल्लेख इब्ने कय्यिम ने अपनी किताब, अत्तुरूक अल हुक्मीया में किया है। तबरी ने भी औरत को, तमाम मामलों में न्याय करने की अनुमति दी है। यहां तक कि इब्ने हज़्म जो कि ज़ाहिरी मत के हैं उन्होंने भी औरत को तमाम मामलों में न्याय करने की अनुमति दी है इससे पता चलता है कि कोई भी ऐसी स्पष्ट शरई दलील नहीं हैं जिसमें औरत को न्याय देने की ज़िम्मेदारी निभाने से रोका गया हो क्योंकि यदि ऐसी कोई दलील मौजूद होती तो इब्ने हज़्म उस पर कठोरता से अमल करते, और औरत को किसी भी स्थिति में न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं देते।

यदि हम उपर्युक्त हदीस की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करें तो हमें मालूम होगा कि यह हदीस सामान्य शासन के सम्बन्ध में है। नबी (सल्ल.) को यह बताया गया कि ईरानियों

ने अपने शासक की मौत के बाद उसकी बेटी बूरान बिन्ते किसरा को अपने देश की सत्ता की बागडोर सौंप दी है तो उस अवसर पर आपने फ़रमाया था वह क़ौम कभी सफल नहीं हो सकती जिसने अपनी बागडोर एक औरत को सौंप दी।

औरत को संसद की सदस्यता से जुड़ी हुई समस्या का जो लोग विरोध करते हैं वह इस सन्देह का भी उल्लेख करते हैं कि संसद के सदस्य का सम्बन्ध स्वयं शासन व शासक राष्ट्राध्यक्ष से होता है क्योंकि वह संसद सदस्य के रूप में शासन और राष्ट्राध्यक्ष की पकड़ कर सकती है। अतः इसका यह अर्थ हुआ कि हम एक तरफ़ औरत को सामान्य सत्ता से रोक रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ़ हम उसे सामान्य सत्ता की क्षमता दे रहे हैं इस सन्देह को देखते हुए इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि संसद और शूरा की सदस्यता के भावार्थ पर विस्तार से प्रकाश डाला जाये। और इसका विश्लेषण किया जाये। यह बात सभी को मालूम है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का काम दो पहलुओं पर आधारित होता है। एक क़ानून लागू करने वाली संस्था की निगरानी और उसकी ग़लतियों पर पकड़ करना, दूसरे क़ानून बनाना, इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण करते समय। हमारे सामने निम्न लिखित बातें आती हैं:

शरई भावार्थ को ध्यान में रखते हुए यदि, निगरानी और पकड़ का विश्लेषण किया जाये तो पता चलता है कि इसे इस्लामी शब्दावली में भलाई का आदेश और बुराई से रोकना और दीन में भलाई चाहना के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के नेताओं और जनता के प्रति भलाई की भावना रखना हर मुसलमान के लिये अनिवार्य है। भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना और भला चाहने की भावना तमाम ही मर्दों और औरतों से वांछित है क़ुरआन करीम में अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा गया है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के सहयोगी है। भलाई का आदेश देते हैं बुराई से रोकते हैं। जब तक औरत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना वह विचार प्रस्तुत करे जिसे वह उचित समझती है। भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके और अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किसी चीज़ को उचित और किसी चीज़ को अनुचित बताये, तब तक कोई भी ऐसी शरई दलील नहीं पायी जा सकती जो उसको ऐसी संसद या संस्था की सदस्यता प्राप्त करने से रोक सके जो इन कामों को करते हैं। आदतों और मामलों में बुनियादी चीज़ उनकी वैधता है। हां यदि किसी चीज़ की मनाही में स्पष्ट दलील (क़ुरआन व सुन्नत) मौजूद हो तो हम उसे वैध नहीं ठहरा सकते। यह बात भी कही जाती है कि पिछले इस्लामी इतिहास में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि शूरा की मजलिस में औरत भी सम्मिलित रही हो लेकिन यह बात औरत को इससे रोकने में शरई दलील नहीं बन सकती। इस समस्या का स्म्बन्ध तो उस मामले से है कि देश काल के बदलने से फ़तवा भी बदल जाते हैं। शूरा की व्यवस्था को पिछले युगों में मर्दों या औरतों के लिये अत्यन्त गहराई के साथ व्यवस्थित नहीं किया गया था। शूरा का सम्बन्ध भी उन मामलों से है जिनके सिलसिले में संक्षिप्त और अन्तिम दलीलें आई हैं। और जिनके सिलसिले में मुसलमानों को यह ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि वह अपने

देशकाल के हालात और सामाजिक हालात को सामने रखकर उसका विस्तृत विवरण और सीमायें निर्धारित कर लें।

संसद के काम का दूसरा पहलू क़ानून बनाना है। कुछ जोशीले लोग इस काम को भी बहुत बड़ा बनाकर प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यह काम सत्ता संभालने से अधिक ख़तरनाक़ है। इन लोगों का कहना है कि चूकिं क़ानून बनाने का काम अत्यन्त महत्वपूर्ण नाजुक और खतरनाक है। इसलिये औरत को इससे दूर रहना चाहिये। हालांकि वास्तव में यह मामला बहुत आसान और सामान्य है। मौलिक रूप से क़ानून बनाने का अधिकार मात्र अल्लाह को प्राप्त है। भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने से सम्बन्धित क़ानून बनाने का सिद्धान्त अल्लाह तआला ने निर्धारित कर दिया है। हम इन्सानों का काम तो मात्र उन समस्याओं में ओदश मालूम करना है जिनके बारे में कोई क़ुरआन व सुन्नत में दलील न पाई जाती हो या उन समस्याओं की व्याख्या करना है जिनके बारे में सामान्य दलीलें आई हैं। दूसरे शब्दों में हम इन्सानों का काम आदेश को निकालना और मालूम करना और उसका विस्तृत विवरण बयान करने में इज्तिहाद करना है। इस्लामी शरीअत में इज्तिहाद का दरवाज़ा हर मर्द–औरत के लिये खुला हुआ है। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि

सिर्फ़ मर्द ही इज्तिहाद कर सकतें हैं और औरतें इज्तिहाद नहीं कर सकती हैं।

यह बात सभी लोग स्वीकार करतें हैं कि क़ानून बनाने में बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध औरत के व्यक्तित्व से, ख़ानदान से और औरत के सम्बन्धों से है। इन मामलों में औरत का विचार स्वीकार करना चाहिये क्योंकि संभव है कुछ परिस्थितियों में औरत का विचार मर्दों से अधिक उचित और प्रभावी हो।

जब हम यह बात करते हैं कि औरत का संसद में जाना वैध है तो उससे हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि औरत को अजनबी मर्दों से बिना किसी सीमा और क़ैद के मिलने जुलने की अनुमति है या उसे अपने घर, पति या बच्चों के हितो को भुलकार इसकी अनुमति दी गई है या उसे इस बात की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है कि वह परिधान, चाल–चलन और बात–चीत में प्रतिष्ठित इस्लामी तरीक़े को छोड़ दे। बल्कि औरत के लिए आवश्यक है कि संसद में तमाम बातों को ध्यान में रखे।

डॉ. यूसुफ़ क़रज़ावी ने अपने फ़तवा में इस दिशा में संकेत दिया है कि इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि नेक मुसलमान औरतें, नारी स्वतन्त्रता की समर्थक औरतों के मुक़ाबले में चुनाव मैदान में आयें, कभी–कभी व्यक्तिगत आवश्यकता के मुक़ाबले में राजनीतिक व सामाजिक आवश्यकता का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिसके कारण औरत को जीवन के सामान्य क्षेत्र में आना पड़ता हैं

द्वितीय : क्या औरत को स्वयं को चुनाव में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति कुछ विशेश भार्तों के साथ है?

शर्तों से सम्बन्धित यह समस्या भी उन लोगों के बीच उठाई गयी थी जो राजनीतिक मामलों में रूचि रखते थे और उनमें चिन्तन करते थे। प्रश्न यह किया गया था कि क्या प्रारम्भ में औरत को स्वयं को चुनावों में प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार उसी समय प्राप्त है जब वह स्वयं को किसी महिला संगठन या संस्था की तरफ़ से प्रस्तुत करे जिसमें औरत की संख्या अधिक हो। चाहे वह व्यावसायिक संस्थाएं ही या सामाजिक या सांस्कृतिक हों? अर्थात अकेले औरत को विधान मंडल में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। हां औरतों की बड़ी–बड़ी पार्टियों को यह अधिकार प्राप्त है।

बात–चीत के बाद यह बात सामने आई कि इस मामले में मर्दों और औरतों के बीच इस अन्तर की आवश्यकता नहीं है। हां, यदि औरतें किसी ऐसे अंधेरे समाज में हों जहां उसका जीवन बहुत ही तंग हो। उसे सामाजिक जीवन में किसी भी तरह की भागीदारी की अनुमति न दी जाती हो। और मर्दों से बिल्कुल ही अलग–अलग रखा जाता हो तो ऐसे समाज में चरणबद्ध ढंग से काम करना आवश्यक है। यदि औरत ऐसे खुले समाज में हो। जहां उसे सामाजिक जीवन में किसी भी तरह की भागीदारी की अनुमति न दी जाती हो और मर्दों से बिल्कुल ही अलग–थलग रखा जाता हो तो ऐसे समाज में चरणबद्ध ढंग से काम करना आवश्यक है। यदि औरत ऐसे खुले समाज में हो। जहां उसे सामाजिक जीवन में भागीदारी के अवसर प्राप्त हों तो ऐसे समाज में चरणबद्ध रवैया अपनाना अनिवार्य नहीं है।

व्यवहारिक प्रयासों और गतिविधियों के साथ ऐसे सर्वेक्षण भी करते रहना चाहिये जो ऐसे क्षेत्रों के निर्धारण में सहायक हों जिनमें औरत का प्रतिनिधित्व अधिक लाभदायक व प्रभावी हो सके।

अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी ने संसद की सदस्य महिलाओं के लिये जिन शिष्टाचारों पर ध्यान देने को अनिवार्य ठहराया है। हमारा विचार है कि वह सामान्य शिष्टाचार हैं जिनका जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्द औरत की मुलाक़ात के बीच ध्यान रखना आवश्यक है। हमने इस भाग के दूसर अध्याय में उन शिष्टाचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

चौथा निर्देश : औरत के लिए पसन्दीदा है कि वह अपने माल और अपने घर वालों के माल के कुछ भाग को अच्छे ढंग से अनिवार्य और पसन्दीदा राजनीतिक गतिविधियों में ख़र्च करे। यदि औरत के ऊपर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना पसन्दीदा हो और वह उसमें बहुत अधिक व्यस्त हो तो मर्द के लिए यह पसन्दीदा है कि वह घरेलू काम काज में पत्नी का साथ दे। लेकिन यदि इस राजनीतिक गतिविधि की प्रवृत्ति अनिवार्य हो तो पति पर घरेलू काम काज में अपनी पत्नी का साथ देना अनिवार्य है।

राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पत्नी जितनी अधिक सवाब की हक़दार होगी उसका पति भी उस सवाब में भागीदार होगा। वह अपनी बीवी का इस सिलसिले में जितना उत्साह बढ़ायेगा और सहयोग देगा उतना ही उसका बदला बढ़ जायेगा।

सामाजिक गतिविधि से सम्बन्धित आठवें निर्देश में इस बात की दलील गुज़र चुकी है कि औरत का अपने घर वालों के माल के कुछ भाग को ख़र्च करना पसन्दीदा है। इसी तरह इस बात की भी दलील गुज़र चुकी है कि मर्द के लिये यह पसन्दीदा है कि वह अपनी पत्नी का सहयोग करे।

पांचवां निर्देशः मुस्लिम समाज ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो औरत के लिये समाज से जुड़े उसकी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और साथ ही घर और परिवार से जुड़ी उसकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सहायक होते हैं।

हज़रत नोअमान बिन बशीर फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तमाम मोमिन आपसी प्यार व संवेदना में एक शरीर की तरह हैं। यदि शरीर के किसी भाग को कष्ट पहुंचता है तो उसके लिये पूरा शरीर ज्वर में पीड़ित होता है और रातों में जागता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम समाज के लोग और जन संस्थायें आपस के एक दूसरे के सिलसिले में दया भावना और संवेदना रखते हैं। मुस्लिम समाज के भलाई में सहयोग देने वाले लोगों को अच्छा काम करने की दावत देनी चाहिये। उस अच्छे काम के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं।

(क) राजनीतिक गतिविधि के मैदान में भाग लेने के सिलसिले में औरत का उत्साह बढ़ाना। यह काम इस तरह किया जा सकता है कि तमाम संचार माध्यमों से औरत के दायित्वों और उसकी भूमिका को बयान किया जाये और उसे उसकी भूमिका निभानें पर प्रेरित किया जाये। इसके साथ–साथ मर्दों को भी इस बात की दावत दी जाये कि वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के सिलसिले में औतरों का सहयोग करें।

(ख) औरतों की राजनीतिक पार्टियां और कमीशन बनाना, और उनका औरतों से सम्बन्धित क्षेत्रों में काम करना ताकि औरत आसानी से उसकी गतिविधियों में भाग ले सके। इसके साथ–साथ उसे शेष क्षेत्रों में मर्दों के साथ मिलकर भी काम करना चाहिये।

छठा निर्देश : मुस्लिम शासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वह औत को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के सिलसिले में सूचति करें और इस सिलसिले में उसका उत्साह बढ़ायें।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम में से हर व्यक्ति संरक्षक है और उससे उसके मातहतों के बारे में पूछा जायेगा। लोगों का अमीर (इमाम) उनका संरक्षक है और उससे उसके मातहतों के बारे में पूछा जायेगा. ....। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस दायित्व को विभिन्न संसाधनों के माध्यमों से पूरा किया जा सकता है। उनमें से कुछ का उल्लेख निम्न में किया जाता है :

(क) सरकारी मीडिया के माध्यम से औरत के इस दिशा में ध्यान दिलाना कि उसे राजनीतिक गतिविधियों में गंभीरता से भाग लेकर समाज को ऊँचा उठाने का प्रयास करना चाहिये।

(ख) औरत अपनी राजनीतिक भूमिका को आसानी से निभा सके इसके लिये उसकी राह आसन बनाना। इस राह को आसान करने के लिये वोट डालने का अधिकार देना चाहिये। इसी के साथ उसे इस बात का भी अधिकार देना चाहिये कि वह स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर सके या किसी महिला संस्था की तरफ़ से प्रस्तुत किसी ऐसी संस्था की तरफ़ से स्वयं को प्रस्तुत करे जिसमें औरतों की संख्या अधिक हो।

(ग) स्थानीय निकायों में और संसद में औरतों के लिये स्थान निर्धारित करना।

सातवां निर्देशः यदि औरत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है और उसे इन गतिविधियों के दौरान मर्दों से मिलना पड़ता है तो मर्दों और औरतों प्रत्येक की भागीदारी के उन शिष्टाचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है जिनका उल्लेख एक विशेष अध्याय में गुज़र चुका है। हम यहां पर एक बार फिर कुछ शिष्टाचारों का उल्लेख करते है जैसेः कपड़ों का शिष्ट होना, निगाहें नीची रखना, एकान्त में रहने से बचना, और सन्देह के स्थानों से बचना।

यदि किसी राजनीतिक संस्था में इनमें से कुछ शिष्टाचार नहीं पाये जाते तो क्या यह ठीक है कि हम उन हितों को छोड़ दें जो इन संस्थाओं से पूरे हो रहे हैं और औरत को ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों में भाग लेने से रोक दें? या यह बेहतर है कि उन हितों को ध्यान में रखा जाये और उसके साथ–साथ शरई शिष्टाचारों को लागू करने का विवेकपूर्ण प्रयास करना चाहिये? फ़िक़्ह के सिद्धान्त के अनुसार यदि बिगाड़ का डर न हो तो आवश्यकताओं और हितों के ध्यान में रखना अनिवार्य है। इस सिलसिले में अल्लामा इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं :

- जब भी किसी ऐसे सख़्त बिगाड़ की तरफ़ नज़र डाली जाये तो अवैधता और मनाही का तक़ाज़ा करती हो तो उसी समय उस आवश्यकता को भी सामने रखना चाहिये जो अनुमति बल्कि पसन्दीदगी ओर अनिवार्यता चाहती है।
- जब भी किसी चीज़ से माध्यम प्रत्येक के लिए रोका जाता है तो वह सुधार के उद्देश्य से किया जाता है जैसे किसी अजनबी औरत से एकान्त में मिलने उसके साथ बात करने और उसको देखने से इसलिए मना किया गया है क्योंकि यह सारी चीज़ें ख़राबी का कारण बनती हैं। इसीलिए उसे मात्र अपने पति या किसी महरम के साथ यात्रा की अनुमति है। उसे अपने पति या मरहम के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ यात्रा से इसलिये रोका गया है क्योंकि ये बिगाड़ का माध्यम बनता है लेकिन यदि इनमें सुधार का पहलू भारी हो तो ये चीज़ें बिगाड़ का माध्यम नहीं हो सकतीं।
- ये शरीअत का सिद्धान्त है कि जब कभी बनाव–बिगाड़ में टकराव हो जाये तो इन दोनों में से जो वरीयता योग्य हो उसको चुनाव किया जाता है।

नौकरी और राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में औरत की भागीदारी पर टिप्पणी।

पश्चिमी समाज के एक आधुनिक अनुभव की गवाही :

एक रूसी नेता मिखईल गोवाचोब ने अपनी किताब ''पेरेस्ट्रोइका'' में लिखा है कि किसी भी समाज की राजनीतिक व सामाजिक स्तर को जांचने के लिये यह देखा जाता है कि उस मसाज में औरत किस सीमा तक स्वतन्त्र है। रूसी सरकार ने औरत के विरूद्ध भेदभाव पूर्ण रवैये पर कठोरता से प्रतिबन्ध लगाया, औरत को समाज में एक स्थान दिया और उसका दर्जा मर्द के बराबर किया। क़ानून औरत के इस स्थान की ज़मानत देता है। रूसी सरकार ने औरत को जो अधिकर दिये हमें उन पर स्वाभिमान है। उसे काम में मर्दों की तरह अधिकार दिये गये। उसे काम पर मर्दों के बराबर मज़दूरी दी गई और उसे सामाजिक ज़माअत दी गई। औरत इन चीज़ों में भाग न लेती और अनथक काम और मेहनत न करती तो यह संभव नहीं था कि हम एक नया समाज गठित कर सकते, या हम फासीवाद के विरूद्ध युद्ध में जीत प्राप्त कर सकते।

लेकिन हम अपने इस पूरे और शानदार इतिहास में इस बात से मजबूर रहे कि औरतों के विशेष अधिकारों की तरफ़ ध्यान दे सकें, और उसकी उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें जो आवश्यकतायें उसे माँ और घर की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से सामने आती हैं। औरत पर बच्चों की शिक्षा व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जो जिम्मेदारियां आती हैं वह उसे पूरा नहीं कर पाती औरत जब वैज्ञानकि शोध उत्पादन और सेवाओं के मैदान में काम करती है और आधुनिक गतिविधियों में भाग लेती है। तो फिर उसके पास घरेलू काम करने और पति व बच्चों की जिम्मेदारियां अदा करने का समय नहीं रह जाता। यह बात हम पर स्पष्ट हुई है कि बच्चों और नौजवानों के रवैयों और हमारी सभ्यता से सम्बन्धित बहुत सी परेशानियों का एक कारण, पारिवारिक सम्बन्धों की कमज़ोरी और ख़ानदानी जिम्मेदारियों को अदा करने में सुस्सती है। ये इस बात का परिणाम है कि हम हर चीज़ में औरत की समानता के बारे में बहुत अधिक लालची हैं लेकिन अब हम इस स्थित पर क़ाबू पाने लगे हैं। हमने आजकल पत्रकारिता में सामान्य संगठनों में काम की जगहों में और घर में हर जगह तेज़ बहस छेड रखी है, कि औरत को शुद्ध स्त्रीत्व के सन्देश की तरफ़ लौटने की राह आसान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

मैंने जो यह बात कही कि औरत को उसके शुद्ध स्त्रीत्व के सन्देश की तरफ़ लौटाना चाहिए। इसमें तात्पर्य यह नहीं है कि उसे नौकरी और राजनैतिक व सामाजिक गतिविधियों से वंचित कर दिया जाये बल्कि मेरा तात्पर्य यह है कि औरत पर आने वाली घर और परिवार की मौलिक ज़िम्मेदारियां और उसकी अन्य ज़िम्मेदारियों के बीच सामन्जस्य स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है।

भाग–3

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात का विरोध करने वाले को साथ एक संवाद।

अध्याय–1

प्रथम : भागीदारी और मुलाक़ात की दलीलों पर विरोधी लोगों की आपत्तियों पर एक संवाद।

पहली आपत्ति :

विरोधी लोगों का कहना है कि क़ुरआन व सुन्नत की जिन दलीलों में नबी (सल्ल.) के सम्बन्ध में उन बातों का बयान है। वास्तव में वह काम नबी (सल्ल.) के साथ विशेष थे। उन्हें सामान्य आदेश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हम इसका उत्तर बयान हैं:–

(क) यह एक प्राकृतिक बात है कि बहुत सी हदीसों में नबी (सल्ल.) के पवित्र जीवन के विभिन्न भागों का उल्लेख किया जाये क्योंकि सुन्नत से तात्पर्य ही आपके कथन, | कर्म और तक़रीरें (ख़ामोश रहना) हैं क्योंकि सहाबा किराम और ताबईन ने आपकी सुन्नत से सम्बन्धित तमाम चीज़ों को रिवायत करने की पूरी कोशिश की है। क़ानून आपकी सुन्न्त के अनुसार बनता है। आपके अतिरिक्त सहाबा किराम का उल्लेख माध्यम के रूप में होता है आर्थात सुन्नत कोई ऐतिहासिक और सामाजिक बयान नहीं है। जिसमें विभिन्न मैदानों में सहाबा किराम के जीवन को समेटा गया हो।

(ख) हदीस के सिद्धान्त के माहिरों(उलमा–ए–उसूल) का कहना है कि किसी कर्म को नबी (सल्ल.) के साथ विशेष उस वक़्त तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि किसी दलील से उसका नबी (सल्ल.) के साथ विशेष होना न मालूम हो जाये। उलमा–ए–उसूल का यह भी कहना है कि विशेषताएं संभावनासओं (एहतिमाल) से सिद्ध नहीं हुआ करती हैं। इस सिलसिले में अल्लामा इब्ने तौमिया फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के लिये जो चीज़ें वैध (हलाल) ठहरायी है वह चीज़ें उम्मत के लियें उस वक़्त तक हलाल हैं जब तक कि किसी दलील से यह न मालूम हो जाये कि वह चीज़ या कर्म(अमल) आप (सल्ल.) के लिए विशेष है। उन तमाम दलीलों में विशेषता की दलीलें कहां हैं?

(ग) विभिन्न 'हदीस' के माहिरों फक़ीहों, जैसे बुख़ारी और इब्ने हजर ने उन दलीलों की व्याख्या करते हुए उन्हें नबी (सल्ल.) के साथ विशेष नहीं ठहराया है बल्कि उन दलीलों से ऐसे मसलें निकाले हैं जिन से उन दलीलों के सामान्य होने की पुष्टि होती है। इस भाग की भूमिका में इमाम बुख़ारी के बहुत से तराजिम (हदीसों के शीर्षक) गुज़रे हैं जिनसे सामान्यता सिद्ध होती है पांचवें अध्याय में अल्लामा इब्ने हजर के बहुत से कथन गुज़र चुके हैं जिनसे इसी बात की पुष्टि होती है।

(घ) यदि हम यह मान ही लें कि इस तरह के कुछ दृश्य व घटनायें जिनकी संख्या लगभग 50 है। नबी (सल्ल.) की विशेषता थे। क्योंकि आप मासूम (निर्दोष) थे तो आप का उन औरतों के बारे में क्या विचार है जिनसे आप (सल्ल.) मिला करते थे। हालांकि वह मासूम (निर्दोष) नहीं थीं। इसी तरह उन मर्दों के बारे में आपका क्या विचार है जो उन मुलाक़ातों के बीच नबी (सल्ल.) के साथ होते थे। (ऐसी घटनाओं की संख्या लगभग 70 है) इसी तरह आप उन दृश्यों के बारे में क्या कहेंगे जिनमें सहाबा किराम के अमल का बयान आया है न कि नबी (सल्ल.) के अमल का, (ऐसी घटनाओं की संख्या लगभग 150 है)।

(च) नबी (सल्ल.) के युग में मर्द व औरत के बीच सामान्य मुलाक़ात के दो बहुत बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि नबी (सल्ल.) ने स्वयं को एक सबके समान इन्सान के रूप में प्रस्तुत की बल्कि एक ऐसे इन्सान के रूप में प्रस्तुत की जो एक 'पूर्ण मनुष्य'' था। औरत जिसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थय पूर्ण था अतः आत्मसम्मान के सिलसिले में आपके यहां कोई चारम रवैया न था। परदा फ़र्ज होने से पहले आप की पाक बीवियों से मिलने वाले मर्दों की संख्या जितनी थी उतनी ही परदा फ़र्ज़ होने के बाद भी थी। हां परदा फ़र्ज़ होने के बाद उन सीमाओं में मुलाक़ात होती थी जिनको अल्लाह ने तय कर दिया था। इसी तरह परदा फ़र्ज़ होने से पहले जब आप औरतों से मुलाक़ात करते और उस समय आपके साथ मर्द सहाबा की संख्या जितनी होती उतनी ही संख्या परदा फ़र्ज़ होने के बाद भी होती थी। हालांकि नबी (सल्ल.) तक़वा के ऊँचे स्थान पर आसीन थे। आपको मुसलमानों की आबरू की रक्षा की चिन्ता सबसे अधिक थी और आपकों इस बात का पूरा ज्ञान था कि आप सभी मुसलमानों के लिये एक उत्तम आदर्श की हैसियत रखते हैं। हम निम्न में दो मिसालों को काफ़ी समझते हैं:

पहली मिसालः नबी (सल्ल.) ने जब हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र को देखा कि वह काफ़ी दूर से अपने सिर पर गुठलियां उठा कर ला रही हैं तो आपने(सल्ल.) स्नेहवश उनको इस बात की पेशकश की कि वह आपकी ऊंटनी पर आपके पीछे सवार हो जायें, लेकिन हज़रत अस्मा को अपने पति का आत्मसम्मान याद आया तो उन्होंने आपकी पेशकश स्वीकार नहीं की और अपने रास्ते पर हो लीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) से किसी ऐसे काम की आशा है जिससे सन्तुलित और समानता का आत्मसम्मान घायल होता हो। वास्तव में उपर्युक्त हदीस में जिस आत्मसम्मान का बयान है वह सीमा से बढ़ी हुई ग़ैरत है।

दूसरी मिसालः नबी करीम (सल्ल.) ने स्वप्न में देखा कि आप (सल्ल.) जन्नत में हैं। आप (सल्ल.) ने देखा कि जन्न्त में एक महल के पास एक महिला वुज़ू कर रही हैं।

रजब आप (सल्ल.) से बताया गया कि यह महल हज़रत उमर बिन खत्ताब(रज़ि.) का है। तो आप (सल्ल.) को उनकी ग़ैरत याद आ गई। अतः आप (सल्ल.) ने अपना चेहरा फेर लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यहां पर इस बात का उल्लेख है कि आप (सल्ल.) ने किसी गुनाह के कारण अपना चेहरा नहीं फेरा बल्कि हज़रत उमर (रज़ि.) की अधिक ग़ैरत को ध्यान में रखते हुये अपना चेहरा फेर लिया। इसी ग़ैरत के कारण हज़रत उमर (रज़ि.) इस बात को पसन्द नहीं करते थे कि उनकी पत्नी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए। लेकिन दीन के बारे में उनकी गहरी समझ ने उनको नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन के विरोध से सुरक्षित रखा कि, ''अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद से न रोको'' (बुख़ारी) यह था नबी करीम (सल्ल.) का तरीक़ा, आप (सल्ल.) ही ये कहने वाले हैं: ''क्या तुम लोगों को सअ़द के आत्मसम्मान पर आश्चर्य होता है? अल्लाह की क़सम मैं उससे भी अधिकआत्म सम्मान वाला हूं और अल्लाह तआला मुझसे भी अधिक आत्मसम्मान वाला है'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

आप (सल्ल.) ही ये कहने वाले हैं: 'अल्लाह से अधिक आत्मसम्मान वाला कोई भी नहीं है। इसी कारण से अल्लाह तआला ने अश्लील कामों को मना किया है।'' (बुख़ारी) इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) हज़रत अस़द(रज़ि.) और तमाम इन्सानों से अधिक आत्मसम्मान वाले थे लेकिन आप (सल्ल.) का यह आत्मसम्मान एक संतुलित आत्मसम्मान था जो मात्र अश्लील बातों और आरोप की जगहों से नफ़रत करता था। अतः अपने समाज को सुधारने के सिलसिले में हमें नबी करीम (सल्ल.) के तरीक़े को अपनाना चाहिये या अन्य लोगों के तरीक़े को अपनाना चाहिये? चाहे वह कितना ही अच्छा इन्सान ही क्यों न हो।

नबी (सल्ल.) के युग में मर्द औरत के बीच मुलाक़ात के सामान्य होने का दूसरे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह था कि आप(सल्ल.)औरत को एक प्रतिष्ठित इन्सान के रूप में देखते थे जो जीवन में मर्द के साथ रहती है और जो मात्र कामवासना की तृप्ति का एक माध्यम ही नहीं होती। ऐसे प्रतिष्ठित इन्सान पर जीवन उन विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने का दायित्व डालता जिन गतिविधियों कापूरा करने का दायित्व मर्दों पर है। हां कुछ गतिविधियां औरतों के लिये विशेष हैं। यहां तक कि हर औरत हर युग और हर समाज के अनुसार उन गतिविध्यिों की विशेषता बदलती रहती है। अतः एक विवाहित औरत और एक विधवा औरत में, एक बांझ औरत और बहुत अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरत में बहुत अन्तर है। इसी तरह नगरीय समाज और देहाती समाज में और प्राचीन और आधुनिक समाज में बहुत अन्तर है।

(ज) यदि सहाब किराम के जीवन में हमें औरतों से मुलाक़ात की इतनी मिसालें नहीं मिलतीं जितनी मिसालें नबी (सल्ल.) के जीवन में मिलती हैं तो उसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। जिनका इस्लामी शरीअत बनाने में कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए आदर्श नबी (सल्ल.) का व्यक्तित्व है। इसी तरह सुन्नत आप के ही आमाल हैं न कि दूसरों के तमाम सहाबा ने नबी (सल्ल.) के आदर्श और सुन्नत को अपनी ताक़त और हालात के अनुसार प्राप्त किया लेकिन इसके वावजूद सभी ने आपकी सुन्नत की रक्षा की। आपके तमाम आमाल को मालूम किया और उन्हें अपने बाद आने वाली नस्लों

को स्तांन्तरित कर दिया ताकि आपकी सुन्नत अल्लाह की इच्छा के अनुसार अल्लाह की किताब की व्याख्या करने वाली बन जाये।

दूसरी आपत्तिः

विरोधी लोगों को कहना है कि सहाबा किराम के औरतों से मिलने की घटनायें बहुत ही कम और चुनिन्दा हैं। ऐसी घटनायें सामान्य नहीं थे हम निम्नलिखित तरीक़ों से इसका उत्तर देते हैं।

(क) सहाबा किराम की औरतों से मुलाक़ात की घटनायें इतनी अधिक हैं कि उनमें चुनिन्दा घटनायें कहना उचित नहीं है सहीह बुख़ारी व मुस्लिम आने वाली दलीलों के अनुसार ऐसी घटनाओं की संख्या जिनमें सहाबा किराम औरत से बुलाक़ात के समय नबी (सल्ल.) के साथ थे लगभग 70 तक पहुंचती हैं और ऐसी घटनायें जिनमें सहाबा किराम की अकेले औरत से मुलाक़ात का बयान है उनकी संख्या लगभग 150 तक पहुंचती है।

(ख) उसूले हदीस के माहिरों के अनुसार यदि नबवी युग में किसी एक व्यक्ति के लिये कोई चीज़ सिद्ध होती है तो इसका अर्थ यह है कि वह सभी लोगों के लिये सिद्ध है। सिवाय यह कि किसी दलील से उस चीज़ का उस व्यक्ति के साथ विशेष होना सिद्ध न हो जाये। इस मसले के विरोधी कोई ऐसी दलील प्रस्तुत नहीं कर सकते जिससे इस अमल के नबी (सल्ल.) या सहाबा (रज़ि.) के साथ विशेष होने का ज्ञान होता हो।

(ग) हदीस के माहिर लोग और फ़क़ीह लोग, जैसे इमाम बुख़ारी और इब्ने हजर आदि ने इन घटनाओं को चुनिन्दा विशेष घटनाओं में नहीं गिना है यह बात इमाम बुख़ारी के उन शीर्षकों और हाफ़िज़ इब्ने हजर की उन व्याख्याओं से व्यक्त होती है जिनमें से अधिकतर मैंने पिछले अध्यायों में बयान की है।

तीसरी आपत्तिः विरोधी लोगों का कहना है कि नबी (सल्ल.) की हदीसों में औरतों से मुलाक़ात की जो घटनायें लिखी हैं वास्तव में वह मुलाक़ातें शरई ज़रूरत के कारण होती थीं और यह बात मालूम है कि ज़रूरत अवैध चीज़ों को वैध कर देती है।

इस बात का उत्तर निम्नलिखित में देते हैं:—

(क) यदि औरतों से मिलना हराम है तो हराम होने की दलील क्या है?

(ख) इस मसले के विरोधी उन दलीलों में विचार करें जो मैंने औरतों से मुलाक़ात के सिलसिले में नक़ल की हैं और फिर हमें ऐसी घटनाओं की संख्या बतायें से ऐसी शरई ज़रूरत के लिये मुलाक़ात की गई हो जो अवैध चीज़ों को वैध कर देती है।

(ग) यदि यह मुलाकातें शरई आवश्यकता के कारण थीं तो इससे इमाम बुख़ारी और हाफ़िज़ इब्ने हजर जेसे हदीस व फ़िक़्ह के इमाम कैसे भूल गये कैसे उन्होंने इन घटनाओं से सामन्य आदेश निकाल लिये, और औरतों से मुलाक़ात के बहुत से रूपों को वैध ठहराया, जेसे कि हमने इमाम बुख़ारी के शीर्षकों और हाफ़िज़ इब्ने हजर की व्याख्याओं में देखा।

चौथी आपत्तिः नबवी युग का समाज एक स्वस्थ समाज था जिसमें किसी तरह के फ़ितने का संदेह नहीं था। इसकी तुलना में हमारे आजकल के समाज में चरित्र में गिरावट बहुत अधिक है, इस बात का उत्तर हम निम्नलिखित तरीक़ों से देते हैं:–

(क) हम सहाबा किराम के समाज की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं क्योंकि स्वयं नबी (सल्ल.) ने सहाबा किराम के युग को सबसे अच्छा बताया है। लेकिन इसके वावजूद हमारा यह कहना है कि हर समाज में मज़बूत लोग भी होते हैं और कमज़ोर लोग भी होते हैं। मदीने के समाज में हमें विभिन्न क़िस्म के इन्सान मिलते है। उसमें कुछ ऐसे देहाती थे जो इस्लाम में तो आ गये थे लेकिन उन्होंने दिल से ईमान स्वीकार नहीं किया था उसमें कुछ सीधे साधे नौजवान भी थे। उसमें कुछ पक्के मुनाफ़िक़ भी थे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें कपट की थोड़ी बहुत निशानियां पायी जाती थीं। और हर तरह के लोग मस्जिद आया करते थे और हज्ज के ज़माने में अल्लाह के घर कअ़बा जाया करते थे।

(ख) हम यहां ऐसी मुलाक़ात का उल्लेख कर रहे हैं जो गंभीरता से हो जिसके दौरान।

उन शिष्टाचारों की रियायत की जाये जो अल्लाह तआला ने बताये हैं इसी तरह हम यहां अपनी बात चीत उन मुसलमानों से कर रहे हैं जिनको नबी (सल्ल.) की पैरवी की बहुत अधिक इच्छा हो। और जो रोज़ाना पांच वक़्त अपने रब के सामने हाज़िर होते हों ऐसे पापी व्यक्ति का सम्बन्ध है जो हर वक़्त मुसलमानों के सम्मान और आवरू को हानि पहुंचाने की ताक में रहता हो तो ऐसा पापी व्यक्ति हमारे ज़मानें में हर वक़्त औरतों से बिना झिझक अनुचित व गन्दी मुलाक़ातें करता ही रहता है। वह हमारी बातों की तरफ़ न ही ध्यान देता हैं और न वह ऐसी बातें सुनने की प्रतीक्षा में रहता है।

(ग) यदि समाज में बिगाड़ और नैतिक पतन को देखते हुए मर्द औरत की मुलाक़ात के अवसर कम करना आवश्यक ही थे तो हमें इसके लिये ऐसा तरीक़ा अपनाना चाहिये कि जिससे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत नैतिक पतन से बच सके। इसके लिये हमें ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिये जो तमाम मैदानों में मर्द औरत की बुलाक़ात को पूरी तरह अवैध ठहराते हों।

(घ) फ़ितने से सुरक्षित रहने और बिगाड़ के स्त्रोतों पर रोक लगाने के दावों के महत्व को देखते हुए हम इन्शा अल्लाह इस पर एक अलग अध्याय ने चर्चा करेंगे (देखिये इस भाग का तीसरा अध्याय)

द्वितीयः उन दलीलों पर एक वार्ता जो मर्द व औरत की मुलाक़ात की मनाही के सिलसिले में विरोधी लोग प्रस्तुत करते हैं

पहली दलीलः अल्लाह तआला फ़रमाता हैः "अपने घरों में टिक कर रहो" हम इस सिलसिले में निम्नलिखित ढंग से उत्तर देते हैं

(क) इस आयत के प्रसंग व सन्दर्भ से पता चलता है कि इसमें नबी (सल्ल.) को बीवियों(रज़ि.) को सम्बोन्धित किया गया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं, यह आयत वास्तविक आदेश है। इसमें नबी (सल्ल.) की पवित्र बीवियों को सम्बोधित किया गया है।

इसलिये हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती थीं। ''अब मैं नबी (सल्ल.) से मिलने तक (अर्थात अपनी मौत तक सफ़र नहीं करूगी।''

(ख) घरों में ठहरे रहने का आदेश नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को हज्ज के लिये जाने से हमेंशा रोकते रहे और उन्हें केवल अपने आख़िरी हज्ज में हज्ज की अनुमति दी। इब्ने हजर फ़रमाते हैं.........हज़रत आयशा और इससे सम्बन्धित दूसरे लोगों ने नबी (सल्ल.) की इस प्रेरणा (अर्थात नबी सल्ल. के इस कथन कि सबसे अच्छा जेहाद हज्ज है) से यह समझा कि बार–बार हज्ज करना वैध है। इससे अल्लाह तआला के कथन के सामान्य अर्थ में विशेषता पैदा हो गई। मानों कि हज़रत उमर ने इस सिलसिले में खामोशी अपना रखी थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि हज़रत आयशा (रज़ि) की दलील में ताक़त है तो उन्होन अपनी ख़िलाफ़त के अन्तिम दौर में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को हज्ज की अनुमति दे दी।

(ग) यदि हम यह मान ही लें कि उपर्युक्त आयत में सामान्य मुस्लिम औरतों को सम्बोधित किया गया है। तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि नबी (सल्ल.) की सुन्नत पवित्र क़ुरआन की व्याख्या करती है। हमरे मर्द औरत की मुलाक़ात के सम्बन्ध में जो हदीसें प्रस्तुत की हैं उनसे पूरी तरह स्पष्ट होता है कि नबी (सल्ल.) के युग की मुस्लिम औरतों के घर में टिके रहने के आदेश के साथ किस तरह अमल किया और किस तरह घर में टिके रहने के आदेश ने उन्हें सामाजिक जीवन में भाग लेने से नहीं रोका।

दूसरी दलीलः

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों से यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो हिजाब के पीछे से मॉगा करो। यह तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिये उचित तरीक़ा है।'' (सूरह अहज़ाबः53)

हम इसका निम्नवत् ढंग से उत्तर देते हैंः

(क) इस आयत में हिजाब से तात्पर्य वह परदा है जिसके पीछे एक परदे वाली औरत बैठी है। परदा करने का अर्थ, यह है कि अजनबी मर्दों को नबी(सल्ल,) की पाक बीवियों से एक परदे के पीछे से बात करनी चाहिये ताकि वह उनके व्यक्तित्व को न देख सकें, हम अपनी वार्ता में हिजाब शब्द को इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं (क़ुरआन व सुन्नत में भी यह इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) हम उस अर्थ में प्रयोग नहीं करते है जो बहुत प्रचलित है। अर्थात औरत अपने शरीर को एक लम्बे, ढीले–ढाले कपड़े से ढ़क ले, इन दोनों के आदेश में बहुत बड़ा अन्तर है हमने हिजाब शब्द का जो पहला अर्थ बयान किया है और वही सही है। वह नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है। और दूसरा अर्थ जो बहुत प्रचलित है वह सामान्य मोमिन औरतों के लिये अनिवार्य है इन दोनों मामलों और आदेशों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए।

(ख) इस आयत पर विचार करने से स्पष्ट रूप से यह बात मालूम हो जाती है कि इस आयत में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को सम्बोधित किया गया है। इस आयत के अन्त में अल्लाह तआला ने एक ऐसी समस्या को बयान किया है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस होता है कि वह भी हिजाब अनिवार्य होने का एक कारण है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः और तुम्हारे लिये वैध नहीं कि तुम रसूलुल्लाह को किसी भी तरह कष्ट पहुचाओ और न यह कि आपके बाद आपकी बीवियों से कभी भी निकाह करो। निस्सन्देह ये अल्लाह के लिये बहुत बड़ी बात हैः

हम इन्शा अल्लाह एक अलग अध्याय में इस बात को बयान करेंगे कि परदा नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष था। अतः इस मसले में उनकी पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं है (देखिये इस भाग का दूसरा अध्याय)

इस मसले में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों की जो विशेषता है वह मर्दों से सदैव हिजाब में रहना है। हाँ कभी–कभी परदे में रहना सामान्य मोमिन औरतों के लिए वैध है। जैसा कि कभी–कभी उनका मर्दों से मिलना भी वैध है।

(ग) हमने जो हदीसे नक़ल की हैं उनसे पता चलता है कि नबी (सल्ल.) के युग की मोमिन औरतें किस तरह जीवन के विभिन्न मैदानो में मर्दों से बिना किसी परदे के मिला करती थी। (अर्थात बिना किसी ऐसे परदे के कि जो मर्दों और औरतों के बीच अलगाव करता हो)

(घ) हम यहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रस्तुत करेंगे जिसका परदे वाली आयत से गहरा सम्बन्ध है। वह ये है कि यदि हम यह स्वीकार कर ही लें कि इस विशेषता में नबी (सल्ल.) की पैरवी पसन्दीदा है तो इस सिलसिले में हमारी निम्नलिखित टिप्पणी होगीः

परदा पसन्दीदा उसी समय हो सकता है जबकि उसमें मोमिन मर्द और औरतों के लिये आसानी हो। और आसानी ऐसी ही स्थिति में हो सकती है जब कि कुछ ही परिस्थितियों में परदा किया जाये। हर समय परदा करने में आसानी नहीं हो सकती। अतः सभी आपसी मामलों में परदे को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यदि इसे अनिवार्य कर दिया जाये तो इससे कष्ट का सामना करना पड़ेग,ा हालांकि अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''अल्लाह ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी और कठिनाई नहीं रखी (सूर : हज्ज : 78) सही हदीसों में यह बात नक़ल की गई है कि जब भी नबी (सल्ल.) को दो मामलों में चुनाव का अधिकार होता तो आप उनमें से आसान का चुनाव करते, शर्त यह है कि उसके चुनाव में कोई गुनाह न हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यदि परदा और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली पवि़त्रता, एक अच्छाई और पसन्दीदा चीज है तो हमें चाहिये कि हम अन्य बहुत सी अच्छाइयों और पसन्दीदा बातों की तरफ़ नज़र डालें, और हर हाल में अच्छे से अच्छा का चुनाव करने का प्रयास करें। यदि हम मात्र एक ही अच्छाई अर्थात पवित्रता की तरफ़ ध्यान देते हैं और दूसरी बहुत सी अच्छाईयाँ। जैसे शिक्षा प्राप्त प्राप्त करना, भलाई की तरफ़ बुलाना, भलाई का आदेश देना

और भलाई के काम करना आदि की तरफ़ ध्यान नहीं देते और न ही अच्छे से अच्छा का चुनाव करते है तो शरीयत इस रवैये का पसन्द नहीं करती क्योंकि शरीअत में पसन्दीदा और अनिवार्य दोनों में सबसे अच्छे का चुनाव करने का प्रयास किया जाता है। अतः ऐसा न होना चाहिए कि दिल की पवित्रता का प्रयास जो कि मात्र पसन्दीदा काम है अन्य बहुत से अनिवार्य कर्मों को नष्ट करने का कारण बन जाये क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना, भलाई की दावत देना, भलाई का आदेश देना और भलाई के काम करना हैं कभी–कभी अनिवार्य हो जातें है।

निचोड़ यह है कि पवित्रता को ध्यान में रखना दो बड़ी गलतियो का कारण बन सकते हैं:

पहलीः एक अच्छाई पर अमल करना लेकिन दूसरी उससे अधिक महत्वपूर्ण अच्छाई या बहुत सी अच्छाइयों को भुला देना,।

दूसरी एक पसन्दीदा काम पर अमल करना और किसी एक अनिवार्य काम या बहुत से अनिवार्य कामों से बेपरवाही करना ।

अर्थात पवित्रता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास में इस बात का सन्देह है कि हम औरत के सिलसिले में थोड़े बहुत ज्ञान व संस्कार पर सन्तुष्ट हो जायें और इसके फलस्वरूप औरत भलाई की बहुत सी राहों से वंचित हो जाये। जैसे भलाई व नेकी के काम करना, पड़ोसियों व महरम लोगों से सम्बन्ध रखना, भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने लिखा है। पसन्दीदा काम करने से रोकना उस समय वैध है जब ये सन्देह हो कि उसको करने से अनिवार्य अधिकार और वरीयता प्राप्त पसन्दीदा कामो के नष्ट होने का कारण बनेंगे।

(च) इस विषय से सम्बन्धित एक दूसरे बिन्दु की तरफ़ भी ध्यान आर्कषित कराना चाहते हैं। वह ये है कि जहां एक तरफ़। परदा पवित्रता का माध्यम है वहीं दूसरी तरफ़ वह परदे वाली के लिये राहत व आराम का माध्यम भी है क्योंकि वह औरत को फितने की परेशानियों से सुरक्षित रखता है। परदे के बाद निगाहें नीची रखने (ग़ज्ज़े बसर) और शैतान और शैतान के वसवसों का मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं रह जाती हमने पवित्रता की प्राप्ति पर वार्ता के दौरान जो बात कही है वही बात हम राहत व आराम के माध्यम की प्राप्ति के सिलसिले में भी कहते हैं क्योंकि राहत व आराम के माध्यम की प्राप्ति उस समय तक शरीअत में वैध है जब तक कि उसके परिणाम में किसी अनिवार्य या वरीयता योग्य उददेश्य के नष्ट होने का सन्देह न हो। हमने कुछ अनिवार्य कामों और हितों की ओर उसी समय संकेत कर दिया था जब हमने औरत की मर्द से मुलाक़ात और सामाजिक जीवन में उसकी भागीदारी के कारणों पर वार्ता की थी (देखिये तीसरे भाग का पहला अध्याय)। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आत्मसम्मान वाले लोगों को स्वार्थ का बन्दा होने से चौकन्ना और दूर रखें, कही ऐसा न हो कि ये लोग औरत की वैचारिक और सामाजिक विकास और परिपक्वता के लिये उसके सामने जीवन के विभिन्न मैदानों का

दरवाज़ा खोलने के बजाये राहत व आराम के माध्यम को प्राप्त करने को वरीयता दें, औरत के वैचारिक व सामाजिक विकास व परिपक्वता के लिए उसके सामने जीवन के विभिन्न क्षेत्र का दरवाज़ा खोलने का परिणाम यह होता है कि समाज विकासोन्मुख हो जाता है। इसके साथ–साथ मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के जीवन में सुविधाए पैदा होती है और समाज शरीअत की सीमा के उल्लंघन से सुरक्षित हो जाता है। अन्त में आत्मसम्मान वाले लोगों को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन जिस तरह सही आस्था का नाम है उसी तरह सतत परिश्रम का नाम भी जीवन है।

(छ) हम सामाजिक सम्बन्धों में प्रेम व मुहब्बत के महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। प्रेम व मुहब्बत और लगाव दूसरे लिंग को देखते समय भावुकता को कम करने में मददगार होता है। इस तरह दोनों लिंगों का मामला आसान हो जाता है। यदि कोई औरत मर्दों से मुलाक़ात करने की आदी और लगाव नहीं रखती तो यदि कभी उसे मर्द से मुलाक़ात करने की आवश्यकता होती है तो वह बहुत अधिक परेशानी महसूस करने लगती है। ऐसी स्थिति में उस औरत के पति, पिता और भाई को भी परेशानी महसूस होती है। ऐसी परिस्थिति में परेशानी और हानि को दूर करने के लिए इस बात को वरीयता दी जाती है कि आवश्यकता को छोड़ दिया जाये चाहे वह आवश्यकता कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो और उससे औरत और समाज को कितने ही अधिक लाभ क्यों न प्राप्त हो रहे हों। यही स्थिति मर्दों के साथ भी सामने आती है यदि कोई मर्द आवश्यकता के अन्तर्गत किसी आवश्यकता पड़ने पर कभी–कभी औरत से मिलने का आदी हो तो यदि उसे कभी किसी आवश्यकता के अन्तर्गत किसी औरत से मुलाक़ात करनी पड़े तो उसे उस मुलाक़ात के समय उन बातों का एहसास नहीं होगा जो कि उस व्यक्ति को होता है जो औरत कभी से न मिला हों।

(ज) अन्त में हम विरोध करने वाले अपने भाइयों से पूछते हैं कि यदि नबी करीम (सल्ल.) ने मर्द औरत को उन तमाम हालतों में जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। बिना परदे के मिलने की अनुमति दे दी तो क्या आप (सल्ल.) से मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के दिलों को पवित्र करने के बारे में (अल्लाह की पनाह) कोई कोताही हो गई। या वास्तविक बात यह है कि नबी (सल्ल.) दिल की पवित्रता के साथ–साथ जहां एक तरफ़ सुविधा को ध्यान में रखते थे? वहीं दूसरी तरफ़ आवश्यकताओं और हितों को भी ध्यान में रखते थे? पवित्र आयत में जिस श्रेणी की दिल की पवित्रता का उल्लेख है यदि वह सामाान्य परिस्थितियों में मुसलमान मर्दों व औरतों के लिये पसन्दीदा होती तो नबी करीम (सल्ल.) इसकी प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ उपाय अवश्य करते, जैसे मस्जिद में मर्दों व औरतों की पंक्तियों (सफ़ों) के बीच में किसी परदे का रखवाना, मर्दों और औरतों के तवाफ (तवाफ़) के लिये अलग–अलग समय निर्धारित करना, नबी करीम(सल्ल)से औरतों के प्रश्न करने के लिये सहाबा और नबी (सल्ल.) की सभा से दूर हट कर किसी स्थान का चुनना, ये सारी चीजें इस उद्देश्य से की जातीं कि न ही मर्द औरतों को देख सकें और न ही औरतें मर्दों को देख सकें।

तीसरी दलीलः एक हदीस में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया देखो तुम लोग औरतों के पास न जाना, एक अन्सारी सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल देवर के बारे में आपका क्या विचार है आप (सल्ल.) ने फ़रमाया देवर तो मौत है।

इस सिलसिले में हमारा उत्तर यह है कि उपर्युक्त हदीस में औरत से एकान्त में मिलने से रोका गया है। इस हदीस में दूसरे लोगों की उपस्थिति में औरत के पास जाने से नहीं रोका गया है। निम्नलिखित बातों से हमारे इस भावार्थ की पुष्टि होती हैः'

(क) हदीस के विभिन्न ज्ञानियों, जैसे इमाम बुख़ारी तिर्मिज़ी और हदीस के विभिन्न व्याख्याकारों जैसे बुख़ारी के व्याख्याकार हाफ़िज़ इब्ने हजर और मुस्लिम के व्याख्याकार इमाम नववी ने इस हदीस का जो अर्थ लिया है उसे निम्न में बयान किया जाता हैः

इमाम बुख़ारीः इमाम बुख़ारी ने इस हरीस को जिस शीर्षक के अन्तर्गत रखा है वह है। ''महरम के सिवा कोई मर्द किसी औरत से एकान्त में न मिले,'' इसके बाद उन्होंने यह हदीस बयान की है कि ''देखों तुम लोग औरतों के पास न जाना'' इस हदीस के बयान करने के बाद उन्होंने जो हदीस लिखी है वह है ''कोई भी मर्द किसी औरत से एकान्त में न मिले सिवाय इसके कि वह महरम हो''

हाफ़िज़ इब्ने हजरः हाफ़िज़ इब्ने हजर अपनी किताब फ़त्हुल बारी में लिखते है। कि नबी करीम (सल्ल.) के कथन ''देवर तो मौत है'' की व्याख्या में विभिन्न बातें कही गई हैं। इस तरह कि उससे कोई गुनाह हो जाये या इससे तात्पर्य यह है कि औरत का देवर से एकान्त में मिलना स्वयं उसकी तबाही का कारण बन जाता है। इस तरह कि यदि उससे कोई ऐसा गुनाह हो जाये जिस पर रज्म अनिवार्य हो जाये या उस औरत का पति आत्मसम्मान में वशीभूत होकर उसे तलाक़ दे दे । इन तमाम भावार्थों की ओर क़ुर्तुबी ने संकेत किया है। तबरी ये कहते हैं कि किसी मर्द का अपने भाई या भतीजे की बीवी से एकान्त में मिलना मौत के दरजे में है। वास्तविकता यह है कि अरब लोग ना पसन्दीदा चीज़ो को मौत का नाम देते हैं।

इमाम नववीः सहीह मुस्लिम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं ''..........नबी करीम (सल्ल.) के कथन ''देवर तो मौत है'' का भावार्थ यह है कि दूसरों की तुलना में उससे अधिक डर और बुराई की आशंका है और परीक्षा में पड़ने का डर है। क्योंकि वह आसानी से औरत तक पहुँच सकता है और उससे एकान्त में मिल सकता है। और उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होती, (हदीस में देवर के लिये ''हम्व'' शब्द का प्रयोग हुआ है) 'हम्व' से तात्पर्य पति के रिश्तेदार हैं सिवाय उसके बाप और बेटों के, पति का बाप और उसके बच्चे उसकी बीवी के महरम है। ये लोग उससे एकान्त में मिल सकते हैं उन लोगों को मौत नहीं कहा जायेगा। हम्व तात्पर्य पति का भाई भतीजा, चाचा, चचेरा भाई आदि ग़ैर महरम लोग हैं। क्योकि साधारणतः इस मामले में लापरवाही हो जाती है और देवर अपने भाभी से एकान्त में मिलता है। इसीलिये उसको मौत कहा गया है। काज़ी अयाज़ लिखते हैं कि इसका भावार्थ यह है कि देवर से एकान्त में मिलना फितना और दीन की बर्बादी का कारण होता है इसीलिये उसको मौत कहा गया है.........''।

इमाम तिर्मिज़ीः इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को बयान करने के बाद लिखा है। उक़्बा बिन आमिर की रिवायत की हुई यह हदीस हसन सही है । औरतों के पास इस तरह से जाना पसन्दीदा नहीं है जिसका उल्लेख नबी करीम (सल्ल.) ने किया है कि ''जब कभी कोई मर्द किसी औरत से एकान्त में मिलता है तो वहां पर तीसरा शैतान होता है'' और हम्व का अर्थ देवर है आप (सल्ल.) ने इस बात को नापसन्द किया कि वह अपने भाभी से एकान्त में मिले।

इब्ने दक़ीकुल ईदः इब्ने दक़ीकुल ईद लिखते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि अजनबी औरतों से एकान्त में मिलना हराम है। नबी करीम (सल्ल.) का कथन ''देखो तुम लोग औरत के पास न जाना'' ना महरमों के साथ विशेष है। यहां पर एक और बात ध्यान में रहनी चाहिये। वह यह कि यहां पर एकान्त में मिलने से रोका गया है। अतः यदि औरत के साथ कुछ लोग और हों, तो उससे मिलने में कोई हानि नहीं है।

(ख) उपर्युक्त हदीस में उल्लिखित मनाही को एकान्त से जुड़ा हुआ मानना अनिवार्य है। ताकि इस हदीस, और अन्य बहुत सी उन हदीसो में अनुकूलता दिखायी जा सके। जिसमें औरत से कई लोगों की उपस्थिति में मुलाक़ात करने को वैध रखा गया है। उन हदीसों में सें कुछ का उल्लेख निम्न में किया जाता हैः

मौखिक हदीसें जिसमें औरतों से मिलने के शिष्टाचार बताये गये हैं

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया औरत किसी महरम के साथ ही यात्रा करे और उससे कोर्ह भी मर्द उसके किसी महरम की मौजूदगी ही में मिले। (बुख़ारी)

हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) फ़रमाते हैं.................. नबी करीम (सल्ल.) ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया आज के बाद से कोई भी मर्द किसी ऐसी औरत से जिसका पति मौजूद न हो उसी हालत में मिले जब कि उसके साथ एक या दो मर्द हों। (मुस्लिम)

वह अमली हदीसें जिनमें औरतों से मिलने के कुछ अवसरों की व्याक्या है :

अच्छी देख–रेख :

हज़रत अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं। कि जब कभी नबी करीम उम्मे सुलैम के घर के पास से गुज़रते तो उनके पास भी जाते और उन्हें सलाम करतें। (बुख़ारी)

एक रिवायत में है ''नबी करीम हमारे पास आये। उस समय घर में केवल मैं, मेरी माँ और मेरी ख़ाला (मौसी) उम्मे हराम थीं। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया खड़े हो जाओ मैं तुम सबको नमाज़ पढ़ाऊँगा..........................। (मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) उम्मे सुलैम के पास गये तो वह आप (सल्ल.) (के आतिथ्य) के लिये खजूर और घी लेकर आईं......(बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैंः ''इस हदीस से कई बातों का पता चलता है.....इससे पता चलता है कि किसी मर्द के घर में उसकी अनुपस्थिति में जाया जा सकता है। यह हदीस विभिन्न प्रमाणों से रिवायत की गई है और किसी में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि जब नबी करीम (सल्ल.) उम्मे सुलैम के घर गये तो उनके पति अबू तलहा भी वहाँ मौजूद थे''।

बीमार महिला की देख—रेखः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) हज़रत ज़बाअः बिन्ते ज़ुबैर के पास गये और उनसे कहा शायद तुम हज्ज करने का इरादा रखती हो? उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम मैं कष्ट महसूस कर रही हूँ आप (सल्ल.) ने उनसे कहा। तुम हज्ज करो और शर्त लगा दो तुम इस तरह कहो कि ऐ अल्लाह मैं वही पर एहराम खोल दूंगी जहां आप मुझे रोक देंगे, (वह उस समय हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद के निकाह में थी) (बुख़ारी)

भाोक प्रकट करना :

हज़रत उम्मे अला (रज़ि.) फ़रमाती हैं.................... नबी करीम (सल्ल.) आये तो मैंने कहा ऐ अबू साएब आप पर अल्लाह की रहमत हो..............(बुख़ारी)

मुलाक़ात में विवेक से काम लेना :

हज़रत आयशा रज़ि फ़रमाती हैं फिर नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह की क़सम मैं अपने घर वालों के सिलसिले में भलाई ही जानता हूँ। लोगों ने इस सिलसिले में एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जिसके बारे में भी मैं भलाई ही को जानता हूँ और वह हमेंशा मेरे साथ ही मेरे घर जाता है।

सहाबा (रज़ि.) का अमलः

शिक्षा ग्रहण करनाः

हज़रज अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) फ़रमाती हैं। ......मैंने हज़रत अबू मूसा और नाव वाले अन्य दूसरे सहाबा को देखा कि वह मेरे पास गिरोह के गिरोह आया करते थे और मुझसे उस हदीस के बारे में पूछा करते थे......। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दर्शन व मुलाक़ात : हज़रत अबू जुहैफा(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत सलमान और हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) के बीच मुलाक़ात कराया, एक बार हज़रत सलमान (रज़ि.) अबू दरदाअ(रजि) से मिलने गये उन्होंने देखा कि उम्मे दरदा के कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको क्या हो गया है?... (बुख़ारी)

प्रजा की देखभालः

हज़रत क़ैस बिन अबू हाज़िम फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू वक्र अहमस नामक क़बीले की एक औरत ज़ैनब बिन्ते मोहाजिर के पास गये......................।

चौथी दलील :

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) मदीने में हज़रत उम्मे सुलैम और नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के अतिरिक्त किसी के घर में नहीं जाते थे आप से इस सिलसिले में प्रश्न किया गया तो आपने फ़रमाया, मैं उम्मे सुलैम के साथ रिश्तेदारी का मामला करता हूँ क्योकि उनके भाई मेरे साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गये थे।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इस सिलसिले हमारा उत्तर यह है कि हमें इस हदीस को उन हदीसों की रोशनी में समझना चाहिये जिनमें मर्दों की औरतों से मुलाक़ात और सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी का उल्लेख है और जिनमें यह बताया गया है कि नबी (सल्ल.) मदीने के बहुत सारे घरों में जाया करते थे। हाँ। आप उम्मे सुलैम के घर इतना अधिक जाया करते थे कि सहाबा किराम ने भी उसे महसूस कर लिया और आपसे इस सिलसिले में पूछा। ''फ़त्हुल बारी में हाफ़िज़ इब्ने हजर ''नबीर (सल्ल.) मदीने में हज़रत उम्मे सुलैम के घर के अतिरिक्त किसी और के घर में नहीं जातें थे'' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि हुमैदी ने कहा है कि शायद इससे तात्पर्य यह है कि आप सदैव सिर्फ़ उम्मे सुलैम के पास ही उनके पति की गैर मौजूदगी में चले जाया करते थे...................... इब्ने अल–तीन ने कहा कि आप हज़रत अनस की बयान की हुई हदीस की समानता अध्याय के शीर्षक के भाग ''औ खल्फे ही बि खैरिन्'' से है क्योंकि किसा यौद्धा और मुजाहिद के घर की। उसके न रहने में देख भाल उसके जीते जी भी की जा सकती है और उसकी मौत के बाद भी की जा सकती है। नबी (सल्ल.) हज़रत उम्मे सुलैम का दर्शन और मुलाक़ात करके उनको दिलासा दिया करते थे और इसका कारण यह बयान करते थे कि उनके भाई उनके साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। इसमें इस बात का उल्लेख है कि आप ने हज़रत उम्मे सुलैम के भाई की मौत के बाद उनके घर वालों की अच्छी तरह से देखभाल की ।

निचोड़ यह है कि हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत की हुई हदीस में औरतों के पास जाने की सिरे से मनाही नहीं की गई है। बल्कि औरतों के पास जाने के एक विशेष तरीक़े से मनाही की गई है।

पांचवी दलीलः

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं मैं नबी (सल्ल.) के पास थी वहाँ हज़रत मैमूना भी थीं इसी बीच हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्में मक्तूम आ गये। यह घटना उस समय की है जब हमें परदे का आदेश दिया जा चुका था। नबी (सल्ल.) ने कहा तुम दोनों इनसे परदा करो। हमने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वह अन्धे नहीं है वह न ही हमें देख सकते

हैं और न हमें जानते हैं।, नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया ''तो क्या तुम दोनों भी अन्धी हो। क्या तुम दोनों उन्हें नहीं देख रही हो।''

इस सिलसिले में हम निम्न तरीक़ों से उत्तर देते हैं:

(क) इस हदीस में जिन दो औरतों का उल्लेख है वह नबी (सल्ल.) की बीवियां हैं और पवित्र आयत ''यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से माँगो।'' यह अधिक पवित्रता का तरीक़ा है। तुम्हारे दिलों के लिये और उनके दिलों के लियें'' का अर्थ यह है कि मर्दों के दिल की सफ़ाई के लिये बेहतर यह है कि वह नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को न देखें, और नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के दिल को साफ़ रखने के लिये बेहतर यह है कि वह मर्दों को न देखें, इसी लिये नबी (सल्ल.) ने अपनी उन दोनों बीवियों से परदा करने की बात कही। अतः वास्तविक बात यह है कि परदा नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है। वह मर्दों से किसी एक ही मजलिस में किसी परदे के बिना नहीं मिल सकतीं।

(ख) यदि एक तरफ़ हमें यह मिलता है कि नबी (सल्ल.) ने अपनी कुछ बीवियों को हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम को देखने से मना किया था तो दूसरी तरफ़ हमें यह भी मिलता है कि नबी (सल्ल.) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से कहा था। तुम अपने चचेरे भाई इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में इद्दत के दिन गुज़ारो क्योंकि वह अन्धे हैः आप ने इन्हे इद्दत के दिन इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में एक ही छत के नीचे गुजारने का आदेश दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को इब्ने उम्मे मक्तूम के साथ मात्र थोड़ी ही मुद्दत के लिये रहने को नहीं कहा गया बल्कि पूरी इद्दत के दिनो में वही रहने का आदेश दिया गया जिसके दौरान वह उनको देखा करती थीं। और इसमें सन्देह नहीं कि इसमें कोई हानि नहीं थी। इससे पता चला कि हज़रत उम्मे सलमा वाली हदीस में मर्दों को जो देखने से मना किया गया है वह नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है यह बात हज़रत उम्मे सलमा के इस कथन से भी स्पष्ट है कि उस वक़्त हमें परदे का आदेश दिया जा चुका था।

(ग) इमाम अहमद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ''क्या तुम दोनों भी अन्ध ी हो'' नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है। अषरम कहते हैं। कि मैंने अबू अब्दुल्लाह अर्थात इमाम अहमद से कहा 'ऐसा महसूस होता है कि नैहान की वह हदीस जो उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत की है। नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है और फ़ातिमा बिन्ते क़ैस वाली हदीस सामान्य औरतों से सम्बन्धित है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हां ऐसा ही है इस बात को अबू दाऊद ने भी स्वीकार किया है। अतः उन्होंने इस हदीस को नक़ल करने के बाद लिखा है। यह हदीस, नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है '' क्या आप नहीं देखते कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ने

इब्ने उम्मे मक्तूम के यहां इद्दत के दिन व्यतीत किये थे। नबी (सल्ल.) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से कहा था ''तुम (आसानी से) वहां पर कपड़े उतार सकती हो।

छठी दलीलः

हज़रत अबू हुमैद साअदी की बीवी हज़रत उम्मे हुमैद नबी (सल्ल.) के पास गईं और कहा मैं आपके साथ नमाज़ पढना चाहती हूँ आपने (सल्ल.) फ़रमाया मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हारा घर के औरतों वाले भाग में नमाज़ पढ़ना घर के बैठक वाले कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है इसी तरह तुम्हारा घर के बैठक के कमरे में नमाज़ पढ़ना घर में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। और तुम्हारा घर में नमाज़ पढ़ना मोहल्ले घर में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। और तुम्हारा घर में नमाज़ पढ़ना मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जुमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है।

हम इसका निम्न तरीके से उत्तर देते हैं :

हज़रत उम्मे हुमैद की दहीस में ये शब्द आये है ''तुम्हारा घर के औरतों के कमरे में नमाज़ पढ़ना, बैठक वाले कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और घर के बैठक वाले कमरे में नमाज़ पढ़ना, घर में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और साधरतणतः घर के बैठक वाले कमरे में और घर में औरतें या महरम मर्द या अजनबी या ग़ैर महरम मर्द हुआ करते हैं लेकिन इन जगहो पर अजनबी मर्द बहुत कम ही मौजूद होते हैं, यदि यह कहा जाये कि इन जगहो पर अजनबी मर्दो का कभी–कभी मौजूद होना ही औरतों के कमरों के बैठक वाले कमरे पर, और बैठक वाले कमरे की घर पर बेहतर होने का कारण है तो हम यह कहेंगे कि इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अजनबी मर्द औरतों को औरतों वाले कमरे या बैठक वाले कमरे में उस समय देखें जब वह नमाज़ न पढ़ रही हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन वह उन्हें नमाज़ पढ़ने की स्थिति में देख लें तो इसमें हानि है। हालाँकि वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है वास्तिविक उद्देश्य यह बताना है कि वह औरतों को खामोशी से छिपाकर नमाज़ अदा करनी चाहिये। स्वयं औरतों को मर्दों की नजरों से छिपाना उददेश्य नहीं हैं।

इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि औरत की घर में नमाज़ इस स्थिति में बेहतर ठहराई गई है जब कि उसे हर नमाज़ मस्जिद में जाकर अदा करने का शौक हो लेकिन वह किसी वजह से इमाम की क़िराअत (क़ुरआन पढ़ने की आवाज़) न सुन पाती हो। जैसे औरतों की पंक्ति मर्दों की पंक्ति से बहुत पीछे हो जहाँ इमाम की आवाज न आती हो या वह नमाज़ ख़ामोश पढ़ी जाने वाली (सिर्री) हो। जैसे ज़ुह्र व अस्र, तो ऐसी स्थिति में औरत का घर ही में नमाज़ पढ़ना बेहतर है। क्योंकि उसे मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यदि घर में औरत की नमाज़ को श्रेष्ठ बताया गया है तो क्या इसका उद्देश्य यह है कि औरत को मर्द से न मिलने दिया जाये। यद्यपि यह मुलाक़ात पूरी गंम्भीरता के साथ ही क्यों न हो? या इसका उद्देश्य औरत की चाल ढ़ाल को स्वयं मर्दों की नजरों से सुरक्षित

रखना है ताकि यह नमाज़ शुद्ध रूप से अल्लाह के लिये पढ़ी जाये और हर तरह के दिखावे के सन्देह से सुरक्षित रहे और दूसरी तरह के दिखावे के सन्देह से से सुरक्षित रहें और दूसरी तरफ़ घर का माहौल भी अल्लाह की इबादत और याद से सुगंधित रहे, नबी (सल्ल.) का कथन है। अपने घरों पर भी नमाज़ पढ़ा करो उन्हें क़ब्र न बनाओ, यदि यह दूसरा भाग ही वांछित है तो दूसरी श्रेष्ठ बातों जैसे क़ुरआन सुनने और शिक्षाप्रद वार्ता सुनने को औरत की नमाज़ और उसकी नमाज़ की चाल ढ़ाल को परदे में रखने और घर को भलाई के कामों और अल्लाह की याद से आबाद रखने पर वरीयता दी जा सकती है।

यदि इस श्रेष्ठता का उद्देश्य यही होता कि औरत मर्द से न मिल सके। चाहे यह मुलाक़ात पूरी गंभीरता से ही क्यों न हो तो ऐसी स्थिति में औरत के लिये मस्जिद में एतिकाफ़ करना जनाज़े की नमाज़ पढ़ना, सूर्य ग्रहण की नमाज़ पढ़ना, और शिक्षाप्रद सभाओं में भाग लेना, पसन्दीदा न ठहराया जाता बल्कि उसके लिये इस बात को श्रेष्ठ बताया जाता कि वह एतिकाफ़ करने वाले से मिलने न जाये। मस्जिद में मोमिन औरतों से मिलने का प्रयास न करे और न ही स्वयं को मस्जिद की सेवा के लिये प्रस्तुत करे। यदि मामला ऐसा ही होता तो विधाता ने इतना ज़ोर देकर ईद की नमाज़ में औरतों यहां तक कि परदे वाली और हैज वाली औरतों के भाग लेने पर जोर न दिया होता। न औरतों को बार–बार हज्ज करने की प्रेरणा दी होती हालांकि हज्ज़ में तो मर्दों से मुलाक़ात होती है बल्कि मजबूरी में मर्दों के साथ–साथ होना पड़ता है।

यदि पूरी तरह से घर में औरत का नमाज़ पढ़ना श्रेयस्कर होता तो महान महिला सहाबियो ने इस बड़ाई पर अवश्य अमल किया होता। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) ने इस तरफ़ उस औरत को अवश्य ध्यान दिलाया होता। जो अपने बच्चों को लेकर मस्जिद आया करती थी और जब वह रोने लगता था तो नबी करीम (सल्ल.) नमाज़ को हल्की कर देते थे। हालांकि आप (सल्ल.) का इरादा यह होता था कि लम्बी नमाज़ पढ़े यहां पर विचार करने योग्य बात यह है कि आप (सल्ल.) ने एक अच्छे काम (अर्थात लम्बी नमाज़) के मुक़ाबले में एक कम बेहतर (अर्थात औरत का मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना) को किस तरह स्वीकार कर लिया? इस तरह नबी करीम (सल्ल.) ने इस बेहतर अमल की तरफ़ उन औरतो को भी अवश्य ध्यान दिलाया होता जो जमाअत के साथ इशा की नमाज़ पहले पढ़ने जाया करती थीं। क्योकि नबी करीम (सल्ल.) को उनके कारण इशा की नमाज़ पहले पढ़ानी पड़ती थी। हालांकि आप (सल्ल.) उसे देर से पढ़ना चाहते थे। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) से कहा कि ''औरतें और बच्चे सो गये हैं तो आप (सल्ल.) ने इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ा दी। अतः यहां पर भी विचार करने योग्य बात यह है कि आप (सल्ल.) ने एक बेहतर अमल (अर्थात इशा की नमाज़ देर से पढ़ना) के मुक़ाबले में एक कम अच्छा अमल (अर्थात औरतों को मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना) को किस तरह स्वीकार कर लिया?

नबवी युग में मस्जिद में मर्दों व औरतों की मुलाक़ात की घटनाओं से निम्नलिखित बातें मालूम होती हैं :

- जब से नबी करीम (सल्ल.) मदीना आये। उस समय से लेकर अपनी मौत तक आप (सल्ल.) ने मस्जिद नबवी में अपने साथ औरतों को नमाज़ पढ़ने दिया।
- औरतें मदीना से बाहर मौजूद मुहल्लों में स्थित मस्जिदो में भी अधिकता से जमाअत के साथ नमाजें अदा करती थीं। इससे पता चला, औरत की नमाज़ जामअत के साथ पढ़ने का मामला केवल मस्जिद नबवी तक ही सीमित नहीं था।
- नबी करीम (सल्ल.) ने मर्दों को इस बात का आदेश दिया कि वह औरतों को मस्जिद से सम्बन्धित उनके अधिकार से न रोकें।
- महान सहाबी औरतें मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ अदा किया करती थीं जैसे अस्मा बिन्ते अबू बक्र, उम्मे फजल, फ़ातिमा बिन्ते क़ैस इब्ने मसऊद की बीवी जैनब (रज़ि.) उम्मे दरदाअ, उमर बिन ख़त्ताब की बीवी आतिका बिन्ते ज़ैद और हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़।
- औरतें विभिन्न उद्‌देश्यों के अन्तर्गत मस्जिद जाया करती थीं जैसे ज़हरी (आवाज से पढ़ी जाने वाली) नमाजें, जुमें की नमाजें, नफ़्ल नमाजें, सूर्य ग्रहण की नमाज़। एतिकाफ़, एतिकाफ़ करने वालों से मुलाक़ात, शासको के साथ सामान्य समारोहों में भाग लेना, हब्शियों का खेल देखना, मस्जिद की सफ़ाई करना और मोमिन महिलाओ के साथ समय बिताना।

हमारे विचार में उपर्युक्त सभी बातों को इस बात की दलील के रूप में प्रस्तुत की जा सकता है कि औरतों के घर पर नमाज़ पढ़ने की वरीयता उस परिस्थिति के साथ विशेष है जबकि मस्जिद में जमाअत में भाग लेने में उन्हें कठिनाई हो रही हो और इसके फलस्वरूप घर के कामों के नष्ट होने का डर हो। दूसरे शब्दों में यह कि मस्जिद में जमाअत की नमाज़ अदा करते समय औरत को इस बात की आवश्यकता हो कि वह अपने घर की देख भाल करे। तो ऐसे अवसर पर उसके लिये बेहतर यही है कि वह घर पर ही नमाज़ पढ़े। सामान्यतः सामान्य औरतों के हालात ऐसे ही होते हैं। यह समस्या ऐसी ही है जिस तरह कि औरत को घर बार और बच्चों की देखभाल की अधिक आवश्यकता हो तो उसके लिये बेहतर यह है कि घर बार को देखे और जेहाद में भाग न ले, सामान्य औरतों के जीवन में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि औरत को अपने घर की देख–भाल की आवश्यकता न हो। वह तमाम कामों से मुक्त हो या उसे घर से सम्बन्धित दायित्वों से मुक्त कर दिया गया हो तो इस परिस्थिति में उसे इस बात की अनुमति है कि वह शहादत के शौक में, और अल्लाह से सवाब की आशा में ख़ुशी से जेहाद में भाग ले, निम्न में दो हदीसें बयान की जाती हैं पहली हदीस में इस बात का स्पष्टीकरण है कि औरत के लिए घर की देखभाल करना बेहतर है उसका यह काम जेहाद के बराबर है जबकि दूसरी हदीस

में इस बात का स्पष्टीकरण है कि औरत के लिये शहीद होने के शौक में जेहाद के लिए निकलना बेहतर है।

पहली हदीसः हज़रत अबू यअला और हज़रत बज्ज़ार कहते हैं कि हज़रत अनस ने कहा कि एक बार कुछ औरतें नबी करीम (सल्ल.) के पास आईं और कहा ऐ अल्लाह के रसूल मर्दों ने अल्लाह के रास्तें में जेहाद करके सभी अच्छाईयाँ प्राप्त कर ली हैं तो क्या हमारे लिये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे पूरा करके हम भी अल्लाह के रास्ते में जेहाद के सवाब प्राप्त कर सकें? नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम औरतों के अपने घर में काम काज़ करने का बदला अल्लाह के रास्ते में जेहाद करने वालों के बदले के बराबर है।

दूसरी हदीसः इमाम बुख़ारी ने निम्न हदीस को ''मर्दों और औरतों के लिये जेहाद व शहादत का आवाहन'' शीर्षक के अन्तर्गत बयान किया हैः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं। नबी करीम (सल्ल.) हज़रत उम्मे हराम बिन्ते मल्हान के पास जाया करते थे.......... अतः नबी करीम (सल्ल.) सो गये फिर हँसते हुए उठे, उम्में हराम कहती हैं। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप क्यों हँस रहे हैं? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग, जो अल्लाह की राह में समुद्र में जाकर जेहाद करेंगे वह मेरे सामने तख़्त पर बैठे हुए बादशाहों के रूप में प्रस्तुत किये गये।.....उम्मे हराम कहती हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ करें कि वह मुझे जेहाद करने वालों में सम्मिलित करे। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने उनके लिये दुआ कर दी। उम्मे हराम हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के ख़िलाफ़त में (जेहाद के लिये) समुद्र में गईं, समुद्र के जेहाद से वापस आने पर वह अपनी सवारी से गिर पड़ी, और इस तरह उनकी मौत हो गई .... (बुख़ारी व मुस्लिम)

यदि हम यह मान लें कि यदि औरत सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का इरादा रखती है तो उसके लिये घर में नमाज़ पढ़ना बेहतर है तो फिर हमारे विचार में यदि वह नमाज़ पढ़ने के साथ–साथ किसी ऐसे इमाम से क़ुरआन सुनना चाहती है जो लम्बी किरअत करता हो और अच्छी तिलावत करता हो या वह नमाज़ पढ़ने के बाद ज्ञान की सभा से लाभ उठाना चाहती हो। जुमें का ख़ुत्बा सुनना चाहती हो। या भलाई के कामों में अपना सहयोग देने के लिये मोमिन औरतों से मिलना चाहती हो। तो फिर उसे मस्जिद आने की अनुमति देना चाहिये। और उसे वह भलाई प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए जिसका वह इरादा रखती है। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः जो व्यक्ति मस्जिद जिस उद्देश्य से आयेगा वही उसका हिस्सा होगा''। (अबू दाऊद) इमाम मालिक के एक कथन से भी इस भावार्थ का स्पष्टीकरण होता है। वह फ़रमाते हैं : ''मर्दों के अतिरिक्त कोई और जुमें की नमाज़ पढ़ने आता है और जुमे की नमाज़ में भाग लेने का उद्देश्य बरकतों को प्राप्त करना हो तो उस पर भी ग़ुस्ल और जुमे के तमाम शिष्टाचार अनिवार्य हो जाते हैं।

हमें विचार करना चाहिए कि नबी करीम (सल्ल.) ने सहाबा को रमज़ान की कुछ रातों में अपने साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ने की कैसे अनुमति दे दी। हालांकि स्वयं नबी करीम (सल्ल.) का फरमान हैः सब से अच्छी नमाज़ यह है कि इन्सान फ़र्ज़ तमाम तरावीह

नमाज़े अपने घर में पढ़े'' ।(बुख़ारी मुस्लिम) वास्तव में नबी करीम (सल्ल.) ने यह अनुमति इस लिये दी ताकि सहाबा तराबीह की नमाज़ में कुरआन सुन सकें, क्योकि तमाम सहाबा कुरआन के हाफ़िज़ नहीं थें, यदि नबी करीम (सल्ल.) को इस बात का सन्देह न होता कि कही तरावीह की नमाज़ मुस्लिम उम्मत पर अनिवार्य न हो जाये। तो आप (सल्ल.) सहाबा के साथ तरावीह की नमाज़ बराबर पढ़ते रहते, अब नबी (सल्ल.) की मौत हो गई और तरावीह की नमाज़ के फ़र्ज़ होने का सन्देह समाप्त हो गया तो तमाम सहाबा और महिला सहाबी तरावीह की नमाज़ के लिये मस्जिद में एकत्र होने लगे और इसने एक अच्छी सुन्नत का रूप धारण कर लिया जिस पर मुसलमान अमल कर रहे थे, नमाज़ में एक हाफ़िज़ इंमाम से कुरआन सुनने की अच्छाई को ज़ोर देकर बयान करने के लिये नबी करीम (सल्ल) ने एक छोटे बच्चे को उसकी क़ौम का इमाम निर्धारित कर दिया। क्योंकि वह अपनी क़ौम में कुरआन की सबसे अधिक सूरतों का हाफ़िज़ था हज़रत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि उनके पिता ने (अपने क़ौम के लोगों से) कहा अल्लाह की क़सम मैं इस समय तुम लोगों के पास नबी करीम (सल्ल.) से मिलकर आ रहा हूँ, नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया.........

.. तुम्हारा इमाम उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसे तुममें सबसे अधिक कुरआन की सूरतें याद हों, लोगों ने ऐसे व्यक्ति को तलाश किया तो उन्होंने मुझसे अधिक कुरआन की सूरतें याद करने वाला नहीं पाया, क्योंकि मैं आने वाले लोगों से सूरतें याद कर लिया करता था। अतः लोगों ने मुझे नमाज़ के लिये आगे बढ़ा दिया हालाकिं मैं उस समय छः या सात वर्ष का था। (बुख़ारी)

नमाज़ में कुरआन सुनने का महत्व को निश्चित बनाने की इच्छा कुछ लोगों के अन्दर यहां तक पहुँची कि इमाम अहमद और दूसरे हम्बली उलमा ने इस सिलसिले में सामान्य फकीहों से हटकर एक इज्तिहाद किया। अतः इमाम इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं: इमाम अहमद के सिलसिले में यह प्रसिद्ध है कि वह कहते हैं कि तरावीह की नमाज़ में कुरआन में बिना पढ़े लिखे मर्दों का पढ़ी लिखी और कुरआन पढ़ लेने वाली औरत के पीछे नमाज़ पढना वैध है''।

इब्ने क़ोदामा अपनी किताब ''अलमुग्नी'' में लिखते हैं : सामान्य फकीहों का यह कहना है कि मर्द किसी भी हालत में फ़र्ज़ या नफ़्ल कोई भी नमाज़ औरत के पीछे नहीं पढ़ सकता .... परन्तु हमारे कुछ फकीहों का कहना है कि औरत तरवीह की नमाज़ में मर्दों की इमामत कर सकती है। लेकिन इस स्थिति में उसे मर्दों से पीछे ही रहना पड़ेगा''।

पता चला कि फ़क़ीह औरत को तरावीह की नमाज़ में इमामत की अनुमति उस हालत में देते हैं जबकि उसे मर्दों से अधिक कुरआन याद हो क्योंकि तरावीह की नमाज़ में लम्बी क़िरअत पसन्दीदा है।''

''हमने इस सिलसिले में विचार किया तो हमें महसूस हुआ कि औरत का मस्जिद या ईदगाह जाना नमाज़ के सिलसिले में एक अतिरिक्त अमल है और सुबह, अंधेरे, भीड़–भाड़ गर्म धूप, वर्षा और ठंण्डक में परेशानी का कारण है। यदि इस अतिरिक्त अमल

की महत्ता निरस्त हो गई होती तो ऐसी स्थिति में में दो बातों में से कोई एक बात अवश्य होती, या तो औरत का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और घर में नमाज़ पढ़ना दोनों ही बराबर होता और ऐसी स्थिति में औरत का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना एक बेकार अमल होता और कष्ट व परेशानी का कारण बनता.......... या ऐसा होता कि औरत के मस्जिद और ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का महत्व घर में नमाज़ पढ़ने से कम होता (जैसा कि विरोधी लोग कहते हैं) तो ऐसी स्थिति में मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ पढ़ना गुनाह का कारण और महत्व को कम करने का कारण होता। क्योंकि किसी भी नमाज़ का महत्व यदि किसी अतिरिक्त अमल के कारण कम हो रहा हो तो वह अतिरक्त अमल अवैध हो जाता है। यह मसला नमाज़ में पसन्दीदा व कर्मों को छोड़ देने के मसले की तरह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति नमाज़ में पसन्दीदा कामों को छोड़ देता है तो उसके कारण सवाब में कमी हो जाती है लेकिन इसके कारण गुनाह नहीं मिलता, हाँ नेक अमल को छोड़ देना होता है।

यदि कोई व्यक्ति परेशानी के साथ नमाज़ से सम्बन्धित कोई अमल करे और अपने उस बदले को नष्ट कर ले जो उसे उस अमल के न करने की हालत में प्राप्त होता। तो ऐसा अमल निस्संदेह हराम है। किसी नापसन्दीदा अमल के करने पर न ही गुनाह मिलता है और न ही अमल नष्ट होता है बल्कि उसमें न ही बदला मिलता है और न ही गुनाह मिलता है हाँ हराम अमल के करने में गुनाह भी मिलता है और अमल भी नष्ट हो जाता है। तमाम लोगों की इस बात पर सहमति है कि नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी मौत तक कभी भी औरतों को अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका, न ही नबी करीम (सल्ल) के बाद खुलफा–ए–राशिदीन ने रोका। अतः इन बातों से पता चलता है कि यदि ऐसा न होता तो नबी करीम (सल्ल.) इसकी पुष्टि न फ़रमाते और औरतों को परेशानी उठाकर इस अमल को करने न देते''।

सातवीं दलीलः

नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''औरतों को रात में मस्जिद आने दो''। (बुख़ारी) इस हदीस के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का विशेष रूप से परदे के लिये सबसे अधिक अनुकूल है। उस समय मर्द लोग उन्हें नहीं देख सकते।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखत उत्तर देते हैंः

(क) हाफ़िज़ इब्ने हजर उपर्युक्त हदीस की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित बातें कहते हैंः

हदीस में रात के शब्द से इस दिशा में संकेत मिलता है कि सहाबा अपनी औरतों को दिन में नमाज़ के लिये मस्जिद जाने से नहीं रोकते थे बल्कि रात में जाने से रोकते थे। क्योंकि रात में डर और शंका का अधिक संदेह था। इसीलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे ने कहा था'' ''अल्लाह की क़सम हम इन्हें (अर्थात औरतों को) मस्जिद जाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वह इसे धोका देने का माध्यम बना लेंगी, ... किरमानी कहते हैं कि यदि यह कहा जाये कि हदीस में रात शब्द प्रयोग करने से यह बात

समझ में आती है कि दिन में औरतों को मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है तो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि इस हदीस से वास्तविक बात यह समझ में आती है कि यदि औरत को रात में मस्जिद जाने की अनुमति दे दी गई है। हालाँकि रात में सन्देह अधिक होते हैं तो फिर दिन में तो औरत को मस्जिद जाने की अधिक अनुमति होनी चाहिये। कुछ हनफी उलमा ने इसके विपरीत अर्थ समझा है। और हदीस के (ज़ाहिरी) ऊपरी अर्थ पर अमल करते हुए उनका कहना है कि औरतों को रात में मस्जिद जाने की अनुमति इस लिये दी गई है क्योंकि बुरे और पापी लोग रात में अपनी बुराइयों और पापों में व्यस्त रहते हैं, जबकि दिन में यह लोग इधर उधर बिखरे रहते है। लेकिन सही बात यही है कि रात में ही सन्देह अधिक रहते हैं। और फिर रात में भी हर बुरा और पापी व्यक्ति अपने किसी ग़लत काम में व्यस्त नहीं रहता, और दिन में ऐसे बुरे लोग औरतों से किसी तरह की छेड़–छाड़ भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि तमाम लोग उन्हें देख रहे हैं। अतः उनके किसी गलत काम पर वह सब आपत्ति करेंगे और उनकी पकड़ करेंगे।

(ख) यह बात प्रचलित है कि औरतें रात की नामज़ें (फ़ज्र, मग्रिब और इशा) मस्जिद में अदा करने के लिये नबी करीम (सल्ल.) से बहुत अधिक अनुमति मांगती थीं। क्योंकि इन नमाज़ो में ज़हरी (आवाज से) किरअ़त होती है। और वह महिलाएं नबी करीम (सल्ल.) से क़ुरआन सुनना चाहती थीं। निम्नलिखित दलीलों से इस बात की पुष्टि होती हैः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं। हम मोमिन औरतें नबी करीम (सल्ल.) के साथ फ़ज्र की नमाज़ में भाग लिया करती थीं..................(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उम्मे फज़्ल फ़रमाती हैं.................. मैंने नबी करीम (सल्ल.) से सबसे आख़िरी सूरह ''वल–मुरसलात'' सुनी जिसे आप (सल्ल.) मग्रिब की नमाज़ में पढ़ रहे थे।..................(बुख़ारी व मुस्लिम)

और हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने इशा की नमाज़ में देर की। यहां तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आवाज़ लगाई कि औरतें और बच्चे सो गये हैं.........। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) की एक बीवी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से अदा किया करती थीं। (बुख़ारी)

आठवीं दलीलः

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फरमाते हैं..................मर्दों की सबसे अच्छी पंक्ति पहली पंक्ति है और सबसे बुरी पंक्ति आख़िरी पंक्ति है। और औरतें की सबसे अच्छी पंक्ति आख़िरी पंक्ति है सबसे बुरी पंक्ति पहली पंक्ति है। (बुख़ारी)

विरोधियों का विचार है कि इस हदीस से उनके मत की पुष्टि होती है। क्योकि इस हदीस में हज़रत अबू हुरैरह ने औरतों को मर्दों की पंक्तियों से दूर रहने की प्रेरणा दी है। जब औरतों को मर्दों से मस्जिद में दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है हालांकि मस्जिद पवित्र और बड़ाई वाली जगह है और वहाँ मर्द व औरत हर एक के दिल इबादत

में लीन होते हैं तो फिर मस्जिद के बाहर के जीवन के विभिन्न मैदानों में औरतों को मर्दों से और अधिक दूर रहना चाहिये। इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैंः

(क) उपर्युक्त हदीस में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने के सिलसिले में एक विषय शिष्टाचार बयान किया गया है। नमाज़ के लिये होने वाली सभा दूसरी सभाओं से बहुत भिन्न होती है इस सभा की बहुत सी विशेषताएं हैं जो दूसरी सभाओं में नहीं पायी जाती हैं। अतः वहां मौजूद लोगों के बीच ऐसी मिली जुली बातचीत नहीं होती जिसकें कारण आपस में मेल–जोल हो।

(ख) इबादत के क्षणों में इन्सान का दिल हर तरह के काम और व्यस्तता से रिक्त होना चाहिये जहाँ तक कि इन क्षणों में दिल को उन चीजो़ से भी दूर रखने की कोशिश करनी चाहिये। जिनकी तरफ़ वह लपकता है। इसी तरह उसे हर तरह के विचारों से दूर रखना चाहिये। औरतें मर्दों से दूर रहती हैं तो दिल पूरी शुद्धता के साथ इबादत और अल्लाह की याद में व्यस्त रहता है। इमाम सरख्सी फ़रमाते हैंः ''नमाज़ के दौरान औरतों को मर्दों से दूर रहने का निर्देश इस लिये दिया गया है क्योंकि इन्सान नमाज़ में अल्लाह से बात करता है। अतः ऐसे समय में उसके दिल में किसी भी तरह की वासना का विचार नहीं आना चाहिये। अतः उसे मर्द से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि जब औरत मर्द के निकट होती है तो साधारणतः दिल में इस तरह के विचार आ जाते हैं''।

(ग) जब औरत अपने पिता या भाई या किसी महरम के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ती है तो वह मर्दों की पंक्ति(सफ़) के पीछे एक अलग पंक्ति में खड़ी होती है इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि औरत को मर्दों से दूर रहने का मामला जमाअत की नमाज़ के साथ विशेष है।

नवीं दलील :

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैंः सुब्हानल्लाह कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये है''।(बुख़ारी मुस्लिम)

उपर्युक्त हदीस की रोशनी में विरोधी कहते हैं कि औरत का इस तरह उच्च स्वर में बात करना कि उसे मर्द सुन लें हराम या मकरूह हैं।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैं :

(क) उपयुर्क्त हदीस में भी नमाज़ से सम्बन्धित एक शिष्टाचार का बयान है जो कि मात्र नमाज़ ही के साथ विशेष है क्योकि नमाज़ में इन्सान का दिल हर तरह के विचार और व्यस्तता से दूर रहना चाहिए। इमाम सरख्सी का यह कथन पहले बयान किया जा चुका है कि ''नमाज़ में इन्सान अल्लाह से बातें करता है। अतः ऐसे समय में उसके दिल में किसी भी तरह की वासना का विचार नहीं आना चाहिये'' हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं : ''औरत को (नमाज़ के बीच) सुब्हानल्लाह कहने से शायद इसलिये रोका गया है क्योंकि औरत को हर हाल में नमाज़ में अपनी आवाज़ धीमी रखने का आदेश दिया गया है क्योंकि उसकी आवाज के कारण फ़ितने की आशंका होती है''। क़ुरआन मर्द व औरत को आपस

में बातचीत करने का शिष्टाचार सिखाते हुए कहता हैः '' अतः तुम्हारी बातों में लोच न हो कि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग है वह लालच में पड़ जाये'' (सूरह अहज़ाब 32) पता चला कि मर्द औरत के बीच आपसी बातचीत का शिष्टाचार यह है कि पूरी गंभीरता के साथ बात की जाये। इस शिष्टाचार की माँग यह नहीं है कि औरत की आवाज़ को हर हाल में इतनी धीमी रखने का प्रयास किया जाये कि मर्द उसे सुन ही न सकें। अतः मालूम हुआ कि फ़ितने से सुरक्षित रहने के लिये शरीअत ने दो श्रेणियों का निर्धारण किया है एक श्रेणी सामान्य हालात से सम्बन्धित है जिसका उल्लेख उपर्युक्त आयत में है और एक श्रेणी जमाअत की नमाज़ के साथ विशेष है जिसका उल्लेख उपर्युक्त हदीस में है। अतः इस समानता और विशेषता के बीच अन्तर करना अनिवार्य है।

(ख) हदीसों से हमें पता चलता है कि जीवन के तमाम मामलों में औरतें किस तरह अच्छे ढंग से मर्दों से बातचीत किया करती थीं। (देखिये तीसरे भाग का चौथा पाँचवा छठा सातवां और आठवां अध्याय)

दसवीं दलील :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि औरतों ने जो बातें अपनी तरफ़ से पैदा कर रखी हैं यदि यह बातें आप (सल्ल.) को मालूम होती तो आप (सल्ल.) उन औरतों को रोक देतें, (मुस्लिम की एक रिवायत में हैः तो आप (सल्ल.) उन औरतों को मस्जिद जाने से रोक देते) जैसा कि बनी इसराईल की औरतों को रोक दिया गया था।

इस हदीस से विरोधी लोग दलील देते हैं कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती हैं।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैं :

(क) जब हज़रत आयशा (रज़ि.) ने देखा कि औरतें सुगंध का प्रयोग करके और बनाव श्रृंगार करके मस्जिद जा रही हैं तो उन्हें यह बात उचित नहीं लगी। अतः उन्होंने उपर्युक्त बात फ़रमायीं, पता चला कि हज़रत आयशा ने यह बात डांट और चेतावनी के रूप में फ़रमायी थी। उनका उद्देश्य नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन को निरस्त करना नहीं था कि ''औरतों का मस्जिदों से सम्बन्धित उनके अधिकार से मत रोको''। (मुस्लिम)

इस्लामी शरीअत का यह सिद्धान्त है कि विधाता के आदेशों को किसी भी इंन्सान का कथन (चाहे वह इन्सान ज्ञान और दीनदारी में कितना ही महान क्यों न हो) निरस्त नहीं कर सकता। ''अल–मुदव्वनतुल कुब्रा'' में है ''मैंने कहाः क्या इमाम मालिक औरतों के मस्जिद जाने को नापसन्द करते थे? उन्होंने कहा जहां तक मस्जिद जाने का सम्बन्ध है तो इस सिलसिले में इमाम मालिक कहा करते थे कि औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोका जा सकता''। हज़रत आयशा रज़ि के एक शताब्दी बाद इमाम मालिक मदीने में पैदा हुए थे और वहा के इमाम के रूप में उभरे थे और यह बात प्रसिद्ध है कि इमाम मालिक के मसलक की दलीलों में से एक दलील मदीना वालो का अमल भी है।

(ख) कुछ उलमा ने हज़रत आयशा रज़ि. के उपर्युक्त कथन की बहुत अच्छी व्याख्या की है। निम्न में हम उनको बयान करते हैंः

इब्ने हज़्म फ़रमाते हैंः औरतों ने अपनी तरफ़ से जो नई चीजें पैदा कर रखी थीं उनका ज्ञान नबी करीम (सल्ल.) को नहीं था। इसीलिये आप (सल्ल.) ने उन औरतों को उन चीजो से नहीं रोका, जब नबी करीम (सल्ल.) ने उनको उससे नहीं रोका तो अब उन्हें उससे रोकना सही नहीं है................ निस्संदेह इस तरह की कुछ चीजें कुछ ही औरतों ने अपनी तरफ़ से पैदा कर रखी थीं। अतः उन कुछ औरतों के कारण दूसरी बहुत सी औरतों को भलाई से रोक देना सही नही है..................''।

इब्ने क़ोदामा फ़रमाते हैंः''.............................. नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत अनुसरण की अधिक हकदार है। हज़रत आयशा (रज़ि.) का कथन तो केवल उन औरतों से सम्बन्धित है जिन्होंने अपनी तरफ़ से कुछ चीजे पैदा कर रखी थीं। और निस्सन्देह ऐसी औरतों का मस्जिद जाना ना पसन्दीदा है''।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रज़ि.) फ़रमाते हैं! ''......................... कुछ लोग हज़रत आयशा (रज़ि.) के कथन से दलील देते हुए औरतों को मस्जिद जाने से पूरी तरह रोक देते हैं। हालांकि यह बात विचार करने योग्य है क्योंकि हज़रत आयशा (रज़ि.) के कथन के आध ाार पर किसी आदेश में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने मनाही की बात एक शर्त के साथ कही थी जो नहीं पायी गई उन्होंने कहा था कि ''यदि नबी करीम (सल्ल.) इसे देखते तो अवश्य रोक देते,'' अतः अब ये कहा जायेगा कि न ही नबी करीम (सल्ल.) ने उसे देखा और न ही रोका। अतः आदेश बाक़ी रहेगा, यहां तक कि हज़रत आयशा ने भी स्पष्ट रूप से औरतों को मस्जिद जाने से नहीं रोका है। हाँ उनके कथन से यह महसूस होता है कि वह औरतों को मस्जिद जाने से रोकने का समर्थन करती हैं यहां पर एक बात यह भी विचार योग्य है कि अल्लाह तआला के ज्ञान में तो यह बात थी कि आने वाले समय में कुछ औरतें अपनी तरफ़ से क्या–क्या चीजें पैदा कर लेंगी लेकिन फिर भी अल्लाह ने वही के माध्यम से नबी को आदेश नहीं दिया कि वह औरतों को मस्जिद जाने से रोक दें, कुछ औरतों ने अपनी तरफ़ से जो बातें पैदा कर ली थीं यदि वह वास्तव में ऐसी होतीं कि उनके आधार पर उन्हें मस्जिद जाने से रोक दें तो उनको उससे अधिक दूसरे स्थानों जैस बाज़ारों से रोक दिया जाता, यहां पर एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि इस तरह की चीजे कुछ ही औरतों ने पैदा की थी। तमाम औरतों ने ऐसा नहीं किया था। अतः जिन औरतों ने ऐसा किया था उन्हें ही मस्जिद जाने से रोकना चाहिये। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन बातों और चीज़ों से फ़ितने की आशंका हो उनसे बचा जाये। जैस सुगंन्ध लगाकर और बनाव सिंगार करके मस्जिद जाना क्योंकि स्वयं नबी करीम (सल्ल.) ने इससे रोका है........................''।

अब्दुल हमीद बिन बादीस (रह.) फ़रमाते हैं ''हज़रत आयशा (रज़ि.) का यह कथन उस हदीस से नहीं टकराता जो पहले गुज़र चुकी है (अर्थात अपनी औरतों को मस्जिद जाने से न रोको) क्योंकि कुछ औरतों ने जो नई चीज़ें अपनी तरफ़ से प्रारम्भ कर दी थीं वह ये थीं कि वह सुगन्ध लगाकर और बनाव श्रृंगार करके मस्जिद आया करती थीं जहां नबी (सल्ल.) ने मर्दों को इस बात का आदेश दिया कि वह औरतों को मस्जिद आने से

न रोका करें वहीं आप (सल्ल.) ने औरतों को घर से निकलते समय सुगन्ध के प्रयोग से रोका, यदि नबी करीम (सल्ल.) उन चीजो को देखते जो औरतों ने स्वयं पैदा कर रखी थीं तो आप (सल्ल.) उन्हें इस हालत में मस्जिद आने से अवश्य रोक देते और उन्हें उस समय तक मस्जिद न आने देते जब तक वह अपनी इस चाल को छोड़ न देतीं, नबी करीम (सल्ल) औरतों को मस्जिद आने से इस तरह नहीं रोक सकते कि जिससे स्वयं आप के कथन (अर्थात औरतों को मस्जिद जाने से न रोको) का रदद् होता हो।

(ग) आज के युग में औरतें तमाम सैर सपाटे के स्थानों पर अर्धनग्न होकर जाती है। गन्दे और पतित संचार माध्यमों ने उनके घरों तक पहुंच कर उनको अपना शिकार बना लिया है और उनके दिल व दिमाग़ पर पूरी तरह छा गया है। औरतें इन सभी जगहों पर जाती हैं। और यदि कही नहीं जातीं तो यह अल्लाह का घर है। यदि हज़रत आयशा (रज़ि) ने इस परिस्थिति को देखा होता तो क्या वह वही बात कहतीं जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है या वह ये कहतीं कि ''इस दौर में औरतों ने जो आदत अपना रखी है यदि नबी (सल्ल.) ने उसे देखा होता तो औरतों को मस्जिद जाने को अनिवार्य कर देते''।

यह बात हज़रत आयशा (रज़ि.) प्रेरणा के लिये फरमातीं ताकि औरतों को थोड़ी देर के लिये फ़ितने के माहौल से दूर रहकर मस्जिद के प्रकाशमय और रूहानी माहौल में रहने और गंभीरता और प्रतिष्ठा से लगाव का अवसर मिल सके। उनके दिल थोड़ी देर के लिये अल्लाह की याद में व्यस्त हो जायें उनको दीन का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले और उन्हें वासना उभारने वाली चीज़ों से राहत मिल सके।

निचोड़ यह है कि जो नई ग़लत बात दीन में पैदा हो गई है उसका दूर करना अनिवार्य है ताकि अल्लाह की शरीअत का शासन क़ायम रहे।

ग्यारवी दलीलः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या औरतों पर जिहाद फ़र्ज़ है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया हां, औरतौ पर एक ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिसमें लड़ाई झगड़ा और मारकाट नहीं, वह हज और उमरा है। (इब्ने माजा)

विरोधी इस हदीस को दलील बनाते हुए कहते हैं कि शरीअत की निगाह में यह पसंदीदा है कि औरतें मर्दों से न मिला करें। जेहाद के तमाम महत्व और महानता के बावजूद औरतों को इससे छूट दे दी गई क्योकि जेहाद में भाग लेने की स्थिति में उनसे कुछ वांछनीय चीज़ों (जैसे छिपाने वाले अंगों को छिपाना और मर्दों से दूर रहना) को ध्यान में नहीं रखा जा पाता, उन लोगों का कहना है कि प्रारम्भिक युद्धो में कुछ सहाबी महिलाओं की भागीदारी का जो उल्लेख आता है वह भागीदारी वास्तव में आवश्यकता के आधार पर थी क्योंकि उस समय मर्दों की संख्या कम थी। इसलिये युद्धों में औरतें भी भाग लिया करती थीं।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैं।

(क) स्वयं हदीस में औरतों पर जेहाद फ़र्ज़ न होने के कारण की ओर संकेत है। वह कारण, युद्ध है। जो औरत की कोमल बनावट, स्वभाव और प्रकृति से मेल नहीं खाता। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः ''एक ऐसा जेहाद जिसमें मार–काट नहीं है''। आप (सल्ल.) ने यह नहीं फ़रमाया :''एक ऐसा जेहाद जिसमें मर्दों से मेल जोल नहीं पाया जाता''। फिर यह बात भी विचार करने योग्य है कि हज्ज व उमरा में औरत को एकान्त नहीं मिलता बल्कि हज्ज व उमर में मानसिक (कर्मों) की अदायगी के दौरान औरतों की मर्दों से अधिक मुलाक़ात होती है और अधिकतर तो मनासिक अदा करने के दौरान इतनी भीड़ हो जाती है कि जीवन के दूसरे क्षेत्र में इतनी भीड़ कभी भी देखने को नहीं मिलती।

(ख) नबी करीम (सल्ल.) के साथ युद्धो में कुछ औरतों के भाग लेने की आवश्यकता क्या थी? जबकि यह सम्भव था कि आप (सल्ल.) उन औरतों की जगह ऐसे बूढ़ों और बच्चों को अपने साथ ले लेते जो अच्छी तरह से लड़ना नहीं जानते थे। यदि हम ये मान ही लें कि प्रारम्भिक युद्धों में चूंकि मर्दों की संख्या कम थी इसलिये इसमें औरतों को भाग लेने की आवश्यकता थी तो आख़िर बाद के युगों जैसे खैबर व हुनैन में औरत के भाग लेने की क्या आवश्यकता पड़ी हालांकि उस समय मर्दों की संख्या बहुत अधिक थी। इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने बहुत सी ऐसी रिवायतें बयान की है जिनसे पता चलता है। कि हज़रत उम्मे सुलैम ने खैबर के युद्ध में भाग लिया था। इमाम मुस्लिम ने बयान किया है कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने हुनैन के युद्ध में भाग लिया था। अलतब्कातुल कुब्रा में इब्ने सअ़द ने 15 ऐसी महिलाओं का उल्लेख किया है जिन्होंने खैबर के युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने यह भी बयान किया है कि हुनैन के युद्ध में हज़रत उम्मे सुलैत ने भाग लिया था। विचारणीय बात यह है कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) के युग में हज़रत उम्मे हराम को समुद्री युद्ध में भाग लेने (जैसा कि उनके लिये नबी करीम (सल्ल.) ने दुआ की थी की क्या आवश्यकता थी हालांकि उस ज़माने में विजयों का दायरा बहुत फैल गया था और लोग अल्लाह के दीन में गिरोह के गिरोह प्रवेश करने लगे थे?

(ग) जिन हदीसों में जेहाद में औरत की भागीदारी का उल्लेख है उनमें अधिकतर ''कान और कुन्ना'' के शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि युद्धों में औरतों की भागीदारी सामान्य थी और वह भागीदारी सदैव जारी रही यहां तक कि नबी करीम (सल्ल.) के अन्तिम समय तक निरस्त नहीं हुई। हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) युद्धो में हज़रत उम्मे सुलैम और कुछ अन्सारी महिलाओं को अपने साथ ले जाते थें। (मुस्लिम)

(घ) क्या जिस समय हज़रत इब्ने अब्बास ने नज्दा खारिजी को उत्तर दिया था उस समय वह इस आवश्यकता की समस्या से अन्जान थे जिसके कारण नबवी युग में औरतों ने युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने कहाः''............ उसने लिखित रूप से मुझसे पूछा कि क्या नबी करीम (सल्ल.) युद्धों में अपने साथ औरतों को ले जाया करते थे। (वास्तविकता यही है कि) नबी करीम (सल्ल.) युद्धों में औरतों को ले जाया करते थे। वह घायलों का इलाज किया करती थीं और ग़नीमत (लूट) के माल से लाभ उठाया करती थीं

'हाँ। उनके लिये हिस्सा नहीं लगाया जाता था'' (मुस्लिम) यदि नबी करीम (सल्ल.) युद्धों औरतों को आवश्यकता के कारण ले गये होते तो इब्ने अब्बास ने उस बात को अवश्य बयान किया होता और उस समय यह बयान करना अनिवार्य भी था। ताकि लोग यह न समझें कि युद्धों में औरतों की भागीदारी नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत है।

(च) हाफ़िज़ इब्ने हजर और इब्ने बत्ताल, बुख़ारी की व्याख्या में लिखते हैं कि जेहाद औरतों पर उस तरह अनिवार्य नहीं है जिस तरह मर्दों पर अनिवार्य है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जेहाद औरतों पर हराम है। बल्कि सवाब कि नीयत से औरतों का जेहाद में भाग लेना वैध है।

बारहवीं दलीलः

नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः औरत छिपाने वाली चीज़ है जब वह निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। (तिर्मिज़ी)

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैं :

(क) यदि विरोधी यह कहें कि औरत का बिना किसी आवश्यकता के घर से निकलना हराम या नापसन्दीदा है। तो हम ये कहेंगे कि औरत का घर से निकलना किस तरह हराम या ना पसंदीदा हो सकता है जबकि नबी करीम (सल्ल.) ने मर्दों को आदेश दिया है कि वह औरतों को नमाज़ के लिये मस्जिद जाने से न रोकें, हालांकि मस्जिद में औरतों को नमाज़ पढ़ना आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आता? यदि विरोधी यह कहें कि औरत का बिना किसी आवश्यकता के घर से निकलना, अच्छाई के विरूद्ध है तो हम यह कहेंगे कि औरत का घर से निकलना अच्छाई के विरूद्ध कैसे हो सकता है जबकि नबी करीम (सल्ल.) ने उम्मे हराम के लिये दुआ की थी कि वह भी अल्लाह के रास्ते में समुद्र में जाकर जेहाद करने वाले मुजाहिदों के साथ सम्मिलित हो। हज़रत उम्मे हराम का इस तरह समुद्र के युद्ध में निकलना आवश्यकता के कारण नहीं था। बल्कि वह इबादत और सवाब प्राप्त करने की नीयत से था।

(ख) अब जबकि यह सिद्ध हो गया कि औरत का किसी आवश्यकता या किसी सामान्य काम के लिये घर से निकलना न ही हराम है न ही नापसंदीदा है और न ही अच्छाई के विरूद्ध है तो फिर प्रश्न यह है कि फिर इस हदीस का भावार्थ क्या है? वास्तव में इस हदीस में औरत के छिपाने योग्य होने और शैतान के उसके पीछे लगाने के सम्बन्ध को बयान किया गया है। और औरत को चेतावनी दी गई है कि वह अपने छिपाने योग्य अंगो को ढ़कने में कोताही न करे। अतः वह अपने बनाव सिंगार को, दूसरों के सामने प्रकट न करे। उनके सामने सुंगन्ध का प्रयोग न करे। लचकते मटकते हुए न चले, और न ही नर्म बात करे। इसी तरह मर्द औरत प्रत्येक को इस बात की चेतावनी दी गई है कि वह मुलाक़ात के उन शिष्टाचारों को ध्यान में रखने में बेपरवाही से काम न ले जिन शिष्टाचारों पर अमल से सतर (छिपाने योग्य अंग) सुरक्षित रहता है और फ़ितने में पड़ने का डर समाप्त हो जाता है और इस तरह शैतान नाकाम हो जाता है।

(ग) नबी करीम (सल्ल.) ने औरत के घर से निकलने और शैतान के बीच सम्बन्ध को बयान करते हुए फ़रमाया है कि ''औरत आती है तो शैतान के रूप में, और वापस जाती है तो शैतान के रूप में'' वास्तव में इस हदीस में संकेत में यह बताया गया है कि औरत के हर आवागमन के साथ फ़ितना लगा रहता है। इसी हदीस में नबी करीम (सल्ल.) ने इस फ़ितने के इलाज को बयान करते हुए फ़रमाया है ''जब तुममें से कोई मर्द किसी औरत को देख ले तो वह अपनी बीवी के पास आ जाये क्योकि इस तरह उसके दिल (में आने वाली भावनायें) को शान्तिं मिल जायेगी''

अर्थात इस फ़ितने के इलाज का तरीक़ा यह है कि पहले अपने नफ्स पर क़ाबू पाया जाये। निगाहें नीची रखी जायें, इसके बाद का इलाज यह है कि वह व्यक्ति अपनी बीवी के पास आकर अपनी प्राकृतिक आवश्यकता पूरी कर ले, इस तरह उससे शैतान का वसवसा जाता रहेगा इलाज का यह तरीक़ा नहीं बताया गया कि औरत को घर में छिपा दिया जाये और उस पर घर से निकलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। इस बात की पुष्टि बहुत सी उन दलीलों से होती है जिनका उल्लेख मैंने नबवी युग के सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के मसले पर वार्ता करते हुए किया है।

(घ) इस हदीस में औरत के फ़ितने से चौकन्ना रहने पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। जैसा कि कुछ अन्य हदीसों में माल और सन्तान के फ़ितने से चेताया गया है । यहां पर फ़ितने का तात्पर्य सामान्य फ़ितना है जिसके माध्यम से अल्लाह अपने बन्दों को आजमाता है। मोमिन मर्द और मोमिन औरत कों गंभीर और चुस्त व सक्रिय जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि वह माल व सन्तान के उपहारों से लाभ उठा सकें और गंभीर जीवन की मांग के अनुसार उन दोनों के बीच मुलाक़ात भी हो सके। ऐसे समय मोमिन मर्द और औरत प्रत्येक को फ़ितने से बचने और इस परीक्षा में सफल होने का प्रयास करना चाहिए जो अल्लाह ने दोनों के भाग्य में लिख दिया है।

(च) उपर्युक्त हदीस दूसरे प्रमाणों(सनदों) से भी रिवायत की गई है। जिनमें ये जोड़ा गया है ''और औरत अल्लाह से सबसे अधिक निकट उस समय होती है जब वह अपने घर में होती है'' हदीस के इस भाग में औरत को इस बात के लिये प्रेरणा दी गई है कि वह अपने घर ही में रहे और बिना किसी सही और कठोर आवश्यकता के घर से न निकले।

तेरहवीं दलीलः

नबी (सल्ल.) ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से पूछाः ''औरत के लिये सबसे अच्छी चीज़ क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि औरत के लिये सबसे अच्छी चीज़ यह है कि वह मर्द को न देखे और न ही कोई मर्द उसे देखे।'' यह सुनकर नबी (सल्ल.) ने उन्हें अपने गले लगा लिया और कहां, ''ख़ानदान का एक दूसरे से सम्बन्ध रहता है

कुछ विरोधी लोग इस हदीस से यह तर्क देते हैं कि औरत के लिये सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने घर में रहे और वहां से केवल दो बार निकले। एक बार अपने

पिता के घर से निकल कर पति के घर जाये और दूसरी बार अपने घर से निकलकर क़ब्र में जाये।

इस सिलसिलें में हम निम्न लिखित उत्तर देते हैं :

(क) उपर्युक्त हदीस की सनद (प्रमाण) कमज़ोर (ज़ईफ़) है। इससे तर्क नहीं दिया जा सकता। हाफ़िज़ इराकी ने ''इहया–ए–उलूमुद्दीन'' के हदीसों की छान–फ़टक (तख़्रीज) के दौरान इस हदीस के बारे में लिखा है ''इस हदीस को अल–इफराद में बज्ज़ार और 'दारे कुतनी ने हज़रत अली के हवाले से कमज़ोर प्रमाण के साथ रिवायत की है हज़रत अली रज़ि के ही हवाले से मजमउज्जवाइद में एक दूसरी रिवायत भी है। उसके बारे में हाफ़िज़ हैषमी फ़रमाते हैं ''इस हदीस को बज्जार ने रिवायत की है। जिसकी सनद (प्रमाण) में एक ऐसा 'रावी' है जिसको मैं जानता नहीं हूँ''।

(ख) उपर्युक्त हदीस बुख़ारी व मुस्लिम की बहुत सी ऐसी हदीसों से टकराती है जिनको हमने बयान किया है और जिसमें इसका उल्लेख है कि नबवी युग में औरतें मर्दों से मिला करती थी और दोनों ही एक दूसरे को देखते थे। प्रतिष्ठित महिला सहाबियों से बढ़कर कौन औरत इस काम के करने की अधिक हक़दार है जिस काम को उपर्युक्त कमज़ोर हदीस में औरत के लिये सबसे बेहतर कहा गया है? हालाँकि उन महिला सहाबियों ने ऐसा नहीं किया उनमें से कुछ का उल्लेख निम्न में किया जाता है:

- **नबी करीम (सल्ल.) के चाचा हज़रत अब्बास (रज़ि.) की बीवी हज़रत उम्मुल फज़ल बिन्ते हारिस, इन्होने अपने पति के ईमान लाने से लगभग 10 साल पहले ही इस्लाम स्वीकार कर लिया था और मक्के में कमज़ोर और मजबूर लोगों के साथ बाक़ी रह गई थीं। उन्होंने मक्का विजय के बाद अपने पति के साथ हिजरत की।**
- **हज़रत उम्मे सुलैम जिन्हें नबी (सल्ल.) ने जन्नत की ख़ुशख़बरी दी थी।**
- **हज़रत उम्मे हराम जिनके लिए नबी करीम (सल्ल.) ने अल्लाह के रास्ते में में भाहीद होने की दुआ की थी।**
- **हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) जो तीन ऐसे प्रतिश्ठित सहाबा के एक–एक करके निकाह में आईं जिन्हें जन्नत की भाुभ सूचना दी गई थी (हज़रत जअ़फ़र बिन अबू तालिब, हज़रत अबू बक्र, हज़रत अली)।**
- **हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र, जो नबी करीम (सल्ल.) के साथी और जन्नत की ख़ुशख़बरी पाये हुए सहाबी हज़रत ज़ुबैर की बीवी थीं।**
- **सईदः असदीयः। जिन्हें नबी करीम (सल्ल.) ने जन्नत की ख़ुशख़बरी दी थी।**

(ग) बहुत सारी सही हदीसों में उल्लेख है कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) अधिकतर अपने घर से निकला करती थीं। यदि कोई यह कहे कि हज़रत फ़ातिमा अपने घर से इस तरह स्वयं को ढ़ाक कर निकलती थीं कि मर्द उन्हें देख नहीं पाते थे तो हम ये कहेंगे कि यद्यपि मर्द उन्हें नहीं देख पाते थे लेकिन वह स्वयं तो मर्दों को देखा करती थीं। कुछ हदीसों में मर्दों और औरतों की आपसी मुलाकतों और एक दूसरे को देखने का उल्लेख है। अतः उन हदीसों और उपर्युक्त कमज़ोर हदीस के बीच किस तरह अनुकूलता पैदा की जा सकती है?

(घ) इस हदीस से ऐसा महसूस हेाता है कि जो परदा विशेष रूप से नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों पर अनिवार्य किया गया या वह सामान्य औरतों के लिये अनिवार्य या पसंदीदा है (यहां पर परदे से तात्पर्य औरतों को मर्दों से सदैव परदे में रखना और उन्हें हर समय घर में रखना है। यहां तक कि वह बिना किसी प्रबल आवश्यकता के घर से नहीं निकल सकती हैं) लेकिन सामान्य औरतों के लिये, परदे के अनिवार्य या पसन्दीदा होने का आदेश उचित नहीं है। इस विषय से सम्बन्धित शोधपरक वार्ता नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों पर वार्ता करते हुए आयेगी। (देखिये इसी भाग का दूसरा अध्याय)

(च) दुखद बात यह है कि इस तरह की कमज़ोर हदीस को भाशण देने वाले अधिकतर अपने भाषणों में बयान करते हैं हदीस के कुछ उलमा ने अपनी किताबों में इसको जगह दी है। मानों कि यह मुसलमान महिला के बारे में अल्लाह का आदेश हो। इससे भी अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि कुछ लोग इस हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं ''इस हदीस को हदीसों के चारो इमामों ने रिवायत की है। और

इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को 'हसन सही है' हालांकि कुतुब–ए–अरबाअ में कही भी यह हदीस उल्लिखित नहीं है।

चौदहवीं दलीलः

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स ने उन्हें तलाक़ दे दी .... वह नबी करीम (सल्ल.) के पास गईं और आप (सल्ल.) से इसको बयान किया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, अबू उम्र पर तुम्हारे खर्चे की ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर आप (सल्ल.) ने उन्हें उम्में शरीक के घर में इद्दत के दिन पूरे करने का आदेश दिया। फिर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उम्में शरीक के पास बहुत से सहाबा जाते रहते हैं। अतः तुम इब्ने उम्मे मक्तूम के पास इद्दत के दिन पूरे कर लो। क्योंकि वह एक अन्धे व्यक्ति हैं। तुम वहाँ (आसानी से) अपने कपड़े उतार सकती हो। एक रिवायत में है : मैं यह पसंद नहीं करता हूँ कि तुम्हारी ओढ़नी सरक जाये या तुम्हारी पिण्डली से कपड़ा उठ जाये और लोगों की निगाह वहां पड़े जहां निगाह पड़ना तुम्हें बुरा लगता है.............................। (मुस्लिम)

विरोधियों का कहना है कि नबी करमी(सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को को उम्मे शरीक के घर में इद्दत के दिन पूरे करने से इसलिये रोका था ताकि मर्दों से उनका मेल–जोल न हो।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित उत्तर देते हैं :

(क) नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को हज़रत उम्मे शरीक के घर में इद्दत के दिन पूरे करने से इसलिये नहीं रोका था कि मर्दों से उनकी मुलाक़ात न हो सके। क्योंकि हर हाल में हज़रत उम्में शरीक, उनके घर के दूसरे लोग और मेहमानों के बीच मेल–जोल तो हो ही जाता था। इसी तरह स्वयं हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस और हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम के बीच भी मेल जोल पाया जाता था। वास्तव में नबी करीम (सल्ल.) ने फामिता बिन्ते क़ैस के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहा चूँकि हज़रत उम्मे शरीक के घर में हर समय मर्दों का आना जाना रहता था जिसके कारण हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को हर समय पूरे कपड़े और ओढ़नी के साथ रहना पड़ता था जो उनके लिये कष्ट का कारण था। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने उनके साथ नरमी का वर्ताव करते हुए उनको इब्ने उम्मे मक्तूम के घर जाने का आदेश दिया। क्योंकि यदि वह उनके घर पर अपने कुछ कपड़े जैसे ओढ़नी आदी उतार भी देती है। तो मर्द उन्हें नहीं देख सकते। अतः यहां पर वास्तविक मसला कपड़ो के कम करने और मोमिनों को सुविधा देने का है न कि मर्दों से मिलने से दूर रखने का है।

(ख) हज़रत उम्मे शरीक के घर में मेहमानों के ठहरने की जगह और सिवाय उम्मे शरीक के रहने की जगह के बीच कोई आड़ या किसी तरह की कोई दीवार नहीं थी। यदि ऐसा होता तो नबी करीम (सल्ल.) ये न फ़रमाते कि ''मैं यह बात पंसद नहीं करता हूँ कि तुम्हारी ओढ़नी सरके और लोगों की निगाह वहां पड़े जहां निगाह पड़ना तुम्हें बुरा लगता है '' पता चला कि उस घर में मर्द औरत के बीच मेल जोल पाया जाता था। फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के लिये इसमें कुछ हानि न थी कि वह इब्ने उम्मे मक्तूम को देखें, न ही मेहमानों के लिये इसमें कोई हानि थी कि वह हज़रत फ़ातिमा को देखें और वह उन मेहमानों को देखें, वास्तविक हानि इस बात में थी कि हज़रत फ़ातिमा को दिन भर पूरे कपड़ो के साथ रहना पड़े।

पन्द्रहवी दलीलः

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने 90–ज़िल हज्ज को हज़रत फ़ज़्ल किबन अब्बास को अपनी सवारी पर पीछे बैठाया, फ़ज़्ल अत्यन्त सुन्दर मर्द थे। नबी (सल्ल.) रूककर लोगों के सवालों का जवाब देने लगे। क़बीला खश्अम् की सुन्दर औरत भी आपसे सवाल करने लगी, फ़ज़्ल उस औरत को देखने लगे उसकी सुन्दरता उन्हें बहुत अच्छी लगी। नबी (सल्ल)उनकी तरफ़ मुड़े तो उन्हें उस औरत को देखते हुए पाया आप (सल्ल.) ने अपना हाथ पीछे किया। फजल की ठुड्डी पकड़कर उनका चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया ताकि वह औरत को देखने से रूक जायें।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

विरोधी लोग ये कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत फज़्ल के चेहरे को दूसरी तरफ़ फेर दिया था ताकि वह औरत को न देखें, लेकिन यदि औरत सामाजिक जीवन में भाग लेगी तो ऐसी स्थिति में नौजवानों के चेहरों को कौन फेर सकेगा, ताकि वह औरतों को न देखें? अतः औरत को सामाजिक जीवन में भाग लेने और मर्दों से मुलाक़ात करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिये।

इस सिलसिले में हम निम्नलिखित ढंग से उत्तर देते हैं :—

(क) निगाहें नीची रखना (गज्ज़े बसर) एक सामान्य शिष्टाचार है जिसका हर मुसलमान मर्द औरत को आदेश दिया गया है। एक मुसलमान इस शिष्टाचार को अपनाने की पूरी कोशिश करता है। कभी—कभी उसका नफ्स भारी पड़ जाता है तो, या तो उसे तुरन्त अल्लाह याद आ जाता है और वह तौबा कर लेता है या वह अपनी वेपरवाही में पड़ा रहता है यहां तक कि कोई उसे चेतावनी देता है या उसकी वासना पूरी तरह उस पर भारी पड़ जाती है और कोई चेतावनी देने वाला भी उसे नहीं मिलता है। अतः वह बार—बार गुनाह करता है यहां तक कि अल्लाह तआला अपनी कृपा से उसे रास्ता दिखा देता है।

(ख) नबी (सल्ल.) ने फजल बिन अब्बास के चेहरे को दूसरी तरफ़ फेर दिया था लेकिन दूसरे उन लोगों के चेहरे किसने फेरे जिनसे उसी गुनाह की आशंका थी जो फज़्ल बिन अब्बास से हुआ था या समस्या कुछ इस तरह है कि हज्ज के दिनों में शैतान ने मात्र फज़्ल बिन अब्बास के ही दिल में वसवसा डाला था।

(ग) हज्ज के ज़माने में मर्द औरत की मुलाक़ात की अच्छी मिसाल सामने आती है इससे मालूम होता है कि मुस्लिम समाज में मर्द व औरत की मुलाक़ात किस तरह बिना किसी परेशानी व पेचीदगी पर बुरे—प्रभावों के होती है। बहुत भीड़ की स्थिति में हर एक निगाहें झुकाकर रहता है। क़बीला खशअम् की औरत से सम्बन्धित हदीस में इस दिशा में संकेत है कि मर्द औरत की मुलाक़ात के दौरान ग़लतिया भी होती हैं लेकिन आपने इसके बावजूद औरतों विशेष रूप से सुन्दर औरतों को चेहरा ढ़कने का आदेश नहीं दिया बल्कि इसके विपरीत आपका कथन यह है:

एहराम वाँधने वाली औरत न ही नक़ाब ओढ़े और न ही दस्ताने पहने (बुख़ारी) इसी तरह इस ग़लती के बावजूद नबी (सल्ल.) ने औरतों को यह आदेश नहीं दिया कि वह मर्दों की भीड़ से दूर रहें और इसी तरह आपने (सल्ल.) औरतों के तवाफ (तवाफ़) के लिए अलग से कोई निर्धारित नहीं किया।

अन्त में हम ये कहते हैं कि यदि औरत के सामाजिक जीवन में भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के नतीजे में सामान्य रूप से वासना के भड़क उठने की आशंका होती तो अल्लाह तआला हज्ज के मुबारक दिनों में मर्द व औरत की मुलाक़ात की अनुमति न देता।

तृतीयः विरोधियों के कुछ कथनों पर वार्ता :

पहला कथन : विरोधियों का कहना है कि हमारे दीन मे सतीत्व का बहुत ऊँचा स्थान है। जीवन के विभिन्न मैदानों में मर्दों के साथ–साथ औरत की भागीदारी से उसका सतीत्व घायल होता है।

इस सिलसिले में हम निम्नवत् उत्तर देते हैं :

(क) शरीयत ने जितने भी नियम बनाये हैं चाहे उनका सम्बन्ध घर के बाहर औरत के परिधान से हो या विभिन्न मैदानों में मर्दो के साथ–साथ औरत की भागीदारी से हो इन तमाम ही नियमों का उद्देश्य सतीत्व की रक्षा है। कुछ लोग मात्र इतनी बात याद रखते हैं और यह भूल जाते हैं कि मात्र यही नियम सतीत्व को पूरा करने और रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि सतीत्व का अर्थ शरीर उसकी सुन्दरता और वासना को घटिया बातों और हरकतों से सुरक्षित रखना है। इसके लिये मात्र सतर (छिपाने वाले अंगों को ढ़कना) ही काफ़ी न ही है (चाहे वह कपड़े के माध्यम से हो या धर की दीवारों के माध्यम से हो) सतर तो विभिन्न तत्वों में से एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला तत्व चरित्र का आधार आर्थात अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखना है। ईमान किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है जो हवा में लटका हुआ हो। बल्कि ईमान का सम्बन्ध विवेक और दीन से होता है। उसका सम्बन्ध शरीर से नहीं होता अतः ईमान को मज़बूत बनाने का रास्ता यह है कि विवेक को बढ़ावा दिया जाये और दिल का तज्कीया (सफ़ाई किया जाये। इस तरह उन तमाम तत्वों अर्थात जागृत बुद्धि। डरने वाला दिल और ढ़का हुआ पवित्र शरीर इन सबके बीच सतत् सम्बन्ध रहना आवश्यक है। ताकि एक मोमिन का पूरा अस्तित्व ठीक रह सके अतः हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम औरत को किस तरह एक डरने वाला दिल और जागृत विवेक उपलब्ध कर सकते हैं कि उसका सतीत्व सुरक्षित रहे।

(ख) जिस तरह जागृत बुद्धि और डरने वाला दिल, सतीत्व को निश्चित बनाने में सहायक होता है। उसी तरह सतीत्व मन व दिमाग़ की सफ़ाई, दिल की राहत और शरीर को मज़बूत और पवित्र बनाने में सहायक होता है इन तमाम योग्यताओं और शक्तियों अर्थात जागृत बुद्धि। डरने वाला दिल और मज़बूत व शक्तिशाली शरीर को अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिये पसन्द किया है। ताकि वह योग्यताओं क्र प्रयोग करके दुनिया को अच्छे से अच्छे ढंग से आबाद करें। अतः मुसलमानों के लिए यह कैसे उचित है कि हम सतीत्व के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली इन योग्यताओं को नष्ट करें और इन्हे अल्लाह के आदेश के अनुसार प्रयोग न करें। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिये घर में बहुत विस्तृत क्षेत्र और अवसर उपलब्ध है। यह बात ठीक तो है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि कभी कभी तो घर बार और बच्चों की देख–भाल में औरत का पूरा समय ख़र्च हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इन कामों में औरत का थोड़ा सा समय लगता है और शेष समय में वह ख़ाली रहती है और कोई भी लाभदायक काम नहीं करती, अर्थात यदि हम सतीत्व के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली योग्यताओं का

उपयोग किसी ऐसे नेक काम में नहीं करते हैं जिससे मुस्लिम समाज को लाभ पहुँचता हो और यदि हम औरत को बिना किसी बेहतर गतिविधि के घर में ही रखना पर्याप्त समझते हैं तो मानो, हम एक ऐसी चीज़ का चुनाव करते हैं जिसका परिणाम बुद्धि के मंद होने, दिल के मुर्दा होने और शरीर के कमज़ोर होने के रूप में हमारे सामने आयेगा।

(ग) सतीत्व को निशिचित बनाना एक बड़ा प्रतिष्ठित काम है यह पुष्ट शरई आदेश है इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती, लेकिन इस पर अमल करने की मात्र एक ही स्थिति नहीं है कि औरत को घर में बन्द कर दिया जाये। बल्कि इसके बहुत से रूप, माहौल और औरत के हालात के अनुसार हो सकते हैं हम निम्नलिखित में सहाबी औरतों के जीवन से कुछ मिसाले देते हैं:

हज़रत सहल फ़रमाते हैं' जब अबू उसैद अस्माअ़दी ने शादी की तो उन्होंने नबी (सल्ल.) और सहाबा की दावत की उनकी बीवी उम्मे उसैद ने ही उन लोगों के लिये खाना बनाया और उन लोगों के लिये

प्रस्तुत किया। उन्होंने रात को पत्थर के एक बरतन में खजूरें भिगो दीं जब नबी (सल्ल.) खाना खा चुके तो वही पेय उपहार स्वरूप विशेषतः नबी (सल्ल.) को पिलाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

क्या इस हदीस के परिप्रेक्ष्य में हम यह नहीं कह सकते कि यदि दुल्हन वलीमे में आये अतिथियों की गंभीरता और प्रतिष्ठा के साथ सेवा करती है तब भी उसका सतीत्व सुरक्षित रहता है और यदि वह अपने घर के किसी कोने में बैठकर अपनी हमजोलियों के साथ मनोरंजन करती है तब भी उसका सतीत्व सुरक्षित रहता है।

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि मैं ज़ुबैर की उस ज़मीन से जो उन्हें नबी (सल्ल.) ने दी थी अपने सिर पर गुठलियां रखकर लाती थी। यह जमीन मेरे घर से दो–तिहाई फरसख़ की दूरी पर थी एक दिन मैं गुठलियां रखकर ला रही थी कि मेरी मुलाक़ात नबी (सल्ल.) से हो गई आपके साथ कुछ अन्सारी सहाबी थे। आपने मुझे बुलाया और आप ऊंटनी को बिठाने लगे ताकि मुझे अपने पीछे सवार कर लें, मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म महसूस हुई। मुझे ज़ुबैर और उनका आत्मसम्मान याद आ गया ज़ुबैर बहुत अधिक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

क्या इस हदीस के परिप्रेक्ष्य में हम ये नहीं कह सकते कि यदि औरत पूरी गंभीरता और प्रतिष्ठा के साथ घरेलू आवश्कताओं को पूरा करने के लिये घर से निकलती है तो भी उसका सतीत्व सुरक्षित रहता है जिस तरह उसका सतीत्व इस स्थिति में सुरक्षित रहता है। जबकि वह घर में ही रहती है और उसका पति या सेवक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरीन फ़रमाती हैं। एक महिला आई और बनू खलफ़ के महल में ठहरीं, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बहनोई ने नबीं (सल्ल.) के साथ 12 लड़ाइयों में भाग लिया था और छः युद्धों में उनकी बहन भी उनके साथ थी उनकी बहन कहती है

कि हम मरीज़ों की देख भाल करते थे और घायलों का इलाज करते थे। (बुख़ारी)

हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ फ़रमाती हैं कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ युद्धों में जाया करते है हम मुजाहिदों को पानी पिलाते थे उनकी सेवा करते थे और शहीदों को मदीना भेजते थे। (बुख़ारी)

क्या उपर्युक्त दोनों हदीसों से यह सिद्ध नहीं होता कि यदि औरत पूरी प्रतिष्ठा के साथ जेहाद में भाग लेती है तो भी उसका सतीत्व सुरक्षित रहता है जिस तरह कि उसका सतीत्व उस स्थिति में सुरक्षित रहता है जबकि वह घर में रह कर मुजाहिदों के लिये कपड़े सिलती हैं।

इस तरह अनुकूलता के रूप बदलते रहते हैं लेकिन उन तमाम रूपों में सतीत्व सुरक्षित रहता है।

दूसरा कथनः विरोधियों का कहना है कि मर्द–औरत की मुलाक़ात मात्र उसी स्थिति में वैध है जबकि मुलाक़ात की अत्यन्त आवश्यकता हो

हम इसका उत्तर निम्न ढंग से देते हैं:

(क) यदि हम ये कहते हैं। कि यदि आवश्यकता के समय ही मर्द व औरत की मुलाक़ात वैध है तो इसमें यह बात निहित है कि मर्द व औरत की मुलाक़ात मैालिक रूप से अवैध है क्योंकि अवैध चीज़ें ही जरूरत व मजबूरी में वैध होती हैं लेकिन इसकी क़ुरआन व सुन्नत में कोई दलील नहीं है। बल्कि हदीसों से तो इसके विपरीत बात मालूम होती है। यह बात दूसरे भाग की पाँचवी, छठी, सातवीं और आठवे अध्याय में स्पष्ट हो चुकी है।

(ख) कुछ लोग यह कहते हैं कि मर्द व औरत की मुलाक़ात किसी आवश्यकता या अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिये वैध है लेकिन यह बात कहने में इसकी आशंका है कि कही एक चौड़ा दरवाज़ा संकरा न हो जाये। क्योंकि वैधताओं को लोगों की सुविधा के लिये वैध किया गया है। अतः लोग सोच विचार किये बिना कभी तो इन वैध कामों को करते है और कभी नहीं करते हैं। अतः वैध काम करने वाले से यह नहीं पूछा जाता कि उसने वह काम क्यों किया या क्या नहीं किया। इस दरवाज़े को अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये खुला रखा है। अतः मर्द औरत की वैध मुलाक़ात के दौरान ये नहीं पूछा जा सकता कि उसकी कितनी आवश्यकता है। या उससे किस सीमा तक उद्देश्य पूरा हो रहा है। यह उस समय मालूम किया जा सकता है जब इस मुलाक़ात के पसन्दीदा होने या अनिवार्य होने के सिलसिले में कोई आदेश दिया जा रहा हो। देहाती समाज में मर्द व औरत की मुलाक़ात दैनिक बातों में सम्मिलित है क्योंकि यहां की औरतों की गतिविधियां बहुत अधिक होती है और उनके काम में बहुत भिन्नता होती है उन्हें एकान्त में रहने का समय बहुत कम मिलता है कोई भी यह नहीं कह सकता कि देहाती समाज की यह जीवन शैली शरीअत के विरूद्ध है। शहरों की कुछ महिलाओं की स्थिति इन देहाती महिलाओं ही की तरह है। जैसे लड़कियों के स्कूल की प्रधानाध्यापिका महिला डाक्टर और नर्स आदि ये तमाम औरतें ऐसे काम करती है जिनमें उन्हें अधिकतर मर्दों से मुलाक़ात की आवश्यकता

होती है। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति मेंउस मुसलमान पर प्रेरको की शक्ति व श्रेणी के अनुसार कोई आदेश दिया जायेगा। जैसे यदि मुलाक़ात के प्रेरक अनिवार्य श्रेणी में थे और मुलाक़ात के प्रेरक अनिवार्य श्रेणी वह मुसलमान हराम कर्म करने वाला समझा जायेगा। एकान्तवास और जल्दबाज़ी के अनिवार्य प्रेरक प्रत्येक वह कर्म हैं जिनसे मर्दों का अवगत होना और उन्हें देखना उचित नहीं है जैसे, बनाव सिंगार, खेलकूद, हॅसी और कम कपड़ों में होना, मुलाक़ात के अनिवार्य या पसन्दीदा प्रेरकों में जो चीज़ें आती हैं वह ये हैः ज्ञान प्राप्त करना, लाभदायक सांस्कृतिक वार्ता में भाग लेना भलाई का आदेश देना और

(ग) कभी—कभी मर्द व औरत की मुलाक़ात निषिद्ध या घृणित हो जाती है। ऐसा उस समय होता है जब उस मुलाक़ात के दौरान शरई शिष्टाचारों को ध्यान में न रखा जाये। इसी कि साथ हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कभी—कभी एकान्तवास भी निषिद्ध या घृणित होता है और ऐसा उस समय होता है जब उसके फलस्वरूप कोई अनिवार्य या पसन्दीदा काम नष्ट हो रहा हो। यदि मर्द औरत की मुलाक़ात के प्रेरक पाये जा रहे हों और मुलाक़ात न की जाये या मर्दों व औरत के मुलाक़ात न करने के प्रेरक पाये जा रहे हों और मुलाक़ात कर ली जाये बुराई से रोकना, मजबूरों और कमज़ोरो की मदद, क्रय—विक्रय और मर्द की बीमारी या मौजूद न होने की स्थिति में अतिथियों की सेवा। अतः ये कहा जा सकता है कि जीवन को सरल बनाने के लिये या विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मुस्लिम समाज में मर्द व औरत की मुलाक़ात के कुछ मूल्य होना आवश्यक हैं उन मूल्यों का बयान उस वक़्त हो चुका है जब हम दूसरे भाग के पहले अध्याय में सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्द से उसकी मुलाक़ात के विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसी तरह यदि एकान्त में पड़े रहने के प्रेरक पाये जा रहे हों तो मुस्लिम समाज में थोड़ा बहुत एकान्त में रहने की स्थिति भी पाई जानी चाहिये। शरई शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए मर्द व औरतों के बीच जो मुलाक़ात हो रही हो उसमें संतुलन से काम लेना चाहिये ताकि यह मुलाक़ात उन सीमाओं में हो जो एक गंभीर और प्रतिष्ठित जीवन के अनुकूल होते हैं। मुलाक़ात के दौरान विशेष रूप से औरत की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं उसके लिये आवश्यक होता है कि वह ढीला—ढाला और पूरा कपड़ा पहने हो। गंभीरता और प्रतिष्ठा के साथ बात करे। अपनी निगाहें झुकाये रखे और दिल को सदैव जागृत रखे, कि कहीं उसके ऊपर शैतान का वसवसा प्रभाव न डाल सकें, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि मुलाक़ात करने या न करने की मात्रा क्या हो तो इसे मुस्लिम व्यक्ति और मुस्लिम समाज पर छोड़ दिया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति, समाज व ज़माने के अनुसार बदलती रहती है। हां इस सिलसिले में यह बात कही जा सकती है कि ये मुलाक़ात उतनी ही होनी चाहिये जिससे एक पहलू से जीवन में सुविधा पैदा होती हो और दूसरी तरफ़ वैध उद्देश्य पूरे होते हों।

(घ) मर्द—औरत की मुलाक़ात और अलगाव, प्रत्येक के इस्लाम में शिष्टाचार हैं। अलग होने के भी कुछ शिष्टाचार हैं जिनमें से कुछ को निम्नलिखित में बयान किया जाता हैः

- **निगाहें झुकाकर रखना, खिड़कियों के पीछे खड़े होकर आने जाने वालों को न देखना।**
- **गन्दे चरित्रहीन कहानियों, लतीफ़ों और समाचारों को सुनने से बचना।**
- **परदे के पीछे से बात करते हुए नरमी से बात न करना**
- **जागते में अश्लील सपने देखने से बचना, हर तरह के हराम और अप्राकृतिक यौन क्रियाओं से अपने गुप्तांग की रक्षा करना**

(च) बनावटी मुलाक़ात करने और बनावटी मुलाक़ात न करने, दोनों ही से हमें समान रूप से बचना चाहिये क्योंकि जब कोई अन्य लिंग के व्यक्ति से बनावटी मुलाक़ात करता है तो अपनी वासना को अवैध रूप से तृप्त करता है और यदि कोई अन्य लिंग के व्यक्ति से बिना किसी आवश्यकता के बनावटी तौर पर दूर रहता है तो इससे परोक्ष रूप से वासना भड़कती है इस तरह दोनों व्यक्ति बिखराव का शिकार रहतें हैं और प्रत्येक की मानसिक बीमार हो जाती हैं क्योंकि अल्लाह तआला ने लोंागें के लिये एक ऐसी शरीअत का चुनाव किया है जो हर मुसलमान मर्द औरत को मनोवैज्ञानिक और सन्तुलित स्वास्थ्य प्रदान करती है।

(छ) नबी (सल्ल.) का कथन है अल्लाह तआला उस बन्दे पर कृपा करे जो बोलता है तो लाभ उठाता है और ख़ामोश रहता है तो सुरक्षित रहता है

हम इस हदीस पर अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि अल्लाह तआला उस मर्द पर कृपा करे जो औरत से किसी भले काम के लिये मिलता है तो लाभ प्राप्त करता है या किसी बुराई के कारण मुलाक़ात से बच जाता है तो स्वयं को सुरक्षित रखता हैं इसी तरह अल्लह तआला उस औरत पर कृपा करें जो किसी भले काम के लिये मर्दों के साथ भाग लेती है तो लाभ प्राप्त करती है या किसी बुराई के क्षेत्र से दूर रहती है तो सुरक्षित रहती है।

तीसरा कथनः

विरोधी लोग पूछते हैं कि क्या मर्द औरत के बीच वास्तव में गम्भीरता के साथ मुलाक़ात हो सकती हैं? क्या वास्तव में मर्द और औरत की मुलाक़ात किसी भले उद्देश्य के अन्तर्गत हो सकती है?

हम इस सिलसिलें में निम्न तरीक़ों से उत्तर देते हैं:

(क) उपर्युक्त प्रश्न करने के सिलसिले में हमारे विरोधी मजबूर हैं क्योंकि उनके मन और बुद्धि पर दो बातें बैठी हुई हैं जिनसे वह बहुत प्रभावित हैं।? पहला विरासत में मिला रीति व रिवाज जिनके अनुसार मर्द औरत के बीच पूरा अलगाव और औरत का घर के बाहर के जीवन के सभी मैदानों से पूरी तरह अलग थलग रहना रहना अनिवार्य है। ताकि औरत की यह प्रशंसा की जा सके कि वह अपने घर से केवल दो ही बार निकलती है एक बार अपने घर से निकलकर पति के घर जाती है और दूसरी बार पति के घर से

निकलकर क़ब्र में जाती है। इन रीति –रिवाजों ने औरत के व्यक्तित्व पर बहुत से परदे डाल दिये हैं। अतः औरत का चेहरा उसकी आवाज़ और नाम प्रत्येक को छिपाया जाने लगा है। ये सारी बातें 'बिद्अ़त'(नई) और नबी (सल्ल.) की सुन्नत के विरूद्ध है दूसरी बात जिससे हमारे विरोधी अधिक प्रभावित हैं वह अश्लीलता और चरित्रहीनता पर आधारित नैतिकता, बिना रोक–टोक मेल–जोल है जो पश्चिमी समाज में सामान्य है और हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोगों के बीच पाया जाता है जो पश्चिम का अनुकरण करने को अपने लिये स्वाभिमान की बात समझते हैं। यह एक खुली हुई पथ भ्रष्टता है और अल्लाह की शरीअत के विरूद्ध विद्रोह है।

एक ओर विरासत में मिले रीति–रिवाज का दबाव है तो दूसरी तरफ़ पश्चिम की 'एबाहीयत' (प्रत्येक चीज़ को वैध समझने की प्रवृत्ति) और खुले हुए फसाद व बिगाड़ का दबाव, इन दोनलों तरह के दबावों के बीच ये आत्मसम्मान वाले लोग हैरान व परेशान हैं। मानों कि दो में से किसी एक को अपनाना, अनिवार्य हो। या तो विरासत में मिले रीति रिवाज को अपनाया जाये जिसके अनुसार औरत को पूरी तरह घर की चार दीवारी में क़ैद होना अनिवार्य है या पश्चिमी समाज का अनुकरण किया जाये जहां मर्द औरत की मुलाक़ात बिना किसी प्रतिबन्ध के उचित ठहराई जाती है। पूर्वजों की कठोरता और नये समाज के फ़साद व बिगाड़ को हम प्रतिक्रियावादी राजनीति का नाम दे सकते हैं यह राजनीति सामान्य रूप से मनुष्य को सीधे रास्ते से हटा देती है और उसे दो चरम सीमाओं में से एक का शिकार बना देती है

प्रतिक्रियावादी राजनीति का यह प्रभाव हुआ कि जब बाप दादा यह कहते हैं कि औरत का अस्तित्व और उसकी अच्छाई, उसकी शर्म, सतीत्व में निहीत हैं। अतः उसे सदैव अपने घर में रहना चाहिए तो इस पर नये समाज के शिक्षित लोग यह कहते हैं कि औरत का अस्तित्व और उसका गुण उसके स्थायी व्यक्तित्व को पहचानने और उसके निर्माण में निहीत है। अतः उसे बिना किसी संकोच के मर्दों से मिलना चाहिये ओर जीवन के तमाम मैदानों से सम्बन्ध रखना चाहिये ताकि उसके व्यक्तित्व और अस्तित्व का विकास हो सके। इस राजनीति का प्रभाव यह भी हुआ कि जब बाप दादा यह कहते हैं कि औरत की तमाम ज़िम्मेदारियां घर के अन्दर हैं तो नये समाज के प्रशिक्षित लोग यह कहते हैं कि जिस तरह मर्दों के दायित्व हैं उसी तरह औरतों के भी दायित्व हैं। अतः औरत को जीवन के तमाम मैदानों में मर्दों जैसी भूमिका निभानी चाहिये। इस तरह लोग चरमवाद के शिकार हो जाते है। और उस सन्तुलन के रास्ते पर उनकी निगाह नहीं पड़ती जो इस्लाम की विशेष पहचान है।

(ख) इस सिलसिले में एक ऐसा सन्तुलित रास्ता भी पाया जाता हैं जो हमें बाप–दादा की कठोरता और नये समाज के प्रशिक्षित लोगों के स्वतन्त्र व्यवहार से बेपरवाह कर देता है और हमें प्रतिक्रिया की उस मुर्खतापूर्ण राजनीति से दूर रखता है। यह वह सन्तुलित रास्ता है जो उसी दिन से मौजद है जिस दिन अल्लाह ने इन्सानो को पैदा किया था और उसे यह सूझ बूझ प्रदान किया था कि वह हलाल से लाभ उठाये और हराम से

सुरक्षित रहे, इस सन्तुलित रास्ते का उल्लेख क़ुरआन में मौजूद है अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा के दो औरतों से मिलने और उनकी बकरियों को पानी पिलाकर उनकी सहायता करने का उल्लेख क़ुरआन करीम में इस तरह किया है:

"और जब वह(मूसा) मद्‌यन के कूएँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनमें अलग एक तरफ़ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। हज़रत मूसा(अलै.) ने उन औरतों से पूछा तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकतीं जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर निकाल कर न ले जायें, और हमारे पिता एक बूढ़े आदमी है। यह सुनकर मूसा(अलै.) ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक छाया में जा बैठा, और बोला पालनहार जो भलाई भी तू मुझ पर उतार दे मैं उसका मोहताज हूं, (कुछ देर न गुज़री थी कि) उन दोनों औरतों में से एक लज्जापूर्वक चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है उसका बदला आपको दें, हज़रत मूसर जब उनके पास पहुचे और अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा। डरो नहीं अब तुम अत्याचारों से बच निकले हो"। (सूरह क़सम 25–33)

इस सन्तुलित रास्ते को अल्लाह ने क़ुरआन में हज़रत सुलैमान के सबा की रानी के साथ घटना को बयान करते हुए भी बयान किया है :

"उससे कहा गया कि महल में प्रवेश करो। उसने जो देखा तो समझा कि पानी का हौज़ है। और उतरने के लिये उसने अपने पॉयचे उठा लिये, हज़रत सुलैमान ने कहा। यह कॉच का चिकना फर्श है। इस पर वह पुकार उठी ऐ मेरे रब(आज तक) मैं अपने आप पर बड़ा अत्याचार करती रही, और अब मैंने सुलैमान के साथ अल्लाह (जो सारे संसारों का रब है) का आज्ञापालन स्वीकार कर लिया"। (सूरहनमल–44)

नबी (सल्ल.) के युग में मर्द औरत की मुलाक़ात की घटनाओं में ये संतुलित रास्ता दिखाई देता है। बुख़ारी और मुस्लिम में इस तरह की लगभग तीन सौ घटनाओं का बयान है।

निस्सन्देह हम अपने विरोधियों को उन लोगों के कारण मजबूर समझते हैं जिन्होंने विरासत में मिले रीति रिवाज को छोड़कर पशिचिमी व्यवहार को अपना लिया है और उसी के दास बनकर रह गये हैं। इस तरह उन लोगों नें एक अनुकरण को छोड़कर दूसरा अनुकरण अपना लिया है लेकिन उन लोगों ने नबवी तरीके को नहीं अपनाया और न ही उसका अनुकरण किया।

(ग) यहां मैं उस रोग की ओर संकेत करना चाहता हॅ जिसे जनाब मालिक बिन बनी ने "सरलता की मानसिकता व परिवर्तन की मानसिकता" का नाम दिया है। जो लोग इस रोग से पीड़ित है वह समझते हैं कि उन्हें केवल दो बातों में से किसी एक को अपनाने का अधिकार है। या तो वह बाप–दादा का अनुकरण करें। जो नेक लोगों के लिये बहुत आसान बात है। या वह पश्चिम का अनुकरण करें जो कि स्वतन्त्र व्यवहार अपनाने वालों

के लिये बहुत आसान है। लेकिन जब आप उन लोगों से इस सिलसिले में नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा के तरीके का उल्लेख करेंगे तो यह लोग उस पर अलम करना असम्भव समझेंगे, मानो कि हमारे नये जीवन में अल्लाह व उसके रसूल के तरीके को लागू करना यद्यपि कठिन है। लेकिन वह अल्लाह की सहायता, नेक लोगों के प्रयासो और मुसलमानों के साहस, के बाद संभव भी है इस मसले में किसी अच्छे ओर सही विकल्प का चुनाव अनिवार्य है। हम केवल बिना रोक–टोक के मेल जोल से इन्कार करने को ही पर्याप्त नहीं समझ सकते क्योंकि इस मेल–जोल का वातावरण हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नये युग की जीवन शैली में औरत को मर्दो से मुलाक़ात करनी पड़ती है। अतः यदि मैदान में ऐसे आत्म सम्मानपूर्ण और भले लोग नहीं आते हैं जो इसका एक ऐसा बेहतर विकल्प और अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकें, जिसकी प्रत्येक वह मुसलमान पैरवी कर सके जो भलाई और अच्छाई की प्राप्ति अर्थात एक उद्देश्यपूर्ण गम्भीर मुलाक़ात का इच्छुक हो तो विचलनपूर्ण विचार भारी पड़ जायेंगे।

(घ) अल्लामा नासिरूदीन अल्बानी ने अपनी किताब ''मुसलमान औरत का परदा'' की भूमिका में चेहरे को खुला रखने की वैधता के विषय पर टिप्पणी करते हुए जो कुछ लिखा है उसे मैं अपने आत्मसम्मान वाले भाइयों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लिखते हैं:

''हमारे युग की औरतों ने जिस तरह से बनाव सिंगार करना प्रारम्भ कर दिया है और चेहरे को खुला छोड़ने के कारण जो फ़ितने उभर रहे हैं वास्तव में इन बातों को जान कर मेरा दिल बहुत ही दुखी है। लेकिन मैं इसका इलाज यह नहीं समझता हूं कि उस चीज़ को हराम ठहरा दिया जाये जिसे अल्लाह ने औरतों के लिये हलाल ठहराया है अर्थात चेहरे को खुला रखना। अतः हम अल्लाह के रसूल(सल्ल.) के आदेश के बिना औरत को यह ओदश नहीं दे सकते कि वह अपने पूरे चेहरे को ढ़के, क़ानून बनाने की हिक्मत और उसके कुछ सिद्धान्तों के अनुसार, फिर यह कि नबी करीम (सल्ल.) के कथन ''आसानी करो सख्ती न करो'' के अनुसार और शिक्षा व प्रशिक्षण के सही सिद्धान्तों के अनुसार उम्मत के फ़कीहों और प्रशिक्षकों का यह दायित्व है कि वह औरतों के साथ नरमी का व्यवहार करें। उनके साथ सख्ती का मामला न करें। और जिन बातों से अल्लाह ने सुविधा दे रखी है उनमें सुविधा से काम लेना ही वह बेहतरीन विकल्प है जिस पर हमें अमल करना चाहिये। ताकि दूसरे लोग भी उस पर अमल करने लगें, यह विकल्प उन समाजों में बहुत लाभदायक है जहां मर्द औरत का मेल–जोल बिना किसी रोक–टोक के सामान्य है। विशेष रूप में यह विकल्प उन लोगों के लिये बहुत अधिक लाभदायक होगा जिनके अन्दर अब भी भलाई का कुछ भाग बचा है और जो एक अच्छा और आसान जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमारा विचार है कि हर वह व्यक्ति जो अनुकरण के रास्ते पर चल पड़ा है पश्चिमी एबाहियत के दर्शन के वाहक नहीं है बल्कि बहुत से दीनदारी की भावना रखने वाले लोगों पर भी अनुकरण की यह प्रवृत्ति भारी पड़ गयी है और वह किसी ऐसे सहयोगी की प्रतिक्षा में है जो उन्हें इस प्रवृत्ति से मुक्ति दिला सके। जिस बेहतरीन विकल्प का

उल्लेख किया गया है वह उन पुरातन पंथी समाजों के लिये भी लाभदायक है जो केवल विरासत में मिले रीति रिवाज़ पर कठोरता पूर्वक अमल करके और हर नई चीज़ का इन्कार करके पश्चिमवाद का सामना करने के आदी हैं। बहुत से देशों में अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस तरीक़े से पश्चिमवाद की प्रचण्ड हवा का सामना नहीं किया जा सकता अतः अब एक ऐसे नये तरीक़े को अपनाने की आवश्यकता है जो नबवी तरीक़े पर आधारित हो। ताकि पूरी शक्ति के साथ पश्चिमवाद का सामना किया जा सके यदि पुरातनपंथी समाजों में इस तरीक़े को अपना लिया गया तो पश्चिम से प्रभावित और उस पर लटटू लोगों का समना आसानी से किया जा सकता है।

(च) हम आत्म सम्मानी लोगों से यह भी कहते हैं कि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी का सही अर्थ और भावार्थ उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम औरत के सम्बन्ध में अपने विचारों का नये सिरे से पड़ताल न करें और उसे नबी करीम (सल्ल) के उस कथन के प्रकाश में न देखें कि ''औरतें मर्दों के समान श्रेणी की हैं''

(अबू दाऊद) औरत भी एक प्रतिष्ठित मनुष्य है। मर्द का उससे सम्बन्ध केवल यौन वासना को पूरा करना ही नहीं है बल्कि यह ऐसे दो इन्सानों का सम्बन्ध है जो एक साझा जीवन जीते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें अच्छे जीवन के सभी तत्व पाये जाते हैं। जिनमें विभिन्न भावनाओं विचारो अनुभवों और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का मिश्रण होता है। चूंकि इस साझा जीवन की एक विशेषता प्रत्येक लिंग का दूसरे लिंग की तरफ़ प्राकृतिक झुकाव है इसलिये विधाता ने बहुत से आवश्यक शिष्टाचार निर्धारित किये हैं ताकि ये प्राकृतिक झुकाव हर तरह के विचलन से सुरक्षित रहें और जीवन पूरी चुस्ती और पवित्रता के साथ आगे बढ़ता रहे।

(छ) निचोड़ यह है कि विरासत में मिले रीति व रिवाजो ने औरत के व्यक्तित्व पर बहुत अत्याचार किये हैं और उसे दीन के नाम पर सामाजिक जीवन में भाग लेने से रोक दिया है हालांकि वास्तव में यह दीन से विचलन है। इसके कारण बहुत से शरई हित नष्ट होते हैं।

चूंकि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के लिये जो रास्ते शरई रूप से वैध थे। उनमें विचार नहीं किया गया इसलिये कभी—कभी लोग इस सिलसिले में ऐसे रास्तों को अपना लेते हैं जो वैध नहीं होते और जिनमें शरई शिष्टाचारों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। उन ग़ैर शरई तरीक़ो और रास्तों का चुनाव या तो किसी अत्यन्त आवश्यकता के दबाव में किया जाता है या वैचारिक हमलों से प्रभावित होकर किया जाता है। अतः सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी से सम्बन्धित समस्या में हमें शरीअत से मार्ग दर्शन लेना चाहिये ताकि हम इसका सुधार करके इसके वैधता की बात कह सकें।

चौथा कथनः उन लोगों का कहना है कि जब मर्द औरत की मुलाक़ात होती है तो उनमें हर एक का झुकाव दूसरे की तरफ़ हो जाता है और प्रत्येक दूसरे से बात करके सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। यह बात इसके आगे के चरणों से गुज़रने का कारण बन

जाती है। अतः समझदारी और दूरदर्शिता की मांग यह है कि फ़ितने के दरवाज़े को ही बन्द कर दिया जाये।

हम इस सिलसिले में निम्नलिखित उत्तर देते हैं:

(क) विरोधियों की बातों का प्रथम भाग सही है कि जब मर्द औरत की मुलाक़ात होती है तो उनमें से प्रत्येक का झुकाव दूसरे की तरफ़ हो जाता है और प्रत्येक दूसरे से बात करके सन्तुष्ट होना चाहते हैं इससे पता चला कि विरोधी लिंग की तरफ़ झुकाव, उनसे लगाव महसूस करना और उससे बात करने की इच्छा प्रत्येक मर्द औरत की प्रकृति में रख दी गई है। यदि मामला ऐसा ही है तो प्रश्न यह उठता है कि फिर अल्लाह तआला ने सामाजिक जीवन के सभी विशेष और सामान्य मैदानों में औरत की भागीदारी को वैध क्यों ठहराया है (देखिये दूसरे भाग का पांचवां अध्याय) निश्चय ही ऐसा किसी महत्वपूर्ण प्रबन्ध के अन्तर्गत किया गया है।

(ख) जब मर्द की औरत से मुलाक़ात होती है तो साधारणतः बिना किसी बुराई के थोड़ा बहुत एक दूसरे की तरफ़ झुकाव और बात के माध्यम से राहत व सन्तुष्टि प्राप्त करने की स्थिति पैदा हो जाती है ये एक प्राकृतिक बात है जिसके माध्यम से अल्लाह तआला इन्सानों का आज़माता है। यदि मुलाक़ात के समय मर्द व औरत झुकाव के एहसासा को बढ़ावा नहीं देते हैं ओर गंभीता से उस काम में लीन रहते हैं जिसके लिये उन्होंने एक दूसरे से मुलाक़ात की है तो ऐसी स्थिति में मोमिन मर्द व औरत को मुलाक़ात करने में कोई बुराई नहीं है। हां, उन्हें अपनी भावनाओं को नियन्त्रित करना चाहिये। और मुलाक़ात के उद्देश्य को सामने रखते हुए आवश्यक कामों को गंभीरता के साथ निपटाना चाहिये।

(ग) मर्द व औरत की मुलाक़ात के समय उनके बीच बिना इरादे के एक दूसरे की तरफ़ झुकाव और प्रेम की भावना पैदा होती है फिर उसके बाद प्रत्येक अपनी अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण करता है और मुलाक़ात के उद्देश्य को गंभीरता से पूरा करता है। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे विपरीत लिंग पर पहली निगाह का पड़ना और इसी पहली नज़र में उसका अच्छा लग जाना, जब एक सहाबी ने नबी (सल्ल.) से किसी औरत पर अचानक पड़ जाने वाली नज़र के बारे में पूछा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमायाः ''तुम अपनी निगाह फेर लो''। आप का यह भी इरशाद है। तुम्हें पहली निगाह का अधिकार प्राप्त है लेकिन दूसरी निगाह का अधिकार नहीं है। अतः जिस तरह अल्लाह ने प्रत्येक मर्द व औरत को अचानक पड़ जाने वाली नज़र के माध्यम से परीक्षा ली है और औरत पर चेहरे का परदा अनिवार्य करके उसके समाने सभी दरवाज़े बन्द नहीं किये हैं इसी तरह अल्लाह ताअला ने मर्द व औरत को मुलाक़ात के समय पैदा होने वाली प्रेम की भावनाओं और एहसानों के माध्यम से परीक्षा ली है। और सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी पर प्रतिबन्ध लगाकर उसके सामने जीवन के सभी दरवाज़े बन्द नहीं किये हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस परीक्षा के माध्यम से शरीअत का उद्देश्य यह है कि मोमिन मर्द

व औरत को वैध उद्‌देश्यों की प्राप्ति और दुनिया के बेहतरीन निर्माण के लिये सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

(घ) जहां तक विरोधियों के इस कथन का सम्बन्ध है कि फ़ितनें के दरवाज़े को बन्द कर देना ही विवेकपूर्ण बात है। तो पाठक से हमारा निवेदन है कि वह इस सिलसिले में इस भाग के तीसरे अध्याय का अध्ययन करे। वह अध्याय माध्यम को रोकने के लागू करने में अति करने से सम्बन्धित है। हम यहां इब्नुल अरबी का एक वाक्य जो उन्होंने अपनी किताब ''किताबुल अहकाम में लिखा है'' नक्ल करते हैं हर वह काम जिसके करने के सिलसिले में सन्देह हो और उसे अल्लाह ने करने वाले की अमानत व नीयत पर छोड़ दिया हो तो उसके सिलसिले में यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि यह काम करने वाले को अवैध मामले तक पहुंचा सकता है। अतः ये काम ही न किया जाये।

(च) हम यहां विरोधियों के एक ऐसे विचार को बयान कर हे हैं जो प्राकृतिक झुकाव से सम्बन्धित उनके विचार से टकराता है जब इन विरोधियों से यह कहा जाता है कि ज़माना बहुत ख़राब है लोगों के चरित्र बिगड़ चुके हैं। अतः तलाक़ देने और एक से अधिक शादियां करने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये या ऐसे क़ानून बनाये जाने चाहिये कि तलाक़ और एक से अधिक शादियेां का रास्ता आसान न रह जाये। तो इस पर ये लोग कहते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे अवैध ठहरा सकते हैं जिनका दरवाज़ा अल्लाह ने लोगों के लिये खुला रखा है वह ये भी कहते हैं कि इस तरह की कमियों का उपचार यह नहीं है कि इन चीज़ों को हराम ठहराया जाये। बल्कि शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से ही इसका उपचार किया जा सकता है।

विरोधी यहां अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करने और अल्लाह की तरफ़ से फैले हुए मैदानों को संकरा करने का इन्कार क्यों करते हैं। वह क्यों ये समझते हैं कि इसका बेहतरीन इलाज शिक्षा और प्रशिक्षण में निहित है। हालांकि वह इन्हीं बातों को उस वक़्त भुला देते हैं जब नैतिक मूल्यों में बिगाड़ के कारण लोग सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्द से उसकी मुलाक़ात के शिष्टाचारों को लागू करने में कोताही बरतते हैं। अर्थात ये लोग ज़माने की ख़राबी का दावा करके अल्लाह की हलाल की हुई बातों अर्थात सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी मर्द से उसकी मुलाक़ात और चेहरा खुला रखने को क्यों हराम ठहराते हैं। वह क्यों इन कमियों का इलाज भी क्षिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं करते।

तलाक़ और एक से अधिक शादियों को अल्लाह तआला ने वैध ठहराया है इसी तरह अल्लाह तआला ने औरत को अपना चेहरा खुला रखने और सामाजिक जीवन में भाग लेने की भी अनुमति दी है। अतः यदि तलाक़ और एक से अधिक शादियों पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण लोगों को परेशानी में पड़ने की आशंका है तो इसी तरह चेहरे को न खोलने देने और सामाजिक जीवन में औरत को भाग न लेने देने और मर्द से मुलाक़ात की अनुमति न देने से भी लोगों को परेशानी का सामना करने की आशंका है।

हमारा विचार है कि अल्लाह की शरीअत के अनुसार अमल करना ही ठीक बात है और विवेकपूर्ण बात यह है कि शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से ही कमियों का उपचार किया जाये।

पांचवा कथनः

विरोधियों का कहना है कि हमारे प्रतिष्ठित उलमा उन दलीलों से अनभिज्ञ नहीं थे जिनमें औरत की मर्द से मुलाक़ात को वैध ठहराया गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है तो उन्होंने मुलाक़ात की इस राह को संकरा कर दिया। हालांकि नबी (सल्ल.) और सहाबा के ज़माने में ये राह विस्तृत थी। विरोधी यह भी कहते हैं कि हमारा यह विचार है कि इस विषय को पश्चिमी समाजों से प्रभावित होने के कारण उभारा गया है। जहां औरत जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से मर्दो से मुलाक़ात करती है हम इस सिलसिले में निम्नलिखित ढंग से उत्तर देते हैं।

(क) हम भी प्रतिष्ठित उलमा का आदर करते हैं हमारे ऊपर और आने वाली नस्लों पर उनके जो एहसान हैं उन्हें स्वीकार करते हैं उनका यह एहसान है कि उन्होंने अपने किसी समकालीन या बाद में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया कि वह उनके विचारों से मतभेद नहीं कर सकता। सदैव कुरआन व सुन्नत की दलीलों पर ही भरोसा किया जाता है। लोगों के कथनों पर भरोसा नहीं किया जाता लोगों के कथनों की हैसियत वह है जो इमाम मालिक बिन अनस ने कही थी। ''प्रत्येक व्यक्ति की बात स्वीकार भी की जाती है और

निरस्त भी की जाती है। सिवाय उस क़ब्र वाले के (अर्थात नबी के)।

(ख) जहां तक विरोधियों का यह कहना है कि ज़माने की ख़राबी ऐसी चीज़ों का दायरा संकरा करने में प्रभावी होती है जिनका दायरा नबवी युग में विस्तृत था तो इन्शा अल्लाह इसका उत्तर इस भाग के तीसरे अध्याय में आयेगा।

(ग) विरोधी लोग यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित होने का आरोप लगाते हैं। इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके बन्दों के दिलों में क्या है। बन्दों की नज़रे पश्चिमी सभ्यता से मुग्ध हो गई हैं या फिर इस सिलसिले में नबी (सल्ल.) की सुन्नत से अवगत होने के बाद उनके दिलों ने उन्हें झिझोड़ डाला है। पश्चिमी सभ्यता के उल्लेख पर हमें अल्लामा इब्ने तैमिया की एक बात याद आ गई जिसे हम यहां बयान करते हैं। यहां वार्ता इस सिलसिले में है कि हमें उन मामलों में ''किताब वालो'' की समानता अपनाने से मना किया गया है जिनको उम्मत के असलाफ़(पूर्वजों) ने नहीं अपनाया था। हां जिन मामलों का हमारे पूर्वजों ने चुनाव किया था उन्हें करने या न करने का हमें अधिकार प्राप्त है। अल्लाह तआला ने हमें जिन मामलों को पूरा कनने का आदेश दिया है। हम उन्हें मात्र इस वजह से नहीं छोड़

सकते कि उन्हें काफ़िर भी करते हैं अल्लाह तआला ने जिन ऐसे मामलों का आदेश दिया है जिन्हें ग़ैर मुस्लिम भी करते हैं उनमें कुछ न कुछ ऐसा बदलाव आवश्यक है जिसके आधार पर इस्लाम दूसरे निरस्त किये जा चुके धर्मों से भिन्न हो जाता है।

इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ने बिल्कुल उचित कहा है ''शरीअत ने सामाजिक क्षेत्र में औरत की भागीदारी के लिए बहुत सारे ऊँचे शिष्टाचार निर्धारित किये हैं जिनके आधार पर मुसलमान औरत की सामाजिक जीवन में भागीदारी पश्चिमी औरत की भागीदारी से भिन्न हो जाती है।

छठा कथनः

विरोधियों का यह कहना है कि बहुत सी क़ुरआन व सुन्नत की दलीलों में इस बात का उल्लेख है कि औरत का मर्द से मिलना वैध है लेकिन उलमा का यह कहना है कि ये सारी घटनायें परदा अनिवार्य होने से पहले की है।

चूंकि बहुत सी कुरआन व सुन्नत की दलीलों को निरस्त करने के पक्ष में यह दलील बार–बार दी जाती है इसलिए हमने उपयुक्त समझा कि इस भाग के दूसरे अध्याय में इस सिलसिले में अलग से वार्ता की जाये कि परदा मात्र नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के लिये विशेष था। मैंने इस मसले पर अलग से बहस इसलिये की है ताकि पूरे विस्तार से विरोधियों के कथन पर बहस की जा सके।

सातवां कथनः

विरोधियों का कहना है कि बहुत सी हदीसों के बारे में उलमा का कहना है कि उनसे औरतों से मर्दों की मुलाक़ात के शरई तौर पर वैध होना सिद्ध होता है लेकिन उलमा का विचार यह है कि चूंकि ज़माना ख़राब हो गया है इस लिए 'बुराई को रोकने के माध्यम' पर एक अलग अध्याय में बहस की जाये।

अध्याय–2

सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी का विरोध करने वालों और परदे के नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के लिये विशेष होने का विरोध करने वालों के साथ एक वार्ताः

भूमिकाः

प्रथमः परदा के अर्थ का निर्धारणः कुरआन करीम में परदे का उल्लेख इस आयत में आया है नबी की बीवियो से यदि तुम्हें कुछ माँगना हो तो परदे के पीछे से माँगा करो (सूरह अहजाब 53)

अहजाब से तात्पर्य वह परदा है जिसके पीछे परदे वाली महिला बैठती है। परदा करने का अर्थ यह है कि अजनबी मर्दों को नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों से एक परदे के पीछे से इस तरह बात करना चाहिये कि उन्हें उनका व्यक्तित्व दिखाई न दे। नबी (सल्ल) को महत्वपूर्ण आवश्यकता पर घर से निकलने की भी अनुमति दी गई थी। घर से निकलते समय उनके लिये आवश्यक था कि वह पूरे शरीर को ढकने के साथ–साथ अपने चेहरे को भी ढके अतः परदा करने के वास्तविक अर्थ ये हुए कि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को बिना किसी परदे के अजनबी मर्दों से बात करने से रोका जाये। औरत को मर्दों की निगाहों से उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह दूर रखा जाये। घर से किसी आश्यकता के समय निकलते समय पूर शरीर और चेहरे को ढंकना उस परदे का विकल्प है जिसका अभी हमने उल्लेख किया। इस तरह परदे के दो रूप हो जाते हैं एक वास्तविक रूप जो घर के अन्दर से सम्बधित है अर्थात अजनबी मर्दों से परदे के पीछे से बात करना और एक उसका घर से बाहर का परदा है अर्थात पूरे शरीर और चेहरे को ढँकना।

हम यहां पर परदे के मात्र वास्तविक रूप पर बहस करेंगे क्योंकि इस रूप का महत्व औरत की मुलाक़ात के बिषय से गहरा सम्बन्ध है।

घर से बाहर निकलने के रूप का बयान इन्शा अल्लाह औरत के चेहरा खोलने की वैधता पर वार्ता के दौरान आयेगा, हम निम्नलिखित में कुरआन व हदीस से कुछ ऐसी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे बात की पुष्टि होती है कि परदे का वास्तविक अर्थ नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के व्यक्तित्व को परदे में रखना है।

सूरह अहज़ाब की आयत 53 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नबी की पाक बीवियों से सवाल व जवाब परदे के पीछे से होना चाहिए परदे की माँग ही ये है कि व्यक्तित्व को छिपा दिया जाये। फिर इस आयत में यह बात कही गई है कि परदे के पीछे

से बात करना तुम्हारे दिलों की शुद्धता के लिये भी उपयुक्त तरीक़ा है क्योकि तुम उन्हें देखते नहीं और ये नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों की पवित्रता के लिये भी उपयुक्त तरीक़ा है क्योंकि वह तम्हे नहीं देखतीं, और ये स्थिति उसी समय हो सकती है जब प्रत्येक का व्यक्त्वि परदे में हो। जहां तक मात्र शरीर को छिपा लेने का सम्बन्ध है तो उसमें मर्द तो औरतों को नहीं देख पाते लेकिन औरतें तो मर्दों को देख लेती हैं। उपयुक्त आयत की व्याख्या में इमाम तबरी (रह.) लिखते हैं। ये रूप तुम्हारे और उनके दिलों के उन विचारों से पवित्रता का उपयुक्त तरीक़ा है जो मर्दों के दिलों में औरतों के सम्बन्ध में और औरतों के दिलों में मर्दों के सम्बन्ध में आ जाते हैं। इस तरह शैतान तुम्हें या उन्हें भटकाने का कोई रास्ता नहीं पा सकता।

हज़रत अनस बिन मलिक(रज़ि) फ़रमाते हैं कि इस परदे की आयत का सबसे अधिक जानकारी रखने वाला हूं जब हज़रत ज़ैनब नबी (सल्ल.) को प्रस्तुत की गई और आप ने उनसे शादी कर ली वह आपके साथ आपके घर में ही थीं नबी (सल्ल.) ने खाना बनवाया और लोगों को दावत दी। कुछ लोग आपके घर में बैठकर बातें करने लगे। मुस्लिम की एक रिवायत में है। और नबी (सल्ल.) की बीवी अपना चेहरा दीवार की तरफ़ फेरे हुए थीं। नबी (सल्ल.) घर से बार–बार बाहर जाते और जब वापस आते हमेंशा उन लोगों को बातें करते हुए पाते, उस अवसर पर अल्लाह तआला ने परदे की आयत उतारी। अतः परदा गिरा दिया गया और लोग उठ खड़े हुए। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यदि परदे का अर्थ मात्र शरीर को ढकना ही होता तो हज़रत ज़ैनब पहले ही से अपना चेहरा दीवार की तरफ़ किये हुए बैठी थीं और यदि उनका चेहरा खुला हुआ था तो नबी (सल्ल.) उन्हें चेहरा ढंक लेने का आदेश दे देते, इस तरह परदा गिराने और हज़रत अनस को अन्दर जाने से मना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि परदा अनिवार्य होने के बाद हज़रत सौदा शौच के लिये गईं, वह बहुत भारी भरकम महिला थीं। जो उनको जानता था उससे वह छिप नहीं सकती थीं। हज़रत उमर ने उन्हें देख लिया। और आवाज दी। ऐ सौदा! अल्लाह की क़सम आप हमसे छिप नहीं सकतीं अतः आप सोचिये कि आपको किस तरह बाहर निकलना है? (बुख़ारी व मुस्लिम)

यदि परदे का अर्थ शरीर को ढांकना ही होता तो क्या यह बात हज़रत उमर रज़ि. से छिपी रह जाती। हालाँकि वह स्वयं ही नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के परदे का परामर्श देने वाले है। हज़रत उमर रजि ने हज़रत सौदा से निकलने पर इसलिये आपत्ति प्रकट की क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि तमाम हालतों में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को परदे में रखना अनिवार्य है। अतः 'वह्य' उतरी और उसमें बताया गया कि यदि नबी करीम (सल्ल.) की बीवियां किसी आवश्यकता के लिये घर से निकलती हैं तो उस समय उनको परदे में रखना अनिवार्य नहीं है। यदि हम ये मान लें कि हज़रत उमर पर परदे का उपर्युक्त अर्थ छिपा रह गया तो क्या नबी करीम (सल्ल.) से भी वह अर्थ छिपा था? या बात यह थी कि नबी करीम (सल्ल.) समझते थे कि हज़रत उमर के इस आपत्ति

का कोई कारण है यह बात सोचनीय थी। यहां तक कि 'वह्य' उतरी और नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम (नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों) को आवश्यकता पड़ने पर घर से निकलने की अनुमति दी गई है।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने खैबर और मदीने के बीच में तीन दिन पड़ाव किया। इस बीच आप (सल्ल.) ने हज़रत सफिया बिन्ते हुययै से शादी की.................... मुसलमानों ने कहा कि क्या ये भी नबी की पाक बीवियों में से एक है या आप (सल्ल.) की दासी है? कुछ सहाबा ने कहा कि यदि आप (सल्ल.) उन्हें परदे में रखते हैं तो यह भी आप (सल्ल.) की बीवी हैं और यदि आप (सल्ल.) इनको परदे में नहीं रखते हैं तो फिर यह दासी है..................... जब आप (सल्ल.) ने कूच किया तो अपने पीछे उनके लिये जगह बनायी और उनके और लोगों के बीच परदा डाल दिया।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

जब हज़रत सफिया (रज़ि.) घर से निकलीं और तमाम सहाबा की मौजूदगी में सवारी पर सवार हुईं तो उस समय पूरी तरह उनका शरीर ढका हुआ था। फिर सहाबा के यह कहने का क्या कारण था कि ''यदि आप (सल्ल.) उन्हें परदे में रखते हैं तो फिर यह भी आप (सल्ल.) की बीवी हैं? और क्या आवश्यकता थी कि नबी (सल्ल.) ने उनके और लोगों के बीच परदा डाल दिया? इससे तो यह पता चलता है कि परदे का अर्थ शरीर को ढकने से अधिक कुछ और भी है। हमने हदीसों की महत्वूर्ण किताबों की एक–एक हदीस का परीक्षण किया तो हमारी निगाहों के सामने से एक भी ऐसी हदीस नहीं गुज़री जिससे पता चलता हो कि नबी करीम (सल्ल.) की बीवियाँ मर्दों को नबी करीम (सल्ल) की हदीसो को सुनाते समय केवल अपने शरीर को ढ़ाके रहती थीं। बल्कि सभी में इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को परदे में रखा था।

द्वितीयः परदे की आयत उतरने की तिथिः वरीयता प्राप्त कथन के अनुसार परदे की आयत ज़िल कअदः 5 हिजरी में उतरी, अत्तबक़ातुल कुब्रा के लेखक ने यही लिखा है। मैंने निम्न में ऐसी ही दलीलें प्रस्तुत की हैं जो पाँच हिजरी के बाद की हैं। यह इसलिये किया है ताकि पता चल जाये कि परदा (अपने वास्तविक अर्थ के अनुसार) नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के अतिरिक्त किसी और पर अनिवार्य (फ़र्ज़) नहीं किया गया। सामान्य सहाबी महिलाओं ने भी उनके अनुकरण में परदा नहीं किया। क्योंकि वह जानती थीं कि परदे का आदेश केवल नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ ही विशेष है और इस विशेष मसले में उनके अनुकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।

नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ परदे के विशेष होने की दलीलें:

पहली दलील:

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''ऐ लोगों जो ईमान लाये हो। नबी के घरों में बिना अनुमति के न चले आया करो। न खाने के समय देखते रहो, हॉं यदि तुम्हें खाने घर बुलाया जाये तो चले जाओं बातें करने में न लगे रहो, तुम्हारी ये हरकतें नबी करीम (सल्ल.) को कष्ट देती हैं। परन्तु वह संकोच के कारण कुछ नहीं कहते और अल्लाह तआला सच्ची बात कहने में नहीं शर्माता, नबी की पाक बीवियों से यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से मॉगा करो। यह तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिये अधिक अनुकूल है। तुम्हारे लिये कदापि वैध नहीं कि अल्लाह के रसूल को कष्ट दो और न ये वैध है कि उनकी बीवियों से उनके बाद निकाह करो। यह अल्लाह के यहां बहुत बड़ा गुनाह है।'' (सूर : अहज़ाब–53)

इस आयत में स्पष्ट रूप से नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों और उनके घरों का उल्लेख है। यहां सामान्य मुसलमानों की पाक बीवियों और उनके घरों का उल्लेख नहीं है।

क़ुरआन की इमाम तबरी की व्याख्या में आयत ''न उनके लिये अपने बापों के सामने होने में कोई दोष है और न अपने बेटों, न अपने भाइयों न अपने भतीजो न अपने भांजों न अपने स्तर की स्त्रियों और न जिन पर उन्हें स्थापित का अधिकार प्राप्त हो। उनके सामने होने में अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह हर चीज़ का गवाह हैं (सूरहअहज़ाब–55) की व्याख्या इस तरह की गई है कि ''अल्लाह इस आयत में फ़रमाता है कि नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों पर अपने बेटो के सिलसिल में कोई दोष नहीं है...................... इन दोनों कथनों में सबसे अधिक सही कथन यह है कि वह उन लोगों से जिनका उल्लेख उपर्युक्त आयत में है परदा न करें। इस अर्थ के अधिक उचित

होने की दलील यह है कि यह आयत परदे वाली आयत के बाद आयी है''

इस तरह हमने देखा कि अल्लाह तआला ने उपर्युक्त आयत के माध्यम से नबी की पाक बीवियों के महरमों को परदे के आदेश से अलग कर दिया। जबकि दूसरी तरफ़ अल्लाह ताअला ने सामान्य मोमिनों की पाक बीवियों के महरमों को बनाव सिंगार करवाने की छूट दे दी है। अतः अल्लाह तआला फ़रमाता है ''और अपना श्रृगार किसी पर प्रकट न करे सिवाय अपने पतियों के या अपने वापों के या अपने पतियों के बापों के''

(सूरह नूर–31)

बग्वी की तफ्सीर में आयत ''नबी की पाक बीवियों से यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से मांगा करो'' की इस तरह व्याख्या की गई है कि ''इस आयत में यह कहा गया है कि जब तुम्हें नबी की पाक बीवियों से कोई सामान मांगना हो तो परदे के पीछे से मांगा करो। इस परदे की आयत उतरने के बाद कोई भी व्यक्ति नबी करीम (सल्ल.) की किसी भी बीवी को देख नहीं सकता था चाहे वह नक़ाब ओढ़े हो या नकाब न ओढे हो''।

दूसरी दलीलः परदा फ़र्ज़ होने की भूमिकायेंः

हज़रत उमर का नबी करीम (सल्ल.) को अपनी बीवियों को परदे में रखने का परामर्श देनाः हज़रत उमर रज़ि. फ़रमाते हैं.................... मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आपके

पास अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते हैं। आप अपनी बीवियों को परदे में रहने का आदेश क्यों नहीं देते फिर अल्लाह तआला ने परदे वाली आयत उतार दी। (बुख़ारी)

इस हदीस में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि हज़रत उमर ने नबी करीम (सल्ल.) से यह कहा कि ''आप अपनी बीवियों को परदे में रहने का आदेश दें'' उन्होंने यह नहीं कहा कि ''आप (सल्ल.) सामान्य मोमिन महिलाओं को परदे में रहने का आदेश दें'' ऐसा इसलिये हुआ हज़रत उमर को यह बात बुरी लगी कि तमाम मर्द नबी की पाक बीवियों को देखें चूंकि नबी करीम (सल्ल.) के पास अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आया करते थे और ऐसा इसलिये था कयोंकि नबी करीम (सल्ल.) अल्लाह के सन्देष्टा और प्रचारक थे। अतः आप तक सामान्य मुसलमानों के घरों का सम्बन्ध है तो वहां केवल दोस्त, रिश्तेदार और कुछ दूसरे भरोसेमंद लोग ही आया करते हैं।

हज़रत उमर (रज़ि.) के प्रस्ताव और परदे के मसले पर उनका सुझाव

हज़रत उमर (रज़ि) फ़रमाते हैं कि मैंने तीन बातों में अल्लाह को अपने वाप के अनुकूल झुकाव दिया है या उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने तीन बातों में मेरे सुझाव के अनुसार 'वह्य' उतारा है। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आप मक़ामे इब्राहीम को 'मुसल्ला' (नमाज़ का स्थान) क्यों नहीं बना लेते, और मैंने कहा । ऐ अल्लाह के रसूल आप के पास अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते हैं। आप (सल्ल.) अपनी बीवियों को परदे में रहने का आदेश क्यों नहीं दे देते। अतः अल्लाह ने परदे की आयत उतारी, हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे पता चला कि नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी कुछ बीवियों को बुरा भला कहा है। अतः मैं आपकी बीवियों के पास गया और उनसे कहा या तो आप लोग सुधर जायें, अन्यथा फिर अल्लाह और उसका रसूल आपकी जगह आपसे बेहतर महिलाओं को चुन लेंगे। यहां तक कि नबी (सल्ल.) की एक बीवी आई और कहा ऐ उमर, क्या नबी करीम (सल्ल़) के पास अपनी बीवियों को नसीहत करने के लिये कुछ नहीं है कि आप नसीहत के लिये चले आयें, उस समय अल्लाह ने यह आयत उतारी ''इसकी बहुत आशंका है कि यदि वह तुम्हें तलाक़ दे दे तो उसका रब तुम्हारे बदले में तुमसे अच्छी पत्नियाँ इसे प्रदान करें – मुस्लिम ईमान वाली............(बुख़ारी)

हज़रत उमर (रजि,) के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि वह सामान्य रूप से मुसलमानों के मामलों से सम्बन्धित थी। अतः उनका प्रस्ताव मकामें इब्राहीम को मुसल्ला बनाने, बद्र के कैदियों को क़त्ल करने मुनाफिकों की जनाज़े की नमाज़ न पढ़ने से सम्बन्धित था। उनका चौथा प्रस्ताव नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों (जिनमें एक स्वयं उनकी बेटी हज़रत हफ़्सा भी थी) की भलाई चाहने से सम्बन्धित था। हज़रत उमर रज़ि. का परदे से सम्बन्धित प्रस्ताव नबी करीम (सल्ल.) के विशेष मामलों से सम्बन्धित थी। इसलिए ऐसी व्यवस्था करना बिल्कुल प्राकृतिक बात थी जिसके माध्यम से नबी की पाक बीवियों के लिये सतीत्व और सम्मान को निश्चित बनाया जा सके और इसके साथ–साथ जो एक सज्जन पुरूष के आत्मसम्मान से अनुकूलता रखते हों, इसके लिये किसी 'वह्य' की प्रतीक्षा या

हज़रत उमर (रज़ि.) के सुझाव की आवश्यकता नहीं थी। अतः यदि मामला ऐसा ही था और बिना परदे के रहने से सतीत्व और सम्मान पर ऑच आती थी तो फिर नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी बीवियों को परदे का आदेश देने में जल्दी क्यों नहीं की? इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत उमर के प्रस्ताव को शीघ्र ही क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? वास्तव में यदि मर्द औरतों से गंभीरता और सम्मान के साथ मिलते हैं तो उसे नबी करीम (सल्ल.) ने आत्मसम्मान और रियायत के प्रतिकूल नहीं समझा, नबी करीम (सल्ल.) ने एक बार फ़रमाया 'क्या तुम लोगों को सअ़द के आत्मसम्मान पर आश्चर्य होता है। अल्लाह की क़सम मैं उससे अधिक आत्मसम्मान वाला हूं और अल्लाह मुझसे भी अधिक आत्मसम्मान वाला है। इसी तरह नबी करीम(सल्ल.)ने इसे औरत के सतीत्व और आत्मसम्मान के प्रतिकूल भी नहीं समझा और नहीं ही उसके सम्मान के लिये इसे खतरा समझा,अर्थात मदीने के समाज में इसके सिलसिले में उस समय जो रीति रिवाज क़ायम थे उसे नबी करीम (सल्ल.) सही समझते थे।

अतः उन्होंने उसके विरोध की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। नबी करीम (सल्ल.) ये नहीं समझते थे कि सामान्य परिस्थितियों में भी परदा करना औरत के लिये पूरी तरह आदर व सम्मान की बात है। औरत को आदर सम्मान तो गंभीरता और प्रतिष्ठा के अनुसार रहने, दुपट्टा ओढ़ने और पूरे शरीर को ढ़कने वाला कपड़ा पहनने में है। जैसा कि अल्लाह ने उसके लिये वैध किया है। लेकिन हज़रत उमर का यह विचार था कि नबी करीम (सल्ल.) के घर में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते है इसके साथ–साथ उनकी यह भी इच्छा थी कि वह नबी की पाक बीवियों को सामान्य मोमिन महिलाओ से अलग कर दें। अतः वह इस विशेषता के लिये बार–बार कहते। लेकिन नबी करीम (सल्ल.) इस विशेषता से दूर रहे, क्योंकि आप (सल्ल.) सहाबा और उनकी बीवियों से अपनी बीवियों को विशेष बनाने को नापसंद फ़रमाते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि आप(सल्ल)को बहुत अधिक कष्ट पहुंचने लगा और विशेष स्थान देने के कारण पैदा होने लगे। क्योंकि आपका घर बहुत छोटा था और आप (सल्ल.) के पास जाने का अर्थ आप (सल्ल.) की पाक बीवियों को देखना और उनसे मिलना भी था। इसके साथ–साथ लोग वहां जाकर बहुत देर तक बैठते और बातें करते रहते जिससे घर वालों को कष्ट होता था। विशेषतः सबसे अधिक कष्टदायक बात तो यह थी कि कुछ लोगों ने खुले तौर पर यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि वह आप (सल्ल.) की मौत के बाद आपकी किसी एक बीवी से शादी करेंगे, हालांकि अल्लाह तआला ने आप (सल्ल.) की पवित्र बीवियों को सभी मोमिनों की माओं का दर्जा दिया था। अतः अल्लाह तआला ने कष्ट की उन तमाम रूपों को समाप्त कर दिया और नबी (सल्ल.) के परिवार की रक्षा की। बल्कि तमाम मोमिनों के घरों के मुक़ाबले अल्लाह ने आप (सल्ल.) को एक विशेष स्थान प्रदान किया। अतः अल्लाह तआला ने एक आयत उतारी जिसकें निम्नलिखित शिष्टाचार बयान किये गयेः

(क) ''नबी के घरों में बिना अनुमति न चले आया करो न खाने के समय देखते रहो, हां यदि तुम्हें खाने पर बुलाया जाये तो अवश्य आओ''।

(ख) ''परन्तु जब खाना खा लो तो चले जाओ''।

(ग) ''नबी की पाक बीवियों से यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से मांगा करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिये अधिक अनुकूल है''।

(घ) तुम्हारे लिये यह कदापि वैध नहीं कि अल्लाह के रसूल को कष्ट दो और न ये वैध है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो। यह अल्लाह के यहां बहुत बड़ा गुनाह है''।

हज़रत उमर (रज़ि.) के सुझाव पर वार्ता को समाप्त करने से पहले हम यहां कुछ टिप्पणियां करना चाहते हैः

पहली टिप्पणीः

हज़रत उमर बहुत अधिक आत्मसम्मान वाले थे इसकी पुष्टि निम्न की दो हदीसो से होती हैः

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर की एक बीवी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से अदा किया करती थी। उनसे एक सहाबी ने कहा कि आपको पता है हज़रत उमर (रज़ि.) आपके मस्जिद जाने को नापसन्द करते हैं और उनको अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है फिर भी आप क्यों मस्जिद जाया करती हैं? यह सुनकर उन्होंने कहा कि वह मुझे स्वयं क्यों नहीं रोकते? सहाबी ने कहा वास्तव में वह आपको इसलिये नहीं रोकते क्योंकि नबी करीम (सल्ल.) का यह कथन है कि ''अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद से मत रोको''। (बुख़ारी)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोंग नबी (सल्ल.) के पास थे आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं सोया हुआ था कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में हूं और देखा कि एक महल के एक कोने में एक औरत वुज़ू कर रही है। मैंने पूछा यह महल किसका है? मुझे बताया गया कि यह महल उमर बिन ख़त्ताब का है। मुझे उनका आत्मसम्मान याद आ गया अतः मैंने उधर से अपना चेहरा फेर लिया। यह सुनकर हज़रत उमर रोने लगे। और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में आपसे आत्मसम्मान प्रकट करूंगा?

(बुख़ारी, मुस्लिम)

दूसरी टिप्पणीः

नबी करीम (सल्ल.) सन्तुलित आत्मसम्मान वाले थे। सन्तुलन में आप (सल्ल.) का आत्मसम्मान पूर्णता के दर्जे को पहुंचा हुआ था और आपके आचरण से अत्यन्त अनुकूल था।

तीसरी टिप्पणीः

नबी करीम (सल्ल.) का सन्तुलित आत्मसम्मान अपनी बीवियों के सिलसिले में उनके परदा न करने से ख़ुश था यहां तक कि 'वह्य' उतरी और उसमें उनके लिये परदा अनिवार्य कर दिया गया। ताकिं नबी करीम (सल्ल.) को पहुंचने वाला हर कष्ट समाप्त हो जाये और नबी करीम (सल्ल.) का सन्तुलित आत्मसम्मान सामान्य मोमिन महिलाओ के परदा न करने पर ख़ुश था। अतः नबी करीम (सल्ल.) ज़िन्दगी भर मोमिन महिलाओं को देखते रहे और विभिन्न अवसरों पर आप (सल्ल.) और सहाबा उनसे मिलते रहे, यदि मामला ऐसा ही था तो हम यह फ़ैसला कर सकते हैं कि विभिन्न हितों के लिये सामान्य महिलाओं का मर्दों से बिना परदा के मिलना वैध है। और यह उस समय तक वैध है जब तक कोई ऐसी चीज न पाई जाए जो इस वैधता को (कराहते तन्जीही) बल्कि नापसंदीदा या (कराहते तहरीमी) भारी और गंभीर नापसंदीदा के दर्जे तक पहुंचा देती हो।

तीसरी दलीलः

बुख़ारी और मुस्लिम में परदे के नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष होने की दलीलें पहलीः नबवी युगः हज़रत सअद बिन अबी वक्कास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (सल्ल.) के पास आने की अनुमति मांगी, उस समय आप (सल्ल.) के पास कुरैश की कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रहीं थीं। और तेज़–तेज़ आवाज में बातें कर रही थी। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने आने की अनुमति मांगी तो सब उठ कर भाग गई। और जल्दी से परदे में चली गईं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) फ़रमाते हैं कि इस हदीस में कुरैश की जिन औरतों का उल्लेख है वे आप (सल्ल.) की बीवियां थीं।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) को हज़रत इब्ने हारिसा (रज़ि.) हज़रत जाफर और हज़रत इब्ने रवाहः के शहीद हो जाने की सूचना मिली तो आप (सल्ल.) बैठ गये। और आप के चेहरे से चिन्ता प्रकट हो रही थी। मैं यह सब दरवाज़े के सुराख से देख रही थी................(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) तीन दिन तक नहीं निकल सके। नमाज़ खडी हो गई हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने के लिये आगे बढ़ने लगे। नबी करीम (सल्ल.) ने परदा उठाने का आदेश दिया। अतः उसे उठा दिया गया। जब नबी करीम (सल्ल.) का चेहरा दिखाई देने लगा तो हमने नबी करीम (सल्ल.) के चेहरे से अधिक कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं देखी, फिर नबी करीम (सल्ल.) ने अपने हाथ से हज़रत अबू बक्र को आगे बढ़ने का इशारा दिया। फिर आप (सल्ल.) ने परदा गिरा दिया। इसके बाद आप अपनी मौत तक नमाज़ नहीं पढ़ा सके। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी की पाक बीवियों के पास एक हिजड़ा आया करता था। वह उसे उन व्यक्तियों में नहीं गिनती थी जिन्हें स्त्री की आवश्यकता हो. .... नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मेरा विचार है कि जो यहां है उसे वह जानता

है। अतः अब वह कभी भी तुम्हारे पास न आये। हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि फिर नबी की बीवियां उससे परदे में रहने लगी। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि उध ार से नबी करीम (सल्ल.) गुज़रे मुझे इशारे से बुलाया अतः मैं आप (सल्ल.) के पास गया। आप (सल्ल.) ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हम चल पड़े यहां तक कि आप (सल्ल) अपनी एक बीवी के घर में चले गये। फिर मुझे अन्दर आने की अनुमति दी। अतः मैं भी अन्दर आ गया। वहा मैंने आप (सल्ल.) की बीवी को परदे में पाया.... (मुस्लिम)

दूसराः सहाबा का युगः हज़रत मस्रूक़ कहते हैं कि वह हज़रत आयशा (रज़ि.) कि पास गये और उनसे कहा। ऐ उम्मुल मोमिनीन एक आदमी अपनी कुरबानी का जानवर कअ़बा भेज देता है और स्वयं मिस्र में रह जाता है और यह आदेश ज़ोर देकर देता है कि उसके कुरबानी का जानवर की 'तक़लीद' दी जाये क्या वह उस दिन से उस वक़्त तक महरम रहता है? जब तक कि लोग अपना एहराम न उतार दें, वह कहते हैं कि इस पर मैंने परदे के पीछे से हज़रत आयशा के ताली बजाने की आवाज सुनी, उन्होंने कहा मैं नबीर(सल्ल) के कुरबानी के जानवरों के क़लादों को बट दिया करती थी। फिर आप उन्हें कअ़बा भेजते थे और आपके ऊपर लोगों के वापस आने तक कोई भी ऐसी चीज़ हराम नहीं होती थी जो दूसरे लोगों के लिये हलाल थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत औफ बिन तुफ़ैल फ़रमाते हैं। हज़रत मिस्वर और अब्दुर्रहमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को अपनी चादर में लपेटे हुए आये और हज़रत आयशा से अन्दर आने की अनुमति मांगी और कहा अस्सलाम, अलैक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हम अन्दर आ सकते हैं? हज़रत आयशा ने कहा आ जाओ, उन्होंने कहा। क्या हम सब आ जाऐं, हज़रत आयशा रज़ि. ने कहा हां, तुम सब आ जाओ, वह नहीं जानती थीं कि उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी हैं जब वह अन्दर गये तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर परदे के पीछे चले गये। (बुख़ारी)

इब्ने जुरैह कहते हैं कि हमें अता ने बताया कि जब इब्ने हश्शाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से रोका तो उन्होंने उनसे कहा कि आप औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से कैसे रोक सकते हैं हालांकि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों ने मर्दों के साथ तवाफ़ (तवाफ़) किया है। मैंने पूछा नबी (सल्ल.) की बीवियां परदा फ़र्ज़ होने से पहले मर्दों के साथ तवाफ़ करती थीं या बाद में उन्होंने कहा कि अल्लाह की क़सम मेरी जानकारी के अनुसार परदा फ़र्ज़ होने के बाद भी वह मर्दों के साथ तवाफ़ करती थीं। मैं और उबैद बिन उमैर हज़रत आयशा के पास जाया करते थे। उस वक़्त वह 'शहीर' पहाड़ पर पड़ाव डाले थीं। मैंने पूछा उनका परदा क्या था। उन्होंने कहा वह एक तुर्की कुब्बा में थीं जिस पर एक परदा पड़ा था हमारे और उनके बीच इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मैंने उनके ऊपर एक लाल रंग की कमीज़ भी देखी थी। (बुख़ारी)

हज़रत सअ़द बिन हश्शाम बिन आमिर फ़रमाते हैं हम हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गये और उनसे अन्दर आने की अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दे दी। अतः हम लोग अन्दर गये।

हज़रत आयशा ने कहा क्या हकीम हैं? उन्होंने कहा हां, हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा तुम्हारे साथ कौन हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ सअ़द बिन हश्शाम हैं। उन्होंने पूछा कौन हरशाम? उन्होंने जवाब दिया आमिर के बेटे, यह सुनकर हज़रत आयशा (रज़ि.) ने हश्शाम के लिये कृपा की दुआ की और उनके बारे में अच्छी बातें कहीं।

चौथी दलीलः बुख़ारी व मुस्लिम के अतिरिक्त अन्य हदीस की किताबों में परदे के नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष होने की दलीले :इब्ने सअद की अत्तबक़ातुल कुब्रा में निम्नलिखित रिवायतें मिलती है।

अब्दुल वाहिद बिन अबू औन अल–दौसी कहते हैं कि नोअमान अलकिन्ही नबी (सल्ल.) के पास मुसलमान होकर आये और कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं अरब की सबसे सुन्दर बेवा से आपकी शादी न करा दूं, वह अपने चचेरे भाई के निकाह में थीं। उसकी मौत हो गई तो वह बेवा हो गई उसने आपके व्यक्तित्व में रूचि ली है और आपको शादी का सन्देश भेजा है। अतः नबी (सल्ल.) ने उस महिला से साढ़े बारह 'औकिया' में शादी कर ली। फिर नबी (सल्ल.) ने उसके साथ अबू उसैद अस्साअ़दी को भेजा, जब वे दोनों उस महिला के घर पहुंचे और उसने उन्हें घर में आने की अनुमति दे दी तो हज़रत अबू उसैद ने कहा कि नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को कोई भी मर्द नहीं देखता है अबू उसैद कहते हैं कि यह घटना परदा फ़र्ज़ होने के बाद की है। उन्होंने कहा आपके बीच और उस मर्द के बीच जिससे आप बात कर रही हैं परदा होना चाहिये। सिवाय इसके कि वह आपका महरम हो अतः उन्होंने ऐसा ही किया।

हज़रत अबू उसैद अल साउरी ने क़बीला औन की महिला से जिन्हें नबी (सल्ल.) ने सुहाग रात से पहले ही उनके घर वापस भेज दिया फ़रमायाः आप अपने घर में रहें और अपने महरम के अतिरिक्त हर मर्द परदा करें। आप में कोई मर्द रूचि न ले, और आप भी अपने महरम के अतिरिक्त किसी को न देखें क्योंकि आप उम्मुल मोमिनीन हैं। अतः वह इसी हाल में रहीं यहां तक कि हज़रत उसमान के खिलाफ़त के दौर में उनकी नज्द में अपने घर वालो के बीच मौत हो गई।

पांचवी दलीलः परदा फ़र्ज़ होने के बाद मोमिनों की मॉओ को जेहाद में भाग लेने की अनुमति न देना और सामान्य औरतों को अनुमति देनाः

परदा फ़र्ज़ होने से पहले मोमिनों की माओ को जेहाद में जाने की अनुमतिः

हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं : उहद के दिन लोग नबी (सल्ल.) से पीछे रह गये। मैंने हज़रत आयशा और उम्मे सुलैम को देखा। वह अपने पांयचे चढ़ाये हुए थीं। मुझे उनकी पिण्डलियां दिखाई दे रही थी वह अपने पीठों पर मिश्कीज़े भर लेकर आती, मुजाहिदों को पानी पिलाती फिर वापस जाकर मिश्कीज़े पानी से भरती और मुजाहिदों को पानी पिलाती।

परदा फ़र्ज़ होने के बाद मोमिनों की मांओं को जेहाद में जाने की अनुमति न देना :

हज़रत आयशा रज़ि. ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल हम जेहाद को सबसे अच्छा अमल समझते हैं तो क्या हम जेहाद न करें। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, लेकिन सबसे अच्छा जेहाद ''हज्जे मब्रूर' है। एक रिवायत में हैं कि हज़रत आयशा ने नबी (सल्ल.) से जेहाद में भाग लेने की अनुमति मांगी तो आपने फ़रमाया तुम लोगों का जेहाद हज्ज है। (बुख़ारी)

कुछ युद्धों में नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों का नबी के साथ रहने के उद्‌देश्य से निकलना न कि जेहाद में भाग लेने के लिये निकलनाः

हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) सफ़र का इरादा करते तो अपनी बीवियों के बीच कुरआ डालते, जिसका कुरआ निकलता उसे आप सफ़र में ले जाते। वह कहती हैं कि एक युद्ध में जाने से पहले आपने कुरआ निकाला वह मेरे नाम का निकला अतः मैं नबी (सल्ल.) के साथ गई। यह घटना परदा अनिवार्य होने के बाद की है। मैं अपने हौदज़ में रहती थी और उसी में पड़ाव करती थी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा और हज़रत मरवान (रज़ि.) फ़रमाते हैंः नबी (सल्ल) हुदैबिया के ज़माने में निकले। सुहेल बिन अम्र आया और उसने कहा । आइये अपने और हमारे बीच एक समझौता लिखवा दीजिए। तो आपने सहाबा किराम से फ़रमाया खडे हो जाओ और अपने जानवर ज़बह कर दो और सिर के बाल मुड़वा लो। रिवायत करने वाले

कहते हैं कि अल्लाह की क़सम कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा यहां तक कि यह बात आपने तीन बार कहीं, जब कोई न उठा तो आप हज़रत उम्मे सलमा के पास चले गये और उनसे लोगों के रवैये के बारे में बताया............। (बुख़ारी)

परदा फ़र्ज़ होने के बाद कुछ मोमिन औरतों का जेहाद में भाग लेना :

हज़रत अनस (सल्ल.) ने खैबर पर हमला किया। हम लोगों ने खैबर के पास फ़ज्र की नमाज़ सुबह अंधेरे में अदा की....... जब हम लोग गांव में दाखिल हुए तो आपने फ़रमाया अल्लाहु अकबर खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी मैदान में उतरते हैं तो वहां के लोगों की सुबह ख़राब हो जाती है (यह बात आपने तीन बार फ़रमाया)....... हम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती पकड लिया.....फिर कैदी एकत्र किये गये हज़रत दहया आये और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कैदियों में से एक दासी दे दीजिए आपने फ़रमाया जाओं एक दासी ले लो उन्होंने सफीया बिन्ते हुयैय को ले लिया। एक व्यक्ति नबी (सल्ल.) के पास आया और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर की सरदार महिला सफीया बिन्ते हुयैय को हज़रत दहया को दे दिया है हालांकि वह सिर्फ़ आप ही के योग्य हैं। आपने फ़रमाया उन्हें सफीया के साथ बुलाओ। अतः हज़रत दहया उन्हें ले आये। जब आने सफीया को देखा तो हज़रत दहया से कहा तुम इनके अतिरिक्त कोई और दासी ले लो। हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने उन्हें आज़ाद कर दिया और उनसे शादी कर ली। जब आप वापसी के रास्ते में थे तो हज़रत उम्मे सुलैम ने हज़रत सफीया को नबी (सल्ल.) के लिये तैयार किया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम ने हुनैन के युद्ध के दिन एक खंजर ले लिया वह उनके पास ही था कि हज़रत अबू तलहा की नज़र पड़ गयी उन्होंने काह कि ऐ अल्लाह के रसूल उम्मे सुलैम अपने पास खंजर रखती है। आपने उम्मे सुलैम से पूछा ये खंजर कैसा है? उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए रखा है कि यदि कोई मुशरिक मेरे क़रीब आये तो मैं इससे उसका मेट फाड़ दूं यह सुनकर आप हंसने लगे। (मुस्लिम)

यहां यह बात नोट करने की है कि खैबर के युद्ध मोहर्रम सात हिजरी'हिजरी' में हुआ जबकि हुनैन की लड़ाई शब्वाल 8 हिजरी में हुई अर्थात ये दोनों युद्ध परदा अनिवार्य होने के बाद के हैं। हज़रत उम्मे हराम ने नबी (सल्ल.) की मौत के बाद मुजाहिदों के साथ समुद्री जेहाद में भाग लिया था। स्वयं हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस के शब्द कि नबी (सल्ल.) युद्ध में औरतों को युद्ध में ले जाया करते थे। इसमें किसी भी ज़माने की क़ैद नहीं है। अतः हमें इस तरह की कई मिसाले मिलती हैं कि मोमिन औरतों ने परदा फ़र्ज़ होने के बाद जेहाद में भाग लिया है (देखिये दूसरे भाग का पॉचवा अध्याय। बहस जेहाद में भागीदारी)

छठवी दलीलः नबी की पाक बीवियों का मर्दों से हटकर और सामन्य औरतों का मर्दों के साथ हज्ज करनाः

हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर ने नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों को अपने आख़िरी हज्ज में हज्ज करने की अनुमति दी और उनके साथ हज़रत उसमान और हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को भेजा। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं...................... इमाम बुख़ारी ने यह रिवायत इसी तरह संक्षेप में बयान की हैं.................. बैहक़ी में अब्दान की रिवायत में यह बढ़ाया गया है कि हज़रत उसमान बिन अफ्फान यह आवाज़ लगाते थे कि कोई मर्द मोमिनों की मांओ से निकट न हो और न उन्हें देखें वह सब ऊटों पर होदज में थी। वह जब उनसे उतरतीं तो किसी घाटी के बीच में उतरतीं और फिर कोई भी उनकी तरफ़ न जाता, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत उसमान उस घाटी के किनारे पर रहते थे इब्ने सअद की एक रिवायत में है कि हज़रत उसमान उनके आगे–आगे चला करते थे जब कि हज़रत अब्दुर्रहमान उनके पीछे–पीछे चला करते थे। इब्ने सअद ने सही सनद के साथ अबू इस्हाक़ सबीई के माध्यम से रिवायत की है वह कहते हैकि मैंने हज़रत मुगीरः बिन शोअबः के ज़माने में मोगिनों की मांओ को हौदज में देखा। उस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। स्पष्ट है कि इस बात से उन्होंने वह ज़माना बताया है जब हज़रत मुगीरः हज़रत मुआविया की तरफ़ से कूफ़ा के गर्वनर थे।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बैहक़ी के हवाले से जो अतिरिक्त बात नक़ल की है उसे इब्ने सअद ने भी अत्तबकात में 'हसन' प्रमाण के साथ नक़ल किया है।

सातवीं दलीलः नबी की पाक बीवियों का परदा करना और दासियों का न करनाः नबी (सल्ल.) ने खैबर और मदीना के बीच तीन दिन पड़ाव किया जिसके दौरान आपने

हज़रत सफीया बिन्ते हुयैय से शादी की मैंने तमाम मुसलमानों को आपके वलीमे की दावत दी। इस वलीमें में रोटी और गोश्त नहीं था बल्कि आप (सल्ल.) ने चमड़ा बिछाने का आदेश दिया। फिर उसपर खजूरें पनीर और घी ड़ाल दिया गया। यही आप (सल्ल.) का वलीमा था। मुसलमानों ने आपस में कहा। यह नबी की पाक बीवियों में से एक है या फिर दासी हैं? कुछ सहाबा ने कहा कि यदि आप (सल्ल.) इन्हे परदे में रखते हैं तो यह भी आप (सल्ल) की बीवी हैं और यदि इन्हे परदे में नहीं रखते हैं तो फिर यह दासी है। (मुस्लिम की एक रिवायत में हैः यदि आप (सल्ल.)इन्हे परदे में नहीं रखते हैं तो फिर यह उम्मे वलद हैं) जब आप (सल्ल.) वहां से चले तो आप (सल्ल.) ने उनके लिये अपने पीछे जगह बनाई और उनके और लोगों के बीच में एक परदा ड़ाल दिया।(बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस से पता चलता है कि सहाबा को पूरे विश्वास के साथ यह पता था कि परदा केवल नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष हैं। आप (सल्ल.) की दासियों के लिये परदा नहीं है। यद्यपि वह ख़ूबसूरत ही क्यों न हो। यहां पर स्वतन्त्रत महिलाओं और दासियों के बीच अन्तर नहीं किया जा रहा है क्योंकि यदि दासी अत्यन्त ख़ूबसूरत है तो इमाम इब्ने तैमिया के कथन के अनुसार उसके लिये बेहतर यही है कि वह स्वतन्त्र महिलाओं की तरह अपने पूरे शरीर को छिपाये। अतः यहां पर नबी की पाक बीवियों को अन्य सभी औरतों से अलग रखा गया है। चाहे वह औरतें स्वतन्त्र हो या फिर दासी हों।

आठवीं दलीलः

नबी करमी (सल्ल.) की पाक बीवियों को परदा अपनाना और आप (सल्ल.) की बेटियों का न करनाः

अल्लाह फ़रमाता हैः ''अल्लाह के यहां ईसा की मिसाल आदम (अलै.) की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा और वह हो गया। ये वास्तविक हक़ीक़त है जो तुम्हारे रब की तरफ़ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में से मत हो जो इसमें सन्देह करते हैं, यह ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ऐ नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जायें और अपने अपने बाल बच्चों को भी लाये और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की फटकार हो''। (आले इमरान 59–61)

इब्ने कसीर द्वारा की गई कुरआन की व्याख्या में उपर्युक्त आयत की व्याख्या इस तरह की गई हैः अर्थात हम स्वयं को और अपने बाल बच्चों को 'मुबाहिला' (अर्थात झूठो पर अल्लाह की फटकार भेजने) के लिये ले आयें.......दूसरे दिन सुबहज के समय नबी करीम (सल्ल.) हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अपनी एक चादर में लेकर कुबाहिला के लिये निकले हज़रत फ़ातिमा आप के पीछे–पीछे चल रही थीं। उस समय आप (सल्ल.) की कई बीवियां थी''।

उपर्युक्त आयत की व्याख्या की रोशनी में पता चलता है कि हज़रत फ़ातिमा पर परदा अनिवार्य नहीं था इसीलिये वह मुबाहिला में सम्मिलित हुई जबकि नबी करीम (सल्ल.) की तमाम बीवियां उसमें सम्मिलित नहीं थी आप रिवायत करने वाले के इस कथन पर विचार करें कि ''उस समय आप (सल्ल.) की कई बीवियां थी'' इसका यह अर्थ सामने आता है कि यद्यपि उस समय नबी (सल्ल.) की बई बीवियां थीं लेकिन औरतों में केवल हज़रत फ़ातिमा ही मुबाहिला में सम्मिलित हुईं............। हमारा विचार है कि नबी (सल्ल.) की बीवियां मुबाहिला में इसलिये सम्मिलित नहीं हुई क्योंकि उन पर परदा फ़र्ज़ किया जा चुका था।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई तो आप (सल्ल.) पर बेहोशी छाने लगी, (यह देखकर) हज़रत फ़ातिमा ने कहा हाय अब्बू की तकलीफ़! इस पर आप (सल्ल.) ने फ़रमाया आज के बाद तुम्हारे बाप को कोई भी तकलीफ़ न रहेगी, जब आप (सल्ल.) की मौत हो गई तो उन्होंने कहा हाय अब्बू जिसने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय अब्बू जन्नतुल फ़िरदौस जिनका ठिकाना है। हाय अब्बू हम जिबरील को आप की मौत की सूचना देते हैं। जब आप (सल्ल.) को दफ़्न कर दिया गया तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा। ऐ अनस किस तरह तुम्हारे दिल ने गवारा किया कि तुम अल्लाह के रसूल पर मिट्टी डालों। (बुख़ारी)

फ़त्हुल बारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस की की एक हदीस है जिसे अहमद और हाकिम आदि ने नक़ल किया है। उसमें लिखा है कि नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा को आते हुए देखा तो पूछा कहां से आ रही हो? उन्होंने उत्तर दिया मैं इस कब्रिस्तान के मुर्दों के लिये रहमत की दुआ कर रही थी आप (सल्ल.) ने फ़रमाया शायद कि तुम कुछ 'कदी'(मदीने के एक कब्रिस्तान) तक गई थी। उन्होंने कहा नहीं

हम यहां पर इस आयत की तरफ़ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैः '' अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम नबी के घर वालो से गन्दगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पवित्र कर दे''। (सूरह अहज़ाब–33)

इसी तरह हम हज़रत आयशा (रज़ि.) की उस हदीस की रतफ भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जिसमें उन्होंने फ़रमाया कि ''एक सुबह नबी करीम (सल्ल.) निकले। आप (सल्ल.) एक कालें बाल की नक्श की हुई चादर ओढ़े हुए थे। इसी बीच आप (सल्ल.) के पास हज़रत हसन बिन अली आ गये तो आप (सल्ल.) ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया। फिर हज़रत हुसैन आये तो उन्हें भी आप (सल्ल.) ने अपनी चादर में कर लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा आयी तो उन्हें भी आप (सल्ल.) ने अपनी चादर में कर लिया और फिर सूरह अहजा़ब की उपर्युक्त आयत तिलावत की''। (मुस्लिम)

नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा, उनके पति उनके दोनों बच्चो का सम्मान करते हुए बताया कि यह सब इस आयत के भावार्थ में सम्मिलित है जिसमें नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों को सम्बोधित किया गया है हमें विचार करना चाहिऐ कि

अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा को पवित्रता के किस सीमा तक उच्च स्थान पर रखा था। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) की हदीस में इनके स्थान को बहुत ऊँचा बताया गया है जिसमें उल्लेख है कि ''जन्नत को सबसे अच्छी औरतें ख़दीजा मुहम्मद, मरियम बिन्ते इमरान और फिर औन की पत्नी आसिया बिन्ते खुवैलिद, फ़ातिमा बिन्ते मुज़ाहिम हैं। हज़रत फ़ातिमा को इतना ऊँचा और महान स्थान प्राप्त था फिर भी उन पर परदा अनिवार्य नहीं था। इससे मालूम हुआ कि नबी की पाक बीवियों पर परदे की अनिवार्यता होना किसी ऐसी समस्या के कारण था जो कि केवल उन्ही के साथ विशेष थी।

क़ुरआन की आयत ''ये तुम्हारे दिलों और इनके दिलों की पवित्रता के लिये अधिक अनुकूल है'' में जिस पवित्रता का उल्लेख है संभव है कि इसका सम्बन्ध इस समस्या से हो कि नबी (सल्ल.) की मौत के बाद आप (सल्ल.) की किसी भी बीवी से शादी करना उचित नहीं है। अतः इस स्थिति में दिल की पवित्रता के लिये परदे के पीछे ही से बात होनी चाहिये। आयत के अन्तिम शब्दों से भी इस बात की ओर संकेत मिलता है। हम इन्शा अल्लाह आख़िरी बहस, में इस समस्या पर विस्तार पूर्वक वार्ता करेंगे।

नवीं दलीलः प्रतिश्ठित महिला सहाबियों का मर्दों से बिना परदे के मिलना :

हज़रत उम्मुल फज़्ल बिन्ते हारिसा

ये हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हैं इनके बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने फ़रमाया कि चारों बहने, मैमूना, उम्मुल फ़ज़्ल, सलमा और अस्मा बिन्ते उमैस वास्तविक मोमिन महिलायें हैं।

हज़रत उम्मे फ़ज़्ल बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं कि अरफ़ा के दिन कुछ लोग उनके पास नबी करीम (सल्ल.) के रोज़े के सिलसिले में बहस करने लगे, कुछ ने कहा आप (सल्ल.) रोजें से हैं जबकि कुछ ने ये कहा कि आप (सल्ल.) रोज़े से नहीं हैं। अतः मैंने आप (सल्ल.) के पास दूध का एक प्याला भेजा, उस समय आप (सल्ल.) अपने ऊँट पर बैठे हुए थे। आप (सल्ल.) ने दूध पी लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इस हदीस से बहुत सी बातों का पता चलता है...उनमें से एक यह है कि मर्दों और औरतों के बीच ज्ञान की वार्तायें उचित है।

हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस :

ये हज़रत जअ़फ़र बिन अबू तालिब की बीवी थीं। यह भी उन चार बहनों में से एक हैं जिनके बारे में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया था कि ये वास्तविक मोमिन महिलायें हैं। और उनके पति से आप (सल्ल.) ने फ़रमाया था कि ''तुम अपनी शारीरिक बनावट और चरित्र व्यवहार में मुझ जैसे हो''।

हज़रत जफर (रज़ि.) के बाद आप हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) के निकाह में आईं जिनके बारे में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया था ''अबू बक्र हमेंशा मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरी आर्थिक सहायता की यदि मैं अपने रब के अतिरिक्त किसी और को अपना दोस्त ''खलील'' बना सकता तो मैं अबू बक्र ही को बनाता, मेरे और उनके बीच इस्लामी भाईचारा और प्रेम का रिश्ता है।

हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन अम्र आस फ़रमाते हैं कि बनू हाशिम क़बीले के कुछ लोग हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस के पास गये। इसी बीच हज़रत अबू बक्र ने बनू हाशिम के लोगों को वहां देखा तो उनको बुरा लगा, उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) से इसका बयान किया और कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं देखी है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने उसे इससे दूर रखा है,फिर आप (सल्ल.) मिम्बर पर खड़े हुए और फ़रमाया आज के बाद से कोई भी मर्द किसी ऐसी औरत के पास जिसका पति मौजूद न हो उसी समय जाये जबकि उसके साथ एक या दो मर्द हों। (मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) ये फरमाना चाहते थे कि यदि कई मर्द किसी एक औरत के पास जाते हैं तो इससे किसी तरह के सन्देह पैदा नहीं होते। इस बात से हज़रत अबू बक्र का दिल सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि हज़रत अस्मा के पास जाने वाले मर्दों की संख्या एक से अधिक थी। तबरानी ने क़ैस बिन हाज़िम से रिवायत की है। वह कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र के मौत की बीमारी में हम उनके पास गये मैंने देखा कि उनके पास एक महिला बैठी हैं। जिनके दोनों हाथ गुदे हुए थे और वह हज़रत अबू बक्र के ऊपर से मक्खियों को उड़ा रही थीं। वह हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस थी।

हज़रत अबू बक्र के बाद वह हज़रत अली बिन अबू तालिब के निकाह में आईं, जिनके बारे में नबी करीम (सल्ल.) ने ख़ैबर के युद्ध में फ़रमाया था कि ''मैं कल झण्डा उस व्यक्ति को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल प्रेम करते है''।

हज़रत तमीम बिन अबू सलमा फ़रमाते हैं कि हज़रत अम्र बिन आस हज़रत अली के घर आये तो हज़रत अली उन्हें घर पर न मिल सके अतः वह लौट गये। वह दूसरी बार आये तो इस बार भी उन्हें हज़रत अली न मिले, शायद वह तीसरी बार भी आये। फिर हज़रत अली उनके पास गये। और उनसे कहा यदि आपको मेरी बीवी से काम था तो आप मेरे घर में क्यों नहीं चले गये? उन्होंने कहा हमें औरतों के पास उनके पतियों से अनुमति लेकर जाने का आदेश दिया गया है।

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (रज़ि.)

यह हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (रज़ि.) की बीवी हैं जिनके बारे में नबी करीम (सल्ल) ने फ़रमाया था ''हर नबी का हवारी (दोस्त) होता है और मेरे हवारी (दोस्त) ज़ुबैर हैं''। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास गई उस समय तमाम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने पूछा लोगों को क्या हो गया है? उन्होंने अपने

सिर से आसमान की तरफ़ इशारा कर दिया मैंने पूछा क्या यह कोई पहचान है? उन्होंने सिर के इशारे से कहा हां, हज़रत अस्मा फ़रमाती हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाई यहां तक कि मुझ पर बेहोशी छा गई। मेरे निकट ही एक मिश्कीज़ा था। जिसमें पानी था मैंने उसका ढक्कन खोला और उसमें से पानी लेकर अपने सिर पर डालने लगी, जब सूरज पूरी तरह चमकने लगा तो आप (सल्ल.) नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों को सम्बोधित करते किया। आप (सल्ल.) ने अल्लाह की प्रशंसा की फिर लोगों को नसीहत किया। हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती है कि अन्सारी औरतें शोर करने लगीं अतः मैं उनको चुप कराने के लिये उनकी तरफ़ बढ़ी.......... (एक रिवायत में हैः फिर नबी करीम (सल्ल) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुए और आप (सल्ल.) ने क़ब्र के उस फ़ितने को बयान किया जिसका इन्सान को सामना करना पड़ता है। जब आप (सल्ल.) ने उसका बयान किया तो मुसलमान ने बहुत तेज़ चीख मारी) (बुख़ारी)

अबू नौफ़ल फ़रमाते हैं............ फिर हज्जाज ने हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र को बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इन्कार कर दिया उसने दूसरी बार उनके पास अपना आदमी भेजा और कहलवा भेजा कि आप मेरे पास अवश्य आयें, अन्यथा हम आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो आपको घसीटकर मेरे पास ले आयेगा, इस पर भी उन्होंने आने से इन्कार कर दिया और कहा अल्लाह की क़सम मैं तुम्हारे पास उस समय तक नहीं आऊँगी जब तक तुम मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को न भेजो जो मुझे घसीटकर तेरे पास लाये, अबू नौफ़ल कहते हैं कि हज्जाज ने जूते मंगवायां, और और जूता पहन कर तेज़ी के साथ घमण्ड से चलते हुए हज़रत अस्मा के पास गया और कहा मैंने अल्लाह के दुश्मन के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा मेरा विचार है कि तुमने उसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तुम्हारी आख़िरत ख़राब कर दी। मुझे ये पता चला है। तुम उसे ''ऐ ज़ातुन्नताकैन के बेटे'' कहकर पुकारते थे। अल्लाह की क़सम मैं ज़ान्तुन्नता कैन, दो पटकों वाली हूं एक से मैंने नबी करीम (सल्ल.) और हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के खाने को सवारी से बांधा था और दूसरा वह है जिससे कोई औरत बेपरवाह नहीं हो सकती है। सुन लो! अल्लाह की क़सम अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने हमसे यह बयान किया था कि क़बीला सकीफ़ में एक झूठा और एक तबाही मचाने वाला पैदा होगा, झूठे को तो हमने देख लिया और जहां तक तबाही मचाने वाले का सम्बन्ध है तो मेरा विचार है कि वह तुम ही हो। अबू नौफ़ल कहते हैं कि यह सुनकर हज्जाज वहां से उठकर चला गया और फिर लौटकर उनके पास नहीं आया। (मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) युद्ध में हज़रत उम्मे सुलैम और कुछ अन्सारी महिलाओं को अपने साथ ले जाते थे। जब युद्ध होता तो ये महिलाये मुजाहिदों को पानी पिलाती थी और घायलों का इलाज करती थीं।

हज़रत उम्मे ऐमन :

यह नबी करीम (सल्ल.) की दाई थीं। नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत ज़ैद बिन हरिसा से इनकी शादी की थी। हज़रत अस्मा (रज़ि) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) की मौत के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा चलिये हम लोग हज़रत उम्मे ऐमन से मिल आयें, जिस तरह नबी करीम (सल्ल.) उनसे मिलने जाया करते थे। जब हम लोग उनके पास पहुंचे तो वह रोने लगीं। हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे पूछा आप क्यों रो रही हैं अल्लाह के पास जो कुछ है वह उसके नबी (सल्ल.) के लिये बेहतर है। उन्होंने कहा मैं इसलिये नहीं रो रही हूं कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि अल्लाह के पास जो कुछ है वह उसके नबी के लिये बेहतर है। बल्कि मैं तो इसलिये रो रही हूं क्योंकि अब 'वह्य' का सिलसिला बन्द हो गया। इस तरह उन्होंने उन दोनों लोगों को भी रोने पर मजबूर कर दिया अतः वे दोनों भी उनके साथ रोने लगे। (मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैसः उनकी गिनती उन मोमिन महिलाओं में होती है ज़िन्होने सबसे पहले हिजरत की थी। आप फ़रमाती हैं कि जब मैं बेवा हो गई तो जहां मुझे बहुत से सहाबा ने शादी के सन्देश दिये वहीं हज़रत अब्दुर्रमान बिन औफ ने भी मुझे शादी का सन्देश दिया। स्वयं नबी करीम (सल्ल.) ने मुझसे इस सिलसिले में बात की तो मैंने कहा। मेरा मामला आपके हाथ में है आप जिससे चाहें मेरी शादी कर दें............... इस तरह मैंने ओसामा बिन ज़ैद से शादी कर ली अतः अल्लाह ने मुझे ओसामा बिन ज़ैद के माध्यम से बहुत ही प्रतिष्ठित बना दिया.................. और बहुत सी भलाईया प्रदान की मैं उनसे बहुत खुश हूं।

शाअ़दी कहते हैं कि हम लोग हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास गये तो उन्होंने हमें 'इब्ने ताब' की ताज़ा खजूरें खिलाई और जौ का सत्तू पिलाया, फिर मैंने उनसे पूछा कि जिस औरत को तीन तलाक़ दे दी गई हो वह इद्दत कहां पूरी करेगी, उन्होंने कहा मुझे मेरे पति ने तीन तलाक़ दे दी तो मुझे नबी करीम (सल्ल.) ने अपने घर में इद्दत पूरी करने की अनुमति दे दी थी। (मुस्लिम)

हज़रत सबीअ़ा बिन्ते हारिस असलमीया :

इनकी गिनती उन हिजरत करने वाली महिलाओं में है जिन्होंने नबी करीम (सल्ल) से बैअ़त की थी। आप हज़रत सअ़द बिन ख़ौलः की बीवी थी। हज़रत सअद बिन खौलः भी मुहाजिर सहाबी हैं वह बद्र, उहद, खन्दक, के युद्ध और हुदैवियः के समझौते में सम्मिलित थे।

हज़रत सबीआ बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं कि वह हज़रत सअ़द बिन खौलः के निकाह में थी। हज़रत सअ़द का सम्बन्ध बनू आमिर बिन लुवय के क़बीले से था। वह बद्र के युद्ध में भी सम्मिलित थे। हज्जतुल विदा में उनकी मौत हुई। उस समय हज़रत सबीआ गर्भवती थी हज़रत सअद की मौत के कुछ ही दिनों के बाद हज़रत सबीआ के यहां प्रसव हो गया जब वह प्रसव स्त्राव से पवित्र हो गई तो उन्होंने शादी के लिये बनाव श्रृगार प्रारम्भ

कर दिया। उनके पास अबू अल–सनाबिल–बिन बअ़कक (जिनका सम्बन्ध बनू अब्दुद्दारं के क़बीले से था) गये। और उनसे कहा मैं देख रहा हूं कि आपने शादी के सन्देशों के आने के लिये बनाव श्रृंगार कर रखा हैं क्या आप शादी करना चाहती हैं? अल्लाह की क़सम आप उस समय तक शादी नहीं कर सकतीं जब तक कि चार महीने दस दिन नहीं गुज़र जाते। हज़रत सबीअ़ः फ़रमाती हैं कि जब अबू सनाबिल ने मुझसे ऐसा कहा तो शामं के वक़्त मैं अपने कपड़े पहन कर नबी बरीम(सल्ल.) के पास पहुंच गई फिर आप (सल्ल.) से इस सिलसिले में पूछा तो आप (सल्ल.) ने मुझे बताया कि मैं प्रसव के बाद ही से हलाल हो गई थीं और आप (सल्ल.) ने मुझे मेरी इच्छा के अनुसार शादी करने की अनुमति दे दीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत सईद : असदीय : (उम्मे ज़फर)

हज़रत अता बिन अबू रिबाह फ़रमाते हैं कि मुझसे इब्ने अब्बास ने कहा। क्यों मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखाऊँ मैंने कहा क्यों नहीं? देखो ये काली औरत नबी (सल्ल.) के पास आई थी और इसने कहा था ऐ अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर मूर्छा छा जाती है और मेरी छिपाने की जगहें खुल जाती है आप मेरे लिये अल्लाह से दुआ कर दें, आपने फ़रमाया कि अगर तुम चाहो तो धैर्य रखो इसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिये अल्लाह से दुआ कर दूं उसने कहा मैं धैर्य रखूँगी फिर उसने कहा। लेकिन मेरा शरीर खुल जाता है। अल्लाह से दुआ कर दें कि मेरा सतर न खुले, बनी (सल्ल.) ने उसके लिये दुआ कर दी। (बुख़ारी)

दसवीं दलील तमाम विशेष व सामान्य मैदानों में नबी (सल्ल.) और सहाबा (रज़ि) का औरतों से बिना परदा के मिलनाः

फ़र्ज़ नमाज़ः हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं.................जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने नबी के पुकारने वालो को मस्जिद में एकत्र होने की पुकार लगाते हुए सुना। अतः मैं भी मस्जिद गई और मैंने आपके साथ नमाज़ पढ़ी, मैं औरतों की उस पंक्ति में थी जो मर्दों की पंक्तियों के पीछे थी। एक रिवायत में है फिर लोगों में मस्जिद में एकत्र होने की पुकार लगाई गई। अतः मैं भी लोगों के साथ चल पड़ी मैं औरतों की सबसे पहली पंक्ति में थी जो मर्दों की सबसे अन्तिम पंक्ति के बाद थी।

ईदों की नमाज़े : हज़रत उम्मे अतीया फ़रमाती हैं हम औरतों को ईद के दिन ईदगाह जाने का आदेश दिया गया। यहां तक कि हमें परदा वाली नई उम्र की लड़कियों को भी ईदगाह जाने का आदेश दिया गया। हां, उन महिलाओं को लोगों के पीछे रहने के लिये कहा गया। वह उनकी तक्बीर के साथ तक्बीर कहें, और उनकी दुआओं में सम्मिलित हों, और इस दिन की बरकत और पवित्रता की आशा रखें।

सूर्य ग्रहण की नमाज़ :

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं..................... फिर एक सुबह नबी (सल्ल.) सवारी पर सवार हुए। कि सूरज को ग्रहण लग गया अतः आप चाश्त के समय लौट आये आप अपनी बीवियों के कमरों के बीच से गुज़रे (मुस्लिम की एक रिवायत में है। मैं कुछ औरतों के साथ कमरों (हुजरों) के पीछे से मस्जिद में आई) फिर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे और दूसरे लोग भी आप के पीछे नमाज़ के लिये खड़े हो गये। आपने एक लम्बा कयाम किया................. (बुख़ारी व मुस्लिम)

सहीह बुख़ारी में हज़रत अस्मा की एक हदीस नक़ल की गई है जिसमें सूर्य ग्रहण की नमाज़ में उनकी भागीदारी का बयान हैः

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी ने उन लोगों की बात को ग़लत बताया है जो सूर्य ग्रहण की नमाज़ में में मर्दों के साथ औरत की भागीदारी को मना करते है। मुस्लिम में आई हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस से भी इमाम बुख़ारी के मत की पुष्टि होती है। इस हदीस में यह बात है कि फिर आप पीछे हटे ओर पीछे की सफ़ भें और पीछे हटीं, यहां तक कि हम अन्त तक पहुंच गये। इमाम मुस्लिम के शेख़ अबू बक्र कहते है। इससे तात्पर्य ये है कि हम उस चरम सीमा तक पहुंच गये जहां से औरतों की सफ़े शुरू होती थीं (अर्थात हम औरतों के निकट पहुंच गये।)

हज्जः हज़रत यहया बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने अपनी दादी उम्मुल हुसेन को कहते सुना मैं हज्जतुल विदा में नबी करीम (सल्ल.) के साथ सम्मिलित थी मैंने आपको उस वक़्त देखा जब आपने 'जमरतुल अक्ब' को कंकड़िया मारीं, फिर आप अपनी सवारी पर वापस हुए। आपके साथ हज़रत बिलाल और हज़रत ओसामा थे। उनमें से एक आपकी सवारी की नकेल पकड़ कर चल रहे थे और दूसरे आपके सिर पर कपड़े से छाया किये हुऐ थे। उम्मुल हुसैन फरमातीं है कि उस वक़्त आपने बहुत सी बातें कहीं, फिर मैंने आपको (सल्ल.) यह कहते हुए सुना, यदि किसी काले और कान कटे दास को भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाये। जो कुरआन व सुन्नत के अनुसार तुम्हारा मार्ग दर्शन और नेतृत्व करे। तो तुम उसकी बात सुनो और उसका आज्ञा पालन करो। (मुस्लिम)

शिक्षा ग्रहण करनाः हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक महिला नबी (सल्ल.) के पास आईं और उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल मर्द आपकी हदीसों से पूरा लाभ उठाते हैं। अतः आप अपनी तरफ़ से हम औरतों के लिये भी एक दिन निर्धारित कर दीजिये। जिसमें हम आपके पास आया करें और आप हमें वह ज्ञान सिखाये जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। आपने फ़रमाया तुम आमुक दिन आमुक स्थान पर एकत्र हो जाया करो अतः औरतें उस निर्धारित जगह पर एकत्र हुई आप उनके पास गये और उन्हें वह ज्ञान सिखाया जो अल्लाह ने आपको सिखाया था फिर आपने फ़रमाया तुममें से जिस औरत के तीन बच्चे मर जाये तो वह बच्चे उसे जहन्नम से बचाने का माध्यम होंगे। वहां मौजूद एक औरत ने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल यदि दो ही बच्चे मरे हों तो? रिवायत करने वाले कहते हैं कि उस औरत ने वह बात दो बार कही, आपने फ़रमाया हां, दो मरें हों तब भी, यह बात आपने तीन बार कही। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अच्छी देख रेखः हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं। कि नबी (सल्ल.) ने आले हज़्म को सांप के डसे हुए व्यक्ति के बारे में झाड़ फूक की अनुमति दी। एक बार नबी (सल्ल.) ने हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस से कहा। क्या बात है मेरे भतीजे मुझसे बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं क्या इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है? उन्होंने कहा नहीं बल्कि वास्तविकता यह है कि इन्हे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आपने फ़रमाया रूकीयः करो। हज़रत (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने आपकी इस बात से सहमति जताई तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं इन बच्चों का रूक़ीयः किये देता हूं। (मुस्लिम)

प्रशंसा और आदर करनाः हज़रत आयशा रज़ि. फ़रमाती हैं कि हज़रत हिन्द बिन्ते उत्बा आयीं और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे इस ज़मीन पर आपके ख़ेमे वालों (आपका आज्ञापालन करने वालों) से अधिक किसी का अपमान पसन्द नहीं था लेकिन अब मुझे आपके ख़ेमे वालो के आदर से बढ़कर किसी का आदर पसन्द नहीं....................। (बुख़ारी व मुस्लिम)

दुआ के लिये निवेदन :

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. फ़रमाते हैं कि एक औरत अपना एक बच्चा लेकर नबी (सल्ल.) की सेवा में उपस्थित हुई और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल इसके लिये अल्लाह से दुआ कर दें, (एक रिवायत में है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। और मुझे इसके बारे में सन्देह है) मैं तीन बच्चों को दफ़्न कर चुकी हूं अर्थात मेरे तीन बच्चे मर चुके हैं आपने फ़रमाया क्या तुम तीन बच्चे दफ़्न कर चुकी हो उसने कहा 'हां'

आपने फ़रमाया, तुमने जहन्नम से बचने के लिये मज़बूत प्रबन्ध कर लिया है।

अनुमान लगाने की स्पर्धाः हज़रत अबू हुमैद साअ़दी फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी (सल्ल.) के साथ तबूक के युद्ध में सम्मिलित थे। जब क़ुरा की घाटी आई तो हमने एक बाग़ में एक महिला को देखा। नबी (सल्ल.) ने सहाबा से कहा। अनुमान लगाओ कि इस बाग़ में कितना फल आयेगा स्वमं आपने (सल्ल.) दस वसक का अनुमान लगाया, और उस महिला से कहा कि जितना फल आये उसे गिन लेना जब हम लोग तबूक पहुंचे तो आपने फ़रमाया कि आज रात बहुत तेज़ हवा चलेगी। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से न खड़ा हो और जिसके पास ऊँट हो वह उसे बांध दे। अतः हमने ऊँटों को बांध दिया। फिर बहुत तेज़ हवा चली एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो हवा ने उसे 'तई' पहाड़ पर डाल दिया। शहर ईलः के राजा ने आपको एक सफ़ेद खच्चर भेंट किया और आपको एक चादर दी। जब आप वापसी में क़ुरा का घाटी पहुंचे तो आपने औरत से पूछा इस वर्ष तुम्हारे बाग़ में कितना फल आया, उसने कहा दस वसक़ नबी (सल्ल.) ने इतना ही अनुमान लगाया था।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मरीज़ो को देखने जानाः हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल.) हज़रत जबाअः बिन्ते ज़ुबैर के पास गये और उनसे कहा। शायद तुम हज्ज करने का इरादा रखती थी। उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम मुझे कष्ट महसूस हो रहा है आप ने उनसे कहा तुम

हज्ज करो और शर्त लगा दो। तुम यह कहो, ऐ अल्लाह! मैं वहां एहराम से बाहर आ जाऊँगी जहां आप मुझे रोक देंगे (वह उस समय हज़रत मिक़दाद बिन असवद के निकाह में थीं।) (बुख़ारी व मुस्लिम)

खाने का दस्तरख़्वान :

हज़रत यज़ीद बिन असम्म कहते हैं कि मदीने में एक दूल्हे ने हम लोगों की दावत की। और हमारे सामने गोह का सालन प्रस्तुत की हममे से कुछ लोगों ने उसे खाया और कुछ ने नहीं खाया दूसरे दिन हज़रत इब्ने अब्बास से मेरी मुलाक़ात हुई तो मैंने उनसे इसका बयान किया उनके आस–पास मौजूद लोग इस पर बहस करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि नबी (सल्ल.) ने गोह के बारे में यह कहा है कि मैं न ही इसे खाता हूं और न ही इसे खाने से किसी को रोकता हूं और न ही इसे हराम ठहराता हूं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने फ़रमाया तुमने बहुत बड़ी गलत बात कही नबी करीम (सल्ल.) को या तो हलाल करने या हराम करने के लिये भेजा गया था।

एक बार नबी (सल्ल.) हज़रत मैमूना के पास थे। वहां फ़ज़्ल बिन अब्बास ख़ालिद बिन वलीद और एक महिला भी थी उनके सामने दस्तरख्वान लगाया गया उसमें गोस्त प्रस्तुत की गया। जब आपने उसे खाने का इरादा किया तो हज़रत मैमूना ने आपसे कहा यह गोह का गोश्त है यह सुनते ही आपने अपने हाथ खींच लिये और फ़रमाया मैंने गोह का गोश्त कभी भी नहीं खाया और वहां मौजूद लोगों से कहा आप लोग खायें अतः फज्ल बिन अब्बास ख़ालिद बिन बलीद और उस महिला ने वह गोश्त खाया और हज़रत मैमूना ने कहा मैं सिर्फ़ मै। वही चीजें खाती हूं जो नबी (सल्ल.) खाते है। (मुस्लिम)

मरीज की सेवाः हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरीन (रिह.) फ़रमाती हैं.................. फिर एक औरत आईं और उन्होंने बताया कि उनके बहनोई नबी (सल्ल.) के साथ बारह युद्धो में सम्मिलित थे। उनमें से 6 युद्धो में उनकी बहन भी सम्मिलित थीं। उनकी बहन कहती हैं कि हम लोग मरीजरो की सेवा करते थे और घायलों का इलाज करते थे............ (बुख़ारी)

हांफिज इब्ने हजर फ़रमाते हैं इस हदीस से बहुत सी लाभदायक बातें मालूम होती हैं इससे पता चलता है कि औरत अजनबी मर्दा का उपचार कर सकती है। शर्त यह है कि वह उनका शरीर न न छूये, जैसे वह माल दवायें आदि लाने का काम करे हां यदि उसे मर्द का शरीर छूने की मजबूरी में आवश्यकता पड जाये और किसी फ़ितने का सन्देह न हो तो उसके लिये मर्द के शरीर को छू कर उसका उपचार करना वैध है।

भाासकों से निवदेन :

हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि उनके पिता ने कहा मैं हज़रत उमर के साथ बाज़ार की तरफ़ निकला, रास्ते में हज़रत उमर के पास एक औरत आई, और उसने कहा। ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति की मौत हो चुकी है। मेरे छोटे–छोटे बच्चे है। अल्लाह की

क़सम उनके लिये पकाने खाने के लिये पाया भी नहीं है। उनके पास खाने और पीने के लिये भी कुछ नहीं है। मुझे यह डर है कि वह भूख से मर न जायें, मैं खफ्फाफ़ बिन ईमाअ गिफ़ारी की बेटी हूं मेरे पिता नबी करीम (सल्ल.) के साथ हुदैबिया में सम्मिलित थे। यह सुनकर हज़रत उमर उसके साथ रूक गये आगे नहीं बढ़े फिर उन्होंने कहा। तुम्हें इतनी करीबी रिश्तेदारी मुबारक हो। फिर वह अपने घर में बंधे हुए मज़बूत ऊँट के पास गये। उस पर खानों से भरे दो थैले रखे और उन दोनों के बीच में खर्चे की दूसरी चीज़ें जैसे कपड़े आदि रखे फिर उस ऊँट की नकेल उस औरत को पकड़ दी और कहा। इसे हांक कर ले जाओ, इसके समाप्त होने से पहले अल्लाह कोई दूसरी बेहतर व्यवस्था कर देगा, एक व्यक्ति ने कहा ऐ अमीरूल मोनिनीन आपने तो इसे बहुत कुछ दे दिया। हज़रत उमर ने उससे कहा तेरा भला हो। मैंने इस औरत के बाप और भाई की इस हालत में देखा कि उन्होंने बहुत दिनों तक किले को घेर रखा था। फिर हम उस किले के अन्दर घुस गये थे और उसके बाद हमने अपने बीच ग़नीमत (लूट) का माल बांट लिया था।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत बरीरः के पति एक दास थे जिनका नाम मुगीस था। मेरी निगाहों के सामने अब भी वह दृश्य है कि वह बरीरः के पीछे रोते–रोते चक्कर लगा रहे है। उनके आंसू उनकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। यह स्थिति देखकर नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत अब्बास से फ़रमाया ऐ अब्बास क्या तुम्हें इस पर आश्चर्य नहीं होता कि मुगीस बरीर से कितना प्यार करता है जबकि बरीरः बुगीस से उतना ही घृणा करती है? फिर नबी (सल्ल.) ने हज़रत बरीरः से कहा तुम उनके निकाह में लौट क्यों नहीं आती? इस पर बरीरः ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) क्या आप मुझे इसका आदेश दे रहे हैं? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं तो केवल सिफ़ारिश कर रहा हूं, उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

लेआ़न के दौरानः

हज़रत सईद बिन ज़ुबैर फ़रमाते हैं ,मुझसे हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर के ज़माने में मुतलाएनैन (अर्थात व पति–पत्नी जो एक दूसरे को व्यभिचार के सिलसिले में व्यंग व धि ाक्कार करें) के सिलसिले में पूछा गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दूं अतः मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास गया और उनसे कहा। आपका क्या विचार है। क्या मुतलाएनैन में अलगाव करा दिया जायेगा? उन्होंने कहां हां, इस सिलसिले में सबसे पहले आमुक बिन आमुक से सवाल किया था उन्होंने कहा। ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) यदि हममें से कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार करते हुए देख ले तो आपका क्या विचार है। उसे क्या करना चाहिये? क्योंकि यदि वह इस बात को बताता है तो यह बहुत ही कठोर और कठिन मामला है और यदि चुप रहता है तो उसको एक अश्लील काम के सिलसिले में चुप्पी साधनी पड़ती है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि यह सुनकर आप (सल्ल.)

ख़ामोश हो गये और आप (सल्ल.) ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति दूसरी बार आप (सल्ल.) के पास आया और कहा मैंने आप (सल्ल.) से जिस समस्या के बारे में पूछा था उससे मैं स्वयं पीड़ित हूं, उस समय अल्लाह तआला ने सूरहनूर में ये आयतें ''और जो लोग कुलीन एवं पवित्र दामन वाली स्त्रियों पर आरोप लगाये.........'' उतरी, नबी करीम (सल्ल) ने उसके सामने यह आयतें पढ़ी उसको नसीहत की और बताया कि दुनिया की यातना आख़िरत की यातना से आसान है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा उस हस्ती की क़सम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है मैंने अपनी बीवी पर झूठा आरोप नहीं लगाया है। आप (सल्ल.) ने उसकी बीवी को बुलवाया,उसको नसीहत की और बताया कि दुनिया की यातना आख़िरत की यातना से आसान है। इस पर उसने कहा उस हस्ती की क़सम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है। मेरा पति झूठा है। फिर नबी करीम (सल्ल) ने सबसे पहले पति से चार बार अल्लाह को गवाह बनवा कर कहलवाया कि वह सच्चा है और पॉचवीं बार यह कहलवाया कि यदि वह झूठ बोल रहा है तो उस पर अल्लाह की फटकार हो। फिर आप (सल्ल.) ने औरत से चार बार अल्लाह को गवाह बनवाकर कहलवाया कि उसका पति झूठ बोल रहा है और पॉचवीं बार यह कहलवाया कि यदि उसका पति सच बोल रहा हो तो उस पर अल्लाह की फटकार हो। फिर रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने उन दोनों के बीच अलगाव करा दिया।

सज़ा को लागू करनाः अल्लाह तआला ने फ़रमायाः व्यभिचारिणी औरत और व्यभिचारी मर्द दोनों में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के दीन के मामले में तुमको प्रभावित न करे। यदि तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। और उनको सज़ा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह मौजूद रहे''। (सूरह नूर)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा बयान करते हैं कि उनके पिता ने कहा। फिर गामिदीयः आईं और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझसे व्याभिचार हो गया है। आप मुझे पवित्र कर दें, लेकिन नबी करीम (सल्ल.) ने उन्हें वापिस कर दिया दूसरे दिन वह फिर आयीं और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आप मुझे क्यों वापिस कर रहें है। शायद कि आप मुझे इसलिये वापस कर रहे हैं जिस लिये आपने माइज़ को वापिस किया हैः अल्लाह की क़सम मैं गर्भवती हूं आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अभी तुम चली जाओ और प्रसव के बाद आना..........तो वह एक कपड़े में बच्चे को लेकर नबी करीम (सल्ल.) के पास आईं और कहा देखियें मुझे प्रसव हो गया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया जाओ इसे दूध पिलाओ जब तुम इसका दूध छुड़ा देना तब मेरे पास आना, जब उन्होंने बच्चे का दूध छुडा दिया तो वह नबी करीम (सल्ल.) के पास इस हालत में आई कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकडा था। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है। अब ये खाना खाने लगा है। अतः नबी करीम (सल्ल.) ने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले कर दिया । फिर आप (सल्ल.) ने गामिदीयः के लिये गड्ढ़ा खोदने का आदेश दिया। अतः उनके सीने तक गड्ढ़ा खोदा गया। उसके बाद आप (सल्ल.) ने लोगों को उन्हें रज्म

करने का आदेश दिया अतः उन्हें रज्म किया गया। हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (रज़ि) आगे बढ़े और उन्होंने भी एक पत्थर मारा जो गामिदीयः के सिर पर लगा और उससे ख़ून फूटकर हज़रत ख़ालिद के चेहरे पर उसकी छीट पड़ी इस पर हज़रत ख़ालिद ने उन्हें बुरा भला कहा। नबी करीम (सल्ल.) ने उसे सुन लिया। अतः आपने कहा ख़ालिद ज़रा संभलकर, उस हस्ती की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है इसने ऐसी तौबा की है कि यदि चुंगी वाला भी ऐसी तौबा कर लेता तो उसकी मुक्ति हो जाती फिर आप (सल्ल.) ने उनकी नमाज़–ए–जनाज़ा पढ़ने का आदेश दिया अतः जनाज़े की नमाज़ पढ़ी गई इसके बाद उन्हें दफ़न कर दिया गया। (मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ परदे के विशेष होने के सिलसिले में फ़क़ीहों के कथन :

अश्रम कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा। ऐसा महसूस होता है कि हज़रत नब्हान की हदीस ''क्या तुम दोनों अन्धी हो'' नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष है और हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की हदीस ''इब्ने उम्मे मक्तूम के पास इद्दत पूरी करो'' अन्य तमाम सामान्य मोमिन महिलाओं से सम्बन्धित है। इस पर उन्होंने कहा 'हां'।

जब हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना के पास अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम आये तो नबी करीम (सल्ल.) नें उन दोनों से कहा था ''तुम दोनों उनसे परदे में हो जाओ'' नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन को बयान करने के बाद इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं ''यह मसला केवल नबी करीम (सल्ल.) की पाक बीवियों के साथ विशेष था क्या आप नहीं देखते कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस ने अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम के घर अपने इद्दत के दिन पूरे किये थे ? नबी करीम (सल्ल.) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से फ़रमाया था कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम के पास अपने इद्दत के दिन पूरे करो। क्योंकि वह एक अन्धे व्यक्ति है। तुम वहां (आसानी से) अपने कपड़े उतार सकती हो''। क़ुरआन मजीद की तबरी की व्याख्या में आयत ''न उनके लिये अपने बापों के सामने होने में कोई दोष हैं और न अपने बेटों न अपने भाइयों न अपने भतीज़ो न अपने भांजो न अपने मेल की स्त्रियों और न जिन पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो उनके सामने होने में, अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह हर चीज़ का साक्षी है'' की व्याख्या इस तरह की गई है कि ''अल्लाह तआला इस आयत में फ़रमाता है कि नबी की बीवियो पर अपने बाप और बेटों के सिलसिले में कोई दोष है और गुनाह नहीं है। फिर व्याख्याकारों के बीच इस सिलसिले में मतभेद हुआ कि किस चीज़ के सिलसिले में कोई दोष और गुनाह नहीं है। अतः कुछ लोगों ने कहा कि जिन लोगो का उल्लेख आयत में है यदि उनकी उपस्थिति में नबी की बीवियाँ अपनी चादरें उतार देती है तो इसमें उन पर कोई दोष नहीं है।............... कुछ लोगों ने कहा की नबी (सल्ल.) की बीवियां हम लोगों से परदा नहीं करती हैं तो इसमें उन पर कोई दोष नहीं

है इन दोनों कथनों में से अधिक सही कथन यह है कि नबी की पाक बीवियों पर इस बात में कोई दोष नहीं है कि वह उन लोगों से (जिनका उल्लेख

उपयुक्त आयत में है) परदा न करे इस भावार्थ के अधिक सही होने की दलील यह है कि यह आयत परदे वाली आयत के बाद आई है''।

यह बात कि उपर्युक्त लोगों से नबी की पाक बीवियों के परदा न करने की स्थिति में उन पर कोई दोष न होने वाली बात ही अधिक सही है। इस बात का समर्थन करती है कि परदा नबी की पाक बीवियों ही के साथ विशेष है क्योंकि सामान्य मोमिन महिलाओ के बारे में तो यह बात कही गई है कि यदि वह अपने महरमों के सामने अपना बनाव सिंगार प्रकट करती है इसमें उन पर कोई दोष नहीं है। अतः अल्लाह तआला सूरहनूर में फ़रमाता हैः ''और वे अपने श्रृगार प्रकट न करें सिवाय अपने पतियों के या अपने बापो के या अपने पिता के बापों के, या अपने बेटों के या अपने पतियों के बेटों के'' (सूरह नूरः 31)

इब्ने कुतैबः फ़रमाते हैंः हम यह कहते हैं कि अल्लाह ने नबी की पाक बीवियों को परदा करने का आदेश दिया था चूंकि अल्लाह ने हम मर्दों को यह आदेश दिया है कि हम उनसे परदे के पीछे से बात करें। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''और यदि तुम्हें कुछ उनसे मांगना हो तो परदे के पीछे से मॉगा करो'' बिना परदे के नबी की पाक बीवियों से आंख वाले या अन्धे दोनों ही का मिलना बराबर है। इस मुलाक़ात के नतीजे में यह दोनों भी गुनाहगार होंगे और स्वयं नबी (सल्ल.) की बीवियां भी इस बात की गुनाहगार होंगी कि उन्होंने उन दोनों तरह के लोगों को को अपने पास बिना परदे के आने की अनुमति दी। परदे का यह मसला केवल नबी की बीवियो ही के साथ विशेष है। जिस तरह कि तमाम मुसलमानों के लिये उनसे शादी करने की अवैधता का मसला भी केवल उन्ही के साथ विशेष है। कि नबी की बीवियां हज्ज या दूसरी फ़र्ज़ इबादतो को करने के लिये या किसी और अत्यन्त आवश्यकता के अन्तर्गत घर से निकलती हैं तो उन पर परदा अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके घर में कोई प्रवेश करने वाला नहीं होता है कि उन पर उससे परदा करना अनिवार्य हो। क्योंकि वह सफ़र में निगाहो सामने होती है। और परदे का अनिवार्य होना तो केवल उस स्थिति में है जब वह अपने घर में हो।

इमाम नववी (रह.) ने मुस्लिम की व्याख्या करते हुए काज़ी अयाज़ का यह कथन बयान किया हैः 'परदे की अनिवार्यता नबी करीम (सल्ल.) की बीवियों के लिए अनिवार्य हैं। अतः उनके लिये चेहरा और हथेलियों को छिपाना भी सर्वसम्मति से अनिवार्य है। अतः गवाही या किसी दूसरे काम के लिये अपना चेहरा खोल सकती हैं इसी तरह उनके लिये यह भी वैध है कि वह अपना व्यक्तित्व (चाहे व कपड़ों में छिपी हुई ही क्यों न हो) को प्रकट करें। हां यदि उन्हें शौच की आवश्यकता हो तो वह घर से निकल कर बाहर जा सकती है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः''और यदि तुम्हें उनसे कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से मॉगा करो'' नबी की बीवियां जब लोगों के पास बैठती थीं तो परदे के पीछे बैठती थी और जब घर से बाहर निकलतीं तो अपने व्यक्तित्व को छिपा कर निकलतीः ....

इमाम नववी ने काज़ी अयाज़ के उपर्युक्त कथन पर कोई टिप्पणी नहीं की है इससे पता चलता है कि वह उनकी राय से सहमत हैं।

मुहल्लब (रह.) फ़रमाते हैं...................... सामान्य मोमिन महिलाओं पर परदा इस तरह फ़र्ज़ नहीं है जिस तरह नबी (सल्ल.) की बीवियो पर अनिवार्य है।

इमाम कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत उम्मे सलमा के दास नबहान के हवाले से लिखा है कि जब हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना के पास इब्ने उम्मे मक्तूम आये तो नबी करीम (सल्ल.) ने उन दोनों से कहा ''तुम दोनों इनसे परदा करो। इस पर उन दोनों ने कहा ये तो अन्धे हैं, तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या तुम दोनों भी अन्धी हो? क्या तुम दोनों इन्हे नहीं देख रही हो? यह कहा जाता है कि ज्ञान वालो के यहां यह हदीस सही नहीं है क्योकि इसे हज़रत उम्मे सलमा के दास नबहान ने रिवायत की है और दासों की रिवायत की हुई हदीस को दलील नहीं बनाई जा सकती, और यदि इस हदीस को सही मान भी लिया जाये तो यहां वास्तविक समस्या यह है कि नबी (सल्ल) अपनी बीवियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया है क्योंकि वह बहुत प्रतिष्ठित महिलायें थी। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) ने अपनी बीवियों को परदे का भी कठोरता से पाबन्द बनाया है जैसा कि अबू दाऊद और दूसरे इमाम कहते हैं।

अध्याय–3

''बुराई को रोकने के माध्यम'' का सिद्धान्त और उसके लागू करने में अतिशयोक्ति के प्रभाव :

कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सी दलीलों से पता चलता है कि मर्द और औरत की आपसी मुलाक़ात वैध है लेकिन बहुत से उलमा 'बुराई के माध्यम को रोकने के लिये' मुलाक़ात को अवैध कहते है। क्योंकि औरत की प्रकृति में बहुत से फ़ितने रख दिये गये हैं। और फितनो की दूर करना हमारा शरई दायित्व हैं। हमें यह महसूस होता है कि विरोधियों को नैतिक बिगाड़ के फैलने से बहुत कष्ट पहुचा है लेकिन उन्होंने इस बिगाड़ का अनुमान लगाने में अतिशयोक्ति से काम लिया है। अतः उन पर यह अतिशयोक्ति भारी हो गई और वह उन हितों को भूल गये जो मर्द व औरत की मुलाक़ात के फलस्वरूप प्राप्त होते है इसी तरह वह उन कठिनाइयों और परेशानियों को भी भूल गये जो इस मुलाक़ात के न होने की स्थिति में सामने आतें। चूंकि यह दलील अधिकतर ही आती है और इसके कारण बहुत सी दलीले बेकार हो जाती हैं इस लिये हमने उचित समझा कि एक अलग अध्याय में बुराई के माध्यम को रोकने के सिद्धान्त उसके लागू करने में होने वाली अतिशयोक्ति और इस अतिशयोक्ति के प्रभाव पर वार्ता की जाये।

अल्लाह की शरीअत बनाने का तरीक़ा और सद्दे ज़रीया के सिद्धान्त में सन्तुलन :

अल्लाह की शरीअत बनने के तरीके का हम दो पहलुओं से विश्लेषण करेंगे।

पहलाः अल्लाह की शरीअत की कुछ पहचान।

दूसराः नववी युग में शरीअत के लागू करने के उदाहरण

पहलाः अल्लाह की शरीअत की कुछ पहचान :

अल्लाह की शरीअत के उद्देश्यों और सिद्धान्तों में सन्तुलन है। अल्लाह की शरीअत के उद्देश्य ये हैं कि ईमान वाले निःस्वार्थ होकर अल्लाह की इबादत करें, दोनों के ज्ञान और उसके मसलों को सीखें और सिखायें, दिलों को तमाम बुराइयों से साफ़ औंर पवित्र रखें और भलाई के सिलसिले में एक दूसरे का सहयोग करें। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के सिलसिले में एक दूसरे का सहयोग करें। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये

शरीअत ने सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात को वैध ा किया है। उसके साथ–साथ, शरीअत ने दो नियमों और सिद्धान्तों को भी ज़ोर देकर प्रस्तुत की है। अर्थात 'सददे ज़रियः' का सिद्धान्त और ईमान वालों को सुविधा देने का सिद्धान्त, इसका विवरण निम्न में बयान किया जा रहा हैः

पहलाः इस्लाम ने यह वैध ठहराया कि औरत मर्द को देखे और मर्द औरत को देखे, इस्लाम ने 'सद्दे जरिया' के रूप में इसे अवैध नहीं किया। हां इस देखने के कुछ शिष्टाचार बयान किये है जिससे फितने के सन्देहो को दूर किया जा सकता है। अतः इस तरह मर्द व औरत का एक दूसरे की तरफ़ देखना सतीत्व और समान के वातावरण में होता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''........................ और (सूरह नूरः :31)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''ऐ नबी ! मोमिन मर्दों से कहो कि वह अपनी निगाहें बचा कर रखें अपने गुप्तांगों की रक्षा करें''। (सूरह नूरः :31)

दूसराः इसी तरह शरीअत ने औरत के लिये यह वैध ठहराया है कि वह मर्दों से मुलाक़ात करे और उनसे मिले, शरीअत ने 'सद्देज़रिया' के रूप में इसे अवैध नहीं ठहराया है। हां, इस मुलाक़ात के कुछ शिष्टाचार बयान किये हैं जो मुलाक़ात के बीच फ़ितने के डर को दूर करते हैं। अतः इस तरह मर्द औरत से एक दूसरे से मुलाक़ात सतीत्व व सम्मान के वातावरण में होती है। नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः ''कोई भी मर्द किसी भी अजनबी औरत ही एकान्त में न मिले मगर यह कि उसके साथ कोई महरम हो''।

(बुख़ारी)

तीसराः इसी तरह शरीअत ने औरत के लिये मर्दों से बातचीत करने को वैध ठहराया है और इसे, सददे ज़रिया के रूप में अवैध नहीं ठहराया है। हां, इस बात चीत के लिये एक शिष्टाचार निर्धारित किया है जो फितने के सन्देह को दूर करता है। अतः इस तरह मर्द व औरत के बीच बातचीत सतीत्व व सम्मान के वातावरण में होती है अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''................ दबी ज़बान से बात न करो कि दिल का रोगी लालच में पड़ जाये बल्कि साफ़ व सीधी बात करो। (सूरह अहजाबः 31)

चौथाः शरीअत ने औरतों के लिये रास्तों पर चलने को वैध ठहराया है इसे सददेज़रिया के रूप में मना नहीं किया है। हां, इसके कुछ शिष्टाचार निर्धारित किये है। जो फ़ितने के सन्देह को दूर करने की ज़मानत देते हैंः अल्लाह तआला फ़रमाता है........ .... और अज्ञानता के दौर की तरह साज सज्जा न दिखाती फिरो...(सूरह अहज़ाब–33)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः 'ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियो और ईमान वालों की औरतों से कह दो कि अपने उपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये अध् िाक उचित तरीक़ा है ताकि वह पहचान ली जायें और वह न सताई जायें, अल्लाह तआला क्षमाशील और दयावान है'' (सूरह अहज़ाब–59)

अल्लाह तआला फ़रमाता है : ''..........वह अपने पैर ज़मीन पर मारती हुई न चला करें कि अपनी बनाव सिंगार' जो उन्होंने छिपा रखा है उसका लोगों को ज्ञान हो जाये।

(सूरह नूर : 31)

हज़रत अबू मूसा अशआरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि कोई औरत सुगन्ध लगाकर मर्दों के पास से इसलिये गुज़रती है ताकि उसकी सुगन्ध उन तक पहुंच जाये तो वह व्यभिचारिणी है।

पांचवां : शरीअ़त ने औरत के लिये मस्जिद में जाना वैध ठहराया है और उसे सद्दे ज़रिया के रूप में अवैध नहीं ठहराया है। हां इसके कुछ शिष्टाचार निर्धारित किये हैं ताकि यह काम पवित्रता के माहौल में पूरा हो।

हज़रत फामिता बिन्ते क़ैस फ़रमाती हैं लोगों के बीच मस्जिद में एकत्र होने की आवाज़ लगाई गई। अतः मैं भी लोगों के साथ मस्जिद की तरफ़ चल पड़ी, मैं मस्जिद में औरतों की सबसे अगली सफ़ में थी जो मर्दों की सबसे पिछली सफ़ के बाद थी।

पता चला कि मर्दों की सफ़ों के पीछे औरतों की स्थायी सफ़ें हुआ करती थीं।

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने (औरतों को सम्बोधित करके) फ़रमाया जब तुममें से कोई मस्जिद आये तो सुगन्ध न लगाये। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, जो औरता सुगंध लगाये वह हमारे साथ इशा की नमाज़ में भाग न ले। (मुस्लिम)

छठवां : दासी के सतर ''छिपाने वाले अंगो'' में कमी को शरीअत में वैध ठहराया गया है (हालांकि इस कम करने में फ़ितने का सन्देह है) और दासी को सद्दे ज़रिया के रूप में स्वतन्त्र औरत के समकक्ष नहीं रखा गया। यह वास्तव में अल्लाह की तरफ़ से बन्दों को सुविधा उपलब्ध करना है।

जिस तरह शरीअत ने फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के सिलसिले में सन्तुलन का मामला रखा है और उसके लिये ऐसे बहुत से शिष्टाचार बताये है जो सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के अवसर पर फ़ितने के सन्देहो'' को दूर करने की ज़मानत देते है। इसी तरह शरीअत का एक तरीक़ा यह है।

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने ख़ैबर और मदीना के बीच तीन दिन पड़ाव किया जिसमें आपने हज़रत सफ़ीया बिनी हुयैय के साथ सुहाग रात मनाया, मुसलमानों ने कहां....... यदि आप इन्हें परदे में रखते हैं तो ये उम्मुल मोमिनीन हैं और यदि परदे में नहीं रखते हैं। तो ये अपकी दासीं हैं...... (बुख़ारी व मुस्लिम)

सहीह बुख़ारी की एक हदीस में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति ने हज़रत सअ़द पर कोई आरोप लगाया तो हज़रत सअ़द ने कहा........... ऐ अल्लाह यदि तेरा यह बन्दा झूठा है तो तू इसे लम्बी उम्र दे और मुख और फ़ितनो में डाल दे। 'ताबई' अब्दुल मालिक बिन उमैर कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को उस वक़्त देखा जब बुढ़ापे के कारण उसकी पलके उसकी आखों पर गिर गई थीं वह व्यक्ति इस उम्र में भी सड़को पर नवयुवतियों को छेड़ा करता था। (बुख़ारी)

द्वितीयः नववी युग में अल्लाह की शरीअत के लागू करने के कुछ उदाहरण।

पहलीः फ़ितने के सन्देह के बावजूद नबवी युग की सकारात्मक गतिविधियांः

हम यहां कुछ उदाहरण बयान करेंगे जिनसे उन गतिविधियों का स्पष्टीकरण होगा, इस तरह की अनगिनत मिसाले भाग–दो के पॉचवसें अध्याय में गुज़र चुकी हैं।

विशेश क्षेत्र :

सवारी पर औरत का मर्द के पीछे सवार होनाः हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र फ़रमाती हैं, ... फिर मेरी नबी (सल्ल.) से मुलाक़ात हो गई। आपके साथ कुछ अन्सारी सहाबा भी थे आपने मुझे बुलाया और मुझे अपने पीछे सवार करने के लिये सवारी को बिठाने लगे............

फ़त्हुल बारी में लिखा है कि मुहल्लब कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि मर्दों के क़ाफ़िले में में औरत का मर्द के पीछे सवारी पर सवार होना वैध है।

हम यहां थोड़ी देर रूक कर विचार करें कि नबी (सल्ल.) सहाबा के साथ किस तरह रूक गये और आपने हज़रत अस्मा को आवाज़ दी और उन पर दया के कारण प्रस्ताव किया कि वह आपके पीछे सवार हो जायें, यदि हज़रत अस्मा हज़रत ज़ुबैर की सीमा से अधिक आत्मसम्मान को ध्यान में न रखती तो वह इतना न शर्माया करतीं और आप (सल्ल.) का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती।

मर्द का अपने दोस्त की बीवी के पास जाना (कि एकान्त में मिले)

हज़रत अबू जुहैफः फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत सलमान और हज़रत अबूदरदाअ के बीच भाई चारा स्थापित कराया, एक बार हज़रत सलमान हज़रत अबू दहदा से मिलने गये उन्होंने देखा कि हज़रत उम्मे दरदा बहुत कमज़ोर स्थिति में है। अतः उन्होंने उसे पूछा कि ये आपको क्या हुआ है उन्होंने उत्तर दिया आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं............'' (बुख़ारी)

इस हदीस में यह बयान हुआ हैं कि एक प्रतिष्ठित सहाबी अपने दोनों भाई की बीवी के पास जाते हैं वह जब उन्हें ख़राब हालत और मामूली कपड़ों में देखते है। तो उनसे इसका करण पूछते है। इस पर वह पूरी स्पष्टता के साथ कारण बयान कर देती है।

मर्दों की सभा में किसी ने व्यक्ति को स्वयं का प्रस्ताव करना :

हज़रत सहल बिन सअर फ़रमाते हैं कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई और उसने कहा ऐं अल्लाहके रसूल मैं अपने आपको आपके हवाले करने आई हूं। अतः नबी (सल्ल.) न उसे देखा उसको ऊपर से नीचे तक देखा फिर अपना सिर झुका लिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत साबित अल–बन्नानी कहते हैं कि हज़रत अनस ने बताया कि एक औरत अपने आपको नबी (सल्ल.) के हवाले करने आई हज़रत अनस की बेटी न यह सुनकर

कहा। वह औरत कितनी बेशर्म थी हज़रत अनस ने फ़रमाया वह तुमसे अच्छी थी। उसने नबी (सल्ल.) के व्यक्तित्व में दिलचस्पी पैदा हुई तो उसने स्वयं को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया....... (बुख़ारी)

सामान्य क्षेत्र

मस्जिदः हज़रत रूबैअ़ बिन्ते मुअब्बिज़ बिन अफ़रः फ़रमाती हैं...........बाद में हम आशूरा के दिन रोज़ा रख करते थे और अपने बच्चों से भी रोज़ा रखवाते थे मुस्लिम में यह जोडा गया है और हम मस्जिद चले जाते और बच्चो के लिये उनका खिलौना बना देते. ....।(बुख़ारी व मुस्लिम)

विचार कीजिये कि हज़रत रूबैअ़ किस तरह अपनी दूसरी बहनों के साथ मस्जिद में जाकर बैठा करती थीं और बच्चों को खेल में लगा देती थी ताकि वह अपना रोज़ा पूरा कर सके।

इसके पहले यह बयान आ चुका है कि मुसलमान महिला बारह आवष्यकताओं के अन्तर्गत मस्जिदे नबवी जाती थीं जो इस तरह हैः नमाज़ की अदायगी (चाहे वह नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्ल हो या जुमा हो या नज़ की हो या जनाज़े की हो या सूर्य ग्रहण की हो) एतिकाफ़, एतकाफ़ में बैइने वाले से मिलने, ज्ञान की वार्तायें सुनने, ख़ाली समय मोमिन बहनों के साथ व्यतीत करना जनसभा की पुकार पर लब्बेक कहता, समारोहों में भाग लेना, मसलों और फ़तवा की सभाओं में भाग लेना, घायलों की सेवा, और मस्जिद की सेवा और मस्जिद में सोना।

ईद मनाना–

हज़रत उम्मे अतीमः फ़रमाती हैं कि हम औरतों को ईद के दिन ईदगाह जाने का आदेश दिया जाता था। यहां तक कि हम नवयुवती लडकियों को परदे से निकाल कर ले जायें बल्कि मासिक धर्म वाली औरतें को भी ले जायेंः हाँ, उन औरतों यह आदेश था कि वह लोगों के पीछे रहें उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहें उनके साथ हुआ करें और उस दिन की बरकत ओर पवित्रता प्राप्त करने की आशा रखे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

विचार कीजिये कि नबी (सल्ल.) ने तमाम औरतों को ईदगाह ले जाने पर कितना ज़ोर दिया हैं यहां तक कि आपने उम नव उम्र लड़कियों को भी ईदगाह ले जाने पर जोर दिया जिनको साधारणतः लोग ईदगाह नहीं ले जाते और उन्हें षादी तक बिल्कुल परदे में रचातें है। बल्कि इससे भी बढ़कर आपने मासिक धर्म वाली औरतों को ईदगाह ले जाने का आदेश दिया है। वह नमाज़ तो नहीं पढ़ेगी लेकिन भलाई की प्राप्ति में मुसलमानों के साथ भागीदार रहेंगी।

जेहादः हज़रत हफ़्सा कहती हैं...................... फिर एक महिला आई उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया और कहा। उनके बहनोई नबीर(सल्ल.) के साथ बारत युद्धो में भाग लिया और किस तरह उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसमें मर्दों के साथ उनका मेल–जोल होता था।

पता चला कि समाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के उपर्युक्त तमाम रूपों की नबी (सल्ल.) ने पुष्टि की है हालांकि इन तमाम रूपों में फितने की आशंकाए हैं इससे पता चला कि ऐसी संभावनाओं से (जो अभी आशंका के ही दर्जे में हो। नकि विश्वास के दर्जे में) आंख बन्द करना आवष्यक है।

द्वितीय फ़ितने को भड़काने वाली किसी चीज़ के प्रकट हो समय नबी (सल्ल.) का उसके माध्यम पर रोक लगाने के लिये पक्का प्रबन्ध करना

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया रास्ते में बैठने से बचों, सहाबा ने कहा हमारा रास्ते में बैठना तो आवश्यक है क्योंकि हम वहां बात–चीत करते है। आपने फ़रमाया अच्छा तो जब तुम वहॉ बैठो तो रास्ते का हक अदा करो। सहाबा ने पूछा रास्ते का अधिकार क्या है आपने फ़रमाया, निगाहें झुकाकर रखना कष्टदायक चीज़ों को हटाना और सलाम कर जबाब देना, भले कामों का आदेश देना बुरे कामों से रोकना। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी (सल्ल.) को यह महसूस हुआ कि रास्तें में मर्दों का बैठना फितने की आशंका रखता है क्योंकि इस स्थिति मं औरतों को परेशानी होगी और मर्द भी फ़ितने में पड़ेंगे तो आपने फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के लिये एक ऐसी प्रबन्ध किया जो फ़ितने की आशंका मिटानें की जमानत देती थीं अतः आपने फ़रमायाः रास्तें बैठने से बचो लेकिन जब आपके सामने यह बात स्पष्ट हुई कि इस प्रबन्ध से मर्दों को कष्ट का समाना करना पड़ेगा जिसको स्वयं सहबा ने व्यक्त किया तो अपने एक दूसरा प्रबन्ध आपने मर्दो को रास्ते में बैठने की अनुमति तो दे दी लेकिन उन्हें बहुत से शिष्टाचार अपनाने की नसीहत की जो फ़ितने के सन्देह को दूर करने में सहायक होते हैं और साथ ही साथ मोमिनों के बीच प्रेम को रखते हैं वह शिष्टाचार ये हैं। निगाहें झुकाकर रखना कष्टदायक चीजों को रास्ते से हटाना सलाम का उतर देना नके काम का आदेश देना और बुरे काम से रोकना।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं कि दस ज़िल हिज्जा को नबी (सल्ल.) ने फ़ज़्ल बिन अब्बास को अपनी सवारी के पीछे बठाया, वे एक सुन्दर नौजवान थे नबी (सल्ल.) रूककर लोगों के सवालो के जवाब देने लगे इतने में ख़श्अम् की क़बीले की एक सुन्दर औरत भी आकर आपसे कुछ पूछने लगी, फ़ज़्ल बिन अब्बास उसे देखने लगे उन्हें उसकी सुन्दरता अच्छी लगी नबी (सल्ल.) उनकी तरफ़ मुड़ तो उन्हें उस औरत की तरफ़ देखते हुए पाया अतः आप अपना हाथ पीछे ले गये फ़ज़्ल की छुड्ढी पकड़कर उनका चेहरा दूसरी तर फेर दिया ताकि वह उस औरत को न देख सकें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यहां प्रबन्ध के रूप है प्रथमः बुराई को अपने हाथ से रोकना, दूसरे औरत के चेहरे के फितने का इलाज करना, इसके लिये, मर्दों को अपनी निगाहें झुकाकर रखने का आदेश

देना चाहिए न कि औरतों का अपने चेहरों को छिपाने का आदेश दिया जाये। निगाह नीची रखने को निश्चित बनाने के लिये पहले दर्जे में शिक्षा व प्रशिक्षण और नसीहत का सहारा लेना चाहिये और दूसरे इर्जे में समाज की निगरानी और समाज में अच्छाई का आदेश और बुराई से रोकने का कर्तव्य पूरा करना चाहिये।

हज़रत सहल बिन सअ़द फ़रमाते हैं कि कई लोग नबी (सल्ल.) के साथ बच्चों की तरह अपने कमरबन्द अपनी गर्दनो पर बांधे हुए नमाज़ पढ़ा करते थे अतः औरतों से कहा गया कि तुम लोग नमाज़ में अपना सिर सजदे से उस समय तक न उठाओं आज तक मर्द सीधे होकर बैठ न जायें

नबी (सल्ल.) ने महसूस किया कि चूंकि कुछ सहाबा के कपडे, गरीबी के करण छोटे है। अतः सजदे की हालत में छिपाने वाले अंगो के खुल जाने का सन्देह है जो औरतों के लिए फितने का कारण हो सकता है। अतः आपने फितने से बचने के लिए यह आसान और विवेकपूर्ण प्रबन्ध अपनाया लेकिन बुराई को रोकने के प्रबन्ध के रूप से मस्जिद आने से नहीं रोका।

हज़रत उम्में सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब नबी करीम (सल्ल.) नमाज़ का सलाम फेरते तो सलाम फेरने के शीघ्र बाद औरतें उठ कर जाने लगती आप (सल्ल.) खड़े होने से पहले थोडी देर तक अपनी नमाज़ की जगह ठहरे रहते, इब्ने शिहाब(रह.) फ़रमाते हैं कि मेरा विचार है (अल्लह बेहतर जानता है) कि नबी करीम (सल्ल.) नमाज़ के बाद कुछ देर नमाज़ की जगह इसलिये ठहरे रहते थे ताकि मर्दों के निकलने से पहले औरतें अपने घरों को पहुंच जाऐ और रास्ते में किसी मर्द की औरत से मुलाक़ात न हो। (बुख़ारी)

उपयुर्क्त हदीस से नबी करीम (सल्ल.) के इस कथन का समर्थन होता है कि क्या ही अच्छा होता कि हम लोंग इस दरवाज़े को औरतों के लिये छोड़ दें। नबी करीम (सल्ल.) ने यह बात महसूस की कि कुछ मर्द नमाज़ के बाद शीघ्र ही तेज़ी के साथ उठकर चले जाते है और इस तरह मस्जिद से निकलते समय मर्दों और औरतों के बीच मेलजोल हो जाता है। जिसके कारण मर्द औरत प्रत्येक के लिये फितने का डर है। अतः फितने से सुरक्षित रहने के लिये नबी करीम (सल्ल.) ने यह आसन युक्ति अपनाई, लेकिन 'सद्देज़रिया' के रूप में औरत को मस्जिद आने से नहीं रोका।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन आस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल) मिम्बर पर खड़े हुए और फ़रमाया आज के बाद कोई मर्द किसी ऐसी औरत के पास जिसका पति मौजूद न हो केवल उस स्थिति में में जाये जब उसके साथ एक या दो मर्द हों। (मुस्लिम)

नबी करीम (सल्ल.) को यह पता चला कि कुछ मर्दों के ऐसी औरतों के पास जाने के कारण जिनके पति मौजूद नहीं थे और उनसे एकान्त में मिलने के कारण कुछ फ़ितने और बिगाड़ की घटनायें घटीं हैं। अतः आप (सल्ल.) ने तत्व दर्शिता और युक्ति अपनाते

हुए इस फितने और अबगाड़ की जड़ से ही उखाड़ दिया,लेकिन ऐसी औरत के पास मर्दों के जाने को जनके पति मौजूद नहो अवैध नहीं ठहराया।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं जिन मोमिन औरतों ने आप (सल्ल.) की तरफ़ हिजरत की थी उन्हें आप (सल्ल.) इस आयत के माध्यम से आज़माते थे '''ऐ नबी जब मोमिन औरतें तुम्हारे पास इस बात पर बैअत के लिए आया करें......'' जो मोमिन महिला इन शर्तों को स्वीकार कर लेती उससे आप (सल्ल.) मौखिक रूप से फ़रमाते मैंने तुमसे बैअत कर ली। अल्लाह की क़सम औरतों से बैअत करते समय कभी भी आप (सल्ल.) का हाथ किसी भी औरत के हाथ से नहीं छूआ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुबता में हज़रत उमैगः बिन्ते रकीकः (रज़ि.) से है एक रिवायत है ....औरतों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आइये हम आप से बैअत करेगें, आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाया करता।

उपयुक्त हदीस में इस बात का उल्लेख है कि नबी करीम (सल्ल.) ने अपने हाथ को रोके रखा और फ़रमाया'' मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाया करता ''यह भी फितने से सुरक्षित रहने की विवकेपूर्ण उपाय है। इसका कारण यह है कि नबी करीम (सल्ल.) ने यह महसूस किया कि हाथ मिलाने की स्थिति में सामान्य औरतों के लिये फितने से सुरक्षित रहना कठिन है और इस तरह औरत कों का इमाम से बैअत करने और हाथ मिलाने का रिवाज हो जायेगा। इसलिये आप (सल्ल.) ने हाथ मिलाने को अवैध ठहरा दिया। और अवैध केवल हाथ मिलाना ही नहीं है क्योकि नबी (सल्ल.) ने महसूस किया कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि) ओर हज़रत उम्मे हराम (रज़ि.) किसी तरह के फितने से नहीं पड़ेगी तो आप (सल्ल.) ने उन दोनों को अपना शरीर छूने की अनुमति दे दी। पता चला कि मर्दों और औरतों के सामान्य शिष्टाचारों और कुछ मर्दों के अपवाद के हालात के बीच अन्तर करना अनिवार्य है क्योंकि कुछ मर्दों का औरतों के के बीच रिश्तेदारी का निकट सम्बन्ध था दूसरे किसी कारण के आधार पर किसी तरह के फ़ितने का डर नहीं होता।

तृतीयः नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा (रज़ि.) का सामान्य रूप से कठोर व्यवहार से रोकना, विशेषतः औरत के फ़ितने के सिलसिले में कठोर व्यवहार से रोकनाः

विधाता ने किन से फ़ितने से सुरक्षित रहने और बचने का तरीक़ा भी बताया है यदि विधाता के ये महसूस होता कि ये शिष्टाचार काफ़ी नहीं हैं तो उसने मुसलमानों के सम्मान की रक्षा के लिये और बहुत से शिष्टाचार निर्धारित किये होते क्योंकि नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''क्या तुम लोगों के असद्र के आत्म सममान पर आश्चर्य होता है। अल्लाह की क़सम मैं उनसे अधिक आत्मसम्मान वाला हूं और अल्लाह मुझसे अधिक आत्मसम्मान वाला है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक अवसर पर नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमायाः ''अल्लाह से अधिक आत्मसम्मान वाला कोई भी नहीं है इसीलिये अल्लाह ने अश्लील बातों को अवैध ठहराया है''

(बुख़ारी व मुस्लिम)

विभिन्न धर्मों के मानने वालो में कट्टरता का पाया जाना एक प्राचीन समस्या है इस कट्टरता का एक प्रकटीकरण हज़रत अनस (रज़ि.) की निम्नलिखित हदीस में देखने को मिलता हैः

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं यदि किसी यहूदी औरत के अधिक धर्म होता तो दूसरे यहूदी न ही उसके साथ कुछ खाते न ही उसके साथ कुछ पीते और न ही घर में उससे मिलते जुलते, सहाबा (रज़ि.) ने इस सिलसिले में नबी करीम (सल्ल.) से पूछा तो उस अवसर पर अल्लाह ने यह आयत उतारी ''और वे लोग आपसे हैज़ मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिये। वह गन्दगी है............'' अतः नबी (सल्ल.) ने सहाबा को आदेश दिया कि वह हैज़ वाली औरत के साथ खायें–पीयें, घरों में उनसे मिले जुलें और उनके साथ संभोग के अतिरिक्त सब कुछ करें।

इस कट्टरता का एक और प्रकटीकरण हज़रत अबू मूसर की निम्न लिखित हदीस में देखने को मिलता हैः :अब बनी इसहाईस के किसी व्यक्ति के कपड़े में पेशाब लग जाता तो वेउसे कैंची से काट देता'' (बुख़ारी)

नबी करीम (सल्ल.) ने हमें पिछले लोगा के विलन के रवैये का अनुकरण करने से रोका है। कट्टरता भी इसी रवैये का एक हिस्सा हैं।

हज़रत आू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया क़यामत उस समय तक नहीं आयेगी जब तक मेरी उम्मत अपने से पहले के लोगों की पूरी–पूरी अनुकरण न करने लगेः आप (सल्ल.) से कह गया क्या फारस ओर ज्ञपकी तरह? 'आप (सल्ल.) ने फ़रमाया क्या उनके अतिरिक्त भी कोई है? (बुख़ारी)

हज़रत अमू सईदखुदररी (रज़ि.) फ़रमाते हैं नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तुम लोग अपने से पहले के लोगों का पूरा–पूरा अनुकरण करोगे, यहां तक कि वह मोह वे बिल में घुसे होंगे तो तुम भी उसमें घुसोंगे, हमने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) क्या इसके तात्पर्य यहूदी और ईसाई है? नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तो और कौन हो सकता है? (बुख़ारी)

अल्लाह ने हम मुसलमानों पर दया करते हुए एक विस्तृत शरीअत उतारी और हमें हर तरह की कट्टरता से दूर रहने का आदेश दिया। नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''दीन आसानी का नाम है। जो व्यक्ति भी कठोरता के सिलसिले में दीन हो स्पर्धा करता है तो दीन उस पर भारी हो जाता है''। (बुख़ारी) एक और अवसर पर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अतिशयोक्ति करने वाले बर्बाद हो गये। अतिशयोक्ति करने वाले बर्बाद हो गये, अतिशयोक्ति करने वाले बर्बाद हो गये, (मुस्लिम) हज़रत उमर बिन अमू सलमान ने नबी करीम (सल्ल) से पूछा क्या रोजेदार बोसा ले सकता है आप (सल्ल.) ने उनसे फ़रमाया कि इनसे (अर्थात हज़रत उम्मे सलमा से) पूछ लो। अतः हज़रत उम्मे सलमा ने उन्हें बताया कि नबी करीम (सल्ल.) ऐसा किया करते हैं। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) अल्लाह ने तो आपको अगले पिछले सभी गुनाह क्षमा कर दिये हैं इस पर नबी (सल्ल.) ने उनसे कहा सुन लो अल्लाह की क़सम मैं तुमसे अधिक अल्लाह से डरने वाला हूं।

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम (सल्ल.) के पास एक सवाल पूछने आया मैं दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उसने कहा ऐ अल्लह के रसूल अभी मैं अपवित्रता की स्थिति में होता हूँ तो उषा काल प्रारम्भ हो जाता है तो क्या मैं ऐसीं स्थिति में रोज़ा रखा करू? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया मैं भी अपवित्रता की स्थिति में होता हूं कि उषा काल प्रारम्भ हो जाता है और फिर मैं रोज़ा रखता हूं, उस व्यक्ति ने का ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आप हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने आपके अगल–पिछले सभी गुनाह क्षमा कर दिये है आप (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह की क़सम मेरा विचार है कि मैं तुममें सबसे अधिक अल्लाह से डरनेववाला हूं। (बुख़ारी)

सहाबा ने भी नबी करीम (सल्ल.) ने इसी खच्चे को अपनाया। अतः जिन चीजों का रद्द् नबी करीम (सल्ल.) ने किया था उनका उन लोगों ने भी रद्द् किया। इसके बहुत से उदाहरण मिलते है। जिन में से कुछ निम्नलिखित हैः

कुछ सहाबा का एक ताबई पर रोक टोक करना

हज़रत जुरार कहते हैं कि हज़रत सअ़द बिन हिशाम आमिर (रज़ि.) ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का इरादा किया अतः वह मदीना आये और उन्होंने सोचा कि मदीना में मौजूद अपनी जायदाद बेचकर उससे हथियार बना लें और घोड़ा ख़रीद लें और रूम से जिहाद करें यहां तक कि अल्लाह तआला उन्हें शहादत का दर्जा प्रदान करे जब वह मदीना आये तो मदीना के कुछ लोगों से उनकी मुलाक़ात हुई। उन लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें बताया कि नबी करीम (सल्ल.) के युग में भी छः लोगों ने ऐसा इरादा किया था लेकिन नबी करीम (सल्ल.) ने उन्हें इस इरादे से रोक दिया और फरमााया क्या तुम्हारे पास कोई आदर्श नहीं है जब मदीने के लोगों ने उनसे यह बात बताई तो उन्होंने अपनी बीवी से रजूअ कर लिया। क्योंकि वह पहले उन्हें तलाक़ दे चुकें थे और उस रजू पर कुछ लोगों को गवाह बनाया...............।

हज़रत हुज़ैफ़ का हज़रत मूसा पर आपत्ति करना

अबू वाइल (रज़ि.) कहते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअ़री पेशाब के मसले में बहुत सख़्ती से काम लेते थे। अतः हज़रत हुज़फा ने कहा काश! अबू मूसा अपनी सख़्ती को छोड देते! एक बार नबी करीम (सल्ल.) एक क़बीले के घर के पास आये और आप (सल्ल.) ने खड़े होकर पेशाब कर किया। (बुख़ारी)

हज़रत उमर का एक आदमी पर आपत्ति करना :

मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि हज़रत उमर कुछ लोगों के बीच थे। वहसब क़ुरआन की तिलावत कर रहे थे। इसी बीच हज़रत उमर (रज़ि.) शौच के लिये गये फिर वापस आकर क़ुरआन की तिलावत करने लगे। एक व्यक्ति ने उनसे कहा। ऐ अभीरूल मोमिनीन आप वुज़ू से नहीं है फिर भी क़ुरआन की तिलावत कर हरहे है। हज़रत उमर ने उससे कहा तुम्हें किसने यह फ़तवा दिया है? क्या मुसैलिया ने? (मलिक)

उपर्युक्त उदाहरण सामान्य रूप से सख्ती को रोके जाने से सम्बन्धित हैं कट्टरता का अर्थ यह होता है कि शरीअत ने लोगों को जो सुविधायें प्रदान की हैं उसका विरोध किया जाये इसका तरीक़ा यह होता है शरीअत ने जो चीज बैध ठहराई है उसे अवैध ठहराया जाये या शरीअत ने जिस चीज को अनिवार्य नहीं किया उसे अनिवार्य (वाजिब) किया जाये अब हम निम्न में नबी करीम (सल्ल.) सहाबा और तवाइयों की ऐसी घटनाओ का उल्लेख करेंगे जिनमें उन्होंने विशेष रूप से औरत के फ़ितने के माध्यम को रोकने के लिये कठोरता बरतने पर आपति की हैः

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि औरतों को बिन उमर ने उन्हें डांटा, (एक रिवायत में हैः इस पर उन्होंने अपने बेटे को बहुत सख्ती से फटकारा, मैंने उनका इस तरह डांटते हुए कभी नहीं देखा) और कहा। मैं ये कह रहा हू कि नबी करीम (सल्ल.) ने ऐसा फ़रमाया हे और तुम कह रहे हो कि हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। (मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि शायद बेटे ने यह बात इसलिए कही थी कि वह देख रहे थे कि उनके युग की औरतों में बिगाड़ बहुत फैल गया था। अतः उनके आत्मसम्मान ने उनको ये कहने पर उकसाया................ हज़रत अब्दुल्लाह के अपने बेटे पर आपत्ति करने से यह पता चलता है कि जो व्यक्ति हदीसां पर अपनी राय से आपत्ति उसका सुधार अत्यन्त अनिवार्य है।

इब्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे अता ने बताया कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लह को कहते हुए सुना कि ईद के दिन नबी करीम (सल्ल.) खड़े हुए आप (सल्ल.) ने सबसे पहले नमाज़ पढ़ाई फिर खुत्बा दिया। जब आप खुत्बा दे चुके तो आप (सल्ल.) मिम्बर से नीचे उतरे और औरतों के पास गये और उन्हें नसीहत की......... मैंने अता से कहा क्या आप ये समझते हैं कि औरतों को नसीहत करना इमाम का अधिकार है? उन्होंने कहा हां, यह इमाम का अधिकार है और इमाम इसे क्यों न करे? (बुख़ारी व मुस्लिम)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि अयाज़ का यह कहना है कि नबी (सल्ल.) ने ख़ुत्बे के बीच औरतों को नसीहत की थी(अर्थात आप (सल्ल.) ने अलग से विशेष रूप में औरतों को नसीहत नहीं की थी) यह घटना इस्लाम के प्रारम्भिक युग (अर्थात परदा के अनिवार्य होने से पहले का है और यह केवल नबी करीम (सल्ल.) के साथ विशेष था (क्योंकि आप (सल्ल.) तमाम फ़ितनों से सुरक्षित और निर्दोष थे)। इमामनवबी इसके उत्तर में उपयुक्त स्पष्ट रिवायत प्रस्तुत करते है और कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने औरतों को खुल्ले के बाद नसीहत की थी। इसकी दिये वाक्य हैः ''जब आप (सल्ल.) ख़ुत्बा दे चुके तो मिम्बर से नीचे उतरे और औरतों के पास गये और उन्हें नसीहत की।'' और यह बात प्रसिद्ध है कि विशेषता आशंका से सिद्ध नहीं हुआ करती...................हज़रत अता (रह.) के यह कहने से कि ''ये इमाम का अधिकार है' पता चलता है कि उनका मत यही है।

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम ईदों में अपनी नव उम्र लड़कियों को ईदगाह नहीं जाने दिया करते थे। (एक बार) एक महिला आई और वह बनू खल्फ के मकान में ठहरीं, उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया.......... उन्होंने कहा....... फिर मेरी बहन ने नबी करीम (सल्ल.) से पूछा, यदि हममें से किसी के पास चादर न हो और वह ईदगाह की तरफ़ न जाये तो क्या इस सिलसिले में उस पर कोई दोष है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया उसे चादर ओढ़ कर भलाई और बरकतें और मुसलमानों की दुआ में सम्मिलित होना चाहिये।

जब हज़रत उम्मे अतीया आई तो मैंने उनसे पूछा क्या आपने नबी करीम (सल्ल.) को ऐसा करते हुए सुना है उन्होंने कहा हां, मैंने नबी करीम (सल्ल.) को ये कहते हुए सुना है कि नई उम्र और पर्दे में रहने वाली लड़किया और मासिक धर्म वाली महिलाएँ भी ईदगाह जायें और भलाई, बरकतों और मोमिनो की दुआओं में सम्मिलित हों। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं....... उस युग के लोग शायद नई उम्र की लड़कियों को ईदो में ईदगाह इस लिये नहीं जाने देते थे क्योंकि नबी करीम (सल्ल.) के युग के बाद के युग में बहुत सी खराबियां फैल गई थी। लेकिन सहाबी नई उम्र की लड़कियों को ईदगाह जाने से रोकने के समर्थक नहीं थे बल्कि उन्होंने इस सिलसिलमें वही ओदश जारी रखा जो नबी करीम (सल्ल.) के युग में था।

इब्ने जुरैज कहते है। हमसे अता ने बताया कि जब इब्ने हिश्शाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ करने से रोका तो उन्होंने कहा कि इब्ने हिश्शाम किस तरह औरतों को मर्दों के साथ तवाफ किया करती थीं। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं............. चूंकि इब्ने हिश्शाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ करने से पूरी तरह रोक दिया था इसलिए अता ने उस पर आपति की और हज़रत आयशा (रज़ि.) के अमल को दलील के रूप में प्रस्तुत किया।

'सद्दे ज़रिया' के सिद्धान्त के सिलसिले में शरीअत के सन्तुलित रवैये के महत्वपूर्ण इशारे सद्देज़रिया के सिद्धान्त में सन्तुलन और बन्दो की सुविधा उपलब्ध करने का महत्व उसका इशाराः

बन्दों को सुविधा देना शरीअत का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। अल्लाह तआला फ़रमाता है.............. अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है सख्ती करना नहीं चाहता......(सूरह बक़रा 78)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैंः ''.................और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, क़ायम हो जाओं अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर................(सूरहहज्जः78) नबी सल्ल. का इरशाद है ''नरमी से काम करो सख्ती न करो'' हज़रत आयश रज़ि फ़रमाती हैं कि ''जब भी दो मामलों के बीच नबी(सल्ल.) को चुनाव का अधिकार दिया जाता तो आप उनमें से आसान का चुनाव करते। फ़िक़्ह के नियम के अनुसार कठोरता, सुविधा का कारण बनती

है वैध के दायरे में विस्तार पैदा करना, लोगों को हर मामलों में सुविधा देने के समान है और इसके विपरीत यदि वैधता का दायरा तंग कर दिया जाये तो लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि सद्देजरिया के सिद्धान्त में सन्तुलित मार्ग अपनाया जाये तो वैध चीज़ों का दायर विस्तृत होता है और कभी–कभी ही तंग होता है और इस तरह लोगों को वह सुविधा उपलब्ध होती है जो अल्लाह तआला ने शरीअत के अनुसार वैध ठहराया है लेकिन यह एक हक़ीक़त है कि जब भी सद्देज़रिया के मामले में अतिश्योक्ति किया जाता है तो इसमें वैधता का दायर अत्यन्त तंग हो जाता है और बहुत से वैध मामले हराम हो जाते हैं हालांकि शरीअत बनाने वाले (विधाता) ने उन्हें हलाल ठहराया होता है।

''सद्देज़रिया '' के सिद्धान्त में सन्तुलन और उसकी तरफ़ इसका इशारा कि वास्तविक बात मुसलमान की गुनाह से मुक्त होना है :

मुसलमान की बरीअत' गुनाह से मुक्ति से तात्पर्य उसकी प्रकृति के लिये स्थायित्व है इसी के आधार पर मुसलमानो को शरई मामलों का पाबन्द किया जाता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है। ''हमने इन्सान की बेहतरीन ढॉचे पर पैदा किया फिर उसे उलट फेर कर सब नीचों से नीच कर दिया। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाये और नेक अमल करते रहे कि उनके लिये कभी समाप्त न होने वाला बदला है''। (सूरह तीनः4–6)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''इन्सान अधीर पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो घबरा उठता है। किन्तु जब उसे सम्पन्नता प्राप्त होती है तो वह कृपणता दिखाता है किन्तु नमाज़ अदा करने वालों की बात और है''

(सूरह मआरिज–19–22)

अतः जो मोमिन नमाज़ की पाबन्दी करते है। वही बेहतनीन ढ़ॉचे पर हैं प्रकृति की दृढ़ता के योग्य है। अल्लाह के हक़दार है और यही लोग हैं जिनके बारे में विधाता का यह विचार है कि वह उसके आदेशों और मना की हुई बातों का पालन करते हैं। चूंकि शरीअत ने सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी के विभिन्न रूपों को स्वीकार किया है। अतः इससे पता चलता है कि विधाता ने नमाजियों की दृढ़ता को स्वीकार किया है इसका यह अर्थ नहीं है कि नमाज़ियो से कभी कोई गलती नहीं हो सकती शरीअत ने औरत को जेहाद में भाग लेने, मुजाहिदीन को पानी पिलाने घायलो का उपचार करने और मरीजो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की अनुमति दी है हालांकि ये काम ऐसे है जिनके कारण फितने की आशंका है लेकिन फिर भी शरीअ़त ने इन तमाम कामो को वैध ठहराया है क्योंकि विधाता को मुसलमान मर्दों व औरतों की प्रकृति और दृढ़ता पर भरोसा है। इसके साथ–साथ एक मसला यह भी है कि मुस्लिम सेना को औरतों की तरफ़ से ऐसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।

इसी तरह शरीअ़त ने इस बात को भी स्वीकार किया है। बल्कि लोगों को उभारा है कि यदि कोई मुसलमान जेहाद करने जाये तो उसका दूसरा मुसलमान भाई उसकी ग़ैर मौजूदगी में उसके घर वालों की देखभाल करे हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद कहते हैं कि नबी

(सल्ल.) ने फ़रमाया जिसने अपने मुजाहिद भाई के घर वालों की उसकी गैर मौजूदगी में देखभाल की तो उसका पद भी मुजाहिद ही की तरह है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई मुसलमान किसी मुजाहिद के घर वालों की देख भाल करेगा तो प्राकृतिक रूप से उसकी मुलाक़ात उसकी बीवी से होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मुजाहिद को लम्बे समय तक अपने घर से दूर रहना पड़े और इस स्थिति में फ़ितने की आशंका बहुत बढ़ जाती है लेकिन शरीअत ने फिर भी मर्द को ऐसी औरत और उसके घर की देखभाल की न केवल अनुमति दी बल्कि उसके लिए प्रेरित किया है क्योंकि जहां एक तरफ़ शरीअ़त को मुसलमान की दृढ़ता पर भरोसा है वहीं दूसरी तरफ़ शरीअ़त का यह भी एहसास है कि मुजाहिद की बीवी और घर वालों की आवश्यकतायें पूरी की जायें, और साथ ही साथ मुसलमानों में आपसी सहयोग की भावना विकसित हो। चूंकि इस मामले में मुसलमानों की प्रकृति की दृढ़ता पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। अतः यदि इसमें कोई खयानत करता है तो उसी के अनुसार उसकी सज़ा भी बहुत कठोर है। मुजाहिद के घर वालों के साथ ख़यानत करने की गम्भीरता, इस अपराध के घृणित होने और कठोर दण्ड़ को बयान करते हुए नबी (सल्ल.) फ़रमाते हैं, युद्ध से पीछे रह जाने वाले लोगों पर मुजाहिदों की पाक बीवियों का सम्मान (हुरमत) उनकी माँ की हुर की तरह है यदि युद्ध में सम्मिलित न होने वाला कोई व्यक्ति, किसी मुजाहिद के घर वालों की देखभाल करता है फिर उनके सिलसिले में कुछ ख़यानत कर बैठता है। तो क़यामत के दिन उसे रोक लिया जायेगा। और जिस मुजाहिद के साथ उसने ख़यानत की थी वह उसके अमल में से जितना चाहोगा ले लेगा। अतः तुम्हारा ऐसे अमल के बारे में क्या विचार है। (मुस्लिम)

'सद्दे ज़रीया' के सिद्धान्त में सन्तुलन के रास्ते को अपनाया इस बात की दलील है कि मुसलमान की प्रकृति की दृढ़ता पर भरोसा किया जा रहा है और इसके विपरीत सद्दे ज़रिया के सिद्धान्त में अतिशयोक्ति से काम लेना इस दृढ़ता का इन्कार करने और मुसलमानों के सिलसिले में बुरा विचार रखने की दलील है। मानो कि हम मुसलमानों के सिलसिले में यह विचार रखतें हैं कि वह जिस किसी औरत से मिलेगे उसके साथ दुराचार और गुनाह का रवैया अपनायेंगे, हालांकि अल्लाह तआला ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम मुसलमानों के समाज पर भरोसा करें और उसके बारे में भलाई की ही आशा रखें।

'इफ़्क' की घटना के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है "जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था उसी समय क्यों न ऐसा हुआ किं मर्द व मोमिन औरतों ने अपने आपसे अच्छा गुमान किया..........(सूरह नूरः 12)

'सद्देज़रिया' के सिद्धान्त में सन्तुलन और वैधता के उच्च स्थान की तरफ़ उसका संकेत फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के बारे में शरीअत ने जो संतुलित राह अपनाई है उससे शरीअत में वैधता के उच्च स्थान का ज्ञान होता है। शरीअत मात्र अनिवार्य (वाजिब) और हराम को ही बयान नहीं करती, बल्कि वह एक मुसलमान को वैध चीज़ों के दायरे में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र देती है। अतः शरीअत के इन तीनों दायरों अर्थात अनिवार्य,

हराम और वैध सीमाओं की रक्षा करना और उन्हें उनकी वास्तविक हालत पर स्थायी रखना अत्यन्त आवश्यक है।

सभी अनिवार्य कार्य ''ईजाबी''(प्रस्ताव) किये हुए अमल होते हैं और ईजाबी अमल इन्सान और उसके जीवन में नई चीज़ें पैदा करता है। इस तरह तमाम अनिवार्य अमल इन्सान और उसके जीवन के लिये लाभदायक हैं। जितनी शुद्धता के साथ और एहसान की भावना के साथ अनिवार्य बातों पर अमल किया जायेगा। उतना ही वह लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन चूंकि इन्सानों में मज़बूत और कमज़ोर हर तरह के लोग होते हैं। अतः अल्लाह तआला ने अनिवार्य कामों (वाजिब) के बारे में फ़रमाया,''अल्लाह किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से बढ़कर बोझ नहीं डालता (सूरह बक़रा 286)

जहां तक हराम चीजों का सम्बन्ध है। तो ये ऐसे गन्दे काम हैं जो जीवन को नष्ट कर देते हैं। अतः अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''और उनके लिये अपवित्र चीज़ें हराम करता है..............।'' (सूरह आराफः 175)

हराम चीज़ों की संख्या अत्यन्त ही कम और सीमित है। नबी (सल्ल.) का कथन हैः अल्लाह की ज़मीन पर उसकी 'हिमा' उसकी हराम की हुई चीज़ें जबकि है इसके मुक़ाबले में अल्लाह की ज़मीन अत्यन्त विस्तृत है। यदि एक तरफ़ अनिवार्य अमल से इन्सान को लाभ पहुंचता है और वह उसमें रोज़ाना कुछ नये लाभ प्राप्त करता है तो दूसरी तरफ़ हराम से बचने से भी यह लाभ होता है कि इसके फलस्वरूप स्थायी पवित्रता प्राप्त होती है।

जहां तक हलाल चीजों का सम्बन्ध है तो ये सांसारिक जीवन की पवित्र चीज़ें होती हैं। अल्लाह फ़रमाता है ''उनके लिये पवित्र चीज़ें हलाल करता है....। (सूरह आराफः175)

सारी पवित्र चीजे हलाल है उसकी दायरा बहुत विस्तृत है इन्सान को इन पवित्र चीजो के प्रयोग में बहुत बड़े पैमाने पर स्वतन्त्रता प्राप्त है। अतः जिस चीज के दायरे को अल्लाह ने विस्तृत किया है हमें उसे तंग नहीं करना चाहिये। मगर यह कि कभी उन पवित्र चीज़ों का ग़लत प्रयोग किया जाये। जैसे शादी के बाद व्यभिचार किया जाये तो यह एक हराम अमल है। अंगूर और खजूर का रस पवित्र चीज़ों में गिना जाता है परन्तु शराब एक हराम चीज़ है व्यापार के माध्यम से माल को बढ़ाना भलें कामों में किया जाता है। लेकिन व्याज के माध्यम से सम्पति को बढ़ाना एक हराम और अवैध क्रिया है।

हमें थोड़ी देर रूक कर निम्नलिखित आयतों पर विचार करना चाहिये। इन सारी आयतों में हलाल चीज़ को हराम ठहराने की भयंकरता की ओर संकेत किया गया हैः

अल्लाह की तरफ़ से हराम चीजों की सूची में बढ़ोत्तरी अत्याचार की सज़ा के रूप में होती हैः ''अर्थात उन यहूदियों के इसी अत्याचारपूर्ण रवैये के कारण और इसलिये कि ये अधिकतर अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और व्याज लेते हैं जिससे उन्हें रोका गया था और लोगों के माल अवैध ढेंर से खाते हैं । हमने बहुत सी वह पवित्र चीज़े उन पर हराम कर दीं जो पहले उनके लिये हलाल थीं। और जो लोग उनमें से काफ़िर हैं उनके लिये हमने दुखदायी यातना तैयार कर रखा है। (सूरह निसाः 160,161)

हलाल को हराम करने पर अल्लाह की फटकार : अल्लाह फ़रमाता हैः '''निश्चय ही घाटे में पड़ गये वे लोग जिन्होंने अपनी संतान की अज्ञानता और मूर्खता के कारण क़त्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को अल्लाह पर झूठा आरोप लगा कर हराम ठहरा लिया। निस्सन्देह वह पथभ्रष्ट हो गये और कदापि वह सीधा रास्ता पाने वालो में से न थे''। (सूरहअनआ़म–140)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ऐ नबी उनसे कहो किसने अल्लाह की बनायी हुई भली चीजों को हराम ठहराया है जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये निकाला था और किसने अल्लाह की प्रदान की हुई पवित्र चीज़ों को अवैध ठहराया है। ये सारी चीज़ें दुनिया के जीवन में भी ईमान वालों के लिये है। और क़मायत के दिन तो विशेष रूप में उन्ही के लिये होंगी, इसी तरह हम अपनी बातें साफ़–साफ़ बयान करते हैं। (सूरह आराफः32) अल्लाह फ़रमाता है ''ऐ लोगों जो ईमान लाये हो। जो पवित्र चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो। और सीमा का उल्लघंन न करो। अल्लाह को उल्लघंन करने वाले अत्यन्त नापसन्द हैं....................''। (सूरहमाइदाः78) अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ऐ नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल किया है? (क्या इसलिये कि) तुम अपनी बीवियों की प्रसन्नतां चाहते हो? अल्लाह क्षमशील और अत्यन्त दयावान है''। (सूरह तहरीम–1)

हलाल को हराम ठहराना अल्लाह के साथ साथ साझी ठहराने के बराबर है अल्लाह फ़रमाता है ''ये शिर्क करने वाले लोग (तुम्हारी बातों के उतर में) अवश्य कहेंगें कि यदि अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते और न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज़ को हराम ठहराते, ऐसी ही बातें बनाबाना कर इनसे पहले के लोगे ने भी सच्चाईं को झुठलाया था। यहां तक कि अन्त में हमारी यातना का मज़ा इन्होने चख लिया। उनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत कर सको, तुम तो केवल गुमान पर चल रह हो और निरी कयास आराइयां करते हो''। (सूरह अनआ़म–148)

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः''ये मुशरिक लोग कहते हैं यदि अल्लाह चाहता तो न हम और न हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी की इबादत करते और न उसके आदेश के बिना किसी चीज़ को हराम ठहराते, ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं तो क्या रसूला पर साफ़–साफ़ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई दायित्व है?

(सूरह नहलः 35)

हलाल को हराम ठहराना और हराम को हलाल ठहराना दोनों बराबर के अपराध हैंः अल्लाह फ़रमाता हैः ऐ नबी उनसे कहो तुम लोगों ने कभी यह भी सोचा है कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिये उतारी थी उसमें सें तुमने स्वयं ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। उनसे पूछो अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी थी? या तुम अल्लाह पर झूठा आरोप लगा रहे हो''? (सूरह यूनुस–9)

अल्लाह फ़रमाता हैः और अपनी जबानों से बयान किये हुए झूठ के आधार पर यह न कहा करो कि यह हलाल है और यह हराम है ताकि इस तरह अल्लाह पर झूठ

आरोपित करो। जो लोग अल्लाह पर झूठा आरोप लगाते है वह कदापि सफल होने वाले नहीं है (सूरह नहल–116)

हलाल को हराम ठहराना शरीअत की दृष्टि में एक अत्यन्त भयंकर बात है, क्योकि हलाल को हराम ठहराना बहुत से झूठे दावों का कारण बनता हैं जैसे अल्लाह की निकटता प्राप्त करने और अधिक सवाब प्राप्त करने का दावा या अल्लाह से डरने और तमाम सन्देहो से दूर रहने का दावा और फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने और फ़ितने से सुरक्षित रहने का दावा आदि, अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों से बच कर अधिक सवाब प्राप्त करने की इच्छा के दावे पर नबी करीम (सल्ल.) ने सख़्त फटकार की है। यह बात प्रचलित है कि जब तीन सहाबियों ने नबी करीम (सल्ल.) की इबादत को अपने लिये कम समझा और सोचा कि उन्हें इससे अधिक अमल करना चाहिये तो नबी करीम (सल्ल.) ने उनकी इस सोच पर उन्हें चेतावनी दी है और फ़रमाया हैः''जो कोई मेरे तरीक़े से बेपरवाही करता है वह मुझमें से नहीं है''। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) ने अल्लाह से डरने के अपने के दावे पर भी कठोर चेतावनी दी और फ़रमायाः ''क्या बात है कि कुछ लोग उस काम के करने से बचते है जो स्वयं मैं करता हूं, '''इसीलिये अल्लामा शौकानी फ़रमाते हैं कि हलाल को छोड देना तक्वा (अल्लाह का डर) नहीं है''। लेकिन कभी–कभी नबी करीम (सल्ल.) की उस हदीस को समझने में लोगों को कठिनाई का समाना का करना पडता है। जिसमें आप ने फ़रमाया है ''हलाल भी स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है और इन दोनों के बीच कुछ सन्देह वाली चीजें है जिनसे बहुत से लोग अवगत नहीं हैं। अतः जो व्यक्ति सन्देह वाली चीजो से बचा रहा उसने अपने दीन और सम्मान की रक्षा कर ली...

(बुख़ारी व मुस्लिम)

इस हदीस से कुछ लोगों के सन्देह हो जाता है। अतः वह सन्देह की चीज़ों के दायरे को इतना विस्तृत कर देते हैं कि उसमें बहुत सी हलाल चीजें भी सम्मिलित हो जाती हैं, हालांकि इस हदीस में यह बात कही गई है कि ''और इन दोनों के बीच कुछ सन्देह वाली चीज़ें हैं जिसे बहुत से लोग अवगत नहीं है'' अर्थात उन सन्देहास्पद चीज़ों के आदेश से कुछ लोग अर्थात उलमा अच्छी तरह अवगत है पता चला कि कभी–कभी बहुत से लोग सन्देहास्पद चीज़ों के सिलसिले में सन्देह में पड़ जाते हैं। अतः उस समय उन लोगों को उससे बचना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस सिलसिले में ज्ञानी लोगों से मिलना चाहिये ताकि उसका आदेश स्पष्ट हो जाये।

जहां तक फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने और फ़ितने से सुरक्षित रहने के दावे का सम्बन्ध है तो इस सिलसिले में गलत बात यह है कि सद्देज़रिया के सिद्धान्त को सही रूप से लागू करने के लिये ''फ़िक़्ह के सिद्धान्त के उलेमा'' ने जो शर्तें बयान की हैं उनका उल्लघंन किया जाये। फ़िक़्ह के सिद्धान्त के उलमा ने यह शर्त लगाई है कि किसी हलाल को उसी स्थिति में हराम ठहराया जा सकाता है जबकि उससे किसी निश्चित बिगाड़ पैदा

होने का भारी विश्वास हो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हलाल को भी हराम कर देते हैं जो कभी–कभी ही ख़राबी का कारण बनते हैं इसी तरह ये लोग इस बात पर विचार किये

बिना कि इन दोनों बातों में से वरीयता प्राप्त को अपनाने की स्थिति में कितना बिगाड़ होगा या कितना लाभ होगा, शीघ्र ही तबाही व बर्बादी का दावा करने लगते है।

विधाता ने हलाल चीज़ों में कुछ घटाने बढ़ाने से बचाने और उसके हलाल के बारे में हराम या ''मकरूह''(नापसन्दीदा) ठहराने से बचने के लिये हर तरह के प्रयास किये हैं, क्योंकि हलाल की सुरक्षा की स्थिति में जहां एक तरफ़ अल्लाह की ओर से प्रदान की हुई इन्सानों की आज़ादी की सुरक्षा होती है वहीं दूसरी तरफ़ यह बात स्पष्ट होती है कि अल्लाह की शरीअत हर तरह की सख़्तियों और घटाने बढ़ाने से सुरक्षित है। और इस तरह लोगों को अल्लाह के दीन को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इस तरीक़े को अपनाना अल्लाह की इताअ़त और लोगों को इस दीन की तरफ़ बुलाने के बराबर है। इसके विपरीत हम महसूस करते हैं कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम ठहराने में अतिशयोक्ति से काम लेने से जहां एक तरफ़ अल्लाह की ओर से प्रदान की हुई इन्सानों की आज़ादी को बेड़िया लग जाती है। वही दूसरी तरफ़ यह अल्लाह की शरीअ़त की बदनामी का कारण बनती है। और लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर देती है। अतः इस तरकीब को अपनाना अल्लाह की नाफरमानी और लोगों को उसके दीन से रोकने के बराबर है।

इस्लाम दीन को इन्सानों के तमाम अत्याचारों से बचाने के लिये आया है। ऐसा अत्याचार जो विवेकशील लोगों को दीन से दूर कर देता है इसलिये शरीअत ने इन्सानों को उन बेकार बेड़ियो से मुक्ति दिलाई जिसके प्रभाव स्वरूप वह जीवन की हलाल और पवित्र चीज़ों को हराम ठहरा देते थे। क्योकि इस हराम ठहराने के फलस्वरूप लोग अल्लाह की कृपा से लाभ नहीं उठा पाते और वह साधुओं और ओझाओं के हाथ लग जाते हैं।

निचोड़ यह है कि चीज़ों को हराम ठहराने में अतिशयोक्ति से काम लेना एक पुरानी शैतानी चाल हैं यह पथभ्रष्टता और अल्लाह की नाफ़रमानी का कारण बनता है अतिशयोक्ति से बचना और हलाल को हराम ठहराने से बचना ही वह सीधा रास्ता है जो अल्लाह के आज्ञापालन का प्रेरक बनता है। इसीलिये शरीअत ने यह प्रयास किया कि हलाल के सिलसिले में कुछ चीज़ें अनिवार्य ठहरा दी जायें, जिनमे से कुछ का उल्लेख निम्न में किया जाता हैः

पहला वाजिब (अनिवार्य) :

इस सिलसिले में पहला अनिवार्य मुसलमान का यह आस्था रखना है कि शरीअत ने मुबाह(हलाल) को भी स्वीकार किया है। अल्लाह फ़रमाता है : ''.......... और उनके लिये पवित्र चीज़ें हलाल और अपवित्र चीज़ें हराम करता है..............''। (सूर आसफ :157)

नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''हलाल वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल ठहराया है। और हराम वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम ठहराया

है। और जिन चीजों को बयान करने में अल्लाह ने खामोशी अपनायी है वह ऐसी चीजे है जिनके करने या न करने की स्थित में कोई पकड़ नही है''।

फ़िक़्ह के सिद्धान्त के कुछ उलमा ने हलाल को एक शरई आदेश मान है क्योंकि इस बात पर आस्था रखना अनिवार्य है कि शरीअ़त ने मुबाह को स्वीकार किया है। प्रो0 अबू इसहाक़ अल–अलस्फ़राईनी ने मुबाह को शरई आदेश ठहराया है क्योंकि इसके हलाल होने का विश्वास रखना अनिवार्य है इस सिलसिले में इमाम ग़ज़ाली (रह.) फ़रमाते हैं ''यदि यह पूछा जाये कि क्या हलाल भी शरई आदेश के अन्तर्गत आता है। तो हम यह उतर देंगे कि यदि तकलीफे शरई (शरई आदेश) से तात्पर्य ऐसी चीज है जिसमें कष्ट और मेहनत हो तो मुबाह(हलाल) में तो ऐसी कोई बात नहीं होती है और यदि उससे तात्पर्य वह है जिस अर्थ में शरीअ़त में उसे प्रयोग किया है तो फिर हलाल शरई आदेश ही है। और यदि इससे तात्पर्य यह है कि यह वह चीज़ है जो मुसलमान को यह आस्था रखने का आदेश देती है कि इसका सम्बन्ध शरीअत से है तो भी सही है क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जो मुसलमान को यह आदेश देती है कि इसका सम्बन्ध शरीअत से है''।

दूसरा वाजिब (अनिवार्य) :

इस सिलसिले में दूसरा अनिवार्य अपनी बात और व्यवहार से लोगों के सामने हलाल को बयान करना और उसे हराम (मक्रूह नापसन्दीदा ठहराने से दूर रहना है। मुहम्मद बिन मुन्कदिर (रह.) कहते हैं कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने एक बार इस तरह नमाज़ पढ़ी कि वह केवल एक (इज़ार) कपड़े में थे जिसे वह अपनी गर्दन पर बाधें हुए थे और उन्होंने ने अपना कपड़ा एक तरफ़ रख दिया था। एक व्यक्ति ने उनसे कहा। आप केवल एक कपड़े में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा मैंने ऐसा इसलिये किया है ताकि मुझे तुम जैसा कोई मूर्ख देख सके। (एक रिवायत में है : मैंने चाहा कि मुझे तुम जैसा कोई अज्ञानी देखे) नबी करीम (सल्ल.) के युग में हममें से किसके पास दो कपड़े हुआ करते थे? (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत जाबिर के उपर्युक्त अमल का उद्‌देश्य यह बयान करना था कि एक कपड़े में भी नमाज़ पढ़ना वैध है। हां, दो कपड़ों मे नमाज़ पढ़ना बेहतर है। मानों हज़रत जाबिर यह कहना चाहते थे कि मैंने जानबूझ कर ऐसा किया है ताकि कोई अज्ञानी इस सिलसिले में मेरा अनुकरण करे। या मुझ पर आपत्ति करे तो फिर मैं उसे बताऊँ कि एक कपड़ें में भी नमाज़ पढ़ना वैध है।

नज़ाल बिन समरा बयान करते हैं कि हज़रत अली(रज़ि.) ने ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ी,फिर आप कूफ़ा के सेहन में बैठ गये। ताकि लोगों की आवश्यकतायें पूरी करे (आप यह काम करते रहे) यहां तक कि अस्र का समय आ गया। आपके पास पानी लाया गया। अतः आपने पानी पीया, फिर अपना चेहरा, हाथ, सिर और पैर धुला फिर आप खड़े हुए और खड़े खड़े ही वुज़ू का बचा हुआ पानी पीया फिर आपने फ़रमाया कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने

को नापसन्द करते हैं हालांकि नबी करीम (सल्ल.) ने इसी तरह किया है जैसा कि अभी मैंने किया.................।   (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अली की उपरोक्त हदीस से कई बातें मालूम होती हैं उनमें से एक बात यह है कि यह आलिम की ज़िम्मेदारी है कि यदि वह लोगों को किसी ऐसी चीज़ से बचते हुए देखे जिसके वैध होने का उसे ज्ञान हो तो वह लोगों को उसकी वैधता के बारे में बताये, क्योंकि बताने के कारण इस बकात का सन्देह है कि वक़्त गुज़रता जायेगा और उसकी हुरमत(हराम होने की बात) लोगों के मन में शेष रह जायेगी। अतः यद्यपि आलिम से इस मामले में कुछ भी न पूछा जाये,फिर भी उसे स्वयं आगें बढ़कर लोगों को उसकी वैधता के बारे में बताना चाहिये। और यदि इस सिलसिले में उससे पूछा जाता है तब तो लोगों को वैधता के बारे में बताना उसके ऊपर अनिवार्य हो जाता है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि पसंदीदा को पसंदीदा रहने के लिये आवश्यक है कि उसे और अनिवार्य (वाजिब) को, कथनी, करनी और आस्था के किसी भी तरह बराबर न ठहराया जाये। यदि अनिवार्य और पसंदीदा को कथन और कर्म से समान ठहरा भी दिया जाये। तो भी आस्था के अनुसार इन दोनों को समान नहीं ठहराया जा सकता। निम्न में इसको स्पष्ट किया जाता हैः

प्रथमः अनिवार्य (वाजिब) व पसंदीदा मुस्तहब को आस्था के अनुसार समान ठहराना सर्वसम्मति से अवैध है। क्योंकि जो चीज़ अनिवार्य नहीं समझा जाती यदि कथनी या करनी इन दोनों को समान ठहराने का माध्यम बना रहे हों तो इन दोनों के बीच अन्तर करना अनिवार्य है और यह काम ऐसे कथन या कर्म से ही हो सकता है जिसका उद्देश्य दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट करना हो जैसे जो चीज पंसदीदा हो उस पर पाबन्दी से अमल न किया जायें।

द्वितीयः नबी (सल्ल.) को लोगों का मार्गदर्शक और आपके ऊपर उतारी जाने वाली चीज़ों का व्याख्याकार बनाकर भेजा गया था। स्वयं आपका यह तरीक़ा था कि आप अनिवार्य और पसंदीदा के बीच अन्तर को स्पष्ट करने के लिए बहुत सी पसंदीदा चीज़ों पर कभी–कभी अमल नहीं करते थे।

तृतीयः सहाबा किराम ने भी दीन के इस मसले में बड़ी सावधानी से काम लिया है क्योंकि उन्होंने शरीअत के इस महत्वपूर्ण नियम को समझ लिया था। सहाबा किराम अनुकरणीय इमाम थे। अतः उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर अलम नहीं किया और ऐसा उन्होंने घोषित रूप में किया ताकि लोगों को मालूम हो जाये कि इन चीज़ों पर अमल करना आवश्यक नहीं है। हुज़ैफा बिन उसैद कहते हैं। मैंने देखा कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) इस संदेह से क़ुर्बानी नहीं कराते थे कि कहीं लोग उसे अनिवार्य न समझने लगें।

चतुर्थः सभी इमामों ने संक्षेप में इसी सिद्धान्त को अपनाया है। हां व्याख्या में उनके बीच मतभेद हुआ है। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा ने शव्वाल के छ रोज़ों को

मकरूह (नापसंदीदा) ठहराया है क्योंकि उनके रखने की स्थिति में इस बात की आशंका है कि इन रोज़ो को रमज़ान के रोज़ों के साथ मिला दिया जाये। और उन्हें भी रमज़ान के रोज़ों की तरह फ़र्ज़ समझा जाने लगे। अल्लामा किरानी कहते हैं कि कुछ अजमियों ने ऐसा समझ लिया था। कुरबानी के सिलसिले में इमाम शाफ़ई का कथन है कि यह अनिवार्य नहीं है और दलील के रूप में उन्होंने हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर के कर्म को प्रस्तुत की है जिसका बयान उपर गुज़र चुका है। इमाम मालिक से इस तरह के बहुत से कथन नक़ल किये गये हैं। शिष्टाचारों और इबादतों में वह सद्देज़रिया ही को बुनियाद बताते हैं।

इन तमाम दलीलों से पता चलता है कि यदि कथन या कर्म से पसंदीदा और अनिवार्य को समान ठहराया जा रहा हो तो उनके बीच अन्तर को बयान करना शरीअत की मांग है। जो व्यक्ति शरीअत पर अमल करता है उससे पूरी तरह यह मांग की जाती है कि वह इन दोनों के बीच कथन व कर्म से अन्तर स्पष्ट करे। जैसे कि इनके बीच आस्था के अनुसार अन्तर करना आवश्यक है..................... पसंदीदा की हैसियत में जारी रखने के लिये जिस तरह यह आवश्यक है कि उसको और अनिवार्य को कर्म से समान न ठहराया जाये। इसी तरह ये भी आवश्यक है। कि उसके हलाल चीज़ों के समान भी न ठहराया जाये। कि पूरी तरह अमल करना ही छोड़ दिया जाये।

हलाल को हलाल के दर्जे में बाक़ी रखने के लिये आवश्यक है कि उनको पसंदीदा और मकरूह(घृणित) के समान न ठहराया जाये। क्योंकि यदि उन्हें पसंदीदा ठहरा दिया जाये और एक विशेष भावना के साथ उन पर लगातार अमल किया जाये तो ये समझा जाने लगेगा कि वह पसंदीदा काम ही है। इसी तरह यदि उन्हें मकरूह(नापंसदीदा) के समान ठहरा कर उन पर सिरे से अमल ही न किया जाये तो संभव है कि उन्हें मकरूह चीज़ों में गिना जाने लगे.................. इसी तरह मकरूह को मकरूह की श्रेणी में बाक़ी रखने के लिये आवश्यक है कि उन्हें हराम और हलाल के समान न ठहराया जाये। क्योंकि यदि उन्हें हराम के समान ठहरा कर उन पर सिरे से अमल ही न किंया जाये तो उन्हें भी हराम समझा जाने लगेगा और संभव है समय बदलने के साथ साथ अज्ञानी लोग मकरूह को छोड़ने को अनिवार्य समझने लगें। यहां यह बात नहीं कही जा सकती कि इस स्थिति में मकरूह का करना अनिवार्य होगा हालांकि मकरूह पर अमल करने से मना किया गया है क्योंकि इस स्थिति में हमारा उत्तर यह होगा कि मकरूह को बयान करना अधिक आवश्यक है। कभी–कभी वरीयता प्राप्त उद्देश्य के अन्तर्गत किसी ऐसे अमल को किया जाता है जिससे रोका गया होता है।

आदेशों को सन्देहों से सुरक्षित रखने के लिये फ़िक्ह के सिद्धान्त के उलमा ने बहुत ही अच्छी बातें कहीं हैं और इसके लिये बहुत ही अच्छे सिद्धान्त बनाये हैं। सिद्धान्त के उलमा(उलमा–ए–उसूल) ने हलाल को मकरूह के सन्देह से सुरक्षित रखने को अनिवार्य ठहराया है। अतः हमें समझ लेना चाहिये कि उन्हें मना की हुई चीज़ों के सन्देह से सुरक्षित रखना तो और अधिक अनिवार्य है। यह बात उचित है कि हलाल को हराम

ठहराना ऐसा ही है जैसा हराम को हलाल ठहराना जैसा कि नबी (सल्ल.) का कथन है हलाल को हराम ठहराने वाला ऐसा ही है जैसे हराम को हलाल ठहराने वाला, लेकिन इन दोनों के बीच एक अन्तर भी है। वह यह कि हराम को हलाल ठहराना साधारणतः स्पष्ट हो जाता है। इसके दो कारण हैं। प्रथम यह कि अल्लाह की शरीअ़त में हराम चीज़ें बहुत कम हैं। अतः लोग आसानी से उसको जान जाते हैं। दूसरे यह कि दुराचारियों का षड्यन्त्र बहुत कमज़ोर होता है उनके षड़यन्त्र का रहस्य बहुत जल्द खुल जाता है और हराम की खराबियां स्वयं सामने आने लगती हैं। जहां तक हलाल को हराम ठहराने का सम्बन्ध है तो यद्यपि यह एक ग़लत अमल है परन्तु यह अमल बहुत से झूठे दावों का सहारा लेकर किया जाता है। और अफ़सोस की बात यह है कि यह सब कुछ अच्छी नीयत और शुद्धता के साथ किया जाता है। जिस तरह हराम को हलाल ठहराना एक बहुत बड़ा अपराध और अल्लाह की सत्ता से विद्रोह की तरह है। उसी तरह हलाल को हराम ठहराना भी एक महान अपराध और अल्लाह की सत्ता से विद्रोह की तरह है। अतः जो व्यक्ति हराम को हलाल ठहराता है। और जो व्यक्ति हलाल को हराम ठहराता है। इन दोनों के बीच कोई अन्तर नहीं है। ये दोनों काम गुनाह के हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है। ''ऐ लोगों जो ईमान लाये हो जो पवित्र चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और सीमा से आगे न बढ़ो अल्लाह को अत्याचार करने वाले बहुत नापसंद है।'

(सूरह आराफ़:32)

हराम को हलाल ठहराने और हलाल को हराम ठहराने से पवित्र जीवन बिगाड़ का शिकार हो जाता हैः अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''ऐ नबी (सल्ल.) इनसे कहो किसने अल्लाह के उस सौदंर्य को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए निकाला था और किसने अल्लाह की प्रदान की हुई पवित्र चीज़ें अवैध कर दीं'' (सूरह अराफः 32)

यदि हराम को हलाल ठहराना जीवन की पवित्रता पर अत्याचार करने का पर्याय है। तो हलाल को हराम ठहराना जीवन के सौन्दर्य पर अन्याय करने के समान है। जिस तरह अल्लाह तआला एक पवित्र जीवन को पसन्द करता है। उसी तरह वह एक सुन्दर जीवन को भी पसन्द करता है। लेकिन जहां एक तरफ़ दुराचारी जीवन की पवित्रता की परवाह नहीं करते वहीं दूसरी तरफ़ कट्ट्र लोग जीवन के सौंदर्य की परवाह नहीं करते, हालांकि जीवन उसी समय ठीक हो सकती है जबकि वह अल्लाह की पसंद के अनुकूल हो और उसी रूप में हो जिसमें अल्लाह उसे देखना चाहता है यदि जीवन अल्लाह की पसंद के अनुकूल नहीं होता तो उसमें टेढ़ापन आ जाता है। दुराचारी वबाल का शिकार होते हैं। हालांकि ज्ञानी और विवेकशील अल्लाह ने अपने नबी को नूर के साथ भेजा था। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''(तो आज इस दयालुता के अधिकारी वे लोग है) जो उस रसूल, उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं। जिसे वे अपने यहां तौरात और इंजीन में लिखा पाते हैं। और जो उन्हें भलाई का आदेश देता और बुराई से रोकता है उनके लिये अच्छी स्वच्छ चीज़ों को हलाल करता है। और बुरी–अस्वच्छ चीज़ों को हराम लदे ठहराता है और

उन पर से उनके वह बोझ उतारता है जो अब तक उनपर लदे हुए थे। और उन बन्धनों का खोलता है। जिनमें वे जकड़े हुए थे। अतः वे लोग जो उस पर ईमान लाये, उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की और उस प्रकाश के अनुगत हुए। जो उसके साथ अवतरित हुआ है। वही सफलता प्राप्त करने वाले है।''(सूरह आराफ़ः 157)

इस तरह से अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिम को उन बन्धनों से मुक्त कर दिया जो पहले की उम्मतों पर थे और उन्हें एक बहुत ही आसान शरीअत प्रदान किया। अल्लाह तआला के इस अमल से एक शरई उसूल(अर्थात लोगों को सुविधा उपलब्ध करना) की पुष्टि होती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है ''.................. अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है सख्ती करना नहीं चाहता'' (सूरह ब़क़रह–185)

'सद्देज़रिया' के सिद्धान्त में बाद वालों की अतिशयोक्ति :

सद्देज़रिया के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि यदि किसी हलाल कर्म पर अमल करने की स्थिति में किसी फ़ितने का सन्देह हो तो वह हलाल मकरूह या हराम हो जाता है। यह सिद्धान्त अपनी जगह पर बहुत सही है। लेकिन इसका प्रयोग कब और कहां किया जाना चाहिये इसमें काफ़ी इज्तिहाद और चिन्तन की आवश्यकता है और इसमें मतभेद भी पाया जाता है। इस सिद्धान्त के लागू करने में बड़ी ग़लतियाँ भी होती हैं। जो व्यक्ति बाद वालों की फ़िक़्ही किताबों का अध्ययन करेगा और इस बात का विश्लेषण करेगा कि मुसलमानों ने इस सिद्धान्त को किस तरह लागू किया है उसे साफ़ नज़र आयेगा कि इसके लागू करने में लोगों से बड़ी गलतियां हुई हैं। यहां तक कि यह सद्धिान्त बहुत से शरई आदेशों के लिये खिची हुई तलवार की तरह हो गया। इस सिद्धान्त ने मुस्लिम समाज को ऐसे रंग में रंग दिया जो नबवी युग के समाज के रंग से भिन्न था। इसकी कुछ मिसालें निम्न में दी जाती हैंः

- इस्लाम ने औरत को मस्जिद में जाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत को ईद की नमाज़ में भाग लेने का आदेश दिया है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में रोक दिया गया।
- इस्लाम ने इमाम को यह निर्देश दिया है कि वह औरतों को अलग से दर्स दे (पढ़ाये) लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने इमाम को यह निर्देश दिया है कि वह ईद के ख़ुत्बे के बाद औरतों को अलग से नसीहत करे लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने लड़के को यह आदेश दिया कि वह मॅगनी के समय लड़की को देख ले, लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत को आदेश दिया कि वह ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जो उसके दीन और सांसारिक जीवन दोनों के लिये लाभदायक हो। लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।

- इस्लाम ने औरत के लिये भलाई का आदेश देने व बुराई से रोकने को शरीअत का आदेश बताया है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत को अनुमति दी हैं कि यदि उसके परिवार में आर्थिक तंगी हो तो वह क्रय–विक्रय कर सकती है और जीविका कमाने के लिये काम भी कर सकती है। इसी तरह वह अपने निर्धन पति की सहायता के लिये भी क़ाम कर सकती है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत के लिए यह वैध ठहराया कि वह जेहाद में घायलों की मरहम पट्टी करे ओर प्यासों को पानी पिलाये।
  लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत के लिये यह वैध ठहराया है कि वह अपने घर से बाहर अपना चेहरा और हथेलियां खोल सकती है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप इससे रोक दिया गया।
- इस्लाम ने औरत को शरई शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए मर्दों से मुलाक़ात की अनुमति दी है लेकिन उसे सद्देज़रिया के रूप में इससे रोक दिया गया।

इस तरह सद्देज़रिया के सिद्धान्त को लागू करने में अतिशयोक्ति से काम लेने के परिणाम स्वरूप औरत के जीवन पर बहुत सारे प्रतिबन्ध लगा दिये गये। यदि हमारे पूर्वज़ो (असलाफ़) ने सावधानी का रवैया अपनाया तो उनके पास इसके अपनाने की वैधता के कुछ कारण थे। उन्होंने अपने युग के अनुसार इज्तिहाद किया था। अब चाहे उन्होंने सही इज्तिहाद किया हो या उनसे इज्तिहाद में कुछ ग़लती हो गई हो। बहरहाल कोई भी इन्सान का इज्तिहाद सदैव शेष नहीं रहता यदि ऐसा हो तो ये इज्तिहाद बिल्कुल दीनी आदेश का रूप ले लेंगे। अल्लाह तआला अपनी रचनाओं(मखलूक़ात) को अच्छी तरह जानता है। अतः उसने उनके जीवन और आदर की रक्षा के लिये सदैव जारी रहने वाली एक पूर्ण शरीअ़त अवतरित की। दूसरे शब्दों में, इन सावधानी की सीमा़ओं को इन्सान की रचना और उसकी प्रकृति व स्वभाव से जोड़ दिया जाये तो यह अल्लाह से विद्रोह का पर्याय होगा क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः ''आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया'' इसी तरह ये नबी (सल्ल.) पर आरोप लगाने का पर्याय भी होगा क्योंकि आपका व्यक्तित्व क़ुरआन करीम की व्याख्या करता है।

सदैव से जारी सावधानियो और सीमाओं को अपनाने वाले लोग नबवी युग को इससे अलग कर देते हैं और इसकी दलील यह देते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) का युग सबसे बेहतर युग था और उस युग के मर्द व औरत आचार व्यवहार के उच्च स्थान पर आसीन थे। अतः उस युग में इस तरह का कोई डर नहीं था। यह लोग यह बात इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल(सल्ल.) के आदेश का सीधा विरोध न करना पड़े, हालांकि यह लोग भूल जाते हैं कि मदीने के समाज में प्रत्येक हज़रत अबू बक्र हज़रत उमर, हज़रत उसमान और हज़रत अली(रज़ि.) की तरह या हज़रत आयशा, हज़रत अस्मा ओर हज़रत उम्मे सुलैम की तरह नहीं था। बल्कि उस समाज में बहुत तरह के लोग थे।

जैसे मुनाफिक़(कपटाचारी) यहूदी, और वह देहाती जो विभिन्न गॉवों से मदीने आ गये थे। उस समाज में जवान बूढ़े ताक़तवर कमज़ोर, बुद्धिमान और मूर्ख हर तरह के लोग थे। इसके बावजूद शरीअत ने औरतों के सम्बन्ध में बहुत सी चीज़ें अनिवार्य ठहरायी और बहुत सी चीज़ें हलाल।

अतः दीन के वास्तविक आदेश और ऐसे सामयिक अपवाद स्वरूप सीमाओं व प्रतिबन्धों के बीच अन्तर करना अनिवार्य है। जिन्हें हम देश काल और परिस्थितियों के अन्तर्गत इज्तिहाद करके बना लेते हैं। ये सीमायें और प्रतिबन्ध, अनुभवों के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी हम किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध लगाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमें महसूस होता है कि वह प्रतिबन्ध तो अधूरा है या उसकी कोई आवश्यकता शेष नहीं रहीं तो हम उस प्रतिबन्ध को समाप्त कर देते हैं। कभी–कभी ऐसा होता है कि हलाल या पसंदीदा या अनिवार्य किसी फ़ितने का कारण बन जाता है। यह फ़ितना कभी तो सामान्य होता है और पूरे समाज को प्रभावित करता है। और कभी विशेष होता है। और केवल किसी एक या कुछ लोगों को प्रभावित करता है। फ़ितने के फैलने की पुष्टि समाज के नेतृत्व करने वाले, बुद्धिमान और शासक करते हैं। जब कि विशेष फ़ितने की पुष्टि स्वयं वह व्यक्ति करता है जो उसका सामना कर रहा हो। या वह बुद्धिमान करते हैं

जिनसे उसके बारे में पूछा जाये। बहरहाल, दोनों ही परिस्थितियों में हमें सामयिक फ़ितने का अनुमान लगाना चाहिये ताकि हलाल को उसी अल्लाह और उसके फ़ितने के अनुसार हराम को हलाल ठहराते है।

फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के दावे से बेकार सीमाओं और प्रतिबन्धों के लिये नियम बनाने को, ज़िन्दगी का मुकाबला करने से जी चुराने का पर्याय समझा जाता है जो लोग इबादत में अतिशय से काम लिया करते थे उन्होंने फितनों के मुक़ाबले से बचते हुए लोगों से और ज़िन्दगी से दूरी अपना ली थी। हालांकि उन्हें अपनी पूरी क्षमता और नैतिकता के साथ उन फितनों का सामना करना चाहिये था। इसी तरह सावधानी का पहलू अपनाने के सिलसिले में अति से काम लेने वालों ने भी जी चुराया, उनकी औरतों ने भी यही रवैया अपनाया और जीवन के तमाम क्षेत्रों से अलग हो गई। इस तरह मुस्लिम समाज बहुत सी भलाइयों और हितों से वंचित हो गया। हालांकि प्रत्येक मर्द औरत को अच्छे व्यवहार और मज़बूत व्यक्तित्व का वाहक होना चाहिये और अल्लाह की शरीअत पर पूरी तरह अमल करना चाहिये ताकि औरत का व्यक्तिव विकसित हो सके और फिर वह परिवार के अन्दर और सामाजिक गतिविधियों के लाभदायक परिणामों को सामने ला सके।

क्या यह बेहतर नहीं हैं कि हम अपने जीवन में सबसे पहले नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत और तरीक़े को लागू करें जिसमें सन्तुलित सीमायें और प्रतिबन्ध हैं और जिनमें विवेकपूर्ण शिष्टाचार पाये जाते है इसके बाद हम अपने अनुभवों की रोशनी में सीमायें और प्रतिबन्ध निर्धारित करें और अधिक सावधानी और युक्ति अपनायें? या यह बेहतर है कि हम पहले ही चरण में अपने जीवन में सीमाओं और प्रतिबन्धों को निर्धारित करें और अधिक

सावधानी और युक्ति अपनायें? इस युग में भी कुछ लोग सद्देज़रिया के सिद्धान्त को प्रयोग करने में अति कर रहे हैं। हालांकि इस रवैये के कारण बहुत से हलाल नष्ट हो जाते हैं और वह नाहक, मकरूह और हराम का रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि अनिवार्य यह है कि हलाल को ऐसी कट्टरता से सुरक्षित रखा जो जिसके कारण कभी–कभी उन्हें निकृष्ट हराम(ख़बाइस) में गिना जाता है हालांकि शरीअत की दृष्टि से उनका सम्बन्ध उत्कृष्ट चीज़ों(तय्यिबात) से होता है। नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''सुन लो हर राजा की एक (हिमा) चरागाह होती है और अल्लाह की धरती पर अल्लाह की चरागाह उसकी हराम की हुई चीज़ें है।'' (बुख़ारी मुस्लिम)

अल्लाह के हराम किये हुए दायरे में घुसना दुराचार है। अतः बुद्धिमानी की बात यह है कि अल्लाह की चरागाह और हराम किये हुए दायरे के निकट जाने से बचा जाये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अल्लाह के हलाल किये हुए दायरे में स्वतन्त्र रूप से दख़ल देने से भी बचता है तो यह मूर्खता की बात है यदि कोई व्यक्ति हराम में पड़ जाता है तो वह अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी अत्याचार करता है।

इस सिलसिले में दो रवैये पाये जाता हैं और दोनों ही ग़लत हैं। निम्न में उनका उल्लेख किया जाता हैः

पहला रवैया :

कुछ ऐसे लोग हैं जो मर्द व औरत की मुलाक़ात से सम्बन्धित तमाम हलाल बातों से बचते हुें। अतः वह न ही औरत को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति देते है। न ही औरत को सामान्य सभाओं में या विशेष रूप से औरतों की सभाओं में दीन के जानकारों से शिक्षाप्रद वार्ता सुनने की अनुमति देते हैं। न ही मर्द–औरत को एक दूसरे को सलाम करने की अनुमति देते है। न ही मर्द औरत को एक दूसरे को भलाई का काम करने का आदेश देने और बुराई से रोकने की अनुमति देते हैं और न ही औरत को गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं, साथ ही साथ उन लोगों का यह भी कहना है कि उपर्युक्त बातें हराम या मकरूह नहीं है। लेकिन बस वह इन बातों से बचते हैं और इन्हे पसंद नहीं करते, इस रवैये में दो गलतियां हैं। पहली यह कि हलाल से बचना ग़लत है नबी करीम (सल्ल.) और सहाबा ने इसे नापसंद किया है। दूसरा यह कि स्वयं अपने आप को और दूसरे लोगों को सन्देह में डालना गलत है। क्येांकि उपर्युक्त बातों पर अमल न करने की स्थिति में मकरूह या हराम का सन्देह होने लगता है। क्योंकि यदि किसी हलाल पर अमल करने से बचा जाये तो समय के व्यतीत होने के साथ–साथ इस बात को बल प्राप्त हो जायेगा कि इस हलाल में कोई ऐसी ग़लत चीज़ पाई जाती है जिससे सामान्य रूप से मोमिन बचता है। इस तरह हलाल की जो पवित्रता अल्लाह ने शरीअत में निर्धारित की है वह समापत हो जायेगी। यह बात पहले आ चुकी है कि 'फ़िक्ह के सिद्धान्त' के उलमा ने आदेशों के सन्देह को दूर करने को अनिवार्य ठहराया है।

दूसरा रवैया :

कुछ लोग ऐसे है जो फितने के माध्यम पर रोक लगाने और फ़ितने से सुरक्षित रहने की दलील बनाते हुए हलाल को या नापसन्दीदा को हराम ठहराते हैं। और इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि ये मामले वास्तव में वैध हैं, और कुछ अस्थायी कारणों से उनको समायकि रूप से नापसंदीदा या हराम ठहराया गया है। जब ये अस्थायी कारण समाप्त हो जायेंगे तो ये फिर अपनी वास्तविकता के अनुसार वैध हो जायेंगे, इस रवैये में हानि यह होती है कि लोग अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को नापंसंदीदा या हराम समझने लगते हैं। इसमें एक पहलू यह भी है कि यदि यह कहा जा रहा है कि हलाल को सद्देज़रिया के रूप में नापसंदीदा या हराम ठहराया गया है तो इसका अर्थ यह है कि कराहत(नापसंदीदगी) या हराम(अवैधता) की बात किसी व्यक्ति के इज्तिहाद पर आधारित है न कि कुरआन व सुन्नत की दलीलों पर। अतः जो व्यक्ति हलाल की कराहत या हुरमत के बारे में बता रहा हो वह साथ में इस इज्तिहाद को भी बताये और स्पष्ट करे कि कुछ अस्थायी कारणों से यह एक व्यक्ति का मत है। और मत के सही होन और ग़लत होने दोनों की आशंका होती हैं। इसी तरह उसे यह बात उन लोगों को भी बतानी चाहिए जो इससे सम्बन्धित सवाल करें। केवल मनाही का आदेश बता देने ही को काफ़ी नहीं समझना चाहिये क्योंकि इससे यह महसूस होगा कि ये अल्लाह का निशचित आदेश है।

निम्नलिखित कुछ ''आसार''(सहाबा से सम्बन्धित घटनायें) विचार योग्य है :

अल्लामा इब्ने क्य्यिम अपनी किताब ''एअ़लामुल मुवक्क़ेईन'' में लिखते हैं:

''कुछ मामलों में कुछ सहाबा किराम का भी अपना एक मत हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद कोई भी सहाबी ये नहीं कहता था कि उसका जो मत है वह अल्लाह का आदेश है। वह तो ये कहा करता था कि यह मेरा म़त है। यदि यह उचित है तो मात्र अल्लाह की कृपा से है। और यदि ग़लत है तो इसमें मेरी कोताही है। अल्लाह और उसके रसूल इससे बरी है। यह बात विभिन्न फ़कीह सहाबियों से नक्ल की जाती हैं जैसे हज़रत अबू बक्र हज़रत उमर हज़रत इब्ने मसऊद(रज़ि.)। यह लोग दूसरों को अपने मत को मनवाने पर मजबूर नहीं करते थे। प्रत्येक का अपना एक मत होता था और वह स्वयं इज्तिहाद किया करते थे। एक बार हज़रत उमर की एक व्यक्ति से भेंट हुई। उन्होंने कहा क्या बात है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हज़रत अली और हज़रत ज़ैद ने ऐसा फैसलाा किया है। उन्होंने कहा। यदि मैं होता तो ऐसा फ़ैसला करता, उस व्यक्ति ने कहा। सारा अधिकर तो आपके हाथ में है। फिर आप अपना यह फ़ैसला क्यों नहीं सुना देते? उन्होंने कहा। यदि मैं अल्लाह की किताब या रसूल की सुन्नत अपनाने का आदेश तुम्हें दे रहा होता तो अब तक मैं तुम्हें इसका आदेश दे चुका होता। लेकिन मैं तो तुम्हें एक मत को अपनाने की बात कह रहा हूं और मत में साझेदारी हो सकती है। इस तरह हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अली और हज़रत ज़ैद(रजि) के फ़ैसले को निरस्त नहीं किया।''

अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने यह भी लिखा हैः ''अल्लाह तआला ने किसी चीज़ को अपनी तरफ़ से हलाल ठहराने से रोका है। इसी तरह जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने किताब और सुन्नत में हराम न ठहराया हो उसे हराम ठहराने से भी रोका है। और ऐसा करने वाले को अल्लाह पर झूठ बॉधने वाला कहा है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर्र ने ''जामेअ़ बयानुल इल्म व फज्लेही'' में लिखा है ''रबीआ' ने इबने शहाब से कहा। ऐ अबू बक्र यदि लोगों के सामने तुम अपना मत प्रस्तुत करो तो उनसे बता दो कि यह तुम्हारा मत है। और यदि तुम उनसे कोई हदीस बयान करो तो यह बता दो कि यह हदीस है''। इमाम मालिक बिन अनस फ़रमाते हैं ''मैंने अपने बुजुर्गों (असलाफ़) या अपने समय के लोगों में से किसी को भी किसी मसले में यह कहते हुए नहीं सुना कि यह हलाल है और यह हराम है। कोई भी व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं करता था। हां वे लोग ये कहा करते थे कि हम ये नापसंद करते हैं। हम इसे बेहतर समझते है। हम इससे बचते हैं। हमारा यह मत नहीं है। वह कभी भी अपनी तरफ़ से हलाल या हराम नहीं किया करते थे। क्या आपने अल्लाह का यह कथन नहीं सुनाः ''ऐ नबी लोगों से कहो तुम लोगों ने कभी यह भी सोचा है कि जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हारे लिये उतारी थी उसमें से तुमने स्वयं ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। उनसे पूछो अल्लाह ने तुमको इसकी अनुमति दी थी? या तुम अल्लाह पर झूठा आरोप लगा रहे हो? (सूरह यूनुसः59) अतः हलाल वह है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल ठहराया है। और हराम वह है जिसे अल्लाह और रसूल ने हराम ठहराया है।

अल्लामा इब्ने अब्दुल बर्र ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा हैः ''इमाम मालिक के उपर्युक्त कथन का अर्थ यह है कि जिस मसले में मत की आवश्यकता होती है उसमें हम लोग हलाल या हराम नहीं कहा करते। और अल्लाह बेहतर जानता है।

हमारा अपने आत्म सम्मान वाले भाइयों से यह कहना है कि सद्देज़रिया को दलील बनाकर पूरी तरह मनाही की जाने वाली चीज़ की पूरी परिस्थितियों और उसमें मौजूद हितों का परीक्षण नहीं किया जाता, इसी तरह मनाही का आदेश देते तमाम लोगों की परिस्थितियों और उनके विभिन्न रचनात्मक स्तर को भी ध्यान में नहीं रखा जाता, हालांकि विधाता हलाल को निर्धारित करते समय लोगों के विभिन्न हितो और उनकी विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। इसके साथ वह उनके विभिन्न रचनात्मक स्तरों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखता है।

अतिशय से काम लेने वाले अति के फलस्वरूप अल्लाह के सीधे और आसान रास्ते से हट गये। और उन्होंने इतनी अधिक अपनी बनाई हुई सीमायें और प्रतिबन्ध लागू कर ली कि औरत की तमाम गतिविधियां(चाहे वह हलाल हों या पसंदीदा हों या अनिवार्य हों) तंग हो कर रह गई और मर्द औरत दोनों ही को अधिक कष्ट उठाने पड़े, हालांकि अल्लाह ने उनपर कोई ऐसा कष्ट और परेशानी नहीं डाला था। अल्लाह तआला जो अपने बन्दों पर अत्यन्त कृपालु है। फ़रमाता हैः ''अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है। सख़्ती करना नहीं चाहता''। (सूरह बकरह 185)

हज़रत आयशा (रज़ि.) नबी करीम (सल्ल.) के बारे में फ़रमाती हैं कि जब कभी भी नबी करीम (सल्ल.) को दो चीज़ों में से किसी एक को अपनाने का या चुनने का अधिकार दिया जाता तो आप (सल्ल.) उनमें से आसान को अपनाते, शर्त यह थी कि उसको अपनाने में कोई गुनाह न हों...........................(बुख़ारी)

हमारे उलमा ने अल्लाह कि किताब और रसूल की सुन्नत से यह सिद्धान्त निकाला है कि कठिनाई आसानी और सुविधा प्रदान करने का कारण बनती है अर्थात जब किसी काम के करने में कठिनाई का सामना हो तो शरीअत उसपर अमल करने के सिलसिले में बन्दे पर उस समय तक सुविधा कर देती है जब तक कि वह कठिनाई समाप्त न हो जाये। शरीअत में मौजूद इन सारी आसानियों सुविधाओं और नरमी के बावजूद अन्ततः हम स्वयं अपने किया जाता है तो वह शीघ्र खुल्लम–खुल्ला इसका विरोध करने लगते हैं या चुप तो हो जाते हैं लेकिन दिल में उसमें विरोध ही रखते हैं हालांकि ये ईमान वालों का रवैया नहीं है। अतः जब कभी भी आप कोई शरई आदेश, क़ुरआन या सही हदीस को सुनें तो उसका विरोध करने से बचें, बल्कि उस पर अपने दिल को सन्तुष्ट करें ऐसा न हो कि आप अल्लाह और उसके रसूल के आदेश और फ़ैसले पर अपने दिल में किसी तरह का कोई विरोध छिपा कर रखें''।

''सद्देज़रिया के सिद्धान्त'' के लागू करने में अति के कारण :

सद्देज़रिया के सिद्धान्त के लागू करने में अतिशयोक्ति के कारणों का हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिये। उनका बारीकी से विश्लेषण करना चाहिये। इसके लिये हमें उसके तमाम पहलुओं का सर्वमुखी बौद्धिक अध्ययन करना चाहिये। हम निम्न में मात्र कुछ संभावित कारणों का उल्लेख करेंगे। हम यह दावा नहीं करते कि हमने सभी कारणों को समेट लिया है। क्योंकि यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके बन्दों के दिलों में क्या बातें हैं लेकिन यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सद्देज़रिया के सिद्धान्त को लागू करने के सिलसिले में अतिशयोक्ति पाई जाती है। क्योंकि इस सिलसिले में 'फ़िक़्ह के सिद्धान्त' के उलमा की निर्धारित शर्तों को लागू करने से बचा गया है चूंकि इस अतिशयोक्ति के शिकार हमारे कुछ विद्वान उलमा भी हैं। अतः हम इस सिलसिले में केवल यह कह सकते हैं कि गलतियाँ प्रत्येक से हो जाया करती है।

पहला कारण:

सद्देज़रिया के सिद्धान्त के सम्बन्ध में उलमा के कथन पहले आ चुके हैं। न कथनों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी हलाल को सद्देज़रिया के रूप में अवैध ठहराते हुए कुछ शर्तों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। ये शर्तें निम्नलिखित हैः

1. कोई हलाल अक्सर(न कि कभी–कभार) फ़ितना और बिगाड़ का कारण बनता हो तो यहां तक लिखते हैं कि यदि कोई हलाल अक्सर फितना और बिगाड़ का कारण बनता हो तब भी उसे अवैध नहीं ठहराया जायेगा। क्योंकि फ़ितना और बिगाड़ के होने या

न होने की केवल सम्भावना ही पायी जाती है ओर कोई भी ऐसी दलील नहीं पाई जाती है जिससे किसी एक पहलू को वरीयता प्राप्त हो रही हो। अतः उसे अवैध ठहराया जाये।

2. यदि किसी हलाल के फ़ितना और बिगाड़ का कारण बनने का पहलू उसके सुधार का कारण बनने के पहलू से अधिक वरीअता प्राप्त हो तो हलाल को अवैध ठहराया जा सकता है।

3. उपरोक्त दोनों शर्तों की मौजूदगी में जब उसे अवैध ठहराया जाये तो उसे हराम के दरजे में न रखा जाये। बल्कि उसे बिगाड़ की क़िस्म के अनुसार हराम होने ओर नापसंदीदा होने के बीच कोई स्थान दिया जायें।

4. यदि कोई हलाल फ़ितना और बिगाड़ का कारण बनता है लेकिन उसके सुधार का पहलू उसके बिगाड़ के पहलू से अधिक वरीयता प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में शरीअत न केवल यह कि उसे हलाल ठहराती है। बल्कि उसके सुधार के अनुसार उसे पसंदीदा या अनिवार्य कहती है फ़िक़्ह के उसूल के उलमा के उन कथनों के बावजूद बाद के कुछ उलमा उनसे बेपरवाह हैं और इस बेपरवाही का नतीजा यह हुआ कि औरत के फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के सिलसिले में अतिशयोक्ति से काम लिया जाने लगा।

दूसरा कारणः

औरत के फ़ितने के भावार्थ को सहीं न समझ पानाः

हदीसों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि शरीअत ने मर्द औरत के बीच तमाम रास्तों को बन्द नहीं कर दिया। बल्कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसे रास्ते खोल रखे हैं जिन पर चलकर वह इस ज़मीन के निर्माण में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। और इन रास्तों को बचाये रखने के लिये शरीअत ने हमारे लिये औरत के चेहरे को देखना वैध ठहराया है औरत के चेहरे को जब एक जवान मोमिन देखता है तो अपनी निगाहें झुका लेता है। सब्र करता है और कभी–कभी वह रोज़े से भी काम लेता है यहां तक कि उसे शादी के तमाम संसाधन उपलब्ध हो जायें, और यदि उसके चेहरे को एक नौजवान मोमिन देखता देखता है तो वह अपनी निगाहें झुका लेता है। और सब्र करता है और कभी ऐसा भी होता है कि वह उसे देखते समय शादी करने और उसके लिये तैयारी करने का ठोस संकल्प लेता है। और यदि एक शादी शुदा मोमिन उसके चेहरे को देखता है तो वह भी अपनी निगाहें झुका लेता है और फिर अपनी–अपनी बीवी के पास आकर अपनी वासना को संतुष्ट करता है। और यदि कोई कमज़ोर मोमिन चेहरे को देखता है तो देखता रह जाता है और कभी–कभी उसके दिल में कुछ ग़लत विचार भी आ जाते हैं। इसी तरह यदि कोई दुराचारी उसके चेहरे को देखता है तो उसे घूरने लगता है और कभी–कभी दुराचार भी कर बैठता है लेकिन यह बात विचारणीय है कि कमज़ोर मोमिन के दिल में ग़लत विचारों के आ जाने या दुराचारी व्यक्ति के दुराचार करने का कारण औरत का अपने चेहरे का खुला रखना नहीं है बल्कि उसका कारण कमज़ोरी है। जिसके कारण कभी–कभी औरत का चेहरा देखे बिना कुछ ग़लत हरकतें कर बैठता है। इसी तरह दुराचारी के दुराचार का

कारण उसकी दुराचारी सोच है इसकी वजह से वह कभी औरत का चेहरा बिना देखे भी दुराचार कर बैठता है और अतिशयोक्ति करने वाले लोगों के लागू की हुई तमाम सीमाओं और प्रतिबन्धों का उल्लंघन कर गुज़रता है।

मर्द औरत के बीच के उन रास्तों को बल प्रदान करने के लिये अल्लाह ने औरत के लिये यह वैध ठहराया है कि वह सामाजिक जीवन में भाग ले और मर्दों से उद्देश्यपूर्ण और गम्भीर मुलाक़ात करे ताकि जीवन सुविधा और आसानी के साथ व्यतीत हो सके। यदि शरीअत ने उन रास्तो को बन्द करना ही चाहा होता औरत मर्द व और के बीच सम्बन्ध को पूरी तरह समाप्त करना चाहा होता तो उसने औरत को छिपाने का अवश्य आदेश दिया होता। और हम मर्दों को निगाहें नीची रखने का आदेश न दिया होता। क्योंकि यदि एक तरफ़ अल्लाह औरत के चेहरा छिपाने का आदेश दे और दूसरी तरफ़ हम मर्दों को निगाहें झुकाने का आदेश दे तो प्रश्न यह उठता है कि आख़िर हम किस चीज़ को देखने से हम अपनी निगाहें नीची रखे क्या काले अस्तित्व को देखने से अल्लाह ऐसा आदेश नहीं दे सकता। यदि अल्लाह ने औरत को सामाजिक जीवन में भाग लेने और मर्दों से मिलने से रोकने का इरादा किया होता तो उसने मर्दों को यह आदेश न दिया होता कि वह औरतों को मस्जिद जाने से न रोंके, न ही औरतों को ईद के दिन ईदगाह जाने का आदेश दिया होता और न ही उनको युद्ध में जाने और वहा प्यासों को पानी पिलाने और घायलों की मरहम पट्टी करने की अनुमति दी होती, और न ही मर्दों को ऐसी औरत के पास (एक या दो मर्दों के साथ) जाने की अनुमति दी होती जिसका पति मौजूद न हो।

अतः हर मुसलमान को इस सच्चाई से अवगत होना चाहिये कि अल्लाह तआला मर्दों और औरतों के दिलों में एक दूसरे की तरफ़ पाये जाने वाले प्राकृतिक आकर्षण से अच्छी तरह अवगत है। इसलिए उसने इस फितने के इलाज के लिये मर्द व औरत को अपनी निगाहें झुकाकर रखनें का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त भी अल्लाह ने मर्द व औरत की मुलाक़ात के बहुत से शिष्टाचार निर्धारित किये हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शरई इलाज को नहीं अपना पाता तो उसे स्वयं अपने आपको मलामत करना चाहिये और शरीअत के बताये हुए तरीके के अनुसार अपना इलाज करने का प्रयास करना चाहिये। यद्यपि निगाहों को झुका कर रखनें में एक तरह की कठिनाई और परेशानी है लेकिन यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि इस कठिनाई और परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इस कठिनाई को हर मर्द व औरत के फ़ित्ने के लिये भाग्य में लिख दिया हैं।

अल्लाह तआला के बताये हुए इलाज के माध्यम से फ़ितने का प्रभाव बहुत कम हो जाता है हम यह बात नबवी समाज में इस सिलसिले में पाये जाने वाले आदर्शों की रोशनी में कह रहे हैं। उलमा ने इस आदर्श को कई सदियों तक जारी रखा है। मिस्त्र। सीरिया, फिलिस्तीन और दूसरे देशों के देहातों में हमें यह आदर्श देखने को मिलता है। यह आदर्श नबवी युग के आदर्शों से अधिक निकट है। देहातो में औरतें जीवन के तमाम क्षेत्रो

में भाग लेती नज़र आती हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरई शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए मर्दों से मुलाक़ात करते हुए भी दिखाई देती हैं।

इस तरह फ़ितने के दो पहलू हैं। फितने का एक पहलू यह है कि एक मुसलमान के सामने फितना आता है और तुरन्त गुज़र जाता है। ऐसे समय में एक हालत तो यह होती है कि वह अपनी निगाहों को झुका ले, अल्लाह से क्षमा मांगे और अपना रास्ता ले, एक हालत यह होती है कि वह बार–बार उस की तरफ़ देखे या दिल में कुछ ग़लत विचार लाये या कोई छोटा गुनाह कर बैठे, लेकिन फिर शीघ्र ही तौबा कर ले, और एक हालत यह होती है कि वह अपनी बेपरवाही जारी रखे, लेकिन अल्लाह अपनी कृपा से इस तरह के तमाम गुनाहों को क्षमा कर देता है। अल्लाह फ़रमाता हैः ''.............और उन लोगों को अच्छा बदला प्रदान करेगा जिन्होंने नेक रवैया अपनाया है। जो बड़े–बड़े गुनाहों और खुले–खुले गन्दे कामों से परहेज़ करते हैं। सिवाय यह कि कुछ गलती उनसे हो जाये। निस्सन्देह तेरे रब का क्षमा करने का दामन बहुत विस्तृत है........। (सूरह नज्मः 31–32)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह ने नबी करीम (सल्ल.) के हवाले से जो बात बताई है मैंने उससे बढ़कर कोई छोटा गुनाह नहीं पाया, अल्लाह के रसूल(सल्ल.) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने हर मनुष्य के भाग में व्यभिचार का एक हिस्सा लिख दिया है जो वह अन्ततः करके रहेगा। अतः आंख का व्यभिचार (हराम चीज़ को) देखना है। जबान का व्यभिचार (हराम बात) बोलना है। जो इच्छा पैदा करता है और गुप्तांग या तो उस इच्छा को पूरा कर देता है या फिर उससे बच जाता है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

सग़ीरा (छोटे) गुनाहों के प्रायश्चित का बयान पहले गुज़र चुका है उन्हीं में से एक यह है कि जब मुसलमान वुज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है तो पानी की आख़िरी बूँद के साथ वह सारे गुनाह धुल जाते हैं जो उसकी आंखों से होते हैं। (मुस्लिम) उन्ही में से एक यह भी है कि पांचो वक़्त की नमाज़ों, एक जुमे से दूसरे जुमें और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच उसके लिए प्रायश्चित सि़द्ध होता है शर्त यह है कि बड़े गुनाहों से बचा जाये।

फ़ितने के इस पहलू से हर मुसलमान सामना करता है। चाहे वह पवित्रतम समाज़ जैसे नबवी समाज ही क्यों न हो। हर इन्सान के दिल में बुरे विचार आते हैं क्योंकि अल्लाह तआला ने इन्सान की प्रकृति में दूसरे लिंग की तरफ़ आकर्षक की प्रवृत्ति में रख दिया है और एक मुसलमान भी दूसरे इन्सानों के बीच ही रहता है और इसके साथ–साथ शैतान मुसलमान को वासनाओं में, माल व सन्तान की मुहब्बत और ख्याति की चाहत में लिप्त करने की कोशिश करता रहता है और मुसलमान सुबह शाम इच्छाओं और झूठी मुहब्बतों से मुकाबला करता रहता है जिसे अल्लाह ने उसके लिये लिख दिया है और जिससे बच भागने का कोई रास्ता नहीं है और इसी संघर्ष के माध्यम से मुसलमान के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसके अहद और प्रतीज्ञा व इरादे का बल मिलता है इसी संघर्ष के नतीजे में उसके अन्दर सही और सन्तुलित मानसिकता विकसित होती है। शरीअत में मर्द

व औरत की जिस मुलाक़ात को वैध ठहराया है उस मुलाक़ात के दौरान भी फ़ितने के पहलू के घटित होने की आशंका रहती है। और ऐसा नवबी युग में भी हो चुका है। फिर भी मर्द व औरत की मुलाक़ात को हराम नहीं ठहराया गया।

जहां तक फ़ितने के दूसरे पहलू, अर्थात ऐसा गंभीर फ़ितना जो व्यभिचार का कारण बन जाये। का सम्बन्ध है तो शरीअत के निर्धारित शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए होने वाली मर्द व औरत की मुलाक़ात के दौरान इसका घटित होना असंभव है और यदि कभी ऐसा हो भी जाता है तो यह एक विरली घटना होगी। ऐसी विरल घटना एक बार नबवी दौर में सामने आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद नबी (सल्ल.) ने औरत के चेहरा खेलने और मर्द व औरत की मुलाक़ात को हराम नहीं ठहराया, फ़ितने का भावार्थ ठीक ढंग से न समझने के कारण जो अंध विश्वास हमारे मन में पैदा हो गये हैं यदि हम उन्हें स्वयं दूर कर दें और फिर उस फ़ितने की वास्तविकता जानने का प्रयास करें जिससे बचना आवश्यक है तो हमें मालूम होगा कि फ़ितना साधारणतः उस समय घटित होता है जब अल्लाह के दिये हुए शिष्टाचारों को ध्यान में न रखा जाये चूंकि इन शिष्टाचारों को बनाने और निर्धारित करने वाली वह हस्ती है जो जानने वाली और ख़बर रखने वाली है। अतः ये शिष्टाचार उस फ़ितने को रोकने की ज़मानत देते हैं जिससे वही जानकार और ख़बर रखने वाली हस्ती अवगत भी है। यहां फितने से तात्पर्य वह गंभीर फ़ितना है जिसकी तरफ़ हम पहले इशारा कर चुके है, अर्थात व्यभिचार में लिप्त होना।

कुछ लोगों का यह कहना कि कभी–कभी अचानक आकर गुज़र जाने वाला फ़ितना गंभीर फ़ितने का कारण बन जाता है। उचित है। लेकिन ऐसा कम ही होता है। हालांकि हलाल को सद्देज़रिया के रूप में हराम ठहराने के लिये ''फ़िक़्ह के सिद्धान्त' के उलमा के मत में एक शर्त यह भी है कि हलाल, साधारणतः कभी–कभी फ़ितने का कारण बन जाता हो। अतः इस तरफ़ ध्यान देना न कि कभी–कभी फ़ितने का कारण बन जाता हो। अतः इस तरफ़ ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो फितना हलाल को हराम या मकरूह ठहराने का कारण बनता है उसके बहुत सारे स्तर व पैमाने हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है इन पैमानों को हम नबी (सल्ल.) की सुननत के द्वारा मालूम कर सकते है। इस सिलसिले में उलमा ने भी कुछ पैमाने निर्धारित किये हैं निम्नलिखित में हम कुछ महत्वपूर्ण पैमानों को बयान करते हैः

पहलाः

फ़ितने का यह रूप हलाल को हराम या मकरूह ठहराने के लिये काफ़ी नहीं है कि किसी एक मर्द या कई मर्दों ने किसी औरत को घर कर देख लिया हो, यह फ़ितना हलाल को हराम या मकरूह ठहराने का कारण नहीं बन सकता। इस सिलसिले में हमारी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है। वह कहते हैं कि एक बार फज्ल बिन अब्बास नबी (सल्ल.) की सवारी पर उनके पीछे बैठे थे। उसी समय नबी (सल्ल.) के पास

क़बीला खषअम् की एक औरत आई, फ़ज़्ल उसे देखने लगे और वह फ़ज़्ल को देखने लगी आपने फ़ज़्ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यदि यह ग़लती हज़रत फज़्ल बिन अब्बास से इसके बावजूद हो गई कि वह आपके साथ आप की सवारी पर पीछे बैठे हुऐ थे तो फिर दूसरे लोगों से इस गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद नबी (सल्ल.) ने उस औरत को यह आदेश नहीं दिया कि वह अपने कपड़े से अपना चेहरा ढ़ांक ले और न ही आपने उसे मर्दों के भीड़ से दूर चले जाने का आदेश दिया बल्कि आपने मात्र फज़ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर देने ही को काफ़ी समझा।

दूसराः

फ़ितने का यह रूप न हो कि मात्र कुछ मर्दों ने किसी औरत को कुछ अपमानजनक बातें कह दी हों इस स्थिति में हलाल को हराम या मकरूह नहीं ठहराया जा सकता। इस सिलसिले में हमारी दलील कुरआन की यह आयत है!''..................यह अधिक उचित तरीक़ा है ताकि वह पहचान ली जायें और न सताई जायें..... (सूरह अहज़ाबः 59) इमाम तबरी की तफ्सीर में लिखा है कि अल्लाह तआला अपने नबी से फ़रमाता है कि ''ऐ नबी! अपनी बीवियों, बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वह दासियों की तरह कपड़े न पहना करें ताकि दुराचारी यह देखकर कि ये स्वतन्त्र महिलाये हैं उन्हें जबान से कष्ट न पहुंचायें।

मदीने में बहुत से मुनाफ़िक (कपटाचारी) मौजूद थे मदीने से बाहर से आकर बहुत से बद्द् भी बस गये थे जिनकी नबवी शिक्षाओं के अनुसार अभी पूरी तरबियत नहीं हो सकी थी। इन तमाम लोगों से मूर्खतापूर्ण हरकतें होने, अश्लील शब्द कहने और औरतों को घूरने से बढ़कर हरकतें करने की आशंकायें मौजूद थीं। लेकिन ऐसी तमाम बातों के बावजूद नबी (सल्ल.) ने मुसलमान औरतों को चेहरा ढ़कने का आदेश नहीं दिया। न ही आपने मस्जिद में मर्दों व औरतों के बीच कोई परदा लटकाया और न ही औरतों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये घर से निकलने से मना किया सामाजिक जीवन में औरत को भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात की मिसालें दूसरे भाग के पांचवें अध्याय में हम बयान कर चुके हैं जो इस सिलसिले की दलील हैं।

तीसराः

ऐसा न हो कि फ़ितना किसी एक व्यक्ति के द्वारा पैदा किया गया हो इस स्थिति में भी हलाल को हराम या मकरूह नहीं ठहराया जा सकता इस सिलसिले में हमारी दलील यह है कि नबवी युग में इस तरह के बहुत से फ़ितने किसी एक व्यक्ति के कारण समाने आये। और फिर नबी (सल्ल.) ने फ़ितने से बचने के लिये हलाल को हराम ठहराने के लिये कोई आदेश जारी नहीं किया (इस तरह की घटनाओं और फ़ितना के) बयान पहले गुज़र चुका है।

अतः इन्सानों की इस सामान्य कमज़ोरी को अल्लाह जानता है और जिसको वह पूरी तरह ध्यान में रखता है। के बीच, और उस अन्ध विश्वास के बीच अन्तर स्पष्ट करना आवश्यक है जो अन्धविश्वास कुछ लोगों पर इतना भारी पड़ जाता है। कि वह इस फ़ितने का भावार्थ समझने में ग़लती कर जाते है। जिससे बचने और जिसके माध्यम पर रोक लगाने का विधाता ने आदेश दिया है। अतः ये लोग सदैव यही समझते हैं कि औरत की मौजूदगी ही फ़ितना भड़काने के लिये पर्याप्त है। चाहे वह तमाम शरई शिष्टाचारों को दृष्टिगत रखते हुए ही क्यों न सामने आई हो। अतः वह औरत की चाल, उसकी आवाज़ उसके चेहरे और हथेलियों प्रत्येक चीज़ को फितने का कारण समझते हैं।

इन लोगों पर अन्ध विश्वास इतना भारी पड़ जाता है कि वह हर पल अश्लील कामों से डरते रहते हैं। सामान्यतः कमज़ोर हदीस की दलीलें इस अन्ध विश्वास के समर्थन में प्रस्तुत की जाती हैं और इसके लिये सही दलीलों को ग़लता अर्थ में प्रस्तुत की जाता है। फलस्वरूप बहुत से लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि शरीअ़त ने यह आदेश दिया है कि औरत मर्दों की भीड़ से बिल्कुल दूर रहे और अति आवश्यक होने पर ही उनके पास आये यह बात सदियों तक लोगों के मन में बैठी रही यहां तक कि इसे शरीअ़त का स्वीकृत आदेश समझ लिया गया। हालाकि वास्तविकता यह है कि सबसे अधिक सही हदीसों की दलील से जो बिल्कुल सही दलील देने योग्य हैं यह बात मालूम होती है कि शरई शिष्टाचारों को ध्यान में रखते हुए यदि औरत मर्दों की सभा में उपस्थित होती है तो यह उचित है और इसमें किसी भी तरह के फ़ितने की बात नहीं है (यहां फितने से तात्पर्य वह फितना है जिसे विधाता ने अवैध ठहराया है और जिससे बचने का आदेश दिया है) क्योंकि वास्तविक बात यह है कि औरत जीवन के गंम्भीर क्षेत्रों में भाग ले यद्यपि यह वास्तविकता है कि जीवन के विभिन्न मैदानों में सामान्यतः मर्द ही मिलते है। लेकिन यह तो जीवन का नियम है। कभी मर्दों का अस्तिव रहता है और कभी वह गायब हो जाते हैं। औरत को चाहिये कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे मर्द मौजूद रहें, या न रहें वह उनमें भाग ले, अर्थात औरत को चाहिये कि वह प्रत्येक क्षेत्र में मर्द के मौजूद होने की तरफ़ बहुत अधिक ध्यान न दे। अतः न ही ऐसा हो कि मर्दों की माजूदगी उसे भागीदारी पर उभारे और न ही ऐसा हो कि मर्दों की मौजूदगी उसे भागीदारी से रोक इसी तरह मर्द को भी चाहिये कि वह प्रत्येक क्षेत्र में औरतों के मौजूद होने की तरफ़ अधिक ध्यान न दें अतः न ऐसा हो कि औरतों की मौजूदगी उसे भागीदारी के लिये प्रेरित करे और न औरतों की मौजूदगी उसे भागीदारी से रोके, और यदि थोड़ा बहुत अचानक आकर गुज़र जाने वाले फ़ितने का सामना करना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक मामला है। अल्लाह अल्लाह ने परीक्षा के लिये हर मर्द औरत के लिये यह फ़ितना लिख दिया है। इससे बचना सम्भव नहीं है।

अन्त में हम अपने आत्मसम्मान वाले भाइयों का ध्यान इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं कि मर्द व औरत की मुलाक़ात के सिलसिले में बहुत अधिक बचाव से काम लेना फ़ितने की वैचारिक धारणा में हस्तक्षेप का कारण बनता है अर्थात ऐसी स्थिति स्थिति में जहां

फ़ितना नहीं होता है वहां भी दिखाई देने लगता है और मुलाक़ात से पहले ही अकारण ही फ़ितने का बहुत अधिक सन्देह होने लगता है और जब मुलाक़ात हो जाती है तो इस फ़ितने की धारणा से बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। हां, तमाम शरई शिष्टाचारों को दृष्टिगत रखते हुए सन्तुलन के साथ जो मुलाक़ात होती है वह फ़ितने की धारणा में स्थायित्व का कारण बनती है। इसी तरह मुलाक़ात से पहले इस फ़ितने से बचने में सन्तुलित रवैया अपनाने और मुलाक़ात के समय बहुत कम कष्टों से पीड़ित होने का कारण बनती है।

तीसरा कारणः औरत को बुरा और कमज़ोर समझना :

अज्ञानता काल में औरत विभिन्न क़िस्म के अपमान और घृणा का सामना कर रही थी। जब इस्लाम आया तो उसने उनमें से उन अपमानो और अकारण प्रतिबन्धों और सख़्तियों को दूर किया। निम्नलिखित दलीलों से इसका स्पष्टीकरण होता हैः

हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि एक औरत नबी (सल्ल.) के पास आई और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी के पति की मौत हो गई है..................... आपने उससे कहा...................... तुम औरतों की अज्ञानता काल में यह हालत थी कि एक वर्ष पूरे होने के बाद तुम मेंगनी (लेड़ी) फेका करती थीं। हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (रज़ि.) ने इस इदीस की व्याख्या करते हुए कहा कि अज्ञानता काल में जब किसी का पिता मर जाता तो वह एक छोटे से घर में चली जाती सबसे ख़राब कपड़े पहनती और एक वर्ष तक सुगन्ध न लगाती और एक वर्ष के बाद उसके पास कोई जानवर गधा या बकरी या कोई पक्षी लाया जाता तो वह उससे अपने गालों को छूती और जब वह किसी जानवर के साथ ऐसा करती, तो साधारणतः वह जानवर मर जाता या फिर वह उस घर से निकलती उसे एक मेंगनी दी जाती। उसे वह फेंकती, उसके बाद फिर वह अपनी पसन्द के अनुसार सुगन्ध और दूसरी चीज़ें प्रयोग करती। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़रमाते हैं............. अल्लाह की क़सम हम अज्ञानता काल में औरतों को कुछ भी नहीं समझते थे यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनके सिलसिले में आयतें अवतरित की। और उनके अधिकार निर्धारित किया (एक रिवायत में है हम अज्ञानता काल में औरतों को कुछ भी नहीं समझते थे जब इस्लाम आया और उसने उनके अधिकारों को बयान किया तब हमने उनके अधिकारों को ध्यान देना प्रारम्भ किया। लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते थे) एक बार मैं एक बात पर विचार कर रहा था कि मेरी बीवी ने कहा आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मैंने उससे कहा मेरे मसले से तुम्हारा क्या सम्बन्ध, तुम इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही हो।

उसनें कहा ऐ खत्ताव के बेटे मुझे हैरत है कि आप नहीं चाहते कि आपसे बहस की जाये। हालांकि आपकी बेटी नबी (सल्ल.) से इस तरह बहस करती है कि आप पूरे दिन उससे नाराज़ रहते हैं..............।

तबरानी में हज़रत उमर (रज़ि.) से एक रिवायत नक़ल की गई हैः वह कहते हैं कि मक्के में हममें से कोई अपनी बीवी से बात नहीं करता था बीवी घर की सेविका समझी

जाती थी। यदि किसी को आवश्यकता महसूस होती तो वह अपनी बीवी से आवश्यकता पूरी कर लेता लेकिन जब हम मदीना आ गये तो हमारी औरतों ने अन्सार की औरतों से बहुत कुछ सीख लिया अतः वह हमसे बातें करने लगीं और बहसें करने लगीं।

हज़रत अयास बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह की बन्दियों को मत मारो, यह सुनकर हज़रत उमर नबी (सल्ल.) के पास आये और कहा औरतें अपने पतियों के सिलसिले में बहुत निड़र हो गईं हैं। यह सुनकर आपने(सल्ल.) मर्दोंको इसकी अनुमति दे दी कि वह अपनी बीवियों को मार सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी औरतें आपके घर वालो के पास अपने पतियों की शिकायतें लेकर आई, आपने फ़रमाया, मुहम्मद के घर वालों के पास बहुत सी औरतें अपने पतियों की शिकायतें लेकर आई हैं। ऐसे पति अच्छे लोग नहीं हैं।

इस्लाम ने औरत को उच्च स्थान दिया है। उसने मर्दों की तरह उसे भी आदर पूर्ण स्थान दिया है अल्लाह तआला का कथन है ''हमने आदम की सन्तान को बुजुर्गी दी'' (सूरह दसराः70) औरत के ऊपर मर्दों की तरह इन्सानी दायित्व होते हैं अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''......... उत्तर में उनके रब ने फ़रमाया मैं तुमसे से किसी का अमल नष्ट नहीं करूंगा, चाहे मर्द हो या औरत तुम सब एक दूसरे से हो'' (सूरह आले इमरानः190) इसी तरह औरत भी मर्दों मी तरह अपराधिक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी है। अल्लाह तआला फ़रमाता है व्यभिचारिणी और व्यभिचारी दोनों में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो. ....। (सूरह नूरः 2)

इस्लाम की तरफ़ से औरत को इतना ऊँचा स्थान मिलने के फलस्वरूप बहुत सी ऐसी अच्छी मिसालें हमारे समाने आयीं, जिनसे पता चलता है कि नबवी युग की महिलाओं का व्यक्तित्व बहुत अधिक मज़बूत हो गया था और उनके अन्दर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने के सिलसिले में बहुत अधिक जागृत थी। निम्न में इसकी कुछ मिसाले प्रस्तुत की जाती हैं:

हज़रत आतिका बिन्ते ज़ैद का मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ना और बनी (सल्ल.) के प्रदत्त सुरक्षा के माध्यम से अपने पति के आत्मसम्मान से बचनाः

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की एक बीवी फ्रज़ इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से पढ़ा करती थीं। उनसे कहा गया कि आप मस्जिद क्यों जाती हैं हालांकि आपको मालूम है कि हज़रत उमर इसे पसंद नहीं करते, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती है उन्होंने कहा हज़रत उमर को कौन सी चीज़ मुझे मस्जिद जाने से रोकने से रोकती है। उनसे कहा गया कि उन्हें रसूल का यह कथन रोकता है कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद से न रोका। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हिन्द बिन्ते उत्बा का नबी (सल्ल.) की प्रशंसा करनाः

हज़रत आयशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं हिन्द बिन्ते उत्बा आईं उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल(सल्ल.) इस धरती पर मुझे आपके खेंमे वालों (पैरवों) से बढ़कर किसी का अपमान पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे आपके ख़ेमे वालीं (पैरवीं) से बढ़कर किसी का सम्मान पसंद नहीं है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

उम्मे हराम बिन्ते मल्हान का नबी (सल्ल.) से समुद्री युद्ध में भाहादत पाने के लिये दुआ करने का निवेदन करनाः

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं......... नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग जो समुद्र में जाकर अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे वह मेरे सामने तख़्त पर बैठे हुए बादशाहों की तरह दिखाये गये। उम्मे हराम ने कहा आप अल्लाह से हुआ कर दें कि वह मुझे भी उन लोगों में सम्मिलित फ़रमा दें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबवी युग में औरत के व्यक्तित्व की ये बेहतरीन मिसालें उस समय सामने आईं जब बहुत दिनों तक लगातर नसीहतें की जाती रहीं और दिलों में बैठे हुए अज्ञानता पूर्ण रिवाज और धारणाओं को समाप्त करने के लिये लगातार गंभीरता पूर्वक प्रयास किये जाते रहे, इसके बाद लोगों के जीवन में अच्च इस्लामी आदर्श प्रतिष्ठित होने लगे और अज्ञानतापूर्ण रिवाज और भावनायें समाप्त होने लगीं। बाद के युग में बहुत से युद्धो में विजय मिली और इस्लामी राज्य में विस्तार हुआ। और शुद्ध इस्लामी जीवन व्यवस्था पर धूल की परत जमने लगी क्योंकि बहुत सी कौमें इस्लाम स्वीकार करने लगी, जिनके यहां कुछ अज्ञानतापूर्ण रिवाज और भावनायें पाई जाती थीं। इस तरह धीरे–धीरे अल्लाह के रास्ते से लोग दूर होते गये। अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैंः

''...............चूकिं शरीअत ने अजमियों (जो अरब के अतिरिक्त देशों का रहने वाला हो) की मुंशाबहत (उस जैसा रहन सहन अपनाने) से रोका है............. अतः इसमें अजमी मुसलमानों के अपनाये हुये वह तमाम रिवाज और भावनायें सम्मिलित हैं जो सहाबा के यहां नहीं पायी जाती थी इसी तरह अरब अज्ञानता के भावार्थ में इस्लाम से पहले अज्ञानता काल के लोगों के अपनाये हुए तमाम आदतें और अमल सम्मिलित हैं। इसी तरह इसमें वह अज्ञानतापूर्ण रीति –रिवाज भी सम्मिलित हैं जिन्हें अरब ने बाद में अपनाया है''।

हम इस सिलसिले में अधिक वार्ता नहीं करेंगें कि मुस्लिम बुद्धि पर प्राचीन अज्ञानता के रीति रिवाज व भावनाओं के क्या प्रभाव हुए। हम आशा करते है कि इस विषय पर अवश्य कोई लिखेगा, हम इस किताब में केवल क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के दिये हुए तरीक़े को बयान कर रहे हैं। समय के साथ–साथ लोग औरत के सम्बन्ध में दिये अल्लाह के आदेशों से दूर होते चले गये यहां तक कि मर्द उसे दूसरे दर्जे बल्कि तीसरे दर्जे की चीज समझने लगे। उसे या तो कमज़ोर या मूर्ख समझा जाता, हर तरह से धोखा दिया जाता, और निगाहों से गिरा कर रखा जाता या उसे धोखबाज़ समझा जाता और उसके बारे में यह समझा जाता कि यह केवल बिगाड़ ही पैदा करती है। इन तमाम

परिस्थितियों में उसे एक सामान्य इन्सान का भी दर्जा प्राप्त नहीं था। उसे मात्र यौन वासना का माध्यम समझा जाता था। अतः इस बात की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती कि औरत रमज़ान में तराबीह की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से पढ़े, क्योंकि इसके लिये थोड़ी बहुत इबादत भी काफ़ी है। न ही उसके लिये मस्जिद में आकर शिक्षाप्रद सभाओं में भाग लेने की आवश्यकता महसूस की जाती क्योंकि उसके लिये कम से कम ज्ञान भी पर्याप्त है। बल्कि उसके पास ज्ञान न हो तो भी कोई हानि नहीं है। न ही इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती कि पति उसे अपने दुखों में भागीदार बनाये, और सफ़र में अपने साथ रखे क्योंकि यदि उसकी थोड़ी बहुत भी देख–रेख की जा रही है तो वह उसके लिये काफ़ी है न ही उसे सामाजिक गतिविधियों में भागीदार बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती। क्योंकि उसके लिये थोड़ा सा सवाब भी काफ़ी है इस तरह औरत से सम्बन्धित सामान्य मामलों में अतिशयोक्ति से काम लिया गया दूसरी शताब्दी हिज़री में लिखी गई ''मुस्न्नफ बिन अबी शैबा'' पर हम नज़र डालें तो हमें इस अतिशयोक्ति के बहुत से उदाहरण मिलेंगे, यह बात सही है कि इब्ने अबी शैवा की मुसन्नफ में अतिशयोक्ति से सम्बन्धित दलीलों के साथ–साथ सही सन्तुलित दलीलें भी पाई जाती हैं। लेकिन अतिशयोक्ति से सम्बन्धित दलीलों के अध्ययन से पता चलता है कि मुसलमानों के बीच किस तरह ऐसी सोच और भावनायें फैली हुई थीं जो अल्लाह की शरीअत के विरूद्ध थीं। निम्न में उसकी कुछ मिसालें बयान की जाती हैं:

- मर्द को औरत के वुज़ू से बचे हुए पानी से बजू करने की अनुमति न देना।
- मर्द को मासिक धर्म वाली स्त्री के जूठे पानी को पीने की अनुमति न देना।
- बीवी को पति के साथ एक ही बरतन से ग़ुस्ल की अनुमति न देना।
- औरत को औरतों की इमामत करने की अनुमति न देना।
- औरत को जमाअत से नमाज़ अदा करने की अनुमति न देना।
- औरत को अय्यामें तशरीक में तक्बीर पढ़ने की अनुमति न देना।

जहां एक तरफ़ मर्द औरतों के सिलसिले में बुरा गुमान रखते है वही दूसरी तरफ़ वह उन्हें कमज़ोर भी समझते हैं। औरत का फ़ितना उन बहुत से फ़ितनों में से एक है जिनके माध्यम से अल्लाह अपने बन्दों के फ़ित्ने लेता है फिर ये अतिशयोक्ति करने वाले लोग सद्देज़रिया के रूप में केवल औरत के फ़ितने को मिटाने पर ही अपनी सारी कोशिशें क्यों केन्द्रित करते है? और इस फ़ितने से सुरक्षित रहने के लिये औरत ही पर सारी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों डाल देते है? जो व्यक्ति भी सद्देज़रिया के सिद्धान्त को लागू करने में होने वाले अत्याचारों और अतिशयोक्ति पर नज़र डालेगा वह चकित रह जायेगा और पूछेगा कि जीवन के दूसरे तमाम फ़ितनो को छोड़कर केवल औरत के फ़ितने के माध्यम को रोकने ही पर इतनी कोशिशे क्यों की गई? हालांकि उन अतिशयोक्ति करने वाले लोगों का कहना है कि ज़माना बिगाड़ का शिकार हो गया है और बिगाड़ के कारण सदैव यह होता है कि तमाम ही फ़ितनो का मुकाबला करने में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा

नहीं है कि बिगाड़ के कारण केवल औरत के फ़ितने का मुकाबला करने ही में कमज़ोरी आती हो।

यदि एक तरफ़ नबी करीम (सल्ल.) ने हमें औरत के फ़ितने से चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है तो दूसरी तरफ़ माल और दौलत के फ़ितने से भी चौकन्ना रहने का आदेश दिया है। निम्न में औरत के फ़ितने से चौकन्ना रहने से सम्बन्धित हदीसों को बयान किया जाता है:

हज़रत ओसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मैंने अपने पीछे मर्दों के लिये औरतों से बढ़कर कोई दूसरा हानिकारक फ़ितना नहीं छोड़ा है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया .... औरतों से बचो, क्योंकि बनी इसराईल की पहली परीक्षा औरत के माध्यम से हुई थी (मुस्लिम)

माल के फ़ित्ने से चौकन्ना रहने से सम्बन्धित हदीसें निम्न में बयान की जाती हैं :

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया मुझे तुम लोगों पर सब से अधिक ड़र ज़मीन की उन बरकतों से है जो अल्लाह तुम्हारे लिये पैदा कर रहा है। सहाबा किराम(रज़ि.) ने कहा ज़मीन की बरकतों से क्या तात्पर्य है? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया ज़मीन की बरकतों से तात्पर्य दुनिया की खुशहाली है। (बुख़ारी)

हज़रत अम्र बिन औफ(रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया अल्लाह की क़सम मुझे तुम लोगों के सिलसिले में निर्धनता और भुखमरी का डर नहीं है। बल्कि मुझे इस बात का ड़र है कि दुनिया तुम्हारे लिये भी उसी तरह फैला दी जायेगी जिस तरह तुमसे पहले के लोगों के लिये फैला दी गई थी। फिर तुम भी उसमें उसी तरह स्पर्धा करने लगोगे जिस तरह उन लोगों ने की थी। और वह तुम्हें भी उसी तरह बेपरवाह कर देगी, जिस तरह उसने अन्य लोगों को किया था। (बुख़ारी)

हज़रत कअब बिन अयाज़ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल.) को कहते हुए सुना, हर उम्मत का एक फ़ितना हुआ करता है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल हैं (यह हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने बयान की है और हसन सहीह कहा है)

औलाद के फितने से चौकन्ना रहने के बारे में दलीलें निम्न में बयान की जाती हैं :

(क) कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों से अधिक चाहना :

हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के भाइयों का विचार था कि उनके पिता उनके दोनों छोटे भाइयों, हज़रत यूसुफ़(अलै.) और हज़रत बिन्यामीन से उन लोगों से अधिक प्यार करते हैं। अल्लाह तहाला फ़रमाता हैः ''यह कहानी इस तरह शुरू होती है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा यह यूसुफ़ और उसका भाई दोनों हमारे पिता को हम से अधिक प्यारे हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं, सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही भटक गये है। चलो यूसुफ़ को क़त्ल कर दो। या उसे कही फेक दो ताकि तुम्हारे पिता का ध्यान केवल तुम्हारी तरफ़ हो जाये। यह काम कर लेने के बाद फिर नेक बने रहना।'' (सूरह यूसुफ़ः 98)

(ख) किसी बेटे को विशष रूप से कुछ धन दे देना :

कुछ सहाबा किराम(रज़ि.) ने ऐसा ही किया था कि अपने किसी एक बेटे को कुछ धन दे दिया जबकि दूसरों को नहीं दिया। हज़रत नोमान बिन बशीर(रज़ि.) फ़रमाते हैं मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा था वह मुझे उपहार स्वरूप कुछ धन दे दें मेरे पिता को उनके इस विचार से सहमति हुई। अतः उन्होंने उपहार स्वरूप मुझे कुछ धन दे दिया। मेरी माँ ने कहा कि मैं उस समय तक इस उपहार से सन्तुष्ट नहीं हुॅगी जब तक कि आप इस पर नबी करीम (सल्ल.) को गवाह नहीं बनाते, चूंकि मैं बच्चा था इसलिए मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर नबी करीम (सल्ल.) के पास आ गये और कहा इस बच्चे की माँ बिन्ते रवाहा ने मुझसे मांग किया कि मैं उपहार स्वरूप इस बच्चे को कुछ धन दूं, आप (सल्ल) ने पूछा क्या इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई बच्चा है। उन्होंने कहा हॉ। (एक रिवायत में है ''क्या तुमने अपने तमाम बच्चों को इसी तरह उपहार दिया है। उन्होंने कहा नहीं) अतः आप (सल्ल.) ने फ़रमाया एक अत्याचार के सिलसिले में मुझे गवाह मत बनाओ।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

(ग) क़लम से जेहाद और तलवार के जेहाद से अपने बच्चों को डर के कारण पीछे रखना :

हज़रत अस्वद बिन ख़ल्फ(रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया औलाद कंजूसी कायरता, अज्ञानता और दुख का कारण बनती है।

जिस तरह शरीअत ने मर्द और औरत की मुलाक़ात और औरत के खुले चेहरे के फ़ितने से सुरक्षित रहने के लिये बहुत सी सीमायें और प्रतिबन्ध निर्धारित कियें है और बहुत से शिष्टाचार निर्धारित किये हैं इसी तरह शरीअत ने माल और औलाद के फ़ितने से सुरक्षित रहने के लिये बहुत सी सीमायें, प्रतिबन्ध और शिष्टाचार निर्धारित किये हैं।

मुस्लिम समाज में भी हर व्यक्ति अपने बच्चों के साथ रहता है और माल दौलत कमाने में लगा रहता है। इस तरह वह लगातार औलाद और माल के फ़ितने का सामना करता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह का ड़र रखते है और इन फितनों से सुरक्षित रहते है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और इन

फितनों का थोड़ा बहुत शिकार हो जाते है लेकिन इसके बाबजूद औलाद के फितने के माध्यम को रोकने के लिये कोई भी यह नहीं कहता कि एक से अधिक शादियां करना उचित नहीं है ताकि मुसलमान किसी एक बीवी के बच्चों के साथ भेदभाव बरतने के फितने से सुरक्षित रहे, नहीं कोई व्यक्ति सिरे से शादी करने और बच्चा पैदा करने ही का विरोध करता है। और इसकी यह दलील देता है कि शादी करने और बच्चा पैदा करने की स्थिति में वह बच्चों के प्यार में उलझ जायेगा और भलाई की राहों में ख़र्च करने और अल्लाह की राह में जिहाद करने से बेपरवाह हो जायेगा। न ही कोई व्यक्ति माल के फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाते हुये यह कहता है कि आवश्यकता से अधिक माल रखना उचित नहीं है। केवल इतना ही माल रखना चाहिये जिससे सांस बाक़ी रहे, इन सबके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि औरत के फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने के लिये इतना अधिक अतिशयोक्ति से काम लिया गया। हालांकि ज़माना और चरित्र के बिगड़ जाने के बावजूद माल व औलाद के फितने के माध्यम पर रोक लगने में इतनी अधिक अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया गया? हालांकि अल्लाह तआला ने एक ही आयत में उपरोक्त तीनों फ़ितनो से चौकन्ना रहने की नसीहत की है। अल्लाह तआला फ़रमाता है : ''लोगों के लिये जी की चाहतों–औरतें, औलाद सोने चॉदी के ढ़ेर, चुने हुये घोड़े, मवेशी और खेती की ज़मीनें बड़ी सुन्दर बना दी गयी हैं। मगर यह बस दुनिया के क्षणिक जीवन के सामान हैं। वास्तव में जो बेहतर ठिकाना है वह तो अल्लाह के पास है''।

यह बात कही जाती है कि उपरोक्त तमाम फितनों में सब से कठोर फितना औरत का फ़ितना है। इस सिलसिले में नबी करीम (सल्ल.) कथन को दलील के रूप में प्रस्तुत की जाता है ''मैंने अपने पीछे मर्दों के लिये औरतों से बढ़कर कोई दूसरा हानिकारक फ़ितना नहीं छोड़ा है'' यह बात बिल्कुल सही है कि औरत का फ़ितना सबसे कठोर फ़ितना है। लेकिन यह भी अपनी जगह एक वास्तविकता है कि नबी करीम ने इस फ़ितने से बचने का रास्ता बताया है। अतः शरीअत ने इस सिलसिले में हमें जो राह बताई है उसको अपनी तरफ़ से बढ़ाया

जाये? हम समझते हैं कि इस बढ़ाने और अतिशयोक्ति का कारण यह है कि मर्द औरत को कमज़ोर समझता है और स्वयं को ऊँचा समझता है। औरत के फ़ितने के सम्बन्ध में जितना अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है तो इस अतिशयोक्ति के फलस्वरूप जहां एक तरफ़ मर्द को पक्के इरादे से काम लेना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ़ इस अतिशयोक्ति की तमाम हानियों को उसे ही झेलना पड़ता है। बेचारी औरत अपनी इस मुसीबत को दूर करने की क्षमता नहीं रखती, बल्कि वह इस मुसीबत पर आपत्ति भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि वह लाचार है। वह मर्दों के हाथ में क़ैद है। इस तरह मर्दों ने औरतों पर अत्याचार किया है और उन औरतों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है।

औरत के फ़ितने पर रोक लगाने के लिये अतिशयोक्ति करने वाले लोगों ने जो माध्यम अपनाये हैं जब हम उनकी तरफ़ निगाह ड़ालते हैं तो पता चलता है कि उन माध्यमों ने औरत को जीवन की सीमा को अत्यन्त सीमित कर दिया है और उसकी बहुत

सी भलाई से वंचित कर दिया है। जबकि मर्द लोग पूरी तरह से शान्ति में है। अतिशयोक्ति करने वालों ने औरत के लिये यह अनिवार्य ठहरा दिया है कि वह हर समय अपने चेहरे को छिपाये रखे, हालांकि इसमें अल्लाह की तरफ़ से प्रदान की हुई दृष्टि की योग्यता और खुले वातावरण में हवा खाने की आज़ादी पर प्रतिबन्ध लगता है। उन लोगों ने औरत को मस्जिद जाने से रोक दिया। हालांकि इस स्थिति में उसे कुरआन और नसीहत सुनने, ज्ञान प्राप्त करने ओर मोमिन बहनों से मुलाक़ात करने से अनिवार्य रूप से वंचित हो जाती है। इस तरह वह तकबीर, तहलील, हमहीद और बरकत में लोगों के साथ सम्मिलित होने से वंचित हो जाती है। इन लोगों ने औरत को अपने माल की देखभाल करने और उसके निवेश करने से रोक दिया और उसे आदेश दिया कि वह अपने माल के सिलसिले में अपने किसी महरम को प्रतिनिध बना दें, हालांकि इस स्थिति में उसे अपने माल को बढ़ाने से वंचित करना होता है। इस बात की भी सम्भावना है कि वह जिसको अपने माल का प्रतिनिधि बनाये वह उसकी उचित देखभाल न कर सके और उसे नष्ट कर दे। इन लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर औरत को जीविकोपार्जन के लिये नौकरी करने से रोक दिया और उसे दूसरो के सहारे जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया हालांकि इस स्थिति में वह सम्मान व प्रतिष्ठा की रक्षा से वंचित हो जाती है और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यह लोग उन तमाम मामलों में नबवी युग की घटनाओं का खुले रूप में विरोध कर रहे हैं।

कुछ सहाबा किराम के दिल में यह विचार आया कि वह औरत के फ़ितने से बचने का प्रयास करें। अन्यथा कहीं वह गुनाह न कर बैठें, लेकिन जब उन लोगों ने इस फ़ितने को बहुत बड़ा समझ लिया और उसमें अतिशयोक्ति किया तो वह अपने ऊपर अत्याचार कर बैठे और स्वयं को परेशानी में ड़ाल लिया। इस तरह कि उन्होंने नबी करीम (सल्ल) से खस्सी होने की अनुमति मांगी, हज़रत अबू हुरैरह(रज़ि) फ़रमाते हैंः मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैं एक नौजवान मर्द हूं मुझे अपने सिलसिले में गुनाह में पड़ जाने का डर है। मेरे पास इतने साधन भी नहीं हैं कि मैं शादी कर सकूं (अतः आप (सल्ल.) मुझे खस्सी हो जाने की अनुमति दे दीजिये) यह सुनकर आप (सल्ल.) ख़ामोश हो गये। फिर मैंने यही बात कही, आप (सल्ल.) ख़ामोश रहे, फिर मैंने यही बात कही, तो नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया तुमको जो चीज़ मिलने वाली है वह लिखी जा चुकी है अब चाहे तुम खस्सी हो या न हो। (बुख़ारी)

सहाबा किराम ने औरतों को सामाजिक जीवन में भाग लेने और मर्दों से मुलाक़ात करने से रोक कर उनके जीवन की सीमा को सीमित नहीं किया था। इसके दो कारण थे। पहला यह कि वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जीवन की गतिविधि के सक्रिय होने के लिये यह बात भी अनिवार्य है कि उसमें औरत की भागीदारी को निश्चित किया जाये। दूसरे यह कि वे लोग औरतों पर अत्याचार करने से दूर रहते थे। इसीलिये वह औरतों को कमज़ोर नहीं समझा करते थे और न ही वह अपनी अतिशयोक्ति पूर्ण सोच की कठिनाइयां उन पर डालते थे।

चौथाः अनावश्यक आत्मसम्मानः आबरू के सिलसिले में ग़ैरत(आत्मसम्मान) दो तरह की है एक प्राकृतिक व सन्तुलित आत्मसम्मान होता है जो आबरू(सम्मान) को बचाने और उसे हर तरह के घटियापन से सुरक्षित रहने में सहायोगी होता है। आत्मसम्मान की यह क़िस्म एक ऐसी ऊँची नैतिकता है जिसे हर मुसलमान को अपनाना चाहिए। आत्मसम्मान की एक क़िस्म वह है जो अवैध है यह वह आत्मसम्मान है जो सन्देह रहित चीज़ों के सिलसिले में हो। यह अनावश्यक आत्मसम्मान है कभी–कभी इस आत्मसम्मान के कारण बुद्धि चली जाती है और इसके फलस्वरूप निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आत्मसम्मान के कारण जीवन की खुशियो से भरी गतिविधियां रूक जाती है नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''आत्म सम्मान की एक क़िस्म यह है जिसे अल्लाह पसन्द करता है। और एक क़िस्म वह है जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता है। आत्मसम्मान की वह क़िस्म जिसे अल्लाह पसन्द करता है वह है जो संदेह वाली चीज़ों के बारे में हो। और आत्मसम्मान की वह क़िस्म जिसे अल्लाह पसन्द नहीं करता है वह है जो सन्देह रहित चीज़ों के सिलसिले में हो'' |(अबू दाऊद)

कुछ सहाबा किराम(रज़ि.) के अन्दर आत्मसम्मान कुछ अधिक बढ़ा हुआ था। जैसे हज़रत उमर और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (रज़ि.) हज़रत उमर के आत्म सम्मान के सम्बन्ध में नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया : ''एक बार मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आपको जन्नत में पाया, देखा कि एक महल के कोने में एक महिला वुज़ू कर रही है। मैंने पूछा यह महल किसका है? बताया गया कि हज़रत उमर (रज़ि.) का है इस पर मुझे हज़रत उमर (रज़ि.) का आत्मसम्मान याद आ गयो। अतः मैं वापस मुड़ गया। यह सुनकर हज़रत उमर रो पड़े और कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं आपके सिलसिले में ग़ैरत (आत्मसमान) करूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत ज़ुबैर के आत्मसम्मान के सम्बन्ध में हज़रत अस्मा (रज़ि.) फ़रमाती हैंः . ... ''एक दिन मैं अपने सिर पर गुठलियाँ रखकर आ रही थी कि मेरी मुलाक़ात नबी करीम (सल्ल.) से हो गई आप (सल्ल.) के साथ कुछ अन्सारी सहाबा भी थे। आप (सल्ल.) ने मुझे बुलाया और मुझे अपने पीछे सवार करने के लिये अपनी ऊंटनी को बैठाने लगे। मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म महसूस हुई। मुझे ज़ुबैर और उनका आत्मसम्मान याद आ गया। वह बहुत ही अधिक आत्म सम्मान वाले थे। नबी करीम (सल्ल.) समझ गयें कि मैं शर्म महसूस कर रही हूं । अतः आप (सल्ल.) आगे बढ़ गयें......। (बुख़ारी व मुस्लिम)

लेकिन शरीअ़त के आदेशों ने उन जैसे लोगों के आत्मसम्मान को सीधे रास्ते पर लाकर नियन्त्रित किया। यह बात पहले आ चुकी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) की एक बीवी फ़ज्र और इशा की नमाज़ मस्जिद में जमाअत से पढ़ती थीं। उनसें लोगों ने कहा कि आप जानती है कि हज़रत उमर आत्मसम्मान वाले मर्द हैं वह मस्जिद में जाकर आपके नमाज़ पढ़ने को पसन्द नहीं करते हैं। फिर भी आप क्यों मस्जिद जाती है? इस पर उन्होंने कहा कि हज़रत उमर स्वयं ही क्यों नहीं रोक देते? उन लोगों ने बताया कि वह आप को इस

कारण मस्जिद जाने से नहीं रोकते, क्योंकि नबी करीम (सल्ल.) का कथन है कि ''अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद से न रोको''। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जब सहाबा किराम का युग समाप्त हो गया तो आत्मसम्मान शरीअत की सीमा से बाहर निकलने लगा और शरीअत ने करती थीं। हम इन्शा अल्लाह कुछ पन्नों के बाद सहीह हदीसों के ग़लत भावार्थ और गढ़ी और कमज़ोर हदीसों के प्रसार की समस्या का विश्लेषण करेंगे, आत्मसम्मान से बचने के सिलसिले में हमारी निगाहों से कुछ वरिष्ठ उलमा के कथन भी गुज़रे हैं जिनमें उनहोने बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है और इसके समर्थन में ऐसे जईफ़ और गढ़ी हुई सहाबा की घटनाएं प्रस्तुत की है जो सही हदीसो को विरूद्ध है जैसे एक आलिम का कहना है। आत्मसम्मान से बचने का तरीक़ा यह है कि मर्द औरतों के पास जायें ही नहीं और न ही औरत कभी बाज़ार जाये। नबी ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से पूछा, औरत के लिये सबसे बेहतर चीज़ क्या है उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे बेहतर चीज़ यह है कि वह मर्दों को न देखें और न ही मर्द उसे देखे, यह सुनकर अपने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा। ''एक नस्ल कें रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से पैदा हुई'' इस तरह नबी फ़ातिमा के कथन को अच्छी नज़र से देखा। सहाबा किराम अपने घरों के रोशनदान और दरवाज़ो के छेदों को बन्द कर देते थे ताकि उनकी औरतें मर्दों को न देख सकें, एक बार हज़रत मुआज़ ने अपनी बीवी को खिड़की से झॉकते हुए देख लिया तो इस पर उनकी पिटाई की इसी तरह उन्होंने एक बार देखा कि उनकी बीवी ने एक सेब खाया, उसका बचा हुआ थोडा हिस्सा अपने दास को दे दिया तो इस पर भी उन्होंने अपनी बीवी की पिटाई की।

जैसे–जैसे ज़माना गुज़रता गया और जिन देशों पर विजय मिली उनके अज्ञानता पूर्ण मूल्य इस्लामी मूल्यों में घुलते गये। वैसे–वैसे अनावश्यक आत्म सम्मान की बीमारी बढ़ती गई। कुछ मुस्लिम समाजों में मामला यहां तक पहुंच गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी की माँ बहन या बीवी का चेहरा देख लेता या मात्र उसकी आवाज़ सुन लेता तो उसे आत्मसम्मान महसूस होने लगता बल्कि इस सिलसिले में लोगों ने यहां तक अतिशयोक्ति किया कि वह आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी बीवी का नाम लेना पसन्द नहीं करते। करती थीं। हम इन्शा अल्लाह कुछ पन्नों के बाद सहीह हदीसों के ग़लत भावार्थ और गढ़ी और कमज़ोर हदीसों के प्रसार की समस्या का विश्लेषण करेंगे, आत्मसम्मान से बचने के सिलसिले में हमारी निगाहों से कुछ वरिष्ठ उलमा के कथन भी गुज़रे हैं जिनमें उनहोने बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है और इसके समर्थन में ऐसे जईफ़ और गढ़ी हुई सहाबा की घटनाएं प्रस्तुत की है जो सही हदीसो को विरूद्ध है जैसे एक आलिम का कहना है। आत्मसम्मान से बचने का तरीक़ा यह है कि मर्द औरतों के पास जायें ही नहीं और न ही औरत कभी बाज़ार जाये। नबी ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से पूछा, औरत के लिये सबसे बेहतर चीज़ क्या है उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे बेहतर चीज़ यह है कि वह मर्दों को न देखें और न ही मर्द उसे देखे, यह सुनकर अपने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा।

''एक नस्ल कें रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से पैदा हुई'' इस तरह नबी फ़ातिमा के कथन को अच्छी नज़र से देखा। सहाबा किराम अपने घरों के रोशनदान और दरवाज़ो के छेदों को बन्द कर देते थे ताकि उनकी औरतें मर्दों को न देख सकें, एक बार हज़रत मुआज़ ने अपनी बीवी को खिड़की से झॉकते हुए देख लिया तो इस पर उनकी पिटाई की इसी तरह उन्होंने एक बार देखा कि उनकी बीवी ने एक सेब खाया, उसका बचा हुआ थोडा हिस्सा अपने दास को दे दिया तो इस पर भी उन्होंने अपनी बीवी की पिटाई की।

जैसे–जैसे ज़माना गुज़रता गया और जिन देशों पर विजय मिली उनके अज्ञानता पूर्ण मूल्य इस्लामी मूल्यों में घुलते गये। वैसे–वैसे अनावश्यक आत्म सम्मान की बीमारी बढ़ती गई। कुछ मुस्लिम समाजों में मामला यहां तक पहुंच गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी की माँ बहन या बीवी का चेहरा देख लेता या मात्र उसकी आवाज़ सुन लेता तो उसे आत्मसम्मान महसूस होने लगता बल्कि इस सिलसिले में लोगों ने यहां तक अतिशयोक्ति किया कि वह आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी बीवी का नाम लेना पसन्द नहीं करते।

चाहिये तो यह था कि परिस्थति को अच्छी तरह विश्लेषण किया जाता और उसे कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वभाव का मामला ठहराया जाता, लेकिन इसके विपरीत हम लोंगो को देखते हैं कि वह इस स्वभाव को शरई तौर पर वैध ठहराते हैं ओर कहते हैं कि यह आत्मसम्मान की रक्षा के लिये ''सद्‌देज़रिया'' के रूप में आवश्यक है।

पांचवां कारणः ज़माने के ख़राब होने का दावाः कुछ लोगों को सदैव ज़माने के ख़राब होने, चरित्र के बिगाड़। दुराचार के फैल जाने की शिकायत करना अच्छा लगता है मानो, लोगों के दिलों में अब कुछ भी भलाई नहीं रह गई है। और जितनी कुछ बुराइया हो रही हैं। अब इससे अधिक होने की संभावना न हो। और यह कि बस अब जल्द ही क़यामत आने वाली है। इस तरह ये लोग लोगों को तबाही व बर्बादी से डराते रहते हैं और गुज़रे हुए उन ज़मानों पर आंसू बहाते हैं जब लोगों के चरित्र अच्छे थे वह अल्लाह को आज्ञा पालन व इबादत करते थे। बरकतें उतरती थीं। इस तरह के दावे वास्तव में इन्सानों को निराश कर देते हैं, उन्हें अपना सुधार करने के प्रयास से रोक देते हैं और ''भलाई का आदेश और बुराई से रोकने'' का कर्त्तव्य पूरा करने से बेपरवाह कर देते हैं। इस तरह के दावे फ़ितने के माध्यम पर रोक लगाने में अतिशयोक्ति करने में सहायक होते हैं क्योंकि जैसे–जैसे ख़राबी बढ़ती जाती है। वैसे–वैसे उसके स्त्रोतों पर रोक लगाने की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। चाहे वह माध्यम वास्तव में हलाल ही के दायरे में क्यों न आते हों, वास्तव में सद्‌देज़रिया के सिद्धान्त को लागू करने में अतिशयोक्ति करने की प्रवृत्ति एक ऐसी चाहत है जो कभी सन्तुष्ट नहीं होती, वह सदैव बढ़ाने की मांग करती रहती है और मर्द व औरत से सम्बन्धित मुलाक़ात से सम्बन्धित तमाम हलाल चीजो़ को हराम कर चुकती है तो फिर पसंदीदा चीज़ों की तरफ़ मुड़ती है और फिर उसके बाद अनिवार्य चीज़ों(वाजिब) की तरफ़ ध्यान देती है और इन सबको हराम ठहरा देती है। वह हलाल चीज़ें जिन्हें हराम कर दिया गया है। ये हैं; मर्दों का औरतों को सलाम करना, औरतों का

मर्दों को सलाम करना, औरतों का मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ना दर्शन(जियारत)। आतिथ्य और नौकरी में मर्द व औरत का भाग लेना वह पसंदीदा चीज़ें जिनको हरमा कर दिया गया है ये हैः

औरत का मर्दों से ज्ञान प्राप्त करना, मर्द का अपने मंगेतर को देखना, औरत का अपने रिश्तेदारों और महरमों के साथ प्रेम का मामला करना, उनका ध्यान रखना, उनकी देख रेख करना, उनके लिये शोक प्रकट करना। वह अनिवार्य चीज़ें जिनहें अवैध ठहराया गया है यह हैः औरत का मर्द के सलाम का जवाब देना, ईद की नमाज़ पढ़ना भले काम का आदेश देना और बुरे कामों से रोकना।

अतिशयोक्ति की प्रकृति यह है कि वह सदैव विकसित होता रहता है और प्रत्येक युग में युग के बिगाड़ का दावा करके, वापिस लौट आता है। निम्न में उसके कुछ उदाहरण बयान किये जाते हैः औरत का मर्दों से बात करनाः नबवी युग में यह तरीक़ा प्रचलित था कि मर्द औरत बिना किसी परदे के एक दूसरे से बात किया करते थे हां परदे की पाक बीवियों को इससे अलग कर दिया गया था। (देखिये दूसरे भाग का पॉचवा अध्याय)

लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद युग के बिगाड़ का दावा करके यह बात कही गई कि मर्द औरत के बीच बात–चीत केवल परदे के पीछे से ही हो सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सामान्य मोमिन महिलायें तो नबी की वीवियों से अधिक परदा करने की ज़रूरत मन्द हैं (देखिये तीसरे भाग का दूसरा अध्याय। इसमें यह बात बताई गई है कि परदे की विशेषता के सिलसिले में नबी की पाक बीवियों का अनुकरण करने की कोई गुंजाइश नहीं है।) कुछ समय व्यतीत होने के बाद परदे के पीछे से भी बातचीत करने से रोक दिया गया और इसकी दलील यह दी गई कि औरत की आवाज़ भी छिपाने योग्य हैं चूंकि अब समय ख़राब हो गया है और मर्दों के चरित्र भी बिगड़ गये हैं। अतः औरत की आवाज़ भी फ़ितने का कारण बन सकती है।

औरत का मस्जिद में नमाज़ पढ़नाः नबवी युग में बहुत सी महिलायें नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद जाया करती थीं। उनमें जवान लड़किया भी होती थी। बड़ी उम्र की औरतें भी होती थी और बूढ़ी औरतें भी होती थीं (दूसरे भाग का पॉचवां अध्याय। मस्जिद में औरत की भागीदारी से सम्बन्धित बहस)।

नबवी युग के थोड़े ही समय बाद कुछ लोगों के अन्दर औरतों को मस्जिद जाने से रोकने की भावना पैदा हुई। अतः हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के बेटे ने कहा कि "हम औरतों को मस्जिद जाने से अवश्यक रोकेंगे अन्यथा वह इसे धोखा देने का माध्यम बना लेंगी" एक यशस्वी आलिम ने उनके इस कथन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि "उन्होंने नबी करीम (सल्ल.) के स्पष्ट निर्देश के विरोध का साहस इसलिये किया क्योंकि उनके ध्यान में यह बात थी कि अब समय बदल गया है"।

कुछ और समय गुज़रने के बाद नौजवान लड़कियों और बड़ी उम्र की औरतों को मस्जिद आने से रोक दिया गया। क्योंकि समय के ख़राब हो जाने के कारण मस्जिद में

उनके आने को उचित नहीं समझा गया। हां बूढ़ी औरतों के लिये इस युग में कोई हानि नहीं समझा गया।

लेकिन समय के गुज़रने के साथ–साथ बूढ़ी औरतों को भी मस्जिद आने से रोक दिया गया क्योंकि जब वह नमाज़ पढ़ेगी तो स्पष्ट बात है कि नमाज़ के लिये अपना चेहरा खोलेंगी और इस स्थिति में मर्द उसे देखेंगे और चूंकि समय ख़राब हो गया है। अतः उस पर कुछ ग़लत क़िस्म के जुमले भी कसेंगे।

ईद के दिन औरत का ईदगाह जाना :

नबवी युग में औरतें यहां तक कि नई उम्र की और कुँआरी लड़कियां और मासिक धर्म वाली औरतें भी ईदगाह जाती थी। नमाज़ में भाग लिया करती थी और ईद मनाती थीं।(देखिये दूसरे भाग का पांचवां अध्याय। समारोहो में भाग लेने से सम्बन्धित वार्ता) लेकिन समय गुज़रने के साथ–साथ नई उम्र की लड़कियों को ईदगाह जाने से रोक दिया गया। हज़रत हफ़्सा (जो कि ताबिइया हैं) कहती हैं हम अपनी नई उम्र की लड़कियों को ईदगाह जाने नहीं दिया करते थे। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं शायद यह लोग नई उम्र की लड़कियों को ईदगाह जाने से इसलिये रोकते थे क्योंकि पहली शताब्दी के बाद समय ख़राब हो गया था।

थोड़ा और समय गुज़रने के बाद नव युवतियों को ईदगाह जाने से रोक दिया गया। हां बूढ़ी औरतों के लिये ईदगाह जाने की अनुमति जारी रही।

अतिशयोक्ति वाले लोग तो हर समय युग की ख़राबी की शिकायत करते रहते हैं और सद्देज़रिया के सिद्धान्त में अतिशयोक्ति से काम लेने के लिये इसे दलील बनाते हैं और इस तरह वह लोगों को अपने सुधार की तरफ़ आने से रोक देते हैं। जबकि नबी करीम (सल्ल.) का यह कथन हैः ''तुम्हारे ऊपर अब जो भी युग आयेगा वह अपने से पहले वाले युग से अधिक ख़राब होगा, यह परिस्थिति सदैव रहेगी यहां तक कि तुम अपने रब से जा मिलो''। (बुख़ारी)

नबी करीम (सल्ल.) ने अपने इस कथन से अल्लाह की एक सुन्नत की तरफ़ संकेत किया है और प्रत्येक युग के लोगों को मार्ग दर्शन दिया है कि वह अपने युग की थोड़ी सी भलाई और बुराई के बीच सन्तुलन से काम लेते हैं तो वास्तविकता का सही ढ़ंग से परीक्षण करने में सफल होते हैं। यदि किसी युग में बहुत भलाई होती है और यही भलाई आशा की किरण और सुधार का माध्यम होती है। क्योंकि सुधार के लिये कुछ कुछ अच्छे लोगों का होना और सामान्य लोगों के दिलों में थोड़ी बहुत भलाई का होना अनिवार्य है ताकि अच्छी तरह से सुधार हो सके और देर तक क़ायम रहें, इस तरह नबी करीम (सल्ल.) की हदीस में मोमिनों को इस बात की दावत दी गई हैं कि वह बिगड़ी हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये स्वयं को तैयार कर लें और बिगाड़ के सामने सर झुकाने से या उसके सुधार से निराश होने से बचें, यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति यात्रियों

को बताये कि आगे रास्ते में कुछ खतरे हैं। वह ये बात इसलिये बताता है ताकि यात्री अपने को उन खतरों का सामना करने के लिये तैयार कर लें, अल्लाह बेहतर जानता है।

प्रत्येक युग में कुछ न कुछ भलाई के मौजूद होने की पुष्टि इस बात से भी होती है प्रत्येक पीढ़ी यह कहती दिखाई देती है कि उसके पूर्वज़ों के युग में बहुत भलाई थी। जब कि स्वयं उसके युग में बहुत अधिक बिगाड़। खराबियां और फ़ितने सामान्य हो गये हैं। एक हदीस में नबी (सल्ल.) ने क़यामत के निकट होने की निशानियां बयान करते हुए कहा हैः "उस समय युग बहुत छोटा हो जायेगा। ज्ञान घट जायेगा। लोगों के दिलों में कंजूसी डाल दी जायेगी। फ़ितने प्रकट होंगे और परेशानी व बेचैनी बहुत अधिक फैल जायेंगी"। फतहुल बारी में हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए इब्ने बत्ताल का यह कथन बयान किया हैः

"इस हदीस में क़यामत के निकट होने की जितनी निशानियां बयान की गई हैं हमने उन्हें स्पष्ट रूप में देख लिया है। ज्ञान कम हो गया है। अज्ञानता सामान्य हो गई है। लोगों के दिलों में कंजूसी डाल दी गई हैं। फ़ितना और बिगाड़ बहुत अधिक विस्तृत हो गया है और बहुत अधिक क़त्ल होने लगे हैं।"। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इब्ने बत्ताल के इस कथन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ज़ाहिरी तौर पर यह महसूस होता है कि इब्ने बत्ताल ने जिन चीज़ों के प्रकट होने का उल्लेख किया है बहुत सामान्य थीं लेकिन वास्तव में भलाई भी इसकी तुलना में सामान्य थी। उपर्युक्त हदीस का भावार्थ यह है कि ये बुराइयां और निशानियां इतनी अधिक मज़बूत हो जायेंगी कि उनकी तुलना में भलाई बहुत ही कम रह जायेगी........... और वास्तविकता यह है कि उपरोक्त निशानियों की भूमिका सहाबा किराम के युग से ही प्रकट होना प्रारम्भ हो गई थी। फिर वह धीरे-धीरे कुछ जगहों पर बहुत अधिक सामान्य होने लगीं। जबकि कुछ जगहों पर कम रहीं, और क़यामत उस समय आयेगी जब ये निशानियां इतनी अधिक मज़बूत हो जायेंगी कि उनकी तुलना में भलाई का अस्तित्व बहुत कम हो जायेगा।

कुछ यशस्वी सहाबा और ताबई लोगों से भी इस तरह के कथन बयान किये गये हैं। एक बार हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने फ़रमाया, नबवी युग में जो चीज़ें थीं अब उनमें से कोई भी चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती(अर्थात हर चीज़ में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया गया है)। उनसे कहा गया नमाज़ के सिलसिले में आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा क्या इसमें भी तुमने अपनी तरफ़ से कमी-बेशी नहीं की है? (अतः अस्र की नमाज़ में उसके ठीक समय से देर नहीं कर देते हो)। इमाम मालिक(रह.) अबू सहल बिन मालिक के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जो एक यशस्वी ताबई थे। एक बार कहा "मैंने लोगों को जिन चीज़ों को करते हुए पाया है। मैं उनमें से किसी चीज़ को नहीं जानता, हां (अस्र की) नमाज़ की अज़ान मुझे सही महसूस होती है"। उपर्युक्त दोनों कथनों में अस्र की नमाज़ समय प्रारम्भ होते ही पढ़ने की अच्छाई बयान की गई है इससे यह भी पता चलता है कि उस युग के लोगों का स्तर बहुत ऊँचा था। इसी तरह उन दोनों कथनों में नबी करीम (सल्ल.) की सुन्नत और सहाबा किराम के तरीक़े पर ज़ोर

दिया गया है मक्का और मदीना वाले दासियों को बाज़ारो में नग्न अवस्था में ले जाते थे। उनको इतना कम कपड़ा पहनाते थे कि उनका पूरा शरीर विशेष रूप में सीना दिखाई देता था। व्यापारी लोग भी अपनी दासियों को बेचने के लिये इसी तरह बाज़ार ले जाते थे हज़रत इमाम मालिक से लोगों ने इस सिलसिले में पूछा कि ऐसा करना कैसा है? यह सुनकर इमाम मालिक ने अपना क्रोध प्रकट किया इस काम से रोका और फ़रमाया ऐसा न ही हमारे पिछले फ़क़ीहो और भले लोगों ने किया है और न ही उन्होंने ऐसा करने का फ़तवा दिया है। यह तो उन लोगों का काम है जो अल्लाह का डर नहीं रखते। हज़रत हिशाम बिन उर्वः बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि जब उर्वः ने अक़ीक़ नामक स्थान नर अपना महल बनवाया तो उस पर लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। और कहा आप ने मस्जिदे नबवी से दूरी अपना ली है यह सुनकर उन्होंने कहा। मैंने देखा कि तुम लोगों ने मस्जिद को खेल कूद की जगह बना लिया है। बाज़ारों और तुम्हारी गलियों में दुराचार सामान्य हो गया तो मैंने वहां पड़ाव कर लिया क्योंकि वहां इन सब चीज़ों से शान्ति है............. कुछ लोगों ने कहा कि उर्वः तो मदीने के बारे में ऐसी सूचना दे रहे हैं तो फिर वहां के निवासियें के अमल को दलील कैसे बनाया जा सकता है इस पर अबू उमर ने कहा। मैं कहता हूं कि इमाम मालिक मदीने के उन लोगों के अमल को दलील समझते हैं जिनकी गिनती उलमा, और नेक लोगों में होती है वह मदीने के सामान्य लोगों के अमल को दलील नहीं मानते हैं। इन दोनों कथनों से पता चलता है कि प्रत्येक युग में फ़ुकहा और भले लोग भी होते हैं और सामान्य लोग और अल्लाह का डर न रखने वाले लोग भी होते हैं और उनसे ऐसे काम होते हैं जो फ़ितना और बिगाड़ के अन्तरर्गत आते है।

जहां एक तरफ़ ज़माने के ख़राब होने का दावा किया जाता है वहीं दूसरी तरफ़ यह भी कहा जाता है कि आसानी और हल्का करने से सम्बन्धित शरई आदेश केवल नेक और भले लोगों के युग में वैध थे। अब परिस्थिति में परिवर्तन आया है और युग ख़राब हो गया है। इसलिये यह आदेश इस ख़राब युग के लिये अनुकूल नहीं है। फ़ितना और बिगाड़ के माध्यम पर रोक लगाना उसी समय सम्भव है जब कि अवैधता के आदेश लागू किये जायें और आसानी व हल्का करने के उन आदेशों को बदल दिया जाये जो नबी करीम (सल्ल) और खुलफ़ा–ए–राशिदीन के युग में प्रचलित थे। अतः आसानी के वह आदेश जो सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात से सम्बन्धित थे। उसमें परिवर्तन कर दिये गये। चाहे यह मुलाक़ात अल्लाह के घर में और नमाज़ पढ़ते हुए ही क्यों न हो। जो लोग यह कहते हैं कि नेक और भले लोगों का युग समाप्त हो गया। उन्ही में से एक साहब यह कहते हैं कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत अनस (रज़ि.) ने उम्मे ऐमन से मुलाक़ात की लेकिन इससे यह नहीं समझ में आता कि उन लोगों ने उन्हें देखा भी या फिर यह कि उन लोगों पर सामान्य लोगों को अनुसार अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि यह लोग हज़रत अबू बक्र और हज़रत अनस जैसे लोगों को एकान्त में औरत से मिलने की अनुमति देते हैं।

इस अतिशयोक्ति पर हमें इमाम जुवैनी(रह.) का वह कथन याद आ गया। जो उन्होनें ऐसे अतिशयोक्ति वाले लोगों के सम्बन्ध में फ़रमाया था जो सज़ाओं में शरीअत की दी हुई आसानी पर अमल नहीं करते और कहते हैं कि इस्लाम के प्रारम्भिक दिनों में आसानी उपलब्ध कराना वैध था। क्योंकि उन लोगों का इस्लामी शिक्षाओं से सम्बन्ध बहुत निकट का था उनको बेपरवाही से जगाने के लिये हल्की सी चेतावनी भी काफ़ी होती थी लेकिन अब भलाई का वह युग दूर हो गया। लोगों के दिल सख़्त हो गये और बुराईयां और खराबियां समान्य हो गईं और लोग इस बात के आदी हो गये है कि उनके सामने या तो प्रेरणा की बात कही जाये या केई चेतावनी की बात कही जाये। यदि सज़ाओ को काफ़ी समझ लिया जाये तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती इन लोगों के सम्बन्ध में इमाम जुवैनी फ़रमाते हैं कि संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति यह समझता है कि शरीअत को बुद्धिमान लोगों के परामर्श की और समझदार लोगों के मत की आवश्यकता है मानो कि उसने शरीअत को निरस्त कर दिया और उसने अपनी इस बात से शरीअत़ का इन्कार कर दिया....... यह सारी बातें बस सोचने और विचार करने की हैं यदि इन्हे दीन के नियमों पर लागू किया जाने लगे तो वह व्यक्ति जिसके पास थोड़ी बहुत भी बुद्धि है अपने सोच और मत का शरीअत समझने लगेगा और दिलों में आने वाले विचार नबियों के वही का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। फिर समय के साथ यह परिस्थिति बदलती जायेगी यहां तक कि शरीअत का कोई महत्व शेष नहीं रहेगा.......... अतः सही दीन वह है जिसे प्रमाणित लोगों ने नबी (सल्ल.) से हम तक पहुंचाया है इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें और बातें हैं वह ग़लत और भटकाने वाली हैं। जो व्यक्ति शरीअत के गुणों और उसकी छिपी हुई बातों को नहीं जानता वह शरीअत के सिलसिले में ग़लती कर जाता है।

सावधानी के पहलू को अपनाने के दावे ने भी युग की ख़राबी के दावे का समर्थन किया अैर सद्देज़रिया के सिद्धान्त को लागू करने में अतिशयोक्ति का कारण बना जैसे ये लोग कहते हैं : ''मोमिन मर्दों से कहिये कि वह अपनी निगाहें झुकाये रखें........'' क्योंकि निगाह के कारण फ़ितना होता है और निगाह वासना को भड़काती है और शरीअत के लिये यह बेहतर है कि वह फ़ितने के दरवाज़े को बन्द कर दे। लेकिन यह पूछा गया कि निगाह तो सतर में सम्मिलित नहीं है उसे देखना कैसे हराम ठहरा दिया गया? इसका उत्तर यह है कि निगाह यद्यपि सतर नहीं है लेकिन चूंकि वह फ़ितना और वासना को भड़काने का माध्यम है इसलिये लोगों को सावधानी के अनुसार उससे रोक दिया गया''।

सावधानी के पहलू को अपनाने पर आपत्ति करते हुए एक समसामयिक (Contemporary) आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही हैः ''बहुत शोध और अध्ययन के बाद मुझ पर यह बात स्पष्ट हुई कि जब कभी सीधे क़ुरआन व सुन्नत से मार्ग दर्शन लिया जाता है तो इसके फलस्वरूप आसानी आती है और परेशानी व कठिनाई से मुक्ति मिलती है जब कि मसलकी फ़िक़्ह की तरफ़ से मार्ग दर्शन लेने में ऐसा नहीं होता। चूंकि मसलकी फ़िक़्ह में सामान्य रूप से सावधानी का पहलू अपनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है इसलिये इसके

फलस्वरूप कई वर्षों तक इसमें कट्टरता पाायी गई यदि दीन नष्ट हो जायेगी और उस पर परेशानी व कठिनाई का रंग छा जायेगा। हालांकि अल्लाह तआला ने अपने दीन में कठिनाई और परेशानी नहीं रखा है। अल्लाह तआला फ़रमाता है : ''और दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी और कठिनाई नहीं रखी''।

यशस्वी उलमा ने सदैव सावधानी के पहलू को अपनाने पर आपत्ति प्रकट की है। इमामुल हरमैन, इमाम जुवैनी ने एक बार कहा यदि यह कहा जाये कि क्या सावधानी के पहलू को अपनाना अनिवार्य नहीं है? तो हम यह कहेंगे कि शरीअ़त के सिद्धान्तों में कहीं यह बात नहीं है कि जिसके अनिवार्य होने के सिलसिल में सन्देह हो उसके वाजिब मानना अनिवार्य है इमाम इब्ने तैमिया का कथन है कि शरीअत के सिद्धान्तों में यह बात तय है कि सावधानी न ही अनिवार्य (वाजिब) है न ही हराम है।

विरोधियों के रवैये को देखते हुए हमें महसूस होता है कि लोगों में मौजूद नैतिक बिगाड़ को देखकर उनके दिल बहुत दुःखी है लेकिन उन लोगों ने बिगाड़ को समझने में अतिशयेाक्ति से काम लिया यहां तक कि यह ख़राबी और बिगाड़ उनके मन पर छा गया और उनके मस्तिष्क से वह हित छिपे रह गये जो सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और मर्दों से उसकी मुलाक़ात के फलस्वरूप प्राप्त होते है। इसी तरह उनके मन में वह परेशानी और कठिनाई की धारणा भी नहीं आई जो इस भागीदारी और मुलाक़ात पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप होती है।

छठा कारणः कुछ आयतें हदीसें और ख़बरें:

पिछले पन्नों में हमने सद्देज़रिया के सिद्धान्त में अतिशयेाक्ति से काम लेने के कुछ कारणों का उल्लेख किया है। आश्चर्य की बात यह है कि उन तमाम कारणों को अपने समर्थन में कुछ दलीलें और कथन मिल गयें हैं। उन कारणों के समर्थन में कुरआन की आयतें और सही हदीसें जिनका गलत अर्थ लिया गया है। ज़ईफ, मौजूद हदीसे और ज़ईफ़ खबरे प्रस्तुत की गई हैं। निम्न में हम उसकी कुछ मिसालें प्रस्तुत करते है।

प्रथमः ऐसी आयतें, हदीसें और खबरें जो औरतों के सिलसिले में बुरा गुमान रखने के समर्थन में प्रस्तुत की जाती हैंः

(क) वह आयत जिसका गलत अर्थ लिया गया है :

''वास्तव में बड़ी हैं तुम्हारी चालें'' (सूरह यूसुफ़ः 28)

- यह बात मिस्त्र के राजा अज़ीज़ ने कही थी। यह अल्लाह का कथन नहीं है। अजीज़ ने यह बात अपनी बीवी से हुई एक ग़लती के अवसर पर कही थी।

- क़ुरआन ने यदि मिस्त्र के राजा के इस कथन को बयान कर दिया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इसे स्वीकार भी करता है। और उसे प्रत्येक ज़मानो और देशो की औरतों की प्रकृति के सिलसिले में एक निश्चित अल्लाह की तरफ़ से आया आदेश समझता है।
- विचार करने योग्य बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के भाइयों ने उनके विरूद्ध बड़ा षड़यन्त्र रचा और उसे लागू करने के लिये एक नापसंदीदा उपाय ढूँढ़ा उन्हें कूएं में फेंक दिया और पिता से झूठ बोला, इस पृष्टभूमि में हम यहां पर मर्दों के षड्यन्त्रों को बड़ा ठहरायेंगे या औरतों के षड्यन्त्रों और चालों को ?

(ख) ऐसी हदीसें जिनके ग़लत अर्थ लिये गये :

हदीसः ''औरतों की बुद्धि और उनका दीन अधूरा होता है''। इस हदीस के बहुत ग़लत अर्थ लिये गये हैं। यहां तक कि लोगों ने यह समझ लिया है कि औरत की बुद्धि कमज़ोर होती है और वह मूर्ख हुआ करती है। हालांकि नबी करीम (सल्ल.) ने यह बताया है कि अधूरा होने का तात्पर्य बौद्धिक गतिविधियों में अधूरा होना है और इस अधूरेपन से तात्पर्य यह है कि वह माल के सिलसिले में पूरी गवाही के योग्य नहीं है क्योंकि माल का क्षेत्र उनके धर के अन्दर के जीवन से मेल नहीं खाता इसलिए नबी करीम (सल्ल.) ने बच्चों को दूध पिलाने के मसले में एक औरत की गवाही को ही माना है इसी तरह फक़ीहों का कहना है कि जो मामले औरतों के साथ विशेष हैं उनमें दो औरतों की गवाही मान्य है।

हदीसः औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसली में सबसे अधिक टेढ़ापन उसके उपरी भाग में होता है''। इस हदीस के भी ग़लत अर्थ लिये गये हैं यहां तक कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि इस हदीस से तात्पर्य यह है कि औरत की प्रकृति में टेढ़ापन होता है। उसकी प्रकृति अस्पष्ट होती है। हालांकि सही बात यह है कि इस हदीस में औरत की पैदाइश के प्रभाव, उसके काम के ढंग ओर मामलों पर पड़ते है जिसके कारण मर्दों को थोड़ा बहुत कष्ट का एहसास होता है। टेढ़ापन सीधेपन के मुक़ाबले में एक चीज़ है। यहां पर हम टेढ़े पन का स्पष्टीकरण भावुकता से कर सकते हैं। क्योंकि भावना का सन्तुलन ही सीधा पन है और भावुकता टेढ़ापन है। यह अल्लाह का विवेक और प्रबन्धन है कि उसने औरत को इस भावना की क्षमता प्रदान की। ताकि उसकी भावनाओं में प्रेम का तत्व स्थायी रहे जो कि बच्चें के प्रशिक्षण के लिये बहुत अनिवार्य है (दूसरे भाग के पांचवें अध्याय में इस हदीस और इससे पहले वाली हदीस के भावार्थ पर विस्तार पूर्वक वार्ता की जा चुकी है)

हदीसः ''यदि दुर्भाग्य की कोई वास्तिवकता होती तो वह औरत घोड़े, और घर में होती'' इस हदीस के भी ग़लत अर्थ लिये गये है क्योंकि कुछ रिवायतों में इसके संक्षिप्त होने के कारण या इसमें रिवायत बयान करने वालो के कुछ ग़ड़बड़ कर देने के कारण कुछ ग़लती हो गई है। यह हदीस लोगों के बीच इन शब्दों के साथ सामान्य हो गई कि ''दुर्भाग्य तीन चीज़ों में होता है। और इस तरह औरत को भी दुर्भाग्य का माध्यम समझा जाने लगा,

हालांकि शरीअत तो सिरे से दुर्भाग्य को ही नहीं मानती, और वह भलाई व बरकत का स्वागत करती है। नबी करीम (सल्ल.) का कथन हैः ''दुर्भाग्य की कोई वास्तविकता नहीं है। घर, औरत और घोड़े में बरकत होती है''।

(ग) ज़ईफ़ हदीसेंः

- ''औरत खेल का सामान है। अतः जो कोई इस खेल के सामान को पाये वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करे'' हालांकि इसके मुक़ाबले में हमें यह सहीह हदीस मिलती है कि ''औरतें मर्दों के समान स्तर की है''।
- यदि मर्द औरत का आज्ञापालन करते हैं तो यह बात उनके लिये तबाही का कारण है''। अबू बक्र इब्नुल अरबी ज़ईफ़ हदीसों के प्रचलित हो जाने की निन्दा करते हुए कहते हैंः

लोगों को अपने दीन के सिलसिले में उसी तरह का रवैया अपनाना चाहिये जिस तरह का रवैया वह अपने माल के सिलसिले में अपनाते हैं। लोग खरीदते बेचते समय ऐसा दीनार नहीं लेते जिसमें किसी तरह का खोट हो। बल्कि वह अच्छा दीनार लेते है। इसी तरह नबी करीम (सल्ल.) की केवल ऐसी ही हदीसें लेनी चाहिये। जिसकी सनद सहीह हो ताकि नबी करीम (सल्ल.) की हदीसें झूठ और ग़लत बयानी से सुरक्षित रहें क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सहीह हदीसों के लेने का प्रबन्ध नहीं करता है तो सम्भव है कि उसको कठोर घाटे का सामना करना पड़े''।

(घ) मौज़ूअ (गढ़ी) हदीसें :

- मुझे मेरे दो गुणों के कारण आदम पर वरीयता दी गई है। आदम(अलै.) की बीवी ने एक अवज्ञा में उनका सहयोग किया। जबकि मेरी बीवीयां आज्ञापालन और बन्दगी में मेरी सहयोगी है।
- औरत का आज्ञापालन करना अपमान और शर्मिंदगी की बात है।
- औरतों से परामर्श करो और उनके परामर्श को न मानों।

हालांकि सहीह हदीस में इस बात का बयान मौजूद है कि हुदैबिया के दिन नबी करीम (सल्ल.) ने हज़रत उम्मे सलमा(रज़ि.) के परामर्श पर अमल किया था।

- यदि औरतें न होतीं तो अल्लाह की इबादत उस तरह की जाती जिस तरह की उसका हक़ है।
- औरतों को लिखना न सिखाओ, न ही उन्हें कमरो में रखो उन्हें सूरहनूर की शिक्षा दो।

हालांकि हमारे सामने शिफ़ा बिन्ते अब्दुल्लाह से रिवायत की हुई सहीह हदीस मौजूद है। वह कहती हैं कि हमारे पास नबी करीम (सल्ल.) आये। मैं उस समय हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास थी। मुझसे नबी करीम (सल्ल.) ने फ़रमाया, तुम इन्हें नमल (एक क़िस्म की बीमारी) का रूक़ीया (झाड़–फूक) क्यों नहीं सिखा देती हो जैसा कि तुमने इन्हें लिखना सिखाया है।

औरत को लिखना पढ़ना सिखाने से सम्बन्धित मौजूअ़ हदीस अतिशयोक्ति की एक बेहतरीन मिसाल है। इस हदीस पर बहुत सारे इस्लामी देशों में चौदहवी सदी हिजरी(वीसबी सदी ईसवी) के प्रारम्भ तक अमल किया गया। लेकिन जब कुछ उलमा और विद्वानों ने इस स्थति को अनुचित बताना प्रारम्भ किया तो यह मानसिकता धीरे–धीरे समाप्त होने लगी, लेकिन जब कुछ देशों में यह स्थिति चौदहवीं सदी हिजरी के मध्य तक कायम रही, डॉ. तकी युद्दीन हिलाली ने इसके सम्बन्धत में निम्न लिखित बातें लिखी हैं:

औरत की शिक्षा के सम्बन्ध में तीन विभिन्न मत (मसलक) पाये जाते है पहला मत यह है कि औरतों को मात्र इतनी शिक्षा दी जाये कि वह बिना समझे कुरआन पढ़ने लगें, इस मत के समर्थकों का कहना है कि यही सबसे उचित और अच्छा मत है। हमने अपने बाप–दादा को इसी पर अमल करते देखा है। वे लोग हमसे बहुत अच्छे थे। इन लोगों का कहना है कि औरत का शिक्षा प्राप्त करना उसके चरित्र को बिगाड़ने का कारण बनता है औरत पढ़ती लिखती नहीं है तो वह शैतान जैसे इन्सानों से बची रहती है। यह बात प्रसिद्ध है कि कलम भी दो भाषाओं में से एक भाषा है। यदि औरत पढ़ना लिखना नहीं जानती तो वह इस भाषा की बुराई से बची रहती है और परदे के माध्यम से वह दूसरी भाषा की बुराई से बची रहती है। हमने कितनी ही शिक्षित औरतों को देखा है कि वह शिक्षा के रास्ते से ही बुराइयों का शिकार होती है। यह परिस्थति तो उस समय भी थी जब इस्लाम सत्ता में था और पवित्र माहौल का ज़माना था। लेकिन अब तो ज़माना बहुत ही अधिक बिगड़ चुका है। अतः यदि लड़की लिखना पढ़ना जान जाती है तो उसका मस्तिष्क दुनिया में हो रहे बिगाड़(फसाद) से और लड़को से दोस्ती करने की चिन्ता से भर जायेगा। और उसके मस्तिष्क और विचार में सदैव अनुचित विचार आते रहेंगे। हदीस में आया हैः ''उनको कमरों में न रखों, लिखना न सिखाओं, और सूरहनूर की शिक्षा दो। यह ही उचित प्रशिक्षण है क्योंकि यदि लड़कियों को लिखना सिखा दिया जाये तो वह दुराचारी लोगों से पत्र व्यवहार करने लगेंगी।

जो लोग किसी दीनी हित के लिये नबी (सल्ल.) के सिलसिले में झूठ बोलना वैध समझते हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर उनकी दलील को निरस्त करते हुए कहते हैं:

''वह सूफ़ी और बड़े इबादत गुज़ार जाहिल हैं जो यह कहते हैं कि ऐसे मामलों में, नबी (सल्ल.) के मामले में झूठ बोलना वैध है जिसके माध्यम से दीन को और अहले सुन्नत के तरीक़े को बल प्रदान करना वांछित हो। ये लोग इसकी दलील यह देते हैं कि आपके बारे में झूठ बोलने की चेतावनी उस व्यक्ति के लिये है जो आप के विरोध में झूठ बोले, लेकिन यदि कोई आपके पक्ष में झूठ बोलता है तो उसके लिये यह चेतावनी नहीं है। वास्तव में यह एक झूठी दलील है क्येांकि चेतावनी प्रत्येक उस व्यक्ति के लिये है जो आपकी (सल्ल.) तरफ़ से झूठ बोले चाहे वह आपके पक्ष में झूठ बोले या आपके विरोध में झूठ बोले, अल्लाह का शुक्र है दीन पूरा हो चुका है उसे इसकी आवश्यकता नहीं है कि झूठ के माध्यम से उसे बल प्रदान किया जाये।

(च) ज़ईफ़ और मौज़ूअ ख़बरें :

यह रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की एक बीवी की मौत हो गई। जब उन्हें दफ़्न कर दिया गया और वह और दूसरे लोग घर–वापस आ गये तो कुछ लोगों ने उनके घर उनसे शोक संवेदना व्यक्त करनी चाही, इस पर आप घर में चले गये और दरवाज़ा बन्द कर लिया और फ़रमाया, हम औरतों के सिलसिलें में ताज़ीयत(शोक संवेदना) स्वीकार नहीं करते।

''मवाहिबुल जलील'' के लेखक इस ख़बर को निरस्त करते हुए कहते हैं :

''नबी (सल्ल.) का इरशाद है। यदि किसी के तीन बच्चे मर जाते हैं और वह अल्लाह से सवाब की आशा में सब्र करता है तो वह जन्नत में जायेगा''। इसमें आपने लड़के या लड़की का कोई संकेत नहीं किया है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''तुम्हारे ऊपर मौत की मुसीबत आ जाये''। नबी (सल्ल.) का इरशाद है। यदि किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचती है तो दूसरे मुसलमानों को उस पर शोक व्यक्त करना चाहिये। इसी तरह यदि किसी की बीवी या रिश्तेदार की मौत हो जाती है। तो आप (सल्ल.) ने उसे भी मुसीबत कहा है।

द्वितीयः ऐसी आयतें, हदीसें और खबरें, जिनका सहारा लेकर औरत के फ़ितने का ग़लत भावार्थ प्रस्तुत की जाता हैः

(क) वह आयतें जिनका ग़लत अर्थ लिया गया है :

अल्लाह तआला फ़रमाता है। नबी की पाक बीवियों से यदि तुम्हें कुछ मांगना हो तो परदे के पीछे से मॉगा करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पवित्रता के लिये अधिक उचित तरीक़ा है''। (सूरह अहज़ाब– 33)

यह जानने के लिये कि इस आयत को किस तरह ग़लत अर्थ लिया गया है इसी भाग के पहले अध्याय को देखें।

(ख) वह सही हदीसें जिनका कुछ लोगों ने ग़लत अर्थ लिया हैः

हम यहां मात्र दो हदीसें बयान करेंगे जिनका बयान हम इसी भाग के पहले अध्याय में कर चुके हैं और वहां इन दोनों हदीसों के भावार्थ पर भी विस्तार से वार्ता की है और साथ ही बहुत सी ऐसी हदीसे बयान की हैं जिनका कुछ लोगों ने ग़लत अर्थ लिया हैः

''हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं। मैं नबी (सल्ल.) के पास थी आपके पास हज़रत मैमूना भी थीं। वह कहती हैं कि अभी हम वहां मौजूद ही थे कि इब्ने उम्मे मक्तूम आ गये। यह परदा फ़र्ज़ होने के बाद की घटना है। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, तुम दोनों उनसे परदा

करो। इस पर हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल क्या वह अन्धे नहीं है। वह न ही हमें देख सकते हैं और न ही हमें पहचान सकते हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, क्या तुम दोनों भी अन्धी हो क्या तुम दोनों इन्हें देख नहीं रही हो?

कुछ लोगों ने इस हदीस का अर्थ यह लिया है कि जो आदेश बयान किया गया है वह सामान्य मोमिन औरतों के लिये है हालांकि सच्चाई यह है कि यह आदेश नबी (सल्ल) की पाक बीवियों के लिये विशेष है।

''नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया औरतों के पास जाने से परहेज़ करो। एक अन्सारी सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में क्या आदेश है। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया देवर तो मौत है। कुछ लोगों ने इस हदीस का अर्थ यह लिया है कि इसमें औरतों के पास जाने से मना किया गया है हालांकि वास्तविकता है कि इसमें औरत के पास अकेले रहने पर जाने से मना किया गया है। हदीसों की ही तरह कुछ सहीह सहाबा की धरोहर और कथनो का भी दूर दराज़ का अर्थ लिया गया है। इसकी एक मिसाल निम्न में बयान की जाती हैः

''हज़रत आयशा (रज़ि.) का कथन है कि औरतों ने जो नई बातें पैदा कर रखी हैं यदि नबी (सल्ल.) को इनका पता चल जाता तो आप (सल्ल.) उन्हें मस्जिद जाने से रोक देते, जैसे कि बनी इसराईल की औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया था''। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत आयशा (रज़ि.) के इस कथन से पता चलता है कि औरतों को मस्जिद जाने से रोकना अनिवार्य है। मानो, उन लोगों के कथन के अनुसार हज़रत आयशा (रज़ि) का यह कथन नबी (सल्ल.) के इस कथन को निरस्त करने वाला है कि ''अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिद से न रोको, सहीह बात यह है कि हज़रत आयशा (रज़ि) का कथन वास्तव में डॉट फटकार के लिये है। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने उन औरतों को चेतावनी दिया है जिन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन करते हुए सुगंध लगाकर और सज–धज कर मस्जिद जाना प्रारम्भ कर दिया था।

(ग) ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीसें :

- औरतों को नंगा कर दो तो वह घरों में रहने लगेंगी।
- औरत के शरीर को घरों में छिपाओ।
- नबी (सल्ल.) को बाहर निकलने से मना किया है। हां बूढ़ी औरत अपना खुफ़ पहन कर निकल सकती है।
- नबी (सल्ल.) ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया औरत के लिए क्या चीज़ बेहतर है? उन्होंने कहा औरत के लिए चह चीज़ बेहतर है कि वह मर्द को न देखे और न ही उसे मर्द देखे, यह सुनकर आप (सल्ल.) ने उन्हें गले लगा लिया अेर फ़रमाया, ''सन्तान एक से दूसरी होती है''
- हज़रत उम्मे सलमा बिन्ते हकीम फ़रमाती हैं कि मैंने बूढ़ी औरतों को नबी करीम (सल्ल.) के साथ फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ते पाया,

- हज़रत सुलैमान बिन अबी हष्मः कहते हैं कि उनकी माँ ने कहा। मैंने बूढ़ी औरतों को नबी करीम (सल्ल.) के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते पाया।

दूसरे भाग के पांचवें अध्याय में बहुत सी ऐसी सहीह हदीसें आ चुकी हैं। जिनसे पता चलता है कि नौजवान औरतें मस्जिद में आकर नबी (सल्ल.) के साथ नमाज़ पढ़ा करती थीं। जैसे हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र, हज़रत उमर (रज़ि.) की बीवी आतिकः बिन्ते ज़ैद, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस, रूबैअ़ बिन्ते मुअव्विज़।

(घ) मौज़ूअ हदीसें (गढ़ी हुई हदीसें)

अब्दुल क़ैस क़बीले का एक शिष्टमण्डल नबी (सल्ल.) के पास आया उनमें एक सुन्दर लड़का भी था नबी (सल्ल.) ने उसे अपने पीछे बिठाया और फ़रमाया, हज़रत दाऊद से देखने की ग़लती हुई थी।

अतिशयोक्ति करने वाले कहते हैं कि एक सुन्दर लड़के के फ़ितने के बारे में जब आपका यह रवैया है तो फिर औरत के फ़ितने के सिलसिले में यह सावधानी और अधिक आवश्यक हो जाती है।

(च) ज़ईफ़ अख़बार (कमज़ोर प्रमाण की घटनायें) :

हज़रत इब्ने मसऊद का कथन है कि किसी भी औरत ने (कअ़बा और मस्जिदे नबवी के अतिरिक्त) अपने घर में पढ़ी हुई नमाज़ से अच्छी कोई नमाज़ नहीं पढ़ी, सिवाय इसके कि कोई बूढ़ी औरत खुफ्फ़ पहन कर मस्जिद में नमाज़ पढ़े।

यदि हम उन कारणों पर विचार करें जो 'सद्देज़रिया के सिद्धान्त' में अतिशयोक्ति करने के सिलसिले में सहायक होते है तो हमें दिखाई देगा कि अतिशयोक्ति का कारण या तो गुमान व अनुमान का अनुकरण है या फिर स्वार्थ का अनुकरण है या इसका कारण एक साथ इन दोनों का अनुपालन है। इस बात को निम्नलिखित में कुछ विस्तार से प्रस्तुत की जाता हैः

दिल की इच्छा या स्वार्थ अल्लाह की तरफ़ से उतारे हुए अधिकार को देखने में अक्षम होता है चाहे वह कितना ही खुला क्यों न हो। स्वार्थ का बन्दी व्यक्ति मात्र स्वयं तक ही सीमित होकर रह जाता है वह अपने आस–पास के माहौल में सामने आने वाली घटनाओं से अवगत नहीं होता। अतः सम्मान व आबरू के सिलसिले में आत्मसम्मान का दावा करने का कारण अनुमान व गुमान का अुनकरण है और इस अनुमान व गुमान के अनुकरण का कारण भी यह है कि लोगों में कम मात्रा में पाई जाने वाली दीनदारी के बीच, और हलाल पर अमल करने के कारण बहुत अधिक घटित होने वाले फ़ितने व फ़साद के बीच घाल–मेल कर दिया जाता है। इसी तरह इसका एक कारण यह है कि वास्तविकता की धारणा में अधूरी और अप्रमाणित जानकारी पर भरोसा कर लिया जाता है। सम्मान व सतीत्व के मामले में आत्मसम्मान का दावा करने का एक कारण, स्वार्थ का अनुकरण है। क्योंकि सन्तुलित आत्म सम्मान और बीमार आत्म सम्मान के बीच घाल–मेल कर दिया जाता है।

सावधानी के पहलू को अपनाने का कारण भी गुमान व अनुमान का अनुकरण है। क्योंकि यह समझा जाता है कि सावधानी के पहलू को अपनाना और हलाल से दूर रहना, प्रशसंनीय अमल तक्वा की बात है। कभी–कभी इसका कारण पसंदीदा चीजों और हराम की तरफ़ झुकाव तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि कुछ ऐसी भी सोचें हैं जिनकी इच्छा यह होती है कि चीज़ों को हराम बताकर अल्लाह के बन्दों को कष्ट में डाला जाये।

ज़ईफ़ व मौजूअ(कमज़ोर और गढ़ी हुई) हदीसों के प्रचलित होने का कारण भी गुमान का अनुकरण ही है क्योंकि यह समझा जाता है कि ये हदीसें लोगों को अल्लाह के आज्ञापालन पर प्रेरित करने और अवज्ञा से रोकने में अधिक बड़ी भूमिका निभायेंगी।

वह सभी साधन जो 'सद्देज़रिया' के सिद्धान्त को लागू करने में अतिशयोक्ति का कारण बने हैं उन सबके बीच एक उभयनिष्ठ मूल्य। गुमान का अनुकरण है जो कि तक़लीद में स्पष्ट दिखाई देता उसे हम मिश्रित बेपरवाही कह सकते है। अतः तकलीद शरई दलीलों से बेपरवाही का कारण बनता है। दूसरे भाग के सभी अध्यायों पर एक दृष्टि डालने से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि लोग उन दलीलों से अनभिज्ञ हैं जिनमें यह बताया गया है कि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी और गंभीरता और प्रतिष्ठा के साथ मर्दों से उसकी मुलाक़ात नबी (सल्ल.) की सुन्नत है। उन दलीलों में मुस्लिम समाज की एक विशेषता को बयान किया गया है इसी तरह तक़लीद फ़िक़्ह के सभी उसूलों की जानकारी प्राप्त करने से बेपरवाही बरतने का भी कारण बनता है। उसूले–ए–फ़िक़्ह के उलमा ने सद्देज़रिया के उसूल के सिलसिले में जो शर्तें बयान की हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि उसी हलाल को सद्देज़रिया के रूप में अवैध ठहराया जा सकता है जो अधिकतर फ़ितने का कारण बनता हो। दूसरी शर्त यह है कि उसी हलाल को अवैध ठहराया जा सकता है जिसमें फ़ितने का पहलू सुधार के पहलू पर भारी हो। यदि मामला गुमान के अनुकरण तक ही सीमित होता तो अधिक बड़ी मुसीबत नहीं थी। क्योंकि क़ुरआन व सुन्नत और उसूले–फ़िक़्ह का ज्ञान प्राप्त करके भी इसका इलाज किया जा सकता था लेकिन मामला गुमान के अनुकरण से स्वार्थ के अनुकरण तक पहुंच गया। और स्वार्थ का इलाज तो अत्यन्त ही कठिन है क्योंकि स्वार्थ के फलस्वरूप बुद्धि और दिल सब दब जाते हैं बहरहाल, हमें अल्लाह की कृपा से आशा है कि ज्ञान के बयान करने और निहित स्वार्थ को सामने लाने में उसकी कृपा प्राप्त हो रही है हम सबके लिये, ये आयतें विचार योग्य हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''वास्तविकता यह है कि लोग मात्र अन्धविश्वास और गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और स्वार्थ के दास बने हुए हैं हालांकि उनके रब की तरफ़ से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है। (सूरह नज्मः23)

आगे अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ''वह मात्र गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान सच्चाई की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता'' (सूरह नजमः28)

निचोड़ यह है कि सामाजिक जीवन में औरत की भागीदारी करने और उसके चेहरा खुला रखने के कारण जो फ़ितना पैदा होता है उसे अल्लाह ने इन्सानो के भाग्य में उनकी परीक्षा के लिये लिख दिया है। जब मुसलमान इस परीक्षा में पड़ता है और इस

फ़ितने से संघर्ष करता है तो उसके अहद औंर इरादे को बल प्राप्त होता है। और वह स्वार्थ का सामना करने में सक्षम हो जाता है और इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि इन्सान का मानसिक स्वास्थय बेहतर हो जाता है। और उसके अन्दर सन्तुलन पैदा हो जाता है। इस फ़ितने से दूर रहने और बचने के लिये कष्ट और तंगी का सहारा लेना पड़ता है और इस संघर्ष के फलस्वरूप हम तक कोई भलाई नहीं पहुंच सकती। यह बात पहले आ चुकी है कि हज़रत अबू हुरैरह ने इस फ़ितने से बचने के लिये अपने ऊपर इस तरह तंगी करना चाहा कि नबी (सल्ल.) से ख़स्सी हो जाने की अनुमति मांगी, आपने उन्हें इससे दूर रहने का निर्देश करते हुए फ़रमाया था कि ऐ अबू हुरैरह जो चीज़ तुम्हें मिलने वाली है उसे लिखा जा चुका है। अतः अब यदि तुम चाहो तो ख़स्सी हो जाओ या न हो। इससे कोई अन्तर नहीं होता।

सद्देज़रिया भी शरीअत ही का एक उसूल(सिद्धान्त) है लेकिन उसको शरई तौर पर लागू करना उसी समय उचित होगा, जब उसे लागू करने में उसूले फ़िक़्ह के उलमा द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखा जाये। यदि लागू करते समय उन शर्तों को ध्यान में नहीं रखा गया तो फिर इसको गुनाह में गिना जायेगा।

यह बात बहुत आश्चर्य जनक है कि सहाबा किराम और उनके बाद के इमामों ने तो सद्देज़रिया के इस उसूल का प्रयोग शरई आदेशों के सन्देह को समाप्त करने के लिये किया। लेकिन उनके बाद के लोगों ने इस सिद्धान्त का प्रयोग शरई मामलों को सन्देहास्पद बनाने के लिये प्रारम्भ कर दिया। चूंकि इन लोगों ने सद्देज़रिया के उसूल को लागू करने में अतिशयोक्ति से काम लिया अतः बहुत सारी हलाल चीज़ों के सिलसिले में उन्हें सन्देह हो गया और उन्होंने उन्हें मकरूह और हराम समझ लिया.................... अल्लाह तआला हम सबका मार्गदर्शन करे।

(आमीन)